

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012

भाग-III
कृषि, उद्योग, सेवाएं और
भौतिक अवसंरचना



योजना आयोग
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना
(2007-2012)
कृषि, उद्योग, सेवाएं और भौतिक अवसंरचना

भाग III



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
योजना आयोग

© योजना आयोग (भारत सरकार) 2008

लेखक के नैतिक अधिकार प्राख्यापित हैं।

प्रथम प्रकाशन 2008

सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का किसी भी रूप में अथवा किसी भी विधि, से इलैक्ट्रोनिक अथवा यांत्रिक, फोटोप्रतिलिपि, रिकार्डिंग अथवा किसी अन्य सूचना भंडारण और पुनः प्रापण प्रणाली सहित योजना आयोग, भारत सरकार की लिखित अनुमति के बिना प्रतिलिपिकरण अथवा स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।

योजना आयोग, भारत सरकार,
योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के द्वारा प्रकाशित

विषय सूची

तालिका सूची	v
चित्र सूची	x
बॉक्स सूची	xi
संलग्नक सूची	xiii
प्रथमक्षर सूची	xvi
I कृषि	
1. कृषि	1
2. जल प्रबंधन तथा सिंचाई	43
3. वन	66
II ग्रामीण विकास	
4. तेजी से गरीबी घटना	79
5. ग्रामीण और शहरी जीविका का सुनिश्चित करना	106
6. भारत निर्माण और फ्लैगशिप कार्यक्रम	131
III उद्योग	
7. उद्योग	141
7.1 लघु और मध्यम उद्यमों सहित उद्योग (एसएमई(ज))	141
7.2 खनिज	208
IV सेवाएं	
8. सेवाएं	243
8.1 निर्माण	243
8.2 पर्यटन	248
8.3 आईटी एवं आईटी- समर्थित सेवाएं	254
8.4 वित्तीय सेवाएं	262

V भौतिक अवसंरचना

9. परिवहन	281
9.1 एकीकृत परिवहन पद्धति	281
9.2 रेलवे	281
9.3 सड़कें	291
9.4 नौवहन	310
9.5 बंदरगाह	315
9.6 नागर विमानन	322
10. ऊर्जा	345
11. शहरी अवसंरचना, आवास, मूलभूत सेवाएं और गरीबी उन्मूलन	397
12. संचार और सूचना तकनीक	427
12.1 दूरसंचार	427
12.2 सूचना प्रौद्योगिकी	435
12.3 भारतीय डाक	442
12.4 सूचना तथा प्रसारण	448
ग्यारहवीं योजना के लिए अनुमानित जीबीएस	459

अनुबंध

तालिका

1.1	सकल घरेलू उत्पाद की औसतन विकास दर, समग्र और कृषिगत	4
1.2	कृषि से राज्य घरेलू उत्पादों की विकास दर	5
1.3	कृषि के विभिन्न उप क्षेत्रों में हुई पैदावार की विकास दर	5
1.4	1980-81 से 2005-06 के दौरान विभिन्न अवधियों में कृषिगत क्षेत्र, आदान उपयोग, ऋण एवं पूँजीगत स्टॉक की विकास दर की प्रवृत्ति	6
1.5	कृषि में निवेश	8
1.6	कम उत्पादकता के कारक क्षेत्र विशिष्ट घटक	9
1.7	10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि मंत्रालय का परिव्यय एवं व्यय	10
1.8	बीजों का उत्पादन एवं वितरण	17
1.9	बीज उत्पादन में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का बदलता हुआ हिस्सा	17
1.10	सहकारी समितियों द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण-प्रवाह	21
1.11	अक्टूबर 2006 की स्थिति के अनुसार कृषि बाजार (एपीएमसी अधिनियम) सुधारों में हुई प्रगति	23
2.1	भारत के जल संसाधनों के अनुमान	44
2.2	चरम सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता तथा प्रयुक्त क्षमता	45
2.3	विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल की आवश्यकता	46
2.4	10वीं योजना में कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत भौतिक प्रगति	47
2.5	10वीं योजना के दौरान एमएमआई क्षेत्र के भौतिक और वित्तीय निष्पादन	48
2.6	11वीं पंचवर्षीय योजना में आगे को लाई गई, बड़ी, मध्यम और ईआरएम परियोजना में	48
2.7	बिना अनुमोदन वाली वृहद, मध्यम और ईआरएम परियोजनाएं	49
2.8	एआईबीपी परियोजनाओं का निष्पादन	50
2.9	10वीं योजना के दौरान एमआई क्षेत्र का भौतिक और वित्तीय निष्पादन	51
2.10	दसवीं योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण में वित्तीय निष्पादन	52
2.11	दसवीं योजना के दौरान बाढ़ से नुकसान एवं राहत नदियों को पारस्परिक रूप से जोड़ने की प्रगति	57
2.13	राज्यवार जल उपभोक्ता संघों की संख्या और कवर किया गया सिंचित क्षेत्र	59
2.14	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए समग्र परिव्यय	62

2.15	भौतिक लक्ष्य	63
2.16	समग्र रोजगार क्षमता	63
4.1	भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत (1973-2004)	79
4.2	भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या (लाखों में) (1973-2004)	80
4.3	सामाजिक वर्गों के अंतर्गत, परिसम्पत्ति धारक श्रेणियों के अनुसार परिवारों का प्रतिशत	82
4.4	सामाजिक वर्गों के अंतर्गत प्रति परिवार धारित भूमि, 2003	82
4.5	सामाजिक वर्गों के अंतर्गत ऋणग्रस्तता का भार	83
4.6	सामाजिक वर्गों के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण निर्देशक वर्ष 2005-06 (एनएफएचएस-III)	83
4.7	सामाजिक वर्गों के अंतर्गत, प्राथमिक स्तर पर (I-V) सकल नामांकन एव स्कूल छोड़ना (ड्रॉप-आउट), 2004-05	84
5.1	दसवीं योजनावधि के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्रक का निष्पादन	110
5.2	दसवीं योजनावधि के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्रक का निष्पादन	113
5.3	10वीं योजनावधि के दौरान वर्षवार निष्पादन	115
5.4	दसवीं योजना के दौरान रेशम उत्पादन क्षेत्रक का निष्पादन	117
5.5	ऊनी क्षेत्रक के लिए 10वीं योजना की उपलब्धियां तथा 11वीं योजना के लक्ष्य	120
5.6	दसवीं पंचवर्षीय योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र का निष्पादन	122
5.7	दसवीं योजना अवधि के दौरान क्वॉयर उद्योग का निष्पादन	123
5.8	दसवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र का निष्पादन	125
5.9	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादन यूनिट) हेतु ग्यारहवीं योजना के लिए वर्षवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य	127
5.10	भारतीय क्लस्टरर्स: एक सिंहावलोकन	129
6.1	सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का सूचकांक	131
6.2	भारत निर्माण के अन्तर्गत लक्ष्य	132
6.3	भारत निर्माण के अन्तर्गत सिंचाई के लक्ष्य	132
6.4	2005-07 के दौरान भारत निर्माण की भौतिक प्रगति	133
7.1.1	संवृद्धि दरें	141
7.1.2	सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकीय हिस्सा (प्रतिशत)	142
7.1.3	औद्योगिक उप-क्षेत्रकों के कार्य-निष्पादन की प्रवृत्तियां	143
7.1.4	सकल पूंजी निर्माण और विनिर्माण में पूंजी निर्माण	143
7.1.5	संगठित विनिर्माण में रोजगार (लाख में)	145
7.1.6	गैर-विभागीय उद्यमों का जी.डी.पी. में घटक लागत पर योगदान (चालू कीमतों पर)	155
7.1.7	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों का बृहद अवलोकन	156
7.1.8	राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों के कार्य-निष्पादन के संकेतक	158
7.1.9	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाहनों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के पूर्वानुमान	168
7.1.10	सीमेंट की क्षमता, उत्पादन और निर्यात (मिलियन मीट्रिक टन) में	172
7.1.11	प्रेक्षित जहाज निर्माण आदेश बुक टर्न-ओवर	188
7.1.12	पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम और लघु उद्योगों का योजना-परिव्यय	198
7.1.13	चीन के शहरी और ग्रामीण उद्यमों के द्वारा निर्यात (बिलियन अमरीकी डालर)	200
7.1.14	एम.एस.ई. की परिभाषा	200
7.1.15	ग्यारहवीं योजना के वर्ष-वार भौतिक लक्ष्य	206
7.2.1	सकेंद्रित सीसी-जस्ता का उत्पादन और आयात	214
7.2.2	खनिज - हासिल न हुई क्षमता	215

8.2.1	2007 में सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में यात्रा एवं पर्यटन का योगदान	249
8.2.2	भारत में पर्यटकों का आगमन	249
8.2.3	पर्यटन से आय (बिलियन अमेरिकी डालर)	250
8.3.1	भारत में आईटी-आईटीईएस व्यावसायियों का विकास	256
8.3.2	भारत में आईटी-आईटीईएस के लिए मानवशक्ति की आवश्यकता	257
8.3.3	भारतीय आईटी-आईटीईएस निर्यात का पूर्व अनुमान	262
8.4.1	वित्तीय सेवाओं की विकास दर	262
8.4.2	बचत और ऋण के लेखे	263
8.4.3	पूर्व हाउसहोल्ड्स की क्रेडिट एक्सपेंस	264
8.4.4	कृषि में क्रेडिट का प्रवाह	265
8.4.5	क्रेडिट सीमा के आकार के अनुरूप एससीबी के बकाया क्रेडिट का संवितरण	265
8.4.6	एससीबी की बकाया क्रेडिट का क्षेत्रवार वितरण	266
8.4.7	दस्तकारी और ग्रामीण उद्योग एवं अन्य लघु उद्योग	267
8.4.8	प्रति शाखा कार्यालय औसत जनसंख्या	272
9.2.1	भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां	282
9.2.2	उत्पादकता निष्पादन	283
9.2.3	परियोजनाओं की प्रगति	287
9.2.4	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, नौवीं और दसवीं योजनाओं की उपलब्धियों के मुकाबले माल ट्रैफिक का पूर्वानुमान	289
9.2.5	11वीं पंचवर्षीय योजना में नौवीं और दसवीं योजनाओं की तुलना में यात्री ट्रैफिक का पूर्वानुमान	289
9.2.6	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना : रोलिंग स्टॉक के लिए आवश्यकता	290
9.3.1	राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में उपलब्धियां	292
9.3.2	31 अगस्त, 2007 तक स्वर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) के संबंध में प्रगति का गलियारे-वार विवरण	293
9.3.3	31 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार एनएचडीपी तथा अन्य एनएचएआई परियोजनाओं की स्थिति	294
9.3.4	पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत (31 मार्च, 2007 तक) संयोजकता स्थिति : लक्ष्य बनाम उपलब्धियां	296
9.3.5	दसवीं योजना में सड़क अनुरक्षण के लिए निधियों में कमी	297
9.3.6	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अध्ययन समूह के आधार पर एक्सप्रेस-वे की फेजिंग	299
9.3.7	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमानित लक्ष्य	305
9.4.1	दसवीं योजना में नौवहन क्षेत्रक का वित्तीय निष्पादन	310
9.4.2	टन भार में वृद्धि	311
9.5.1	दसवीं योजना - कार्गो ट्रैफिक लक्ष्य और उपलब्धियां	316
9.5.2	दसवीं योजना : बड़े बन्दरगाहों पर बढ़ाई गई क्षमता (मिलियन मेट्रिक टन)	317
9.5.3	दसवीं योजना - बड़े बंदरगाहों के उत्पादकता मानदण्ड	317
9.5.4	ग्यारहवीं योजना में बड़े बन्दरगाहों में क्षमता निर्माण और पूर्वानुमानित ट्रैफिक	319
9.6.1	एयर इण्डिया का वित्तीय निष्पादन	326
9.6.2	दसवीं योजना के दौरान क्षमता और ट्रैफिक में वृद्धि	326
9.6.3	इण्डियन एअर लाइन्स का वित्तीय निष्पादन	327
9.6.4	दसवीं योजना के दौरान क्षमता और ट्रैफिक में वृद्धि	327

viii तालिका

9.6.5	भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का वित्तीय निष्पादन	328
9.6.6	पवन हंस हेलिकोप्टर्स लि० का वित्तीय निष्पादन	328
9.6.7	एयर इण्डिया चार्टर्स लि. का वित्तीय निष्पादन	329
10.1	भारत के लिए पूर्वानुमानित प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता : 2030	346
10.2	प्राथमिक ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में प्रवृत्तियां	348
10.3	स्रोत-वार ऊर्जा मांग	349
10.4	घरेलू स्रोतों से पूरी हुई प्रतिशत मांग	349
10.5	2011-12 के लिए पूर्वानुमानित वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता	350
10.6	देशज आपूर्ति की विकास दरें	350
10.7	दसवीं योजना के दौरान स्थापित क्षमता वृद्धि	354
10.8	अखिल भारत संचयी उत्पादन क्षमता	354
10.9	दसवीं योजना के अंत में पारेषण लाइनों की संचयी उपलब्धियां	355
10.10	एपीडीआरपी के निवेश घटक का सारांश (31 अगस्त, 2007 की स्थिति)	356
10.11	सुधार न करने वाली राज्य यूटिलिटीज़ की व्यवहारिकता	356
10.12	केन्द्र, राज्य और संघ शासित क्षेत्र का परिव्यय/व्यय	357
10.13	ग्यारहवीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि की स्थिति (मेगावाट)	358
10.14	ग्यारहवीं योजना के दौरान क्षेत्रक-वार, विधि-वार क्षमता वृद्धि (मेगावाट)	358
10.15	ग्यारहवीं योजना के अंत तक प्रत्याशित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	358
10.16	2011-12 के दौरान ईंधन आवश्यकताएं	360
10.17	भौतिक कार्यक्रम	368
10.18	परिव्यय/व्यय	368
10.19	कच्चा (क्रूड) तेल उत्पादन	371
10.20	प्राकृतिक गैस उत्पादन	371
10.21	11वीं योजना के दौरान एलएनजी आपूर्ति का अनुमान	372
10.22	विदेश व्यापार से पूर्वानुमानित कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन	372
10.23	11वीं योजना के लिए सरकारी क्षेत्रक परिव्यय	373
10.24	पिछले वर्षों के दौरान कोयला भंडारों में वृद्धि	375
10.25	दसवीं योजना के दौरान कम्पनीवार/स्कीमवार व्यय	378
10.26	भारत में घरेलू ऊर्जा खपत (जुलाई, 1999-जून, 2000)	387
10.27	अनुमानित मध्यावधि (2032) क्षमता और 31.3.2007 को संचयी उपलब्धियां	389
10.28	ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में प्रगति	390
10.29	नवीकरणीय विकल्पों से उत्पादित बिजली की पूंजीगत लागत और विशिष्ट लागत	390
10.30	ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन	391
10.31	ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय	391
10.32	ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य	392
10.33	ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित आर. एंड डी. पहलें	393
11.1	शहर/कस्बावार पीने योग्य पानी तक औसत पहुंच	405
11.2	निधियों की आवश्यकता - शहरी बुनियादी आवश्यकताएं	407
11.3	निधियों की प्रस्तावित दिशा	408
11.4	यूनिफार्म रिकॉल अवधि के आधार पर निर्धनता अनुमानों की तुलना (कुल आबादी के प्रतिशत में)	409
11.5	मिश्रित रिकॉल अवधि के आधार पर निर्धनता अनुमानों की तुलना (कुल आबादी के प्रतिशत में)	409

11.6	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या(लाख में)	409
11.7	सामाजिक आवास योजनाएं	410
11.8	शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल्स जिन्हें कर मुक्त बॉन्ड्स जारी करने की अनुमति दी गई है	422
11.9	परिव्यय और व्यय	424
11.10	निधियों की आवश्यकता	425
11.11	निधिकरण के स्रोत	425
11.12	मलिन बस्तियों की आबादी	425
11.13	जनसंख्या आवास और मूलभूत सुविधाओं	426
12.1.1	मार्च, 2007 के अनुसार भारत में दूरसंचार नेटवर्क की स्थिति	427
12.1.2	निजी क्षेत्र की भागीदारी (31.3.2006 की स्थिति के अनुसार) पंजीकरण/लाइसेंस संबंधी मामले	428
12.1.3	दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार कुछ देशों में दूरसंचार संकेतकों की स्थिति	428
12.1.4	दसवीं योजना अवधि के दौरान दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार	429
12.1.5	दसवीं योजना अवधि के दौरान दूरसंचार उत्पादक क्षेत्रक का निष्पादन	430
12.4.1	भारतीय मनोरंजन एवं मीडिया उद्योग की वार्षिक वृद्धि	449

चित्र

2.1	सिचाई पर खर्च	46
2.2	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार ब्लॉकों/मंडलों/तालुकों का वर्गीकरण	52
7.1.1	विनिर्मित वस्तुओं का विश्व निर्यात में हिस्सा	144
7.1.2	कारोबार शुरू करना, समय और प्रक्रियाएं	146
7.1.3	कारोबार बंद करना, समय और प्राप्ति दर	147
7.1.4	उत्पादन में रोजगार तथा आउटपुट में राज्यों का योगदान	162
7.1.5	आटो संगठक - कारोबार और निर्यात के अनुमान	169
7.1.6	सीमेंट - निर्यात, 2011-12 तक तक की अवधि हेतु आवश्यक प्रोजेक्ट मांग तथा क्षमता	172
7.1.7	भारतीय रसायन उद्योग में विभिन्न सेगमेंटों की भागीदारी (आउटपुट मूल्य)	175
7.1.8	फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में घरेलू निर्यात एवं बिक्री (करोड़ रुपए में)	176
7.1.9	औषधियां - 2011-12 तक निर्यात, खुद्रा बिक्री एवं संस्थागत बिक्री	177
7.1.10	2011-12 तक खाद की मांग	180
7.1.11	भारतीय चर्म निर्यात - बदलता ढांचा	182
7.1.12	भारत में चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात की पूर्व अनुमानित वृद्धि	182
7.1.13	प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के कार्यान्वयन से संबंधित स्केल	186
7.1.14	स्वामित्व पर आधारित वितरण	192
7.1.15	टीयूएफएस के अंतर्गत मंजूरी की गई परियोजना लागत	195
7.1.16	भारत में एसएमई क्षेत्रक का विकास	202
7.1.17	एसएसआई एवं लघु ईकाइयों हेतु ऋण की उपलब्धता	203
7.2.1	सर्वेक्षण परमितों का अनुमोदन	210
7.2.2	एल्यूमिनियम का उत्पादन एवं निर्यात	210
7.2.3	तांबे का क्षमता उत्पादन एवं स्थिति	211
7.2.4	जस्ते की क्षमता एवं उत्पादन	212
7.2.5	शीशे की क्षमता और उत्पादन	212
10.1	वर्ष 2011-12 में कोयले के लिए अनुमानित क्षेत्रक-वार मांग	379
12.4.1	भारतीय मनोरंजन एवं मीडिया उद्योग की वार्षिक वृद्धि	449

बॉक्स

1.1	1994 के पश्चात भारत में जल संभर विकास परियोजनाओं के गुण और दोष	27
3.1	राज्यों के लिए वन कटाई टालने संबंधी मैकेनिज्म हेतु प्रोत्साहन	74
5.1	पारम्परिक शिल्पों के पहुंच से परे घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार	107
5.2	आशाओं का करघा	110
5.3	11वीं योजना की स्कीमें - हस्तशिल्प	115
5.4	11वीं योजना की स्कीमें	121
5.5	विपन्नता से सम्पन्नता तक	127
7.1.1	उद्योग क्षेत्रक में स्वायत्त संस्थान	159
7.1.2	औद्योगिक क्षेत्र विकास स्कीमें	160
7.1.3	कम्पित क्षेत्रक का क्षीण होना	203
7.1.4	अल्प सफलता	207
8.1.1	मानव संसाधन विकास-निर्माण उद्योग विकास परिशद (सीआईडीसी)	245
9.2.1	चीनी और भारतीय रेलवे का विस्तार 1992-2002 : एक तुलना	284
9.2.2	समर्पित माल गलियारे	285
9.2.3	भावी पूर्वानुमान - आगामी मार्ग	287
9.2.4	विश्व रेलवे का भाड़ा-माल अनुपात	287
9.2.5	सरकारी-निजी भागीदारी	288
9.3.1	गुणतापूर्ण सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए की गई पहलें/उपाय	295
9.3.2	अनुरक्षण प्रबंधन का आधुनिकीकरण	298
9.3.3	निजी क्षेत्रक के निवेश की सुलभता के लिए की गई पहलें	398
9.3.4	ग्यारहवीं योजना के लिए सड़क क्षेत्रक उद्देश्य	302
9.3.5	कुछ राज्य सरकारों द्वारा नूतनताएं	303
9.3.6	ग्रामीण सड़कों के लिए संसाधन जुटाने के लिए कुछ विकल्प	303
9.5.1	टैरिफ निर्धारण पद्धति	321
10.1	एकीकृत ऊर्जा नीति	346
10.2	ऊर्जा समकक्षता	348
10.3	निजी क्षेत्रक भागीदारी	360
11.1	झलक	397
11.2	शहरी विकास की रणनीति	398

xii बॉक्स

11.3	शहरी सेवाओं की स्थिति	405
11.4	शहरी निर्धनता उन्मूलन हेतु उद्देश्य	409
11.5	मलिन बस्तियां	409
11.6	एकीकृत मलिन बस्ती विकास	409
11.7	मलिन बस्तियों का फैलाव	410
11.8	आवास निर्माण और स्वामित्व	410
11.9	'एसजेएसआरवाई में नये केन्द्र बिन्दु'	411
11.10	हाउसिंग स्टाक	413
11.11	आवास की कमी और आवश्यकता	414
11.12	वांछित निवेश	415
11.13	आवास ऋणों का वित्त पोषण	416
11.14	सार्वजनिक परिवहन की सर्वोत्तम पद्धतियां	428
12.2.1	प्रमुख सरकारी पहलें	436
12.2.2	राज्यों में सफल उपायों की निर्देशात्मक सूची	437
12.3.1	डाक क्षेत्र की बुनियादी रूप रेखा	443

संलग्नक

1.1	केन्द्र , राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय	41
1.2	दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से विभिन्न जलसंभर विकास कार्यक्रमों के तहत विकसित अवक्रमित भूमि	42
1.3	11वीं योजना हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के मंत्रालयवार जीबीएस हेतु अनुमान	42
2.1	योजनावार कुल सृजित क्षमता और सदुपयोग	65
4.1	भारत में गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या और शीर्ष गणना अनुपात (समेकित रूप से)	102
4.2	भारत में गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या और शीर्ष गणना अनुपात (ग्रामीण)	103
4.3	भारत में गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या और शीर्ष गणना अनुपात (शहरी)	104
4.4	राज्यों के अनुसार, सामाजिक समूहों के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत - 2004-05	105
5.1	भारत में क्लस्टर विकास - सुदृढ़ क्लस्टर की अवधारणा की ओर	129
7.1.1	औद्योगिक निवेश प्रस्ताव	220
7.1.2	2004-05, 2005-06 और 2006-07 में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों से लाभ उठाने वाली निवेश परियोजनाएं	220
7.1.3	निर्यात की संरचना और संवृद्धि दरें	221
7.1.4	दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों का कार्य-निष्पादन	222
7.1.5	राज्य-वार और वर्ष-वार निवेश आशय (आई.ई.एम.३ एल.ओ.आई.उडी.आई.एल.)	223
7.1.6	2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋणों से लाभ उठाने वाली राज्य-वार निवेश परियोजनाएं	224
7.1.7	वाहनों का उत्पादन एवं निर्यात	225
7.1.8	पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक में उत्पादन का कार्य-निष्पादन	225
7.1.9	रसायनों का उत्पादन	226

7.1.10	उर्वरकों का उत्पादन, खपत और आयात	226
7.1.11	कागज और गत्ते का उत्पादन, आयात और निर्यात	227
7.1.12	अखबारी कागज का उत्पादन, आयात और निर्यात	227
7.1.13	पण्य (कमोडिटी) पालीमरों का कार्य-निष्पादन	227
7.1.14	तैयार इस्पात का उत्पादन, निर्यात और आयात	228
7.1.15	2011-12 तक इस्पात उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री और अन्य निविष्टियों की अनुमानित आवश्यकता	228
7.1.16	2002-03 से 2006-07 के दौरान चीनी का उत्पादन, खपत और निर्यात	228
7.1.17	कपड़े का उत्पादन: वर्ष-वार वृद्धि (सी.ए.जी.आर.)	229
7.1.18	दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेक्सटाइल और क्लोथिंग का निर्यात	229
7.1.19	दसवीं योजना का परिव्यय और प्रत्याशित व्यय तथा ग्यारहवीं योजना का परिव्यय	230
7.1.20	वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक लघु उद्योगों का कार्य-निष्पादन	231
7.1.21	लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के गन्तव्य (देश)	231
7.1.22	लघु उद्योग क्षेत्रक में महिलाओं की भागीदारिता - राज्यवार	232
7.1.23	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए स्कीमें	233
7.2.1	दसवीं पंचवर्षीय योजना में संगठन/कंपनीवार वास्तविक व्यय- खान मंत्रालय	236
7.2.2	महत्वपूर्ण खनिजों का जीवन सूचकांक	236
7.2.3	अनुमानित प्रत्यक्ष उपभोग, घरेलू उत्पादन, संसाधन स्थिति तथा चयनित खनिजों का जीवन सूचकांक	237
7.2.4	प्रमुख गैर-लौह धातुओं का वस्तुगत शेष	238
7.2.5	लौह अयस्क उपलब्धता- हीमाटाइट	238
7.2.6	लौह अयस्क उपलब्धता- मेग्नेटाइट	238
7.2.7	ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों हेतु जीएसआई द्वारा प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्य	239
7.2.8	ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों हेतु आईबीएम और एमईसीएल द्वारा प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्य	239
7.2.9	नालको की विस्तार परियोजनाएं- क्षमता वृद्धि	240
7.2.10	वर्तमान मूल्यों पर ग्यारहवीं योजना परिव्ययों का स्कीमवार ब्यौरा-खान मंत्रालय	240
8.2.1	दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन की वित्तीय और वस्तुतः निष्पादकता	276
9.2.1	दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन जुटाना	331
9.2.2	सकल बजटीय सहायता	331
9.3.1	वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन के संबंध में तालिका	332
9.3.2	केन्द्रीय सड़क क्षेत्रक परिव्यय और व्यय- दसवीं योजना के संबंध में चालू और सतत कीमतों पर	334
9.3.3	एनएच लम्बाई में योजना-वार अभिवृद्धि	336
9.3.4	भारत निर्माण-नई संयोजकता के लिए लक्ष्य	337
9.3.5	दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)सड़क परिवहन का वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन	339
9.3.6	माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल के संबंध में केन्द्रीय हिस्से की राज्य-वार मंजूरियां तथा जारी राशि- 31.3.2007 की स्थिति	340
9.3.7	राज्य सड़क परिवहन निगम/उपक्रमों का भौतिक निष्पादन	341

9.5.1	दसवीं योजना के दौरान वर्ष-वार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां- प्रमुख बन्दरगाह (वस्तु-वार)	342
9.5.2	दसवीं योजना के दौरान वर्ष-वार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां- बड़े बन्दरगाह (बन्दरगाह-वार)	342
9.5.3	दसवीं योजना- बन्दरगाह क्षेत्रक में परिव्यय और व्यय	343
9.6.1	दसवीं योजना दौरान नागर विमानन क्षेत्रक	344
10.1	कोयला मांग आपूर्ति - क्षेत्रकवार विवरण	394
10.2	कंपनी-वार कोयला उत्पादन कार्यक्रम	395
10.3	कैलोसिफिक वैल्यूज/यूनिट और परिवर्तन कारक विभिन्न ईंधनों की कैलोरिक वैल्यू	396
12.2.1	दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कार्य निष्पादन	454
12.2.2	दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के निर्यात हिस्से का कार्य निष्पादन	454
12.4.1	संचार तथा सूचना क्षेत्र के योजना खर्च की प्रगति	455

प्रथमाक्षर

3जी	तीसरी पीढ़ी एपीईडीए कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	एआईसीएल	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एयूडब्ल्यूएसपी त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम
ए एंड एन आईलैंड	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह एपीईएस एपेरल पार्क निर्यात स्कीम	एआईसीआरपी	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना एवीटी शिल्पकार, ग्राम और टाइनी
एएआई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएण्ट	एआईडीएस	एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिसिएंसी सिंड्रोम एडब्ल्यूबीआई भारतीय पशु कल्याण बोर्ड
एएयूआई	अपर इंडिया आटोमोबाइल एसोसिएशन एपीएम व्यवस्थित मूल्य मैकेनिज्म	एआईआर	आकाशवाणी बीएएलसीओ भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड
एबीबी	एशिया ब्राउन बावेरी लिमिटेड एपीएमसी कृषि उत्पाद विपणन समिति	एएलएचडब्ल्यू	अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य बीएआरसी भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
एसीए	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एआरएआई भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान एसोसिएशन	एएलआईएमसीओ	कृत्रिम अंग निर्माण निगम बीसी व्यापार प्रतिनिधि
एसीआई	एयरो क्लब आफ इंडिया एएसआई वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण	एएमआर	संवर्धन आशोधन और प्रतिस्थापन बीसीएएस नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो
एसीजैडज़	कृषि जलवायु जोन एटी एंड सी समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक	एएनडीए	संक्षिप्त नवीन औषधि प्रयोग बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
एडीबी	एशियन विकास बैंक एटीएफ एविएशन टर्वाइन फ्यूल	एपी	वार्षिक योजना बीसीएम बिलियन क्यूविक मीटर
एजीआर	समायोजित सकल राजस्व एटीआई ऑटोमोटिव प्रशिक्षण संस्थान	एपी	आन्ध्र प्रदेश बीसीपीएल ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पालीमर लिमिटेड
एआई	एयर इंडिया एटीएम वायु यातायात प्रबंधन	एपीडीआरपी	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम सीएडी कमान क्षेत्र विकास
एआईबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एटीएमएज़ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी		

बीसीपीएल	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	बीओटी	बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर
बीडीडीएस	सीएडी कम्प्यूटर एडिड डिजाइन	बीपीसीएल	सीसीएल केन्द्रीय कोलफील्ड लिमिटेड
बीई	बम डिटेक्शन एण्ड डिस्पोजल	बीपीएल	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
बीईई	स्कवॉड सीएडीडब्ल्यूएम	बीपीओ	सीसीओ कोयला नियंत्रक संगठन
बीजी	कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन	बीआरडीबी	गरीबी रेखा से नीचे सीडीआई कोल डस्ट इंजेक्शन
बीएचईएल	बजट अनुमानसीएजीआर	बीआरजीएफ	बिजनैस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
बीआईएफआर	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर	बीआरके	सीमा सड़क विकास बोर्ड
बीआईएच	ब्यूरो आफ एनर्जी एफिसिएन्सी	बीआरओ	सीडीपी नगर विकास योजना
बीआईएफआर	सीएएमपीए प्रतिपूरक वानिकी निधि	बीआरपीएल	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
बीके डब्ल्यूएच	प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण	बीआरपीएसई	सीडीएससीओ केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
बीएलए	ब्रोड गेज सीएआरए सेंट्रल	बीएस	भट्टा
बीएमआई	एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी	बीएसएनएल	सीमा सड़क संगठन सीईए
बीएमटीसी	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	बीएसयूपी	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
बीएमटीपीसी	सीएआरटी क्रेडिट एप्रॅजल एण्ड रेटिंग	बीटी	बॉंगई गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
बीएमएस	टूल	बीटीकेएम	सीईआरसी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
बीओओ	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण	बीटीयू	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड
	ब्यूरोसीएएस कंडीशनल एक्सेस सिस्टम	बीयू	सीईएनवीएटी केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर
	बिहार सीबीएम कोल बैड मिथेन	सी-डॉट	बजटीय सहायता सीईआरटी-इन
	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण		इंडियन कम्प्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम
	ब्यूरोसीबीओज़ समुदाय आधारित संगठन		भारत संचार निगम लिमिटेड
	विलियन किलोवाट घंटे		सीएफसी सामान्य सुविधा केन्द्र
	सीबीएसपी सेवा प्रदाता हेतु क्षमता निर्माण		शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं
	बीएलए उद्योग सीबीवीएस		सीएफएस कंटेनर फ्रेट स्टेशन
	चंदेरी बंकर विकास समिति		बिलियन टन सीएफटी क्यूविक फीट
	बॉडी मास इंडेक्स सीबीडब्ल्यूई		बिलियन टन किलोमीटर
	केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड		सीजीडब्ल्यूबी केन्द्रीय भू-जल बोर्ड
	बंगलोर मेट्रोपॉलिटन परिवहन लिमिटेड		ब्रिटिश थर्मल यूनिट सीएचए
	सीसीए कल्चरेबल कमान क्षेत्र		छत्तीसगढ़
	बिल्डिंग मेटेरियल और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्		बिलियन यूनिट सीएचएमएस
	सीसीबीज़ केन्द्रीय सहकारिता बैंक		शिकायत संचलन प्रबंधन प्रणाली
	न्यूनतम बुनियादी सेवाएं		सेन्टर फार डिवलपमेंट आफ
	सीसीडीए कोयला संरक्षण और विकास अधिनियम		टेलीमेटिक्स सीआईसी
	बिल्ड ऑन-आपरेट सीसीईए		सामुदायिक सूचना केन्द्र
	आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति		

सीएए	संविधान संशोधन अधिनियम सीआईडीसी निर्माण उद्योग विकास परिषद्	सीपीसीएल	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड डीसी विकास आयुक्त पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु समिति डीसीआई ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रासायनिक संवर्धन एवं विकास स्कीम डीडी दूरदर्शन कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस डीडीएचपीवाई दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना कॉलिंग पार्टी पे डीडीपी मरुस्थल विकास योजना केटिव पावर प्लांट डीईएल दिल्ली सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम डीएफआईडी अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम डीएफपी क्षेत्र प्रचार निदेशालय चौकी रियरिंग केन्द्र डीएफपीडी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग केन्द्रीय सड़क निधि डीजीसीए नागर विमानन महानिदेशालय केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान डीजीएच हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय केन्द्रीय सिल्क बोर्ड डीजीएलएल प्रकाशस्तम्भ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय सामान्य सेवा केन्द्र डीजीएमएस खान सुरक्षा महानिदेशालय कटर सक्शन ड्रेजर डीजीपीएस डिफरेंसियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् डीजी (एस) पोत परिवहन महानिदेशालय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड डीएचआई भारी उद्योग विभाग
सीएसपीपी	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसओ केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	सीपीसीएसईए	
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ सीएसएस केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कोल इंडिया लिमिटेड सीएसटी केन्द्रीय बिक्री कर	सीपीडीएस	
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड सीएसटी केन्द्रीय बिक्री कर	सीपीएल	
सीआईपीईटी	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीटीएल कोल टू लिक्विड	सीपीपी	
सीआईआरटी	केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान सीटीएसए केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	सीपीपी	
सीआईटीईएस	विलुप्त-प्राय वन्य वनस्पति प्रजाति अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन सीयूएम क्यूबिक मीटर	सीपीपीआरआई	
सीएलए	केन्द्रीय ऋण सहायता सीयूएसपी क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट क्रेडिट से जुड़ी पूंजी सब्सिडी सीवीज़ वाणिज्यिक वाहन	सीपीएसई	
सीएलसीएस	क्रेडिट से जुड़ी पूंजी सब्सिडी स्कीम (सीडब्ल्यूसी)सीडब्ल्यूडीबी केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड	सीपीएसयू	
सीएलसीएसएस	समुदाय संबद्ध वित्तीय सुविधा सीजैडए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	सीआरसी	
सीएलआईएफएफ	डीएस कृषि एवं सहकारिता विभाग केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान डीआईपरमाणु ऊर्जा विभाग संचार, जहाजरानी और निगरानी डीएचडीएफ पशुपालन, डेयरी एवं मछलीपालन विभाग	सीआरएफ	
सीएमटीआई	अवसंरचना समिति डीएपी डाई-एमोनियम फॉस्फेट	सीआरआरआई	
सीएनएस	सहकारिता बैंक सूचना नेटवर्क डीएआरई कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	सीएसबी	
सीओआई	प्रचालन सुरक्षा एवं सतत उड़नशीलता सहकारी विकास कार्यक्रम डीबीटी बायो प्रौद्योगिकी विभाग	सीएससी	
सीओआईएन		सीएसडी	
सीओएससीएपी		सीएसआईआर	
		सीएसएल	

डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग डीआईएल प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस	डीएसएम	डिमाण्ड साइड मैनेजमेंट एफडीडीए फूटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ईएमएससी पर्यावरणीय उपाय एवं प्रशमन नियंत्रण	डीटीएच	डायरेक्ट टू होम एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
डीएमएफ	ड्रग मास्टर फाइल ईओआर इनहेन्सड ऑयल रिकवरी	डीटीओ	जिला परिवहन कार्यालय एफआईसीसीआई भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
डीएमआईसी	दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर ईआरसी व्यय सुधार समिति	डीवीसी	दामोदर घाटी निगम एफएम फ्रीक्वेंसी माड्यूलेशन
डीपीएपी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ईआरएम विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	डीडब्ल्यूसीयूए	शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास एफओ फर्नेस ऑयल
डीपीसी	जिला कार्यक्रम समन्वयक ईआरपी उद्यम संसाधन आयोजना	डीडब्ल्यूटी ईएंडआई	डेड वेट टैनेज एफओबी फ्री-ऑन बोर्ड आर्थिक एवं अन्तर-राज्य महत्व की सड़के एफओआईएस फ्रेट
डीपीई	सार्वजनिक उद्यम विभाग ईएसए विदेशी सहायता एजेंसिया	ईएंडपी	आपरेशन इन्फोर्मेशन सिस्टम अन्वेषण एवं उत्पादन एफपीआई
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ईयू यूरोपीयन यूनियन	ईएपीज़	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं
डीओडीडब्ल्यूएस	पेजजल आपूर्ति विभाग ईवी विद्युत वाहन	ईबीआर	एफपीआर बाढ़ प्रवण नदी अतिरिक्त बजटीय संसाधन
डीओई	विस्तार निदेशालय ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	ईसी	एफआर व्यवहार्यता रिपोर्ट विशेषज्ञ समिति एफआरएम
डीओ एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एफएबी फैंब्रिकेशन यूनित	ईसीबीसी	फर्टिलाइजर रॉ मैटेरियल ऊर्जा संरक्षण निर्माण नियम
डीओ पी	डाक विभाग एफएओ खाद्य एवं कृषि संगठन	ईसीई	एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स यूरोप हेतु आर्थिक आयोग
डीओ आरटीएच	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग एफएआर प्लोर एरिया अनुपात	ईसीएल	एफएसआई भारतीय वन सर्वेक्षण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डीओ टी	दूरसंचार विभाग एफएसएएल अंतरिक्ष, कृषि मेटिरियोलॉजी और भू-आधारित प्रक्षेपण प्रयोग करते हुए कृषि आउटपुट का पूर्वानुमान	ईडीआई	एफटीए मुक्त व्यापार समझौता इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एफटीआईआई भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एंजेन्सी एफबीआरज़ फास्ट ब्रीडर रियक्टर्स	ईडीपी	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम एफटीएल फ्लोरिसेन्ट ट्यूब लाइट
डीआरएम	डिजिटल रेडियो मॉडेल एफसीआई फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट	ईएफसी	व्यय वित्त समिति एफडब्ल्यूडब्ल्यू फोर व्हीलर वैगन
डीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग एफसीआरआई फ्यूड नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	ईएफआर	एन्वायर्नमेंट फ्लो रिलीजेज जी एंड पी गिनिंग एण्ड प्रेसिंग
डीएसएल	डिजिटल सब्सक्राइबर लाईन्स एफडीए वन विकास एजेंसी	ईजीएस	शिक्षा गारंटी स्कीम जीएआईएल गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
		ईआईए	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जीबीपीएस गिगाबाइट प्रति सेकेंड

xx प्रथमाक्षर

ईआईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद जीबीएस सकल बजटीय सहायता	जीएसआरडीसी	गुजरात राज्य सड़क विकास निगम आईसीई सूचना संचार एवं मनोरंजन
जीडीसीएफ	सकल घरेलू पूंजी निर्माण	जीएसटी	सामान एवं सेवा कर
जीडीपी	जीसीएफ सकल पूंजी निर्माण	जीटी	आईसीएफआरई भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
जीईआर	सकल कौलोरीफिक वैल्यू	जीयूजी	सकल टनभार आईसीएमएल एकीकृत कोयला खनन लिमिटेड
जीएचज़	सकल नामांकन अनुपात	जीवीए	गुजरात आईसीपीएस एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम
जीआई	एचपीसीएल हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	जीडब्ल्यूई	सकल मूल्य संवर्धन
जीआईएस	गिगाहर्ट्ज़ एचपीएल हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड	जीडब्ल्यू-ईयर	आईसीआरआईईआर भारतीय अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद्
जीएलपी	भौगोलिक संकेत एचआर मानव संसाधन	एचए	गिगावॉट इलैक्ट्रीकल आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
जीएमपी	भौगोलिक सूचना प्रणालियां	एचएसीसीपी	गिगावॉट ईयर आईडी औद्योगिक विवाद
जीओआई	एचआरडी मानव संसाधन विकास	एचएआर	हैक्टेयर आईडीए अन्तरराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन
जीओएम	अच्छी प्रयोगशाला पद्धतियां	एचसीआई	हैजार्ड एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल पॉइन्ट आईडीएलएस
जीपी	एचएसएल हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	एचडीटीवी	एकीकृत चमड़ा क्षेत्रक विकास हरियाणा आईडीएसएमटी
जीपीएस	अच्छी विनिर्माण पद्धतियां	एचईएमएम	एकीकृत लघु एवं मध्य नगरीय विकास
जीक्यू	एचयूडीसीओ शहरी आवास विकास निगम	एचईपी	हॉटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
जीआरई	भारत सरकार एचजैडएल हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड	एफएफसी	आईडीटीआर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
जीएसआई	मंत्रियों का समूह आई एंड बी सूचना एवं प्रसारण	एचईपी	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
जीएसएम	ग्राम पंचायत आई एंड एम उद्योग एवं खनिज	एफएफसी	आईईबीआर अन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन
जीएसपीसी	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम		शीर्ष गणना अनुपात आईईसी सूचना, शिक्षा और संचार
	आईएवाई इंदिरा आवास योजना		आई डेफिनेशन टेलिविजन
	स्वर्णिम चर्तुभुज आईबीएम		आईईएम औद्योगिक उद्यम ज्ञापन
	भारतीय खान ब्यूरो		हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी
	स्नातक अभिलेख परीक्षा		आईईपीआर एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट
	आईबीपी इंडो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड		पन बिजली परियोजनाआईओआर
	भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण आईसी एकीकृत सर्किट्स		इम्प्रूव्ड ऑयल रिकवरी
	ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्प्यूनिकेसन्स आईसीएआर		हाऊसिंग फाइनेंस कम्पनी
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्		आईपी इन्टरनेट प्रोटोकॉल
	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड		
	आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवाएं		

एचएच	परिवार आईपीई सार्वजनिक उद्यम संस्थान	आईआईएमसी	भारतीय मास कम्यूनिकेशन संस्थान
एचएमसीपीज़	हार्डवेयर मैनुफैक्चरिंग कल्स्टर	आईआईपी	आईएसओ अन्तरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
एचपी	पावर्स आईपीईए अन्तरराष्ट्रीय प्रारम्भिक परिक्षण प्राधिकरण	आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स
एचओसीएल	हिमाचल प्रदेश आईपीएफटी	आईआईएससीओ	आईएसपी इन्टरनेट सेवा प्रदाता
एचपीसी	पेस्टीसाइड्स फार्मूलेशन प्रौद्योगिकी संस्थान	आईआईटी	भारतीय लौह एवं स्टील कम्पनी
आईएफएफसीओ	हिन्दुस्तान ऑरगेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड आईपीआरटीआई	आईआईटीएम	आईटी सूचना प्रौद्योगिकी
आईजीसीएआर	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	आईआईटीएम	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान
आईजीसीसी	अन्तरमंत्रालयी उच्च अधिकार प्राप्त समिति आईपीएम एकीकृत पेस्ट प्रबंधन	आईआईटीएम	आईटीसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र
आईजीसीसी	भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड आईपीओ भारतीय बौद्धिक सम्पदा कार्यालय	आईआईटीएम	भारतीय ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी संस्थान आईटीईएस आईटी अनुकूल सेवाएं
आईजीसीसी	इंदिश गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र आईपीआरज़ बौद्धिक सम्पदा अधिकार	आईआईटीएम	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईजीसीसी	इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कम्बाइंड साइकिल आईपीटीवी	आईआईटीएम	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम आईटीएस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
आईजीआरयूए	इंदिश गांधी राष्ट्रीय उडान अकादमी आईआर आन्तरिक संसाधन	आईएलएंडएफएस	इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड
आईएचएम	होटल प्रबंधन संस्थान आईआरडीए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	आईएलएंडएफएस	आईडब्ल्यूआई भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
आईएचएसडीपी	आईआरडीए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी	आईएलडी	एकीकृत निम्न लागत सफाई स्कीम
आईआईडी	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम आईआरडीपी एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	आईएलडी	आईडब्ल्यूडीपी एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना
आईआईएफएम	एकीकृत अवसंरचना विकास आईआरएमआरए भारतीय रबड़ विनिर्माणकर्ता अनुसंधान एसोसियेशन	आईएमडी	अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी आईडब्ल्यूटी अन्तर्देशीय जल परिवहन
आईआईएम	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	आईएमओ	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम
	आईआरक्यूपी राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्यक्रम	आईएमओ	जे एंड के जम्मू व कश्मीर
	भारतीय प्रबंधन संस्थान	आईएमआर	भारतीय मौसम विभाग जेबीआईसी
	आईएसए अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण	आईएमयू	जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल को-आपरेशन
		आईएनसीओआईएस	सिंचाई अनुसंधान निधि जेएफएम संयुक्त वन प्रबंधन
			तत्काल मनीऑर्डर जेएचए झारखण्ड
			शिशु मृत्यु दर जेकेएमएल
			जम्मू व कश्मीर मिनरल लिमिटेड
			भारतीय मैरीटाइम विश्वविद्यालय
			जेएनएनयूआरएम जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
			भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र जेएनपीटी जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

आईएनडीएएल	भारतीय एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड जेएसएमडीसीएल झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	केवी	किलो वोल्ट एमएमबीटीयू मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट
आईएनएसए	भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी एसोसियेशन एमसीयूएम मिलियन क्यूबिक मीटर्स	केवीआई	खादी एवं ग्राम उद्योग एमएमआई बड़ी और मझोली सिंचाई
आईओसी	भारतीय तेल निगम एमडीएम मध्याह्न भोजन	केवीआईसी	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग एमएमपी मिशन मॉड परियोजना
आईओडीपी	इंटिग्रेटेड ओसियन ड्रिलिंग प्रोग्राम एण्ड जिओटेक्नाइक एमडीएफ खनिज विकास निधि	केवीके	कृषि विज्ञान केन्द्र एमएमडीआर एक्टखान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम
जेएसपीएल	जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड एमडीआर मुख्य जिला सड़क	केडब्ल्यू	किलोवाट एमएमएससीएमडी मिलियन स्टैन्डर्ड क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन
जेवी	संयुक्त उद्यम एमईसीएल खनिज खोज निगम लिमिटेड	केडब्ल्यूएच केडब्ल्यूपी	किलोवाट आवर किलोवाट पीक एमएनसी बहु राष्ट्रीय कम्पनी
जेवीसी	संयुक्त उद्यम कम्पनी एमईएमयू मेनलाइन इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट	एलईएपी	जीवन पर्यन्त शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम एमएनआरई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
के-जी	कृष्णा गोदावरी एफएफआई माइक्रो वित्त संस्थान	एलईडी	लाइट एमिटिंग डायोड एम ओ ए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय
केएआर	कर्नाटक एमएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	एलआईसी	जीवन बीमा निगम एम ओ सी कोयला मंत्रालय
केबीके	कोरापुट बलॉगीर और कालाहांडी एमजीआईआरआइ महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान	एलआईजी	निम्न आय वर्ग एम ओ सीए नागर विमानन मंत्रालय
केसीएएल	किलो कैलोरी एमएच मिलियन हैक्टेयर	एलएमटी	लाख मिट्रिक टन एम ओ ईएफ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
केसीसीज़	किसान क्रेडिट कार्ड एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय	एलएनजी	लिव्किफाइड नेचुरल गैस एम ओ एचयूपीए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
केईआर	केरल एमआईलघु सिंचाई	एलओआई	आशय पत्र एम ओ आईएंडबी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
केजी	किलोग्राम एमआईसीई बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी	एलएसआईज़	बड़े उद्योग एम ओ पी विद्युत मंत्रालय
केजीओई	तेल के समतुल्य किलोग्राम एमआईएस प्रबंधन सूचना प्रणाली	एम	मीटर एमओपी म्युरीएट ऑफ पोटश
केएम	किलोमीटर एमआईटीआई मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	एम2	वर्ग मीटर एमओआरडी ग्रामीण विकास मंत्रालय
केपीओ	ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग एमएल माइनिंग लीज	एम3	घन मीटर एमओएसआरटीएच पोट परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केआरआईबीएचसीओ	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड एमएलएज़ विधान सभा सदस्य	एमएएच	महाराष्ट्र एम ओ टी पर्यटन मंत्रालय
केआरएल	कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड एमएमए मैक्रो प्रबंधन स्कीम		

एमएमआईडी	खान दुर्घटना विश्लेषण और सूचना डाटाबेस आधुनिकीकरण नाल्को राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	एमआरपीएल	मंगलौर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
एमएपी	औषधि एवं सुगंधीय पौधे एनएपी राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	एमआरपी	अधिकतम खुदरा मूल्य एनसीईयूएस असंगठित क्षेत्रक राष्ट्रीय उद्यम आयोग
एमएटी	प्रबंधन अभिरूचि परीक्षा एनएआरडीसीओ राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद्	एमआरटीडी	मैरिन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास एनसीआईडब्ल्यूआरडी एकीकृत जलसंसाधन राष्ट्रीय विकास आयोग
एमबीसी	मेल बिजनेस सेन्टर एनएआरएस राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली	एमआरटीएस	मास रैपिड ट्रान्जिट सिस्टम एनसीएल नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एनसीएलटी नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल
एमसीए	मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट नेसकॉम राष्ट्रीय साफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी एसोसियशन	एमएसई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एनसीएमपी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम
एमसीए	कॉरपोरेट मामले मंत्रालय एनएटीआरआईपी राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण एवं आरएण्डडीई अवसंरचना परियोजना	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम एनसीएमआरडब्ल्यूएफ राष्ट्रीय मध्यम रेन्ज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र न्यूनतम समर्थन मूल्य एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एमसीडीआर	खनिज संरक्षण एवं विकास नियम एनबीसी नेट बैंक क्रेडिट	एमएसएमईडी एक्ट	मीट्रिक टन एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मध्यावधि मूल्यांकन एनसीआरपीबी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एमओयू	समझौता ज्ञापन एनबीसीसी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	एमएसपी	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एमओडब्ल्यूआर	जल संसाधन मंत्रालय एनबीएफसी गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी	एमएसपी	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एमपी	मध्य प्रदेश एनबीओ राष्ट्रीय भवन संगठन	एमटी	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एमपीसी	महानगर आयोजना समिति एनबीएस निवल बजटीय सहायता	एमटी	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एमपीएलएडी	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एनसीए सामान्य केन्द्रीय सहायता	एमटीए	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एमपीपी	विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम एनसीआईआर राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद्	एमटीएनएल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एमपीपी	बहुउद्देशीय प्रयोजना एनसीएओआर राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र	एमटीओई	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एमआरईएन	विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण एवं सूचना नेटवर्क एनसीसीबीएम राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद्	एमयूटीपी	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एमआरओ	अनुसंधान, मरम्मत एवं ओवरहॉल एनसीडीसी राष्ट्रीय जलवायुयिक डाटा केन्द्र	एमयूवी	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
		एमवीए	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद् मिलियन टन समतुल्य तेल एनडीई गैर विभागीय उद्यम मिलियन यूनिट एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुम्बई शहरी यातायात परियोजना एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

एमडब्ल्यू	मेगावॉट एनआईटीए राष्ट्रीय जनजातीय मामले संस्थान	एनईकेआरटीसी	पूर्वोत्तर कर्नाटक सड़क परिवहन निगम एनपीसीआईएल भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड
एमडब्ल्यूई	मेगावॉट इलैक्ट्रीकल एनएलसी नवेली लिग्नाइट निगम	एलईएलपी	न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसा एनपीके नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटेशियम
नबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एनएलसीपीआर गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल	एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र एनपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी
एनईबी	राष्ट्रीय वानिकी एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड एनएलडी नेशनल लॉग डिसटेंस	एनएफबीएस	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एनपीएस न्यू प्राइसिंग योजना
एनईबी	राष्ट्रीय वानिकी पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन और पारिस्थितिकीकरण विकास बोर्ड एनएलडीसीपी	एनएफडीबी	राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड एनआरएए राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण
एनईबी	राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम	एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनआरसी नेशनल रेफरल केन्द्र
एनईपी	राष्ट्रीय वानिकी पारिस्थितिकी विकास परियोजना एनएलआई	एनजीएन	आगामी पीढ़ी नेटवर्क एनआरसी
एनएएफयूएस	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	एनजीओज़	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र
एनएआईएस	राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्रक निधि एनएलडब्ल्यू नॉन लिंक्ड वाशरी	एनएच	गैर-सरकारी संगठन एनआरसीपी
एनएएल	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एनएमबीएस राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	एनएचआई	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना राष्ट्रीय राजमार्ग एनआरईजी
एनईसी	नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी एनएमसीसी राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद्	एनएचबी	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनआरईजीए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एनईडीएफआई	पूर्वोत्तर कोलफील्स एनएमडीएफसी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	एनएचडीपी	राष्ट्रीय आवास बैंक एनआरईजीपी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम
एनईएफ	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड एनएमटी नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट	एनएचएफडीसी	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम एनआरईजीएस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
एनईएफ	राष्ट्रीय विद्युत निधि एनएनएम राष्ट्रीय पोशाहार मिशन	एनएचएम	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम एनआरएचएम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनईएफ (आरएंडडी)	राष्ट्रीय इक्विटी निधि एनओएपीएस राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम	एनएच (ओ)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन एनआरआई प्रवासी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) एनआरएम प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
एनईजीपी	राष्ट्रीय ई'-गवर्नेंस योजना एनओवीओडी राष्ट्रीय तेलबीज एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड	एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाइड्रोइलैक्ट्रिक विद्युत निगम लिमिटेड एनआरएसए नेशनल रिमोट सेसिंग एजेन्सी
एनईआईपी	पूर्वोत्तर औद्योगिक निधि एनपीसी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	एनआईएएम	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान एनएस-ईडब्ल्यू उत्तर-दक्षिण और पूर्व - पश्चिम

एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	एनएसवीएस	राष्ट्रीय सेवा स्वैच्छिक स्कीम पीएचई सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग
एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण पीबीआईटीईपी ब्याज पूर्व कर और ईपी पर लाभ	एनटीएफपी	गैस-टिम्बर वन उत्पाद पीएचईडी सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग
एनआईसीएफएस	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज पीसीसी पल्वाराइज्ड कोल दहन	एनटीएच	राष्ट्रीय परीक्षण गृह पीएचएचएल पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड नेट टन किलोमीटर पीएचएम फसलोत्तर प्रबंधन
निकनेट	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र नेटवर्क पीसीओ सार्वजनिक कॉल कार्यालय	एनटीपी	नई दूरसंचार नीति पीएचडब्ल्यूआर प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रियक्टर
एनआईडी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान पीसीपीडीएस फार्मा एण्ड केमिकल प्रमोशन एण्ड डेवलपमेंट स्कीम	एनटीपीसी	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम पीआईए कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी
एनआईएफएमएनआईएफटा	राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थानराष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पीसीपीआईआरज़ पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र	एनयूआईएफ	राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना निधि पीआईबी सार्वजनिक निवेश बोर्ड
एनआईओटी	राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान पीसीएस पोर्ट कम्प्यूनिटी सिस्टम	एनयूआईएस	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली पीआईएम साझेदारी सिंचाई प्रबंधन
एनआईपीईआर	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पीसीयूज़ पैसेन्जर कार यूनिट्स	एनडब्ल्यू	राष्ट्रीय जलमार्ग पीआईयू कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट
एनएससी	राष्ट्रीय बीज निगम पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली	एनडब्ल्यूडीए	राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी पीएल प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस
एनएसडीपी	राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम पीईपीएसयूआरटीसी पंजाब एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ सड़क परिवहन निगम	एनडब्ल्यूडीपीआरए	वर्षासिंचित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजना पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर
एनएसडीपी	राष्ट्रीय राज्य घरेलू उत्पाद पीईएसए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम	एनडब्ल्यूकेआरटीसी	उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट
एनएसआईसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पीएफडीएफ पूल्ड वित्त विकास निधि	एनडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय जल नीति पीएमईजीपी प्रधान मंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम
एनएसएस	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण पीएफएमज़ पॉस्टल फाइनेंस मार्ट	एनवाईकेएस	नेहरू युवा केन्द्र संगठन पीएमजीएसवाई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन पीजीई प्लेटिनेम ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स	ओएंडएम	संचालन एवं अनुरक्षण पीएमएन पोलीमेटेलिक मोड्यूल्स
		ओएंडओईजी	तेल एवं तेल समतुल्य गैस पीएमआरवाई प्रधान मंत्री रोजगार योजना
		ओबीसीज़	अन्य पिछड़ा वर्ग पीएमएस पेमेंट प्रबंधन प्रणाली

ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन पीओएल पेट्रोलियम, ऑयल एंड लूब्रिकेंट्स	पीडब्ल्यूसी	प्राइसवाटरहाऊस को-ऑपर्स एसएंडटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकलांग व्यक्ति
ओईएम	मूल उपस्कर निर्माता पीपीपी सार्वजनिक-निजी भागीदारी	पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग सेल स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर केबल पीआरआईज़ पंचायती राज संस्थान	क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद एसआरडीपी-एनई पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क कार्यक्रम
ओआईएल	ऑयल इण्डिया लिमिटेड पीआरओडीआईपी उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप तथा पैकेजिंग	क्यूटीएस	क्विंटल एसएआरएस सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम
ओएमआईएफसीओ	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कम्पनी पीएससीज़ पावरलूम सेवा केन्द्र	आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास एसएटी स्कॉलास्टिक अभिरुचि परीक्षण
ओएमएस	आउटपुट प्रति मेन-शिफ्ट पीएससीआई पॉस्टल स्टाफ कॉलिज इंडिया	आरएंडएम	पुनरूथान एवं आधुनिकीकरण एसएयूज़ राज्य कृषि विश्वविद्यालय
ओएमटी	संचालन, अनुसंधान और टॉलिंग पीएसई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	राज	राजस्थान एसबीआईआरइ लघु व्यापार नवीन अनुसंधान पहले
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम पीएसपी पम्प स्टोरेज परियोजना	आरएएस	अल्कली मृदा सुधार एसबीएलपी एसएचजीज-बैंक लिंकेज प्रोग्राम
ओओएच	आउट-ऑफ-होम आरआर ग्रामीण सड़कें	आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक एससी अनुसूचित जाति
ओओआईएस	समुद्र प्रेक्षण और सूचना प्रणाली आरआरबीज़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें	आरसीएफ	राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड एससीए विशेष केन्द्रीय सहायता
ओएसवीज़	ऑफशॉर सप्लाई वैसल्स आरएसवीवाई राष्ट्रीय सम विकास योजना	आरसीपीज़	ग्रामीण समुदायिक फोन एससीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें
ओटीसी	मुक्त प्रौद्योगिक केन्द्र आरएसवाई राष्ट्रीय सद्भावना योजना	आरसीएसआरसी	क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा अनुसंधान केन्द्र एससीसीएल सिंगरनेरी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड
ओवीएल	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड आरटीए क्षेत्रीय व्यापार प्रबंध	आरडीजी	रूट डिस्पर्सल गाइड लाइन्स एससीडीसी अनुसूचित जाति विकास निगम
पीएपी	परियोजना प्रभावित व्यक्ति/लोग आरटीकेएम राजस्व टन किलोमीटर	आरई	संशोधित अनुमान एससीआई भारतीय पोत परिवहन निगम
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण आरटीओज़ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण	आरईएसीएच	केमिकल्स का पंजीकरण, मूल्यांकन और प्राधिकारएससीपी विशेष घटक योजना
पीयूएन	पंजाब आरयूबी अन्डर ब्रिज सड़क	आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड एसडीए राज्य उद्दिष्ट एजेन्सी
पीयूआरए	ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान आरवीए रिवर वैली प्रोजेक्ट	आरईजीपी	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एसडीसा कार्यनीतिक वितरण केन्द्र
पीवीसी	पोलीविनायल क्लोराइड आरडब्ल्यू सड़क विंग	आरएफ	रेडियो फ्रीक्वेंसी एसडीडी साँग एंड ड्रामा डिविजन
		आरएफआई	रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान एसडीएफ धारणीय विकास ढांचा

आरजीजीवीवाई	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एसडीएफ चीनी विकास निधि एसईबी राज्य विद्युत बोर्ड	एसएच	राज्य राजमार्ग टीईटीसी दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाण केन्द्र
आरजीएसवाई	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना एसईसीएल दक्षिण-पूर्व कोल फील्ड्स लिमिटेड	एसएचजी	स्व-सहायता समूह टीएफसी बारहवाँ वित्त आयोग
आरआईडीएफ	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि एसईआई-सीएमएम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग संस्थान - क्षमता परिपक्वता मॉडल	एसएचपीआई	एसएचजी को बढ़ावा देने हेतु संस्थान टीएससीओ टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी
आरआईएनएल	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एसईआरसीज़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग	एसएचटीपी	विशेष हस्तकरघा प्रशिक्षण परियोजना टीएमसी कॉटन प्रौद्योगिकी मिशन
आरआईएससी	ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र एसईएस चयनित शैक्षिक सांख्यिकी रूट किलोमीटर एसईडब्ल्यूए	एसआइएज़	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी टीएमटी हजार मिट्रिक टन
आरकेएम	स्वनियोजित महिला एसोसियशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एसइजैड विशेष आर्थिक क्षेत्र रेडीमिक्स कंक्रीट	सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक टीएन तमिलनाडु
आरकेवीवाई	एसएफसीआई भारतीय राज्य फार्म निगम राष्ट्रीय महिला कोष टीएंडसीएस थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी जोखिम प्रबंधन प्रणालीटीएंडडी पारेषण और वितरण	एसआइएसआइ	लघु उद्योग सेवा संस्थान टीपीडा टन प्रतिदिन
आरएमसी	भारतीय समाचार पत्र पंजीयक टीएंडटी यात्रा और पर्यटन ओवर ब्रिज सड़क टीएटी दूरसंचार क्षेत्रक में तकनीकी सहायता	एसआइटीपी	एकीकृत कपड़ा पार्क्स स्कीम टीपीवाई टन प्रति वर्ष
आरएमके	गहन सर्वेक्षण परमिट टीबी यक्ष्मा/ क्षय रोग क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय टीसीडी प्रतिदिन क्रस्ड मेट्रिक टन रिटेंशन प्राइस स्कीम टीसीएफ ट्रिलियन क्यूबिक फीट	एसजेएसआरवाई	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना टीआरएआई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
आरएमएस	परम्परागत उद्योग पुनःसृजन निधि स्कीम टीसीआईडीएस कपड़ा केन्द्र अवसंरचना विकास स्कीम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना टीडीएसएटी दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलिय अधिकरण स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना टीईसी दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र	एसएलडीबी	राज्य भूमि विकास बैंक टीएससी पूर्ण स्वच्छता अभियान राज्य स्तर नोडल एजेंसी टीएसडी ट्रेलर सक्शन ड्रेजर राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यम टीएसपी जनजातीय उप योजना लघु एवं मध्यम उद्यम टीयूएफएस प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम सांविधिक न्यूनतम मूल्य टीवीईज़ शहरी एवं ग्रामीण उद्यम डीजीएमएस के मुख्य कार्यों को सुदृढ़ करना टीडब्ल्यूएच ट्रिलियन वॉट घंटे स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर यूएई संयुक्त अरब अमीरात सेनेटरी एवं फाइटोसेनेटरी यूसीजी भूमिगत कॉल गौसीफिकेशन राज्य विद्युत यूटीलिटीज यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्पेशल पर्पज वैहिकल यूएचवी उपयोगी ताप मूल्य
आरएनआई		एसएलएनए	
आरओबी		एसएलपीइज़	
आरपी		एसएमई	
आरपीओ		एसएमपी	
आरपीएस		एसओसीएफओडी	
एसएफयूआरटीआई		एसपीए	
एसजीआरवाई		एसपीएस	
एसजीएसवाई		एसपीयूज़	
		एसपीवी	

एसक्यूएम	वर्ग मीटर यूआईडीएसएसएमटी लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना	यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम डब्ल्यूसीडी महिला एवं बाल विकास
एसक्यू केएम	वर्ग किलो मीटर यूआईपी अधिकतम सिंचाई संभाव्यता	यूएनएफसी	संयुक्त राष्ट्र रूप रेखा वर्गीकरण डब्ल्यूएल वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
एसआरज़ एसआरइपी	राज्य सड़कें यूक इग्लैंड कार्यनीतिक अनुसंधान विस्तार योजना यूएलबीज़ शहरी स्थानीय निकाय	यूएनआइडीओ	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन डब्ल्यूडीएफ जलसंभर विकास निधि
एसआरएफटीआइ	सत्यजीत रे फिल्म और टेलिविजन संस्थान यूएमएएंडएन मुख्य भूमि और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे केबल लगाना	यूपी	उत्तर प्रदेश डब्ल्यूडीपीएससीए झूम खेती जलसंभर विकास परियोजना
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन दर यूएमबीवीएस उर्मूल मरूस्थली बंकर विकास समिति	यूपीए	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि
एसआरएसएफ	विशेष रेलवे सुरक्षा निधि यूएमपीपी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना	यूआरआइएफ	डब्ल्यूआईएफआई वायरलेस फाईडेलिटी
एसआरटीयूज़	राज्य सड़क परिवहन उपक्रम यूएनसीसीडी संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण नियंत्रण दल	यूएस/यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका डब्ल्यूआईआई भारतीय वन्य जीव संस्थान
एसआरयू	जलपोत मरम्मत एकक वीएलएफ ग्राम स्तरीय परिसंघ	यूएसएआइडी	संयुक्त राज्य अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसा डब्ल्यूआईएमएएक्स व्यापक माइक्रोवेव पहुंच अंत-प्रचालनात्मकता
एसएस	माध्यमिक विद्यालय वीओआईपी वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल	यूएसएफडीए	संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन डब्ल्यूएलएल वायरलेस इन लोकल लूप
एसएसए	सर्वशिक्षा अभियान वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क	यूएसओ	सार्वजनिक सेवा दायित्व डब्ल्यूएमओ वायरलैस मॉनिटरिंग संगठन
एसएससीपी	सेतुसमुद्रम चैनल परियोजना वीपीटा ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन	यूएसओएफ	सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि डब्ल्यूपीसी वायरलैस आयोजना एवं समन्वय
एसएसआइज़	लघु उद्योग वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम	यूएसपी	यूनिक सेलिंग प्वाइंट डब्ल्यूटीओ
एसटी	अनुसूचित जन-जाति वीएसएटी अति लघु छिद्र	यूटी	विश्व व्यापार संगठन
एसटीडी	यौन जनित बीमारियां वीएसई ग्रामीण और लघु उद्यम	यूटीटी	संघ क्षेत्र ब्ल्यूयू जल उपयोगकर्ता एसोसियेशन
एसटीपीआइ	सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड	वीएमबीएवाइ	उत्तराखण्ड जैडबीबी शून्य आधारित बजटिंग
एसडब्ल्यूएन	राज्य-विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क डब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल	वीएटी	बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना
यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन डब्ल्यूसीसीयू विश्वस्तरीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय	वीएजीएफ	मूल्यवर्धित कर व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण
		वीएलसीसी	वृहद क्रूड कैरियर

I कृषि

1

कृषि

प्रस्तावना

1.1 हालांकि, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा स्वतंत्रता के समय आधे से अधिक था, जो अब घटकर पाँचवें हिस्से से भी कम रह गया है, फिर भी रोजगार और जीविका की दृष्टि से यह प्रधान क्षेत्र बना हुआ है। चूंकि भारत के आधे से अधिक कार्यबल का यह प्रधान व्यवसाय है। कृषि का, निर्यात से होने वाली आय में अब भी महत्वपूर्ण योगदान है, तथा यह कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है, तथा अनेकों उद्योगों में इसकी मांग है।

1.2 तीव्र गति से आबादी बढ़ने के बावजूद, भारत के कृषि क्षेत्र का खाद्यान्न की अत्यन्त कमी से देश को उबारने में प्रभावी दीर्घकालिक रिकॉर्ड रहा है। यह सफलता दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, विस्तार और नीति की अनुकूल पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप हासिल हुई थी। दीर्घकालिक विकास का मुख्य स्रोत प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसलीकृत क्षेत्र की प्रति इकाई पैदावार संवर्धन था। इसका परिणाम यह हुआ कि खाद्यान्न की पैदावार तिगुनी हो गई और खाद्यान्न उत्पादन, जो 1950-51 में 51 मिलियन टन था, बढ़कर 2006-07 में 217 मिलियन टन हो गया। इस अवधि में तिलहन, गन्ना और कपास का उत्पादन भी चार गुना से अधिक हो गया है, अर्थात् 2006-07 में यह क्रमशः 24 मिलियन टन और 355 मिलियन टन तथा 23 मिलियन गाँठें हो गया है।

1.3 यद्यपि, कृषि से सकल घरेलू उत्पाद चार गुणा से अधिक अर्थात् 1950-51 में 108374 करोड़ रुपये का था, जो बढ़कर 2006-07 में 4,85,937 करोड़ रुपये (दोनों 1999-2000 के

मूल्यों के आधार पर) हो गया, फिर भी प्रति कामगार वृद्धि कुछ सामान्य ही रही है। इस समय प्रति कृषि श्रमिक सकल घरेलू उत्पाद करीब 2000 रुपये प्रति माह है, जो कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वास्तव में हुई चार गुणा वृद्धि की तुलना में 1950 में जो सकल घरेलू उत्पाद था, सही मायनों में केवल करीब 75% अधिक है। हालांकि गैर-कृषि की तुलना में कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद में कुछ कम गति से विकास होने की संभावना थी, फिर भी इसकी असफलता का मुख्य कारण ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त श्रमिकों को खपाने के लिए खेती से इतर अवसर पर्याप्त संख्या में सृजित करके तथा कृषि में लगे लोगों को उन अवसरों का लाभ उठाने के लायक बनाकर, कार्य बल की कृषि पर निर्भरता को कम करने में असमर्थता रही है। कृषि से जुड़े आधे लोग अभी भी निरक्षर हैं, तथा केवल 5 प्रतिशत लोगों ने ही हायर सैकेंडरी शिक्षा पूरी की है। कृषि श्रमिकों में निश्चय ही आय और शिक्षा की बहुत कमी है। खेतों में काम करने वाले परिवारों के पास अपेक्षाकृत जोत का आकार कम हुआ है। (2003 में 70% परिवार 1 हेक्टेयर से कम जोत की श्रेणी में आ गये हैं, जबकि 1982 में 56% परिवार ही 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले थे)। ऐसे परिवारों में गैर-खेतिहरों की तुलना में दुगुने खेतिहर निरक्षर हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों के कल्याणार्थ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने तथा वर्तमान कृषि में लगे अधिकांश कार्यबल के लाभों को सतत् रूप से बढ़ाने के लिए सहायता प्रणालियों को प्रौद्योगिकी देने की आवश्यकता है, जिनमें खेती से इतर कौशल का अभाव है और वृद्धावस्था के साथ-साथ महिला कृषकों की भूमिका बढ़ रही है।

4 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

वर्तमान प्रवृत्तियां और सरोकार

1.4 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) ने 1990 के दशक के मध्य के बाद कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में सक्रियता के ह्रास होने की ओर ध्यान आकर्षित किया था। वास्तव में, विगत दशक अथवा इतने ही समय के दौरान भारतीय कृषि ने अनेकों चुनौतियों का सामना किया है और इसने दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्यारोपित किया है। वे वर्तमान प्रवृत्तियां जिनके कारण खाद्य सुरक्षा, कृषकों की आय और गरीबी से संबंधित सरोकारों में वृद्धि हुई है, निम्नलिखित हैं —

- विकास में गिरावट।
- सिंचित और वर्षा आश्रित-क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना।
- व्यापार उदारीकरण अपनाने के बाद, विश्व जिस मूल्य अस्थिरता में असुरक्षा का बढ़ना व कपास और तिलहन जैसी फसलों को उगाने वाले क्षेत्रों की कृषि संबंधी अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव।
- प्रौद्योगिकी का असमान और धीमा विकास।
- उपलब्ध प्रौद्योगिकी ओर आदानों का अकुशल उपयोग।
- पर्याप्त प्रोत्साहनों और उपयुक्त संस्थानों का अभाव,
- प्राकृतिक संसाधनों के आधार का अवक्रमण,
- भूमिगत जल स्तर में तीव्र और व्यापक गिरावट, जिसका विशेषरूप से छोटे ओर मझोले किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव

- जीडीपी की उच्चतर समग्र वृद्धि और शहरीकरण के फलस्वरूप भूमि और जल के लिए गैर-कृषि मांग में वृद्धि,
- उपर्युक्त बातों के समग्र प्रभाव के कारण सामाजिक दबाव का बढ़ना इस बात में परिलक्षित होता है कि किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं में एकाएक बढ़ोत्तरी हो गई है।

1.5 कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद का विकास, जो 1981-82 से 1996-97 के दौरान 3.5% वार्षिक था, 1997-98 से 2004-05 के दौरान घटकर केवल लगभग 2% रह गया (देखें तालिका 1.1)। हालांकि, यह गिरावट अधिकांशतः वर्षा आश्रित इलाकों में प्रायः सभी राज्यों में आई तथा इसने बागवानी, पशुधन और मात्स्यिकी जैसे प्रायः उन सभी क्षेत्रों व प्रमुख उपक्षेत्रों को प्रभावित किया जहाँ कि वृद्धि दर उच्च रहने की आशा थी (देखें तालिका 1.3)। परिणामस्वरूप, कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद में नौवीं और दसवीं दोनों योजनाओं में निर्धारित 4% के लक्ष्य से काफी कम वृद्धि दर रही। वास्तव में, दसवीं योजना के विकास की औसत नौवीं योजना के विकास से भी कम रहा, क्योंकि जैसा कि मध्यावधि मूल्यांकन में नोट किया गया था, योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 2002-2003 से 2004-05 के दौरान यह विकास दर आँधे मुँह गिरकर 1 प्रतिशत से भी कम रह गई थी। दसवीं योजना में प्रथम तीन वर्षों के बाद अनुवर्ती दो वर्षों में कृषि की यह वृद्धि दर औसतन 4% से अधिक रही है। शुरुआती रुझान है कि 2007-08 में भी यह स्थिति कायम रहेगी। पुनरूद्धार से आशा बंधी है कि हाल ही के निराशाजनक कृषि परिणामों के कुछ कारणों को निष्पादित करते हुए 11वीं योजना के लिए निर्धारित 4% के लक्ष्य को वास्तव में हासिल किया जा सकता है।

तालिका 1.1

सकल घरेलू उत्पाद की औसतन विकास दर-समग्र और कृषि-गत (1999-2000 के मूल्यों के आधार पर प्रतिशत/वार्षिक)

अवधि	सकल अर्थव्यवस्था	कृषि और सम्बद्ध	फसलें और पशुधन
1. हरित क्रांति से पूर्व 1951/52 से 1967/68	3.69	2.54	2.65
2. हरित क्रांति की अवधि के दौरान 1968/69 से 1980/81	3.52	2.44	2.72
3. 1981/82 से 1990/91 की व्यापक प्रौद्योगिकी प्रसार अवधि	5.40	3.52	3.65
4. प्रारम्भिक सुधार अवधि 1991/92 से 1996/97	5.69	3.66	3.68
5. नौवीं योजना 199/1998 से 2001/02	5.52	2.50	2.49
6. दसवीं योजनावधि 2002/03 से 2006/07	7.77	2.47	2.51
जिसमें से 2002/03 से 2004/05	6.60	0.89	0.86
2005/06 से 2006/07	9.51	4.84	4.96

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा संस्थिकी 2008 (नई सीरीज), केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका 1.2
कृषि से राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर
(वर्षा सिंचित क्षेत्रों की प्रतिशतता के अनुसार राज्यों का श्रेणीक्रम)

राज्य	एनएसडीपी में कृषि वृद्धि दर		वर्षा सिंचित%	राज्य	एनएसडीपी में कृषि वृद्धिदर		वर्षा सिंचित%
	1984/85 से 1995/96	1995/96 से 2004/05			1984/85 से 1995/96	1995/96 से 2004/05	
1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	4.00	2.16	3	गुजरात	5.09	0.48	64
हरियाणा	4.60	1.98	17	राजस्थान	5.52	0.30	70
उत्तर प्रदेश	2.82	1.87	32	उड़ीसा	-1.18	0.11	73
तमिलनाडु	4.95	-1.36	49	मध्य प्रदेश	3.63	-0.23	74
प. बंगाल	4.63	2.67	49	कर्नाटक	3.92	0.03	75
बिहार	-1.71	3.51	52	महाराष्ट्र	6.66	0.10	83
आंध्र प्रदेश	3.18	2.69	59	केरल	3.60	-3.54	85
अखिल भारत	3.62	1.85	60	असम	1.65	0.95	86

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा संस्थिकी 2008 (नई सीरीज), केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली

तालिका 1.3
कृषि के विभिन्न उप क्षेत्रों में हुई पैदावार की विकास दर (1999-2000 के मूल्यों के आधार पर पैदावार का सकल मूल्य)

अवधि	अनाज तिलहन	दालें और सब्जियां	फल एवं फसलें	अन्य फसलें	सकल	पशुधन	मात्स्यिकी
1951/52 से 1967/68	4.19	2.98	2.67	2.42	3.00	1.02	4.68
1968/69 से 1980/81	3.43	0.97	4.82	2.98	3.00	3.26	3.08
1981/82 से 1990/91	3.52	5.41	2.84	1.71	2.97	4.78	5.74
1991/92 से 1996/97	2.36	2.92	6.07	2.18	3.09	4.00	7.05
9वीं योजना 1997/98 से 2001/02	1.49	-1.43	4.11	3.82	2.25	3.53	2.62
10वीं योजना 2002/03 से 2006/07	1.28	4.29	2.97	3.58	2.46	3.69	3.23
जिसमें से : 2002/03 से 2004/05	-1.27	5.95	-0.30	1.57	0.42	3.32	1.77
2005/06 से 2006/07	3.52	1.61	6.97	6.59	5.53	4.23	5.49

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा संस्थिकी 2008 (नई सीरीज), केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली

1.6 10वीं योजना के उत्तरार्ध में हुआ कृषि निष्पादन सुधार अपेक्षाकृत स्वागत योग्य विकास है, तथापि इस दर पर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सुधार की यह अवधि रुझानों पर किसी ठोस निर्णय पर पहुंचने के लिए न केवल अत्यन्त अल्प है, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही गिरावट से अभिप्रायः है कि सुधारों के बावजूद अनाजों, दालों, तिलहनों और कुछ प्रमुख सब्जियों एवं फलों (उदाहरणार्थ आलू और केले) की प्रति व्यक्ति पैदावार 2006-07 में 1996-97 के स्तर की तुलना में कम रही है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण आयात के बावजूद 2006 में खाद्यान्नों के मूल्य एकदम बढ़ गए। 2000-2005 के दौरान स्थिति भिन्न थी। इस दौरान उत्पादन हालांकि कम था फिर भी, घरेलू मांग कम होने तथा वैश्विक मूल्यों में कमी आने के कारण, मूल्य स्थिर रहे।

हाल ही में हुए उत्पादन के एक भाग में हुआ सुधार स्पष्टतः मूल्य प्रभावित है। उसके बाद विश्व ज़िंस-मूल्यों की कठोरता को आसानी से नोटिस किया जा सकता है तथा यह संभवतः इस तथ्य की भी प्रतिक्रिया है कि घरेलू खाद्य की मांग ने उच्च समग्र जीडीपी विकास का सकारात्मक रूप से प्रत्युत्तर दिया है तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत की है। तथापि, अल्पावधि में महत्वपूर्ण होते हुए भी केवल ऐसी मूल्य प्रतिक्रिया 4% पर धारणीय कृषिगत विकास का आधार नहीं हो सकती। देशों में खाद्य फसलों से जैव ईंधन के लिए डाइवर्जन की ओर हाल के रुख से तात्पर्य है कि खाद्यान्न क्षेत्रक में आपूर्ति संबंधी समस्याओं के समाधान को आधार बनाते हुए ठोस उत्पादन प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

6 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

1.7 कृषि के आपूर्ति पक्ष का निष्पादन अनेक घटकों से प्रभावित होता है, उनमें से कई एक-दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इन घटकों के आधार हैं — प्राकृतिक संसाधन (वर्षा सहित), प्रौद्योगिकी, इन्फ्रास्ट्रक्चर (सिंचाई सहित) तथा आर्थिक वातावरण, जिसमें मूल्य संकेतक और संस्थान शामिल हैं (तालिका 1.4)। 11वीं योजना के संचालन समूह द्वारा किए गए विश्लेषण से प्रौद्योगिकीय परिवर्तन (राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली द्वारा जारी प्रमुख फसलों की किस्मों की उत्पादन क्षमता का उपयोग प्रॉक्सी के रूप में करके), सार्वजनिक निवेश (सिंचाई पर निवेश सहित) और विविधीकरण (फल एवं सब्जियों के तहत क्षेत्र द्वारा निरूपित) का अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुमानित निर्धारकों के रूप में पता चला है। संचालन समूह के विश्लेषण (तालिका 1.4) से पता चलता है कि इन घटकों में से पहले दो घटकों की प्रगति 1990 के दशक की शुरुआत से ही कम हो गई। तथापि, वृद्धि में नकारात्मक प्रभाव को निजी निवेश द्वारा निष्प्रभावी किया गया था, जो कि विश्लेषण में चौथा महत्वपूर्ण घटक था, और इस प्रकार 1990-97 के दौरान सार्वजनिक निवेश में बढ़ोत्तरी हुई। फलस्वरूप, इस अवधि में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक रही। तथापि, 1999-2000 से 2004-2005 तक व्यापार की शर्तें कृषि के विपरीत पड़ीं, जिसके फलस्वरूप खेती की लाभप्रदता में काफी तेजी से गिरावट आई। ऐसा, कुछ तो घरेलू खाद्य पदार्थों की मांग कम होने के कारण और कुछ

विश्व व्यापार संगठन के तहत कोटा प्रतिबंध हटाने के कारण हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीय फॉर्म मूल्य उस समय अनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के और अधिक अनुरूप हो गए, जब ये गिर रहे थे। परिणामस्वरूप, कृषि में निजी निवेश रुक गया, कृषि जोत क्षेत्र में कमी आई और विविधीकरण की गति भी धीमी हो गई, अतः सब ओर गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, सरकारी निवेश कम रहा तथा प्रौद्योगिकी का सृजन भी नगण्य ही रहा। 1997 में पाँचवें वेतन आयोग के अनुपालन में कटौतियों के कारण भी समस्याएं बढ़ीं, क्योंकि इन कटौतियों से संवेदनशील सहायता संस्थानों — उल्लेखनीय रूप से सहकारी समितियों, बीज फार्मों और विस्तार प्रणाली की पहुँच काफी कमजोर हुई।

1.8 हाल में हुई फार्म-दुर्दशा का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि 1980 से 1997 तक धीरे-धीरे ठोस रूप से आए सुधार के बाद 1999 से व्यापार का निबंधन कृषि के विपरीत हो गया तथा भारत की आजादी के बाद लगभग पहली बार फार्म-मूल्य उसी समय वास्तव में गिर गए, जब फार्म उत्पादन में गिरावट आई थी। इससे न केवल आय कम हो गई, बल्कि फार्म ऋण में भी काफी वृद्धि हुई। सामान्यतया किसान अब और अधिक जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि वैश्विक मूल्यों की परिवर्तनशीलता विगत में भारतीय कृषक, जिसके अभ्यस्त रहे हैं, की तुलना में काफी अधिक है।

तालिका 1.4
1980-81 से 2005-06 के दौरान विभिन्न अवधियों में कृषिगत क्षेत्र, आदान उपयोग, ऋण एवं पूँजीगत स्टॉक की विकास दर की प्रवृत्ति :

(प्रतिशत/प्रतिवर्ष)

अवधि	1980/81 से 1990-91 तक	1990/91 से 1996/97 तक	1996/97 से 2005/06 तक
प्रौद्योगिकी	3.3	2.81	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध नियत पूँजीगत स्टॉक	3.86	1.92	1.42*
सकल सिंचित क्षेत्र	2.28	2.62	0.51*
कृषि के उपयोग में लाई गई बिजली	14.07	9.44	-0.53@
फल एवं सब्जियों के तहत क्षेत्र	5.60	5.60	2.71†
निजी क्षेत्र का शुद्ध नियत पूँजीगत स्टॉक	0.56	2.17	1.17*
व्यापार निबन्धन	0.190	0.95	-1.69*
सकल निवल नियत पूँजीगत स्टॉक	2.00	2.06	1.28*
एनपीके का इस्तेमाल	8.17	2.45	2.30
ऋण आपूर्ति	3.72	7.51	14.37*
सकल संस्थागत क्षेत्र	0.43	0.43	-0.10
बोया गया निवल क्षेत्र	-0.08	0.04	-0.22
फसल सघनता	0.51	0.39	0.12

नोट: # धान, रेपसीड/सरसों, मूँगफली, गेहूँ, मक्का, और कपास की जारी नई किस्मों की पैदावार क्षमता।

*2003-04 तक @ 2004-05 तक

ऐसी स्थिति से किस प्रकार निपटा जाए के संबंध में एक स्पष्ट नीति विकसित करने की आवश्यकता है, तथा इस अध्याय में बाद में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं।

1.9 इसी दौरान, जिस वायदा बाजार, जो मूल्यों के उतार-चढ़ाव को संभावित रूप से कम कर सकते हैं, ने फसल कवरेज और ट्रेडिंग वोल्यूम में भारी विकास किया। 2006-07 में 36.76 लाख करोड़ रुपये से वायदा राशि की मात्रा अब कृषि जिसों में वास्तविक भौतिक व्यापार की मात्रा से काफी अधिक हो गई है। लेकिन इसमें किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी नगण्य है तथा ऐसा नहीं लगता कि मूल्यों की अस्थिरता में कोई कमी आई है। वायदा बाजार क्यों कुशलतापूर्वक निष्पादन नहीं कर रहे हैं, का एक कारण यह हो सकता है कि ये बाजार अभी नए हैं, तथा अब भी सीखने की स्थिति में हैं। गुणवत्ता संबंधी विशिष्टताओं, आपूर्ति मानकों, मार्जिन मूल्य अन्तर में खरीद-बेची गई अधिकांश जिसों की आवश्यक मानक लाट से औसत किसानों के लिए यह मुश्किल है कि बतौर हैजर्स वे विनिमय व्यापार (एक्सचेंज ट्रेडिंग) में प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार भाग लें। कानूनी और विनियामक व्यवस्था को भी देखने तथा उसमें संशोधन करने की जरूरत है, ताकि किसानों की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उदाहरणार्थ, माल गोदाम (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 से मालगोदाम प्राप्ति की विनियमित प्रणाली की शुरुआत संभव हुई, जिससे ग्रामीण विपणन अवसंरचना में निवेश के साथ-साथ वायदा व्यापार की प्रभावी पहुँच में सुधार आ सकता है। इसके अतिरिक्त, किसानों की प्रत्यक्ष कम भागीदारी, जो कि असामान्य नहीं है, के संबंध में उपलब्ध प्रमाण यह है कि नकद मूल्य की अस्थिरता में कमी लाने से अप्रत्यक्ष लाभ अब तक निरर्थक रहा है तथा नकद वस्तु लिंकेज बहुत मजबूत नहीं है। तथापि वायदा बाजार, से विश्व मूल्यों के साथ विभिन्न नकद बाजार में भी मूल्यों को बेहतर समेकित समन्वय बनाते प्रतित हो रहे हैं। इस स्थिति में स्थानीय एकाधिकार शक्ति में कमी लाने से किसानों को लाभ हो सकता है, लेकिन इससे समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, यदि नीति का उद्देश्य, पूर्ण परिवर्तनशीलता वाले वैश्विक मूल्यों से, घरेलू मूल्यों को अलग करना है। जब तक व्यापार नीति को पहले से मोटे तौर पर न जाना जाए, तब तक वायदा बाजार अत्यधिक शीघ्रता से अन्तरराष्ट्रीय मूल्य पर संचरित हो सकता है तथा उससे विवाद पैदा होगा और विचार-शून्य प्रतिक्रिया होगी।

1.10 बाजार संस्थानों में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास यह हुआ है कि आधुनिक खाद्य पदार्थों को फुटकर में अधिक बेचा जा रहा है, जिससे विपणन लागत को कम करने के आसार हो गए हैं, तथा माल के खराब होने में कमी आई है और उससे उपभोक्ताओं के लिए कम मूल्य और किसानों के लिए उच्च वसूली होगी। माल

को आधुनिक रूप से फुटकर में बेचना आंशिक रूप से विवादास्पद भी हुआ है, क्योंकि वर्तमान व्यापारिक पद्धति में संलग्न लोगों के हितों को खतरा है। तथापि, हालांकि इस क्षेत्र में आपसी तौर पर लाभप्रद आधुनिकीकरण के लिए स्थान है और यह निस्संदेह विकास करेगा। इसकी सही दिलचस्पी इस बात में है कि यदि बड़े पैमाने पर निवेश (फ्रंट एंड निवेश) की गति किसानों के साथ पश्चगामी लिंकेज से अधिक होती है, तो तात्कालिक परिणाम यह होगा कि आयात बढ़ सकता है और फार्म मूल्य कम हो सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि और अधिक कुशल नकद एवं वायदा बाजार तथा फुटकर व्यापार के पश्चगामी फार्म लिंकों का और तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएं।

1.11 विगत दो दशकों में दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति यह रही है कि वेतन आयोग अवार्ड जैसे राजकोषीय मुद्रा स्फीति के बाद कृषि निवेश और विस्तार विकास में कटौती की गई तथा व्यय नियंत्रण संबंधी प्रयास किए गए जबकि कृषि सब्सिडी बढ़ी। कृषि हेतु बजटीय सब्सिडी, जो 1979-80 में कृषि जीडीपी की करीब 3 प्रतिशत थी, बढ़कर 2001-03 में करीब 7% हो गई। इसी अवधि के दौरान कृषि में सार्वजनिक निवेश कृषि जीडीपी के 4% की तुलना में घटक 2% रह गया। अधिकांश राजसहायता उर्वरक, विद्युत और सिंचाई जल के लिए दी गई जिसमें वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों का अवक्रमण हुआ है। इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी योजना व्यय की पर्याप्त राशि निवेश में नहीं बल्कि राजसहायता पर खर्च होती है, जिसको उपर्युक्त सूची में नहीं लिया गया है। संरक्षण योजना व्यय जैसे एकपक्षीय राजकोषीय नियम गैर-योजना नियमों से अधिक समस्याएं बढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ, हालांकि, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर राज्यों के समग्र व्यय में योजना शेरर में पाँचवें वेतन आयोग के तुरन्त बाद काफी सुधार हुआ है। इसमें से काफी शेरर अनिवार्य कर्मचारियों, विशेषकर विस्तार प्रणाली और सहकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की कीमत पर योजना सब्सिडी में वृद्धि का परिचायक है। पिछली ओर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि न्यू हायरिंग को नियंत्रित करने की नीति में कुछ ज्यादाती हो गई होगी, जैसा कि आयु संयोजन और एक्सटेंशन स्टॉफ में अधिक रिक्तियों तथा सहकारी समितियों तक पहुँच कम होने से स्पष्ट है। सब्सिडीज में अपेक्षाकृत थोड़ी सी भी कमी लाने से मृदा सुधार, पनधारा विकास, भू-जल रिचार्ज, सतही सिंचाई और अन्य अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में अपेक्षाकृत अधिक निवेश किया जा सकता है तथा साथ ही महत्वपूर्ण फार्म सहायता प्रणालियों की पहुँच में पर्याप्त विस्तार की भी अनुमति दी जा सकती है।

1.12 फिर भी हाल के वर्षों का एक महत्वपूर्ण नीतिगत लाभ यह है कि 10वीं योजना के उत्तरार्ध वर्षों में सार्वजनिक निवेश में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, जिससे पतन के दिन फिर गए हैं।

8 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

इस क्षेत्र में समग्र पूँजीगत संरचना कृषिगत जीडीपी की अब 12% है, जो कि पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक है। इसने संवृद्धि में हाल ही में आए बदलाव में योगदान दिया होगा। लेकिन तालिका 1.5 में दिए गए आँकड़ों से परिणाम निकलता है कि आईसीओआर करीब 2.5 से बढ़कर करीब 4 हो गई है। जब तक निवेश क्षमता पुनः प्राप्त नहीं कर ली जाती, तब तक निवेश में और अधिक वृद्धि अर्थात् कृषि जीडीपी का लगभग 16 प्रतिशत तक करने की जरूरत होगी ताकि कृषि में 4% की बढ़ोत्तरी के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

1.13 उपर्युक्त के आलोक में 11वीं योजना में कृषि जीडीपी में सार्वजनिक निवेश को 3% से बढ़ाकर करीब 4% करने की निश्चित तौर पर जरूरत है। लेकिन इससे भी अधिक जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि भावी वृद्धि और कुशल, वहनीय और समावेशी हो। इसे निम्नलिखित बातों पर केन्द्रित करके प्राप्त किया जा सकता है —

- भूमि और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करके कृषि में संवृद्धि उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रभावी इस्तेमाल के जरिए इन अपर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की प्रति यूनिट उत्पादकता बढ़ाकर ही हासिल की जा सकती है। अनुसंधान प्रणाली में अब तक मुख्यतः उन प्रजनक किस्मों पर ध्यान केन्द्रित किया है, जो आदानों का और गहन उपयोग करके प्रत्येक फसल की पैदावार क्षमता में वृद्धि करती है। हालांकि, ऐसे अनुसंधान से विगत में संभावित पैदावार में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी इसमें मृदा पोषक तत्वों और जल के कुशल एवं

सतत् उपयोग पर अथवा विशेषकर वर्षा सिंचित इलाकों के लिए फसलों एवं पशुधन के उपयुक्त संयोजन के साथ अवस्थिति विशिष्ट कृषि प्रणालियों को अभिशात करने पर कम जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रतीत होता है कि जारी की जा रही नई किस्मों की संभावित पैदावार ठहर सी गई है। अतः मौजूदा प्रणाली से अब पर्याप्त परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस "प्रौद्योगिकी फटीग" का मुकाबला अनुसंधान प्राथमिकताओं में उपयुक्त रूप से परिवर्तन कर संभव होगा।

- साथ ही विभिन्न अनुसंधान विभागों के फ्रन्ट लाइन प्रदर्शन से मौजूदा पद्धतियों से प्राप्त और उपलब्ध प्रौद्योगिकी को अपनाकर, किसानों के खेत में ही, जो कुछ प्राप्त किया जा सकता हो, के बीच के अंतर से स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 11वीं योजना में इस क्षमता का उपयोग पैदावार वृद्धि का मुख्य स्रोत होना चाहिए, क्योंकि आगामी प्रौद्योगिकी फटीग में समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, चूँकि पैदावार का अंतर फसल-दर-फसल और क्षेत्र-दर-क्षेत्र काफी अलग-अलग है, इसलिए कार्यनीति, प्रत्येक कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्र के लिए, विशिष्ट योजनाएं बनाने में समर्थ होनी चाहिए। जैसा कि तालिका 1.6 में दर्शाया गया है, अड़चनें यद्यपि समस्त अंचलों में भी काफी भिन्न हैं। इसके लिए भी अनुसंधान, विस्तार और किसानों के बीच और अधिक सुदृढ़ संबंधों की आवश्यकता है।
- कृषि विकास की गति बढ़ाने के लिए अत्यावश्यकता अपने प्राकृतिक संसाधनों की वहनीयता की कीमत पर नहीं होनी

तालिका 1.5
कृषि में निवेश (1999-2000 के मूल्यों के आधार पर करोड़ रुपये में)

वर्ष	कृषि से जीडीपी	कृषि में जीसीएफ			कृषि से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि में जीसीएफ		
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1980/81-84/85	239678	12007	13132	25139	5.0	5.5	10.5
1985/86-89/90	274034	9601	14370	23971	3.5	5.2	8.7
1990/91-94/95	325957	7915	19348	27263	2.4	5.9	8.4
1995/96-99/00	383330	7724	22631	30354	2.0	5.9	7.9
2000-01	407176	7155	31872	39027	1.8	7.8	9.6
2001-02	433475	8746	39468	48215	2.0	9.1	11.1
2002-03	398206	7962	38861	46823	2.0	9.8	11.8
2003-04	441360	9376	35457	44833	2.1	8.0	10.2
2004-05	441183	12273	36835	49108	2.8	8.3	11.1
2005-06	468013	15006	39899	54905	3.2	8.5	11.7
2006-07	485939	17749	43013	60762	3.7	8.9	12.5

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा संख्यिकी 2008 (नई सीरीज), केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली

चाहिए, चूँकि ये संसाधन बहुत ही सीमित हैं। वनों की कटाई से मृदा और पानी-दोनों प्रभावित हो गए हैं, तथा यह मृदा अवक्रमण और भू-जल को अत्यन्त उपयोग द्वारा संयोजित है। उन पनधाराओं में जहाँ महत्वपूर्ण है पनधारा विकास के अतिरिक्त नदी घाटियों के उच्च स्थानों में ऊपरी आवाह क्षेत्रों में वनरोपण के लिए भरसक प्रयास करने की जरूरत है। भू-क्षरण, लवणता और क्षारीयता के अतिरिक्त मृदा असंगत और असंतुलित उर्वरक के इस्तेमाल के कारण मृदा कार्बन और अतिसूक्ष्म पोषक तत्व खो रही है (तालिका 1.6)। चूँकि यह आदान उपयोग की क्षमता पर सीधा प्रभाव डालती है, अतः इसका तत्काल निवारण करना चाहिए। इस समस्या की गंभीरता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि हमारे खेतों की लगभग दो-तिहाई भूमि या तो अवक्रमित है अथवा बेकार है तथा लगभग एक-तिहाई भूमि ही ठीक है। सिंचाई के लिए भू-जल के उपयोग का तीव्र विस्तार ही 1960 के दशक के मध्य और 1980 के दशक के अंतिम वर्षों के बीच कृषि की अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि में मुख्य घटक था। लेकिन इसके और विस्तार को सख्ती से मॉनिटर किया जाए, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ जलस्तर स्तर गिर गया है और जिसके फलस्वरूप लगभग भावी स्थायित्व चिंता का विषय बन गई है। वैश्विक वार्मिंग की वजह से संभवतः प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के भय के सामने पर्यावरण संबंधी फ्रंट पर कार्रवाई हेतु इंतजार नहीं किया जा सकता।

1.14 विकास हेतु कुल मिलाकर, कृषि नीति में उन 85% किसानों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए, जो छोटे और मझोले हैं। जिनमें अधिकतर, महिलाएं हैं, तथा जिनको आदान, ऋण और विस्तार प्राप्त करने अथवा अपने उत्पादन के विपणन में कठिनाई होती है। हालांकि, इनमें से कुछ किसान अन्ततः खेती से अलग हो सकते हैं, फिर भी अधिकांश किसान इस क्षेत्र से जुड़े रहेंगे तथा सबको मिलाने के उद्देश्य के लिए अपेक्षित है कि उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए ऋण असाधारण दरों (30% वार्षिक) तक बढ़ गया है, लेकिन छोटे/मझोले भूमि धारकों एवं महिलाओं, जिनके पास संपार्श्विक सुरक्षा का अभाव है, के लिए नहीं बढ़ा है। भूमि का अधिकारी (विशेषकर महिलाओं के लिए) जैसे मुद्दों के अतिरिक्त, यह अब भलीभांति स्वीकार कर लिया गया है कि यदि गरीब वैयक्तिक तौर के बजाय सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, तो वे सर्वोत्तम रूप से शक्तिसम्पन्न होंगे। अतः गरीबों के लिए "ग्रुप एप्रोच" को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के लिए मितव्ययिता मान का लाभ उठाने तथा प्रभावी किसान बनाने की जरूरत है। समूह दृष्टिकोण संविदा खेती में छोटे किसानों की सौदेबाजी (बार्गेनिंग पावर) में भी सुधार आ सकता है। ऐसे कुछ उदाहरण जहाँ छोटे और मझोले किसान संविदा खेती से लाभान्वित हुए हैं, वे हैं, जहाँ किसानों ने वैयक्तिक तौर के बाजार सामूहिक तौर पर संविदा किया। पंजाब में महिन्द्रा शुभ लाभ सेवा लिमिटेड ने कई सुरक्षाओं के साथ मक्का की खेती हेतु इस दृष्टिकोण को अपनाया, ताकि

तालिका 1.6
कम उत्पादकता के क्षेत्र विशिष्ट कारक

कृषि जलवायु क्षेत्र	राज्य/राज्यों के भाग	क्षेत्र विशिष्ट समस्याएँ
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र	जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल	भारी वर्षा/बाढ़ों के कारण गंभीर मृदा क्षरण, अवक्रमण तथा वनों की कटाई, कम एसआरआर, खराब सड़कें, निराशाजनक आदान आपूर्ति और अपर्याप्त संचार अवसंरचना और विपणन।
पूर्वी हिमालयन क्षेत्र 2	असम, पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम	एल्युमिनियम विषाक्तता और मृदा अम्लीयता, मृदा क्षरण और बाढ़, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, निम्न एसआरआर, विद्युत अनुपलब्धता, खराब सड़कें, निराशाजनक आदान डिलीवरी सिस्टम और संचार अवसंरचना।
निचले और मध्यवर्ती गंगा के मैदानी क्षेत्र 3 और 4	प. बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश	बाढ़/जल भराव, अनुपयुक्त जल निकास प्रणाली, लवणता/ क्षारीयता, आर्सेनिक संदूषण, कम एसआरआर, बिजली की अनुपलब्धता, उच्च जनसंख्या वृद्धि, खराब सड़कें, और संचार अवसंरचना।
गंगा के ऊपरी और ट्रांस मैदानी क्षेत्र - 5 और 6	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा	भूजल अवक्षय, घटती हुई समग्र घटक उत्पादकता, अतिसूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विद्युत की अनुपलब्धता और उच्च जनसंख्या।
पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र 7	उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़	आर्द्रता दबाव, सूखा एवं मृदा अम्लता, लौह विषाक्तता, कम एसआरआर, बिजली की अनुपलब्धता, उच्च जनसंख्या वृद्धि, घटिया सड़कें, घटिया आदान डिलीवरी और संचार अवसंरचना।

स्रोत: राष्ट्रीय विकास परिषद की उपसमिति (2007) के कार्यदल की रिपोर्ट में दर्शाया गया है। यह उपसमिति कृषि एवं संबंधित मामलों में क्षेत्र/फसल उत्पादन विशिष्टता और कृषि जलवायवीय जोन हेतु, योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित गई थी।

10 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

इसमें निहित जोखिम से रक्षा हो सके। दक्षिण भारत में पुनः दक्षिण की यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन ने चाय की खेती हेतु महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए। मझोले किसानों और महिलाओं को खेती के प्रयोजन से समूह बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ाए गए कदम से कम से कम कुछ मौजूदा सब्सिडीज को शिफ्ट किया जाएगा और ये सब्सिडीज अलग-अलग किसानों के बजाए केवल ऐसे किसानों के समूहों के लिए उपलब्ध होगी।

10वीं योजना का परिव्यय एवं व्यय

1.15 रुपये 58933 करोड़ के कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित 10वीं योजना के अनुमानित परिव्यय की तुलना में उपयोग मौजूदा मूल्यों में परिव्यय लगभग उतना ही होगा, लेकिन 2001-02 के मूल्यों पर केवल करीब 84% रहने की संभावना है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रक के मामले में उपभोग भी उसी क्रम अर्थात् 85% है। दोनों ही मामलों में, योजना के प्रथम दो वर्षों में आई काफी अधिक गिरावट को अनुवर्ती वर्षों में पूरा किया गया था। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों तथा केन्द्र, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सिंचाई, और बाढ़ नियंत्रण में योजना परिव्यय को सलग्नक-1.1 में दर्शाया गया है।

1.16 केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के तीन विभागों अर्थात् कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग (डीएचडीएफ) और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

(डीएआरई) के लिए योजनावधि के दौरान परिव्यय एवं व्यय की प्रगति तालिका 1.7 में दी गई है।

1.17 जैसा कि देखा जा सकता है, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों (केन्द्र एवं राज्य) से संबंधित कुल योजना व्यय में केन्द्र सरकार का हिस्सा, जो 2002-03 में 33% था, को 2006-07 में 44% तक ले जाते हुए 2004-05 से परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि कृषि मंत्रालय को मुहैया कराई गई थी। मंत्रालय ने 10वीं योजना के दौरान कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कृषि का विविधीकरण, प्रौद्योगिकी वैधीकरण, प्रदर्शन और प्रसार, जल बचत एवं अवसंरचना विकास को सुदृढ़ करना है। इनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं —

- 19 मई, 2005 को आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने 2005-06 के दौरान कार्य करना शुरू कर दिया।
- सरकार ने पूरे देश में छिड़काव और ड्रिप सिंचाई जैसे पानी की बचत करने वाले उपकरणों के नेटवर्क के प्रसार में मदद करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित "लघु सिंचाई" कार्यक्रम अनुमोदित किया।
- निदेशालय में कृषि और सहकारिता विभाग के भीतर लिंग संबंधी मुद्दों के कन्वर्जेंस और समन्वय हेतु केन्द्र बिंदु के रूप में नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर (एनजीसीआरए) की स्थापना की गई

तालिका 1.7
10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि मंत्रालय का परिव्यय एवं व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्तमान मूल्य				2001-02 मूल्य			
	डीएसी	डीएचडीएफ	डीएआरई	कुल	डीएसी	डीएचडीएफ	डीएआरई	कुल
1 दसवीं योजना परिव्यय (2002-07)	13200.00	2500.00	5368.00	21068.00	13200.00	2500.00	5368.00	21068.00
2 2002-03 (व्यय)#	1655.94	238.90	650.75	2536.95	1593.9	221.6	626.4	2441.9
3 2003-04 (व्यय)#	2050.34	271.76	748.98	3068.67	1901.4	249.8	694.6	2845.8
4 2004-05 (व्यय)#	2656.26	566.22	816.01	4035.72	2360.2	500.6	725.1	3585.9
5 2005-06(व्यय)#	3817.46	589.37	1046.75	5453.37	3247.5	501.2	890.4	4639.2
6 2006-07(आरई)#	4860.00	679.32	1430.00	7040	3909.1	603.2	1150.2	5662.5
7 कुल व्यय	15040.00	2345.57	4692.49	22134.71	13012.1	2076.5	4086.7	19175.4
8 10वीं योजना परिव्यय की % के रूप में कुल व्यय	114%	94%	87%	105%	99%	83%	76%	91%
9 2007-08 बजट अनुमान	5520.00	910.00	1600	8030	-	-	-	-

नोट: आर ई — संशोधित अनुमान, बी ई — बजट आंकलन।

स्रोत: *10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07), योजना आयोग, भारत सरकार। 2007-08 तक।

संघीय व्यय बजट, खंड-2, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 2002-03 से

- पटसन प्रौद्योगिकी मिशन जून, 2006 में अनुमोदित किया गया
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जुलाई, 2006 में राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन नवाचार परियोजना शुरू की। 2005-06 में कृषि विज्ञान में राष्ट्रीय बुनियादी निधि हेतु कार्यनीति अनुसंधान का भी गठन किया गया है। ये दोनों परियोजनाएं परियोजना मोड में कृषिगत अनुसंधान में सहायता करेंगी।
- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) का गठन औपचारिक तौर पर हैदराबाद में सितम्बर, 2006 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी और जल कृषि से संबंधित प्रमुख कार्यकलापों और व्यावसायिक प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करना है।
- एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम "बाँस प्रौद्योगिकी एवं व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन" को अक्टूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया।
- सरकार ने देश के प्रत्येक ग्रामीण जिले (578) में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया। अब तक 537 से अधिक केवीके की स्थापना की गई है। ये केन्द्र किसानों के बीच फार्म प्रौद्योगिकी का प्रसार करते हैं तथा उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय अर्जन क्षमता में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण देते हैं।
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (एटीएमए), जो 252 जिलों में विस्तार नियोजन एवं सुधार हेतु स्वायत्तशासी संस्थान हैं, की स्थापना करके प्रौद्योगिकी प्रसार के प्रयासों को और सुदृढ़ किया जा रहा है। ये सभी ग्रामीण जिलों में पहुँचायी जाएंगी।
- वर्षा सिंचित कृषि की समस्याओं की ओर तकनीकी रूप से ध्यान देने तथा विभिन्न पनधारा विकास स्कीमों की डिजाइनिंग एवं कन्वर्जेंस के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन विशेषज्ञ निकाय के रूप में किया गया।
- सहकारी समितियों के संबंध में 106वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2006 लोकसभा में 22 मई, 2006 को लाया गया।
- सरकार ने 4 राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, और महाराष्ट्र के 31 चुनिंदा जिलों में आर्थिक रूप से निर्बल किसानों के लिए 16,978.69 करोड़ रुपये की राशि पुनर्वास पैकेज के रूप में अनुमोदित की। इस पैकेज में प्रधानमंत्री राहत कोष से राहत, संस्थागत ऋण सहायता को सुदृढ़ करना, सिंचाई विकास, माईक्रो पद्धति- सिंचाई का संवर्धन, पनधारा विकास, विस्तार सेवाएं, बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाना और इन जिलों में बागवानी, पशुधन और मात्स्यिकी के जरिए आय संवर्धन शामिल है।

वर्तमान महत्वपूर्ण प्लान स्कीमों में सम्बद्ध क्षेत्र

1.18 कृषि और सहकारिता विभाग की प्रमुख चालू स्कीमों में समष्टि प्रबंधन स्कीम (एमएमए) सबसे बड़ी स्कीम है, जो 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को एकत्रित करके 2000-01 में शुरू की गई थी, ताकि राज्यों को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर मिल-जुल कर कार्यकलापों को विकसित करने और उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने हेतु कुछ स्वतंत्रता (फ्लैक्सिबिलिटी) दी जा सके। सहायता की अनुमोदित प्रतिमान पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है, को छोड़कर केन्द्र और राज्यों का अनुपात क्रमशः 90 : 10 है। वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत से बागवानी विकास से संबंधित 10 स्कीमों इस स्कीम के कार्यक्षेत्र से निकाल ली गई थीं। इस स्कीम का मूल्यांकन (अगस्त, 2004) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, नाबार्ड परामर्शदायी सेवाएं लिमिटेड तथा कृषि वित्त निगम लिमिटेड जैसे तीन संस्थानों द्वारा लचीलेपन के उद्देश्य की प्राप्ति को ज्ञात करने के लिए किया गया था। प्रतिवेदन के अनुसार राज्यों द्वारा तैयार कार्य योजनाएं आवश्यक रूप से जमीनी-स्तर से ही बनी हों, ऐसा नहीं था। ये आमतौर पर टॉप-डाउन प्रक्रिया में तैयार किए थे, और प्रायः राज्य प्राथमिकताएं नहीं दर्शायी जाती हैं। ऐसा भी प्रतीत हुआ कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी है। निधियां (बजट राशि) मुख्यतः नोडल विभाग, अर्थात् कृषि विभाग, द्वारा प्राप्त की गई थीं, फलस्वरूप उन स्कीमों वाले कुछ राज्य उपेक्षित हुए, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सहकारी विभागों के क्षेत्रों से संबंधित थीं।

1.19 तिलहन, मक्का, ऑयल पॉम और दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमओपी) का कार्यान्वयन तिलहन हेतु दो दशकों से किया जा रहा है। दालें, ऑयल पॉम और मक्का क्रमशः 1990-91, 1992, 1995-96 में मिशन के तहत लाया गया। हालांकि, 1986 में, इसकी शुरुआत से ही तिलहनों के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि हुई है, फिर भी तिलहनों का घरेलू उत्पादन, देश में खाद्य तेलों की मांग से कम है। देश में दालों का उत्पादन दशकों से स्थिर रहा है। अतः दलहन मिशन अपेक्षाकृत प्रभावी नहीं रहा है।

1.20 देश में फसल बीमा योजना दो दशक पहले शुरू किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) का मौजूदा प्रारूप 1999-2000 से उपलब्ध है। इस स्कीम का कार्य क्षेत्र कुछ राज्यों और केवल कुछ फसलों तक सीमित है। यदि एनएआईएस की वर्तमान योजना को बनाए रखना है तो इसे बैंकों, जो सब्सिडी में अंशदान करने वाले मुख्य लाभानुभोगी हैं, के साथ गैर-योजना में शिफ्ट करना इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ऐसा करने से बीमों की किस्तों पर सब्सिडी वाली नई अतिरिक्त बीमा योजना, जिनमें बड़ी संख्या में सेवा प्रदाता और बीमा उत्पाद

12 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

शामिल हैं, पर योजना-गत वित्त व्यवस्था हेतु विचार किया जा सकता है। कृषि बीमा के कुछ और ब्यौरों पर इस अध्याय के उत्तरार्ध में विचार-विमर्श किया गया है।

1.21 राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना, डीएचडी की मुख्य स्कीम है। यह अक्टूबर, 2000 में 10 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इसमें स्वदेशी मवेशियों और भैंसों के जैनेटिक उन्नयन और महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के संरक्षण तथा सतत (निरन्तर) प्रजनन नीति को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम में कई कमियां हैं, विशेषकर प्रजनक सांडों की गुणवत्ता में तथा टैगिंग और रजिस्ट्री की ओर अपर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशी नस्लों के पशुओं के आहार, चारे की समस्या बारहमासी बनी हुई है तथा पशुधन हेतु आहार और चारे में सुधार लाने के लिए 10वीं योजना के दौरान किए गए प्रयास बहुत सफल नहीं रहे। केन्द्रीय चारा विकास संगठन के निष्पादन का मूल्यांकन प्रबंधन विकास केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम द्वारा किया गया था, जो कि असंतोषजनक पाया गया। इसके अतिरिक्त, एनडीडीबी द्वारा "ऑपरेशन फ्लड" परियोजना के पूरा होने से डेयरी क्षेत्र में निवेश की गति धीमी हुई है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा डेयरी विकास की आवंटन राशि भी पिछली दो योजनाओं में कम हो गई है। गहन डेयरी विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत भारत सरकार से मिलने वाली सहायता, उपयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन किए बगैर, अव्यवहारिक क्षेत्रों में दे दी गई तथा उचित तकनीकी पर्यवेक्षण के बगैर ही कार्यान्वित की गई। लाइसेंस-व्यवस्था समाप्त करने तथा दुग्धशालाओं की अवधारणा को समाप्त करने के अनुवर्ती निर्णय से यह आशा थी कि डेयरी उद्योग में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यवर्धित एवं नए दुग्ध उत्पादकों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी में निवेश हेतु भरसक प्रयास नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में दुग्ध की वृद्धि दर 3% वार्षिक से भी कम रही है।

11वीं योजना के सामने चुनौतियां

कृषि अनुसंधान

1.22 ग्यारहवीं योजना की नीति निर्धारण हेतु हमारे सामने आ रही प्रमुख चुनौतियों पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है -

1.23 रा0कृ0अनु0 एवं शिक्षा विभाग (डेयर) का एक विस्तृत नेटवर्क है, जिसमें 48 केन्द्रीय संस्थान, 5 नैशनल ब्यूरो, 12 परियोजना निदेशालय, 32 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र और 62 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं। यह 41

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 5 मानित विश्वविद्यालयों और 1 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान और शिक्षा में भी सहायता देती है। 10वीं योजनावधि के दौरान, 2 आईसीएआर संस्थान, 1 राष्ट्रीय ब्यूरो, 3 परियोजना निदेशालय और 10 राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। पिछले वर्षों में इसके समन्वित परीक्षणों से गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, मूँगफली, सरसों आदि की किस्मों में प्रत्येक फसल के पारिस्थितिकीय उतार-चढ़ाव को देखते हुए सुधार लाने में राष्ट्र को मदद मिली है। तथा, दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हुए हैं। प्रथम, कृषक पत्र पर हासिल की गई उत्पादकता शोध परीक्षणों में हासिल उत्पादकता से कम रह गई है। स्पष्ट है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों, जिनके पास प्रौद्योगिकी, वैधीकरण एवं हस्तांतरण की जवाबदेही है, ने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है। दूसरे, जैसा कि देखा था कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली द्वारा विकसित की जा रही सर्वाधिक नई किस्मों से प्राप्त की जा सकने वाली पैदावार के संबंध में प्रौद्योगिकीय रूकावट फटीग के कुछ प्रमाण हैं। चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान तक पहुँच बौद्धिक सम्पदा अधिकारों द्वारा और अधिक सीमित कर दी गई है, इसलिए राष्ट्रीय कृषि शोध सेवाओं (एनएआरएस) की क्षमता बढ़ाकर इसका निराकरण करना होगा।

1.24 महत्वपूर्ण अनुसंधान अन्तराल निम्नलिखित है —

- पैदावार और गुणवत्ता संबंधी दोनों पहलुओं की ओर ध्यान देते हुए परम्परागत और आधुनिक जीव विज्ञान की एकीकृत पद्धतियां।
- "वाणिज्यिक व्यवहार्यता के साथ संकर किस्मों का विकास" में सरकारी क्षेत्र के अनुसंधान की अवस्थिति कम से कम अरहर, सोयाबीन और सरसों जैसी फसलों में मिशन मोड पर पुनः शुरू की जानी है।
- स्वदेशी पौध की किस्में, जिनमें उच्च पोषक महत्व (अधिक प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व आदि) के लिए उत्तरदायी जीनों को अभिशात किए जाने तथा वर्षा सिंचित फसलों को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने की जरूरत है।
- कृषि पर जलवायवी परिवर्तन के निहितार्थ और इसके विपरीत का अध्ययन किए जाने की जरूरत है तथा समर्पित अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला किया जा सके।
- संतुलित और स्थान विशिष्ट पोषक आहार की आपूर्ति तथा कुशल जल प्रबंधन थ्रस्ट औचित्यपूर्ण है।
- समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) पर और अधिक बल दिए जाने की जरूरत है। मौजूदा पद्धतियों का पैकेज विभिन्न पौध संरक्षण विज्ञानों के बीच पूर्णतः समेकित नहीं है। इसके फलस्वरूप, डुप्लीकेशन, ओवरलैपिंग हुई और साथ ही साथ

आईपीएम के नाम अविश्वनीय सिफारिशों की गई। शाकभक्षी के मूलभूत मुद्दों को स्पष्ट करने के साथ-साथ उपयुक्त प्रशमन विकसित करने के लिए पौध रक्षा में अन्तर विषयक अनुसंधान की जरूरत है।

- बागवानी में, अनुसंधान कार्यसूची में उत्पादन, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न जैव और अजैव दबाव के प्रतिरोध हेतु स्वदेशी जैव-विविधता के सर्वेक्षण पर बल दिए जाने की आवश्यकता है।
- पशुधन में, अनुसंधान को पुनः अनुकूल बनाने तथा स्वदेशी नस्लों की जैनेटिक संभावना का आकलन तत्काल करने की जरूरत है। जाफ़राबादी भैंस, ब्लैक बंगाल बकरी, गैरोल भेड़ आदि जैसी भारतीय नस्लों में उत्कर्षता के लक्षणों की जैनेटिक पहचान हेतु गहन अनुसंधान कार्य करने की जरूरत है तथा उनके उत्कर्षता संबंधी लक्षणों से संबद्ध कार्यात्मक जीनोमिक्स को अभिज्ञात करने की आवश्यकता है।
- पशु आहार की स्थानिक कमी है, इसलिए उच्च लाइनिन चारा घास के इस्तेमाल हेतु माइक्रो आर्गेनिज्म में आनुवांशिक सुधार करके आहार प्रौद्योगिकी का संवर्धन करने के लिए प्रौद्योगिकियों की तलाश की जाए।
- अब तक उत्पादित किए गए पशु उत्पादों की बड़ी मात्रा से प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, भण्डारण, दुलाई, और विपणन को उच्च प्राथमिकता दी जाए। पशुवध की उपयुक्त व्यवस्था न होने की वजह से काफी बर्बादी होती है तथा इसीलिए वध प्रबंधन हेतु प्रभावी पद्धतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। नैदानिक किटों और टीकों के विकास पर बल देते हुए रोगों के कारण पशु हानि को रोकना प्रमुख ध्यान क्षेत्र होना चाहिए। आखिरकार पशुओं के स्वास्थ्य के साथ मानव स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। कई सांघतिक और दुर्बल बना देने वाले रोग मानव और पशु दोनों में आम हैं। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल, रोग निदान और रोग निरोधी उपचार की ओर विशिष्ट ध्यान देने से मानव-स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में भी बहुत मदद मिलेगी।
- कुल मिलाकर विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में एकीकृत खेती प्रणालियों का पता लगाने, संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने हेतु विभिन्न घटकों की सहक्रियाओं का आभ्यांतरण, आय और जीविका की उत्पत्ति और पर्यावरणात्मक भार को कम से कम करने की जरूरत है।

1.25 कृषि अनुसंधान प्रणाली की कार्यप्रणाली के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते और 11वीं योजना के दौरान क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन करना आवश्यक है। इस प्रकार, अनुसंधान का

ध्यान अधिकांशतः पानी और जैव-रसायन आदानों का और अधिक गहन उपयोग करके पैदावार क्षमता बढ़ाने पर है। दीर्घकालिक पर्यावरणात्मक प्रभाव अथवा लम्बे समय तक कायम रहने वाली खेती के लिए इन आदानों के प्रभावी उपयोग हेतु पद्धतियों एवं परम्पराओं की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। इन बातों को व्यापक रूप से जानते हैं, फिर भी इनको सुधारने के प्रयास नाकाफी रहे हैं व किसी भी कीमत पर कोई खास अन्तर नहीं किया गया है।

1.26 कृषि अनुसंधान हेतु योजना धन-राशि अल्प मात्रा में दी गई है, तथापि, संसाधनों का अभाव कोई समस्या नहीं है। किसी स्पष्ट रूप से व्यक्त कार्यनीति, जो निश्चित उत्तरदायित्व सौंपती हो, अनुसंधान कार्यसूची को संगतता के साथ प्राथमिकता देती हो और यह स्वीकार करती हो कि अनुसंधान मोड हमेशा उत्पाद विकास और डिलीवरी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नहीं होता, की कमी के कारण उपलब्ध संसाधनों का भी इष्टतम उपयोग नहीं हुआ है —

- जिस आधारित शोध एवं विकास आर एंड डी का प्रभुत्व अर्थात् ऐसी होलिस्टिक एप्रोच का अभाव जिसमें फार्म उद्यमियों का मैट्रिक्स शामिल हो।
- अनुसंधान एवं विकास विस्तार की एजेंसियों का सख्ती से अलग-अलग विभाजन अर्थात् अनसुधान, विस्तार और कार्यान्वयन विभागों के बीच प्रभावी द्विपक्षीय जानकारियों के आदान-प्रदान का अभाव।
- बड़े पैमाने पर तकनीकों के ऑन फार्म वैधीकरण उस पर फीडबैक का अभाव, जिसके फलस्वरूप उनके सुधार की कोई व्यावहारिक गुंजाइश नहीं है।

1.27 जहाँ तक संभव हो, आईसीएआर संस्थानों को मुख्यतः राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बुनियादी, रणनीतिक और प्रत्याशित (संभावित) अनुसंधान करना चाहिए, जबकि राज्य कृषि विश्वविद्यालय एसएयू को उत्पाद-विकास में सरकारी और गैर-सरकारी विशिष्ट समस्याओं के निवारण हेतु अनुप्रयुक्त और अनुकूल अनुसंधान करना चाहिए। प्रारम्भिक अनुसंधान, जिसमें ज्ञानोन्नति और मुख्य ध्यान एवं कार्यनीतिक अनुसंधान के रूप में वैज्ञानिक जिज्ञासा है तथा जिसका उद्देश्य उच्च विकास प्राथमिकताओं वाली सुपरिभाषित अनुसंधानीय समस्याओं तथा जिनका मिशन मोड पर बहु-विषयक और बहु-संस्थानिक प्रभाव है, के बीच विभेद करने की जरूरत है।

1.28 मौजूदा वस्तु आधारित अनुसंधान को प्रणाली अवधारणा में बदलने के लिए एक बड़े प्रतिमान के परिवर्तन की आवश्यकता है। चूँकि फार्म स्तर की समस्याएं कृषि जलवायु अंचल विशिष्ट होती

14 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

है, इसलिए अलग-अलग कृषि जलवायु अंचलों के अन्दर आर एंड डी एजेंसियों के बीच अभिसरित होने की जरूरत है, ताकि प्रौद्योगिकियों में क्षेत्रीय विशिष्टता लाई जा सके और उनका समयबद्ध आकलन किया जा सके। इसके लिए सात बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा:

- समस्या की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण।
- जरूरत के अनुरूप मौजूदा प्रौद्योगिकियों का अभिसरण।
- खेती-प्रणाली में व्यापक (होलिस्टिक) दृष्टिकोण रखते हुए आवश्यकता आधारित व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों की उत्पत्ति।
- ऑन-फार्म आकलन एवं मूल्यांकन।
- प्रौद्योगिकियों के संबंध में फीडबैक।
- यदि आवश्यक हो, तो प्रौद्योगिकियों का परिमार्जन।
- आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

1.29 इस प्रकार के दृष्टिकोण से सभी पणधारियों से युक्त अनुसंधान विकास प्रौद्योगिकी अन्तरण को अविच्छिन्न काल तक संस्थापित करने में मदद मिलेगी।

1.30 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) क्षेत्रीय तौर पर संगत अनुसंधान तथा गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का उत्पादन करने में अग्रणी हैं। दुर्भाग्यवश, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को उनकी अपनी राज्य सरकारों द्वारा इतनी कम धनराशि दी गई है कि वे लम्बे समय से ओवरड्राफ्ट में हैं। केवल एक-तिहाई ही मान्य हैं तथा अनुसंधान हेतु प्रायः सभी मुख्यतः आईसीएआर के निधियन पर भरोसा करते हैं। यह स्थिति वहाँ, जहाँ राज्य अभी भी वेतन और संस्थापन लागत मुहैया कराते हैं, लेकिन राज्य कृषि विश्वविद्यालय अन्य निधियों हेतु आईसीएआर की ओर देखते हैं, में भी न केवल उनके शिक्षा संबंधी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, बल्कि यह राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को राज्य कृषि विभागों से दूर ले जाती हैं तथा स्थानीय समस्याओं के लिए अपने अनुसंधान की संगतता को भी कम करती हैं। इस प्रकार, हालांकि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सहायता न्यायोचित है, फिर भी इसके वहीं प्रभावी होने की संभावना है, जहां राज्य कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की कीमत को पहचानते हैं। केन्द्र से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अभिज्ञात करने की महत्वपूर्ण कसौटी वह निवेश होना चाहिए, जो राज्य द्वारा स्वयं किया जाए। इसके अतिरिक्त एनएआरएस के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह व्यय से संबंधित उन्हीं नियमों एवं विनियमों से सख्ती से शासित होती हैं, जिनसे राज्यों और केन्द्र सरकार के विभागों में पदों को भरा जाता है। यह वैज्ञानिक संस्थानों की स्वस्थ कार्य प्रणाली हेतु अनिवार्य लचीलेपन और विवेक से वंचित करता है।

विस्तार

1.31 विभिन्न विभागों के फ्रंटलाइन प्रदर्शन, उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने से किसानों के खेतों में प्राप्त किए जा सकने वालों तथा किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली, मौजूदा पद्धतियों से प्राप्त के बीच बड़े अंतर के निश्चित प्रमाण मुहैया कराते हैं। यह प्रौद्योगिकी, विशेषकर गंगा के पूर्वी मैदानों में प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रसार के जरिए पैदावार बढ़ाने के लिए व्यापक संभावनाओं का स्पष्ट संकेतक है। लेकिन ऐसा अनुपस्थित अथवा कमजोर अनुसंधान-विस्तार-किसान लिंकेजों के कारण हुआ। हालांकि, और अधिक व्यापक रीजनल परिवर्तनों के अधिक अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ अपेक्षित हैं, फिर भी किसानों के खेतों पर पैदावार के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन परीक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी विस्तार महत्वपूर्ण रहता है।

1.32 विस्तार एजेंसियों के समक्ष चुनौती यह है कि सभी किसानों को जानकारी किस प्रकार दी जाए तथा विशेषकर एक हैक्टेयर से कम आकार की जोत वाले संसाधन-विहीन किसानों को किस प्रकार शामिल एवं प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि वे अपनी स्थिति को संभाल सकें और नवप्रवर्तन अंगीकार अवधि को घटा सकें। छोटे किसानों के लिए प्रत्येक किसान के स्तर पर विपणन योग्य मामूली सी अतिरिक्त राशि दी जाती है। अतः किसानों को समुदाय के भीतर ही आपसी तौर पर तथा विकास प्रक्रिया में सहायक विदेशी एजेंसियों के साथ पारस्परिक तौर पर लाभ दिलाने हेतु वस्तु के संबंध में किसानों को संगठित करने की जरूरत है। कृषक संगठनों को विकसित करने, उन्हें ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर संघबद्ध करने तथा उनके आर्थिक कार्यकलापों को बाजार से जोड़ने को विशेषरूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्थाओं को मापने का अधिकार प्राप्त करने तथा किसानों के लाभार्थ सामूहिक सौदेबाजी करने में मदद मिलती है।

1.33 सार्वजनिक विस्तार प्रणाली का किसानों को शिक्षित करने तथा उन्हें सही निर्णय लेने में उनकी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में नोट किया जाए कि विस्तार को सेवा डिलीवरी मैकेनिज्म के रूप में माना जाए तथा राजस्व उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम के रूप में न देखा जाए। अतः राजस्व उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम के व्यापार मॉडलों को शासित करने वाले सिद्धान्तों को विस्तार सेवाओं हेतु लागू न किया जाए। विस्तार एजेंसियों द्वारा बड़ी संख्या में छोटे और सीमान्त किसानों को पर्याप्त मात्रा में निधियों का आवंटन करना अनिवार्य है। जिला स्तर से नीचे अवसंरचना की जरूरत है, ताकि किसानों की क्षमता में वृद्धि करने में मदद की जा सके। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी 588 विकास जिलों में संशोधन करके तथा राष्ट्रीय कृषक आयोग (एनसीएफ) तथा "रीगेनिंग एग्रीकल्चरल डायनेमिज्म" द्वारा दिए गए "जागो" (वेक अप कॉल) के नारे के संदर्भ में

उभरते हुए और तात्कालिक परिवर्तनों का मुकाबला करने हेतु सभी पूर्वापेक्षित बातों को ध्यान में रखते हुए एटीएमए को अप स्केल करना परमावश्यक है। आशा है इन प्रावधानों से राज्यों द्वारा स्कीम की स्वीकार्यता में बढ़ोत्तरी होगी तथा स्कीम को उसकी मूल भावना के अनुसार प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा।

1.34 इस फील्ड में कई विस्तार सेवा प्रदाता हैं, जो किसानों को सूचना एवं सेवा सहायता जैसी कई प्रकार की उपयोगी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। वे हैं-राज्य, केन्द्रीय सरकारी एजेंसियां, कृषि-व्यापार कम्पनियां, कृषि उद्यमी, आदान डीलर, विनिर्माण करने वाली फर्मे, गैर-सरकारी संगठन, कृषक संगठन और प्रगतिशील कृषक। विस्तार कार्य में लगे एजेंटों को विस्तार कार्यों की ओर उन्मुख किए बगैर उन की संख्या में कई गुणा वृद्धि करना केवल प्रयासों की पुनरावृत्ति है। विभिन्न पणधारियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए जिला और उसके निचले स्तर पर इन प्रयासों को सहक्रियाशील बनाने तथा अभिसारित करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं। आवश्यक संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु राज्य और केन्द्र सरकार की सम्पूर्ण विस्तार निधि एटीएमए जैसी, एकल एजेंसी के जरिए दी जानी चाहिए।

1.35 जोनल अनुसंधान केन्द्रों और सम्बद्ध विभागों जैसे जोनल स्तर के संस्थानों को परामर्शदायी दृष्टिकोण के जरिये जोनल कृषि विकास नीति तैयार करने की आवश्यकता है। केवीके, एटीएमए और कृषक संगठनों जैसे प्रमुख संस्थानों के लिए जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर यह जरूरी है कि वे प्रौद्योगिकी आकलन, परिमार्जन और कृषक संगठनों एवं बाजारी अवसरों के बीच प्लेटफार्म बनाने हेतु एक-दूसरे के साथ निकट सम्पर्क रखें। जिले की अनुसंधान एवं विस्तार संबंधी कार्यसूची में वैज्ञानिकों, विस्तार-कार्मिकों, किसानों एवं अन्य पणधारियों से युक्त बहु-विषयक दल, जो अनुसंधान किसान विकास बाजार लिंकेज सुनिश्चित करेगा, बनाने की जरूरत है।

1.36 विस्तार में सरकारी-गैर सरकारी-भागीदारी (पीपीपी) को संसाधनों की सह-क्रियाशीलता एवं हिस्सेदारी हेतु बढ़ाया जाना है। निजी क्षेत्र के क्षैतिज विकास में वृद्धि सरकारी विस्तार प्रणाली के साथ भागीदारी करने से होता है, जबकि सार्वजनिक विस्तार के प्रत्यक्ष विकास में वृद्धि निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के जरिए होती है। निजी विस्तार सेवा प्रदाताओं की संभाव्यता का पता लगाया जा सकता है तथा सेवाओं की प्रभावी व्यवस्था तथा अनेकों संस्थानों के परिपोषण के लिए पीपीपी मोड में उन्हें भागीदार बनाया जा सकता है। विस्तार सुधार के तहत कम से कम 10% आवंटन निधि गैर-सरकारी विस्तार एजेंसियों के जरिए विस्तार संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए रखी जाती है। इसे जारी रखने की जरूरत है और वह भी वहां, जहाँ खेती संबंधी उपयुक्त दिशा-निर्देशों द्वारा इसका उपयुक्त रूप से विस्तार किया गया है।

मूल्य नीति

1.37 अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न मूल्य निर्धारण नीति संबंधी चिंताओं का निराकरण करने की जरूरत है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के गिरने की अवधि में जैसा कि पूर्व एशियाई संकट के बाद खाद्य तेलों के मूल्य गिरे थे, किसानों की आय में कमी आई, हालांकि उपभोक्ता लाभान्वित हुए। उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितों में संतुलन चाहना सरकार के लिए तर्कसंगत है। ऐसा आयात शुल्क और न्यूनतम समर्थन मूल्य के सुविचारित अंशदान के जरिए किया जा सकता है। हमारी नीति इस संबंध में पूर्णरूपेण सुसंगत नहीं रही है। उदाहरणार्थ, खाद्य तेलों पर आयात-शुल्क नम्बे के दशक के मध्य कम था, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों पर अधिक था, लेकिन 1997 के बाद जब खाद्य तेलों के मूल्य तेजी से गिरे, तब वे समायोजित नहीं किए गए थे। घरेलू तिलहन उत्पादकों को मूल्यों के संबंध में काफी तेज झटका लगा। गेहूँ के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि की प्रतिक्रिया इस दृष्टि से अलग रही है कि किसानों को उच्च कीमतों का पूरा लाभ नहीं मिला, क्योंकि प्रयास उपभोक्ता के हितों की रक्षार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए गेहूँ का आयात करके किए गए थे, जो कि स्पष्टतः रियायती दरों पर किया गया था।

1.38 मूल्यों के दोनों बढ़ने और घटने के लिए मूल्यों के उतार-चढ़ाव को सामान्य बनाना संतुलित दृष्टिकोण होगा। इसके लिए एक स्पष्ट समझ अपेक्षित है कि आयात प्रशुल्क को किस प्रकार अंश शोधित किया जाए तथा एमएसपी इस बात पर निर्भर करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य किस प्रकार संचालित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय मूल्य अगर एक निश्चित स्तर से नीचे जाएं तो आयात प्रशुल्क को स्वतः ही समायोजित कर लिया जाए, ताकि सीआईएफ के मूल्य स्थिर हो सकें। एक बार एमएसपी घोषित हो जाने के बाद उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मूल्यों के अधिक अथवा कम बने रहने को सीएसीपी के लेखे में लिया जाए, ताकि एमएसपी को अगले वर्ष समायोजित किया जा सके। सामान्यता हमें निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बल्कि यदि आवश्यकता महसूस की जाए, तो निर्यात को सामान्य बनाकर घरेलू मूल्य के दबाव को कम करने हेतु निर्यात करों पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेजी से बढ़ते हैं, तो प्रशुल्कों को कम करने के लिए एक मामला है। ऐसी स्थितियों में, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों द्वारा आपूर्ति खाद्य उत्पादों के लिए, पीडीएस हेतु पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विपणन का समय शुरू होने से पूर्व एमएसपी पर बोनस ऑफर करने का एक मामला है। पीडीएस की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा/अथवा समाप्त स्टॉक को पुनः भरने के लिए सरकारी लेखे पर आयात द्वारा इसे पूरा किया जाए। यह पीडीएस के उपभोक्ताओं के लिए लक्षित सब्सिडी के बराबर है। यदि अंतरराष्ट्रीय मूल्य उच्च बने रहते हैं, तो एमएसपी को अगले वर्ष डालने में सीएसीपी

को इसे लेखे में लेना चाहिए। इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होनी चाहिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हों तब आयात प्रशुल्कों में वृद्धि के साथ-साथ शुल्क वापसी की दरों में उर्ध्वमुखी संशोधन होना चाहिए, ताकि निर्यातकों को नुकसान न हो। ऐसा कपास जैसे मामलों में अनिवार्य है, जहाँ ऐसा समायोजन न होने पर कपड़ा अथवा गारमेंट निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। इन बातों के साथ-साथ एक सुसंगत नीति आंतरिक रूप से एकरूप और पूर्वज्ञात रास्ता है, मुहैया करायेगी, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के उतार-चढ़ाव के संबंध में इस ढंग से संव्यवहार किया जा सके कि उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं निर्यातकों के हितों में संतुलन स्थापित हो सके।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और उर्वरक सब्सिडी

1.39 कृषि रसायनों के उपयोग से मृदा का अवक्रमण एक गंभीर मुद्दा है, जिसका निराकरण 11वीं योजना के दौरान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना जरूरी है। रासायनिक उर्वरक के असंतुलित उपभोग से उर्वर सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों का असर घटता जा रहा है। कुछ पोषक तत्वों के अत्यधिक उपयोग से, असंतुलित प्रतिस्थापनों द्वारा आए इन पोषक तत्वों से मृदा के अन्य पोषक तत्वों के समाप्त होने की वजह से मृदा की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। समस्या का स्वरूप और मात्रा देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग है।

1.40 मृदा की गुणवत्ता की महत्ता और किसी विशेष फार्म पर मृदा के स्टेटस के बारे में सूचना के संबंध में किसानों को ज्ञान न होना एक महत्वपूर्ण अड़चन है। बड़े और सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए मृदा गुणवत्ता कार्ड सभी किसानों को जारी किए जाएं। इसके लिए सम्पूर्ण देश में मृदा परीक्षण संबंधी प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है तथा साथ ही सूक्ष्म पोषकतत्वों को कवर करने के लिए अपनी परीक्षण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रारम्भिक पूँजी निवेश सरकार को ही करना होगा तथा उसके बाद का रख-रखाव के लिए धन की व्यवस्था इन प्रयोगशालाओं द्वारा दी गई सेवाओं के लिए वसूल किए गए शुल्क से की जाएगी। जहां कहीं पहुँच को बढ़ाना संभव हो और जवाबदेही सुनिश्चित हो वहां पीपीपी मोड की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।

1.41 उर्वरक सब्सिडी की मौजूदा प्रणाली असंगत है तथा यह प्रतिकूल उत्पादकारी बन गई है। उर्वरक सम्पूर्ण देश में लगभग एक ही नियंत्रित मूल्य पर बेचा जाता है। तथापि, नाइट्रोजन उर्वरक पर पोटैशियुक्त और फास्फेट युक्त उर्वरकों की तुलना में अधिक सब्सिडी दिए जाने की वजह से सब्सिडी का लाभ उन फसलों और क्षेत्रों को अधिक मिलता है, जिन्हें उन फसलों और क्षेत्रों, जिन्हें पी और के के अधिक प्रयोग की आवश्यकता है, की तुलना में नाइट्रोजनस उर्वरक के उच्चतर उपयोग की जरूरत है।

नाइट्रोजनस उर्वरक के मूल्यों के अनुपात में विकृति के कारण आए एनपीके के इस्तेमाल में असंतुलन से मृदा अवक्रमण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और जिसका उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उर्वरक के संतुलित उपयोग को हासिल या तो एनपीके पर उर्वरक सब्सिडी की मौजूदा मात्रा को इस प्रकार पुनः वितरित करके किया जा सकता है, कि पोषकतत्व निष्क्रिय हो जाएं या पी आर के पर सब्सिडी को इस प्रकार बढ़ाकर किया जा सकता है कि किसान एन.पी.के का इस्तेमाल सही अनुपात में करने के लिए अभिप्रेरित हों। मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी उत्पादकों को सब्सिडी योग्य मानक उर्वरक में सूक्ष्म पोषक तत्व जोड़ने के प्रति हतोत्साहित करती हैं चूँकि उस उर्वरक के नियंत्रित मूल्य पैरामीटरों को जोड़े गए सूक्ष्म पोषक तत्वों की लागत को कवर करने के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता। जोड़ गए माइक्रो पोषकतत्वों के लिए लागत वसूलने हेतु बड़े उत्पादकों को अनुमति देने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। कई माइक्रो पोषकतत्व छोटे पैमाने के उत्पादन हेतु अपरिचित हैं। कृषि समुदाय के हित में इस सगमेंट का रिजर्वेशन समाप्त किया जाना चाहिए।

बीज

1.42 बीज प्रबंधन उत्पादकता में वृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक तत्व है और मौजूदा स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ राज्यों में बीज प्रतिस्थापन दर में व्यवहार्य तौर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस समय, विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरें अभी भी अपेक्षाकृत कम हैं, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है। वांछनीय बीज प्रतिस्थापन दरें, जिनके बगैर उच्च उत्पादकता हासिल करना संभव नहीं है, स्वयं परगित सींची हुई (सेल्फ पोलिनेटिड) फसलों के लिए 25%, क्रॉस-पोलिनेटिड फसलों के लिए 35% और संकर-फसलों के लिए शत-प्रतिशत हैं।

1.43 1996-97 से 2001-02 तक समाप्त तीन वर्षों में हुए उत्पादन की तुलना में वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक प्रजनक बीजों व आधार बीजों के उत्पादन एवं प्रमाणित बीजों के वितरण का ब्यौरा तालिका 1.8 में दिया गया है। हालांकि, प्रजनक बीजों का उत्पादन काफी बढ़ा है, फिर भी आधार बीजों का उत्पादन नहीं बढ़ा है। प्रमाणित बीजों के वितरण में भारी वृद्धि होने के बावजूद इन बीजों की गुणवत्ता पर किसानों द्वारा प्रायः प्रश्नचिह्न लगाए जाते हैं।

1.44 बीज उत्पादन प्रणाली में तारतम्य का अभाव है (अप्राप्त-कड़ी) है। सरकारी क्षेत्र में शंकर किस्म के बीज उत्पादन पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। तथापि, निजी क्षेत्र ने इस खाई को पाटने

तालिका 1.8
बीजों का उत्पादन एवं वितरण

कार्यक्रम	यूनिट	वर्षत्रय समाप्ति में उपयोग/उत्पादन				
		1996-97	2000-01	2004-05	2005-06	2006-07
प्रजनक बीजों का उत्पादन	हजार कुंतल	43.72	44.27	66.46	64.88	73.83
आधार बीजों का उत्पादन	लाख कुंतल	6.45	5.77	6.90	7.40	8.00
प्रमाणित/गुणवत्त बीजों का वितरण	लाख कुंतल	79.01	86.41	120.26	126.74	191.98

स्रोत: 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) योजना आयोग, भारत सरकार (दिसम्बर, 2006) के लिए फसल उत्पादन, कृषि इंपुट्स, मांग और आपूर्ति अनुमानों तथा कृषि आंकड़ों पर कार्य दल की रिपोर्ट।

के लिए उत्पादन बढ़ाया है। भारत में निजी क्षेत्र का बीज उद्योग प्रशंसनीय रूप से बढ़ रहा है और इसने बीटी कपास, मक्का, चावल, सूरजमुखी आदि की संकर किस्मों में शानदार योगदान दिया है। जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है, बीज उत्पादन में निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकारी क्षेत्र का हिस्सा कम होता जा रहा है। 10वीं योजना के दौरान, गैर-सरकारी बीज आपूर्ति सरकारी स्रोतों से होने वाली बीज आपूर्ति से अधिक हो गई थी। तथापि, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र सेल्फ-पोलिनेटिंग किस्म के बीजों के उत्पादन में असफल रहा है।

तालिका 1.9
बीज उत्पादन में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का बदलता हुआ हिस्सा (शेयर)

वर्ष	बीज उत्पादन में हिस्सा (शेयर)	
	गैर-सरकारी	सरकारी
2004	49.11%	50.89%
2005	58.00%	42.00%
2006	57.75%	42.25%

स्रोत: 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) योजना आयोग, भारत सरकार (दिसम्बर, 2006) के लिए फसल उत्पादन, कृषि इंपुट्स, मांग और आपूर्ति अनुमानों तथा कृषि आंकड़ों पर कार्य दल की रिपोर्ट।

बागवानी

1.45 हालांकि, पहली कुछ पंचवर्षीय योजनाओं को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में बागवानी, कृषि के एक अपरिहार्य भाग के रूप में उभरा है। इसने फसल के विविधीकरण हेतु किसानों को कई विकल्प दिए हैं। यह बड़ी संख्या में उन कृषि उद्योगों को कायम रखने के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, जो रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करते हैं। बागवानी क्षेत्र का योगदान देश के करीब 13.08% क्षेत्र से कृषि में जीडीपी का करीब

28% है। कृषि जिसों के कुल निर्यात का 37% निर्यात बागवानी से होता है। इस क्षेत्र में फसलों की व्यापक रेंज है, अर्थात् सब्जी, फल, आलु सजावटी पौध फसलें, चिकित्सीय एवं सुगंधित, बाँस और मधुमक्खी पालन (फसल उत्पादकता में सुधार लाने हेतु) जैसी नई फसलों से बागवानी का कार्यक्षेत्र और बढ़ा है।

1.46 भारत के 4.96 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में फल फसलें होती हैं, जिनका कुल उत्पादन 49.29 मिलियन मी. टन है। वर्ष 1991-92 से 2001-02 तक की अवधि के दौरान फल फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में क्रमशः 3.4%, 4.2% और 0.7% की दर से विकास हुआ। वर्ष 2001-02 और 2004-05 के बीच क्षेत्र में 7.37 प्रतिशत विकास हुआ, जबकि उत्पादन विकास की गति नगण्य रही। विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है और अन्य क्षेत्रों में इसका 27 प्रतिशत और उत्पादन में 21.5% योगदान है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र की दृष्टि से दूसरा स्थान है और यह फलों के उत्पादन में 13 और 16% योगदान दे रहा है। सर्वाधिक उत्पादकता मध्य प्रदेश (22.6 मी.टन/प्रति हैक्टे.), तमिलनाडु में (19.9 मी. टन/हैक्टे.) गुजरात में (15.9 मी.टन/प्रति हैक्टे.), कर्नाटक में (15.9 मी. टन/प्रति हैक्टे.) और पश्चिम बंगाल में (12.8 मी. टन/प्रति हैक्टे.) थी। उत्पादकता में विकास 1991-92 से 2001-02 के दौरान केरल में सर्वाधिक (5%) था, जबकि यह 2001-02 से 2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश में 10.2% था।

1.47 भारत में स्वतंत्रता से पूर्व सब्जियों का कुल उत्पादन 15 मिलियन मी.टन था और स्वतंत्रता से लेकर कई दशकों तक विकास दर करीब 0.5% पर स्थिर रही। सब्जी, अनुसंधान और नीति हस्तक्षेप पर विशेष बल देने से वृद्धि दर में 2.5% का अचानक उछाल आया, जिससे पिछले दशक के दौरान 5 गुना विकास हुआ। उन्नत जीन पूल के साथ संभावित प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप तथा संक्षिप्त प्रबंधन से विकास दर लगभग 6% प्रतिवर्ष तक पहुँच सकती है। 1991-92 में सब्जियों के तहत 5.59

मिलियन हैक्टे. क्षेत्र था, जो बढ़कर 2004-05 के दौरान बढ़कर 6.76 मी. हैक्ट. हो गया। इस अवधि में उत्पादन 58.53 मी. टन से बढ़कर 101.43 मिलियन मी. टन हो गया। इसी अवधि के दौरान सब्जियों की उत्पादकता 10.5 मी.टन/प्रति हैक्टे. से बढ़कर 15.0 मी. टन प्रति हैक्टे. हो गई। जबकि पश्चिम बंगाल क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी रहा। उत्पादकता तमिलनाडु में उच्चतर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है।

1.48 भारत-चीन के पश्चात फूलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आठवें, नौवें, और दसवीं योजना अवधियों के दौरान परम्परागत फूल क्षेत्र ने प्रभावकारी विकास दर्ज किया तथा 8वीं योजना अवधि के अन्त में 71,000 हैक्टे. वृद्धि हुई, जो 9वीं योजना के अंत तक यह बढ़कर 1,06,000 हैक्टे. हो गई। दसवीं योजना के दौरान 2004-05 के अंत तक अतिरिक्त 10,000 हैक्टे. क्षेत्र को परम्परागत फूलों के तहत लाया गया। इस प्रकार कुल क्षेत्र 1,15,921 हैक्टे. हो गया। प्रति हैक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक बिहार में (17.05 मी. टन), उसके बाद हरियाणा में (11.55 मी. टन) है। दूसरी ओर, फूलों की उत्पादकता सबसे कम राजस्थान (0.59 मी. टन) है। 2004-05 के दौरान देश की समग्र उत्पादकता (5.64 मी. टन) रिकॉर्ड की गई थी। पुष्प कृषि फसलों के तहत आने वाले क्षेत्र का लगभग 77% क्षेत्र सात राज्यों, जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और दिल्ली शामिल हैं, में संक्रेद्रित है। 8वीं योजना अवधि के अंत में कट फ्लोवर्स का उत्पादन 615 मिलियन था, जबकि 10वीं योजनावधि के दौरान 1,952 मिलियन फलों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए योजना अवधियों में कट फ्लोवर्स का उत्पादन बढ़ा है।

1.49 चिकित्सीय पौधों पर आधारित उद्योग 7 से 15 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है। रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार, भारत में चिकित्सीय पौधों से संबंधित व्यापार का मूल्य लगभग 5,000 करोड़ रु० प्रतिवर्ष है, जबकि विश्व व्यापार लगभग 62 बिलियन यूएस डॉलर का है तथा आशा है कि उत्पादन वर्ष 2050 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों ने 1500 चिकित्सीय पौधों का पता लगाया है, जिसमें से 500 मसालों का उपयोग अधिकांशतः दवाईयां तैयार करने पर होता है। इस समय देश में विभिन्न औषधीय व सुगन्ध फसल प्रजातियां खेती हो रही है, जिसमें से करीब 32 किस्में वाणिज्यिक खेती हेतु चिकित्सीय पौध बोर्ड, स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राथमिकता सूची में सूचीबद्ध हैं तथा जिनका प्रसंस्करण देश में ही हो रहा है। तथापि, वन क्षेत्र से असंगठित संग्रहण कई राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में व्यापार के संगठित होने में अभी देर है तथा यह अभी निजी हाथों में है, जिससे उत्पादकों के लिए यह

हानिकारक उद्यम साबित हो रहा है। अतः इस क्षेत्र में यह आवश्यक है कि किसी भी चिकित्सीय और सुगन्धित फसलों की खेती आवश्यकता आधारित हो और इसको पुनः वापिस खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त, सीएसआईआर की कुछ संस्थाओं में पौध उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी लागत अधिक है तथा उत्पादकों के लिए वहनीय नहीं है। कई मुख्य प्रजातियों की पौध रोपण सामग्री का अभाव है तथा केवल सीमित उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। अतः सरकारी व्यवस्था के तहत विभिन्न संस्थानों के लिए अपेक्षित है कि वे उत्पादकों को सप्लाई करने पौधों की संख्या बढ़ाएं। यह कार्य जिन केन्द्रों को सौंपा गया है, वे हैं — औषधीय व सुगन्ध फसलों पर राष्ट्रीय शोध केन्द्र, आनन्द, एमएपी पर एनआरसी, आनन्द, सी.आई.एम.एपी, लखनऊ, नैटवर्क परियोजनाओं के एआईसीआरपी केन्द्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि।

1.50 बागवानी के क्षेत्र में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) से एक बड़ी शुरुआत की गई है। सरकार पहले से ही पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित कर रही है। अपेक्षित कड़ियां स्थापित करने के लिए सर्वाधिक बड़ी अड़चन कृषि विपणन और प्रसंस्करण की है। चूंकि उच्च महत्व वाली कृषि शीघ्र खराब होने वाली जिन्सों पर आधारित है, इसलिए ग्रेडिंग, कटाई पश्चात प्रबंधन और कोल्ड चेन्स (शीत ग्रहों की श्रंखला) विकास की आधुनिक पद्धतियां अपेक्षित हैं। ऐसे निवेश के लिए अपेक्षित है कि बड़े निगमित निवेशकों सहित नए निवेशक मौजूदा बाजार में प्रवेश करें, तथा नए मार्केटिंग चैनल स्थापित करें। अतः राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसकी अनुमति देने के लिए मौजूदा कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन पर आधारित जारी विपणन सुधारों को प्रोत्साहित करता है। यह प्रक्रिया बड़ी ही उत्सुकता से शुरू की गई है। इसमें कई व्यापारिक घराने निवेश कर रहे हैं तथा अधिकांश राज्य एपीएमसी में पहले ही संशोधन कर चुके हैं। तथापि, इसे किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। कई राज्यों ने एपीएमसी में संशोधन किए हैं, लेकिन उन्हें अभी आवश्यक नियम बनाने हैं। इस अनिश्चितता को यथाशीघ्र दूर करने की जरूरत है।

1.51 अधिकांश राज्यों ने संविदा खेती का समर्थन किया है तथा कई राज्यों ने इसे प्रोत्साहित किया है। यह किसानों को निगमित खरीददारों, जो विशिष्ट फसलों के अनुकूल सूचना एवं आदान तथा विस्तार मुहैया करा सकते हैं, से जोड़ने के लिए एक उपयोगी साधन हो सकता है। पर्याप्त सूचना एवं सहायता देकर संविदा पंजीकरण और विवाद निपटान हेतु प्रभावी प्रक्रिया (मैकेनिज्म) सुनिश्चित करते हुए इसको समर्थन देने की जरूरत है, ताकि छोटे किसान सामूहिक संविदा पर हस्ताक्षर कर सकें।

1.52 पौध रोपण सामग्री अकेले सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके चारों ओर बागवानी कार्यकलापों का सम्पूर्ण गैमट घूमता है। इसका विशेष महत्व है, विशेषकर उन बहु वर्षीय (सतत) बागवानी फसलों में, जिनका लम्बा जुविनाइल/गेस्टेशन चरण है तथा प्रारम्भिक चरण में उत्पादक द्वारा की गई एक भी गलती बाद के चरण में बहुत भारी हानिप्रद हो सकती है। अतः पौध सामग्री की शुद्धता, गुणवत्ता और स्वास्थ्य किसी भी पौध सामग्री को बढ़ाने, बेचने और अपनाने हेतु आवश्यक है। इस समय किसानों को गैर-सरकारी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनमें अधिकांश राज्यों में ज्यादातर इकाइयां नियमित नहीं होती हैं, अथवा उनको मॉनिटर नहीं किया जाता है। अतः किसान वास्तविक रोग मुक्त और विभिन्न फसलों को उच्च किस्म की प्रमाणित पौध रोपण सामग्री प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परिणामस्वरूप, उत्पादन, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में पिछड़ जाते हैं। अधिकांश मौजूदा पुरानी नर्सरियों में ग्रीन हाउस, मिस्ट पोपेग्रसन यूनिट, शीत भण्डारागार, मिस्ट सिंचाई प्रणाली, कुशल नर्सरी औजार, उपकरण और मशीनरी तथा मृदा आदि अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। किसानों की अनभिज्ञता, उन्नत किस्मों के मूल पौधों की भारी कमी, और गुणवत्ता परीक्षण एवं मैकेनिज्म की मॉनिटरिंग का अभाव स्थिति को जटिल बनाते हैं।

1.53 शंकर/उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन और आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के पास होने तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा बीज अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से निजी क्षेत्र के संरक्षण में सब्जियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। तथापि, वास्तविक गुणवत्ता वाली सामग्री की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर बहुत ज्यादा है, जिसे मौजूदा प्रयासों से दूर किया जाना है। अतः 11वीं योजना में परिकल्पना की गई है कि पौध रोपण सामग्री के संबंध में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाए, ताकि इस क्षेत्र की और वृद्धि एवं विकास हेतु ठोस आधार तैयार किया जा सके। सरकार सेंट्रल प्रमाणन एजेंसी तथा पौध रोपण सामग्री प्राधिकरण स्थापित करने पर भी विचार करेगी ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की देखभाल की जा सके।

1.54 इस समय 10 केन्द्रीय संस्थानों के अन्तर्गत, 27 क्षेत्रीय स्टेशनों के 10 केन्द्रीय संस्थान, 12 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 9 बहु-विषयक संस्थान, 223 केन्द्रों के साथ 15 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं (एआईसीआरपी), एक पूर्ण बागवानी एवं वानिकी संबंधी राज्य कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी विषयों वाले 25 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), 5 नैटवर्क परियोजनाएं, 330 तदर्थ अनुसंधान परियोजनाएं और 29 परिक्रामी निधि स्कीम हैं, जो विभिन्न बागवानी फसलों पर अनुसंधान कर रही हैं। उपर्युक्त के अलावा, सीएसआईआर की अनेकों प्रयोगशालाएं तथा जैव विज्ञान विभाग (डीबीटी) द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्र,

भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भी बागवानी फसलों पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय ने कॉफी, रबड़, और मसालों प्रत्येक के लिए एक अलग अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है तथा चाय के लिए दो संस्थान स्थापित किए हैं, जो इन पण्य फसलों के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हैं। कई अनुसंधान प्रगति के बावजूद अभी भी खाई बनी हुई है, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फलों, सब्जियों, पौध रोपण, फसलों, चिकित्सीय एवं सुगंधित फसलों, फलों और सजावटी फसलों, मसालों, काजू, उच्च उत्पादन क्षमता वाला ऑयल पॉम, जैविक और अजैविक दबाव निरोधक क्षमता वाली उन्नत/शंकर किस्मों का विकास, समय की जरूरत है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बागवानी आधारित फसल प्रणाली विकसित करने की भी जरूरत है। हालांकि, निजी क्षेत्रक नई किस्मों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। फिर भी विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बागवानी आधारित फसलों प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

1.55 कर्तित-(कट-फ्लावर्स) पुष्पों एवं सब्जियां उगाने के लिए संरक्षित खेती/ग्रीन-हाउस/लो पोली टनल्स उत्पादन तकनीक उपलब्ध हैं। टमाटर, (क्यूकरबिट्स), कद्दूवर्गीय बंद गोभी, खीरा/ककड़ी, सलाद, प्याज, पालक, बैंगन, काली मिर्च, शलगम, मूली जैसी फसलों को संरक्षित खेती के तहत उच्च गुणवत्ता प्राप्त करते हुए सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इससे किसान लेह जैसे स्थानों में सब्जियां पैदा करने तथा उत्तर भारत में सब्जियों का ऑफ-सीजन उत्पादन करने में समर्थ हो गए हैं। गुलाब, गुलदाउदी, गरबेरा, और पोलिहाउस में कार्नेशन पौधा, शेड नेट आदि जैसे फूलों की संरक्षित खेती के लिए प्रौद्योगिकी हर तरह से पूर्ण कर दी गई है। पहाड़ी राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों उच्च गुणवत्ता वाले फूलों के उत्पादन हेतु कम लागत वाली ग्रीनहाउस प्रौद्योगिकी भी विकसित की गई है। अब इन संरचनाओं का उपयोग वाणिज्यिक तौर पर निर्यात हेतु महाराष्ट्र और कर्नाटक के मैदानी इलाकों में अच्छी किस्म के फलों के उत्पादन के लिए किया जाता है।

पौध संरक्षण

1.56 एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, शस्य सम्बन्धी, मैकेनिकल और बायोलोजिकल नियंत्रण जैसी वैकल्पिक कीट नियंत्रण पद्धतियों का अनुकूलता के साथ नियोजन करना है। अनेकों बुरे प्रभावों वाले रासायनिक नियंत्रण का सहारा तभी लेना चाहिए, जब अन्य नियंत्रण पद्धतियां वांछित परिणाम देने में असफल हो जाएं। आईपीएम मितव्ययिता और पारिस्थितिकीय दृष्टि से सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जब खाद्य सुरक्षा का मुद्दा सम्पूर्ण विश्व में बढ़ती हुई चिंता का विषय

20 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

बना हुआ है, तब यह एक महत्वपूर्ण विचार-विमर्श का विषय है। पारिस्थितिकीय दृष्टि से अधिक सुरक्षित खाद्य उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि कीटनाशक अवशिष्ट कणों को अवशिष्ट कणों की अधिकतम सीमा निर्धारित करके नियंत्रित किया जाए, ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से स्वीकार्य न्यूनतम सहनशीलता स्तर तक लाया जा सके। इस समय, विभिन्न योजना स्कीमों में आईपीएम घटकों के रूप में आईपीएम का कार्यान्वयन ही एकीकृत नहीं है। इन खंडित तत्वों को समन्वित करने की जरूरत है।

1.57 पौध संशोधन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003, 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ। इसमें भारत में विदेशों से आए कीटों, रोगों और खरपतवारों के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। कृषि उत्पादों के आयात के मामलों में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अंतरराष्ट्रीय पौध संरक्षण समझौता (आईपीपीसी), 1951 के अनुसार फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट (पीएससी) जारी करना तथा पोस्ट एंट्री क्वेरन्टाइन (पीईक्यू) जाँच शुरू करना इसके अन्य सम्बद्ध उत्तरदायित्व हैं। कृषि उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सरल एवं सुसाध्य बनाने के लिए इन कार्यों को बढ़ाना चाहिए।

कृषि ऋण

1.58 कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण एक अनिवार्य आवश्यकता है तथा इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास भी हुआ है। 2001-02 के दौरान, अर्थात् 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में कृषि के लिए दिया गया कुल ऋण 62,045 करोड़ ₹ था, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में बढ़कर 2,00,000 करोड़ ₹ हो गया। यह पिछले पाँच वर्षों में तीन गुना से भी अधिक वृद्धि है। कुल कृषि ऋण में वाणिज्यिक बैंकों का शेयर 2001-02 में 54 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2005-06 में करीब 69% हो गया। निवेश ऋण का शेयर 2001-02 में 35% था, जो दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना द्वारा हासिल की गई नकारात्मक वृद्धि के बावजूद बढ़कर 2004-05 में लगभग 41% हो गया। 7,36,570 करोड़ ₹ के लक्ष्य की तुलना में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में संस्थागत ऋण के कुल प्रवाह के 6,50,000 करोड़ ₹ से अधिक हो जाने की आशा है, अर्थात् संभवतः 26% संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)। यह 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त की 18% सीएजीआर से काफी बेहतर है।

1.59 भारत सरकार द्वारा घोषित "फार्म (प्रक्षेत्र) ऋण पैकेज" के कारण ऋण वृद्धि दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान विशेषरूप से प्रभावशाली थी। कृषि में ऋण प्रवाह की डबलिंग हेतु

भारत सरकार द्वारा 18 जून, 2005 को प्रतिपादित एक विशेष "फार्म ऋण पैकेज" में ऋण वृद्धि से संबंधित कई नए प्रस्ताव हैं। 2005-06 के लिए उपलब्ध अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 2005-06 के दौरान कृषि में सतही स्तर का ऋण प्रवाह 1,80,446 करोड़ रुपये का था अर्थात् 1,41,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 128% तथा इस प्रकार 44% वार्षिक वृद्धि दर्ज थी। हालांकि, वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने 54% वृद्धि दर्ज की, जबकि सहकारी बैंकों ने 25% वृद्धि रिकॉर्ड की ओर उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 22% वृद्धि रिकॉर्ड की।

1.60 तथापि, यद्यपि 10वीं योजनावधि के दौरान सकल कृषि ऋण में वृद्धि हो गई है, फिर भी कुछ मात्रात्मक और गुणात्मक गंभीर मुद्दे हैं। औपचारिक संस्थागत ऋण संरचना की बाहरी पहुँच (आउटरीच) बहुत ही सीमित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 59वें चक्र (2003) से स्पष्ट है कि खेतिहर परिवारों की कुल संख्या के केवल 27% लोगों ने औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त किया, जबकि 22% लोगों ने अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त किया। मुख्यतः छोटे और सीमान्त किसानों वाले शेष परिवारों की तरफ कोई ऋण बकाया नहीं था। यह निराशाजनक है कि स्थिति 2003 से काफी बदल गई है।

1.61 विस्तृत उपायों का उद्देश्य अभिनव उत्पादों और सेवाओं की दृष्टि से वित्त को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि इनकी पहुँच संस्थागत ऋण तक हो सके। काशतकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों और महिला खेतिहरों को ऋण प्रवाह, कागजात तैयार करने की जटिल प्रक्रिया, उच्च लेन-देन लागत, अपर्याप्त और अप्रभावी जोखिम को उपशमित करने की व्यवस्थाएं, घटिया विस्तार सेवाएं, कमजोर विपणन संबंध और ऋण संबंधी क्षेत्रक और क्षेत्रीय मुद्दे जैसे मुद्दों के लिए भी अपेक्षित है कि उनका शीघ्रता से निराकरण किया जाए। कृषि संकट के कारण भी कई किसानों ने चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप वे संस्थागत ऋण प्राप्त करने के योग्य नहीं रहे। ऐसे गैर-निष्पादन ऋण के अत्यधिक मात्रा में बने रहने (ओवर हैंग), को भी घटाने की जरूरत है।

1.62 कुल 25,000 रुपये से कम ऋण सीमा वाले प्रत्यक्ष लेखे का शेयर 1990 में 97% था, जो घटकर 2005 में 67% रह गया, जबकि उनका प्रत्यक्ष लेखे में शेयर बड़ी तेजी से लुढ़क गया है। कम विकसित राज्यों और छोटे व सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध निर्धारित करते हुए परिचालन जोतों की कवरेज को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की जरूरत है। इस बात पर विचार करते हुए कि छोटे और सीमान्त किसानों के पास वित्त के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में केवल साहूकारों से मंहगे ऋण, कुल 25,000 रुपये की ऋण-सीमा वाले प्रत्यक्ष लेखे का शेयर है, इसलिए इसका लक्ष्य पर्याप्त रूप से उच्चतर स्तर रखा जाए।

1.63 इस समय, प्राथमिकता क्षेत्र में उधार के तहत कृषि के लिए सीधे वित्त व्यवस्था में ट्रकों, छोटे ट्रकों, जीपों, पिक-अप वैन, बैलगाड़ी एवं अन्य परिवहन उपकरण को ऋण देना शामिल है, ताकि कृषि आदानों और फार्म उत्पादों के परिवहन में सहायता की जा सके। प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था में शीत भण्डारागार सुविधाओं, माल गोदामों और गोदामों के निर्माण एवं उन्हें चलाने के लिए ऋण देना शामिल है। जैसा कि वित्त के वैकल्पिक औपचारिक स्रोत इन कार्यक्रमलापों के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए कृषि हेतु इनको प्रत्यक्ष वित्त के तहत लाने पर पुनः विचार करने की जरूरत है।

1.64 कृषि क्षेत्र के लिए पुनर्भुगतान की अलग-अलग और लचीली अवधियों के विशेष ऋण पैकेजों पर विचार किया जाए, ताकि किसानों की आय और व्यय प्रवाह की असमानता तथा कृषि आय की मौसमी प्रकृति का ध्यान रखा जा सके। वाणिज्यिक बैंकों के पदनामित एजेंटों के माध्यम से कार्यान्वित डोरस्टेप बैंकिंग अब भारतीय रिजर्व बैंक के बढ़िया निर्णय द्वारा सरल एवं सुसाध्य हो गई है तथा यह किसानों को बैंकों के साथ पारस्परिक बातचीत खेतीहर समुदाय के लिए उपयुक्त समयानुसार करने के अवसर प्रदान करती है। वर्तमान में बैंक सिविल सोसायटी संगठनों, कृषक क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों, डाकखानों आदि की सेवाओं का उपयोग करके बैंकों को वित्तीय (आउटरीच) "बिजनेस फेसिलिटेटर्स" अथवा "बिजनेस कॉरस्पोंडेन्ट्स" के रूप में देने की अनुमति दे दी गई है। नाबार्ड देखेगा कि वे कौन सी वजह है, जो बिचौलियों का उपयोग फेसिलिटेटर्स/कॉरस्पोंडेन्ट्स के रूप में करके बैंकों के रास्ते में आ रहे हैं तथा यह इस संबंध में अनुदोशों में आवश्यक परिवर्तन/संशोधन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करेगा।

सहकारिता

1.65 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बांटा गया ऋण देश की कुल संचालन जोतों का केवल 11.7% क्षेत्र को कवर करता है। जैसा कि तालिका 1.10 में देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र के लिए सहकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋण की मात्रा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धीरे-धीरे बढ़ती गई है। हालांकि ऋण खातों की संख्या में 2004-05 में 224.6 लाख थी, घटकर 2005-06 में 192.8 लाख रह गई। असंख्य छोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण निष्पक्ष और गहनता से उपलब्ध कराने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन सहकारी ऋण समितियां हैं, जो कि स्वायत्तशासी एवं लोकतांत्रिक हैं। सहकारी समितियों को जीवन्त और व्यवहार्य लोकतांत्रिक वित्तीय संस्थानों के रूप में अंतरित करने के उद्देश्य से सहकारी ऋण में अंतरित करने के उद्देश्य से सहकारी ऋण संरचना को पुनः जीवन्त बनाना इसीलिए अनिवार्य है। इसलिए अत्यन्त आवश्यक है कि ए० वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप चल रहे सहकारी ऋण पुनर्गठन संबंधी कार्य शीघ्रता एवं

तालिका संख्या 1.10
सहकारी समितियों द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण-प्रवाह

वर्ष	ऋण (करोड़ रुपये में)	वृद्धि %	ऋण खातों की संख्या (लाख)
2001-02	23604	-	-
2002-03	23716	-	-
2003-04	26959	14%	-
2004-05	31424	17%	224.6
2005-06	39404	25%	192.8
2006-07	42480	8%	188.7

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण के विभिन्न मुद्दों, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय और कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी।

सख्ती से कार्यान्वित हों। 13 राज्य सरकारों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा लेखों की लेखापरीक्षा चल रही है। आवश्यक है कि प्रणाली से राजनीतिकरण समाप्त करने हेतु अगला कदम उठाने के लिए शीघ्रता से अग्रसर हों।

जोखिम प्रबन्धन

1.66 पिछले कुछ दशकों के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि में जोखिमों की बारंबारता और गंभीरता बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख साक्ष्य रहे हैं बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा पैटर्न तथा सूखे, बाढ़ और चक्रवातों की गंभीरता में वृद्धि जिसके कारण कृषि उत्पादन और पशुधन जनसंख्या की अपार क्षति हुई है। भारत ने प्राथमिक (फसल नुकसान) और कुछ सीमा तक द्वितीयक (पशुधन मृत्यु) समस्याओं से निपटने के लिए एक अनुक्रिया तंत्र विकसित किया है। तथापि एक तृतीयक तंत्र भी बनाए जाने की आवश्यकता है जो जलवायु पूर्वानुमान, जलवायु सूचना सृजन तथा प्रसार, पूर्व चेतावनी प्रणाली, दूर संवेदी प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि हानि का अनुमान तथा जलवायु परिवर्तन के पूर्व और पश्चिमी क्रियाकलापों के जरिए संसाधनों के हस्तांतरण के आगे संसाधन आकलन और प्रबंधन तक जाए और जो विकेंद्रित हो। इस अनुक्रिया तंत्र में निश्चित रूप से किसानों के लिए एक महाविपत्ति संरक्षण बीमा तंत्र और दिवालिया विधान का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

1.67 हमारे देश में फसल बीमा की शुरुआत दो दशक पूर्व की गई थी। इसका वर्तमान स्वरूप- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) 1999-2000 से उपलब्ध है। हालांकि एनएआईएस के कवरेज के लिए राज्यों द्वारा तेजी से कार्य नहीं किए गए, फिर भी यह उन किसानों के लिए एक उपयोगी योजना है जो अपेक्षाकृत वैसी फसलों का उत्पादन करते हैं जिनमें जोखिम होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एनएआईएस वस्तुतः एक परिचालित

बीमा योजना नहीं है। अधिकांश महत्वपूर्ण फसलों के लिए प्रीमियम अखिल भारतीय स्तर पर तय किए जाते हैं, जिसमें जोखिम का ध्यान नहीं रखा जाता है और प्रीमियम से आगे के दावे की संपूर्ण राशि का भुगतान सरकार करती है। इसके अतिरिक्त चूंकि यह राज्यों में बैंक से उधार लेने वाले सभी किसानों के लिए बाध्यकारी है और इसमें अपेक्षाकृत गैर-कर्जदार किसान नहीं हैं। इसलिए इसमें फसल खराब होने के पश्चात बैंकों को भी भुगतान की निश्चितता रहती है। आगे, किसानों में यह अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यह फसल काटने के अनुभवों पर आधारित है, जिससे दावों के भुगतान में विलंब भी हो जाता है और इसमें सिर्फ ब्लाक स्तर पर उपज में कमी के जोखिमों को ही शामिल किया गया है। क्षेत्रों और फसलों के संदर्भ में एनएआईएस के कवरेज में सुधार लाने, एक मानदण्ड के रूप में दीर्घावधिक उपज दर तथा मुआवजे का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने की संभावनाएं विद्यमान हैं। क्षति आकलन के क्षेत्र को विकेंद्रित करके ब्लाकों से लघुतर इकाइयों तक ले जाने का निर्णय सावधानी पूर्वक लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले लाभों की तुलना में विकेंद्रीकरण की लागत और नैतिक खतरे बढ़ सकते हैं। अन्य संकेतक, जैसे कि वर्षा का उपयोग, प्राकृतिक कारणों से हुए नुकसान का आकलन किए जाने के लिए किया जा सकता है। कुछ राज्य अपनी स्वयं की फसल बीमा नीतियां बना रहे हैं, जिसमें मौसम बीमा भी शामिल है और जिन्हें उपयुक्त तरीके से सहायता दी जाएगी। फिर भी अगले कुछ वर्षों के लिए इसे एनएआईएस के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

1.68 शोधकर्ताओं ने जो एक और कमी की ओर संकेत किया है—वह है फसल बीमा के प्रति बैंकों का अपेक्षाकृत उदासीन रवैया। सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को कृषि कर्जदारों के लिए फसल बीमा अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बीमा से अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बैंकों की व्यवहार्यता को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही महत्वपूर्ण अन्य पहलू है योजना के कार्यक्रम में राज्यों की बृहत्तर भागीदारी। सरकार द्वारा कृषि बीमा को और व्यापक तथा उपयुक्त बीमा योजनाओं के जरिए सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में आईसीआईसीआई-लोम्बार्ड जनरल एन्श्योरेंस कंपनी और इफको-टोकियो जनरल एन्श्योरेंस कंपनी द्वारा वर्षा बीमा जैसी सफल योजनाएं चलाई गई हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्षा सूचकांक में विचलन के लिए कवरेज को विस्तारित किया गया है और साथ ही सामान्य से कम अथवा सामान्य से अधिक वर्षा के कारण हुई आर्थिक हानि के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। बीमा व्यवसाय के प्रति निजी क्षेत्र में पर्याप्त रुचि जगी है। बीमा कंपनियों के लिए आवश्यक प्रोत्साहन भी बनाई जाएंगी ताकि वे कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त बीमा उत्पाद बाजार में ला सकें।

विपणन

1.69 ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार तथा आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुव्यवस्थित बाजारों की आवश्यकता है। वर्तमान में कृषि बाजारों का विनियमन राज्य कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियमों के जरिए किया जा रहा है, जिसे आमतौर पर कृषि उत्पादन बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य विनियम अर्थात् अनिवार्य वस्तु अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत आने वाले विभिन्न नियंत्रण आदेश भी हैं। इन सबसे निरोधात्मक एवं एकाधिकारिक विपणन ढांचों का निर्माण हो गया है, जिनके कारण अप्रभावी प्रचालन तथा विपणन लागत में वृद्धि हो गई है। इनका दुष्प्रभाव कृषि उत्पादन एवं प्रणाली पर भी पड़ा है और इसके फलस्वरूप पण्यों का प्रवाह कम हुआ है और प्रतिस्पर्धा भी घटी है।

1.70 अनेक स्थानों पर बाजारों में बुनियादी संरचनाओं का भी अभाव है। जब एपीएमसी की शुरुआत पहली बार की गई थी, तब बाजार अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। हालांकि यह अवसंरचना अब पुरानी हो गई है, विशेषकर विविधतापूर्ण कृषि की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में एक चौथाई बाजारों में ही सुखाने वाले साझे आहाते, व्यापारी माड्यूल अर्थात् दुकान, गोदाम इत्यादि हैं और बाजार के 63% भाग में ही दुकानों के सामने चबूतरे हैं। उन बाजारों में शीत गृह इकाइयों की आवश्यकता है, जहां बिगड़ने वाली वस्तुएं आती हैं, परन्तु अभी तक यह व्यवस्था बाजार के 9% हिस्से में ही है। बुनियादी सुविधाएं अर्थात् आंतरिक सड़कें, चार दीवारी, बिजली के बल्ब, लोड करने तथा उतारने और माप उपकरणों की सुविधाएं 80% से अधिक बाजारों में उपलब्ध है 50% से अधिक विनियमित बाजारों में किसानों के लिए विश्राम गृह बने हुए हैं 2/3 विनियमित बाजारों में ही नीलामी के लिए घेराबंद अथवा खुले चबूतरे हैं। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि बाजार के आहातों में उपलब्ध सुविधाओं में पर्याप्त कमियां हैं, इसके साथ ही किसानों को मूल्य निर्धारण के अपारदर्शी तरीकों से भी निपटना पड़ता है और ग्रेडेड वस्तुओं की अक्सर नीलामी भी नहीं हो पाती है। कुछ आधुनिक बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू की गई है, परन्तु वे अपवाद स्वरूप ही हैं। अवसंरचना के इस पहलू का एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण तत्काल आवश्यक है।

1.71 अन्तर-मंत्रालयी कार्यबल की अनुशंसाओं के आधार पर कृषि मंत्रालय ने विपणन के संबंध में एक मॉडल कानून का प्रारूप तैयार किया है, जिससे निजी इकाइयों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा भी नए बाजार बनाए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। अनेक राज्य सरकारों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करके विभिन्न स्तरों पर इसमें लचीलापन लाने का प्रयास किया है। इन राज्यों द्वारा एपीएमसी में किए गए संशोधनों की वर्तमान स्थिति तालिका 1.11 दर्शाई गई है तथा अनेक राज्यों को अब भी उन प्रासंगिक नियमों की अधिसूचना जारी

करनी है जिनके पश्चात ये संशोधन पूर्णतः परिचालित हो जाएंगे। इन कदमों को शीघ्रता से पूरा करना होगा ताकि प्रत्यक्ष विपणन, अनुबंध कृषि तथा निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में बाजारों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके। ग्यारहवीं योजना में कृषि विपणन से संबंधित जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी उनमें शामिल हैं: विपणन प्रणाली सुधार तथा अनुकूल नीति पर्यावरण; विपणन अवसंरचना का संवर्धन तथा निवेश आवश्यकताएं; आईसीटी का उपयोग करके बाजार सूचना तंत्र में सुधार; तथा निर्यात/विदेशी व्यापार को बढ़ावा। अब हमें व्यावसायिक रूप से प्रबंधित थोक बाजारों के युग में प्रवेश करना आवश्यक है।

1.72 बाजार विनियम और विकास के संदर्भ में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:

- कृषि उत्पादन बाजार समितियों का नियमित चुनाव और विद्यमान विनियमित बाजारों की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता का विकास।
- बाजार शुल्कों का उपयोग विपणन सुविधाओं के विकास के लिए करना और बाजार आहातों/उप आहातों में बुनियादी ढांचों के सृजन और/अथवा उन्नयन के लिए निवेश करना।
- बाजारों में क्रियाकलाप करने हेतु भागीदारों, विक्रेताओं और क्रेताओं को बेहतर लोचनीयता उपलब्ध कराना।

- बाजार क्षेत्र में ग्रेडिंग, मानकीकरण पैकेजिंग तथा प्रमाणन को बढ़ावा देना।
- नीलामी प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, किसानों से लिए जाने मनमाने शुल्क पर जुर्माने का प्रावधान करना, किसानों को तुरन्त भुगतान करना, बाजार आसूचना का प्रसार करना तथा बाजार में झंझट मुक्त कारोबार को बढ़ावा देना।
- बड़ी संख्या में माप तौल प्रणाली लगाकर, तौल प्रणाली और हैंडलिंग में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार लाना।

1.73 विधिक रूपरेखा और राजकोषीय मामलों से संबंधित चिंताएं भी हैं, जिन पर ग्यारहवीं योजना के दौरान ध्यान देना होगा। इनमें से कुछ हैं; बाजार प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए कृषि वस्तुओं में राज्य स्तरीय कर ढाँचे में एकरूपता लाने की आवश्यकता; कच्चे कृषि वस्तुओं पर करों और शुल्कों को तर्कसंगत बनाना; राज्य स्तरीय करों को सुसंगत बनाते हुए तथा सुविधाजनक केन्द्रों पर उनका झंझट मुक्त संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सीमाओं के भीतर माल की आवाजाही पर लगे वास्तविक प्रतिबंधों को हटाना। इसके अतिरिक्त पूरे देश को एकीकृत तथा समन्वित राष्ट्रीय बाजार का रूप देना होगा। आवश्यक (संशोधन) अधिनियम को अधिसूचित किया जाना चाहिए, ताकि मांग आपूर्ति विस्थापन, बाजार विपथ गमन और मूल्य अस्थिरता जैसी अपवादिक स्थितियों के दौरान व्यापार एवं विपणन प्रबंधों का प्रावधान किया जा सके।

तालिका 1.11

अक्टूबर 2006 की स्थिति के अनुसार कृषि बाजार (एपीएमसी अधिनियम) सुधारों में हुई प्रगति

सुधारों का चरण	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम
1. राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जहां प्रत्यक्ष विपणन, अनुबंध कृषि तथा निजी/सहकारी क्षेत्रों के बाजारों के लिए एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किए गए हैं।	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोआ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा
2. राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जहां एपीएमसी अधिनियम आंशिक संशोधन किया गया है।	क) <i>प्रत्यक्ष विपणन:</i> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश ख) <i>अनुबंधकृषि:</i> हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ ग) <i>निजी/सहकारी क्षेत्रों में बाजार:</i> कर्नाटक (सिर्फ एनडीडीबी), पंजाब, चण्डीगढ़
3. राज्य संघ शासित क्षेत्र, जहाँ एपीएमसी अधिनियम नहीं है और इसलिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है	केरल, मणिपुर, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप। बिहार में एपीएमसी अधिनियम को रद्द कर दिया गया है।
4. राज्य संघ शासित क्षेत्र, जहां एपीएमसी अधिनियम में पहले से ही संशोधन किए गए हैं।	तमिलनाडु
5. राज्य संघ शासित क्षेत्र, जहाँ संशोधनों के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की पहल की गई है।	मिजोरम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश।

स्रोत: कृषि सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी।

1.74 संसद द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमों और विनियमों को शीघ्र बनाकर उन्हें अधिसूचित किया जाना चाहिए। मालगोदाम (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 को भी संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। इससे वार्ता आधारित माल प्राप्ति प्रणाली को शीघ्र लाया जाना सुविधाजनक हो सकेगा। प्रमाणित माल गोदामों और उनकी प्राप्तियों के लिए एक प्रत्यायन एजेंसी की स्थापना, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्थाओं और पंचायतों को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है ताकि ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीण गोदाम विशेष मानकों और परमितों के आधार पर बनाए जा सकें।

फसल कटाई के बाद का प्रबंधन

1.75 अभी विभिन्न बागवानी फसलों में फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति का प्रतिशत 20 से 30 है। फसल कटाई के बाद अपर्याप्त अवसंरचना विकास के कारण होता है। बागवानी के ताजे उत्पादों के लिए कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड डब्बे, छिद्रित डब्बे, क्लिंग फिल्मस, थैलियां, आवरण इत्यादि का मानकीकरण किया गया है। विभिन्न उत्पादों के गत्ते के चौकोर डब्बे अब घर-घर में देखे जा सकते हैं।

कृषि-प्रसंस्करण

1.76 कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास से ही बागवानी उत्पाद की मांगों को रखा जा सकता है। वस्तुतः फलों के पाउडर से बनाए गए मिश्रित दूध, फलों के रस, केलों के चिप्स एवं फिंगर चिप्स तथा आम का रस, कोको के विकल्प से प्राप्त गुदे, खट्टे फलों से प्राप्त अनिवार्य (एसेन्सियल) तेल, अंगूर, अनार, आम, खुमानी तथा नारियल के सूखे उत्पाद, अंगूर की शराब, स्नोबाल, नारियल पानी (कोको जल) इत्यादि जैसे उत्पादों की मांग उतरोत्तर बढ़ रही है। चाय और काफी के संशोधित मिश्रण/पैकेजिंग के नए बाजार बन गए हैं। फ्रोजन मटर, उपयोग के लिए तैयार सलाद, अंकुरित सब्जियाँ, पकाने के लिए तैयार कटी हुई सब्जियाँ जैसे उपभोक्ता हितैषी उत्पाद आजकल खुदरा व्यापार की मुख्य वस्तुएं बन गई हैं। कृषि-उपभोक्ता संपर्क में इस पहलू का विकास करने में निजी सहकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, परन्तु अभी भी यह अपेक्षा से काफी कम है।

यंत्रीकरण

1.77 संशोधित उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए विभिन्न मशीनें बनाई गई हैं, जिनसे खेत को जोतने, कृषि संबंधी कार्यों जैसे कि फसल काटने, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा मूल्य संवर्धन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। आम तोड़ने, कीनू तोड़ने, आलू खोदकर निकालने, नारियल छीलने इत्यादि के लिए मशीनें बनाई गई हैं, जिन्हें जगह-जगह पर

स्थापित किया गया है। इसके साथ ही आलू तथा प्याज के अंकुरण, विभिन्न उत्पादों को सुखाने, आम के प्रमुख क्षेत्रों में वाष्प-ताप उपचार, नारियल पानी, केले, अंजीर की पैकेजिंग और चिप्स तैयार करने वाले मशीन भी लगाए गए हैं।

पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा मात्स्यिकी

1.78 भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है और यह भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान लगभग 4.5% है और इस क्षेत्र में कुल कार्यबल का लगभग 5.5% नियोजित है। विशेष रूप से शुष्क तथा अर्द्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में यह परिवार की आय को स्थायित्व प्रदान करता है और साथ ही सूखे अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में संबल भी प्रदान करता है। पशुधन की अधिकांश जनसंख्या सीमान्त और लघु आकार के जोत क्षेत्रों में सीमित है। दसवीं योजना के दौरान इसमें 3.6% की दर से वृद्धि हुई है।

1.79 पशुधन क्षेत्र के लिए 11वीं योजना में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं। 1) इस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 6% से 7% के बीच समग्र वृद्धि दर प्राप्त करना और दुधारू पशुधन के संबंध में प्रति वर्ष 5.0% तथा मास और मुर्गी क्षेत्र में 10% प्रति वर्ष की विकास दर दर्ज करना। 2) विकास का लाभ न्यायोचित व समान होना चाहिए, जिससे मुख्यतः लघु एवं सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को लाभ हो और यह मुख्यतः सूखे, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। 3) बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पर्याप्त पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। 4) इस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने। 5) पशुधन को उन चुनिन्दा क्षेत्रों में आय का एक प्रमुख स्रोत बनना चाहिए जहां फसल-पशुधन मिश्रित प्रणाली की संभावनाएं हैं और 6) इस क्षेत्र के विकास से पर्यावरण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार आना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण के पश्चात पशुधन क्षेत्र में भी विपणन अवसर उपलब्ध हुए हैं। परन्तु अच्छी समर्थन सेवाओं, जो अभी मुख्यतः सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जा रही हैं, के अभाव में यह क्षेत्र बाजार में अवसरों का उपयोग नहीं कर पाया है। इसके अतिरिक्त ये सेवाएं उत्पादकों के दरवाजे पर उपलब्ध नहीं हैं। सेवा डिलिवरी तंत्र को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह ग्रामीण पशुधन उत्पादकों की आवश्यकता के अनुकूल बन सके। पशुधन उत्पादन के लिए कर्ज का अभाव एक बड़ी समस्या रही है। अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा काफी कम कर्ज दिया जा रहा है। इन विकृतियों को सही करने तथा पशुधन किसानों को कर्ज देने सहित इन्हें अन्य सामग्रियां और सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाई जानी चाहिए।

1.80 वर्तमान में मात्स्यिकी और जल कृषि का योगदान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 1.04% और कृषि तथा संबंधित गतिविधियों में 5.34% है। मात्स्यिकी क्षेत्र पूर्णकालिक रूप से 9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है और 11 लाख लोगों को अंशकालिक रूप से परन्तु इनके रोजगार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते रहते हैं। ग्यारहवीं योजना के अन्त तक मात्स्यिकी क्षेत्र से किया जाने वाला अनुमानित निर्यात मात्रा के हिसाब से 1.06 मिलियन टन और मूल्य के हिसाब से 15 हजार करोड़ रूपए होगा। मात्स्यिकी निर्यात का भविष्य खाद्य सुरक्षा उपायों (एचएसीसीपी तथा एसपीएस मानकों) का निरन्तर अनुपालन किए जाने पर निर्भर करता है।

1.81 किसी भी प्रकार की कृषि गतिविधियों के लिए बीज एक महत्वपूर्ण सामग्री है। इसलिए बीज के उत्पादन, पोषण, परिवहन और इसकी गुणवत्ता संबंधी पहलुओं को मजबूत बनाने की दृष्टि से इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जलाशयों, सिंचित क्षेत्रों तथा तालाबों में गर्भ केशरों के बीजों की अनुमानित आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 34,400 मिलियन है। गुणवत्ता, तकनीकी दक्षता तथा देश में मात्स्यिकी के प्रबंधन में लगे मानव संसाधन का विकास तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप करके ही मात्स्यिकी क्षेत्र में स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए मात्स्यिकी विकास कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों का एक विशेष संवर्ग बनाने की आवश्यकता है, जो इन कार्यों को निष्पादित कर सके। समुद्री अथवा गैर समुद्री जलों में मछलियों की उपलब्धता अनेक प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। मात्स्यिकी राज्य का एक विषय है, इसलिए उन विभिन्न अधिनियमों को सुसंगत बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करनी होगी, जिनके द्वारा मात्स्यिकी के विषय को प्रशासित किया जाता है, इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों का भी समाधान करने में सहायता मिलेगी।

वर्षा सिंचित कृषि

1.82 हमारे देश के वर्षा जन्य क्षेत्र जो कुल जोत क्षेत्र का 60% हैं और जो ग्रामीण गरीबों तथा सीमांत किसानों के क्षेत्र हैं, पर आरंभ से ही ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वहां न तो विशेषीकृत प्रौद्योगिकियां, संस्थाएं, अवसंरचनाएं एवं निवेश ही पहुंच पाया। इन क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा बीमारी, कृषि क्षेत्र में गरीबी, गरीबी के कारण पलायन, सीमित रोजगार अवसर तथा अन्य उच्च जोखिम विद्यमान है। इन स्थितियों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों की जनसंख्या बहुधा विभिन्न सामाजिक ढाँचों और प्रथाओं का शिकार होती हैं, सरकारी विभाग इन पर ध्यान नहीं देते तथा सेवाओं का विस्तार नहीं हो पाया है। पानी की कमी के कारण बार-बार आने वाली सूखे की भयंकर समस्या से इन गरीब ग्रामीणों की आजीविका

प्रभावित हुई है। अतः सहभागिता पर आधारित जलागम विकास परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण आजीविका में सुधार किए जाने की आवश्यकता है और जो समेकित कृषि प्रणाली दृष्टिकोण द्वारा संवर्धित भी हो जिससे स्थाई आधार पर उत्पादकता बढ़े और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने में योगदान मिल सके।

1.83 1985-96 की अवधि में वर्षा आधारित कृषि में उच्च विकास दर के बाद, 1996 से यह वृद्धि सिंचित क्षेत्र से कम देखी गई, जिसका आंशिक कारण था-वनस्पति तेलों संबंधी व्यापार में खुलापन और वर्षा आधारित फसलों का प्रभावहीन घरेलू समर्थन मूल्य। अतः अन्तर्राष्ट्रीय परिष्कृत प्रौद्योगिकी के लिए घरेलू समर्थन मूल्य को स्थिर करने की जरूरत है। मौजूदा प्रौद्योगिकियों में उत्पादकता अन्तरालों को भरने और उचित विस्तार मेकैनिज्म के माध्यम से उनके विस्तारण, इनपुटस संस्थानों की आपूर्ति एवं उचित शासन के लिए प्रयास करने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में मोटे अनाज के स्थान पर दाल की फसलें उगाई जानी लगी है, जिनके लिए दालों के परिष्कृत बीज उपलब्ध कराकर उसमें और विकास करने की आवश्यकता है। इसके लिए विशिष्ट सल्फर और फास्फेट पोषक तत्व एवं बेहतर बाजार लिंकेज भी उपलब्ध कराना होगा। पूर्वी भारत में वर्षा आधारित चावल की उत्पादकता में सुधार से देश में खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। इसी प्रकार इथोनल उत्पादन के लिए स्वीट सरगम (ज्वार) में भी सापेक्ष रूप में शुष्क दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में स्पर्धा आ सकेगी। स्वीट सरगम की कृषि के लिए, कृषि में और मूल्यवर्धन में फसल अवशेषों को चारे या फीड स्टॉक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उसी स्थान पर वर्षा जल के संरक्षण के माध्यम से जोखिम मॉडरेशन, परम्परागत जल निकायों के पुनःउदारीकरण और एकत्रित किए जल की क्षमता सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि जलवायु की विभिन्नता में असुरक्षा को कम किया जा सके। पशुधन, कृषि-वानिकी और शुष्क-भूमि बागवानी एवं प्रसंस्करण, भंडारण एवं मूल्य-वर्धन आदि के जरिये इन वस्तुओं की जोखिम और अनिश्चितता के प्रबंधन हेतु मेकैनिज्म करना महत्वपूर्ण है। वर्षा आधारित सोयाबीन की फसल में प्रमुखता से विविधिकरण एवं विस्तारण द्वारा बाजारी लिंकेज एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे अन्य वस्तुओं के मामले में भी अपनाया जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण योगदान देने वाली फसले भी हैं जैसे सीड स्पाइसिज, ग्वार, औषधीय फसलें, जो समष्टि स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें मूल्य संबंधी आवधिक गिरावट से बचने के लिए ठेका आधारित खेती विकसित करने की आवश्यकता है। वर्षा आधारित क्षेत्रों की जरूरत अधिक सापेक्षी भी है। जोखिम को कवर करने के लिए पुनर्भुगतान रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए, उदाहरण के लिए भुगतान अवधि विस्तारण सहित कुल जीवनयापन पोर्टफोलियो अधिक उचित रहेगा। रोजगार

गारंटी स्कीमों, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, कृत्रिम भूजल रिचार्ज के साथ अभिसरण और साथ में मौजूदा जल निकायों के नवीकरण को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों की पूरकताएं प्राप्त की जा सकें। भूमिहीनों, सम्पदाविहीनों, कास्तकारों और छोटे और मंजोले किसानों की दक्षताओं को बढ़ाकर उनका विकास किया जाए, ताकि बाजारी मांगो का ध्यान रखा जा सके। इन क्षेत्रों में खेती प्रणाली में जैव ईंधन की सघनता के माध्यम से जीवन-यापन की सुरक्षा को काफी हद तक सुरक्षित किया जा सकता है। पायलट आधार पर समग्र जिला कृषि योजना" की पहल की गई है, ताकि ऐसी विभिन्नताओं को पकड़ते हुए उचित रणनीतियां विकसित की जा सकें।

1.84 विभिन्न संगठनों और विभागों द्वारा जलागम विकास परियोजनाओं के संबंध में प्रणालीपूर्ण समीक्षाओं और मूल्यांकनों से जल संभर आधारित दृष्टिकोण की महत्ता प्रतिपादित होती है-

- पूर्ण किए गए जलागम विकास क्षेत्रों में मृदा क्षरण तथा सतह क्षरण में 52 प्रतिशत से 58 प्रतिशत की कमी।
- विभिन्न जल संभरों में 34 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक सिंचित भूमि के क्षेत्र में वृद्धि।
- बुआई क्षेत्र की सीमा, में वृद्धि व फसल की गहनता में वृद्धि।
- फसलों की उत्पादकता/उपज और शुद्ध लाभ में वृद्धि (63 प्रतिशत तक)
- जलसंभर का लाभ लागत अनुपात 1.10 से 15.72 होता है जो उपर्युक्त कारकों पर निर्भर करता है।
- परियोजना के सभी गाँवों में पेयजल तथा भू-जल स्थिति में सुधार।
- जिन गाँवों में जल संभर परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है वहां चारे की उपलब्धता, रोजगार अवसरों में वृद्धि (सीमित मामलों में समान मजदूरी) तथा आय सृजन अवसरों में भी महत्वपूर्ण सुधार आया है।
- मानव और पशु के पलायन में भी महत्वपूर्ण कमी आई है।

1.85 इन निष्कर्षों से पता चलता है कि देश में वर्षा जन्य क्षेत्र कार्यक्रम का विस्तार करने के वैध कारण हैं।

1.86 1994 से क्रियान्वित की जा रही समेकित जलागम विकास परियोजनाओं की परियोजना प्रबंधन करने के क्षेत्र में विलक्षण क्षमताएं हैं और इसलिए इन्हें संवर्धित किया जाना चाहिए। (बॉक्स 1.1 देखें)।

1.87 अब तक क्रियान्वित जलागम विकास परियोजनाओं के लाभों/क्षमताओं तथा कमजोरियों के विश्लेषण से भविष्य में इनके निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित अनिवार्य दिशा-निर्देश सुझाव सामने दिए हैं। ये हैं—

- निष्पक्षता: जल संभर विकास परियोजनाओं को संवर्धित भूमि उत्पादकता का उपकरण माना जाना चाहिए।
 - विकेन्द्रीकरण: पंचायती राज संस्थाओं की समग्र रूपरेखा, स्थानीय स्थितियों के अनुरूप व्यावसायिक और समर्पित मानव संसाधन तथा परिचालनात्मक लचीलेपन के अन्तर्गत उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थापना, जिससे विकेन्द्रीकृत नीति निर्णय को बढ़ावा मिल सके।
 - मध्यस्थ एजेंसियां- सामाजिक प्रोत्साहन, सामुदायिक संगठन आयोजना तथा क्रियान्वयन, जिससे न्यायोचित व्यवस्थाएं इत्यादि सुनिश्चित की जा सकें और समुदायों का क्षमता निर्माण व्यावसायिक टीमों द्वारा किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता पड़ेगी।
 - सामुदायिक भागीदारी की प्रमुखता: परियोजना क्रियान्वयन के दौरान सामुदायिक संगठनों को ग्राम सभा के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और वे इसके प्रति उत्तरदायी भी हों तथा क्षेत्र में चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों के अभिसरण के लिए ग्राम पंचायतों का समर्थन होना चाहिए।
 - मॉनिटरिंग, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा शिक्षण: विभिन्न मानदण्ड बनाना, सहभागी मूल्यांकन की प्रक्रिया को संस्थागत रूप देना तथा शिक्षण महत्वपूर्ण उपकरण हैं। एक सहभागी परिणाम/प्रभाव-उन्मुख तथा उपभोक्ता हितैषी दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए।
 - क्षमता निर्माण तथा साफ्टवेयर सहायता: विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय से स्थानीय) पर महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण सूचना सामग्रियों की उपलब्धता दीर्घावधिक व्यवस्थाओं के जरिए सुनिश्चित करना तथा इस प्रयोजनार्थ वित्तीय संसाधन आवंटित करना भी महत्वपूर्ण है।
 - संगठनात्मक पुनर्गठन: राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा परियोजना स्तरों पर उपयुक्त तकनीकी एवं व्यावसायिक समर्थन ढांचों की स्थापना तथा परियोजना के प्राधिकारियों, क्रियान्वयन एजेंसियों और सहायक संगठनों के बीच प्रभावी क्रमिक भागीदारी का विकास प्रभावी परियोजना प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
- 1.88** विकृत भूमि की सीमा का आकलन 55 मिलियन हैक्टेयर से 175 (मि० है०) तक होता है। योजना आयोग की 25 वर्षीय योजना 1997 के अनुरूप 13वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जल संभर कार्यक्रम के अन्तर्गत 88.5 (मि० है०) तक इसे बढ़ाया जाना है। उपर्युक्त में से 22.2 (मि० है०) का विकास पहले ही जल संभर परियोजना के जरिए नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर लिया गया है। उपर्युक्त आंकड़ों (आईसीएआर-एनआरएसए-एनआरएए विशेषज्ञ समूह 2007) को सुसंगत बनाने

बॉक्स 1.1:
1994 के पश्चात भारत में जलागम विकास परियोजनाओं के गुण और दोष

गुण

- परियोजना प्रबंधन से संबंधित:
 - सभी मंत्रालयों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं
 - वित्तीय पहलुओं सहित समुदाय आधारित परियोजना प्रबंधन
 - क्षमता निर्माण कार्यसूची के लिए समर्थन (समुदाय संगठन एवं प्रशिक्षण)
 - परिसंपत्तियों के अनुसंधान के प्रावधान
 - गैर सरकारी संगठन की औपचारिक भूमिका तथा सरकार और गैर सरकारी संगठन के बीच भागीदारी
 - राज्य/जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन के लिए कार्यात्मक स्तर पर अनेक मॉडल विकसित हुए हैं
- परियोजना की विषय वस्तु से संबंधित
 - लघु जल संभर क्षेत्र पर विशेष बल देते हुए समेकित प्रक्रतिक संसाधन-प्रबन्धन (एनआरएम) दृष्टिकोण
 - द्विपक्षीय परियोजनाओं को जारी परियोजनाओं के साथ मिलाया गया जिससे परियोजना का क्षेत्र विविधतापूर्ण बना
- कार्रवाई से संबंधित
 - समुदाय स्तरीय नीति निर्णय, जलागम विकास परियोजनाओं का निष्पादन
 - सामुदायिक स्तर पर कोष प्रबंधन
 - पंचायती राज्य संस्थान तथा सामुदायिक संगठनों (पीआरआई) (सेवाओ) की विशेष भूमिका
 - ब्लॉक निर्माण दृष्टिकोण (संस्थागत व्यवस्थाओं के ब्लॉक निर्माण से उपभोक्ता समूह, स्व-सहायता समूह)
 - परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पष्ट समर्थन और संस्थागत व्यवस्था (पीआईए तथा डब्ल्यूडीटी)

दोष

- परियोजना प्रबंधन से संबंधित:
 - राज्य/जिला स्तरों पर कोई समर्पित परियोजना प्रबंधन टीम का अभाव
 - क्षमता निर्माण सेवाओं (मानव संसाधन) की बेअसर डिलिवरी
 - सरकारी संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच भागीदारी की अनिश्चितता
 - राज्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जलागम परियोजनाओं को अधिक प्राथमिकता न देना
 - अच्छे अनुभवों का प्रभावीपूर्ण उपयोग न किया जाना
- परियोजना की विषय वस्तु से संबंधित
 - समेकित दृष्टिकोण के स्थान पर अभियांत्रिकी संसाधन पर विशेष बल
 - उत्पादकता एवं आजीविका से संबंधित कार्य सूची को सीमित औपचारिक समर्थन
 - परियोजना के बाद के कार्यों को नजरंदाज किया जाना (कनसर्जेंस का अभाव)
- कार्रवाई से संबंधित
 - परियोजना टीमों द्वारा सहभागी दृष्टिकोण का सीमित आंतरिक उपयोग
 - प्रचालनात्मक स्तर पर निष्पक्षता एवं लिंग संबंधी चिन्ताओं के प्रति दिखावटी प्रेम
 - सामुदायिक स्तर पर कमजोर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा सीवीओ की कम होती भूमिका

के ताजे प्रयास से यह पता चला है कि विकृत भूमि, जिसका जल संभर विकास परियोजनाओं के अंतर्गत विकास किया जा सकता है, कुल 64 (मि० है०) है जिसमें 50 (मि० है०) जल अपरदित 5 (मि० है०) पवन अपरदित तथा 9 (मि० है०) अधिसूचित वन क्षेत्र है। समेकित जलागम विकास कार्यक्रम के जरिए ग्यारहवीं योजना के दौरान 36.6 (मि० है०) का विकास करने का प्रस्ताव है। शेष क्षेत्र अर्थात् 29.7 एमएच को बाद की पंचवर्षीय योजना में विकास हेतु रखने पर विचार किया जाएगा।

1.89 ग्यारहवीं योजना में मरू-भूमि विकास योजना (डीडीपी) तथा डीपीएपी सूखा-प्रभावित क्षेत्र विकास योजना ब्लॉक में असंसाधित क्षेत्रों के विकास तथा कृषि मंत्रालय की जल संभर विकास परियोजनाओं पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उन गावों का विकास करने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता, है जहां जमीन से पानी खींचा जाता है। इस प्रयोजनार्थ 100 जिलों के 425 ऐसे प्रखण्डों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ भूमि जल स्तर अत्यन्त नीचे चला गया है क्षीण हो गया है और

जहाँ कुएं की संख्या काफी अधिक है। ग्यारहवीं योजना के दौरान समेकित जल संभर विकास परियोजनाओं में बंजर, अर्द्ध बंजर तथा शुष्क सह-आर्द्र क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

1.90 वर्षा जन्य क्षेत्रों के लिए एक समेकित दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कृषि प्रणाली दृष्टिकोण पर बल दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों में जल संभर प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए साझे दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें हाल ही में सृजित राष्ट्रीय वर्षा जन्य क्षेत्र प्राधिकरण के अन्तर्गत रखा जाएगा। यह प्राधिकरण कृषि उत्पादों में सुधार लाने के लिए एक जल संभरों के अतिरिक्त अन्य परियोजना चलाने के लिए कार्य करके इसमें कृषि जलवायु स्थितियों के उपयुक्त फसल कृषि कर्म पशु धन, बागवानी इत्यादि पर समेकित रूप से बल दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी।

1.91 ग्यारहवीं योजना में 36.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि के संसाधन के लिए अनुमानतः 36,600 करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से लगभग 23 हजार करोड़ ही उपलब्ध होने की संभावना है (ग्रामीण विकास मंत्रालय से 17 हजार करोड़ रूपए और कृषि मंत्रालय से 6 करोड़ रूपए), यह विचार किया जा रहा है कि एनआरईजीए तथा बीआरजीएफ कार्यक्रमों के अभिसरण के जरिए पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। राज्य सरकारों से अतिरिक्त वित्त पोषण की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

सामाजिक संदर्भ: निष्पक्षता और प्रवीणता के लिए भू-संपदा विषयक संबंधों का आधुनिकीकरण

1.92 भारत में गरीबों की एक विशाल संख्या के लिए जमीन ही प्राथमिक संसाधन है जिस पर खेती करके वे अपनी जीविका चलाते हैं। भूमि प्रशासन अनेक कमियों का शिकार है, अस्पष्ट स्वामित्व, अनौपचारिक काश्तकारी व्यवस्थाओं तथा अन्य संबंधित समस्याओं से न सिर्फ कृषि की उत्पादकता दुष्प्रभावित हुई है, बल्कि इससे रोजगार की खोज में भूमिहीन और सीमांत किसानों, भू-स्वामियों का शहरों में मजबूरन पलायन भी हुआ है जिससे अनुपस्थित जमींदारी का उदय हुआ जो भूमि पर कब्जा किए जाने के भय से अपनी जमीन को पट्टे पर देने से डरते हैं। इसलिए एक प्रभावकारी और भ्रष्टाचार मुक्त भूमि प्रशासन और गतिशील अनुकूल भूमि नीति की कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। एक प्रभावकारी भूमि नीति के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं —

- भूमि रिकार्डों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण
- भूमि की उच्चतम सीमा से संबंधित सुधार

- भूमि हदबंदी अधिकारों की सुरक्षा
- काश्तकारी कानूनों से संबंधित सुधार
- आदिवासियों की भूमि संबंधी अधिकारों का संरक्षण
- कृषि सेवाओं तक पहुंच

भूमि रिकार्डों तथा स्वामित्व प्रबंधन का आधुनिकीकरण

1.93 भूमि अधिकारों की सुरक्षा तथा निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिए सही और अद्यतन भूमि रिकार्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम विवाद एवं संघर्ष होने और भूमि का सहवर्ती उपयोग हो सकेगा और इसके साथ ही कारोबारी लागत कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, प्रभावकारी भूमि बाजार सुनिश्चित होगा और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भूमि सुधार एवं आयोजना को क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी।

1.94 अब तक के प्रयास भूमि के मूल रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण करने की प्रणाली पर केन्द्रीकृत रहे हैं। हालांकि इसके लाभ सीमित हैं जब तक कि निर्धारित समय सीमा के भीतर में इन भूमि रिकार्डों को सही और अद्यतन न कर लिया जाए। प्रभावी तथा आधुनिक भूमि प्रशासन की स्थापना करने के उपाय निम्नलिखित हैं—

- पंजीकरण तथा खारिज-दाखिल को समेकित करके इसे विलेखों के पंजीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। विलेखों का पंजीकरण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी को सौदे की वैधता तथा सौदे की जाँच कर लेने की दोनों पक्षों की क्षमता की वैधता की जाँच कर लेनी चाहिए। पिछले 50 वर्षों अथवा संबंधित राज्य के कानूनों द्वारा निर्धारित अवधि के रिकार्डों का भी कंप्यूटरीकरण किया जाना चाहिए जिससे कि मालिकाना हक का पंजीकरण स्पष्ट और विवाद रहित हो।
- सभी राज्यों में स्थानीय रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण किया जाना चाहिए और साथ भूकर मानचित्रों का अंकीयकरण भी किया जाना चाहिए।

1.95 सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में उपर्युक्त आधार पर प्रणालियों की स्थापना करना चाहिए। मैप-टू-स्केल; के साथ वहां के नागरिकों को रिकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में), निवास प्रमाण पत्र इत्यादि बनाने में सुविधा होगी। इसके साथ ही उन्हें विकास कार्यक्रमों की पात्रता, भूमि पास बुक तथा कृषि ऋण और सहकारी बैंकों तथा ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी।

1.96 उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त आँकड़ों के निम्नलिखित 3 स्तरों को समेकित करना भी उपयोगी रहेगा: (क) वन सारांश मानचित्र, (ख) भूकर मानचित्र, (ग) राजस्व रिकार्ड। इससे वे जीआईएस पैटर्न से अपने आपको परिचित कर पाएंगे जिससे कि आयोजना विकास नियामक एवं आपदा प्रबंधन गतिविधियों तथा किसी स्थान विशेष की जानकारी भी ले पाएंगे।

1.97 मूल एवं स्थानिक रिकार्डों के कंप्यूटरीकरण एवं पंजीकरण कार्यालय के एकीकरण से वर्तमान की "विलेख" आधारित प्रणालियों की जगह से "स्वायत्त आधारित" "टोरेण" प्रणाली में आने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विलेख दस्तावेज स्वामित्व का साक्ष्य है और यह वास्तविकता को परिलक्षित करता है। इससे स्वामित्व को सुनिश्चित करने पर आने वाली लागत नगण्य हो जाएगी और राज्यों द्वारा स्वामित्व की गारंटी भी दी जा सकेगी।

1.98 वर्तमान केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं, जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, भूमि रिकार्डों के कंप्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन के सुदृढीकरण से संबंधित हैं। इन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसका शुभारंभ शीघ्र ही प्रत्येक राज्य के एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में किया जा रहा है। अगले दो वर्षों में इस विचारधारा के साक्ष्य के वैध बनने के पश्चात यह योजना संपूर्ण राष्ट्र में कार्यान्वित की जाएगी। आशा की जाती है कि 12वीं योजना के अन्त तक व्यापक भू-सर्वेक्षणों के पश्चात भूमि रिकार्डों का अंकीकरण कर लिया जाएगा। यह भी आशा की जाती है कि इस बुनियादी रिकार्ड के सुनिश्चित हो जाने के पश्चात हमारा देश 13वीं पंचवर्षीय योजना में "टोरेण" प्रणाली की ओर आकर्षित होगा।

भूमि हदबंदी सीमा से संबंधित सुधार

1.99 भूमि सुधार का एक बुनियादी उद्देश्य था- भूमि का न्यायोचित बंटवारा करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का मुख्य उपकरण था भूमि की उच्च सीमा पर प्रतिबंध लगाना जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित किया गया था। कृषि जोत पर उच्च सीमा निर्धारित करने से संबंधित कानून 1950 और 1960 के दशकों में अनेक राज्यों द्वारा अधिनियमित किए गए। इनके क्रियान्वयन का प्रभाव विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रहा। विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आधार पर जो अतिरिक्त भूमि का अनुमान लगाया गया था, उसकी तुलना में घोषित अतिरिक्त भूमि काफी कम रही। अतः स्पष्ट है कि सुधार के उपाय इच्छित प्रभाव प्राप्त करने में असफल रहे हैं। अब तक अतिरिक्त घोषित कुल भू-क्षेत्र मात्र 73.5 लाख एकड़ में 53.9 लाख एकड़ का ही वितरण किया गया है। कानूनी पचड़े के कारण शेष अतिरिक्त जमीन का वितरण नहीं हो पाया है।

1.100 इस बात की भी व्यापक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उच्च सीमा कानूनों के तहत ग्रामीण गरीबों को आवंटित भूमि पर अभी उनका कब्जा नहीं हो पाया है। कुछ मामलों में यह भी आरोप लगाया गया है कि लाभार्थियों को पट्टे तो जारी किए गए परन्तु पट्टे में दर्शाई गई भूमि का कब्जा उन्हें नहीं दिया गया और इसके साथ ही रिकार्डों में नामों का परिवर्तन नहीं किया गया। यह भी अनुभव रहा कि अतिरिक्त भूमि आवंटित किए जाने वाले ग्रामीण गरीबों को पूर्व के भू-स्वामियों द्वारा कानूनी पचड़े में फंसाया गया जिनके विरुद्ध आवंटी अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे। इसके अतिरिक्त अनेक बेनामी और गुप्त खरीद फरोख्त से भारी मात्रा में जमीन अवैध कब्जे में है। इन्हीं कारणों से उच्च सीमा कानूनों के क्रियान्वयन के परिणाम अब तक संतोषजनक नहीं रहे हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं-

- चूंकि सीलिंग से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाली जमीन भूमिहीन गरीबों को वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रयास किया जाना चाहिए कि न्यायालय में चल रहे मामलों का द्रुत निपटान करके कानूनी मामले में फंसी जमीन को मुक्त कराया जाए और उन्हें गरीबों में बांटा जाए।
- उन मामलों में जिनमें जमीन तो बांटी गई है, परन्तु लाभार्थी कब्जा नहीं पाने अथवा जमीन का स्वामित्व सुपरिभाषित नहीं होने के कारण जमीन का उपयोग कर पाने की स्थिति में नहीं है। इन मामलों का सर्वेक्षण करके इन पर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।
- बेनामी और काल्पनिक खरीद फरोख्त की पहचान करने के लिए राजस्व कार्मिकों और ग्राम सभा सदस्यों का एक विशेष दल बनाया जाना चाहिए जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह कार्य करे।
- उन सरकारी जमीनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, जिनका अतिक्रमण अपात्र लोगों द्वारा कर लिया गया है और इन जमीनों की पहचान करके, इन्हें भूमिहीनों में बांटा जाना चाहिए। सरकारी जमीनों की संपत्ति की एक सूची बनाई जानी चाहिए और जहाँ कहीं भी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है इसे उसे भूमिहीन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए।
- भूमि के रूप में संपत्ति से गरीबी में कमी आ सकती है। हालांकि यदि सरकारी भूमि का वितरण ही विकल्प नहीं है तो राज्य द्वारा उन जमीनों की खरीद अथवा अधिग्रहण और फिर गरीबों या गरीबों के समूह में उसके वितरण पर विचार किया जाना चाहिए।

आदिवासियों के भूमि संबंधी अधिकारों का संरक्षण

1.101 अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के पास जो एक स्पष्ट उत्पादक परिसंपत्ति है वह उनकी जमीन है। आदिवासियों का अपनी भूमि से अत्यन्त सुदृढ भावनात्मक लगाव होता है। आदिवासियों की

कुछ सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक रीति-रिवाज भी उनकी जमीनों से जुड़ी होती हैं इसलिए जमीन का उनके जीवन में एक ध्रुवीय स्थान होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आदिवासी भूमि का सामुदायिक स्वामित्व अभी भी आदिवासी समाजों की एक महत्वपूर्ण प्रथा है और यह अभी भी निजी स्वामित्व से महत्वपूर्ण है।

1.102 आज जो अनेक आदिवासी जिलों में उग्रवादी गतिविधियों का प्रकोप है उसे आदिवासी भूमि को छीने जाने सहित भूमि से संबंधित अन्य मुद्दों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये हैं-

- आदिवासियों द्वारा अन्य आदिवासियों तथा गैर आदिवासियों को भूमि की बिक्री और हस्तांतरण।
- ऋणग्रस्तता और इसके परिणामस्वरूप भूमि की बिक्री।
- गैर आदिवासियों अथवा लोक प्राधिकारियों द्वारा आदिवासियों को उनकी भूमि से जबर्दस्ती हटाना तथा आदिवासी भूमि पर अनाधिकार कब्जा।
- भूमि का सामुदायिक स्वामित्व से निजी स्वामित्व में परिवर्तन।
- वन क्षेत्रों पर पारंपरिक रूप से अपना कब्जा रखने वाले आदिवासियों को अतिक्रमणकारी मानना।
- विभिन्न योजनाओं के तहत आदिवासियों को सरकारी भूमि का आवंटन किया जाना परन्तु उन पर उनका कब्जा नहीं होना।
- बहुदेशीय सिंचाई एवं बिजली परियोजनाओं, खनन उद्योग, राजमार्गों तथा शहरीकरण के कारण बड़े पैमाने पर उनका विस्थापन।
- आदिवासी अधिवासों के नजदीक पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियां जिसके कारण आदिवासियों को वहाँ से भागना पड़ता है जबकि औपचारिक रूप से भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जाता है।

1.103 आदिवासी भूमि का हस्तांतरण रोकने और आदिवासियों की हस्तांतरित जमीन उन्हें पुनः वापस किए जाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं-

- आदिवासी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्डों को तैयार करने और उन्हें अद्यतन बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसमें आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।
- संविधान की अनुसूची 5 में आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने और उन्हें उनकी भूमि वापस दिलाने संबंधी प्रावधान को गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाना चाहिए।
- आदिवासी भूमि के हस्तांतरण के सभी स्वरूपों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- जिला प्राधिकारियों को अनुसूचित आदिवासियों की जमीन की पहचान करने और उन्हें वापस दिलाने के लिए स्वतः कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा

जमीन वापस दिलाने संबंधी आदेश दिए जाने के तुरन्त बाद जमीन आदिवासियों को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए।

- वर्तमान में पीईएसए से सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में ही लागू है जबकि आदिवासी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर भी रहता है। इसलिए पीईएसए के प्रावधानों को आवश्यक परिवर्तनों सहित उन गाँवों/क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए जहाँ कि अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित आदिवासियों की है।
- अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि का हस्तांतरण मुख्यतः बाध्यकारी अधिग्रहण के नाम पर सरकारी प्रक्रियाओं के जरिए किया गया है। जैसा कि पीईएसए में प्रावधान किया गया है, ग्राम सभा की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।

1.104 पुनः बस्तियां बनाने तथा पुनर्वास संबंधी वर्तमान व्यवस्थाएं आदिवासी हितों के प्रतिकूल हैं। अभी भी आदिवासी भूमि का धीरे-धीरे हस्तांतरण किए जाने की प्रक्रिया अबाध रूप से चल रही है जबकि नीतिगत विकल्पों पर बहस जारी है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रस्तावित प्रावधान और पुनः बस्तियां बनाने तथा पुनर्वास से संबंधित वर्तमान नीति एवं प्रथाओं से विस्थापन से निपटने के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने हेतु इच्छित नीतियां उपलब्ध हो सकेंगी। संसद द्वारा अनुसूचित आदिवासियों की हस्तांतरित जमीन उन्हें वापस दिलाने के लिए एक समर्थकारी विधान (पीईएसए जैसा) अधिनियमित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस समर्थकारी विधान के प्रावधानों को राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों/विनियमों में शामिल करना बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।

1.105 संसद द्वारा पारित अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन से उन आदिवासियों को संरक्षण प्राप्त होगा जिनके अधिकारों को पीढ़ियों से न तो रिकार्ड किया गया और न ही उन्हें मान्यता प्रदान की गई।

वासभूमि अधिकारों का संरक्षण

1.106 एक अनुमान के हिसाब से आज ग्रामीण क्षेत्र में 13 से 18 मिलियन परिवार भूमिहीन हैं जिनमें से 8 मिलियन परिवारों के पास अपना घर नहीं है। वे दूसरों की जमीन पर निर्मित घरों में रहते हैं अथवा भू-स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई झोपड़ियों में जो उनसे जबरन मजदूरी भी करवाते हैं। इनमें से अनेक लोगों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है जबकि अनेकों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं परन्तु उनके पास झोपड़ी बनाने के संसाधन नहीं हैं।

1.107 भूख से आजादी के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ हर एक व्यक्ति के सिर पर एक छत होने के अधिकार को बुनियादी अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बनाम फ्रेंड्स कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (सूची एआरआई, 1997, एससी 152) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ग्यारहवीं योजना में इस विजन को प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

1.108 अनेक राज्य सरकारों ने प्रत्येक परिवार को एक निम्नतम आकार का भूखण्ड (10-15 शतांश) आवंटित करने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि उनके पास कम से कम रहने का स्थान उपलब्ध हो और साथ ही उनके पास थोड़ी अतिरिक्त जमीन भी हो जिस पर वे चारा उत्पादन, पशुपालन, फलों अथवा सब्जियों का उत्पादन अथवा भूमि आधारित अन्य आर्थिक गतिविधियां चला सकें और अपनी खाद्य पोषण और आजीविका सुरक्षा में सुधार ला सकें। केरल में प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 10 शतांश जमीन उपलब्ध कराने की एक योजना चलाई गई जिसका राज्य में गरीबी उपशमन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार वर्ष 2005 में कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भूमिहीन परिवारों को वास भूमि सह बाग भूखण्ड देने की योजना चलाई। ऐसे प्रयोग सभी राज्यों में किए जाने चाहिए।

1.109 इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की आवश्यकता है:

- उन सभी परिवारों, जिनके पास वास भूमि नहीं है अथवा जिनकी वास भूमि विनियमित नहीं है, को 10-15 शतांश भूमि आवंटित की जानी चाहिए। उन परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनकी प्रमुख कोई महिला हो।
- इन्दिरा आवास योजना, एनआरजीईए इत्यादि जैसी विद्यमान परियोजनाओं से संसाधनों का पुर्नआवंटन करके संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसे निश्चित रूप से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा कर लिया जाना चाहिए।
- अनियमित और असुरक्षित वास भूमि पर रहने वाले परिवारों की वासभूमियों को विनियमित करते समय यह विनियमन पत्नी के नाम पर किया जाना चाहिए।
- लाभार्थियों को वास भूमि नजदीकी ब्लॉक में दिए जाने चाहिए, जो उनके वर्तमान गाँवों से एक किलोमीटर अथवा कम दूरी पर अवस्थित हो और जहाँ उपयुक्त सड़कें तथा बुनियादी संपर्क सुविधाएं विद्यमान हों। ऐसे समाहित ब्लाक में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल इत्यादि।

- वास भूमि सह बाग भूखण्ड के लाभार्थियों को पंचायतों और सरकारी विभागों द्वारा सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे उस स्थान पर पशुपालन, चारा उत्पादन और यदि जल की उपलब्धता है तो बहुमूल्य पेड़ लगाने संबंधी उपयुक्त आर्थिक गतिविधियां चला सकें।

काश्तकारी सुधार

1.110 आजादी के बाद काश्तकारों को स्वामित्व प्रदान करने तथा काश्तकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से काश्तकारी विधान लाया गया। इसके साथ ही काश्तकारों का शोषण रोकने और खेतों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किराया विनियम भी लाया गया। काश्तकारी विधानों पर नई नजर डालने की जरूरत है, ताकि ये परिवर्तनों को इस प्रकार परिलक्षित कर सकें कि इसमें भू-स्वामी और काश्तकार के हितों में संतुलन हो तथा जमीन तक उनकी पहुँच बढ़ाई जा सके जिससे कि कृषि उत्पादों में वृद्धि हो पाए।

1.111 अनेक राज्यों में विधायी प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार सौंपने अथवा फसल उपजाने वाले काश्तकारों को भू-स्वामियों को न्यायोचित मुआवजा देकर स्वामित्व प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। कुछ राज्यों ने भू-स्वामियों से जमीन का अधिग्रहण किया और उसे फिर काश्तकारों को हस्तांतरित कर दिया, जो राज्य को एक निश्चित राशि का प्रीमियम देते हैं। तथापि राष्ट्रीय नीति में यह प्रावधान किया गया है कि रक्षा सेवाओं के सदस्य, विधवाएं, अविवाहित महिलाएं, अवयस्क, शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति अपने स्वामित्व-हरण की आशंकाओं के बगैर काश्तकारों को अपनी जमीन पट्टे पर दे सकते हैं। राज्यों में भी काश्तकारी की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत काश्तकारों, उप काश्तकारों तथा बटाईदारों को स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

1.112 हालांकि अधिकांश राज्यों में कृषि काश्तकारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है फिर भी कतिपय प्रकार की काश्तकारी, विशेष रूप से फसल बंटवारे के रूप से, अभी कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। चूंकि काश्तकारी का अनुबन्ध मौखिक रूप से किया जाता है और अधिकांश मामलों में यह कानून का उल्लंघन होता है, जोतदारों की स्थिति अनिश्चित हो जाती है और उक्त जमीन पर अच्छी खेती करने का उसे कोई फायदा नहीं मिल पाता है। अनेक क्षेत्रों में विद्यमान प्रावधानों के कारण भू-स्वामी जमीन पर से अपना अधिकार खोने के डर से अपनी जमीन को परती ही छोड़ देते हैं। इस कारण जो जमीन गरीबों को पट्टे पर दी जा सकती थी, वह नहीं दी जाती है। अनुभवों से पता चलता है कि काश्तकारी पर प्रतिबंध लगाने के उपाय सामान्य तौर पर प्रभावी नहीं हैं और ग्रामीण परिवारों की सभी श्रेणियों में अभी भी मौखिक/गुप्त काश्तकारी

प्रथा जारी है। अतः आर्थिक विकास के साथ पट्टा बाजार भागीदारी में कमी से संकेत मिलता है कि काश्तकारी पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण किराया बाजार में जमीन की आपूर्ति कम हो पा रही है। काश्तकारी विधान के कारण दीर्घावधिक अनुबन्ध व्यवस्थाएं भी समाप्त हो गई हैं और कुछ क्षेत्रों में तो मौसमी काश्तकारी भी बंद हो चुकी है। इसके कारण न तो प्राकृतिक खाद का उपयोग हो पा रहा है और न ही इसमें निवेश हो पा रहा है जिसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।

1.113 अधिकांश राज्यों में भूमिहीन और सीमांत किसान ही जमीन पट्टे पर लेते हैं, दूसरी ओर कुछ राज्यों में बड़े और मझोले किसान छोटे किसानों से जमीन पट्टे पर लेते हैं जिससे "प्रतिकूल काश्तकारी" का जन्म होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि जमीन को पट्टे पर लेने और पट्टे पर देने का कार्य सभी आकार के भूखण्डों के संबंध में किया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक कारक, न कि शक्ति संबंध पट्टा संबंधी इन व्यवस्थाओं को परिभाषित करते हैं।

1.114 उत्पादकों के लिए काश्तकारों की सुरक्षा आवश्यक है ताकि वे उत्पादकता के लिए निवेश करने हेतु प्रेरित हों। भू-काश्तकारी सुरक्षा के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि उन्हीं जमीनों का वितरण किया जाए, जो वैध हों और यदि उनके संबंध में कोई विवाद हो तो इसे उपयुक्त विवाद निपटान तंत्र को संदर्भित किया जाना चाहिए। काश्तकारों तथा भू-स्वामियों के हितों के संरक्षण के लिए और साथ ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से काश्तकारी विधान में निम्नलिखित सुधार लाए जाने चाहिए:

- काश्तकारी को "सीमित" तरीके से कानूनी रूप दिया जाना चाहिए, इससे अनुबंध की अवधि के दौरान काश्तकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि काश्तकार दीर्घावधिक आधार पर इसमें निवेश करने के लिए प्रेरित हों। इसके अंतर्गत भू-स्वामियों के भूमि पर अधिकार को भी संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि यदि उसे जमीन को पट्टे पर देने के बदले कुछ फायदा नहीं मिलेगा तो वह उसे परती ही रखना चाहेगा अथवा इसका क्षमता से कम उपयोग करेगा। अतः दीर्घावधिक काश्तकारी व्यवस्थाओं में अधिक से अधिक कृषि उत्पादन पर बल दिया जाना चाहिए जिससे कि किसान और भू-स्वामी तथा काश्तकार सभी को फायदा हो।
- निर्धारित किरायों, जिसका उल्लंघन बहुधा अनौपचारिक काश्तकारी व्यवस्थाओं में किया जाता है, के स्थान पर राज्य स्तर पर किरायों की अधिकतम और निम्नतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यदि यह सीमा अधिक है तो इसमें अवैध व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और इससे यह

भी सुनिश्चित होगा कि किराए बाजार के कारकों द्वारा निर्धारित हों। इस प्रकार दोनों इच्छित पक्षकारों की प्रभावित और सहयोग में वृद्धि हो पाएगी।

- उपर्युक्त रूपरेखा के अन्तर्गत काश्तकारी को कानूनी रूप देने से भूमि की आपूर्ति में वृद्धि होगी और इससे ग्रामीण परिवारों की सभी श्रेणियां संसाधन वृत्तिदान, शिक्षा, रोजगार संभावनाओं, वर्तमान मजदूरी दरों और उपलब्ध संस्थागत समर्थनों के आधार पर पट्टा बाजार में भाग ले सकेंगी।
- सभी राज्यों में भू-संपदा स्थितियां अलग-अलग हैं और इन सभी के लिए एक ही प्रकार के उपचारी उपाय नहीं किए जा सकते हैं। जिन मामलों में भू-स्वामी प्रबल होते हैं वहाँ यही संभावना होती है कि काश्तकारों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी इसलिए उनमें विशेष खण्ड जोड़ना आवश्यक होगा।
- अन्यथा लघु भू-स्वामी को अलाभकर तरीके से अपने खेतों की जुताई करनी होगी, जबकि वह किसी अन्य किसान को अपनी जमीन इस निश्चिन्तता के साथ पट्टे पर दे सकता है कि उसे काश्तकारी की निर्धारित अवधि के पश्चात उसका कब्जा पुनः प्राप्त हो जाएगा।
- सीमान्त और लघु भूस्वामियों को ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ-साथ पर्याप्त संस्थागत समर्थन दिया जाना चाहिए, ताकि वे बड़े किसानों अथवा व्यावसायिक घरानों को अपनी जमीन पट्टे पर देने के लिए बाध्य न हों और जिससे कि बाध्यकारी प्रतिकूल काश्तकारी की स्थितियां न बनें। जहाँ तक बंटवाईदारों का संबंध है, एक बार यदि वे दीर्घावधिक अनुबंध में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें भी ऋण की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए।

कृषि सेवाओं तक पहुँच

1.115 छोटे और सीमांत किसानों को ऋण, विस्तार, बीमा तथा बाजारों जैसी महत्वपूर्ण कृषि सेवाओं का लाभ अक्सर नहीं मिल पाता है। ऐसा विशेष रूप से महिला किसानों के साथ होता है, क्योंकि इन सेवाओं में आम तौर पर पुरुषों के लिए पक्षपात किया जाता है। चूंकि लगभग सभी बंटवाईदार और अधिकतर सीमान्त किसान आौपचारिक प्रणाली के जरिए ऋण प्राप्त करने में असमर्थ ही होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि वित्तीय रूप से सभी को शामिल नहीं करना, कृषि ऋण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत के अनेक भागों में हाल में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं गैर संस्थागत स्रोतों की ऋण ग्रस्तता से जुड़ी हुई हैं।

1.116 लघु/सीमांत किसानों, विशेषकर महिलाओं में बड़े किसानों की तुलना में साक्षरता कम पाई जाती है। इसके कारण मीडिया, टीवी इत्यादि जैसे सूचना स्रोतों तक उनकी पहुंच सीमित ही रहती है। सरकार का विस्तार तंत्र भी प्रगतिशील अथवा बड़े किसानों पर ही बल देता है। लघु और सीमांत किसानों को

निम्नतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त अनाज नहीं बचता है और कई बार उन्हें अपना उत्पादन महाजन को बाजार मूल्य से कम पर देना पड़ता है।

1.117 यदि प्रभावशीलता में वृद्धि करनी है तो कृषि प्रौद्योगिकी लाभ बड़े-छोटे सभी किसानों को दिया जाना चाहिए। वस्तुतः लघु खेती के कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि इसमें अतिरिक्त परिवार श्रम का उपयोग करके निगरानी पर आने वाले लागत को बचाया जा सकता है और भूमि सुधार के पीछे यही तर्क है। परन्तु संपर्क के अभाव के कारण बड़े और छोटे किसानों की उपज में काफी अन्तर आ जाता है। इसका एक समाधान है छोटे उत्पादकों के पक्ष में टोस सार्वजनिक हस्तक्षेप ताकि वे संबंधित बाजारों एवं विस्तार के साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकें और लाभ उठा सकें। हालांकि उपर्युक्त अनुदेशों से कुछ सहायता तो मिलेगी परन्तु यह स्वयं लाभार्थियों के लिए सशक्तीकरण का विकल्प नहीं है।

1.118 गरीबों को सशक्त बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वह है सामूहिक कार्रवाई। सफलता की कहानियों में एक है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसने आन्ध्र प्रदेश सरकार की एक योजना का उपयोग करते हुए जमीन खरीदने के लिए भूमिहीन अनुसूचित जाति की महिलाओं को सब्सिडी आधारित ऋण उपलब्ध कराया। इस योजना के जरिए अनेक समूहों ने भूमि की खरीद की जिस पर वे सामूहिक रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं। इससे गरीब महिलाओं और उनके परिवारों का कृषि उत्पाद, खाद्य सुरक्षा तथा रोजगार का अवसर बढ़ा है। अनेक समूहों ने परती जमीनों की खरीद की और इसे उत्पादन योग्य बनाया। एक अन्य उदाहरण है भारत सरकार-यूएनडीपी कार्यक्रम जिसमें आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के 1357 गाँवों और 50000 महिलाओं को शामिल किया गया है और जिसमें मुख्यतः महिलाओं द्वारा सामूहिक कृषि कार्य किया जा रहा है। इसके तहत अनेक तरीकों यथा पट्टे पर लेने और जमीन को गिरवी से छुड़ाने के जरिए अधिकृत भूमि पर सामूहिक कृषि कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकारों, महिला समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता से किए जा रहे इस कार्य के लिए अब सहायता समाप्त कर दी गई है। इसे संशोधित और विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है।

आगे का मार्ग

1.119 ग्यारहवीं योजना में कृषि विकास दर को चार प्रतिशत प्रतिवर्ष तक लाने के लिए निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होगी:

- प्रौद्योगिकी को किसानों तक ले जाना;
- निवेशों की प्रभाविता में सुधार करना, प्रणालीगत समर्थन बढ़ाना तथा सब्सिडी को तर्क संगत बनाना;

- खाद्य सुरक्षा चिन्ताओं का समाधान करते हुए इसे विविधतापूर्ण बनाना;
- एक सामूहिक दृष्टिकोण, जिसके तहत गरीबों को जमीन, ऋण सुविधाओं तथा कौशलों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, के जरिए सम्मिलन को बढ़ावा देना।

प्रौद्योगिकी

1.120 एक दीर्घावधिक विज्ञान तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें सीएसआईआर, डीबीटी तथा भू-विज्ञान मंत्रालय इत्यादि द्वारा वित्त पोषित प्रासंगिक अनुसंधानों के साथ एसएयू/आईसीएआर संस्थाओं के कार्यों का लाभ लिया जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। इसके साथ ही उन अनुसंधानों पर विशेष बल दिया जाए जो स्थान विशेष के संदर्भ में हो और जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना हो।

1.121 तात्कालिक कार्रवाई हेतु बिन्दु निम्नलिखित हैं-

- कृषि अनुसंधान में नीतिगत अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- अनुसंधान प्राथमिकताएं एक ऐसी फसल प्रणाली का विकास करने की दिशा में होनी चाहिए जो विभिन्न कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुकूल हो और जिससे सूखा एवं नाशी जीव रोधक किस्मों का विकास करके वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपज बढ़ाई जा सके।
- इसके अनुरूप ही आईसीएआर का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ाई जानी चाहिए।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालय एसएयू को भी और अधिक जिम्मेदार और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वह स्थान विशेष प्रौद्योगिकियों का विकास, शोधन और संवर्धन कर सके। उनकी शिक्षण क्षमता को भी संवर्धित किए जाने की आवश्यकता है।

1.122 कृषि अनुसंधान पर (दोनों योजना और गैर-योजना, केन्द्र और राज्यों) सरकारी खर्च, जो इस समय कृषि जीडीपी का करीब 0.7% है, को बढ़ाकर 11वीं योजना के अंत तक 1% बढ़ाने की आवश्यकता है। केन्द्र द्वारा बढ़ाए गए आवंटन से यह 0.9% हो जाएगा। राज्यों द्वारा अतिरिक्त निवेश करने से कृषि अनुसंधान पर सार्वजनिक खर्च, कृषि जीडीपी का एक प्रतिशत हो जाएगा। हमेशा की तरह, व्यापार से बचने के लिए अतिरिक्त संसाधन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होने चाहिए —

- कृषि मंत्रालय के भीतर ही राष्ट्रीय कार्यनीति अनुसंधान निधि की व्यवस्था में सुधार लाना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान

प्रणाली (एनएआरएस) का स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय जलवायु परिवर्तन सहित, संभावनाओं एवं अड़चनों का आकलन कर सकता है, तथा काफी मात्रा में बढ़ी अपेक्षित कार्यनीतिक अनुसंधान के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करें।

- केन्द्र और राज्यों में उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति भी बनाई जाए, ताकि किसानों के साथ सुदृढ़ संबंध बनाने के लिए उनके शिक्षण एवं स्थान विशिष्ट अनुसंधान को सशक्त बनाने हेतु बड़े हुए, लेकिन प्रोत्साहित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया जाए। बदले में, इसके पास मांग युक्त घटक ही होना चाहिए, जिससे कि राज्य/जिले, जिला योजनाओं से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं/मुखी अनुसंधान से (आर के वी वाई जैसी स्कीमों से) वित्त व्यवस्था कर सकें।

सिंचाई

1.123 विस्तृत सतह वाली नई सिंचाई परियोजनाओं का क्षेत्र छोटा होता जा रहा है, तथा इसीलिए ध्यान चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा मौजूदा परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर केन्द्रित होना चाहिए विशेषकर, भौतिक पुनर्वास पर निवेश तथा जल के उपयोग की क्षमता में सुधार लाने हेतु अनिवार्य प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर और अधिक बल देने की जरूरत है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया जाता है कि —

- 11वीं योजना के दौरान एआईबीपी हेतु आवंटन में वृद्धि की जाए, लेकिन राज्यों को केन्द्रीय निधि के प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु रिमोट सेसिंग डेटा का उपयोग करते हुए और अधिक प्रभावी मॉनीटरिंग की साथ।
- राज्यों को "निर्धारित-समय, निर्धारित लागत" संविदाओं में शिफ्ट होना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य में एक आदर्श आधुनिकीकरण परियोजना होनी चाहिए।
- पानी उपभोक्ता एसोसिएशनों द्वारा पानी की दरों का संग्रहण और प्रतिधारण सहित सहभागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए, ताकि सृजित क्षमता और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर कम किया जा सके।
- जल उपभोक्ता एसोसिएशनों और सिस्टम दोनों स्तरों पर मौजूदा इस्तेमाल का व्यापक जल संतुलन लेखा अवश्य तैयार किया जाए, ताकि परिहार्य अपव्यय की मात्रा का विशिष्ट रूप से रेखांकित किया जा सके तथा जल डिलीवरी के बेहतर विनियमन और संयोजित इस्तेमाल के जरिए पानी की बर्बादी को कम करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।

- सूक्ष्म-सिंचाई उपकरण पर सब्सिडी की संरचना का पुनर्गठन अवश्य किया जाए ताकि जल उपभोक्ता एसोसिएशनों द्वारा सामुदायिक छिड़काव प्रणालियों का संवर्धन किया जा सके।
- एनआरईजी/बीआरजीएफ निधियों का उपयोग कमान क्षेत्र विकास को बढ़ाने के लिए ही किया जाए।

1.124 जहां तक भूजल का संबंध है, प्राथमिकता, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के हिस्सों, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पानी की भरपूर उपलब्धता के उपयोग की होनी चाहिए। भारत निर्माण के तहत इस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के चालू कार्यक्रम से मदद मिलेगी। बीआरजीएफ और हाल ही में निर्मित आरकेवीवाई से संसाधनों को अभिमुखीकरण करते हुए पंप सैट्स को सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवाई) के कार्य क्षेत्र में विस्तार करना होगा।

1.125 तथापि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पम्प सैटों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध है तथा बिजली की दरें कहीं तक अवधारणीय स्तर तक नहीं घटाई जाती हैं।

1.126 देश के अन्य भागों में जहां निकासी वर्तमान में रिचार्ज से अधिक हो गई है, वहां निम्नलिखित बातें अनिवार्य हैं —

- गांवों एवं शहरों, दोनों में भू-जल के वास्तविक इस्तेमाल का नियमित और बिल्कुल सही आकलन अवश्य होना चाहिए, ताकि इसका रिचार्ज और निष्कर्षण के बीच सहसंबंध स्थापित किया जा सके।
- घरेलू और कृषि हेतु बिजली पहुँचाने वालों के अलग-अलग होने तथा सिंचाई के लिए समय पर लेकिन नियंत्रित आपूर्ति से पानी के उपयोग को नियमित करने में मदद मिलेगी।
- ग्रामीण समुदाय को अधिकार-सम्पन्न करने और उन्हें बिजली प्रभार एकत्र करने के अधिकार व उत्तरदायित्व सौंपने तथा अंधेरायुक्त (डार्क) ब्लॉकों में इसकी पहुँच, उदाहरण के लिए भू-जल उपभोक्ताओं पर वर्षा जल को एकत्रित करने एवं भूजल को रिचार्ज करने का उत्तरदायित्व सौंपकर नियमित करने के तरीकों का पता लगाया जाए।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलसंभर विकास :

1.127 यदि हम सिंचाई क्षमता का पूरी से तरह से उपयोग कर लें, तो भी देश का अधिकांश कृषिगत क्षेत्र वर्षा सिंचित रहेगा। यह वही क्षेत्र है, जिसने सर्वाधिक गिरावट देखी है, हालांकि मौजूदा पैदावार के अंतराल से अप्रयुक्त क्षमता अधिक है। सरकार ने अब इन बड़े लेकिन अब तक अपेक्षित रहे क्षेत्रों की समस्याओं और क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित

क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) का गठन किया है। एनआरएए से अपेक्षा है कि वह केन्द्र सरकार के विभिन्न प्रयासों में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करेगा तथा राज्यों को यह सुविज्ञ सलाह देगा कि अपनी कृषिगत योजनाओं को किस प्रकार संघटित करें।

1.128 11वीं योजना में करीब 37 मिलियन हैक्टेयर भूमि को कवर करने के लिए जलसंभर विकास की गति बढ़ायी जाए। लोगों की सहभागिता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि खेती की प्रणालियों के घटकों का उपचार और समावेशन लम्बे अर्से तक हो। परिकल्पित उच्च इकाई लागत से एवं मृदा संरक्षण उपायों को शामिल करने से 11वीं योजना के दौरान प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) पर 36,000 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होगी। निवेश की यह मात्रा व्यवहार्य होगी, यदि सिंचाई और एनआरएम पर संयुक्त निवेश की मात्रा उनके 2006-07 के आधार से 12% अधिक हो जाए। लेकिन यदि केवल कुछ राज्य ही इस समय सिंचाई पर खर्च किए गए कुछ संसाधनों को उत्तरोत्तर एनआरएम पर लागाए। इस प्रयोजन हेतु राज्य आरकेवीवाई से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही शुष्क भूमि खेती मौजूदा समष्टि प्रबंधन एवं वहनीयता के तहत चल रहे केन्द्र क्षेत्र के एनआरएम कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक ध्यान के साथ वर्षासिंचित खेती की प्रणालियों के लिए नए और बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि पनधारा से जुड़े तत्वों को कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा सके। राष्ट्रीय वर्षासिंचित प्राधिकरण दिशानिर्देश एवं तकनीकी आदान मुहैया कराएगा।

आदान एवं सहायता सेवाओं को सुदृढ़ करना एवं सब्सिडीज को औचित्यपूर्ण बनाना :

1.129 मृदा की गुणवत्ता बिगड़ने का मुख्य कारण उर्वरक सब्सिडी की मौजूदा असंतुलित और असंगत प्रणाली है। सभी प्रकार के पोषक तत्वों पर सब्सिडी को औचित्यपूर्ण बनाने तथा ऐसी पद्धतियों की जांच करने की तत्काल आवश्यकता है, जिनके द्वारा मौजूदा भारी सब्सिडीज की डिलीवरी किसानों अथवा किसानों के समूह को सीधे ही सौंपी जा सके।

1.130 मृदा परीक्षण की विश्वसनीय प्रणाली जांच पर आधारित पोषक तत्व संबंधी जरूरतों के बारे में सलाह के जरिए मृदा के स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ायी जाए।

1.131 हमारी खेती में मौजूद सामान्य ज्ञान के अंतर को और अधिक कम करने हेतु कृषि विस्तार जोखिमपूर्ण है। राज्यों को इसकी शुरुआत विस्तार में फील्ड स्तर की रिक्तियों को भरकर एवं एसएयू(ज) में प्रशिक्षण सहित कभी बेहतर प्रशिक्षण मुहैया कराकर करनी चाहिए। साथ ही केवीके और एटीएमए को केन्द्र

की योजना सहायता साथ-साथ दी जाए तथा इसे व्यापक और सहभागी जिला नियोजन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाया यजाए। साथ ही साथ ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों तक फैले स्थानापन्न डिलीवरी चैनल, आईसीटी आधारित विस्तार, किसान दर किसान विस्तार, एनजीओ(ज) तथा निजी क्षेत्र को भी संवर्धित किया जाए। पशुपालन जैसे अपेक्षाकृत उपेक्षित इलाकों में एटीएमए(ज) की क्षमता बढ़ायी जाए तथा कार्यनीतिक अनुसंधान विस्तार योजना (एसआरईपी) का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जाए। एसआरईपी और एटीएमए कृषि जिला योजना का एक मुख्य हिस्से की संरचना करेगी, जिसे आरकेवीवाई द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

1.132 अच्छी गुणवत्ता वाले आदानों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी जरूरत है, जिसमें बीजों की आपूर्ति की ओर अति तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीज एजेंसियों को सुदृढ़ करके तथा बीज गुणन एवं वितरण प्रणाली में निजी व्यापार को शामिल करके बीज उत्पादन एवं संवितरण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन लाकर पुनः तैयार किया जाए। चूंकि यह साक्ष्य है कि अप्रमाणिक बीज, उर्वरक और फार्म रसायनों की बिक्री बढ़ती जा रही है, इसलिए राज्यों को साथ ही साथ आदानों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अपनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए।

1.133 सम्बद्ध मुद्दा वही है, जो क्रेडिट आउटरीच का है। सहकारी ऋण संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से सभी राज्यों को वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अवश्य तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, शुरुआती रिपोर्ट आशाजनक हैं, लेकिन अपेक्षित वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए मॉनीटरबल अंतिम रेखा तय की जाए।

1.134 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की कम ब्याज दरों की मांग की तुलना में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें सामूहिक रूप से उधार लेने सहित सार्वभौमिक बैंकिंग तथा ग्रामीण ऋण सूचना प्रणाली, जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है, की ओर बढ़ने की जरूरत है। यद्यपि स्वैच्छिक ऋण अधित्याग से बचना चाहिए, फिर भी फार्म ऋण संबंधी वास्तविक स्थिति के लिए अपेक्षित है कि बैंक और राज्य सरकारें एक बार समझौता (वन टाइम सैटलमेंट) पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु कुछ उपयुक्त औपचारिक मैकेनिज्म तय करने के लिए मिलकर कार्य करें।

1.135 मौजूदा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) बहुत सीमित व्याप्ति वाली प्लान स्कीम है। इसे व्यापक रूप से विस्तृत करने हेतु अत्यधिक मांग है, तथा ब्लॉक से ग्राम स्तर तक के आकलन के आधार पर कम करना है। इसमें उच्च लागत शामिल है, यदि इसे

बामांकिक आधार पर किया जाता है, तो यह नैतिक जोखिम के मुद्दे भी उठाती है। तथापि, नए बीमा प्रदाता और उत्पाद उभर रहे हैं तथा ये मौजूदा विकल्पों की तुलना में ज्यादा विकल्पों की पेशकश कर रहे हैं। बीमा प्रसार राज्य की पहल होनी चाहिए, जिसका केन्द्र एसीए/सीएसएस के माध्यम से सहायता करे, जबकि मौजूदा एनएआईएस को गैर-योजना में ही रखा जाए।

1.136 जोखिम को कम करने का एक अन्य पहलू, मूल्यों की अनिश्चितता को कम करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मौजूद हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र के किसानों को प्रत्येक मार्केटिंग सीज़न में कम से कम एक खाद्य और एक अखाद्य फसल में सहायता करने की जरूरत है। डब्ल्यूटीओ बॉड टैरिफों द्वारा मुहैया कराए गए लचीलेपन का उपयोग संतुलित होना चाहिए, ताकि अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव से किसानों की रक्षा की जा सके।

खाद्य सुरक्षा

1.137 खाद्य सुरक्षा की तत्काल प्राथमिकता बनी रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा पूर्वी और मध्य भारत में पैदावार संबंधी अंतरों से बृहद मौजूदा संभावना की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने मिशन-मोड में केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 11वीं योजना के अंत तक खाद्यान्न में कम से कम 20 मिलियन टन तक वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम में विशेषकर बीज प्रतिस्थापन में वृद्धि करने तथा पुरानी किस्मों के स्थान पर नई किस्में प्रतिस्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। भूजल के बेहतरीन उपयोग तथा आरजीजीवीवाई के साथ लिंकेज पर भी पर्याप्त बल दिया जाएगा। इस स्कीम की एक विशेषता यह है कि यह क्षमता निर्माण, मॉनीटरिंग और प्लानिंग पर पूर्व के कार्यक्रमों की तुलना में अधिक व्यवस्था करती है तथा कार्यक्रम का निष्पादन जिला नियोजन संरचना के भीतर ही होगा।

विविधीकरण

1.138 उपलब्ध मांग अनुमानों से पता चलता है कि प्रत्यक्ष मानवीय खपत से इतर खपत सहित खाद्यान्नों की मांग 11वीं योजना के दौरान 2 से 2.5% वार्षिक तक बढ़ जाएगी, तिलहन, रेशे और गन्ने जैसी परम्परागत नकद फसलों की खपत 3 से 4% वार्षिक तक तथा पशुधन एवं बागवानी में 4 से 6% वार्षिक बढ़ोत्तरी होगी। बागवानी और पशुधन के विविधीकरण को इसीलिए कृषि में 4% की वृद्धि प्राप्त करने हेतु कार्यनीति का प्रमुख तत्व बनना होगा। ऐसे विविधीकरण से न केवल फार्म से होने वाली आय को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का अवसर मिलेगा, बल्कि इन कार्यकलापों में रोजगार के अवसर भी काफी अधिक हैं तथा इनसे प्राकृतिक संसाधनों पर कम दबाव पड़ने की संभावना है।

1.139 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) पहले से ही केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की सबसे बड़ी एकल स्कीम है, जिसमें अन्य सभी फसलों में किए गए आवंटन की तुलना में अधिक आवंटन किया जाता है। तथापि, इसमें अब भी अधिकांशतः सब्जी उत्पादन को अलग से रखा जाता है तथा पौध रोपण सामग्री की अब भी कमी है। इसके अतिरिक्त, बागवानी सांख्यिकी बहुत ही कमजोर है, लगता है कि फसलों के संबंध में या तो किए गए चयन अथवा मिशन के समग्र प्रभाव का आकलन करने हेतु निर्धारित बेंचमार्क अपर्याप्त हैं। हालांकि, राज्यों ने इसका स्वागत किया है, फिर भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अपने प्रयास अब भी अपर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, मांग के निश्चित स्थानीय स्रोत मुहैया कराने के लिए फलोद्यानों का विकास करने अथवा मिड-डे मिल्स स्कीम का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उपयोग करते हुए समेकित पनधारा विकास जैसी अन्य स्कीमों के साथ विविधीकरण की संभावनाओं के संबंध में प्रयास अपर्याप्त हैं। आशंका है कि यदि बागवानी को अन्य संगत विभागों से पूर्ण सहयोग नहीं मिला, तो हम बागवानी के संपूर्ण अवसरों से वंचित रह जाएंगे। इसी कारण से आरकेवीवाई द्वारा दिए गए जिला योजना प्रोत्साहन ऐसे कन्वर्जेंस पर अत्यधिक बल देंगे।

1.140 कृषि विपणन विविधीकरण कार्यनीति का महत्वपूर्ण तत्व है। चूंकि उच्च मूल्यों वाली कृषि अतिशीघ्र खराब हो जानेवाली जिंसों पर आधारित है, इसलिए ग्रेडिंग, फसल कटाई बाद का प्रबंधन और कोल्ड-चैन्स की आधुनिक पद्धतियों में भारी निवेश की आवश्यकता है। बदले में ऐसे निवेश के लिए अपेक्षित है कि नए निगमित निवेशक सहित नए निवेशक मौजूदा बाजार में प्रवेश कर सकें तथा वे नए मार्केटिंग चैनल स्थापित करें। इसीलिए एनएचएम इसकी अनुमति देने के लिए मौजूदा कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन पर आधारित विपणन संबंधी सुधारों हेतु प्रोत्साहन देता है। यह प्रक्रिया बड़े चाव से शुरू की थी। इसमें कई व्यापारिक घरानों ने निवेश किया था और अधिकांश राज्य एपीएमसी संशोधन पहले ही कर चुके हैं। तथापि, इसे किसी तर्कसंगत निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचना चाहिए। एपीएमसी में संशोधन कर चुके राज्यों को अभी अपने आवश्यक नियम बनाने हैं। अतः इस अनिश्चितता को यथाशीघ्र दूर किये जाने की जरूरत है।

1.141 संविदा खेती एक अन्य ऐसा मैकेनिज्म है, जिससे निजी निगमित क्षेत्र किसानों और बाजारों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसे पर्याप्त एवं सहायता के साथ संविदा पंजीकरण और विवाद निपटाने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म सुनिश्चित करके समर्थन देने की जरूरत है, ताकि छोटे किसान सामूहिक करार कर सकें।

1.142 खाद्य प्रसंस्करण कृषि उत्पादों की मांग सृजित करने, उत्पादन के पश्चात हानि को कम करने अथवा समाप्त करने तथा मूल्य वर्धित उत्पाद मुहैया कराने हेतु इसे सुदृढ़ करने की जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, निवेश से किसानों को अधिक आय प्राप्त होगी, चूँकि इससे फार्म उत्पादों की अतिरिक्त मांग सृजित होगी और साथ-साथ प्रक्रिया में विशुद्ध चक्र से गैर फार्म क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बनेंगे।

1.143 पशुधन एवं मात्स्यिकी विकास को बुनियादी सुविधाओं और नीतिगत सहायता में एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। बेहतर गुणवत्ता वाले स्वदेशी पशुधन का उपयोग करके, चुनिंदा नस्लों के जरिए मवेशी और भैंसों के लिए प्रजनन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुधार हेतु इसके उपयोग पर काफी खर्च करने की जरूरत है। भारत को जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और कुक्कुट सहित एक व्यापक रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा एक निश्चित नीति की जरूरत है, ताकि फालतू नर मवेशियों की बढ़ती हुई समस्या के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। 11वीं योजना के दौरान सुविचारित नई पहलों में बछड़ों को बचाना और उनका पालन करना, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और सूअरों को वाणिज्यिक दृष्टि से पालने के लिए उद्यमी संबंधी विकास, कुक्कुट सम्पदा की संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से कुक्कुट पूंजी उद्यम निधि, कुक्कुट की फुटकर दुकानें, कुक्कुट संबंधी अन्य कार्यकलाप शामिल हैं। 11वीं योजना के दौरान मृत पशुओं से अधिक लाभ उठाने हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने तथा पशुपालन के विभिन्न स्तरों पर खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरूकता लाने के लिए प्राथमिक उत्पादकों को प्रशिक्षण देने के लिए नई पहलों की परिकल्पना की गई है। मात्स्यिकी में और अधिक हैचरियां स्थापित करने की जरूरत है तथा तालाबों, टैंकों तथा जलाशय स्थलों के लिए भण्डारण योग्य आकार के बीज सुनिश्चित करने की जरूरत है। इस सबके लिए राज्यों से और अधिक प्रतिबद्धता की अपेक्षा होगी, तब डेयरी सहित इन सभी कार्यकलापों के लिए करीब 2100 करोड़ रुपये का आवंटन मौजूदा वार्षिक योजना में दर्शाया गया है। केन्द्र को भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, विशेषकर आहार/ चारा आपूर्ति के क्षेत्रों में, रोग नियंत्रण तथा सन्तति परीक्षण तथा ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करने में इसकी जरूरत होगी।

1.144 हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के पास भारी क्षमता है तथा इसको तीव्रता से बढ़ाने की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि पशुपालन विभाग और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच प्रयासों के मौजूदा डुप्लीकेशन को कम किया जाए तथा डेयरी विकास हेतु दीर्घकालिक नीति पर असहमति दिखलाई जाए। एनडीडीबी ने एक राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना

का प्रस्ताव रखा है। इस पर राज्यों द्वारा गंभीरता से विचार किये जाने तथा अपने विचारों को 11वीं योजना में समाहित करने हेतु गंभीरता के साथ विचार-विमर्श करने की जरूरत है।

साम्यता-मुद्दे

छोटे किसानों की आवश्यकताएं

1.145 इस बात को देखते हुए कि 80% किसान छोटे व मझोले हैं और उनमें भी महिलाएं अधिकाधिक हैं, आदानों, ऋण, विस्तार सेवाओं और आदान बाजारों में इनकी पहुँच में सुधार लाने हेतु विशेष कदम उठाने की जरूरत होगी। अब यह बात स्वीकार कर ली गई है कि यदि गरीब लोग अलग-अलग कार्य करने के बजाय सामूहिक रूप से करें, तो वे शक्ति सम्पन्न होंगे और यह मितव्ययिता मान प्राप्त करने का सर्वाधिक सही तरीका भी है। अतः गरीबों और महिलाओं के लाभ हेतु तथा उन्हें प्रभावी किसान बनाने के लिए हमें "सामूहिक दृष्टिकोण" को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसकी रैंज नलकूपों जैसी पिण्डित (लम्पी) निविष्टियों अथवा निविष्ट वस्तुओं की खरीद और विपणन हेतु सहकारी समितियों में संयुक्त निवेश जैसे निचले स्तर के सामूहिक कार्यों से लेकर लैंड पूलिंग अथवा भूमि को संयुक्त रूप से पट्टे पर लेने अथवा संयुक्त खेती जैसे उच्च स्तर के सामूहिक कार्यों तक हो सकती है। समूह-उन्मुखी-दृष्टिकोण से छोटे किसानों को कई विभिन्न मोर्चों पर लाना हो सकता है —

- सिंचाई एवं सिंचाई डिलीवरी प्रणालियों में निवेश।
- सूचना एवं आदान डिलीवरी।
- उत्पाद विपणन।
- भूमि सुलभता को बढ़ावा देना
- अपनी भूमि का एकीकरण (लैंड पूलिंग), अथवा भूमि संयुक्त रूप से खरीदना अथवा संयुक्त रूप से पट्टे पर लेना तथा सामूहिक रूप से खेती करना।
- ठेके पर खेती करना

1.146 इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मौजूदा स्कीमों में सब्सिडी की प्रकृति की जाँच करना होगा। अलग-अलग व्यक्तियों की तुलना में पीआरआईएस/किसानों के समूहों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इन सब्सिडीज को पुनः डिजाइन करने का ठोस मामला है, ताकि विशेष रूप से छोटे, मझोले और महिला किसानों को समूह बनाने हेतु प्रोत्साहन दिया जा सके।

1.147 असुरक्षा/संवेदनशीलता का प्रबंधन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए आकस्मिकताओं, चाहे वे प्राकृतिक हों, के फलस्वरूप

गरीब और वंचित न हों। विशेषकर, उन्हें ऐसा कोई डर नहीं होना चाहिए कि वे अपनी भूमि अनिच्छा से बड़ी हस्तियों के लिए खो देंगे —

- सर्वेक्षण/समझौता पूरा होना चाहिए तथा भू-स्वत्वाधिकार और किए गए परिवर्तन उपयुक्त रूप से जारी एवं रिकार्ड किए जाएं। यदि ऐसा किया जाता है, तो किसानों और उनकी भूमि का स्टेटस ऑन लाइन रजिस्टर करने के लिए आधुनिक आईटी/जीआईएस प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है। इससे उनके न केवल आत्मविश्वास आएगा, बल्कि बेहतर ऋण लिकेज भी हो सकेगा और अन्ततः किसानों को सब्सिडी सीधे ही दी जा सकेगी।
- भूमि स्वामित्व पर मौजूदा सीलिंग में छूट देकर निगमित खेती को प्रोत्साहित करने का इस स्तर पर कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में, यदि उपर्युक्त रजिस्ट्री सही ढंग से की जाती है, तो सीलिंग से अतिरिक्त कुछ भूमि वितरण हेतु उपलब्ध होगी। किसी भी सूरत में, चूंकि कई समृद्ध किसान कृषि को स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। इसलिए छोटे किसानों को कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक संस्थागत ऋण के प्रावधान के जरिए भूमि खरीदनी चाहिए।
- साथ ही भूमि पट्टा बाजार को उदार बनाया जाए। ऐसे सुधार के दो प्रमुख तत्व हैं—संविदा अवधि के दौरान काश्तकारों के लिए पट्टा सुरक्षा, और ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात भू-स्वामी को भूमि पुनः ग्रहण करने का अधिकार। यह अधिकार विशेषरूप से छोटे किसानों को निश्चित तौर पर मिलना चाहिए।

• छोटे किसानों को फसल उत्पादन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी आदि जैसे उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक कार्यकलापों को करने कर क्षमता में सुधार लाने योग्य बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने की जरूरत है।

1.148 लिंग संबंधी साम्यता: कृषि में महिला कामगारों की हिस्सेदारी बढ़ने और महिला-प्रधान परिवारों में बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए भू-सम्पत्ति और अवसंरचना सहायता हेतु महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है -

- जहां तक पुरुष सदस्य के नाम अर्थात् स्वामित्व वाली भूमि पर कार्य करती हैं, वहां पारिवारिक फार्मों पर राजस्व रिकार्ड में खेती कर्ता के रूप में महिलाओं के नाम दर्ज होने चाहिए।
- सूचना, विस्तार ऋण, आदान और विपणन हेतु संस्थानों की कार्यप्रणाली में लिंग संबंधी पक्षपात को अवसंरचना मुहैया

कराने वाले मौजूदा लोगों को जैंडर-सुग्राही बनाकर दूर किया जाए।

- कृषि प्रौद्योगिकी और अन्य आदानों के प्रसार तथा उत्पाद के विपणन हेतु महिला सहकारी समितियों तथा अन्य प्रकार के सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- जहाँ संभव हो, वहाँ छोटे पैमाने की महिला किसानों में निवेश और उत्पादन हेतु सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वह खरीदी हुई अथवा पट्टे पर ली गई भूमि पर हो। महिला किसान आदान प्राप्त करने, सूचना और बाजार उत्पाद वैयक्तिक आधार पर प्राप्त करने में ज्यादा असमर्थ होती हैं। समूह-दृष्टिकोण से वे शक्ति सम्पन्न होंगी।

1.149 क्षेत्रीय संतुलन: समस्या, जो कृषि के लिए निराली नहीं है, यह है कि अत्यंत कम बुनियादी सुविधाओं वाले अधिक गरीब राज्य न केवल गैर-सरकारी निवेश का फायदा उठाने में असफल रहते हैं, बल्कि केन्द्र सरकार के कई कार्यक्रमों का भी लाभ नहीं उठा सकते। जहां तक ग्रामीण इलाकों का संबंध है, भारत निर्माण की पहल से कुछेक को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अधिक गरीब राज्यों, के लिए कृषि में पूर्वाग्रह के दो स्रोत हैं, जिन्हें सही करने की जरूरत है —

- प्राथमिकता-उधार-मानदंडों से कृषि उधार में बैंकों की कमी के कारण बुनियादी सुविधा सृजन हेतु ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) का पुन- उपयोग राज्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अदर्श-रूप से उन राज्यों के लिए किया जाए तथा लाभ उन राज्यों को दिया जाए, जो सबसे कम ऋण प्राप्त कर पाते हैं। वास्तव में, अधिकांश आरआईडीएफ निधियां उन राज्यों को जाती हैं, जहां ग्रामीण ऋण जमा औसत अपेक्षाकृत अधिक हैं। इसे वर्ष-दर-वर्ष से दीर्घकालिक आवंटन में परिवर्तित आरआईडीएफ आवंटनों के साथ-साथ सही किया जाए, ताकि राज्य और जिला योजनाओं में इसे उचित ढंग से बनाया जा सके।
- घटिया बाजार-अवसंरचना वाले क्षेत्रों को आमतौर पर केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा एमएसपी ऑपरेशनों से अलग कर दिया जाता है। चूंकि ऐसे क्षेत्रों में इससे किसानों को दुगुना नुकसान होता है, इसलिए कुछ व्यवस्था उदाहरणार्थ परिक्रमी मूल्य स्थिरीकरण निधि की व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि इससे पीआरआई संस्थानों द्वारा आसानी से लाभ उठाया जा सके और जिससे कि वे अपनी निजी एमएसपी खरीददारी कर सकें और जिसे बाद में शामिल केन्द्रीय एजेंसियों को डिलीवर किया जा सके।
- नई 11वीं योजना स्कीमों में क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष बल दिया जाएगा। उदाहरणार्थ, आरकेवीवाई वर्षासिंचित क्षेत्रों

को विशेष महत्व देता है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिलों के चयन में विशेषकर वर्तमान में कम पैदावार लेकिन उच्च क्षमता वाले जिलों को लक्षित किया जाता है।

कृषिगत योजना का पुनर्गठन

1.150 राज्यों को और अधिक लचीला बनाने तथा उन्हें कृषि पर ओर अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहन देने तथा उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई जिला व राज्य योजनाओं के आधार पर ऐसा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से तैयार की गई नई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) 11वीं योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण नव परिवर्तन है। आरकेवीवाई इस उद्देश्य को हासिल करने हेतु बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराती है। चूंकि इसके लिए अपेक्षित है कि प्रत्येक जिला एक ऐसी जिला योजना तैयार करें, जो राज्य अथवा केन्द्र की सभी मौजूदा स्कीमों से उपलब्ध प्रारम्भिक स्रोतों का पूरी तरह से उपयोग करें। इन संसाधनों में ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के जिला स्तर पर संसाधन शामिल हैं। जिला कृषि योजना में पशुधन एवं मात्स्यिकी शामिल होनी चाहिए तथा उसे लघु सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण विकास निर्माण कार्यों तथा जल संचयन और संरक्षण हेतु अन्य स्कीमों के साथ जुड़नी चाहिए। राज्य कृषि योजना इन प्रारम्भिक जिला योजनाओं पर आधारित होनी चाहिए, बशर्ते कि अपनी निजी योजना से न्यायोचित संसाधन उपलब्ध हों तथा केन्द्र से उपलब्ध संसाधनों में उन्हें जोड़ा जाए और इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के वहनीय प्रबंधन एवं प्रत्येक कृषि जलवायवी क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के कृषि वृद्धि संबंधी लक्ष्य को हासिल करना है। इसके बाद इस योजना को प्रत्येक जिले के अंतिम संसाधनों, उनकी उत्पादन योजना, एवं सम्बद्ध आदान योजना का निर्धारण करना चाहिए। राजकोषीय वर्ष के प्रारम्भ में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं तथा संगत योजनाओं के लिए निधियां सुनिश्चित की जाएं तथा जिला एवं राज्य दोनों स्तरों पर प्रत्येक तिमाही में कार्यान्वयन की समीक्षा की जाए।

1.151 अधिकांश कृषिगत कार्यकलाप संविधान की 11वीं अनुसूची में तथा पंचायती राज संस्थानों के अधिकारों से संबंधित हिस्से में दर्शाए गए हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किसी जिले की समेकित क्षेत्रक योजनाओं, जिन्हें पुनः राज्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया, को जिला स्तर पर जिला नियोजन समितियों के साथ अनुबद्ध करता है। योजना आयोग ने योजना प्रक्रिया के विस्तृत दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं, जिनका अनुपालन राज्यों द्वारा जिला कृषि योजना को तैयार करते समय भी किया जाना जरूरी है।

1.152 दुर्भाग्यवश, राज्य कृषि योजनाएं आज इस आदर्श से दूर हैं। कई मामलों में ये सीएसएस, जिनके दिशा-निर्देश केन्द्रीय तौर पर निर्धारित किए जाते हैं ओर जिनका जारी किया जाना प्रायः एक समस्या बन जाती है, के राज्य हिस्से के समूहन से थोड़ा सा अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय निधियाँ चूंकि विभिन्न चैनलों के जरिए विभिन्न स्तरों पर होती है, इसलिए जिला योजनाएं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रस्तावों के संकलन से अधिक नहीं है और चूंकि प्रत्येक केन्द्रीय विभाग अपनी निजी प्राथमिकताओं से संबंधित प्रस्तावों की पुष्टि करता है। फलस्वरूप, राज्य और जिला योजनाओं में दिमागी अनुप्रयोग वंचित रह जाते हैं, जबकि वे बेहतर क्षेत्र विशिष्ट समाधान के साथ आगे आ सकते हैं। परिस्थितियां निश्चय ही कुछ हद तक बेहतर हैं। कृषि संबंधी सकल योजना व्यय का राज्य योजना घटक उच्च हैं, लेकिन ऐसा विरले ही होता है।

1.153 अतः यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि केन्द्र और राज्य दोनों में कृषि के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं तथा इस बात का पता पर्याप्त अग्रिम रूप में लग जाना चाहिए, ताकि जिला और राज्य स्तर पर अर्थपूर्ण नियोजन हो। इन मुद्दों को निराकरण के लिए आरकेवीवाई एक प्रयास है। यह उपयुक्त जिला योजनाओं को अपनाने वाले राज्यों तथा सकल योजना व्यय में कृषि हेतु बेसलाइन शेयर को बनाए रखने वाले राज्यों के लिए सशर्त है। दृढ़ता के साथ पहले ही जारी किए जा चुके दिशानिर्देश इस क्षेत्र हेतु उच्चतर राज्य व्यय को प्रोत्साहित करने हैं तथा इस अध्याय के प्रारम्भ में प्रस्तुत प्रायः सभी प्राथमिकताओं पर भी दबाव डालते हैं।

1.154 इस प्रारूप में न केवल आरकेवीवाई बल्कि समष्टि प्रबंधन और विस्तार की मौजूदा स्कीमों की कार्य योजनाओं, जिला स्तर की एसआरईपी सहित, को भी जिला योजनाओं में जोड़ा जाएगा। इनके आधार पर राज्य योजना, राज्य, कृषि मंत्रालय और योजना आयोग के बीच शीघ्र विचार-विमर्श हेतु आधार बन सकती है ताकि संसाधनों के बारे में जिलों को तदनुसार संसूचित किया जा सके। इससे और अधिक सिंचाई, विशेषकर एनआरएम के साथ, की अनुमति मिलेगी, जिस पर एमआरएए सलाह दे सकता है तथा राज्यों को प्रोत्साहन भी मुहैया करायेगा, ताकि वे अपनी योजनाओं में कृषि के शेयर को बनाए रख सकें। योजना अयोग ने कृषि और पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर राज्यों के साथ गहन परामर्श करना पहले ही शुरू कर दिया है, ताकि पर्याप्त और विस्तृत जिला कृषि योजना लागू हो सके। यदि ऐसा होता है, तो केन्द्र आईसीएआर के क्षेत्रीय सह संयोजकों के साथ कार्य कर रहे क्षेत्रीय सह संयोजकों को और अधिक संख्या में

40 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

शामिल करके सीएसएस के प्रशासन को विकेन्द्रीकृत करने पर विचार कर सकता है, ताकि केन्द्र की भूमिका कृषि आर्थिक अपेक्षाओं के साथ अनुसंधान एवं विकास दोनों के लिए और अधिक एकरूप हो सके। तथापि, इसकी व्यवहार्यता के संबंध में राज्य सरकार के साथ विस्तार से विचार-विमर्श करने की जरूरत है।

11वीं योजना की वित्त व्यवस्था

1.155 संवृद्धि सहित 11वीं योजना की कार्यनीति सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के समावेशी विकास पर निर्भर करती है। 2006-07 के मूल्यों के आधार पर 11वीं योजना के लिए 54,801 करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान है, जबकि 2001-02 के मूल्यों के आधार पर 10वीं योजना का परिव्यय 20,513 करोड़ रुपये था। कृषि एवं सहकारिता विभाग हेतु 11वीं योजना का कुल अनुमानित जीबीएस 36549 करोड़ रुपये (2006-07 के मूल्य) तथा 41337 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य) पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग हेतु 7121 करोड़ रुपये (2006-07 के मूल्य) और 8054 करोड़

रुपये (वर्तमान मूल्य) तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए 11131 करोड़ रुपये (2006-07 मूल्य) तथा 12588 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य) है (ब्यौरा संलग्नक-1.3 पर)।

जैसा कि इस अध्याय में विशेष रूप से दर्शाया गया है, इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से योजनावधि में 25,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के प्रावधान द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु पहले से ही उपाय करने शुरू कर दिए हैं। कृषि मंत्रालय की मुहैया कराई गई इस बजटीय सहायता के अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा कुशल भूमि प्रशासन प्रणाली की स्थापना हेतु राज्यों को सहायता हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को 17205 करोड़ रुपये उपलब्ध करा जाएंगे। भारत निर्माण के तहत एनआरईजीए, बीआरजीएफ और ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं में निवेश से कृषि क्षेत्र में वृद्धि संबंधी प्रेरणा भी सुदृढ़ होगी। अपेक्षा है कि इन उपायों से गैर-सरकारी निवेश के आहरण हेतु भी परिस्थितियां बनेंगी जिसे कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के पूरक के रूप में देखा जा सकता है।

संलग्नक 1.1
केन्द्र , राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

(1)	कुल योजना परिव्यय (2)	वर्तमान मूल्यों पर			कुल योजना परिव्यय (6)	2001-02 के मूल्यों पर		
		कृषि एवं संबद्ध सेक्टर (3)	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (4)	कुल (3)+(4) (5)		कृषि एवं संबद्ध (7)	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (8)	कुल (7)+(8) (9)
आठवीं योजना (1992-97) परिव्यय	4,34,100.0	22,467.2 (5.2%)	32,525.3 (7.5%)	54,992.5 (12.7%)	8,53,898.25	44,194.2 (5.2%)	63,9793.0 (7.5%)	1,08,173.2 (12.7%)
नौवीं योजना (1997-2002) परिव्यय	8,59,200.0	42,462.0 (4.9%)	55,420.0 (6.5%)	97,882.0 (11.4%)	10,94,541.7	54,092.7 (4.9%)	70,599.9 (6.5%)	1,24,692.7 (11.4%)
दसवीं योजना (2002-07) परिव्यय	15,25,639.0	58,933.0 (3.9%)	1,03,315.0 (6.8%)	1,62,248.0 (10.6%)	15,25,639.0	58,933.0 (3.9%)	1,03,315.0 (6.8%)	1,62,248.0 (10.6%)
वा.यो. 2002-03 (वास्तविक)	2,10,202.9 (3.6%)	7,655.1 (5.7%)	11,964.8 (9.3%)	19,620.3	2,02,333.92 (3.6%)	7368.5 (5.7%)	11,516.9 (9.3%)	18,885.8
वा.यो. 2003-04 (वास्तविक)	2,24,827.0 (3.9%)	8776.0 (5.7%)	12,900.3 (9.6%)	21676.3	2,08,497.1 (3.9%)	8,138.6 (5.7%)	11,963.3 (9.6%)	20,101.9
वा.यो. 2004-05 (वास्तविक)	2,63,665.2	10,962.6 (4.2%)	19,024.5 (7.2%)	29987.1 (11.4%)	2,34,279.1	9740.8 (4.2%)	16,904.2 (7.2%)	26,644.9 (11.4%)
वा.यो. 2005-06 (आरई)	3,51,629.5	13,439.8 (3.8%)	25,007.0 (7.1%)	38446.8 (11.2%)	2,99,132.7	11433.3 (3.8%)	21,273.6 (7.1%)	32,706.8 (11.2%)
वा.यो. 2006-07	441,285.2	16,162.8 (3.7%)	33,189.4 (7.5%)	49352.2 (11.2%)	3,54,941.2	13000.3 (3.7%)	26,695.4 (7.5%)	39,695.7 (11.2%)
दसवीं योजना का कुल व्यय	14,91,616.2	56,996.3 (3.82%)	102,086.00 (6.84%)	159,082.7 (10.67%)	12,99,183.98	49,681.5 (3.82%)	88,353.3 (6.84%)	1,38,035.2 (10.67%)
परिव्यय की प्रतिशतता के रूप में दसवीं योजना का व्यय	97.8%	96.7%	98.8%	98.1%	85.1%	84.3%	85.5%	85.1%

नोट: (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल योजना परिव्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07

42 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

संलग्नक 1.2

दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से विभिन्न जलागम विकास कार्यक्रमों के तहत विकसित अवक्रमित भूमि

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में और व्यय करोड़ रुपये में)

क्र.सं. मंत्रालय/स्कीम और प्रारम्भिक वर्ष	शुरुआत से लेकर नौवीं योजना तक की प्रगति		दसवीं योजना* में प्रगति(2002-07)		शुरुआत से लेकर दसवीं योजना* तक का योग	
	क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय
(क) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)						
एनडब्ल्यूडीपीआरए (1990-91)	69.79	1877.74	23.30	1147.82	93.09	3025.56
आरवीपी और एफपीआर (1962व 81)	54.88	1516.26	9.98	727.98	64.86	2244.24
डब्ल्यूडीपीएससीए (1974-75)	2.58	166.27	1.35	129.31	3.93	295.58
आरएएस (1985-86)	5.81	76.39	1.30	45.35	7.11	121.74
डब्ल्यूडीएफ (1999-00)	0.00	0.00	0.59	26.02	0.59	26.02
ईएपीज	13.35	2039.81	4.80	1927.54	18.15	3967.35
उप योग	146.41	5676.47	41.32	4004.02	187.73	9680.49
(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग)						
डीपीएपी (1973-74)	68.95	3284.74	68.32	1557.76	137.27	4842.50
डीडीपी (1977-78)	33.56	797.38	45.17	1152.50	78.73	1949.88
आईडब्ल्यूडीपी (1988-89)	37.34	616.51	62.22	1821.64	99.56	2438.15
ईएपीज	1.40	18.39	3.60	274.28	5.00	292.67
उप योग	141.25	4717.02	179.31	4806.18	320.56	9523.20
(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय						
एनआईपी (1989-90)	0.70	47.53	0.00	0.00	0.70	47.53
योग (क+ख+ग)	288.36	10441.02	220.63	8810.20	508.99	19251.22

स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट, योजना आयोग भारत सरकार 2006-07 की अस्थायी उपलब्धियां शामिल हैं।

संलग्नक 1.3

11वीं योजना हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के मंत्रालयवार जीबीएस हेतु अनुमान

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं. मंत्रालय/विभाग	10वीं योजना के बजट अनुमान (2001-02) मूल्य	11वीं योजना का आधार वर्ष 2006-07 बजट अनुमान	11वीं योजना	
			स्थिर (2006-07)	मौजूदा मूल्य
1. कृषि और सहकारिता विभाग	13,883	4,800	36,549	41,337
2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का विकास	4,422	1,350	11,131	12,588
3. पशु पालन, डेयरींग और मात्स्यिकी विभाग	2,208	777	7,121	8,054

नोट: इसके अतिरिक्त, राज्यों को कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले आरकेवीवाई के जरिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 25,000 करोड़ रुपये मुहैया किए जाएंगे।

2

जल प्रबंधन तथा सिंचाई

प्रस्तावना

2.1 जल का धारणीय विकास तथा कुशल प्रबंधन भारत में एक लगातार बढ़ती हुई बड़ी चुनौती है। बढ़ती हुई जनसंख्या, विस्तार होता हुआ शहरीकरण तथा तीव्र औद्योगिकीकरण के साथ-साथ कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जरूरत से जल के लिए प्रतियोगितात्मक दावों का सृजन होता है। भारत में आसन्न जल संकट की अनुभूति बढ़ते होने का आभास दिलाती है। इस संकट की कुछ अभिव्यक्तियां इस प्रकार हैं —

- बमुश्किल ही ऐसा कोई शहर है, जिसे 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति होती है।
- कई ग्रामीण पर्यावास जिन्हें पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था, उनकी अब अपने लक्ष्य से पीछे रह जाने की खबर आ रही है तथा लक्ष्यपूर्ति की तारीखें लगातार आगे बढ़ायी जा रही हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां पेयजल में आर्सेनिक, नाइट्रेट तथा फ्लोराइड स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन रहे हैं।
- कई स्थानों पर अधिक उपयोग के कारण भूमिगत जलस्तर नीचे चला गया है, जिससे उन किसानों पर वित्तीय भार बढ़ रहा है, जिन्हें अपने कुओं को और गहरा खोदने की जरूरत पड़ रही है तथा उनके स्थान पर पम्प सेटों को लगाना पड़ रहा है तथा उन राज्य सरकारों पर भी भार बढ़ेगा, जिनकी विद्युत आपूर्ति की सख्ति बढ़ जाती है।
- कई मुख्य और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं अत्यधिक लागत तथा समय की अधिकताओं के साथ एक योजना से अन्य योजना में खिसकती चली जाती हैं, जिससे प्रतीत

होता है कि ये परियोजनाएं सदैव कार्यान्वयन के स्तर पर ही बनी रहेंगी।

- रख-रखाव की कमी के कारण पुरानी प्रणालियों की कार्यक्षमता कम होती प्रतीत होती है।
- सकल सिंचित क्षेत्र का विस्तार इस प्रकार होता नहीं दिखता कि इसे सिंचाई में निवेश समझा जाए। सम्भाव्यता के सृजन तथा वास्तव में सिंचित क्षेत्र का अंतर बढ़ा बना हुआ है। जब तक हम इस अंतर को पाटते नहीं हैं, कृषि संबंधी उत्पादन में सार्थक बढ़ोतरी कर पाना मुश्किल होगा।
- बाढ़ देश के कई भागों में एक आवर्ती समस्या है।
- हमारी नदियों और झीलों में जल की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। पेयजल की तो बात ही छोड़िये, नदियों के अधिकतर भाग का जल नहाने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। शहरों और नगरों का असंसाधित अथवा आंशिक रूप से संसाधित गंदा पानी नदियों में डाला जा रहा है।
- असंसाधित अथवा अपर्याप्त रूप से संसाधित औद्योगिक बहिस्राव जल संसाधनों को तो प्रदूषित करते ही हैं, साथ ही भूजल को भी दूषित करते हैं।
- पानी पर होने वाले विवाद बढ़ रहे हैं। नदी के ऊंचे तथा निचले तटवर्तियों के बीच पानी के हक को लेकर पारम्परिक झगड़ों के अलावा, पानी की गुणवत्ता को लेकर झगड़े, जलविभाजक में अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध वर्षा जल एकत्रण हेतु लोगों के हक, भूजल के औद्योगिक उपयोग और उसके भूजल स्तर पर असर तथा शहरी एवं ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद उभर कर सामने आए हैं।

2.2 विश्व के कुल क्षेत्र का 2.4% होने के साथ भारत के पास विश्व की जनसंख्या का 16% है, परन्तु ताजे जल की कुल उपलब्धता का केवल 4% है। यह स्पष्ट रूप से जल संसाधन विकास, संरक्षण तथा इसके इष्टतम उपयोग की ओर इशारा करता है। सौभाग्य से बृहद स्तर पर भारत में पानी की कमी नहीं है। समस्याएं जो बड़े पैमाने पर मंडराती दिखती हैं, वह प्रबंधनयोग्य हैं तथा इनके सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाया जा सकता है।

जल की उपलब्धता

जल संसाधन

2.3 देश की जल संसाधन क्षमताओं का विभिन्न अभिकरणों द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया गया है। अलग-अलग अनुमानों को तालिका 2.1 में दिखाया गया है। यह देखा जा सकता है कि 1954 से, अनुमानों में स्थिरता आयी है तथा मौजूदा समय में 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के स्वीकार्य अनुमान के दायरे में है, जिसमें पुनः पूर्ति भूजल शामिल है, जो वार्षिक आधार पर भरता रहता है।

तालिका 2.1
भारत के जल संसाधनों के अनुमान

अभिकरण	बीसीएम में अनुमान	बीसीएम से 1869 विचलन
पहला सिंचाई आयोग (1902-03)	1443	- 23 %
डॉ. ए.एन. खोसला (1949)	1673	- 10%
केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग (1954-66)	1881	+0.6%
राष्ट्रीय कृषि आयोग	1850	- 1 %
केन्द्रीय जल आयोग (1988)	1880	+0.6%
केन्द्रीय जल आयोग (1993)	1869	-

प्रयोज्य जल संसाधन संभाव्यता

2.4 भू-आकृतिक स्थितियों, सामाजिक-राजनीतिक माहौल, विधिक एवं सांविधिक विवशताओं तथा उपलब्ध तकनीक के सीमा-बंधनों के भीतर देश के प्रयोज्य जल संसाधनों का निर्धारण 1123 बीसीएम किया गया है, जिसमें से 690 बीसीएम सतही जल है तथा 433 बीसीएम भू-जल संसाधनों से है (केन्द्रीय जल आयोग 1993)। प्रयोज्य सतही जल के 690 बीसीएम को तभी काम में लाया जा सकता संभव है, जब उसके अनुरूप भण्डारण का निर्माण किया जाए। जल का ट्रांस-बेसिन स्थानान्तरण यदि पूरी तरह से किया जाए, जैसा कि राष्ट्रीय संदर्श योजना में प्रस्तावित

है, इससे जल की प्रयोज्य मात्रा में लगभग 220 बीसीएम की और वृद्धि हो जाएगी। देश की सिंचाई क्षमता जल की अंतः बेसिन हिस्सेदारी के बिना 139.9 मिलियन हैक्टेयर (मि.हे.), तथा अंतः बेसिन हिस्सेदारी के साथ 175 मि.हे. अनुमानित की गई है।

2.5 यद्यपि देश की कुल जल संसाधन उपलब्धता स्थिर रहती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता धीरे-धीरे 1951 से कम होती जा रही है। जल-अभाव के दो संसूचक हैं, प्रति व्यक्ति उपलब्धता तथा भंडारण। प्रति व्यक्ति 1700 क्यूबिक मीटर (एम³) से कम उपलब्धता जल-तनाव स्थिति कहलाती है, जबकि यदि 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे चला जाए तो जल-अभाव स्थिति कहलाती है। यद्यपि औसतन हम जल-तनाव स्थिति के करीब हैं, प्रत्येक नदी बेसिन-वार परिस्थिति यह है कि 20 नदी बेसिनों में से 9 नदी बेसिन 200 मिलियन जनसंख्या के साथ जल अभाव स्थिति का सामना कर रही हैं। 4525 बड़े और छोटे बांधों का निर्माण कर लेने के बावजूद, देश में प्रति व्यक्ति भंडारण 213 क्यू.मी. है, जबकि इसमें 6103 क्यू.मी, ऑस्ट्रेलिया में 4733 क्यू. मी., संयुक्त राज्य अमरीका में 1964 क्यू.सी. तथा चीन में 1111 क्यू.मी. है। जिन बांधों पर काम जारी है तथा प्रस्तावित बांधों के पूरा हो जाने के बाद देश में प्रति व्यक्ति भंडारण 400 क्यू.मी. को छू लेगा।

चरम सिंचाई क्षमता (यूआईपी)

2.6 भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग बहुत अधिक है। तथापि, जल के भंडारण तथा स्थानान्तरण सीमित होने से सिंचाई की क्षमता पर रोक लगती है। मई 1997 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा चरम सिंचाई क्षमता का पुनर्निर्धारण किया गया, दसवीं योजना के अंत तक सृजित क्षमता (पीसी) तथा प्रयुक्त क्षमता (पीयू) तालिका 2.2 में दिखायी गई है —

2.7 गुंजाइश के पुनरावलोकन, तकनीकी प्रगति, जल के अंतर्बेसिन स्थानान्तरण, भूजल की अभिप्रेरित रीचार्जिंग आदि के लिए यूआईपी निर्धारण की समीक्षा आवधिक तौर पर किए जाने की जरूरत है। जल वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता तथा प्रयोज्य स्तर पर इसके इष्टतम उपयोग पर सिंचाई क्षमता का सृजन निर्भर करता है। नहर सिंचाई सहित इंटीग्रेटिंग माइक्रो सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के साथ, जैसी नर्मदा नहर परियोजना, राजस्थान के मामले में की गई है, मूलभूत सिंचाई क्षमता में और बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी प्रकार भूजल के मामले में भूजल की रीचार्जिंग के अभिनव तरीकों से तथा नदी के किनारों के साथ-साथ आप्लावित भूमि पर जल भण्डारण करने से भी मूलभूत सिंचाई क्षमता 64 एम.एच. से अधिक बढ़ाई जा सकती है।

तालिका 2.2
चरम सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता तथा प्रयुक्त क्षमता

(मि.हे.में)

क्षेत्र	चरम सिंचाई क्षमता	सृजित क्षमता		प्रयुक्त क्षमता	
		नौवीं योजना के अंत तक	दसवीं योजना में अंत तक	नौवीं योजना के प्रत्याशित	दसवीं योजना में प्रत्याशित
प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई (एमएमआई)	58.47	37.05	5.3	31.01	3.41
गौण सिंचाई (एमआई)					
(क) सतही जल	17.38	13.6	0.71	11.44	0.56
(ख) भू-जल	64.05	43.3	2.81	38.55	2.26
उप जोड़	81.43	56.9	3.52	49.99	2.82
कुल	139.9	93.95	8.82	81.00	6.23

प्रकृति के लिए जल

2.8 पारिस्थितिकीय दृष्टि से जल पर किए जाने वाले प्रतिस्पर्धात्मक दावों के बीच विनियम का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रीय जल नीति में पारिस्थितिकी को जल उपयोग के प्राथमिकता के क्रम में चौथे स्थान पर रखा गया है। फिर भी सभी के बीच एक आम सहमति यह है कि जल के मार्ग में कोई भी परिवर्तन लाने के लिए नदी के अधिबहाव की दिशा में पारिस्थितिकी प्रणाली पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण के लिए आवश्यक जल प्रवाह की मात्रा (इनविरोनमिंट फ्लो रिलीजेस (ईएफआर) को तैयार है। प्रयोग में आने वाले पानी को इसी हद तक कम किया जा सकता है। वर्ष 2004-05 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है, जिसका अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के एक सदस्य (नदी प्रबंधन) को बनाया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के लिए आवश्यक जल प्रवाह (ईएफआर) के बारे में दिशानिर्देश तैयार करना है। समिति ने 2005 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अंतिम रूप से स्वीकृत सिफारिश क्या होती है, इसके आधार पर ही नदी और पर्यावरण के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रवाह के बारे में निर्णय लिया जाएगा और जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन और जल उपलब्धता की अनिश्चितता

2.9 जलवायु में हो रहे परिवर्तन की चुनौती अब एक हकीकत माना जा रहा है। सामान्य मॉडल (जीसीएम) से वातावरण की कार्यप्रणाली में त्वरण पैदा हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के विभिन्न स्तरों पर "यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा" का प्रश्न चिह्न पैदा हो गया है। इन्हीं मॉडलों का प्रयोग करके मौसम

विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि विश्व के बढ़ते तापमान से "चल-चक्र" की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, कम समयावधि के लिए लेकिन बहुत अधिक वर्षा हुआ करेगी, बाढ़ और सूखा दोनों का ही प्रकोप बहुत अधिक हुआ करेगा, बाढ़ बार-बार आयेगी, वर्षा सर्दियों के मौसम की ओर बढ़ती जायेगी और हिमनदों के परिमाण में कमी आयेगी जिससे शुरू-शुरू में तो जल प्रवाह बहुत अधिक होगा, लेकिन बाद में यह प्रवाह कम होता जाएगा।

2.10 जलवायु में हो रहे परिवर्तन का जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) ने अनुसंधान संस्थानों और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस पर अध्ययन कार्य शुरू कर दिया है।

2.11 जल वैज्ञानिक भी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि जलवायु में होने वाले परिवर्तन का जल की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समय और स्थान की दृष्टि से इसका संवितरण कैसा रहेगा और इसकी मौसम में क्या बदला जाएगा। यदि औसत तापमान बढ़ता है, तो इससे वाष्पन और उत्सर्जन की प्रक्रिया तेज होगी क्योंकि इसके लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा पैदा होगी। वनों की वाष्पन एवं उत्सर्जन की क्रिया क्षमता में तेजी आने से पर्यावरण में भारी परिवर्तन आ जायेगा और जहाँ तक खेती की बात है, इससे फसलों के लिए पानी की और अधिक जरूरत पड़ेगी। मौसमी तापमान में परिवर्तन आने से फसल के मौसमों में भी बदलाव आ सकता है। अब हमारे पास पर्याप्त आंकड़े हैं, जिससे यह पता चल सकता है विभिन्न संभावनाओं के बीच "यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा" की स्थिति का पता चल सकता है और इससे इन संभावनाओं के मद्देनजर कुछ योजनाएं तैयार की जा सकती हैं।

2.12 जलवायु में आने वाले परिवर्तन के बाद की स्थिति के मद्देनजर, ऐसी प्रणालियों से ज्यादा फायदा होगा, जिसमें संभलने


की क्षमता ज्यादा होगी, वनिस्पत उनके जिनमें संभलने की क्षमता कम होगी। ऐसी इंजीनियरिंग अवसंरचनाओं जिनमें जल का कुशल भंडारण किया जा सकता है और जिनसे पानी की आपूर्ति अधिक सुनिश्चिततापूर्ण की जा सकती है, से अनिश्चितता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जल संसाधन अवसंस्थानाओं की योजना बनाते समय हमें जलवायु में हो रहे परिवर्तन पर भी विचार किये जाने की जरूरत है।

जल की आवश्यकता

2.13 विभिन्न क्षेत्रों के लिए पानी की आवश्यकता का आकलन "राष्ट्रीय समेकित जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआई डब्ल्यूआरडी)" द्वारा वर्ष 2000 में किया जा चुका है। यह आवश्यकता इस पूर्व संकल्पना पर आधारित है कि सिंचाई क्षमता 35 से 40% के वर्तमान स्तर से बढ़कर 60% तक बढ़ जायेगी। जल संसाधन मंत्रालय को स्थायी समिति भी इसका समय-समय पर आंकलन करती रहती है। इसको सारणी 2.3 में दर्शाया गया है -

सारणी 2.3
विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल की आवश्यकता

क्षेत्र	जल की मांग कि.मी ^३ (या बीसीएम)					
	जलसंसाधन मंत्रालय की स्थायी समिति			राष्ट्रीय समेकित जल संसाधन विकास आयोग		
वर्ष	2010	2025	2050	2010	2025	2050
सिंचाई	688	910	1072	557	611	807
पेयजल	56	73	102	43	62	111
उद्योग	12	23	63	37	67	81
ऊर्जा	5	15	130	19	33	70
अन्य	52	72	80	54	70	111
योग	813	1093	1447	710	843	1180



चित्र 1 : सिंचाई पर खर्च

जल संसाधन विकास और प्रयोग-सिंचाई

ऐतिहासिक विकास

2.14 बड़े पैमाने पर सिंचाई क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) से शुरू होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और 1966-69 तक चली वार्षिक योजनाओं में नई-नई परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि चालू योजनाओं को पूरा कर लिया जाए। पांचवीं योजना में यह महसूस किया गया कि सृजित क्षमता और इसके उपयोग की आवश्यकता के बीच बहुत अधिक अंतर है। अतः कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1978-80 तक चली वार्षिक योजनाओं में और छठीं पंचवर्षीय योजना में नए काम शुरू हुए और मुख्य ध्यान सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1996-97) तक, इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

2.15 यद्यपि, सिंचाई पर होने वाले योजनागत व्यय को प्रथम पंचवर्षीय योजना के 44.18 करोड़ रुपये से बढ़ाकर दसवीं योजना में 95743.42 करोड़ रुपये (परिव्यय) कर दिया गया है, लेकिन कुल योजनागत व्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 23% से कम होकर दसवीं योजना में 6.3% हो गई। कुल योजनागत व्यय में से सिंचाई क्षेत्र पर किए जाने वाले प्रतिशत व्यय के रुख में परिवर्तन को चित्र 2.1 में दर्शाया गया है।

2.16 मार्च 2007 तक की प्रत्याशित सृजित क्षमता 102.77 मिलियन हैक्टेयर है, जो कि 140 मिलियन हैक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता का 73.46% है। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की अंतिम

सिंचाई क्षमता 58.47 मिलियन हैक्टेयर है, जबकि इसके एवज में 42.35 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। लघु सिंचाई की सृजित क्षमता 60.42 मिलियन हैक्टेयर है, जबकि इसकी कुल अंतिम क्षमता 81.43 मिलियन हैक्टेयर है। इन योजना अवधियों में सिंचाई क्षमता के सृजन और इसके तदनुसूची उपयोग को संलग्नक-2.1 में दर्शाया गया है।

2.17 देश का सकल सिंचित क्षेत्र मात्र 87.23 मिलियन हैक्टेयर (एम.एच.) है। 140% की औसत सिंचाई गहनता से, वास्तविक सिंचित क्षेत्र के लगभग 62.31 मिलियन हैक्टेयर तक पहुँच जाने की संभावना है जो कि देश में जोते गए निवल क्षेत्र (142 एम.एच.) का मात्र 43 % है 139.89 एम.एच. के यूआईपी की उपलब्धि के बाद और इस 140% की औसत सिंचाई गहनता पर विचार करते हुए देश में अधिकतम सिंचित क्षेत्र निवल जोते गए क्षेत्र का मात्र 70% ही हो सकेगा।

2.18 सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग के लिए आवश्यक सिंचाई क्षमता के बीच अंतर के बढ़ने के कई कारण हैं। सिंचित प्रणालियों को इस तरह से तैयार किया गया है कि उनसे 75% के विश्वसनीय स्तर तक की सिंचाई की जा सके। कुछ कछारों (बेसिन्स) में उपलब्ध पानी उस परिमाण से भी कम है, जितने के लिए सिंचाई संस्थानों का निर्माण किया गया है। नहर के शीर्ष की ओर रहने वाले किसान पानी का इतना अधिक अवशोषण करते हैं कि नहर के छोर पर रहने वाले किसान बिना पानी के ही रह जाते हैं। खेतों तक पहुँचने वाली सरणियों का विकास इतना अपर्याप्त है, जिनका विकास किसानों को ही करना है, कि यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है। नहर प्रणाली में सम्पर्क स्थानों के गायब होने या इसमें टूट-फूट होने से पानी का उपयोग कम होता है। इस अंतर के कुछ हिस्से को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कम किया जा सकता है। अब तक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 311 परियोजनाओं को (जिनका कुल कृष्य

कमान क्षेत्र 28.58 मिलियन हैक्टेयर है) शामिल किया गया है। मार्च 2006 के अंत तक 17.43 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में खेतों की सरणियों के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस समय यह कार्यक्रम 136 परियोजनाओं में चल रहा है, जिनका कुल कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) 17.06 मिलियन हैक्टेयर है।

2.19 10वीं पंचवर्षीय योजना में मार्च 2006 के अंत तक हासिल की गई और 10वीं योजना के अंत तक हासिल किये जाने के लिए संभावित, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख घटकों की वास्तविक प्रगति को नीचे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है —

2.20 कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं योजना का कुल प्रत्याशित व्यय 1591.57 करोड़ रुपये आया है।

शीर्ष तथा मध्यम परियोजनाएं

वास्तविक तथा वित्तीय कामकाज

2.21 योजना आयोग ने 10वीं योजना के लिए 9.93 मिलियन हैक्टेयर (एम.एच.) क्षेत्र का क्षमता सृजन लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन के दौरान इसको संशोधित करके 6.5 मिलियन हैक्टेयर एम.एच.ए.) कर दिया गया है। 10वीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कामकाज और शेष दो वर्षों के प्रत्याशित कामकाज को तालिका 2.5 में दर्शाया गया है —

परियोजनाओं को पूरा करना

2.22 10वीं पंचवर्षीय योजना में 490 परियोजनाएं पिछली योजनाओं में से लाई गई हैं और 10वीं योजना में ही 231 अन्य परियोजनाओं को शुरू किया जाना था। इसके अलावा, परियोजनाओं के वर्तमान वास्तविक और वित्तीय स्थिति को देखते हुए 103 बड़ी, 210 मध्यम और 62 विस्तार की गई, पुरुद्धार और आधुनिकीकरण

तालिका 2.4

10वीं योजना में कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत भौतिक प्रगति

(मि.हे.में)

क्र.सं.	मद	मार्च के अंत तक की प्रगति	2006-07 के दौरान प्रत्याशित प्रगति	10वीं योजना की कुल प्रत्याशित प्रगति
1.	क्षेत्र सारणियां	1.671	0.373	2.044
2.	क्षेत्र जल निकास	0.476	0.108	0.584
3.	बाड़ाबंदी	0.929	0.124	1.053
4.	भूसमतलीकरण*	0.050	-	0.050

नोट: * 1.4.2004 से इस घटक को बंद कर दिया गया।

तालिका 2.5
10वीं योजना के दौरान एमएमआई क्षेत्र के भौतिक और वित्तीय निष्पादन

वर्ष	भौतिक (मि.हे.में)		वित्तीय (करोड़ ₹0 में)	
	सृजित क्षमता	उपयोग की गई क्षमता	संशो. परिव्यय	व्यय
2002-03	0.812	0.532	13131.51	9655.68
2003-04	0.922	0.639	12334.79	11046.40
2004-05#	1.064	0.685	15483.05	15483.05
2005-06#	1.069	0.625	30263.83	30263.83
2006-07।	1.428	0.928		
कुल	5.295	3.409	71213.18	66448.96

नोट: # प्रत्याशित *लक्षित

(ईआरएम) वाली योजनाओं को पर्याप्त धन के प्रावधान से पूरा कर लिए जाने की आशा थी। चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है, अतः ज्यादातर परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। 11वीं योजना में जल संसाधन संबंधी कार्यकारी दल ने अब यह आकलन किया है कि 10वीं योजना में 179 नई परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जबकि 178 परियोजनायें 10वीं योजना में पूरी हो जायेंगी, जिनमें 48 बड़ी, 91 मध्यम और 39 ईआरएम परियोजनाएं भी शामिल हैं। परियोजनाओं के उनके प्रक्षेपित स्तर से पूरा न होने के कई कारण हैं, जैसे कि पर्याप्त धन कई परियोजनाओं पर खर्च नहीं किया गया है, अनुमानित लागत में संशोधन, कार्यक्रम में परिवर्तन, अप्रत्याशित अड़चनें, जिनमें अन्य एजेंसियां भी आती हैं, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला विरोध आदि।

11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में आगे को लाई गई परियोजनाएं

2.23 आगे ले जाये जाने के लिए संभावित चालू परियोजनाओं की स्थिति का विश्लेषण करते समय यह देखने में आया है कि ऐसी कई परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिनके बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी, कुछ चालू परियोजनाओं का स्थगित कर दिया गया है, जबकि कुछ परियोजनाओं के वगीकृत शीर्ष, जैसे कि बड़ी, मध्यम और ईआरएम परियोजनाओं, का आपस में फेर बदल कर दिया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई नई परियोजनाओं, 10वीं परियोजनाओं में पूरी होने के लिए संभावित परियोजनाओं, अन्य कारक जिनसे परियोजनाओं की संख्या में बदलाव आया है, की गणना करने के पश्चात् पता चला है कि 11वीं योजना में आगे को लाई गई परियोजनाओं की संख्या 477 है, जिसमें 116 बड़ी, 222 मध्यम और 89 ईआरएम परियोजनाएं हैं। इनके स्तर को तालिका 2.6 में दर्शाया गया है —

तालिका 2.6
11वीं पंचवर्षीय योजना में आगे को लाई गई, बड़ी, मध्यम और ईआरएम परियोजना में

योजना जिसमें इस परियोजना को शुरू किया गया	बड़ी	मध्यम	ईआरएम	योग
I	0	0	0	0
II	2	0	0	2
III	5	1	0	6
1966-69	2	0	0	2
IV	8	5	4	17
V	33	19	1	53
1978-80	2	9	3	14
VI	25	19	6	50
VII	10	13	11	34
1990-92	2	2	0	4
VIII	19	48	11	78
IX	20	40	17	77
X	38	66	36	140
योग	166	222	89	477

2.24 सभी तीनों प्रकार की परियोजनाओं का कई सालों से क्रियान्वयन किया जा रहा है, कुछ तो इतनी पुरानी है कि वे दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही चल रही हैं। उपर्युक्त 477 परियोजनाओं में से 63% को केन्द्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। अतः वे केन्द्रीय सहायता के लिए हकदार नहीं है।

सूखा प्रवण क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों की बड़ी और मध्यम परियोजनायें

2.25 सूखा प्रवण क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के परियोजनाओं को इस प्रकार से अनुमोदित किया जाता है कि लाभ और लागत

के बीच अनुपात कम होता है, जिससे कि इन क्षेत्रों को ज्यादा लाभ मिल सके। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई भाग सूखा प्रवण माना जाता है। 14 राज्यों के 99 जिलों को सूखा प्रवण क्षेत्र माना गया है। इन जिलों में लगभग 77 मि.हे. क्षेत्र कृषि योग्य है, जो कि देश के कुल 184 मिलियन हैक्टेयर कृष्य क्षेत्र का 42% होता है। इन राज्यों में गुजरात और राजस्थान राज्य सर्वाधिक सूखा प्रवण है, इनके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य आते हैं। 11वीं योजना के प्रारम्भ के समय 477 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से 148 बड़ी और 195 मध्यम परियोजनाओं से सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ मिलने की आशा है। इनमें से 76 बड़ी और 102 मध्यम परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है।

गैर-अनुमोदित परियोजनाएं

2.26 प्लान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्कीमों को क्रियान्वित किए जाने के पूर्व इनके लिए औपचारिक रूप से योजना आयोग से निवेश संबंधी क्लियरेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। तदनुसार संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा इनकी तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता, अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय पहलुओं और पुनर्वास परक संदर्भों की दृष्टि से जांच-परख की जाती है। इसके पश्चात निवेशपरक क्लियरेंस देने के लिए योजना आयोग ऐसे प्रस्ताव पर विचार करता है। बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मामले में राज्य के योजना बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वे इनको निवेश क्लियरेंस दे सकते हैं, बशर्ते कि इसमें अंतर्राज्यीय मुद्दा न हो। एक सुपरिभाषित नीति और दिशा-निर्देशों के बावजूद योजना आयोग से निवेश क्लियरेंस प्राप्त किए बिना ही कई बड़ी और मध्यम परियोजना चल रही हैं। 10वीं योजना की गैर अनुमोदित परियोजनाओं को, जिनमें 90 बड़ी, 136 मध्यम और 74 ईआरएम परियोजनाएं आती हैं, 11वीं योजना में लिए जाने की संभावना है। 10वीं योजना तक इन परियोजनाओं पर लगभग 41,128 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है, जिसका ब्यौरा तालिका 2.7 में दिया गया है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

2.27 छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ (1980) से लेकर 1992 की वार्षिक रोलिंग प्लान तक अर्थात् इस 12 वर्ष की अवधि में 24.48 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र के बराबर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। इसकी दर 2.04 मिलियन हैक्टे. वार्षिक है। आठवीं योजना में यह दर तेजी से कम होकर 1.03 मिलियन हैक्टे. वार्षिक तक आ गई। सिंचाई क्षमता सृजन की इस दर में आई अचानक गिरावट तथा साथ ही साथ राज्यों की वार्षिक योजनाओं में सिंचाई क्षेत्र के लिए किये जाने वाले आवंटन को देखते हुए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया है, और इसे बड़ी सिंचाई योजनाओं में भी चलाया जा रहा है जिसे उन्हें जल्दी से पूरा किया जा सके और अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का तेजी से सृजन किया जा सके।

2.28 इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन सभी परियोजना सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखती हैं, जिनको योजना आयोग का निवेश अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस कार्यक्रम में जो प्रारम्भ में पूरी तरह केन्द्र से मिलने वाले ऋण पर निर्भरता, संशोधन करके इस सामान्य केन्द्रीय सहायता वाले कार्यक्रमों की तरह बना दिया गया, जिसके लिए वर्ष 2004-05 से अनुदान और ऋण (मिश्रित) दोनों ही घटक प्रदान किए जाते हैं। इसमें सुधारात्मक उपाय, जैसे कि "आपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स" को कवर करने के लिए जल दर में संशोधन, किए गए हैं, लेकिन इनके परिणाम संतोषजनक नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इन सुधारात्मक उपायों को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों द्वारा बहुत ही धीमा प्रयास किया गया है। इसके अलावा किसानों को, जो 70% ऋण के रूप में प्रोत्साहन दिया गया था, वह भी सुधार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वर्ष 2005-06 में भारत सरकार ने "भारत निर्माण कार्यक्रम" शुरू किया है, जिसमें 4 वर्ष की अवधि में 10 मिलियन हैक्टे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है और इस

तालिका 2.7

बिना अनुमोदन वाली वृहद, मध्यम, और ईआरएम परियोजनाएं

	यूए परियोजनाओं की संख्या	अद्यतन अनु. लागत	10वीं योजना तक व्यय (रुपये करोड़ में)	कुल क्षमता	10वीं योजना तक सृजित क्षमता (टीएच. हैक्टे.)
वृहद परियोजना	90	100017.85	31004.66	5960.58	930.85
मध्यम परियोजना	136	12947.09	5943.78	809.82	153.16
ईआरएम	74	9095.30	4234.31	1177.07	135.10
कुल	300	122060.24	41127.75	7947.47	1219.11

50 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिसम्बर, 2006 में एआईबीपी के दिशा-निर्देशों में फिर संशोधन किया गया, जिसमें एआईबीपी के नॉन विशिष्ट कैटेगरी के राज्यों के लिए परियोजना लागत के 25% के अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है और विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए परियोजना लागत का 90% अनुदान दिया जाता है और परियोजना सूखा संभावित और जनजातीय क्षेत्रों को भी लाभ प्रदान करती हैं।

एआईबीपी का निष्पादन

2.29 एआईबीपी के तहत 229 बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें से 91 जुलाई, 2007 तक पूरी की जा चुकी हैं। एआईबीपी की अधिकतम सिंचाई क्षमता 82.76 लाख हैक्टे. में बड़ी व मध्यम परियोजनाओं/घटकों को सहायता पहुंचाना रहा है। इसमें से मार्च 2007 तक सृजित सिंचाई क्षमता 43.56 लाख हैक्टे. रही है, जो कि सभी एआईबीपी परियोजनाओं की कुल क्षमता का लगभग 53% है। मार्च 2007 तक 6205 लघु सिंचाई स्कीमों को एआईबीपी के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिनमें से 4418 स्कीमों पूरी हो गई हैं। एआईबीपी में शामिल लघु सिंचाई संबंधी अधिकतम क्षमता 3.85 लाख हैक्टे. थी एवं मार्च 2007 तक 1.87 लाख हैक्टे. क्षमता का ही सृजन

किया जा सका है। एआईबीपी से सहायता प्राप्त लघु सिंचाई स्कीमों का कार्य के पूरा होने की दर पूरी तरह संतोषजनक रही है, क्योंकि उनकी कार्याधीन अवधि कम रही है।

2.30 फिर भी, बड़ी और मध्यम परियोजनाओं का कार्य निष्पादन परियोजनाओं के पूरा होने और क्षमता के सृजन की दृष्टि से अधिक संतोषजनक नहीं रहा है। एआईबीपी के अंतर्गत 1996-97 से ही परिव्ययों में सतत् रूप से वृद्धि होती रही है। एआईबीपी के शुरू होने के बाद बड़े और मध्यम क्षेत्रक के तहत देश में सिंचाई क्षमता के सृजन में तेजी आई। 8वीं योजना अवधि में देश में बड़े और मध्यम क्षेत्रक के तहत 22.10 लाख हैक्टे. सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया, जिसकी वार्षिक दर 4.4 लाख हैक्टे. प्रति वर्ष रही है। 9वीं योजना अवधि के दौरान जब एआईबीपी चाल में थी, बड़े और मध्यम क्षेत्रक में सृजित 41.0 लाख हैक्टे. में से 16.5 लाख हैक्टे. (लगभग 41 %) एआईबीपी स्कीम के माध्यम से था। पहली योजना से 8वीं योजना तक अधिकतम सृजन 5वीं योजना में अधिकतम 40.28 हैक्टे. था, एआईबीपी के शुरू होने के बाद 9वीं योजना में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का यह कदम 9वीं योजना में भी जारी रहा, 10वीं योजना में भी यह दौर जारी रहा। वर्षवार सृजित क्षमता और जारी निधि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.8
एआईबीपी परियोजनाओं का निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जारी केन्द्रीय ऋण सहायता सीएलए अनुदान	सृजित क्षमता (सामान्य)	सृजित क्षमता (फास्ट ट्रैक#)	एआईबीपी के तहत सृजित कुल क्षमता	सृजित कुल क्षमता
1996-97	500.00	72.08		72.08	559.97
1997-98	952.19	200.02		200.02	645.18
1998-99	1119.18	257.41		257.41	592.15
1999-00	1450.48	220.21		220.21	666.04
2000-01	1856.20	531.43		531.43	983.53
2001-02	2601.98	443.37	0.00	443.37	1214.59
2002-03	3061.70	272.43	182.93	455.36	812.00
2003-04	3128.50	357.20	89.83	447.03	1004.00
2004-05	2867.34	408.67	82.58	491.25	1000.00*
2005-06	1900.31	735.85	144.09	879.94	1500.00*
2006-07	2301.97				
कुल	21739.85	3498.67	499.43	3998.10	

नोट: # परियोजनाएं जिन्हें 2 कृषि सीजनों में (एक वर्ष में) उच्चतर केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाना है।

* अस्थायी।

लघु सिंचाई

2.31 1951 से 2007 तक बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित क्षेत्र 3.47 गुणा, तालाबों के माध्यम से 1.9 गुणा और भूमि जल से 6.3 गुणा अधिक बढ़ गया है। भूमि जल में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि किसानों के लिए यह सिंचाई को नियंत्रित करता है, और विद्युतीकरण और सब्सिडाइज्ड विद्युत के फैलाव से इसका विकास निर्धारित होता है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में भी किसान दैनिक उपयोग की दृष्टि से आमतौर पर भूमि जल का उपयोग करते हैं, ताकि नहर के पानी सहायता से कृषि उत्पाद को अधिकतम किया जा सके।

2.32 योजना आयोग द्वारा 10वीं योजना के दौरान 6.8 एमएच के लक्ष्य के लिए 13,873 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था। बाद में इस परिव्यय को संशोधित कर रुपये 14,764 करोड़ कर दिया गया और मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) के दौरान लक्ष्य भी संशोधित कर उसे 4.0 एमएच कर दिया गया, प्रत्याशा है कि अब उपलब्धि 3.5 एमएच तक पहुँच सकती है, जिसमें से 2.81 एमएच की प्रत्याशा भूमि, जल विकास से है। 10वीं योजना के प्रथम तीन वर्ष के दौरान और शेष दो वर्ष की शेष अवधि का निष्पादन तालिका 2.9 में दर्शाया गया है —

तालिका 2.9
10वीं योजना के दौरान एमआई क्षेत्रक का भौतिक और वित्तीय निष्पादन

वर्ष	भौतिक (एमएच में)		वित्तीय (₹ करोड़ में)	
	सृजित	इस्तेमाल की क्षमता	संशो. गई क्षमता	व्यय परिव्यय
2002-03	0.687	0.548	1950.45	1639
2003-04	0.628	0.502	2634.63	1957
2004-05	0.740	0.592	2780.35	2780.35
2005-06#	0.545	0.440	7398.75	7398.75
2006-07*	0.918	0.734		
कुल	3.518	2.816	14764.18	13775.1

नोट: # प्रत्याशित *लक्षित

2.33 कम निष्पादन के मोटे कारण निम्न प्रकार हैं—

- लघु एवं मझौले किसानों की कमजोर आर्थिक दशा।
- सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता।
- नहर कमान में उच्च जल दर छूट, जबकि भूमि जल विकास के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं।
- हार्ड रॉक क्षेत्र में भूमि संसाधन प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है।
- संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में जल प्राप्ति, परिणामस्वरूप जल-स्तर में कमी आने से कुएं भी असफल साबित होने लगे हैं।

2.34 भूमि जल विकास में तीव्र वृद्धि से देश में भूमि जल का अधिक दोहन होने लगा है। 15% ब्लॉकों में भूमि जल का वार्षिक निष्कासन वार्षिक रिचार्ज से अधिक होने लगा है और 4% ब्लॉकों में यह वार्षिक रिचार्ज 90% से अधिक है। क्योंकि भूमि जल नीचे चला जाता है, और कुओं को और अधिक गहरा खोदना पड़ता है, और पानी को खींचने के लिए अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। चित्र 2.2 देश में भूमि जल के उपयोगी स्थिति को दर्शाता है। यह नक्शा दो चुनौतियों को दर्शाता है—अधिक दोहन वाले क्षेत्रों में धारणीय स्तर पर भूमि जल का उपयोग कैसे किया जाए और दूसरी चुनौती है कि पूर्व क्षेत्रों में अनियंत्रित भूमि जल क्षमता का विकास कैसे किया जाए।

2.35 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय) के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण की कार्यवाही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में पूरी की जा रही है। 11वीं योजना में उद्देश्य होना चाहिए कि इन राज्यों में अधिकांश क्षेत्र को विद्युतीकृत कृषि पम्प सैट्स के माध्यम से सिंचाई के अंतर्गत लाने का होना चाहिए। यह कृषि उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा का एक मुख्य कारक होगा। इसके लिए राज्यों द्वारा निम्न प्रावधानों के साथ एक व्यावहारिक योजना तैयार करने की आवश्यकता है। (क) सिंचाई के लिए पर्याप्त क्षमता (ख) नलकूपों के लिए किसानों को आसान क्रेडिट (ग) विद्युती कनेक्शन देने के लिए सब्सिडाइज्ड दरों पीक और ऑफ पीक विद्युत आपूर्ति के लिए अलग-अलग कीमतों के संबंध में किराया नीति का कार्यान्वयन होने से कृषि क्षेत्रक को ऑफ पीक की विद्युत आपूर्ति सामान्य दरों पर होनी संभव होगी।


लघु सिंचाई सतही जल स्कीम्स

2.36 टैंकों और तालाबों पर आधारित सतही जल स्कीमों का विकास धीरे-धीरे हुआ है। भूमि जल के उपयोग के लिए नहर सिंचाई उपलब्ध कराने में सरकार की सफलता और भारी छूट के साथ विद्युत की आपूर्ति में ग्रामीण टैंकों और तालाबों आदि के माध्यम से स्थानीय जल एकत्रीकरण पर ध्यान नगण्य ही रहा है। इनमें से काफी तो दिखने ही बंद हो गए हैं, इसका आरम्भिक कारण ग्रामीण समुदायों ने पानी के वैकल्पिक उपयोग हेतु अपनी जिम्मेदारी की भावना नहीं निभाई। जल निकायों के भण्डारण हैं— आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल। 11वीं योजना के दौरान 20,000 जल निकायों (जलाशयों) का जीर्णोद्धार एवं बहाल किया जाएगा।

बाढ़ नियंत्रण

वास्तविक उपलब्धियां

2.37 10वीं योजना के आरम्भ (2002) में लाभान्वित सुरक्षित क्षेत्र जहाँ सुरक्षा का वाजिब स्तर था, वह लगभग 16.44 एमएचए



चित्र 2.2 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार ब्लॉकों/मंडलों/तालुकों का वर्गीकरण

था। योजना आयोग ने 1.93 एमएचए क्षेत्र के संरक्षण के लिए राज्य क्षेत्रक हेतु रु0 4619 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया था। राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र की संभावना उनकी वार्षिक योजना दस्तावेजों में 1.78 एमएचए है। इस प्रकार 10वीं योजना के अंत तक बाढ़ से वाजिब रूप से संरक्षित कुल क्षेत्र लगभग 18.22 एमएच रहा है। प्रति यूनिट

निवेश की वास्तविक उपलब्धि लागत के उतार-चढ़ाव के कारण में रुख नीचे की ओर रहेगा, और मौजूदा कार्यों की स्थिरता के लिए आवंटन में वृद्धि होगी।

2.38 10वीं योजना के लिए राज्य और केन्द्र के क्षेत्रकों के लिए वर्षवार परिव्यय और वास्तविक/प्रत्याशित व्यय तालिका 2.10 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.10
दसवीं योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण में वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुमोदित संशोधित परिव्यय			व्यय वास्तविक/प्रत्याशित		
	राज्य	केन्द्र	कुल	राज्य	केन्द्र	कुल
2002-03	624	151	775	698	86	785
2003-04	496	156	652	523	96	619
2004-05	669	184	853	644	100	744
2005-06	933	232	1165	830	181	1011
2006-07	1034	680	2520	1116	194	1310
कुल	4562	1403	5965	3811	657	4468

बाढ़ से नुकसान एवं सहायता

2.39 10वीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा बाढ़ से नुकसान के संबंध में रिपोर्ट के अनुसार अंतरिम सहायता जारी निधि तालिका 2.11 में दर्शाई गई है —

तालिका 2.11
दसवीं योजना के दौरान बाढ़ से नुकसान एवं राहत

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से नुकसान	संस्तुतित प्राकृतिक आपदा सहायता निधि
2002-03	2575	1600
2003-04	4434	1587
2004-05	3337	1286

2.40 ऊपर उल्लिखित राहत निधियों में चक्रवातों एवं अन्य ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता भी शामिल है, उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 10वीं योजना में पहले तीन वर्षों के दौरान राहत का व्यय काफी ऊंचा रहा और संबंधित योजना परियोजना भी अपर्याप्त थे। अतः यह आवश्यक है कि बाढ़ प्रबंधन के लिए अधिक रेशनल और आप्टिमम निर्माण कार्य अपनाए जाएं।

2.41 पिछले अनुच्छेदों में देश में सिंचाई क्षेत्रक विश्लेषण का उल्लेख किया गया है। यह दर्शाया गया है कि अध्याय के आरम्भ में जल की कमी और जल की उपलब्धता की अनिश्चितता कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, जिन्हें 11वीं पंचवर्षीय योजना में ठीक करना होगा। इस क्षेत्रक के लिए 11वीं योजना में अपनाई जाने वाली कार्यनीति निम्न प्रकार हैं।

बृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति

2.42 भारत सरकार ने 2005-06 में भारत निर्माण कार्य शुरू किया इस कार्यक्रम के सिंचाई घटक में सिंचाई क्षमता को अतिरिक्त रूप में 6.2 मिलियन हेक्टे. के सृजन का विचार किया गया है। इस लक्ष्य को सतही जल और एक्टेशन रिनोवेशन और आधुनिक स्कीमों के लिए बृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं के माध्यम से हासिल किया जाएगा। सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों के लिए तुलनात्मक दृष्टि से कम आवंटन के कारण सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए केन्द्र का हस्तक्षेप जरूरी होगा। जल संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एआईबीपी मात्र एक ऐसा कार्यक्रम है, जो भारत निर्माण के सिंचाई कार्यक्रम के सतही जल घटक के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर सकता है।

2.43 प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के अग्ररियन डिस्ट्रिक्ट्स जिलों के लिए एक पुनर्स्थापन पैकेज की घोषणा की है, जिनमें इन जिलों के लिए शीघ्र सिंचाई सुविधा सृजित करना शामिल है, इस पैकेज में 65 बृहद एवं मध्यम परियोजनाएं हैं, जिन्हें एआईबीपी के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता से पूरा किया जाना है, जिनमें से 28 परियोजनाएं पहले से ही एआईबीपी सहायता के तहत शामिल है। यह भी निर्णय लिया गया है कि एआईबीपी के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता सूखा संभावित जनजातीय क्षेत्रों और उन राज्यों को भी प्रदान किए जाएं, जो सिंचाई सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिनकी सिंचाई विकास की क्षमता राष्ट्रीय औसत से कम है।

कमान क्षेत्र विकास से एआईबीपी का संबद्ध

2.44 यह देखा गया है कि एआईबीपी के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता का सदुपयोग अपेक्षित स्तर तक नहीं है। इस सदुपयोग का न होने का कारण है कि सिंचाई क्षमता का कम उपयोग हो रहा है, जिसका कारण है कि जिस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजित की गई है, वहां कमान क्षेत्र विकास कार्य पूरा नहीं हुआ है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को परियोजना कार्यान्वयन और परियोजना के पूरा होने से जोड़ा जाना चाहिए और जल फार्म के द्वार तक पहुंचना चाहिए। इसके बजाय कि सिंचाई क्षमता का सृजन हो, जिसका तत्काल सदुपयोग नहीं होता, यह उल्लेख करना जरूरी है कि निर्माण विकास कार्य की लागत परियोजना लागत से जोड़ी जानी चाहिए, जिसका वित्त पोषण एआईबीपी के तहत किया जाता है। सीएडी घटक को परियोजना की लागत के साथ शामिल करने से परियोजना का लाभ लागत अनुपात प्रभावित होगा।

राष्ट्रीय परियोजनाएँ

2.45 कुछ समय से अनेक राज्य सरकारें कुछ सिंचाई परियोजनाओं को "राष्ट्रीय परियोजनाओं" के रूप में घोषणा करने का मुद्दा उठाती रही हैं। इन परियोजनाओं के चयन का मापदण्ड, उनके कार्यान्वयन के तरीके, और वित्त पोषण के तरीके को अब भी अंतिम रूप दिया जाना शेष है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि जो परियोजनाएं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हैं और जो परियोजनाएं दो अधिक राज्यों को लाभ पहुंचा रही हैं, उन्हें राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दिया जाना चाहिए।

रिमोट सेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं का मॉनीटरिंग

2.46 दसवीं योजना के अंत में योजना आयोग ने एआईबीपी के माध्यम से रिमोट सेंसिंग द्वारा परियोजनाओं के वित्त पोषण की मॉनीटरिंग पर जोर दिया। परिणामस्वरूप तीस्ता और ऊपरी कृष्णा

के मॉनीटरिंग हेतु रिमोट सेंसिंग का उपयोग शुरू किया गया। रिमोट सेंसिंग के परिणामों को जमीनी हकीकत से मिलाया गया और यह पाया कि वे 90% तक वास्तविकता के अनुसार हैं। जल संसाधन विकास मंत्रालय ने 53 परियोजनाओं के मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी, जिसके तहत 5 एमएचए का क्षेत्र कवर है, के रिमोट सेंसिंग मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी का फैसला किया।

कार्यनीति

2.47 11वीं योजना अवधि के लिए बृहद, मध्यम, और लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्रक हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं —

बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

- राज्य योजनाओं में योजना आयोग निधि को निर्धारित कर सकता है, ताकि एआईबीपी के तहत चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके और समय बढ़ती लागत से बचा जा सके।
- क्योंकि बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कम है, अतः उनके पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जा सकती है, और महत्वपूर्ण बड़ी परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम को खतरे में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईआरएम परियोजनाओं को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां हास हुई क्षमता को सामान्य व्यय से पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
- निर्माणधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- जारी परियोजनाएं, जिन्होंने अधिकतम क्षमता की 90% या अधिक क्षमता हासिल कर ली है, उन्हें पूरी समझी जाए। इन सभी परियोजनाओं, जिनके पास बहुत कम लाभ बचता है, या कुछ समस्याओं के कारण लगभग पूरी होने वाली नहीं हैं की क्रिटिकल समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें पूर्ण कर्टेल्ड या समाप्त घोषित किया जाना चाहिए। शेष परियोजनाओं की संतुलित लागत को वास्तविक रूप में अद्यतन किया जाए, ताकि 11वीं योजना में उन पर विचार किया जा सके।
- विभिन्न पहलुओं जैसे-बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, इन्टरस्टेट परियोजनाएं, सूखा संभावित क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली या जनजातीय क्षेत्र की परियोजनाएं, आदि पर विचार करते हुए पारस्परिक रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा जल संसाधन विकास योजना हेतु तैयार दिशा-निर्देशों में उल्लिखित है।
- 7वीं योजना और 7वीं योजना से पूर्व की परियोजनाओं को 11वीं योजना में एआईबीपी के तहत पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जाए।

- परियोजनाओं को प्रोत्साहन एवं दण्ड के प्रावधानों के साथ निश्चित समय एवं लागत के आधार ठेके पर दिया जाना चाहिए।
- कार्यान्वयन संबंधी निष्पादन हेतु सेटलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग मॉनीटरिंग होनी चाहिए, और अगली राशि तदनु रूप ही जारी की जानी चाहिए।
- कैडवर्क्स और परियोजना निष्पादन एक पैकेज के रूप में होना चाहिए, ताकि परियोजना के पूर्ण होने पर जल के बारे में विचार सुनिश्चित किया जा सके।
- एआईबीपी सहायता के तहत विस्तारित, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है, और उनके वित्त पोषण को सिंचाई प्रणाली के सुधार के साथ जोड़ा जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए न्यूनतम टोस लक्ष्यों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- कार्यकुशलता में सुधार के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का बेंचमार्क कराना चाहिए, ताकि उसके निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। अनुदान के रूप में एआईबीपी की सहायता निष्पादन के मापदंडों के अनुसार की जानी चाहिए।
- योजना निधि की 15% तक की राशि के लिए एक अलग से बजटीय शीर्ष बनाया जाना चाहिए, जिसे सिंचाई अनुसंधान निधि के रूप में माना जाए और सिंचाई राजस्व की एकत्रित पूरी राशि सिंचाई अनुसंधान निधि में क्रेडिट की जानी चाहिए।
- पूरी की गई परियोजनाओं की जिम्मेदारियों के अतिरिक्त जारी परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए प्रावधान, राज्य योजना प्रस्तावों में मौजूदा सिंचाई प्रणालियों के लिए विशेष मरम्मत के लिए प्रावधान, बांध सुरक्षा उपाय, परिष्कृत जल प्रबंधन और जल विकास पहलू जिसमें सर्वेक्षण और जांच अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना शामिल की जानी चाहिए।
- प्रणाली रखरखाव और वसूल किया गया राजस्व लाभार्थियों के समूहों या डब्ल्यूयूए को सौंप दिया जाना चाहिए।
- मौजूदा क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय संस्थानों जैसे डब्ल्यूएएलएमआई (ज) का सुदृढीकरण किया जाए और उन्हें सिंचाई प्रबंधन सुधार के लिए मुख्य धारा की गतिविधियों में लाया जाए।
- आपदा बचाव और प्रबंधन के लिए बांध सुरक्षा संबंधी उपाय विधिवत शुरू करने चाहिए। आवंटित योजना निधि का 5% बांध सुरक्षा गतिविधियां शुरू करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए, ताकि परेशानी में चल रहे बांधों पर विशेष ध्यान समय पर दिया जा सके।

- पूरी की गई परियोजनाओं का निष्पादन मूल्यांकन जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि सिंचाई की कार्यकुशलता में बेंचमार्किंग और सुधार किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के बाद कि मौजूदा कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध है, उसके बाद ही नई परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। राज्य योजनाओं में भी योजना आयोग के केन्द्रीय सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- राष्ट्रीय परियोजनाओं की अवधारणा की शुरुआत।
- जरूरतों और पर्यावरणीय क्लियरेंस की प्रक्रिया की समीक्षा।

लघु सिंचाई क्षेत्रक

- पहाड़ी क्षेत्र में पुराने टैंकों और पुराने डाइवर्जन चैनल्स का जीर्णोद्धार और रेस्टोरेशन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- जल की कमी वाले क्षेत्रों में लघु सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- उन क्षेत्रों जहाँ भूमि जल विकास की अनियंत्रित/असदुपयोग, विशेष रूप से पूर्व क्षेत्र में, भूजल विकास समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- भूमि जल के विकास के विनियमन के लिए विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के अनुसार एक व्यापक कार्यनीति की सिफारिश की गई है, और धारणीय आधार पर उसके कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

भूमि जल का दोहन और भूमि जल के अधिक दोहन के बचाव हेतु गवर्नेंस

2.48 भूमि जल के बारे में दो चिंताएं हैं — देश के कई भागों में भूमि जल का अधिक दोहन और देश के काफी भागों में उसका कम उपयोग। क्षेत्रवार क्षमता इस प्रकार है—

- पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र की कछारी मिट्टी (विशेष रूप से असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, और उत्तर प्रदेश) जहां भूमि जल विकास का स्तर कम है और वहां लगभग 2.7 एमएचए की अतिरिक्त क्षमता असीमित जलभृत से है।
- पठारी भारत के कठोर चट्टान वाले क्षेत्र के पास लगभग 0.8 एमएचए की अतिरिक्त क्षमता है, यदि आंध्र प्रदेश, चण्डीगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, और मध्य प्रदेश के भूमि जल का वैज्ञानिक तरीके से विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए।
- उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड में 0.04 एमएचए की अतिरिक्त मार्जिनल क्षमता है।

- उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कछारी मैदानों में गहन सीमित जलभृत के पास 1.0 एमएचए की अतिरिक्त क्षमता है, जो गहन जलभृत द्वारा संभव हो सकती है। फिर भी, ऐसे जलभृत के माध्यम से सुरक्षित पैदावार की स्थापना की दृष्टि में विस्तृत अध्ययन शुरू करने की आवश्यकता है, जिनसे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है।

2.49 भूमि जल और वर्षा के पानी के संचयन, तटीय क्षेत्रों में क्षारीयता के प्रबंधन के संबंध में कृत्रिम रिचार्ज पर अध्ययन करते हुए धारणीय भूमि जल विकास एवं प्रबंधन की आवश्यकता है, भूमि जल के उच्चस्तरीय क्षेत्रों में विकास का भी धारणीय प्रबंधन अपेक्षित है, सतही और भूमि जल का संयोजित उपयोग और भूमि जल विकास का नियमन भी जरूरी है। देश में भूमि जल निकालने की अनेक संरचनाएं हैं, जो बहुत पुरानी हैं और उनकी अवधि लगभग खत्म सी हो गयी हैं, और वे अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही हैं। ये रचनाएं वास्तव में सिंचाई क्षमता में कोई योगदान नहीं दे रही हैं। ऐसी संरचनाओं को बदलने की आवश्यकता है और उनके स्थान पर नई क्षमताएं सृजित की जानी चाहिए। जैसे कि नाबार्ड द्वारा सुझाव दिया गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुरक्षित और अर्द्धसंवेदनशील ब्लॉकों/यूनिटों में ही 0.5 एमएचए तक रिप्लेसमेंट की योजना बनाई जाए।

2.50 अकुशल श्रमबल के रोजगार के लिए लघु सिंचाई एवं भूमि जल विकास में रोजगार के पर्याप्त संभावनाएं हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लघु सिंचाई (एमआई) एवं भूमि जल से जोड़ा जाए।

2.51 देश में भूमि जल संसाधनों से अधिकतम रूप से सिंचाई क्षमता (यूआईपी) का मूल्यांकन लगभग 64 एमएच किया गया है, जिसमें 46.03 एमएच का सृजन दसवीं योजना के अंत तक कर दिया गया है। क्योंकि भूमि जल एक मुक्त पहुंच वाला संसाधन है और कोई भी अपने हाथ से पम्प द्वारा पानी निकाल सकता है। अतः देश के अनेक ब्लॉक में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है और इससे भूमि जल स्तर नीचे जा रहा है। इससे सिंचाई की लागत बढ़ती है, और किसानों को आवधिक रूप से अपने कूओं को और अधिक गहरा खोदना पड़ता है।

2.52 भूमि जल के धारणीय उपयोग के मुद्दे का समाधान करने और भूमि जल के स्वामित्व के प्रश्न के बारे में योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ समूह "भूमि जल प्रबंधन और स्वामित्व" पर जल एवं ऊर्जा सदस्य डॉक्टर किरीत एस. पारिख की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। इस समूह ने सिफारिश की है कि भूमि जल का स्वामित्व ईजमेंट ऐक्ट 1882 के अनुसार भूमि के मालिक के पास ही रहेगी, जब तक की भूमि जल का दोहन, भूमि जल स्तर तक कम नहीं हो जाता है, ताकि संलग्न भूमि के

मालिकों एवं पब्लिक के अधिकार उस पर नहीं थोपे जा सकें। केन्द्र का हस्तक्षेप उस समय जरूरी होगा, जबकि भूमि जल का स्तर रिपिलीनिसिबल स्तर पर नहीं पहुंच जाता। ऐसे प्रकरणों में प्रभावित क्षेत्रक, उस क्षेत्र के रूप में घोषित हो जाएगा, जहां चेतावनी और शोषण का विनियमन होता हो। केन्द्राये भूमि जल प्राधिकरण, पर्यावरण ऐक्ट 1966 के तहत ऐसी घोषणाएं करने के लिए प्राधिकृत है और राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि क्षेत्र में दोहन का विनियमन सुनिश्चित कर दिया गया है।

2.53 समूह ने यह नोट किया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव बताते हैं कि भूमि जल संसाधनों को दोहन से बचाने और संरक्षित करने के संदर्भ में कमान और नियंत्रण मैकेनिज्म से अच्छे परिणाम सामने नहीं आए हैं। राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता समूह के सहयोग और पंचायती राज संस्थानों की सहभागिता के माध्यम से ही भूमि जल के संबंध में प्रभावी विनियमन/कटौती और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रकों में यानी सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक आदि में उपभोक्ता समूह भूमि जल के उपयोग के विनियमन के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं और उपभोक्ता समूह द्वारा ऐसे विनियमन उस समय ही प्रभावी हो सकते हैं, जब कि वैज्ञानिक स्तर पर रिकॉर्ड स्तरों पर जल स्तर के आधार पर पानी निकालने के बारे में सुरक्षा के संबंध में राज्य/केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड मॉनीटरण करके सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करता है।

सदुपयोग लायक जल में वृद्धि

2.54 भोज्य जल की उपलब्धता तभी बढ़ाई जा सकती है जब हम जल पर नियंत्रण करें, अन्यथा वह समुद्र में बह जाएगा। मैदान के ऊपर भूमि जल के संग्रहण के हेतु बांध और वियर्स के माध्यम से जल के अभिसारण परम्परागत साधन रहे हैं। फिर भी प्राकृतिक रिचार्ज के माध्यम से परकोलेशन को बढ़ाते हुए भूमि जल को भूतल में एकत्रित किया जा सकता है। यदि वर्षा के जल संचयन अनेक पोण्ड्स में बांध का निर्माण करके किया जाता है, तो इससे भी जल उपलब्धता बढ़ेगी। नदियों को आपस में जोड़कर जल का इंटरबेसिन स्थानान्तरण भी हो सकता है, जिससे जल उपलब्धता में ठोस वृद्धि हो सकेगी।

प्राकृतिक रिचार्ज एवं वर्षा जल का संचयन

2.55 देश के अनेक भागों में भूमि जलस्तर गिर रहा है। इस गिरावट पर नियंत्रण पाने के लिए भूमि जल के कृत्रिम रिचार्ज में वर्षा जल एक महत्वपूर्ण रणनीति सिद्ध हो सकती है। रुपये 24500 करोड़ की लागत पर 36 बीसीएम वर्षा जलों को भूमि जल में रिचार्ज करते हुए सीजीडब्ल्यूबी ने एक मास्टर प्लान पहले से ही तैयार कर रखी है। आठवीं एवं नौवीं योजना में पायलट

परियोजनाओं के अलावा इसे मिशन मोड पर कार्यान्वित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जरूरी कानून बनाकर वर्षा जल का संचयन कुछ नए भवनों में किया जा रहा है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

2.56 स्थानीय संचयन लागत प्रभावी है। वर्षा जल के संचयन चेकडेम्स के निर्माण जल संभरण प्रबंधन और परम्परागत जलाशयों के रेस्टोरेशन और नए निकायों के सृजन आदि के माध्यम से जल के समग्र सदुपयोग में वृद्धि की जा सकती है और उसकी क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। उन क्षेत्रों में जहां भूमि जल पर अत्यधिक दबाव है, वहां कृत्रिम रिचार्ज उचित तकनीकी सहायता से शुरू करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए एनआरईजीपी और बीआरजीएफ आदि के माध्यम से संसाधन उपलब्ध हैं। बहुपक्षीय एजेंसियां जैसे विश्व बैंक और एडीबी को वित्त पोषण के लिए अनुरोध किया गया है। विकल्प के तौर पर बोटल बंद जल पर (क्योंकि इसके साथ अनेक नकारात्मक एक्सटर्मनलटीज जुड़ी हैं, जैसे प्लास्टिक उत्सर्जन का जनरेशन, उनका अनुचित समाधान आदि) शुल्क लगाया जा सकता है और ऐसे शुल्क से प्राप्त निधि परम्परागत जलाशयों के जीर्णोद्धार के उपयोग हेतु समुदाय की सहभागिता के साथ भूमि जल के रिचार्ज के लिए किया जा सकता है। प्राथमिक आधार पर स्थानीय समुदायों को इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित करना एक चुनौती है, जिससे वे इस उद्देश्य के लिए अपनी क्षमता का निर्माण कर सकें। वैकल्पिक जल प्रबंधन मास्टर प्लान के लिए एक लघु संभरण/हाइड्रोलॉजिकल यूनिट सृजित कर उसका विकास करने के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली की आवश्यकता है। भूमि जल मानचित्रण, जीआईएस मानचित्रण, सैटलाइट इमेजरी आदि का सदुपयोग ग्रामीण समुदायों को सहायतार्थ आवश्यक है, ताकि वे अपने जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन की मास्टर प्लान तैयार कर सकें। इसके लिए 11वीं योजना के दौरान भारतीय सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, जिसकी पूरी संभाव्यता है। इस प्रकार जल प्रबंधन मास्टर प्लान्स तैयार करने के लिए हमारे ग्रामीण समुदायों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म संस्थागत प्रणालियों के सृजन में हमारे सामने एक मुश्किल चुनौती भी है।

2.57 नदियों के आस-पास में बाढ़ के मैदान हमारे लिए भूमि जल हेतु श्रेष्ठ रिपोजिटरीज बन सकते हैं। इस प्रकार बाढ़ के मैदानों के एक्यूफायर्स हमें एक नियोजित प्रबंधन प्रदान करते हैं, जिसमें विकास की अत्यधिक संभावना है, और उससे जल की अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति भी हो सकती है। भूमि जल विकास में दिल्ली में यमुना बाढ़ मैदान क्षेत्र जल संसाधन के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन का एक अच्छा उदाहरण है। वर्षा के समय बाढ़ का पानी मैदानों में फैल जाता है, लेकिन अत्यधिक शेलो जलस्तर के

कारण जल रिचार्ज बहुत कम होता है और निरस्त रिचार्ज से नदियों से पानी बाहर बहने लगता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने पाला क्षेत्र में 38 से 50 मीटर की गहराई पर दिल्ली जल बोर्ड के लिए 95 नलकूपों का निर्माण किया है। 2002 की मानसून पूर्व अवधि में कुल पम्पिंग 40 एमजीडी रही, जिसके कारण बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में लगभग 5 मीटर क्षेत्रीय ड्रा डाउन सृजित हो सका। यह पाया गया है कि वर्षा के मौसम के तुरन्त बाद कम हुआ एक्यूफायर फिर से पूरित हो गया। इस प्रकार बाढ़ के मैदानों में शैलो एक्यूफायर का अत्यधिक विकास हुआ, जिससे आवश्यक उप-स्थल का सृजन हुआ और मानसून में बहने वाली नदियों से भूमि जल में वृद्धि हुई। इस प्रकार वृद्धित रिचार्ज एक प्रभावी प्रबंधन उपस्कर है, जो संलग्न नदियों के सक्रिय बाढ़ के मैदानों से जुड़े हुए हैं की मांग और आपूर्ति के अंतराल को पूरा करते हैं।

नदियों के इंटरलिंगिंग से इंटरबेसिन स्थानांतरण

2.58 नदियों को पारस्परिक रूप से जोड़कर और फालतू जल के स्थानांतरण से, विशेष रूप से मानसून अवधि के दौरान फालतू बेसिन से जल लेकर, कमी वाले बेसिन्स में पहुंचाकर अनेक विशेषज्ञों ने इसे पूरा कर दिखाया है। नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में कार्यदल ने एक प्रस्तावना, प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रकार स्थानांतरित कुल जल, जिसका सदुपयोग हो सकता है, का अनुमान लगभग 220 बीसीएम हो सकता है। फिर भी ऐसे निष्कर्ष हैं कि मूल्यांकित किया गया सरप्लस अनेक बेसिन्स के

लिए काल्पनिक है और भावी पीढ़ियों को वास्तव में इस जल की आवश्यकता होगी। ऐसी बड़ी परियोजनाओं की आर्थिक व्यावहारिता के बारे में सेप्टिक की कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है। इन कारणों से 10वीं योजना अवधि में प्रगति का चरण काफी हद तक सामान्य ही रहा है। जिसका सारांश तालिका 2.12 में नीचे दिया गया है —

2.59 देश में जल की उपलब्धता के बारे में समय और स्थल की दृष्टि से काफी व्यापक भिन्नताएं हैं। अधिकांश वर्षा जून से सितम्बर महीने में मानसून के दौरान होती है, जबकि 51.12 एमएचए सूखा प्रभावित रहता है, जो कि मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में है, बिहार और असम का 40 एमएच क्षेत्र जो मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित रहता है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1820 (एम³) है, जो कि निर्धारित जल दाब की स्थिति से ऊपर है। जिसका मूल्य 1700 (एम³) है, फिर भी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 18417 (एम³) ब्रह्मपुत्र में और 380 (एम³) पूरब में तमिलनाडु में बहने वाली नदियों में अलग-अलग रहता है, जो दर्शाता है कि देश के अनेक बेसिन्स में पहले से ही जल का अभाव बहुत नाजुक रहता है। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर परसीपिटेशन और स्नोफाल में से 747 बीसीएम व्यर्थ रूप से समुद्र में बह जाता है, जो कि ज्यादातर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बहता है, जिनकी जल क्षमता 60% ही है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की जल क्षमता मात्र 19% है।

तालिका 2.12

नदियों को पारस्परिक रूप से जोड़ने की प्रगति

क्र.सं	कार्य का मद	अभी तक की प्रगति
1	एनडब्ल्यूडीए द्वारा फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना	अब तक एनडब्ल्यूडीए ने पहले से 16 फीजिबिलिटी रिपोर्टें तैयार की हैं (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 14, हिमालयन घटक के तहत 2) हिमालयन घटक के तहत 4 लिंक्स की ड्राफ्ट एफआर पूर्ण होने की उन्नत स्तर पर है और शेष प्रगति पर चल रहे हैं।
2	प्रायद्वीपीय घटक पर ध्यान रखते हुए नदियों को आपस में जोड़ने पर सतत रूप से कार्रवाई करना	जल संसाधन मंत्रालय प्राथमिकता आधार पर प्रायद्वीपीय घटकों पर कार्य करने के लिए विशेष ध्यान दे रहा है और तदनुसार एनडब्ल्यूडीए इस घटक पर कार्य कर रहा है।
3	प्राथमिकता लिंक्स केन-बेतवा और पार्वती-काली सिंधी-चम्बल	(i) केन-बेतवा के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संबंधित राज्यों द्वारा दिनांक 25.8.2005 को हस्ताक्षर करने के बाद एनडब्ल्यूडीए द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। (ii) संबंधित राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान पावती-काली सिंधी-चम्बल लिंक्स के एमओयू के संबंध में मतभेदों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय रूप से चर्चा कर रहे हैं।
4	अन्य प्राथमिकता लिंक्स की पहचान	एनडब्ल्यूडीए ने प्रायद्वीपीय घटक में तीन अन्य लिंक्स की पहचान प्राथमिकता लिंक्स के रूप में की है, जो इस प्रकार हैं—दमन गंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा और पोलावरम-विजयवाड़ा लिंक्स।

2.60 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में जबकि 747 बीसीएम जल समुद्र में ही बह जाता है, इस दृष्टि से नदियों का पारस्परिक रूप से जोड़ना आवश्यक हो जाता है (लगभग 160 से 220 बीसीएम) के स्थानांतरण का प्रस्ताव 30 इंटरलिंकिंग प्रस्तावों को जोड़ने से संभव होगा, जो सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन की ओर होगा। लंबी दूरी, ट्रांसबेसिन स्थानांतरण कोई नई अवधारणा नहीं है। इस संबंध में मौजूदा परियोजनाओं के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं—पश्चिमी यमुना नहर, पेरियार परियोजना, करनूल कुडप्पा नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरदार सरोवर नहर। जल स्थानांतरण परियोजना के संबंध में अंतरराष्ट्रीय उदाहरण के रूप में कैलीफोर्निया का उदाहरण दिया जा सकता है, जो कि यूएसए के उत्तर से मध्य और दक्षिण क्षेत्रों, चीन, यूएसएसआर, श्रीलंका और मैक्सिको के बीच जल स्थानांतरण करता है। पहले डॉक्टर के.एल. राव और कप्तान दास्तूर द्वारा राष्ट्रीय जल ग्रिड पर एक अग्रणी कार्य किया गया था। इनका परिस्करण जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया और 30 लिंक्स की पहचान की गई, जिनमें से 16 प्रायद्वीपीय घटक में हैं, और 14 हिमालयन घटक में। 16 लिंक्स की पूर्व संभाव्यता अध्ययन (14 प्रायद्वीपीय घटक में) का अध्ययन भी पूरा कर लिया गया है।

2.61 इससे पहले की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें शुरू की जाएं, राज्य में एक सहमति बनाने की आवश्यकता है, ताकि डीपीआर के मूल्यांकन के बाद कार्यान्वयन का कार्य सामान्य रूप से शुरू हो सके। जल संसाधन विकास मंत्रालय की पहल से डीपीआर की तैयारी और संबंधित राज्यों के बीच विमर्श के 5 लिंक्स की पहचान पहले से ही कर ली गई है। इस प्रकार राज्यों का सहयोग पारस्परिक लिंक परियोजनाओं की सफलता के लिए अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम परियोजनाओं के लिए परामर्शी अवधारणाओं पर जोर देता रहा है। जैसा कि कोयला और तेल जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अन्य मामलों में किया जाता है, कोई भी देने वाले राज्य के प्रति धन के मुआवजे के लिए भी सोच सकता है, जो कि रॉयल्टी के रूप में भी हो सकता है।

2.62 क्योंकि जल का स्थानांतरण एक ऊंची लागत पर होगा, तो प्रस्ताव की आर्थिक स्थिति के बारे में भी सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा, जिसमें न केवल प्राथमिक हितों का ध्यान रखा जाए बल्कि माध्यम और तृतीयक (टर्शी) हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर जल के स्थानांतरण के बारे में पर्यावरण के प्रभावों पर भी सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा और आर्थिक मूल्यांकन पर भी सोचना होगा। ड्रिप और स्पिलिकलर सिंचाई पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और पानी की बचत की दृष्टि और अधिक लागों की दृष्टि से बागवानी फसलों पर भी विचार करना होगा। इसके लिए वित्त पोषण

संयुक्त बजटीय सहायता से लेनी होगी, जिसमें बाजारी उधार और बाह्य सहायता भी शामिल है। इतनी बड़ी परियोजना के लिए एक बड़े प्राधिकरण का गठन करना होगा, जिस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, जिसे ऋण उगाहने, अनुमोदन देने आदि के लिए पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। सृजित परिसम्पत्तियों का अनुसंधान भी विधिवत करना होगा, जिसके लिए जरूरी राजस्व परियोजना द्वारा ही जुटाना होगा।

2.63 नदियों को पारस्परिक रूप से जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण परियोजना है, लेकिन भविष्य में जल के अभाव को पूरा करने के लिए जरूरी है। बाढ़ और सूखे की स्थिति, कृषि में अपेक्षित विकास के मार्ग में नुकसान पहुंचाते रहते हैं और नदियों को आपस में जोड़ने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। 11वीं योजना के दौरान जल के अंतर-बेसिन्स अंतरण पर विशेष ध्यान देना होगा। जहां प्रथम दृष्टया रूप से विशिष्ट परियोजनाओं की संभाव्यता के लिए डीपीआर तैयार करने, पर्यावरणीय मूल्यांकन, निवेश और माडलटी के बारे में उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निर्णय लेने हेतु सहमति उभरकर सामने आने लगते हैं। कुछ परियोजनाओं की शुरुआत 11वीं योजनावधि में हो जाएगी।

जल के सदुपयोग की कुशलता में सुधार

2.64 लगभग 87 एमएच के सकल सिंचित क्षेत्र के लिए 541 बीसीएम जल उपयोग में लाया जाता है, जो कि सकल सिंचित क्षेत्र के 0.68 एम प्रति हैक्टेयर डेल्टा की प्रस्तुति करता है। वार्षिक औसतन वर्षा 1170 एमएम (1.17एम) होती है। इसमें से 70% वर्षा को फसल खपत के लिए उपयोगी माना जाता है। जल का सकल सदुपयोग लगभग 1.45 एम (4.8 फिट), जो कि प्रति हैक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र के लिए है। सिंचाई के लिए जल का उपयोग तुलनात्मक रूप से बहुत उच्च है। यूएसए में जल का आवंटन लगभग 3 फीट है। देश में इसके फालतू उपयोग के कारण सिंचाई क्षमता में कमी को दर्शाता है, जो कि सिंचाई प्रणालियों में 25% से 35% तक बनता है। जहां क्षमता 40 से 45% तक रहती है, ऐसे अपवादित मामले बहुत कम हैं। मद्रास विकास अध्ययन संस्थान के डॉक्टर ए. वैद्यनाथन और के. सुब्रमण्यम के द्वारा एक बेसिनवार अध्ययन संचालित किया गया था, जिसमें वाष्पीकरण क्षमता के डेटा का उपयोग किया गया था और सकल जल विज्ञान रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया था और देश में सिंचाई कुशलता 38% बताई गई थी। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि कृष्णा, गोदावरी, और कावेरी नदियों में कुशलता मात्र 27% ही है, जो बहुत कम है। जबकि इंडस और गंगा प्रणालियों में यह कुशलता 43% से 47% के दायरे में आती है। इस प्रकार यह माना जाता है कि डेल्टा क्षेत्र में प्रायद्वीपीय नदियों के तहत

अधिक सिंचाई होती है, जहां जल प्रबंधन प्रणालियां काफी कमजोर हैं, जबकि इंडस और गंगा में रोटेशनल जल आपूर्ति (वाराबंदी) अपनाई जाती है। फिर भी यह एक समष्टिगत अध्ययन है। परियोजनास्तरीय डेटा की उपलब्धि आज सिंचाई कुशलता में लगभग नगण्य है। ये सराहनीय बात है कि 55% क्षेत्र भूमि जल स्रोतों द्वारा सिंचित है, जहां जल के उपयोग की कुशलता बहुत उच्च है (70 से 80% के बीच है), क्योंकि इन प्रणालियों में जल को अधिक दूरी तक नहीं ले जाना पड़ता है। परिणामस्वरूप सतही सिंचाई प्रणालियों में जल की कुशलता 38% के औसत से भी काफी कम रहती है।

सिंचाई में निम्न कुशलता के कारण

2.65 जिन कारणों से सिंचाई कुशलता में कमी रहती है, उनकी पहचान निम्न प्रकार की गई है—

- डैम/नहर के आगे के शीर्षस्थ निर्माण कार्य पूरे करना।
- डाईलैपिटेटिड सिंचाई प्रणालियां।
- भारी सीपेज के साथ संयुक्त नहर प्रणालियां।
- क्षेत्रीय चैनल्स की कमी।
- नहर संचार नैटवर्क की कमी।
- क्षेत्रीय ड्रेनेज की कमी।
- अनुचित क्षेत्रीय लेवलिंग।
- वैल्यूमेट्रिक सप्लाई की कमी।
- अपर्याप्त विस्तार सेवाएं।
- जल के लिए निम्न दर।

2.66 नहर द्वारा सिंचाई के विवेकपूर्ण और वैकल्पिक उपयोग का मामला सतत रूप से चिंता का मामला रहा है। सिंचाई के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन परम्परागत अवधारणा के उद्देश्यों को अपनाने के लिए कार्रवाई करने में विभाग की कुछ सीमाएं रहीं हैं। सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों की सहभागिता और जल उपभोक्ता संघों के माध्यम से ग्रामीण स्तरीय चैनल्स का संवितरण काफी उपयोगी रहा है। ये व्यापक रूप से मान्यता रही है कि ये कदम ठीक दिशा में रहा है, इसे और सशक्त रूप में किया जाए और जल उपभोक्ता संघों को और वाजिब अधिकार दिए जाने चाहिए। उद्देश्य यह रहना चाहिए कि 11वीं योजना के अंत तक सभी बृहद और मध्यम परियोजनाओं का समग्र कमान डब्ल्यूईए(ज) द्वारा देखा जाना चाहिए। राज्यों के बीच खर्च का अनुभव असमान ही रहा है। ये रिपोर्ट किया गया है कि 55,501 उपभोक्ता संघों का सृजन किया गया है, जिनकी राज्यवार स्थिति तालिका 2.13 में नीचे दी गई है —

तालिका 2.13
राज्यवार जल उपभोक्ता संघों की संख्या और
कवर किया गया सिंचित क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मित डब्ल्यूईए(ज) की संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (000 हेक्टे.)
1.	आंध्र प्रदेश	10790	4800.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1.47
3.	असम	37	24.09
4.	बिहार	37	105.80
5.	छत्तीसगढ़	945	उपलब्ध नहीं
6.	गोवा	42	5.00
7.	गुजरात	576	96.68
8.	हरियाणा	2800	200.00
9.	हिमाचल प्रदेश	875	35.00
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1.00
11.	कर्नाटक	2279	1052.41
12.	केरल	3930	148.48
13.	मध्य प्रदेश	1470	1501.45
14.	महाराष्ट्र	1299	444.00
15.	मणिपुर	62	49.27
16.	मेघालय	99	उपलब्ध नहीं
17.	नागालैण्ड	25	उपलब्ध नहीं
18.	उड़ीसा	11020	907.00
19.	पंजाब	957	116.95
20.	राजस्थान	506	219.65
21.	तमिलनाडु	7725	474.28
22.	उत्तर प्रदेश	24	10.55
23.	पश्चिम बंगाल	10000	37.00
कुल		55501	10,230.08 यानी 10.23 मिलियन हेक्टे.

फार्म पर जल प्रबंधन

2.67 फार्म जल प्रबंधन के तहत फील्ड चैनल्स, फील्ड ड्रेन्स, भूमि लेवलिंग और सिंचाई शैड्यूलिंग आदि अनेक गैमेट संबंधी क्षेत्र, जो क्षेत्रीय अनुप्रयोगों की हानियों को कम करने के लिए रखे जाते हैं। आउटलेट्स के नीचे के कार्य परम्परागत कमान क्षेत्र विकास कार्य के रूप में लिए जाते हैं, और उन्हें सिंचाई परियोजना के क्षेत्र के एक भाग के रूप में नहीं लिया जाता है और यह आउटलेट्स पर ही समाप्त हो जाता है। 9वीं योजना तक रुपये 1,48,000 करोड़ का निवेश बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई पर किया गया। कमान क्षेत्र विकास कार्यों पर निवेश मात्र 6,800

करोड़ रुपया या 4.6% ही हुआ है। इस प्रकार यह कम परिव्यय, गरीब लोगों को फार्म पर सिंचाई प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण अंशदायी कारक रहा है, यानी निम्न अनुप्रयोग कुशलता और टेलेंडर्स आपूर्तियों में अभाव। क्योंकि कमान क्षेत्र विकास के आवंटनों को बढ़ाना राज्यों के लिए मुश्किल होगा, सभी कमान क्षेत्र विकास कार्यों को परियोजना के भाग के रूप में शामिल करने का एकमात्र उपाय यह होगा कि सिंचाई के लिए प्रत्येक क्षेत्र को डैम से पानी पहुंचाने के लिए कार्यान्वयन इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इसे संयुक्त उपयोग के साथ मिलाकर निश्चित रूप से परियोजना की लागत तो बढ़ेगी ही लेकिन चूंकि कम्पार्टमेंटलाइ अवधारणा सफल नहीं रही है, अतः एक एकीकृत अवधारणा पर गंभीर रूप से विचार करना होगा। इन निर्माणकारियों में सांमजस्य स्थापित करने का एक विकल्प रहेगा और ये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे एनआरईजीपी, बीआरजीपी और अन्य जिला योजना आदि से मिलकर कार्य कर सकेंगे।

माइक्रो सिंचाई

2.68 माइक्रो सिंचाई, जिसमें ड्रिप और स्प्रींकलर शामिल हैं, जो कि संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के उपस्कर के रूप में उभरकर सामने आ रही है, जिससे जल, खाद और विद्युत की बचत होती है और यह अन्य सिंचाई प्रणालियों के अनुरूप समान रूप से जल का वितरण करती है। ड्रिप सिंचाई, बागवानी फसलों, जैसे अनार, अंगूर, आम, केला, अमरूद, नारियल, आंवला, और गन्ना जैसी नकदी फसलों के लिए एक आदर्श रूप है। ड्रिप सिंचाई से 25 से 60% तक जल की बचत होती है और इससे 60% अधिक उत्पादन संभव है। फ्रव्वारा सिंचाई, उब्रड-खाबड़ जमीन जहां खाद्यान्न उत्पादन होता हो, वहां जल की 25 से 33% तक बचत होती है। देश में सिंचित 69 एमएचए क्षेत्र में से मात्र 0.5 एमएचए ड्रिप के अधीन है और 0.7 मिलियन हैक्टेयर फ्रव्वारा सिंचाई के अधीन आ गया है। महाराष्ट्र में देश का 46% क्षेत्र ड्रिप से सिंचित है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की प्रतिशतता क्रमशः 21%, 14%, और 12% है। ड्रिप सिंचाई के तरीकों में सामान्य बाल्टी किट प्रणाली से लेकर आटोमेटिक प्रणालियां, छोटे फार्मों के लिए होती हैं, जो जल का छिड़काव, मिट्टी की आर्द्रता की दशाओं तक टेंसियो मीटर तक सतत रूप से मापा जा सकता है।

2.69 यह सुझाव दिया जाता है कि नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देते समय परियोजना अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कमान क्षेत्र के लिए कम से कम 10% क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करें। माइक्रो सिंचाई पर कार्यबल के विभिन्न सुझावों के बारे में भी नोट करने की आवश्यकता है कि माइक्रो सिंचाई में वह क्षमता है, जो भारतीय कृषि को बनाए रख सकती है।

ग्रामीण एवं शहरी पेयजल एवं साफ-सफाई

2.70 इन मुद्दों और कार्यक्रम पर भाग 2 के अध्याय 5 पेयजल एवं साफ-सफाई और स्वच्छ जीवन यापन की दशाएं में चर्चा की जा चुकी है।

औद्योगिक जल मांग को पूरा करना

2.71 जल के लिए औद्योगिक मांग बढ़ती जा रही है। साथ ही में उद्योगों से उत्सर्जित जल के निपटान बिना उचित शोधन के जलाशयों, भूजल एक्युफायर और मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। इसके अतिरिक्त शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए जमीन के दीर्घकालीन उपयोग की प्लानिंग की आवश्यकता है और उसमें दीर्घकालीन धारणीय अवधि के आधार पर ऐसी योजनाओं में मुख्य कारक के रूप में जल हेतु प्रावधान भी किए जाने की आवश्यकता है। जल के लिए ऐसी प्लानिंग मांग के अभाव में उन क्षेत्रों में जहां जल के प्रावधान के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है, जहां पानी का निकास काफी दूरी तक करना होता है, या समुद्री जल का ट्रीटमेंट करना होता है, विशिष्ट आर्थिक जोन्स की अवस्थिति के अनुरूप दीर्घकालीन उचित प्लानिंग की आवश्यकता है। औद्योगिक पार्क एवं टाउनशिप से औद्योगिक विकास की लागत और अधिक बढ़ जाती है। उद्योग की जल की मांग की पूर्ति के लिए यह अवधारणा उचित प्रतीत होती है।

2.72 नए उद्योगों को आदर्श रूप से नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों, टाउनशिप को जोन्स में स्थापित करना चाहिए। स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसे जल की आपूर्ति की जानी चाहिए और उनसे वैल्यू मैट्रिक आधार पर निर्धारित जल दर लेनी चाहिए। इन दशों में निम्नलिखित को पूरी तरह शामिल किया जाना चाहिए—

- आपूर्ति की लागत।
- उन क्षेत्रों में जहां जल का अभाव है, वहां प्रीमियम में जल के अभाव की कीमत भी प्रीमियम में शामिल की जानी चाहिए।
- डिस्चार्ज को वापस नालियों के माध्यम से सिंचाई नहरों, नदियों और झीलों आदि में जाने के लिए व्यवस्था करने के लिए कीमत वसूल की जानी चाहिए।

2.73 जहां भूमि जल ही आपूर्ति का स्रोत है, और जो अत्यधिक दबाव में है, वहां आपूर्ति की लागत में रिचार्ज की लागत भी शामिल की जानी चाहिए, जहां इस रिचार्ज की आवश्यकता होती है, और इस रिचार्ज घटक को एक समर्पित रिचार्ज निधि में क्रेडिट कर देना चाहिए, ताकि इसके सदुपयोग पर अनुकूल मॉनीटरिंग संभव हो सके। नए और मौजूदा उद्योग, जो अपनी भूमि के जल का उपयोग करेंगे उनके लिए आईटी आधारित वैल्यू

मैट्रिक मीटरिंग प्रणाली वास्तविक निष्कासन के संबंध में जल सघन उद्योगों द्वारा उन क्षेत्रों में होनी चाहिए, जहां भूमि जल स्तर काफी संवेदनशील हो गया है, उन क्षेत्रों के लिए उद्योगों हेतु भूजल के उपयोग के लिए निर्धारित दरें होनी चाहिए, जो विशेष हाईड्रोलॉजिकल यूनिट पर लागू होती हैं। 11वीं योजना के दौरान जल के रिसाइक्लिंग का विकल्प रहना चाहिए, ताकि पीने के पानी के अलावा अन्य आवश्यकताओं के लिए उसका उपयोग किया जा सके। उसके लिए एक कार्यनीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

बाढ़ नियंत्रण

2.74 हर वर्ष देश का एक या अन्य भाग बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। एक बहु आयामी अवधारणा बनाई जाए, जिसमें बाढ़ से बचने के लिए विभिन्न उपायों जैसे बचाव, संरक्षण, प्रबंधन, भविष्यवाणी, और पूर्व चेतावनी आदि शामिल हों, की आवश्यकता है।

बचाव एवं संरक्षण

2.75 नदियों के संग्रहण क्षेत्र में जल संभरण प्रबंधन द्वारा बाढ़ से काफी बचाव हो सकता है या बाढ़ को ठोस रूप में काफी हद तक कम किया जा सकता है। जल संभरण प्रबंधनकारियों के लिए कृषि मंत्रालय, जो कि एक नोडल एजेंसी भी है, इसे जल संसाधन मंत्रालय से परामर्श करके एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। नेपाल, और भूटान से शुरू होने वाली अन्तरराष्ट्रीय नदियों के लिए जल संभरण प्रबंधन हेतु एक संयुक्त मैकेनिज्म विकसित की जानी चाहिए। अन्य तरीका जिससे बाढ़ कुशन्स को संरक्षित और वृद्धि किया जा सकता है, वे हैं-प्राकृतिक स्वेम्स और झील, जिन्हें डिटेन्सन बेसिन्स में विकसित किया जा सकता है। मौजूदा डिप्रेशन्स की क्षमता में भी सुधार किया जा सकता है, जो कि बाढ़ के पानी को अपने में खपा सकें। तल और दायरा क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अभियानों की आवश्यकता है। बांधों और रिजर्व वायर्स के निर्माण के लिए संबंधी स्कीमों की आवश्यकता है, जिनमें पर्याप्त बाढ़ कुशन्स का प्रावधान, बाढ़ की समस्याओं के दीर्घकालीन निपटान के लिए रहना चाहिए। जहां तक संभव हो सके बाढ़ के मॉडरेशन के लिए देश में मौजूदा रिजर्व वायर्स के उपयोग के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे रिजर्व वायर्स जो विद्युत या अन्य उपयोगों के लिए बनाई गई हैं, ऐसी स्थिति में नियमों में थोड़ा मोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि प्रभावी बाढ़ मॉडरेशन हासिल किया जा सके। जबकि कवर्ज रिजर्व वायर्स के प्रचालन के लिए दिशानिर्देश देते हैं और ये सुनिश्चित करती हैं और अपेक्षित स्तर तक कुशन्स की

स्टोरेज का अनुक्षण किया जाना चाहिए, ताकि निर्दिष्ट संभावना के बाढ़ को खपाया जा सके। यदि जरूरी हो तो हाईड्रोलॉजिकल, मोरफोलॉजिकल, ट्रोफोलॉजिकल और अन्य विकास पहलुओं पर जरूरी व्यापक अध्ययन कराकर मौजूदा एम्बैकमेंट में वृद्धि की जाए और उन्हें सुदृढ़ किया जाए, ताकि कुछ और सुरक्षा प्रदान की जा सके।

2.76 नेपाल और भूटान के पहाड़ी क्षेत्रों और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से शुरू होने वाली नदियों के पहाड़ी संग्रहण क्षेत्रों में जल प्रबंधन चुने गए स्थलों पर पूर्ण वित्त पोषण किया जाना चाहिए और एक संयुक्त मैकेनिज्म के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

2.77 बाढ़ नियंत्रण का आदर्श समाधान है कि बाढ़ संभावित नदी प्रणालियों में पर्याप्त भंडारण का सृजन करना है। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें भंडारण परियोजनाओं की अनेक श्रृंखलाएं हैं। जिसमें बाढ़ को दामोदर नदी के बेसिन में ही समेट लिया जाता है जो अपने-आप में एक ऐतिहासिक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बारक के बेसिन्स में बाढ़ की सर्वाधिक संभावनाएं बनी रहती हैं। गंगा की उत्तरी जल वाहिकाओं में भी स्पष्ट रूप से भंडारण रिजर्ववायर्स बनाये जाने की आवश्यकता है एवं इसी प्रकार पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र और उसकी जल वाहिकाओं के लिए भी ऐसी ही भंडारण रिजर्ववायर्स बनाये जाने की आवश्यकता है। इन भंडारण परियोजनाओं की जांच, डिजाइन एवं निष्पादन शीघ्रता से करने की आवश्यकता है। गंगा की उत्तरी जल वाहिकाओं के लिए नेपाल के साथ सहयोग करने की जरूरत होगी और एक विजन और रचनात्मक प्रतिमान को ध्यान में रखते हुए समझौते करने अपेक्षित हैं।

2.78 एम्बैकमेंट्स के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण की कार्यनीति पर वर्षों से राज्यों द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। समग्र वाहिकाओं या वाहिका के बृहद फैलाव को देखते हुए एक समग्र विचार से कार्यनीति तैयार करने की आवश्यकता है। जहां तक संभव हो बाढ़ संरक्षण परियोजना के लिए एक निर्णय लेकर एकमुश्त निवेश करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों और एशिया में मानसून जलवायु के अनुरूप अन्य नदियों के बारे में समकालीन अन्तरराष्ट्रीय अनभव पर विचार करने की आवश्यकता है।

बाढ़ प्रबंधन

2.79 बाढ़ के एम्बैकमेंट्स में स्पिलिंग सैक्शन/स्लूजिज की अवस्थापना पर उचित निर्माण, ताकि संरक्षित क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण करते हुए उर्वरता को कायम रखा जा सके, मिट्टी की आर्द्रता

को रिचार्ज करके भूजल का सदुपयोग किया जा सके। ड्रेनेजस्टूलसिज को एम्बैकमेंट्स का आंतरिक भाग बनाना चाहिए, ताकि संरक्षित क्षेत्र में जल के ठहराव से बचा जा सके। सड़क, रेल, अंतर्जालीय मार्ग और नहर/कमान क्षेत्र विकास कार्यों में बाढ़ प्रबंधन स्कीमों को इन्फ्रास्ट्रक्चरल विकास कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए। देश के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रेनेज के सुधार के लिए परम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निदियों में चुनिंदा स्थलों पर यानी आउटफॉल्स आदि पर ड्रेजिंग की जाए और ट्रिब्यूटरीज बाढ़ के स्थल को कम करती है। अनुकूल लागत प्रभावी उपायों के माध्यम से नदियों द्वारा भूमि कटाव को न्यूनतम किया जाना चाहिए। योजना निधियों के माध्यम से केन्द्र को राज्यों को सतत् रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों में सहायता पहुंचानी चाहिए, ताकि नदी के कार्यों से भू-कटाव को रोका जा सके। पूर्व में सृजित बाढ़ संरक्षण उपायों के प्रचालन और अनुसंधान पर पर्याप्त जोर देने के लिए बाढ़ क्षेत्रक के लिए परियोजना की निश्चित प्रतिशतता इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

2.80 उत्तरी बिहार और बंगाल में विविध फसलों के लिए भूमि जल की सघनता के साथ अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए एवं स्थानीय जलाशयों को रिस्टोर किया जाना चाहिए, भूमि जल के रिचार्ज की क्षमता को मानसून अवधि में बढ़ाया जाना चाहिए और बाढ़ को आंशिक रूप से कम किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय ड्रेनेज और रेस्टोरेशन/स्थानीय जलनिकायों को एनआरईजीपी, बीआरजीएफ आदि के माध्यम से जल संभरण प्लानिंग के साथ किया जाता है, तो देश के अन्य भागों में फ्लैश को न्यूनतम किया जा सकता है।

भविष्यवाणी एवं पूर्व चेतावनी

2.81 बाढ़ संभावित क्षेत्र के डिजिटल उन्नयन मॉडल का विकास, ताकि बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए स्कीम(ज) शुरू की जा सकें, बाढ़ की जोखिम संबंधी नक्शे तैयार किए जा सकें, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की प्लानिंग आदि शुरू की जा सके, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए तैयार की गई कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

धारणीयता

2.82 जल की धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए दो बड़ी चुनौतियां हैं, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुणवत्ता एवं मात्रा। भूमि जल के उपयोग को औसतन रिचार्ज तक सीमित

करना होगा, और जल की गुणवत्ता में सुधार करना होगा एवं उसे बायोलॉजिकल एवं रसायनिक अपघटन से बचाना होगा। भूमि जल के अनुकूल सदुपयोग पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

जल की गुणवत्ता का संरक्षण

2.83 जल की गुणवत्ता को अशोधित औद्योगिक उत्सर्जन और बस्तियों से नगरपालिका के कचरे से खतरा है, जिसके खुले रहने से प्रदूषण फैलता है और खेतों से खाद और कीटनाशक बह जाते हैं। ग्रामीण साफ-सफाई के कुल साफ-सफाई अभियान कार्यक्रम के संवर्धन (भाग-2 अध्याय-5 देखें) साफ-सफाई के लिए औद्योगिक उत्सर्जन मानक से लागू किए गए हैं और सभी नगरपालिका उत्सर्जित पदार्थों का शोधन भी आवश्यक है इसी के साथ फार्मिंग प्रणालियों को भी समायोजित रखना होगा, जिससे कम से कम खाद्य और कीटनाशकों का उपयोग हो और उन्हें तरीके से प्रयोग में लाया जा सके, ताकि जल के बहाव के साथ वे न्यूनतम रहे, जो कि व्यर्थ हो जाते हैं।

अभिसारण

2.84 वर्तमान में जल का विषय केन्द्र के द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा देखा जाता है। पानी के साथ अनेक क्षेत्रकों का संबंध कई तरह से होता है। जल की उपलब्धता और क्वालिटी का सामाजिक, मानवीय विकास और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न मंत्रालय के बीच प्रभावी समन्वयन और कार्यक्रमों का अभिसारण आवश्यक है। इस संबंध में 11वीं योजना में अनुकूल संस्थागत व्यवस्थाएं की जाएंगी।

11वीं योजना का वित्तपोषण

2.85 11वीं योजना के लिए जल संसाधन मंत्रालय का कुल जीबीएस रुपये 2870 करोड़ (2006-07 की कीमतों पर) और रु 3246 करोड़ (मौजूदा कीमतों पर) रखा गया है। संविधान के अनुसार सिंचाई राज्य का विषय है, अतः इन क्षेत्रकों में निवेश राज्यों द्वारा किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सिफारिश किए गए विस्तृत ब्यौरे एवं भौतिक लक्ष्य नीचे तालिका 2.14 एवं 2.15 में दिया गया है —

तालिका 2.14

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए समग्र परियोजना

(रुपये करोड़ में)

राज्य योजना	1,82,050
राज्य क्षेत्रक स्कीम यानी एआईबीपी एवं अन्य	47,015
केन्द्रीय प्लान	3,246
कुल	2,32,311

तालिका 2.15
भौतिक लक्ष्य

11वीं योजना में शामिल परि० की सं०	बृहद	मध्यम	ईआरएम
(1) परियोजना का पूरा होना:			
10वीं योजना की परियोजनाएं जो 11वीं योजना में स्थित की गईं	166	222	89
11वीं योजना की नई परियोजनाएं	78	145	86
कुल	244	367	75
11वीं योजना में संभवतः पूरी होने वाली परियोजनाएं	72	133	132
(2) 11वीं योजना में क्षमता का सृजन (एमएचए में)			
एमएमआई क्षेत्रक	9.00		
एमआई क्षेत्रक	7.00		
सतही जल	1.50		
भूमि जल	4.50		
जल निकायों की रेस्टोरेशन एण्ड ईआरएम	1.00		
(3) सीएडी और डब्ल्यूएम के लिए वास्तविक लक्ष्य (एमएचए में)			
सीसीए का विकास	3.5		
कन्वीयन्स डैफीसिंसी को ठीक करना	6.25		
रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लोड्स क्षार और एलकलाइन भूमि	0.5		
(4) बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य: (एमएचए)			
बाढ़ के प्रतिपक्ष में लाभ प्राप्त क्षेत्र: 2.18 एमएचए			

2.86 जल संसाधन विकास मंत्रालय के निम्न पांच कार्यक्रमों की पहचान प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के रूप में की गई है—

- नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य।
- कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।
- मरम्मत जीर्णोद्धार एवं जल निकायों का रेस्टोरेशन।
- सीमावर्ती नदियों के अलावा अन्य बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम।

2.87 इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि सामान्य रूप से जल संसाधन क्षेत्र की वास्तविक जरूरतें ओर उपर्युक्त स्कीमें, विशेष रूप से, उन प्रावधानों से भी आगे निकल सकते हैं, जिनका उल्लेख योजना दस्तावेज में किया गया है। वार्षिक योजना के विमर्श के दौरान वास्तविक वार्षिक आवंटन का आकार प्रो-राटा-आवंटन से अधिक हो सकता है और मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) के दौरान समग्र वृद्धि के मुद्दे को भी संशोधित किया जा सकता है।

रोजगार सृजन

2.88 जब सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होती है, तो इसमें वर्ष दर वर्ष रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होते रहते हैं। जल संसाधन परियोजनाएं, विशेष रूप से सिंचाई विकास, और बाढ़ नियंत्रण कार्य निर्माण अवधि और उसके बाद की परियोजना के चरणों में रोजगार के काफी अवसर सृजित होते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई क्षेत्रक में सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों को नीचे तालिका 2.16 में दर्शाया गया है —

तालिका 2.16
समग्र रोजगार क्षमता

	(प्रति वर्ष मिलियन व्यक्ति)	
	प्रत्यक्ष रोजगार	अप्रत्यक्ष रोजगार
एमएमआई	2.1	10.1
एमआई	5	1.05
बाढ़ नियंत्रण	2.5	-
कुल	9.6	11.15

भावी मार्ग

2.89 11वीं योजना में सुझाए गए उपाय सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान करते हैं, जो जल प्रबंधन और सिंचाई से जुड़े हैं। सिंचाई अवसंरचनाओं के निर्माण में लग रही लम्बी अवधि और संसाधनों का विरल फैलाव अनेकों जारी परियोजनाओं के पूरा होने में लग रही देरी के मुख्य कारण हैं। 11वीं योजना में कुल 477 परियोजनाएं, जिनमें 166 बृहद, 222 न्यूनतम और 89 ईआरएम के स्थित ओवर होने की संभावना है। 11वीं योजना में इन परियोजनाओं के स्पिल ओवर की लागत का अनुमान लगभग 1,33,746 करोड़ रु0 लगाया गया है। इस निर्माण अवधि को कम करने की आवश्यकता है एवं एकीकृत विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इन परियोजनाओं के साथ उपभोक्ताओं को सिंचाई का लाभ पहुंचाना है। एक निर्माण अनुसूची के अनुसार इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन 4 से 5 वर्ष के भीतर ही किया जाना है। भूमि अधिग्रहण और आर एण्ड आर वर्क्स को भी परियोजना की औपचारिकताओं के साथ पूरा करना है, प्रणालियों में सिंचाई की कुशलता को बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसे वर्तमान में सतही जल प्रणाली में 35% से 60% तक और भूमि जल प्रणाली में 65% से 75% तक पहुंचाना है। अन्य विभागों जैसे-ग्रामीण विकास एवं कृषि आदि के प्रयासों को अभिसारित करना होगा और जल संसाधन विकास

और संरक्षण के लिए एक एकीकृत अवधारण को अपनाया जाना चाहिए। वर्षा जल के संचयन, जल संभरण विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं और एनआरजी अधिनियम को जल संसाधन विकास मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति विभाग के निर्माण कार्यों में कार्यान्वित करना चाहिए। जल संसाधन परियोजनाओं के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता है, क्योंकि इस मुद्दे का समाधान राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में कर दिया गया है। क्षेत्र में सिंचाई कमान के भीतर जल संसाधन संरक्षण, अंतरण और अनुप्रयोग के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिक विकास लागू करने की जरूरत है। बाढ़ प्रबंधन में बाढ़ों का इण्टरवैल बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपायों के लिए एक दिशा-निर्देश कारक माना जाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण उपाय अलग-अलग नहीं करके, उन्हें एकीकृत रूप से मास्टर प्लान अवधारणा पर शुरू करने चाहिए। भूमि जल की धारणीयता प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और सिंचाई और पेयजल की जरूरतों की पूर्ति के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भूमि जल का सीमित उपयोग होना चाहिए और इसे रिचार्ज किए जा रहे जल से जोड़ा जाना चाहिए। भूमि जल स्तर के मॉनीटरिंग का मुद्दा वैज्ञानिक तरीकों जैसे- पीजो मीटर्स आदि के माध्यम से लाभार्थियों के समूहों पर छोड़ देना चाहिए और इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से उचित तकनीकी सहायता भी ली जानी चाहिए।

संलग्नक 2.1
योजनावार कुल सृजित क्षमता और सदुपयोग

(मिलियन हेक्टेयर में)

योजना	सृजित क्षमता				सदुपयोग की गई क्षमता					
	बृहद और मध्यम	एस डब्ल्यू	लघु जी डब्ल्यू	कुल	कुल	बृहद एवं मध्यम	एस डब्ल्यू	लघु जी डब्ल्यू	कुल	कुल
1951 तक (प्री प्लान)	9.7	6.4	6.5	12.9	22.6	9.7	6.4	6.5	12.9	22.6
पहली योजना 1951-1956	12.2	6.43	7.63	14.06	26.26	10.98	6.43	7.63	14.06	25.04
दूसरी योजना 1956-1961	14.33	6.45	8.3	14.75	29.08	13.05	6.45	8.3	14.75	27.8
तीसरी योजना 1961-1966	16.57	6.48	10.52	17	33.57	15.17	6.48	10.52	17	32.17
वार्षिक योजना 1966-1969	18.1	6.5	12.5	19	37.1	16.75	6.5	12.5	19	35.75
चौथी योजना 1969-1974	20.7	7	16.5	23.5	44.2	18.39	7	16.5	23.5	41.89
5वीं योजना 1974-1978	24.72	7.5	19.8	27.3	52.02	21.16	7.5	19.8	27.3	48.46
वार्षिक योजना 1978-1980	26.61	8	22	30	56.61	22.64	8	22	30	52.64
छठी योजना 1980-1985	27.7	9.7	27.82	37.52	65.22	23.57	9.01	26.24	35.25	58.82
7वीं योजना 1985-1990	29.92	10.9	35.62	46.52	76.44	25.47	9.97	33.15	43.12	68.59
वाषिक योजना 1990-1992	30.74	11.46	38.89	50.35	81.09	26.31	10.29	36.25	46.54	72.85
8वीं योजना 1992-1997	32.95	12.51	40.8	53.31	86.26	28.44	11.07	37.7	48.77	77.21
9वीं योजना 1997-2002	37.05	13.6	43.3	56.9	93.95	31.01	11.44	38.55	49.99	81
10वीं योजना 2002-2007	42.35	14.31	46.11	60.42	102.8	34.42	12	40.81	52.81	87.23

3

वन

प्रस्तावना

3.1 राष्ट्रीय वन नीति 1988 में स्थानीय समुदाय के महत्व और उनकी प्रमुखता पर प्रकाश डाला गया, और उन्हें पर्यावरणीय अनुसंधान की स्थिरता के मुख्य उद्देश्य के संबंध में धारणीय प्रबंधन अवधारणा उपलब्ध कराई। प्रकृति के संरक्षण की वचनबद्धता को रेखांकित करते हुए, एक तिहाई भूमि को वन/वृक्षों से आच्छादित रखने का लक्ष्य रखा गया। वनरोपण के लिए लोगों में एक अभियान की जागृति और स्थानीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादकता को बढ़ाते हुए, सामाजिक सरोकारों को लक्षित किया गया। उद्योगों को सलाह दी गई कि वे औद्योगिक कच्चे माल के लिए किसानों के साथ नैटवर्क रखें।

3.2 चूंकि वन आच्छादन पर्यावरण को जीवंत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह हवा और पानी की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करता है। कार्बन सिंक्स के रूप में वनों का पर्यावरणीय महत्व और बढ़ जाता है। अतः वन आच्छादन और वनरोपण का भाग-1 के अध्याय 9-पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।

3.3 पूरी दुनिया के औसत 0.64 हैक्टे. (एफएओ) के मुकाबले भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र मात्र 0.064 है। प्रतिवर्ष 2.1 एम³/हैक्ट. के विश्व औसत के मुकाबले भारत में हमारे वनों की उत्पादकता औसत मात्र 1.34 है। जबकि वन क्षेत्र के 78% भाग को अत्यधिक रूप से चारागाह के रूप में प्रतिकूल और अनियमित उपयोगों हेतु लाया जा रहा है, जिससे उत्पादकता और पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लगभग वन क्षेत्र के 10 एमएचए में कृषि होनी शुरू हो गई है। जमीन के उपयोगों में भी परिवर्तनों

जैसे सामुदायिक क्षेत्रों का गैर-बायोमास उपयोगों के लिए विविधीकरण ने लगभग सभी बायोमास आवश्यकताओं की तरफ वनों को निर्देशित किया है।

3.4 अभी तक वनीकरण और वन्य जीव क्षेत्रक में प्लान निवेश के अन्तर्गत राज्य और केन्द्र की योजनाएं कुल प्लान परिव्यय की लगभग 1% है। राष्ट्रीय वनीकरण आयोग (2006) ने वनीकरण और वन्य जीव क्षेत्रक में प्लान परिव्यय के 2.5% निवेश की सिफारिश की है।

3.5 क्योंकि राज्य वन प्रशासन वनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, केन्द्रीय हस्तक्षेपों का ध्यान संरक्षण और धारणीय उपयोग हेतु अनिवार्यतः राष्ट्रीय नीति को शुरू करने के संदर्भ में राज्य क्षमताओं को पुनः लागू करने पर होना चाहिए। अतः 11वीं योजना की कार्यनीति ऐसे पर्यावरण के सृजन के संबंध में रहेगी, आर्थिक लक्ष्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए वनीकरण और वन्य जीवन प्रबंधन धारणीयता पर टिका रहेगा। तदनुसार, वनीकरण क्षेत्रक विकास की कार्यनीति का प्रमुख परिदृश्य निम्न प्रकार रहेगा : —

- हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य को जीवन-यापन के अवसरों के साथ जोड़ा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नीति एवं कानूनी उपाय, कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों का उत्साहवर्धन करेंगे। 10वीं योजना में संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) को युनिवर्सलाइज करने के लिए प्रयास किए गए थे। 11वीं योजना का संकल्प है कि फसल काटने, उसका मूल्य वर्धन करने और वन उत्पाद के लिए विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि अवधारणाओं को भी इस तंत्र की मजबूती में शामिल किया जाएगा।

- आखिरकार, राज्य वन प्रबंधन का लक्ष्य होगा कि वनों की संरचना में बिना किसी अप्राकृतिक परिवर्तन के प्रकृति तंत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा काष्ठ और गैर-काष्ठ उत्पाद उपलब्ध कराने में सक्षम वन उत्पादों को वैकल्पिक रूप से हासिल करना होगा।
- बस्तियों के आस-पास के वनों का प्रबंधन आस-पास में रहने वाले लोगों के जीवन-यापन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त सहायता एवं अधिकारिता सुनिश्चित की जाएगी।
- उपलब्धता के अनुसार वन उत्पाद को नियंत्रित किया जाएगा। फिर भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यनीति के आधार को बड़ा बनाते हुए, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के भूमि संसाधनों के उपयोग में धारणीयता सुनिश्चित की जाए।
- संरक्षित क्षेत्रों (पीएज) को स्थानीय लोगों की भावनाओं से जोड़ा जाएगा और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन की योजना, स्थानीय सामुदायिक संसाधनों को अधिकतम बनाने पर आधारित होगी और संरक्षित क्षेत्रों से गैर-आक्रामक लाभों द्वारा वहां रहने वाले लोगों की ओर बढ़ाते हुए, गांव के प्रकृति विकास सिद्धान्तों पर लगाया जाएगा।
- इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए समर्थन प्रणालियां अनुसंधान एवं विकास और क्षमता निर्माण के आधार पर विकसित की जाएंगी और लघु एवं दीर्घ अवधि के मॉनीटरिंग के उद्देश्य के लिए सुदृढ़ वन रोपण प्रणाली लागू की जाएगी।

वनो को जीवन-यापन से जोड़ना और सहभागिता प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना।

राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम

3.6 एनएईवी का सीएसएस राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम (एनएपी) जेएफएम समितियों के माध्यम से अवक्रमित वनों की पुनः स्थापना में सहायता करता है। जिला स्तर पर वन विकास एजेंसियां (एफडीए) सृजित की गई हैं, जो एमओईएफ और जेएफएम समितियों के बीच परियोजनाओं हेतु संपर्क का कार्य कर सकें, और निधि जारी करते हुए, मंजूर किए कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा सके।

3.7 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एनएपीजेएफएम अभियान के केन्द्र के रूप में कार्य करता है। 22 मिलियन हैक्टे. वन क्षेत्र में से 1.07 लाख जेएफएम समितियों द्वारा देखा जाता है। एनएपी लगभग 9 लाख हैक्टे. को 23,750 समितियों के माध्यम से कवर करता है, जो कि कुल समितियों की मात्र 24% का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, और यह जेएफएम के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का 4.20% है।

एकमात्र स्कीम के रूप में एनएपी का कोई असर नहीं होगा, जब तक कि यह राज्यों को उनके कार्यक्रमों को जेएफएम की तरफ सुदृढ़ करने हेतु प्रभावित करने लायक नहीं होते।

3.8 जिस तरीके से जेएफएम कार्य कर रहा है, उसके रास्ते में निश्चित रूप से कुछ कमियाँ रही हैं। जेएफएम की मॉडेलिटीज मौजूदा संस्थानों, जो संरक्षण में लगे हैं, उन्हें मान्यता नहीं देती है। राष्ट्रीय स्तर पर एनएपी घटकों के लिए की जाने वाली क्रियाकलापों पर केन्द्रीय नियंत्रण के माध्यम से जागृति धीमी गति से हुई है, और वन प्रबंधकों और सामुदायिक संस्थानों के बीच पृष्ठभूमि का विकास भी धीरे हुआ है।

3.9 2004-05 के दौरान भारतीय जैव सामाजिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईबीआरएडी) द्वारा कराये गए राष्ट्र-स्तरीय अध्ययन में जे. एफ. एम. ने लगभग 500 जे. एफ. एम. समिति क्षेत्रों का देश में स्थित 13 राज्यों में मूल्यांकन किया है। इसके लिए मानदंड थे-उद्देश्यों और भूमिका की स्पष्टता, संस्थागत मैकेनिज्म, जे. एफ. एम. सी(ज) की क्षमता और संसाधन प्रबंधन। वन रूपरेखा पर प्रभाव, समाजार्थिक पहलू जैसे-घरेलू आय, ग्रामीण विकास, महिला अधिकारिता और सामाजिक एकता आदि का अध्ययन किया गया। संस्थाकरण के लिए औसत स्कोर 51% रहा है, जिसमें बंगाल के लिए उच्च स्कोर रहा (68%), राजस्थान (62%) और महाराष्ट्र (56%)। फिर भी जे. एफ. एम. के इनकार्पोरेशन और रूटिनलाइजेशन की स्थिति पर कोई भी राज्य नहीं पहुंच सका। संस्थाओं की प्रभावशीलता की रेटिंग 50.28% रही, जिसमें की संसाधन प्रबंधन का सुदृढ़ मेल था। मैकेनिज्म की बजाय प्रेरणा की अधिक आवश्यकता महसूस की गई, ताकि सफलता प्राप्त की जा सके। सर्वोच्च प्रभावोत्पादकता उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में देखी गई, जबकि यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कम थी।

3.10 गहन विश्लेषण से पता चला है कि उन स्थानों पर लड़ाई-झगड़े और असफलताएं अधिक देखी गई, जहाँ पर प्रबंधित संसाधनों से लाभ कम थे या स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं थे। ऐसी स्थिति, संसाधनों की उत्पादकता में और हिस्सेदारी की मॉडेलिटीज के लिए रैशनलाइजेशन हेतु निवेश की मांग करती है। वनों के उत्पाद से समितियों की हिस्सेदारी बनाई जा सकती है, जबकि प्रकृति तंत्र के लाभों में शामिल है, सतत हरियाली कवर को राष्ट्रीय हिस्से में रखा जा सकता है। तब उत्पादों को राज्य द्वारा समुदाय को दिए जाने वाले मूल्य का भुगतान, जो कि वनों के संरक्षण के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं के लिए होता है।

3.11 राष्ट्रीय वनरोपण/इकोरेस्टोरेशन कार्यक्रम, केन्द्र सरकार के एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में होता है, जो कि इकोलॉजिकल संसाधनों को बढ़ाने और सहभागी समुदायों को परिणामी लाभ दिलाने को लिए तैयार किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सभी सहभागी संस्थानों को अधिकारिता प्रदान करना होगा।

- कार्यक्रम की आउटरीच में सुधार करने के लिए वन विकास एजेंसी (एफडीए) तंत्र के माध्यम से राज्यों को अपने वन सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होगी।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जे. एफ. एम. समितियों से विकसित सूक्ष्म योजनाएं और वनरोपण के बारे में स्पीशीज संबंधी निर्णय प्राकृतिक रूप से तुलनीय स्पीशीज के स्थानीय संयोजन के स्वामित्व के आधार पर होगा।
- जे. एफ. एम. रूपरेखा, विधिवत मौजूदा वन पंचायत और अन्य सामुदायिक वानिकी संस्थानों को विधिवत मान्यता देगी और उनके वन प्रबंधन से संबंधित प्रजातांत्रिक निर्णयों का सम्मान करेगी। पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाना) अधिनियम (पीईएसए) के तहत ग्राम सभाएं अनुसूची-5 और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परम्परागत संस्थान, सामुदायिक वानिकी संस्थानों के रूप में कार्य कर सकते हैं। सामुदायिक वनों का हरित आच्छादन और पर्यावरणीय सेवाओं को राज्य के हिस्से के रूप में माना जाएगा और प्राप्त उत्पादन को समुदाय के हिस्से के रूप में।
- इस कार्यक्रम में वन आधारित वन उत्पाद सुलभ कराने के लिए उचित तंत्र के साथ लघु उद्यमों के घटक को शामिल किया जा सकता है। स्वयं रोजगार कार्यक्रम को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।
- कार्यक्रम में सामाजिक घटक में विकेंद्रित ऊर्जा सोलूशन्स जैसे विद्युत आधारित बायोमास की विशिष्ट परियोजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि सामाजिक सेवाओं में सुधार हो सके, जैसे कि वृक्ष रोपण परियोजनाओं में किया जाता है।
- वन रोपण/इकोरेस्टोरेशन में एमआरईजीपी के तहत प्रकृति तंत्र के संसाधनों के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए एक भाग के रूप में लेने हेतु व्यवस्था होनी चाहिए।

राष्ट्रीय वन रोपण, इकोरेस्टोरेशन और इको विकास बोर्ड

3.12 राष्ट्रीय वन रोपण और इको विकास बोर्ड को राष्ट्रीय वनरोपण, इकोरेस्टोरेशन और इको विकास बोर्ड के रूप में

पुनर्नामित किया जा सकता है, ताकि इसके विजन को व्यापक बनाया जा सके और उसमें गैर-वृक्षीय इको-प्रणालियों को भी शामिल किया जा सके। एनएईईबी कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक होंगे —

- हरित भारत स्कीम के लिए अनुदान में जेनेटिक सुधार योजनाओं के नैटवर्क द्वारा सहायता प्राप्त गुणवत्ता पौध रोपण सामग्री के लिए सुसज्जित पौधशालाओं की स्थापना के लिए सहायता और सुमॉनीटरित बीजों/क्लोन परीक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम भी गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे वन रोपण संबंधी कार्यक्रमों के अलावा भी शामिल होंगे।
- मॉनीटरिंग एवं विकास जैसा कि यूएनसीसीडी में जरूरी किया गया है कि निर्धारित मानकों और संकेतकों पर आधारित डिजिटल डिफिकेशन कम्बेटींग के लिए कार्यक्रमों का समन्वयन और वन रोपण/इकोरेस्टोरेशन कार्यक्रम/स्टेट डिजिटल डिफिकेशन का मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन किया जाएगा।
- एनएईईबी के क्षेत्रीय केन्द्रों को सहायता ताकि वे प्रौद्योगिकियों और एनएईईबी कार्यक्रमों को जन-जागृति और अध्ययन के माध्यम से प्रसारित करने में सहायता कर सकें।
- जहां वन रोपण/इकोरेस्टोरेशन सख्त दशाओं के कारण लोगों की सहभागिता से संभव नहीं है, वहां क्षेत्रों के वन रोपण और इकोरेस्टोरेशन के लिए इको कार्यदल बनाए जाएंगे।

सामान्य बायोमॉस संसाधनों में बढ़ोतरी

3.13 देश में 4 लाख से भी अधिक गांवों में बस्तियों के इर्द-गिर्द वन नहीं हैं। बायोमॉस संसाधनों के आधार को बढ़ाने के लिए सामुदायिक नियंत्रित एवं अन्य प्रायः जमीनों को अधिकतम रूप से उत्पादक बनाने की आवश्यकता है।

3.14 पंचायत संस्थानों को ऐसी उपलब्ध जमीनों की पहचान करनी चाहिए और सामुदायिक समूहों को उनमें उत्पादन और स्थानीय शर्तों के आधार पर प्रबंधन के लिए प्राधिकृत करना चाहिए। राज्य इसके लिए प्रौद्योगिकी और पारिश्रमिक सामाजिक वानिकी खंड के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे, जिसमें केन्द्र सरकार की सहायता नई सीएसएस के माध्यम से ली जाएगी। इस प्रकार इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी सहायता और निधि उपलब्ध होगी, जहां पंचायतें गैर-उत्पादक जमीन को उत्पादक तंत्र के अंतर्गत ले आती हैं।

3.15 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) को इन सामान्य संसाधनों के निर्माण हेतु जोड़ा जा सकता है। फिर भी, निधि के उपभोक्ताओं द्वारा यह एक पूर्व प्रस्तावित अनुकूल कार्रवाई होगी और पौध रोपण की स्थापना तक मानव शक्ति की धारणीय आपूर्ति भी करनी होगी।

एगो वानिकी का विकास

3.16 एगो वानिकी मुख्य फसलों की सहायक कृषि भूमि में प्रति यूनिट निवेश की धारणीय आय के लिए सहायक अवसर प्रदान करती है। जबकि वाणिज्यिक खेती में बंड-प्लानिंग लोकप्रिय रही है। पर्यावरणीय प्रणालियों से वर्षा आधारित क्षेत्रों में इसमें शुद्ध अर्जन विभिन्न स्थितियों में बेहतर रहते हैं। इस प्रकार सब्सिस्टेंट या वाणिज्यिक एगो वानिकी के मौजूदा दृष्ट अंशदान, जो लगभग 3% हैं, उनके वन/वृक्ष कवर के 10% तक बढ़ने की संभावना है।

3.17 भारत आज विभिन्न प्रकार की काष्ठ की काफी मात्रा और पल्प का आयात करता है। फार्म क्षेत्रक में हरितता पर काफी ध्यान सुनिश्चित करते हुए बाजारों का संगठन और सुविधाजनक फेयर ट्रेड सुलभ कराना एक प्राथमिकता होगी। सस्ती और शुल्क मुक्त लुगदी के आयात हेतु रियायतों के संसोधन की आवश्यकता है। किसानों को बाजारी विकल्प और प्रोत्साहन, जिनमें ओवरसीज मार्केट भी शामिल हैं, उपलब्ध कराये जाने चाहिए। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और परम्परागत एगो वानिकी प्रजातियों जैसे सफेदा और एकासिआस आदि पर परम्परागत अनुसंधान और परीक्षण के लिए विकल्प होने चाहिए, जो कि फार्म क्षेत्रक के लिए अनुकूल हों।

वनों के अपघटन को ठीक करना

3.18 सरकारी वनों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा संभाला जाता है, जबकि क्षमता बढ़ाने और अनुसंधान संबंधी कार्य केन्द्र सरकार के पास हैं।

3.19 केन्द्रीय विनियमों के मॉनीटरिंग के अनुपालन के लिए एमओईएफ के क्षेत्रीय केन्द्रों के नेटवर्क के अलावा एक सीएसएस एकीकृत वन संरक्षण की शुरुआत 10वीं योजना के दौरान की गई थी। इस कार्यक्रम को 2005-06 के दौरान पूरी तरह प्रचालन में लाया गया और इसका परिणाम आगे आना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता को पूरी तरह से राज्यों की आधुनिक धारणीय वन प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाये जाने की आवश्यकता है। इसमें प्रबंधन सूचना, इन्वेंट्री और मूल्यांकन एवं पौधरोपण और मॉनीटरिंग में आधुनिक तरीकों को अपनाना शामिल है। तदनुसार एमओईएफ के दो कार्यक्रम यानी एकीकृत वन संरक्षण और वानिकी प्रभागों को सुदृढ़ करने हैं। दोनों को 11वीं योजना के दौरान अभिमुखीकरण में लाने का प्रस्ताव है।

वन प्रबंधन स्कीम का सघनीकरण

3.20 एकीकृत वन संरक्षण स्कीम को फिर से तैयार किया जायेगा, ताकि क्षमता निर्माण और आधुनिक वन प्रबंधन के लिए बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में राज्यों को सहायता

प्रदान की जा सके। केन्द्रीय सहायता के लिए प्रबंधन, प्लानिंग और सर्वेक्षण (भूमि रिकॉर्ड) की व्यवस्था में सुधार करना पहली प्राथमिकता होगी। राज्य वन प्रबंधन के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित घटक उपलब्ध कराये जायेंगे—

- प्रबंधन प्लानिंग (वर्किंग प्लान) एककों को उपस्करों से, इन्फ्रास्ट्रक्चर और मानव शक्ति आदि के मामलों में आधुनिक बनाया जाएगा, और इसमें वन इन्वेंटरी, प्रशिक्षण और सैटेलाइट इमेजरी प्रक्रिया और जीआईएस सुविधाएं भी शामिल हैं। इसमें व्यावसायिक सेवाएं जैसे-प्रकृति तंत्र वैज्ञानिक और संदर्भित इनपुट के लिए समाज शास्त्री भी शामिल किए जाएंगे।
- भूमि रिकॉर्ड के लिए वन भूमि सूचना प्रणालियां, जिसमें आधुनिक और अधिकारिता प्राप्त सर्वेक्षण और भूमि रिकॉर्ड अनुसंधान मैकेनिज्म, जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त वैयक्तिक अधिकारों की डोक्यूमेंटिंग के लिए होंगे। जिनमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनों में रहने वाले (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के तहत आने वाली रियायतें और स्वामित्व भी शामिल हैं।
- स्टेट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण/आउटसोर्सिंग, सर्वेक्षण कार्य, स्थायी सीमा के स्तम्भ निर्धारित करने, वन ब्लॉक संकेतकों और सक्षम इतिहास को अद्यतन करने के लिए सहायता उपलब्ध कराते हुए वन सीमा निर्धारण करना।
- सहभागी तरीके से अग्नि प्रबंधन प्लानिंग के साथ वन फायर सर्विलेंस और चेतावनी प्रणालियां संस्थापित करना। इस अग्नि प्रबंधन प्रणाली को एक राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जो वन फायर सर्विलेंस और मॉनीटरिंग के संबंध में है।
- दूर-दराज के क्षेत्रों में सामान्य बुनियादी सुविधाओं और आवास, संचार नेटवर्क में सुधार के लिए सहायता देना भी इस कार्यक्रम का एक भाग होगा।

वन प्रबंधन का सुदृढीकरण

3.21 इस क्षेत्रक में कुशल प्रबंधन के लिए संदर्भित मामलों में परामर्श और अध्ययन को कवर किया जाएगा, जिसमें मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के नेटवर्क के माध्यम से मॉनीटरिंग का अनुपालन भी शामिल है। विशिष्ट रूप से निर्धारित निम्नलिखित घटक इस कार्यक्रम के भाग होंगे —

- राष्ट्रीय वानिकी सूचना प्रणाली स्थापित की जाए, जिसकी नेटवर्किंग राज्यों के साथ हो, ताकि वन विकास, फसल उत्पादन, व्यापार और उपयोगिता परिदृश्य में आ रहे बदलावों का सामना किया जा सके। इसमें गैर-कास्ट वन उत्पाद संसाधन और चिकित्सीय और सुगंधित पौधों में संबंधित सूचना भी शामिल हैं।

- वन क्षेत्रों के इकोलोजिकल और बायोडाइवर्सिटी सरोकारों से संबंधित पहलुओं को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड को संशोधित किया जाए। इसमें एनटीएफपी चिकित्सीय और सुगंधित पौधे संसाधन भी शामिल हैं।
- अन्तरराष्ट्रीय मान्यता के लिए स्वतंत्र धारणीय वन प्रबंधन प्रमाणन तंत्र के लिए मैकेनिज्म, जो कि वन संसाधनों और उत्पादों के संबंध में होगी।

पूर्वोत्तर में सामूहिक पुष्प उत्पादन हेतु प्रबंधन

3.22 मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम के कुछ भागों, नागालैण्ड और मेघालय राज्यों के लगभग 18000 वर्ग किलोमीटर में मूली बांस, मैलोकमा बैसीफेरा की खेती होती है। इस प्रजाति की अधिकांश सघनता मिजोरम में होती है, जिसके तहत लगभग 6700 वर्ग किलोमीटर जमीन आच्छादित है। लगभग 48 वर्षों के पुष्प खेती चक्र के बाद सामूहिक पुष्प खेती शुरू की गई है और समग्र पुष्पित बांस के पौधे बीज आने बाद सूख जाएंगे। परिणामस्वरूप इकोलॉजिकल, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं, व्यापक क्षेत्र के विनाश के बाद, खड़ी होने की संभावनाएं हैं, जो कि वन अग्नि की दृष्टि से असुरक्षित है। दस्तकारियों और उद्योगों और क्रंतक जनसंख्या में वृद्धि से महत्वपूर्ण बांस संसाधनों क्षीणता हो रही है, जिससे और अधिक विनाश होगा एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होंगे। अतः पूर्वोत्तर में सामूहिक पुष्प खेती के प्रबंधन हेतु एक कार्यनीति तैयार करनी होगी, जिसके लिए परामर्श लेना अप्रैल 2002 में शुरू हो गया था, परिणामस्वरूप एक सीएसएस शुरू की गई, जिसके लिए कार्रवाई योजना के 366 करोड़ रुपये के एक भाग के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा रुपये 85 करोड़ का अनुमोदन दिया गया। वास्तव में यह कार्यक्रम 2005-06 में शुरू किया गया और यह 2008-09 तक जारी रहेगा। इस कार्रवाई योजना की प्राथमिकताएं निम्न प्रकार होंगी —

- वृद्धित स्टॉक अफेक्टेड के मूल्यांकन के लिए संसाधन, सर्वेक्षण और मानचित्रण शुरू किया जाएगा।
- बांस की कटाई जहां तक संभव हो, उसमें फूल आने के पहले कर ली जाए, और उसका परिवहन, रोड, रेल, या जलीय मार्गों से करने की व्यवस्था की जाए। काटे गए बांस के समाधान के लिए प्रभावी तरीके, कागज की मिलों जैसे-हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड आदि से सम्पर्क, बांस आधारित कुटीर उद्योगों के विकास और लघु मैकेनिकल चिपिक और लुगदी (पल्पिंग) एकक लघु उद्योग क्षेत्रक में स्थापित करना।
- पुष्प वाले क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बांस की प्रजातियों की शुरूआत/पुनर्सृजन करना।

क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान

क्षमता निर्माण

3.23 वानिकी क्षेत्र में चल रहे प्रतिमान संबंधी बदलाव, बुनियादी पुनःअभिमुख की आवश्यकता जन्म देता है और वनों की विविध भूमिका के साथ कार्मिकों के व्यवहार में बदलाव आते हैं, एक्सटर्नलिटीज की पूरक किरमें और परम्परागत वानिकी प्रबंधन प्रणालियों का सामना करना। इसमें प्रकृति की प्रक्रियाओं की वैज्ञानिकता के आधार के साथ सामाजिक संवेदनशीलता भी शामिल है।

3.24 वानिकी कार्मिकों के लिए एकीकृत क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें राज्य अग्रणी स्टाफ प्रशिक्षण देने वालों का प्रशिक्षण भी शामिल है और इस से पणधारियों के लिए मानवीय कल्याण के लिए संरक्षण के परिप्रेक्ष्य को समझना भी आसान होगा, क्योंकि उन्हें स्टेट ऑफ आर्ट सूचना और ज्ञान का आधार भी उपलब्ध कराया जाएगा।

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम)

3.25 आईआईएफएम एक अग्रणी वानिकी संस्था के रूप में उभरी है, जिसने धारणीय वन प्रबंधन और सहभागी वन प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए मानक और संकेतकों के विकास हेतु अपना योगदान भी दिया है। एक मूल्यांकन के आधार पर, आईआईएफएम शैक्षिक और वन प्रबंधन विकास कार्यक्रमों और वानिकी पर आधारित नीति के परिपेक्ष में अनुसंधान और ग्रामीण संस्थाओं से इसके संपर्क एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित ग्रामीण जीवन-यापन को बढ़ावा देना चाहती है। संस्थान नीति एवं विकास अनुसंधान शुरू करेगी जिसमें प्रकृति तंत्र प्रणाली सेवाओं का मूल्यांकन, प्राकृतिक संसाधनों में सहभागिता की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन, विशेष रूप से वन प्रबंधन और जीवन-यापन एवं वन संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल हैं।

भारतीय वन्य जीव संस्थान

3.26 भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की प्रशिक्षण, अनुसंधान और सलाहकारी भूमिकाओं के अलावा शामिल हैं — विकास परियोजनाओं और नीतियों में संरक्षण के अनुरक्षण हेतु वर्कबल रूपरेखा का विकास। विकासशील परियोजनाओं और मानवीय गतिविधियों के इकोलॉजिकल प्रभावों के लिए प्रक्रियाओं पर अनुभूतिमूलक अध्ययन, सामान्य परिसंपत्ति, संसाधन प्रबंधन का सुदृढीकरण और बिखरे हुए एवं अलग-थलग भू-आकृतियों ने वन्य जीवन के प्रबंधन में दक्षता का विकास आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपस्करों के उपयोग और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास कार्य शुरू किया जाएगा।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

3.27 परिषद् का गठन 1986 में किया गया था, ताकि वानिकी में वैज्ञानिक वातावरण विकसित किया जा सके, जैनेटिक, इकोलॉजिकल जलवायु परक एवं आर्थिक भूमिकाओं जिनकी तुलना 1988 से पहले के निर्देशों से की जा सकती है की नई संभावना को ध्यान में रखते हुए जिनमें अधिकांशतः वन विज्ञान आधारित प्रबंधन प्रणालियां और पुनर्त्पादन के सहायक पहलू, पैदावार, सदुपयोग, आदि हैं। तदनुसार, अनुसंधान और शिक्षा के प्रबंधन में परामर्श और व्यावसायिक क्षमता के माध्यम से निर्णय लेने में सहायता करने की आवश्यकता है -

- परिषद् के पास अपने संस्थानों के प्रशासन और अनुसंधान के लिए अलग आदेश चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एक कार्यदल स्थापित किया जाए, जिसमें शीर्षस्थ स्तर के अनुसंधान प्रबंधकों, वन प्रबंधकों, नीति निर्माताओं को शामिल किया जाए, ताकि ऐसी मैकेनिज्म का प्रस्ताव रखा जा सके, जिसमें इसके अनुसंधान और शिक्षा घटकों के लिए संसाधनों को गतिशील बनाया जा सके। यह समूह वन्य जीवन, बॉयोडाइवर्सिटी बस्ती/भू-आकृति/इकोलॉजिकल अनुसंधान चिंताओं पर परिषद् के भीतर ही विचार कर सकता है।
- इस अवधि के लिए कुल अनुदान का 50% आईसीएफआरई के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो कि विशेष रूप से अनुसंधान और शिक्षा के लिए रहेगा। परिषद् अपने संस्थानों को संदर्भित क्षेत्र में अन्य प्रख्यात संस्थानों से सहयोग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगी, जिनमें राज्य वन अनुसंधान संस्थान भी शामिल हैं।
- अनुसंधान कार्यक्रम उत्पादकता, उत्पादन सुधार, इको प्रणाली अनुसंधान, विकास को अद्यतन बनाने, प्रबंधन की योजना में विश्लेषण के जरूरी मानक तैयार करने आदि के प्राथमिक क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा। अपनी रूपरेखा में सुधार हेतु प्राकृतिक वनों के प्रबंधन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के सदुपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रमों को भी इसमें प्लाइवुड उद्योग के अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई) शामिल किया जाना चाहिए।
- परम्परागत प्रजातियों के लिए राष्ट्रव्यापी दीर्घकालीन राष्ट्रव्यापी जैनेटिक सुधार कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए, तीव्र विकास के लिए भारतीय प्रजातियों की जांच की जाए, सर्वेक्षणों के लिए उद्योग एवं प्रोटोकॉल हेतु परम्परागत प्रजातियों के संबंध में इन्वेंटरी और प्रबंधकीय प्लानिंग, गैर-काष्ठ वन उत्पाद (एनटीएफपी) के लिए वनों में औषधीय और सुगंधित पौधे शुरू किए जाएंगे।

- एग्रो वानिकी और सामाजिक वानिकी के लिए प्रौद्योगिकियों और प्रणालियां विकसित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में गुणवत्ता वाले बीज और पौधरोपण सामग्री कार्यक्रम की सहायता विश्वसनीय परीक्षण और प्रमाणन तंत्रों द्वारा किया जाएगा।
- एक मंच पर सूचना की सुलभता के सुदृढीकरण और शेष क्षेत्रों में अध्ययन हेतु वन-जैव डाइवर्सिटी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। वन प्रशासन और अन्य मौजूदा और भ्रमणशील सूचना संसाधनों की प्रबंधन प्लानिंग प्रणालियों के साथ इसे स्पर्धनीय बनाया जाएगा।
- अन्तर्क्षेत्रक प्रभावों, वन अर्थव्यवस्था के ट्रेड और बाजारी पहलुओं, प्रकृति विज्ञान अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन के सरोकार, जिनमें कार्बन ट्रेड तरीके शामिल हैं, आदि शुरू किए जाएंगे।

भारतीय प्लाइवुड अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

3.28 संरचनात्मक सामग्री में लकड़ी के कुशल उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकियों के विकास के विशिष्ट आदेशों के अलावा, बांस, हस्क, लकड़ी उत्सर्जन, छोटी लकड़ी आदि के शेष रहे उत्सर्जन के वैकल्पिक कुशल उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रसार के ध्यान के क्षेत्र रहेंगे। एग्रोवानिकी प्रजातियों के बेहतर सदुपयोग, जिनमें उत्पादों लम्बी अवधि तक चलने संबंधी उपचार शामिल हैं और उनके सदुपयोग के लिए अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अपने सहायता अनुदानों के अलावा, आईपीआईआरटीआई को आईसीएफआरई के साथ मिला दिया जाएगा, ताकि लकड़ी के अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों का सदुपयोग हो सके। क्योंकि आईपीआईआरटीआई के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण जरूरी होता है, अतः लकड़ी की प्रौद्योगिकी पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम की योजना तैयार की जाए।

भारतीय वन सर्वेक्षण

3.29 भारतीय वन सर्वेक्षण का वर्तमान में विषय क्षेत्र वृक्षों की कनोपी कवर के मूल्यांकन तक ही सीमित है। लेकिन इस क्षेत्र के लिए उद्देश्यपूर्ण प्लानिंग और मूल्यांकन के लिए यह सूचना पर्याप्त नहीं है।

3.30 ट्री-कवर के सैटलाइट डेटा समझने संबंधी क्षेत्र हेतु अलग से वन भूमि, अपघटन के तरीके, वाणिज्यिक प्लान्टेशन की स्थिति आदि की कनोपी को शामिल करना होगा। हरित कवर के पुनर्निर्धारण के बाद, उचित संकेतक एफएसआई द्वारा उपयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकियों से स्पर्धा कर सकें। ऐसे विकास की आवश्यकता है। सक्रियता की दृष्टि से भू-आकृतियों और हैबीटेट्स की प्रकृति-

विज्ञान संबंधी मॉनीटरिंग, जो वनस्पतियों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों वन और गैर-वन संसाधनों से उत्पादकता, खपत और आपूर्ति के अनुसार शुरू की जाएगी। इन प्राथमिकताओं के आधार पर वर्तमान क्षेत्रीय एककों के नेटवर्क का रेशनलाइजेशन किया जाएगा और उन्हें मानव शक्ति भी प्रदान की जाएगी। एफएसआई इन्वेंटरीज के घटकों के विषय क्षेत्र परिभाषा के बारे में विशेषज्ञ समूह में निर्णय लिया जाएगा, ताकि उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फार्मेट्स, परिभाषा और संगठनों के साथ सहयोग हेतु स्पर्धीय बनाया जा सके।

समाजार्थिक और नीतिगत आदेश (अनिवार्यताएं)

जनजातियां, एनटीएफपी और पीईएसए

3.31 राज्य सरकारों को अनु. जाति और अन्य वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ताकि मान्यता प्राप्त अधिकारों के लिए वन भूमि रिकार्ड तैयार किया जा सके। सामुदायिक प्रबंधन और प्रबंधन योजनाओं के विकास के लिए सामान्य वनों का मानचित्रण किया जा सके।

3.32 धारणीय वन उपयोगों सहित समुदायों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एनटीएफपी की उपलब्ध मैकेनिज्म की समीक्षा की जाएगी, काफी मात्रा में एनटीएफपी की डीलिंग के लिए और उच्च स्तर पर ट्रेडिंग के लिए एनटीएफपी समूहों/प्रोसेसरस के विपणन संघों के माध्यम से व्यावसायिक सेवाएं संगठित की जा सकती हैं। निगमों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रणालियों द्वारा समाहरण किया जाएगा और निर्धारित नीति और विधिक स्थिति के अनुसार निपटा जाएगा। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्तर पर एनटीएफपी का मूल्य बढ़ाते हुए लाभकारी रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जीवन-यापन में सुधार किया जा सके। क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी सहायता हेतु स्वयं सेवी संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जाएगा और अन्य कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय एवं लघु उद्योग और ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

जैंडर परिप्रेक्ष्य

3.33 प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन में महिलाएं प्रमुख पणधारी हैं। अतः यह आवश्यक है कि सहभागिता की प्लानिंग और विकास कार्यक्रमों की कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं और निर्णय लेने आदि में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जेएफएम सिद्धान्त जेएफएम संस्थानों में महिलाओं की 50% सहभागिता की ओर संकेत करते हैं। सभी सामुदायिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित

की जानी चाहिए और निर्णय उनकी राय पर विचार के बाद लिए जाने चाहिए। इससे न केवल जेएफएम का भला होता है, बल्कि प्रक्रियाएं जैसे पंचायतों के माध्यम से वनरोपण, संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन, प्लानिंग, आम सम्पत्तियों के संसाधनों का उपयोग, जिनमें जनजातीय अधिकार अधिनियम या पीईएसआई के अंतर्गत एनटीएफपी भी शामिल है।

वनरोपण के लिए संसाधनों को गतिशील बनाना:

3.34 वनों के लिए गतिविधियां बढ़ाने के अलावा वनरोपण/इकोरेस्टोरेशन ग्रामीण गरीबों के धारणीय जीवन-यापन में सहायता करती है। कम उत्पाद वनों या गैर वन क्षेत्रों में बहु-उद्देशीय संसाधन किसी भी रोजगारपरक कार्यक्रम के अनिवार्य घटक होने चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण समुदायों के लिए वनरोपण/इकोरेस्टोरेशन का एक आधार तैयार करना चाहिए। जरूरी संस्थागत पहलों में वनरोपण के लिए अधिसूचना जारी करना शामिल है और एनआरईजी कार्यक्रम के साथ मिल कर वनरोपण संबंधी कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

अनिवार्य वनरोपण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)

3.35 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर-वनीकरण उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डाइवर्जन के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सामान्य रूप से गैर-वन क्षेत्र या अपघटित वन भूमि में समान वन क्षतिपूर्ति की लागत लगाती है, जो कि उपभोक्ता एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है। डाइवर्ट की गई स्वीकार्य भूमि की वर्तमान शुद्ध कीमत (एनपीवी) भी उपभोक्ता एजेंसियों द्वारा रियलाइज की जीत है। इस प्रकार संचित राशि चिह्नित क्षतिपूर्ति वनीकरण और वन संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। फिर भी शीर्षस्थ कोर्ट ने पाया कि कार्यान्वयन प्राधिकारियों को निधि नहीं दी गई थी। अतः उसने 2002 में केन्द्र सरकार को निदेश दिया कि वह निधि के प्रबंधन, जो उपभोक्ता एजेंसी द्वारा प्राप्त होता है, उसे इसी उद्देश्य के लिए विशेष रूप में तत्परता से उपयोग में लाने के लिए प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाए। वन विकास के लिए इस धन की उपयोग एवं प्रबंधन करने हेतु 23 अप्रैल, 2004 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सीएएमपीए के गठन की अधिसूचना जारी की गई। फिर भी, मैकेनिज्म का अभी प्रभाव आगे आना शेष है। यह समझा जाता है कि वर्तमान में "कैम्पा" के पास 5000 करोड़ रुपये की राशि है, जिसका उपयोग वन संरक्षण गतिविधियों के लिए तैयार किया जाना है। राज्यों द्वारा विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर इस राशि को मौजूदा अवधि में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

वन प्लांटेशन

3.36 वनों को सतत् रूप से धारणीय बनाने के लिए मौजूदा वाणिज्यिक वनरोपण का सघन प्रबंधन किया जाए, उत्पादकता बढ़ाई जा सके और वैज्ञानिक तरीकों से तैयार आदान (इनपुट्स) उपलब्ध कराए जा सकें, जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्लांटिंग सामग्री भी शामिल हैं। सांस्कृतिक और वृक्ष विज्ञान ट्रीटमेंट आदि भी शामिल हैं। हार्वेस्टिंग और रिप्लांटिंग का परिचालन पारस्परिक रूप से संबंधित रहना चाहिए। एग्रो वानिकी पर जरूरी जोर के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वन भूमि में पौधरोपण परियोजनाएं एग्रो वानिकी प्रजातियों को शामिल नहीं करते हैं।

3.37 दूसरी तरफ, विशिष्ट संदर्भ में पौधरोपण कार्य शुरू किए जाएं और हैबीटेट प्रोफाइल को स्थानीय समुदायों के साथ मात्र सहभागिता मोड में ही ध्यान में रखनी चाहिए। प्रजातियों का चयन सूक्ष्म योजनाओं का भाग रहना चाहिए। वर्किंग प्लान्स के मानीटरन और अनुमोदन के लिए जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को दी जानी चाहिए। अतः एमओईएस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई नया वाणिज्यिक पौधरोपण वनीकरण/इको-रेस्टोरेशन के नाम पर नहीं होता है।

निजी वनीकरण पहलें

3.38 केन्द्र सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की मोडलिटीज पर विमर्श कराती रही है। वानिकी में बहुपणधारी सहभागिता की अवधारणा प्राथमिक रूप से अपघटित जमीन को निवेशकों को लाभ की हिस्सेदारी की समय-सीमा प्रदान करने पर आधारित होती है (इसमें वन भूमि भी शामिल है)। वन भूमि पर स्थानीय समुदायों के लिए बहु-स्टेक्स पर विचार करते हुए और प्राकृतिक संसाधनों के प्रथम चार्ज की स्वीकार्य स्थिति जैसे-वन भूमि के लिए उद्योग के साथ सहभागिता, लोक सुनवाई के आधार पर समुदायों की स्पष्ट सहमति से गैर-वन बंजर भूमि पर ऐसे उद्यमों की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

3.39 एग्रो वानिकी उत्पादों के लिए एक समर्पित लक्ष्य के रूप में उद्योग को प्रोत्साहित करना वांछनीय है और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वृक्षों की फसल की खेती के लिए दिए गए सुझाव के अनुसार किसानों के साथ सम्पर्क स्थापित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। आईटीसी के उदाहरण और निजी क्षेत्रक में ऐसी ही पहलों से इस परिप्रेक्ष्य में काफी स्पर्धनीय हैं।

शिफ्टिंग खेती के तहत क्षेत्र

3.40 पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्र कृषि योग्य और गैर-कृषि योग्य दोनों क्षेत्रों के रूप में विचार करने की आवश्यकता है, जहां पेड़-दूर-दूर फैले हैं और वे लोगों के स्वामित्व में हैं, निजी तौर पर या

सामूहिक रूप से। झूम चक्र की लंबाई झूम भूमि के अवगठन की मुख्य निर्धारक है। झूम के लिए उपलब्ध कम हुई भूमि खाली अवधि को कम कर देता है और इससे कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। अधिकांश शिफ्टिंग खेती जमीन पर परम्परागत सामुदायिक अधिकारों के रूप में होती है। ऐसे क्षेत्रों में यदि खाली प्रबंधन पर सक्रियता से वन रोपण किया जाए, तो विरोध होने की संभावना ज्यादा होती है। यदि नई प्रणालियों के स्थान पर स्थायी कृषि या बागवानी की जाए तो सामान्य श्रेणियों से ये भूमि अलग सी हो जाती है, जिससे शेष आम लोगों पर दबाव और बढ़ जाता है।

3.41 जिन क्षेत्रों में 10 वर्ष से भी अधिक समय से झूम चक्र जारी रहे हैं, वहां नागालैण्ड पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक विकास (एनईपीईडी) परियोजना मॉडल पर ट्री फॉर्मिंग मॉडल का अध्ययन कराया जाना चाहिए। यह मुख्य फसल के साथ शीघ्र बढ़ने वाले ऐसे परम्परागत खेती उपलब्ध कराती है और यह सुनिश्चित करती है कि वृक्ष उत्तरोत्तर रूप से और स्तर पर संभव है और इसकी काष्ठ बाजार में काफी मांग है। जबकि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्ष रोपण में सहायता दी जा सकती है। किसानों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उचित बाज़ारी संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं, और किसानों को वृक्षों के उत्पाद बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, इसके लिए एनईआर से भी आगे बाजार खोलना उचित सुरक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।

इको-पर्यटन

3.42 इको पर्यटन, जिसमें होम स्टैड पर्यटन भी शामिल हैं, से कई तरीकों से स्थानीय प्रकृति के संरक्षण के माध्यम से लाभ उठाने की शानदार संभावनाएँ उपलब्ध कराता है। संरक्षित क्षेत्र और सम्बद्ध टैरिस्ट्रीयल एवं आर्द्र भूमि इको-सिस्टम के पस काफी क्षमताएं हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामुदायिक विकास में काफी योगदान देते हैं। इको पर्यटन पर एक दीर्घकालीन नीति की आवश्यकता है, जो संरक्षण उद्देश्यों के लिए सेवित समुदाय से स्थानीय पणधारियों की सहभागिता जरूरी है।

3.43 पर्यटन संबंधी योजनाओं में क्षेत्र की इकोलॉजिकल और समाजार्थिक एकजुटता के प्रबंधन की मॉडलिटीज स्थानीय आधार पर स्थापित संस्थाओं की क्षमता के सुदृढीकरण हेतु डिजाइन जैसे भूमि प्रबंधन संबंधी उत्सर्जन प्रबंधन संबंधी वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकी संस्थान, दौरा प्रचालन समिति आदि भी शामिल हैं। पर्यटन क्षेत्रक से मिलकर कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए और शुद्ध लाभों के समान संवितरण के विकास हेतु सामुदायिक स्वामित्व बनाए जाने चाहिए।

वन्य जीव संरक्षण और वन बायो-डाइवर्सिटी

3.44 राष्ट्रीय वन नीति 1952 में वन्य जीव के संरक्षण हेतु अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना का प्रावधान है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के लागू होने, 1973 में टाइगर परियोजना शुरू होने, 1992 में हाथी परियोजना और 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अधिनियम अन्य मील के पत्थर साबित हुए हैं। भारतीय हाथी दांत पर प्रतिबंध लग गया है और भारत "कन्वेंशन ऑन इंटरनैशनल ट्रेड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड प्लौरा (साईटस)" का सदस्य है। अनुसंधान और विकास की दृष्टि से भारतीय वन्य जीव संस्थान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, न्यू टाइगर संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो संरक्षण के लिए राज्यों को जिम्मेदारी निभाने में वर्धित केन्द्रीय समाधान है।

3.45 वन्य जीव संरक्षण के लिए सार्वजनिक वन समर्पित प्राकृतिक वासों में 96 राष्ट्रीय पार्क और 509 वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल हैं। 15.7 एमएचए क्षेत्र, जो पूरे देश की भौगोलिक क्षेत्र का कुल 4.78% है, जिसमें कुल वनों का लगभग 20% भाग शामिल है, को इस संरक्षित क्षेत्र (पीए) नेटवर्क के तहत अनुरक्षित है। इनके लिए फौना और फ्लोरा एवं माइक्रो आरगैनिज्म की बायो-डाइवर्सिटी का वैज्ञानिक मूल्यांकन और सुसंगठित पुनर्प्राप्य डेटाबेस अभी हासिल किया जाना है।

3.46 11वीं योजना के दौरान वन्य जीव-मानवीय द्वन्द्वों को कम करने के लिए पहलें की जाएगी, जिनमें स्थानीय समुदायों की क्षतिपूर्ति, पीए(ज) से बाहर प्राकृतिक वासों का प्रबंधन विस्थापित समुदाय का पुनर्वास और परम्परागत ज्ञान का संरक्षण और उसके सुदृढीकरण का अनुसंधान एवं मॉनीटरिंग प्रणालियों के सुधार के दौरान ध्यान रखा जाएगा।

वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का एकीकृत विकास

3.47 वन्य जीव क्षेत्रों में संरक्षण गतिविधियों के लिए राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों" के विकास के तहत सहायता प्रदान की जाती है। 10वीं योजना के दौरान कुल 350 करोड़ रुपये के परिव्यय में से इसके लिए 240 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और 342 संरक्षित क्षेत्र कवर किए जा चुके हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने संरक्षण मूल्य के आधार पर संरक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। फिर भी सभी संरक्षित क्षेत्रों के पास वैज्ञानिक तरीके से तैयार प्रबंधन योजनाएँ नहीं हैं। वर्तमान में लगभग 204 संरक्षित क्षेत्रों में अनुमोदित प्रबंधित योजनाएँ होनी बताई गई है। केन्द्रीय सहायता का मुख्य उद्देश्य कुशल प्रबंधन का विकास करना है, अतः सहायता को प्रबंधन योजना से जोड़ने की आवश्यकता है।

3.48 इस योजना को "वन्य जीव प्राकृतिक आवास का एकीकृत विकास" का नया नाम दिया गया है, जिसमें संरक्षण क्षेत्र का आधार और व्यापक हो जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों को प्रबंधन, संरक्षण और विकास में सहायता के लिए निम्नलिखित पहलों को शुरू करते हुए सहायता में वृद्धि की जा सकती है —

- संरक्षित क्षेत्रों में गैर आवर्तीय निवेश के मूल्यांकन से आगे की गैर आवर्तीय सहायता के लिए आधार बनाया जा सकता है। प्रथम स्थान पर केन्द्रीय सहायता को मंजूर अग्रणीय स्टाफ संख्या लगाने से जोड़ा जा सकता है। परियोजना आधारित सहायता की अवधारणा में मिड कोर्स तृतीय पार्टी मूल्यांकन पर भी विचार करने का प्रावधान रहना चाहिए।
- राज्यों को सर्वेक्षण, इंवेन्टरीज और प्रबंधन प्लानिंग एवं बेस लाइन सीमा रेखा चिह्न की जरूरत के लिए समाजार्थिक

बॉक्स 3.1

राज्यों के लिए वन कटाई टालने संबंधी मैकेनिज्म हेतु प्रोत्साहन

- वनों के संरक्षण के लिए राज्यों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए भारत को पेड़ों की कटाई टालने पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि एक आपूर्ति को पूरा करने हेतु एक कदम है। इस परिप्रेक्ष्य में एक मैकेनिज्म होनी चाहिए, जो पेड़ कटाई टालने संबंधी कार्रवाई को प्रोत्साहित करे और उसमें सहायता करे। इस राशि की हिस्सेदारी राज्यों और वनवासी समुदायों के बीच होनी चाहिए।
- टाली गई वन कटाई संबंधी सीमा के निर्धारण हेतु सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य होगा कि मौजूदा सघन वन कवर के लिए ही, उन दरों पर भुगतान किया जाए, जो वनों की लागत के अवसरों को प्रदर्शित करती हैं। इससे गहरे वन संरक्षण स्थानीय स्टेक्स और आर्थिक रुचि का सृजन होगा।
- यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय के लिए क्षतिपूर्ति संरचना का विकास किया जाए। केन्द्र सरकार को सभी कसदाताओं के लिए शुल्क प्रणाली का सृजन करना चाहिए— वन सेवा कर (रोड शुल्क) के स्थान पर इसे मैकेनिज्म की निधि के लिए रखा जा सकता है।
- यदि भारत में आंतरिक रूप से ऐसी कार्यनीति विकसित की जाती है, तो यह कार्बन निधि स्रोत की रूपरेखा भी प्रदान कर सकती है, जिससे संरक्षण संबंधी आर्थिक लाभों और जीवन-यापन की सुझा में वृद्धि होगी।

विश्लेषण हेतु विशिष्ट यूनिट(स) का गठन किया जाना चाहिए। संरक्षित क्षेत्रों के लिए सामुदायिक एवं संरक्षण सेवाएं भी शामिल की जानी चाहिए।

- संरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता, प्रबंधन योजना और पिछले हस्तक्षेपों के परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर होनी चाहिए। गाँव इको विकास के साथ सहभागिता प्रबंधन इस कार्यक्रम का एक निर्धारित घटक है। मंत्रालय इको विकास संबंधी संकल्प निर्देशक सिद्धान्तों के साथ राज्यों को जारी करेगा, जैसा कि 1990 में संयुक्त वन प्रबंधन के मामले में किया गया था।
- पहचान की गई विशिष्ट असुरक्षित प्राकृतिक आवास, जो संरक्षित क्षेत्र से बाहर उच्च संरक्षण मूल्य वाले हैं, उन्हें इन्हीं समान शर्तों पर प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे प्राकृतिक आवासों के पेड़-पौधों संबंधी घटकों के लिए पुनः सृजन हेतु सहायता भी इसमें शामिल की जानी चाहिए।
- खतरे में चल रही प्रजातियों/इको-प्रजातियों जैसे बर्फ का चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डाल्फिन और उनके प्राकृतिक आवास के लिए प्रजाति रिकवरी और संरक्षण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जाएगी। चेतावनी मूल्यांकन, परियोजना निर्माण के संबंध में व्यापक परामर्श लिए जाएंगे, ताकि निहित बृहद भू-आकृतियों और समाजार्थिक मुद्दों पर विचार किया जा सके।
- मानव-वन्य जीव द्वन्द्व के प्रबंधन के लिए वन्य जीवन से क्षति संबंधी मुआवजा, बस्तियों में वन्य जीव के प्रवेश को कम करने संबंधी उपाय, उच्च द्वन्द्व वाले क्षेत्रों से वन्य जीवों का ट्रेकिंग, कैप्चर और ट्रांसलोकेशन जहाँ कैरिंग क्षमता अधिक रहती है, प्रत्येक मामले/प्रकरण के आधार पर उन्हें धारणीय बस्तियों में ले जाना भी शामिल है।

वन्य जीव प्रबंधन का सुदृढीकरण

3.49 वन्य जीव संरक्षण निदेशालय आयात/निर्यात के मुख्य पोर्ट्स के नेटवर्क के साथ राष्ट्रीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के साथ निम्नलिखित घटक भी शामिल कर दिए गए हैं -

- चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे-संरक्षण मूल्य, बायोडाइवर्सिटी प्रभाव मूल्यांकन, वन्य जीव क्षेत्रों से आवासों के पुनर्स्थापन आदि प्रस्तावों के लागत संबंधी लाभों का विश्लेषण आदि।
- प्रजातियों पर ध्यान केन्द्रित करने वाली पहलों और वन्य जीव प्रजातियों के प्रत्यक्ष पुनर्स्थापन नए आवासों से बचाव/संरक्षण/आउटरीच प्रयासों आदि के लिए पायलैट परियोजना।

• परम्परागत रूप से शिकार वाले समुदायों के पुनर्वास हेतु एनजीओ(ज) सक्रिय लोगों, वन विभाग और राजस्व विभाग की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित करना।

केन्द्रीय जंतुशाला प्राधिकरण

3.50 केन्द्रीय जंतुशाला प्राधिकरण (सीजैडए) मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रक के उन मान्यता प्राप्त जंतुशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके पास पर्याप्त भूमि, क्षमता, और जो आधुनिक जंतुशाला के रूप में विकसित होने की इन्पुट रखते हैं। सैल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर (सीसीएमबी) हैदराबाद और खतरे में पड़ी प्रजातियों के संरक्षण हेतु प्रयोगशाला एवं और जंतुशाला के जानवरों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए पांच पशु चिकित्सा केन्द्रों को सहायता दी जा रही है। जंतुशालाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता में आधुनिक आवास, पशुओं की अच्छी देखभाल, जिनमें मौजूदा जंतुशालाओं का पुनर्स्थापन भी शामिल है। 11वीं योजना में इसमें निम्नलिखित घटक भी शामिल किए जा सकते हैं —

- सर्कस के बंदी बनाए जानवरों के पुनर्स्थापन के लिए सीजैडए द्वारा सृजित 7 आश्रय केन्द्रों पर पशुओं/जानवरों को अच्छी प्रकार रखने और उनके संरक्षण के लिए पुनर्स्थापना संबंधी सहायता।
- भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) इज्जतनगर, बरेली में राष्ट्रीय रैफरल सेंटर का विकास (एनआरसी), ताकि वहां भारतीय जंतुशालाओं के वन्य जीवों की स्वास्थ्य संबंधी देख-भाल और उपचार सेवाएं और विशेषज्ञ सेवाएं मुहैया कराई जा सकें।

टाइगर परियोजना

3.51 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य से टाइगरों की संख्या में कमी पाई गई। परिणामस्वरूप टाइगर कार्यदल के माध्यम से उसकी जांच कराई गई। वन्य जीव के स्टेस के मॉनीटरन के तरीकों को प्रमुख/महत्वपूर्ण माना गया। टाइगर कार्यदल की सिफारिशें न केवल संरक्षित प्रबंधन क्षेत्र के लिए ही महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामान्य वन प्रबंधन के लिए भी। सिफारिशों के अनुपालन के परिणामस्वरूप केन्द्र की ओर से टाइगर संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया। महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे-पुनर्स्थापन के लिए सभावित क्षेत्रों की पहचान और समावेशी संरक्षण कार्यनीतियां अभी तैयार की जानी हैं। टाइगर आरक्षित लगभग 1500 गाँवों में से अभी तक मात्र 80 ही पुनर्स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 10वीं योजनावधि के भी 9 शामिल हैं।

3.52 9वीं और 10वीं योजना के दौरान रु0 142 करोड़ की लागत से 7 टाइगर रिजर्व में भारतीय इको-विकास परियोजना शुरू की गई थी। एक पीए के विकास हेतु ग्राम इको-विकास को एक महत्वपूर्ण घटक मानते हुए गांव के साथ प्रबंधन कार्यनीति हेतु निवेश किया गया था, धारणीयता के संबंध में अब भी उसका मूल्यांकन किया जाना शेष है। अन्य संरक्षित क्षेत्रों में इसके विस्तार के संदर्भ में परियोजना के मूल्यांकन का विश्लेषण उपयोगिता एवं लागत क्षमता शेष है।

3.53 राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) टाइगर परियोजना के लिए एक संस्थागत मैकेनिज्म प्रस्तुत करती है, कुशल प्रबंधन के लिए जो जरूरी योग्यताएं हैं, जैसे अग्रणी स्टाफ संबंधी रिक्तियों को भरना, संरक्षण क्षेत्रों में कार्य के लिए क्षमता निर्माण, सहभागिता प्रक्रिया के सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकार्य प्रबंधन योजनाएं, प्रदर्शन के लिए वैज्ञानिक आधार पर सुदृढ़ प्रणालियां तथा आवासों के मुख्य घटकों का मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित किया जाए।

- प्राथमिक आधार पर टाइगर संरक्षित स्थलों से मौजूदा गांवों की पुनर्स्थापना। इस उद्देश्यों के लिए संसाधन वार्षिक योजनाओं में निर्धारित किए जाएंगे, जो कि परियोजना रिपोर्टों और संभावितताओं पर आधारित होंगे।
- समाजार्थिक, जनसंख्या, आवास के आधार पर कीर्तिमानों और प्रगति दस्तावेजों की विशिष्ट और इकोलॉजिकल संकेतों के टाइगर आरक्षित क्षेत्रों में प्रबंधन इनपुट्स के प्रभाव संबंधी प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।
- परियोजनाओं में गांव का इको-विकास परियोजना की मुख्य गतिविधि रहनी चाहिए। सभी समुदायों के सम्पूर्ण सहभागिता से सूक्ष्म योजनाओं के आधार पर विकसित इको-विकास संबंधी गतिविधियां आरक्षित टाइगर क्षेत्र की सहायता से जोड़ दी जानी चाहिए।
- वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभाव के मूल्यांकन के आधार पर नई टाइगर रिजर्व की अधिसूचनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

हाथी (गज) परियोजना

3.54 कॉरिडॉर्स के सृजन और उनके सुदृढीकरण के माध्यम से हाथी परियोजना का लक्ष्य अधिक स्थानों पर हाथियों की संख्या को व्यवहार्य आधार पर दीर्घकालीन आधार पर संरक्षित करना है। वन्य जीव और मानव द्वन्दों को कम करने के लिए कोई अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। द्वन्द की स्थितियों में अधिकांश गतिविधियां कम समय तक की प्रतिक्रियाएं ही रही हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ, वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ रही है और वे नए क्षेत्रों में भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं।

3.55 परियोजना को हाथियों के आवा-गमन के कॉरिडॉर्स को विकसित एवं सुदृढ करने के लिए कार्यनीतियों पर ध्यान देना चाहिए। जहां नए आवासों के रूप में विकास करने की क्षमताएं हैं, ऐसे स्थानों का पता लगाया जाना चाहिए। बंदी हाथियों की संख्या के लिए उनके स्वास्थ्य एवं उत्पादकता की स्थिति की मॉनीटरिंग के लिए सम्पूर्ण डेटा-बेस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारें, जो घरेलू हाथियों का रख-रखाव करती हैं, उन्हें महावतों के कराल्स और प्रशिक्षण में सुधार हेतु घटक की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

पशु कल्याण

3.56 भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने संबंधी प्रयोगों पर कार्य कर रहा है। दबाव के दौरान आवारा पशुओं और समुदायों से उनके संरक्षण के संबंध में कार्य कर रहा है। अधिकांशतः पशु कल्याण अभियान गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से चल रहे हैं। मंत्रालय द्वारा योजना के अंतर्गत पशु कल्याण के निम्नलिखित घटकों पर विचार किया जा रहा है —

- शैल्टर-घरों का प्रावधान।
- परेशानी में पड़े पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवाओं का प्रावधान।
- पशु जन्म नियंत्रण और आवारा कुत्तों का टीकाकरण।
- प्राकृतिक आपदाओं और विषम परिस्थितियों के दौरान पशुओं के लिए राहत योजना।
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) को सहायता।
- पशुओं पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधी प्रयोगों के उद्देश्य हेतु बनी समिति को सहायता।
- राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान।

3.57 रैबीज नियंत्रण, गौशाला क्षमता बिल्डिंग की संरचना मौजूदा घटकों के भीतर ही करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक समूहों पर तथ्य-शीट के साथ सूचना का आधार तैयार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है, जो करियर संबंधी व्यापक आधार पर हो और विषय के संबंध में होना चाहिए। देश में आवारा कुत्तों की तादाद की मॉनीटरिंग की स्थिति का एक अच्छा कार्यक्रम है, जो कि विद्यार्थियों की परियोजनाओं के आधार पर सहयोगी, मुक्त, सार्वजनिक क्षेत्रक के ज्ञान संसाधन के माध्यम से शुरू किया जा सकता है।

3.58 11वीं योजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का कुल जीबीएस 8842 करोड़ रुपये (2006-07 की कीमतों पर) प्रेषित किया गया है, जो कि (मौजूदा कीमतों के आधार पर) रु0 10,000 (पीसी3) करोड़ है।

II

ग्रामीण विकास

4

तेजी से गरीबी घटाना

भारत में गरीबों की स्थिति : एक रूपरेखा

4.1 भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जहां गरीबों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। विकास के पिछले तीन दशकों में इस संख्या में मुश्किल से ही कोई गिरावट आई है। इसलिए यह आश्चर्य है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबों की संख्या को घटाने पर सीधे तौर पर कदम उठाए जाएं। (सभी प्रकार के विकास से गरीबों को लाभ पहुंचता है, लेकिन गरीब-समर्थक विकास की उपयुक्त परिभाषा यही होनी चाहिए कि यह एक ऐसा विकास होता है, जो आनुपातिक रूप से उन्हें लाभ पहुंचाता है।) यह स्पष्ट है कि गरीबों की संख्या घटाने और गरीबी को सतत रूप से कम करने के लिए तेजी से विकास करना आवश्यक है, लेकिन गरीबों को अनानुपातिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अकेले विकास से काम नहीं चलेगा, इसके लिए रोजगार के विस्तार में अब तक की तुलना में अधिक तेजी लानी होगी और साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, जलीय स्वच्छता और बाल पोषण के क्षेत्रों में और प्रत्यक्ष रूप से गरीबी घटाने के लक्ष्य वाले कार्यक्रमों में पहले से कहीं अधिक निवेश करना होगा।

भारत में गरीबी को मापना और गरीबों की स्थिति की रूपरेखा प्रस्तुत करना

शीर्ष गणना अनुपात

4.2 भारत ने पिछले तीन दशकों में अपनी जनसंख्या में गरीबों की संख्या कम करने में काफी सफलता प्राप्त की है, वर्ष 1973 में कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या 54.9% थी, जो 27.4% बिंदु घटकर 2004 में 27.5% रह गई है। 1973 से 1983 के बीच, गरीबों का शीर्ष गणना अनुपात 54.9% से घटकर 44.5%

पर आ गया था। यह आगे और घटकर 1993-94 में 36% पर और 2004-05 में 27.5% पर आ गया (तालिका 4.1)। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के साठ वर्ष बाद भी आज हमारी जनसंख्या का चौथाई से अधिक भाग गरीबी की चपेट में है। लोगों में सहमति बढ़ती जा रही है कि भारत में गरीबी की रेखा (जो वर्ष 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 356 रुपया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय और शहरी क्षेत्रों के लिए 539 रुपया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधारित है) बहुत ज्यादा नीची है। यह रेखा अब भी उपभोग्य वस्तुओं की एक बास्केट पर आधारित है, जो बहुत नीची है। यदि गरीबी की रेखा अपेक्षाकृत ऊंची होगी तो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होगी।

तालिका 4.1
भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत (1973-2004)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	सम्मिलित रूप से
1973	56.4	49.0	54.9
1983	45.7	40.8	44.5
1993	37.3	32.3	36.0
2004	28.3	25.7	27.5

स्रोत: योजना आयोग

4.3 कुछ राज्य खासतौर पर अपना कुल जनसंख्या में गरीबों अनुपात कम करने में सफल हुए हैं। वर्ष 2004-05 में निम्नतम शीर्ष गणना अनुपात वाले राज्य हैं, जम्मू-कश्मीर (5.4%), पंजाब (8.4%), हिमाचल प्रदेश (10%), हरियाणा (14%), केरल (15%), आंध्र प्रदेश (15.8%), और गुजरात (16.8%)। दूसरी ओर उड़ीसा (46.4%), बिहार (41.4%), मध्य प्रदेश (38.3%), और उत्तर

प्रदेश (32.8%), का अनुपात काफी अधिक है और ये राज्य भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं, जो राज्य हाल में बने हैं, उनमें भी यह अनुपात (जैसे-छत्तीसगढ़ 40.9%, झारखंड 40.3%, उत्तराखंड 39.6%) (संलग्नक 4.1 से 4.3) सर्वाधिक है।

गरीबों की कुल संख्या

4.4 कालांतर में, यद्यपि गरीबों के शीर्ष गणना अनुपात में गिरावट आई है, लेकिन पिछले तीन दशकों में गरीबों की कुल संख्या में बहुत कम अंतर दिखाई दिया है, उनकी संख्या 2004-05 में 3017 लाख तक गिरने से दो दशक पहले तक लगभग अपरिवर्तित (1973 में 3213 लाख, 1983 में 3229 लाख और 1993-94 में 3203 लाख) ही रही है (तालिका 4.2)। इस प्रकार देश में गरीबों की संख्या में पिछले दशक (1993-94 से 2004-05) के दौरान 1.86 करोड़ की गिरावट आई है।

तालिका 4.2
भारत में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों
की संख्या (1973-2004)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	सम्मिलित रूप से (लाखों में)
1973	2,612.90	600.46	3,213.36
1983	2,519.57	709.40	3,228.97
1993	2,440.51	763.37	3,203.68
2004	2,209.24	807.96	3,017.20

स्रोत: योजना आयोग

4.5 कुछ राज्यों में, (वहां की) जनसंख्या में गरीबों की कुल संख्या पिछले तीन दशकों में वास्तव में बढ़ी है- उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित) में गरीबों की कुल संख्या 1973 में 535.7 लाख थी, जो बढ़कर 2004-05 में 626 लाख हो गई, राजस्थान में 128.5 लाख से बढ़कर 134.9 लाख, महाराष्ट्र में 287.4 लाख से बढ़कर 317.4 लाख और नागालैण्ड में 2.9 लाख से बढ़कर 4.0 लाख हो गई। इसी अवधि में मध्य प्रदेश, (छत्तीसगढ़ को साथ लेकर) में गरीबों की कुल संख्या 276 लाख से बढ़कर 34 लाख और बिहार (झारखंड सहित) में 370 लाख से बढ़कर 485.5 लाख हो गई। कई राज्य ऐसे भी हैं, जहां गरीबों की संख्या कुल मिलाकर गत दो दशकों में लगभग अपरिवर्तित ही रही, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, और मिजोरम में। किंतु कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जो 1973 से 2004-05 तक के तीन दशकों में अपने यहां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की कुल संख्या को कम करने में सफल हुए हैं- आंध्र प्रदेश ने 178.2 लाख से 64.7 लाख तक, कर्नाटक ने 128.4 लाख से 75 लाख तक, केरल ने

111.4 लाख से 32.4 लाख तक, तमिलनाडु ने 172.6 लाख से 76.5 लाख तक और पश्चिम बंगाल ने 257.9 लाख से 173.2 लाख तक इस संख्या को कम कर लिया (संलग्नक 4.1 से 4.3) और असम तथा गुजरात ने तो बहुत कम कर लिया। भारत में गरीबों की संख्या को कम करने में राज्यों को प्राप्त हुई सापेक्षिक सफलताओं की अपनी-अपनी कहानी है।

4.6 कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या में 1973-74 से 2004-05 (अर्थात् 31 वर्ष की अवधि में 404 लाख) की अवधि में कमी आई है। इसका तात्पर्य है कि गरीबों की संख्या में प्रति वर्ष 13 लाख की दर पर गिरावट आई है, जो 1973 में 2613 लाख थी, घटकर 2004-05 में 2209 लाख रह गई है। (इसका अर्थ यह हुआ कि गरीबों की संख्या में 20.1 लाख प्रतिवर्ष की दर से गिरावट आती रही है) लेकिन शहरी इलाकों में, गरीबों की संख्या, जो 1973 में 600.5 लाख थी, बढ़कर 2004-05 में 808.0 लाख हो गई (संलग्नक 4.1 से 4.3), लेकिन इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का हिस्सा भी बढ़ता गया है, जिसका एक कारण यह भी रहा है कि लोग ग्रामीण इलाकों से आकर शहरी इलाकों में बस गए हैं।

4.7 यह तथ्य कि पिछले तीन दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या कुछ गिरी है, और शहरी क्षेत्रों में कुछ बढ़ी है, यह दर्शाता है कि ग्रामीण गरीबी से बचने के लिए गरीब लोग शहरी इलाकों में आ बसे हैं। तथ्यतः, भारत में 1999-2000 में प्रवासी कामगारों की कुल संख्या 10.27 करोड़ थी - जो बहुत आंकड़ा है) (समय-समय पर घटती-बढ़ती रही)। भारत में मौसमी या चक्रीय प्रवासियों की संख्या 2 करोड़ या उसके आसपास हो सकती है। लेकिन ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में (अपेक्षाकृत गरीब राज्य या जिले से अपेक्षाकृत अधिक धनवान राज्यों और जिलों में) और ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास के कारण गरीबों को अपने मताधिकार या नागरिक अधिकारों से हाथ धोना पड़ता है, जिससे उनका सुरक्षा कवच छिन जाता है। फिर भी, ग्रामीण से शहरी इलाकों में प्रवास जारी रहेगा और रहना भी चाहिए। नीति का तकाजा है कि प्रवासियों को ऐसी बुनियादी सामाजिक सेवाएं अवश्य दी जाएं, जिनके लिए सभी नागरिक भारत के संविधान के अनुसार हकदार हैं।

4.8 जबकि पूर्व के दो उप-भागों में गरीबों के शीर्ष गणना अनुपात और उनकी पूर्ण संख्या की जांच की गई थी, यह भी जांच करना उपयोगी होगा कि भारत के किन राज्यों में अधिकांश गरीब रहते हैं। 2004-05 के दौरान भारत की कुल जनसंख्या के गरीबों का लगभग 58% भाग चार राज्यों में रहता है: उत्तर प्रदेश (19.6%), बिहार (12.23%), मध्य प्रदेश (8.3%) और महाराष्ट्र

(10.5%)। 1983 में इन राज्यों में (जब बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था) उस समय भारत के कुल गरीब लोगों का 49% अनुपात यहां रहता था (संलग्न-4.1)।

गरीबों का संघटन

4.9 गरीबों का संघटन बदलता जा रहा है और ग्रामीण गरीबी खेतिहर मजदूर और शिल्पी परिवारों में और शहरी गरीबी अनियत श्रमिकों के परिवारों में केन्द्रित हो रही है। खेतिहर मजदूर परिवारों का हिस्सा, दोनों 1993-94 में और 2004-05 के दौरान ग्रामीण गरीबों का प्रतिशत 41 था (जो कृषि श्रम में लगे हुए थे)। कृषि स्वरोजगार में लगे ग्रामीण गरीबों की संख्या का प्रतिशत 32 से घटकर 21.6% हो गया। 1993-94 के दौरान दिहाड़ी श्रमिकों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में 62.6% और 2004-05 के दौरान 56.5% था।

4.10 ग्रामीण गरीबों का पेशे के अनुसार संघटन सब राज्यों में एक जैसा नहीं था, यानी अलग-अलग किस्म का था। आमतौर पर, विकसित राज्यों में गरीबी खेतिहर मजदूरों के परिवारों में अत्यधिक केन्द्रित हो गई थी और इसके विपरीत, पिछड़े राज्यों में, गरीबी अन्य पेशेवर समूहों तक बढ़ गई थी, जिनमें खेती में स्वनियोजित व्यक्ति भी शामिल थे।

4.11 सामाजिक वर्गों के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में देहाती गरीबों में से 80% लोग अनुसूचित जातियों, अनु. जनजातियों और पिछड़ी जातियों के थे। उनका यह हिस्सा, ग्रामीण जनसंख्या में उनके हिस्से की तुलना में काफी अधिक था (गरीबी विषयक कार्यकारी दल, योजना आयोग, 2006)। वर्ष 2004-05 में, सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या में, गरीबों का शीर्ष गणना अनुपात 28.3% था, लेकिन अनुसूचित जातियों में यह 36.8% था। शहरी इलाकों में, शीर्ष गणना अनुपात, कुल मिलाकर, 25.6% था, लेकिन अनुसूचित जातियों में यह लगभग 40% था, जो ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा काफी ऊंचा था।

4.12 गरीबी में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों का अनुपात उच्च रहा है। वर्ष 2004-05 में उनका अनुपात 15% था जो भारत की कुल जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या में उनका हिस्सा दोगुना हो गया। अनुसूचित जनजातियों में गरीबी तुलनात्मक दृष्टि से कम गति से घटी थी। जहां तक ग्रामीण जनसंख्या का सवाल है, गरीबी की स्थिति, जो 1993-94 में 51.94% थी, घटकर 2004-05 में 47.3% हो गई, जबकि 2004-05 में कुल जनसंख्या में यह स्थिति 37.3% से घटकर 27.5% पर आ गई। दूसरे शब्दों में, पूर्ववर्ती दशक की तुलना में इसमें नगण्य गिरावट आई और यह शेष जनसंख्या की तुलना में, अनुसूचित जनजातियों के लिए 20% बिंदु अधिक थी।

4.13 शहरी क्षेत्रों में, वर्ष 2004-05 में संपूर्ण शहरी जनसंख्या में गरीबों का शीर्ष गणना अनुपात 25.6% था, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों में यह अनुपात 33.3% रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का शीर्ष गणना अनुपात (47.3%) अनुसूचित जातियों (एसटी) (36.8%) के मुकाबले ऊंचा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्थिति इससे विपरीत रही है, अर्थात् ग्रामीण इलाकों में रहने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों के लोगों में गरीबी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली सभी अनुसूचित जातियों के मुकाबले ऊंचा है। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी अनुसूचित जातियों के लोगों में गरीबों की संख्या अनुसूचित जनजातियों के लोगों से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में एससी लोगों के पास जमीन नहीं है, इसीलिए वे अक्सर अपना गांव छोड़कर शहरी क्षेत्रों में प्रवास के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरी ओर, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एसटी लोगों (एससी लोगों के विपरीत) के पास विशेष रूप से जंगली क्षेत्रों में, काफी ज्यादा जमीन होती है, लेकिन उनकी जमीन की गुणवत्ता तथा उत्पादकता कम होती है और इसलिए उससे आमदनी भी कम होती है। परिसम्पत्तियों की दृष्टि से, एससी लोगों के विपरीत, एसटी लोगों को जमीन के मामले में कम समस्या होती है। अधिकांश एसटी लोगों को जमीन उपलब्ध होती है, भले ही उसकी गुणवत्ता अच्छी न हो। इस प्रकार, सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या में 63.2% परिवारों के पास जमीन थी और एसटी लोगों लिए इसका अनुपात 61.3% था।

4.14 गरीबी, आमदनी और मानवीय विकास के अन्य संकेतकों (जैसे कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य) के अनुसार एसटी सबसे नीचे पाए जाते हैं। बहुआयामी कमियों से घिरे हुए जनजातीय समूह का बढ़ता हुआ अनुपात एक चिंता का विषय है।

गरीबों की बहुविध वंचनाएं

4.15 एससी और एसटी लोगों की वंचना यानी परेशानी का एक रूप है धन की असमानता। एससी लोगों के पास अन्य जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम परिसंपत्तियां होती हैं। अधिकांश अनुसूचित जनजातियां ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जहाँ भूमि ही मुख्य परिसम्पत्ति होती है। समग्र जनसंख्या में, 60% ग्रामीण परिवार, खेतिहर परिवार थे, लेकिन ग्रामीण परिवारों में एससी परिवार अधिक सुविधा वंचित होते हैं, उनमें से केवल 47% किसान थे और एससी परिवारों में से चौथाए परिवार खेतिहर मजदूरों के परिवार थे (तालिका 4.3)। एससी परिवारों में से लगभग 6 या 7% परिवार कारीगरों यानी शिल्पियों के थे। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सामाजिक समूहों द्वारा धारित परिसम्पत्तियों की जांच करें, तो पाएंगे कि सम्पूर्ण जनसंख्या में "अन्य श्रेणी" (यानी एससी भिन्न, एसटी भिन्न और ओबीसी भिन्न श्रेणी) के लगभग 12% परिवारों के पास 30,000 रु० से कम कीमत की परिसम्पत्तियां

हैं, लेकिन 22ग्रामीण एससी परिवारों के पास 30,000 ₹ से कम की परिसम्पत्तियां हैं। विलोमतः केवल 9% एससी परिवार ही 3 लाख ₹ और उससे अधिक की परिसम्पत्तियां रखते हैं, जबकि "अन्य श्रेणी" के 37% परिवारों के पास (जो न तो एससी या एसटी हैं अथवा न ही ओबीसी हैं) इतनी परिसम्पत्तियां हैं। परिसम्पत्तियां रखने के मामले में पाया जाने वाला यह अंतर शहरी क्षेत्रों में अधिक तेज है, जहाँ, 29% तक एससी परिवार 30,000 ₹ से कम की परिसम्पत्तियां रखते हैं। केवल 16.7% एससी परिवार ही 3 लाख ₹ मूल्य की परिसम्पत्तियां रखते हैं, जबकि 43.5% "अन्य" परिवार शहरी क्षेत्रों में इतनी ही परिसम्पत्ति रखते हैं।

4.16 ग्रामीण लोगों के लिए जमीन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति होती है। यद्यपि ग्रामीण परिवारों में से 21.6% एससी परिवार थे, लेकिन उनके पास केवल 9% जमीन थी (तालिका 4.4)। ग्रामीण क्षेत्रों में एससी परिवारों के पास मुश्किल से औसतन 0.3 हैक्टेयर जमीन थी। शहरी क्षेत्रों में तो जमीन का वितरण एससी परिवारों के मामले में और भी विषम था। ओबीसी परिवारों के पास औसतन 0.758 हैक्टेयर (यानी लगभग 1.5 एकड़) जमीन प्रति परिवार थी, हालांकि उनके द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण भूमि में धारित हिस्सा जनसंख्या में उनके हिस्से के साथ तुलनीय था।

4.17 चूँकि एससी और एसटी परिवारों के पास परिसम्पत्तियां अपेक्षाकृत कम थीं, इसलिए पैसा उधार लेना (तालिका 4.5) और उसके जरिये गरीबी से उबर पाना भी उनके लिए संभव नहीं था। यह स्थिति ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में दोनों वर्गों के समुदायों के लिए समान रूप से सच थी।

4.18 एससी और एसटी वर्गों के मामले में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण संबंधी संकेतक बाकी जनसंख्या की तुलना में काफी खराब हैं। इस मामले में एससी और एसटी, ओबीसी परिवारों से पीछे हैं और ओबीसी "अन्य" श्रेणी से पीछे हैं (तालिका 4.6)। शिशु मृत्यु दर "अन्यों" के लिए 49 थी, पर एससी वर्ग के मामले में 66 और एसटी के लिए 62 और ओबीसी वर्ग के लिए 57 थी। उनके मामले में पोषण की स्थिति भी खराब है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के मामले में मीन बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) अन्यों की तुलना में 5-10% कम है और कुपोषण की रेखा के बिलकुल पास (>18.5) है। [(बॉडी मास इंडेक्स एक व्यक्ति की पोषण स्थिति का माप होता है (ऊंचाई के लिए भार ऊंचाई के प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किलोग्राम में मापा जाता है)]।

तालिका 4.3
सामाजिक वर्गों के अंतर्गत, परिसम्पत्ति धारक श्रेणियों के अनुसार परिवारों का प्रतिशत

सामाजिक वर्ग	परिवार द्वारा धारित परिसम्पत्ति (000 ₹)			
	ग्रामीण		शहरी	
	30 से कम	300 और उससे ऊपर	30 से कम	300 और उससे ऊपर
एसटी	23.5	9.1	32.5	20.1
एससी	22.1	9.0	29.1	16.7
ओबीसी	13.3	24.4	23.7	28.5
अन्य	11.9	37.1	20.0	43.5
सभी	15.9	24.8	23.0	33.7

स्रोत: अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 59वां दौर, 2003

तालिका 4.4
सामाजिक वर्गों के अंतर्गत प्रति परिवार धारित भूमि, 2003

विशेषता	ग्रामीण				
	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
धारित भूमि के क्षेत्रफल का प्रतिशत	9.04	11.2	43.5	36.3	100
प्रति परिवार धारित औसत क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	0.3	0.77	0.76	1.003	0.73
परिवारों का प्रतिशत	21.6	10.6	41.6	26.26	100
	शहरी				
	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
धारित भूमि के क्षेत्रफल का प्रतिशत	4.76	3.25	36.8	55.21	100
प्रति परिवार धारित औसत क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	0.04	0.15	0.14	0.151	0.13
परिवारों का प्रतिशत	15	2.91	34.5	47.57	100

स्रोत: भारत में परिवारों के स्वामित्वाधीन भूमि धारण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 59 वां दौर, 2003

तालिका 4.5
सामाजिक वर्गों के अंतर्गत ऋणग्रस्तता का भार

संकेतक	ग्रामीण				
	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
प्रति परिवार औसत ऋण (₹)	3205	4641	8288	10437	7539
ऋण परिसम्पत्ति अनुपात (%)	2.3	3.7	3.1	2.4	2.8
ऋणग्रस्तता का भार (%)	17.9	27.1	28.9	25.7	26.5
	शहरी				
	एसटी	एससी	ओबीसी	अन्य	कुल
प्रति परिवार औसत ऋण (₹)	9233	7744	11200	13577	11771
ऋण परिसम्पत्ति अनुपात (%)	3.8	4.2	3.4	2.4	2.8
ऋणग्रस्तता का भार (%)	12.2	19.2	21.2	15.3	17.8

स्रोत: अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 59वां दौर, 2003

तालिका 4.6
सामाजिक वर्गों के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण निर्देशक वर्ष 2005-06 (एनएफएचएस-III)

संकेतक	ग्रामीण			
	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य
प्रजनन शक्ति	--	--	--	--
शिशु मृत्यु दर	71.0	63.9	61.1	55.7
पांच वर्ष से नीचे की मृत्यु दर पोषण - स्थिति	94.7	99.8	78.7	68.2
पुरुषों के लिए माध्य बीएमआई	--	--	--	--
स्त्रियों के लिए माध्य बीएमआई	--	--	--	--
	शहरी			
	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य
प्रजनन शक्ति	--	--	--	--
शिशु मृत्यु दर	50.7	43.8	42.2	36.1
पांच वर्ष से नीचे की मृत्यु दर पोषण - स्थिति	65.4	53.8	54.5	42.1
पुरुषों के लिए माध्य बीएमआई	--	--	--	--
स्त्रियों के लिए माध्य बीएमआई	--	--	--	--
	कुल (सम्मिलित)			
	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य
प्रजनन शक्ति	2.92	3.12	2.75	2.35
शिशु मृत्यु दर	66.4	62.1	56.6	48.9
पांच वर्ष से नीचे की मृत्यु दर पोषण-स्थिति	88.1	95.7	72.8	59.2
पुरुषों के लिए माध्य बीएमआई	19.7	19.3	20.2	20.9
स्त्रियों के लिए माध्य बीएमआई	19.9	19.1	20.4	21.3

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-III), 2005-06, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई।

4.19 प्राथमिक स्तर पर एससी और एसटी वर्गों की सकल नामांकन दरें सामान्य जनसंख्या की दरों जैसी ही हैं, (तालिका 4.7) क्योंकि ये दरें हाल के दशक में जनसंख्या के सभी वर्गों के मामले में तेजी से बढ़ी हैं। किन्तु पांच साल की स्कूली पढ़ाई (जो कि पांच साल में प्राप्त की गई साक्षरता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम होती है) पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ जाने (ड्रॉप आउट) की दरें सामान्य जनसंख्या की तुलना में ऊंची हैं। एसटी बच्चों के मामले में यह विरक्तता दर और भी ऊंची है। इस प्रकार, एक गंभीर स्थिति उपस्थित हो गई है क्योंकि वर्ष 2004-05 में समस्त राष्ट्र के 29% बच्चे प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ गए थे और एससी तथा एसटी बच्चों के मामले में तो स्थिति और भी खराब थी।

महिलाओं में गरीबी

4.20 महिलाओं में आयगत गरीबी का भार ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में थोड़ा ऊंचा था। गरीब परिवारों में रहने वाली महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 28% और शहरी क्षेत्रों में 26% था और 2004-05 के दौरान 29 और 23% हो गया। जो तुलनात्मक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में रहने वाले पुरुषों की प्रतिशतता 27% और शहरों में 26% थी जो वर्ष 2004-05 क्रमशः 27% और 23% रह गया। गरीबी का अनुपात महिलाओं में अधिक होते हुए भी पूरी जनसंख्या में गरीब में महिलाओं की प्रतिशतता कम थी क्योंकि महिलाएं प्रतिकूल लिंग अनुपात से ग्रस्त हैं। यह तथ्य उस भेदभाव को दर्शाती है जिससे महिलाएं और लड़कियां अपनी जीवन शैली में कुप्रभावित होती हैं। यह ध्यान देने योग्य स्थिति है कि लैंगिक गरीबी के उपर्युक्त माप में उपभोग के मामले में परिवार के भीतर पाई जाने वाली असमानताओं की उपेक्षा की गई है। गरीबी के और भी कई आयाम होते हैं, जैसे, परिवार में स्त्री सदस्यों को खाद्य संबंधी असुखा, कुपोषण और स्वास्थ्य के मामले में भेदभाव सहना पड़ता है।

तालिका 4.7
सामाजिक वर्गों के अंतर्गत, प्राथमिक स्तर पर (I-V) सकल
नामांकन एवं स्कूल छोड़ना (ड्रॉप-आउट), 2004-05

संकेतक	एससी		
	बालक	बालिका	कुल
सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर)	123.33	106.62	115.30
विरक्ता दर	32.73	36.14	34.21
	एसटी		
	बालक	बालिका	कुल
सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर)	128.06	115.49	121.91
विरक्ता दर	42.55	42.04	42.32
	सामान्य		
	बालक	बालिका	कुल
सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर)	110.70	104.70	107.80
विरक्ता दर	31.81	25.42	29.00

स्रोत: चुने हुए शैक्षिक आंकड़े, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2007

4.21 यह तो सभी जानते हैं अधिकांश सामाजिक संकेतकों के मामले में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। शिक्षा प्राप्ति संबंधी अधिकांश संकेतकों के मामले में एससी और एसटी बालिकाओं की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उदाहरण के लिए, 15-49 वर्ष के अति महत्वपूर्ण आयु वर्ग में जब स्त्रियां जीवन के प्रजननात्मक और सर्वाधिक उत्पादक वर्षों में होती हैं, यह उल्लेखनीय है कि 73% एससी स्त्रियां निरक्षर होती हैं, 79% एसटी स्त्रियां निरक्षर होती हैं और ओबीसी वर्ग की 61 प्रतिशत स्त्रियां निरक्षर होती हैं। 61% मुस्लिम महिलाएं भी निरक्षर होती हैं, यह प्रतिशत अपेक्षाकृत नीचा है, और इसका एकमात्र कारण यही है कि मुसलमानों में शहरीकरण की दर अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में ऊंची है।

4.22 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों की पोषणात्मक स्थिति भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। 42% एससी स्त्रियों और 46% एसटी स्त्रियों का बीएमआई (बायोमास इंडेक्स) 18.5 से नीचे था, जो कि कुपोषण के लिए विभेदक बिंदु है। यह तथ्य 30% तक अन्य स्त्रियां भी कुपोषित होती हैं, यह दर्शाता है कि एससी एवं एसटी वर्गों में ही नहीं, बल्कि जनसंख्या के अधिकांश हिस्सों में अवपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

बाल गरीबी

4.23 भारत में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों के बच्चों में गरीबी व्यापक रूप से फैली हुई है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का प्रतिशत वर्ष 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 39% और शहरी क्षेत्रों में 41% था, और यह 2004-05 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 44% और शहरी क्षेत्रों में 32% था। गरीबों में बच्चों का अनुपात वर्ष 1993-94 में बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में 44% और शहरी क्षेत्रों में 39% था, वर्ष 1999-2000 में क्रमशः 46 और 42 हो गयी। यानि कि गरीबों में बच्चों के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, परन्तु आम जनसंख्या के बच्चों में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है — यह 1993-94 और 2004-05 में 44% पर स्थिर हो गई और उसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में 39% से थोड़ी घटकर 32% पर आ गई। बाल गरीबी का ऊंचा और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ स्तर बच्चों में कुपोषण के उच्च भार से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इससे उनकी भावी क्षमताएं भी कम हो जाती हैं और अवसर की गुणवत्ता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

गरीबी को मापना और गरीबों की पहचान करना : गरीबी की रेखाओं के पुनरीक्षण के विषय पर टिप्पणी

4.24 इस समय, देश में गरीबी के बारे में नीतिसंगत दो प्रकार के मुद्दे हैं। पहला, गरीबी के माप के बारे में मतभेद रहा है, जैसा कि योजना आयोग के सरकारी आंकड़ों में दर्शाया गया है। दूसरा, उन गरीबों की पहचान के बारे में भी अनेक मुद्दे हैं, जिन्हें भविष्य में लाभान्वित करने के लिए सरकारी कार्यक्रम बनाये गए हैं और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये दोनों प्रकार के मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को योजना आयोग द्वारा यथामापित गरीबों के शीर्ष गणना अनुपात (एचसीआर) को स्वीकार करना होता है।

4.25 भारत में, गरीबी का मापदंड क्या हो और गरीबी की रेखा क्या मानी जाए - जैसे अनेक प्रश्न अभी तक उलझे हुए हैं और उन पर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तदनुसार, योजना आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है, और आशा की जाती है कि उस दल की सिफारिशें गरीबी तथा गरीबी से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या के बारे में स्वीकार्य मापदंड निर्धारित कर सकेगी।

4.26 वर्ष 1992 से गरीबों की पहचान उन पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती रही है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संपन्न किए जाते रहे हैं। पहले सर्वेक्षण (1992) में गरीबों का पता लगाने के लिए "आय" को आधार माना गया था। दूसरे सर्वेक्षण (1997) में उपभोग का सहारा लिया गया। तीसरे सर्वेक्षण (2002)

ने 13 कसौटियों यानी मापदंडों वाली एक प्रश्नावली अपनाई, जिसमें शामिल प्रत्येक कसौटी को समान महत्त्व दिया गया। इस सर्वेक्षण को उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। गरीबों की पहचान के लिए एक नया बीपीएल (गरीबी की रेखा से नीचे) सर्वेक्षण कराने का समय आ गया है। इस नए सर्वेक्षण को प्रारम्भ करने से पहले योजना आयोग को एक ऐसा विशेषज्ञ दल गठित करना चाहिए, जिसमें राज्यों, शिक्षा क्षेत्र और नागरिक समाज के प्रतिनिधि हों, और भावी बीपीएल सर्वेक्षण के लिए कार्यविधि तथा स्वीकार्य मापदंड निर्धारित करने चाहिए। इस सर्वेक्षण के फलस्वरूप अलग-अलग राज्यों तथा जिलों के गरीबों की जनसंख्या के बारे में जो निष्कर्ष निकलें उनके यथोचित समायोजन के बारे में राज्य सरकारों से बातचीत की जानी चाहिए, जिससे कि इस संख्या और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा मापी गई गरीबी के आंकड़ों के बीच अत्यधिक अंतर न हो।

गरीबी घटाने के प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रम और समावेशी विकास के लिए रणनीति

4.27 भारत में गरीबी के चिरकालिक और बहु-आयामी स्वरूप को देखते हुए, यह जरूरी है कि गरीबी को कम करने या दूर करने के कार्यक्रमों में एक बहु-विध पद्धति अपनाई जाए। पूर्ववर्ती विश्लेषण से यह पता चल चुका है कि गरीबी का एक "भूगोल" है, जिसके अंतर्गत कुछ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी संकेंद्रित है। इसमें यह भी बताया गया है कि गरीबी का एक समाजशास्त्र है, जिसके अनुसार कतिपय सामाजिक समूह गरीबों के रूप में अभिनिश्चित लोगों के बीच अधिकाधिक केंद्रित हो गए हैं। उपर्युक्त विश्लेषण में यह भी दर्शाया गया है कि गरीबों की कुछ पेशागत विशेषताएं भी होती हैं, जिन्हें आसानी से जाना-पहचाना जा सकता है : ग्रामीण क्षेत्रों में वे खेतिहर मजदूरों और कारीगर या शिल्पी परिवारों के रूप में और शहरी क्षेत्रों में अनियत मजदूरों के रूप में अधिक पाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में अनियत श्रमिक मुख्यतः विपत्तिग्रस्त प्रवासी होते हैं, जो उन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जहां कृषिक भूमि-मनुष्य अनुपात बहुत प्रतिकूल होता है, और जहां खेती की आय नहीं बढ़ती रही है, जिसके परिणामस्वरूप वहां भूमि संबंधी सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, अगले अनुभाग में, भारत में गरीबी के उभरते हुए लक्षणों के लिए प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत रणनीति और कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है।

4.28 पहला, जिन क्षेत्रों में चिरकालिक गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनमें जनजातीय तथा वनों वाले क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में से अधिकांश क्षेत्र देश के मध्यवर्ती तथा पूर्वी भागों में

स्थित हैं। इन क्षेत्रों में शुष्क, अर्ध-शुष्क और अल्प-आर्द्र इलाके आते हैं। किन्तु, अनेक अर्ध-शुष्क क्षेत्र, जहां खेती मुख्य रूप से वर्षा पोषित होती है, यानी जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, और जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अधिक औद्योगिक राज्यों में स्थित हैं, वहां गतिशीलता अधिक रही है। अर्ध-शुष्क इलाकों से प्रवास के फलस्वरूप वर्षा पोषित इलाकों में रहने वाले लोगों की आर्थिक दशा सुधर जाती है, क्योंकि उन्हें वन आधारित क्षेत्रों की तुलना में निवेश और विपणन कार्यों के लिए अधिक अच्छे अवसर मिल जाते हैं। वन क्षेत्रों में, वहां स्थित संसाधनों तक गरीब लोगों की पहुँच सीमित होती है और उनके पास मानव पूंजी संसाधन भी कम होते हैं (जैसे, साक्षरता कम होती है, और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी घटिया होता है)। इसके परिणामस्वरूप श्रमिक बाजारों में उन्हें अच्छे अवसर नहीं मिलते। इसी कारण से, इन कृषि जलवायुविक प्रदेशों में से प्रत्येक के लिए जिन रणनीतियों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्षेत्र विकास पद्धति पर निर्भर रहना होता है। यह तथ्य खासतौर पर उन इलाकों के लिए सही होता है, जो वर्षा के जल पर निर्भर रहते हैं, और जहां जलविभाजकों (वाटरशेड) का विकास उपेक्षित रहा है। इसलिए, वर्षा पोषित खेती में वाटरशेड विकास को 11वीं योजना के अंतर्गत गरीबी कम करने की रणनीति में मुख्य स्थान देना होगा। वाटरशेड विकास के बारे में कृषि विषयक अध्याय (अध्याय-1, खंड ११) में चर्चा की गई है। इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम, जो पिछड़े जिलों/क्षेत्रों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं, ये हैं : (क) पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि, (ख) सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और (ग) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के बारे में स्थानिक विकास विषयक अध्याय (अध्याय-6, खंड 1) में चर्चा की गई है।

4.29 दूसरा, भारत में गरीब लोग भौगोलिक रूप से केन्द्रित हैं। वे उन राज्यों में भी पाए जाते हैं, जहां खेती का काफी बड़ा हिस्सा सींचा जाता है। वर्षा पोषित नहीं होता (और जहां भूमि-मनुष्य अनुपात देश में सबसे कम होता है)। दूसरे शब्दों में प्रभावकारी (क) भूमि सुधारों और (ख) कृषिक सेवाओं के बिना, इनमें से कोई भी क्षेत्र अपनी गरीबी कम नहीं कर सकता। इसके अलावा, तीव्र औद्योगीकरण के इस युग में, भूमि संबंधों को आधुनिक बनाने की भी जरूरत है। कृषि विषयक अध्याय में हमने कृषिक सेवाओं पर चर्चा की है, हम जनजातीय जमीनों के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों सहित सभी भूमि सुधारों पर चर्चा करेंगे।

4.30 तीसरा, अनियत श्रमिकों पर निर्भरता बढ़ गई है, और चिरकालिक गरीबों का एक बड़ा अनुपात मजदूरी वाले श्रम पर निर्भर होता है। भारतीय जनसंख्या में भाड़े के मजदूरों के रूप में काम करने वालों का हिस्सा बराबर बढ़ता गया है। हाल के दशकों

में हुई संपूर्ण वृद्धि भाड़े के अनियत मजदूरों के हिस्से के विस्तार के कारण हुई है। इनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों और अनु-जनजातियों के मजदूर होते हैं। इस दौरान पुरुष ग्रामीण अनियत मजदूर अधिकाधिक संख्या में फार्म-भिन्न क्षेत्रक में काम करते रहे हैं और स्त्रियां कृषि के क्षेत्र में अनियत श्रमिकों के रूप में अधिकाधिक केन्द्रित होती गई हैं और विशेष रूप से 1990 के दशक में उनका धंधा उनसे छिन गया है। अनियत मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है और 1987 के सूखे के बाद तो इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ गई है। 1990 के दशक में स्व-रोजगारियों लोगों की बाढ़ सी आ गई और उन्होंने अनियत श्रमिकों के रूप में सहायक कार्य चुन लिए। ग्रामीण अनियत श्रमिकों में गरीबी का भार ऐसे कार्यहीन लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है, जो कभी-कभार अनियत कार्य करते हैं, विशेष रूप से स्त्रियों में गरीबी की मात्रा अधिक है, अनुसूचित जनजाति के अधिकांश अनियत श्रमिक और अनुसूचित जाति के 40% श्रमिक गरीब होते हैं, उनमें से भी जिन अनियत श्रमिकों के पास भूमि नहीं होती वे तो नितांत गरीब होते हैं। अनियत श्रमिकों में औसतन स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक गरीब होती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसा ही कोई कार्यक्रम, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए चलाने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

4.31 चौथा, कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं कि गरीब लोग कृषि-भिन्न क्षेत्रों में काम करके अपनी आय बढ़ा सकें और अपनी आनुषंगिक आय के लिए फार्म-भिन्न स्रोतों पर निर्भर रहें। अनियत श्रमिकों तथा शिल्पियों को, विशेष रूप से स्त्रियों को, आत्मनिर्भर समूहों के रूप में सामाजिक दृष्टि से एक साथ जोड़ा जा सकता है, और उन्हें ऋण आदि के रूप में सहायता देकर उनकी आय के स्रोतों में विविधता लाई जा सकती है। भारत के कुछ भागों (जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात) में, ऐसे प्रयत्नों को सफलता मिल चुकी है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह कार्यक्रम देशभर में, विशेष रूप से देश के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में जहां, यह बिलकुल शुरू नहीं हुआ है और इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, बराबर बढ़ता जाए।

4.32 अंत में, यदि गरीबों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिलने वाली गरीबी की मार से बचाना है, तो उन्हें एक सुरक्षा कवच देना होगा। कम से कम 180 लाख ग्रामीण लोगों के पास अपना कोई घर नहीं है और ग्रामीण आवासन कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए कि ग्रामीण लोगों के पास अपना घर (मकान) नहीं तो "घेर" (वास क्षेत्र) तो अवश्य हो। ऐसे "घेर" उन्हें रहने के लिए घर तो देंगे ही साथ ही उनमें एक छोटा सा भूखंड भी होगा, जहां वे भेड़-बकरी और मुर्गियां पालकर और सब्जियां उगाकर अपनी

आय के साधनों में विविधता ला सकेंगे। इसी प्रकार बेसहारा बुजुर्गों, विधवाओं और अपंग ग्रामीण गरीबों को भी सामाजिक सहायता की जरूरत है।

4.33 इसके अलावा, गरीब लोग कम मानव पूंजी होने के कारण भी कष्ट उठाते हैं। परिवार का आकार घनिष्ठ रूप से प्रौढ़ों और बच्चों के कुपोषण तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिलने वाली गरीबी दोनों से जुड़ा होता है। सरकार गरीबी को कम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लक्षित जो कार्य कर रही है, वे 11वीं योजना में असफल हो जाएंगे, यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और एकीकृत बाल विकास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं हो सका। तथापि, एक समावेशी विकास की रणनीति, जो केवल मानव पूंजी निर्माण पर ही केन्द्रित होगी अथवा जिसका प्रत्यक्ष लक्ष्य गरीबी घटाना मात्र होगा, संभवतः असफल हो जाएगी। विकास का ढांचा और उत्पादन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उससे विशेष रूप से कृषि-भिन्न क्षेत्र में, रोजगार के अवसर बढ़ें। दूसरे शब्दों में, आर्थिक विकास, लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से आय संबंधी गरीबी को घटाना और मानव पूंजी निर्माण इन तीन पैरों पर खड़ी हुई रणनीति पर ध्यान दिया जाए, तो वह भारत को सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर कर देगी, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये तीनों कार्य परस्पर सहक्रियात्मक होते हैं, और एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं।

मजदूरी रोजगार गारंटी-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

4.34 भारत में तथा अन्य विकासशील देशों में भी काम पैदा करने वाले तथा रोजगार दिलाने वाले कार्यक्रमों को लंबे समय से महत्व दिया जाता रहा है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से अकुशल कामगारों को कुछ समय के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर रोजगार दिलाते हैं। गरीब परिवार जब रोजगार के अवसरों के अभाव में पीड़ित होते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम उन्हें कुछ आमदनी दिलाते हैं। जिन क्षेत्रों में बेरोजगारी या अल्परोजगारी की दरें ऊंची होती हैं, वहां ऐसे काम-दिलाऊ कार्यक्रमों से प्राप्त लाभों से गरीबी की हालत, विशेष रूप से कम काम की अवधियों में, और ज्यादा खराब होने से बच जाती है। इन कार्यक्रमों से, जो टिकाऊ परिसम्पत्तियां उत्पन्न होती हैं, उनमें दूसरे दौर के रोजगार संबंधी लाभ उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्योंकि इनसे अपेक्षित आधारभूत ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकसित हो जाता है।

4.35 हमारे यहां मजदूरी वाले रोजगार के कार्यक्रमों का एक लंबा इतिहास और अनुभव रहा है। तथापि, 1989 में जवाहर रोजगार योजना के सभारंभ के बाद से इन कार्यक्रमों का विस्तार 1989 से 2006 तक की अवधि में उल्लेखनीय रूप से बढ़ता गया और अंततः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत

यह अपनी चरमसीमा की ओर बढ़ गया। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किए जाने वाले ये कार्यक्रम स्वतः लक्ष्यी थे और इनका उद्देश्य था-विशेष रूप से अनियत शारीरिक श्रम पर आश्रित लोगों को अधिकाधिक रोजगारी संबंधी सुरक्षा प्रदान करना।

4.36 इन कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभव के आधार पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), पारित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संबंधी सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराना था। यह अधिनियम 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया। इस "नरेगा" अधिनियम का महत्व इस तथ्य से उजागर होता है कि यह अधिनियम मजदूरी वाले रोजगार के लिए एक "अधिकार" आधारित संरचना प्रस्तुत करता है और सरकार को कानूनी तौर पर इस कार्य के लिए बाध्य करता है कि वह रोजगार चाहने वालों को अवश्य ही रोजगार प्रदान करे। इस प्रकार यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के साथ-साथ, रोजगार पाने के अधिकार की भी गारंटी देता है। "नरेगा" अधिनियम के अंतर्गत अब तक जो अनुभव हुआ है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में तेजी से गरीबी घटाने का एक प्रमुख आधार होगा।

4.37 वर्ष 2006-07 के दौरान अपने प्रथम चरण में, यह अधिनियम देश के 200 जिलों में लागू किया गया था, और उसके बाद 2007-08 के दौरान दूसरे चरण में 130 और जिले इस अधिनियम के अन्तर्गत लाए गए। पहली अप्रैल, 2008 से यह अधिनियम देशभर के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र पर लागू हो जाएगा। ज्यों ही कोई जिला इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया जाता है, वैसे ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीआरवाई) स्वतः ही इस अधिनियम में विलीन कर दी जाती है और इस प्रकार यह योजना पहली अप्रैल 2008 से देशभर में कहीं भी अलग अस्तित्व में नहीं रहेगी।

4.38 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका संबंधी सुरक्षा में वृद्धि करना है। इसके अंतर्गत एक ऐसे ग्रामीण परिवार को, जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं, एक वित्तीय वर्ष में एक सौ दिन की मजदूरी की गारंटी दी जाती है। इस अधिनियम का एक उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका के संसाधनों के आधार को मजबूत करना और टिकाऊ किस्म की परिसम्पत्तियां तैयार करना भी है। इस अधिनियम में सुझाए गए कार्य सूखा, वन कटाई, भूमि कटाव जैसे चिरकालिक गरीबी के कारणों को रोकते हैं, जिससे कि रोजगार पैदा करने की प्रक्रिया सतत आधार पर चलती रहे।

4.39 इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए कामगार को पहले अपना पंजीकरण कराकर एक जॉबकार्ड प्राप्त करना होता है और फिर अपने द्वारा चुने गए समय और अवधि के लिए एक लिखित आवेदन पत्र देकर रोजगार प्राप्त करना होता है। यह विधिक गारंटी एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करनी होती है और यह प्रदेश बेरोजगारी भत्ते के उपबंध के साथ जुड़ा होता है। यह अधिनियम राज्यों को रोजगार की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि रोजगार प्रदान करने के लिए राज्यों को जो भी खर्चा करना होता है, उसका 90% भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, और यदि मांगे जाने पर भी राज्य की ओर से कोई रोजगार नहीं दिया जाता, तो फिर राज्य को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस प्रकार राज्यों को बेरोजगारी का दोहरा हर्जाना (इन्डेमिटी) और बेरोजगारी भत्ते का खर्च भुगतना पड़ता है। इससे पहले वाले मजदूरी रोजगार कार्यक्रम आवंटन आधारित थे। किन्तु, यह "नरेगा" अधिनियम आपूर्ति-चालित नहीं बल्कि मांग-चालित है। इस अधिनियम के अंतर्गत संसाधनों का अंतरण रोजगार के लिए की गई मांग पर आधारित होता है और यह तथ्य राज्यों को एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे वे गरीबों की रोजगार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं। इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर भी पूरी नजर रखी जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्र सरकार इस अधिनियम के परिणामों के बारे में संसद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगी और इसी प्रकार राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी विधानसभा को वार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगी।

निधि व्यवस्था

4.40 केन्द्र सरकार निम्नलिखित मदों पर हुए खर्च के भार को वहन करती है-

- अकुशल शारीरिक कामगारों की मजदूरी का संपूर्ण खर्च।
- सामग्री और कुशल एवं अर्धकुशल कामगारों की मजदूरी का 75% खर्च।
- केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रशासनिक व्यय, जिसमें अन्य मदों के साथ-साथ कार्यक्रम अधिकारी और उसके सहायक स्टाफ के वेतन-भत्तों तथा कार्य स्थल संबंधी सुविधाओं का व्यय शामिल होगा।
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद के खर्च।

4.41 राज्य सरकार निम्नलिखित मदों पर हुए खर्च के भार को वहन करती हैं-

- सामग्री और कुशल एवं अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी का 25% खर्च। (चूंकि अकुशल शारीरिक कामगारों और सामग्री,

कुशल/अर्धकुशल कामगारों की मजदूरी के बीच 60: 40 का अनुपात रखना होता है, इसलिए राज्य सरकार को 40% घटक के 25% को ही वहन करना होता है, जिसका अर्थ है कि उसे व्यय का 10% अंशदान ही देना होता है।)

- यदि राज्य सरकार समय पर मजदूरी रोजगार, मुहैया नहीं कर सकती तो (देय बेरोजगारी भत्ता।
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक खर्चें।

प्रमुख मुद्दे

4.42 यहां उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है, जिन पर 11वीं योजना में ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि "एनआरईजीए" अधिनियम को मजदूरी संबंधी रोजगार के अवसरों की अनुपूर्ति के लिए इष्टतम रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

(i) रोजगार मांग का अभिव्यक्ति

4.43 चूँकि "नरेगा" एक अधिकार-आधारित कार्यक्रम है, इसलिए ग्रामीण गरीबों द्वारा अपनी मांग की अभिव्यक्ति यानी साफ-साफ बताना इसके कार्यान्वयन का मुख्य आधार है, विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि मजदूरी चाहने वाले लोग साक्षर तथा संगठित न हों। सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण समुदायों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना ग्रामीण गरीबों को अपनी मांग स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्यों ने संचार तथा सामाजिक गतिशीलता के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाए हैं, जिनमें स्थानीय सरल भाषा में "नरेगा" संबंधी प्रक्रियाओं के विषय में संचार सामग्री तैयार करना, सरपंचों/वार्ड सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए, एक-दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना, ग्राम-स्तरीय अन्योन्य संपर्क के लिए जिला स्तरीय दलों का उपयोग करना, स्थानीय जन-भाषा के समाचार पत्रों, टीवी तथा रेडियो समाचारों एवं विज्ञापनों, स्थानीय सांस्कृतिक मंचों, स्थानीय बाजार के दिनों में सूचना मंचों, ग्राम सूचना भित्ति के माध्यम से सूचना प्रदान करना, सप्ताह में एक बार रोजगार दिवस मनाना और "हेल्पलाइन" स्थापित करना शामिल है। नरेगा अधिनियम ग्रामीण गरीबों को क्या-क्या अधिकार देता है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, ताकि ग्रामीण गरीब लोग अपनी पसंद के अनुसार सही समय और अवधि के लिए रोजगार मांग सकें।

(ii) श्रम बजट, वार्षिक कार्य परियोजना और भावी परिप्रेक्ष्य में योजना तैयार करना

4.44 यह अधिनियम मांग किए जाने के बाद पन्द्रह दिन के भीतर रोजगार देने की गारंटी करता है और रोजगार का साधन

होता है अकुशल शारीरिक कार्य, जो कि अनुज्ञेय कार्यों की सूची में से चुना जाता है। इस कानूनी गारंटी के अंतर्गत यह भी बताया जाता है कि सूचीगत कार्य किस प्रकार संपन्न किए जाने हैं। अधिनियम के अंतर्गत अनुबद्ध श्रम बजट अग्रिम योजना निर्माण को सुलभ बनाने के लिए तैयार करना होता है, जिसके माध्यम से जिले, दिसम्बर के अंत तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी श्रम संबंधी मांग का अनुमान लगाते हैं। राष्ट्रीय मार्गनिर्देशों में यह इंगित किया जाता है कि श्रम संबंधी अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए परियोजनाओं का वार्षिक शेल्फ किस प्रकार तैयार किया जाए। जिलों ने रोजगार की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से कार्यों की एक सूची तैयार रखने के लिए परियोजनाओं के शेल्फ तैयार करने का प्रयास किया है। यह सुझाव दिया गया है कि कार्यों की योजना तैयार करने के कार्य में अधिक सुस्पष्टता लाई जाए और इस हेतु, प्रत्येक कार्य को उसका एक अलग स्थान सूचक कोड दे दिया जाए और उन कार्यस्थलों की भूखंड संख्याओं का भी उल्लेख किया जाए, जहां कार्य संपन्न किए जाने हैं। यह भी अनुमान लगाने की जरूरत है कि नियोजित कार्य के माध्यम से श्रम दिनों के रूप में कितना लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि यह अनुमान लगाया जा सके कि अमुक कार्य के द्वारा कितने लोगों की रोजगार संबंधी मांग पूरी की जा सकेगी। यह भी अनुमान लगाया जाएगा कि परिकल्पित भौतिक सुधार (भूमि/जल संरक्षण आदि) कितना होगा, जिससे कि ध्यान प्रमुख रूप से ऐसी टिकाऊ और उत्पादक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर केन्द्रित किया जा सके, जिनसे आगे भी स्वतः संधारणीय रोजगार चलता रहे। अधिनियम में यह बताने का भी अनुबंध किया गया है कि ग्राम पंचायत के कार्यालय पर अनुमोदित कार्यों की सूची प्रदर्शित की जाए और यह भी बताया जाए कि अमुक कार्यस्थल पर अमुक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि कामगार यह जान सकें कि उन्हें स्थानीय रूप से कार्य संबंधी कौन-कौन से अवसर उपलब्ध हैं।

4.45 राष्ट्रीय मार्ग-निर्देश यह बताते हैं कि एक पंचवर्षीय जिला भावी योजना तैयार करते समय मोटे तौर पर किन-किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना है। ऐसी परिप्रेक्ष्य योजना के निम्नलिखित घटक होते हैं, अर्थात्, गांव का ऐसा नक्शा तैयार किया जाए, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वहां प्राकृतिक संसाधन कौन-कौन से हैं और सामाजिक आधारभूत ढांचा कैसा है, उन कमियों तथा कार्यों का पता लगाना, जो "नरेगा" की अनुमेय सूची के अनुसार हाथ में लिए जा सकते हैं, उन कार्यों का निर्धारण करना, जो स्थानीय लोगों की मांग को पूरा कर सकते हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं, जिन्हें सम्पन्न किए जाने पर "नरेगा" के व्याप्ति क्षेत्र से बाहर सतत रोजगार मिलता रहे और श्रम संबंधी मांग पूरी होती रहे।

4.46 पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की योजना निर्माण की क्षमता को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि योजनाओं में सतत संधारणीय आजीविकाओं के लिए दीर्घावधिक दृष्टि अपनाई जा सके।

(iii) किए गए कार्य और मजदूरी भुगतान का अभिलेख

4.47 अधिनियम की कानूनी गारंटी के अंतर्गत यह समादेश दिया गया है कि कामगारों को देय मजदूरियों का भुगतान की कार्य समाप्ति के बाद पंद्रह दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि किए गए कार्य का समुचित अभिलेख रखा जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रामाणिक हाजिरी रजिस्टर (मस्टर रोल) का प्रयोग किया जाता है, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक मंजूरशुदा कार्य के लिए संख्यांकित हाजिरी रजिस्टर जारी किए जाएं और उन्हें निष्पादक अभिकरण द्वारा कार्य स्थल पर बाकायदा रखा-भरा जाए। हाजिरी रजिस्ट्रों में यह दर्ज किया जाना चाहिए कि कामगारों के जॉबकार्ड नंबर क्या हैं, उन्होंने कितने दिन काम किया है, कितना कार्य किया गया है, उन्हें कितनी रकम अदा की गई है, साथ ही उनमें निरीक्षण के संबंध में टिप्पणी लिखने के लिए खाली जगह होनी चाहिए। झूठे और गलत अभिलेखों को रोकने के लिए, हाजिरी रजिस्टर (मस्टर रोल) को मापने और मजदूरी का भुगतान करने की प्रक्रिया के दौरान कार्य स्थल पर पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। हाजिरी रजिस्टर की प्रविष्टियों को कामगारों के जॉबकार्डों पर भी तदनुसार दर्ज किया जाना चाहिए। इस बात की भी सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए कि हाजिरी रजिस्टर के आंकड़ों को अद्यतन बनाकर हर 15 दिनों में एक बार ब्लाक स्तर के कम्प्यूटरों में दर्ज किया जाए। निर्माण कार्यों के मापन और सर्वेक्षण का कार्य नियमित रूप से समय पर, योग्यता प्राप्त तकनीकी कार्मिकों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने की जरूरत है, जिससे कि श्रमिकों को ठीक समय पर मजदूरी आदि का भुगतान किया जा सके।

(iv) सतर्कता और पारदर्शिता

4.48 "नरेगा" अधिनियम सतर्कता और पारदर्शिता पर बहुत बल देता है, एक वेब आधारित एमआईएस डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एनआरईजीए. एनआईसी.आईएन विकसित किया गया है, जो संपूर्ण सूचना को आम जनता के लिए उपलब्ध कराता है। यह एक परिवार स्तरीय डेटाबेस है और उसमें नियामक प्रक्रियाओं के प्रति सुसंगतता और अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए अंतःनिर्मित व्यवस्था है। सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर सार्वजनिक क्षेत्र में अनुश्रवित किए जा सकते हैं।

4.49 "नरेगा" संबंधी प्रक्रियाओं का क्षेत्रगत सत्यापन बाहरी तथा भीतरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और फीडबैक

राज्यों को भी वितरित किया जाता है, ताकि वे उन पर अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें। स्वतंत्र समवर्ती अध्ययन भी प्रारम्भ किए गए हैं। राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है और राज्यों से आशा की जाती है कि वे विशेष रूप से निर्माण कार्य संबंधी हाजिरी रजिस्ट्रों तथा अभिलेखों का ब्लॉक स्तर पर 100%, जिला स्तर पर 10% और राज्य स्तर पर 2% सत्यापन अवश्य करें। हाजिरी रजिस्ट्रों के सत्यापन संबंधी मार्गनिर्देश तैयार किए जा चुके हैं और उनका कड़ाई से पालन किए जाने की जरूरत है। सांघर्षिक पारदर्शिता लाने के लिए स्थानीय सतर्कता और परिवीक्षण (मानीटरिंग) समितियां स्थापित करना और उन्हें प्रशिक्षित करना भी जरूरी है।

(v) सार्वजनिक उत्तरदायित्व

4.50 अधिनियम में सार्वजनिक उत्तरदायित्व के लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई है। इस उत्तरदायित्व को अधिनियम में किए गए प्रावधानों के माध्यम से और सूचना के अधिकार, सूचना के स्वतः प्रकटन एवं एक पारदर्शी सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया संबंधी मार्गनिर्देशों के जरिए पूरा करना होता है।

4.51 सूचना के अधिकार संबंधी दायित्व को, "नरेगा" अधिनियम से संबंधित सभी मामलों में, भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से पूरा करना होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 4 और अनुसूची-1, पैरा 17 में बताया गया है।

4.52 "नरेगा" अधिनियम की धारा 17 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों की ग्रामसभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा की जाए और इस लेखा परीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को अपने सभी अभिलेख ग्राम सभा को देने होंगे। इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों, सदस्यों और ग्राम सभा के सदस्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा करने की क्षमता उत्पन्न की जाए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नागरिक समाज संगठन राज्य सरकार के साथ मिलकर और स्वतंत्र रूप से भी, सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं को सुकर बनाने में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं।

(vi) शिकायत दूर कराना

4.53 रोजगार के अधिकार को लागू करने के लिए यह जरूरी है कि शिकायत दूर करने के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली स्थापित की जाए। अधिनियम के अंतर्गत, शिकायत दूर करने की यह जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी को सौंपी गई है। तत्परता से शिकायत दूर की जाए- इसे सुनिश्चित करने के लिए कुछ बुनियादी व्यवस्थाएं अवश्य करनी होंगी, जैसे, कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालयों में शिकायत दूर करने वाले प्रकोष्ठ की स्थापना, और उन्हें संपर्क करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन की

व्यवस्था हो तो और भी अच्छा हो। कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक मासिक आधार पर शिकायतों का निपटारा अवश्य करें और संबंधित व्यक्तियों को उसकी सूचना अवश्य दें।

(vii) प्रशासनिक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना

4.54 तकनीकी संसाधन सहायता समूहों (टीआरएसजी) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण विकास मंत्रालय में बहु-विषयक व्यावसायिक विशेषज्ञता का समोवश करें, जिससे कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधन सहायता की व्यवस्था हो सके और साथ ही, मंत्रालय को मापनीय परिणामों की स्थापना के लिए, कार्यक्रमों की संपन्नता के मानक निर्धारित करने के लिए कार्यक्रम परिणामों के परिविक्षण हेतु उपयुक्त प्रबंध सूचना प्रणालियां तैयार करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का निर्माण और नियमन करने में सहायता प्रदान कर सकें। इसके अलावा, वे राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करेंगे और विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे।

4.55 एक अन्य मुद्दा, जो प्रशासनिक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विभिन्न पणधारियों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं। सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की आवश्यकताएं काफी हैं और उनमें कार्यकर्ताओं पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय सतर्कता समितियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता भी शामिल है। चुनौती यह है कि भिन्न-भिन्न लक्ष्यगत समूहों के अनुसार विषयवस्तु और प्रक्रिया में अंशशोधित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाएं और गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता किए बिना, बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का प्रबंध किया जाए।

(viii) वित्तीय प्रबंध

4.56 एक असमापनीय केन्द्रीय रोजगार गारंटी निधि स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निधियों की उपलब्धता काम के मौसम की मांगों के अनुरूप हो। जिला प्रशासनों ने नरेगा निधियों के लिए लेखे प्रस्तुत किए हैं, और स्पष्ट रूप से निर्धारित मार्गनिर्देशों के आधार पर वे अपने प्रस्ताव पेश करते हैं, जिससे कि नीचे प्रत्येक स्तर पर निधियां कुशलतापूर्वक प्राप्त हो सकें और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध हों।

4.57 निधियां जिले में रोजगार के लिए प्राप्त मांग के आधार पर जारी की जाती हैं और वे परिणामों के वित्तीय तथा भौतिक दोनों प्रकार के संकेतकों के आकलन पर आधारित होती हैं। निधि जारी करने से संबंधित मानदंडों को पूरा करने के लिए जिलों को अपनी क्षमता सुदृढ़ करने की जरूरत है, जिससे कि वे श्रम संबंधी मांग के अनुमान पर आधारित निधियों की वार्षिक आवश्यकता को प्रक्षेपित करने के लिए श्रम बजट तैयार कर सकें और खर्च की

जाने वाली धनराशियों पर कड़ाई से नज़र रख सकें और रोजगार उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्तियों को जानने के लिए भौतिक परिणामों का परिवीक्षण कर सकें। इसके फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में निधियों की मांग की जा सकेगी और फिर उनका उपयोग किया जा सकेगा।

आगे का रास्ता

(i) कामगारों को सशक्त बनाना

4.58 "नरेगा" अधिनियम एक अधिकार-आधारित संविधि है और इसलिए इसकी प्रभावोत्पादकता इस बात पर आधारित है कि मजदूरी चाहने वाले कामगार कहां तक अपनी पसंद का प्रयोग कर सकते हैं और अधिनियम के अंतर्गत अपनी हकदारियों का दावा करने के लिए अपने अधिकारों पर डटे रह सकते हैं। कामगारों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में अनेक मुद्दे शामिल हैं, जैसे, उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, साक्षरता संबंधी कौशलों का विकास करना, कामगारों को संगठित करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा के स्तर को ऊंचा करना। बैंकों और डाकघरों में कामगारों के बचत खाते खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है, अब इस कार्य को बड़े पैमाने पर समर्थन-सहायता देने की आवश्यकता है, ताकि कामगारों में मितव्ययता और अल्पबचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। "नरेगा" कामगारों को जीवन और स्वास्थ्य बीमा संबंधी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाने से भी उनकी सुरक्षा का स्तर बढ़ जाएगा।

(ii) अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव

4.59 कामगारों को सशक्त बनाना और टिकाऊ परिसम्पत्तियां तैयार करना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि "नरेगा" अधिनियम और अन्य विकास कार्यक्रमों के बीच कितना जुड़ाव है। इस अधिनियम का अन्य विकास कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता तथा प्रारम्भिक शिक्षा मिशन, और आजीविका तथा आधारभूत ढांचे से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के साथ "नरेगा" का जुड़ाव होना जरूरी है, जिससे कि कामगारों को बुनियादी मानवीय हकदारियां निश्चित रूप से दी जा सकें और आजीविकाओं का प्राकृतिक संसाधन आधार मजबूत हो सके। "नरेगा" अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञेय निर्माण कार्यों का पूरा-पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है जब इन निर्माण कार्यों की योजना अन्य विकास परियोजनाओं, उदाहरणार्थ जल विभाजन, प्रबंध, कृषिक कार्यक्रमों, बागवानी परियोजनाओं आदि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तैयार की गई हो। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्यक्रमों और आय उत्पादक परियोजनाओं के बीच भी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि कामगार अपने मजदूरी रोजगार से स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सकें।

(iii)

अन्य निर्माण कार्यों की संभावना का पता लगाना

4.60 "नरेगा" अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञेय निर्माण कार्यों में यह भी माना गया है कि अनुसूची-1 में विशिष्ट रूप से सूचित निर्माण कार्यों के अलावा और भी कई कार्य किए जा सकते हैं, जिन्हें राज्यों के साथ परामर्श करके, केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। मंत्रालय राज्यों के लिए ऐसे मार्गनिर्देश तैयार करने के बारे में विचार कर सकता है, जिनके आधार पर राज्य अधिनियम के सामान्य सिद्धान्तों और उनके तर्काधारों के अनुरूप अन्य कार्यों की पहचान कर सकते हैं।

4.61 11वीं योजना के लिए अंतरिम रूप से (चालू मूल्यां पर) 1,00,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किन्तु, चूँकि "नरेगा" एक मांग-चालित कार्यक्रम है और सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत समादिष्ट रोजगार देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है, इसलिए यह राशि केवल सांकेतिक है।

स्वरोजगार-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)**तर्काधार**

4.62 विभिन्न योजना अवधियों के दौरान सरकार ने स्वरोजगार के कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने के लिए सतत रूप से जो प्रयास किए हैं, उनमें विशेष रूप से कार्यान्वयन के स्तर को सुधार करने का प्रयत्न किया गया है। उनके आधार पर कुछ नई अवधारणाएं समय-समय पर उभरकर सामने आई हैं और पुख्ता हो गई हैं। क्लस्टर दृष्टिकोण, क्षमता निर्माण, कौशल उन्नयन, विपणन सहित आधारभूत ढांचे का विकास और प्रौद्योगिकी का समावेश जैसी समस्त आवश्यकताओं का एकीकरण करने की जरूरत हर बीतते हुए साल में अधिकाधिक महसूस की जाती रही है। आगे और पीछे प्रभावशाली जुड़ावों के साथ माइक्रो उद्यमों के विकास पर भी बल देना आवश्यक समझा गया, ताकि निवेश से सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त हों। इसलिए, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) पहली अप्रैल 1999 से लागू की गई, जिसका उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को एक निश्चित अवधि में उनके आय के स्तर में लगातार सुधार करते हुए गरीबी की रेखा से ऊपर लाना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण गरीबों को स्वावलंबी समूहों (एसएचजी) में संगठित करना था। इस उद्देश्य को समाज में गतिशीलता लाने, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने और आय उत्पादक परिसम्पत्तियाँ तैयार करने की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाना था। स्वावलंबी समूहों के गठन से गरीब लोगों में, सामुदायिक प्रयत्नों के माध्यम से, आत्मविश्वास जागृत होता है। सामूहिक प्रक्रियाओं तथा निर्णयों के जरिए वे अपनी जरूरतों तथा संसाधनों का पता लगा सकते हैं और उनमें प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं। इस

प्रक्रिया से अंततोगत्वा गरीबों में ताकत आएगी और वे सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे और इसके साथ ही उनकी सामूहिक सौदेबाजी शक्ति में सुधार हो सकेगा।

4.63 स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की रूपरेखा इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि स्वावलंबी समूहों के तंत्र को सशक्त बनाकर, उनके जरिए आय उत्पादक कार्यकलापों का विस्तार किया जाए। इसके अंतर्गत यह आशा की जाती है कि समूहों की गतिशीलता ग्रामीण गरीब व्यक्तियों की बुनियादी कमजोरियों को दूर करेगी और उन्हें विश्वसनीय साख वाले और वित्तीय रूप से जवाबदेह इकाइयों के रूप में पेश करेगी। एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से इन स्वावलंबी समूहों के क्रम निर्धारण की प्रणाली से यह आशा की जाती है कि वह अधिक सक्रिय समूहों को अलग छंटकर उन्हें आगे चलकर पूंजी सख्खिडी के रूप में सहायता देगी, जिससे कि वे स्वरोजगार वाले रोजी के अवसर प्राप्त कर सकें।

4.64 यह ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) उन स्थानों पर गरीबी कम करने में सफल रही है, जहाँ क्षमता का निर्माण किया जा सका है और हिताधिकारियों को एकजुट किया जा सका है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में मितव्ययता, बहुविध ऋणदान, पहचान की सहभागी प्रक्रिया और आर्थिक क्रियाकलाप काफी हद तक सफल रहे हैं क्योंकि वहां बुनियादी प्रक्रियाएं जमीनी स्तर पर चलती रही हैं।

4.65 बहु-विध ऋणदान और ऋण राशियों की मात्रा में बढ़ोत्तरी के कारण आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में कार्य-निष्पादन का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहा है। इसका एक कारण यह भी रहा कि स्वावलंबी समूह गांव से लेकर जिले तक, विभिन्न स्तरों पर संघटित होते रहे हैं। एक सुसंघटित संगठनात्मक आधार तैयार हो जाने के कारण स्वावलंबी समूहों के नेटवर्क को केरल तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गतिशीलता प्राप्त करने और अपने कार्यकलापों के आधार को बहुमुखी बनाने में सफलता मिली है। देश के विभिन्न भागों में स्वावलंबी समूहों के अनेक रूप रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण केरल का कुटुंबश्री है, जिसके पंचायती राज संस्थाओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का मॉडल उन स्वावलंबी समूहों के परिसंघों पर आधारित है, जिन्होंने गरीबों के संगठनों का रूप धारण कर लिया है। नाबार्ड भी स्वावलंबी समूहों को प्रायोजित करता है।

प्रमुख मुद्दे

4.66 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) सन् 1999 से कार्यान्वित की जा रही है। अपने समारंभ से लेकर अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 26 लाख स्वावलंबी समूह बनाए जा चुके हैं। इन समूहों में से लगभग 16 लाख ने ग्रेड-1 की

अवस्था पार कर ली है। आठ लाख समूहों ने ग्रेड-II की अवस्था पार कर ली है और उनमें से पांच लाख से कुछ कम समूहों ने आर्थिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिए हैं। ग्रेड-रूख वाले स्वावलम्बी समूहों में से लगभग 60% समूहों ने आर्थिक कार्यकलाप हाथ में ले लिए हैं, और बाकी समूह वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा में हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 25,000 करोड़ ₹0 का ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 50% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। स्वावलम्बी समूहों में अनेक अंतःनिर्मित शक्तियां हैं, जिनमें से अधिकांश स्पष्टतः दिखलाई नहीं देती, जैसे, समूह संशक्ति, सामान्य मांगों के स्पष्टोच्चारण के लिए बढ़ी हुई योग्यता, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर और कुशलतापूर्ण उपयोग आदि। एक ओर यह आवश्यक होगा कि स्वावलम्बी समूहों की शक्तियों के आधार पर कार्य किया जाए, दूसरी ओर यह भी समानरूप से आवश्यक होगा कि इस योजना के कार्यान्वयन के पिछले आठ वर्षों में प्राप्त अनुभव से भी सबक लिये जाएं। इससे संबंधित अनेक मुद्दे हैं, उनमें से कुछ मुद्दे संकल्पनात्मक हैं, जो कार्यक्रम के व्यापक पक्षों से संबंधित हैं, जैसे, सब्सिडी घटक की भूमिका और उपयोगिता क्या हो। दूसरी श्रेणी के मुद्दे विशिष्ट कार्यक्रमों से जुड़े हैं, जैसे परिसंघ बनाना, ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता संबंधी मुद्दे आदि। इनमें से कुछ मुद्दों पर नीचे प्रकाश डाला गया है —

- सब्सिडी चालित कार्यक्रमों की संगतता या असंगतता के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में तरह-तरह के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों के संबंध में कोई तर्कशील अनुक्रिया का पता लगाना होगा। सब्सिडी गरीबों को सहायता देने का एक तरीका है और उसे पूरी तरह बंद करना उचित प्रतीत नहीं होता। किन्तु, सब्सिडी का प्रवाह ठीक से हो ताकि लक्ष्यगत लोगों की ठीक सेवा की जा सके। क्या इसके लिए कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं, इस मुद्दे पर भी विचार करना उपयोगी होगा।
- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित स्वावलम्बी समूहों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा महसूस किया जाता है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में स्वावलम्बी समूह होने का गरीबी कम करने की दृष्टि से कोई खास अर्थ है। नाबार्ड, सिडबी और आरएमके जैसी एजेंसियां और डब्ल्यूसीडी जैसे मंत्रालय स्वावलम्बी समूह बनाने और उन्हें कायम रखने के लिए अपने ही मॉडल रखते हैं। आंध्र प्रदेश और केरल जैसी राज्य सरकारें भी अपने-अपने मॉडल रखती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस व्यापक पटल पर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को यथोचित स्थान दिया जाए और देश के स्वावलम्बी समूह आंदोलन के विस्तृत संदर्भ में उसे समाविष्ट किया जाए।
- ग्रामीण विकास के लिए तकनीकी सहायता के क्षेत्र में जनशक्ति की भारी कमी है। आंध्र प्रदेश एक अलग संरचना-ग्रामीण गरीबी मिटाने के लिए सोसायटी (एसआईआरपी या सर्प) के माध्यम से लगभग 6.00 लाख स्वावलम्बी समूहों को इस कार्य में लगाए हुए हैं। "सर्प" नाम की इस सोसायटी के पास अपनी स्वतंत्र इकाइयां हैं, जो जोखिम न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, माइक्रो वित्त, संस्था निर्माण, विपणन और आजीविका प्रोत्साहन जैसे कार्यों में सहायता देती हैं। जिला स्तर पर भी, उनकी समकक्ष इकाइयां हैं, जो मंडल स्तर तक जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समर्पित संस्था तंत्र ने स्थिति में अंतर ला दिया है। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है।
- आंध्र प्रदेश, केरल, और तमिलनाडु जैसे राज्यों के अनुभव को अपनाया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वावलम्बी समूहों को संघबद्ध करना इन समूहों की सौदेबाजी की शक्ति को सुधारने के लिए और स्वावलम्बी समूह आंदोलन को सक्रिय जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक है। स्वावलम्बी समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए इन स्वावलम्बी समूहों/ उनके संघों के अंतर-राज्य और अंतर-जिला नैटवर्क को प्रोत्साहन देना अगला कदम होगा। सामाजिक एकजुटता तथा आजीविका उत्पादन के लिए इस समय जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, वे व्याप्ति की दृष्टि से कुछ हद तक सीमित हैं। इसलिए सुविधा बढ़ाने के लिए मिशन जैसा दृष्टिकोण अपनाया होगा और स्वावलम्बी समूहों के आंदोलन को संस्थागत निर्माण तथा सहायता के जरिए लंबे समय तक सहारा देना होगा, जिससे इन स्वावलम्बी समूहों तथा उनके शीर्ष संगठनों के संधारणीयता प्रदान की जा सकेगी। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यक्रम के सामाजिक एकजुटता पक्ष या अभी तक पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया गया है। सामाजिक एकजुटता प्राप्त करना अपने आप में उपाय और लक्ष्य दोनों हैं। संगठित किए गए गरीबों के राजनीतिक अधिकारों के विस्तार का अत्यधिक आंतरिक महत्व होगा। जिसे सदा मापा नहीं जा सकेगा, जो थोड़े से स्वावलम्बी समूह अच्छे उद्यमियों के गुण प्राप्त कर लें, उन्हें वस्तुतः उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्वावलम्बी समूह आंदोलन जिस गति से देश भर में फैल रहा है, यह स्वर्णजयंती योजना उसके मुकाबले पिछड़ रही है।
- ऋण एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह आवश्यक है कि स्वावलम्बी समूहों को अधिक रचनात्मक रीति से अब तक की तुलना में अधिक ऋण दिए जाएं। कुल परिमाण और प्रवाह की दर की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋण उपलब्धि आंध्र प्रदेश मॉडल में राष्ट्रीय उपलब्धि की अपेक्षा

काफी अधिक रही है। इस मुद्दे पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या ब्याज संबंधी सब्सिडी को पूँजी संबंधी सब्सिडी के उपयोगिता के विकल्प के रूप में लागू करना संभव है। वित्तीय मध्यस्थता की विषय में कोई दो राय नहीं है कि कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों को बैंकों के लिए लागत प्रभावी बनाया जाए। जिन स्वावलम्बी समूहों के संघों के पास अपना निकाय (कॉर्पस) होता है, वे बिचौलियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। स्वावलम्बी समूहों को ऋण साख-योग्य बनाने की आवश्यकता को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। वित्तीय अंतःक्षेप के लिए प्राथमिकता की दृष्टि से, पहले बचत और उसके बाद जोखिम कम करना और फिर ऋण देना यही स्वाभाविक क्रम कम होगा। वित्तीय बिचौलियों के रूप में संघों का कार्य बहुत कुशलतापूर्ण होता है और यह जरूरी है कि संघों की कुशलता के आधार को सुदृढ़ करने के लिए निवेश किए जाएं। बैंकों के साथ संघों/स्वावलम्बी समूहों के बीच संस्थागत साझेदारियां प्रवर्तित करने की जरूरत है। गरीबों को अधिक मात्रा में ऋण देने के लिए एक नहीं अनेक आधारभूत रणनीतियों तथा साझेदारियों की जरूरत हो सकती है। आज देश भी माइक्रो वित्त के लिए एक बड़ी पहल करने के लिए तत्पर है। इसके अलावा, गरीबी कम करने के लिए माइक्रो वित्त की भूमिका, उपयोगिता और सुसंगतता के बारे में भी भिन्न-भिन्न विचार हैं। इस स्वर्णजयंती योजना तथा माइक्रो वित्त मॉडलों के बीच समरसता स्थापित करने के मुद्दे पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

- उदासीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रियाओं के कारण अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप अनेक नए-नए क्षेत्र उभर रहे हैं। स्वर्ण जयंती योजना जैसे विशुद्ध स्व-रोजगार कार्यक्रम के लिए गरीबी के सभी पक्षों को अपनी पकड़ में लेना शायद संभव न हो। विशुद्ध रूप से किसी परिवार की आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बीपीएल) परिवार यह चाहेंगे कि उनमें से कम से कम एक सदस्य अवश्य मजदूरी कमाने वाला हो, जिससे कि परिवार का काम निश्चित रूप से चल सके। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि स्वर्णजयंती योजना के एक भाग के अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल संवर्धन का कार्यक्रम रखा जाए, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। यह कार्यक्रम मजदूरी-कार्यक्रम और स्वरोजगार कार्यक्रम का संकर रूप होगा।
- स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत जिन विशेष परियोजनाओं से गरीबी घटाने के नए-नए और वैकल्पिक तरीके पेश करने की आशा की गई थी वे स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं ला पाई हैं। विशेष परियोजनाओं के माध्यम से अधिक मात्रा

में सब्सिडी उपलब्ध होने के कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि इस श्रेणी की अनेक परियोजनाएं बना ली गईं। अक्सर प्रस्तावित कार्यकलाप संबंधित क्षेत्रों के तदविषयक विभागों की भिन्न-भिन्न योजनाओं द्वारा निधि पोषण के लिए पात्र होते हैं। फिर भी विशेष परियोजनाओं के माध्यम से परियोजनागत प्रस्तावों के लिए निधियां मांगी जाती हैं। राज्य और अन्य एजेंसियां इन प्रस्तावों को मंजूर कराने के लिए भरसक प्रयत्न करती हैं जब तक कि परियोजना मंजूर नहीं हो जाती, लेकिन परियोजना की मंजूरी के बाद उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई नजर नहीं रखी जाती। अब तक 231 विशेष परियोजनाएं मंजूर की गईं, जिनमें से 29 परियोजनाएं ही पूरी हुई हैं। चूंकि 27 परियोजनाओं का कार्य निष्पादन ठीक नहीं रहा है इसलिए स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना घटक को चालू रखना उचित प्रतीत नहीं होता। अब तक राज्यों द्वारा विशेष परियोजनाओं की मंजूरी के मामले में भी बहुत अधिक असमानताएं नहीं हैं।

अग्रवर्ती मार्ग-11वीं योजना के लिए रणनीति

4.67 स्वर्णजयंती ग्राम योजना (एसजीएसवाई) के लिए 11वीं योजना की रणनीति में निश्चित रूप से उस सम्पूर्ण अनुभव आदि का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए, जो देशभर में पिछले कुछ वर्षों से चलाए जा रहे स्वावलम्बन आंदोलन में प्राप्त किया जा सका है और उस उपलब्धि को इस कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही, इस स्वर्ण जयंती योजना कार्यक्रम के जो कुछ पक्ष वांछित परिणाम नहीं दे सके हैं, उन पर फिर से दृष्टिपात किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें छोड़ देना चाहिए।

4.68 एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, जिसकी जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है वह है उसका सांस्थानिक तंत्र, जो गरीबी कम करने के कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए खड़ा किया गया था। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (डीआरडीए) के पास उनके रूप और विषयवस्तु को देखते हुए, लगता है, गरीबी जैसे जटिल मुद्दे से निपटने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इस समय, जो प्रशासनिक ढांचा है वह भी गरीबी जैसी भारी समस्या को, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत व्यापक है और सामाजिक दृष्टि से बहुत जटिल है, सुलझाने के लिए सक्षम नहीं है और इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक भिन्न प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रबंध के लिए मंत्रालय के बाहर एक राष्ट्रीय एजेंसी स्थापित की जाए, जो इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को सतर्कता के साथ व्यापक रूप से पूरा कर सके। राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी एजेंसी, जिसका प्रशासनिक ढांचा लचकदार हो, और

जो गरीबी हटाने के प्रयत्नों के लिए बेहतर योजना बना सके, और उनका समन्वय और कार्यान्वयन कर सके, स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर जितना भी बल दिया जाए थोड़ा होगा। यह राष्ट्रीय स्तर का अभिकरण इस संपूर्ण कार्यक्रम का मुख्य अवलंब होगा और आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता तथा क्षमता प्रदान करेगा। इसके बाद, राज्य सरकारों के स्तर पर भी कार्यात्मक निकाय होंगे। इस संगठन में ऐसे व्यक्ति रखे जाएंगे, जो गरीबी निवारण के कार्य के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध होंगे। इसके साथ ही निधियां उपलब्ध कराने से पहले राज्य सरकारों से भी यह वचन लिया जाएगा कि वे इन अधिकारियों को एक न्यूनतम कार्यकाल तक और कहीं नहीं भेजेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकारों से यह वचन एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से लिया जाएगा। यह प्रशासनिक ढांचा तत्त्वतः एक सोसाइटी होगा, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ा होगा। राष्ट्रीय संगठन राज्यों द्वारा संशोधित स्वर्ण जयंती ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित गरीबी उन्मूलन एजेंसियों के साथ इस संपूर्ण कार्य का समन्वय करेगा। यह संगठन देशभर में चल रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और रणनीतियों के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करेगा और फिर सूचना वितरण केन्द्र के रूप में उसका वितरण भी करेगा। यह संगठन राज्य सरकारों को युक्तियुक्त फार्मूलू के आधार पर धनराशियां उपलब्ध कराएगा। वह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न करेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर स्थापित किए गए संगठन सुव्यवस्थित रूप से, गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रमुख विषयों, जैसे आजीविका उत्पादन, क्षमता निर्माण, कौशल उन्नयन, ऋण दान, अंतरराष्ट्रीय सहायता आदि के संबंध में कार्यवाही करेंगे।

4.69 विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों और सबकों को ध्यान में रखते हुए, संशोधित एसजीएसवाई कार्यक्रमों का लक्ष्य गरीबों की ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना और सुदृढ़ करना होगा, जो सदस्यों के स्वामित्व में, सदस्यों द्वारा नियंत्रित और सदस्यों द्वारा ही प्रबंधित होंगी और जो गरीबों के गुजारे के लिए आजीविका और बेहतर जीवन स्तर की व्यवस्था करेंगी। ये संस्थाएं अपने सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार अनेक प्रकार की सेवाएं देंगी। संशोधित योजना गरीबों में से ही कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक बड़ा संवर्ग तैयार और पोषित करेगी, जो सतत आधार पर गरीबों की संस्थाओं को सहारा देने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। गरीबों को इस प्रकार संगठित करने का दृष्टिकोण इस सोच पर आधारित है कि स्वयं गरीब लोगों में गरीबी से बाहर निकलने की उत्कृष्ट इच्छा और अव्यक्त क्षमता है। उनमें अपने आपको सहायता देने की अत्यधिक शक्ति मौजूद है और सदस्यों को संगठित करके प्रत्येक सदस्य की संभावित

क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। समाज में एकजुटता लाकर गरीबों को अपने ऐसे संगठन बनाने के लिए योग्य बनाया जा सकता है, जिनमें वे पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से भाग लें और गरीबी उन्मूलन संबंधी सभी मुद्दों पर निर्णय लें।

4.70 इस समय स्वावलंबी समूहों को एक ग्रेडबद्ध प्रणाली के अनुसार धनराशियां दी जाती हैं, इस तंत्र की भी व्यापक रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है। वर्तमान योजना के अंतर्गत ग्रेड-1 के स्वावलंबी समूहों को 10,000 रु0 तक की आवर्ती निधि प्राप्त करने का हक है, इससे उन्हें किसी वित्तीय संस्था से नकद ऋण प्राप्त करने का हक भी मिल जाएगा। ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के बीच संघर्षण की दर यह इंगित करती है कि बहुत से स्वावलंबी समूह आवर्ती निधि प्राप्त करने के बाद बीच में ही तितर-बितर हो जाते हैं और जो स्वावलंबी समूह ग्रेड-2 अवस्था पार कर लेते हैं, उन्हें सब्सिडी सहायता प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। ऐसे स्वावलंबी समूहों में से लगभग 3 लाख समूह ऐसी सहायता पाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली ऋण राशि भी बहुत ही कम होती है। लगभग 50% समूहों द्वारा ही समग्र ऋण लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजी संबंधी सब्सिडी की व्यवस्था में अधिक ऋण प्रवाह की गुंजाइश सब्सिडी की हकदारियों के कारण बहुत कम होती है। केवल एक आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्वावलंबी समूहों को दिए गए ऋण की मात्रा एसजीएसवाई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ऋण उपलब्धि की तुलना में अधिक है। इस संबंध में गंभीर रूप से छानबीन करने की आवश्यकता है।

4.71 स्वावलंबी समूहों को उनकी संख्या और विस्तार क्षेत्र के अनुसार ग्राम या ग्राम समूह (क्लस्टर) अथवा ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग संघों के रूप में सबल एवं सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ये संघ संबंधित राज्य में स्थित सर्वाधिक उपयुक्त अधिनियमों (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, राज्य सहकारी अधिनियम न्यास, परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी सोसाइटी अधिनियम या पारस्परिक हित न्यास) के अंतर्गत पंजीकृत औपचारिक संगठन होंगे। संस्था निर्माण का दूसरा चरण स्वावलंबी समूहों का संघ बनाना है, यह संघ ग्राम या ग्राम समूह के स्तर पर बनाया जा सकता है। ग्राम स्तरीय संघ (वीएलएफ) एकात्मिकता दर्शाने, गरीबी संबंधी विभिन्न मुद्दों के विषय में सामूहिक कार्रवाई करने और सूचना, तकनीकी सहायता तथा झगड़ों के समाधान के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये संघ गांव में गरीबों की समस्याओं के बारे में आवाज उठाने, अनुभवों तथा विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त सूचनाओं का आदान-

प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करते हैं और गरीबी घटाने के लिए उपयुक्त विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिए संसाधन जुटाते हैं। ये शेयर पूँजी, सदस्यता शुल्क, बचत, ब्याज का लाभ तथा जुमाने आदि इकट्ठे करके आमदनी बढ़ाते हैं और 3-4 सालों में वे वित्तीय दृष्टि से चलने लायक हो जाते हैं। ग्राम स्तरीय संघों के प्रस्तावों के आधार पर, जिला स्तरीय एजेंसी आगे स्वावलंबी समूहों को उधार देने के लिए निधि मंजूर करती है। जब ग्राम स्तरीय संघ एक निश्चित स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं तब ब्लॉक स्तरीय संघ का प्रवर्तन किया जाता है। ब्लॉक स्तरीय संघ सभी ग्राम स्तरीय संघों तथा स्वावलंबी समूहों को सुदृढ़ता प्रदान करता है। वह सभी बीपीएल परिवारों को स्वावलंबी समूहों की परिधि में लाने, स्वावलंबी समूहों और ग्राम स्तरीय संघों की क्षमता का निर्माण करने, आवश्यक नीतियां तैयार करने और संस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसे कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

4.72 तथापि, मौजूदा कार्यक्रम को सबल बनाने के उद्देश्य से, आवंटनों को इस प्रकार क्रमबद्ध करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, कि आगे जब तक एसजीएसवाई योजना के लिए आवंटनों में वृद्धि की जाए तो वह मांग-चालित मॉडल पर आधारित हो और इसके साथ ही राज्य सरकार यह वचन दे कि वह गरीबों के लिए संस्थाएं बनाएगी, कार्यान्वयन तंत्र की व्यवस्था करेगी और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी द्वारा निर्धारित परिवारों का पालन करेगी, आदि। एसजीएसवाई योजना को आवंटित वर्तमान राशियां शेष योजना अवधि में धीरे-धीरे समाप्त की जा सकती है, जिससे योजना की अवधि के अंत में इस योजना का नया रूप पूरी तरह काम करने लगेगा।

4.73 भूमंडलीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाओं के कारण अर्थव्यवस्था में जो अवसर उभर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए, एसजीएसवाई योजना का एक नया उप कार्यक्रम शुरू किया जाए; उसे नियोजन-संबद्ध संवर्धन कार्यक्रम कहा जा सकता है। एसजीएसवाई के बारे में रेड्डी लैब्स के कार्य के बारे में और हाल में आईएल एंड एफएस के बारे में मंत्रालय को जो अनुभव हुआ है वह यह कि वे संस्थानीकरण और प्रणालीगत कार्रवाई के लिए सुयोग्य मॉडल हैं। इस हेतु जिन क्षेत्रों पर दृष्टिपात किया जा सकता है, वे हैं — कपड़ा, चमड़ा, रत्नाभूषण, खुदरा श्रृंखलाएं आदि, जहां पर प्रशिक्षित श्रमिकों की आपूर्ति कम है। आंतरिक कार्यक्रमों के उपयोग, विशिष्ट पाठ्यचर्या के विकास द्वारा कौशल निर्माण, स्वतंत्र प्रत्यायन और नियोजन आदि इस प्रक्रिया के आवश्यक घटक हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि पुनरीक्षित एसजीएसवाई कार्यक्रम में कौशल संबंधी कार्यक्रम के एक निश्चित घटक को शामिल किया जाए।

बेघर लोगों के लिए ग्रामीण आवास

4.74 आवास यानी रहने के लिए घर मनुष्य की एक बुनियादी जरूरत है। सिर पर कोई छत हो तो निराश्रय व्यक्ति को एक आवश्यक परिसम्पत्ति मिल जाती है, और उससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति सुधर जाती है।

4.75 आवास के महत्व को हमेशा से स्वीकार किया जाता रहा है और एक मानव अधिकार के रूप में आवास-व्यवस्था को मानव अधिकारों की विश्वजनीन घोषणा द्वारा काफी समय पहले 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। इस घोषणा का अनुच्छेद 25 यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा जीवन-स्तर जीने का अधिकार है, जो उसके अपने, उसके परिवार के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए उपयुक्त हो, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास भी शामिल हैं।

4.76 सन् 1966 के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद- 11 में भी प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति और उसके परिवार के लिए समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार को मान्यता दी जाए। इस अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा, और आवास प्राप्त करने और अपनी जीवन दशा को लगातार सुधार करने का अधिकार शामिल है। इस प्रसंविदा में आगे पक्षकार राज्यों को यह भी कहा गया था कि वे इस अधिकार को प्रदान या कार्यान्वित करने के लिए समुचित कदम उठाएं।

4.77 भारत ने भी "सबके लिए आवास (घर)" के सपने को साकार बनाने की दिशा में कदम उठाए। 1996 के मुख्यमंत्री सम्मेलन ने बुनियादी न्यूनतम सेवा (बीएमएस) कार्यक्रम की सिफारिश की। जिन सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को प्राथमिकता दी जानी थी, उनमें से एक थी — सभी आश्रयहीन (बेघर) गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता की व्यवस्था। फलस्वरूप, बीएमएस कार्यक्रम नौवीं पंचवर्षीय योजना का एक अंग बन गया और ये बुनियादी न्यूनतम सेवाएं हर व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए समन्वित प्रयास प्रारम्भ किए गए। तदनंतर, 1998 में राष्ट्रीय आवास और निवास नीति बनाई गई, जिसका अंतिम उद्देश्य सभी नागरिकों को आश्रय और जीवन का बेहतर स्तर सुनिश्चित करना था।

इंदिरा आवास योजना

4.78 वैसे तो भारत सरकार ने, जो सबसे पहला आवास कार्यक्रम हाथ में लिया था, वह देश के विभाजन के तुरन्त बाद शरणार्थियों/विस्थापितों के पुनर्वास के लिए था, पर सरकार ने आगे चलकर 1 जनवरी, 1996 से इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नाम से एक बड़ी आवास योजना स्वतंत्र रूप से हाथ में ली।

4.79 अपने वर्तमान रूप में, इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक सबसे लोकप्रिय योजना है और उसने ग्रामीण लोगों के दिल में एक आशा की किरण जगा दी। इसकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है कि इससे योजना के लाभग्राहियों में स्वयं अपना घर बनाने की ललक जागृत हो गई। राज्य सरकार की भूमिका तो केवल इसी बात तक सीमित है कि वह स्थानीय, कम लागत वाली, पर्यावरण अनुकूल और आपदा-रोधी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान करती है और स्वच्छ शौचालय तथा धूआँ रहित चूल्हों के निर्माण को भी प्रोत्साहित करती है। कोई डिजाइन या प्रौद्योगिकी निर्धारित नहीं की गई है और ठेकेदारों को भी योजना में शामिल नहीं किया गया है। धनराशियाँ सीधे लाभग्राहियों को किस्तों में प्रदान की जाती हैं और सहायता में कोई ऋण अंश शामिल नहीं होने के कारण धनराशि ठीक समय पर जारी की जा सकती है। लाभग्राहियों स्वयं अपनी जरूरत तथा पसंद के अनुसार डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी चुनते हैं। यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि लाभग्राहियों बड़ी संस्था में अपने बनाए घरों में रहते हैं और संतुष्ट हैं, जैसा कि मूल्यांकन अध्ययनों से पता चलता है।

4.80 इंदिरा विकास योजना एक संपूर्ण सब्सिडी आश्रित योजना है, इसलिए इसके बारे में कुछ लोगों द्वारा इसकी आलोचना भी की जाती है, किन्तु अनुभव यह दर्शाता है कि आवास काफी हद तक समय पर ही तैयार हो जाते हैं। यदि ऋण इस सहायता का अवयव हुआ होता तो यह बात नहीं होगी। इसके अलावा, मैदानी इलाकों में प्रति घर 25,000 रु० और जनजातीय तथा पहाड़ी इलाकों में प्रति घर 27,500 रु० की इकाई सहायता पर्याप्त नहीं होती और हिताधिकारियों को अपना घर पूरा बनाने के लिए स्वयं श्रम के रूप में ही सही अपना योगदान देना होता है। यह सहभागिता इस योजना को और भी अधिक सार्थक बना देती है।

4.81 इंदिरा आवास योजना की निधियों का भार केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाता है। राज्यों को आवंटित केन्द्रीय बजट में आवास की कमी को 75% और गरीबी अनुपात को 25% महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार, जिला आवंटन में आवास की कमी को 75% महत्व और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को 25% महत्व दिया जाता है। पारदर्शिता को लागू करने के लिए हिताधिकारियों का चयन, जो पहले ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जाता था, अब इंदिरा आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूचियों में से किए जाने की आशा है। ये सूचियाँ सन् 2002 की बीपीएल जनगणना के अंतर्गत परिवारों को दिए गए दर्जे के आधार पर तैयार की गई हैं। इसके अलावा, इस योजना की 60% राशियाँ एससी/एसटी लोगों के लिए, 3% विकलांगों के लिए और 15% अल्पसंख्यकों के लिए

निर्धारित की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी आवास (घर) अकेले स्त्रियों के नाम पर अथवा संयुक्त रूप से पति के साथ स्त्रियों के नाम पर मंजूर किये जाएंगे। योजना के उपबंधों से निश्चित रूप से कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचा है और इससे सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने में सफलता मिली है।

आवासों की पर्याप्तता और निराश्रयता की समस्या का समाधान

4.82 मकान को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्रियों के आधार पर, आवासों/घरों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनेक श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे पक्के घर (जिनकी छतें और दीवारें पक्की/स्थायी सामग्रियों से बनी हों), अध-पक्के घर (दीवारें या छतों में से कोई स्थायी सामग्री से बनी हो और दूसरी अस्थायी सामग्री से), अस्थायी घर (छतें और दीवारें सभी ऐसी सामग्री से बनी हों, जिसे बार-बार बदलने की जरूरत हो), सेवाई-योग्य अस्थायी घर (दीवारें गारे, बिना पकी ईंटों या लकड़ी से बनी हों) और गैर-सेवाई-योग्य अस्थायी घर (दीवारें व छप्पर घास-फूस, बांस, प्लास्टिक आदि की बनी हों)।

4.83 हाल की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि पक्के घरों की संख्या बढ़ रही है। तथापि, कच्चे घरों की संख्या 2.65 करोड़ है। कमी का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण संकुलन यानी भीड़भाड़ है (10.18 करोड़ घर)।

4.84 जहां तक इंदिरा आवास योजना का संबंध है, 11वीं योजना में मुख्य रूप से ध्यान गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब लोगों पर केन्द्रित किया जाएगा, लेकिन साथ ही शेष कमी को भी अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसलिए इंदिरा आवास योजना के प्रयोजनों के लिए, (1) बेघर और (2) गैर-सेवाई योग्य कच्चे घरों के कारकों के कारण उभरती हुई कमी से भी निपटने का प्रयत्न किया जाएगा। इन सब कारकों के चलते, आवास की कमी का अनुमान, जो 2001 में 148.6 लाख घरों का था, वह 2007 के लिए 159.5 लाख घर हो गया। इसलिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 11वीं योजना के लिए लगभग 150 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखना होगा।

प्रमुख मुद्दे और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

इंदिरा आवास योजना

(i) लाभार्थियों का चयन

4.85 यद्यपि लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाना था, अध्ययनों से पता चला है कि हिताधिकारियों में से 25% से 50% तक लोग ग्रामसभाओं के माध्यम से नहीं चुने जा

रहे हैं। इसके अलावा, पंचायतों में किया जाने वाला चयन और आवंटन भी पंचायती राज संस्थाओं/विधानसभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा प्रभावित किया जाता रहा है। लाभार्थियों में से जो लोग अधिक वाचाल या सक्रिय होते हैं, वे चयन की प्रक्रिया को प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटन सीमित होता है। इस प्रक्रिया में गरीबों में से सबसे गरीब परिवार बाहर रह जाते हैं, और गैर-बीपीएल परिवार भी इस योजना के अंतर्गत घर पाने के लिए अपना चयन करवाने में सफल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चयन के मामले में रिश्वत लिया जाना भी एक शिकायत है, जो अनेक अध्ययनों के जरिए अक्सर सुनने में आई है। एक बात और भी है, जिन लाभार्थियों के पास घर बनाने के लिए जगह होती है, वे ही चुने जाते हैं, और इस प्रकार, जो लोग बहुत गरीब होते हैं और जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं होता वे इस योजना के अंतर्गत विचार क्षेत्र से बाहर रह जाते हैं। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि ऐसे लोग ही सबसे अधिक कमजोर होते हैं। 140 लाख बेघर लोगों में से कोई 80 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है अथवा जो दूसरों (जैसे, भूमि के मालिकों, सरकार आदि) की जमीनों पर बनाए गए घरों में रहते हैं। इंदिरा आवास योजना का ध्यान बेघर लोगों पर केन्द्रित होना चाहिए (उदाहरण के लिए, सहारिया, मुशर जैसे समुदाय, तथाकथित अधिसूचित जनजातियों की सूची से बाहर निकाले गए लोग, नहरी बांधों या सड़कों पर रहने वाले लोग और अन्य ऐसे लोग, जो सामाजिक सीढ़ी के सबसे नीचे के पायदान पर हैं)।

4.86 यदि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची बना ली जाए, तो अधिक सही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इन प्रतीक्षा सूचियों को सन् 2002 की पीपीएल जनगणना के अंतर्गत परिवारों को दिए गए अंकों पर आधारित करना होगा। इससे पारदर्शिता में वृद्धि हो सकती है और रिश्वतखोरी की समस्या का भी समाधान हो सकता है। जहां तक भूमिहीनों को भूखंड और घर (घर की जमीन) दिए जाने का सवाल है, राज्य सरकार और पंचायतें, दोनों, इस कार्य में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित की जाएं। राज्य सरकारों को प्रोत्साहन तथा पंचायतों को समुचित शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है।

(ii) इकाई लागत की पर्याप्तता

4.87 निर्माण के लिए नकद सहायता अपर्याप्त होने के परिणामस्वरूप, आवास की गुणवत्ता घटिया किस्म की रही है, आपदा-संभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सका है, और हिताधिकारियों को अपना पक्का घर पूरी तरह बनाने के लिए पैसा उधार लेना पड़ा है, जिससे वे कर्ज के जाल

में फंस गए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए गए हैं, जिनमें निर्माण का स्तर घटिया था, मकान की नींव बैठ गई थी, छत बनाने के लिए अस्थायी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था, अथवा अपर्याप्त वित्त के कारण मकान बनाने के काम को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। यहां तक कि श्रम के रूप में अपना योगदान करने और स्थानीय स्रोतों से पैसा उधार लेने के बाद भी बहुत से परिवार पूर्ण रूप से अपना घर नहीं बना सकते और अधिकांश घर, बिना लिपाई-पुताई या फर्श के, अधूरे रह जाते हैं।

4.88 अतः मैदानी इलाकों के लिए इकाई लागत के वर्तमान 25000 रु के स्तर को और पहाड़ी इलाकों के लिए इकाई लागत के वर्तमान 27500 रु के स्तर को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है।

(iii) संरचनात्मक सुविधाएं और आधारभूत ढांचे की व्यवस्था

4.89 अध्ययनों से पता चला है कि इंदिरा आवास योजना के लगभग 50% घरों में ही स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था है और इससे भी कम प्रतिशत घरों में धूआं-रहित चूल्हे लगाए गए हैं। यह एक गंभीर समस्या है। 10 लाख से भी ज्यादा औरतें और बच्चे घर के भीतर धूआं-भरा सांस खींचने के कारण श्वासनली के संक्रमण से पीड़ित ही नहीं बल्कि उनमें से बहुत से तो ऐसे संक्रमणों के कारण मौत के मुँह में भी चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत विश्व के उन देशों में से एक है, जहां की बहुत अधिक जनसंख्या के पास मल-मूत्र निपटाने का कोई स्वच्छ साधन नहीं है (हालांकि यहां संपूर्ण स्वच्छता अभियान है, जो भारत निर्माण के कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता से चलाया जा रहा है)। इंदिरा आवास योजना जैसे केन्द्रीय सरकार के अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत बनाए जाने वाले घरों में तो धूआं-रहित चूल्हे और स्वच्छ शौचालय बनने ही चाहिए।

4.90 नए घर बन जाने के बाद भी शायद जीवन स्तर में वांछित सुधार न हो, जब तक कि मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था न की जाए। मूलभूत सुविधाओं के न्यूनतम स्तर के अंतर्गत आंतरिक सड़क, जल-मल निकासी, जल आपूर्ति के लिए पानी के नल जैसी सुविधाएं, आवास की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य योजनाओं की सहायता के माध्यम से मुहैया की जानी चाहिए।

(iv) स्वामित्व संबंधी मुद्दे

4.91 यह पाया गया है कि घर-जमीन का पट्टा आमतौर पर परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर होता है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत आवंटन द्वारा औरतों को जो हितलाभ होता है, वह योजना की मंजूरी के प्रयोजन तक ही सीमित रहता है। इसलिए औरतों के नाम पर स्वामित्व होने की स्पष्ट व्यवस्था करने के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य करने की जरूरत है।

अन्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

4.92 इंदिरा आवास योजना के अलावा, राज्यों के पास गरीबों के लिए ग्रामीण आवास निर्माण के और भी अनेक कार्यक्रम होते हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत में बकाया आवासहीनता को दूर करने और अस्थायी तथा गैर-सेवाई योग्य घरों के स्थान पर पक्के घर बनाने का बकाया काम तो चलता ही रहेगा। उसके साथ-साथ राज्यों को अन्य उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेनी चाहिए। इसके लिए सही किस्म के अंतःक्षेपी कार्यक्रम चलाना जरूरी होगा, ताकि आश्रयहीनता की समस्या का समाधान लक्षित समय में पूरा किया जा सके। इसलिए महत्वपूर्ण निम्नलिखित हस्तक्षेपों का सुझाव दिया जाता है —

- प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे ग्रामीण जनता को अधिकाधिक मात्रा में ऋण दें। इसके साथ ही स्वावलंबी समूहों के मौजूदा संस्थागत तंत्र और माइक्रो-वित्तीय संस्थाओं को भी इस कार्य में सक्रिय रूप से साथ लेकर ग्रामीण जनता को ऋण राशियां दिलवाई जाएं।
- ग्रामीण परिवारों की वापसी अदायगी के चक्र को सुचारु बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से नए-नए, लचीले वित्तीय उत्पाद प्रोत्साहित किए जाएं, जिससे कि ग्रामीण आवास निर्माण के लिए संस्थागत ऋण देने में अधिकाधिक व्यापकता लाई जा सके।
- छोटे और मध्यम दर्जे के विकासकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस हेतु पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव का आवश्यक आकलन करने और पंचायती राज संस्थाओं से अनुमति प्राप्त करने के बाद कारोबार की मात्रा तथा राजस्व संबंधी प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जा सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जोखिम की आशंका को दूर करने के लिए संस्थागत तंत्रों का निर्माण किया जाए।
- जहां तक निधि व्यवस्था तथा रिआयतों का संबंध है, आवास निर्माण को ग्रामीण आधारभूत ढाँचे के समकक्ष माना जाए, जिससे कि इस क्षेत्रक में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

4.93 उपर्युक्त बहु-आयामी दृष्टिकोण तथा महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के आधार पर कुछ विशिष्ट कदम उठाए जा सकते हैं, जिनकी सूची नीचे दी जा रही है—

- इंदिरा आवास योजना की निधि प्रत्यक्ष रूप से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) को आगे संवितरण के लिए

प्रदान की जाती है। लेकिन यह देखने में आया है कि लाभार्थियों को धनराशि के वितरण में एकरूपता नहीं होती। इस प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए और हिताधिकारियों को जल्दी से सहायता का वितरण करने के लिए, जिससे कि निर्माण कार्य की प्रगति तेज हो सके, जिला स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को यह सलाह दी जाए कि वे जहां तक हो सके सहायता की राशि को बैंक खातों में जमा कराकर, लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता राशि का वितरण करें।

- लाभार्थियों के चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों ने या तो इंदिरा विकास योजना के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दे दिया है अथवा दे रही है जिससे कि गरीबों में से सबसे गरीब परिवार को पहला मौका मिले। तदनंतर, कार्यान्वयन एजेंसियां सामाजिक लेखा परीक्षा की एक प्रणाली लागू करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों का उचित उपयोग हो रहा है और निधियों की कोई चोरी या धोखाधड़ी नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य इस योजना के लाभार्थियों का एक डाटाबेस भी तैयार कर सकते हैं, और उसे लाभार्थियों की सूचना के लिए वेबसाइट पर रख सकते हैं।
- यह एक संतोषजनक अनुभव है कि अनेक राज्य सरकारें गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के प्रयत्नों की अनुपूर्ति के लिए राज्य संचालित योजनाएं पहले से ही कार्यान्वित कर रही हैं। फिर भी मांग और आपूर्ति के बीच अभी तक भारी अंतर मौजूद है। इसलिए ग्रामीण गरीबों के लिए आवास की कमी को पूरा करने के लिए, जिन राज्यों ने अबतक अपनी कोई योजना प्रारम्भ नहीं की है, उन्हें अपनी राज्य संचालित योजनाएं चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- गरीबों को आश्रय देने के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अब तक यद्यपि 164 लाख घर बनाए जा चुके हैं, फिर भी गरीबों में सबसे गरीब परिवारों को संभवतः अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती। सामाजिक और आर्थिक समन्याय प्रदान करने के लिए इन लोगों तक पहुंचना जरूरी है। राज्य को चाहिए कि वह जमीन प्राप्त करके ऐसे भूमिहीनों को घर बनाने के लिए भूखंड वितरित करे। इसके लिए आवश्यक निधियां सरकार द्वारा दी जा सकती हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आवास सहायता संघ (कंसोर्टियम)

4.94 छोटे और सीमांत किसानों, छोटे ग्रामीण कारीगरों तथा शिल्पियों, स्वरोजगार करने वाले लोगों आदि के लिए ग्रामीण आवास हेतु समन्याय और ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एनएचबी, नाबार्ड, राष्ट्रीयकृत तथा प्रमुख वाणज्यिक बैंकों एवं शीर्ष माइक्रो-वित्तीय संस्थाओं जैसे आधारभूत संगठनों का एक सहायता संघ (कंसोर्टियम) बनाया जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस कार्य के लिए प्रमुख सुविधाकर्ता की भूमिका अदा कर सकता है।

ऋणदाता संस्थाओं को प्रोत्साहन देना

4.95 इस समय, एनबीएच (नैशनल हाऊसिंग बैंक) के साथ पंजीकृत आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसीज) को आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत यह अनुमति मिली हुई है कि वे दीर्घावधिक बंधक वित्त-पोषण (पांच साल से अधिक अवधि के लिए दिए गए बंधक ऋणों) के माध्यम से अर्जित आय के 40% तक भाग से एक विशेष आरक्षित निधि बना सकते हैं। किंतु यह राजकोषीय प्रोत्साहन बैंकों को उपलब्ध नहीं है, जो कि आवास वित्त पोषण के बाजार में फिलहाल सबसे आगे हैं। इस समय, बैंकों और आवास वित्त कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले समस्त आवास ऋणों में से केवल 10-12 %भाग ही ग्रामीण आवास ऋणों के रूप में दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की राशि को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस उपबंध के अंतर्गत निर्धारित सीमा को आवास वित्त कम्पनियों, बैंकों और एनएचबी के लिए 40% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 60% कर दिया जाए। यह जो 20% की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए उसका उपयोग अनन्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए ही किया जाए। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकों को भी, आवास वित्त कम्पनियों की तरह ही, ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घावधिक बंधक वित्तपोषण के लिए विशेष आरक्षित निधि बनाने की अनुमति दी जाए। इस कार्यवाही से बैंक तथा आवास वित्त कम्पनियां ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए, खुलकर ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। स्वावलम्बी समूहों और माइक्रो वित्त संस्थाओं को भी, आवास ऋण देने के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

"हुडको" की भूमिका

4.96 शहरी आवास एवं विकास निगम (हुडको) ने ग्रामीण आवासों के निर्माण सुधार या स्तरोन्नयन के लिए सहायता देकर अपना ग्रामीण आवास कार्यक्रम 1977-78 से शुरू किया था। ग्रामीण आवास व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत "हुडको" राज्य सरकारों तथा उनके आवास बोर्डों, जिला, तालुका

और पंचायत विकास बोर्डों जैसी उनकी एजेंसियों को, जो राज्य सरकार द्वारा आवास योजनाएं चलाने के लिए अधिकृत होती हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं।

4.97 हुडको का सामान्य ग्रामीण आवास कार्यक्रम मोटे तौर पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए है (जिनकी परिवार की मासिक आय 2500 रु से कम हो)। ग्रामीण क्षेत्रों में "हुडको" द्वारा निम्नलिखित तीन प्रकार की योजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं —

- (1) भूमिहीन व्यक्तियों के लिए ईडब्ल्यूएस ग्रामीण आवास याजनाएं।
- (2) भूमि के मालिक व्यक्तियों के लिए ईडब्ल्यूएस ग्रामीण आवास योजनाएं, और
- (3) ग्राम आबादी योजना जिसमें घर की मरम्मत शामिल है।

4.98 पहली दो योजनाओं के अंतर्गत प्रति आवास इकाई के लिए लागत सीमा 60,000 रु रखी गई है। परियोजना की लागत के 90% भाग या 40,000 रु, दोनों में से जो भी कम हो, के लिए अधिकतम वित्तपोषण की व्यवस्था की जा सकती है। पहली योजना के अंतर्गत, हुडको राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त आवास स्थल (प्लॉट) दिए जाने के कार्य में यह सहयोग देता है कि वह उन्हें नीची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। तीसरी योजना के अंतर्गत मौजूदा घर को सुधारने और सफाई, जलनिकासी, जल आपूर्ति, संपर्क सड़कों आदि की व्यवस्था करके चारों ओर के इलाकों के पर्यावरण में सुधार करने के लिए वित्त की व्यवस्था की जाती है। हुडको की अधिकांश मंजूरीयां दूसरी योजना से संबंधित होती हैं।

4.99 पिछले 28 वर्षों के दौरान, हुडको ने (31 मार्च 2006 तक) कुल मिलाकर 2,472 योजनाएं मंजूर की हैं, जिनके अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में 86.11 लाख आवास इकाइयां बनाने के लिए 5,807 करोड़ रु का ऋण मंजूर किया गया। हुडको की भूमिका को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए निर्माण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उसकी सेवाओं की व्यवस्था करने की तत्काल आवश्यकता है।

4.100 11वीं योजना के लिए आंतरिक रूप से 26,882 करोड़ रु के आवंटन (वर्तमान कीमतों पर) की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक संरक्षण-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और संबद्ध कार्यक्रम

4.101 भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, कार्य, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रुग्णता और विकलांगता

के मामलों में और अवपूरित आवश्यकता के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगा। सामाजिक संरक्षण से तात्पर्य है अवपूरित मांग के सभी मामलों में सार्वजनिक सहायता। इसके अंतर्गत गरीबों और बेसहारा लोगों की मानवीय सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है।

4.102 भारत में सर्वप्रथम 15 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को, वृद्धावस्था में, परिवार में रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, और गरीब औरतों को प्रसूतिकाल में सामाजिक सहायता से लाभान्वित करना था। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण गरीबों को किंचित मान-सम्मान और सहारा दिया जाए, जिससे कि उन्हें समुदाय की ओर से न्यूनतम स्तर की देखभाल और ध्यान मिल सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक सहायता पैकेज को गरीबी कम करने और बुनियादी जरूरतें मुहैया करने की योजनाओं से जोड़ने का अवसर भी मिलता है। यह एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है जिसके लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (डीआरडीएज) विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के निकट सहयोग से इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण करती हैं। इस कार्यक्रम में ये तीन योजनाएं शामिल हैं, अर्थात्, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस), राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (एनएफबीएस), और राष्ट्रीय प्रसूति हितलाभ योजना (एनएमबीएस)।

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत, 75 ₹0 प्रतिमास की वृद्धावस्था पेंशन उन बेसहारा व्यक्तियों को दी जाती थी, जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक थी। अब इस राशि को वर्ष 2006-07 से बढ़ाकर 200 ₹0 प्रतिमास कर दिया गया है। गरीब लोगों तथा राज्य सरकारों ने इस योजना में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली है। कुछ राज्य तो अपनी ओर से भी इतनी ही राशि (200 ₹0) वृद्धावस्था पेंशन के रूप में दे रहे हैं और कुछ अन्य राज्य इस योजना के व्याप्ति क्षेत्र का विस्तार करके उन सभी परिवारों को इस योजना में ला रहे हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (एनएफबीएस) के अंतर्गत उस शोकाकुल परिवार को एक मुश्त 10,000 ₹0 की सहायता दी जाती है, जिसका रोजी-रोटी कमाने वाला मुख्य सदस्य (पुरुष या स्त्री) जिसकी कमाई से सारे परिवार का खर्च चलता था, मृत्यु (स्वाभाविक या दुर्घटनाजनित) को प्राप्त हो गया हो। यह योजना उन सभी पात्र व्यक्तियों पर लागू होती है, जो 18 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में हों। इस

योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए शोकाकुल परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार होना चाहिए।

- राष्ट्रीय प्रसूति हितलाभ योजना (एनएमबीएस) के अंतर्गत उन औरतों को प्रति प्रसूति 500 ₹0 अदा किए जाने की व्यवस्था है, जो गरीब परिवारों की होती हैं। यह सहायता प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए दो जीवित प्रसवों के लिए ही दी जाती है। यह लाभ उन्हीं पात्र स्त्रियों को मिलता है जिनकी आयु 19 वर्ष और उससे अधिक होती है। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों की गर्भवती स्त्रियों को पहले दो जीवित प्रसवों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पोषाहार और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एनएमबीएस योजना को वर्ष 2001-02 में परिवार कल्याण विभाग के पास अंतरित कर दिया गया और उसे एक नया नाम "जननी सुरक्षा योजना" दे दिया गया। अब यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का भाग है।

4.103 मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशें पर, "अन्नपूर्णा" नामक एक नई योजना, केन्द्र-प्रायोजित योजना के रूप में पहली अप्रैल, 2000 को प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की भोजन सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को पूरा करना है, जो पात्र होते हुए भी एनओएपीएस योजना में शामिल नहीं किए जा सके। इस अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत हिताधिकारी बनने के लिए व्यक्ति की आयु 65 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और वह एक बेसहारा व्यक्ति होना चाहिए। इस योजना के हिताधिकारियों को 10 किलो अनाज प्रतिमास मुफ्त मिलता है। अन्नपूर्णा के हिताधिकारियों की कुल संख्या एनओएपीएस यानी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के सुपात्र व्यक्तियों की कम से कम 20 प्रतिशत होनी चाहिए।

4.104 वर्ष 2001-02 तक ये योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्र-प्रायोजित योजना के रूप में प्रशासित होती रहीं और फिर वर्ष 2002-03 के दौरान, राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर, कार्यान्वयन की पसंद के बारे में अपेक्षित लचीलेपन के साथ, राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अंतरित कर दी गईं।

प्रमुख मुद्दे

4.105 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) के संबंध में किए गए अनेक अध्ययनों से यह पता चलता है कि बेसहारापन की कसौटियों को लागू करना बहुत कठिन है। बहुत से राज्यों ने तो गरीबी की रेखा को ही बेसहारापन की परिभाषा मान लिया है। तथ्यतः यह युक्तियुक्त भी है क्योंकि एक बीपीएल परिवार मुश्किल से अपना गुजर-बसर करता है, इसलिए वह एक बूढ़े आदमी को

सहारा देने की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए वृद्धावस्था पेंशन की इस योजना को वर्ष 2007-08 से बीपीएल परिवारों के उन सभी बूढ़े सदस्यों पर लागू कर दिया गया है, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो। इसके परिणामस्वरूप, अन्नपूर्णा योजना, जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल न हो सके वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलो अनाज देने की व्यवस्था करती है, उस समय तुरंत बंद हो जाएगी जब ये लाभग्राही राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की परिधि में आ जाएंगे।

4.106 राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 यह मानती है कि जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तो वह वरिष्ठ नागरिक हो जाएगा, और तब वह वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध सभी सुविधाओं और रियायतों को पाने का हकदार हो जाएगा। निःसंदेह, गरीब परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्य मुश्किल से ही कार्यबल में शामिल हो सकते हैं और इसलिए उन्हें 60 की आयु प्राप्त कर लेने पर सहारा देना, 65 वर्ष की आयु के बाद सहारा देने की अपेक्षा, अधिक उपयोगी होगा। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन लागू कर दी जाए।

4.107 एनओएपीएस योजना के अंतर्गत पेंशन की दर को हाल ही में बढ़ाकर 200 ₹ प्रतिमास कर दिया गया है। राज्य सरकारों से यह आग्रह किया गया है कि वे वृद्धावस्था के पेंशनभोगियों को अपनी ओर से भी 200 ₹ की अतिरिक्त राशि प्रतिमास और दें ताकि प्रत्येक पेंशनभोगी को कम से कम 400 ₹ प्रतिमास मिल सके। इस समय, दस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पहले से ही अपनी ओर से इन पेंशनभोगियों को 200 ₹ प्रतिमास या अधिक की अतिरिक्त राशि दे रहे हैं। अन्य राज्यों को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है, ताकि सुपात्र वृद्धों को कुल मिलाकर कम से कम 400 ₹ प्रतिमाह पेंशन मिल सके।

4.108 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को भी पात्र गरीबों की दो श्रेणियों तक बढ़ाने की जरूरत है। ये श्रेणियां हैं — गंभीर/बहुविध विकलांगता वाले व्यक्ति और विधवा स्त्रियां। इन दोनों श्रेणियों को इस सहायता की नितांत आवश्यकता

है। इसी प्रकार, अनाथों, गली के बच्चों और विपद्ग्रस्त अन्य गरीब वर्गों के भरण-पोषण के लिए भी राष्ट्रीय याजनाएं जरूरी हैं।

4.109 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (एनएफबीएस) के व्याप्ति क्षेत्र को रोटी कमाने वाले सदस्य तक सीमित न रखकर परिवार के किसी भी व्यस्क सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति तक बढ़ाना होगा।

4.110 इस समय जीवन बीमा निगम द्वारा दो प्रकार की जीवन बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे और थोड़े से ऊपर के लोगों को बीमा की सुविधा प्रदान कर रही हैं, इनके नाम हैं— "जनश्री बीमा योजना" जो ग्रामीण गरीबों के लिए है और "आम आदमी बीमा योजना", जो भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए है। इन योजनाओं के अंतर्गत बीमा का प्रीमियम केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान अनुपात में भरा जाता है, और ये परिवार हितलाभ योजना की अनुपूर्ति में, बीपीएल परिवारों के बीमा शुदा व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक मृत्यु, दुर्घटना जनित मृत्यु और विकलांगता की दशा में अधिक हितलाभ राशि देती हैं।

4.111 गरीब लोगों को सबलीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और सुविधाएं व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा, गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में उन्हें स्वास्थ्य बीमा के रूप में समुचित साधनों की भी जरूरत है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध नहीं कराए जाते।

4.112 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के निष्पादन में, केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और समुचित परिवीक्षण (मानीटरिंग) तथा मूल्यांकन संबंधी प्रयोजनों के लिए, पहले से अधिक व्यावसायिक सहायता-समर्थन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के निष्पादन तथा नीति की सतत समीक्षा के लिए केन्द्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर सलाहकार समितियां स्थापित की जानी चाहिए, जिनमें व्यावसायिक विशेषज्ञ और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य हों। सभी स्तरों पर तकनीकी सहायता समूह भी स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे इस कार्यक्रम का सुचारुरूप से कार्यान्वयन और गहन परिवीक्षण सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक 4.1
भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या और शीर्ष गणना अनुपात (समेकित रूप से)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शीर्ष गणना अनुपात				व्यक्तियों की संख्या (लाख में)			
	1973	1983	1993	2004	1973	1983	1993	2004
आंध्र प्रदेश	48.9	28.9	22.2	15.8	225.7	164.6	154.0	126.1
असम	51.2	40.5	40.9	19.7	81.8	77.7	96.4	55.8
बिहार	61.9	62.2	55.0	41.4	370.6	462.1	493.4	369.2
दिल्ली	49.6	26.2	14.7	14.7	22.8	18.4	15.5	22.9
गोआ	44.3	18.9	14.9	13.8	4.2	2.2	1.9	2.0
गुजरात	48.2	32.8	24.2	16.8	138.4	117.9	105.2	90.7
हरियाणा	35.4	21.4	25.1	14.0	38.3	29.6	43.9	32.1
हिमाचल प्रदेश	26.4	16.4	28.4	10.0	9.7	7.4	15.9	6.4
कर्नाटक	54.5	38.2	33.2	25.0	170.7	149.8	156.5	138.9
केरल	59.8	40.4	25.4	15.0	135.5	106.8	76.4	49.6
मध्य प्रदेश	61.8	49.8	42.5	38.3	276.3	278.0	298.5	249.7
महाराष्ट्र	53.2	43.4	36.9	30.7	287.4	290.9	305.2	317.4
उड़ीसा	66.2	65.3	48.6	46.4	154.5	181.3	160.6	178.5
पंजाब	28.2	16.2	11.8	8.4	40.5	28.6	25.1	21.6
राजस्थान	46.1	34.5	27.4	22.1	128.5	126.8	128.5	134.9
तमिलनाडु	54.9	51.7	35.0	22.5	239.5	260.1	202.1	145.6
उत्तर प्रदेश	57.1	47.1	40.9	32.8	535.7	556.7	604.5	590.0
पश्चिम बंगाल	63.4	54.9	35.7	24.7	299.3	318.7	254.6	208.4
छत्तीसगढ़	-	-	-	40.9	-	-	-	91.0
झारखण्ड	-	-	-	40.3	-	-	-	116.4
उत्तराखण्ड	-	-	-	39.6	-	-	-	36.0
चंडीगढ़	28.0	23.8	11.4	7.1	0.8	1.2	0.8	0.7
दादरा एवं नगर हवेली	46.6	15.7	50.8	33.2	0.4	0.2	0.8	0.8
जम्मू एवं कश्मीर	40.8	24.2	25.2	5.4	20.5	15.6	20.9	5.9
अखिल भारत	54.9	44.5	36.0	27.5	3213.4	3229.0	3203.7	3017.2

- टिप्पणी:**
1. असम के गरीबी अनुपात का इस्तेमाल सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए किया गया है।
 2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का इस्तेमाल पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए।
 3. केरल का इस्तेमाल लक्षद्वीप के लिए किया गया है।
 4. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात को चंडीगढ़ की ग्रामीण एवं शहरी गरीबी के लिए उपयोग किया गया है।
 5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोआ के व्यय वितरण को गोआ की गरीबी के आकलन हे प्रयुक्त किया गया है।
 6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण को दादरा नागर हवेली की गरीबी के आकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।
स्रोत: योजना आयोग।

स्रोत: योजना आयोग

संलग्नक 4.2
भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या और शीर्ष गणना अनुपात (ग्रामीण)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शीर्ष गणना अनुपात				व्यक्तियों की संख्या (लाख में)			
	1973	1983	1993	2004	1973	1983	1993	2004
आंध्र प्रदेश	48.4	26.5	15.9	11.2	178.2	114.3	79.5	64.7
असम	52.7	42.6	45.0	22.3	76.4	73.4	94.3	54.5
बिहार	63.0	64.4	58.2	42.1	336.5	417.7	450.9	336.7
दिल्ली	24.4	7.7	1.9	6.9	1.1	0.4	0.2	0.6
गोआ	46.9	14.8	5.3	5.4	3.2	1.2	0.4	0.4
गुजरात	46.4	29.8	22.2	19.1	94.6	72.9	62.2	63.5
हरियाणा	34.2	20.6	28.0	13.6	30.1	22.0	36.6	21.5
हिमाचल प्रदेश	27.4	17.0	30.3	10.7	9.4	7.1	15.4	6.1
कर्नाटक	55.1	36.3	29.9	20.8	128.4	100.5	96.0	75.1
केरल	59.2	39.0	25.8	13.2	111.4	81.6	56.0	32.4
मध्य प्रदेश	62.7	48.9	40.6	36.9	231.2	215.5	216.2	175.7
महाराष्ट्र	57.7	45.2	37.9	29.6	210.8	193.8	193.3	171.1
उड़ीसा	67.3	67.5	49.7	46.8	142.2	164.7	140.9	151.8
पंजाब	28.2	13.2	12.0	9.2	30.5	16.8	17.8	15.1
राजस्थान	44.8	33.5	26.5	18.7	101.4	96.8	94.7	87.4
तमिलनाडु	57.4	54.0	32.5	22.9	172.6	181.6	121.7	76.5
उत्तर प्रदेश	56.5	46.5	42.3	33.4	450.0	448.0	496.2	473.0
पश्चिम बंगाल	73.2	63.1	40.8	28.6	258.0	268.6	209.9	173.2
छत्तीसगढ़	-	-	-	40.8	-	-	-	71.5
झारखण्ड	-	-	-	46.3	-	-	-	103.2
उत्तराखण्ड	-	-	-	40.8	-	-	-	27.1
चंडीगढ़	28.0	23.8	11.4	7.1	0.1	0.1	0.1	0.1
दादरा एवं नगर हवेली	46.9	14.8	52.0	39.8	0.4	0.2	0.7	0.7
जम्मू एवं कश्मीर	45.5	26.0	30.3	4.6	18.4	13.1	19.1	3.7
अखिल भारत	56.4	45.7	37.3	28.3	2612.9	2519.6	2440.3	2209.2

- टिप्पणी:**
1. असम के गरीबी अनुपात का इस्तेमाल सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए किया गया है।
 2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का इस्तेमाल पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए।
 3. केरल का इस्तेमाल लक्षद्वीप के लिए किया गया है।
 4. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात को चंडीगढ़ की ग्रामीण एवं शहरी गरीबी के लिए उपयोग किया गया है।
 5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोआ के व्यय वितरण को गोआ की गरीबी के आकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।
 6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण को दादरा नागर हवेली की गरीबी के आकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।

स्रोत: योजना आयोग

संलग्नक 4.3
भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या और शीर्ष गणना अनुपात (शहरी)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शीर्ष गणना अनुपात				व्यक्तियों की संख्या (लाख में)			
	1973	1983	1993	2004	1973	1983	1993	2004
आंध्र प्रदेश	50.6	36.3	38.3	28.0	47.5	50.2	74.5	61.4
असम	36.9	21.7	7.7	3.3	5.5	4.3	2.0	1.3
बिहार	53.0	47.3	34.5	34.6	34.1	44.4	42.5	32.4
दिल्ली	52.2	27.9	16.0	15.2	21.8	18.0	15.3	22.3
गोआ	37.7	27.0	27.0	21.3	1.0	1.1	1.5	1.6
गुजरात	52.6	39.1	27.9	13.0	43.8	45.0	43.0	27.2
हरियाणा	40.2	24.2	16.4	15.1	8.2	7.6	7.3	10.6
हिमाचल प्रदेश	13.2	9.4	9.2	3.4	0.4	0.3	0.5	0.2
कर्नाटक	52.5	42.8	40.1	32.6	42.3	49.3	60.5	63.8
केरल	62.7	45.7	24.6	20.2	24.2	25.2	20.5	17.2
मध्य प्रदेश	57.7	53.1	48.4	42.1	45.1	62.5	82.3	74.0
महाराष्ट्र	43.9	40.3	35.2	32.2	76.6	97.1	111.9	146.3
उड़ीसा	55.6	49.2	41.6	44.3	12.2	16.7	19.7	26.7
पंजाब	28.0	23.8	11.4	7.1	10.0	11.9	7.4	6.5
राजस्थान	52.1	37.9	30.5	32.9	27.1	30.1	33.8	47.5
तमिलनाडु	49.4	47.0	39.8	22.2	66.9	78.5	80.4	69.1
उत्तर प्रदेश	60.1	49.8	35.4	30.6	85.7	108.7	108.3	117.0
पश्चिम बंगाल	34.7	32.3	22.4	14.8	41.3	50.1	44.7	35.1
छत्तीसगढ़	-	-	-	41.2	-	-	-	19.5
झारखण्ड	-	-	-	20.2	-	-	-	13.2
उत्तराखण्ड	-	-	-	36.5	-	-	-	8.9
चंडीगढ़	28.0	23.8	11.4	7.1	0.8	1.1	0.7	0.7
दादरा एवं नगर हवेली	37.7	27.0	39.9	19.1	0.0	0.0	0.1	0.2
जम्मू एवं कश्मीर	21.3	17.8	9.2	7.9	2.1	2.5	1.9	2.2
अखिल भारत	49.0	40.8	32.4	25.7	600.5	709.4	763.4	808.0

- टिप्पणा:**
1. असम के गरीबी अनुपात का इस्तेमाल सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए किया गया है।
 2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का इस्तेमाल पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए।
 3. केरल का इस्तेमाल लक्षद्वीप के लिए किया गया है।
 4. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात को चंडीगढ़ की ग्रामीण एवं शहरी गरीबी के लिए उपयोग किया गया है।
 5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोआ के व्यय वितरण को गोआ की गरीबी के आकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।
 6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण को दादरा नागर हवेली की गरीबी के आकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।

स्रोत: योजना आयोग

संलग्नक 4.4

राज्यों के अनुसार, सामाजिक समूहों के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत-2004-05

राज्य	ग्रामीण			शहरी		
	अनु.जा.	अनु.जनजाति	अ.पि.वर्ग	अनु.जा.	अनु.जनजाति	अ.पि.वर्ग
आंध्र प्रदेश	15.4	30.5	9.5	39.9	50.0	28.9
असम	27.7	14.1	18.8	8.6	4.8	8.6
बिहार	64.0	53.3	37.8	67.2	57.2	41.4
छत्तीसगढ़	32.7	54.7	33.9	52.0	41.0	52.7
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	35.8	9.4	18.3
गुजरात	21.8	34.7	19.1	16.0	21.4	22.9
हरियाणा	26.8	0.0	13.9	33.4	4.6	22.5
हिमाचल प्रदेश	19.6	14.9	9.1	5.6	2.4	10.1
जम्मू एवं कश्मीर	5.2	8.8	10.0	13.7	0.0	4.8
झारखण्ड	57.9	54.2	40.2	47.2	45.1	19.1
कर्नाटक	31.8	23.5	20.9	50.6	58.3	39.1
केरल	21.6	44.3	13.7	32.5	19.2	24.3
मध्य प्रदेश	42.8	58.6	29.6	67.3	44.7	55.5
महाराष्ट्र	44.8	56.6	23.9	43.2	40.4	35.6
उड़ीसा	50.2	75.6	36.9	72.6	61.8	50.2
पंजाब	14.6	30.7	10.6	16.1	2.1	8.4
राजस्थान	28.7	32.6	13.1	52.1	24.1	35.6
तमिलनाडु	31.2	32.1	19.8	40.2	32.5	20.9
उत्तर प्रदेश	44.8	32.4	32.9	44.9	37.4	36.6
उत्तराखण्ड	54.2	43.2	44.8	65.7	64.4	46.5
पश्चिम बंगाल	29.5	42.4	18.3	28.5	25.7	10.4
अखिल भारत	36.8	47.3	26.7	39.9	33.3	31.4

- टिप्पणी:**
1. असम के गरीबी अनुपात का इस्तेमाल सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए किया गया है।
 2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का इस्तेमाल पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए।
 3. केरल का इस्तेमाल लक्षद्वीप के लिए किया गया है।
 4. गोवा की गरीबी रेखा को दमन दीव तथा दादरा व नगर हवेली हेतु प्रयुक्त किया गया है।
 5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात को चंडीगढ़ की ग्रामीण एवं शहरी गरीबी के लिए उपयोग किया गया है।
 6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोआ के व्यय वितरण को गोआ की गरीबी के आकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।
 7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण को दादरा नागर हवेली की गरीबी के आकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।
 8. कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में गरीबी अनुपात को, सावधानी से देखा जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय नमना सर्वेक्षण ने व्यक्तियों के वर्ग विभाजन हेतु कम प्रतिदर्श परिवारों के आधार पर डाटा प्राप्त किया था। ये राज्य हैं— हरियाणा एवं पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र जहां कि अनुसूचित जनजाति के 10 या उससे कम प्रतिदर्श परिवार थे। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में राज्य हैं— बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और पंजाब जहां कि अनुसूचित जनजाति के प्रतिदर्श परिवारों की संख्या 10 या उससे कम थी और जहां कि अनुसूचित जनजाति प्रतिदर्श परिवारों की संख्या 20 या उससे कम थी।

स्रोत: योजना आयोग

5

ग्रामीण और शहरी जीविका को सुनिश्चित करना

प्रस्तावना

5.1 बिखरी, असंगठित और अक्सर परिवार आधारित सूक्ष्म और लघु उद्योग पूंजी की बचत करने वाले, श्रम गहन, समावेशन के पर्यावरण अनुकूल साधन हैं। भारत में कृषि के बाद यह रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है और ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही इलाकों में पाया जाता है।

5.2 लगभग तीन दशकों में ग्रामीण रोजगार की संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।¹ अद्यतन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (61वां दौर) के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में आज भी हमारे ग्रामीण कार्य बल का 70% भाग लगा हुआ है, शेष भाग उद्योग (14.4%) और सेवाओं (14.8%) में लगा है। फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के घटते योगदान तथा इस पर आश्रित श्रमिकों के लगभग स्थिर अनुपात को देखते हुए कृषि से परे रोजगार के त्वरित सृजन की आवश्यकता है। कृषि से भिन्न ग्रामीण जीविका के दायरे में वृद्धि के लिए कृषि के भीतर विविधीकरण (रेशम उत्पादन, बागवानी, मछली का उत्पादन) की विविधता का वर्णन किया गया है। तथापि, रोजगार सृजन की वास्तविक संभावना सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में है जिसमें बुनकर, कारीगर और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लोग, फेरीवाले, ठेले वाले, बढ़ई शामिल हैं।

5.3 एशिया के विकासशील देशों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम² (i) सभी उद्यमों का 80% से 90% होता है (ii) यह निजी क्षेत्र के लिए रोजगार में 60 से अधिक रोजगार प्रदान करता है (iii) कुल रोजगार का 30% से 40% ज्यादा रोजगार सृजित करता है और (iv) विक्रय अथवा मूल्य संवर्धन में 50% से अधिक का योगदान देता है। भारत में सभी उद्यमों³ का 95% हिस्सा है। वर्ष 1990-98 के दौरान भारत में लघु उद्योगों की श्रम उत्पादकता⁴ संकाय वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत था जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में यह दर 7.54 प्रतिशत थी। तथापि हाल ही में फार्चून स्माल बिजनेस सर्वे-जून 2007 द्वारा “मोस्ट एण्ड लीस्ट फ्रेंडली कंट्री टू स्माल बिजनेस” विषय पर 53 देशों के अध्ययन में भारत का रैंक 46वां था जो कि अन्य पड़ोसी देशों जैसे सिंगापुर (5), हांगकांग (6), थाईलैंड (15) मलेशिया (28) आदि की तुलना में काफी पीछे है।

5.4 अपर्याप्त चलती पूंजी, बाजार एवं विदेश व्यापार के अवसरों तक पहुंचने हेतु सूचना का अभाव, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी सामान्य रूप से विश्व में एवं विशेष रूप से भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि में प्रमुख बाधाएं हैं।

¹ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग में पुरुष एवं महिला रोजगार का प्रतिशत वर्ष 1977/8 के क्रमशः 8% और 6.7% से बढ़कर वर्ष 2004/5 में क्रमशः 15.5% और 10% हो गया है। उत्पादन में अधिकांश रोजगार व उद्योग (4 मिलियन), लकड़ी के उत्पाद (3.7 मिलियन), अधातु (3.4 मिलियन), खाद्य पदार्थ (3.1 मिलियन), तम्बाकू (3.1 मिलियन) और पहनने वाले कपड़े (2.8 मिलियन) (एसएस 2004/5, रिपोर्ट 515)। सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वर्ष 1977 के 10.5 पुरुष रोजगार और 5.1% के महिला रोजगार से बढ़कर वर्ष 2004/5 में क्रमशः 18% और 6.6% हो गया है।

² एशिया प्रबंध संगठन।

³ यूएनसीटीएडी-2003, ओईसीडी 2000 और कण्ट्री रिपोर्ट।

⁴ एशिया प्रबंध संगठन संघ रिपोर्ट - एशिया क्षेत्र में एसएमईएस।

5.5 चलती पूंजी की कमी को असंगठित एवं संगठित, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के विकास में सबसे बड़ी बाधा माना जा रहा है। बैंक से उधार प्राप्त करना, बैंक ऋण हेतु दस्तावेज संबंधी समस्याएं और आनुषंगिक सुरक्षा की कमी एशिया के अन्य अधिकांश विकासशील देशों की तुलना में भारत में बड़ी समस्याएं हैं। यह अनुमान है कि कुल बैंक ऋण का 8 प्रतिशत से भी कम सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को मिलता है।

5.6 असंगठित क्षेत्र उद्यम सामान्य तौर पर कमजोर मार्केटिंग से प्रभावित होते हैं। उन्हें बेहतर बाजार अवसरचना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों की पेशेवर रूप से आयोजित प्रदर्शनी, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की सक्षम प्रणाली, ब्रांड प्रोत्साहन एवं मानकीकरण की आवश्यकता है। उद्योग के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

5.7 विश्व व्यापार संगठन के एजेंडा के पश्चात, घरेलू मार्केट आयात के लिए खोल दिए गए हैं जिससे स्थानीय उद्योगों में बड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई है। साथ ही इससे छोटे उद्योगों को अपना माल विकसित देशों को निर्यात करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। तथापि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि विकसित देशों के बाजार में अधिक पहुंच बनाने पर बल देने के प्रयास किए जाने चाहिए।

5.8 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के विकास के कारकों में प्रौद्योगिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। विज्ञान एवं इंजीनियर कर्मियों की उपलब्धता के संदर्भ में भारत का स्थान पहला है⁵, तथापि आधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी की वजह से भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विश्व बाजार प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान खो रहे हैं। पुरानी प्रौद्योगिकी की वजह से, उत्पादन लागत एशिया के अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी ज्यादा है।

5.9 दीर्घकालीन एवं समुचित विकास हेतु एक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए इन समस्याओं का हल करना आवश्यक है।

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तकरघा, हस्तशिल्प एवं खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योग: दीर्घकालीन एवं समुचित विकास के इंजन

5.10 सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र (एमएसई) जीविका प्रदान करता है, ग्रामीण-शहरी पलायन को रोकता है, निर्यात आय का सृजन करता है और यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों और सबसे ज्यादा हाशिये पर रह रहे लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र की आवश्यकताएं, समस्याएं और संभावनाएं न केवल अपने कार्यकलाप की प्रकृति के कारण अलग हैं (बड़े उद्योगों आदि हेतु घटकों का निर्माण, सृजन), बल्कि अपने आकार, भौगोलिक स्थिति, और संरचना (संगठित/असंगठित) के कारण भी अलग हैं। इस क्षेत्र का महत्व और इसके लिए ग्यारहवीं योजना में की गई परिकल्पना का विवरण उद्योग से संबंधित पाठ में दिया गया है। परम्परागत शिल्प के लिए घरेलू और अंतर-राष्ट्रीय अनटैप्ड बाजारों को बाक्स 5.1 में दर्शाया गया है।

5.11 इस क्षेत्र को विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में बांट दिया गया है जो प्रायः एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते हैं। बिजली करघा बनाम हथकरघा, सूत बनाने वालों के हितों की रक्षा हेतु विदेशी सूती तागों पर गैर-निपटारण शुल्क बनाम हथकरघाओं और बिजली करघाओं पर से शुल्क हटाना, छोटे-मोटे व्यापारियों के हित बनाम गृह आधारित उत्पादकों पर बृहतर नियंत्रण- ये बार-बार होने वाली परिचर्चा के विषय रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र का स्रोत बनाकर प्रतिस्पर्धात्मक संबंध को अनुपूरक संबंधों में बदलने की आवश्यकता है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के विभिन्न खण्डों के बीच इस प्रतीकात्मक संबंध को प्रोत्साहन देना ग्यारहवीं योजना की प्रमुख कार्यनीति होगी।

बाक्स 5.1

पारम्परिक शिल्पों के पहुंच से परे घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर चम्बा में 500 से ज्यादा कारीगर मजबूत एवं सुन्दर डिजाइन वाले चमड़े के जूते-चप्पल बनाते हैं। वे घर अथवा छोटी-मोटी दुकानों में बैठकर लगभग दो घंटों में एक जोड़ा जूता चप्पल बनाते हैं। वे प्रति जोड़ा 30 रूपए कमाते हैं, प्रत्येक जोड़ा 100 रु. और 500 रूप के बीच बिकता है। एक समय था जब चम्बा पूरे पंजाब के लिए जूते-चप्पल बनाता था। चम्बा की चप्पलें अपने टिकाऊपन और विशिष्ट डिजाइनों के लिए काफी अरसे से जानी जाती रही हैं, जिसमें से बहुत अब जूते-चप्पल उत्पादक कंपनियों द्वारा विकसित एवं काफी मंहगे मूल्यों पर बेचे जाते हैं। इन चप्पलों के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं और यह घरेलू बाजार में हलचल मचा सकती हैं। फिर भी, विज्ञापन एवं उपयुक्त बाजार संबंध के अभाव में, चम्बा के कारीगरों को दो जून की रोटी जुटा पाना असंभव हो रहा है। इसी तरह, पूर्वोत्तर भारत- मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और यहां तक कि असम और सिलीगुड़ी एवं जलपाइगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में विकसित बांस के उत्पादों के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। इन उत्पादों के रेंज में विभिन्नता होती है जिसमें पिकनिक टोकरी से लेकर फर्नीचर, डिनर सेट और सजावट की सामग्री शामिल होती है।

⁵ ग्लोबल कम्पीटीटिव इंडेक्स-2005S वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम

5.12 11वीं योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के कतिपय उप-क्षेत्रों को केवल ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों के रूप में देखने के नजरिये को भी बदलेगी। हथकरघा और हस्तशिल्प प्रायः गांवों, शहरों और नगरों में मिलते हैं (बनारस, मुर्शीदाबाद, बेरहमपुर, जोधपुर, दिल्ली, जयपुर आदि) बिजली यूनितों का घनत्व शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होने की संभावना होती है परन्तु ये गांवों में भी मिलते हैं, खाद्य प्रसंस्करण यूनितें और घटकों, रंगाई आदि के उत्पादन में लगे लघु उद्योग शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके बावजूद पारम्परिक क्षेत्रों की ग्रामीण जीविका के रूप में और आधुनिक उद्यमों को शहरी जीविका के रूप में देखा जाता है और इस तरह शहरी योजना, जिसमें झुग्गी-झोपड़ियों एवं गली में फैले बाजारों का सफाया, गलियों का विस्तार अथवा अपार्टमेंटों और फ्लाइंग ओवरों का निर्माण शामिल है, में इस कारण लघु एवं छोटे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में नहीं लाया जाता है जिसकी वजह से फेरीवाले, छोटे-छोटे व्यापारी, बुनकर, कारीगर, रिक्शावाले, लघु उद्यमियों को अपने जीविकोपार्जन से वंचित होना पड़ता है। इसी तरह, ग्रामीण योजना गैर-पारम्परिक लघु उद्योगों की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाती है। ग्यारहवीं योजना में यह सुनिश्चित करने के समेकित प्रयास किए जाएंगे कि अनुभव आधारित स्थानों का वर्गीकरण इस क्षेत्र की प्रगति में बाधा न बने।

5.13. ग्यारहवीं योजना में द्विकोणीय पहल का प्रयोग किया जाएगा: इसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र से जुड़े लोगों के जीवन और जीविका दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। अब तक हमने अधिकांशतः उत्पादन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। ग्यारहवीं योजना में उत्पादन एवं उत्पादक दोनों पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। यदि बुनकर, कारीगर, उद्यमी अथवा श्रमिक भूखा, बीमार, अशिक्षित और अप्रशिक्षित हो तो उच्च उत्पादकता और आय प्राप्त नहीं की जा सकती है। उसी तरह, उत्पादक के जीवन के स्तर में तब तक सुधार नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो जाती है।

समावेशन के उपस्कर के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम

पूर्वोत्तर, जम्मू व कश्मीर, एवं अन्य दुर्गम भूभाग

5.14 चाहे वह राजस्थान के मरूस्थल हों, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर और कश्मीर की पहाड़ियाँ या लक्षदीप एवं अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, इन पर्यावरण भंगुर क्षेत्रों में प्रायः जीविकोपार्जन का एक मात्र स्रोत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र है। एनईडीएफआई आदि (2002) द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन के अनुसार, भारत के

कुल हस्तशिल्प यूनितों की संख्या का 19.18% और कारीगरों का 21.71% पूर्वोत्तर में है। इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण और ज्ञान आधारित लघु उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएँ हैं। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कच्छ में भी इसी तरह की परिस्थिति है। तथापि ये क्षेत्र वैसा भी ऐसे हैं जहाँ अवसंरचनात्मक सुविधाएँ बहुत कम हैं, बैंकिंग सुविधाएँ सीमित हैं और सम्पर्क के साधन कम हैं जिससे बाजार तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति, समानान्तर भूमि की समस्या (पूर्वोत्तर के बहुत भागों में परम्परागत रूप से भूमि का स्वामित्व समुदाय के पास होता है), स्कीमों के बारे में जागरूकता की कमी और ऋण वसूली की खराब स्थिति के कारण पूर्वोत्तर में ऋण की आपूर्ति में बाधाएं आती हैं।

महिलाएं

5.15 यद्यपि इस क्षेत्र के संबंध में महिला-पुरुष के पृथक रूप से विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, यह सिद्ध करने के लिए काफी सबूत हैं कि भारी संख्या में महिलाएं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में लगी हुई हैं। हस्तकरघा जैसे क्षेत्रों में, कार्यबल में 60 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं होती हैं। केमिकल और प्लास्टिक, खाद्य प्रसंस्करण, ग्राम उद्योगों में काफी संख्या में महिलाओं को रोजगार प्राप्त है। तथापि, महिला उद्यमियों का अनुपात बहुत निम्न है। तीसरी अखिल भारतीय जनगणना (2001-2002) के अनुसार केवल 995141 (9.46%) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम महिलाओं द्वारा प्रबंधित है। इसकी तुलना में, संयुक्त राज्य में 38 प्रतिशत लघु उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं का होता है, निजी क्षेत्र कार्यबल का 50 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। ब्राजील, आयरलैंड, स्पेन और संयुक्त राज्य जैसे देशों में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक तेजी से नए उद्यम स्थापित कर रही हैं। सम्पत्ति अधिकार का न होना और ऋण प्राप्त करने संबंधी सहवर्ती समस्या भारत में महिला उद्यमियों के निम्न अनुपात के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। अधिकांश महिलाएं या तो रोजगार कार्य करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों को मदद करती हैं या लघु उद्योग यूनितों में श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं (ओईसीडी, 2000) उन्हें व्यापक तौर पर फैले भेदभाव एवं शोषण का सामना करना पड़ता है। जरी कारीगर, अगरबत्ती एवं बीड़ी बनाने वाले, कसीदाकारी करने वाले कारीगर प्रतिदिन आठ घंटे काम करके मात्र 10 रूपए कमा पाते हैं। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, यह अनिवार्य है कि महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए। सभी छोटे यूनितों और प्रत्येक कलस्टर के लिए समान वेतन, पर्याप्त सुरक्षा, पीने का पानी,

⁶ पूर्वोत्तर के हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए स्कीम

⁷ मिलेकन संस्थान, 2000

शौचालय, शिशुआलय एवं भोजन सुविधाओं हेतु प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। महिला उद्यमियों को ऋण, उपयुक्त सलाह एवं मार्गदर्शी सेवा आसानी से सुलभ करायी जाएगी।

सीमांत वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक

5.16 सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र, विशेषकर पारम्परिक उद्यम, बहुत से सीमांत वर्गों को जीविका प्रदान करता है। यद्यपि सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मार्केटिंग एवं ऋण तक पहुंच नहीं है, यह समस्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्गों से जुड़े लोगों के साथ कहीं ज्यादा है। इसलिए ग्यारहवीं योजना असुरक्षित वर्गों हेतु सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शुरू करेगी। इसके भी प्रयास किए जाएंगे कि इन समुदायों से जुड़े लोगों से संबंधित पृथक आंकड़े प्राप्त किए जाएं, इनके लिए ऋण की उपलब्धता हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और इन तक स्कीमों की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए।

भिन्न क्षेत्र, भिन्न आवश्यकताएं

हस्तकरघा

5.17 भारतीय संस्कृति और धरोहर को एक अलंकार के रूप में देखें तो 65 लाख लोग कौशलपूर्वक पौराणिक कथाओं, आस्थाओं, प्रतीकों और कल्पनाओं को बुनकर हस्तकरघा से अपना रोजगार पाते हैं। आज हस्तकरघा उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 124 लाख⁸ लोगों को जीविका प्रदान करता है जिसमें 60% महिलाएं, 12% अनुसूचित जाति और 20% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं (वस्त्र उद्योग मंत्रालय: 2001)। यद्यपि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, बहुत से हस्तकरघा बुनकर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

5.18 भारतीय हस्तकरघा उत्पादों के रेंज में सूती, रेशमी, टसर, जूट, ऊनी एवं सिंथेटिक जैसे विभिन्न प्रकार के धागों से बने मोटे कपड़ों से लेकर बहुत सुन्दर कपड़े आते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अपने हस्तनिर्मित वस्त्र हैं जो अपने डिजाइन एवं स्टाइल में अनूठ हैं। तथापि, जो जहां बुना जाता है वह कहां और कैसे बुना जाता है उससे अलग नहीं किया जा सकता है अर्थात् उसे उसकी उत्पादन की संरचना से अलग नहीं किया जा सकता है। बुनकरों में कुछ स्वतंत्र बुनकर हैं, कुछ सहकारिता के रूप में संगठित हैं और कुछ कुशल बुनकर के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रायः उत्पादन के कौशल का एक संयोजन एक समय में एक क्षेत्र में मिलता है, और यह एक परिवार में भी हो सकता है। फिर भी इस विविध प्रकृति को दर्शाने वाला कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हमारे पास करघों

अथवा लोगों की संख्या संबंधी अद्यतन आंकड़े नहीं हैं। पिछली जनगणना वर्ष 1995-96 में की गई थी।

वर्तमान स्थिति

5.19. विश्व में सबसे अधिक संख्या में हस्तकरघों वाला भारत प्रत्येक वर्ष 6541 मिलियन वर्ग मीटर हस्तकरघा कपड़े पैदा करता है। जबकि कपड़े के कुल उत्पादन में वर्ष 1996-97 और 2004-2005 के दौरान लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हस्तकरघा क्षेत्र के उत्पादन में लगभग 23 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2000-2005 के दौरान हस्तकरघा उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 6.99 प्रतिशत रही है। इससे हस्तकरघा बुनकरों की जीविका प्रभावित हुई है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और मणिपुर प्रमुख हस्तकरघा वाले राज्य हैं जहां पूरे देश में हस्तकरघा बुनाई की 75 प्रतिशत बुनाई होती है। दूसरी हस्तकरघा जनगणना के अनुसार असम (10.97 लाख), पश्चिम बंगाल (2.22 लाख) और मणिपुर (2.15 लाख) को मिलाकर ही हस्तकरघा युनिटों का 64 प्रतिशत हो जाता है। भारत में प्रायः सभी हस्तकरघा उत्पाद घरेलू बाजार के लिए हैं। हस्तकरघा महानिदेशालय के अनुसार यद्यपि हमारे वं निर्यात में 10 प्रतिशत हस्तकरघा उत्पाद का है, तथापि केवल 1.3 प्रतिशत कार्य कर रहे करघे ही निर्यात बाजारों हेतु वं का उत्पादन कर पाते हैं। यूरोप निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य है जिसे वर्ष 1999-00 में कुल निर्यात का लगभग आधा निर्यात किया गया था।

5.20 20 दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष में हस्तकरघा कपड़े का उत्पादन 6541 मिलियन वर्ग मीटर था और 4605 करोड़ रूपए का निर्यात किया गया था। दसवीं योजना में इस क्षेत्र का प्रदर्शन तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

5.21 चरणबद्ध तरीके से कोटे की समाप्ति और बाजारों को खोल दिए जाने से, “हस्तकरघा” कपड़ों एवं डिजाइन का अब सस्ते दर पर मिलों और बिजलीकरघों द्वारा भारत और चीन दोनों में उत्पादन किया जा रहा है। ज्यों-ज्यों बाजार छोटा होता जा रहा है, बुनकर मजदूर बनते जा रहे हैं और कुछ गंभीर मामलों में आत्महत्या कर रहे हैं। इससे बहुतों ने इस उद्योग को विलुप्त क्षेत्र घोषित कर दिया। तथापि, सच्चाई कुछ और ही है। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल हस्त-निर्मित कपड़ों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मांग है और इसमें घरेलू बाजारों में भी मांग पैदा करने की संभावना है। बहु-रेशीय समझौता के उत्तर-युग में, बुनकर नए बाजारों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। बाक्स 5.1 में इस क्षेत्र की संभावनाओं को दर्शाया गया है।

⁸ भारत का हस्तकरघा क्षेत्र- के. राजेन्द्रन नैयर (पूर्व हस्तकला विकास आयुक्त)

⁹ हैंडलूम की स्कीम - ए रिपोर्ट ऑन डाइग्नोस्टिक सर्वे एण्ड बिजनेस प्लान फोर हैंडलूम सेक्टर इन विहार इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएण्डएफएस) द्वारा उद्योग विभाग, भारत सरकार को दी गई रिपोर्ट।

तालिका 5.1
दसवीं योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्रक का निष्पादन

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कपड़ा उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)	5, 980	5, 493	5, 722	6, 108	6, 541
रोजगार (लाख व्यक्ति)	65	65	65	65	65
निर्यात (करोड़ रु. में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4, 605

स्रोत : विकास आयुक्त कार्यालय (हैडलूम), कपड़ा मंत्रालय।

बाक्स 5.2 आशाओं का कर

यद्यपि हस्तकरघा को बहुत लोग विलुप्त उद्योग मानते हैं, तथापि देश भर में बहुत सी ऐसी सफलता की कहानियां हैं- लखनऊ में सेवा, गुजरात में कच्छ महिला समिति और आंध्र में दस्तकार- जो इस धारणा को झूठा साबित करती हैं और इस क्षेत्र के लिए आगे का रास्ता खोलती हैं। महेश्वर, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा नगर पिछले 250 वर्षों से बुनता आ रहा है, तबसे जब अहिल्याबाई होल्कर इस व्यवसाय को इस नगर में लाई और नर्मदा नदी के किनारे पथरों पर एक सुन्दर सा पट्टिका डिजाइन बनाया। तीन दशक पहले महेश्वरी साड़ियों का बाजार छोटा होने लगा और नगर में 25 से भी कम हस्तकरघा बच गए थे। एक बार फिर से होल्करों ने हस्तक्षेप किया। इस बार 'रेहवा सोसाइटी' के रूप में। रेहवा नर्मदा नदी का दूसरा नाम है। इस सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने नए डिजाइन तैयार किए और 'नेवाड़ी' को छोड़कर 'छेवाड़ी' साड़ियां तैयार की और प्रदर्शनियां आयोजित की। उन्होंने बुनकरों को कार्य, करघा, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके बच्चों हेतु शिशुआलय स्कूल के साथ-साथ उनके लिए घर भी उपलब्ध कराए। आज महेश्वर में लगभग 2500 करघे हैं जो रेशमी एवं सूती धागों से मनमोहक डिजाइन तैयार करते हैं और उनके पास और अधिक करघे स्थापित करने की क्षमता है। बुनकरों की आय प्रति साड़ी 9 रूपए से बढ़कर 150 रूपए प्रति साड़ी हो गई है। फलोदी जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, पारम्परिक रूप से पट्टू के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पट्टू-एक दो टुकड़ा व' है जो स्थानीय ऊन से बुना जाता है और जो किनारे-किनारे से साथ जोड़े जाते हैं और इसकी सुन्दरता कसीदा नाम के एक अतिरिक्त बाना की सजावट से बढ़ा दी जाती है। पट्टू बुनकर असंगठित थे और वे अपने माल की बिक्री हेतु बिचौलिए और मेले/प्रदर्शनियों पर निर्भर थे। वर्ष 1991 में उन्होंने उरमूल ट्रस्ट के माध्यम से अपने आपको एक गैर-सरकारी संगठन, 'उरमूल मरुस्थली बुनकर विकास समिति' के रूप में व्यवस्थित किया। आज आधे से भी ज्यादा फलोदी के बुनकर इसके सदस्य हैं। इसमें पंजीकरण के समय तीन महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक 8-15 बुनकरों के एक समूह के लिए एक कमिशन आधारित व्यवस्थापक (मैनेजर) कच्चे माल एवं डिजाइन की आपूर्ति करता है, बुनाई के समय गुणवत्ता का निरीक्षण करता है, उत्पाद बाजार में पहुंचाता है और भुगतान करता है। उरमूल मरुस्थली बुनकर विकास समिति बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और उत्पादों को मेलों एवं प्रदर्शनियों, वेबसाइटों और अपने शो-रूप के माध्यम से बेचता है। यह बैंकों से वित्तीय सहायता और एनआईएफटी, एनआईडी आदि से नए डिजाइन उपलब्ध कराने में सफल रहा है (संदर्भ: बिहार में हस्तकरघा)। पोचमपल्ले जो कि आन्ध्र प्रदेश के नलगोंडा जिला में स्थित छोटा सा नगर है अपने अद्वितीय इक्ट डिजाइन के लिए जाना जाता है। यहां की लगभग 50 प्रतिशत आबादी हस्तकरघा पर निर्भर है। दिसम्बर 2003 में, पोचमपल्ले जीआई पंजीकृत कराने वाला पहला पारम्परिक भारतीय शिल्प बना। दो वर्ष की अवधि से भी कम के पश्चात, जीआई के मालिकों ने हैदराबाद के एक फुटकर विक्रेता को 'पोचमपल्ले' की जाली जीआई के तहत मुम्बई की एक कम्पनी द्वारा उत्पादित साड़ियां बेचता हुआ पाया। उन्होंने तुरंत मामले को दर्ज कराया। फुटकर विक्रेता एवं कम्पनी दोनों ने अधिकार हनन की बात स्वीकार की और न्यायालय से बाहर फैसले पर सहमत हो गए। उन्होंने लिखित में यह वादा भी किया कि वे 'पोचमपल्ले' नाम से कोई उत्पाद नहीं बेचेंगे। चन्देरी, मध्य प्रदेश के तेरह स्व-सहायता समूह ने एक साथ मिलकर चन्देरी बुनकर विकास समिति गठित की है। यह समिति गुणवत्ता नियंत्रण पर बल देता है और ऐसे उत्पाद जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं तैयार किए जाते हैं उन्हें अस्वीकार करने के लिए एक तंत्र तैयार किया है। इस समिति से संबद्ध समूहों में ज्यादातर का प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। चन्देरी बुनकर विकास समिति की यूएसपी फैंब इंडिया के साथ इसका संबंध है। बुनकरों को नियमित कार्य मिलता है और वे अपने उत्पाद समिति को बेचकर समय से भुगतान पा सकते हैं। समिति ने रंगाई हेतु सुविधा केन्द्र और कच्ची-सामग्री डिपो तैयार कर आत्म-निर्भर बनने का प्रयास किया है। यह कच्ची सामग्री डिपो मिल गेट प्राइस स्कीम का फायदा उठाता है और समिति के सदस्यों को खरीद मूल्य पर 3 प्रतिशत की वृद्धि और गैर-सदस्यों को 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उपलब्ध कराता है। अब तक 80 वर्षों से नल्ले ने भारत के रेशम उद्योग पर अपना एकल-स्वामित्व बरकरार रखा है। वर्ष 1928 में कांचीपुरम में एक करघा और चेन्नई के टी-नगर में एक दुकान से शुरू करने वाले नल्लियों के पास आज उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में 50 करघे हैं और अन्य 10,000 करघे कांचीपुरम सेलम और कुंभकोणम में उनके लिए काम करते हैं। उनकी 14 दुकानें हैं, जिसमें एक-एक दुकान सिगापुर, सैन जोस (कैलीफोर्निया) और टोरंटो (कनाडा) में है। नल्ले 5,000 से भी ज्यादा समर्पित सप्लायर्स को प्रबंधित करता है और इसकी वार्षिक बिक्री 325 करोड़ रूपए है। इसके उत्पादों का रेंज 80 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का है।

ग्यारहवीं योजना के समक्ष चुनौतियां

5.22 हस्तकरघा क्षेत्र की बहुत सी चुनौतियों के बारे में उद्योग पाठ में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। (भाग 3 के अध्याय 7.1 में पैरा 7.1.356 से 370 देखें) इस खण्ड में कुछ विशिष्ट मुद्दों की चर्चा की जाएगी जिसका हल ग्यारहवीं योजना के दौरान किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र की जीवंतता को सुनिश्चित किया जा सके।

चलित (कार्य) पूंजी की उपलब्धता

5.23 यद्यपि नाबार्ड प्राथमिक एवं सर्वोच्च बुनकर सहकारिता समितियों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सहकारिता बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः वित्तीय सहायता की सुविधाएं प्रदान करता है, तथापि इन संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले सेवा शुल्क के कारण कारीगरों और सोसाइटियों को दोहरे दर से ब्याज देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश राज्य हस्तकरघा सहकारी सोसाइटियों स्टॉक तो उठा लेती है पर बुनकरों को भुगतान उत्पाद बिकने के बाद ही करती है। इससे बुनकरों की चलती पूंजी अवरूद्ध हो जाती है।

गुणवत्तापूर्ण कच्ची सामग्री की उपलब्धता¹⁰:

5.24 सहकारिता स्पिनिंग मिलों की स्थापना और अच्छे सूत संबंधी बाध्यताओं के बावजूद भी सूत की कमी और उच्च मूल्य सतत समस्याएं हैं। बहुत पहले 1995 में हथकरघा क्षेत्र द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अच्छे सूत की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अन्तर 150 मिलियन किलोग्राम था। मिलों और बिजलीकरणों द्वारा अच्छे सूतों के प्रयोग से भी हस्तकरघा के लिए सूत कम पड़ जाते हैं। उपयुक्त दामों पर अच्छे सूत बुनकर को सुनिश्चित करने संबंधी स्कीमों से लाभ प्रायः केवल बड़े बुनकरों अथवा सहकारिता क्षेत्र को होता है, जिसमें 20.3 प्रतिशत बुनकर ही आते हैं।

प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी:

5.25 जनता क्लाथ स्कीम ने बुनकरों के कौशल को बर्बाद कर दिया और अब हमारे पास दो श्रेणी के बुनकर हैं- कौशल वाले एवं अर्ध-कौशल वाले। बाद के श्रेणी के बुनकरों द्वारा उत्पादित कपड़े मिलों और बिजलीकरणों द्वारा आसानी से सस्ते दर पर उत्पादित किए जाते हैं। उनके बाजार छोटे हो रहे हैं और उनके पुनर्जीवन की कम संभावना है। हस्तकरघा अथवा किसी अन्य क्षेत्र के अर्ध-कौशल प्राप्त बुनकरों को पुनः कौशल प्रदान किया जाना और कौशल प्राप्त बुनकरों के कौशल का स्तरोन्नयन किया जाना आवश्यक है। इस समय बुनाई अशिक्षितों का व्यवसाय बन गया है। लोगों द्वारा इस व्यवसाय को अपनी इच्छा से न कि जरूरत की वजह से चुनने की आवश्यकता है। शिक्षित व्यक्तियों को इस क्षेत्र हेतु डिजाइन, मार्केटिंग उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित करना एक चुनौती है।

¹⁰ हिन्दू—2005

मार्केटिंग एवं प्रचार-प्रसार:

5.26 प्राथमिक उत्पादकों का न तो बाजार न ही बाजार संबंधी सूचना तक सीधी पहुंच है जिसके परिणामस्वरूप, उत्पादन और बाजार में मांग के बीच असमानता है। आजकल बाजार आक्रामक प्रचार-प्रसार के अभियानों द्वारा प्रतीकों का प्रयोग करते हुए हथियाए जाते हैं। ग्यारहवीं योजना के सामने यह चुनौती है कि वह हस्तकरघा उत्पादों हेतु इसके यूएसपी को दर्शाते हुए बाजार में मांग पैदा करे। दुर्भाग्यवश, मार्केटिंग के इस तरह के प्रयास अब तक क्रेता-विक्रेता मिलानों और कुछ प्रदर्शनियां, जिसमें प्रायः मुख्य बुनकरों और गद्दीदारों को जगह उपलब्ध कराए जाते हैं न कि गरीब बुनकरों को, तक ही सीमति रहा है। चुनौती यह है कि बाजार शोध और उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाए। विविधीकरण का तात्पर्य पारम्परिक डिजाइनों को हटाने से नहीं है। इसका अर्थ है परम्परागत डिजाइनों का प्रयोग करते हुए आधुनिक रुचियों के अनुरूप नए डिजाइन तैयार करना है।

आधारभूत सुविधाओं का विकास:

5.27. बहुत कम ही क्लस्टरों के पास जल-मृदुल संयंत्रों अथवा रंगाई चेम्बरों जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ संगठित रंगाई केन्द्र हैं। रंगाई एक असंगठित क्षेत्र हैं और इसे एक अल्प-पारिश्रमिक कार्य माना जाता है। इन सभी का अन्तिम उत्पादों की गुणवत्ता पर काफी प्रभाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप बुनकरों को बहुत कम आय मिल पाती है। इससे पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। बिजली करघों को रखने के लिए स्थान, सूत्र बैंक, रंगाई यूनिट, बुनकरों को बाजारों से जोड़ने के लिए सड़कें, जल आपूर्ति, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग सुविधाओं की आवश्यकता है।

बुनकरों के संगठन को प्रोत्साहन:

5.28 बुनकरों को उनकी मोलभाव की क्षमता बढ़ाने, ऋण, डिजाइन एवं सामान्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच और उन्हें सामूहिक मार्केटिंग के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें स्व-सहायता समूहों अथवा क्लस्टर समितियों में संगठित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

सामाजिक सुरक्षा:

5.29 सामाजिक सुरक्षा जाल जिसमें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और बीमा का प्रावधान शामिल है, होना आवश्यक है। जीविका संबंधी स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा तपेदिक और सिलिकोसिस का इलाज किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वाराणसी जैसे जगहों पर बुनकरों पर काफी बिजली बिल बकाया है, जिन्हें चुकता कर उन्हें कर्ज के चक्र से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है।

बेहतर नियंत्रण:

5.30 अधिकांश निवेश प्रदायक संस्थाएं केन्द्रीकृत हैं इसलिए वे प्रकीर्ण और ज्यादातर गृह आधारित उद्योगों तक नहीं पहुंच पातीं। विभिन्न केन्द्रीय और राज्य निकायों द्वारा वर्तमान समय में चलाई जा रही योजनाएं फाइलों के रूप में चल रही हैं जिनमें शायद ही कोई भिन्नता है।

अन्य उपाय:

5.31 11वीं योजना के दौरान हथकरघा उत्पादों की ब्राउन्डिंग, हथकरघा समूहों की मैपिंग, डिजाइन बैंकों तथा हथकरघा अनुसंधान केन्द्रों का विकास जैसी विभिन्न चुनौतियां हैं। उद्योग में अनुसंधान के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र, ऊर्जा संरक्षण उपाय, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता में सुधार आंतरिक खपत के लिए सस्ता एवं टिकाऊ परिधान उपलब्ध कराना है।

भावी रास्ता :

5.32 11वीं योजना के दौरान हथकरघा के पुनरुद्धार के लिए सरकारी हस्तक्षेप दो तरह के हस्तक्षेपों पर केन्द्रित होगा: नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित। नीति हस्तक्षेप में चीनी सिल्क पर से एण्टी डम्पिंग ड्यूटी हटाना, कपास के धागे के निर्यात संबंधी नीति निर्दिष्ट करना, कपास धागे की उपलब्धता, मूल्य संवर्धित ताक उत्पाद के रूप में विपणन और सरकारी संस्थाओं द्वारा वरीयता के आधार पर अधिप्राप्ति जैसे मुद्दे शामिल होंगे। समुचित क्रमबद्ध हस्तक्षेपों द्वारा इनका संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए वर्कशेड योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना और दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) जैसी 10वीं योजना की मौजूदा योजनाओं की उपयुक्त ढंग से पुनर्संरचना की गई है। प्रचालनों को एक धारा में लाने के लिए विभिन्न हथकरघा योजनाओं को चार प्रमुख योजनाओं- एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, बुनकर कल्याण योजना, विपणन तथा निर्यात संवर्धन और विविधीकृत हथकरघा विकास योजना के अधीन आपस में मिला दिया गया है। बुनकरों की भलाई के लिए 11वीं योजना की योजनाओं में (क) स्वास्थ्य बीमा योजना, (ख) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, (ग) किफायती निधि योजना, (घ) पेंशन योजना और (ड.) विपत्ति राहत योजना शामिल हैं। बीमा योजना न केवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि बुनकरों के बच्चों के लिए शिक्षा घटक भी इसमें शामिल है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल या उससे ज्यादा आयु के बुनकरों को प्रतिमाह 200 रूपए प्रदान किए जाएंगे। विपत्ति राहत निधि, विपत्ति की स्थिति में और प्राकृतिक आपदाओं, दंगों, बाढ़ इत्यादि से प्रभावित बुनकरों को तत्काल राहत प्रदान करेगी।

5.33 एकीकृत हथकरघा विकास योजना समूह दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें मूलभूत निवेश तथा कार्यस्थल प्रदान किए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है और एसएचजी गठन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस अध्याय में शामिल और विचारित सभी क्षेत्रों के मामलों में वास्तव में समूह आधारित दृष्टिकोण पर 11वीं योजना काफी बल देगी। इस अध्याय में कवर किए गए और विचारित सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाए। अनुबंध 5.1 एक विस्तृत नोट प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत किसी बाहरी समूह विकास अभिकरण द्वारा समर्थित बुनकर समितियों का यह निर्णय करने के लिए सशक्तीकरण किया जाएगा। कौन-कौन से कार्यक्रम अपनाए जाने की आवश्यकता है। समूह उत्पादों का ब्राण्डिकरण, भारत सरकार के पास पंजीकरण तथा सांझा सुविधा केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। इससे बुनकरों को न केवल ज्यादा अधिकार मिलेगा बल्कि उत्पाद विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण और बड़े आर्डरों के संसाधन में भी सहायता मिलेगी। डीडीएचपीवाई के अंतर्गत डिजाइन विकास, उत्पाद विविधीकरण, प्रचार, सांझा सुविधा केन्द्रों, बाजार सर्वेक्षण तथा बाजार प्रोत्साहनों के लिए वित्तीय सहायता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्कशेड सह हाउसिंग योजना सहकारिता के दायरे से बाहर के बुनकरों पर भी लागू किया जाएगा।

5.34. ब्राण्ड इक्विटी, बाजार सलाह प्रदान करने, बाजार इवेण्ट-एक्सपोज, मेला इत्यादि का दोहरीकरण तथा संवर्धक वेबसाइटों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विपणन संवर्धन कार्यक्रम (एमपीपी) को पुनर्संरचित किया जाएगा। पर्यटन तथा व्यापार के महत्वपूर्ण स्थलों पर शहरी हाट तथा बाजार परिसर स्थापित किए जाएंगे। नए बन रहे मालों, बाजार परिसरों, बड़े रिटेल स्टोरों इत्यादि में किराए पर स्थान लिया जाएगा। निजी उद्योग घरानों से हथकरघा बिक्री केन्द्रों के लिए स्थान रखने का अनुरोध किया जाएगा। फ्रांस के विनेयाई टूरिज्म, इटली के ग्लास टूरिज्म (मुरानो ग्लास फैक्ट्री) के सामान फैब्रिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रृंखलाओं और होटलों को हथकरघा उत्पादों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। बड़ी फुटकर एनआईएफटी तथा एसएचजी सहकारिताओं की भागीदारी से विशेष फैशन शो आयोजित किए जाएंगे ताकि विद्यालयों और महाविद्यालयों के उत्सवों में युवाओं तक इसे पहुंचाया जा सके। नामचीन लोगों द्वारा प्रवर्तित एक वृहद प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। इसी के साथ भौगोलिक संकेत अधिनियम के अंतर्गत परम्परागत डिजाइनों और पद्धतियों के संरक्षण के उपाय भी शुरू किए जाएंगे। हथकरघा चिह्न को हाथ से बुने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के उपयोग में लाया जाएगा और क्रेता को इस बात की गारंटी दी जाएगी कि उसके द्वारा खरीदा गया उत्पाद शुद्ध रूप से हाथ से बुना हुआ है। हथकरघा

निर्यात क्षेत्र में उद्यमियों तथा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हथकरघा निर्यात योजना को एमपीपी के अंतर्गत मिला दिया जाएगा। आशा है कि निर्यात 15 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ेगा और 11वीं योजना के अंत तक 10,000 करोड़ रु. तक पहुंच जाएगा।

5.35 विविधीकृत डिजाइन विकास योजना के अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर डिजाइन सृजित करने के लिए हथकरघा समूहों में 20 डिजाइन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। ये डिजाइन स्टूडियो भारत सरकार और उद्योग हथकरघा निर्यात प्रोन्नति परिषद (एचईपीसी) (75: 25 का अनुपात) के मध्य एक संयुक्त उद्यम होंगे। सभी परंपरागत डिजाइनों को जगह देते हुए एक दाय पुस्तकालय भी सृजित किया जाएगा। हैंक यार्न जैसे इनपुट को भी मिल गेट दर पर प्रदान किया जाएगा।

5.36 नाबार्ड के प्रबंध निदेशक को संयोजक के रूप में लेकर बनी एक समिति ने निम्नलिखित का सुझाव दिया है (1) एपेक्स समितियों और प्राथमिक समितियों के तुलन पत्रों का परिमार्जन, (2) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों और शीर्ष समितियों के ब्याज तथा देर से बकाया ऋणों की माफी, (3) ब्याज अनुदान-कार्यकारी पूंजी, (4) हथकरघा विकास तथा इक्विटी फण्ड में योगदान और हथकरघा बुनकरों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना। इस रिपोर्ट और वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर हथकरघा के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का निरूपण किया गया है।

5.37 योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए गैर सरकारी/स्वयंसेवी क्षेत्र की सहायता से डिलीवरी तंत्र को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। सभी योजनाओं को स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचुर रूप से प्रचारित किया जाएगा। स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा, आदि की विभिन्न योजनाओं के मध्य अभिसरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस दिशा में एक आवश्यक कदम बुनकरों और शिल्पियों की

मैपिंग होगी। हथकरघा की शानदार विरासत का संरक्षण उन लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्पाद के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने इस विरासत को सृजित किया है।

हस्तशिल्प

5.38 हथकरघा की तरह यह क्षेत्र भी सर्वाधिक सीमान्त लोगों के जीवन को छूता है और जिसमें पूर्वोत्तर, सीमावर्ती राज्य, जम्मू तथा कश्मीर, रेगिस्तान के बाशिन्दों आदि जैसे कठिन श्रेणी की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित कर देने की क्षमता है। ये उपयोगी वस्तुओं से व' तथा जीवनशैली मदों की किस्मों तक की वस्तुओं की श्रृंखला का उत्पादन करते हैं।

वर्तमान स्थिति

5.39 10वीं योजना अवधि के दौरान हस्तशिल्प उप समूह के निष्पादन का ब्यौरा सारणी 5.2 में दिया गया है।

5.40 मौजूदा वैश्विक हस्तशिल्प बाजार की कीमत 400 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा आंकी गई है। इसमें चीन का हिस्सा 30 प्रतिशत और भारत का 2 प्रतिशत से भी कम है। गत 10 वर्षों में हमारे हस्तशिल्प निर्यात बाजार की औसत वार्षिक वृद्धि दर 15 प्रतिशत है। अगले 5 वर्षों के दौरान इसमें 42 प्रतिशत की वृद्धि प्रक्षेपित की गई है और यह 9100 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रभावी रकम सृजित करेगा। भारतीय हस्तशिल्प का पसंदीदा गंतव्य संयुक्त अमरीका राष्ट्र है जो कि हमारे कुल निर्यात का 29.59 प्रतिशत बैठता है। 2004-05 में यूरोप को निर्यात 33.86 प्रतिशत था¹¹।

5.41 इसके बावजूद लकड़ी का कार्य, धातु कार्य तथा कालीन आदि जैसे कुछ शिल्प समृद्ध हो रहे हैं, दूसरे छटपटा रहे हैं। यद्यपि हस्तशिल्प निर्यात वृद्धि की दिशा में तरक्की कर रहा है फिर भी वे आय में प्रतिबद्ध वृद्धि को नहीं पा रहे हैं। राजसमुंद (रजत मीनाकारी), भोपाल (जरी कार्य), भदोही (कालीन) तथा इन्दौर

तालिका 5.2
दसवीं योजनावधि के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्रक का निष्पादन

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	सीएजीआर%
उत्पादन (रु. करोड़)	19, 565	24,019	28, 936	29804	38, 660	14.5%
रोजगार (लाख व्यक्ति)	60.16	61.96	63.81	65.72	67.69	2.3%
निर्यात (रु. करोड़)	10,934	12,768	15,616	17,277	20, 963	14.0%

स्रोत: विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय

¹¹ भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

(कढ़ाई-कशीदाकारी) जैसे स्थानों में गत दो वर्षों में मजदूरी में परिवर्तन नहीं हुआ है। जरी, रत्नों तथा गहनों की इकाइयों में अपनी निपुण अंगुलियों के कारण अक्सर महिलाओं और बच्चों को नियुक्त किया जाता है। कार्य की स्थितियां उत्पीड़क हैं और कामगार मात्र 10-15 रूपए प्रतिदिन मजदूरी कमाते हैं। लाभ बिचौलियों तथा निर्यात गृहों द्वारा ले लिया जाता है। जैसा कि हथकरघा के मामले में है, शिल्प का पूरे देश में कोई डाटाबेस अथवा मापांकन नहीं है।

चुनौतियां

5.42 हथकरघा तथा हस्तशिल्प के मध्य अंतर अक्सर बनावटी तथा समझने में मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए यद्यपि कालीन हाथ से बुने होते हैं फिर भी हस्तशिल्प के रूप में गिने जाते हैं। यह अंतर कामगारों की योजनाओं तक पहुंच को सीमित बनाता है और अनेक मामलों में प्रयासों की पुनरावृत्ति के रूप में परिणत होता है। इसे हल करना 11वीं योजना की प्रमुख चुनौती होगी। पैरा 5.22 से 5.31 में उल्लिखित सामान्य चुनौतियों के अलावा हस्तशिल्पियों को पेश आ रही हस्तशिल्प क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियां हैं।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

- पुरानी और बेकार हो चुकी प्रौद्योगिकी कठोर मजदूरी को बढ़ाती है, श्रमगारों के स्वास्थ्य पर असर डालती है, उत्पादकता घटाती है और अनेक मामलों में गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालती है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव

- मुद्रण, धातु कर्म, डाई का प्रयोग, लकड़ी का कार्य पर्यावरण तथा स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालता है। चूंकि अधिकांश इकाइयों घरों में स्थित हैं और उनकी क्षमता लघु स्तरीय है, अतः उनमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तथा सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाओं का अभाव रहता है। इसलिए वे नान-टैरिफ बैरियरों में फंसती हैं। शिल्पियों के लिए पेशागत स्वास्थ्य और निस्त्राव के उपचार तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित करना सुनिश्चित करने की चुनौती है।

शिल्पियों के हितों की सुरक्षा

- तशिल्प क्षेत्र में चल रही बहस (उल्लेखनीय रूप से कालीन बुनाई के क्षेत्र में) श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन के बारे में है कि निर्यात गृहों को फैलने की अनुमति दी जाए। 11वीं योजना की चुनौती वास्तविक उत्पादक शिल्पी के हितों का उत्पादकता संबंधी लाभों के साथ संतुलन बनाने की है। एक आवर्ती सुझाव यह है कि यदि राज्य सरकारें

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हों तो फर्मों को कुछ लचीलेपन की अनुमति दी जा सकती है।

गुणवत्ता नियंत्रण तथा मानकीकरण:

- मानकीकरण प्रक्रिया की कमी तथा कच्चे माल और उत्पादों के प्रभावीकरण तथा परीक्षण की अपर्याप्त सुविधाओं से निर्यात क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है।

भावी रास्ता

5.43. 11वीं योजना के दौरान हस्तशिल्प उत्पादन को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ाए जाने (2007-08 के 43,600 करोड़ रूपए से 2011-12 में 90,412 करोड़ रूपए), निर्यात दोगुना (2007-08 के 23, 400 करोड़ रूपए से 2011-12 में 48,522 करोड़ रूपए) और लगभग 11 लाख अतिरिक्त नौकरियों के सृजन का प्रस्ताव है। विशेष लक्ष्यों जिसमें 500 करोड़ रूपए का निर्यात कारोबार और 150 करोड़ रूपए का ऋण प्रवाह शामिल है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। इसके लिए अवसंरचना महत्वपूर्ण है। सरकारी संसाधनों के संवर्धन के लिए सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी के आधार पर योजनाएं अपनाई जाएंगी। योजनाओं तथा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और शिल्पियों का परिशुद्ध डाटाबेस संग्रहीत करने के लिए सरकार अच्छे गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करेगी। सेवाओं की बेहतर डिलीवरी तथा प्रभावी और लक्षित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 10वीं योजना की मौजूदा योजनाओं को 11वीं योजना में संशोधित किया गया है और 7 योजनाओं में मिला दिया गया है।

5.44 समावेशी विकास उन्मुखी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 11वीं योजना में सभी योजनाओं की कम से कम 10 प्रतिशत राशि को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिन्हित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा एससी/एसटी एवं अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें शामिल हैं: (i) विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना की गुरु शिष्य परम्परा के अंतर्गत महिलाओं तथा एससी/एसटी समुदायों के शिल्पियों के लिए कौशल उननयन हेतु, तथा (ii) अल्पसंख्यक शिल्पियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के सहयोग से विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय की सभी मौजूदा योजनाओं में विशेष घटक की शुरुआत की जाएगी।

पावरलूम

5.45 आज, विकेन्द्रीकृत पावरलूम क्षेत्र 48.60 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और देश में कुल कपड़ा उत्पादन का 62 प्रतिशत योगदान करता है।

बॉक्स 5.3
11वीं योजना की स्कीमें-हस्तशिल्प

- बाबा साहब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना: मांग आधारित, आवश्यकता आधारित संशोधित एकीकृत हस्तशिल्प समूह विकास योजना साझा सुविधा केन्द्र तथा ई-कियोस्क की स्थापना: प्रचार, औजार किट्स का वितरण इसमें शामिल होगा। लक्ष्य: 4 लाख शिल्पियों को कवर करते हुए 322 जिलों के 375 नये समूह।
- डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन: कौशल संवर्धन नए डिजाइन, प्रौद्योगिकी, अभिनव उत्पाद, विलुप्त हो रहे शिल्प के पुनरुद्धार, डिजाइन बैंकों की स्थापना पर जोर। लक्ष्य: 1000 डिजाइन कार्यशाला तथा 400 एकीकृत डिजाइन परियोजना जिनसे 38600 शिल्पी लाभान्वित होंगे।
- बाजार समर्थन, सेवा तथा निर्यात संवर्धन: यह योजना जारी रहेगी। लक्ष्य 1.2 लाख शिल्पी।
- अनुसंधान तथा विकास योजना: इस योजना में अनुसंधान अध्ययन, हस्त शिल्पियों की अखिल भारतीय जनगणना, छः प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी अंतरणअनुकूलन शामिल है।
- वृहद हस्तशिल्प शिल्पी कल्याण योजना: इस योजना में बीमा योजना तथा राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल हैं। लक्ष्य: 2 लाख शिल्पी प्रति वर्ष प्रति योजना।
- मानव संसाधन विकास: 10वीं योजना के दौरान क्रियान्वित विशेष शिल्पी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। लक्ष्य: 12 लाख शिल्पियों तथा हिस्सेदारों का क्षमता निर्माण।
- विशिष्ट आवश्यकता आधारित अवसंरचना भवन, हाट एक्सो मार्ट आदि के विकास हेतु अवसंरचनात्मक परियोजनाएं।

मौजूदा स्थिति

5.46 31 मार्च 2006 तक यहां लगभग 4.30 लाख पावरलूम इकाइयां थीं जिनमें 19.44 लाख लूम हैं। इसमें से लगभग 3.66 लाख लूम अकेले तमिलनाडु में 9.14 व्यक्तियों को रोजगार दिए हुए हैं। पावरलूम क्षेत्र का प्रौद्योगिकी स्तर बेकार सादा लूम से लेकर उच्च तकनीक वाली शटल लेस लूम तक है। अधिकांश लूम पुराने हैं।

चुनौतियां

5.47 पावरलूम न केवल देश की अधिकांश कपड़ा आवश्यकता की पूर्ति करता है बल्कि निर्यात के 60 प्रतिशत फैब्रिक का भी योगदान करता है। संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इटली, इत्यादि प्रमुख बाजार हैं। देश के भीतर भी फैब्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेडीमेड कपड़ों और घरेलू पावरलूम क्षेत्र पूरी तरह से पावरलूम क्षेत्र पर आश्रित है। पावरलूम क्षेत्र की 10वीं योजना के दौरान वास्तविक उपलब्धि सारणी 5.3 में दी गई है।

5.48 वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पावरलूम के समक्ष प्रमुख चुनौती है इसे इस रूप में देखना है कि यह वृहद उत्पादन की पूर्ति में उल्लेखनीय रूप से दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं में संलग्न हो सकता है। जबकि पावरलूम कपड़े को हथकरघा के रूप में बेचा जाना रोका जाएगा। गरीब पावरलूम पर नकल किया जाना रोका जाएगा और पावरलूम बुनकरों को हथकरघा उद्योग की समस्याओं के लिए दृष्टि नहीं किया जाएगा। वास्तव में हथकरघा बुनकरों के समान ही अनेकों पावरलूम बुनकर भी ऋण की कमी, गुणवत्ता वाले कच्चा माल, घटिया किरम की डाइयों, समुचित बाजार संबंधों का अभाव तथा बिचौलियों के हाथों शोषित होने की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अधिकांश आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सीमांत समूहों से आते हैं। रेशे की कीमतों में घट-बढ़ से भी वे समान रूप से प्रभावित होते हैं। कोन यार्न पर कर से भी उनका लाभ प्रभावित हुआ है। 11वीं योजना की चुनौतियां हैं:

- पावरलूम केन्द्रों तथा इकाइयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति एक बड़ी चुनौती है। इसके बगैर करघे शांत हो जाएंगे और बुनकर बड़े घाटे में होंगे।

तालिका 5.3
10वीं योजनावधि के दौरान वर्षवार निष्पादन

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	सीएजीआर
कपड़ा उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर)	25,954	26,947	28,325	30,626	33,159	5.0 प्रतिशत
रोजगार (लाख व्यक्ति)	42.32	45.92	47.57	48.60	49.76	3.2 प्रतिशत
निर्यात (रु.करोड़)	6007.17	6201.72	6302.43	7562.08	लागू नहीं	6.0 प्रतिशत

नोट: (निर्यात आंकड़े कपड़ा निर्यात के लिए हैं जिसमें पावरलूम कपड़े तथा निर्यात किए गए तैयार वॉ के लिए उपयोग में लाया गया कपड़ा शामिल है।)

स्रोत: कपड़ा मंत्रालय

- पावरलूम बुनकर टी.बी. सिलिकोसिस, श्रवण शक्ति खोना जैसी अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं। बुनकरों और उनके परिवारों को पेशागत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की चुनौती है। लूमों के अविश्राम शोर को देखते हुए यह आवश्यक है कि लूमों को घरों से हटाकर सांझा वर्कशेडों में लाया जाए।
- देश के अधिकांश पावरलूम पुराने पड़ चुके हैं तथा उत्पादकता और लाभ बढ़ाने के लिए इन्हें तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है। तथापि भिवांडी और माले गांव जैसे स्थानों के पावरलूम बुनकर इतने गरीब हैं कि वे टीयूएफएस अथवा उन्नयन के लिए वित्त पोषण का लाभ उठा नहीं सकते हैं। चुनौती ऐसी योजनाएं लाने की है जो कि गरीब पावरलूम मजदूरों का उनके लूमों के उन्नयन में सहायक हों।

भावी रास्ता:

5.49 पावरलूम कपड़े का उत्पादन 2007-08 में 38,138 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़कर 58,437 मिलियन वर्गमीटर करने और 11वीं योजना के अंतिम वर्ष तक 56.05 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात स्तर तक पहुंचाने का प्रस्ताव है।

5.50 हथकरघा और हस्तशिल्प के मामलों के समान ही पावरलूम क्षेत्र के लिए भी दो प्रकार के उपाय आवश्यक हैं। रेशा उपलब्धता और मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों से निपटने और हथकरघा तथा पावरलूम के मध्य चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, मूल्यवर्धित वस्त्र की प्रोन्नति, मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सुदृढीकरण, डिजाइन बैंकों तथा सीएडी केन्द्रों का सृजन, ऋण की आसान सुलभता और आधुनिकीकृत वर्कशेड योजना पर ध्यान केन्द्रित कर कार्यक्रमानुसार हस्तक्षेप किया जाएगा। यहां भी समूह दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यार्न डिपो, डाइंग हाउस, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आदि प्रदान किए जाएंगे। बुनकरों को एसएचजी में संगठित किया जाएगा और अपने लूमों सांझा को वर्कशेड में ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिनी पावर जेनरेशन संयंत्रों की स्थापना में समूहों को सहायता दी जाएगी। 11वीं योजना के दौरान समूह विकास गतिविधियों को 50 पावरलूम समूहों में शुरू किया जाएगा। उत्पाद नवीनता और विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा बुनकरों का समूह विकास समितियों में शामिल किया जाएगा।

5.51 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को संशोधित किया जाएगा और ग्यारहवीं योजना में जारी रखा जाएगा। इस समय शोलापुर, सूत तथा ईचलकरंजी जैसे स्थानों की पावरलूम इकाइयां प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का लाभ लेने में समर्थ हैं, माले गांव

(महाराष्ट्र), बुरहानपुर तथा मऊ जैसे पिछड़े क्षेत्रों में कमजोर इकाइयां आपसी गारंटी प्रदान करने में अपनी अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। उनके लिए एनसीडीसी कॉंपरेटिव फण्डिंग रूट अधिक उपयोगी रहेगा। 11वीं योजनावधि के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि कमजोर और छोटी पावरलूम इकाइयां इस योजना का लाभ ले सकें।

5.52 इसके अलावा इस क्षेत्र से जुड़े लोगों, लूमों की संख्या और किरमों के प्रोफाइल पता लगाने के लिए पावरलूम सेक्टर का सर्वेक्षण भी कराया गया। नए सीएडी केन्द्रों की स्थापना की जाएगी और पावरलूम सेवाओं का उन्नयन किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे कामगारों के लिए घोषित स्वास्थ्य बीमा योजना को पावरलूम कामगारों तथा उनके परिवारों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

5.53 वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में मात्र एक राज्य ऐसा है जहां पावरलूम अस्तित्व में है। गुवाहाटी (असम) में लगभग 2700 परम्परागत लूम हैं जो ऐसा लगभग 7000 कामगारों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। अधिकांश लूम जॉब कार्य, एक्रेलिक शालों के उत्पादन में लगे हैं। गुवाहाटी पीएससी में एक नए सीएडी की स्थापना की संभाव्यता की जांच की जाएगी।

रेशम उत्पादन

5.54 भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां सभी प्रकार के ज्ञात वाणिज्यिक रेशम नामतः मलबेरी, टसर, एरी, तथा मूंगा उत्पादित होते हैं। यह विश्व में कच्चे रेशम का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में, 60 लाख से अधिक परिवार अधिकांशतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू तथा कश्मीर और असम राज्यों में इस श्रम साध्य कृषि आधारित उद्योग में खाद्य पौधों की खेती, रेशम, रेशम उत्पादन, रेशम को चरखी पर लपेटना, ऐंठना, चिपचिपाहट निकालना, बुनाई, रंगाई, छपाई तथा वस्त्र विनिर्माण से जुड़े हैं। रेशम कीट पालन उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार तथा पूर्वोत्तर में विकास के विभिन्न चरणों में है।

5.55 भारत में रेशम उत्पादन एक निर्वहनीय फार्म आधारित आर्थिक उपक्रम है जो आय का एक मजबूत स्रोत सृजित करता है (एक एकड़ सिंचित मलबेरी से लगभग 4 से 5 हिस्सों में औसतन 45,000 रु. वार्षिक निबल आय)। रेशम कीट पालन में, उल्लेखनीय रूप से टसर उत्पादन में लोग जनजातीय समूहों के हैं। अनुमान लगाया गया है कि मलबेरी के प्रत्येक हेक्टेयर से लगभग 16 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। बुनाई उद्योग के अलावा रेशम उत्पादन विज्ञान किसानों के लिए भी लाभकारी है। आज इस पर निर्भर 60 लाख लोगों में से 47 लाख कृषक हैं।

वर्तमान स्थिति

5.56 चीन 102,560 मीट्रिक टन (81.65 प्रतिशत) कच्चे रेशम का उत्पादन करता है और सबसे बड़ा निर्यातक है जबकि भारत विश्व के कच्चे रेशम उत्पादन में लगभग 13 प्रतिशत का योगदान करता है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। मैसूर स्थित केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के अनुसार लगभग 25000 मीट्रिक टन की रेशम आवश्यकताओं की तुलना में भारत लगभग 15,000 मीट्रिक टन का ही उत्पादन करता है। शेष मांग की पूर्ति आयात के माध्यम से होती है। 2006-07 में 600 करोड़ रु. मूल्य का लगभग 9,258 टन रेशम चीन से आयात किया गया। इसके परिणामस्वरूप कोकून की कीमतें गिर गईं और कर्नाटक में लगभग 49,000 हेक्टेयर की मलबेरी फसल उखाड़ दी गई थी जिससे देश के समग्र रेशम उत्पादन को 3000 टन की हानि हुई¹³। इस प्रकार जबकि रेशम की उत्पादकता नवीं योजना से 10वीं योजना तक 16 किग्रा से 85 किग्रा कच्ची रेशम प्रति हेक्टेयर वर्ष तक बढ़ गई है फिर भी कच्चे रेशम का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है। 26,450 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के कुल उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 2005-06 तक मात्र 15,445 मीट्रिक टन और 10वीं योजनावधि के अंत तक 16,805 मीट्रिक टन की उपलब्धि हुई (सारणी 5.4)। यह मलबेरी बिबोल्टीन कच्चे रेशम उत्पादन में कमी के कारण था। बावजूद इसके कि 17 नए घटकों को उत्प्रेरक विकास योजना में बिबोल्टीन उत्पादन का लक्ष्य रखते हुए शामिल किया गया है। दसवीं योजना के दौरान वास्तविक उपलब्धि सारणी 5.4 में दी गई है।

5.57 भारतीय रेशम निर्यात परिष्कृत सामान के रूप में होता है न कि रेशम धागे के रूप में। इस प्रकार भारतीय निर्यात व्यापक रूप से चीन, संयुक्त राज्य अमरीका, यू.के., इटली, जर्मनी तथा हांगकांग से गुणवत्ता वाले रेशम के आयात पर निर्भर है जो कुल मिलाकर भारत से कुल रेशम निर्यात का 55 प्रतिशत से अधिक बैठता है। प्राक्कथन बताते हैं कि विश्व बाजार की मांग की पूर्ति

के लिए भारत के 120,000 मीट्रिक टन रेशम की जरूरत है। बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ रेशम उत्पादन उद्योग अपनी उत्पादकता को मौजूदा 9 प्रतिशत की तुलना में 15 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।

चुनौतियां

5.58 भारतीय रेशम उत्पादन उद्योग, जो न केवल मात्र किसानों और धागा तैयार करने वालों को जीविका प्रदान करता है बल्कि रंगाई करने वालों और रेशम बुनकरों को भी जीविका प्रदान करता है। इस समय अन्य क्षेत्रों के समान ही अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है। तथापि यह कुछ इस प्रकार की विशेष चुनौतियों को झेल रहा है:-

- रेशम की गुणवत्ता सुधारना: चीन की तुलना में भारतीय रेशम धागा बहुत खराब गुणवत्ता वाला है। इससे विश्व बाजार में न केवल हमारी प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ता है बल्कि यह घरेलू क्षेत्र में भी आयातित धागे को वरीयता देने लगा है। यद्यपि भारतीय प्रजाति में चीन के समान बिबोल्टीन रेशम की गुणवत्ता का उत्पादन करने की क्षमता है किंतु यहां उन्नत प्रौद्योगिकी, कड़े रोग नियंत्रण उपाय, मलबेरी बगीचों में अपर्याप्त आदानों की वजह से गुणवत्ता वाली पत्तियों की कमी, कम उम्र के रेशम कीड़ों का प्रयोग, कोकून तथा गुणवत्ता आधारित मूल्य प्रणाली के लिए उपयुक्त ग्रेडिंग प्रणाली के अभाव पर पर्याप्त बल नहीं दिया जा रहा है।
- उत्पादन में गिरावट पर रोक लगाना: मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्षेत्र आधारित विशिष्ट अनुसंधान प्रारंभ किए जाने की चुनौती है जो कुल मिलाकर मृदा और मलबेरी तथा नॉन मलबेरी होस्ट प्लांट लीफ तथा रेशम के फूड प्लांटों के क्षरण को रोकेंगा।
- मल्टीवोल्टाइन बनाम बीवोल्टाइन: बीवोल्टाइन धागा ज्यादा मजबूत होता है और पावरलूम उद्योग में प्रयुक्त होता है

तालिका 5.4
दसवीं योजना के दौरान रेशम उत्पादन क्षेत्रक का निष्पादन

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कच्चा रेशम उत्पादन (मीट्रिक टन)	14,617	13,970	14,620	15,445	16,805
रोजगार (लाख व्यक्ति)	56.00	56.50	58.00	59.50	60.03
निर्यात (रु. करोड़)	2294.05	2779.19	2879.56	3194.20	3200.00

स्रोत : केन्द्रीय रेशम बोर्ड, कपड़ा मंत्रालय

¹² भारतीय रेशम उद्योग, गौरव दोशी

जबकि भारत में उत्पादित रेशम का मात्र 5 प्रतिशत ही बीवोल्टाइन है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए ज्यादा ध्यान और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसकी वर्ष में मात्र 2 फसलें ही होती हैं जबकि मल्टीवोल्टाइन की 4-6 फसलें होती हैं। चूंकि बीवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन रेशम के बिक्री मूल्य में ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए किसान बीवोल्टाइन रेशम धागा उत्पादन की ओर उन्मुख होने को कोई प्रोत्साहन नहीं देते। अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकी पैकेजों अपर्याप्त रूप से अपनाए जाने और प्रसारित न होने, मलबेरी के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाए जाने का प्रयास न किया जाना, खंडित तथा तदर्थ दृष्टिकोण, बीज उत्पादन, खेती तथा धागा लपेटने में निजी भागीदारी योजनाओं पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाना, अनुचित अगड़े और पिछड़े संयोजन, सस्ती चीनी, रेशम, रेशम की डम्पिंग इसके दूसरे कारण हैं। 11वीं योजना की चुनौतियों में किसानों को समुचित प्रोत्साहनों के माध्यम से मल्टीवोल्टाइन उत्पादन से बीवोल्टाइन रेशम की ओर लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। फिर भी उत्पादन जारी रखने के लिए हथकरघा क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में मल्टीवोल्टाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सावधानी बरतनी चाहिए।

- रेशम पर एण्टी डम्पिंग ड्यूटी: सूखा और सस्ते मूल्य के चीनी रेशम की डम्पिंग के कारण 2002-04 के दौरान बुवाई क्षेत्र और कच्चे रेशम उत्पादन में कमी आई। रेशम उत्पादक चाहते हैं कि आयातित कच्चे रेशम को प्रतिबंधित किया जाए और धागे पर एण्टी डम्पिंग ड्यूटी बरकरार रखी जाए। दूसरी ओर निर्यातक तथा बुनकर चाहते हैं कि उन्हें धागे की सुनिश्चित आपूर्ति हो और वे प्रतिस्पर्धी दरों पर ज्यादा रेशम उत्पादों का निर्यात कर सकें। चुनौती किसानों तथा बुनकरों की आशाओं को संतुलित करने की है।

नान-मलेबेरी सिल्क उत्पादन:

- देश का नान-मलबेरी सिल्क उत्पादन निरंतर अस्थिर बना हुआ है और वर्ष दर वर्ष उतार-चढ़ाव वाला रहा है। भारत के लिए अपनी अद्वितीयता के साथ मूल्य वर्धित निर्यात के लिए इनमें बहुत संभावना है।
- गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता: लिंग क्षेत्र निवेश पर निर्भर गतिविधि है और इसके कार्यकलाप मुख्यतया तीन कारकों से बुरी तरह प्रभावित होते हैं- कोकून की गुणवत्ता, कोकून का मूल्य तथा कोकून की आपूर्ति। तथापि, गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण के अभाव में यहां गुणवत्ता नियंत्रण बहुत कम है।

भावी रास्ता

5.59 केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने वर्ष 2011-12 तक 26,000 टन कच्चे रेशम के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया है और इसने यह भी प्रस्तावित किया है:

- 0.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का समावेश करके मलबेरी रेशम कीट फूड प्लांट के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाकर 2.5 लाख हेक्टेयर करना। इससे 6400 मीट्रिक टन अतिरिक्त मलबेरी का उत्पादन होगा।
- एन.पी. राष्ट्रीय मलबेरी सिल्क उत्पादन को 85 किलोग्राम/ हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति वर्ष करना।
- नान-मलबेरी रेशम के उत्पादन को 125 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 150 ग्राम करना।
- रोजगार को 77.04 लाख तक और निर्यात को 4500 करोड़ रुपये तक बढ़ाना।

5.60 इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्री-कोकून तथा पोस्ट-कोकून खण्डों दोनों में निजी क्षेत्र और विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योगों के गठजोड़ को प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्यम तथा लघु निगमित क्षेत्रों को एक भागीदारी दृष्टिकोण (सब्सिडी आधारित नहीं) के माध्यम से संविदा कृषि द्वारा कोकून उत्पादन में सहायता दी जाएगी। रेशम की सभी किस्मों के लिए सीलिंग, ट्विस्टिंग, कताई तथा ब्लेडिंग के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास किए जाएंगे और विदेशी कपड़ों जो कि फर्निशिंग, कालीन और अन्य ड्रेस सामग्री में प्रयुक्त होते हैं, को सृजित किया जाएगा।

5.61 10वीं योजना के दौरान रीलिंग क्षेत्र की वृद्धि खराब रही। यहां लगभग 1,82,000 हथकरघे और 30,000 पावरलूम हैं जिनकी औसत आयु 15-20 वर्ष है। पुरानी मशीनों को अपग्रेड करने से लगभग 20 प्रतिशत उत्पादकता वृद्धि के अलावा धागा गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। 7000 मीट्रिक टन तक अतिरिक्त कच्चे रेशम का उत्पादन 80,000 हथकरघों तथा 20,000 पावरलूम शटल लूमों की उदरपूर्ति करेगा। इसलिए उत्पादकता बढ़ाने और कठोर चाकरी घटाने के लिए नॉन मलबेरी रीलिंग कताई कार्यकलापों को समर्थन देने हेतु हथकरघा, पावरलूम तथा शुष्क प्रसंस्करण क्षेत्रों को अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है।

5.62 हाल ही में संसद द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम में रेशम कीट डिम्ब के उत्पादन और बिक्री हेतु एक नियामक तंत्र प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा 1) केवल प्राधिकृत प्रजातियों के बीज का उत्पादन और बिक्री; 2) अनधिकृत उत्पादन तथा व्यापार पर नियंत्रण; 3) अन्य देशों से बगैर आजमाए और परीक्षण विहीन संकरों के प्रवेश पर नियंत्रण व रोक जिससे बीमारियों तथा अन्य अज्ञात खतरों के लिए जाने की संभावना है।

5.63 11वीं योजनावधि में केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपनी सभी प्री तथा पोस्ट कोकून क्षेत्रों की योजनाओं को समूहों, ग्राम पंचायतों, साख वाले स्वयं सेवी संगठनों, ग्रामीण विकास अभिकरणों के रूप में क्रियान्वित करेगा। परियोजना निरूपण चरण से आगे तक उत्पादक समूहों के एक उत्पादक श्रृंखला में और भौगोलिक परिधि में विपणन योग्य उत्पाद विकसित करने में वित्त पोषण संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। सभी बाई बीवोल्टाइन कृषकों को चॉकी कीटों की आपूर्ति, वृहत् स्तरीय बाईवोल्टाइन बीज उत्पादन, रख-रखाव गृह, ग्रेनेज तथा चॉकी रख-रखाव केन्द्र तथा उन्नत रख-रखाव संयंत्रों की मौजूदा सीडीपी योजनाओं के तहत अपनाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों तथा विशेषज्ञ कृषकों की सक्रिय भागीदारी के साथ गहन प्रशिक्षण और प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे; ग्रेनेज तथा चॉकी रियरिंग केन्द्रों, कृषकों और डीलरों के मध्य संयोजन स्थापित किए जाएंगे। जो किसान बिवोल्टाइन उत्पादन करते हैं, उन्हें, हथकरघा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए बगैर, प्रोत्साहन देकर महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप प्रदान किए जाएंगे। रेशम उत्पादकों के साथ-साथ निर्यात विनिर्माताओं और बुनकरों के हितों को संतुलित रखते हुए कच्चे रेशम की आयात नीति की आवधिक समीक्षा की जाएगी।

5.64 गुणवत्ता संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानकों की पूर्ति हेतु बीज उत्पादन करना खेती, रीलिंग तथा प्रसंस्करण में भारी निवेश की आवश्यकता है। 11वीं योजना में छोटे कृषकों का बड़ी संख्या में बड़ा निवेश करने में समर्थ कुछ बड़े उद्यमियों के साथ संयोजन करने का प्रस्ताव है जैसा कि अरण्डी की खेती, गन्ने की खेती आदि के मामले में किया गया है। इस योजना में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि बड़े बिवोल्टाइन ग्रेनेज की स्थापना की जाए और इसे राज्य विभागों के लिए खोला जाए।

5.65 11वीं योजना के दौरान कच्चे माल की उपलब्धता, इण्टरनेट पर बाजार के रूख पर समयानुकूल सूचना उपलब्धता संभव बनाने के लिए विभिन्न कोकून तथा रेशम बाजारों की नेटवर्किंग करने के प्रयास किए जाएंगे। एनआईसी की वर्तमान अवसंरचना को प्रयोग में लाया जाएगा और सरकारी संस्थानों की तर्ज पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड का एक एनआईसी सैल प्रारंभ किया जाएगा। मलबेरी तथा रेशम कीड़ों के लिए कीट तथा रोग भविष्यवाणी तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की जाएगी ताकि रेशम उत्पादकों और राज्य विभागों को कीटों तथा रोगों के प्रभावी प्रबंधन का संगठन करने और हानि को न्यूनतम बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद तथा विभिन्न राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से जोड़ा जाएगा।

5.66 सिल्क मार्क जैसी अच्छा काम कर रही 10वीं योजना की मौजूदा योजनाओं को 11वीं योजना में जारी रखा जाएगा।

5.67 11वीं योजना के हस्तक्षेप क्षेत्रों तथा सामाजिक समूहों के लिए समावेशी विकास को बढ़ाएगा। सभी योजनाओं में कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी। एक महिला ऋण निधि स्थापित की जाएगी, महिला अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जाएगा और समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एससीएसटी जैसे अन्य सीमांत समूहों और अल्पसंख्यकों के लिए परिकल्पित योगदान के 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश को कम करना जैसी रियायतें की जाएंगी। सीमांत समूहों के बहुलता वाले क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

असंगठित ऊन क्षेत्र

5.68 ऊन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा गड़ेरियों को छोटे-मझोले और दीर्घ स्तरीय विनिर्माण इकाइयों के साथ गठजोड़ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस क्षेत्र में टैक्सटाइल माध्यम से तैयार कपड़ों, गारमेंट, बुने व'ी, कंबलों, कालीन तथा तकनीकी व'ोद्योग में सांकेतिक उपस्थिति का विविध उत्पाद आयाम भी है। भारत विश्व में कच्चे ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है जो कि विश्व के कुल उत्पादन का 1.8 प्रतिशत उत्पादन करता है। 2003 में यहां 615 लाख भेड़ें अर्थात विश्व की कुल भेड़ों का लगभग 4.2 प्रतिशत भेड़ें थीं।

5.69 ऊन उद्योग वृहत् रूप से संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मध्य बंटा हुआ है। संगठित उद्योग में शामिल हैं: (1) कम्पोजिट मिलें (2) कार्मिंग मिलें (3) वर्स्टेड तथा नॉन वर्स्टेड यूनिटें (4) नितवियर तथा वोवेन गारमेंट इकाइयां तथा (5) मशीन आधारित कालीन निर्माण इकाइयां। इससे जुड़े असंगठित उद्योग हैं- (1) होजरी तथा निटिंग (2) पावरलूम (3) हैण्ड नॉटेड कारपेट, ड्रगेट, नामदाह तथा (4) स्वतंत्र रंगाई तथा प्रसंस्करण गृह।

वर्तमान स्थिति

5.70 ऊन उद्योग इस समय 27 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है- संगठित क्षेत्र में 12 लाख, भेड़ पालन और खेती में 12 लाख और कालीन क्षेत्र में 3.2 लाख बुनकरों को। इस क्षेत्र की उत्पादकता धीमी है। ऊन उत्पादकता का विश्व औसत लगभग 3.5 किग्रा/भेड़/वर्ष है जबकि भारत में औसत 0.8 किग्रा/भेड़/वर्ष है। घरेलू ऊन की गुणवत्ता भी हल्की है। मूलरूप से यह कालीन श्रेणी का ऊन है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह ग्रामीण आधारित (भेड़ प्रजनन), रक्षा उन्मुखी (कंबल तथा व'ी) है और निर्यात में प्रासंगिक योगदान (कालीन) करती है। अच्छी गुणवत्ता वाली भारतीय ऊन का लगभग 80 कालीन निर्माण में जाता है। शेष में से 15 बहुत ही खराब श्रेणी का है, 5 परिधान श्रेणी किंतु कम लंबाई के औसत रेशे वाली है। राजस्थान (44%), जम्मू तथा कश्मीर (13%) कर्नाटक (12%) के साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा (23%) देश के प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य हैं।

5.71 चूंकि परिधान श्रेणी के ऊन का उत्पादन देश में पर्याप्त नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊन का आयात आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, मध्य पूर्व तथा अन्य देशों से किया जाता है। 2004-05 में देश में औद्योगिक स्तर पर कुल ऊन खपत 135 मिलियन किग्रा थी। इसमें से मात्र 55 मिलियन किग्रा घरेलू ऊन था शेष आयातित था। कुल आयातित 80 मिलियन किग्रा में 47 मिलियन किग्रा परिधान श्रेणी, तथा शेष कालीन श्रेणी का था। 10वीं योजना में आयातित ऊन की मात्रा में सतत रूप से बढ़ोतरी होती रही। किंतु ऊनी वस्तुओं का निर्यात भी 2002-03 के 3597.31 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005-06 में 4969.02 करोड़ रुपये हो गया। इसकी मुख्य वजह कालीन निर्यात था जिसने अपने उत्पादन का 95% निर्यात किया। यहां संगठित क्षेत्र की कुल 718 ऊन इकाइयां तथा अनेकों अन्य लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयां हैं। इस क्षेत्र की कुल ऊन सफाई क्षमता लगभग 30 मिलियन किग्रा है और सिंथेटिक फाइबर की सफाई क्षमता 3.57 मिलियन किग्रा है। इस उद्योग में लगभग 7228 पावरलूम कार्यरत हैं।

5.72 10वीं योजना के दौरान असंगठित ऊन क्षेत्र के लिए केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर द्वारा एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत ऊन रेशों का सुधार, प्रजाति सुधार, उत्पाद विकास, गुणवत्ता परीक्षण केन्द्रों का प्रावधान, रंगाई, कार्डिंग, डिजाइन विकास, उत्पाद विविधीकरण, प्रशिक्षण विकास तथा अंगोरा और पशमीना जैसे विशेष रेशों के सुधार और विकास हेतु सांझा सुविधा केन्द्र स्थापित किया जाना था। केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के कार्यक्रमों में 10वीं योजनावधि के अंत तक 55091 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया और 25.5 लाख भेड़ों को कवर किया गया है।

5.73 उत्पादकों, व्यापारियों तथा उद्योगों द्वारा आपूर्तित फाइबर के परीक्षण हेतु राजस्थान में बीकानेर तथा ब्यावर में केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा ऊन परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इस बोर्ड ने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी क्रियान्वित की हैं

और 1 सांझा सुविधा केन्द्र तथा दो सांझा सुविधा सह-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं।

5.74 ऊनी वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि में 10वीं योजना के दौरान मिलाजुला रुख प्रदर्शित हुआ है। हाथ से बने कालीनों ने सर्वोच्च वृद्धि रिकार्ड की है किंतु ऊनी यार्न तथा वर्स्टेड यार्न उत्पादन में आंशिक वार्षिक वृद्धि हुई। इसके बावजूद आस्ट्रेलियाई कच्चे ऊन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, उत्थान की कमी, मौसम की प्रतिकूलता, कॉटन के पक्ष में फैशन के रुख में बदलाव, जीवन शैली में परिवर्तन, राज्य सरकारों द्वारा कमजोर भागीदारी एवं अपर्याप्त अवसंरचना के कारण ऊन उद्योग इस समस्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

भावी रास्ता

5.75 10वीं योजना की उपलब्धियों और 11वीं योजना के अंतिम वर्ष के लक्ष्यों को सारणी 5.5 में दर्शाया गया है। असंगठित ऊन क्षेत्रक के लिए 11वीं योजना की स्कीमों को बाक्स 5.4 में दर्शाया गया है।

5.76 11वीं योजना अवधि में प्रति भेड़ उत्पादकता को वर्तमान 0.8 किलोग्राम प्रति भेड़ प्रति वर्ष से 1.5 किलोग्राम प्रति भेड़ प्रति वर्ष किया जाएगा। इस योजना अवधि में अच्छी गुणवत्ता वाली कारपेट ऊन के उत्पादन के लिए प्रयास किए जाएंगे। 10वीं योजना की स्कीमों में अनुकूल संशोधन के साथ जारी रखा जाएगा। दो नई योजनाएं-भेड़ों के साथ-साथ गड़रियों का बीमा भी शुरू किया जाएगा। प्रायोगिक आधार पर गड़रियों को उनके कच्चे ऊन का लाभकारी मूल्य दिलाने और खरीद के लिए एक अचल निधि की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान तथा उत्तराखण्ड की राज्य सरकारों ने ऐसी शुरुआतों द्वारा पहले ही अच्छे परिणाम प्रदर्शित किए हैं। ऊन क्षेत्र को पशुपालन तथा ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न विभागों के मध्य संयोजन की आवश्यकता है। 11वीं योजना में चराई भूमि तथा सांझी जमीन के लिए व्यापक नीति विकसित की जाएगी।

तालिका 5.5
ऊनी क्षेत्रक के लिए 10वीं योजना की उपलब्धियां तथा 11वीं योजना के लक्ष्य

मद	10वीं योजना की उपलब्धियां	11वीं योजना के दौरान परिकल्पित वृद्धि दर (प्रतिशत)	11वीं योजना का अंतिम वर्ष
ऊन उत्पादन (मिलियन किग्रा)	55.00	10 %	88.50
रोजगार (लाख व्यक्ति)	27.00	17 %	60.00
(निर्यात रु.करोड़)	5,600	13 %	10,000

स्रोत: केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, कपड़ा मंत्रालय

बाक्स 5.41
1वीं योजना की स्कीम

1. एकीकृत ऊन सुधार तथा विकास कार्यक्रम: उत्पादन बढ़ाना, प्रजाति सुधार सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य देखभाल, ऊन का विपणन, सर्वेक्षण तथा अध्ययन, प्रशिक्षण, स्वदेशी किस्म की ऊन का प्रसंस्करण और सुदृढ़ीकरण, बहु उद्देश्यीय प्रसार केन्द्रों की स्थापना आदि। लक्ष्य: 26 लाख नई भेड़ें 26000 नई भेड़ें तथा 15 फार्म, अंगोरा के अंतर्गत 400 परिवार एवं पशमीना ऊन विकास के अंतर्गत 2400 परिवार।
2. ऊन तथा ऊनी उत्पादों का गुणवत्ता प्रसंस्करण: रेशे तथा इसके अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ प्रसंस्करण सुविधाओं के प्रावधान में सहायता करना। लक्ष्य: 14 सीआरसी तथा 4 परिष्करण केन्द्र।

नई पहलें

3. दुर्घटनावश मृत्यु के साथ-साथ प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में भेड़ प्रजनकों के बीमा हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना। लक्ष्य: 93500 गड़रिए।
4. आग, बाढ़, अकाल, तूफान आदि और रोग सहित दुर्घटनाओं को कवर करने के लिए भेड़ों का बीमा। लक्ष्य: 24 लाख भेड़।

5.77 ऊन उद्योग की एक प्रमुख समस्या किसी ग्रेडिंग प्रणाली का वास्तविक अभाव है। ग्यारहवीं योजना में इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा।

5.78 ऊन का विपणन महत्वपूर्ण क्षेत्र है, परंतु यह कमजोर जुड़ाव वाला है। इसके लिए स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य उद्देश्यों के साथ परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ऊन उत्पादों के प्रसंस्करण तथा परिष्करण के लिए बहुत बड़े पूँजी निवेश की दरकार है जिसके लिए सरकार से सहायता के साथ सांझी अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नस्ल सुधार हेतु उच्च प्रजाति के जर्म प्लाज्मों का आयात करना होगा। चराई, प्राजन भेड़ों के लिए वनों में से रास्ते के मुहों के लिए विधायी उपायों की शुरुआत किए जाने की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी के आधार पर कालीनों और शालों के परिष्करण हेत सांझा सुविधा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरकारी समर्थन तथा सहायता से उद्योग संगठनों की भागीदारी प्राप्त की जा रही है।

खादी तथा ग्रामोद्योग (केवीआई)

5.79 खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में देश भर में फैले गांव/ग्रामीण उद्योगों के खादी विनिर्माण और उत्पादन शामिल हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग के कार्यक्रम अब 2.61 लाख ग्रामों तक पहुंच गए हैं और सुदूर तथा पर्वतीय क्षेत्रों, सीमावर्ती तथा जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। कुल शिल्पियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिल्पियों की हिस्सेदारी 32 तथा महिलाओं की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है।

वर्तमान स्थिति

5.80 खादी क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा हिस्सा अंशकालिक है (4.05 लाख अंशकालिक तथा 4.65 लाख पूर्णकालिक)। कताई संबंधी गतिविधि लगभग पूरी तरह से महिलाओं द्वारा की जाती है

जो कि ज्यादातर समाज के लाभहीन तबके से आती हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग कताईकारों को अक्सर उनके घरों में और कभी-कभार सामान्य कार्य शेडों में चरखा प्रदान करता है। ये संस्थाएं इन समितियों के पदाधिकारियों द्वारा चलाई जाती हैं। मजदूरी का भुगतान अनियमित है और सामान्यतया समिति के स्थायी कर्मचारियों को उनके वेतन की प्राप्ति के बाद ही किया जाता है। खादी उत्पादों की बिक्री या तो इन संस्थानों के विभागीय बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग निगम द्वारा अथवा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से की जाती है। इसका लक्ष्य धर्मार्थ तथा लोगों के हृदय में भलाई की अपील करने पर केन्द्रित है न कि उत्पाद के मूल्य पर लाभ कमाने पर।

5.81 वर्तमान में ग्रामों में 60 लाख से अधिक शिल्पा/उद्यमी खनिज, चमड़ा, मधुमक्खी पालन, शहद, पॉली वस्त्र, जूता मरम्मत तथा निर्माण, पापड़ बनाने, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि कार्य के औजारों की मरम्मत में रत हैं।

5.82 राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में घोषित किया गया है कि खादी तथा ग्रामोद्योग निगम तथा खादी तथा ग्रामोद्योग निगम के माध्यम से क्रियान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। इस उद्देश्य से गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि (क) निगम को एक आधुनिक कार्पोरेट निकाय की तरह और भी व्यावसायिक बनाया जाए, (ख) आंचलिक स्तर पर एक स्थायी सलाहकार तंत्र का प्रवर्तन किया जाए, और (ग) चुनिंदा गैर सरकारी व्यावसायिक अभिकरणों के माध्यम से कार्यक्रमों और कार्यकलापों को क्रियान्वित करने के लिए कानून में समर्थकारी प्रावधान शामिल करना।

5.83 खादी तथा क्रियान्वित क्षेत्र का 10वीं योजनावधि का निष्पादन सारणी 5.6 में दिया गया है।

तालिका 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र का निष्पादन

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
उत्पादन (रू.करोड़)	8569.37	9681.77	10920.43	12383.84	14531.69
रोजगार (लाख व्यक्ति)	66.45	71.19	76.78	82.77	88.52
निर्यात (रू.करोड़)	45.94	52.00	39.08	40.41	52.90

स्रोत: खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्रालय

चुनौतियां

5.84 खादी उत्पादों के बारे में जनमानस की सोच को तत्काल बदलने की आवश्यकता है, कल्याणकारी दृष्टिकोण से बाहर आकर हाथ से बुने, हैण्ड स्पन, ऊर्जा संरक्षण वाले तथा स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद संबंधी इनकी विशेषताओं को प्रचारित करा जाए। लोगों को राष्ट्रीय कर्तव्य अथवा धर्मार्थ कार्य के रूप में खादी की खरीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इसलिए करनी चाहिए कि यह फैशनेबल, विश्व भर में प्रशंसा प्राप्त और मूल रूप से उच्च मूल्यों पर आधारित है।

5.85 खादी कार्यक्रम के नवीकरण की आवश्यकता और विशेष रूप से सामान्य क्षेत्रों में पंजीकरण पर प्रतिबंधों में ढील देते हुए नए खादी संस्थानों को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। 'घ' श्रेणी के अंतर्गत मृत/निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। कच्चे माल की आपूर्ति सुदृढ़ की जानी होगी और छः चांदी संयंत्रों की मौजूदा अवसंरचना को बढ़ाना चाहिए ताकि कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 11वीं योजनावधि के दौरान पुराने चरखों और करघों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कर्मशील पूंजी की कमी पर खादी संस्थानों के लिए ऋण रेटिंग प्रणाली शुरू करने के द्वारा, ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उत्थान और उत्पादों की प्राथमिकता स्थापित करने के लिए हैण्डलूम मार्कसिल्क मार्क के समान खादी हेतु एक नई योजना का उपाय सोचा जाएगा।

5.86 साथ ही यह आवश्यक है कि पारंपरिक ग्रामीण उद्योग को आधुनिक उत्पादन तकनीक अपनाने हेतु आवश्यक ऋण उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की जाए। तुलनात्मक रूप से काफी कम लागत पर रोजगार के सृजन में विशेषकर सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों हेतु ग्रामीण उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका है। केवीआई क्षेत्र को प्रतिशतता की तुलना के संदर्भ में एक योजना से दूसरी योजना अवधि के दौरान बजटीय स्रोतों से निधि की प्राप्ति में कमी होती जा रही है। वैट प्रणाली के शुरू होने के पश्चात ग्राम उद्योगों पर से बिक्री कर की छूट हटा ली गई है और इसका असर उनकी प्रतिस्पर्धा पर पड़ा है। निम्न गुणवत्ता का स्तर और अप्रचलित प्रौद्योगिकी एवं उपकरण ग्रामीण उद्योग की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।

भावी रास्ता

5.87 केवीआईसी ने हाल ही में "प्रोडक्ट डवलपमेंट, डिजाइन इण्टरवेंसन ऐंड पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी)" स्कीम शुरू की है ताकि खादी और ग्राम उद्योग दोनों के उत्पादों हेतु नए उत्पादों के विकास, डिजाइन और बेहतर पैकेजिंग के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा सके। इस स्कीम के तहत विकसित कुछ डिजाइनों पहले से ही काफी सफल रही हैं और काफी मात्रा में बिकी है। ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र स्कीम की शुरुआत वर्ष 2004-05 में प्रत्येक आरआईएससी 5 लाख रूपए का अनुदान प्रदान कर जन सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु की गई थी। ये दोनों ही स्कीमों में काफी सफल रही हैं और इन्हें ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा।

5.88 इसी तरह, अक्टूबर 2005 में अनुमोदित खादी, ग्रामीण एवं नारियल जटा उद्योगों जैसे पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि संबंधी स्कीम को ग्यारहवीं योजना में जारी रखा जाएगा। क्लस्टर विकास कार्यनीति आधारित यह स्कीम यह सुनिश्चित करती है कि उद्यमों को अधिकार प्रदान करने के माध्यम से रोजगार गहन उद्योगों को कायम रखा जाए।

5.89 ग्यारहवीं योजना के दौरान "खादी" को ब्रांड नाम के साथ-साथ डोमेन नाम से पंजीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की सहायता से नए उत्पादन एवं नए डिजाइन विकसित किए जाएंगे। खादी उत्पादों के पैकेजिंग में सुधार लाया जाएगा। खादी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। लोगों को खादी के बारे में जागरूक बनाने और खादी को युवा फैशन का प्रतीक बनाने के लिए भारत और विदेश में विज्ञापन अभियान चलाया जाएगा। सभी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दुकाने खोली जाएंगी और ई-कॉमर्स के जरिए केवीआई उत्पादों के मार्केटिंग करने की संभावना की तलाश की जाएगी। 80 प्रतिशत महिलाएं इसके कार्यबल का निर्माण करती हैं।

क्वॉयर उद्योग

5.90 150 वर्ष पुराना नारियल जटा उद्योग अधिकांशतः केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाते हैं क्योंकि यहां नारियल-जटा-भूसा, जो कि नारियल खेती का उपोत्पादन है,

मिलता है। इस उद्योग का वार्षिक उत्पादन 605.17 करोड़ रूपए का है और इसकी नियमित विकास दर 10% है। विश्व के नारियल-जटा उत्पादन का 90% उत्पादन भारत में होता है और लगभग विश्व के 90 देशों में हमारे नारियल-जटा उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। यह उद्योग 31.25 लाख लोगों से भी ज्यादा को, जिनमें अधिकांशतः जनसंख्या के लाभ वंचित समूह यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आते हैं, को जीविका और/अथवा अतिरिक्त आय प्रदान करता है।

वर्तमान स्थिति

5.91 नारियल-जटा उद्योग बहुत विकेंद्रित, मौसम अनुकूल और श्रमिक गहन उद्योग क्षेत्र है। वर्ष 2005-06 में 1350 करोड़ रूपए नारियल-जटा निर्यात किए गए जो योजनागत लक्ष्य से कहीं ज्यादा था। पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि संबंधी स्कीम को 25 क्लस्टरों में शुरू किया गया है जिनका चयन नारियल जटा का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों जैसे केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि के परामर्श से किया गया है।

5.92 दसवीं योजना अवधि के दौरान नारियल-जटा उद्योग के प्रदर्शन का ब्योरा तालिका 5.7 में दिया गया है।

चुनौतियां

5.93 यद्यपि नारियल जटा बहुत से समुद्रतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऐतिहासिक कारणों से नारियल उत्पाद मुख्यतः केरल में बनाए जाते हैं। नारियल उपजाने वाले राज्यों को लाभप्रद प्रतिस्पर्धा हेतु प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि उन्हें इस बहुउपयोगी रेशे के विकास और इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं और इस क्षेत्र में रोजगार का पता लगाने के लिए राज्य/क्षेत्र विशिष्ट नवाचार हेतु उत्प्रेरणा मिल सके। ग्यारहवीं योजना के सामने नए बाजार-संचालित उत्पादों का विकास, भारत एवं विदेश दोनों में नए बाजारों का पता लगाना, और सबसे महत्वपूर्ण आपसी सहयोग आधारित नारियल जटा उद्योग का औचित्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियां हैं।

5.94 नारियल जटा (क्वॉयर) उत्पादों का विश्व बाजार में वास्तविक मांग और मांग आपूर्ति के बीच अन्तर, यदि कोई हो तो, का मूल्यांकन करने के लिए कोई समग्र अध्ययन नहीं किया गया है। यद्यपि नारियल जटा उद्योग विभिन्न प्रकार के उत्पाद पैदा करने में सक्षम है, नारियल जटा उत्पादों का प्रयोग फर्श ढंकने संबंधी सामग्री तक सीमित होकर रह गया है। इसके अलावा, इस क्षेत्र की कुछ विशिष्ट चुनौतियां भी हैं-

- शुल्क एवं गैर शुल्क संबंधी बाधाएं- अन्तरराष्ट्रीय बाजार में नारियल जटा (क्वॉयर) और नारियल जटा उत्पादों के आयात पर 4 से 35 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जाता है।
- खुराक: नारियल जटा रेशा का उत्पादन एक ऐसी बीमारी से प्रभावित हुआ है जो नारियल छिलके का आकार छोटा कर देता है और जिसके परिणामस्वरूप पैदावार कम हो जाता है और रेशे भी निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं।
- बिखरी उपस्थिति: कुछ एक प्राकृतिक क्लस्टरों को छोड़कर, यह उद्योग बिखरा हुआ है। इन क्लस्टरों में भी, यह उद्योग अच्छी तरह से समेकित नहीं है ताकि यह आधुनिकीकरण हेतु विकास और संवर्धन के प्रयासों का लाभ उठा सके।
- अप्रचलित प्रौद्योगिकी: उत्पादन के तरीके में कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्पादन लागत में सतत वृद्धि होती रही है जिससे यह प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रह गया है।
- नवीन उत्पादों का विपणन: पारम्परिक और गैर पारम्परिक अध्यवसायों में उत्पाद विकास शुरू किए जाने की आवश्यकता है। नए उत्पाद, जिसका अपूर्व अनुप्रयोग है, जैसे रबर पोता हुआ नारियल-जटा, नीडल फेल्ड, जियो-टेक्सटाईल्स, और नारियल जटा गुदा को नारियल जटा की मांग में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।

भावी रास्ता

5.95 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, दसवीं योजना की अधिकांश स्कीमों को कार्य की नीरसता कम करने, उत्पाद एवं वेतन स्तर बढ़ाने के लिए जारी रखा जाएगा। अलापुझा, केरल में और उसके आस-पास नारियल जटा उद्योग के विकास हेतु 42.6

तालिका 5.7
दसवीं योजना अवधि के दौरान क्वॉयर उद्योग का निष्पादन

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
नारियल जटा सूत उत्पादन (मिट्टिक टन)	353,700	364,000	385,000	410,000	430,025
रोजगार (लाख व्यक्तियों)	5.79	5.86	6.06	6.22	6.40
निर्यात (करोड़ रूपए में)	352.71	407.50	473.40	508.44	605.17

स्रोत :

करोड़ रूपए केन्द्रीय अनुदान से औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग के सहयोग से 56.8 करोड़ रूपए का अनुमोदित परिव्यय वाली एक प्रमुख क्लस्टर विकास परियोजना शुरू की गई है।

5.96 योजना के समाप्ति वर्ष तक उद्योग के विकास दर को 15% तक बढ़ाने और 2100 करोड़ रूपए का वार्षिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। ग्यारहवीं योजना के दौरान नारियल-जटा क्षेत्र में 1,76,250 नए रोजगार सृजित किए जाएंगे जिसमें 1.41 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होगा।

5.97 ग्यारहवीं योजना में बाजार में नारियल जटा के नए उत्पादों के विविधीकरण और उन्हें प्रचलित बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं योजना अवधि में नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन स्कीम शुरू की जाएगी। भूसा का नारियल जटा उत्पादों में परिवर्तन के बेहतर दर की प्राप्ति के लिए इस स्कीम के तहत 50,000 अतिरिक्त नारियल-जटा श्रमिकों की आवश्यकता होगी। प्राद्योगिकी स्तरोन्नयन को प्रमुखता देने वाले पांच मेगा क्लस्टरों केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा प्रत्येक में एक को प्रोत्साहित किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5.98 पारम्परिक रूप से खाद्य प्रसंस्करण हमारे ग्रामीण और अर्ध शहरी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है जिसके तहत गृह स्तर पर महिलाओं द्वारा अचार, जैम, चटनी, पापड़ बनाए जाते रहे हैं। तथापि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को एक उद्योग के रूप में अपनी संभावनाओं को साकार करना है। इस समय भारत 50 मिलियन टन फलों का उत्पादन करता है जो कि विश्व के फल उत्पादन का लगभग 9% है और 90 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन करता है जो कि विश्व में सब्जी उत्पादन का 11% है। इसके बावजूद इन फलों और सब्जियों का केवल लगभग 2% प्रसंस्कृत किया जाता है जबकि चीन में 23%, फिलीपीन्स में 78%, मलेशिया में 83% और दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन का 80% प्रसंस्कृत किया जाता है। देश के भीतर भी फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण का प्रतिशत अन्य उत्पादों जैसे दूध (35%) और समुद्री उत्पादन (26%) की तुलना में कम है फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण और भण्डारण क्षमता के कारण वार्षिक उत्पादन का लगभग 35% बेकार हो जाता है, जिसका मूल्य लगभग 54,000 करोड़ रूपए है। एक जीवंत एवं प्रगतिशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों के लिए और अधिक पारिश्रमिक मूल्य लाता है और क्षति को भी कम करता है।

वर्तमान स्थिति

5.99 भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तीन क्षेत्रों में बंटा हुआ है- घरेलू, छोटा और बड़ा। ये तीनों मिलकर उत्पादन जीडीपी में

14% का योगदान देते हैं और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 130 लाख लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से 350 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका 45.34 लाख लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार में लगे हुए हैं जैसा कि तालिका 5.8 में दर्शाया गया है। इसके बाद फुट-पाथ विक्रेता, फेरीवाले जैसे लोग हैं जिन्हें बड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों आदि में रोजगार प्राप्त है। संगठित और असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक करोड़ रूपए के निवेश पर क्रमशः 140 और 1050 रोजगार का सृजन होता है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश में वृद्धि 2.5 गुणा होती है।

5.100 समुद्री उत्पाद, काजू प्रसंस्करण, अचार उत्पादन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी 90% से भी अधिक है। दसवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मूल्यांकन स्कीम से यह पता चलता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत प्रदान की गई सहायता से सृजित स्थायी रोजगारों में से 30% रोजगार महिलाओं को मिला।

5.101 दसवीं योजना के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीम में मुख्य रूप से उद्योग के छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए था। घरेलू क्षेत्र, विशेषकर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए नाम मात्र ही काम किए जबकि विभिन्न शहरों (अहमदाबाद में एक लाख, मुंबई में 2 लाख, कोलकाता में 1.5 लाख) में ये काफी संख्या में मौजूद हैं। जबकि कुछ स्कीमों के मामले में वास्तविक लक्ष्य पूरे कर लिए गए, कुछ स्कीमों यथा फूड पार्कों के मामले निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका। आठवीं पंचवर्षीय योजना से संस्वीकृत 54 फूड पार्कों में अधिकांश अभी तक संचालित नहीं किया जा सके हैं। इस समय 8 पार्कों में केवल 28 यूनिट संचालित किए जा रहे हैं। इसी तरह यद्यपि कोल्ड चैन सुविधाओं के तहत 18 और मूल्य संवर्धन केन्द्रों के तहत 5 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी, इसमें से केवल 4 कोल्ड स्टोरेज और 2 मूल्य संवर्धन केन्द्र इस समय संचालित किए जा रहे हैं।

5.102 दसवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के प्रदर्शन संबंधी विवरण तालिका 5.8 में दिया जा रहा है।

5.103 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्यार्थ दसवीं योजना के दौरान बहुत से नीतिगत उपाय शुरू किए गए। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण से उत्पादन शुल्क हटा लिया गया, आय कर पर अवकाश प्रदान किया गया और फ्रीजर गाड़ियों पर लगने वाले सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

तालिका 5.8
दसवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र का निष्पादन

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	सीएजीआर
उत्पादन वर्तमान मूल्यों पर (करोड़ रूपए में)	66472.05	76264.13	86128.19	94127.99	104758.54	9.5%
जीडीपी का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र सीएसओ डाटा एफपीआई घटक	45146.00	51846.00	55772.00	59281.00 (अनंतिम)	लागू नहीं	
रोजगार (लाख व्यक्तियों में)	38.30	39.97	41.74	43.51	45.34	3.4%
निर्यात (करोड़ रूपए में)	4727.57	5467.06	6154.77	8634.49	8493.40 (अनंतिम)	12.4%

नोट: * आंकड़े. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की तीसरी जनगणना के परिणामों और औद्योगिक उत्पादन सूची का उपयोग करते हुए आकलित की गई विकास दर के आधार पर संकलित किए गए।

@ केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध कराया गया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और बड़े उद्योग शामिल हैं, हेतु आंकड़े संकलित करने के पश्चात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इन आंकड़ों में संशोधन किया जाएगा।

** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की तीसरी जनगणना के परिणामों के आधार पर आकलित।

*** एपीईडीए डाटा।

स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

5.104 उद्योगों हेतु कच्ची सामग्री की उपलब्धता भारत का एक प्रमुख पहलू है। विकासशील मध्यम और उच्च मध्यम आय वर्ग, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ रही जागरूकता, रोजगार प्राप्त महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या, समय की कमी, सुविधा और स्वास्थ्यकर भोजन की आवश्यकता ने भी प्रसंस्कृत संसाधित भोजन की माँग बढ़ा दी है। मैट्रो, मध्यम और छोटी श्रेणी के नगरों में मॉल एवं मध्यम और छोटी श्रेणी के नगरों में मॉल एवं विभागीय भंडारों की सुविधाओं ने इस क्षेत्र को और भी बेहतर ढंग से स्थापित कर दिया है।

चुनौतियां

5.105 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी तीनों उप क्षेत्रों के समक्ष विशिष्ट चुनौतियां हैं। इस खण्ड में बिखरे छोटे एवं घरेलू क्षेत्र के चुनौतियों का ब्यौरा है।

- अवसंरचना सुविधाओं का विकास: चूंकि कृषि संबंधी उत्पादों के खराब होने का सिलसिला उनके कटाई के पांच घंटे की भीतर शुरू हो जाता है, खेती स्तर पर प्री-कूलिंग और नियंत्रित वातावरण संबंधी घटकों पर बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है। छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों में संसाधित भोजन के विकेन्द्रीकृत वितरण में कोल्ड चैन की सुविधाएं भी बहुत सहायता करती हैं। तथापि उपयुक्त वोल्टेज वाले पर्याप्त मात्रा में बिजली का उपलब्ध नहीं होना एक बड़ी समस्या है।
- निवेश एवं ऋण उपलब्धता: आकलनों से पता चलता है कि छोटे एवं सीमांत किसानों की 40% से अधिक ऋण संबंधी

आवश्यकताएं बहुत ऊंची ब्याज दरों पर पारम्परिक अरहटियों द्वारा पूरी की जाती है। उसी तरह 75% से अधिक खाद्य प्रसंस्करण करने वाले अनौपचारिक ऋण पर निर्भर होते हैं। तरल पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्यार्थ वित्तीय प्रपत्रों पर आधारित एक दूसरा बाजार और परक्राम्य माल गोदाम रसीद प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। माल गोदाम प्राप्ति का वित्तीय प्रपत्रों के रूप में उपयोग का प्रचालन नहीं चला है। ग्यारहवीं योजना में माल-गोदामों के परक्राम्य एक और अधिक सुरक्षित प्रणाली तैयार की जाएगी ताकि वे मालों की गुणवत्ता एवं मात्रा के साथ-साथ संग्रहीत मालों के स्तरों एवं ऋणों के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान कर सकें। संसद में संशोधन लंबित माल-गोदाम अधिनियम को शीघ्र पारित करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

- कच्ची सामग्री की वर्ष भर उपलब्धता: उपयुक्त समय पर अपेक्षित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण कृषि एवं बागवानी के अतिरिक्त उत्पादनों का उपलब्ध न होना एक बड़ी समस्या है। प्रसंस्करण हेतु विभिन्न प्रकार के उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं को एक समन्वित नेटवर्क की आवश्यकता है।
- उत्पादों की सीमित अवधि के लिए उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आम वर्ष के 3-4 महीने और लीची 15 दिनों के लिए उपलब्ध होता है। इसलिए यूनितों को कटाई के समय अधिक से अधिक फसल प्राप्त करना होता है और उसे पूरे वर्ष प्रसंस्कृत करना होता है। बहुत से यूनित श्रमिकों को कार्य पर लगाने में लचीलेपन की बात करते हैं। लेकिन श्रमिकों के हित को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

- बाजार तैयार करना: कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के दुलाई पर लगने वाली उच्च लागत दक्षता को प्रभावित करती है। यह एक चुनौती है कि वाणिज्यिक परिवहन के साधनों के चालन हेतु एक समेकित, समग्र परन्तु सरल प्रणाली तैयार की जाए ताकि दक्षता में वृद्धि किया जा सके, विलम्ब की अवधि को कम किया जा सके और उत्पादों को समय से उपलब्ध कराया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क के साधनों के विस्तार कर पूरे देश को एक बाजार में बदल दिया जाना चाहिए।
- जटिल कर संरचना और राज्य स्तरीय करों की बाहुल्यता को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। वैट को सभी राज्यों/संघ राज्यों में एक समान कर दिया जाना चाहिए। कृषि/बागवानी उत्पादों पर से सभी अप्रत्यक्ष करों को हटा दिए जाने से सीमा शुल्क संबंधी समस्या का हल हो जाएगा।
- किसान संघों, स्वयं-सहायता समूहों और सहकारिताओं के साथ-साथ निजी कम्पनियों को भी प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे प्रसंस्कर्ता फुटकर विक्रेताओं के साथ बेहतर मूल्य हेतु मोल-भाव कर सकें। संग्रहण, प्रौद्योगिकी एवं बाजार में उत्पादक समूहों द्वारा बेहतर किफायत सुनिश्चित की जा सकती है।
- नष्ट होने वाले सामानों एवं बहुत से छोटे स्टोक होल्डरों वाला खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बहुत ही जटिल है। मांग पूर्वानुमान प्रणाली बिल्कुल नहीं है और किसान जो भी पैदा करते हैं उसे बाजार में बेचने का प्रयास करते हैं। आँकड़ा समेकन, वित्तीय प्रबंधन, मांग-पूर्ति मिलान, सहयोगात्मक पूर्वानुमान, सूचना आदान-प्रदान और कौशल परिवहन समय-तालिका के माध्यम से मालों की दुलाई में एक रूपता लाने की आवश्यकता है।
- ग्राहक तक पहुंचने में पैकेजिंग एक प्रतिस्पर्धात्मक उपकरण बनकर उभरा है। पैकेजिंग पर उत्पादन लागतों का 10 से 64% तक लागत आती है और उसे कम करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- अनुसंधान एवं विकास पर 1% से भी कम व्यय किए जाते हैं। घरेलू एवं छोटे यूनितों हेतु प्रभावी प्रौद्योगिकी तैयार करने हेतु इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार लाने की दिशा में मानकीकरण एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। दो तरह के मानक होते हैं। पहला सामग्री, उत्पादन प्रक्रिया और पैकेजिंग के सम्बन्ध में है। दूसरा लॉजिस्टिक और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली जैसे गते के डिब्बों, पट्टिका और सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के मानकीकरण से संबंधित है ताकि मालों एवं सूचना का बाधा रहित स्थानान्तरण संभव हो। इन दोनों

मानकों को लागू किए जाने की आवश्यकता है ताकि गुणवत्ता नियंत्रण समस्याओं के कारण मांग प्रभावित न हो।

- विश्व व्यापार संगठन के तहत "सैनेटरी एण्ड फाइटोसैनेटरी" एग्रीमेंट के बाद से खाद्य सुरक्षा उपायों को अपनाने और मान्यता प्रदान करने का प्रचलन बढ़ा है। विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने संबंधी हमारी योग्यता बढ़ते हुए सख्त खाद्य सुरक्षा मानकों, विशेषकर एवियन इनफ्लुएंजा और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने के मद्देनजर, के अनुपालन पर निर्भर करता है।

5.106 खाद्य प्रसंस्करण के घरेलू क्षेत्र को एक दूसरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहरी योजना एवं विकास हेतु फुटपाथ विक्रेताओं को भारी संख्या में हटाया जा रहा है। यह न केवल बहुतों को उनकी जीविका से वंचित कर देता है बल्कि यह निम्न आय वर्गों को फुटपाथ पर बेचे जाने वाले भोजन से भी दूर कर देता है।

भावी रास्ता

5.107 खेत से लेकर बाजार तक खाद्य प्रसंस्करण संबंधी आधारभूत सुविधाओं का समेकन, ग्राहकों को उनकी पसंद की चीजें उपलब्ध कराना, भोजन की गुणवत्ता एवं सुरक्षा का भरोसा, पारदर्शी एवं उद्योग अनुकूल खाद्य प्राधिकरण की स्थापना और एक स्तरीय परिवहन प्रणाली स्थापित करना ग्यारहवीं योजना के प्रमुख विषय होंगे। इस उद्देश्यार्थ, कतिपय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे (क) नष्ट होने योग्य खाद्य पदार्थों जैसे फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20% तक करना (ख) खाद्य प्रसंस्करण में मूल्य योग को वर्तमान 20% से बढ़ाकर 35% तक करना (ग) वर्ष 2015 तक विश्व खाद्य व्यापार में अपना हिस्सा 1.5% से बढ़ाकर 3% तक करना। ग्यारहवीं योजना हेतु वर्षवार वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा तालिका 5.9 में दिया गया है।

5.108 विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सार्वजनिक निजी सहभागिता कोड में प्रबंध एवं कार्यान्वयन की व्यवस्था और मजबूत परियोजना कार्यान्वयन क्षमताएं विकसित की जाएगी। प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण स्कीम को विकेंद्रित किया जाएगा इसे राज्य नोडल एजेंसियों के स्थान पर नोडल बैंकों के माध्यम से संचालित किया जाएगा ताकि वापसी ऋण। संबंधी सहायता प्रदान किया जा सके। एक नया समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जो निम्नलिखित कार्यनीति पर आधारित होगा (क) बेहतर परियोजना चयन, विकास एवं कार्यान्वयन, (ख) विकेंद्रित कलस्टर आधारित विकास, विशेषकर आधारभूत सुविधाओं के सृजन और फुटकर बिक्री केन्द्रों को लिंक प्रदान करना (ग) उद्योग आधारित क्षमता निर्माण

तालिका 5.9
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादन यूनिट) हेतु
ग्यारहवीं योजना के लिए वर्षवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	सीएजीआर
वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन। (करोड़ रूपए में)	120472.33	138543.18	159324.65	183223.35	210706.85	12%
रोजगार लाख व्यक्तियों पर।।	47.61	49.99	52.49	55.11	57.87	4%
निर्यात (करोड़ रूपए में)	11630.00	13185.00	14955.00	16970.00	19270.00	10.7%

नोट: * यह माना जाता है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन में वृद्धि दर 15% हो सकता है।
** यह भी माना जा रहा है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार में 4% की दर से वृद्धि होगा।

स्रोत : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

बाक्स 5.5

विपन्नता से सम्पन्नता तक

श्री महिला गृह उद्योग, प्रसिद्ध लिज्जत पापड़ के निर्माता ने 80 रूपए के अल्प ऋण और 6,196 रूपए के वार्षिक बिक्री के साथ अपना कारोबार शुरू किया था। यह विजय यात्रा 15 मार्च, 1959 में तब शुरू हुई जब दक्षिण मुम्बई की सात महिलाएं, बिना किसी पूंजी के, एक भवन के बरामदे पर पापड़ बनाने के लिए इकट्ठी हुईं। आज लिज्जत पापड़ में 40,000 महिलाएं काम करती हैं और इसका वार्षिक बिक्री 300 करोड़ रूपए है और यह प्रति वर्ष 10 करोड़ रूपए का निर्यात करता है। यद्यपि लिज्जत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, विज्ञापन एवं प्रोत्साहन पर प्रति वर्ष 60 लाख रूपए खर्च करता है जो कि कुल बिक्री का मात्र 0.2% है। यह सरकारी बातों-बातों में प्रचार-प्रसार में विश्वास करता है और इसलिए विज्ञापनों के जरिए प्रचार के बदले यह लागत-प्रभाविता एवं गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देता है। लिज्जत ने अब अन्य उत्पादों जैसे पिसे हुए मसाले, खखरा, ब्लैक पीपर पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर और केक, बड़ी, बैकरी उत्पादों आदि के क्षेत्र में भी कार्य करना शुरू कर दिया है। केरल के अल्लेपुझा जिले में स्थित कांजीकुझी ग्राम पंचायत, राज्य का सबसे गरीब एवं कम विकसित पंचायतों में से एक था। एक परिवर्तनकारी महिला प्रधान के नेतृत्व में इस गाँव ने सब्जी बागान लगाना शुरू किया। उन्होंने नारियल जटा उत्पाद बनाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो वे उपजाते थे जैसे- आँवला, नींबू, लहसुन, अदरक, करेला और आम को प्रसंस्कृत करना शुरू किया। यह पंचायत अपने ब्रांड नाम से नारियल जटा उत्पादों, अचार, जैम और शरबत आदि बेचकर प्रतिमाह 2 करोड़ रूपए कमाता है। 1.6 लाख की जनसंख्या वाले पंचायत के पांच गावों में 2000 से ज्यादा स्व-सहायता महिला समूह हैं। महिलाओं को प्रतिदिन 60 रूपए मिलने के साथ-साथ लाभ में भी हिस्सा मिलता है।

और मानकों का स्तरोन्नयन, (घ) एक समेकित खाद्य संबंधी कानून और विज्ञान आधारित खाद्य मानक और (ड.) पुनः संरचित स्कीमों के साथ युक्तिपूर्ण उपाय और सुदृढ़ कार्यान्वयन व्यवस्था।

5.109 ग्यारहवीं योजना में सुनियोजित तरीके से विकसित, क्लस्टर आधारित, निजी रूप से संचालित खाद्य पार्कों, सार्वजनिक स्वामित्व वाली परन्तु निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित बूचड़खाना, समेकित कोल्ड चैन की सुविधाएं और अनुकूल वितरण केन्द्रों, क्लस्टर आधारित संरक्षण की आधारभूत सुविधाएं (कोल्ड स्टोरेज, रीफर वैन आदि) और किरण उपचार केन्द्रों, सार्वजनिक एवं निजी परीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रयोगशालाएं और कृषि/बागवानी अतिरिक्त उत्पादों का प्रयोग करने वाली उदारीकृत शराब नीति विकसित की जाएगी। फुट पाथ पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं साफ-सफाई के स्तरोन्नयन पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय मीट बोर्ड, राष्ट्रीय शराब बोर्ड और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे और धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर को आधुनिकीकृत किया जाएगा/अन्य के साथ-साथ "हलाल फूड हब," "आरगेनिक फूड हब," "वेजेटेरियन फूड हब," "सी फूड हब" का निर्माण कर नए बाजार तैयार किए जाएंगे।

ग्यारहवीं योजना की स्कीमों -

5.110 30 मेगा फूड पार्कों (नई स्कीम) की स्थापना, आधुनिकीकरण हेतु 50 बूचड़खाना और 30 कोल्ड चैन की आधारभूत सुविधाओं और मूल्य वृद्धि केन्द्रों हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए स्कीम। मेगाफूड पार्कों की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यार्थ की जाएगी: (1) खाद्य प्रसंस्करण हेतु अद्यतन आधारभूत सुविधाएं, (2) मूल्य वृद्धि सुनिश्चित करना, (3) नवीनतम प्रौद्योगिकी शामिल करना, (4) संसाधनों का पूल बनाने हेतु अन्तर एजेंसी संबंधों को बढ़ावा देना और (5) बेहतर प्रसंस्करण नियंत्रण और क्षमता निर्धारण के द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करना। आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली निजी कंपनियों की सहभागिता में शहरों के एक नेटवर्क में समेकित कोल्ड चैन और वितरण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। क्षमता निर्माण और स्वास्थ्यकर एवं वैज्ञानिक विधि से हलाल के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रख कर स्थानीय निकायों को आधुनिक बूचड़खाना स्थापित करने में सहभागी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.111 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, स्थापना एवं आधुनिकीकरण से संबंधित स्कीम को विकेंद्रित

किया जाएगा और इसे राज्य नोडल एजेंसियों के बदले सीधे नोडल बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस स्कीम के अधीन लक्ष्य 300-500 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट होगा। 1 अप्रैल 2007 से मंत्रालय ने आवेदकों को दिए जाने वाले अनुदानों के वितरण को प्रभावी रूप से विकेंद्रित कर दिया है, अब ये उन बैंकों द्वारा आवेदकों को सीधे दिया जाएगा जिन्होंने आवेदकों की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है और उन्हें आवधिक ऋण/ कार्य पूंजी प्रदान की है। इससे स्कीम के पहुंच में वृद्धि हुई है। लंबित आवेदनों के साथ मांग का तात्पर्य है कि 11वीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम के लिए और अधिक आबंटन किया जाएगा।

5.112 पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, आईएसओ मानक, बार कोडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं, कोडेक्स सेल सुदृढीकरण और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के साथ-साथ प्रचार-प्रसार कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक एवं अनुसंधान एवं विकास और प्रचार-प्रसार कार्यकलाप स्कीम। राज्य एवं जिला 84 प्रयोगशालाएं और प्रान्तीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं। मौजूदा स्कीम को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्रों को गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की यूनिटों को एचएसीसीपी, जीएमपी, जीएचपी, आईएसओ 9000 आदि जैसी आधुनिकी प्रचलनों को अपनाने हेतु जानकारी प्रदान की जाएगी।

5.113 स्कीम के तहत एचआरडी के अंतर्गत 4000 कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि कौशल विकास, विश्वविद्यालयों, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के खाद्य प्रसंस्करण संबंधी तकनीकी पाठ्यक्रमों को सुदृढ में सहायता की जा सके। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षुओं को अनुसरण सहायता और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी।

5.114 25 शहरों में सेफ फूड टाउन/फूड स्ट्रीट स्थापित करने/स्तरोन्नत करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए स्ट्रीट फूड गुणवत्ता स्तरोन्नयन स्कीम (नई स्कीम)। यह आम आदमी को स्वास्थ्यकर रूप से बना हुआ भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उद्योग संघों, गैर-सरकारी संगठनों, पीआरआई, नगर निगम के निकायों आदि को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ मूल्य संवर्द्धन पर ध्यान दिया जाए ताकि फूड विक्रेताओं के आय स्तर में वृद्धि हो सके।

5.115 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ग्यारहवीं योजना हेतु कुल अनुमानित जीबीएस 3564 करोड़ रूपए (2006-07 के मूल्यों पर) और 4031 करोड़ रूपए (वर्तमान मूल्य पर) है। निजी क्षेत्र द्वारा इसी के समतुल्य निवेश और 2.5 का अप्रभावी अनुपात से प्रसंस्करण यूनिटों में 20,000 करोड़ रूपए का निवेश हो जाएगा। इससे योजना अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में 28 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा होगा। इसके अतिरिक्त 2 के अनुपात में उपयुक्त निवेश का टर्नओवर मानकर, 20,000 करोड़ रूपए के कुल निवेश से योजना अवधि के दौरान समग्र टर्नओवर 40000 करोड़ रूपए प्राप्त होगा। बेहतर उत्पाद, मूल्य वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला का समेकन से किसानों की आय स्तरों में भी 20% की वृद्धि होने की संभावना है। योजना अवधि के दौरान, बहुत से अन्य क्षेत्रों, जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध अतिरिक्त कृषि/बागवानी उत्पादों पर पड़ता है, को सहयोग प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इनमें निवेश की गुणवत्ता, किसानों को अतिरिक्त अनाज उत्पादित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान और संस्थागत सहायता, राज्य सीमाओं से परे उत्पादों की ढुलाई हेतु परिवहन सुविधाएं, एक राष्ट्रीय बाजार का निर्माण आदि शामिल हैं।

5.116 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं की क्षमता निर्माण हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इन वर्गों के संभावना वाले उद्यमियों का अभिनिर्धारण किया जाएगा और उनके लिए बना-बनाया उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों, कौशल विकास कार्यक्रम, अध्ययन दौरा आदि आयोजित किए जाएंगे। विस्तार कार्यकर्ताओं और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों सहित स्टेक होल्डरों हेतु महिला-पुरुष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पुनः संरचना की जाएगी ताकि इनमें प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और अति लघु ऋणों को शामिल किया जाए और महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को कटाई के बाद के कार्यों और प्रसंस्करण हेतु, विशेषकर नीरसता को कम करने और संचालन में सुविधा प्रदान करने के लिए महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में महिला कर्मचारियों हेतु उपयोगिता, बुनियादी सुविधाओं, शिशु देखभाल केन्द्र के प्रावधान को आवश्यक बनाया जाएगा। पूर्वोत्तर में निवेश को आकर्षक करने के लिए सभी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु सहायता के स्तर में वृद्धि की जाएगी।

संलग्नक 5.1

भारत में क्लस्टर विकास- सुदृढ़ क्लस्टर की अवधारणा की ओर

क्लस्टर को उद्यमों, संस्थानों, सेवा प्रदाताओं और सम्बद्ध नियामक निकायों के क्षेत्रकीय और भौगोलिक संकेन्द्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो सदृश अथवा अन्तः- सम्बद्ध उत्पादों के उत्पादन में संलग्न हो और सामान्य अवसरों और चुनौतियों का सामना कर रहे हों।

नीतिगत रूप से भारत में क्लस्टरों के प्रकार

नीति का परिप्रेक्ष्य

वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत में 6600 से भी अधिक क्लस्टर मौजूद हैं। एजेंसियाँ, क्लस्टरों की अनेक परिभाषाओं के साथ एक निर्धारित अवस्थिति में यूनितों की न्यूनतम संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए, सामने आई हैं। फिर भी, नीतिगत दृष्टि से उनकी व्यापक चुनौतियों के संदर्भ में नीति में हस्तक्षेप करते हुए, इन क्लस्टरों के वर्गीकरण का मामला सामने आता है। तदनुसार भारत में क्लस्टरों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है नामतः (क) उच्च प्रौद्योगिकीय क्लस्टर (इस समय बहुत कम हैं) जिन्होंने अस्तित्व के लिए नव-परिवर्तनों को अपना लक्ष्य बनाया है (ख) परम्परागत विनिर्माण क्लस्टर (लगभग 400 से अधिक) जिन्होंने स्पर्धा और परिणामी रोजगार को लक्ष्य बनाया है एवं (ग) निम्न प्रौद्योगिकीय सूक्ष्म "गरीबी सघनता" क्लस्टर (लगभग 6000)जिनके पास रोजगार एवं गरीबी की विवक्षाएं मौजूद हैं। उद्योग/क्षेत्रवार भारतीय क्लस्टरों का अवलोकन तालिका ए5.1 में दर्शाया गया है।

नीति की रूप-रेखा

क्लस्टरों के सृजन में सक्रियता को प्राथमिकता

दोनों 'सॉफ्ट' यानी विपणन, प्रशिक्षण, नेटवर्क सृजन, कारोबारी विकास सेवा (बीडीएस) प्रावधान, बैंचमार्किंग उत्पादकता सुधार क्षेत्र और 'हार्ड' (क्लस्टर विशिष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर) दोनों ही तरह की क्लस्टरिय सहायता की जरूरत है। इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए कार्यान्वयन प्रबंधन हेतु संसाधन संगठन एवं क्लस्टरों के विकास एग्जिक्यूटिव (सीडीई) की भी जरूरत है।

क्लस्टरों सम्बद्ध संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन के लिए क्षमता निर्माण

क्लस्टर विकास के लिए मानव संसाधन के काडर का विकास करना। क्लस्टर आधारित विकास पहलों के कार्यान्वयन की सहायता के लिए कम से कम 8-10 राष्ट्रीय और 25-30 क्षेत्रीय संस्थानों का विकास।

नीति निर्माता संस्थाओं को क्लस्टरों प्रकोष्ठ स्थापित करने चाहिए और वहाँ पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात करना चाहिए या सतत मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ संस्थानों से उन्हें आमंत्रित करना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाईयाँ

- असंगठित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय उद्यम आयोग ने असंगठित क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय निधि के गठन की सिफारिश की है।

तालिका - 5.1

भारतीय क्लस्टरों: एक सिंहावलोकन

क्षेत्र	परम्परागत विनिर्माण		सूक्ष्म उद्यम					
			हस्तशिल्प		हथकरघा		अन्य	
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	संख्या	(%)	संख्या	(%)
उत्तर	123	31.7	716	25.75	140	23.56	698	24.11
पूर्व	36	9.28	645	23.19	43	7.24	464	16.02
पश्चिम	140	36.09	764	27.47	134	22.57	787	27.17
दक्षिण	89	22.95	502	18.05	214	36.02	858	29.62
पूर्वात्तर	0	0	153	5.51	63	10.61	89	3.08
कुल	388	100	2780	100	594	100	2896	100

स्रोत: डीसी (हस्तशिल्प), डीसी(हथकरघा) यूनितों एवं एसएसआई यूनितों की जनगणना के तीसरे दौर, 2001-02 से तैयार

असंगठित क्षेत्रक की इस राष्ट्रीय निधि का केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय क्षेत्रक संस्थानों एवं अन्य सरकारी क्षेत्रक की एजेंसियों द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में वित्तपोषण किया जाना चाहिए। निधि के कार्यों में, फार्म और गैर-फार्म उद्यमों को बेहतरीन क्रेडिट उपलब्ध कराना न होकर, असंगठित क्षेत्रक को विपणन, प्रौद्योगिकी, दक्षता एवं उद्यमशीलता, मार्गदर्शन एवं परामर्श क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रक को लाभ पहुँचाना भी शामिल है। निधि के लक्ष्य समूह में 0.5 मिलियन से कम निवेश वाले उद्यमों पर ध्यान केन्द्रण सहित सूक्ष्म उद्यम होने चाहिए। देश में ऐसे लघु उद्यम लगभग 94% हैं, लेकिन उन्हें शुद्ध बैंक क्रेडिट का मात्र 2% ही मिलता है, जबकि वे 70 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और औद्योगिक उत्पादन में 30% का योगदान देते हैं। निधि को अन्य विभिन्न संस्थानों और कार्यक्रमों के साथ पुनर्वित्त-पोषित करना एवं विश्वसनीय स्कीमों के माध्यम से बैंकों के लिए अभिसारण सुनिश्चित करना चाहिए।

- असंगठित क्षेत्रक राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एनसीईयूएस) ने असंगठित क्षेत्रक के लिए ग्रोथ पोलस प्रस्तुत किए हैं, जो कि सार्वजनिक निजी सहभागिता के मोड पर परियोजनाओं में क्लस्टरों के क्लस्टर के विकास की अवधारणा पर आधारित हैं। आयोग की सिफारिश है कि 11वीं योजना में अन्य विशिष्ट आर्थिक प्रदेशों को दिए जाने वाले समान प्रोत्साहनों के अनुरूप इन 25 ग्रोथ पोलस (प्रत्येक राज्य में एक) को भी सहायता दी जानी चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा कार्रवाईयां

- राज्य सरकारों और संस्थानों को ध्यान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप अपने माप दण्ड तैयार करने चाहिए, ताकि क्लस्टरों को परिभाषित किया जा सके। सेवा क्लस्टरों की बृहद् रोजगारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्लस्टरों की पहचान करने की आवश्यकता है और उसके

बाद शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तदानुसार हस्तक्षेप करना चाहिए।

- यद्यपि अन्तर-राष्ट्रीय अनुभव (विशेष रूप से इटली और चीन में) रहे हैं कि क्लस्टरों के विकास में स्थानीय सरकारें मुख्य रही हैं, भारत में स्थानीय सरकारें इस क्षमता से रहित हैं अतः वित्त पोषण की सहायता की प्रणाली की ओर राज्य सरकार को शिफ्ट करना चाहिए।
- अनुमानित 6000 क्लस्टरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्लस्टरों विकास आहवानों के माध्यम से गरीबी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टरों पहले से ही भली भांति परिभाषित किए जा चुके हैं। सूक्ष्म क्लस्टरों को भी उनके उत्पादन, विपणन और वितरण के अनुसार और आगे प्रलेखन की आवश्यकता है। इन क्लस्टरों के भीतर ही कुछ ऐसे सामाजिक समूहों के समावेश को अधिकतम महत्व दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे जिन समुदायों में एससी/एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग और महिला उद्यमी/ कार्यकर्ता अधिक हों।

निजी क्षेत्रकों और उद्योग संघों द्वारा कार्रवाई

अन्तरराष्ट्रीय अनुभव रहा है कि क्लस्टरों के भीतर ही सहकारी कार्य होने चाहिए, उद्यमों में क्लस्टरों के भीतर ही संघ बनाने चाहिए। वर्तमान में 3000 ऐसे संघ हैं, फिर भी लगभग सभी संघ औद्योगिक क्लस्टरों के लिए ही हैं; न कि दस्तकारी क्लस्टरों के लिए। दूसरे शब्दों में लगभग 400-500 औद्योगिक क्लस्टरों की सेवाएं 3000 संघों द्वारा की जा रही हैं, जबकि दस्तकारी क्लस्टरों के बीच में मुश्किल से 100 संघ ही हैं। इन संघों के अभाव में माँगों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे दस्तकारी क्लस्टरों की आवश्यकता अपर्याप्त रहने की संभावना है और सरकारी कार्यक्रम या क्लस्टरों या विकास एजेंसियों के प्रयास आपूर्ति आधार पर हो सकते हैं तथा इसमें शामिल प्रतिस्पर्धाओं की वास्तविक माँगों के अनुरूप मांग आधारित होने के विरुद्ध हैं।

6

भारत निर्माण और फ्लैगशिप कार्यक्रम

प्रस्तावना

6.1 ग्रामीण भारत का विकास उन लोगों के सम्मिलित और समतापूर्ण विकास के लिए और उनकी विपुल क्षमता को प्रस्फुटित करने के लिए बहुत जरूरी है, जो इस समय गरीबी और उससे जुड़ी वंचनाओं से ग्रस्त हैं। भारतीय राज्यों में व्याप्त गरीबी के विश्लेषण से पता चलता है कि गरीबी का सामाजिक अवसंरचना के अभाव से बहुत निकट सम्बन्ध है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अवसंरचना का एक सूचकांक तैयार किया था, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक अवसंरचना के निर्देशक शामिल थे। ये थे: (i) कृषि (ii) बैंकिंग (iii) बिजली (iv) परिवहन (v) संचार (vi) स्वास्थ्य और (vii) सिविल प्रशासन। यदि हम अवसंरचना के सूचकांक को गरीबी के साथ जोड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि सामान्य रूप से, अवसंरचना के उच्च सूचकांक वाले राज्यों में गरीबी का विस्तार कम है। नीचे की तालिका 6.1 से यह बात उजागर होती है:

6.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भौतिक और सामाजिक, दोनों प्रकार की अवसंरचना के निर्माण पर बहुत जोर दिया गया था। ग्यारहवीं योजना जीवन-यापन की स्थितियों और आजीविका में सुधार के लिए अवसर मुहैया करने के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम और अन्य ध्वजपोत कार्यक्रमों द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण करेगी।

6.3 इस अध्याय में, जो दो भागों में विभाजित है, भारत निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों के ध्वजपोत कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। योजना दस्तावेज के विभिन्न अध्यायों में स्कीमों/ कार्यक्रमों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।

तालिका 6.1
सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का सूचकांक

राज्य	अवसंरचना का सूचकांक	एच.सी.आर. (2004)
आन्ध्र प्रदेश	103.30	11.17
असम	77.72	22.33
बिहार	81.33	42.14
गुजरात	124.31(5)	19.08
हरियाणा	137.54(4)	13.57
कर्नाटक	104.88	20.85
केरल	178.68(2)	13.25
मध्य प्रदेश	76.79	36.87
महाराष्ट्र	112.80	29.58
उड़ीसा	81.00	46.76
पंजाब	187.51(1)	9.15
राजस्थान	75.86	18.71
तमिलनाडु	149.10(3)	22.85
उत्तर प्रदेश	101.23	33.40
पश्चिम बंगाल	111.25	28.62

भारत निर्माण

6.4 भारत सरकार ने गरीबी को दूर करने में अवसंरचना द्वारा निर्भाई गई भूमिका को पहचानते हुए, इससे पहले विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के विशाल कार्यक्रम शुरू किए थे। सरकार ने वर्ष 2005 में भारत निर्माण के अन्तर्गत एक समयबद्ध योजना शुरू की थी, जिसे 2005-2009 की चार

वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है। इस कार्यक्रम का पहला आधा भाग दसवीं योजना की अवधि में था और दूसरा भाग ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के पहले दो वर्षों में चलेगा। इस कार्यक्रम में शामिल छः संघटक ये हैं: सिंचाई, पेय जल, विद्युतीकरण, सड़कें, आवास और ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था।

6.5 प्रत्येक संघटक के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनकी जानकारी तालिका 6.2 में दी गई है।

6.6 चार वर्षों की अवधि में 1,74,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है। भारत निर्माण के अन्तर्गत प्रयास उन विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत, जो भारत निर्माण का भाग हैं, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करके ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए अविलम्बनीयता की भावना उत्पन्न करना है। भारत निर्माण राज्य पर यह जिम्मेदारी डालता है कि इन सुविधाओं का सृजन पारदर्शी और उत्तरदायितापूर्ण तरीके से किया जाए।

सिंचाई

6.7 भारत निर्माण के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता के सृजन की औसत दर को 1.4 मिलियन हेक्टेयर (एमएच)/ वर्ष (अर्थात् 1951-2002 में सृजन की औसत दर) से बढ़ा कर 2.5 मिलियन हेक्टेयर/वर्ष किया जाना है। इस उद्देश्य से, बृहद और मध्यम परियोजनाओं, लघु सिंचाई और जल निकायों की बहाली द्वारा संयुक्त रूप से 10 मिलियन हेक्टेयर (एमएच) की सिंचाई क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष-वार भौतिक लक्ष्य तालिका 6.3 में दिए गए हैं।

6.8 भारत निर्माण कार्यक्रम के पहले दो वर्षों में 4.30 मिलियन हेक्टेयर (एमएच) की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी तुलना में मार्च, 2007 तक 2.587 एम.एच. क्षमता के सृजन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो लक्ष्य के लगभग आधे के बराबर है। यह स्पष्ट है कि क्षमता का सृजन उतनी तेजी से नहीं हुआ, जिसका लक्ष्य रखा गया था।

तालिका 6.2
भारत निर्माण के अन्तर्गत लक्ष्य

संघटक	वर्ष 2009 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य
सिंचाई	10 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन।
सड़कें	1000 और उससे अधिक की जनसंख्या (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 500 की जनसंख्या) वाली प्रत्येक आबादी में बारहमासी सड़कों की व्यवस्था करना: शेष 66,802 आबादियों को कवर करना बच जाएगा।
बिजली	शेष 1,25,000 गांवों और 23 मिलियन घरों को बिजली मुहैया करना।
आवास	60 लाख मकान बनाना।
पेय जल	कवर न की गई 55,067 आबादियों में 2009 तक पेय जल मुहैया करना। विफल स्रोतों और जल की गुणवत्ता की समस्याओं वाली सभी आबादियों की ओर ध्यान दिया जाएगा।
टेलीफोन कनेक्शन	बाकी 66,822 गांवों को 2007 तक टेलीफोनों से जोड़ना।

स्रोत :

तालिका 6.3
भारत निर्माण के अन्तर्गत सिंचाई के लक्ष्य

संघटक	(यूनिट मिलियन हेक्टेयर में)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	जोड़
I बृहद और मध्यम सिंचाई					
कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को पूरा करना	0.90	1.10	1.10	1.10	4.20
बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
कुल बृहद और मध्यम सिंचाई	1.15	1.35	1.35	1.35	5.20
II लघु सिंचाई					
भूतल जल	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
भूगत जल	0.45	0.75	0.80	0.80	2.80
मध्यम सिंचाई स्कीमों के जल निकायों/ई.आर.एम. की मरम्मत, नवीकरण और बहाली	0.05	0.05	0.45	0.45	1.00
कुल लघु सिंचाई	0.75	1.05	1.50	1.50	4.80
कुल जोड़	1.90	2.40	2.85	2.85	10.00

स्रोत :

6.9 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 16 मिलियन हेक्टेयर (एमएच) क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा जाएगा। ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, भारत निर्माण कार्यक्रम के जरिए 5.7 मिलियन हेक्टेयर (एमएच) सिंचाई क्षमता का सृजन करने का प्रस्ताव था। इसके लिए, कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह जरूरी होगा कि राज्यों द्वारा सिंचाई के लिए अधिक परिव्यय निर्धारित किया जाए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत उदार सहायता प्राप्त हो (जो अब केवल एक अनुदान है और भूतल लघु सिंचाई स्कीमों के लिए भी उपलब्ध है)। विदेशी सहायता का उपयोग समाप्त हो गई क्षमता की बहाली तालाब-सिंचाई की बहाली के जरिए करने के लिए किया जाएगा। भूगत जल क्षमता का उपयोग उन राज्यों में किया जाएगा, जहां अभी विकास की गुंजाइश है। भारत निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं का दूरस्थ संवेदन के जरिए मानीटरन करना और परियोजनाओं को निश्चित लागत पर टर्न-की मोड से पूरा किया जाना जरूरी है। (खंड III के अध्याय 2 में सिंचाई क्षेत्रक का ब्यौरा दिया गया है)।

सड़कें

6.10 सड़क संयोजन भारत में ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन का एक मूल संघटक है। ग्रामीण सड़कें ग्रामीण बस्तियों को मंडियों और अन्य सुविधा केन्द्रों तक पहुंच मुहैया करती हैं। ग्रामीण संयोजनीयता को बढ़ावा देने के लिए, एक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दिसम्बर, 2000 में एक 100 प्रतिशत केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू किया गया था।

6.11 भारत निर्माण में बस्तियों के संयोजन, निर्माण के लक्ष्यों और वित्तीय निवेश के रूप में इस कार्यक्रम को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। भारत निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, 1,46,185 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कें बनाने का प्रस्ताव है, जिनसे देश में सड़कों से न जुड़ी हुई 66,802 पात्र

बस्तियों को लाभ होगा। लगभग 1.94 लाख किलोमीटर लम्बी मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करने का भी प्रस्ताव है, जो कोर नेटवर्क के मार्गों के जरिए अभिज्ञात की गई हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम के पहले दो वर्षों, अर्थात् 2005-2007 में हुई भौतिक प्रगति की जानकारी तालिका 6.4 में दी गई है।

6.12 शेष दो वर्षों अर्थात् 2007-09 के लिए नए संयोजनों और उन्नयन के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- नए संयोजन
 - 2009 तक भारत निर्माण के अन्तर्गत कवर की जाने वाली बस्तियों की संख्या: 43,638
 - सड़कों की लम्बाई: 95,510 किलोमीटर
- उन्नयन
 - उन्नयन की लम्बाई: 128,067 किलोमीटर

6.13 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत निर्माण के लक्ष्य 2009 तक प्राप्त कर लिए जाएं। लेकिन यह पाया गया है कि भारत निर्माण के अन्तर्गत 2008-09 तक के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना राज्यों की क्षमता के बाहर है। इसलिए, भारत निर्माण के 2007-09 के बचे हुए लक्ष्यों को 2009-10 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त किया जाएगा। भारत निर्माण के अन्तर्गत ग्रामीण संयोजनीयता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निधिपोषण को बढ़ाने के लिए उपकर की प्राप्ति के उत्तोलन द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 16500 करोड़ रुपए के ऋण लेने का प्रस्ताव है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप, 2009-10 से उपकर से प्राप्त होने वाली राशियों की बहुत बड़ी मात्रा को नाबार्ड के ऋण को वापस चुकाने के लिए अलग रखना पड़ेगा। ग्यारहवीं योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक की ग्रामीण सड़कों का परिव्यय चालू कीमतों पर 43251.00 करोड़ रुपए है, जिसमें नाबार्ड से लिया जाने वाला ऋण शामिल नहीं है (विस्तृत लेख खंड III के अध्याय 9 में)।

तालिका 6.4
2005-07 के दौरान भारत निर्माण की भौतिक प्रगति

स्थिति		2005-06		2006-07		2005-07		प्रतिशत उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
नए संयोजन	लम्बाई (किलो- मीटर)	15492.4	18053.7	35182.15	21422.85	50674.55	39476.55	77.90
	बस्तियों की संख्या	7034	5552	16130	8279	23164	13831	59.71
उन्नयन	लम्बाई (किलो- मीटर)	11394.4	3925.6	54669.26	46129.90	66063.66	50055.50	75.77

स्रोत :

पेय जल

6.14 भारत निर्माण में कवर न की गई 55,067 बस्तियों, कवर न की गई बस्तियों से आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के रूप में बदली बस्तियों को कवर करने और जल की गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेय जल मुहैया करने की परिकल्पना की गई है। पहले ढाई वर्षों में पीछे खिसकी बस्तियों को कवर करने में काफी प्रभावशाली उपलब्धि (63 प्रतिशत) हुई है, क्योंकि ऐसा करना अपेक्षाकृत आसान है (इसमें खराब हो चुके बोर पम्पों को बहाल करना, जल आपूर्ति पाइपलाइनों की मरम्मत करना और जहां कहीं जरूरी हो, वहां उन्हें बढ़ाना शामिल है)। कवर न की गई बस्तियों को कवर करने में भी काफी प्रगति हुई है और लक्ष्यगत बस्तियों में से 48 प्रतिशत बस्तियों को कवर कर लिया गया है। लेकिन, गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त बस्तियों को कवर करने का काम बहुत कम हुआ है, जिसमें केवल 5 प्रतिशत कवरेज हुई है।

6.15 जल आपूर्ति की संधारणीयता बस्तियों को पीछे खिसकने से बचाने का केन्द्र-बिन्दु बन गई है। सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों (जैसे एन.आर.ई.जी.पी., बी.जार.जी.एफ.), वाटरशेड विकास, जल निकायों की बहाली, आदि) का अभिसरण, ग्राम स्तर की योजनाओं की सहायता से जोरदार तरीके से किए जाने की जरूरत है। जल की गुणवत्ता के मुद्दे ने बहुत गम्भीर रूप धारण कर लिया है। हालांकि भूतल जल स्रोतों से जल आपूर्ति की व्यवस्था करना और भूगत जल, भूतल जल का संयुक्त उपयोग और छत पर वर्षा जल का संचयन एक आदर्श बात है, लेकिन भूगत जल के बढ़े हुए पुनर्भरण (कार्यक्रमों के अभिसरण द्वारा सहायताप्राप्त) के जरिए रासायनिक संदूषकों के तनूकरण जैसे स्थानीय तरीकों, अलग-अलग गांव के आधार पर जल की गुणवत्ता के उपचार के कम लागत वाले वैज्ञानिक तरीके अपनाने से जल की गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में जल की कवरेज को सुधारने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। (खंड II के अध्याय 5 में विस्तृत चर्चा की गई है)।

ग्रामीण विद्युतीकरण

6.16 ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जाना है। भारत निर्माण के अन्तर्गत 1,25,000 गांवों के विद्युतीकरण और गरीबी की रेखा से नीचे के 2.3 करोड़ घरों के विद्युतीकरण के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने का प्रस्ताव है। पहले दो वर्षों के दौरान, दोनों उद्देश्यों के अन्तर्गत क्रमशः 34 प्रतिशत और 6 प्रतिशत प्रगति की गई है। इस क्षेत्रक में भारी कमियां हैं। स्पष्टतः, ग्यारहवीं योजना के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गति में तेजी लाने की आवश्यकता है। अचानक पैदा हुई मांग के कारण

विद्युतीकरण की सामग्री की अनुपलब्धता ने भी लक्ष्यों की कम प्राप्ति में योगदान दिया है। ग्रामीण विद्युतीकरण को अतिरिक्त महत्त्व प्राप्त हो गया है, क्योंकि देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों में भूगत जल की विपुल क्षमता का उपयोग लघु-सिंचाई विकास के लिए किया जा सकता है। विद्युतीकरण से ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक क्रियाकलाप गति पकड़ने चाहिए। राजस्व संग्रह के लिए फ्रैंचाइस प्रणाली का पूर्ण रूप से प्रचालन और सक्षम टैरिफ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को बरकरार रखने की कुंजी है। (विस्तृत ब्यौरा खंड III के अध्याय-10 में दिया गया है)।

आवास

6.17 भारत निर्माण कार्यक्रम ने आश्रय-हीनता को समाप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है और इसे उचित प्राथमिकता प्रदान की है। इस कार्यक्रम ने 2005 से 2009 तक 60 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत निर्माण के पहले दो वर्षों में 28.69 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। भारत निर्माण का आवास कार्यक्रम इन्दिरा आवास योजना स्कीम के समानान्तर कार्यान्वित किया जा रहा है। यह स्कीम गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को रियायती एककों के निर्माण/उन्नयन के लिए सहायता देने के लिए 1 जनवरी, 1996 से एक स्वतंत्र और प्रमुख आवास स्कीम के रूप में शुरू की गई थी।

6.18 ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य का केन्द्र-बिन्दु गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब होना चाहिए, और इसके साथ-साथ अन्य हस्तक्षेपों के जरिए आवास की शेष कमी को दूर करने का लक्ष्य होना चाहिए। वर्ष 2001 के लिए आवास की कमी 148.6 लाख मकानों की थी और वर्ष 2007 के लिए 159.5 लाख मकानों की कमी है। इसलिए ग्यारहवीं योजना के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 150 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि 30 लाख मकान बनाने का वार्षिक लक्ष्य, जबकि इस समय इन्दिरा विकास योजना के अन्तर्गत 15 लाख मकान बनाए जा रहे हैं। प्रति यूनिट लागत को भी मैदानी क्षेत्रों में 25,000 रुपए के मौजूदा स्तर और पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्रों में 27,500 रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। लाभभोगियों के अधिक सही लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा-सूचियां तैयार की जानी चाहिए, जो गरीबी की रेखा से नीचे की 2002 की जनगणना के भाग के रूप में परिवारों को दिए गए अंकों पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए, राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किए जाने और पंचायतों को यथोचित रूप से सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। इन्दिरा आवास योजना के भाग के रूप में बनाए गए मकान धुआंरहित चूल्हों और सेनिटरी शौचालयों वाले

होने चाहिए। मकान-स्थल का टाइटल/स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के नाम में होना चाहिए। जबकि इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण भारत में बेघरी और अस्थाई तथा मरम्मत न किए जा सकने वाले मकानों के बैकलाग को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, लेकिन राज्यों को उभरने वाली किन्हीं जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कतिपय सुसाध्य हस्तक्षेपों की सहायता से, आश्रयहीनता से निपटने के मुख्य उद्देश्य को निर्धारित समय में पूरा किया जा सकता है। (विस्तृत ब्यौरा अध्याय-4 भाग में)।

ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था

6.19 भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत, उन 66,822 राजस्व गांवों में, जिनमें टेलीफोन संयोजन नहीं हैं, ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) सुविधा मुहैया की जाएगी। इनमें से 14,183 गांवों को, जो दूरस्थ हैं, डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनलों के जरिए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा मुहैया की जानी थी, जबकि शेष 52,639 गांवों को किसी अन्य प्रौद्योगिकी के जरिए यह सुविधा प्रदान की जानी थी। इन वी.पी.टी. के लिए सब्सिडी सहायता के रूप में अनुमानतः 451 करोड़ रुपए की राशि संवितरित किए जाने की संभावना है। यह समूची राशि यू.एस.ओ. निधि से पूरी की जानी है। कुल 48704 वी.पी.टी. को टेलीफोन कनेक्टिविटी मुहैया की जा चुकी है और बाकी 18118 वी.पी.टी. को जून, 2008 तक कनेक्टिविटी प्रदान कर दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-सघनता में सुधार करने और दूर-संचार के साथ प्रत्येक ग्राम को एक ज्ञान-केन्द्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इस उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्शन के लिए, समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए गांवों के लिए संगत आवश्यक ज्ञान-सामग्री मुहैया करने की जरूरत है। (ब्यौरे अध्याय-12 भाग-3 में देखें)

प्लैगशिप कार्यक्रम

6.20 ग्यारहवीं योजना का जोर सामाजिक समावेशन और उसके साथ आजीविका के उन्नत अवसर मुहैया करने पर है। इस पद्धति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी लोक सुविधाओं पर नए सिर से जोर दिए जाने की आवश्यकता है। इन आवश्यक सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच हमारे लोगों के बहुत बड़े भागों के कल्याण को प्रत्यक्ष रूप से सीमित कर देती है और उन्हें विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह से हिस्सा लेने के अवसर से वंचित कर देती है। वस्तुतः, मानव संसाधन विकास की ओर अपर्याप्त ध्यान स्वयं विकास की प्रक्रिया को ही सीमित बना देता है। दसवीं योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, पोषाहार, सफाई और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की गई थीं अथवा उन्हें नया रूप दिया गया था और उन्हें मजबूत बनाया गया

था। इनमें से बहुत से कार्यक्रम अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं, जबकि कुछ कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाते हैं। उन कार्यक्रमों में भी, जो समूचे देश भर में कार्यान्वित किए जाते हैं, संसाधनों के आबंटन के मामले में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का पक्ष लिया जाता है। ये कार्यक्रम, जिन्हें ध्वजपोत कार्यक्रम कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का दूसरा रेशा अथवा सूत्र हैं; पहला रेशा भारत निर्माण कार्यक्रम है। इनकी चर्चा नीचे के पैराग्राफों में की गई है:

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीए)
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
- एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)
- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
- मध्याह्न काल भोजन (एमडीएम)
- समग्र सफाई अभियान (टीएससी)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीए)

6.21 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने के लिए लागू किया गया है। यह अधिनियम 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम का महत्त्व यह तथ्य है कि यह मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के लिए अधिकार-आधारित ढांचे का निर्माण करता है और सरकार को कानूनी रूप से इस बात के लिए बाध्य बना देता है कि वह उन लोगों को रोजगार मुहैया करे, जो इसे चाहते हों। एन.आर.ई.जी.ए. मजदूरी रोजगार की सांविधिक गारंटी प्रदान करके पहले के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से एक भिन्न प्रस्थापन स्थापित करता है और केवल एक स्कीम नहीं है। एन.आर.ई.जी.ए. का उद्देश्य ग्रामीण परिवार को, जिसके सदस्य अपने आपको गैर-कुशल शारीरिक कार्य के लिए पेश करते हैं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का मजदूरी-रोजगार मुहैया करने की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा बढ़ाना है। अधिनियम का उद्देश्य टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत बनाना भी है। अधिनियम के कार्य के जो विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें चिरकालिक गरीबी के कारणों, जैसे सूखा, वन-कटाई, भूमि-क्षरण, आदि की ओर ध्यान दिया गया है, ताकि रोजगार के सृजन की प्रक्रिया का आधार संधारणीय हो। एन.आर.ई.जी.ए. के बारे में अब तक जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे सुझाव मिलता है कि यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को तेजी से घटाने का एक मुख्य साधन है।

6.22 एन.आर.ई.जी.ए. को, जिसे वर्ष 2005-06 में दौर-I में देश के 200 जिलों में शुरू किया गया था, वर्ष 2007-08 के दौरान दौर-II में 130 अतिरिक्त जिलों में लागू किया गया। पहली अप्रैल, 2008 से यह अधिनियम देश के समूचे ग्रामीण क्षेत्र को कवर करेगा (खंड III के अध्याय 4 में विस्तृत चर्चा की गई है)।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

6.23 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य पहुंच-योग्य, वहन-योग्य, उत्तरदायी, कारगर और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के मानदंड निर्धारित करता है और इन मानदंडों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया करता है। यह कार्यक्रम उन 18 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य अवसंरचना कमजोर है।

6.24 ग्रामीण स्वास्थ्य बुलेटिन (2006) के अनुसार, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में ऐसे बहुत अधिक उप-केन्द्र हैं, जहां जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति नियमित रूप से नहीं होती और जहां ऐसी बारहमासी पहुंच-सड़कें नहीं हैं, जहां मोटर कारें चल सकती हों। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी सुविधाओं की ऐसी ही स्थिति नोट की गई है। भारत निर्माण के अन्तर्गत समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने वाले छः कार्यों में से पांच कार्यों (अर्थात् बिजली, बारहमासी सड़कें, सुरक्षित पेय जल, टेलीफोन और ग्रामीण विकास) का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर सीधा प्रभाव पड़ता है (ब्यौरा खंड II के अध्याय 2 में)।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)

6.25 एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम बच्चों की ओर केन्द्रित कार्यवाही है, जिसमें छोटे बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की परस्पर-सम्बन्धित आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाता है। इस स्कीम का अन्तिम उद्देश्य शिशु मृत्यु-दर को कम करना और बच्चों की स्वास्थ्य, पोषाहार और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के लिए माता और परिवार की क्षमता को बढ़ाना है। अब यह एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को बढ़ावा देना है। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, देश में 6284 स्वीकृत परियोजनाएं और 10.53 लाख आंगनवाड़ियां हैं। इनमें से 5672 स्वीकृत परियोजनाओं का प्रचालन 7.8 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा किया जाता है और इनके जरिए 7.05 करोड़ लाभभोगियों की जरूरतें पूरी की जाती हैं, जिनमें 6 वर्ष से कम आयु वाले 5.81

करोड़ बच्चे और 1.23 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है:

- 0-6 के आयु-वर्ग की लड़कियों के लिंग अनुपात को 2001 के 927 से बढ़ाकर 2011-12 में 935 और 2016 तक 950 करना।
- शिशु मृत्यु दर को घटा कर 1000 जीवित जन्मों में 28 और मातृ मृत्यु दर को घटा कर 1 करना।
- ग्यारहवीं योजना के अंत तक 0-3 आयु-वर्ग के बच्चों में कुपोषण को घटा कर मौजूदा स्तर के आधे तक लाना और महिलाओं और लड़कियों में रक्ताल्पता को 50 प्रतिशत तक घटाना। (विस्तृत चर्चा खंड II के अध्याय 6 में)

सर्व शिक्षा अभियान

6.26 सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का सबसे प्रमुख कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और संगत प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य स्कूलों के प्रबन्ध में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के जरिए सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक अन्तरों को पाटना और इसके अलावा जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए सन्तोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना है। सर्व शिक्षा अभियान 12.37 लाख से अधिक बस्तियों में 20 करोड़ बच्चों की जरूरतों की ओर ध्यान देता है, और 10.42 लाख मौजूदा प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों को कवर करता है (एस.ई.एस.-2004-05, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2007)। सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा तक सार्वजनिक पहुंच सफलतापूर्वक सुनिश्चित की है। लगभग 94 प्रतिशत भारतीय गांवों/बस्तियों की पहुंच एक किलोमीटर की दूरी तक के स्कूलों तक है। शेष गांवों/बस्तियों में शिक्षा गारंटी स्कीम (ई.जी.एस.) और वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केन्द्रों (ए.आई.ई.) के माध्यम से स्कूल पढ़ाई के वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं।

6.27 2001-02 और 2004-05 के बीच सर्व शिक्षा अभियान की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं में कुल नामांकन 11.39 करोड़ से बढ़ कर 13.08 करोड़ (14.84 प्रतिशत वृद्धि) हो गया और अपर प्राथमिक कक्षाओं में 4.48 करोड़ से बढ़ कर 5.12 करोड़ (14.29 प्रतिशत वृद्धि) हो गया। एक विशेष बात यह हुई कि इसी अवधि में लड़कियों के नामांकन में भारी वृद्धि हुई और वह प्राथमिक कक्षाओं में 5.03 करोड़ से बढ़ कर 6.11 करोड़ (21.47 प्रतिशत वृद्धि) और अपर प्राथमिक कक्षाओं में 1.87 करोड़ से बढ़ कर 2.27 करोड़ (21.39 प्रतिशत वृद्धि) हो गया। (ब्यौरा खंड II के अध्याय-1 में दिया गया है)।

मध्याह्न भोजन (एमडीएम)

6.28 वर्ष 1995 में शुरू की गई मध्याह्न काल भोजन स्कीम का उद्देश्य नामांकन, अवरोधन और उपस्थिति को बढ़ा कर प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ावा देना और इसके साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के पोषाहार स्तर को प्रभावित करना है। इस स्कीम को जून, 2006 में संशोधित किया गया था; यह बच्चों को 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन और लोहे, फोलक एसिड, विटामिन-ए जैसे माइक्रो-पोषक मुहैया करती है। खाना पकाने की लागत बढ़ा कर 2.00 रुपए प्रति बालक/स्कूल दिवस कर दी गई है। सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पका हुआ भोजन मुहैया कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल बच्चों की संख्या बढ़ कर 2006-07 में 9.5 लाख प्राथमिक स्कूलों/ई.जी.एस. केन्द्रों में 12 करोड़ हो गई है। ग्यारहवीं योजना अवधि में 48,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से वर्ष 2007-08 में मध्याह्न काल भोजन की स्कीम का विस्तार शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 3479 ब्लाकों में अपर प्राथमिक कक्षाओं (VI-VIII) में किया जाना है और 2008-09 तक प्रारम्भिक स्तर पर इसे सार्वजनीकरण किया जाना है। इस प्रकार, मध्याह्न काल भोजन स्कीम अपर प्राथमिक स्टेज पर 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चों तक पहुंच जाएगी और 2007-08 में प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तर पर कुल 15 करोड़ बच्चे और 2008-09 तक लगभग 18.0 करोड़ बच्चे कवर हो जाएंगे।

- अपर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए मध्याह्न काल भोजन का पोषाहार मूल्य 700 कैलोरियां निर्धारित किया गया है, जो कम से कम 150 ग्राम दाल-भिन्न अनाजों और 20 ग्राम प्रोटीनों से प्राप्त की जाती है; खाना पकाने की लागत के लिए, जो बढ़ कर 2.00 रुपए प्रति बालक प्रति स्कूल दिवस हो गई है, केन्द्रीय सहायता दी जाती है (0.50 रुपए राज्यों से)।
- 3.13 लाख प्राथमिक और 3.0 लाख अपर प्राथमिक स्कूलों में 60,000/- रुपए प्रति यूनिट की दर से रसोई शैड बनाए जाने हैं और 5,000/- रुपए प्रति स्कूल की दर से रसोई उपकरण मुहैया किए जाने हैं।
- कार्यक्रम का प्रबन्ध और कार्यान्वयन स्थानीय समुदाय और पी.आर.आई. द्वारा किया जाना है, ठेकेदार द्वारा नहीं।
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को फिर से चालू किया जाना है और सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को दोहराया जाना है।
(ब्यौरा खंड II के अध्याय I में)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

6.29 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सरकार का एक ध्वजपोत अथवा प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीब और निस्सहाय को मानवीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह

कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 को एक पूर्णतः केन्द्रीय निधिपोषित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता देना था, जिनके पास जीवन-यापन का कोई साधन अथवा कोई नियमित साधन नहीं था। एन.एस.ए.पी. के इस समय तीन संघटक हैं, अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। ये स्कीमें 2001-02 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के रूप में चलाई जाती रहीं और 2002-03 में ये स्कीमें राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता को अन्तरित कर दी गईं। इनमें से प्रत्येक संघटक का ब्यौरा गरीबी उपशमन के अध्याय में दिया गया है। अभी हाल में भारत सरकार ने 65 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु वाले और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशन देने की कसौटियों को उपान्तरित किया है। इस उपान्तरण से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशन का, जो पहले केवल निस्सहाय व्यक्तियों तक सीमित थी, अब सार्वजनीकरण किया जाएगा और लगभग 1.57 करोड़ लाभभोगी इसके अन्तर्गत आ जाएंगे, जबकि इस समय लगभग 87 लाख व्यक्ति इसके अन्तर्गत कवर होते हैं।

6.30 ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम को गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के 60 वर्ष (इस समय 65 वर्ष) से ऊपर की आयु वाले सभी व्यक्तियों के लिए लागू किया जाएगा, जिन्हें 400/-रुपए प्रति मास की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, जिसका निधिपोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा किया जाएगा। अन्नपूर्णा स्कीम को, जिसका लक्ष्य वे वरिष्ठ नागरिक थे, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कवर नहीं होते थे, उसके बाद तत्काल बन्द किया जा सकता है, जब उसके लाभभोगी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कवर हो जाएंगे। यह स्कीम गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के घोर/बहुविध निःशक्तता वाले व्यक्तियों और विधवाओं को शामिल करेगी। राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहेगी और सहायता की राशि 10,000/- रुपए से बढ़ा कर 25,000/- रुपए कर दी गई है। यह राशि अन्तिम संस्कार के खर्चों और अन्य आनुषंगिक खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। इस स्कीम के सुचारु कार्यान्वयन और इसके निकट मानीटरन के लिए केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सलाहकार समितियां गठित की जानी चाहिए, जिनमें व्यावसायिक व्यक्ति और स्वैच्छिक संगठन और तकनीकी सहायता समूह शामिल हों (ब्यौरा भाग-III अध्याय-4 में देखें)।

समग्र सफाई अभियान

6.31 ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं की जो व्यवस्था है, वह नितान्त अपर्याप्त है। इसकी कवरेज का विस्तार करने के लिए इससे पहले कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे, किन्तु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 1999 में डी.ओ.डी.डब्ल्यू.एस. शुरू किया गया था। 'समग्र सफाई अभियान' टी.एस.सी.) एक मांग-अनुक्रियाशील, समुदाय-उन्मुख और कम सब्सिडी वाला और परियोजना मोड का कार्यक्रम है। परियोजना मोड वाले टी.एस.सी. का कार्य-निष्पादन बहुत संतोषजनक था और इसलिए 2002-03 से समूचे सी.आर.एस.पी. को टी.एस.सी. में रूपान्तरित कर लिया गया है। टी.एस.सी. का उद्देश्य घरों के शौचालयों, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के शौचालयों के रूप में 100 प्रतिशत सफाई कवरेज प्राप्त करना और लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना भी था।

6.32 मिलेनियम डवलपमेंट गोल का लक्ष्य 2015 तक 50 प्रतिशत ग्रामीण सफाई को कवर करना था। टी.एस.सी. का लक्ष्य ग्यारहवीं योजना के अन्त (2012) तक 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम में निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए धनराशियां भी शामिल हैं, जिससे टी.एस.सी. को 2005 में उसके शुरू होने के समय से ही कार्यान्वित करने की रफ्तार को बढ़ाने में सहायता मिली है। निर्मल ग्राम पुरस्कार की पद्धति से सफाई कार्यक्रम की संधारणीयता और उसके अनुरक्षण में भी सहायता मिलती है। ग्यारहवीं योजना के लिए 7816 करोड़ रुपए (2006-07 की कीमतों के अनुसार 6910 करोड़ रुपए) का परिव्यय प्रस्तावित है। वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 1060 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का भौतिक लक्ष्य 69 मिलियन घरों, 25769 सफाई कॉम्प्लेक्सों, 133,114 आंगनवाड़ियों, सभी बाकी स्कूलों (नए स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कवर किए जाएंगे) और आर.एस.एम/पी.सी.ज को कवर करना है (आंकड़ों को जिलों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा)। (ब्यौरा खंड II के अध्याय 5 में)।

पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि

6.33 पंचायती राज संस्थाओं के शामिल होने के जरिए अधिक भागीदारिता वाली पद्धति की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना को पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। स्थानिक कवरेज का भी विस्तार किया गया था और अब यह 250 जिलों को कवर करती है (आर.एस.वी.वाई.147 जिलों को कवर करती थी)। इस स्कीम का उद्देश्य भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और अन्य ध्वजपोत कार्यक्रमों जैसे अन्य कार्यक्रमों का, जो विशिष्ट रूप से ग्रामीण अवसंरचनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन नाजुक कमियों की ओर ध्यान देने के लिए जिनकी अनुपूर्ति करने की आवश्यकता है, अभिसरण करने और उनका मूल्य वर्धन करने में सहायता देना है। इसका उद्देश्य (i) अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करके; (ii) अच्छे शासन और कृषि सुधारों को बढ़ावा दे कर; (iii) अनुपूरक अवसंरचना और क्षमता निर्माण के जरिए, इन जिलों में मौजूदा पर्याप्त विकासात्मक अन्तर्प्रवाह का अभिसरण करके पिछड़े क्षेत्रों में विकास को उत्प्रेरित करना है।

6.34 इस स्कीम के दो संघटक हैं, अर्थात् (क) जिलों का संघटक, जो 250 जिलों को कवर करता है, जो लोगों की भागीदारिता के जरिए चुनी गई स्कीमों वाली भली-भांति तैयार की गई भागीदारितापूर्ण जिला योजना पर आधारित होगा, जिसके लिए योजना बनाने और कार्यान्वित करने वाले प्राधिकरण गांव से जिला स्तर की पंचायती राज संस्थाएं होंगी; और (ख) बिहार और उड़ीसा के कालाहांडी-बोलनगिर-कोरापुट जिलों (के.बी.के.) के लिए विशेष योजनाएं। बिहार के लिए विशेष योजना राज्य सरकार के साथ सलाह करके विद्युत, सड़क संयोजन, सिंचाई, वानिकी और वाटरशेड विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार करने के लिए तैयार कर ली गई थी। के.बी.के. जिलों की विशेष योजना में स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार सूखा सह आजीविका सहायता, संयोजनीयता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि की मुख्य समस्याओं से निपटने की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है। (ब्यौरा अध्याय-7 भाग-III में)।

III उद्योग

उद्योग

7.1 लघु और मध्यम उद्यमों सहित उद्योग एसएमई(ज)

प्रस्तावना

7.1.1 दसवीं योजना का औद्योगिक संवृद्धि का 10 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन योजना की अवधि में औद्योगिक संवृद्धि की दर में तेजी आई और योजना के अन्तिम वर्ष लक्ष्य से अधिक संवृद्धि हुई। सी.ए.जी.आर., जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.5 प्रतिशत थी, बढ़ कर दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 8 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण ने विशेष गतिशीलता प्रदर्शित की, सी.ए.जी.आर. नौवीं पंचवर्षीय योजना में 3.8 प्रतिशत थी; वह बढ़ कर दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8.7 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण की वार्षिक संवृद्धि दर इस अवधि में निरन्तर बढ़ती रही और वह 2006-07 में 12.3 प्रतिशत हो गई। बहुत से वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि 11 प्रतिशत की औद्योगिक संवृद्धि सेवाओं की संवृद्धि की दर के बराबर थी और विनिर्माण में इन दोनों से अधिक संवृद्धि हुई (तालिका 7.1.1)।

7.1.2 घरेलू और विदेशी दोनों मार्किटों में बढ़ती हुई मांग से इसमें प्रमुख रूप से योगदान प्राप्त हुआ, लेकिन विनिर्माण के प्रभावशाली कार्य-निष्पादन का बहुत बड़ा कारण यह भी था कि 1991-92 के आर्थिक सुधारों के समय से औद्योगिक और राजकोषीय नीति में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, उनका कुल मिला कर इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। व्यापार के मार्ग की बाहरी रूकावटों में कमी किए जाने से जो प्रतियोगी वातावरण बना, उससे अन्ततः फल मिलना शुरू हो गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना की 6.3 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. की तुलना में, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात ने 19 प्रतिशत से अधिक की सी.ए.जी.आर. दर्ज की।

7.1.3 विनिर्माण में सकल पूंजी निर्माण में हुई उल्लेखनीय वृद्धि, और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास दायर किए गए औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापनों (आई.ई.एम.) में मूल्यों में दर्शाई गई प्रमात्रा उछाल (क्वांटम जम्प) को देखते हुए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विनिर्माण में संवृद्धि की ऊंची दर के जारी रहने की बहुत अधिक सम्भावना है (संलग्नक 7.1.1)।

तालिका 7.1.1
संवृद्धि दरें

	नौवीं योजना में सी.ए.जी.आर.	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (क्यू.ई.)	2006-07 (आर.ई.)	दसवीं योजना में सी.ए.जी.आर.
सकल घरेलू उत्पाद	5.5	3.8	8.5	7.5	9.0	9.4	7.6
कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी	2.0	-7.2	10.0	0.0	6.0	2.7	2.1
उद्योग (विनिर्माण)	4.5 (3.8)	6.8 (6.8)	6.0 (6.6)	8.4 (8.7)	8.0 (9.1)	11.0 (12.3)	8.0 (8.7)
*सेवाएं	8.1	7.4	8.9	10.0	10.3	11.0	9.5

नोट: #निर्माण सेवाओं में शामिल है। क्यू.ई.= तिमाही आकलन. () में दिए गए आंकड़े विनिर्माण से संबंधित हैं।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

दसवीं योजना की समीक्षा

7.1.4 दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में उद्योग का क्षेत्रकीय हिस्सा, कई वर्षों की गिरावट के बाद, बढ़ना शुरू हुआ। विनिर्माण के हिस्से ने भी दसवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान गिरने के बाद वृद्धि की प्रवृत्ति बरकरार रखी (तालिका 7.1.2)।

तालिका 7.1.2
सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकीय हिस्सा

	कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी	उद्योग (विनिर्माण)	सेवाएं (प्रतिशत)
2001-02	24.0	25.0 (14.8)	51.0
2002-03	21.5	25.8(15.2)	52.7
2003-04	21.7	25.6(15.0)	52.7
2004-05	20.2	26.1(15.1)	53.7
2005-06(क्यू.ई.)	19.7	26.2(15.1)	54.1
2006-07 (आर.ई.)	18.5	26.6(15.5)	54.9

स्रोत: प्रेस नोट 31 मई, 2007, नेशनल अकाउण्ट्स स्टेटिस्टिक्स 2007, सी.एस.ओ.टिप्पणी: यहां दिए गए आंकड़े नौवीं पंचवर्षीय योजना और मध्यावधिक मूल्यांकन दस्तावेजों में इस्तेमाल किए गए आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं, क्योंकि सी.एस.ओ. द्वारा आधार वर्ष 1993-94 से बदल कर 1999-2000 बना दिया गया है।

विनिर्माण क्षेत्रक का उत्पादन

7.1.5 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ए. एस. आई) पंजीकृत यूनितों के आंकड़ों का बुनियादी स्रोत है और गैर-पंजीकृत यूनितों के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस स्थिति में, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) विनिर्माण के लिए 2-अंकीय स्तर के पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों प्रकार के यूनितों की संवृद्धि का अनुमान लगाने के लिए औद्योगिक उत्पादन के कुछ हद तक सीमित सूचकांक (आई.आई.पी.) का उपयोग करता रहा है। आई.आई.पी. के आंकड़े दर्शाते हैं कि विनिर्माण ने उत्पादन के रूप में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8.82 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. प्रदर्शित की (तालिका 7.1.3) है।

7.1.6 सूती कपड़ा, कपड़ा उत्पादों, कागज और कागज उत्पादों, क्षारीय (बेसिक) धातुओं और मिश्र-धातुओं, मशीनों और उपकरणों, परिवहन उपकरणों और अन्य विनिर्माण उद्योगों ने संवृद्धि की दर में काफी अधिक वृद्धि दर्ज की, लेकिन पेय और तम्बाकू और रसायनों तथा रासायनिक उत्पादों ने संवृद्धि की प्रभावशाली दरें बनाए रखी। सूती कपड़े ने योजना के पहले दो वर्षों के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद 2004-05 के बजट में राजकोषीय नीति में किए गए सुधारों के पश्चात, जिन्होंने छोटे पैमाने के उद्योगों और अन्य उद्योगों के बीच खेलने के लिए बराबरी के मैदान का निर्माण किया, योजना के अन्तिम तीन वर्षों में असाधारण प्रगति की, सूती कपड़े से भिन्न कपड़ा उद्योगों का कार्य-निष्पादन और अधिक प्रभावशाली

था। पूंजीगत वस्तु उद्योग का कार्य-निष्पादन एक अन्य सकारात्मक पहलू था, विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि इसका विनिर्माण में निवेश को बढ़ाने पर प्रभाव पड़ता है। धातुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई और इस्पात और अलौह धातुओं दोनों की अनुक्रिया विश्वव्यापी उत्प्लावकता के प्रति बहुत बढ़िया रही। हालांकि कागज और कागज-उत्पादों ने कुल मिलाकर अच्छी संवृद्धि दर्शाई, लेकिन उनका कार्य-निष्पादन ऊंचा-नीचा रहा। औषधीय उत्पादों के निर्यात में तेजी से वृद्धि होने से रासायनिक उत्पादों में भी उछाल आया। एक अन्य प्रमुख उद्योग, जो ऊंची संवृद्धि के मार्ग पर अग्रसर दिखाई देता है, मोटरवाहन और आटो उत्पाद उद्योग है, जिसमें घरेलू और निर्यात दोनों मांगों में वृद्धि होती रही है। तीन क्षेत्र, जिन्होंने नकारात्मक संवृद्धि प्रदर्शित की है, पटसन वस्त्र, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद और चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद हैं। चमड़े के मामले में, 2002-03, 2003-04 और 2005-06 में हुई नकारात्मक संवृद्धि निर्यात के आंकड़ों से मेल नहीं खाती, जिनमें इन वर्षों में काफी वृद्धि दर्शाई गई है। आंकड़ों में विसंगति इस तथ्य के कारण है कि औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा उत्पादन के आंकड़ों का संग्रह करने में इस क्षेत्रक में विनिर्माण में लगे उद्यमों का पूरा कवरेज नहीं हुआ है।

पूंजी निर्माण

7.1.7 1995-96 में 13.53 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, विनिर्माण में, मार्केट कीमत पर जी.डी.पी. की प्रतिशतता के रूप में, सकल पूंजी निर्माण (जी.सी.एफ.) की दर ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई और नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष बिल्कुल तल पर पहुंच गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उसके शुरू में ही इस प्रवृत्ति ने अपनी दिशा बदली और 2005-06 में यह बढ़ कर 13.6 प्रतिशत हो गई। पंजीकृत विनिर्माण ने जी.सी.एफ. का अपेक्षाकृत ऊंचा स्तर दर्शाया; 2001-02 में यह 3.8 प्रतिशत था, जो बढ़ कर 2005-06 में 10.4 प्रतिशत हो गया (तालिका 7.1.4)।

औद्योगिक निवेश इरादे

7.1.8 विनिर्माण में भावी निवेश की आशावादी सम्भावनाएं औद्योगिक निवेश के इरादों से भी उभरती हैं, जोकि औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापनों (आई.ई.एम.), आशय पत्रों (एल.ओ.आई.) और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों (डी.आई.एल.) से उजागर होते हैं। विशेष रूप से 2005 और 2006 के बीच की अवधि में प्रस्तावित निवेश के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (अनुलग्नक 7.1.1)।

7.1.9 जिन कम्पनियों को 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान बैंकों और वित्तीय कम्पनियों द्वारा सहायता की मंजूरी दी गई है, उनके परिकल्पित पूंजी व्यय के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित पूंजी निवेश के आंकड़ों, आदि से उद्योग और कुछ अन्य क्षेत्रकों में पाइपलाइन में बढ़ते हुए निवेश की छवि सुदृढ़ होती है (संलग्नक 7.1.2)।

तालिका 7.1.3
औद्योगिक उप-क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन की प्रवृत्तियां-वार्षिक संवृद्धि दर

(प्रतिशत)

उद्योग कूट संख्या	उद्योग का नाम	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारांश	वार्षिक चक्रवृद्धि संवृद्धि दर (सी.ए.जी. आर.) 1997-2002	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	वार्षिक चक्रवृद्धि संवृद्धि दर (सी.ए.जी. आर.) 2002-07
20-21	खाद्य उत्पाद	9.08	2.49	-1.68	11.0	-0.5	-0.4	2.0	8.7	4.05
22	पेय और तम्बाकू	2.38	11.17	12.18	27.9	8.5	10.8	15.7	11.3	14.67
23	सूती कपड़ा	5.52	0.29	-2.20	-2.7	-3.1	7.6	8.5	14.8	4.79
24	ऊन, रेशम और मानव-निर्मित रेशे का कपड़ा (सूती कपड़े के बिना)	2.26	8.53	4.40	3.0	6.8	3.5	0.0	8.1	4.25
25	पटसन वस्त्र	0.59	0.37	-5.86	8.3	-4.2	3.7	0.5	-15.8	-1.85
26	कपड़ा उत्पाद	2.54	2.60	2.40	14.4	-3.2	19.2	16.3	11.5	11.38
27	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	2.70	-6.79	-11.03	-17.6	6.8	-8.4	-5.7	29.1	-0.39
28	कागज और कागज उत्पाद	2.65	4.29	2.99	6.8	15.6	10.5	-0.9	8.4	7.95
29	चमड़ा और फर उत्पाद	1.14	8.07	5.93	-3.2	-3.9	6.7	-4.8	0.4	-1.05
30	रसायन और रासायनिक उत्पाद	14.00	8.56	4.76	3.7	8.7	14.5	8.3	9.4	8.86
31	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम	5.73	7.55	11.08	5.5	4.5	2.4	4.3	12.7	5.81
32	अघातक खनिज उत्पाद	4.39	8.89	1.37	5.1	3.7	1.5	11.0	12.9	6.75
33	क्षारीय धातुएं और मिश्र धातुएं	7.45	2.16	4.01	9.2	9.2	5.4	15.8	22.9	12.32
34	धातु उत्पाद और हिस्से	2.81	5.34	-9.59	6.4	3.7	5.7	-1.1	11.4	5.14
35-36	मशीनें और उपस्कर	9.57	6.51	1.02	1.6	15.8	19.8	12.0	14.2	12.48
37	परिवहन उपस्कर	3.98	6.40	6.83	14.6	17.0	4.1	12.7	15.0	12.58
38	अन्य विनिर्माण उद्योग	2.56	0.35	8.86	0.1	7.7	18.5	25.2	7.7	11.49
	विनिर्माण	79.36	5.27	2.86	6.0	7.4	9.2	9.1	12.5	8.82

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

तालिका 7.1.4
सकल पूंजी निर्माण और विनिर्माण में पूंजी निर्माण

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद (मार्केट कीमतों पर) की प्रतिशतता के रूप में पूंजी निर्माण				संबंधित जी.वी.ए. प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत और गैर-पूंजीकृत विनिर्माण में पूंजी निर्माण@	
	चालू कीमतों पर जी.डी.पी.एफ.#	विनिर्माण जी.डी.पी.एफ.	पूंजीकृत विनिर्माण	गैर-पूंजीकृत विनिर्माण	पूंजीकृत	गैर-पूंजीकृत
1999-00	25.9	8.9	7.0	2.0	78.5	42.0
2000-01	24.3	6.9	4.6	2.4	48.0	49.5
2001-02	22.9	5.0	3.8	1.2	40.5	27.9
2002-03	25.2	7.1	4.9	2.3	51.0	50.2
2003-04	28.0	8.4	5.4	3.0	56.6	67.1
2004-05	31.5	11.6	8.1	3.4	81.4	76.2
2005-06(पी)	33.8	13.6	10.4	3.2	102.5	72.2

नोट: @ सकल मूल्य संवर्धन (जी.वी.ए.), सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जी.डी.पी.एफ.) सकल पूंजी निर्माण (जी.डी.पी.एफ.)

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

7.1.10 दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों में उन परियोजनाओं में, जो पाइपलाइन में हैं, निवेश में तेजी से वृद्धि हुई, विशेष रूप से विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद, धातु और धातु उत्पाद, कपड़ा और सीमेंट की परियोजनाओं में और चीनी, रासायनिक और पेट्रो-रसायन उत्पादों, विद्युत मशीनों और उनसे भिन्न मशीनों, परिवहन उपस्कर और निर्माण की परियोजनाओं में भी।

विनिर्मित उत्पादों का निर्यात

7.1.11 उद्योग के कार्य-निष्पादन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि विनिर्माण के निर्यात के हिस्से में जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वह योजना की समूची अवधि में बनी रही। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में नौवीं योजना के दौरान प्राप्त 6.3 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. की तुलना में, दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन उत्पादों के निर्यात में सी.ए.जी.आर. 19.9 प्रतिशत थी (अनुलग्नक 7.1.3)।


7.1.12 इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात ने, मुख्यतः आटो और आटो संघटकों के निर्यात में हुई वृद्धि के आधार पर 33.1 प्रतिशत की सबसे ऊंची सी.ए.जी.आर. दर्ज की, और क्षारीय रसायन भी अधिक पीछे नहीं रहे और औषधीय उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के साथ उनमें 23.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पारम्परिक उत्पादों में कपड़े और सिले-सिलाए वस्त्रों की अनुक्रिया उन कोटों को हटाए जाने के प्रति बहुत अच्छी रही, जिनके कारण विकसित अर्थव्यवस्था

वाले प्रमुख देशों में 1 जनवरी, 2005 तक आयात पर प्रतिबंध लगे हुए थे, और रत्न तथा आभूषणों का कार्य-निष्पादन दसवीं योजना के दौरान बेहतर रहा। विनिर्मित के विश्व निर्यात के हिस्से में भी वृद्धि हुई।

विश्व व्यापार का हिस्सा

7.1.13 निर्यात में हाल में हुई प्रभावशाली संवृद्धि के बावजूद, कपड़ा (टेक्सटाइल्स ऐण्ड क्लोथिंग), लोहा और इस्पात और रासायनिक उत्पाद ही केवल ऐसे उत्पाद हैं, जिनमें 2005 में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 1% अथवा उससे अधिक था। यदि विनिर्माण को कुल मिलाकर लिया जाए, तो विनिर्मितियों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा एक प्रतिशत के आस-पास है। चीन के अलावा, जो संसार में विनिर्माण की शक्ति बन गया है, विनिर्मित उत्पादों के विश्व निर्यात में छः विकसित देशों और सीमा-शुल्क क्षेत्रों (कस्टम्स टेरिटरीज़) का हिस्सा बहुत अधिक है (देखें चित्र 7.1.1)।

7.1.14 विनिर्माताओं के विश्व में भारत का तुलनात्मक दृष्टि से कम हिस्सा दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में जी.डी.पी. में जोड़े गए विनिर्माण के मूल्य में भारत के कम हिस्से से प्रतिबिम्बित होता है (वर्ष 2000 में चीन के 34.5 प्रतिशत, थाईलैंड के 34.5 प्रतिशत और मलेशिया के 31.4 प्रतिशत की तुलना में भारत का 15.9 प्रतिशत)।



स्रोत: इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, डब्ल्यू.टी.ओ

वर्ष

चित्र 7.1.1 विनिर्मित वस्तुओं का विश्व निर्यात में हिस्सा

विनिर्माण में नौकरियों (जाब्स) का सृजन

7.1.15 संगठित विनिर्माण क्षेत्रक का कार्य-निष्पादन चिन्ता का स्रोत बना रहा है। सरकारी क्षेत्र के कुछ यूनिटों में स्टाफ के युक्तिसंगत पुनर्गठन और रुग्ण यूनिटों को बन्द करने के बाद, सरकारी क्षेत्र में रोजगार में भारी गिरावट आई थी। सुधार के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में, गैर-सरकारी क्षेत्रक में रोजगार में वृद्धि होने से, सरकारी क्षेत्रक में हुई गिरावट प्रति-सन्तुलित हो गई थी, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के वर्षों में गैर-सरकारी रोजगार में भी कमी हुई थी, जिसके कारण कुल मिलाकर लगभग 5.40 लाख कर्मचारियों का रोजगार कम हो गया था (तालिका 7.1.5)।

7.1.16 ऊपर के आंकड़ों से जिस गम्भीर स्थिति की झलक मिलती है, उसमें पांचवीं आर्थिक संगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर के निष्कर्षों के रिलीज़ हो जाने से काफी चमक आ गई है। दोनों सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि उत्पादन वृद्धि में तेजी आने के साथ-साथ नौकरियों में भी तेज दर से वृद्धि हुई है। पांचवीं आर्थिक संगणना ने यह पाया है कि 1998 और 2005 के बीच की अवधि में फसल-उत्पादन और बागान से भिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में रोजगार में 2.49 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई थी (इसकी तुलना में कार्य-बल में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई थी)। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 2004-05 के अद्यतन चक्र के आंकड़ों से पता चलता है कि 2004-05 के दौरान कृषि-भिन्न रोजगार में बहुत अधिक अर्थात् 4.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई थी। स्पष्टतः, यह बढ़ोतरी पूरी तरह से विनिर्माण और सेवाओं के गैर-संगठित क्षेत्रक से आई है, जिसका गैर-संगठित क्षेत्रक में कृषि-भिन्न कामगारों में लगभग 71.6 प्रतिशत हिस्सा है। नियमित कार्यों (जाब्स) में यह धीमी वृद्धि और श्रम मार्केट में दोहरापन (औपचारिक बनाम अनौपचारिक) का तीव्रीकरण एक गम्भीर मुद्दा बन गया है।

निवेश का वातावरण

7.1.17 उद्योगों के लिए निवेश के वातावरण में सुधार करने में बहुत से अनुकूल कारकों ने सहायता दी और विनिर्माण के मोर्चे पर पर्याप्त आशा उत्पन्न की। भारत ने वैश्विक प्रतियोगिता-क्षमता के सूचकांक में, जो सुप्रतिष्ठित निकायों द्वारा तैयार किया गया है, अपना चढ़ाव बनाए रखा और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारत में व्यापारिक विश्वास काफी अधिक था।

प्रवेश की रुकावटों का उन्मूलन

7.1.18 प्रवेश के मार्ग की रुकावटें राज्य के निवेश के वातावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। उद्योग के निवेश के वातावरण का एक निर्धारक यह है कि फर्म व्यापारिक क्रियाकलापों में कितनी आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2006) में दिखाया गया है कि भारत में प्रवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने में 35 दिन का समय लगता है और प्रक्रियाओं की संख्या 11 है और इसकी तुलना में चीन में 35 दिन लगते हैं और प्रक्रियाओं की संख्या 13 है। चित्र 7.1.2 में यह बात दिखाई गई है।

7.1.19 औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली को पहले से ही काफी अधिक तोड़ दिया गया था और दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसे और छोटा बनाने के लिए और उपाय किए गए थे। वर्ष 2005 में औषधियों और भेषजों और जैव-प्रौद्योगिकी के लिए लाइसेंस देने की पद्धति समाप्त कर दी गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त में केवल निम्नलिखित विनिर्माण के क्रियाकलापों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता थी:


- मद्यसारिक पेयों का आसवन और मद्यकरण
- तम्बाकू के सिगार और सिगरेट और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

तालिका 7.1.5
संगठित विनिर्माण में रोजगार

(लाख में)

	विनिर्माण (गैर-सरकारी क्षेत्रक)	विनिर्माण (सरकारी क्षेत्रक)	विनिर्माण में कुल रोजगार	रोजगार (सरकारी क्षेत्रक उद्योग में)	रोजगार (गैर-सरकारी क्षेत्रक उद्योग)	कुल रोजगार (संगठित क्षेत्रक)
1991	44.81	18.52	63.33	190.57	76.77	267.34
1996	50.49	17.38	67.87	194.29	85.12	279.41
2000	50.85	15.31	66.16	193.14	86.46	279.60
2001	50.13	14.30	64.33	191.38	86.52	277.89
2002	48.68	13.50	62.18	187.73	84.32	272.06
2003	47.44	12.60	60.04	185.80	84.21	270.00
2004	44.89	11.89	56.78	181.97	82.46	264.43

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, 2006-07



स्रोत: अनलीशिंग इंडिया, ज इनोवेशन: टूर्वर्ड सस्टेनेबल एंड इन्क्लूसिव ग्रोथ, मार्क.ए. ड्टस प्रकाशन, 2007

चित्र 7.1.2 कारोबार आरंभ करना, समय और विधियाँ


- इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपस्कर
- औद्योगिक विस्फोटक, और
- विनिर्दिष्ट जोखिमी रसायन

7.1.20 उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए स्थान का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। उन शहरों की परिधि के 25 किलोमीटर के अन्दर, जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक हो, उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि वह स्थान 24.7.1991 से पहले नामोद्दिष्ट किसी औद्योगिक क्षेत्र के भीतर न हो। लेकिन अवस्थिति की ये पाबन्दियाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर साफ्टवेयर और छपाई उद्योगों और ऐसे अन्य गैर-प्रदूषक उद्योगों के लिए लागू नहीं हैं, जो समय-समय पर नामोद्दिष्ट किए गए हों।

7.1.21 लाइसेंसों सम्बन्धी पाबन्दियों के अलावा, कुछ ऐसे प्रतिबन्ध हैं, जो सरकारी क्षेत्रक के लिए और छोटे पैमाने के औद्योगिक यूनिटों के लिए आरक्षित कतिपय उद्योगों से उत्पन्न होते हैं। अब सरकारी क्षेत्रक के लिए आरक्षण बहुत सीमित है, जो केवल विनिर्माण को कवर करता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा (और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और रेल परिवहन की व्यवस्था) के लिए संगत कतिपय पदार्थ शामिल हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की सूची को घटा दिया गया है और केवल ऐसी 114 मदें रह गई हैं। बड़े यूनिटों को लघु उद्योगों के क्षेत्रक के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करने की अनुमति है, लेकिन केवल तब यदि वे अपने औद्योगिक उत्पादन के 50 प्रतिशत भाग का निर्यात करने की जिम्मेदारी लें।

7.1.22 विदेशी प्रत्यक्ष नीति को भी दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सफलतापूर्वक उदार बना दिया गया। वर्ष 2006 में व्यापक समीक्षा करने के बाद उसे और उदार बनाया गया, विशेष रूप से औद्योगिक विस्फोटकों और जोखिमी रसायनों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी गई और उन विदेशी निवेशकों के लिए, जो पहले से भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों में शामिल हो चुके हों, नए निवेश करना आसान बना दिया गया। योजना अवधि के अन्त में उन क्रियाकलापों के सिवाय, जहां विदेशी निवेशकों का क्रियाकलापों के उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम/ तकनीकी सहयोग/ ट्रेडमार्क करार हो, विनिर्माण के सभी क्रियाकलापों में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती थी।

7.1.23 कुछ सेवा क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी की कुछ सीमाएं हैं, जैसे एफ.एम. रेडियो प्रसारण में 20 प्रतिशत, बीमा, रक्षा उत्पादन, समाचारों और सामयिक गतिविधियों को कवर करने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर 26 प्रतिशत, हवाई परिवहन सेवाओं, परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों, केबल नेटवर्क, डी.टी.एच., अपर्लिंकिंग के हार्डवेयर, एच.यू.बी., आदि पर 49 प्रतिशत, उत्पादों के एकल ब्रांड की खुदरा बिक्री के लिए 51 प्रतिशत और परमाणु खनिजों, गैर-सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग, दूरसंचार सेवाओं और उपग्रहों की स्थापना और प्रचालन के लिए 74 प्रतिशत। लेकिन कुछ अन्य सेवाओं, जैसे खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद की खुदरा बिक्री के सिवाय), जुआबाज़ी और दांवबाज़ी, लाटरी और परमाणु ऊर्जा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध है। किन्तु पेट्रोलियम परिष्करण के किसी क्रियाकलाप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर कोई सीमा लागू नहीं है।




निकास की रुकावटों की समाप्ति

7.1.24 देश में निवेश के वातावरण पर निकास के मार्ग की रुकावटों का भी प्रभाव पड़ता है। शायद निकास की सबसे महत्वपूर्ण रुकावट का सम्बन्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय ज ख से है, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक कर्मचारियों वाले यूनिट किसी अ-लाभकारी उद्यम का निकास सम्बन्धित राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकते। यह स्वीकृति प्राप्त करना प्रायः कठिन होता है और इसे पाने में बहुत समय लगता है।

7.1.25 भारत में उद्योग के लिए निकासी की एक अन्य महत्वपूर्ण रुकावट कानूनी उपबन्ध है, जिसका सम्बन्ध दिवाले, पुनर्वास, परिसमापन और समापन की कार्यवाहियों से है और जिसे सरल और समयबद्ध बनाए जाने की जरूरत है। विश्व विकास रिपोर्ट (विश्व बैंक, 2006) में यह कहा गया है कि भारत में दिवाले के मामलों को निपटाने में 10 वर्ष लग जाते हैं, जबकि इसकी तुलना में चीन में 2.4 वर्ष, दक्षिण कोरिया में 1.5 वर्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 वर्ष लगते हैं। इसी प्रकार, भारत में बन्द किए जाने वाले कारोबार की वसूली (रिकवरी) दर 13 प्रतिशत है, और इसकी तुलना में दक्षिण कोरिया में 82 प्रतिशत है। चित्र 7.1.3 यह बात स्पष्ट होगी।

7.1.26 नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और दिवालियापन, पुनर्वास, परिसमापन और समापन प्रक्रियाओं सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए और इस सम्बन्ध में कम्पनी विधि बोर्ड, बी.आई.एफ.आर. और न्यायपालिका के सम्बन्धित कृत्यों को हाथ में लेने के लिए राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) जैसे न्यायिक-कल्प न्यायालय स्थापित करने के लिए निगम कार्य



स्रोत : अनलीशिंग इंडिया, ज इनोवेशन: टूवर्ड सस्टेनेबल एंड इन्क्लूसिव ग्रोथ, मार्क.ए. ड्टस प्रकाशन, 2007

चित्र 7.1.3 कारोबार बंद करना, समय और प्राप्ति दर

मंत्रालय द्वारा एक व्यापक प्रारूप नया कम्पनी विधेयक, 2007 प्रस्तावित किया गया है। ऐसे निकायों को वास्तविक रूप से स्थापित करने का काम उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष लम्बित किसी सम्बन्धित मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर किया जा सकता है।

7.1.27 एक प्रमुख पहल जो दसवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी और जो प्रवेश रुकावटों को दूर करने में सहायता देगी, वह 'एम.सी.ए.21 ई-गवर्नेंस परियोजना' शुरू किया जाना था। यह परियोजना कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन का कम्प्यूटरीकरण करने और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए थी। सीमित देनदारी भागीदारिता के लिए विधान प्रस्तुत करने का निर्णय आगे उठाया गया एक और अन्य कदम था।

व्यापार का उदारीकरण

7.1.28 दसवीं पंचवर्षीय योजना से पहले व्यापार पर लगी मात्रात्मक पाबन्दियों को उत्तरोत्तर समाप्त कर दिया गया था और 1991-92 में आर्थिक सुधार लागू किए जाने के बाद कृषि-भिन्न उत्पादों पर आयात शुल्कों को बहुत घटा दिया गया था। इस प्रक्रिया को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया था और कृषि-भिन्न उत्पादों पर पीक टैरिफ को, जो 2002-03 में 30 प्रतिशत था, 2007-08 के केन्द्रीय बजट में घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया। व्यापार का यह उदारीकरण एक ऐसा कारक था, जिससे विनिर्माण मूल्य-वर्धन में वृद्धि होने और विनिर्माण में सकल पूंजी निर्माण में वृद्धि होने में प्रभावशाली योगदान मिला था।

बढ़ती हुई घरेलू मांग

7.1.29 आटो संघटक, फाइन रसायन और औषध जैसे कौशल-प्रधान खंडों में भारत की बढ़ती हुई प्रतियोगिता-क्षमता हाल ही की एक महत्वपूर्ण घटना है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान माल के निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की दर से निरन्तर वृद्धि होने से बहुत से विनिर्मित उत्पादों के मामले में भारत की निर्यात की प्रतियोगिता-क्षमता स्थापित हो गई है। लेकिन, भारत के विनिर्माण (और सेवाओं) की भावी संवृद्धि उत्तरोत्तर घरेलू उपभोक्ता मांग से उत्प्रेरित होगी। एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा किए गए अनुसन्धान (दि ग्रेट इंडियन मिडल क्लास: रिजल्ट्स फ्राम दि एन.सी.ए.ई.आर. मार्केट सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स, एन.सी.ए.ई.आर. बिज़नेस स्टैण्डर्ड्स, 2004 के सहयोग से) और मकिन्से (दि बर्ड आफ गोल्ड: दि राइज ऑफ इंडियाज़ कन्ज्यूमर मार्केट, मकिन्से ऐण्ड कम्पनी, 2007) ने यह बात सामने लाई है कि 2 लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवारों की संख्या, जो 2005 में 14.4 मिलियन है, बढ़ कर 2015 में

63.9 मिलियन और 2025 में 137.5 मिलियन हो जाएगी। इस वर्ग के हाथ में समुचित प्रयोज्य आय बढ़ कर 2015 में लगभग 4 गुना और 2025 में 10 गुना से अधिक हो जाएगी। उपभोक्ता मांग को प्रभावित करने वाला एक अन्य तत्व देश की बदलती हुई जनांकिकीय रूपरेखा (प्रोफाइल) होगी, जिसके परिणामस्वरूप आश्रय अनुपात, जो 2005 में 60 प्रतिशत है, घट कर 2015 में 52 और 2025 में 48 हो जाएगा। यह अपेक्षित है कि 2025 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगा और जर्मनी की उपभोक्ता मार्केट से आगे निकल जाएगा। 'बढ़ती हुई आमदनियां 291 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठा देंगी और 583 मिलियन के मध्यम वर्ग का निर्माण करेंगी' (मकिन्से)।

उद्योग के बारे में ग्यारहवीं योजना का परिप्रेक्ष्य

7.1.30 ग्यारहवीं योजना के दौरान 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत संवृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, यह प्रक्षेपित किया गया है कि उद्योग और विनिर्माण को अलग-अलग रूप से, 9.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से संवृद्धि करनी होगी। किन्तु, यदि बहुत से मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाएगा, जैसाकि नीचे चर्चा की गई है और यदि अवसंरचना (विद्युत और परिवहन) के सुधार की योजनाएं पूरी तरह से फलीभूत हो जाएंगी, और खनन (पैरा 7.2.60) और निर्माण (पैरा 8.1.6) के बारे में जिन नीतियों की सिफारिश की गई है, उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा, तो औद्योगिक संवृद्धि की काफी अधिक ऊंची दर प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता परिषद (एन.एम.सी.सी.) ने, वास्तव में, विनिर्माण के लिए 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक की संवृद्धि दर का सुझाव दिया है। उन विभिन्न मुद्दों पर, जिनकी ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, नीचे चर्चा की गई है:

औद्योगिक संवृद्धि के मुद्दे

विश्व श्रेणी का बुनियादी ढांचा

7.1.31 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भौतिक अवसंरचना में निवेश को जोरदार बनाया गया था, और अगले अध्यायों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपनाई जा रही निवेश की योजनाओं और नीतियों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन, काफी अधिक प्रगति होने के बावजूद, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता (क्वालिटी) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में विश्व श्रेणी के ढांचे के स्तर से बहुत नीचे थी। बिजली विद्युत और सड़कों, पत्तनों, रेलों और हवाई अड्डों की उपलब्धता और गुणवत्ता से सम्बन्धित समस्याओं पर खंड I के अध्याय I में प्रकाश डाला

गया है और इसके साथ-साथ इन समस्याओं से निपटने के लिए ग्यारहवीं योजना में अपनाई जा रही नई कार्यनीतियों की रूपरेखा की जानकारी दी गई है।

कराधान

7.1.32 कराधान नीति निवेश के वातावरण की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारक है। प्रत्यक्ष करों की दरें काम करने, बचत और निवेश करने के प्रोत्साहनों का ढांचा निर्धारित करती हैं, और अप्रत्यक्ष करों का स्तर और ढांचा समुचित मांग को और इस प्रकार एक ओर प्रचालनों के पैमाने और दूसरी ओर विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की सापेक्ष कीमतों को प्रभावित करता है। कर प्रणाली को सरल बनाने, कर की दरों को कम करने और करों की बौछार करने से बचने के सुनियोजित प्रयासों ने, जिन्हें 1991-92 के सुधारों के समय से जोरदार बनाया गया था और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा गया था, निवेश के वातावरण में सुधार किया है। लेकिन, और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।

प्रत्यक्ष कर

7.1.33 निगम कर की दर को घटा कर 30 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया है, और अधिभार और उपकर के मिलाने से यह 33.99 प्रतिशत की अधिकतम मार्जिनल दर बन जाती है। लेकिन, विश्लेषण से देश में प्रत्यक्ष कराधान की दो विशेषताएं सामने आई हैं, जो छूटों की व्यवस्था से उभरी हैं। पहली यह कि 2005-06 में अदा किए गए निगम कर की औसत प्रभावी दर 17 प्रतिशत, अथवा सांविधिक दर की लगभग आधी थी। और दूसरी यह कि आपात की श्रृंखला 11.7 प्रतिशत से लेकर 32.5 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न थी।

7.1.34 प्रत्यक्ष करों की विभिन्न प्रभावी दरों के कारण संसाधनों का अप-आबंटन हो सकता है। पूंजी का निवेश करों में लाभ की बजाय कुशलता के विचारों से चालित होना चाहिए। उद्योग-सापेक्ष रियायतों के वापस लिए जाने से, बिना किसी छूट के एक एक-समान दर लागू किए जाने पर विचार करना सम्भव हो सकता है। एकसमान दर लागू करने की वांछनीयता इस तथ्य से उभरती है कि इससे विभिन्न क्रियाकलापों के कराधान में पारदर्शिता और साम्यता उत्पन्न होने की आशा बंधती है, कर से बचने और कर-वंचन करने की प्रेरणा घट जाती है और इससे कर प्राधिकरणों द्वारा (रियायतों की हकदारी के बारे में) स्व-विवेक का प्रयोग किया जाना न्यूनतम हो जाता है। प्रत्यक्ष करों में कालेलकर कार्य-बल ने निगम कर की ऐसी 25 प्रतिशत व्यवस्था की सिफारिश की थी।

अप्रत्यक्ष कर

7.1.35 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अप्रत्यक्ष करों में लगभग सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा राज्य मूल्य-वर्धित कर (वैट) अपनाए जाने से अप्रत्यक्ष करों के प्रपाती प्रभाव को घटाने में भारी प्रगति की गई थी। लेकिन, भारत में अप्रत्यक्ष करों की दरें विश्व में सबसे ऊंची दरों में बनी हुई हैं। अधिकतर औद्योगिक उत्पादों पर विनिर्मित मूल्य पर औसत रूप से 16 प्रतिशत की केन्द्रीय वैट और खुदरा मूल्य पर 12.5 प्रतिशत की मॉडल दर से राज्य वैट लागू होता है (हालांकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जिन्हें राज्य वैट से छूट है और कुछ वस्तुओं पर कम दर से कर लगता है)। इस समय केन्द्रीय वैट और राज्य वैट का आपात लगभग 23 प्रतिशत है। इसके अलावा, राज्य और स्थानीय स्तरों का शासन चुंगी अथवा प्रवेश कर, आदि जैसे कर उगाहते हैं। अप्रत्यक्ष करों की दर कुल मिला कर, आसियान (ए.एस.ई.ए.एन.) देशों में प्रचलित दरों की तुलना में, जो 10-12 प्रतिशत के आस-पास हैं, बहुत ऊंची है।

7.1.36 उच्च कर उत्पादों की अन्तिम कीमत बढ़ा देते हैं, विशिष्ट उत्पादों की मांग को घटा देते हैं और समुचित मांग को मन्द कर देते हैं। निम्न कर समुचित मांग में वृद्धि कर देते हैं, निवेश को लम्बे समय तक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, और इसके साथ-साथ रोजगार और आय को बढ़ाते हैं। हाल के वर्षों में करों के संग्रह में जो उफान आया है, यदि वह बरकरार रहा तो उससे केन्द्रीय वैट और राज्य वैट के संयुक्त आपात को क्रमिक रूप से घटाने की दिशा में शुरुआत करने का अवसर मुहैया होगा।

विलोमित शुल्क ढांचा

7.1.37 भारत में 1991-92 से कृषि-भिन्न उत्पादों पर लगने वाले सीमा-शुल्कों में भारी कमी हुई है और पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम (पीक) शुल्क (थोड़े से उत्पादों के सिवाय) 30 प्रतिशत से घट कर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार हो गए हैं (1 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार)। हमारे अधिकतर विनिर्माण उद्योगों ने आयात की उस बढ़ी हुई प्रतियोगिता का भली-भांति सामना किया है, जो सीमा-शुल्कों के घटने से उत्पन्न हुई है। लेकिन जो चीज उन्हें प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है, वह है शुल्कों का विलोमित ढांचा, जो मूल्य-वर्धित उत्पादों पर से शुल्क को समाप्त करने अथवा घटाने से बना है, जबकि कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर ऊंची दरों से शुल्क लगते हैं। कुछ मामलों में, विलोमित शुल्क एम.एफ.एन. शुल्कों में सन्निहित हैं, जैसाकि सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और पुस्तकों के मामले में है। यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी करार के दायित्वों के अन्तर्गत लगभग सभी सूचना प्रौद्योगिकी

उत्पादों पर से, जिनमें मध्यवर्ती उत्पाद भी शामिल हैं, बुनियादी सीमा-शुल्क समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ बुनियादी कच्ची सामग्रियों पर, जो इन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए काम में लाई जाती हैं, अभी भी विभिन्न स्तरों के सीमा-शुल्क लागू होते हैं। इसी प्रकार, कागज पर उत्पाद-शुल्क लगता है (और जब आयात किया जाता है, तो आयात शुल्क भी लगता है) लेकिन मुद्रित पुस्तकों के आयात पर बुनियादी सीमा-शुल्क अथवा उत्पाद-शुल्क के एवज में अतिरिक्त सीमा-शुल्क लागू नहीं होता। भारत ने जो क्षेत्रीय व्यापार प्रबन्ध (आर.टी.ए.) किए हैं, उनके द्वारा विलोमित शुल्क ढांचे के आपात में काफी अधिक वृद्धि हो गई है और अर्ली हार्वेस्ट सूचियों के ज़रिए शुरू में ही कार्यान्वित की जाने वाली चुनी हुई तरजीहों ने उसे और कठोर बना दिया है। हालांकि हस्तक्षेप की विशिष्ट कार्रवाइयों के ज़रिए, विलोमित शुल्क ढांचे की समस्याओं का, जो आर.टी.ए. से उत्पन्न हुई हैं, उपशमन करने के लिए उपाय किए गए हैं, लेकिन और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।

7.1.38 यह भी महत्वपूर्ण है कि विश्व के कुछ अग्रणी व्यापारिक देशों के साथ जिन बहुत से एफ.टी. करारों के बारे में की जा रही बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, उनके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग में होने वाले सम्भाव्य विघटन से घरेलू उद्योग को बचाया जाए। विनिर्माण में कार्य-कुशलता विशेष रूप से भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता और कौशल विकास का कृत्य है और हमारी अवसंरचना, सामाजिक और भौतिक दोनों, इस समय विश्व श्रेणी की नहीं हैं। इस समय जब हम एफ.टी.ए. कर रहे हैं, देश में शिक्षा और कौशलों के स्तर को ऊंचा उठाना और विद्युत तथा परिवहन की अवसंरचना में सुधार करना जरूरी है। अन्यथा पूंजी की उड़ान हमारे देश से उन व्यापारिक भागीदार देशों को होने लगेगी, जिनके पास बढ़िया अवसंरचना है और ऊंचे स्तर का कौशल है। इसके अलावा, राजकोषीय पक्ष में एक बराबरी के खेलने के मैदान का सृजन अवश्य किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी एफ.टी.ए. में हमारे उद्योगों को प्रतिकूल स्थिति का सामना न करना पड़े, जी.एस.टी. को पक्के रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। इससे पहले कि हम एक सुचारु रूप से काम करने वाला एफ.टी.ए. प्राप्त कर सकें, विनिमय दर नीति के बारे में भी समझौता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि एक भागीदार देश में मार्केट द्वारा चालित विनिमय दर नीति का सह-अस्तित्व किसी अन्य देश में काफी अधिक नियंत्रित विनिमय दर नीति के साथ नहीं हो सकता। उन प्रमुख एफ.टी.ए. के लागू होने से पहले, जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, इन आधारभूत पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है।

वस्तु और सेवा कर

7.1.39 सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर एक-रूपात्मक करों को गैर-स्वविवेकाधीन तरीके से लागू करना किसी कर प्रणाली का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभीष्ट है। एक एकीकृत वस्तु और सेवा कर को लागू करने से इस उद्देश्य को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य बल (केलकर) की रिपोर्ट में वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करने की सिफारिश की गई थी। सरकार ने जी.एस.टी. लागू करना स्वीकार कर लिया है और इसे वर्ष 2010 में लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तैयार होने के लिए, सरकार ने सी.एस.टी. को क्रमबद्ध रूप से घटा कर 2010 तक शून्य पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। यह इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि सी.एस.टी., जो एक मूल्य-आधारित कर है, मूल्य-वर्धित करों के अनुरूप नहीं है, जो गन्तव्य आधारित हैं-दोनों का सह-अस्तित्व नहीं होना चाहिए। चूंकि सी.एस.टी. से प्राप्त राजस्व राज्यों को अन्तरित किया जाता था, इसलिए उन्हें कतिपय वस्तुओं पर सेवा कर लागू करने का अधिकार देकर उनकी क्षतिपूर्ति की जानी है। उस समूह की तरह, जो राज्य वैट लागू करने के लिए गठित किया गया था, जी.एस.टी. लागू करने की रीतियां तय करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है।

7.1.40 जब एकीकृत वस्तु और सेवा कर एक बार समूचे देश में लागू हो जाएगा, तो यह कर प्रशासन को सरल बना देगा और करों के प्रपात को समाप्त कर देगा। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन, उपभोग और निर्यात के ढांचे की विकृतियों को कम करने में सहायता मिलेगी और संसाधनों का अधिक कुशल आबंटन होगा। विनिर्मित वस्तुओं की मांग में काफी अधिक वृद्धि होने की अपेक्षा की जा सकती है।

विनिर्माण क्षेत्रक में संरचनात्मक परिवर्तन

7.1.41 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ए.एस.आइ. अवलोकन से के, जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत सभी कारखानों को कवर किया जाता है, आंकड़ों से प्रकट होता है कि 1990-91 से 2004-05 तक विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रकों के हिस्सों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया था। वर्गीकरण का एन.आई.सी. 87 से, जो 1990-91 में प्रचलित था, एन.आई.सी. 2004 में परिवर्तन हो जाने से, जिसके आधार पर 2004-05 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को तैयार किया गया है, जो मुख्य परिवर्तन देखे गए हैं, वे ये हैं: रसायनों और रासायनिक उत्पादों का हिस्सा 8.42 से बढ़ कर 16.4 प्रतिशत हो गया, और बेसिक धातुओं और सम्बद्ध उद्योगों का हिस्सा 12.9 प्रतिशत से

बढ़ कर 19 प्रतिशत हो गया और मशीनों, मशीनी औजारों और विद्युत मशीनों (एन.आई.सी.35-36) का हिस्सा 16.14 प्रतिशत से घट कर 10 प्रतिशत हो गया और कपड़े और कपड़ा उत्पादों, जिनमें वस्त्र भी शामिल हैं, का हिस्सा 14.37 प्रतिशत से घट कर 7.3 प्रतिशत हो गया। परिवहन उपकरणों और उनके भागों के हिस्से में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और वह 8.3 प्रतिशत से बढ़ कर 9.5 प्रतिशत हो गया, जबकि खाद्य, पेय और तम्बाकू के हिस्से में गिरावट आई और वह 11.9 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत हो गया।

7.1.42 निश्चित पूंजी प्रति कर्मचारी के रूप में विनिर्माण क्षेत्रक की पूंजी सघनता में स्थिर कीमतों पर 1990-91 से लगभग 6.5 प्रतिशत सी.ए.जी.आर. से वृद्धि हुई है। हो सकता है कि विनिर्माण खंड में बाह्य स्रोतीकरण में हुई वृद्धि ने पूंजी सघनता में बढ़ोतरी कर दी हो। निवल मूल्य-वर्धन के प्रति निश्चित पूंजी का अनुपात, जो 1980-81 में 2.53 था, घट कर 1990-91 में 1.85 हो गया और इसके बाद उसमें सीमान्तिक वृद्धि हुई और वह 2004-05 में 1.97 हो गया। जिन खंडों में पूंजी सघनता में वृद्धि हुई, वे ये हैं: कागज, बेसिक धातुएं और गैर-धात्विक खनिज और कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अधिक रोजगार का सृजन करने वाले क्षेत्रक।

7.1.43 कल्पना कोछड़ आदि¹ द्वारा भारत के विकास के स्वरूप के बारे में किए गए अध्ययन में यह नोट किया गया है कि '1980 के दशक में भारतीय विनिर्माण का विरोधाभास यह है कि श्रम की दृष्टि से समृद्ध, पूंजी की दृष्टि से निर्धन अर्थव्यवस्था, जो पूर्वोक्त का उपयोग बहुत कम और उत्तरोक्त का उपयोग बहुत अकुशलता से करती है'। इसमें यह भी कहा गया है कि आर्थिक सुधारों के समय से बहुत कम परिवर्तन हुआ है, जिसका कारण यह है कि श्रम मार्केटों को छुआ नहीं गया है और शिक्षा व्यय तृतीयक शिक्षा की ओर मुड़ा हुआ है। यदि भारतीय उद्योग के ढांचे को देश की कारक-सम्पन्नता के अनुकूल बनाया जाना है, तो यह जाहिर है कि श्रम-प्रधान उद्योगों के मार्ग की रुकावटों को अवश्य दूर किया जाना चाहिए और, हालांकि उच्च शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय में कमी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन श्रम-बल को ऐसे उद्योगों में रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए।

कौशल विकास

7.1.44 विनिर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में कौशल का अभाव विनिर्माण की संवृद्धि के मार्ग में एक प्रमुख बाधा के रूप में उभर कर सामने आया है। विनिर्माण के सभी क्षेत्र प्रभावित हैं, लेकिन औषध, मोटरकार और आटो-पार्ट्स, कपड़ा और वस्त्र, चमड़ा

और चमड़ा उत्पाद जैसे अधिक गतिशील क्षेत्र अधिक गम्भीर रूप से प्रभावित हैं। और यह कमियां शिखर पर कार्यकारी अधिकारियों और डिजाइनरों से लेकर आधार स्तर के कौशलप्राप्त कामगारों, जैसे दर्जियों और मशीन आपरेटरों तक हैं। इस कमी से कुशल कारीगरों को चोरी-छिपे समेट कर ले जाने की समस्या पैदा हुई है, जिसका अनुभव सुस्थापित औद्योगिक यूनिट कर रहे हैं।

7.1.45 कौशल और ज्ञान देश की आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक विकास की संचालन शक्तियां हैं। कौशल और ज्ञान का विकास रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का आधार है और ग्यारहवीं योजना के दौरान इस समस्या का समाधान करने की व्यापक कार्यनीति की रूपरेखा खंड I के अध्याय 4 में दी गई है।

श्रम का लचीलापन

7.1.46 हमें उन तीन बातों की पहचान करने की आवश्यकता है, जो भविष्य में संगठित विनिर्माण में पक्के व्यवहार पर प्रभाव डालेंगी। सबसे पहली बात यह कि वैश्विक एकीकरण से प्रतियोगिता में जो वृद्धि हुई है, उसके दबावों का सामना करने के लिए फर्मों के वास्ते यह जरूरी है कि वे अपने संगठनात्मक ढांचे में लचीलेपन का निर्माण करें, ताकि वे अपने उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय मांग में होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजन कर सकें। उद्यम अपनी कोर क्षमता पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं और अन्य सभी क्रियाकलाप बाहरी विशेष संगठनों अर्थात् ऐसे बाह्य स्रोतों से सम्पन्न करा रहे हैं, जो कम लागत पर और बेहतर काम कर सकते हैं।

7.1.47 दूसरी बात यह है कि कुछ श्रम कानून, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अध्याय V-ख और संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, जो नौकरी की रक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, रोजगार में बाधा डालते हैं। मध्यावधिक मूल्यांकन में यह स्वीकार किया गया था कि ये कानून नियोजकों के लिए मांग में होने वाले परिवर्तनों का, आवश्यकता पड़ने पर लचीलेपन से प्रत्युत्तर देना कठिन बना देते हैं और इसका निवल प्रभाव यह है कि श्रमिकों को समा लेने वाले मजबूत क्षेत्रकों की संवृद्धि को प्रोत्साहन नहीं मिलता। यहां यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई विनिर्माण उद्यमों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उदार पैकेजों की सहायता से कर्मचारियों की संख्या घटाने के जो प्रयास किए थे, उनके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपर्युक्त उपबन्ध प्रमुख बाधा नहीं बने। इसके अलावा, मौजूदा विनिर्माण उद्यमों द्वारा कुशल कार्मिकों की जो भारी कमी महसूस की जा रही है, उसके संदर्भ में, बहुत से श्रम-सघनता

¹ इंडियाज़ पेटर्न ऑफ डवलपमेंट: व्हट हैपेन्ड, व्हट फालोज, कल्पना कोछड़, उत्सव कुमार, रघुराम राजन, अरविन्द सुब्रमणियन और आइओनिस टोकटलिडिस, वर्किंग पेपर 12023, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकनामिक रिसर्च, कैम्ब्रिज, फरवरी, 2006

वाले उद्यमों के लिए कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की आवश्यकता कोई वर्तमान समस्या नहीं है। इसी प्रकार, संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम के उपबन्धों के बावजूद, इस अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत जारी किए गए निषेधों का दायरा विस्तृत नहीं है, और वह विशिष्ट संस्थापनों में विशिष्ट प्रक्रियाओं, प्रचालनों अथवा अन्य कार्य तक सीमित है। लेकिन, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय V-ख उद्यमकर्ताओं के मन में श्रमिकों की काफी बड़ी संख्या के साथ नए उद्यम स्थापित करने में बाधा अवश्य पैदा हो जाती है और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में रुकावट आती है। इसके परिणामस्वरूप, फर्मे कम संख्या के स्थाई श्रम-बल के साथ उद्यम स्थापित करने को तरजीह देते हैं, और ये उद्यम उदाहरण के लिए सिले-सिलाए वस्त्रों और जूतों की खुदरा मार्केट श्रृंखलाओं से मिलने वाले बड़े पैमाने के आर्डरों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार, संविदा (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम इस भय के कारण मौसमी रोजगार में बाधा डालता है कि अस्थायी अथवा मौसमी मांग को पूरा करने के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य बारहमासी स्वरूप वाला कार्य घोषित कर दिया जाएगा।

7.1.48 तीसरी बात यह है कि यद्यपि निगम निवेश के लिए दिए जाने वाले बहुत से राजकोषीय प्रोत्साहन पूंजी को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन केवल एक का सम्बन्ध श्रम के उपयोग से है, और उसका भी कोई व्यावहारिक अथवा वास्तविक मूल्य नहीं है। यह बात उद्यमों को श्रम-प्रधान की अपेक्षा पूंजी-प्रधान प्रौद्योगिकियों को तरजीह देने के लिए प्रेरित करती है।

7.1.49 हमने पहले देखा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्रक में नियोजन में 2004 तक गिरावट आ रही थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर (2004-05) के आंकड़ों से प्रकट हुआ है कि विनिर्माण में रोजगार में वृद्धि की दर 3.9 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, जिसने रोजगार में विनिर्माण का क्षेत्रकीय हिस्सा, जो 1999-2000 में 12.13 प्रतिशत था, बढ़ा कर 2004-05 में 12.90 प्रतिशत बना दिया। एन.एस.एस.ओ. के अद्यतन आंकड़ों से पता चलता है कि विनिर्माण के रोजगार में जो वृद्धि हुई है, वह गैर-संगठित क्षेत्रक से आई है। गैर-संगठित क्षेत्रक में रोजगार की गुणवत्ता अथवा किस्म घटिया है और एन.एस.एस.ओ. के 61वें चक्र ने दिखाया है कि ऐसे कर्मकारों की बहुत बड़ी संख्या के पास नौकरी के लिखित संविदा नहीं हैं, वे सवेतन छुट्टी और सामाजिक लाभों के हकदार नहीं हैं। अच्छी कोटि के रोजगार में वृद्धि करने की आवश्यकता है, जो या तो संगठित क्षेत्रक कर सकता है, अथवा एम.एस.एम.ई. द्वारा मजदूरी संविदा पर कामगार रखने

से की जा सकती है। इस कारण, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इन कानूनों के द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों को हल करके व्यावहारिक तरीकों पर विचार करना जरूरी है। इसके अलावा, रोजगार के उद्देश्यों से सम्बन्धित राजकोषीय लाभों को ध्यानपूर्वक तैयार और कार्यान्वित किया जाना होगा।

कच्ची सामग्री की कमी

7.1.50 कच्ची सामग्री, फीडस्टॉक और ईंधनों की कमी एक अन्य बाधा है जो उद्योग की संवृद्धि को सीमित कर रही है। कोयला, प्राकृतिक गैस और वानिकी संसाधन वे मुख्य सामग्रियां हैं, जिनकी आपूर्ति कम है।

कोयला

7.1.51 बहुत से उद्योग, जिनमें इस्पात और सीमेंट (जो निर्माण के बुनियादी ढांचे की आवश्यक निविष्टियां हैं) और विद्युत उत्पादन शामिल हैं, अपनी उत्पादन-प्रक्रिया में कोयले का उपयोग बुनियादी ईंधन के रूप में करते हैं। यदि कोयले की आपूर्ति को संवृद्धि के मार्ग की बाधा नहीं बनने देना है, तो अपेक्षित ग्रेड के कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

7.1.52 कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय से, वाणिज्यिक बिक्री के लिए कोयला खनन में निवेश कोल इंडिया लिमिटेड के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता द्वारा निर्धारित किया जाता रहा है। केवल केप्टिव खानों के मालिक मांग के अपने बोध के अनुसार उत्पादन कर सकते थे। शेष सभी प्रयोक्ताओं को, जितना कोयला उपलब्ध हो, उसका आबंटन सम्यक रूप से करने के लिए कोयला-संयोजन समिति का सहारा लेना पड़ता था। कोयला संयोजन समिति ने कोयला उपभोक्ताओं को कोर और गैर-कोर उपभोक्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया था। प्रारम्भ में, कोर क्षेत्रक में विद्युत उपयोगिताएं, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक, सीमेंट, रक्षा, रेल, उर्वरक, स्पंज लोहा और इस्पात संयंत्र शामिल थे। बाद में, 2004 में एल्यूमिनियम, कागज, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों और निर्यात के कोयले को भी शामिल कर लिया गया।

7.1.53 भारत के पास कोयले के विशाल भण्डार हैं और कोयले का इष्टतम तरीके से उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि सरकारी क्षेत्रक की कोयला खनन कम्पनियों ने, विभिन्न कारणों से, अपने उत्पादन को वांछित स्तर तक नहीं बढ़ाया है, इसलिए व्यापारिक (मर्चेन्ट) बिक्री के लिए कोयला खनन में गैर-सरकारी भागीदारी के जरिए उनके प्रयासों की अनुपूर्ति किए जाने की जरूरत है। कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि बिजली विद्युत की उपलब्धता, और उसकी एक पूर्व-शर्त भी है, जो संवृद्धि की बुनियादी आवश्यकता है।

7.1.54 उपलब्धता में सुधार केवल तब हो सकता है, जब उत्पादन में वृद्धि करना सम्भव हो, ताकि सरकारी कम्पनियों द्वारा कोयला-संयोजन और आबंटन किए जाने की आवश्यकता को न्यूनतम बनाया जा सके। जब तक ऐसा सम्भव नहीं हो पाता, तब तक मर्चेन्ट बिक्री की छूट न केवल नए खिलाड़ियों को बल्कि केप्टिव खानों के मालिकों को भी दी जानी चाहिए।

उर्वरक फीडस्टॉक/प्राकृतिक गैस

7.1.55 कृषि क्षेत्रक और कृषि उत्पादकता पर जो अधिक जोर दिया जा रहा है, उसके लिए यह जरूरी है कि कृषि उत्पादन के लिए सभी निविष्टियां पर्याप्त मात्रा में और वहन की जा सकने वाली कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएं। कृषि उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण निविष्टि उर्वरक है और सरकार इस बात को स्वीकार करती है और उर्वरक सब्सिडी मुहैया करती रही है।

7.1.56 यूरिया सबसे अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है, और इसके लिए आदर्श फीडस्टॉक प्राकृतिक गैस है। बहुत से यूरिया यूनिट नेप्था और डीजल तेल जैसे गैर-किफायती फीडस्टॉक का इस्तेमाल करके यूरिया का उत्पादन कर रहे हैं। अब, सिद्धान्त रूप से, इन सभी यूनिटों को गैस-आधारित यूनिटों के रूप में बदलने का फैसला किया गया है। यूरिया के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की सुनिश्चित आपूर्ति, आपूर्ति के स्रोत और जिस कीमत पर यह आपूर्ति की जाएगी, ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें अभी हल किया जाना है। गैस का सर्वाधिक कुशल उपयोग उर्वरक (यूरिया) के उत्पादन में होता है, जिसमें इसके ताप-मूल्य और रासायनिक संघटक दोनों के इस्तेमाल द्वारा इसका उपयोग फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है। इसलिए, उन क्षेत्रकों को, जिनमें गैस का उपयोग फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है, आबंटन के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

7.1.57 कृष्णा-गोदावरी बेसिन में उन क्षेत्रों में, जो नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के अन्तर्गत आबंटित किए गए हैं, बहुत सी अपतटीय गैस की खोज हुई है। एन.ई.एल.पी. में उत्पादन बांटने का करार है, जिसके अनुसार सरकार को लाभ में एक सम्मत हिस्से की हकदारी है। एक विकल्प, जिसका सुझाव प्रायः दिया जाता है, यह है कि सरकार उत्पादन बांटने के करार में अपने हिस्से में से गैस यूरिया-उत्पादक यूनिटों को मुहैया करे। लेकिन, ऐसा मानने पर भी, यह गैस के उत्पादन के शुरू होने से पांच से सात वर्ष के बाद ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। किसी भी हालत में, चाहे सरकार सब्सिडी प्राप्त कीमत पर गैस दे अथवा इसके लिए सब्सिडी दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

7.1.58 गैस का मूल्य-निर्धारण एक विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि भारत में गैस की कोई उपयुक्त रूप से काम करने वाली

मार्केट नहीं है। विद्युत संयंत्रों और उर्वरक यूनिटों को गैस की लागत को आगे धकेलने (पास-थ्रो) का हक है और इसलिए उन्हें कीमतों को नीचे करने का प्रोत्साहन नहीं है। परिणामतः, उनके द्वारा दी गई कीमत की बोलियों को उचित मार्केट मूल्य की कीमत की खोज के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि सरकार उर्वरक सब्सिडी देती है, इसलिए जब तक उचित मार्केट कीमत निर्धारित नहीं कर ली जाती, तब तक गैस को उत्पादन-लागत पर सप्लाई करने पर विचार किया जा सकता है। जैसाकि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड उत्पादित गैस के मामले में होता है, टैरिफ आयोग से के-जी. बेसिन की गैस की उत्पादन लागत/ उचित कीमत निर्धारित करने के लिए कहा जा सकता है।

कागज के लिए कच्ची सामग्री

7.1.59 कागज उद्योग की संवृद्धि कागज की मांग में हुई वृद्धि के साथ तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि इस उद्योग के पास घरेलू रूप से उपलब्ध लकड़ी की बहुत अधिक कमी है। पेड़ों को काटने की सीमाओं और अन्य वन उत्पादों की सीमाओं के कारण इसे आयातित लकड़ी और लकड़ी-आधारित उत्पादों का सहारा लेना पड़ता रहा है। चूंकि कागज पर आयात शुल्क कम है, इसलिए कागज का घरेलू उत्पादन उत्तरोत्तर गैर-प्रतियोगी बनता जा रहा है। उद्योग की संवृद्धि के लिए, यह जरूरी है कि इसे घरेलू स्रोतों से लकड़ी की सुनिश्चित सप्लाई हो।

7.1.60 इसे प्राप्त करने और वन कवर में बढ़ोतरी करने का एक तरीका यह है कि केप्टिव बागानों के विकास के उद्देश्य से अवक्रमित वन भूमि कागज कारखानों को पट्टे पर दे दी जाए। इस प्रकार, वे अपनी कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ उगाएंगे और उनके लिए अपने हित के लिए संभारणीय आधार पर ऐसा करने की जरूरत होगी।

7.1.61 वन विभाग के हाथ में जो अवक्रमित वनभूमियां हैं, वे अवक्रमित पड़ी रही हैं, क्योंकि विभाग के पास जो संसाधन और जितना समय है, उनके लिए अन्य मांगें हैं। भूमि के दीर्घकालिक पट्टे कागज कारखानों को दिए जाने से भूमि को लाभ हो सकता है, क्योंकि वे कारखाने स्वयं अपनी वाणिज्यिक सक्षमता के लिए अपने संसाधनों का आवश्यक मात्रा में निवेश पेड़ उगाने के लिए करेंगे। पट्टा-करारों में यह शर्त हो सकती है कि पट्टा भोगाधिकार निबंधन पर दिया गया है, अर्थात् पट्टे की अवधि के समाप्त होने के समय पट्टाधारी भूमि को उस स्थिति में वापस करेगा, जो उस समय की स्थिति से खराब नहीं होगी, जब पट्टा दिया गया था। कुछ विकसित देशों के अनुभव ने यह दिखाया है कि केप्टिव बागानों में वृक्षों का सृजन

कागज कारखानों की आवश्यकता से अधिक होगा और वह अतिरिक्त वन कवर मुहैया करेगा।

7.1.62 इस स्वीकृत दृष्टिकोण को देखते हुए कि प्राकृतिक संसाधनों पर पहला प्रभार अथवा अधिकार स्थानीय समुदायों का होना चाहिए, और संयुक्त वन प्रबन्ध की नीति को देखते हुए, ऐसा प्रबन्ध करना, जिसका प्रतिपादन ऊपर दिया गया है, सम्भव नहीं हुआ है। इससे सरकार के पास एक ही सम्भावना बचती है कि केवल वन-भिन्न बंजर भूमियों पर कागज कारखानों के साथ संयुक्त उद्यमों की अनुमति दी जाए। इसमें भी, सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्थानीय समुदायों की मंजूरी की आवश्यकता होगी, लेकिन यह प्राप्त की जा सकती है, यदि कागज कारखाने अपने कारोबार के कुछ भाग को उनके लाभ के लिए सामाजिक अवसंरचना पर खर्च करना स्वीकार कर लें। दूसरा विकल्प यह है कि राज्य सरकारें कागज कारखानों और किसानों के बीच वृक्ष फसलें उगाने के लिए संयोजन स्थापित करने में सहायता दें, जैसाकि अध्याय 3 अंक III में सुझाव दिया गया है।

नवीनताओं को बढ़ावा देना

7.1.63 भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के लिए यह जरूरी है कि उसका चालक नवीन परिवर्तन हो। नवीनता² की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि 'विश्व के लिए नए' ज्ञान का सृजन और वाणिज्यीकरण और 'मार्केट के लिए नए' ज्ञान का छितराव और अवचूषण। यद्यपि नवीनता के दोनों प्रकार के क्रियाकलाप आवश्यक हैं, लेकिन भारत को ज्ञान के सृजन के जरिए सीमाओं का विस्तार करने की अपेक्षा ज्ञान के अधिक अवचूषण के जरिए ज्ञान की वैश्विक सीमाओं तक पहुंचने से अधिक लाभ होगा। भारत में विश्व के ज्ञान की बहुत बड़ी मात्रा का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। भारत में गरीब की आवश्यकताओं की ओर अधिक बेहतर ध्यान की सर्वोपरि आवश्यकता को देखते हुए, गरीब के लिए सर्वाधिक संगत ज्ञान के सृजन और अवचूषण के प्रयासों की ओर ध्यान देकर नवीनताओं को 'समावेशकारी' बनाया जा सकता है। नवीनताओं को बढ़ावा देने के लिए, प्रवेश और निकास की रुकावटों को कम करके प्रतियोगिता को तीव्र बनाना जरूरी है, ताकि नवीनता एक आवश्यकता बन जाए। इसी प्रकार, सफलता की कहानियों के प्रसार द्वारा और उच्च कोटि के अवार्डों और पुरस्कारों द्वारा नवीनता-प्रेमी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिमानों को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ज्ञान के छितराव और उसके अवचूषण के लिए, एम.एस.ई.एम. के लिए क्लस्टर स्तर पर प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रमों को हाथ में लिया जा सकता है और समावेशकारी नवीनता को बढ़ावा देने के लिए मांग के प्रति संवेदनशील विश्व स्तर का मौसम-वैज्ञानिक मानक, परीक्षण और गुणवत्ता

(एम.एस.टी.क्यू.) वाली अवसंरचना का सृजन किया जा सकता है, जो नवीनता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हो। तृणमूल स्तर के प्रवर्तकों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाया जा सकता है और पारम्परिक ज्ञान के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को मजबूत बनाया जा सकता है।

7.1.64 नवीनता, चाहे वह वस्तुओं और सेवाओं में हो अथवा प्रक्रियाओं में, प्रतियोगिता-क्षमता और मार्केट के हिस्से को बढ़ा कर लाभकारिता में वृद्धि करने का साधन बन सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों पर किया गया राष्ट्रीय निवेश 18000.16 करोड़ रुपए का था, जिसमें से केवल एक-चौथाई हिस्सा गैर-सरकारी क्षेत्रक (20.3 प्रतिशत) का और सरकारी क्षेत्रक (4.5 प्रतिशत) का ठहराया जा सकता है। जी.एन.पी. के प्रति आर. एण्ड डी. का अनुपात 2002-03 में केवल 0.80 प्रतिशत था, जबकि इसकी तुलना में इस्राइल में यह अनुपात 5.11 प्रतिशत, स्वीडन में 4.27 प्रतिशत, जापान में 3.11 प्रतिशत और चीन में 1.23 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि नवीनता को बढ़ावा देने के लिए, भारत में अनुसन्धान और विकास के मोर्चे पर काफी अधिक सुधार की गुंजाइश है।

7.1.65 योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने नवीनता सम्बन्धी राष्ट्रीय सर्वेक्षण में निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला है:

- नवीनता की मात्रा (अर्थात् 3 से कम वर्ष पुराने उत्पादों/सेवाओं से प्राप्त राजस्व की प्रतिशतता) बड़ी फर्मों और एस.एम.ई. के लिए बढ़ गई है और एस.एम.ई. ने नवीनता में बड़ी फर्मों की अपेक्षा अधिक वृद्धि दर्ज की है।
- 7.3 प्रतिशत बड़ी फर्मों ने नवीनताओं में सफलता प्राप्त की है, और 76.4 ऐसी फर्मों ने वर्धमान नवीनता शुरू की है।
- नवीनताओं के लिए आन्तरिक प्रक्रियाएं, जैसे एक विशिष्ट नवीनता विभाग रखना, धनराशियां नियत करना, नवीनता लाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देना, नवीनताओं के लिए भौतिक अवस्थितियां रखना और अन्योन्य कृत्यों वाले दल गठित करना, आदि सभी महत्वपूर्ण घटक हैं, जो फर्मों को अधिक नवाचारी बनने के लिए उत्साहित करते हैं।
- अधिक पेटेंट दायर करने वाली फर्मों और आई.पी.आर. परामर्शदाता अधिक नवाचारी होते हैं।
- सरकारी अभिकरणों के साथ भागीदारिता करने वाली और विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान तथा विकास प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग करने वाली फर्मों में नवीनता की प्रवृत्ति होती है।

² अनलीशिंग इंडियाज़ इन्नोवेशन: टुवर्ड सस्टेनेबल एण्ड इन्क्लूसिव ग्रोथ: डट्ज मार्क ए, वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन, 2007

7.1.66 लेकिन, नवीनता के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, कौशल की कमी और अनुसन्धान और विकास संस्थाओं के साथ प्रभावकारी सहयोग का अभाव। एन.डी.सी. ने सिफारिश की है कि भारत में उच्च शिक्षा में, जिसमें कौशल-आधारित विपणनयोग्य व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है, सुनियोजित सुधारों की आवश्यकता है, जिससे अपेक्षित बौद्धिक पूंजी के विकास में सहायता मिलेगी और उद्योग, शिक्षा संस्थाओं और सरकार के बीच अधिक कारगर सहयोग हो सकेगा। इसके अलावा, राजकोषीय प्रोत्साहनों द्वारा नवीनताओं को निरन्तर आधार पर उत्साहित करते रहना जरूरी है।

7.1.67 सरकार द्वारा भारत में विनिर्माता उद्योगों को बल प्रदान करने और उनकी संवृद्धि को बनाए रखने के लिए नीति सम्बन्धी संवाद के लिए एक स्थाई मंच की व्यवस्था करने के लिए सितम्बर, 2004 में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता-क्षमता परिषद (एन.एम.सी.सी.) स्थापित की गई थी। परिषद ने सरकार को मार्च, 2006 में अपनी रिपोर्ट 'विनिर्माण की राष्ट्रीय कार्यनीति' प्रस्तुत की थी। इसमें उन चुनौतियों की पहचान की गई, जो भारतीय विनिर्माण के सामने पेश हैं और विभिन्न विभागों और उद्योग के साथ सलाह करके उपायों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति गठित की गई है। आगे के भागों में जो विश्लेषण किया गया है और जो नीति सम्बन्धी सिफारिशें दी गई हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ एन.एम.सी.सी. द्वारा तैयार की गई कार्यनीति और योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित किए गए ग्यारह कार्य समूहों द्वारा दिए गए सुझावों की जानकारी दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम

7.1.68 सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों ने देश की आर्थिक संवृद्धि में, विशेष रूप से विविधीकृत औद्योगिक आधार का सृजन करके, उल्लेखनीय योगदान दिया है। 1991-92 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद, विनिवेश और गैर-सरकारीकरण की नीति अपनाई गई थी और 2001-02 तक 123 उद्यमों की इक्विटी बेच दी गई थी और 26,012 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। दसवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान इस प्रक्रिया ने जोर पकड़ा और विनिवेश से 18,895 करोड़ रुपए की प्राप्ति की गई। वर्ष 2004-05 में नीति में कुछ बदलाव आया और यू.पी.ए. सरकार ने, एक मजबूत और प्रभावशाली सरकारी क्षेत्रक के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करते हुए, यह फैसला किया कि 'सामान्यतः लाभ कमाने वाले उद्यमों को गैर-सरकारी नहीं बनाया जाएगा'। योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए अवशेष विनिवेश से 4335 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुईं।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

7.1.69 दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य तक किए गए गैर-सरकारीकरण के बावजूद, जब नीति में परिवर्तन हुआ, सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों की भूमिका में और जी.डी.पी. में उनके योगदान में गिरावट नहीं आई। वास्तव में, दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान गैर-विभागीय उद्यमों से जी.डी.पी. में होने वाले योगदान ने वृद्धि दर्ज की थी, जैसाकि तालिका 7.1.6 में दिखाया गया है:

तालिका 7.1.6
गैर-विभागीय उद्यमों का जी.डी.पी. में घटक
लागत पर योगदान (चालू कीमतों पर)

वर्ष	गैर-विभागीय उद्यमों से जी.डी.पी.	घटक लागत पर जी.डी.पी. (करोड़ रु.)	हिस्सा (प्रतिशत) (करोड़ रु.)
1996-97	141,710	12,60,710	11.24
2001-02	244,345	21,00,187	11.63
2002-03	282,518	22,65,304	12.47
2003-04	312,364	25,49,418	12.25
2004-05	338,352	28,55,933	11.85

स्रोत: 2001-02 से आगे तक राष्ट्रीय लेखा आंकड़े, 2007: 1996-97 के लिए सी.एस.ओ. द्वारा मुहैया की गई 'बैंक सीरीज़' सूचना के आधार पर।

7.1.70 वर्ष 2004-05 में जी.डी.पी. में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों का हिस्सा गैर-विभागीय उद्यमों के 11.85 प्रतिशत हिस्से में से 6.82 प्रतिशत था। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के प्रचलित उद्यमों की संख्या, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 2001-02 में 231 थी, घट कर 2005-06 में 225 रह गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय क्षेत्रक के लाभ कमाने वाले उद्यमों की संख्या 120 से बढ़ कर 157 हो गई है और घाटे वाले उद्यमों की संख्या 109 से घट कर 58 हो गई है। मुनाफा अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों का मुनाफा 36,432 करोड़ रुपए से बढ़ कर 76,240 करोड़ रुपए हो गया है और घाटा उठाने वाले उद्यमों का घाटा उसी अवधि में 10,454 करोड़ रुपए से घट कर 5752 करोड़ रुपए हो गया है। तालिका 7.1.7 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों का बहद चित्र प्रस्तुत किया गया है।

7.1.71 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ से भारी राशियां संचित हो गई हैं और 2006-07 के वित्तीय वर्ष के अन्त में लाभ कमाने वाले 157 उद्यमों के पास इनकी कुल राशि 3,53,641.62 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2002-03 और 2005-06 के बीच केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों की नकद और बैंक जमा 53,453 करोड़ रुपए से बढ़ कर 150,680 करोड़

तालिका 7.1.7
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों का बृहद अवलोकन(करोड़ रुपए)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल- सितम्बर 2005	अप्रैल- सितम्बर 2006
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के प्रचालित उद्यम	231	226	230	227	225		
ब्याज, कर और ई.पी. से पहले लाभ (पीबीआईटीईपी)	63190	72539	95039	108420	106533	64962	73169
नियोजित पूंजी	289934	417160	452336	504407	581250		
कुल कारोबार	478731	572833	630704	744307	832584	377370	468221
निवल लाभ	25978	32344	52985	64963	70288	27235	35465
कारोबार के प्रतिशत के रूप में लाभ	5.4	5.6	8.4	8.7	8.4	7.2	7.6
लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों (सीपीएसईज) का लाभ	36432	43316	61606	74433	76240		
घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्रक उद्यमों का(सीपीएसईज) घाटा	1054	10972	8522	9356	5952		
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के लाभ कमाने वाले उद्यम (सीपीएसईज) (संख्या)	120	119	139	138	157		
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के घाटा उठाने वाले उद्यम (सीपीएसईज) (संख्या)	109	105	89	79	58		

स्रोत: पब्लिक एंटरप्राइज़ सर्वे 2005-06 ऐण्ड मिड ईयर रिव्यू ऑफ सी.पी.एस.ई. फार 2006-07, लोक उद्यम विभाग

रुपए हो गई। इस प्रकार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों के पास निवेश के योग्य राशि बहुत बड़ी मात्रा में संचित हो गई है, जिसका उत्पादनकारी उपयोग नहीं किया जा रहा है।

7.1.72 केन्द्रीय क्षेत्रक के सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाले 10 उद्यमों ने 2005-06 के दौरान करोड़ रुपए 47,371 रुपए का निवल लाभ कमाया। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (14,431 करोड़ रुपए), बी.एस.एन.एल. (8940 करोड़ रुपए), एन.टी.पी.सी. (5820 करोड़ रुपए) के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के तीन सबसे अधिक लाभ कमाने वाले उद्यम थे। सबसे अधिक घाटा उठाने वाले टॉप 10 उद्यमों ने 4552 करोड़ रुपए का निवल घाटा उठाया। ये यूनिट थे: एफ.सी.आई. (1294 करोड़ रुपए), एच.एफ.सी. (965 करोड़ रुपए), और एच.पी.एफ. (561 करोड़ रुपए)। यद्यपि सबसे अधिक लाभ कमाने वाले 10 उद्यम विविधीकृत हैं, लेकिन घाटा उठाने वाले उद्यम अधिकतर विनिर्माण के क्षेत्रक में हैं।

7.1.73 मध्य वर्षीय समीक्षा (अप्रैल-सितम्बर, 2005 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2006) ने यह दिखाया कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 202 उद्यमों (225 में से) के, जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध थे, कारोबार में 24.07 प्रतिशत और निवल लाभ में 18.18 प्रतिशत वृद्धि हुई। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रकों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के

उद्यमों के कार्य-निष्पादन को अनुलग्नक 7.1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के बारे में नीतियां और उनका कार्यान्वयन

7.1.74 एन.सी.एम.पी. के आदेश के अनुसार, भारत सरकार की नीति के दो मुख्य तत्त्व ये रहे हैं: सफल, लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों को पूर्ण प्रबन्धकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करना, और सरकारी क्षेत्रक के रुग्ण उपक्रमों का आधुनिकीकरण और पुनर्गठन (और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के चिरकालिक रूप से रुग्ण उद्यमों को बेचना (बन्द करना)।

7.1.75 डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक तदर्थ समूह की सिफारिशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के नवरत्न, लघु रत्न और लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए, जिनमें अनुषंगी कम्पनियों का निर्माण और विनिवेश करना, ऐसी अनुषंगी कम्पनियों को परिसम्पत्तियों का अन्तरण करना और नई इक्विटी जारी करना शामिल है।

7.1.76 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के 62 उद्यमों के मामले बी.आई.एफ.आर. के पास पहले भेज दिए गए थे और 12 अन्य उद्यमों के मामले दसवीं योजना की अवधि में

उनके पास उन उद्यमों के पुनर्जीवन/ पुनर्गठन/ बन्द किए जाने पर विचार करने के लिए भेजे गए थे। इनमें से 28 उद्यमों का विघटन किए जाने की सिफारिश की गई थी। बी.आई.एफ.आर. की प्रक्रिया में निहित विलम्ब के कारण, सरकार ने पहले से ही इसे राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) से प्रतिस्थापित करना चाहा है, लेकिन एन.सी.एल.टी. की स्थापना माननीय उच्चतम न्यायालय में विवादग्रस्त बनी हुई है। एस.एल.पी. याचिका की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अन्तिम निर्णय आना बाकी है।

7.1.77 सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों के सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, पुनर्जीवन और पुनर्गठन के कार्य की ओर ध्यान देने के लिए एक अंशकालिक सलाहकार निकाय के रूप में दिसम्बर, 2004 में सरकारी क्षेत्रक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) गठित किया था। फरवरी, 2007 तक, बी.आर.पी.एस.ई. ने 14 प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए 46 सी.पी.एस.ई. के मामलों पर विचार किया था और 40 मामलों के बारे में अपनी सिफारिशें दी थीं। बी.आर.पी.एस.ई. की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने एक सी.पी.एस.ई., अर्थात् भारत आर्थोमेटिक ग्लास लिमिटेड का विघटन करने का अनुमोदन दे दिया है। इसने 25 सी.पी.एस.ई. के सम्बन्ध में पुनर्जीवन की स्कीमों को अनुमोदित कर दिया है, जिनमें इक्विटी/ऋण/अनुदान के रूप में 1951.30 करोड़ रुपए की नकद सहायता और ब्याज/ऋण/गारंटी शुल्क के अधित्याग के रूप में 5709 करोड़ रुपए की सहायता की परिकल्पना की गई है। उन 20 सी.पी.एस.ई. में से, जिनके पुनर्जीवन के लिए बजटीय सहायता की मंजूरी दी गई है, 13 उद्यमों ने 2005-06 में कर-पश्चात लाभ दर्ज किया है, जबकि शेष उद्यम अभी घाटा उठा रहे हैं। वर्ष 2006-07 के आंकड़ों से, जो कुछ सी.पी.एस.ई. के बारे में उपलब्ध कराया गया है, पता चलता है कि यद्यपि कुछ उद्यमों, जैसे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, भारत काम्प्रेसर्स लिमिटेड ने पुनर्जीवन के प्रस्तावों में पूर्वानुमानित कार्य-निष्पादन से बेहतर कार्य-निष्पादन प्रदर्शित किया है, लेकिन हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और एण्ड्रू यूल् एण्ड कम्पनी लिमिटेड जैसे कुछ अन्य उद्यमों का कार्य-निष्पादन अनुमानित स्तर से नीचे रहा है। इस प्रकार, लगभग 50 प्रतिशत मामलों में पुनर्वास के प्रस्ताव प्रभावकारी रहे हैं। किन्तु, यहां यह भी देखा जाना चाहिए कि मार्केट की स्थिति में सुधार, कीमत तरजीह के रूप में सरकार द्वारा हाथ-पकड़ने, नामांकन के आधार पर आर्डर देने से भी सरकार के पुनर्जीवन के प्रयासों की सफलता में योगदान मिला है।

राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों का कार्य-निष्पादन (एस.एल.पी.ईज)

7.1.78 राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों (एस.एल.पी.ई.) के बारे में कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया जाता। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, 1129 एस.एल.पी.ई. प्रचालित थे (तालिका 7.1.8)। अधिकतर एस.एल.पी.ई.-लगभग 50 प्रतिशत उद्यम विनिर्माण में हैं, उसके बाद उपयोगिताओं, प्रोन्नयन और कल्याण उद्यमों का स्थान है। आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में एस.एल.पी.ई. में कुल निवेश में हर वर्ष वृद्धि होती रही है और 2002-2003 में वह 285,564 करोड़ रुपए के शिखर पर पहुंच गया था और उसके बाद उसमें गिरावट की प्रवृत्ति आई और 2002-03 में 2,59,124 करोड़ रुपए हो गया। एस.एल.पी.ई. के संचित घाटों में वृद्धि होती रही है और 2004-05 में उनकी राशि 60,517 करोड़ रुपए हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों पर प्रतिकूल राजकोषीय प्रभाव पड़ा। नीचे की तालिका में सातवीं, आठवीं, नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों के अन्त में और दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में एस.एल.पी.ई. के वित्तीय कार्य-निष्पादन की जानकारी दी गई है। वर्ष 2004-05 के अन्त में राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के वित्तीय स्वास्थ्य की स्थिति, कुल मिला कर, बहुत कमजोर थी।

7.1.79 विनिर्माण क्षेत्रक के 579 एस.एल.पी.ई. का हिस्सा 1129 एस.एल.पी.ई. की कुल संख्या में लगभग 51 प्रतिशत है। असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एस.एल.पी.ई. के पोर्टफोलियो में विनिर्माण क्षेत्रक के एस.एल.पी.ई. का प्रमुख हिस्सा है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इनमें से बहुत बड़ी संख्या हाथ में लिए गए रुग्ण यूनिटों की हैं। विनिर्माण उद्यमों में निवेश, जो 1997-98 में 17,099 करोड़ रुपए था, बढ़ कर 2004-05 में 23,912 करोड़ रुपए हो गया। निवेश की सी.ए.जी.आर. 4.2 प्रतिशत थी। इन सभी उद्यमों ने 2003-04 और 2004-05 को छोड़ कर सभी वर्षों में घाटा उठाया, जिसके परिणामस्वरूप उनका निवल मूल्य 2004-05 में 12,951 करोड़ रुपए था।

एस.एल.पी.ई. का पुनर्गठन

7.1.80 कुछ राज्य रुग्ण पी.एस.ई. का पुनर्गठन करने में सक्रिय रहे हैं। आई.पी.ई., हैदराबाद द्वारा 2004-05 तक संकलित सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में सहकारी यूनिटों सहित 30 यूनिटों, गुजरात में 3, और हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान में एक-एक यूनिट को गैर-सरकारी बना दिया गया था। पश्चिम बंगाल एक अन्य राज्य है, जिसने पिछले दो अथवा तीन वर्षों में काफी प्रगति दर्शाई है। 82 पी.एस.ई. में 18 उद्यम 2004-05 के अन्त में लाभ कमा रहे थे और 63 उद्यमों को

तालिका 7.1.8
राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों के कार्य-निष्पादन के संकेतक

(करोड़ रुपए)

	1991-92	1996-97	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
प्रचलित राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों की संख्या						1129
कारोबार	42986	86681	87375	86284	113208	127150
कुल निवेश	90983	144471	280116	285564	247676	259184
नियोजित पूंजी	83277	150291	179831	179627	232889	244770
संचित घाटा	8754	13122	22764	27353	64486	60517
निवल मूल्य	13248	35352	38429	44631		

स्रोत: लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा अध्ययन

घाटा हो रहा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले चरण में 34 यूनिटों का पुनर्गठन करने का काम हाथ में लिया है, जिनमें से 4 का सरकार के स्वामित्वाधीन सफलता से पुनर्गठन कर दिया गया है, 3 को संयुक्त उद्यमों में रूपान्तरित कर दिया गया है और 21 यूनिटों को बन्द कर दिया गया है। इन 34 यूनिटों में लगभग 11000 कर्मचारी थे। जनशक्ति को घटाने के उद्देश्य से इन कर्मचारियों को यह पेशकश की गई थी कि यदि वे जल्दी सेवा-निवृत्त होने का विकल्प चुनेंगे तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। बीमा और पुनः प्रशिक्षण की सुविधाएं भी दी गई थीं।

भावी कार्यनीतियां

7.1.81 वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने के लिए लागत में कमी करना, कार्यनीतिगत अधिग्रहण और विलय, आधुनिक प्रौद्योगिकीय नवीनताएं शुरू करना और तेजी से निर्णय लेना अत्यन्त आवश्यक है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों को पूर्ण स्वायत्तता और कृत्यिक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, ताकि वे प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने के लिए निवेश के निर्णय ले सकें। प्रतियोगी निगम संसार में मंत्रालयों के नियंत्रण के अनौपचारिक लीवर्स का कोई स्थान नहीं है। सी.पी.एस.ई. में सरकार के हितों को देखने के लिए सलाहकार बोर्ड बनाने और शक्तिशाली स्वतंत्र निदेशकों की सहायता से निगम का प्रबन्ध करने का काम उनके लिए छोड़ देने के सुझाव की जांच की जानी चाहिए।

7.1.82 सी.पी.एस.ई. के पुनरुज्जीवन के मामले में काफी प्रगति की गई है, किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए निकट रूप से मानीटरिंग करने की आवश्यकता है कि पुनर्गठन की योजनाओं का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जाए। बाकी सी.पी.एस.ई. के पुनरुज्जीवन पर विचार करते समय बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यह देखा गया है कि कुछ पुनर्वासित यूनिट अपना कार्य-निष्पादन अपेक्षाओं के अनुसार नहीं कर रहे हैं।

7.1.83 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के काफी अधिक लाभ कमाने वाले उद्यमों के निवेश सम्बन्धी व्यवहार की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। बहुत से सी.पी.एस.ई. वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश करने अथवा अपने ऋण को घटाने को तरजीह देते हैं, बजाय इसके कि वे निवेश को तरजीह दें, जिससे उनके पूंजी-निर्माण को योगदान मिले। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, सी.पी.एस.ई. ने लगभग 1,36,558 करोड़ रुपए का वित्तीय निवेश किया है। इस निवेश में बहुत बड़ा हिस्सा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के नवरत्न उद्यमों द्वारा किए गए निवेश का है। इस बात का एक कारण सी.पी.एस.ई. में शिखर प्रबन्धकों की जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और संस्थात्मक तंत्र का अभाव है, जो तेजी से फैसेले लेने के काम को सुविधाजनक बनाता है। सरकार ने तेल क्षेत्रक की परियोजनाओं पर विचार करने के लिए, जिसमें एक सीमा-रेखा से ऊपर के वित्तीय निर्णय शामिल होते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग के सचिवों की एक शक्तिप्राप्त समिति का एक विशेष तंत्र स्थापित किया है। इस शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए सीधे सी.सी.ई.ए. को प्रस्तुत की जाती हैं। मौजूदा तंत्र इष्टतम निवेश निर्णय सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हैं। ऊपर जिस पर्यवेक्षी निकाय (अर्थात् स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड) का सुझाव दिया गया है, उसे लाभ कमाने वाले सभी सी.पी.एस.ई. में निवेश के निर्णय लेने को मार्गदर्शन प्रदान करने और सुविधाजनक बनाने का काम भी सौंपा जा सकता है।

7.1.84 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों और सरकार के बीच समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) की प्रणाली प्रभावकारी और कार्यात्मक सिद्ध नहीं हुई है। यद्यपि सी.पी.एस.ई. से प्रतिमानों के अनुसार कार्य-निष्पादन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन सरकार की वचनबद्धताएं सीमान्तिक होती हैं और उनको कारगर रूप से मानीटर नहीं किया जाता। सी.पी.एस.ई. की प्रभावकारी प्रचालनात्मक

स्वायत्तता और कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की समीक्षा करने और उसे पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त बनाए जाने की आवश्यकता है। वित्तीय प्रत्यायोजन को, विशेष रूप से लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों के लिए, बढ़ाया जाना होगा।

उद्योग क्षेत्रक की स्वायत्त संस्थाएं

7.1.85 पिछली योजनाओं के दौरान विभिन्न जरूरतों, जैसे प्रौद्योगिकी अन्तरण, कौशल विकास और उन्नत प्रौद्योगिकी की शुरुआत की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योग की सहायता करने के वास्ते बहुत सी स्वायत्त संस्थाएं स्थापित की गई थीं। इन संस्थाओं की अभिकल्पना उद्योग और शासी निकायों, जिनमें सभी स्टेकहोल्डर शामिल हैं, के घनिष्ठ समन्वय के साथ कार्य करने के लिए की गई थी। कुछ औद्योगिक एसोसिएशनों ने स्वयं अपनी पहल पर सरकार की प्रारम्भिक सहायता से ऐसे संस्थान स्थापित किए थे। केन्द्रीय लुगदी और कागज़ अनुसन्धान संस्थान, (सी.पी.पी.आर.आई.) कीटनाशी सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.पी.एफ.टी.) जैसे कुछ संस्थान यूनीडो (यू.एन.आई.डी.ओ.) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से स्थापित किए गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण गृह (नेशनल टेस्ट हाउस) जैसे संस्थानों को कुछ क्रियाकलापों के लिए संविधियों का समर्थन प्राप्त है, हालांकि वे वाणिज्यिक आधार पर भी काम करते हैं।

7.1.86 इन स्वायत्त संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में अब तक व्यापक आधार पर कोई सुनियोजित अध्ययन नहीं किया गया है। वर्ष 2001 में व्यय सुधार समिति ने सिफारिश की थी कि आन्तरिक संसाधनों के सृजन को अधिकतम करने और व्यय में वृद्धि को रोकने की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए, बजटीय सहायता को प्रगामी रूप से घटाया जाना चाहिए। व्यय सुधार समिति ने उन स्वायत्त संस्थाओं को और अधिक स्वायत्तता देने का सुझाव दिया था, जिनका कार्य-निष्पादन असाधारण था और जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की थी और सिफारिश की थी कि स्वायत्त संस्थाओं द्वारा अपने मंत्रालयों/ विभागों के साथ समझौता ज्ञापन किए जाएं, जिनमें न केवल निविष्टि के बारे में जानकारी दी जाए बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि परिणामों के लक्ष्यों के बारे में भी स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई हो।

7.1.87 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण में, उद्योग क्षेत्रक के संबंध में, लगभग 24 संस्थाएं हैं (बॉक्स 7.1.1 में)।

7.1.88 दसवीं योजना के दौरान, नई अवसंरचना/ आधुनिकीकरण के लिए स्वायत्त संस्थानों को लगभग 850 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई। बॉक्स में दिखाए गए संस्थानों के अलावा, ऐसे और बहुत से संस्थान हैं, जो लघु उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर

बाक्स 7.1.1 उद्योग क्षेत्रक में स्वायत्त संस्थान

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई)
- केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, (सीएमटीआई) बंगलौर
- राष्ट्रीय सीमेंट और इमारती सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम)
- भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसन्धान एसोसिएशन (आईआरएमआरए)
- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी)
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी)
- केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी परिषद (सीआईपीईटी)
- राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान (एनआईपीईआर) और कीटनाशी सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)
- छः टेक्सटाइल्स अनुसन्धान एसोसिएशनें (टीआरएस)
- राष्ट्रीय फेशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी)
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)
- राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एनटीएच)
- भारतीय आटोमोटिव अनुसन्धान एसोसिएशन (एआरएआई), पूणे।
- राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसन्धान और विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी)
- तरल नियंत्रण अनुसन्धान संस्थान, (एफसीआरआई)
- राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसन्धान केन्द्र, (एनएसडीआरसी), विशाखापत्तनम
- बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई)
- राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसएसटी)

बल दिया जाता रहा है कि संस्थाओं को आत्म-निर्भरता के उच्च स्तर प्राप्त करने और केवल परियोजना-आधारित सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाया जाए। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नई महत्वपूर्ण पहल यह थी कि आटोमोटिव उद्योग की होमोलोगेशन और परीक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आटोमोटिव टेस्टिंग और अनुसन्धान तथा विकास अवसंरचना परियोजना (एन.ए.टी.आर.आई.पी.) स्थापित की गई। देश के विभिन्न स्थानों, मुख्य रूप से आटोमोबाइलों और आटो संघटकों के विनिर्माण के क्रियाकलापों की गहनता वाले स्थानों पर नैट्रिफ के सात केन्द्र स्थापित करने का काम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किया जाएगा। यह काम एक बार पूरा हो जाने पर, अलग-अलग केन्द्रों का प्रबन्ध उद्योग द्वारा सरकार से कोई आवर्ती सहायता प्राप्त हुए बिना किया जाएगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नए केन्द्रों की स्थापना भी की गई थी।

7.1.89 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन संस्थाओं की आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता रहेगा, ताकि वे स्वतःपोषण के आधार पर काम कर सकें और उन्हें बजटीय सहायता की आवश्यकता न हो। सरकार की सहायता नई सुविधाओं के सृजन के लिए एक-बारगी अनुदान तक सीमित होगी, और आवर्ती व्यय की पूर्ति उनके द्वारा सृजित राजस्व से की जाएगी।

उद्योग के लिए क्षेत्र विकास

7.1.90 योजनाबद्ध विकास के शुरू होने के समय से, औद्योगिक क्षेत्रों और उनके भीतर औद्योगिक सम्पदाओं (एस्टेट्स) के विकास की नीति का अनुसरण किया गया है, ताकि छोटे और मध्यम

औद्योगिक यूनिटों की स्थापना में सुविधा हो। ऐसे क्षेत्रों के बारह मौजूदा क्लस्टरों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अवसंरचना के सृजन अथवा उन्नयन के लिए क्लस्टर और क्षेत्र विकास की बहुत सी स्कीमें थीं, जो बॉक्स 7.1.2 में दिखाई गई हैं।

7.1.91 सूचीबद्ध स्कीमों में सबसे पुरानी स्कीम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की संवृद्धि केन्द्र स्कीम है, जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी। यद्यपि 52 संवृद्धि केन्द्र स्थापित किए गए थे, किन्तु इन केन्द्रों में यूनिट स्थापित करने के बारे में उद्यमकर्ताओं की अनुक्रिया बहुत कमजोर थी, जिसके परिणामस्वरूप इन केन्द्रों में बहुत बड़े क्षेत्र खाली पड़े रहे। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के बाद इस स्कीम को बन्द कर दिया गया। औद्योगिक विकास के लिए आबंटित अथवा निर्धारित किए गए किसी क्षेत्र में सामान्य सुविधाओं के साथ औद्योगिक अवसंरचना अथवा निर्मित स्थान के विकास के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ए के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों से प्रेरित होकर, 270 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई थी। औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम का उद्देश्य मौजूदा कार्यात्मक क्लस्टरों/ औद्योगिक स्थानों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना है। पात्र क्रियाकलापों में भौतिक अवसंरचना, जैसे जल आपूर्ति, बहिःस्त्राव का उपचार, टोस अपशिष्ट प्रबन्ध, आदि शामिल थे। इस स्कीम के अन्तर्गत 14 जिलों में 26 औद्योगिक अवसंरचनाओं के लिए सहायता की मंजूरी दी गई है। इस स्कीम की विशेषता यह है कि यह सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारी पर आधारित है और पहल लाभभोगी यूनिटों द्वारा की जानी है।

बाक्स 7.1.2 औद्योगिक क्षेत्र विकास स्कीमें

- संवृद्धि केन्द्र स्कीम (जून 1988 में घोषित और 1991 में प्रचालित)-औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- औद्योगिक पार्क स्कीम 1999-2000, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- औद्योगिक संरचना उन्नयन स्कीम 2003-04, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- निर्यात के लिए परिधान पार्क 2001-02, कपड़ा मंत्रालय
- कपड़ा केन्द्र अवसंरचना विकास स्कीम 2002-03, कपड़ा मंत्रालय
- अवसंरचना विकास स्कीम 2002-03, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- विशेष आर्थिक ज़ोन 2005-06, वाणिज्य विभाग
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था - 2004-05, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- एकीकृत टेक्सटाइल पार्क्स 2005-06, कपड़ा मंत्रालय
- पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) 2006-07, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

7.1.92 विशेष रूप से कपड़े और वस्त्रों (टेक्स्टाइल एण्ड क्लोथिंग) के यूनितों के लिए अवसंरचना की सुविधाओं में सुधार करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2002 में कपड़ा मंत्रालय की दो केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें शुरू की, अर्थात् (i) देश में प्रमुख कपड़ा केन्द्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कपड़ा केन्द्र अवसंरचना विकास स्कीम और (ii) प्रमुख संवृद्धि केन्द्रों में आधुनिक परिधान यूनितों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए निर्यात के लिए परिधान पार्क। हालांकि 19 टी.सी.आई.डी.एस. और 12 ए.पी.ई.एस. परियोजनाएं हाथ में ली गई थीं, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी भी परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका था। परिणामतः, वर्ष 2005-06 में एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम (एस.आई.टी.पी.) शुरू की गई। औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम की तरह, एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारिता पर आधारित है और मांग-संचालित है और उसे उद्योग से बढ़िया प्रत्युत्तर प्राप्त हो रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30 एस.आई.टी.पी. परियोजनाएं हाथ में ली गई थीं।

7.1.93 खाद्य पार्कों की स्कीम उस अवसंरचना विकास की स्कीम का एक हिस्सा थी, जो 2002-03 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस स्कीम में पैकेजिंग केन्द्र, एकीकृत शीत श्रृंखला सुविधाएं, मूल्य-वर्धित केन्द्र और विकिरण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 18 खाद्य पार्क अनुमोदित किए गए थे, किन्तु प्रगति सीमित थी और वास्तव में केवल 8 पार्क स्थापित किए गए थे और पार्कों के भीतर केवल 28 औद्योगिक यूनित कार्य कर रहे थे। वर्ष 2004-05 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए अभिज्ञात संवृद्धि केन्द्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के वास्ते और शहरी क्षेत्रों में उन लोगों के प्रव्रजन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करने की स्कीम शुरू की। शुरुआत के रूप में, देश के 7 स्थानों पर प्रायोगिक आधार पर क्लस्टरों के विकास की परिकल्पना की गई है।

7.1.94 वाणिज्य विभाग द्वारा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के आधार पर विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) की एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रोसेसिंग और गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्रों में विभाजित औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करना है। मौजूदा निर्यात प्रोसेसिंग जोनों के अलावा, जो वाणिज्य विभाग द्वारा पहले स्थापित किए गए थे और अब जिन्हें विशेष आर्थिक जोनों में रूपान्तरित कर दिया गया है, नए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना करने का काम अब गैर-सरकारी विकासकर्ताओं के लिए छोड़ दिया गया है। विशेष आर्थिक जोनों को विभिन्न कर प्रोत्साहनों का लाभ मिलता है, जैसे उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क में

छूट, आयकर अधिनियम की धारा 80-1 एबी के अन्तर्गत आयकर से छूट, न्यूनतम वैकल्पिक कर, लाभांश वितरण कर, केन्द्रीय बिक्री कर और सेवा कर से छूट। विशेष आर्थिक जोनों के यूनितों को तैयार उत्पादों पर पूरे सीमा शुल्कों के अदा किए जाने पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र तक पहुंच होती है। इस स्कीम के बारे में अनुक्रिया बहुत अच्छी रही है और अगस्त 2007 तक 366 विशेष आर्थिक जोनों को अनुमोदित किया जा चुका था और 141 को अधिसूचित कर दिया गया था।

7.1.95 वर्ष 2006 में रसायन और पेट्रो-रसायन मंत्रालय के एक नीति विषयक संकल्प द्वारा पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) नाम की एक अन्य क्षेत्र विकास स्कीम घोषित की गई थी। पी.सी.पी.आई.आर. 'एक विशिष्ट रूप से रेखांकित और लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला निवेश क्षेत्र है, जिसमें विशेष आर्थिक जोन, मुक्त व्यापार और भंडारण जोन, ई.ओ.यू. यूनित, और अन्य मौजूदा औद्योगिक क्लस्टर शामिल होते हैं, और जिसमें आर्थिक संवृद्धि में तेज़ी लाने के लिए पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्रों में विश्व पैमाने के निवेश को प्रोत्साहन देने के वास्ते विश्व श्रेणी की अवसंरचनात्मक सुविधाओं वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी और परेशानी से मुक्त वातावरण की व्यवस्था की जाती है'। नीति में पी.सी.पी.आई.आर. के भीतर निश्चित रूप से अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन की स्थापना का उपबन्ध है। यद्यपि बहुत से स्थान विचाराधीन हैं, लेकिन अगस्त, 2007 तक किसी राज्य सरकार ने किसी पी.सी.पी.आई.आर. को अधिसूचित करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

7.1.96 योजना की अवधि के अन्त तक क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की स्थापना सम्बन्धी अनुभव से यह सुझाव मिलता है कि वे तभी सफल हो सकते हैं, यदि वे मांग-चालित हों और इस प्रकार तैयार किए गए हों, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पहल उन उद्यमकर्ताओं की ओर से हो, जो न केवल अपनी ओर से पूंजी निवेश करने के लिए वचनबद्ध हों, बल्कि कार्यक्रम को स्व-पोषणीय आधार पर चलाने के लिए तैयार हों।

7.1.97 नई संकल्पित दिल्ली-मुम्बई उद्योग गलियारा (डी.एम.आई.सी.) परियोजना की भागीदारी जापान के साथ है। प्रस्तावित 1483 किलोमीटर लम्बे समर्पित रेल भाड़ा मार्ग के दोनों ओर की लगभग 150-150 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को एक योजनाबद्ध औद्योगिक पट्टी के रूप में विकसित किया जाना है। उन छः राज्यों की, जिनमें से होकर गलियारा गुजरेगा, सरकारों के साथ बहुत से बड़े हब/नोड अभिज्ञात किए गए हैं, जिनका विकास विशाल औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में किया जाना है। पहले चरण (2008-09 से 2012-13 तक) में इसमें छः निवेश क्षेत्र (लगभग 200-200 वर्ग किलोमीटर के) होंगे और छः औद्योगिक क्षेत्र (लगभग 100-100 वर्ग किलोमीटर के) होंगे। इनका कार्यान्वयन सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारिता (पी.पी.पी.) की तर्ज पर किया जाएगा।

उद्योग का क्षेत्रीय विकास



7.1.98 विनिर्माण उत्पादन और रोजगार के बारे में राज्यों के कार्य-निष्पादन में असमानताएं चित्र 7.1.4 में उजागर होती हैं, जिसमें 2003-04 में विद्यमान स्थिति दर्शाई गई है।

7.1.99 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को अधिसूचित किए गए निवेश के इरादों के राज्य-वार आंकड़ों से कुछ नई प्रवृत्तियों का पता चलता है (अनुलग्नक 7.1.5)। यद्यपि गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सबसे आगे बने हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन कम्पनियों के परिकल्पित पूंजीगत व्यय के आधार पर, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता मंजूर की गई है, पूंजी निवेश के जो आंकड़े संकलित किए गए हैं, वे एक अलग चित्र प्रस्तुत करते हैं (अनुलग्नक 7.1.6)। वर्ष 2006-07 में, गुजरात देश में निवेश के सबसे अग्रणी लक्ष्य के रूप में उभरा है, जबकि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी काफी अधिक निवेश आकर्षित कर रहे हैं। उड़ीसा भी आगे आया है, और उसने 2006-07 में पाइपलाइन में परियोजनाओं में काफी अधिक वृद्धि दर्ज की है। झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान निवेश की परियोजनाओं में भारी वृद्धि दर्शाई है।

7.1.100 राज्यों में निवेश के वातावरण का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारक भौतिक अवसंरचना की स्थिति है, विशेष रूप से विद्युत और देश के शेष भाग के साथ परिवहन संयोजनीयता। हालांकि कुशलताप्राप्त कार्मिक देश के एक भाग से दूसरे भाग में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्मिकों की स्थानीय उपलब्धता एक बड़ी सुविधा है। लेकिन एक मूलभूत आवश्यकता है सामाजिक स्थिरता और कानून के राज का अस्तित्व, जो उद्यमकर्ताओं को विश्वास दिलाता है कि उनके जीवन और उनकी सम्पत्ति की रक्षा की जाएगी। देश के सन्तुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इन पूर्वावश्यकताओं की ओर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए।

सन्तुलित औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की पहल

7.1.101 केन्द्रीय सरकार ने 24 दिसम्बर, 1997 को उत्तर-पूर्व औद्योगिक नीति अधिसूचित की, जिसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहनों के पैकेज की व्यवस्था थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में औद्योगिक प्रोत्साहनों का विस्तार कुछ अन्य राज्यों पर किया गया। 23 दिसम्बर, 2002 को, इसी प्रकार के प्रोत्साहनों का विस्तार सिक्किम राज्य पर किया गया, जब वह



स्रोत: 'टुवर्ड्स ए कम्पीटीटिव मेन्युफैक्चरिंग सेक्टर' आई.सी.आर.आई.ई.आर. के चीफ एक्जीक्यूटिव और निदेशक, डॉ. राजीव कुमार और आई.सी.आर.आई.ई.आर. के फेलो, श्री अभिजीत सेनगुप्ता द्वारा आई.सी.आर.आई.ई.आर. शोधपत्र।

चित्र 7.1.4 Contribution of States to Output and Employment in Manufacturing

उत्तर-पूर्वी परिषद का सदस्य बन गया। 14 जून, 2002 को जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई। 7 जनवरी, 2003 को, केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों को औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए, जो उन उद्योगों के लिए बने रहेंगे, जो मार्च, 2010 तक स्थापित किए जाएंगे। उत्तर-पूर्व औद्योगिक नीति को, जो मूल रूप से 31 मार्च, 2007 तक वैध थी, दस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

7.1.102 प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल सभी राज्यों को तैयार उत्पादों पर पूरे उत्पाद शुल्क से छूट और मुनाफों और संयंत्र तथा मशीनों में निवेश पर पूंजी सब्सिडी पर आयकर से छूट के लाभ प्राप्त होते हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों को अतिरिक्त रूप से बढ़ाई गई पूंजी सब्सिडी, कार्यचालन पूंजी ऋण पर ब्याज सब्सिडी, व्यापक बीमा स्कीमों के अन्तर्गत प्रीमियम की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति और नामोद्दिष्ट रेल शीर्षों को/से कच्ची सामग्री और तैयार उत्पादों के परिवहन की लागत के 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बराबर परिवहन सब्सिडी मिलती है। जम्मू और कश्मीर को भी, उत्तर-पूर्वी राज्यों में लागू अतिरिक्त प्रोत्साहनों में से अधिकतर प्रोत्साहनों के लाभ मिलते हैं। एक व्यावसायिक परामर्शदाता द्वारा 2004 में तैयार की गई एक मूल्यांकन रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 1999 से सितम्बर, 2004 तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 1,067.28 करोड़ रुपए के निवेश से कुल 681 यूनिट स्थापित किए गए थे और 20,709 का रोजगार सृजन हुआ था। निवेश में असम का हिस्सा 49 प्रतिशत और मेघालय का हिस्सा 41 प्रतिशत था। अन्य राज्यों का अनुभव इससे बहुत बेहतर है। सम्बन्धित राज्य सरकारों को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार, मार्च 2007 तक किया गया निवेश उत्तराखंड में 5902 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश में 2884 करोड़ रुपए और जम्मू तथा कश्मीर में 3403 करोड़ रुपए का था और जम्मू तथा कश्मीर में अधिकतर जम्मू क्षेत्र में था। आई.ई.एम. के आंकड़ों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं में परिकल्पित निवेश के बारे में संकलित आंकड़ों से भी यह पता चलता है कि प्रोत्साहनों ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक क्रियाकलापों को उल्लेखनीय रूप से उत्प्रेरित किया है।

7.1.103 न केवल पड़ोसी राज्यों से, बल्कि दक्षिण के राज्यों से भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उत्पाद शुल्क की छूटों की वजह से पूंजी का उड़ान होने की शिकायतें मिली हैं। पहाड़ी क्षेत्रों वाले कुछ अन्य राज्यों, जैसे पश्चिम बंगाल, ने साम्यता का सवाल खड़ा किया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक प्रोत्साहनों की बहुत निकट से मानीटिंग की जानी होगी। विशेष रूप से उत्पाद शुल्कों की छूटों से उत्पन्न हुई विकृतियों के

कारण, अवसंरचना सुधार के त्वरित कार्यक्रम के जरिए प्रोत्साहनों को, पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से, प्रतिस्थापित करने पर विचार किया जाना होगा।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आई.पी.आर.एस.)

7.1.104 नवीनताओं को बढ़ावा देने और आर्थिक संवृद्धि तथा प्रतियोगितात्मकता में योगदान देने के साधन के रूप में बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों (आई.पी.आर.) के महत्त्व को स्वीकार करते हुए, भारत ने अपनी आई.पी.आर. व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए चार-मुखी कार्यनीति अपनाई है: (i) अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना, (ii) राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, (iii) आई.पी.आर. प्रशासन का आधुनिकीकरण करना, और (iv) आई.पी.आर. के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

विधान

7.1.105 उपर्युक्त कार्यनीति के अनुरूप, भारत ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए बौद्धिक सम्पत्ति से सम्बन्धित अपने विधानों, जैसे पेटेंटों, ट्रेड मार्कों, भौगोलिक संकेतकों, औद्योगिक डिजाइनों, प्रतिलिप्याधिकारों (कापीराइट), जैव-विविधता और सेमी-कंडक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट ले-आउट डिजाइन, आदि को अद्यतन बनाया है। इसके साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेटेंट वाले उत्पाद, जिनमें औषधियां भी शामिल हैं, लोगों को वहन की जा सकने वाली उचित कीमतों पर उपलब्ध हों, लोक हितों की रक्षा के लिए पेटेंट अधिनियमों में आवश्यक सुरक्षणों का उपबन्ध किया गया है। कानून में ऐसे उपबन्ध भी हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि क्षुद्र नवीनताओं के लिए पेटेंट प्रदान करना सम्भव नहीं होगा, जिनके परिणामस्वरूप पेटेंटों की 'सदाबहार' होती है। पेटेंटों की 'सदाबहार' के परिणामस्वरूप आवश्यक औषधियों की उपलब्धता और कीमत दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए कुप्रभावी है। इस प्रकार, कानून सारभूत अनुसन्धान और विकास को प्रोत्साहित करता है।

7.1.106 कानूनों के आधुनिकीकरण के कार्य का उपयोग प्रक्रियात्मक पहलुओं को दोषरहित और युक्तिसंगत बनाने के लिए भी किया गया है, ताकि प्रणाली को अधिक कार्य-कुशल और प्रयोक्ताओं के अनुकूल बनाया जाए। पेटेंट कार्यालयों द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए सुनिश्चित समय-सीमाएं विहित की गई हैं। इसके साथ-साथ आवेदकों और जनता को उपलब्ध समय सीमाओं को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, पेटेंट देने के लिए निर्धारित अधिकतम समय-अवधि को 104 महीने से घटा कर 52 महीने कर दिया गया है। पेटेंट इससे कम अवधि में भी प्राप्त किया जा सकता है, जो आवेदक द्वारा की गई पहलों पर निर्भर करता है।

अवसंरचना का आधुनिकीकरण

7.1.107 अवसंरचना में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के भाग के रूप में, सरकार ने नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 153 करोड़ रुपए की लागत से आई.पी. कार्यालयों के आधुनिकीकरण का कार्य किया। इसमें ये बातें शामिल थीं: चार महानगरों में नए, एकीकृत आई.पी. कार्यालय; पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं और प्रदान किए गए अथवा पंजीकृत किए गए पेटेंटों, डिजाइनों, ट्रेड मार्कों और भौगोलिक संकेतकों के सीडी-रोम प्राप्त करके पुस्तकालय और नवीनता की खोज की सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना और आई.पी. कार्यालयों में प्रचालनों को सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सम्पन्न किए जाने के योग्य बनाना।

प्रभाव

7.1.108 पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो वैधानिक और प्रशासनिक पहलें की गई हैं, उनका दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में आई.पी. का सृजन करने और उसकी रक्षा करने पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पेटेंट दायर करने की संख्या, जो 2002-03 में 11,466 थी, ढाई गुना बढ़ कर 2006-07 में 28,882 हो गई है। इसी अवधि में प्रदान किए गए पेटेंटों की संख्या में पांच गुना वृद्धि हुई और वह 1379 से बढ़ कर 7559 हो गई। पंजीकृत किए गए ट्रेड मार्कों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई और वह 2002-03 की 11,190 से बढ़ कर 2006-07 में 1,09,361 हो गई।

7.1.109 वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीयन और सुरक्षा) अधिनियम, 1999 भारत के लिए पूरी तरह से एक नया विधान था। इसे 15 सितम्बर, 2003 से लागू किया गया और सरकार द्वारा जो पहलें की गई हैं, उनसे 97 आवेदनों का सृजन सम्भव हुआ, जिनमें से 37 उत्पादों को पहले से पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें दार्जीलिंग चाय, चन्देरी साड़ी, पोचमपल्ली इकात, आदि शामिल हैं।

7.1.110 हाल में जो एक प्रमुख पहल की गई है, वह है राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा। इससे भारत में डिजाइन क्षेत्रक को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है, जिसमें भारत को अपनी विविधता और लम्बी सांस्कृतिक परम्परा के कारण अन्यों से बढ़त प्राप्त है।

7.1.111 आई.पी. कार्यालयों में क्रियाकलापों की वृद्धि से राजस्व सृजन में भी काफी वृद्धि हुई है। पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालयों की आय, जो 2002-03 में केवल 17.06 करोड़ रुपए थी, बढ़ कर 2006-07 में 163.67 करोड़ रुपए हो गई है। इन कार्यालयों द्वारा मुहैया की जाने वाली सेवाओं और विशेष रूप से पिछले विशाल बकाया काम को निपटाए जाने से आई.पी. के सर्जकों और स्वामियों में उत्पन्न हुए विश्वास और भरोसे के कारण ऐसा होना सम्भव हुआ है।

आधुनिकीकरण का दूसरा चरण

7.1.112 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयों का और आगे आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और जागरूकता की ओर तथा आई.टी. सुविधाओं को नियमित रूप से अद्यतन बनाने के अलावा अवसंरचना की भी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना होगा।

7.1.113 आधुनिकीकरण के दूसरे चरण से भारतीय बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय को एक उच्च श्रेणी का आई.पी. कार्यालय बनाने में योगदान मिलेगा। भारतीय बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय को डब्ल्यू.आई.पी.ओ. की पेटेंट सहयोग सन्धि के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण (आई.एस.ए.) और एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक जांच प्राधिकरण (आई.पी.ई.ए.) बनाया जाएगा, जिससे वह इस समय आई.एस.ए./आई.पी.ई.ए. के रूप में मान्यताप्राप्त 12 देशों के अनन्य समूह में शामिल हो जाएगा। व्यापार चिह्नों के अन्तर्राष्ट्रीय पंजीयन की सुविधाकारी प्रणाली, मेड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने पर भी विचार किया जाएगा। एक राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पत्ति प्रबन्धन संस्थान की स्थापना नागपुर में की जाएगी। यह संस्थान प्रशिक्षण और जागरूकता की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और नीति, अनुसंधान के केन्द्र और बौद्धिक सम्पत्ति के चिन्तन कुण्ड (आई.पी. थिंक टैंक) के रूप में भी कार्य करेगा।

दसवीं योजना का योजना परिव्यय और व्यय

7.1.114 उद्योग और खनिज क्षेत्रक 11 मंत्रालयों/विभागों में फैला हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उद्योग के क्षेत्रक की स्कीमों पर वास्तविक व्यय लगभग 25,000 करोड़ रुपए था, जो मूल परिव्यय के 65 प्रतिशत और मध्यावधिक मूल्यांकन में संशोधित परिव्यय के 75 प्रतिशत के बराबर था। दसवीं योजना के दौरान उद्योग क्षेत्रक की प्रमुख स्कीमों के योजना परिव्यय और व्यय का सारांश अनुलग्नक 7.1.19 में दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित प्रमुख स्कीमों की समीक्षा आगामी पैराओं में दी गई है:

7.1.115 मौजूदा क्लस्टरों में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना मुहैया करके प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, 20-25 क्लस्टरों की सहायता करने के लिए 675 करोड़ रुपए के परिव्यय से 2003 में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम की परिकल्पना सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारिता पर आधारित और प्रयोक्ता-चालित स्कीम के रूप में की गई थी, जिसका कार्यान्वयन प्रयोक्ताओं द्वारा निर्मित विशेष प्रयोजनी वाहन (एस.पी.वी.) द्वारा किया जाना था और प्रशासन औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग की एक शीर्ष समिति द्वारा किया जाना था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शीर्ष समिति ने कुल

1766.18 करोड़ रुपए की लागत और भारत सरकार के 952.10 करोड़ रुपए के अनुदान के संघटक वाली 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी। वर्ष 2006-07 के अन्त तक 437.38 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। चूंकि कोई स्कीम पूरी नहीं की गई है, इसलिए मूल्यांकन करना संभव नहीं हुआ है, हालांकि बहुत सी स्कीमें पूरा होने की अग्रिम अवस्था में हैं। किन्तु, स्कीम के डिजाइन में यह सुनिश्चित किया गया है कि स्कीमों को तभी हाथ में लिया जाए, जब प्रयोक्ता पहल कर चुके हों और निवेश कर चुके हों, और चूंकि बहुत सी स्कीमें पूरा होने की अग्रिम स्थिति में हैं, इसलिए इस स्कीम को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखना उपयोगी होगा। इस स्कीम में की गई प्रगति के आधार पर उसकी मध्यावधिक समीक्षा करना जरूरी होगा।

7.1.116 चर्मशोधन के आधुनिकीकरण पर केन्द्रित एक कार्यक्रम 1999 में छोटे पैमाने पर शुरू किया गया था और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे एक बड़े भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.) का भाग बना लिया गया, जिसका अनुमोदित परिव्यय 400 करोड़ रुपए था। इस कार्यक्रम के दो अलग संघटक थे, अर्थात् चमड़ा क्षेत्रक का एकीकृत विकास और चमड़ा क्षेत्रक अवसंरचना का सुदृढीकरण, जिनका परिव्यय क्रमशः 290 करोड़ रुपए और 110 करोड़ रुपए था। भारत सरकार में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण देर से स्वीकृति मिलने से, यह स्कीम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू नहीं हो सकी और अब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आ जाएगी।

7.1.117 कपड़ा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई प्रमुख स्कीमें प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, परिधान पार्क और कपड़ा केन्द्र अवसंरचना विकास स्कीम हैं।

7.1.118 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम प्रारम्भ में 1999 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के जरिए कपड़ा और पटसन उद्योग के सभी उप-क्षेत्रकों को पर्याप्त गति प्रदान करना था, ताकि आधुनिकीकरण के लिए पूंजी की लागत को कम किया जा सके। कपड़ा और पटसन उद्योग के छोटे पैमाने के एककों को यह विकल्प दिया गया था कि वे ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी ले लें अथवा ब्याज प्रतिपूर्ति करा लें। छोटे पैमाने के विद्युत करघों और बुनाई की प्रारम्भिक मशीनों के लिए ऋण से जुड़ी 20 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी अथवा परिवर्द्धित ऋण नेटवर्क से ऋण लेने का अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया था। इसके अलावा, बैंचमार्क वाली प्रोसेसिंग मशीनों के लिए ब्याज की 5 प्रतिशत की मौजूदा प्रतिपूर्ति के अलावा 10 प्रतिशत की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी अप्रैल, 2005 में शुरू की गई थी। दसवीं योजना के दौरान, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए 18,506 करोड़ रुपए के ऋणों की तुलना में, इस

स्कीम के अन्तर्गत 2043.66 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में, परियोजनाओं के लिए दसवीं योजना के दौरान स्वीकृत सब्सिडी के सम्बन्ध में 984 करोड़ रुपए की देनदारी आगे आ जाएगी। एक व्यावसायिक परामर्शदाता द्वारा स्कीम का जो मूल्यांकन किया गया था, उसके प्रारम्भिक निष्कर्षों से प्रकट हुआ है कि लाभकारिता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। लेकिन, पुरानी मशीनों के आयात पर बहुत अधिक निर्भरता और विद्युत करघों और प्रोसेसिंग क्षेत्रक का बहुत कम हिस्सा चिन्ता के क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं। निवेश को उद्दीप्त करने की निरन्तर आवश्यकता और स्कीम के प्रति उद्योग की सकारात्मक अनुक्रिया को देखते हुए, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने की आवश्यकता है।

7.1.119 एकीकृत कपड़ा पार्कों की स्कीम (एस.आई.टी.पी.) अगस्त, 2005 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि उद्योग को क्लस्टरों में कपड़ा यूनिट स्थापित करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना की सुविधाएं मुहैया की जाएं। आई.आई.यू.एस. की तरह, यह स्कीम एकीकृत कपड़ा पार्कों के मुख्य प्रवर्तकों के रूप में उद्योग एसोसिएशनों/उद्यमकर्ताओं के समूहों के साथ विशेष प्रयोजनी वाहनों (एस.पी.वी.) के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता, 40.00 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा के अधीन, परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत के बराबर अनुदान अथवा इक्विटी तक सीमित है। एकीकृत कपड़ा पार्कों की स्कीम में 2007-08 से पहले सम्भाव्य संवृद्धि केन्द्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 30 नए कपड़ा पार्कों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इन पार्कों के विकास के लिए 625.00 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई थी, जिसकी तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत सरकार के अनुदान की 88.27 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की गई थी। सभी 30 स्कीमों में एस.पी.वी. का निर्माण कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। चूंकि 9 स्कीमें 2005-06 के दौरान देर से स्वीकृत की गई थीं और शेष 21 जुलाई, 2006 के बाद मंजूर की गई थीं, इसलिए कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई है। एक मुख्य बात यह है कि उद्योग पार्कों के अन्दर यूनिट स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने से पहले संशोधित टी.यू.एफ.एस. के लिए मार्गनिर्देश जारी होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ग्यारहवीं योजना के दौरान पहली प्राथमिकता यह होनी आवश्यक है कि पहले से हाथ में ली गई 30 परियोजनाओं को पूरा किया जाए, लेकिन उपलब्ध योजना आबंटन में से अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए भी व्यवस्था की जानी होगी।

7.1.120 एस.आई.टी.पी. के अलावा, दो स्कीमें पहले से मौजूद थीं, अर्थात् निर्यात के लिए परिधान पार्क स्कीम (ए.पी.ई.एस.) और कपड़ा केन्द्र अवसंरचना विकास स्कीम (टी.सी.आई.डी.एस.), जो 2002 में शुरू की गई थीं। टी.सी.आई.डी.एस. के अन्तर्गत, 18 परियोजनाएं और ए.पी.ई.एस. के अन्तर्गत 12 परियोजनाएं, भारत सरकार की क्रमशः 271.06 करोड़ रुपए और 191.70 करोड़ रुपए की सहायता के साथ मंजूर की गई थीं। अनुमान है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ए.पी.ई.एस. और टी.सी.आई.डी.एस. के अन्तर्गत 172.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इन स्कीमों के डिजाइन में यहां तक कमी थी कि ये स्कीमें राज्य सरकारों की पहल पर उद्यमकर्ताओं में दिलचस्पी होने के आश्वासन के बिना कार्यान्वित की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, ये स्कीमें मुरझा रही हैं। इन स्कीमों की संधारणीयता के बारे में एक जायज़ा लेना जरूरी होगा और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल उन स्कीमों को सहायता देने की जरूरत होगी, जिनमें उद्यमकर्ताओं की रुचि हो।

7.1.121 कपास प्रौद्योगिकी मिशन फरवरी 2000 में कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में ठोस सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एक व्यावसायिक द्वारा इस स्कीम का मूल्यांकन किया गया था। उससे पता चला कि आधुनिकीकृत जी.और पी. कारखानों द्वारा प्रोसेस की गई कपास में संदूषण के स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक घट जाने के रूप में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह अपेक्षित है कि 1000 जी.और पी. कारखानों के आधुनिकीकरण के कार्य पूरा हो जाने पर देश में उत्पादित 80 प्रतिशत कपास अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के उच्च स्तरों को पूरा करने में समर्थ होगी। इस स्कीम को भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने की जरूरत है।

7.1.122 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लगभग 20 वर्षों से लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है, जिनमें सूचित किए जाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। हमारे देश में उपभोक्ता आन्दोलन अभी अपनी शैशवावस्था में है। धीमी गति का एक कारण उपभोक्ता जागरूकता का, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभाव है। उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा हाथ में ली गई राष्ट्रीय कार्य योजना में दोहरी कार्य पद्धति की परिकल्पना की गई है, अर्थात् उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए शिकायत दूर करने वाले तंत्र को मजबूत बनाना। एक नई सेवा-राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2004-05 में शुरू की गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के 9.12 करोड़ रुपए के व्यय का स्तर 2005-06 और 2006-07 में

काफी अधिक बढ़ा कर क्रमशः 67.49 करोड़ रुपए और 69.40 करोड़ रुपए कर दिया गया। बहु-माध्यम अभियान में अधिकतम खुदरा मूल्य, सोने की हालमार्किंग, उत्पादों पर आई.एस.आई. चिह्न, अवधि समाप्ति की तारीख और उपभोक्ता अधिकार जैसे विषयों को शामिल किया गया। 2005-06 और 2006-07 के प्रत्येक वर्ष के दौरान 'जागो ग्राहक जागो' नाम के उपभोक्ता जागरूकता अभियान पर 70.00 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा अगस्त, 2006 में इस स्कीम के बारे में किए गए एक मूल्यांकन ने यह दिखाया है कि नमूने वाले राज्यों में उपभोक्ताओं के बीच अभियान को वापस बुलाने की प्रतिशतता 65 प्रतिशत थी।

7.1.123 परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा चलाए जा रहे उद्योग कार्यक्रम परमाणु विद्युत संयंत्रों को संरचनात्मक सामग्री, ईंधन, भारी जल और इलेक्ट्रानिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन जैसी निविष्टियां मुहैया करते हैं। यह विभाग ईंधन री-प्रोसेसिंग, अपशिष्ट प्रबन्ध और तापीय तथा फास्ट रिएक्टर प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित क्रियाकलापों में भी संलग्न रहता है। उद्योग के कार्यक्रमों के लिए 818.93 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, किन्तु व्यय अधिक, अर्थात् 1280.88 करोड़ रुपए हुआ। दसवीं योजना के दौरान हुई कुछ घटनाएं इस प्रकार थीं: मौजूदा जिरकोनियन स्पंज संयंत्र का विस्तार और जिरकोनियन आक्साइड संयंत्र की क्षमता का विस्तार, भारी पानी संयंत्र में फेर-बदल, कन्डेन्सरों के लिए ट्यूब बंडल, भारी जल को साफ करने की सुविधा, बोरोन एक्सचेंज आसवन सुविधा; उन्नत सत्यापन प्रणाली, अधिक क्षमता वाली भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधाएं, ईंधन और संरचनात्मक सामग्रियों का गठन, प्रौद्योगिकियों का विकास और परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए सी.और आई. पैकेज।

7.1.124 नौवहन विभाग के जहाज निर्माण क्षेत्रक के लिए 1047.86 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसकी तुलना में वास्तविक व्यय 282.45 करोड़ रुपए हुआ। व्यय में कमी इस तथ्य के कारण हुई कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की विस्तार योजनाएं और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की पुनर्जीवन योजना कार्यान्वित नहीं हुई।

7.1.125 इस्पात मंत्रालय के 11044 करोड़ रुपए का परिव्यय मध्यावधिक मूल्यांकन के समय संशोधित करके 8477 करोड़ रुपए का बना दिया गया, जिसका वित्तपोषण 65 करोड़ रुपए के सिवाय आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आई.ई.बी.आर.) से किया जाना था। आई. ऐण्ड एम. क्षेत्रक के 4825 करोड़ रुपए के कुल व्यय में से 4119 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय इस्पात क्षेत्रक की स्कीमों पर हुआ। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान सुस्त था। राष्ट्रीय इस्पात निगम

लिमिटेड की 3.5 मिलियन प्रति वर्ष हाट मेटल क्षमता को 6.3 मिलियन प्रति वर्ष बनाने की विस्तार योजना भी, जो 2005 में अनुमोदित की गई थी, निर्धारित समय-सारणी से पीछे रही।

7.1.126 सरकारी नीति में सरकारी क्षेत्रक के रुग्ण उद्यमों के पुनर्गठन पर दिए गए नए जोर के कारण दसवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में भारी उद्योग विभाग के परिव्यय में वृद्धि की गई थी। कुल मिलाकर, 2606 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 'सरकारी क्षेत्रक के मौजूदा उपक्रमों को सहायता' और 'केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों का पुनर्गठन' पर होने वाले व्यय में काफी वृद्धि की गई। 'राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसन्धान तथा विकास अवसंरचना परियोजना (एन.ए.टी.आर.आई.पी.)' के सम्बन्ध में व्यय में सन्तोषजनक प्रगति हुई। तुली, नागालैंड में नागालैंड पल्प और पेपर कम्पनी लिमिटेड के पुनर्जीवन और पुनर्गठन और हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल के विस्तार का काम, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के 14 रुग्ण उपक्रमों के पुनर्गठन का काम बी.आर.पी.एस.ई. की सिफारिशों के आधार पर दसवीं योजना के दौरान हाथ में लिया गया।

7.1.127 जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने जैव-प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर, प्रायोगिक स्तर की सुविधाएं और जैव-प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की एक नई स्कीम हाथ में ली। तदोपरान्त, अकादमियों और उद्योग की अन्तर्क्रिया के जरिए नई प्रौद्योगिकियों/नए उत्पादों के विकास के लिए लघु व्यापार नवीनता अनुसन्धान पहल (एस.बी.आई.आर.आई.) को बढ़ावा देने के लिए सरकारी-गैरसरकारी भागीदारिता के अन्तर्गत एक नई योजना भी शुरू की गई थी। जैव-प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए दो परियोजनाएं हाथ में ली गई थीं, अर्थात् लखनऊ में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क और हैदराबाद में शापूरजी पालोनजी जैव प्रौद्योगिकी पार्क में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर केन्द्र की स्थापना। एस.आई.बी.आर.आई. स्कीम का वास्तविक कार्यान्वयन 2005-06 में शुरू हुआ था और कुछ अनुसन्धान परियोजनाओं को सहायता दी गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू में इन स्कीमों के लिए 30 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, लेकिन व्यय अधिक अर्थात् 102 करोड़ रुपए हुआ।

ग्यारहवीं योजना का परिव्यय और प्रमुख स्कीमों

7.1.128 उद्योग क्षेत्रक के सम्बन्ध में मंत्रालयों/विभागों के ग्यारहवीं योजना के परिव्यय की जानकारी अनुलग्नक 7.1.19 में दी गई है। राज्य-वार ब्योरा परिशिष्ट-खंड III में दिया गया है। कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमों और नई स्कीमों ये हैं:

कार्यान्वित की जा रही स्कीमों

- कपड़ा उन्नयन निधि स्कीम (टी.यू.एफ.एस.)
- एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम (एस.आई.टी.पी.)
- कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.)

- एन.ए.टी.आर.आई.पी. का दूसरा चरण
- भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम
- बौद्धिक सम्पदा ऑफिसों का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण
- औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम
- जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक की स्कीमों
- परमाणु ऊर्जा विभाग का उद्योग खंड

नई स्कीमों

- पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक के लिए आधुनिकीकरण निधि
- मानव संसाधन विकास स्कीम-कपड़ा क्षेत्रक
- एन.आई.पी.ई.आर. जैसे संस्थानों की स्थापना
- औषध और भेषज लिमिटेड में एस.एम.ई. द्वारा अनुसूची एम का अनुपालन
- दिल्ली-मुम्बई उद्योग गलियारा (डी.एम.आई.सी.)
- जहाज निर्माण क्षेत्रक में अनुसन्धान और विकास

क्षेत्रकीय रूपरेखा

आटोमोटिव उद्योग

7.1.129 यदि भारत कोई ऐसा विनिर्माण उद्योग है, जो 1991-92 के आर्थिक सुधारों के बाद निरन्तर ताकत पकड़ता जा रहा है, तो वह आटोमोटिव क्षेत्रक है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें 17 प्रतिशत की शानदार दर से वृद्धि हुई है, और 2005-06 में इसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश था (और 30,000 करोड़ रुपए का और निवेश पाइपलाइन में है), 1,65,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और 2005-06 में सवारी कार (पैसेंजर कार) खंड ने 1 मिलियन की संख्या पार कर ली।

7.1.130 इस समय इस उद्योग में प्रत्यक्ष रोजगार वाहन विनिर्माण में 2,00,000 और संघटक विनिर्माण कम्पनियों में 2,80,000 है। यह अपेक्षा की जाती है कि अतिरिक्त निवेश होने और उत्पादन में वृद्धि होने से इस क्षेत्रक में प्रत्यक्ष रोजगार अगले पांच वर्षों में बढ़ कर दुगना हो जाएगा। वर्ष 2005-06 में संघटक विनिर्माताओं ने नई क्षमता में 1 बिलियन अमरीकी डालर (4,500 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष 2006-07 में, आटोमोबाइल विनिर्माताओं ने 60,380 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है और संघटक विनिर्माताओं ने अब तक 2,523 करोड़ रुपए का निवेश घोषित किया है।

वाहनों का उत्पादन और निर्यात

7.1.131 दसवीं पंचवर्षीय योजना की अविध में विभिन्न श्रेणियों के आटोमोबाइलों के उत्पादन में 16 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. से वृद्धि हुई और वह 2006-07 में दस मिलियन की रेखा को पार कर गया, जैसाकि अनुलग्नक 7.1.7 में दिखाया गया है।

7.1.132 इस उद्योग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात में 35 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. प्राप्त करके सभी श्रेणियों के वाहनों में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता क्षमता सिद्ध की (अनुलग्नक 7.1.17)। जिन खंडों में विशेष रूप से उभार आया है, वे यात्री वाहन, दुपहिया और तिपहिया वाहन हैं, जिनमें नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की तुलना में क्रमशः चार गुना, छः गुना और दस गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 में लगभग 200,000 सवारी (पैसेंजर) वाहन और 600,000 दुपहिया वाहन निर्यात किए गए थे।

आटो संघटक

7.1.133 भारतीय आटो संघटक उद्योग का कार्य-निष्पादन और भी अधिक प्रभावशाली रहा है। वर्ष 2005-06 में संगठित क्षेत्र में 500 विनिर्माताओं और छोटे पैमाने के 10,000 से अधिक विनिर्माताओं ने लगभग 54,000 करोड़ रुपए (12 बिलियन अमरीकी डालर) का कारोबार किया। आटो संघटक उद्योग के पास अब सम्पूर्णतावादी क्षमता है और यह संघटकों की सम्पूर्ण श्रृंखला का विनिर्माण करता है। उद्योग के विभिन्न खंडों का हिस्सा इस प्रकार है: इंजनों के हिस्से (31 प्रतिशत), ट्रांसमिशन भाग (19 प्रतिशत), सस्पेंशन और ब्रेकिंग हिस्से (12 प्रतिशत), इलेक्ट्रिक हिस्से (9 प्रतिशत), बाडी और चैसिस भाग (12 प्रतिशत), उपस्कर (10 प्रतिशत) और अन्य (7 प्रतिशत)। इसने पूर्णतः भारतीय उत्पादकों को लोकप्रिय ब्रांडों (मेकों), जैसे टाटा इंडिका, टाटा इंडिगो, महिन्द्रा, स्कोरपिओ, बजाज पल्सर और टी.वी.एस. पल्सर में पूर्ण स्वदेशीकरण करने में समर्थ बना दिया है। ये तथ्य कि 9 विनिर्माता डेमिंग पुरस्कार विजेता हैं, चार जापान इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट मेनटिनेंस अवार्ड विजेता हैं और एक जापान क्वालिटी अवार्ड विजेता है, भारत में उत्पादित किए जाने वाले आटो संघटकों की गुणवत्ता के प्रमाण हैं।

7.1.134 देश में एक सबसे बड़ा आटो अनुषंगी उद्योग टायर उद्योग है। कुल स्थापित क्षमता 850 लाख यूनिट है, जिसकी तुलना में 2005-06 में 660 लाख यूनिटों का उत्पादन किया गया था और 620 लाख यूनिटों की खपत देश में की गई थी। हवाई जहाजों के टायरों और स्नो टायरों जैसे कुछ विशेष प्रकार के टायरों को छोड़ कर, देश में हर किस्म के टायरों का निर्माण किया जाता है।

7.1.135 भारत के आटो संघटकों के निर्यात में सम्पूर्ण वाहनों के निर्यात से भी अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान निर्यात में क्रमशः 40, 50 और 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वर्ष 2006-07 में वार्षिक निर्यात 11,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। भारतीय आटो संघटकों की क्वालिटी में जो प्रमात्रा वृद्धि हुई है, उससे विश्व के

बाजारों में ग्राहक-आधार में भारी परिवर्तन हुआ है। 1990 के दशक में 80 प्रतिशत निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय के बाद की मार्केट (इन्टरनेशनल आफ्टर मार्केट) को थे। वर्ष 2005-06 में, 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात ग्लोबल ओरिजिनल उपस्कर विनिर्माताओं (ओ.ई.एम.) और स्तर I की कम्पनियों को थे।

वाहनों और संघटकों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के पूर्वानुमान

7.1.136 भारतीय आटोमोटिव उद्योग के अन्तर्निहित सामर्थ्य ने उसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अविध में वाहनों के उत्पादन और निर्यात में होने वाली वृद्धि के बारे में मजबूत अनुमान लगाने का विश्वास प्रदान किया है। नीचे की तालिका में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की उपलब्धियों की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के पूर्वानुमान दर्शाए गए हैं।

तालिका 7.1.9
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाहनों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के पूर्वानुमान(000 में)


श्रेणी	उत्पादन		निर्यात	
	2006-07	2011-12	2006-07	2011-12
पी.वी.	1238	1850	192	462
एम.यू.वी.	306	321	6	12
सी.वी.	520	604	50	71
दुपहिया	8444	18934	619	1634
तिपहिया	556	903	144	229
जोड़	11 065	22612	1011	2408

स्रोत : आटोमोटिव उद्योग के बारे में 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्य समूह की रिपोर्ट

7.1.137 आटो संघटक निर्यात के पूर्वानुमान और भी अधिक महत्वाकांक्षापूर्ण हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आटोमोटिव उद्योग सम्बन्धी कार्य समूह द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान नीचे के चित्र 7.1.5 में दिए गए हैं:

चुनौतियां

7.1.138 संभार-तंत्रीय (लाजिस्टिकल) लागत को कम करने के लिए अवसंरचना में सुधार आटो और आटो संघटक उद्योग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हालांकि उद्योग के प्रमुख क्लस्टर उत्तर में गुडगांव/मानेसर में और उसके आस-पास, पश्चिम में पुणे में, दक्षिण में चेन्नई/बंगलौर, पूर्व में जमशेदपुर-कोलकाता और केंद्रीय भारत में इन्दौर में हैं, लेकिन उद्योग कच्ची सामग्रियों और तैयार उत्पादों की बहुत बड़ी मात्राओं को देश के एक भाग से दूसरे भाग तक भूतल परिवहन द्वारा लाने और ले जाने पर निर्भर करता है और वस्तुओं का तेज़ी से परिवहन प्रतियोगिता- क्षमता को बढ़ाने में बहुत



स्रोत : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु आटो संघटक उद्योग पर गठित कार्यदल

चित्र 7.1.5 आटो संघटक - कारोबार और निर्यात के अनुमान

अधिक योगदान दे सकता है। इस समय, आटो संघटकों को लुधियाना से कलकत्ता में असेम्बली संयंत्रों तक ले जाने में 5 दिन तक का समय लग जाता है, जो बहुत लम्बा समय है, जो कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताएं बढ़ा देता है और ठीक समय पर विनिर्माण करने की नीति अपनाना असम्भव बना देता है।

7.1.139 चूंकि उद्योग उत्तरोत्तर अधिक निर्यात-उन्मुख बन जाएगा, इसलिए उसके विकास के लिए पत्तन अवसंरचना भी बहुत निर्णायक है। चेन्नई और मुम्बई पत्तनों में, जो वाहनों के निर्यात का बहुत अधिक काम संभालते हैं, वाहनों की पार्किंग के लिए और परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त वाहनों की मरम्मत के लिए स्थान का अभाव है। जाने-ले जाने में लगने वाला लम्बा समय और पत्तनों की अपर्याप्त संयोजनीयता भी बाधाएं हैं, जिनकी ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

7.1.140 गुणवत्तापूर्ण विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति एक अन्य अवसंरचना आवश्यकता है। अनुमान है कि इस उद्योग को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 12000 एम.डब्ल्यू. विद्युत की वर्धमान आपूर्ति की आवश्यकता होगी।

7.1.141 उत्सर्जन के प्रतिमानों को ई.सी.ई. के मार्गनिर्देशों के अनुरूप सुसंगत बनाना, सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय करना और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का कम्प्यूटरीकरण और उन्हें आपस में जोड़ना, ताकि खराबियों के मामले में वाहनों को वापस बुलाया जा सके, इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का आदेशात्मक निरीक्षण और प्रमाणीकरण कुछ अन्य सुझाव हैं जो वाहनों के प्रयोक्ताओं और उद्योग के लाभ के लिए दिए गए हैं।

7.1.142 उद्योग के लिए नवीनताओं और उन्नयन के लिए और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है और इसके लिए उसे अनुसन्धान और विकास के कार्य करने होंगे। सरकार अनुसन्धान और विकास पर किए गए व्यय के लिए निगम कर में भारित कटौती देकर अनुसन्धान को प्रोत्साहित करती है, लेकिन इस उपबन्ध का नवीकरण अल्प अवधियों के लिए किया जाता है, जिससे अनुसन्धान और विकास के लिए दीर्घकालिक वचनबद्धता निरुत्साहित होती है। राजकोषीय लाभों के अलावा, आटोमोटिव परीक्षण और अनुसन्धान और विकास की विश्व श्रेणी की अवसंरचना स्थापित करने के लिए सरकार की सहायता की आवश्यकता है।

कार्यनीतियां

7.1.143 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में परिवहन अवसंरचना और विद्युत में सुधार के जो ठोस कार्यक्रम हाथ में लिए जा रहे हैं और जिनका वर्णन इस दस्तावेज में अन्यत्र किया गया है, उनसे आटोमोटिव को पेश आ रही समस्याओं का उपशमन करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। आटोमोटिव उद्योग के लिए विशेष महत्त्व के कार्यक्रम ये हैं: रेलवे का समर्पित भाड़ा गलियारा, एक्सप्रेस मार्ग, और पत्तन आधुनिकीकरण कार्यक्रम। पूरे निर्मित वाहनों के निर्यात में वृद्धि की संभावना के कारण, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में मौजूदा अथवा नई गोदियों को, पर्याप्त पार्किंग स्थान की व्यवस्था के साथ, वाहनों के निर्यात के लिए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

7.1.144 एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसन्धान और विकास अवसंरचना परियोजना (एन.ए.टी.आर.आई.पी.) दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पहले से ही शुरू की जा चुकी है, जिसका उद्देश्य मानेसर और चेन्नई में पूर्ण-विकसित परीक्षण और होमोलोगेशन केन्द्रों की स्थापना करना, पुणे और अहमदनगर के पहले से मौजूद परीक्षण और होमोलोगेशन केन्द्र का उन्नयन करना, नागपुर में विश्व श्रेणी के परीक्षण ट्रैकों की व्यवस्था करना, रायबरेली में ट्रैक्टरों और सड़कों से बाहर (आफ रोड) वाहनों के परीक्षण की सुविधाओं की स्थापना करना और सिल्वर में पहाड़ी क्षेत्र, ड्राइविंग, रेनिंग केन्द्र की स्थापना करना है। इस पहल को पूरा करने के लिए अभी बहुत सा काम किया जाना बाकी है।

7.1.145 निगम करों में अनुसन्धान और विकास के व्यय के लिए दी जाने वाली रियायतों को निगम कर कानूनों का स्थाई अंग बना दिया जाना चाहिए।

7.1.146 एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित सुन्दर समिति द्वारा सिफारिश की गई है। सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए, इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का आदेशात्मक निरीक्षण और प्रमाणीकरण भी जरूरी है। परिवहन सेवाओं के प्रभावकारी विनियमन की दृष्टि से और विनिर्माण की त्रुटियों का पता लगने पर वाहनों को वापस बुलाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए भी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का कम्प्यूटरीकरण और उन्हें आपस में जोड़ना एक वांछनीय कार्य है।

7.1.147 उद्योग के लिए घरेलू मानकों को ई.सी.ई. विनियमों के पूरी तरह से अनुरूप बना कर 2015 तक सुरक्षा और संदूषण के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करना जरूरी है।

7.1.148 प्रशिक्षित मानव संसाधनों की बढ़ती हुई कमी को पूरा करने के लिए आटोमोबाइल क्षेत्रक में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एक राष्ट्र-स्तरीय आटोमोटिव संस्थान की स्थापना करने पर विचार करने की जरूरत है और आई.टी.आई. और ए.टी.आई. द्वारा आटोमोबाइल क्षेत्रक में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और माड्यूल तैयार करने की आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि चारों आई.आई.टी. में आटोमोटिव विनिर्माण की श्रेष्ठता के केन्द्र स्थापित किए जाएं और एन.आई.डी., अहमदाबाद में एक आटो डिजाइन केन्द्र खोला जाए। ओ.ई.एम. और स्तर I के संघटक विनिर्माताओं को आई.टी.आई. और ए.टी.आई. को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

7.1.149 कम ईंधन का उपयोग करने वाले (फ्युएल-एफीशेंट) और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और संयोजन (असेम्बली) और ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग के लिए उपयुक्त राजकोषीय रियायतों के जरिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

7.1.150 इस समय कार्यान्वित की जा रही योजना की प्रमुख स्कीम एन.ए.टी.आर.आई.पी. की स्थापना करना है। इस परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 1407 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

पूँजीगत वस्तुएं और इंजीनियरी उद्योग

7.1.151 भारतीय इंजीनियरी उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में एक गतिशील क्षेत्रक के रूप में उभरा है और इसने देश को मूल क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना दिया है। पूँजीगत वस्तु मूल्य-वर्धन कुल विनिर्माण में लगभग 9-12 प्रतिशत योगदान देता है। वर्ष 2003-04 में पूँजीगत वस्तु उद्योग का उत्पादन 50,000 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1995 से 2005 तक की अवधि में इस क्षेत्रक में पूँजी निवेश में लगभग 10 प्रतिशत की स्वस्थ सी.ए.जी.आर. से वृद्धि हुई; निवेश में 2001-02 से बढ़ोतरी होनी शुरू हुई थी।

7.1.152 पूँजीगत वस्तु उद्योग के पांच प्रमुख क्षेत्रक, अर्थात् विद्युत मशीनरी, प्रोसेस प्लांट उपस्कर, खनन और निर्माण मशीन, मशीनी औजार और कपड़ा मशीन क्षेत्रक इस उद्योग के कुल क्षेत्रक में लगभग 57 प्रतिशत योगदान देते हैं। इन पांचों क्षेत्रकों के उत्पादन, निर्यात और आयात की जानकारी अनुलग्नक 7.1.8 में दी गई है। इन पांच खंडों के उत्पादन में 12 और 32 प्रतिशत के बीच की दरों से वृद्धि हुई। मशीनी औजारों, खनन और निर्माण मशीनों और प्रोसेस प्लांट उपस्कर के निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि हुई और टेक्सटाइल मशीनों के निर्यात में कम वृद्धि हुई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत मशीनरी के निर्यात में गिरावट आई।

मशीनी औजार क्षेत्रक

7.1.153 इस उद्योग में 450 विनिर्माण यूनिट हैं, जिनमें से लगभग 33 प्रतिशत यूनिट संगठित क्षेत्रक में हैं। 10 सबसे बड़ी कम्पनियां इस क्षेत्रक के कुल उत्पादन में लगभग 73 प्रतिशत योगदान करती हैं। वर्ष 2002 से इस उद्योग ने स्वस्थ संवृद्धि दर्शाई है और 2006 की स्थिति के अनुसार इस क्षेत्रक के उत्पादन में 12 प्रतिशत और निर्यात में 17 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2006-07 में इस उद्योग का कारोबार 2900 करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि उद्योग का कारोबार बढ़ कर 2011-12 तक 6000 करोड़ रुपए का हो जाएगा।

7.1.154 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सरकार द्वारा सहायता के उपाय आई.आई.यू.एस. स्कीम के अन्तर्गत मशीनी औजार क्लस्टर, यू.एन.आई.डी.ओ. द्वारा प्रायोजित बंगलौर मशीनी औजार क्लस्टर और केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर को अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास के लिए सहायता के रूप में थे।

कपड़ा मशीनें

7.1.155 इस समय कपड़ा (टेक्सटाइल) इंजीनियरी उद्योग की वार्षिक स्थापित क्षमता लगभग 3800 करोड़ रुपए की है और 2005-06 के दौरान क्षमता का उपयोग, उससे पिछले वर्ष की तुलना में 55 प्रतिशत से बढ़ कर 67 प्रतिशत हो गया। इस उद्योग के आकार के 2010 तक 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने की सम्भावना है। यह उद्योग इस समय घरेलू टेक्सटाइल और क्लोथिंग यूनिटों की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है और अनुमान है कि 80 प्रतिशत आवश्यकताओं को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। पुरानी टेक्सटाइल मशीनों के आयात की उदार नीति ने, जिसे क्षेत्रक में बढ़ावा दिया गया था, इस क्षेत्रक में नए निवेश की सम्भावनाओं को प्रभावित किया है।

भारतीय भारी विद्युत उद्योग

7.1.156 भारतीय भारी विद्युत उद्योग ने वर्ष 2004-05 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है। इस उद्योग का भाग्य देश में विद्युत क्षेत्रक के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्षमता में 78,000 मेगावाट की वृद्धि करने की योजना है। उद्योग में आर्डरों का बहुत बड़ा बैकलाग है, जिसे दो वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना है। देश में क्षमता में, विशेष रूप से बायलरों के लिए, वृद्धि करना अनिवार्य बन गया है। चूंकि अब विदेशी कम्पनियां अवसंरचना की परियोजनाओं में सीधे भाग ले सकती हैं, इसलिए इस क्षेत्रक को प्रौद्योगिकी के अन्तरण में कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है। देश में अनुसन्धान और विकास और प्रौद्योगिकी के नवीनीकरण का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार नीचा है।

खनन और निर्माण उपस्कर क्षेत्रक

7.1.157 निर्माण और खनन उपस्कर उद्योग के प्रत्येक उत्पाद खंड में कुछ बड़े विनिर्माताओं का प्रभुत्व है। बी.ई.एम.एल. लगभग आधे बाजार को माल सप्लाई करता है। खनन और निर्माण उपस्कर क्षेत्रक ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने उत्पादन और निर्यात में स्वस्थ संवृद्धि दर्ज की थी। घरेलू मांग, जो 2004-05 में 6,300 करोड़ रुपए की थी, बढ़ कर 2006-07 में 8,400 करोड़ रुपए की हो गई है।

प्रोसेस प्लांट उपस्कर उद्योग

7.1.158 भारत में प्रोसेस प्लांट उपस्कर उद्योग एक बहुत मिला-जुला विविधतापूर्ण उद्योग है और 2004-05 की स्थिति के अनुसार इसका वार्षिक कारोबार 10,000 करोड़ रुपए का है। 2005-06 के लिए संवृद्धि के अनुमान, जैसेकि उद्योग द्वारा दिए गए हैं, 6,000 करोड़ रुपए के हैं, जो औसत रूप से 15 प्रतिशत की वृद्धि है। उद्योग के विखण्डित स्वरूप और खिलाड़ियों के छोटे आकार के कारण, इनमें से अधिकतर ने अद्यतन साफ्ट प्रौद्योगिकियों में से किसी प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित नहीं किया है।

चुनौतियां

7.1.159 भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग को भी अन्य उद्योगों के साथ उन्हीं प्रमुख रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जो देश में संवृद्धि के मार्ग में आती हैं। ये हैं: छोटे पैमाने के प्रचालन, प्रौद्योगिकीय निर्भरता, निविष्टियों की ऊंची लागत (कच्ची सामग्री, विद्युत, ईंधन और सावधिक ऋण पर ब्याज की ऊंची दरें और कार्यचालन पूंजी), विश्व श्रेणी की अवसंरचना का अभाव और कड़े श्रम कानून।

7.1.160 इस क्षेत्रक की कुछ विशिष्ट शिकायतें ये हैं: खरीद में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों को तरजीह और पुरानी मशीनों का बाधारहित आयात।

कार्यनीतियां

7.1.161 निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए यह जरूरी है कि मशीनी औजारों, टेक्सटाइल मशीनों और भारी विद्युत मशीनों के क्षेत्रक-सापेक्ष पार्को की स्थापना करने के लिए सहायता दी जाए। सामान्य अवसंरचना के अलावा, पार्को के लिए सांझे सुविधा केन्द्र हो सकते हैं, जैसे परीक्षण प्रयोगशालाएं और अनुसन्धान और विकास केन्द्र। लेकिन यह प्रक्रिया मांग-संचालित होनी होगी और पहल उद्योग से आनी होगी।

7.1.162 इसी पद्धति के अनुरूप, मौजूदा क्लस्टरों के लिए औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग की आई.आई.यू.एस. स्कीम के माडल पर परीक्षण, अनुसन्धान और विकास, ताप उपचार, आदि की सुविधाओं वाले सामान्य सुविधा केन्द्रों वाले क्षेत्रक-सापेक्ष पार्क स्थापित किए जा सकते हैं।

7.1.163 गैर-सरकारी क्षेत्रक और गैर-सरकारी क्षेत्रक के उद्योगों के बीच बराबरी के खेल की व्यवस्था करने के लिए खरीद में सी.पी.एस.ई. को तरजीह देने की नीति को समाप्त करना जरूरी होगा।

7.1.164 टेक्सटाइल के क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात की नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए

और इस प्रकार की पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए बैंक वित्त पर ब्याज सब्सिडी के रूप में न्यूनतम सरकारी सहायता नहीं दी जानी चाहिए।

7.1.165 यह जरूरी है कि विदेशों से ऐसे निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए, जिनके पास टेक्सटाइल मशीनों की अपेक्षित प्रौद्योगिकी हो, अभियान चलाया जाए। यह भी आवश्यक है कि पी.एस.यू. में विद्युत उत्पादन यूनिटों की उप्राप्ति में प्रति-सन्तुलन का खंड लागू करके, विद्युत उत्पादन उपस्करों का निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियों को देश में विनिर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए।

सीमेंट

7.1.166 यद्यपि भारत दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन वह चीन से बहुत पीछे है, जिसकी क्षमता पांच गुना से अधिक है। यह उद्योग 70,000 लोगों को सीधे रोजगार मुहैया करता है और इसमें अनुप्रवाह में काफी अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके उत्पाद शुल्क की दर बहुत ऊंची है और कुल उत्पाद शुल्क संग्रह में इसका हिस्सा पांच प्रतिशत है।

सीमेंट क्षमता, उत्पादन और निर्यात

7.1.167 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सीमेंट के उत्पादन में 8.67 प्रतिशत की स्वस्थ सी.ए.जी.आर. से वृद्धि हुई, जबकि स्थापित क्षमता में 3.69 प्रतिशत की धीमी सी.ए.जी.आर. से वृद्धि हुई थी। निर्यात में भी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई दी। क्षमता, उत्पादन और निर्यात में हुई वृद्धि की जानकारी तालिका 7.1.10 में दी गई है।

तालिका 7.1.10
सीमेंट की क्षमता, उत्पादन और निर्यात

वर्ष	(मिलियन मीट्रिक टन) में		
	क्षमता	उत्पादन	निर्यात
2002-03	151.17	116.35	6.92
2003-04	157.74	123.50	9.00
2004-05	165.39	133.57	10.06
2005-06	171.34	147.81	9.19
2006-07	174.99I	162.00II	10.00
सी.ए.जी.आर. प्रतिशत	3.69	8.67	14.24

* क्षमता: जून, 2006 में ** अनुमानित

स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्य समूह की रिपोर्ट


7.1.168 उद्योग आधुनिकीकरण कर रहा है और कुछ यूनिट ऐसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संयंत्र होने का गर्व कर सकते हैं, जिनकी बिजली की खपत की तुलना विश्व के सर्वोत्तम यूनिटों से की जा

सकती है। 1970 के दशक के अन्त तक, उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा गीली (वैट) प्रोसेस प्रौद्योगिकी पर निर्भर था। 2006-07 तक, 96 प्रतिशत उत्पादन सूखी प्रक्रिया द्वारा किया जाने लगा था। घरेलू उद्योग में ऊर्जा की औसत खपत लगभग 725 के.कैलोरी प्रति किलोग्राम क्लिंकर तापीय ऊर्जा और 82 के.डब्ल्यू.एच./टन सीमेंट विद्युत ऊर्जा के आस-पास थी। सर्वोत्तम ताप और विद्युत ऊर्जा खपत 667 के.कैलोरी/किलोग्राम क्लिंकर और 68 के.डब्ल्यू.एच./टन जितनी कम है, जो 650 कैलोरी और 65 के.डब्ल्यू.एच./एम.टी. के सर्वोत्तम आंकड़ों के साथ तुलनीय है।

ग्यारहवीं योजना के लिए मांग का पूर्वानुमान और निवेश की आवश्यकताएं

7.1.169 सीमेंट की खपत में सामान्य रूप से जी.डी.पी. की वृद्धि से 2.3 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई है। पिछली प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और अवसंरचना पर नए रूप से दिए जा रहे जोर पर विचार करते हुए, यह अपेक्षा की जा सकती है कि सीमेंट उद्योग में जी.डी.पी. की 9 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में लगभग 11.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। 201-12 के लिए मांग प्रेक्षण चित्र 7.1.6 में दिए गए हैं।

7.1.170 क्षमता के 298 मिलियन टन के पूर्वानुमानों के पूरा होने का फल यह होगा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 118 मिलियन टन की क्षमता की वृद्धि होगी। ग्यारहवीं योजना के लिए क्षमता में जितनी वृद्धि अपेक्षित है, उसमें से 86 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता नए ग्रीन फील्ड यूनिटों से आएगी, जिसके लिए 34400 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है, और 32



स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्य समूह की रिपोर्ट

चित्र 7.1.6 सीमेंट - 2011-12 तक निर्यात, प्रस्तावित मांग एवं क्षमता

मिलियन टन की क्षमता ब्राउन फील्ड विस्तार/ रुकावटों को दूर करने से आएगी, जिसके वास्ते 6400 करोड़ रुपए का निवेश जरूरी है। इस प्रकार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 52400 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है, जिसमें 1100 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए की वह राशियां भी शामिल हैं, जिनकी आवश्यकता क्रमशः मौजूदा गीली प्रक्रिया वाले संयंत्रों का रूपान्तरण सूखी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में किए जाने और कोयला वाशरियों की स्थापना करने के लिए है।

मुद्दे और चुनौतियां

7.1.171 सीमेंट उद्योग के लिए संवृद्धि और लक्ष्यों की प्राप्ति निर्णायक रूप से चूने के पत्थर, कोयले, विद्युत जैसी विभिन्न निविष्टियों और अन्तिम रूप से, किन्तु किसी भी तरह से कम रूप में नहीं, चूने के पत्थर के परिवहन पर निर्भर करती है। कोयला सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य ईंधन बना हुआ है और निकट भविष्य में ऐसा ही बना रहेगा। इस समय, सीमेंट उद्योग की कोयले की 60 प्रतिशत आवश्यकता संयोजनों और ईंधन आपूर्ति करारों के जरिए पूरी की जाती है, जबकि शेष आवश्यकता की पूर्ति खुले बाजार से खरीद, आयात और पेट्रोलियम कोक के इस्तेमाल के जरिए की जाती है। ग्यारहवीं योजना की पूर्वानुमानित क्षमता-वृद्धि से, कोयले की वार्षिक आवश्यकता इस समय के 28.68 मिलियन टन के स्तर से बढ़कर ग्यारहवीं योजना के अन्त तक 57.97 मिलियन टन हो जाएगी। इसके साथ-साथ, उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के भंडारों में कमी होने और खुले मुंह वाली खानों (ओपन कास्ट खानों) में हो रही वृद्धि से क्षेत्रीय धोवनशालाओं (वाशरियों) में कोयले के अधिक सज्जीकरण की आवश्यकता पड़ेगी।

7.1.172 सीमेंट का उत्पादन एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, जिसे अविच्छिन्न रूप से विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। चूंकि ग्रिड विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता और गुणवत्ता एक समस्या बनी हुई है, इसलिए केप्टिव विद्युत का उपयोग बढ़ रहा है। अधिकतर सीमेंट यूनिटों ने अपनी 60 से 100 प्रतिशत तक की आवश्यकता के बराबर केप्टिव विद्युत उत्पादन सीमेंट-निर्यात, परिलक्षित मांग और आवश्यक क्षमताएं स्थापित कर ली हैं। अनुमान है कि इस समय सीमेंट उद्योग की केप्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता 1825 मेगावाट है, जिसमें से 61 प्रतिशत क्षमता डीज़ल पर आधारित है और शेष 39 प्रतिशत कोयले पर आधारित है। ग्रिड विद्युत की उपलब्धता की बढ़ती हुई अनिश्चितताओं के कारण, यह अनुमान लगाया गया है कि ग्यारहवीं योजना के दौरान 2000 मेगावाट केप्टिव विद्युत की आवश्यकता होगी।

7.1.173 सीमेंट एक कम मूल्य वाली और उच्च मात्रा वाली वस्तु है, जो मुख्य रूप से थोड़े से राज्यों में उपलब्ध चूने के पत्थर के निक्षेपों के निकट संकेन्द्रित है। मुख्य निविष्टि-कोयला भी-थोड़े

से राज्यों में उपलब्ध है। इसे देखते हुए, निविष्टियों और उत्पादन दोनों के लिए लम्बी आवाजाही रेखा की आवश्यकता है और ऐसे परिवहन के लिए रेल सबसे अधिक किफायती विधि है। मेक्रो स्तर पर रेल द्वारा सीमेंट उत्पादन की आवाजाही के 60 प्रतिशत के परिकल्पित स्तर की तुलना में, पिछले दशक के दौरान निरन्तर गिरावट के बाद रेल द्वारा प्रेषण का मौजूदा हिस्सा 39-45 प्रतिशत है। ग्यारहवीं योजना में क्षमता में अभिप्रेरित वृद्धि होने पर, सीमेंट और क्लिंकर और अन्य निविष्टियों, जैसे कोयला, दानेदार स्लैग और फ्लाई ऐश की आवाजाही के लिए रेल सुविधाओं की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी।

7.1.174 ग्यारहवीं योजना में क्षमता में जितनी वृद्धि किए जाने की परिकल्पना की गई है, उसके लिए उद्यमकर्ताओं के लिए प्रौद्योगिकीय और वित्तीय निर्णय किए जाने के लिए सीमेंट ग्रेड के चूने के पत्थर की उपलब्धता आवश्यक है। सीमेंट ग्रेड के चूने के पत्थर के सकल भंडार, 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, 97,430 मिलियन टन के थे।

7.1.175 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार 97,430 मिलियन टन के सकल भंडार में से, परखे हुए भंडार केवल 22,931 मिलियन टन के हैं। चूंकि परखे हुए 50 प्रतिशत भंडार दुर्गम अथवा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अवस्थित हैं, इसलिए ये केवल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त में मौजूद सीमेंट संयंत्रों के जीवन चक्र के लिए पर्याप्त होंगे।

7.1.176 निर्माण उद्योग का आधुनिकीकरण सीमेंट की थोक मात्रा में उपलब्धता और रेडी मिक्स कन्क्रीट (आर.एम.सी.) के उपयोग पर बहुत अधिक निर्भर है। लेकिन, हमारे देश में सीमेंट का थोक मात्रा में परिवहन, विश्व की 70 प्रतिशत की औसत की तुलना में केवल 5 प्रतिशत है। इसी प्रकार, निर्माण के क्रियाकलापों में आर.एम.सी. का उपयोग भारत में केवल 10 प्रतिशत है। आर.एम.सी. का उपयोग और सीमेंट का थोक मात्रा में परिवहन एक-दूसरे के पूरक हैं और उनमें कम चोरी, अधिक सुसंगति और पर्यावरण-अनुकूल अनुप्रयोग के अन्तर्निहित लाभ हैं। सीमेंट को बड़ी मात्रा में उठाने-धरने को सीमित करने वाला एक प्रमुख कारक यह है कि देश में बल्क सीमेंट टर्मिनल बहुत कम संख्या में हैं। देश में केवल दो रेल बल्क सीमेंट टर्मिनल हैं और तीन पत्तन-आधारित बल्क सीमेंट टर्मिनल हैं।

7.1.177 आजकल निर्माण के अधिकतर क्रियाकलापों के लिए सरकार/ सरकारी क्षेत्रक में साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया जाता है। लेकिन, अधिकतर निर्माण की कार्य-निष्पादन सम्बन्धी आवश्यकताएं पी.पी.सी./स्लैग सीमेंट के उपयोग द्वारा पूरी की जा सकती हैं और वास्तव में इन किस्मों को तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि ये गैर-नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करती हैं।

कार्यनीतियां

7.1.178 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता में 118 मिलियन मीट्रिक की जितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, वह संभार से सम्बन्धित मुद्दों को हल करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर बहुत अधिक निर्भर करेगी। ग्यारहवीं योजना में रेल क्षमता में काफी अधिक वृद्धि परिकल्पित है; उससे सीमेंट उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। लेकिन, दीर्घकालिक योजना बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उठाने-धरने और भंडारण की पर्याप्त सुविधाओं और माल डिब्बों की पर्याप्त क्षमता का निर्माण किया जाए, रेलवे को उद्योग के साथ सलाह-मशविरे की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

7.1.179 विशेष टैंकरों, अर्थात् रेल वैगनों, ट्रकों अथवा जहाजों के जरिए सीमेंट के थोक मात्रा में परिवहन से रेलवे, ट्रक और कारगो प्रचालकों को कारोबार के अवसर उपलब्ध होंगे। बल्क सीमेंट टर्मिनलों की स्थापना से भारी मात्रा में निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। रेलवे, जहां कहीं सम्भव हो, इस प्रयोजन के लिए दीर्घकालिक पट्टे पर भूमि मुहैया कर सकती है।

7.1.180 चूने के पत्थर के वाणिज्यिक रूप से उपयोग में लाए जा सकने वाले नए निक्षेपों का पता लगाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी। चूने के पत्थर के नए निक्षेपों को खोजने/अभिज्ञात करने के लिए विभिन्न राज्यों के खान और भू-वैज्ञानिक विभागों को आई.बी.एम. और एम.ई.सी.एल. के साथ मिल कर संयुक्त अन्वेषण करने के काम को जोरदार बनाना चाहिए।

7.1.181 पी.पी.सी. और स्लैग सीमेंट के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इनके उपयोग की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की निर्माण संहिताओं को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, औद्योगिक मानक ब्यूरो को स्लैग और फ्लाई ऐश आधारित सीमेंट के मानकों के अतिरिक्त, एक से अधिक अपशिष्ट सामग्री इस्तेमाल करने वाले सीमेंट के मानक निर्धारित करने के लिए कार्य करना चाहिए।

7.1.182 कमी वाले दूर-दराज के क्षेत्रों, अर्थात् उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, आदि के सिवाय, अन्य क्षेत्रों में ग्रीन फील्ड लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। लघु सीमेंट संयंत्रों की क्षमता पर लागू उच्चतम सीमा को हटा लिया जाना चाहिए और उन्हें सबसे किफायती सक्षम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की छूट दी जानी चाहिए।


रसायन उद्योग

7.1.183 रसायन उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसका अनुमानित कारोबार लगभग 35 बिलियन अमरीकी

डालर का है। विश्व के अनुमानतः 2400 बिलियन डालर के रासायनिक उद्योग में उसका हिस्सा 1.5 प्रतिशत के बराबर है। इस क्षेत्रक में लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर का कुल निवेश है और लगभग 1 मिलियन का रोजगार है। देश के कुल निर्यात में इसका हिस्सा 13-14 प्रतिशत और आयात में 8-9 प्रतिशत है। देश में उत्पादित प्रमुख रसायनों में गुजरात का हिस्सा सबसे अधिक अर्थात् 51 प्रतिशत है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न उप-क्षेत्रों, जैसे क्लोर-अल्कली, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, रंग पदार्थ और रंगों के मध्यवर्ती और कृषि रसायनों के उप-क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न दरों से वृद्धि हुई, जिनमें अकार्बनिक रसायनों की सी.ए.जी.आर. सबसे अधिक, अर्थात् 10 प्रतिशत और कृषि-रसायनों की सी.ए.जी.आर. सबसे कम, अर्थात् 0.7 प्रतिशत थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रसायन उद्योग में, कुल मिलाकर 4.7 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई। उद्योग की अपेक्षा यह है कि ग्यारहवीं योजना के दौरान इस क्षेत्रक में 5-8 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी (अनुलग्नक 7.1.9)।

7.1.184 वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप प्रतियोगिता में जो वृद्धि हुई है, वह रसायन उद्योग को सुदृढीकरण करने, लागत को घटाने, विनिर्माण के अड्डों को कच्ची सामग्रियां, सस्ते ऊर्जा स्रोतों और निम्न कर व्यवस्थाओं के निकट स्थापित करने, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करने और अनुसन्धान और विकास के क्रियाकलापों को जोरदार बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके साथ-साथ, उद्योग पर्यावरण के बारे में बढ़ी हुई विश्वव्यापी जागरूकता के प्रति संवेदनशील बन रहा है। सुदृढीकरण अनिवार्य हो गया है, क्योंकि उद्योग विनिर्माण, संभार-तंत्र और अनुसन्धान तथा विकास में पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना चाहता है। प्रचालन के उन्नत प्रतिमानों और वित्तीय पुनर्गठन द्वारा लागत को घटाने के जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बढ़ी हुई विश्वव्यापी चिन्ता उद्योग को आधुनिकीकरण और नवीनताएं लाने के लिए विवश कर रही है।

7.1.185 पिछले दशक में, भारतीय रसायन उद्योग एक बुनियादी रसायन उत्पादक के स्थान पर एक नवीनता लाने वाले उद्योग के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ा है। अनुसन्धान और विकास में अधिक निवेश के साथ, इस उद्योग ने ज्ञान के क्षेत्रक में उल्लेखनीय संवृद्धि दर्ज की है, जिसमें विशेषता वाले रसायन, फाइन रसायन और औषध-भेषज भी शामिल हैं। स्थूल रूप से, बुनियादी रसायनों, ज्ञान और विशेषता वाले रसायनों का हिस्सा क्रमशः 57 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है। भारत में रसायन उद्योग के विभिन्न सेगमेंट्स का हिस्सा चित्र 7.1.7 में दर्शाया गया है।



स्रोत: रसायन एवं पेट्रो-केमिकल विभाग के कार्यदल की रसायनों पर रिपोर्ट-2002

चित्र 7.1.7
भारतीय रसायन उद्योग में विभिन्न सेगमेंटों की भागीदारी
(आउटपुट मूल्य)

चुनौतियां

7.1.186 भारतीय रसायन उद्योग की दो अंकों वाली संवृद्धि के मार्ग की प्रमुख बाधाएं ये हैं: संयंत्रों का उप-इष्टतम आकार, निविष्टियों (कच्ची सामग्रियों, विद्युत, ईंधन, आदि) की जंची लागत, विश्व श्रेणी की अवसंरचना (सड़कें, पत्तन और विद्युत आपूर्ति) का अभाव, और उसके परिणामस्वरूप प्रतियोगिता-क्षमता की कमी, और कड़े श्रम कानून। इन मुद्दों की ओर ध्यान दिए बिना, शुल्कों में घटते हुए अन्तर और रुपए के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण इस उद्योग के लिए विश्व में प्रतियोगिता करना कठिन होगा। इस क्षेत्रक की कुछ विशिष्ट चुनौतियां ये हैं:

- हालांकि कृषि-भिन्न उत्पादों पर शुल्कों की उच्चतम (पीक) दरों को वर्ष-प्रति-वर्ष घटाया गया है, लेकिन ईंधनों, कच्ची सामग्रियों, बिल्डिंग ब्लाकों और डीनेचर्ड एथिल एल्कोहल, फ्लोरस्पायर, कार्बन ब्लैक फीडस्टाक और सीरा जैसे फीडस्टाक पर, जिनका उपयोग विभिन्न डाउन-स्ट्रीम मूल्यवर्धित रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाता है, तदनुरूप कमी नहीं हुई है;
- महत्त्वपूर्ण रेल जंक्शनों पर मथनोल, अमोनिया, बेन्ज़ीन जैसे रसायनों के लिए टैंक टर्मिनलों की व्यवस्था नहीं की गई है;
- यद्यपि सरकार द्वारा वायु और जल प्रदूषण, सामान्य पर्यावरणिक सुरक्षा, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट प्रबन्ध और उत्पाद देनदारी बीमा के बारे में विभिन्न कानून बनाए गए हैं, और सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, अभिसमयों, प्रोतोकोलों और आचार संहिताओं पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, लेकिन उद्योग में इन कानूनों और अन्तर्राष्ट्रीय करारों के बारे में जानकारी का अभाव है;

- वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ ने रसायनों के पंजीयन, मूल्यांकन और अनुमोदन (आर.ई.ए.सी.एच.) के बारे में विधान पारित किया है। इस विधान के उपबन्धों के अनुपालन के लिए, निर्यातकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अच्छी प्रयोगशाला पद्धतियों का अनुसरण करने वाली प्रत्यायित प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण डाटा प्रस्तुत करें। जब तक भारतीय प्रयोगशालाएं इस प्रकार प्रत्यायित नहीं हो जातीं, तब तक निर्यातकों को परीक्षण डाटा विदेशी प्रयोगशालाओं से सृजित कराना होगा, जिस पर काफी लागत आती है;
- भारत में रसायन उद्योग द्वारा अनुसन्धान और विकास पर किए जाने वाले व्यय का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचे है।

कार्यनीतियां

7.1.187 रसायन उद्योगों के बिल्डिंग ब्लाकों के शुल्क ढांचे का पुनरीक्षण किए जाने की जरूरत है, ताकि यह विचार किया जाए कि इन्हें उभर रही अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित दरों के बराबर किस प्रकार लाया जा सकता है।

7.1.188 रेलवे को रसायन उद्योग के साथ उन स्थानों को निर्धारित करने के लिए सलाह करनी चाहिए, जहां रसायनों और पी.ओ.एल. की थोक मात्रा को उठाने-धरने के लिए पत्तनों पर अवसंरचना की स्थापना करना उनके परस्पर हित में होगा।

7.1.189 राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसन्धान तथा विकास अवसंरचना परियोजना (एन.ए.टी.आर.आई.पी.) के अनुरूप अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं वाले अनुसन्धान और विकास केन्द्रों की स्थापना के कार्य को पी.पी.पी. मोड में शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

7.1.190 सरकार को भारतीय राष्ट्रीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद और केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ जैसी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का उन्नयन जी.एल.पी. स्तरों तक करने पर विचार करना चाहिए, ताकि वे यूरोपीय संघ के निकार्यों से प्रत्यायन प्राप्त कर सकें और आर.ई.ए.सी.एच. के अनुपालन के लिए परीक्षण डाटा का सृजन कर सकें।

7.1.191 सरकार को पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों और सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और वार्तालापों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करनी चाहिए।

औषध और भेषज

सिंहावलोकन

7.1.192 भारतीय औषध उद्योग ने नौवीं और दसवीं योजना की अवधि में बड़ी मजबूत संवृद्धि दर्ज की और वह विशेष रूप से


जेनेरिक औषधियों के मामले में शिक्षा के एक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। डब्ल्यू.टी.ओ. करार के अनुसरण में, 1 जनवरी, 2005 से भेषज उत्पादों के लिए विश्व श्रेणी के पेटेंट कानूनों के अपनाए जाने से मजबूत संवृद्धि की गति मन्द नहीं हुई है, बल्कि आई.पी.आर. के समूचे पर्यावरण में सुधार आया है। 1990 से लेकर इस उद्योग के कारोबार में 12 गुना वृद्धि होने के बाद, 2006-07 के दौरान इसका कारोबार 72,000 करोड़ रुपए का था। भारत विश्व का एक अग्रणी खिलाड़ी बन गया है और उत्पादन की मात्रा के रूप में यह चौथे स्थान पर और मूल्य की दृष्टि से 13वें स्थान पर है। निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 2006-07 के दौरान 24,942 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात हुआ, जो कारोबार के 34 प्रतिशत के बराबर था। चित्र 7.1.8

भेषजों का उत्पादन और निर्यात

7.1.193 वर्ष 2003 में डॉ. आर.ए. मशेलकर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार औषध निर्माण के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या इस प्रकार थी: बल्क औषधियां (1333), फार्मूलेशन (4534), बड़ी मात्रा के पेरन्टरल (134) और टीके (56), जिनसे विनिर्माण यूनिटों की कुल संख्या 6057 हो जाती है। इन भेषज निर्माण यूनिटों में 300 बड़े यूनिट हैं।

7.1.194 भारत भेषज उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमाणीकरण स्कीम पर हस्ताक्षर करने वाला एक देश है और वह इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में शामिल हो

गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बढ़िया विनिर्माण पद्धति (जी.एम.पी.) प्रमाणपत्र केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद दिया जाता है। बढ़िया विनिर्माण पद्धतियां, जिनमें परिसर और पद्धतियां दोनों शामिल हैं, औषधि और सौन्दर्य-प्रसाधन नियम, 1945 की अनुसूची 'एम' के मौजूदा उपबन्ध, जो 1 जुलाई, 2005 से आदेशात्मक बन गए हैं, के उच्च स्तर के अनुकूल हैं, जिनके परिणामस्वरूप घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों मार्केटों के लिए बढ़िया गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण हो सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि विनिर्माता और निर्यातकर्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के जी.एम.पी. से आगे बढ़ रहे हैं और महत्वपूर्ण विदेशी मार्केटों की राष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे यू.एस. एफ.डी.ए., यू.के. एम.एच.आर.ए., आस्ट्रेलिया टी.जी.ए., और दक्षिण अफ्रीका एम.सी.सी. के विनियामक अनुमोदनों को स्वीकार कर रहे हैं। यू.एस. एफ.डी.ए. के लगभग 100 अनुमोदनों के साथ, भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर यू.एस. एफ.डी.ए. से अनुमोदित सबसे अधिक संयंत्र हैं। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका औषधियों की सबसे बड़ी मार्केट है और विश्व की जेनेरेक्स मार्केट में उसका आधा हिस्सा है, इसलिए भारतीय कम्पनियों का ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका की जेनेरेक्स मार्केट पर केन्द्रित रहा है और 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रग मास्टर फाइल (डी.एम.एफ.) फाइलिंग में भारत का हिस्सा लगभग आधा था और संक्षिप्त (एब्रीविएटेड) नए औषध आवेदनों (ए.एन.डी.ए.) में भारत का एक-चौथाई हिस्सा था। डी.एम.एफ. एक वह दस्तावेज



टिप्पणी: 2005-06 में अनुमानित खुदरा बिक्री ओ.आर.जी.-आई.एम. पर आधारित है। 2006-07 की खुदरा मार्केट में संस्थात्मक बिक्री शामिल है।
स्रोत: निर्यात-वास्तविक:डी.जी.सी.आई. ऐण्ड एस.; अनुमान-भारतीय फार्मास्यूटिकल्स एलाएंस; घरेलू बिक्री-वास्तविक/अनुमानित-ओ.आर.जी.-आई.एम.एस.

चित्र 7.1.8 फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में घरेलू निर्यात एवं बिक्री (करोड़ रुपए में)

है जो बल्क औषध (सक्रिय औषधीय घटक-ए.पी.ए.) के विनिर्माता द्वारा यू.एस. मार्केट में ए.पी.ए. पेश करने के लिए यू.एस. एफ.डी.ए. के पास दायर किया जाता है। ए.एन.डी.ए. वह दस्तावेज है, जो जेनेरिक फार्मूलेशनों (फिनिशड डोसेज फॉर्म) के विनिर्माता द्वारा दायर किया जाता है। डी.एम.एफ. के विनियामक अनुमोदन में दो वर्ष और ए.एन.डी. के विनियामक अनुमोदन में 30 महीने लगते हैं।

7.1.195 दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्पादन, घरेलू बिक्री और निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू बिक्री में सामान्य रूप से 11-15 प्रतिशत दर से और निर्यात में 20-26 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। उद्योग का अनुमान है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू बिक्री में 16 प्रतिशत और निर्यात में 30-35 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी, और इस प्रकार योजना के अन्तिम वर्ष में निर्यात घरेलू उत्पादन के लगभग 60 प्रतिशत के बराबर होगा। निर्यात में वृद्धि की दर के बढ़ने की आशा इस तथ्य पर आधारित है कि भारतीय विनिर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 2004-06 के दौरान दायर किए गए डी.एम.एफ. और ए.एन.डी.ए. में जो वृद्धि हुई थी, उसका परिणाम वर्ष 2007-08 में दिखाई देना शुरू होगा, क्योंकि विनियामक अनुमोदनों के मिलने में समय लगता है। वर्ष 2011-12 के पूर्वानुमान चित्र 7.1.9 में दिए गए हैं।

7.1.196 भारत की समृद्ध मानव पूंजी इस ज्ञान के नेतृत्व वाले उद्योग की सबसे बड़ी परिसम्पत्ति है। अगले कुछ वर्षों में पेटेंटों की 60 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की औषधियों के आने से, भारत जेनेरेक्स के क्षेत्र में एक सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में


उभरने के लिए तैयार बैठा है। जैव-औषधियों की मार्केट भी बहुत तेजी से विकास कर रही है और विश्व में टीकों (वेक्सीन) के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभर सकती है। अन्य अनुकूल तत्त्व ये हैं: विश्व में जेनेरेक्स पर बढ़ती हुई निर्भरता, भारतीय जेनेरिक उत्पादों को व्यापक रूप से सुरक्षित और प्रभावकारी उत्पाद स्वीकार किया जाना, भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में बिक्री और विपणन के नेटवर्क के निर्माण/ अधिग्रहण के लिए आक्रामक रूप से आगे बढ़ना, तीसरे और दूसरे स्तर की भारतीय कम्पनियों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश। उद्योग के पूर्वानुमान ये हैं कि योजना की अवधि के समाप्त होने तक घरेलू बिक्री बढ़कर 78,000 करोड़ रुपए (लगभग 19.5 बिलियन अमरीकी डालर) हो जाएगी और निर्यात बढ़ कर 112,000 करोड़ रुपए (28 बिलियन अमरीकी डालर) का हो जाएगा।

अनुसन्धान और विकास

7.1.197 अन्तर्राष्ट्रीय औषध-निर्माण कम्पनियां अपने बिक्री राजस्व की 15-20 प्रतिशत राशि अनुसन्धान और विकास, विशेष रूप से नए रासायनिक तत्त्वों (एन.सी.ई.) की खोज और विकास के लिए खर्च करती हैं। वर्ष 2005 से पहले पेटेंट उत्पादों के बारे में कानून न होने के कारण, भारतीय औषध कम्पनियों ने अपने विकास के क्रियाकलापों को उत्पादों की अपेक्षा प्रक्रियाओं तक सीमित रखा हुआ था। चूंकि अब औषध-उत्पादों के बारे में उत्पाद पेटेंट देने का कानून लागू कर दिया गया है, किसी भी भारतीय कम्पनी के पास पैनी धार वाले अनुसन्धान करने और किसी नए यौगिक (कम्पाउण्ड) को सभी स्टेजों से गुजर कर विपणन की स्टेज तक लाने के लिए संसाधन नहीं हैं। लेकिन, भारतीय कम्पनियां लागत को कम करने और जोखिमों को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प को अपना रही हैं:

- सह-विकास के लिए अथवा सह-लाइसेंसिंग मार्ग से अनुसन्धान और विकास आधारित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सहयोग;
- चिरल अणुओं (मालीक्यूलज़) अथवा इस समय बेचे जाने वाले रेस-मेट्स के विकास द्वारा अथवा अधिक उपादेयता और सुरक्षा की लाभकारी विशेषताओं वाली औषधियों के नए फार्मूलेशनों के जरिए नए मालीक्यूलों के बारे में काम करना।
- बेची जाने वाली औषधियों के बारे में क्लिनिकल परीक्षण द्वारा नई विशेषताओं का पता लगाना; और
- विश्व मार्केटों को स्वीकार्य पारम्परिक औषधियां विकसित करना।

7.1.198 अनुसन्धान और विकास में निवेश करने वाली भारतीय कम्पनियों के अलावा, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में अनुसन्धान-सुविधाएं स्थापित कर रही हैं अथवा भारतीय कम्पनियों के साथ गठबंधन कर रही हैं। यू.के. की आस्ट्रा-ज़ेनेका, जर्मनी की आल्टन



स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) हेतु ड्रग्स एवं भेषज पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट

चित्र 7.1.9 औषधियां - 2011-12 तक निर्यात, खुदरा बिक्री और संस्थात्मक बिक्री

फार्मा, जापान की एसाई और फ्रांस की ऐथी फार्मा ने भारत में अनुसन्धान और विकास केन्द्र और पूर्ण स्वामित्वधीन सहायक कम्पनियों स्थापित की हैं और एली लिली ने जुबिलेंट के साथ सहयोग करना शुरू किया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नौ भारतीय कम्पनियों (हैदराबाद में तीन, मुम्बई और चेन्नई में दो-दो और बंगलौर और वडोदरा में एक-एक) ने औषधों की खोज सेवाओं में आउटसोर्सिंग (बाह्य स्रोतों से काम कराने) के अवसरों से लाभ उठाने के लिए इस व्यापार में प्रवेश किया है और उनके ग्राहकों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों भी शामिल हैं। अन्तर्राष्ट्रीय औषध आविष्कार कम्पनियों भी भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करने का कार्य कर रही हैं।

7.1.199 लागत में लाभ के परिणामस्वरूप भारत क्लिनिकल परीक्षणों का केन्द्र बनता जा रहा है और फिज़र, जानसन ऐण्ड जानसन, जी.एस.के., मर्क, एली लिली, नोवार्टिस और नोवो नार्डिस्क जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अपने चरण II और चरण III के क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए भारत का उपयोग एक आधार के रूप में कर रही हैं। क्विन्टाइल्स, आइकान क्लिनिकल, फार्माओलम कुछ ऐसे विदेशी क्लिनिकल अनुसन्धान संगठन हैं, जो भारत में काम कर रहे हैं।

7.1.200 संसद द्वारा विश्व श्रेणी के बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कानूनों के बनाए जाने से ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ है, जो भारत में औषध खोज और क्लिनिकल अनुसन्धान के बाह्य-स्रोतीकरण के लिए अनुकूल है। इसके अलावा, भारतीय कम्पनियों द्वारा अच्छी प्रयोगशाला पद्धतियां (जी.एल.पी.) और अच्छी क्लिनिकल पद्धतियां (जी.सी.पी.) अपनाए जाने से इन सेवाओं के बाह्य-स्रोतीकरण को प्रेरणा मिली है। कुछ अनुमानों के अनुसार, फार्मास्यूटिकलों पर वैश्विक अनुसन्धान और विकास व्यय 2011-12 तक 100 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा और यदि बाह्य-स्रोतीकरण भारतीय कम्पनियों से कराया जाएगा तो चालू योजना की अवधि के अन्त तक भारत का हिस्सा 1-3 बिलियन डालर की श्रृंखला में पहुंच जाएगा। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारतीय क्लिनिकल परीक्षण मार्केट इस समय 100 मिलियन अमरीकी डालर की है, जो दो अथवा तीन वर्षों में बढ़ कर 300 मिलियन अमरीकी डालर की हो सकती है।

उत्पाद पेटेंट और औषधियों की कीमतें

7.1.201 डब्ल्यू.टी.ओ. के करार को स्वीकार करने के बारे में भारत के निर्णय के समय यह डर था कि देश में औषधियों के उत्पाद पेटेंटों के लागू हो जाने से औषधियों की कीमतें इतनी हो जाएंगी कि गरीब लोग उनका वहन नहीं कर सकेंगे। पहली बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित औषधियों की सूची में शामिल सभी औषधियां पहले से ही सरकारी क्षेत्र में हैं। दूसरी बात

यह है कि समय-समय पर शुरू की जाने वाली पेटेंट वाली औषधियां, पिछली पीढ़ी की औषधियों की तुलना में सुधार लाती हैं और उनकी कीमतें मौजूदा औषधियों की कीमतों से बहुत आगे नहीं जा सकतीं। किसी भी समय, ऐसी आधे दर्जन से अधिक समतुल्य चिकित्सीय औषधियां होती हैं, जिनकी पेटेंट अवधि समाप्त हो गई होती है। इसी प्रकार, उसी चिकित्सीय समूह में औषधियों के बीच कीमत-स्पर्धा नए तत्त्वों (एन्टिटीज़) की कीमतों को स्वतः नियंत्रण में रखेगी। भारत के लोगों की सीमित क्रय शक्ति भी कीमतों में नाटकीय वृद्धि पर अंकुश लगाने का कार्य करेगी। और अन्ततः, पेटेंट वाली औषधियों के गैर-स्वैच्छिक लाइसेंसिंग के लिए सरकारी उपयोग और अनिवार्य लाइसेंसिंग के उपबन्धों का सहारा हमेशा लिया जा सकता है।

7.1.202 भारत में बहुत लम्बे समय तक औषधियों पर मूल्य नियंत्रण बना रहा है, लेकिन नियंत्रण की अवधि को प्रगामी रूप से घटा दिया गया है। यदि इस गतिशील उद्योग की प्रत्याशाओं को प्राप्त किया जाना है और ऊपर अनुमानित उत्पादन और निर्यात के आंकड़ों को मूर्त रूप दिया जाना है, तो इस प्रवृत्ति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, हालांकि मूल्य नियंत्रण डब्ल्यू.टी.ओ. के दायित्वों के साथ संगत है। औषधियों को वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने के सरोकार को लागत और मूल्य-निर्धारण पर आधारित नियंत्रण के तरीकों से भिन्न अन्य विकल्पों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। कम कीमतों का मार्ग अधिक प्रतियोगिता है और यह तभी होगी, जब नए विनिर्माताओं को इस क्षेत्र में प्रवेश करना आकर्षक लगेगा। कीमतों पर नियंत्रण मुनाफों में कमी कर देगा और उद्यमकर्ताओं के मुंह को इस क्षेत्र से मोड़ देगा और प्रतियोगिता को कम कर देगा। इसके अलावा, घटता हुआ लाभ फर्मों की अनुसन्धान और विकास में निवेश करने की क्षमता को सीमित कर देगा, जबकि अनुसंधान और विकास इस जीवन्त औषध क्षेत्र की आत्मा है।

चुनौतियां

7.1.203 छोटे पैमाने की औषध-निर्माण कम्पनियों द्वारा 2001-02 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 327 यूनिट बन्द कर दिए गए थे अथवा उनके लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए थे अथवा वे अन्य राज्यों में चले गए थे और 370 अन्य यूनिट जी.एम.पी. प्रतिमानों का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं थे। चूंकि जी.एम.पी. प्रतिमान 1 जुलाई, 2005 से आदेशात्मक बना दिए गए हैं, इसलिए ये यूनिट बन्द कर दिए गए हैं।

7.1.204 यदि भारतीय औषधि-निर्माण क्षेत्र को विनिर्माण और अनुसन्धान तथा विकास दोनों सेवाओं में दिए गए वचनों को निभाना है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विज्ञान और फार्मसी स्नातकों की संख्या को क्रमबद्ध रूप से बढ़ाया जाना होगा।

निर्यात को दुगना करने के लिए, औषध-निर्माण उद्योग को अगले 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1000 उच्च प्रशिक्षणप्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

7.1.205 चूंकि औषधियों के क्षेत्रक में अनुसन्धान और विकास बहुत जोखिमी कार्य है, इसलिए इसे स्थाई आधार पर कर-रियायतों के जरिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

हस्तक्षेप

7.1.206 छोटे पैमाने के क्षेत्रक को जी.एम.पी. अनुपालन सुविधाओं को प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें ब्याज सब्सिडियों के जरिए वित्तीय सहायता दी जाए।

7.1.207 मोहाली में स्थित राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान (एन.आई.पी.ई.आर.) ने उद्योग, शिक्षा और विनियामक निकायों द्वारा अपेक्षित उपयुक्त योग्यता वाले मानव संसाधन मुहैया करने में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उद्योग की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में पांच और संस्थानों द्वारा एन.आई.पी.ई.आर. की पुनरावृत्ति किए जाने की जरूरत है।

7.1.208 निगम कर के प्रयोजनों के लिए अनुसन्धान और विकास के खर्चों की भारत कटौती के उपबन्धों को, उनकी वैधता की चालू अवधि के समाप्त होने के बाद स्थाई बना दिया जाना चाहिए।

7.1.209 ग्यारहवीं योजना की मुख्य स्कीम सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारिता के मोड में एन.आई.पी.ई.आर. जैसे पांच और संस्थानों की स्थापना करने की है। इन नए संस्थानों के लिए 514 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। मौजूदा एन.आई.पी.ई.आर. को आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। ग्यारहवीं योजना में औषध-निर्माण क्षेत्रक में छोटे पैमाने के उद्यमों द्वारा अनुसूची 'एम' का अनुपालन किए जाने के लिए इन यूनिटों को ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता देने की स्कीम के लिए 340 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के औषध-निर्माण उद्यमों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व-अर्हताओं को पूरा करने के लिए सहायता देने की एक नई स्कीम की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए 75 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

उर्वरक उद्योग

7.1.210 विश्व में भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद उर्वरकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की बहुत अधिक जरूरतों को घरेलू उत्पादन से पूरा करता है, पोटाशी उर्वरकों की जरूरतों को


आयात द्वारा पूरा किया जाता है। फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए, देश कच्ची सामग्रियों के आयात का सहारा लेता है।

7.1.211 दसवीं योजना के दौरान खपत में जो वृद्धि हुई, वह उत्पादन में धीमी गति से हुई वृद्धि की मात्रा से अधिक थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि योजना के बाद के वर्षों में आयात में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई (अनुलग्नक 7.1.10)।

7.1.212 नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (2001-02) के दौरान, घरेलू उर्वरक उद्योग की उर्वरक उत्पादन की स्थापित क्षमता 120.58 लाख मैट्रिक टन (एल.एम.टी.) नाइट्रोजन और 53.87 एल.एम.टी. पी₂ओ₅ (फास्फेट) प्रति वर्ष की थी। नए निवेश के न होने से, उर्वरक उद्योग की क्षमता दसवीं योजना के दौरान न्यूनधिक रूप से गतिरुद्ध बनी रही। वर्ष 2005-06 में यूरिया का वास्तविक घरेलू उत्पादन 28 कार्यात्मक यूनिटों से 200.98 एल.एम.टी. और जे.वी. ओ.एम.आई.एफ.सी.ओ. से 13.25 एल.एम.टी. हुआ, जबकि इसकी तुलना में अन्तिम वर्ष (2006-07) तक 242.14 एल.एम.टी.पी.ए. की मांग होने का अनुमान है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता बढ़ाने की बहुत सी परियोजनाएं कार्यान्वित हुईं, जैसे बी.वी.एफ.सी.एल. पुनर्संज्जीकरण परियोजना, ओ.एम.आई.एफ.सी.ओ.। आर.सी.एफ. के थल III विस्तार (11.55 एम.एम.टी.) और कृमको-हजीरा विस्तार परियोजना (10.56 एल.एम.टी.) को, प्राकृतिक गैस/एल.एन.जी. की उपलब्धता के अभाव के कारण हाथ में नहीं लिया जा सका।

7.1.213 गत वर्षों में उर्वरकों की खपत में काफी वृद्धि हुई है। एन.पी.के. (पोषकों) की प्रति हेक्टेयर खपत, जो 1951-52 में एक किलोग्राम से कम थी, बढ़ कर 2005-06 में 106.7 किलोग्राम हो गई। लेकिन यह खपत, चीन और पाकिस्तान में प्राप्त स्तर से अभी भी बहुत कम है। 2006-07 में 220 एल.एम.टी. की खपत के अनुमानित आधार स्तर में 4.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि से, 2011-12 के लिए 269 एल.एम.टी. की खपत की परिकल्पना की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 'एन', 'पी' और 'के' की मांग का क्रमशः 163.10 एम.एम.टी., 72.90 एल.एम.टी. और 33 एल.एम.टी. होने का अनुमान है। इसकी तुलना में यूरिया की मांग 287.55 एल.एम.टी., डाईअमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) की मांग 95.10 एल.एम.टी., म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) की मांग 37.40 एल.एम.टी., संयुक्त उर्वरकों की मांग 93.30 एल.एम.टी. और एस.एस.पी. की मांग 36.45 एल.एम.टी. होगी। (चित्र 7.1.10)

7.1.214 ग्यारहवीं योजना के लिए उर्वरकों सम्बन्धी कार्य समूह ने अनुमान लगाया है कि यूरिया की 213.52 एल.एम.टी. की मौजूदा स्थापित क्षमता में मौजूदा गैस-आधारित यूनिटों के



स्रोत: ग्यारहवीं योजना के उर्वरकों सम्बन्धी कार्य समूह की रिपोर्ट

चित्र 7.1.10

पुनर्सज्जीकरण, इंडो गल्फ, आर.सी.एफ., कृभको और इफको जैसे संयंत्रों, सस्ती गैस/एल.एन.जी. पर आधारित संयुक्त उद्यमों के विस्तार और 7 एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. संयंत्रों के संयुक्त उद्यमों अथवा किसी अन्य उपयुक्त माडल के जरिए पुनरुज्जीवन के जरिए कुल 128 एल.एम.टी. की अतिरिक्त यूरिया क्षमता स्थापित की जा सकती है। घरेलू यूनिटों का विस्तार करके और रुग्ण यूनिटों को फिर से चालू करके यूरिया की क्षमता में लगभग 12 मिलियन एम.टी. की वृद्धि करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है।

चुनौतियां

7.1.215 इस देश में यूरिया का उत्पादन अभी भी आयात प्रतिस्थापन की नीतियों के समय की विरासत से दबा हुआ है, जब आत्म-निर्भरता के प्रयास के परिणामस्वरूप अकुशल फीडस्टाक/ईंधन, जैसे नेप्था और ईंधन तेलों पर आधारित यूनिटों की स्थापना हुई। चूंकि इन यूनिटों के उत्पादन की लागत प्राकृतिक गैस पर आधारित यूनिटों की उत्पादन-लागत से बहुत अधिक थी, इसलिए भारत सरकार ने अवधारण कीमत स्कीम (आर.पी.एस.) शुरू की। प्रत्येक यूनिट की अपनी अलग अवधारण कीमत थी, जो प्रौद्योगिकी, इस्तेमाल किए जाने वाले फीडस्टाक, क्षमता के उपयोग, ऊर्जा की खपत, फीडस्टाक के स्रोतों से दूरी, आदि बातों पर निर्भर करती थी और सरकार उन्हें अवधारण और उस अधिकतम खुदरा कीमत के बीच के अन्तर की अदायगी करती थी, जो सरकार द्वारा किसानों को यूरिया की बिक्री के लिए निर्धारित की गई हो। चूंकि आर.पी. स्कीम लागत के अतिरिक्त स्वरूप वाली थी और

गोल्ड प्लेटिंग को प्रोत्साहित करती थी, इसलिए उसे 2000 में व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर नई मूल्य-निर्धारण स्कीम (एन.पी.एस.) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना था: चरण I (1.4.2003 से 31.3.2004); चरण II (1.4.2004 से 31.3.2006) और चरण III। एन.पी.एस. के अन्तर्गत, मौजूदा यूनिटों को समूह-आधारित रियायत निर्धारित करने के लिए विंटेज और फीडस्टाक के आधार पर छः समूहों में विभाजित किया गया है। चरण III 1.10.2006 से शुरू हुआ, जिसमें क्षमता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण फैसला यह किया गया है कि प्राकृतिक गैस पर आधारित यूनिटों से भिन्न यूनिटों को एन.जी./एल.एन.जी. यूनिटों के रूप में बदलने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाएगा। लेकिन ऐसे रूपान्तरण को सम्भव बनाने के लिए गैस की संयोजनीयता, आपूर्ति और कीमत से सम्बन्धित मुद्दों को सुलझाया जाना आवश्यक होगा।

7.1.216 हालांकि आपूर्ति और मांग के बीच अन्तर बढ़ रहा है, लेकिन बहुत से रुग्ण पी.एस.ई. यूनिट बंद पड़े हुए हैं। इनमें से अधिकतर यूनिटों के पास रिहायशी बस्तियों, कोयला और बिजली सम्बन्धों, रेल साइडिंग, आदि के रूप में उत्कृष्ट अवसंरचना है और इन यूनिटों को फिर से चालू करना एक प्रमुख मुद्दा है, जिससे निपटा जाना जरूरी है।

7.1.217 भारत में उर्वरकों का उपयोग अपर्याप्त, असन्तुलित है और नाइट्रोजन की ओर मुड़ा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की जमीनों में पोषकों की त्रुटि उत्पन्न हो गई है। एन.पी.के

के 4: 2:1 के सिफारिश किए गए अनुपात की तुलना में 2005-06 में देश में औसत 5.3: 2.2:1 की थी। लेकिन, औसत राज्यों के भीतर की भिन्नता को छिपा देती है और उसी वर्ष वास्तविक अनुपात पंजाब में 20: 6:1 और हरियाणा में 30: 9:1 था। उर्वरकों के सन्तुलित उपयोग का फलितार्थ उर्वरकों के उत्पादन और आयात की मांग होगा।

7.1.218 भारत में राक फास्फेट के ज्ञात भंडारों की पर्याप्त मात्रा नहीं है, और जहां यह उपलब्ध है, वहां ये निम्न कोटि के हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत को राक फास्फेट अथवा फास्फेटिक एसिड का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है।

7.1.219 यूरिया, डी.ए.पी., राक फॉस्फेट और एम.ओ.पी. का बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है और पत्तन आयात की इतनी बड़ी मात्रा को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से सज्जित नहीं हैं। उर्वरकों की बल्क आवाजाही के लिए डिजाइन किए गए रेल माल डिब्बों का अभाव एक अन्य बाधा है, जिसका सामना उद्योग को करना पड़ रहा है।

कार्यनीतियां

7.1.220 यूरिया उद्योग से सम्बन्धित भावी कार्यनीतियों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व एक एकल उत्पादक मूल्य स्थापित करना है, और भारत सरकार ने इस उद्देश्य से गैस-आधारित यूनितों से भिन्न यूनितों की समाप्ति का फैसला पहले से कर लिया है। इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए संयोजनीयता, आपूर्ति और कीमत के मुद्दों को तय किया जाना है। 22 यूनितों के बारे में पाइपलाइन संयोजन पहले से विद्यमान हैं और अगले कुछ वर्षों में अन्य यूनितों को भी इनके उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है। गोवा, मंगलौर और तुत्तीकोरिन के यूनितों की आवश्यकताओं को आर.आई.एल. पाइपलाइन और चेन्नई-मंगलौर पाइपलाइन द्वारा पूरा किए जाने की सम्भावना है। इन तीन यूनितों को कोयला तह मीथेन, कोयला गैस और एल.एन.जी. जैसे वैकल्पिक फीडस्टाक की खोज करनी होगी, क्योंकि वे तटवर्ती संयंत्र हैं। हालांकि पहले गैस-आधारित यूनितों के लिए भी गैस की आपूर्ति कम थी, लेकिन आशा है कि नई खोजों से न केवल उन्हें बल्कि नए रूपान्तरित यूनितों को भी गैस की आपूर्ति करना सम्भव हो जाएगा। जहां तक कीमत का सम्बन्ध है, एकल उत्पादक मूल्य नीति से सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी हो जाएगा कि यूरिया के सभी उत्पादकों को गैस की आपूर्ति एक ही कीमत पर की जाए।

7.1.221 हालांकि इस समय यूरिया की आयात समानता कीमतें ऊंची हैं, लेकिन यह तथ्य बना हुआ है कि तेल की बहुलता वाले देशों में प्राकृतिक गैस भारत की अपेक्षा बहुत कम कीमत पर

उपलब्ध होती है; एक उपयुक्त दीर्घकालिक नीति घोषित की जानी चाहिए, ताकि और संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाएं, जैसाकि एक उद्यम ओमन में है।

7.1.222 ऐसे यूनितों को फिर से चालू करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जो फिर से चालू किए जाने के योग्य हैं; इन प्रयासों में गैस-सरकारी क्षेत्रक की भागीदारी से संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी शामिल है।

7.1.223 बेहतर कृषि-वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने के विस्तार द्वारा उर्वरकों के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। किन्तु, उर्वरकों का कुशल उपयोग प्राप्त करने का एकमेव सर्वाधिक कारगर तरीका यह होगा कि कृषि के लिए सब्सिडियों को पोषक-आधारित बनाया जाए।

7.1.224 फास्फेटयुक्त उर्वरकों के लिए कच्ची सामग्रियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि भारत में खोज के क्रियाकलापों को जोरदार बनाया जाए। इसके अलावा, भारतीय कम्पनियों को संसाधनों में समृद्ध देशों में मध्यवर्ती पदार्थों के खनन और उत्पादन में निवेश करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।

7.1.225 पत्तन सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि आयातित उर्वरकों और उर्वरक सामग्री को कुशलता से संभाला जा सके। रेलवे को भी उर्वरकों को उठाने-धरने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए माल डिब्बे लाने चाहिए।


7.1.226 मुख्य रूप से पुराने ईंधन तेल आधारित उर्वरक यूनितों को गैस-आधारित यूनितों में रूपान्तरित करने और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए सहायता देने के लिए ग्यारहवीं योजना में 20628 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1492 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है।

चमड़ा और चमड़ा उद्योग

7.1.227 भारत के चमड़ा उद्योग का महत्त्व इस बात में है कि यह एक श्रम-प्रधान उद्योग है और निर्यात में बहुत अधिक योगदान देता है। कुल उत्पादन में दस्तकारों, माइक्रो उद्यमों और छोटे पैमाने के उद्योगों का हिस्सा 60-65 प्रतिशत है। विनिर्माण के क्रियाकलाप लगभग 1 मिलियन लोगों को पूर्णकालिक रोजगार मुहैया करते हैं और पशुओं की लाशों से खाल उतारने से सम्बन्धित क्रियाकलाप अन्य 0.8 मिलियन लोगों को अंशकालिक रोजगार मुहैया करते हैं। वर्ष 2004-05 में इस उद्योग का कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें 10,800 करोड़ रुपए के कारोबार (43 प्रतिशत) का सम्बन्ध निर्यात से था। निर्यात में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है; 2000-01 में 1.9 बिलियन अमरीकी


डालर मूल्य का निर्यात हुआ था, जो बढ़ कर 2006-07 में 2.9 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया। चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात की संरचना चमड़े के जूतों की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसका हिस्सा (2006-07 में 32 प्रतिशत) चमड़े और चमड़ा उत्पादों के निर्यात में जूतों के 65 प्रतिशत के हिस्से से अभी भी बहुत कम है। (चित्र 7.1.11)

7.1.228 चमड़ा क्षेत्रक के विकास के लिए व्यापक कार्यनीति तैयार करने के लिए गठित अन्तर्मंत्रालयीय समूह ने यह आकलन किया था कि भारत में निर्यात को, 2005-06 के 2.7 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़ा कर 2011-12 में 7 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक ले जाने की क्षमता है। पूर्वानुमानों का ब्यौरा चित्र चित्र 7.1.12 दिया गया है।



स्रोत: चर्म निर्यात परिषद, भारत

चित्र 7.1.11 भारतीय चमड़ा निर्यात - बदलता हुआ ढांचा



स्रोत: चर्म उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु गठित अंतर-मंत्रालयीय समिति, 2008

चित्र 7.1.12 भारत में चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात की पूर्वानुमानित वृद्धि-अमरीकी डालरों में

7.1.229 जूता वह संघटक है, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है। मात्रा के रूप में जूतों का निर्यात ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 300 मिलियन जोड़ों का होगा, जबकि 2005-06 में 92 मिलियन जोड़ों का निर्यात हुआ था। इसके लिए 2005-06 की 250,000 जोड़ों के दैनिक उत्पादन की क्षमता की तुलना में 750,000 जूतों के जोड़ों के प्रति दिन उत्पादन की क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। यदि गैर-चमड़ा जूतों को जोड़ा जाएगा, तो केवल निर्यात के लिए अपेक्षित क्षमता 1 मिलियन जूतों के जोड़ों की होगी। इसी प्रकार, चमड़े के परिधानों का उत्पादन 2005-06 के 24 मिलियन परिधानों से बढ़ कर 2011-12 में 72 मिलियन तक पहुंच जाने की आवश्यकता होगी और इसी अवधि में चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन 6 मिलियन से बढ़ कर 18 मिलियन होना जरूरी होगा।

7.1.230 किन्तु, उपर्युक्त क्षमता प्राप्त करने से पहले बहुत सी चुनौतियों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

चुनौतियां

- इस उद्योग का स्वदेशी कच्ची सामग्री आधार बहुत त्रुटिपूर्ण है। इस समय देश में 90 प्रतिशत (1.8 बिलियन वर्ग फिट) चमड़ा देशी खालों और चमड़ियों से उत्पादित किया जाता है। 7 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात प्राप्त करने के लिए वर्ष 2012 में 4 बिलियन वर्ग फिट चमड़े की आवश्यकता होगी;
- देश की चर्म शोधनशालाओं की क्षमता बहुत कम है और वे पुरानी पड़ गई प्रौद्योगिकियों वाली हैं और अधिकतर चर्मशोधनशालाएं अभी भी हाथ से काम करने के तरीके का उपयोग करती हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौद्योगिकी के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए चमड़ा क्षेत्रक के एकीकृत विकास की स्कीम (आई.डी.एल.एस.) शुरू की गई थी, लेकिन स्कीम को अन्तिम रूप देने में देर हो जाने के कारण निधियों का उपयोग बहुत कम हद तक किया जा सका था;
- मौजूदा चर्मशोधनशालाओं (तमिलनाडु में) को जिस एक अन्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह यह है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अन्तर्गत कड़ी पर्यावरणिक आवश्यकताएं (शून्य तरल उत्सर्जन) लागू की गई हैं। हालांकि बड़े यूनिट इन आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निवेश करने में समर्थ हुए हैं, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योगों के पास सरकारी सहायता के बिना ऐसा करने की वित्तीय शक्ति नहीं है;

- कुशल और अर्ध-कुशल कार्य बल की बहुत भारी कमी है और यह अनुमान लगाया गया है कि यदि पूरी क्षमता प्राप्त की जानी है, तो 0.5 मिलियन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी;
- अधिकतर विनिर्माता अल्प मात्रा में उत्पादन करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से आए बहुत बड़ी मात्रा वाले उन आर्डरों को पूरा नहीं कर सकते, जिनका विश्व आयातों में बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, भारत में जूतों का अधिकतर उत्पादन पुरुषों के ड्रेस जूतों का है, जबकि आरामदेह (कम्फर्ट) जूतों की आवश्यकता बढ़ रही है। निर्यात के लिए महिलाओं के जूते नहीं बनाए जा रहे। आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादन को बढ़ाया जाए और उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण किया जाए।
- चमड़ा उत्पादों के भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता खराब सड़कों, इनलैंड कंटेनर डिपुओं में विलम्ब और इस तथ्य के कारण प्रभावित हो रही है कि पूर्वी सीबोर्ड से, जहां उत्पादन संकेन्द्रित है, भारतीय माल के बहुत बड़े भाग को कोलम्बो और सिंगापुर में दूसरे जहाजों में चढ़ाया जाता है। यह मुख्यतः इस तथ्य के कारण किया जाता है कि पूर्वी तट के पत्तनों के चैनल इतने गहरे नहीं हैं कि बड़े जहाज इन पत्तनों तक आ सकें।

कार्यनीतियां

7.1.231 इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्यवाहियां प्रस्तावित हैं:

7.1.232 कच्ची सामग्री के आधार का विस्तार करने के लिए भैंसों के कटरे पालने को प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकारी तथा गैर-सरकारी भागीदारिता के अन्तर्गत वधशालाओं के आधुनिकीकरण की स्कीम चालू की जाएगी। मृत पशुओं के चमड़े के बेहतर उपयोग के लिए पशुपालन विभाग में 50 लोथ केन्द्र, 20 हड्डी पीसने वाले संयंत्र और 5000 खाल उधेड़ने वाले यूनिट स्थापित करने की एक स्कीम शुरू की जाएगी।

7.1.233 नए चर्मशोधन यूनिटों और चमड़ा उत्पादों में नए निवेश को प्रेरित करने के लिए कपड़ा मंत्रालय की एस.आई.टी.पी. स्कीम की पद्धति पर कम से कम 10 चमड़ा पार्क/काम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है;

7.1.234 दसवीं पंचवर्षीय योजना की स्कीमों, अर्थात् नेल्लोर में चर्मशोधन काम्प्लेक्स की स्कीम (जो योजना के दौरान शुरू नहीं हो सकी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस बारे में हाल में सकारात्मक कदम उठाए हैं) और तमिलनाडु में जूता काम्प्लेक्स की स्कीम (जिसे काफी हद तक पूरा कर लिया गया है) को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आगे ले जाने की आवश्यकता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की चमड़ा क्षेत्रक के एकीकृत विकास की स्कीम को भी जारी रखने का प्रस्ताव है, लेकिन व्यय वहां तक सीमित होगा, जिस सीमा तक आबंटित राशि दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उपयोग में नहीं लाई गई थी;

7.1.235 तमिलनाडु में और अन्यत्र छोटे और मध्यम पैमाने के चर्मशोधन एककों को निवेश करने में सहायता दी जाएगी, ताकि वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा लागू किए गए कड़े पर्यावरणिक प्रतिमानों का अनुपालन कर सकें। भारत सरकार 60 प्रतिशत सहायता देगी, और शेष राशि राज्य सरकार से और स्वयं यूनिटों से आएगी; और

7.1.236 गैर-संगठित क्षेत्रक में कर्मकारों और दस्तकारों को स्व-स्थले प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्यमशीलता विकास के लिए एक बड़ा मानव संसाधन विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन में, मौजूदा संस्थाओं द्वारा, जो स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम चलाती हैं, कुशल जनशक्ति का विकास भी शामिल होगा। जूता डिजाइन और विकास संस्थान (एफ.डी.डी.आई.), नोएडा को अतिरिक्त मशीनें, उपस्कर, कार्यशाला और प्रयोगशाला सुविधाएं मुहैया की जाएंगी, ताकि वह अधिक छात्रों को प्रवेश दे और डिजाइन और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम चलाए और एफ.डी.डी.आई. की एक नई शाखा फुर्सतगंज में स्थापित की जाएगी। देश के चमड़ा विनिर्माण यूनिटों की अधिक संख्या वाले अन्य भागों में एफ.डी.डी.आई. की और शाखाएं स्थापित करने पर भी विचार किया जाएगा।

7.1.237 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के लिए 1300 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

कागज उद्योग

सिंहावलोकन

7.1.238 कागज उद्योग भारत के 35 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है और इस समय उसमें 6.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। इसका कारोबार लगभग 17000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है और राष्ट्रीय राजकोष में उसका योगदान लगभग 2500 करोड़ रुपए का है। इस उद्योग में 0.3 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नियोजित करता है और इसमें लगभग 1 मिलियन लोगों के अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित होने का अनुमान है। भारत में कागज की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 7.2 किलोग्राम है, जो अन्य उभर रही अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, जैसे चीन में 45 किलोग्राम, अन्य पूर्वी एशियाई देशों में 15-20 किलोग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बहुत ऊंचे स्तर से बहुत कम है। अर्थव्यवस्था में संवृद्धि और साक्षरता में वृद्धि होने पर कागज की खपत में बहुत अधिक बढ़ोतरी होने की सम्भावना है।

7.1.239 दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में लगभग 666 औद्योगिक यूनिट थे, जिनमें कुल स्थापित क्षमता 8.50 मिलियन टन कागज और गत्ते के उत्पादन की थी। लेकिन 1.1 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता वाले 98 यूनिट पर्यावरणिक समस्याओं के कारण बन्द हैं। यह उद्योग 5.80 मिलियन मेट्रिक टन कागज और गत्ते का उत्पादन करता है। इसने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सरकारी सहायता और राजकोषीय प्रोत्साहनों से महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारा देश अधिकतर किस्मों के कागज और गत्ते के मामले में आत्म-निर्भर है और केवल कुछ विशेषताओं वाली मदों का आयात हो रहा है, जैसे आलेपित (कोटेड) और चेक पेपर आदि। लेकिन, उद्योग प्रौद्योगिकीय उन्नतियों के साथ कदम से कदम मिला कर चलने में असफल रहा है और उसके सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं, जैसे ऊंची उत्पादन-लागत, प्रदूषण की समस्याएं और फिनिश कागज की क्वालिटी का अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप न होना।

7.1.240 भारतीय कागज उद्योग बहुत अधिक बिखरा हुआ है और 458 कारखाने ऐसे हैं, जिनकी क्षमता 60 टी.पी.डी. से कम है और 48 कारखानों की क्षमता 60 से 100 टी.पी.डी. तक और 62 कारखानों की क्षमता 100 टी.पी.डी. से अधिक है। रेशे वाली बहुत सी किस्मों की कच्ची सामग्रियों, जैसे बांस, कड़ी लकड़ी (हार्डवुड), कृषि अवशेषों और रद्दी कागज का उपयोग देश में कागज बनाने के लिए किया जा रहा है।

7.1.241 कच्ची सामग्री के परिप्रेक्ष्य में, इस उद्योग को तीन खंडों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् लकड़ी आधारित, कृषि आधारित और पुनःचक्रित रेशे आधारित। उत्पादन में इनका योगदान क्रमशः 30 प्रतिशत, 32 प्रतिशत और 38 प्रतिशत है। देश में इस उद्योग के लिए पर्याप्त कच्ची सामग्री का अभाव है और रद्दी कागज और लकड़ी की लुगदी की बढ़ती हुई मात्राओं का आयात किया जा रहा है। रद्दी कागज का आयात, जो 2004-05 में लगभग 1.4 मिलियन मीट्रिक टन था, बढ़ कर 2005-06 में 1.8 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। इसी अवधि में लकड़ी की लुगदी का आयात 378,432 एम.टी. से बढ़कर 472,391 एम.टी. हो गया। कागज और गत्ते के उत्पादन, आयात और निर्यात की जानकारी अनुलग्नक 7.1.11 में दी गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन में धीमी वृद्धि हुई है।

अखबारी कागज उद्योग

7.1.242 बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप अखबारी कागज का उत्पादन करने वाले और समाचारपत्रों के प्रकाशकों को आपूर्ति करने वाले कागज कारखानों को अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जाता है, ताकि वे उत्पाद शुल्क की छूट प्राप्त कर सकें। इस समय केन्द्रीय

सरकारी क्षेत्रक के 2 यूनिटों और राज्य सरकारी क्षेत्रक के 2 यूनिटों सहित 77 कारखाने, जिनकी स्थापित क्षमता 15.9 लाख एम.टी. की है, अखबारी कागज का विनिर्माण करते हैं। घरेलू उत्पादन वर्ष 2005-06 में 9.1 लाख मैट्रिक टन और 2006-07 की अवधि में 10.3 लाख मैट्रिक टन हुआ।

7.1.243 पिछले चार वर्षों के दौरान अखबारी कागज के उत्पादन, आयात और निर्यात की जानकारी अनुलग्नक 7.1.12 में दी गई है।

मुद्दे और चुनौतियां

7.1.244 कागज उद्योग लकड़ी, कृषि अवशेष और रद्दी कागज का उपयोग कच्ची सामग्रियों के रूप में करता है और तीनों खंड उत्पादन में बराबर का योगदान देते हैं। गत वर्षों में लकड़ी-भिन्न कच्ची सामग्रियों और रद्दी कागज का उपयोग बढ़ गया है और दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त में कुल उत्पादन में उनका हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत था। व्यापार के उदारीकरण से उद्योग को बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, और उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत पर दबाव पड़ा है। हालांकि उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि होती रही है, लेकिन विशेष रूप से वन-आधारित कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण उद्योग की संवृद्धि में रुकावट आई है। इस महत्वपूर्ण उद्योग की दृष्टि से, यह अनिवार्य हो गया है कि वन प्रबन्धन के प्राचलन में परिवर्तन किया जाए और उसे 'संरक्षण केन्द्रित' के स्थान पर 'उत्पादन केन्द्रित' पद्धति बनाई जाए।

7.1.245 पिछले एक दशक से किसी प्रमुख ग्रीनफील्ड एकीकृत लुगदी और कागज कारखाने की स्थापना नहीं हुई। कच्ची सामग्री की कमी निस्सन्देह रूप से उत्पादन क्षमता के गतिरुद्ध होने का एक प्रमुख कारण है। देश में कागज की कम प्रति व्यक्ति खपत और साक्षरता के ऊपर उठते हुए स्तर उद्योग के लिए संवृद्धि के अवसर प्रस्तुत करते हैं। इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिनमें प्रौद्योगिकी के पुराने पड़ जाने और जल और ऊर्जा के किफायती उपयोग की समस्याओं की ओर तथा पर्यावरणिक समस्याओं के उपशमन के लिए बहिःस्राव के उपचार की ओर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

कार्यनीतियां

7.1.246 सबसे बड़ी समस्या, जिसका समाधान किया जाना जरूरी है, उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के आधार को बढ़ाने की है। अवनत वन भूमि में विपुल अवसर विद्यमान हैं, लेकिन स्थानीय समुदायों के अधिकार और संयुक्त वन प्रबन्धन का सिद्धान्त ऐसी भूमि कागज कारखानों को पट्टे पर दिए जाने के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है, जिस पर पार पाना बहुत कठिन है। इस बीच

स्थानीय समुदायों की भागीदारिता के साथ, उपयुक्त पी.पी.पी. प्रबन्धों के अन्तर्गत वनों का विकास करने के लिए बंजर भूमियों पर विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों के लिए कृषि-वानिकी को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर विचार करना भी जरूरी है।


7.1.247 छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों को ऊर्जा घटाने वाली और कम जल तीव्रता वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बहिःस्राव उपचार के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

पेट्रो-रसायन उद्योग

7.1.248 अन्तर्राष्ट्रीय रूप से, पेट्रो-रसायन उद्योग औद्योगिक विकास के चालकों में से एक है और विश्व के रसायन बाजार में उसका हिस्सा 40 प्रतिशत है। 1950-1990 के दौरान, स्वेज़ के पश्चिम के देश पेट्रो-रसायन के विनिर्माण पर छाए हुए थे, लेकिन उसके बाद वैश्विक अधिकेन्द्र मुड़ कर स्वेज के पूर्व में चला गया, जिसका मुख्य कारण मध्य पूर्व में क्रूड तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और एशिया में, जहां का जनसंख्या आधार बहुत बड़ा है, खपत के केन्द्रों की संवृद्धि है।

7.1.249 कच्ची सामग्री के 15 उत्पादकों और अनुप्रवाह में प्रोसेसिंग के 50,000 यूनिटों के साथ, भारतीय पेट्रो-रसायन उद्योग का हिस्सा विश्व की पेट्रो-रसायन उत्पादन क्षमता में लगभग 2.5 प्रतिशत है। भारत के पेट्रो-रसायन उद्योग में बिल्डिंग ब्लाक, वस्तु पालीमर, परफार्मेस प्लास्टिक्स, संश्लिष्ट रेशा, संश्लिष्ट रबड़, सरफेक्टेण्ट्स और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग शामिल हैं। पिछली योजना अवधियों की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पेट्रो-रसायनों की घरेलू मांग में वृद्धि धीमी हो गई है। कमोडिटी पालीमर और संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन की, जिसमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम वृद्धि हुई थी, जानकारी अनुलग्नक 7.1.13 में दी गई है।

7.1.250 डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्षेत्रक अतिशय श्रम-प्रधान क्षेत्रक है, जो इस समय 3.3 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया कर रहा है, लेकिन उसमें 2011-12 तक 3.7 मिलियन नए कार्य (जाब्स) उत्पन्न करने की क्षमता है। घरेलू उद्योग बहुत अधिक विखण्डित है और प्रचालन के उप-इष्टतम पैमाने पर कार्य कर रहा है, जो इसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे पहले सरकार की नीति विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों को अनन्य रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों में विनिर्माण के लिए आरक्षित करने और उनके लिए उत्पाद शुल्क में छूट देने की थी। देश में डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग का प्रचालन उप-इष्टतम पैमाने पर हो रहा है इसे चित्र 7.1.13 में देखा जा सकता है:



स्रोत: उद्योग संगठन, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पेट्रो-केमिकल क्षेत्रक पर गठित कार्यदल की रिपोर्ट

चित्र 7.1.13

प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के कार्यान्वयन से संबंधित स्केल

7.1.251 देश में गुणवत्ता वाले प्लास्टिक उत्पादों की अनुपलब्धता के कारण हाल के वर्षों में भारत में चीन और थाईलैंड से प्लास्टिक उत्पादों के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। डाउनस्ट्रीम क्षेत्रक के आर्थिक लाभों और उसकी रोजगार-क्षमता को स्वीकार करते हुए, चीन ने पहले प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्षेत्रक का विकास किया था और विश्व में प्लास्टिक वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातकर्ता है और भारत के 1 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 18 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात करता है। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना करने के बाद, चीन ने उसकी कच्ची सामग्रियों और मध्यवर्ती सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपस्ट्रीम क्रैकर निवेश की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया।

7.1.252 भविष्य में प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में भारत की प्रतियोगिता-क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि जनवरी और मार्च, 2007 में सरकार ने 84 में से 70 मदों को अनारक्षित कर दिया है। इसके अलावा, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 ने लघु उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनों में निवेश की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 5 करोड़ रुपए कर दिया है।

7.1.253 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पेट्रो-रसायन क्षेत्रक सम्बन्धी कार्य दल के आकलन के अनुसार, देश में पालीमरों की मांग में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 18 प्रतिशत की सी.ए.आर.जी. दर से बढ़ कर 12.5 एम.एम.टी. तक पहुंच जाने की क्षमता है, जिसके लिए 2011-12 तक 8 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश से 1 एम.एम.टी. के औसत आकार के 5 अतिरिक्त क्रैकरों को चालू करने और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक

प्रोसेसिंग क्षेत्रक में 6 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता होगी। पाटा और हाल्डिया के मौजूदा नेप्था और गैस क्रैकर संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है और पानीपत और जामनगर और असम के क्रैकरों में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।

चुनौतियां

7.1.254 लघु उद्योगों के लिए विनिर्माण के आरक्षण के कारण उद्योग के विखंडन जैसे संरचनात्मक कारकों की वजह से प्रोसेसिंग उद्योग के गतिरुद्ध हो जाने से पालीमर उद्योग में संवृद्धि नहीं हुई है। अब चूंकि इस समस्या को हल कर लिया गया है, इसलिए अब उद्योग को आधुनिकीकरण और पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पालीमरों और प्लास्टिक की चीजों पर उत्पाद शुल्क की 16 प्रतिशत की ऊंची दर मांग को मन्द कर देती है। यदि उत्पाद शुल्क को घटा कर दिया जाएगा, तो मांग को प्रोत्साहन मिलेगा।

7.1.255 एक ऐसे समय, जब प्रोसेसिंग क्षेत्रक में संवृद्धि की सम्भावना है, यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले मानदंड अपनाए हालांकि भारत ने प्लास्टिक उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में देर कर दी थी, लेकिन उच्च क्वालिटी वाले उत्पाद उस समय की कमी को पूरा करने में सहायता दे सकते हैं, जो हमने गंवा दिया था।

7.1.256 आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, मौजूदा और प्रस्तावित औद्योगिक यूनिटों के आस-पास अवसंरचना में सुधार करने के विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

7.1.257 यदि उद्योग का विस्तार उस पैमाने पर किया जाना है, जिसकी परिकल्पना की गई, तो 1.4 लाख कुशल कामगारों सहित 6 लाख व्यक्तियों की अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण प्रबन्धों को भी बढ़ाया जाना होगा।

7.1.258 प्लास्टिक का उपयोग लकड़ी, धातुओं आदि जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण उनके बेहतर उत्पादक इस्तेमाल के लिए कर देता है। पर्याप्त जागरूकता से, प्लास्टिक प्लास्टीकल्चर के जरिए कृषि संवृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, पेय जल तक बेहतर पहुंच की व्यवस्था कर सकता है, पालीमर-उपान्तरित डामर पर आधारित पक्की सड़कें मुहैया कर सकता है और इस समय उद्योग निर्माण में इस्तेमाल की जा रही कीमती सामग्रियों की बचत कर सकता है। चुनौती यह है कि प्रयोक्ताओं को मनाया जाए कि वे प्राकृतिक संसाधनों से व्युत्पन्न दुर्लभ विकल्पों की बजाय प्लास्टिक के उपयोग को तरजीह दें।

कार्यनीतियां

7.1.259 मांग को उत्प्रेरित करने के लिए पालीमरों और प्लास्टिक उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्कों को घटाने पर विचार किया जाना चाहिए।

7.1.260 प्लास्टिक की घरेलू रूप से उत्पादित और विदेशों से आयातित दोनों प्रकार की वस्तुओं के लिए बी.आई.एस. विशिष्टियों के उपयोग को पहचान किए गए क्षेत्रों में आदेशात्मक बना दिया जाना चाहिए।

7.1.261 चूंकि मांग के बढ़ने से पेट्रोरसायन उत्पादकों और प्रोसेसिंग उद्योग दोनों को लाभ होगा, इसलिए अपारम्परिक क्षेत्रों में पालीमर के प्रयोग को बढ़ावा देने के संयुक्त प्रयास इनकी एसोसिएशनों के जरिए शुरू किए जाने चाहिए।

7.1.262 इस समय सी.आई.पी.ई.टी. को प्रोसेस उद्योग की मध्यम स्तर की जनशक्ति आवश्यकता को पूरा करने का काम सौंपा हुआ है। सी.आई.पी.ई.टी. देश के विभिन्न भागों में स्थित अपनी 15 शाखाओं में प्रोसेस उद्योग के लिए तकनीकी जनशक्ति का सृजन कर रहा है और इसने 40 वर्ष पहले अपनी स्थापना के समय से अब तक 27000 व्यावसायिकों का निर्माण किया है। ग्यारहवीं योजना के दौरान 1.4 लाख कुशल प्लास्टिक व्यावसायिकों की अनुमानित मांग को देखते हुए, प्रत्येक केन्द्र की दाखिला देने की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।

7.1.263 इस क्षेत्रक में निवेश के क्रियाकलाप को उत्प्रेरित करने के लिए समर्पित प्लास्टिक पार्कों सहित पेट्रोलियम रासायनिक और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) स्थापित किए जाने चाहिए। औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग की औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस.) की तरह, मौजूदा क्लस्टरों के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम भी हाथ में लेने की आवश्यकता है।

7.1.264 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी (सी.आई.पी.ई.टी.) के लिए 136.50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जिनमें 55 करोड़ रुपए का ओ.पी.ई.सी. ऋण भी शामिल है। सरकार द्वारा 2006 में असम गैस क्रैकर परियोजना अनुमोदित कर दी गई है। परियोजना को एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें जी.ए.आई.एल. (भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड) की 70 प्रतिशत इक्विटी भागीदारिता है। संयुक्त उद्यम कम्पनी, अर्थात् मेसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पालीमर लिमिटेड (बी.सी.पी.एल.) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए जनवरी, 2007 में निगमित की गई थी। 200 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जो इस परियोजना को सब्सिडी के रूप में मुहैया किया जाएगा।

जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग

(i) जहाज निर्माण

सिंहावलोकन

7.1.265 भारतीय जहाज निर्माण मुख्य रूप से 27 शिपयार्डों के आस-पास, जिनमें 8 शिपयार्ड सरकारी क्षेत्रक के (6 यार्ड केन्द्रीय क्षेत्रक और 2 यार्ड राज्य सरकारों के अन्तर्गत) और 19 शिपयार्ड गैर-सरकारी क्षेत्रक के हैं। इन शिपयार्डों के बीच 20 शुष्क गोदियां और 40 जलावतरणमंच (स्पिलवे) हैं, जिनकी अनुमानित क्षमता 281,200 डी.डब्ल्यू.टी. है। इस क्षमता में मुख्य हिस्सा सरकारी क्षेत्रक के 8 शिपयार्डों का है और केवल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (1,10,000 डी.डब्ल्यू.टी.) और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (80,000 डी.डब्ल्यू.टी.) के पास बड़े जलपोत बनाने की अवसंरचना और सूखी (ग्रेविंग) गोदी है।

7.1.266 1970 के दशक के मध्य में जोरदार उभार आने के बाद, विश्व के जहाज-निर्माण उद्योग ने 20 वर्षों से अधिक लम्बे समय तक मन्दी का अनुभव किया, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक जारी रही। तब से एक अन्य उफान आना शुरू हुआ है और जहाज-निर्माण उद्योग की संभावनाओं का रूपान्तरण हो गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय भारतीय शिपयार्डों की आर्डर बुक की स्थिति बहुत अच्छी थी। गैर-सरकारी शिपयार्ड इस बात से सीमित हैं कि उनके द्वारा कितनी क्षमता वाले और किस आकार के जहाज बनाए जा सकते हैं। लेकिन, उनमें से पांच शिपयार्ड अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं अथवा नई क्षमताएं स्थापित कर रहे हैं, जिनमें वी.एल.सी.सी. आकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता भी शामिल हैं और इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं।

उत्पादन और निर्यात

7.1.267 भारत में जहाज-निर्माण में संवृद्धि, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.5 प्रतिशत की दर से हुई थी, बढ़ कर दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 15 प्रतिशत की दर से हुई, और विश्व बाजार में भारत का हिस्सा, जो दसवीं योजना के शुरू के समय बिल्कुल नगण्य अथवा 0.1 प्रतिशत था, बढ़ कर 2006 में 1.3 प्रतिशत हो गया। निर्यात के मोर्चे पर, सरकारी क्षेत्रक के एक शिपयार्ड, अर्थात् सी.एस.एल. और गैर-सरकारी क्षेत्रक तीन शिपयार्डों, अर्थात् ए.बी.जी., भारती और चौगुले ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असाधारण रूप से बढ़िया कार्य-निष्पादन किया और वे निर्यात के आर्डर प्राप्त करने में सफल रहे। भारतीय जहाज-मरम्मत उद्योग का कारोबार औसत रूप से लगभग 76 मिलियन अमरीकी डालर का रहा है। जहाज-मरम्मत मार्केट की क्षमता, इस समय हाथ में लिए जा रहे कार्य से बहुत अधिक है।

7.1.268 नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल छः जहाजों का निर्यात किया गया था, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय यादों द्वारा 50 से अधिक जहाजों के आर्डर प्राप्त किए गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात की गई 0.3 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. की तुलना में, निर्यात की आर्डर बुक 1.0 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. से अधिक है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग 4.00 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. के निर्यात के अनुमान हैं। निर्यात का अधिकतर भाग छोटे जहाजों के खंड का, जिसमें भारत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, और अपतटीय आपूर्ति पोतों (ओ.एस.वी.) जैसे तेल जहाज पोतों और एंकर हैंडलिंग टर्गों के निर्माण के खंड का है। सरकारी आर्डरों पर आधारित अन्तर्मुखी उद्योग के स्थान पर, भारतीय जहाज-निर्माण उद्योग एक प्रतियोगी निर्यातक उद्योग के रूप में उभरा है।

मार्केट क्षमता

7.1.269 भारतीय राष्ट्रीय पोत-स्वामी एसोसिएशन के अनुसार, ग्यारहवीं योजना के दौरान जोड़ी जाने वाली कुल अपेक्षित टन-भार (टनेज) लगभग 5.33 मिलियन जी.टी. होगा, जिसमें लगभग 455 पोत शामिल हैं और 55,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी।

7.1.270 वार्षिक औसत वैश्विक आर्डर बुक में 2001-05 की अवधि में 78.86 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. से अधिक की वृद्धि हुई और पिछले दो वर्षों के दौरान 100 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. से अधिक की वृद्धि हुई है। भारतीय यादों के पास 14,000 करोड़ रुपए के मूल्य के जहाजों के आर्डरों में लगभग 68 प्रतिशत आर्डर विदेशी खरीदारों के हैं। स्पष्ट है कि भारतीय जहाज उद्योग की सम्भावना बहुत उज्ज्वल है और चालू उफान द्वारा प्रस्तुत अवसरों को पकड़ने के लिए जहाज-निर्माण क्षमता में तेजी से वृद्धि करना अत्यावश्यक है।

तालिका 7.1.11

प्रेक्षित जहाज निर्माण आदेश बुक टर्न-ओवर

	2006-07	2011-12
आर्डर बुक (मिलियन डी.डब्ल्यू.टी.)	1.3	5.00
वैश्विक आर्डर बुक (मिलियन डी.डब्ल्यू.टी.)	231.2	231.2
वैश्विक आर्डर बुक में भारत का हिस्सा	0.4%	2.2%
सुपुर्दगी (मिलियन डी.डब्ल्यू.टी.)	0.65	2.50
कारोबार (बिलियन अमरीकी डालर)	0.65	2.50
जहाज-निर्माण उद्योग-जी.डी.पी. का प्रतिशत	0.04%	0.16%
कुल रोजगार	12,000	78,000

स्रोत: डीआईपीपी

निवेश

7.1.271 भारतीय जहाज निर्माता एसोसिएशन (आई.एस.बी.ए.) ने अनुमान लगाया है कि यह उद्योग 30 प्रतिशत से अधिक की दर से संवृद्धि कर सकता है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के 1.3 मिलियन की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के 5 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. के स्तर पर पहुंचने के लिए इस गति को अगले 10 वर्षों तक बनाए रखा जा सकता है।

चुनौतियां

7.1.272 शिपयार्ड केवल तब आर्डर प्राप्त करते हैं, यदि वे विश्वसनीय हों (गुणवत्ता वाले जहाज समय पर सुपुर्द कर सकते हों) और वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अन्तर्गत निरन्तर सफलतापूर्वक कार्य-निष्पादन करने के बाद ही विश्वसनीय बन सकते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग ने एक उत्प्लावक मार्केट में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता-क्षमता और योग्यता प्रदर्शित की है। मुख्य चुनौतियां ये हैं: नीतिगत रुकावटों को दूर करना, एक स्थिर वातावरण सुनिश्चित करना और अनुसन्धान और विकास डिजाइन को प्रोत्साहित करना और उत्पादकता को बढ़ाना।

7.1.273 कार्य समूह ने यह दर्शाया था कि भारतीय शिपयार्डों में बनने वाले जहाजों पर लगने वाले सेवा-कर, उत्पाद-शुल्क, जहाजों के निर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्रियों और पूंजीगत वस्तुओं पर भारी उत्पाद-शुल्क ने भारतीय शिपयार्डों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया है। हालांकि विदेशी शिपिंग कम्पनियां अपने मध्यम और छोटे व्यापारिक जहाज भारत में बना रही हैं, लेकिन भारतीय शिपिंग कम्पनियां अपने बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जहाज, और छोटे की अपेक्षा बड़े जहाज विदेशों से खरीद रही हैं। हमारे देश में जहाज-निर्माण सम्बन्धी मौजूदा राजकोषीय और सांविधिक नियम निर्यात के पक्ष में बहुत अधिक झुके हुए हैं और भारतीय यादों द्वारा भारतीय ध्वज के लिए जहाजों के निर्माण को निरुत्साहित करते हैं।

7.1.274 जहाज निर्माण सब्सिडी निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने का मुख्य साधन है। जहाज निर्माण सब्सिडी स्कीम केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के शिपयार्डों के लिए 1971 से चल रही है। इस स्कीम को 1975 में बन्द कर दिया गया था, और बाद में उसे 1977 में पुनः लागू किया गया और अगस्त, 2000 में उसमें फेर-बदल किया गया था। जहाज निर्माण सब्सिडी को 2002 तक सरकारी क्षेत्रक के जहाज-निर्माण के पुनर्जीवन के उपाय के रूप में इस्तेमाल किया गया है। पुनःउपान्तरित सब्सिडी स्कीम ने, जो 2002 में शुरू की गई थी, 5 प्रतिशत तक ब्याज विभेदी सब्सिडी देना बन्द कर दिया और जहाज की कीमत पर 30 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ गैर-सरकारी क्षेत्रक के यादों पर भी लागू कर दिया। यह सब्सिडी स्पष्ट रूप से एक ऐसा योगदान देने वाला तत्त्व रही है,

जिसने इस उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना पांव जमाने में समर्थ बना दिया है। यह भी एक वास्तविकता है कि विश्व के प्रमुख जहाज निर्माणकर्ता राष्ट्र इससे पहले जहाज-निर्माण सख्खिडियां देते रहे हैं।

7.1.275 प्रमुख जहाज निर्माण राष्ट्रों की टोली में शामिल होने के योग्य बनने के लिए, उद्योग के लिए डिजाइन विकास और अनुसन्धान और विकास का कार्य हाथ में लेने की जरूरत है। बदलते हुए प्रौद्योगिकीय पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक अनुप्रयोग और सुरक्षा के प्रतिमानों में परिवर्तन के कारण, शिपयार्डों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे वर्गीकरण के उभरते हुए मानदंडों को पूरा करने के लिए, इस प्रकार के विकास के साथ कदम से कदम मिला कर चलें।

कार्यनीतियां

7.1.276 राजकोषीय व्यवस्था का भारतीय जहाज निर्माण उद्योग पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी गहराई से जांच करना आवश्यक है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से इस बात का पता लगाया जाना होगा कि भारतीय जहाजरानी उद्योग विदेशी स्रोतों से खरीद करने को तरजीह क्यों देते हैं और उपचारी उपाय किए जाने होंगे।

7.1.277 यह स्पष्ट हो गया है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी आई हुई है तो मौजूदा जहाज-निर्माण सख्खिडी को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। लेकिन अचानक समाप्त करने की बजाय धीरे-धीरे समाप्त करना उचित प्रतीत होता है।

7.1.278 जहाज-निर्माण क्षेत्रक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुसन्धान और विकास के संस्थात्मक ढांचे की समीक्षा किए जाने और उसे मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। जहाज-निर्माण क्षेत्रक की अनुसन्धान और विकास स्कीम को ज्ञान के आधार के उद्योग'-व्यापी सुधार, मानकीकरण और कौशल विकास की परियोजनाओं को कवर करना होगा। सरकार को जहाज-निर्माण में अनुसन्धान और विकास को बजटीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

7.1.279 ग्यारहवीं योजना में जहाज निर्माण क्षेत्रक में अनुसन्धान और विकास के लिए 170 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

जहाज मरम्मत उद्योग

सिंहावलोकन

7.1.280 जहाज-निर्माण के विपरीत, जो चक्रीय उतार-चढ़ावों को अनुभव करता है, जहाज-मरम्मत एक सदाबहार कार्य है। जहाज मरम्मत यार्डों में व्यापार का निरन्तर और एक-सा प्रवाह

होता रहता है और राजस्व-सृजन का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य से जहाज मरम्मत उद्योग की अन्य आकर्षक विशेषता, एक ओर तो इसकी कार्य सृजन क्षमता है और दूसरी ओर कुशलप्राप्त कार्मिकों की उपलब्धता है।

7.1.281 कुछ देशों के विपरीत, जहां जहाजों की मरम्मत निर्धारित यूनिटों में की जाती है, भारत में केवल एक निर्धारित यूनिट है और बाकी अन्य सभी यार्डों में जहाज-निर्माण और जहाज मरम्मत के कार्य साथ-साथ किए जाते हैं। जहाज मरम्मत का कार्य सूखी गोदियों और फ्लोटिंग गोदियों में भी किया जाता है। भारतीय जहाज मरम्मत उद्योग का विनियमन जहाज मरम्मत यूनिटों द्वारा किया जाता है, जिन्हें जहाजरानी के महानिदेशक द्वारा पंजीकृत किया जाता है और लाइसेंस दिए जाते हैं, ताकि वे सीमा-शुल्क और अन्य रियायतें प्राप्त कर सकें। ऐसे 35 जहाज मरम्मत यूनिट हैं, जिनमें से 7 स्थाई आधार पर पंजीकृत हैं।

कार्य-निष्पादन और मार्केट संभाव्यता

7.1.282 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग ने लगभग 436 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार किया। दसवीं योजना में परिकल्पना की गई थी कि भारत एक प्रभावशाली जहाज मरम्मत केन्द्र के रूप में उभरेगा जो दुबई, सिंगापुर और बहरीन को चुनौती दे सकेगा। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ इसका कारण यह था कि भारत ने अपना ध्यान तेजी की मौजूदा स्थितियों की अनुक्रिया में जहाज-निर्माण की ओर मोड़ दिया। कार्य समूह ने आकलन किया है कि भारत में जहाज मरम्मत की वार्षिक मार्केट सम्भावना 2440 करोड़ रुपए और 2790 करोड़ रुपए के बीच होगी। इसमें लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा विदेशी जहाजों का होगा, जो समुद्रपारीय व्यापार के सिलसिले में भारतीय पत्तनों पर आते हैं और शेष भाग समुद्रपारीय व्यापार में संलग्न भारतीय जहाजों, तटवर्ती/सेवा पोतों और अपतटीय रिग मरम्मतों, नौसैनिक और तटरक्षक पोतों और क्षेत्र के अन्य व्यापारिक पोतों का होगा।

चुनौतियां

7.1.283 हालांकि भारतीय जहाज-निर्माण उद्योग अभूतपूर्व तेजी से लाभ उठा रहा है, लेकिन जहाज मरम्मत उद्योग अधर में लटका हुआ है। इसका एक कारण कम उत्पादकता है। चीन के सबसे बड़े शिपयार्ड, यिऊ लियन डाकयार्ड लिमिटेड में 250 एम.टी./दिन की इस्पात नवीकरण क्षमता है, जबकि भारत की सर्वाधिक क्षमता 5 एम.टी. की है और सैंड/ग्रीट विस्फोटन क्षमता 15,000 वर्ग एम/दिन है, जबकि इसकी तुलना में भारत क्षमता 1000 वर्ग एम/दिन है। भारत में 30-40,000 डी.डब्ल्यू.टी. जहाज के बाहरी पेटे (हल्ल) का विस्फोट करने में 6-7 दिन की और 250 एम.टी. इस्पात को प्रतिस्थापित करने में 50 दिन लगते हैं,

जबकि चीन में इन दोनों में से प्रत्येक प्रचालन के लिए एक दिन लगता है। चूंकि जहाजों की मरम्मत में लगने वाला समय प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल है, इसलिए भारतीय जहाज मरम्मत उद्योग द्वारा लिया जाने वाला समय इसे कम प्रतियोगी बना देता है।

7.1.284 भारत की मौजूदा डॉकिंग सुविधाओं में इतनी वृद्धि नहीं हुई कि वे मौजूदा टन-भार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और केन्द्रीय सरकार के केवल दो शिपयार्ड, अर्थात् कोचीन शिपयार्ड और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ऐसे हैं, जो बड़े आकार वाले जहाजों को शुष्क गोदी और मरम्मत की सुविधाएं मुहैया कर सकते हैं। वी.एल.सी.सी. श्रेणी के जहाजों के लिए, जिनकी संख्या में पश्चिमी तट पर गुजरात में नई तेल शोधनशालाओं के शुरू होने से वृद्धि होना अनिवार्य है, सूखी गोदी की कोई सुविधा नहीं है। यहां तक कि देश में सुएज़मैक्स आकार के पोतों के लिए भी सूखी गोदी की सुविधाएं नहीं हैं। इसके अलावा, प्रमुख पत्तन न्यासों में मौजूदा 13 सूखी गोदियों और एक फ्लोटिंग गोदी का पूरा उपयोग भी मरम्मत के कार्य के लिए नहीं किया जाता।

7.1.285 हालांकि जहाज मरम्मत यूनियों को सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, लेकिन सेवा कर के सम्बन्ध में ऐसी कोई छूट प्राप्त नहीं है। 12.24 प्रतिशत के सेवा-कर ने जहाज मरम्मत उद्योग को बहरीन, दुबई और सिंगापुर के जहाज मरम्मत करने वालों के मुकाबले में गैर-प्रतियोगी बना दिया है। सीमा-शुल्क स्वीकृति प्रक्रियाओं में भी बहुत अधिक समय लगता है और उससे उद्योग की लागत बढ़ जाती है।

कार्यनीतियां

7.1.286 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यम जहाज मरम्मत में संवृद्धि करने वाले इंजन हैं। यद्यपि गैर-सरकारी क्षेत्रक के यूनित निस्सन्देह मार्केट की मांग के प्रत्युत्तर में बड़े आकार वाले जहाजों की मरम्मत की क्षमता का निर्माण करेंगे और अपनी उत्पादकता को बढ़ाएंगे, लेकिन इस उद्देश्य से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों में, विशेष रूप से सी.एस.एल. और एच.एस.एल. में और अधिक निवेश करने की भी जरूरत है। इसके अलावा, प्रमुख पत्तनों में सूखी गोदी और फ्लोटिंग गोदी की सुविधाओं का कम उपयोग किए जाने के कारणों की जांच करना और सुधारात्मक उपाय करना भी जरूरी है।

7.1.287 जहाज मरम्मत उद्योग को सेवा कर से छूट की संभावना और जहाज मरम्मत के लिए अपेक्षित कल-पुर्जों के आयात की खपों की शीघ्र निकासी के लिए सीमा-शुल्क प्रक्रिया में सुधार के मामलों की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

इस्पात उद्योग

सिंहावलोकन: उत्पादन, आयात, निर्यात

7.1.288 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन और खपत दोनों में वृद्धि के साथ इस्पात उद्योग में तगड़ी संवृद्धि हुई है। क्रूड इस्पात उत्पादन में 9.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई और वह 2002-03 के 34.83 मिलियन टन से बढ़ कर 2006-07 में 50.88 मिलियन टन (अनन्तिम) हो गया। यह संवृद्धि क्षमता में विस्तार (2002-03 के 40.41 मिलियन टन से 2006-07 में 56.84 मिलियन टन) और क्षमता के उपयोग में सुधार (2002 में 86 प्रतिशत और 2006-07 में 89 प्रतिशत) से हुई। दसवीं योजना के दौरान तैयार इस्पात के वर्ष-वार उत्पादन, उपलब्धता, खपत, आयात और निर्यात की जानकारी अनुलग्नक 7.1.14 में दी गई है।

7.1.289 दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्पादन में 3.7 मिलियन टन प्रति वर्ष की औसत दर से वृद्धि हुई, जबकि नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में यह दर 1.1 मिलियन टन थी और इस्पात की खपत की वृद्धि की वार्षिक दर, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.8 प्रतिशत थी, बढ़कर 9.8 प्रतिशत अर्थात् दुगुनी हो गई। गैर-विनियमन के बाद पिछले दशक में क्षमता का जो सृजन हुआ, वह केवल गैर-सरकारी क्षेत्रक में हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, क्रूड और तैयार इस्पात दोनों अवस्थाओं में गैर-सरकारी क्षेत्रक की ओर उल्लेखनीय झुकाव हुआ है। वर्ष 2006-07 में क्रूड इस्पात के कुल उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्रक का हिस्सा 67 प्रतिशत था, जबकि 1992-93 में 41 प्रतिशत था और इसी प्रकार तैयार इस्पात के कुल उत्पादन में उसका हिस्सा 1992-93 के 54 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 74 प्रतिशत था।

7.1.290 राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 में खपत में जी.डी.पी. की 7-7.5 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था और उत्पादन क्षमता के 2019-20 तक बढ़ कर 110 मिलियन टन तक हो जाने का अनुमान था। कार्य समूह द्वारा इन अनुमानों को संशोधित करके बढ़ा दिया गया है। जी.डी.पी. की 9 प्रतिशत की 'सर्वाधिक सम्भाव्य' वृद्धि की स्थिति में, 2011-12 तक इस्पात की 70 मिलियन टन तक की मांग होने का अनुमान लगाया गया है। इसलिए, यह परिकल्पित है कि मांग में 10.2 प्रतिशत की काफी ऊंची औसत वार्षिक दर से वृद्धि होगी; जबकि इसकी तुलना में 1991-92 और 2005-06 के बीच की अवधि में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

7.1.291 बहुत-सी मौजूदा इस्पात मिलों ने क्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई है और नए निवेश, जिनमें विदेशी निवेश भी शामिल हैं, पाइपलाइन में हैं। सरकारी क्षेत्रक के यूनित, अर्थात् भारतीय इस्पात लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

क्रूड इस्पात के उत्पादन के स्तर को, जो 2006-07 में 16 मिलियन टी.पी.ए. था, 2011-12 तक 30 मिलियन टी.पी.ए. तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के इस्पात उद्योग सम्बन्धी कार्य समूह ने अनुमान लगाया है कि योजना के अंतिम वर्ष तक क्रूड इस्पात के उत्पादन की वास्तविक क्षमता 80 मिलियन टी.पी.ए. होगी।

7.1.292 विश्व इस्पात उद्योग में चीन में इस्पात की खपत और उत्पादन में तेज गति से वृद्धि होने से उफान आया है। विश्व का क्रूड इस्पात का उत्पादन, जो 2001 में 0.850 बिलियन टन था, बढ़ कर 2006 में लगभग 1.24 बिलियन टन हो गया और इस प्रकार उसने 7.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की, जबकि इसकी तुलना में 1995 और 2001 के बीच की अवधि में केवल 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई थी। चीन के इस्पात उत्पादन में 2001 से 210 मिलियन टन से अधिक वृद्धि हुई है और वह बढ़ कर 2006 में 423 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया है। आज विश्व के इस्पात के उत्पादन में 34 प्रतिशत हिस्सा चीन की अर्थव्यवस्था का बताया जाता है। वर्ल्ड स्टील डाइनेमिक्स ने अगले 15 वर्षों के अपने सबसे हाल के पूर्वानुमानों (जून 2006) में यह बताया है कि विश्व की इस्पात की मांग में 2015 तक कम से कम 3.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होने की संभावना है। भारत में इस्पात की क्षमता में विस्तार को घरेलू मांग में वृद्धि होने की संभावना से बल प्राप्त हुआ है।

7.1.293 भारतीय इस्पात उद्योग ने इस्पात पर सीमा-शुल्क को, जो 2002-03 में 25-30 प्रतिशत था, घटा कर 2006-07 में 5 प्रतिशत कर दिए जाने के बावजूद, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उद्योग खुली अर्थव्यवस्था में कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां निर्यात और आयात घरेलू मांग में होने वाली वृद्धि अथवा कमी के प्रत्युत्तर में किए जाते हैं और घरेलू मांग बाजार के संकेतों से प्रभावित होती है। हालांकि तैयार कार्बन इस्पात का निर्यात दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4-5 मिलियन एम.टी. प्रति वर्ष के स्तर पर बना रहा, लेकिन आयात में, जो 2002-03 में 1.5 मिलियन एम.टी. के थे, तेजी से वृद्धि हुई और 2006-07 में 4.10 मिलियन एम.टी. (अनन्तिम) का आयात हुआ; यह प्रतियोगिता में गिरावट आने के कारण नहीं हुआ, बल्कि घरेलू बाजार में आपूर्ति और मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए किया गया था।

चुनौतियां

7.1.294 यदि इस्पात के उत्पादन को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रक्षेपित स्तरों तक बढ़ाया जाना है, तो उसके लिए

कच्ची सामग्रियों और अन्य निविष्टियों की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकारी समूह द्वारा जिन संकेतात्मक आवश्यकताओं का हिसाब लगाया गया है, उनकी जानकारी अनुलग्नक 7.1.15 में दी गई है।

7.1.295 यह चुनौती इस बात से उत्पन्न होती है कि निर्यात में तेजी से वृद्धि होने से देश में लौह अयस्कों के भंडार तेजी से घट रहे हैं और उद्योग को उच्च क्वालिटी के जिस कोकिंग कोयले की आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति कम है और वैश्विक कीमतें, जो 2003 में आस्ट्रेलिया के पत्तनों पर 48 अमरीकी डालर प्रति एम.टी. एफ.ओ.बी. थीं, बढ़ कर 2006 में 115 अमरीकी डालर प्रति एम.टी. हो गई थीं। हालांकि देश में गैर-कोकिंग कोयले के भंडार पर्याप्त मात्रा में हैं, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कम निवेश किए जाने के कारण कच्ची सामग्री के उत्पादन में रुकावट आई है। भारतीय इस्पात उद्योग की एक अन्य समस्या यह है कि देश में सिन्ट्रिंग और पैलिट बनाने की क्षमता पर्याप्त नहीं है और उसके परिणामस्वरूप इस्पात कारखाने लम्प अयस्कों पर निर्भर रहते हैं और फाइन्स को आवश्यक रूप से निर्यात करना पड़ता है।

7.1.296 इससे सम्बन्धित एक समस्या कच्ची सामग्रियों, लौह अयस्क, गैर-कोकिंग कोयले और चूने के पत्थर को खानों से संयंत्रों तक ले जाने की है। कोकिंग कोयले को बहुत बड़ी मात्रा में पत्तनों से संयंत्रों तक ले जाना होता है, जो अधिकतर देश के अन्दर स्थित हैं। देश की परिवहन अवसंरचना की क्वालिटी ऐसी है, जिससे इस्पात उद्योग पर लागत का भारी बोझ आ पड़ता है और अधिक मात्रा के परिवहन से समस्या और बढ़ जाएगी।

कार्यनीतियां

7.1.297 देश से लौह अयस्क के निर्यात को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानीटर करना जरूरी होगा कि भारतीय इस्पात संयंत्रों के लिए इनकी आपूर्तियों पर प्रभाव न पड़े। निर्यात शुल्क पहले से लागू कर दिया गया है और निर्यात के कम हो जाने की सम्भावना है। इसके साथ-साथ धातुकर्मीय कोक की आश्वस्त आपूर्तियों के लिए, धातुकर्मीय कोक और लौह अयस्क के परस्पर-विनिमय के बारे में चीन के साथ करार की संभावना की जांच की जानी चाहिए। सिन्ट्रिंग और पैलेटाइजेशन की क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग को राजकोषीय रियायतें देने पर विचार किया जाना चाहिए।

7.1.298 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों, रेल और पत्तनों में परिकल्पित निवेश से इस्पात उद्योग से उत्पादन और निविष्टियों की बढ़ी हुई आवाजाही काफी अधिक सुविधाजनक बन जाएगी। पत्तनों के वित्तपोषण की योजना में कोकिंग कोयले के आयात में


होने वाली सम्भाव्य वृद्धि को पहले से ध्यान में रखा गया है। चूंकि कच्ची सामग्रियों की अधिकतर मात्रा की आन्तरिक आवाजाही अधिकतर रेल द्वारा होगी, और आवाजाही में बहुत अधिक वृद्धि पूर्वानुमानित है, इसलिए रेलवे को उद्योग के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र की स्थापना करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेल की योजनाओं में उद्योग की आवश्यकताओं का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए।

7.1.299 इस्पात क्षेत्रक में, ग्यारहवीं योजना में, 37318.18 करोड़ रुपए के परिव्यय में केवल 216 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। 37318.18 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम का हिस्सा क्रमशः 27409 करोड़ रुपए और 9569.18 करोड़ रुपए है। बजटीय सहायता केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए और अनुसन्धान तथा विकास की कुछ कार्यान्वित की जा रही और नई स्कीमों के लिए हैं।

चीनी उद्योग

7.1.300 भारत संसार में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक-उपभोक्ता है। देश में चीनी उद्योग कपड़े के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि-आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग में लगभग 5 लाख कामगार प्रत्यक्ष रूप से नियोजित हैं और इसके अलावा ऐसे बहुत से अन्य उद्योग हैं, जो चीनी उद्योग के उप-उत्पादों का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं। देश में 582 चीनी कारखाने हैं, जिनकी समुच्चित क्षमता 197.97 लाख टन की है। स्वामित्व-वार ब्योरा चित्र 7.1.14 में दिया गया है।

7.1.301 अनुकूल नीति, उत्तरोत्तर विनियंत्रण और अनुकूल मानसून के परिणामस्वरूप, नौवीं योजना के पिछले चार वर्षों में देश में चीनी के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और वह वर्ष 2002-03 में



स्रोत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वार्षिक योजना 2007-08

चित्र 7.1.14 स्वामित्व-वार द्वारा वितरण

201.32 लाख टन के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के मौसमों में देश के कुछ राज्यों में मानसून की विफलता के कारण उत्पादन में गिरावट आने के बाद, घरेलू उत्पादन ने फिर जोर पकड़ा, और वह 2006-07 में बढ़ कर 283 लाख टन के स्तर तक पहुंच गया।

7.1.302 देश के 582 चीनी उत्पादक यूनिटों में से, 410 यूनिट छोटे खंड में हैं, 228 यूनिटों की क्षमता 2500 टी.सी.डी. और 282 यूनिटों की क्षमता 2500 और 5000 टी.सी.डी. के बीच है। मध्य आकार वाले खंड में 64 यूनिट हैं, जिनकी क्षमता 5000 टी.सी.डी. से अधिक, लेकिन 10,000 टी.सी.डी. से कम है, लेकिन केवल 8 यूनिट बड़े हैं, जिनकी क्षमता 10,000 टी.सी.डी.अथवा उससे अधिक है। वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि में चीनी के उत्पादन, आन्तरिक खपत और निर्यात की स्थिति अनुलग्नक 7.1.16 में दर्शाई गई है।

नीतिगत हस्तक्षेप

7.1.303 हालांकि आई.डी.आर. अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग को वापस लेने से और थोक विक्रेताओं/व्यापारियों पर स्टाकहोल्डिंग और कारोबार की सीमाओं के हटाए जाने से चीनी उद्योग को लाभ हुआ है। लेकिन यह कई नीतिगत हस्तक्षेपों के अधीन रहेगा, जिनका वर्णन नीचे किया गया है:

- चीनी उद्योग गन्ने की सांविधिक न्यूनतम कीमत के अध्यक्षीन है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष प्रति-वर्ष कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों से होने वाले प्रतिलाभ, चीनी के उपभोक्ता मूल्य, आदि को ध्यान में रखते हुए दी गई सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सांविधिक न्यूनतम कीमत राज्य सरकारों और चीनी उद्योग की एसोसिएशनों द्वारा गन्ना-उत्पादकों के साथ सलाह करके निर्धारित की जाती है।
- यद्यपि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत लागू सम्पूर्ण नियंत्रण की नीति समाप्त कर दी गई है, लेकिन आंशिक नियंत्रण और दोहरा मूल्य-निर्धारण अभी लागू है। इस नीति के अन्तर्गत कारखानों में होने वाले चीनी के उत्पादन की कुछ प्रतिशत चीनी सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए एक पूर्व-निर्धारित कीमत पर उद्ग्रहण कर ली जाती है और शेष उत्पादन खुली बिक्री के लिए चला जाता है। लेकिन लेवी चीनी की मात्रा 40 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दी गई है। गन्ना नियंत्रण आदेश में यह शर्त है कि कोई नया कारखाना किसी मौजूदा कारखाने से 1 किलोमीटर से कम फासले वाले स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता।

- हालांकि भूतपूर्व चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 का निरसन कर दिया गया था और चीनी के निर्यात का गैर-सरणीकरण कर दिया गया था, लेकिन निर्यात के स्तर का विनियमन कई उपायों से किया जाता है, जैसे अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली, आवधिक प्रतिबन्ध, आदि।

चीनी विकास निधि

7.1.304 चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत, देश में उत्पादित सारी चीनी पर 14.00 रुपए प्रति क्विंटल का उप-कर संग्रह किया जाता है और उसके समतुल्य राशि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत निर्मित चीनी विकास निधि में जमा की जाती है। इस निधि से चीनी कारखानों को आधुनिकीकरण और क्षमता के विकास के लिए, पुनर्वास, गन्ने के विकास, निर्यात के दायित्वों के लिए आन्तरिक परिवहन की सुविधाओं की स्थापना, खोई-आधारित सह सृजन यूनिटों की स्थापना और सीरे से एथनोल के उत्पादन और संकटरोधक स्टॉक रखने के लिए रियायती दरों पर ऋण मुहैया करके और औद्योगिक अनुसन्धान के लिए अनुदान प्रदान करके घरेलू उद्योग को लाभ पहुंचाया गया है। प्रौद्योगिकी के उन्नयन और कीमतों में वृद्धि के अनुरूप, विभिन्न संघटकों, विशेष रूप से खोई-आधारित सह-सृजन, आदि की मानकीय परियोजना लागतों को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहता है। दिनांक 15.9.2006 के संशोधन द्वारा खोई-आधारित सह-सृजन यूनिटों की मानकीय परियोजना लागत को संशोधित करके बढ़ा दिया गया है और एस.डी.एफ. ऋण को परियोजना लागत के 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत बना दिया गया है। इस संशोधन से चीनी कारखानों के लिए एथनोल यूनिट स्थापित करने के लिए एस.डी.एफ. ऋणों के वास्ते बैंक गारंटी की पहले की आवश्यकता को भी ढीला बना दिया गया है।

सुरक्षित भण्डार

7.1.305 अतिरिक्त उत्पादन के समय कारखानों की कठिनाइयों के शमन के लिए, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर संकटरोधक स्टॉक बनाने का कार्य हाथ में लेती है। अगस्त, 2007 में सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए 30 लाख एम.टी. का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है।

चुनौतियां

7.1.306 हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में घट-बढ़ होती रही है, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित की गई सांविधिक न्यूनतम कीमत (एस.एम.पी.) को, जो 2001-2002 में 62.05 रुपए प्रति क्विंटल थी, धीरे-धीरे बढ़ा कर 2007-08 में 81.18 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें चीनी कारखानों को सलाह देती रही हैं कि वे गन्ने की कीमत एस.एम.पी. से ऊंचे स्तर पर अदा करें। चीनी उद्योग को इस प्रकार एक

दुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसे कच्ची सामग्री के लिए अधिक अदायगी करने के लिए कहा जाता है, जबकि बाजार में उसे अपने उत्पाद के लिए कम प्राप्ति होती है।

7.1.307 भारतीय चीनी निर्यात को वर्ष-प्रति-वर्ष भारी उतार-चढ़ाव का अनुभव होता है। उन वर्षों में, जब अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें ऊंची होती हैं, निर्यात प्रतिबन्धित कर दिए जाते हैं, तो उन वर्षों में, जब कीमतें कम होती हैं, उन्हें सब्सिडी दिए जाने की जरूरत है। निर्यात सब्सिडियां 2004 से, डब्ल्यू.टी.ओ. के उन उपबन्धों की वैधता समाप्त होने के बाद, जिनमें विकासशील देशों को मार्केट प्रोत्साहन खर्च पर, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा भी शामिल है, दी जाने वाली सब्सिडियों और निर्यात शिपमेंट के आन्तरिक भाड़े में दी जाने वाली रियायतों के सम्बन्ध में विशेष छूट दी गई थी, डब्ल्यू.टी.ओ. करार के अन्तर्गत भारत के दायित्वों से असंगत बन गई हैं।

7.1.308 भारतीय चीनी उद्योग विश्व में एक सर्वाधिक विविधीकृत उद्योग है, जिसमें 7500 मेगावाट की क्षमता की तुलना में 1000 मेगावाट सह-सृजित विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता है। क्षमता में 1000 मेगावाट की वृद्धि करने की स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संवृद्धि की क्षमता को काम में लाने पर बल दिए जाने के बावजूद, विद्युत के सह-सृजन के रूप में हुई प्रगति टैरिफ निर्धारण, तीसरी पार्टी बिक्री और राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा समय पर अदायगी से सम्बन्धित समस्याओं से नष्ट हो जाती है।

7.1.309 चीनी उत्पादन की अर्थव्यवस्था एथनोल उप-उत्पाद के उत्पादन पर निर्णायक रूप से निर्भर करती है। हाल में, 5 प्रतिशत एथनोल डोपिंग कार्यक्रम (ई.डी.पी.) समूचे देश भर में लागू कर दिया गया है, और वार्षिक डोपिंग आवश्यकता का अनुमान 550 मिलियन लिटर एथनोल लगाया गया है। जून, 2007 से एथनोल डोपिंग को और बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिए जाने से, वार्षिक मांग बढ़ कर 1100 मिलियन लिटर हो जाएगी। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में लगभग 1550 मिलियन लिटर की क्षमता पहले से स्थापित की जा चुकी है, जो एथनोल डोपिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन, तेल कम्पनियां धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। इसके अलावा, 7 राज्यों में ई.डी.पी. को राज्य सरकारों द्वारा कराधान की समस्या के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह नोट किया जाए कि ब्राजील में सरकार द्वारा 24 प्रतिशत डोपिंग को आदेशात्मक बना दिया गया है।

कार्यनीतियां

7.1.310 चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में घट-बढ़ होना अन्तर्राष्ट्रीय जिन्स मार्केटों की एक विशेषता है, इसलिए इस बात की जांच किए जाने की आवश्यकता है कि गन्ने की सांविधिक न्यूनतम

कीमत निर्धारित करते समय अथवा कुछ बार राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त अदायगी का आदेश देने पर विचार करते समय, कुछ वर्षों में बिक्री की प्राप्ति में होने वाली गिरावट को किस प्रकार हिसाब में लिया जा सकता है।

7.1.311 डब्ल्यू.टी.ओ. नियमों के निर्माण ने चीनी (अथवा किन्हीं कृषि उत्पादों) में भारत की निर्यात सब्सिडियों को तार्किक रूप से डब्ल्यू.टी.ओ. दायित्वों से असंगत बना दिया है। विकास देशों को दोहा बातचीत क्रम के पूरा होने पर ऐसी सब्सिडियों के लिए एक समय-सीमित खिड़की प्राप्त होने की संभावना है। इस बीच, इस बात की जांच किए जाने की जरूरत है कि सरकार अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति में उद्योग को डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ संगत तरीके से किस प्रकार सहायता दे सकती है।

7.1.312 सह-सृजन से प्राप्त अतिरिक्त विद्युत की बिक्री के सम्बन्ध में चीनी कारखानों की कठिनाइयों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

7.1.313 पेट्रोलियम ईंधन का एथनोल के साथ मिश्रण करने की आवश्यकताओं के बारे में एक दीर्घकालिक नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

कपड़ा और पटसन

7.1.314 भारतीय कपड़ा और वस्त्र (टेक्सटाइल ऐण्ड क्लोथिंग) उद्योग की शक्ति विनिर्माण की लम्बी परम्परा, कच्ची सामग्री के मजबूत आधार, स्वदेशी डिजाइन क्षमताओं, समूची मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति, व्यापक और बढ़ती हुई मांग और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी दरों पर प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता पर आधारित है। यह रेशों और धागों (यार्न) की व्यापक और विविधतापूर्ण श्रृंखला की खपत करता है, लेकिन मुख्य रूप से कपास पर आधारित है। चालू कीमतों पर, भारतीय कपड़ा उद्योग का कुल बाजार मूल्य लगभग 47 बिलियन अमरीकी डालर का है। यह उद्योग कुल औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत योगदान देता है और प्रत्यक्ष रूप से 35 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2006 में, भारत की निर्यात-आय में इसका हिस्सा 17 प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 3.37 प्रतिशत और औद्योगिक रोजगार में 18 प्रतिशत था।

7.1.315 दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में घरेलू नीतिगत सुधारों और डब्ल्यू.टी.ओ. के करार के बाद प्रमुख औद्योगिक देशों में 1 जनवरी, 2005 में कोटा व्यवस्था की समाप्ति के दोहरे उद्दीपन से इस उद्योग की संवृद्धि की दर में तेजी आई। उत्पाद शुल्क ढांचे को दोषरहित और युक्तिसंगत बनाया गया, मशीनों के सीमा-शुल्क को घटाया गया और परिधानों में लघु उद्योगों के

आरक्षण को समाप्त किया गया। नीति में छोटे पैमाने के औद्योगिक यूनिटों के प्रति झुकाव को दूर करने का उद्योग पर बड़ा महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम और कपास प्रौद्योगिकी मिशन ने भी उद्योग को बढ़ावा दिया। दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान कपड़े का उत्पादन गतिरुद्ध होने के बाद, योजना के अन्तिम तीन वर्षों में इसके उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। दसवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान कपड़े का उत्पादन 42 मिलियन वर्ग मीटर के आस-पास मंडराता रहा, लेकिन 2005-06 में बढ़ कर 49.5 मिलियन वर्ग मीटर हो गया, और अनुमान है कि 2006-07 में यह 53.7 मिलियन वर्ग मीटर के स्तर तक पहुंच गया है (अनुलग्नक 7.1.17)।

7.1.316 कपड़े के कोटे की समाप्ति के बाद, वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यात में भारी वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद के वर्ष में उसमें कमी आई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपड़े और वस्त्रों के निर्यात की जानकारी अनुलग्नक 7.1.18 में दी गई है।

7.1.317 निर्यात के उपलब्ध आंकड़ों (अप्रैल 2006-फरवरी 2007) से यह प्रतीत होता है कि निर्यात की संवृद्धि में तेजी से कमी (लगभग 7.75 प्रतिशत तक) हुई है, जबकि इसकी तुलना में अप्रैल 2005-फरवरी 2006 तक के दौरान 25.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2005-06 में भी, जब निर्यात में समूचे रूप से बढ़ोतरी हुई थी, मानव-निर्मित कपड़े के निर्यात में गिरावट आई थी, जिससे कोटा-मुक्त स्थिति में प्रतिस्पर्धात्मकता के अभाव का पता चलता है। स्पष्टतः, दसवीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में हुई प्रगति के बावजूद, भली-भांति जानी-बूझी बाधाएं, जिनकी जानकारी बाद में दी गई है, मानव-निर्मित कपड़े की प्रतिस्पर्धात्मकता को अभी भी प्रभावित कर रही है। लेकिन, कुल मिला कर, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में कपड़ा उद्योग में भारी फुर्ती आई और विश्वास बढ़ा, जिससे वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी संवृद्धि के लिए तैयार हो गया है। उद्योग ने यह परिकल्पना की है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कपड़े के उत्पादन में 12 प्रतिशत की दर से और कुल कारोबार में 16 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। कारोबार 47 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 115 बिलियन अमरीकी डालर का हो जाएगा और निर्यात 17 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 55 बिलियन अमरीकी डालर का हो जाएगा। उद्योग यह अपेक्षा करता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष 30,000 करोड़ रुपए का वर्धमान निवेश होगा। उद्योग ने रोजगार में 6.5 मिलियन की वृद्धि होने का भी अनुमान लगाया है, जिसमें से 2 मिलियन कुशलताप्राप्त और प्रबन्धकीय श्रेणियों में होगा।

कपड़ा मशीन उद्योग

7.1.318 कपड़ा इंजीनियरी उद्योग का भाग्य कपड़ा उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है और कपड़ा इंजीनियरी उद्योग ने पिछले 2-3 वर्षों के दौरान, कपड़ा उद्योग के अनुरूप, उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया है। कपड़ा मशीनों के उत्पादन में पिछले 5 वर्षों में निरन्तर वृद्धि होती रही है और वर्ष 2005-06 के दौरान 28 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस उद्योग की क्षमता के उपयोग में भी धीरे-धीरे वृद्धि होती रही है। यह 2001-02 के 28 प्रतिशत से बढ़ कर 2005-06 में 57 प्रतिशत हो गया है। मूल्य के रूप में, कपड़ा मशीनों का उत्पादन, जो 2001-02 में 1072.46 करोड़ रुपए का था, बढ़ कर 2005-06 में 2151.10 करोड़ रुपए का हो गया।

पटसन उद्योग

7.1.319 पटसन उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह पूर्वी क्षेत्र में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, एक प्रमुख उद्योग है। यह लगभग 2.6 लाख औद्योगिक कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार और तृतीयक तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में 1.4 लाख लोगों को आजीविका मुहैया कराने के अलावा, लगभग 4 मिलियन किसान परिवारों को सहायता देता है। दसवीं योजना के कच्चे पटसन के उत्पादन के लक्ष्य के 2006-07 में प्राप्त हो जाने की संभावना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 2006-07 के लिए 110 लाख गांठों के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में, 2005-06 के दौरान 85 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था और अनुमान है कि लक्ष्य 2006-07 में प्राप्त हो गया होगा। 2002-03 से 2005-06 तक के वर्षों के दौरान पटसन और मेस्ता का औसत उत्पादन 91.25 लाख गांठें था। लेकिन पटसन की वस्तुओं का उत्पादन अन्तिम वर्ष 2006-07 के 19.50 लाख एम.टी. के लक्ष्य की तुलना में 18 प्रतिशत कम रहेगा; वर्ष 2005-06 में 15.82 लाख एम.टी. उत्पादन हुआ था और 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि में जूट वस्तुओं का औसत उत्पादन 15.96 लाख एम.टी. था। इसके विपरीत, निर्यात के लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं और लक्ष्य से ज्यादा निर्यात हुआ है। 2006-07 के अन्तिम वर्ष के 154.36 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की जूट वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्य की तुलना में, 2005-06 में 276 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का निर्यात हुआ था। 2002-03 से 2005-06 तक जूट वस्तुओं का औसत निर्यात 240 मिलियन अमरीकी डालर का था।

दसवीं योजना की प्रमुख स्कीमों की समीक्षा


7.1.320 हम नीचे उन तीन प्रमुख योजना स्कीमों की समीक्षा करते हैं, जो दसवीं योजना के दौरान चल रही थीं:

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी.यू.एफ.एस.)

7.1.321 कपड़ा क्षेत्र में, जिसे टी.यू.एफ.एस. द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा था, निवेश में वर्ष 2004-05 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस वर्ष उत्पाद शुल्कों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बाद, वृद्धि होनी शुरू हुई। इस उछाल का एक अन्य कारण कोटे के उन्मूलन के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. करार को कार्यान्वित किया जाना था। निम्नलिखित चार्ट में निवेश में हुई वृद्धि दर्शाई गई है, जो टी.यू.एफ.एस. से उत्प्रेरित हुई थी।

कपास प्रौद्योगिकी (टीएमसी)

7.1.322 कपास प्रौद्योगिकी मिशन के, जो नौवीं योजना के दौरान चालू हुआ था, चार लघु मिशन हैं, पहले दो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हैं, जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और अन्य दो मार्केटिंग यार्डों के विकास और जिनिंग तथा प्रेसिंग यूनितों के आधुनिकीकरण के लिए हैं, जिन्हें कपड़ा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए गए मिशनों ने उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान दिया है, जो 2002 के 308 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ कर 2005 में 467 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई थी (विश्व औसत 680 किलोग्राम/ हेक्टेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका 830 किलोग्राम/ हेक्टेयर, ब्राजील 1180 किलोग्राम/ हेक्टेयर, चीन 1140 किलोग्राम/ हेक्टेयर)। लघु मिशन III के अन्तर्गत, 250 मार्केटिंग यार्डों के विकास की स्वीकृति दी गई थी, जिसकी तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 225 यार्डों को स्वीकृति दिए जाने की अपेक्षा है। लघु मिशन IV के अन्तर्गत 1000 के लक्ष्य की तुलना में, लगभग 900 जिनिंग और प्रेसिंग यूनितों के आधुनिकीकरण की स्वीकृति दिए जाने की अपेक्षा है। कुछ ओटाइकर्ताओं ने आधुनिकीकरण के लिए टी.यू.एफ.एस. का लाभ उठाया है,



स्रोत: ग्यारहवीं योजना में कपड़ा और जूट उद्योग पर कार्य समूह की रिपोर्ट

चित्र 7.1.15 टीयूएफएस के अंतर्गत मंजूरी की गई परियोजना लागत

जिससे कुल संख्या 1500 हो गई है। इन कार्यक्रमों के पूरा होने पर, उद्योग में रूई की लगभग 3,25,000 गांठों को प्रोसेस करने की क्षमता होगी, जिसके स्वच्छ और संदूषण-रहित होने की संभावना है।

एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम (एस.आई.टी.पी.)

7.1.323 एकीकृत कपड़ा पार्क स्कीम 2005 में कपड़ा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न उप-क्षेत्रों के विखण्डन की कमजोरियों को निष्प्रभावित करने और गुणवत्ता वाली अवसंरचना की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। उद्देश्य यह था कि अलग-अलग यूनिटों को एक क्लस्टर के रूप में समेकित किया जाए, और उद्योग को अपने कपड़ा यूनिट स्थापित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारिता (पी.पी.पी.) मॉडल के आधार पर विश्व श्रेणी की अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी मुहैया की जाएं। कुल 26 पार्क पहले से अनुमोदित किए जा चुके हैं और इस बात की संभावना है कि वे मार्च, 2008 तक विकसित कर लिए जाएंगे। इन पार्कों में स्पिनिंग, साइजिंग, टेक्सचराइजिंग, बुनाई, प्रोसेसिंग, एपरल (परिधानों) और एम्बेलिशमेंट की सुविधाएं होंगी। अनुमानित परियोजना लागत (सामान्य अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं के लिए) 2428.33 करोड़ रुपए है, जिसमें से इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता 866 करोड़ रुपए की होगी (इन पार्कों में 13,445 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है और 19,200 करोड़ रुपए का वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है)। कुल 2219 उद्यमकर्ता इन पार्कों में अपने यूनिट स्थापित करेंगे। लगभग 5 लाख के रोजगार/प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष के सृजन का अनुमान है।

चुनौतियां

7.1.324 भारतीय कपड़ा उद्योग विनिर्माण क्षेत्रक की उन सभी बाधाओं से ग्रस्त है, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, अर्थात् परिवहन की अवसंरचना की त्रुटियां, बिजली आपूर्ति की मात्रा और गुणवत्ता की कमियां, श्रम कानूनों में पर्याप्त लचीलेपन का अभाव, उच्च लेनदेन लागत और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, जो विश्व स्तर से कम हैं। हालांकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से, बहुत कुछ किया गया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम इनमें से कुछ समस्याओं पर, कपड़ा उद्योग के सन्दर्भ में, विचार करेंगे।

7.1.325 कपड़े और वस्त्रों के मामले में भारत का चीन से बहुत पीछे रहने का मुख्य कारण देश में विनिर्माण के उद्यमों में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की अनुपस्थिति है। जहां चीन में बहुत से यूनिटों में दसियों हजार कामगार काम करते हैं, वहां भारत के औद्योगिक यूनिट औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1956 के अध्याय ज्वर की अपेक्षाओं के कारण 100 से अधिक कामगारों को नियोजित करने से

घबराते हैं। इसका परिणाम यह है कि उद्योग विखण्डित है और बड़ी मात्राओं वाले आर्डरों को पूरा करने में असमर्थ है, जो औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को खुदरा श्रृंखलाओं के लिए दिए जाते हैं। संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 इन उद्यमों के मार्ग की एक बाधा है, जिसके कारण वे वस्तुओं की बड़ी मात्रा की आपूर्ति सम्बन्धी पूछताछ का प्रत्युत्तर तब तक नहीं दे सकते, जब तक उन्हें दीर्घकालिक मांग के बारे में आश्वस्त न किया जाए, जैसाकि शायद ही कभी होता है। यह इस बात का मुख्य कारण है कि देश के अन्दर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में कपड़ा उद्योग का हिस्सा अब तक लगभग 1 प्रतिशत है, जबकि इसकी सूचना में चीन में 10 प्रतिशत है।

7.1.326 हमारा कपड़ा उद्योग प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अभी भी पिछड़ा हुआ है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में शुरू हुई थी और जिसमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में तेजी आनी शुरू हुई थी, अभी काफी प्रगति नहीं की है। इसका एक उदाहरण यह है कि हमारे यहां केवल 2 प्रतिशत भरनी-रहित (शटल-लेस) करघे हैं, जबकि इसकी तुलना में विश्व का औसत 16 प्रतिशत है। एक अन्य खण्ड, जिसने प्रगति नहीं की है, प्रोसेसिंग का खंड है। एक बड़ी बाधा यह है कि कपड़ा मशीन उद्योग की आर्डर-पुस्तकें भरी हुई हैं और उद्योग को सुपुर्दगी कम समय में नहीं मिल पाती। इसके परिणामस्वरूप, उद्यमी पुराने उपस्कर खरीद रहे हैं, जिनकी लागत नए उपस्कर की लागत के थोड़े से भाग के बराबर होती है। इस्तेमाल की जा चुकी मशीनों की बहुत बड़ी मात्रा में खरीद को, जिनकी आयु कम होती है, वास्तव में आधुनिकीकरण नहीं कहा जा सकता।

7.1.327 तकनीकी कपड़ा (टेक्सटाइल्स) कपड़ा क्षेत्रक का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो प्राथमिक रूप से विशिष्ट भौतिक और कृत्यिक विशेषताओं वाली टेक्सटाइल सामग्रियां और उत्पाद हैं, जो उत्पाद के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए अधिकतर किसी अन्य उत्पाद के संघटक/भाग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें स्पन बाउंडेड जीओ-टेक्सटाइल्स, नीडल पंच्ड जीओ-टेक्सटाइल्स, बुने हुए जीओ-टेक्सटाइल्स, जीओ-ग्रिड, बुने हुए नैरो कपड़े और नान-वोवन डिस्पोजेबल हेल्थकेयर टेक्सटाइल्स, सेनिटरी नेपकिन, इन्कांटीनेंस पोतड़े और डायपर शामिल हैं। 2005 में घरेलू मार्केट 6.7 बिलियन अमरीकी डालर की थी, जबकि इसकी तुलना में विश्व मार्केट का आकार 107 बिलियन अमरीकी डालर का है। इस बात की संभावना है कि विश्व मार्केट 2010 तक बढ़ कर 127 बिलियन अमरीकी डालर की हो जाएगी। भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्रक के सामने चुनौती यह है कि वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व मार्केट में अपने हिस्से को बढ़ाए।

7.1.328 एक सम्बन्धित समस्या यह है कि आधुनिकीकरण टी.यू.एफ.एस. के माध्यम से, जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, दी जाने वाली सरकारी सहायता पर आधारित है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता डब्ल्यू.टी.ओ. के दायित्वों के विपरीत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि इसके कारण हमारे निर्यातों पर आयातकर्ता देशों द्वारा प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क लगाए जा सकते हैं, यदि उनके द्वारा यह निर्धारित किया जाए कि ये निर्यात उनके घरेलू उद्योग को आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं। चूंकि सब्सिडी पूंजीगत वस्तुओं के लिए है, इसलिए यह भेद्यता अथवा कमजोरी मशीन के उपयोग के जीवन की पूरी अवधि के लिए बनी रहेगी। यदि निर्यात आय से होने वाले मुनाफों पर आय कर की रियायत के एस.ई.जेड. लाभ और/अथवा एस.आई.टी.पी. के लाभों को जोड़ा जाए, तो आयातकर्ता देशों द्वारा ऊंचे प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा, यदि टी.यू.एफ.एस. को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखा जाना है, तो इसके लिए धनराशियों की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है।

7.1.329 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, इस बात की सम्भावना है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्योग के लिए अतिरिक्त श्रम बल की काफी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के कपड़ा और वस्त्र सम्बन्धी कार्य समूह ने श्रम बल की श्रेणी-वार आवश्यकताओं (लाख में) को प्रबन्धकीय, तकनीकी और प्रशासन (6.5), कुशलताप्राप्त, आई.टी.आई. और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम(13), अर्ध-कुशल मशीन आपरेटर (32.5) और गैर-कुशल (13) के रूप में अभिज्ञात किया है। संगठित प्रयास किए बिना इस आवश्यकता को पूरा करना सम्भव नहीं है।

कार्यनीति

7.1.330 श्रम कानूनों, विशेष रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1956 के अध्याय जख और संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में परिवर्तनों के प्रस्तावों के बारे में सर्वसम्मति प्राप्त करना कठिन रहा है, लेकिन इन परिवर्तनों के किए जाने पर, कपड़ा और वस्त्र उद्योग में काफी अधिक अतिरिक्त रोजगार के द्वार खुलने की सम्भावना को देखते हुए, यह जरूरी होगा कि इन परिवर्तनों पर विचार किया जाता रहे और इसके बारे में सलाह की जाती रहे, ताकि योजना के दौरान इस बारे में शीघ्र कार्रवाई की जाए। कोई परिवर्तन न होने पर, इस उद्योग के महत्वाकांक्षीपूर्ण कार्यक्रम पूरे हुए बिना पड़े रहेंगे।

7.1.331 आधुनिकीकरण, उन्नयन और अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए निवेश के वास्ते प्रोत्साहन देते रहने के लिए, टी.यू.एफ.एस., एस.आई.टी.पी. और टी.एम.सी. को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखना जरूरी होगा। लेकिन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय सरकार की वित्तीय वचनबद्धता इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध आबंटन से बढ़ न जाए, टी.यू.एफ.एस. को, समय अथवा उसके दायरे की दृष्टि से, सीमित करना जरूरी होगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योग का आधुनिकीकरण हो, सहायता केवल नई मशीनरी की खरीद तक सीमित रहनी चाहिए।

7.1.332 यह स्पष्ट हो गया है कि कौशल के उन्नयन और प्रबन्धकीय, कुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयास मांग-चालित हो, अलग-अलग पहलें उद्योग से आनी चाहिए, जो अतिरिक्त कार्यक्रमों को चलाने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हों। अपेक्षित अवसंरचना के विकास के लिए सरकार का योगदान एक-बारगी सहायता के रूप में हो सकता है, जो नई सुविधाओं के सृजन अथवा मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के लिए अपेक्षित इमारतों और उपस्कर के रूप में हो सकती है।

7.1.333 कपड़ा क्षेत्रक के उद्योग खंड का कुल परिव्यय 11,000 करोड़ रुपए है। ग्यारहवीं योजना के दौरान यह स्कीम दो वर्षों के लिए जारी रहेगी। दो अन्य जारी रहने वाली प्रमुख स्कीमें एस.टी.आई.पी. और सी.टी.एम. हैं। पटसन प्रौद्योगिकी मिशन को 2006 में सभी संघटकों को मिशन मोड में साथ मिला कर संशोधित किया गया है। कौशल उन्नयन के उद्देश्य से, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 'मानव संसाधन विकास स्कीम' प्रस्तावित की गई है।

माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसईएस)

प्रस्तावना

7.1.334 विश्व भर में, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.)³ को आर्थिक संवृद्धि के इंजनों के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में एम.एस.ई. का (जिन्हें हाल तक ग्राम और लघु उद्योगों के रूप में जाना जाता था) हिस्सा कुल उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत, औद्योगिक यूनिटों (मध्यम उद्योगों सहित) में 95 प्रतिशत और निर्यात में 34 प्रतिशत है। वे हथकरघा साडियों, कालीनों और साबुनों से लेकर पापड़ों और बड़े उद्योगों के मशीनी औजारों तक लगभग छः हजार से अधिक उत्पादों का विनिर्माण करते हैं।

³ इस अध्याय में एम.एस.एम.ई. का अर्थ है माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम, एस.एम.ई. का अर्थ है लघु और मध्यम उद्यम जबकि एम.एस.ई. का अर्थ है माइक्रो और लघु उद्यम।

7.1.335 अनुमान है कि लघु क्षेत्रक में स्थिर परिसम्पत्तियों में 10 लाख रुपए का निवेश लगभग 10 प्रतिशतता के अंकों के मूल्य-वर्धन के साथ 46.2 लाख रुपए के मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। वर्ष 2003-04 के दौरान, केवल लघु उद्योग क्षेत्रक का जी.डी.पी. में 6.71 प्रतिशत के बराबर हिस्सा है। पिछले दशक में, एम.एस.ई. की संवृद्धि की दर औद्योगिक क्षेत्रक की समूची संवृद्धि दर से निरन्तर ऊंची रही है और वह दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान 12 प्रतिशत को पार कर गई थी।

7.1.336 माइक्रो और लघु उद्यम केवल जी.डी.पी. अर्जक नहीं, बल्कि उससे कुछ अधिक हैं; वे समावेशी संवृद्धि के साधन हैं, जो समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों, सबसे अधिक सीमान्त वर्गों-महिलाओं, मुसलमानों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों और सर्वाधिक कुशल लोगों को स्पर्श करती हैं। भारत में कृषि के बाद रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत, अर्थात् एम.एस.ई. क्षेत्रक शहरी गन्दी बस्तियों, उभरते हुए कस्बों, दूरस्थ गांवों और अलग-थलग खेड़ों में रहने वाले 650 लाख पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को देशज ज्ञान, सांस्कृतिक विवेक, निपुणताप्राप्त हाथों और उद्यमशीलता वाले कौशलों का उपयोग अपने जीवन के भरण-पोषण और आजीविका के लिए करने में समर्थ बनाता है। फिर भी, एक के बाद एक आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्रक को उसका उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है। एमएसई क्षेत्रक का ऐसा एक सबसैट है जिसे 'सांस्कृतिक एवं सृजनात्मक उद्योग' का नाम दिया जा सकता है। भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता एवं विरासत विभिन्न ऐसे उद्योगों के उत्पाद के लिए विश्व बाजार में हमारा देश एक सुदृढ़ मौजूदगी दर्ज कराने में सक्षम है। सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों में विकास की रणनीति के माध्यम से उत्पादन को एकीकृत करने की दृष्टि से योजना आयोग ने एक कार्य दल का गठन किया था। कार्य दल की सिफारिशों की 11वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु जांच की जाएगी। तालिका 7.1.12 में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में ग्राम और लघु उद्यमों के लिए किए गए आबंटनों की जानकारी दी गई है।

तालिका 7.1.12
पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम और लघु उद्योगों का योजना-परिव्यय

क्षेत्रक	आठवीं योजना अवधि	नौवीं योजना अवधि	दसवीं योजना अवधि
एमएसएमई	1629.55	4303.85	5534.00
वस्त्र	1157.00	1270.00	1600.00
एफ.पी.आई.	146.00	235.04	650.00

स्रोत: नौवीं और दसवीं योजना, योजना आयोग

7.1.337 एम.एस.एम.ई. क्षेत्रक को विभिन्न मंत्रालयों के बीच कृत्रिम रूप से, और यदि उनमें से कुछ का नाम लिया जाए, तो एम.एस.एम.ई., कपड़ा और एफ.पी.आई. जैसे मंत्रालयों के बीच बांट दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, हथकरघा, विद्युत करघा, खादी, नारियल जटा जैसे क्षेत्रकों ने विनिर्माण और सेवा आधारित एम.एस.ई. की अपेक्षा अधिक उपेक्षा सहन की है।

7.1.338 इन विसंगतियों और उपेक्षा को दूर करने के एक प्रयास के रूप में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 16 जून, 2006 को बनाया गया था। यह अधिनियम 'उद्यम' (जिसमें विनिर्माण और सेवा दोनों शामिल हैं) की संकल्पना को मान्यता देने वाला, मध्यम उद्यमों की परिभाषा करने वाला और इन उद्यमों के तीनों स्तरों, अर्थात् माइक्रो, लघु और मध्यम को एकीकृत करने वाला सर्व-प्रथम कानूनी ढांचा मुहैया करता है। इस अधिनियम की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना एम.एस.ई. क्षेत्रक को उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक स्वीकार करती है, जिसे अवसंरचना, ऋण और नीतिगत सहायता की आवश्यकता है। योजना की अवधि में, प्रयास यह होगा कि एम.एस.ई. क्षेत्रक की विषमता को स्वीकार किया जाए और उसके साथ-साथ इस क्षेत्रक के अन्दर की कृत्रिम भिन्नताओं को दूर किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि हथकरघा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे गृह-आधारित उद्योग सामान्य रूप से उद्योगों के लिए और विशेष रूप से एम.एस.ई. के लिए शुरू की गई स्कीमों के लाभ और प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ प्राप्त कर सकें।

विश्व अर्थव्यवस्था में लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका: अन्तर्राष्ट्रीय दृश्य

7.1.339 जी.डी.पी. और रोजगार में छोटी फर्मों-औपचारिक और अनौपचारिक-का समूचा योगदान निम्न, मध्यम और उच्च आय वर्ग वाले देशों में लगभग एक-समान बना हुआ है। जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है, अनौपचारिक क्षेत्रक का हिस्सा घट जाता है, और औपचारिक लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्रक का हिस्सा बढ़ जाता है।⁴

7.1.340 ब्राजील में, कुल सकल घरेलू उत्पाद में एम.एस.ई. का हिस्सा 20 प्रतिशत है। देश के 4.7 मिलियन पंजीकृत व्यापारों में 96.8 प्रतिशत एम.एस.ई. हैं और अन्य 9.5 मिलियन अनौपचारिक उद्यमों के साथ-आर्थिक रूप से सक्रिय 59 प्रतिशत लोगों को नियोजित करते हैं।⁵ इसी प्रकार, दक्षिण अफ्रीका में श्रम बल में औपचारिक और माइक्रो उद्यमों का हिस्सा 39 प्रतिशत है और जी.डी.पी. में उनका योगदान 24 प्रतिशत है; लघु और मध्यम

⁴ <http://www.worldbank.org/research/projects/sme/abd.pdf>

रमाल ऐण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज़ एक्रास दि ग्लोब: ए न्यू डाटा बेस, मेघना अय्यागरी, थार्ल्टन बेक ऐण्ड एसली डेमिग्रेटिक-कुंट, अस्त, 2003

उद्यम 27 प्रतिशत श्रम बल नियोजित करते हैं और जी.डी.पी. में 32 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि बड़े उद्यम 34 प्रतिशत लोगों को रोजगार देते हैं और जी.डी.पी. में उनका हिस्सा 44 प्रतिशत है (स्टेट्स एस.ए.2000 ऐण्ड एबीडिएन 2001)⁶। बंगला देश में कुल औद्योगिक यूनितों में एम.एस.ई. का हिस्सा 90 प्रतिशत से अधिक है और औद्योगिक रोजगार में उनका हिस्सा 80 और 85 प्रतिशत के बीच और कुल सिविलियन रोजगार में 23 प्रतिशत है (एस.ई.डी.एफ., 2003)⁷। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवारों की आय में उनका तीन-चौथाई हिस्सा है। जापान में लघु और मध्यम उद्यम 70 प्रतिशत से अधिक मजदूरी कमाने वाले लोगों को नियोजित करते हैं और विनिर्माण क्षेत्रक⁸ में मूल्य-वर्धन में 55 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं। थाईलैंड में, 2003 में 2,006,528 उद्यम थे, जिनमें से 99.5 प्रतिशत उद्यम लघु और मध्यम उद्यम थे। इन एस.एम.ई. ने जी.डी.पी. के 38.1 प्रतिशत के बराबर मूल्य के उत्पादों का निर्माण किया और 2003 में थाईलैंड के काम करने वाले लोगों में से 60.7 प्रतिशत लोगों को नियोजित किया⁹।

7.1.341 लेकिन एस.एम.ई. का वास्तविक महत्व चीन में देखा जा सकता है, जहां लगभग 68 प्रतिशत निर्यात एस.एम.ई. से आते हैं। चीन ने पिछले 20 वर्षों में इतने एस.एम.ई. स्थापित किए हैं, जिनकी संख्या यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के एस.एम.ई. की कुल संयुक्त संख्या से अधिक है। इससे गैर-सरकारी एस.एम.ई. की संख्या, जो 1990 में एक मिलियन थी, बढ़ कर 2004 में 40 मिलियन हो गई है। चीन में एक औद्योगिक एस.एम.ई. की परिभाषा 2000 तक के कर्मचारियों वाले उद्यम के रूप में की गई है, जबकि लघु व्यापार में 300 से कम और मध्यम आकार वाले व्यापार में 301 से 2000 तक कर्मचारी होते हैं।

एम.एस.ई. को परिभाषित करना - एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006

7.1.342 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की कोई वैश्विक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। विभिन्न देश

विभिन्न कसौटियों का उपयोग करते हैं; उनमें से अधिकतर निवेश, नियोजित कर्मचारियों की उच्चतम सीमा और संख्या पर आधारित हैं।¹⁰ भारत में, एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 में एम.एस.एम.ई. को परिभाषित किया गया है। इसमें पहले की उद्योग की संकल्पना के विपरीत 'उद्यम' की संकल्पना को शुरू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, एम.एस.एम.ई. को (i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन में कार्यरत उद्यमों और (ii) सेवाएं मुहैया करने वाले अथवा करने में कार्यरत उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तालिका 7.1.14 में इन दोनों क्षेत्रों के एम.एस.एम.ई. को परिभाषित किया गया है:

7.1.343 इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे सांविधिक परामर्शदातृ तंत्र के बारे में भी उपबन्ध किया गया है, जिसमें पण्यधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के सभी वर्गों का सन्तुलित प्रतिनिधित्व हो और जिसके व्यापक श्रृंखला वाले परामर्शदातृ कृत्य हों। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं ये हैं: इन उद्यमों की प्रतियोगिता क्षमता के प्रोन्नयन, विकास और संवर्धन के लिए विशिष्ट निधियों की स्थापना, स्कीमों/ कार्यक्रमों की अधिसूचना, प्रगतिशील ऋण नीतियां और पद्धतियां, सरकारी खरीद में एम.एस.ई. के उत्पादों और सेवाओं को तरजीह, विलम्बित अदायगियों की समस्याओं के उपशमन के लिए अधिक कारगर तंत्र और इन उद्यमों द्वारा व्यापार बन्द किए जाने को सरल बनाने की स्कीम।

बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन के लिए एम.एस. उद्यमों के साथ अधिक संलग्नता की आवश्यकता

7.1.344 जब देश विकास करते हैं तो रोजगार मुहैया करने में जी.डी.पी. में कृषि का हिस्सा कम हो जाता है। आस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्री, क्रिस हाल, के अनुसार, एस.एम.ई. विश्व भर में नई नौकरियों (जाब्स) के जाल में लगभग 70 प्रतिशत योगदान देते हैं, जबकि बड़ी फर्में नौकरियों की विध्वंसक बन जाती हैं।¹¹

⁵ http://www.dai.com/pdf/developments/developments_fall_2005.pdf

⁶ <http://www.ciionline.org/services/112/Images/defsme.pdf>

⁷ [http://www.bei-bd.org/beireport/sme/The%20Small%20and%20Medium%20Enterprises%20\(SME\)%20in%20Bangladesh.pdf](http://www.bei-bd.org/beireport/sme/The%20Small%20and%20Medium%20Enterprises%20(SME)%20in%20Bangladesh.pdf)

⁸ <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/thailand/joint0312.pdf>

⁹ <http://www.jetro.go.jp/thailand/e/data/smesupport.htm>

¹⁰ <http://www.worldbank.org/research/projects/sme/abd.pdf> विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 54 देशों ने एस.एम.ई. की परिभाषा 200-300 व्यक्तियों को नियोजित करने वाले उद्यमों के रूप में की है। इनमें 13 कम आय वाले, 24 मध्यम आय वाले और 17 उच्च आय वाले देश हैं। अधिकतर अफ्रीकी देश 200 कर्मचारियों की सीमा-रेखा (कट-आफ) का उपयोग करते हैं; जापान 300 कर्मचारियों की।

¹¹ <http://www.cesifo-group.de/pls/guestci/download/CESifo%20Forum%202007/CESifo%20Forum%202007/forum2-07-focus5.pdf>

तालिका 7.1.13
चीन के शहरी और ग्रामीण उद्यमों द्वारा निर्यात

(बिलियन अमरीकी डालर)

	कुल निर्यात	एस.एम.ई. निर्यात	कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में एस.एम.ई. निर्यात
2002	438.23	272.48	62.3
2003	593.32	390.44	65.8
2004	761.99	518.16	68.0

स्रोत: राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के एस.एम.ई. प्रभाग की 28.11.2006 की एस.एम.ई. ब्रीफिंग खंड 91

तालिका 7.1.14
एम.एस.ई. की परिभाषा

विनिर्माण क्षेत्रक

उद्यम संयंत्र और मशीनों में निवेश (तत्कालीन लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1722(ई) द्वारा विनिर्दिष्ट इमारत और मर्दों को छोड़ कर मूल लागत)

माइक्रो उद्यम 25 लाख रुपए से अधिक
लघु उद्यम 25 लाख रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम
मध्यम उद्यम 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम

सेवा क्षेत्रक

उद्यम उपस्करों में निवेश
माइक्रो उद्यम 10 लाख रुपए से अधिक नहीं
लघु उद्यम 10 लाख रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए से कम
मध्यम उद्यम 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम

स्रोत: माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

7.1.345 भारत में एम.एस.ई. क्षेत्रक ने 1960 से बहुत संवृद्धि की है; उस समय केवल 12,376 एम.एस.ई. थे, जो 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करते थे, जिसमें प्रत्यक्ष रोजगार 1.85 लाख व्यक्तियों का था; वार्षिक उत्पादन स्तर 875 करोड़ रुपए का था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 249 लाख व्यक्ति 105.21 लाख एम.एस.ई. में नियोजित थे। अब इसमें वृद्धि हो गई है और 128 लाख यूनितों में 295 लाख लोग नियोजित हैं; इन यूनितों की संख्या की वृद्धि की औसत वार्षिक दर 4.4 प्रतिशत और रोजगार में वृद्धि की वार्षिक औसत दर 4.62 प्रतिशत है। जब खादी, ग्रामोद्योग और नारियल जटा उद्योग के यूनितों को हिसाब में लिया जाए, तो 332 लाख व्यक्तियों के रोजगार में लगे होने का अनुमान है। हथकरघों, हस्तशिल्पों, ऊन और रेशमकीट पालन को शामिल

करने पर, भारत में एम.एस.ई. क्षेत्रक में कुल रोजगार 650 लाख से अधिक हो जाता है। पंजीकृत यूनितों की रोजगार सघनता से पता चलता है कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्रक में एक रोजगार के सृजन के लिए 0.72 लाख रुपए के निवेश की जरूरत होती है, जबकि इसकी तुलना में बड़े संगठित क्षेत्रक में 5.56 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता होती है।

7.1.346 एम.एस.ई. न केवल प्रति व्यक्ति निवेश उच्चतम रोजगार सृजन करते हैं, बल्कि ग्रामीण और अलग-थलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का संघारणीय स्रोत मुहैया करके ग्रामीण शहरी प्रव्रजन को रोकने में बहुत अधिक सहायता करते हैं। भारत में एम.एस. उद्यमों में, छितरा हुआ खाद्य उत्पाद क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार (एम.एस.ई. क्षेत्रक में कुल रोजगार का 13.7 प्रतिशत) सृजन करता है और उसके बाद अ-धात्विक खनिज उत्पादों (10.9 प्रतिशत) और धातु उत्पादों (10.2 प्रतिशत) का स्थान है। रसायनों और रासायनिक उत्पादों, विद्युत हिस्सों को छोड़ कर मशीनी हिस्सों, लकड़ी उत्पादों, बेसिक धातु उद्योगों, कागज उत्पादों और मुद्रण, होज़री और वस्त्रों, मरम्मत सेवाओं और रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का योगदान 9 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक है। अन्य सभी उद्योगों में, 5 प्रतिशत से कम योगदान है।

7.1.347 पेयों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों में कार्यरत यूनितों में प्रति यूनित रोजगार सबसे अधिक (20) है। इसके बाद सूती कपड़ा उत्पाद (17), अ-धात्विक खनिज उत्पाद (14.1), बेसिक धातु उद्योग (13.6) और विद्युत मशीनरी और हिस्से (11.2) आते हैं। सबसे अधिक (10) प्रति यूनित रोजगार शहरी क्षेत्रों में और सबसे कम (5) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। गैर-धात्विक उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित रोजगार में 22.7 प्रतिशत योगदान देते हैं, उसके बाद खाद्य उत्पादों (21.1 प्रतिशत), लकड़ी उत्पादों और रसायनों और रासायनिक उत्पादों का स्थान है। जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, रोजगार में खाद्य उत्पादों और धातु उत्पादों का बराबरी का अर्थात 22.8 प्रतिशत भाग है। विद्युत मशीनी हिस्सों को छोड़ कर मशीनी हिस्सों, अ-धात्विक खनिज उत्पादों और रसायनों और रासायनिक उत्पादों का 26.2 प्रतिशत हिस्सा है। महानगर क्षेत्रों में धातु उत्पाद, विद्युत मशीनों से भिन्न मशीनरी और उनके हिस्से, और कागज उत्पाद तथा मुद्रण (कुल हिस्सा 33.6 प्रतिशत) अग्रणी उद्योग हैं।

7.1.348 राज्यों में एम.एस.ई. की उपस्थिति एक-समान नहीं है। तमिलनाडु (14.5 प्रतिशत) रोजगार में सबसे अधिक योगदान करता है, उसके बाद महाराष्ट्र (9.7 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (9.5 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (8.5 प्रतिशत) का स्थान है। प्रति यूनित रोजगार नागालैंड, सिक्किम और दादरा और नगर हवेली में ऊंचा, अर्थात क्रमशः 17,16 और 14 है; मध्य प्रदेश में सबसे कम, अर्थात 2 है। अन्य सभी मामलों में यह 6 है।

आर्थिक संवृद्धि को बरकरार रखना और निर्यात बढ़ाना

7.1.349 अनुमान ये हैं कि ग्यारहवीं योजना के दौरान 10 प्रतिशत संवृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एम.एस.ई. को 12 प्रतिशत की दर से संवृद्धि करने की जरूरत है।

7.1.350 चित्र 7.1.16 से यूनिटों की संख्या, रोजगार और उत्पाद के रूप में एस.एम.ई. की संवृद्धि की जानकारी मिलती है:

7.1.351 लघु उद्योगों के निर्यात में अपारम्परिक उत्पादों का हिस्सा 95 प्रतिशत से अधिक है। पिछले दशक में वस्त्रों, चमड़े और हीरे जवाहरात का कार्य-निष्पादन असाधारण रहा है। खेल-कूद के सामान, सिले-सिलाए कपड़ों, ऊनी वस्त्रों और बुने हुए वस्त्रों, प्लास्टिक उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य और चमड़ा उत्पादों के निर्यात में छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्रक का प्रभुत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया निर्यात के प्रमुख गन्तव्य स्थल हैं, जैसाकि अनुलग्नक 7.1.21 में दर्शाया गया है।

7.1.352 पारम्परिक एम.एस.ई. से निर्यात की मात्रा को बढ़ाने की विपुल सम्भावना है, क्योंकि वे वस्तुएं हस्तनिर्मित और पारिस्थितिकी-अनुकूल और अनन्य होती हैं। इसके अलावा, हालांकि एम.एस.ई. पैमाने की अर्थव्यवस्था के लाभ नहीं उठा सकते, लेकिन वे थोड़ी मात्राओं वाले आर्डरों को पूरा करने की आदर्श स्थिति में हैं - जो सिले-सिलाए वस्त्रों, गृह फर्निशिंग, आदि जैसे उद्योगों के लिए एक बोनस है।

7.1.353 एम.एस.ई. प्रायः बड़े पैमाने के उद्योगों के अनुषंगी उद्योगों के रूप में कार्य करते हैं; बड़े उद्योग इन उद्योगों को कच्ची सामग्रियां, महत्वपूर्ण संघटक और पश्चगामी (बैकवर्ड) संयोजन मुहैया करते हैं। उदाहरण के लिए, लुधियाना के साइकिलों के बड़े निर्माता मलेर कोटला के उन एम.एस.ई. का बहुत अधिक सहारा लेते हैं, जो साइकिलों के हिस्से बनाते हैं। एम.एस.ई. पारिस्थितिकी-अनुकूल संवृद्धि को भी, विशेष रूप से दुर्गम भू-भागों में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, बढ़ावा देते हैं। वे बाड़मेर और कच्छ के बंजर रेगिस्तानी इलाके के विशाल भू-भागों, उदयपुर की छितरी हुई ढानियों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तर-पूर्व के पहाड़ी खेड़ों और केन्द्रीय भारत के जनजातीय पृष्ठ प्रदेशों में आजीविका के एकमात्र स्रोत हैं।

संवृद्धि को समावेशी बनाने के लिए

7.1.354 एम.एस.ई. क्षेत्रक सभी कमजोरियों का एक छोटा जगत है - यह गांवों, शहरी गन्दी बस्तियों और फल-फूल रहे कस्बों और शहरों की सुविधावंचित बस्तियों में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन को प्रभावित करता है। बहुत से परिवारों के लिए यह

आजीविका का एकमात्र स्रोत है। अन्यों के लिए, यह परिवार की आय की अनुपूर्ति करता है। इस प्रकार, कल्याण का दृष्टिकोण अपनाते बजाए, यह क्षेत्रक लोगों को गरीबी और अभाव के चक्र को तोड़ने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

7.1.355 एम.एस.ई. क्षेत्रक के विभिन्न खंडों पर समाज के विभिन्न समूहों का प्रभुत्व है। महिलाएं अधिकतर गैर-पंजीकृत क्षेत्रक—खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, विनिर्माण उद्यमों और बुनाई में पाई जाती हैं और वे प्रायः पारिवारिक उद्यमों में अंशकालिक रूप से काम करती हैं। महिलाएं और बच्चे बीड़ियां लपेटते हैं, अगर्बतियां बनाते हैं, जरी और कढ़ाई का काम अत्यल्प मजदूरी पर करते हैं। अनुलग्नक 7.1.22 में एम.एस.एम.ई. में नियोजित महिलाओं के राज्य-वार आंकड़े दिए गए हैं।

7.1.356 असंगठित बुनाई क्षेत्रक और विद्युत करघों में मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लोग हस्तकला निर्मित आश्चर्यजनक चीजें तैयार करते हैं और रेशमकीट पालन का काम करते हैं। उत्तर-पूर्व में, अधिकतर महिलाएं बुनाई करती हैं। त्रिपुरा जैसे राज्यों में, 50 प्रतिशत ग्रामीण पुरुष और 35 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं एम.एस.ई. में कार्यरत हैं। नागालैंड और मिजोरम में 68 प्रतिशत शहरी पुरुष एम.एस.ई. में काम करते हैं।

चुनौतियां

सिंहावलोकन

7.1.357 भारत में एम.एस.ई. क्षेत्रक विविधतापूर्ण, बिखरा हुआ और अधिकांशतः असंगठित है। इसमें पारम्परिक शिल्पों वाले उद्योगों से लेकर उच्च तकनीक वाले उद्योगों के विविध प्रकार के उत्पादक यूनिट शामिल हैं। फिर भी, इसे लघु उद्योगों के बड़े यूनिटों तक सीमित समझा जाता है, जो उच्च तकनीकी उद्योगों के साथ कार्रवाई करते हैं अथवा बड़े उद्योगों के अनुषंगी यूनिटों के रूप में काम करते हैं। विद्युत करघे, हथकरघे, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, नारियल जटा, रेशमकीट पालन, खादी, ग्रामोद्योग और ऊन जैसे खण्ड, जो अधिकतर असंगठित हैं, विभिन्न मंत्रालयों में बिखरे हुए हैं और उन्हें प्रायः ग्रामीण अजीविकाओं के रूप में देखा जाता है। लेकिन, यह बात सच से बहुत दूर है। बनारस और बरहामपुर जैसे कस्बे और शहर बहुत बड़े हथकरघा केन्द्र हैं; लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, जयपुर अपने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए विख्यात हैं, जबकि विद्युत करघे सामान्य रूप से केवल शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्रक के कृत्रिम विखण्डन से पारम्परिक एम.एस.ई. प्रायः एक-दूसरे के मुकाबले में और अपारम्परिक उद्यमों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इससे पूंजी, अवसंरचना और सहायता की नीतियों तक उनकी पहुंच भी सीमित हो जाती है।


7.1.358 इस क्षेत्रक के असंगठित स्वरूप के कारण, उद्यमकर्ताओं और दस्तकारों/कर्मकारों को सरकारी स्कीमों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिणामतः, एम.एस.ई. क्षेत्रक में कार्यरत कर्मकारों के पास, जो प्रायः सर्वाधिक कमजोर और गरीब होते हैं, सौदेबाजी करने की शक्ति बहुत कम है और बिचौलियों, यूनिट मालिकों और बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। बड़े उद्योगों की तरह आक्रामक विपणन करने में असमर्थ होने के कारण, अच्छी गुणवत्ता और प्रतियोगी कीमतों के बावजूद, वे बाजार नहीं ढूंढ सकते (बॉक्स 7.1.3)।

7.1.359 इस उद्योग का बिखरा हुआ, असंगठित स्वरूप गुणवत्ता, थोक उत्पादन और बड़े आर्डरों को पूरा करने में असमर्थता के मुद्दे भी उठाता है। अलग-अलग यूनिटों के पास प्रायः पैकेजिंग सुविधाओं का अभाव होता है।¹² इसके परिणामस्वरूप, विशेष रूप से पारम्परिक एम.एस.ई. के लिए बाजार सिकुड़ रहे हैं और कामगारों को यह अनुभव हो रहा है कि उनकी मजदूरी में गिरावट आ रही है। इसके अलावा, चूंकि अधिकतर गैर-पारम्परिक एम.एस.ई. बड़े उद्योगों के 'केप्टिव यूनिटों' के रूप में काम करते हैं, इसलिए कामगारों, विशेषतः महिलाओं को प्रायः तब तक अदायगी नहीं की जाती, जब तक कि उत्पाद उठा नहीं लिए जाते। इसी प्रकार, पारम्परिक क्षेत्रक में भी व्यापारियों द्वारा और यहां तक की सरकारी निगमों द्वारा भी अदायगियां माल के बिकने के बाद की जाती हैं। इस प्रकार, रुपया रुक जाता है और कामगार और गरीब हो जाते हैं।

7.1.360 रंगों, रोगनों और रसायनों, विस्फोटकों, खनिजों, चमड़ा और चमड़ा उत्पादों, आदि जैसे उत्पादों का विनिर्माण करने वाले एम.एस.ई. पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इन यूनिटों को राज्य के सम्बन्धित प्रदूषण नियंत्रण अभिकरण से गैर-प्रदूषण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है।

ऋण और कार्यचालन पूंजी तक अपर्याप्त पहुंच

7.1.361 हालांकि विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत एम.एस.ई. के विभिन्न उप-क्षेत्रकों के लिए ऋण उपलब्धता की स्कीम है, लेकिन देश में हर स्थान पर - जोधपुर के लोहा व्यापारियों से मालेगांव के विद्युत करघा यूनिटों तक, कारगिल में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की कोशिश करने वाले युवा उद्यमकर्ताओं से कैथुर, बरहामपुर और पोचमपल्ली के हथकरघा बुनकरों तक - दस्तकार, बुनकर और उद्यमकर्ता कार्यचालन पूंजी की अनुपलब्धता का रोना रो रहे हैं। खाद्य-भिन्न बैंक ऋण में एम.एस.ई. (पहले लघु उद्योग) का प्रतिशत हिस्सा, जो 1990-91 में 15.1 प्रतिशत था, घट कर मार्च, 2007 में 8.0 प्रतिशत रह गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रक में एम.एस.ई. के ऋण के प्रतिशत हिस्से में गिरावट का आर्थिक कारण यह ठहराया जा सकता है कि आवास, निर्यात, आदि के तेजी से बढ़ रहे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण देने के दायरे का विस्तार हो गया है। लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय संगणना (2001-02) के अनुसार, केवल 14.2 प्रतिशत पंजीकृत



Source: CII Website.

चित्र 7.1.16 भारत में एसएमई क्षेत्रक का विकास

¹² एम.एस.ई. के विभिन्न खंडों को पेश आ रही विशिष्ट चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा एम.एस.ई. और आजीविका के अध्याय में की जाएगी।

बाक्स 7.1.3 कम्पित क्षेत्रक का क्षीण होना


एम.एस.ई. में, विशेष रूप से पारम्परिक क्षेत्रक में काम करने वाले लोग अधिकाधिक गरीब हो रहे हैं। टान्टोल गांव (राजसमन्द जिला, राजस्थान) में चांदी की मीनाकारी करने वाले कामगारों की मजदूरी में पिछले 60 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई। चूंकि मार्केटों में मशीनों से बनी और चीन में बनी वस्तुओं की बाढ़ आ गई है, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बुनकरों की मजदूरी कम हो गई है। इस प्रकार, वे जो शानदान चुनरियां, शालें और दुपट्टे बनाते हैं, वे सुपरमार्केट स्टोरों में 300 रुपए से अधिक की कीमत पर बिकते हैं, लेकिन उन्हें 5-10 रुपए प्रति नग मिलते हैं। भिवंडी और मालेगांव के विद्युतकरघा बुनकरों और बनारस के हथकरघा बुनकरों को कोई नागरिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। मालेगांव में, विद्युतकरघा बुनकर कहते हैं कि बिजली की कटौती के कारण उन्हें हर रोज एक करोड़ रुपए का घाटा होता है। मालेगांव और भिवंडी दोनों जगह करघे पुराने हो गए हैं। इसलिए इसकी उत्पादकता बहुत कम है। मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन से भैरोंगढ़ प्रिंट उन बहुत से कलाकौशलों में से एक है, जिनका लोप हो गया है। औरंगाबाद की हथकरघे पर बनने वाली हिमरू शाल भी मृत्यु के कगार पर है। राजस्थान के लांगा और मंगनियारों को, जो दीर्घकाल से अपने संगीत द्वारा लोगों का मनोरंजन करते रहे हैं, अब जिन्दा रहने में कठिनाई अनुभव हो रही है। लेह और कारगिल बड़े उद्योगों को जीवित नहीं रख सकते, वहां बहुत बड़ा पर्यटन बाजार है, जहां उनके हथकरघा उत्पाद, दस्तकारी की चीजें, प्रोसेस की हुई खुमानियां और लेह बेरी का रस, आदि चीजें बेची जा सकती हैं। लेकिन पैकेजिंग सुविधाओं और ऋण के अभाव में, छोटे उद्यमकर्ता खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने में असमर्थ हैं।

और 3.09 प्रतिशत गैर-पंजीकृत एम.एस.ई. ने बैंक वित्त प्राप्त किया था। यद्यपि नायक समिति (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1991-92 में स्थापित) ने लघु उद्योगों के लिए उनके वार्षिक कारोबार के 20 प्रतिशत के बराबर कार्यचालन पूंजी की सिफारिश की थी, लेकिन लघु उद्योगों और खादी तथा ग्रामोद्योगों को संयुक्त रूप से 2005-06 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अपने उत्पादन मूल्य के केवल 13.3 प्रतिशत के बराबर राशि प्राप्त हुई थी।

7.1.362 माइक्रो उद्योगों को ऋणदान, जो एम.एस.ई. क्षेत्रक को दिए जाने वाले कुल ऋण का 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, कम हो गया है; यह 2002-03 के 51.2 प्रतिशत से कम हो कर 2005-06 के अन्त में 45.1 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, संपार्श्विक और तीसरी पार्टी की गारंटियां जुटाने की कठिनाई एक समस्या बनी हुई है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने

5 लाख रुपए तक के ऋण संपार्श्विक गारंटी के बिना दिए जाने के अनुदेश जारी किए थे, 2005-06 के अन्त तक 5 लाख रुपए से कम राशि के केवल 24 प्रतिशत कुल बकाया ऋण संपार्श्विक गारंटी के बिना थे। एम.एस.ई. को दिए जाने वाले ऋणों की उंची लागत भी उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। नीचे दिए गए चित्र से लघु उद्योगों और अति लघु (टाइनी) यूनिटों के लिए ऋण की उपलब्धता की जानकारी मिलती है।

7.1.363 यद्यपि एम.एस.ई. को उपलब्ध निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता में गिरावट आती रही है, लेकिन इस क्षेत्रक को दिए गए ऋण की निरपेक्ष राशि में वृद्धि होती रही है। वर्ष 2003-04 के संघ सरकार के बजट के समय से, भारतीय बैंक एसोसिएशन ने बैंकों को लघु उद्योगों को दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए अपनी प्राइम ऋणदान दरों (पी.एल.आर.) से 2 प्रतिशत ऊपर और नीचे



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के लघु उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06

चित्र 7.1.17 लघु उद्योगों और अति लघु (टाइनी) यूनिटों के लिए ऋण की उपलब्धता

की ब्याज दर पट्टी अपनाने की सलाह दी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योगों के सभी खण्डों को ऋण उपलब्ध हो, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेश जारी किए हैं कि एम.एस.ई. क्षेत्रक के लिए उपलब्ध राशियों में से 40 प्रतिशत राशि संयंत्र और मशीनों में 5 लाख रुपए तक के निवेश वाले यूनितों, 20 प्रतिशत राशि 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के निवेश वाले यूनितों और शेष 40 प्रतिशत राशि अन्य यूनितों को दी जाए। मार्च, 2002 को, देश में 391 विशेषित एस.एस.आई. शाखाएं काम कर रही थीं। सरकारी क्षेत्रक के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों, अति लघु (टाइनी) उद्यमों, खुदरा व्यापारियों और दस्तकारों को सरलीकृत और उधारकर्ता अनुकूल ऋण सुविधाएं मुहैया करने के लिए लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू की गई थी।

7.1.364 एम.एस.ई. क्षेत्रक को संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना ऋण का अधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा (4:1 के योगदान के आधार पर) संयुक्त रूप से अगस्त, 2000 में लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी कवर निधि स्कीम शुरू की गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान इस स्कीम ने जोर पकड़ा और मार्च, 2007 के अन्त तक, 68062 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे और 1705 करोड़ रुपए के लिए कवर जारी किए गए थे।

गुणवत्तापूर्ण कच्ची सामग्रियों और आवधिक आधार पर पैकेजिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता

7.1.365 रंग और सूत जैसी कच्ची सामग्रियों (विशेष रूप से हथकरघों और विद्युत करघों के लिए), विद्युत जैसी अत्यावश्यक निविष्टियों (विद्युत करघों, हस्तशिल्पों और अन्य औद्योगिक एम.एस.ई. के लिए) और पैकेजिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता एक प्रमुख रुकावट बनी हुई है। ऋण का अभाव और अपर्याप्त कच्ची सामग्री बुनकरों, दस्तकारों और उद्यमकर्ताओं को प्रायः सूदखोरों और बिचौलियों के पंजों में फंसने के लिए विवश कर देती है। गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण, आधुनिक विनिर्माण एम.एस.ई. यूनित भी तंगी अनुभव कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगम कुछ कच्ची सामग्रियां मुहैया कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।

अपर्याप्त मार्केट अनुसन्धान, संयोजन और डिजाइन निविष्टियां

7.1.366 अधिकतर एम.एस.ई. के पास मार्केट अनुसन्धान में निवेश के लिए धन नहीं होता और वे बाजार की मांग के अनुसार डिजाइन और तकनीकी सुधार करने में समर्थ नहीं हैं। बड़े व्यापारों

के विपरीत, वे विज्ञापनों और पैकेजिंग में निवेश नहीं कर सकते। इससे बाजारों का उपयोग करने और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। अधिकतर लोग चम्बा चुगा, प्राकृतिक रेशे से बने पर्सों और गद्दियों के कवरों, पेशन फ्रूट अचारों अथवा भूवस्त्र (नारियल जटा से बने भू वस्त्र), चम्बा चप्पलों, जोधपुर के उंट के बालों से बने कालीनों (जो जलते नहीं) और लदाख के पेचीदा नक्काशी वाले मेजों से अपरिचित हैं, इसलिए एम.एस.ई., विशेष रूप से पारम्परिक आजीविकाओं से जुड़े उद्यम, अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अधिकाधिक रूप से बिचौलियों, छोटे व्यापारियों और बड़े व्यापारियों का सहारा लेने के लिए विवश हो रहे हैं। इसने बहुत से उद्यमों को दिहाड़ीदार कामगारों की स्थिति में ला दिया है, जो निम्नतम मजदूरी से भी कम कमाते हैं।

लघु उद्योगों के रुग्ण यूनितों का पुनर्वास

7.1.367 लघु उद्योगों की तीसरी संगणना (2001-02) के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्रक में रुग्णता के प्रमुख कारण ये थे: मांग की कमी, कार्यचालन पूंजी की कमी, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता, बिजली की कमी, विपणन की समस्याएं, आदि। रुग्णता को मापने के तीन पैमानों (क) ऋण की वापसी अदायगी में एक वर्ष से अधिक की देरी, (ख) निवल मूल्य में 50 प्रतिशत की कमी, और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन में कमी, के अनुसार पंजीकृत लघु उद्योगों के क्षेत्रक में 13.98 प्रतिशत यूनित और गैर-पंजीकृत क्षेत्रक के 6.89 प्रतिशत यूनित या तो रुग्ण हैं अथवा प्रारम्भिक रुग्णावस्था में हैं। लघु उद्योगों के सम्पूर्ण क्षेत्रक में इसकी प्रतिशतता 7.82 प्रतिशत है।¹³ केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पांच राज्यों का देश में लघु उद्योग के रुग्ण/ प्रारम्भिक रूप से रुग्ण यूनितों में संयुक्त रूप से हिस्सा 54.28 प्रतिशत है।

वैश्वीकरण

7.1.368 एम.एस.ई. के बहुत से खण्डों, विशेष रूप से पारम्परिक क्षेत्रकों को घरेलू और बहुराष्ट्रीय खिलाड़ियों के आक्रामक विपणन के साथ प्रतियोगिता करना कठिन महसूस होता है। गलियों में फेरी लगाने वाले विक्रेता, छोटे व्यापारी, हथकरघा और विद्युत करघा बुनकर, घरों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण यूनित, खादी संस्थाएं, अत्तार, जरी कर्मकार और ग्रामीण दस्तकार, जिनमें से बहुत से लोग विकास के कार्यों की वजह से अपनी आजीविकाएं और अपने काम करने के स्थान भी गंवा बैठे हैं, सबसे अधिक प्रभावित हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए कोई रचनात्मक तरीका विकसित किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि ये क्षेत्रक समाज के अन्तिम सीमान्त पर बिठा दिए गए लोगों को नियोजित

¹³ <http://www.smallindustryindia.com/ssiindia/performance.htm>

करते हैं, इसलिए हमारे देशज/पारम्परिक उद्योगों को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से लाभ उठाने के अवसर दिए जाने चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइसेंस राज और लालफीताशाही को, जिसे अन्य क्षेत्रों में घटाया जा रहा है, माइक्रो क्षेत्रक में भी समाप्त किए जाने की जरूरत है।

7.1.369 अन्य देशों की तरह, भारत में भी वैश्वीकरण एम.एस.ई. क्षेत्रक के विकास के साधन के रूप में कार्य कर सकता है। इंजीनियरी और आटोमोबाइल उत्पादों का विनिर्माण करने वाले माइक्रो और लघु उद्यमों ने ओ.ई.एम. असैम्बलियां और सब-असैम्बलियां और संघटक, आदि की आपूर्ति करने में अपनी विशेषज्ञता के कारण पिछले दशक में बहुत बढ़िया संवृद्धि प्रदर्शित की है। एक ऐसी युक्तिसंगत नीति की आवश्यकता है, जो इस क्षेत्रक को पर्याप्त समर्थन और सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वह भारतीय बाजारों में पहुंच सके। माइक्रो और लघु उद्यमों में कुछ अन्तर्निहित लाभ हैं, जैसे अनन्यता, छोटी मात्राओं वाले आर्डरों के लिए उत्पादन करने की क्षमता। एक वैश्वीकृत जगत में, वे नए बाजारों का, विशेष रूप से पश्चिम में, उपयोग कर सकते हैं, जहां हाथ से बने उत्पादों की मांग बहुत अधिक है। घरेलू उत्पादों और उत्पादनकर्ताओं के बारे में आनलाइन सूचना मुहैया करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है, जबकि जी.आई. अधिनियम और पेटेंटों का उपयोग अन्य देशों द्वारा हमारे डिजाइनों और उत्पादों की सरती नकल किए जाने को रोकने के लिए किया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन और पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना

7.1.370 छोटे पैमाने के यूनितों की परिभाषा करने के लिए संयंत्र और मशीनों में निवेश की जिस उच्चतम सीमा का उपयोग किया जाता है, उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। माइक्रो और छोटे पैमाने के एककों के लिए निवेश की सीमा को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने जैसे प्रयासों से इन यूनितों को मध्यम पैमाने के उद्यम बनने में सहायता मिलेगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना की टी.यू.एफ.एस. और एस.आई.टी.पी. जैसी स्कीमों को, जिनसे यूनितों को आधुनिकीकरण करने में सहायता मिली है, ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा। माइक्रो और छोटे पैमाने के एककों के बड़े यूनित बन जाने पर राजकोषीय लाभों में कमी हो जाने की समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय तैयार किए जाने की अविलम्ब आवश्यकता है। सामान्य उत्पाद शुल्क छूट, जो छोटे पैमाने के उद्योगों को पारम्परिक रूप से उपलब्ध थी, अब 1.5 करोड़ रुपए तक के लेनदेन तक सीमित है, जो एक ऐसी राशि है जो बहुत-से बड़े एस.एस.ई. के लिए बिल्कुल नगण्य है। जैसाकि हीरो साइकिल्स, निरमा डिटर्जेंट्स, वीडियोकोन और ओनिडा इलेक्ट्रानिक्स जैसे यूनितों द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका

है। एम.एस.ई. का उर्ध्वधर विस्तार और मध्यम तथा बड़े क्षेत्रक में प्रवेश करने की दिशा में आगे बढ़ना उन्हें पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में समर्थ बना देता है। लेकिन आज बहुत से माइक्रो और लघु उद्यम, मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क छूटों की सीमा के भीतर बने रहने के लिए, क्षैतिज विस्तार करने और सुविचारित विखण्डन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान यह जरूरी होगा कि माइक्रो और लघु उद्यमों को अपना उत्पादन बढ़ा कर पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते नीतिगत प्रोत्साहनों पर विचार किया जाए। एक सम्भावना यह हो सकती है कि उन्हें मध्यम पैमाने के उद्यमों की श्रेणी में शामिल हो जाने के बाद भी, विहित सीमा तक उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाती रहे। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय ख्व से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए भी उपाय किए जाने की जरूरत है, ताकि एम.एस.ई. विखण्डन और अकुशलता पर काबू पा सकें। लेकिन ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि छोटे, परिवार-आधारित यूनितों की उपेक्षा न की जाए।

7.1.371 उदासीकरण और अर्थव्यवस्था के खोले जाने से, माइक्रो और लघु उद्यम आयातों के साथ कड़ी प्रतियोगिता कर रहे हैं और उन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता है, ताकि वे गुणवत्ता वाले उत्पाद कम लागत पर प्राप्त कर सकें। वे इंटरनेट के जरिए विश्व भर में उत्पादन आपूर्ति यूनितों तक पहुंचने में समर्थ होने चाहिए। हाल की प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, आधुनिक मशीनों सम्बन्धी साहित्य, आपूर्तिकर्ताओं के सम्पर्क के ब्योरे, आदि के बारे में सूचना का प्रसार किया जाना बहुत जरूरी है। इस प्रयोजन से एक प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना की जा सकती है। विनिर्माण उद्योगों के लिए माडल आधुनिकीकरण परियोजनाओं की तत्काल उपलब्धता के साथ-साथ, ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.) के कार्यान्वयन को जोरदार बनाने की आवश्यकता है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान एम.एस.ई. क्षेत्रक की सम्भावना: मानीटर किए जा सकने वाले लक्ष्य

7.1.372 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यम और लघु उद्यम क्षेत्रक (खादी, ग्रामोद्योगों, दस्तकारी, हथकरघा और खाद्य प्रसंस्करण को छोड़ कर) के मानीटर किए जा सकने वाले लक्ष्य नीचे तालिका 7.1.15 में दिए गए हैं।

मध्यम और लघु उद्यमों के प्रोन्नयन के लिए ग्यारहवीं योजना की कार्यनीतियां

7.1.373 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मध्यम और लघु उद्यमों के क्षेत्रक की नीति कल्याण के स्थान पर उनके सशक्तीकरण की नीति हो गई है। योजना इस क्षेत्रक को संधारणीय और

तालिका 7.1.15
 ग्यारहवीं योजना के वर्ष-वार भौतिक लक्ष्य

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	सी.ए.जी.आर.
उत्पादनचालू कीमतों पर: करोड़ रुपए	682613	816705	977144	1169112	1398803	15.4%
रोजगार (लाख व्यक्ति)	322.28	338.39	355.31	373.08	391.73	4%

स्रोत: माइक्रो, लघु, मध्यम और उद्यम मंत्रालय

समावेशी आर्थिक संवृद्धि और रोजगार के इंजन के रूप में देखती है। यह कार्यनीति दो भुजाओं वाली है - यह आजीविका और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करती है। यह केवल अधिकारों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य आर्थिक समझ-बूझ है - दस्तकार और उद्यमकर्ता सबसे अधिक उत्पादक तभी हो सकते हैं, जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों।

7.1.374 ग्यारहवीं योजना मध्यम और लघु उद्यम क्षेत्रक को उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग समझती है, जो असंगठित है और इसलिए उसे विशेष समर्थकारी उपबन्धों के साथ उद्योग की सभी स्कीमों की सहायता और प्राप्ति की आवश्यकता है। इस समय की स्थिति के अनुसार, टी.एस.पी. और एस.सी.पी. सांविधिक आवश्यकताएं हैं। प्रधान मंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम में और सरकार की अन्य ध्वजपोत अर्थात् अग्रणी स्कीमों में महिला सशक्तीकरण और अल्पसंख्यकों के विकास को सहायता देने पर जोर दिया गया है। हम जानते हैं कि पारम्परिक आजीविकाओं और माइक्रो तथा लघु उद्योगों में कार्यरत अधिकतर लोग जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लोग, अल्पसंख्यक और महिलाएं हैं। केवल हथकरघा क्षेत्रक में, 60.6 प्रतिशत बुनकर महिलाएं, 10.76 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग, 25.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लोग और 42.65 प्रतिशत बुनकर अन्य पिछड़े वर्गों के हैं।¹⁴

7.1.375 इस प्रकार, औद्योगिक नीतियों और स्कीमों में दस्तकारों, बुनकरों और लघु उद्यमकर्ताओं के लिए समर्थकारी उपबन्धों की व्यवस्था किए जाने से संवैधानिक आवश्यकताएं और विभिन्न योजनाओं की वचनबद्धताएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। उद्योग के लिए अवसंरचना विकास की योजना बनाते समय, माइक्रो और लघु क्षेत्रक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। उद्योग के विभिन्न खंडों और एम.एस.ई. के बीच प्रतिकूलात्मक सम्बन्धों के स्थान पर अनुपूरक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हथकरघे ऊपरी सिरे के उत्पादों - दुपट्टों, शालों, साड़ियों, फर्निशिंग को अन्य लक्ष्य बना सकते हैं, जबकि विद्युत करघे/ मिलें गमछों, धोतियों, तौलियों, बिस्तर और मेज़

लिनन, आदि का उत्पादन करें। बड़े ब्रांड सूटों, कमीज़ों, टी-शर्टों जैसे उत्पादों का विकास जारी रख सकते हैं।

7.1.376 एम.एस.ई. क्षेत्रक, जिसमें हथकरघा, हस्तशिल्प शामिल हैं, निर्यात के अवसर मुहैया करता है। अनन्यता, जो इस क्षेत्रक के बिखरे हुए स्वरूप से उत्पन्न होती है, इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और फिर भी, इस क्षेत्रक का बिखरा हुआ स्वरूप इसके लिए थोक आर्डरों को पूरा करना कठिन बना देता है, गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे खड़े कर देता है, कामगारों को सौदेबाजी करने की शक्ति से वंचित कर देता है, ऋण और बाजारों तक पहुंच को सीमित कर देता है, उसके परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो जाता है और उद्यम पैमाने की अर्थव्यवस्था से लाभ उठाने से वंचित हो जाते हैं। इसलिए योजना की अवधि में प्रयास इस क्षेत्रक को संगठित करने और बुनकरों/ दस्तकारों के क्लस्टर और स्व-सहायता समूह बनाने के लिए होना चाहिए, ताकि उनकी सौदेबाजी करने की शक्ति में सुधार हो और वे अपने संसाधनों को इकट्ठा कर सकें। इन समूहों को, जिनमें बुनकर, दस्तकार और उद्यमकर्ता शामिल होंगे, क्लस्टरों के निर्णयों पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया जाएगा और उन्हें ऋण, निविष्टियों, विशेषज्ञता और मार्केट-संयोजनों के रूप में सहायता दी जाएगी।

7.1.377 ग्यारहवीं योजना के एम.एस.एम.ई. सम्बन्धी कार्य समूह ने ग्यारहवीं योजना के दौरान माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए कार्यचालन पूंजी और आवधिक ऋणों के बारे में 2,96,400 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। इस समय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के ऋण की 40 प्रतिशत की उच्चतम निर्धारित सीमा के अन्दर कोई उप-क्षेत्रकीय लक्ष्य नहीं है। चूंकि कृषि के लिए 18 प्रतिशत और कमजोर क्षेत्रकों के लिए 10 प्रतिशत के उप-लक्ष्य पहले से निर्धारित किए जा चुके हैं, इसलिए एम.एस.ई. क्षेत्रक को शेष 12 प्रतिशत के लिए भू-सम्पत्ति, आवास, शिक्षा, खुदरा व्यापार, आदि के क्षेत्रकों के साथ प्रतियोगिता करनी होगी। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के सृजन में एम.एस.ई. क्षेत्रक की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका को

¹⁴ वर्ष 1995-96 में की गई हथकरघा और विद्युत करघा संगणना

बॉक्स 7.1.4**अल्प सफलता**

देश के एक कोने से दूसरे कोने तक विभिन्न स्थानों में सफलता की अलग-अलग कहानियों से माइक्रो और लघु उद्यमों की क्षमता प्रदर्शित होती है। कलकत्ता-आधारित मल्लिका कंठा ने पारम्परिक कंठा बुनाई में फिर से प्राणों का संचार कर दिया है। आज पश्चिम बंगाल में सैंकड़ों महिलाएं गांवों में अपने घरों में बैठे हुए स्टोल, शालें, साड़ियां, दुपट्टे, मेज़पोश, गद्दियों के कवर बनाती हैं, जो 5000 रुपए से 50,000 रुपए तक की कीमतों पर बेचे जाते हैं। पोप से लेकर प्रधान मंत्री तक हर एक कंठा कला की सराहना करते हैं। फैंबंडिया ने दर्शाया है कि युवा, कालेज जाने वाले छात्रों, आदि में भारतीय हथकरघा के उत्पादों और हैंडप्रिंट्स की कितनी अपील और कितना आकर्षण है। यहां तक कि पेंटालून जैसे ब्रांड पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हथकरघा श्रृंखलाएं शुरू कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में, पी.आर.ओ.डी.आइ.पी. स्कीम के अन्तर्गत बनी खादी की डिजाइनर कमीजों और कुर्तों को बड़ी सफलता मिली है। भोपाल में जहांनुमा पैलेस जैसे होटल आन्तरिक सजावट के लिए हथकरघा उत्पादों और हस्तकला निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। पर्यटकों द्वारा इस अनुभव की कदर की जाती है। पर्यटक जोधपुर में मेहरनगढ़ किले के अन्दर दस्तकारों को आबंटित की गई छोटी दुकानों से बहुत से उत्पादों, चप्पलों, मुखौटों, पेपर माशे (कुट्टी), आदि को खरीदते हैं। दस्तकारों को इससे आय का एक स्थाई स्रोत उपलब्ध हो जाता है। चिजामी नागालैंड के फेक जिले का एक छोटा-सा गांव है। यहां पर नार्थ ईस्ट नेटवर्क नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने स्थानीय युवाओं को आजीविका का एक स्रोत मुहैया किया है। वे पैशन, फ्रूट, अमरूद, अदरक, जैम, अचार और स्क्वैश बनाते हैं। भारत में केला, खस, सिसल, कोराई, ग्रास, तालीपोट, पाल्म लीफ, नारियल, अन्नानास, स्क्रूपाइन, गोल्डन ग्रास, पटसन, सबई, जैसे बहुत से प्राकृतिक रेशे हैं। इंडसट्री जैसे लाभ-निरपेक्ष संगठन ग्रामीण दस्तकारों को इन रेशों को मूल्य-वर्धित तैयार उत्पादों, जैसे थैलों, टेबल मैट्स, गद्दियों के कवरों, हैटों, फर्शी कवरों, परदों, कार्यालय और घर की वस्तुओं में रूपान्तरित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन उत्पादों की बिक्री अब देश में बड़े-बड़े स्टोरों में की जा रही है। इसी प्रकार, खादी नाम के ब्रांड के अन्तर्गत विभिन्न छोटे यूनितों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक साबुन, शैम्पू और सौन्दर्य प्रसाधनों की बिक्री घरेलू मार्केट में बढ़ रही है और उनमें निर्यात की बहुत भारी गुंजाइश है।

ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में माइक्रो और लघु उद्यमों के क्षेत्रक के लिए एक अलग उप-लक्ष्य कारगर ढंग से शुरू किया जा सकता है। यदि यह सम्भव न हो, तो इस क्षेत्रक को ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य उपायों का पता अवश्य लगाया जाना चाहिए।

7.1.378 उन माइक्रो और लघु उद्यमकर्ताओं के लिए, जो पर्याप्त इक्विटी/प्रवर्तक का योगदान नहीं ला सकते, निर्यात-ऋण की मंजूरी देते समय एक लचीले ऋण-इक्विटी अनुपात को अपनाए जाने की आवश्यकता है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि एम.एस.ई. को 5 लाख रुपए तक के सारे ऋण (माइक्रो वित्त संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋणों को छोड़ कर) 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना दिए जाएं। ऋण गारंटी न्यास निधि के अंतर्गत कवरेज को बढ़ाया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि क्लस्टर-आधारित वित्तपोषण एम.एस.ई. को ऋण मुहैया करने का सर्वाधिक प्रभावकारी तरीका है। पी.पी.पी. माडल पर आधारित एक सौ एम.एस.ई. क्लस्टरों को प्रायोगिक आधार पर अपनाया जाएगा।

7.1.379 ग्यारहवीं योजना की अवधि में सूचना माध्यमों और प्रतिमाओं का उपयोग करते हुए एक आक्रामक विपणन अभियान चलाया जाएगा। हथकरघों, दस्तकारियों, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य सांस्कृतिक उद्योगों को पर्यटन से जोड़ा जाएगा; विरासत

के सर्किटों और परिधान पर्यटन का विकास किया जाएगा। पश्चिम में, सांस्कृतिक उद्योग संसार में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्रक बन गए हैं, और वे विश्व के जी.डी.पी. में 7 प्रतिशत योगदान देते हैं। कलाकौशल युक्त व्यक्तियों को 'उद्योग' की हैसियत देना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें कर लाभों और निर्यात संवर्धन स्कीमों का हकदार बना देता है, बैंकिंग और ऋण सहायता का पात्र बना देता है और उन्हें बौद्धिक सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए पक्षपोषण करने में समर्थन और सहायता देता है।¹⁵

7.1.380 एम.एस.ई. क्षेत्रक का मानचित्रण किया जाएगा और जी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादों के पंजीयन को प्रोत्साहित किया जाएगा और उसकी सहायता की जाएगी। आरक्षण से सम्बन्धित कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य, बीमा जैसे उपेक्षित क्षेत्रों को एम.एस.ई. नीति के अभिन्न अंग के रूप में हाथ में लिया जाएगा। सभी क्षेत्रकों में कौशल विकास और उन्नयन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

7.1.381 केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर, एम.एस.ई. द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की उप्राप्ति को तरजीह देने की नीति विकसित की जाएगी। माइक्रो और लघु क्षेत्रक में, विशेष रूप से असंगठित खंडों में महिलाओं के बारे में भी एक नीति तैयार की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त हों और उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

¹⁵ इन्फोचेंज न्यूज़ ऐण्ड फीचर्स, सितम्बर 2006

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ग्यारहवीं योजना की स्कीमें

7.1.382 एम.एस.एम.ई. क्षेत्रक की अधिकतर स्कीमों का मूल्यांकन स्वतंत्र संगठनों द्वारा किया जा चुका है और उन्हें यथोचित रूप से उपान्तरित और पुनर्गठित कर दिया गया है। इन्हें और नई स्कीमों के साथ ग्यारहवीं योजना में जारी रखा जाएगा। जिन स्कीमों को ग्यारहवीं योजना में आगे ले जाया जाएगा, उनकी जानकारी अनुलग्नक 7.1.23 में दी गई है।

नई पहलें

7.1.383 लघु उद्योग विकास संगठन (अब इसे माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन के नाम से पुकारा जाता है) के पास 3000 से अधिक तकनीकी योग्यता प्राप्त कार्मिकों का नेटवर्क है, जो लघु उद्योग सेवा संस्थानों (इन संस्थानों की शाखाओं), परीक्षण केन्द्रों और टूल रूम, उत्पाद और प्रोसेस विकास केन्द्रों जैसे स्वायत्त संगठनों, आदि के माध्यम से काम करते हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी के मौजूदा स्तरों और उनकी भावी संभावनाओं को आंकने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करेगा, प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र/ डाटा बैंक और विस्तृत प्रौद्योगिकी आडिट करने के लिए सूचना के प्रसार के वास्ते आई.टी. पोर्टल स्थापित करेगा।

7.1.384 सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता-क्षमता कार्यक्रम (एन.एम.सी.पी.) शुरू किया था। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता-क्षमता परिषद और एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने 850 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय वाला एक पंचवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें ये कार्यक्रम शामिल हैं: डिजाइन क्लिनिक स्थापित करना, समूचे व्यापारिक चक्र में अपशिष्ट का सुनियोजित रूप से पता लगा कर और उसे दूर करके फर्मों की प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिए 'लीन' विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग। यह कार्यक्रम मांग-चालित होंगे और चुने हुए औद्योगिक क्लस्टरों में पी.पी.पी. मोड में कार्यान्वित किए जाएंगे।

7.1.385 अवसंरचनात्मक तंगियां, विशेष रूप से विद्युत का बन्द हो जाना, बड़े उद्यमों की अपेक्षा एम.एस.ई. को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। हालांकि कुछ राज्य एम.एस.ई. को विभेदी विद्युत टैरिफों की पेशकश करते हैं, किन्तु वास्तविक कमी विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा की है। ग्यारहवीं योजना के दौरान एम.एस.ई. के समूहों/एसोसिएशनों को केप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसाकि विद्युत अधिनियम, 2003 में आदेश दिया गया है, अथवा समर्पित फीडर लाइनों के साथ बड़े पैमाने की विद्युत उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सड़कों, परिवहन, जल

और अन्य प्रकार की अवसंरचना की समस्याओं से अथवा उनके समूचे अभाव से, एम.एस.ई. की प्रचालन लागत बढ़ जाती है, जबकि इसकी तुलना में अन्य देशों में अनुकूल स्थितियों में वस्तुओं के उत्पादन पर कम लागत आती है और सरकार के लिए पर्याप्त अवसंरचना का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है।

7.1.386 श्रम कानूनों और कारखाना कानूनों ने एम.एस.ई. यूनिटों के लिए निरीक्षणों की संख्या के रूप में समस्याएं पैदा कर दी हैं। योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में गठित समिति ने तीसरी पार्टी निरीक्षण की प्रणाली की सिफारिश की थी, ताकि उद्यमों को प्रत्यायित एजेंसियों से विनियामक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करने का विकल्प मिल सके। एक बार ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद, यूनिटों को नेमी निरीक्षण से छूट मिल जाएगी। केवल विश्वसनीय शिकायतों के प्राप्त होने पर विशेष निरीक्षण किए जाएंगे। ग्यारहवीं योजना के दौरान इस सिफारिश के शीघ्र कार्यान्वित हो जाने से एम.एस.एम.ई. को राहत प्राप्त होगी।

7.1.387 एम.एस. क्षेत्रक के लिए उपयुक्त स्कीमों को तैयार करने के लिए उपयुक्त डाटा-आधार का होना बहुत महत्व रखता है। 'माइक्रो और लघु उद्यमों के प्रोन्नयन के लिए पैकेज' में, जो हाल में घोषित किया गया है, एम.एस.ई. एसोसिएशनों को अपनी क्षमता के निर्माण के लिए और तृणमूल स्तर के साथ अपने सम्पर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव शामिल है। इस कार्रवाई को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आगे ले जाया जाएगा।

7.1.388 एम.एस.एम.ई. क्षेत्रक के लिए 11,500 करोड़ रुपए का परिचय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 4000 करोड़ रुपए डी.सी. (एम.एस.एम.ई.) के लिए और 7,500 करोड़ रुपए कृषि और ग्रामोद्योग के लिए हैं।

7.2 खनिज

प्रस्तावना

7.2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास दर के लिए खनिज क्षेत्रक में तीव्र विकास की आवश्यकता है जिसपर अधिकांश मूल उद्योग निर्भर है। पिछले 55 वर्षों के दौरान खनिजों का पता लगाने के प्रयास से माइका, बेराइट्स, क्रोमाइट (मेटलर्जिकल), कोयला (थर्मल), लिग्नाइट, बॉक्साइट (मेटलर्जिकल), मँगनीज अयस्क तथा आयरन अयस्क जैसे विभिन्न खनिजों के भण्डारण में वृद्धि हुई है तथा इन खनिजों के उत्पादन में देश को शीर्ष दस उत्पादकों की सूची में पहुंचा दिया है। तथापि, उर्वरक खनिज, डायमण्ड, सोना, निकल, कॉपर, शीशा, जिंक, प्लेटिनम जैसे धातुओं तथा दुर्लभ धातुओं के मामले में अत्यधिक अनुकूल भूगर्भीय वातावरण के बावजूद शायद ही कोई खोज हो पाई है।

7.2.2 सुदृढ़ आर्थिक विकास के कारण धातुओं की बढ़ती मांग से यह आवश्यक हो गया है कि एक सुनियोजित, व्यापक और समयबद्ध क्षेत्रीय कार्यक्रम हो तथा देश के छुपे हुए खनिज भण्डारों जिसके काफी अधिक होने की संभावना है, की स्थिति का विस्तृत रूप से पता लगाया जाए तथा चिन्हित किया जाए।

7.2.3 खनन क्षेत्रक को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए वर्ष 1993 में खोल दिया गया था तथा वर्ष 2000 से शतप्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। तथापि, खनिजों का पता लगाने के लिए एफडीआई के अनुकूल नीतियां नहीं होने के कारण वास्तविक प्रवाह न्यूनतम रहा है। खनिजों की खोज के लिए एफडीआई को आकर्षित करने के लिए वर्तमान गैर-निवेशक खनन प्रणाली में संशोधन तथा एक बहुआयामी पहल, कानूनी ढाँचा अपनाने, प्रौद्योगिकी, संधारणीयता, अवसंरचना तथा प्रक्रियात्मक सुधार करने की आवश्यकता होगी।

दसवीं योजना की समीक्षा

7.2.4 क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय कगार तथा विशिष्ट आर्थिक जोन में खनिज संसाधनों के विकास एवं विनियमन हेतु समुद्र तटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियम), अधिनियम, 2002 दिनांक 31.1.2003 को अधिसूचित किया गया था। इस विधान से खनिज की खोज सुप्रवाही होगी तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों का विकास होगा तथा खनिज क्षेत्रक में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए खनिज भण्डार (पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन संसाधनों को छोड़कर) का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अनुसंधान सुनिश्चित हो सकेगा।

7.2.5 वर्ष 2000 में हीरे और बहुमूल्य रत्नों की खोज और खनन में एफडीआई पर 74% की सीलिंग हटा ली गई थी तथापि इसे एफआईपीबी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जारी रखा गया। वर्ष 2006 में इस प्रतिबंध को भी हटा लिया गया तथा हीरे और बहुमूल्य रत्नों के खनन में 74% से अधिक एफडीआई सहित खनन क्षेत्रक में सभी एफडीआई का अब नियतक्रम प्रेषण हो रहा है।

7.2.6 राष्ट्रीय खनिज नीति की व्यापक समीक्षा और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 में संभावित संशोधन का सुझाव देने के लिए योजना आयोग ने सदस्य (उद्योग), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 19.7.2006 को सौंप दी है। समिति ने राष्ट्रीय खनिज नीति तथा संबंधित कानूनों एवं नियमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट प्रणालियों के समान बनाने के लिए कई परिवर्तनों का सुझाव दिया है। खनिज क्षेत्र से राज्य राजस्व को बढ़ाने के लिए समिति ने सिफारिश की, कि रायल्टी का निर्धारण आर्थिक रूप से

महत्वपूर्ण कई खनिजों के लिए वर्तमान में लागू 'टन' प्रणाली से हट कर निर्णायक रूप से मूल्य के अनुसार होना चाहिए। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 का अनुमोदन किया और साथ ही में अगला कार्य संसद में एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन के लिए बिल प्रस्तुत करना है। साथ ही में खनिज रियायत नियमावली, 1950 और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर) 1988 में उचित संशोधन करना है।

7.2.7 खान मंत्रालय ने प्रमुख खनिजों (गोदाम में जमा करने हेतु कोयला, लिग्नाइट और बालू को छोड़कर) के रायल्टी अनिवार्य किराया (डेड रेंट) के संशोधन तथा सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु अगस्त, 2006 में एक अध्ययन दल का गठन किया है। दल के समक्ष विचारार्थ विषय राष्ट्रीय खनिज नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति के सिफारिशों के अनुरूप है।

7.2.8 सर्वेक्षण परमिट की अवधारणा वर्ष 1999 में शुरू की गई थी तथा दिनांक 31.12.2006 तक 2,82,908.50 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र कवर करते हुए 205 सर्वेक्षण परमिटों का पूर्व अनुमोदन किया गया था। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सर्वेक्षण परमिटों के अनुमोदन की संख्या में गिरावट का रुझान पाया गया जैसाकि चित्र 7.2.1 में दर्शाया गया है।

7.2.9 सर्वेक्षण परमिट के कारण खनन कंपनियों द्वारा वास्तव में बहुत छोटे क्षेत्रों में खोज शुरू करते समय बड़े क्षेत्रों को ब्लाक किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में उच्चस्तरीय समिति ने वृहद् क्षेत्र भावी लाइसेंस (एलएपीएल) शुरू करने की सिफारिश की है।

लौह अयस्क

7.2.10 विश्वभर में विशेषकर चीन में स्टील की मांग और उत्पादन में वृद्धि के कारण दसवीं योजना अवधि के दौरान लौह अयस्क के उत्पादन और निर्यात में व्यापक उछाल आया। लौह उत्पादन वर्ष 2001-02 में 86.23 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 172.30 मिलियन मीट्रिक टन तथा निर्यात वर्ष 2001-02 में 23.09 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 84.05 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।

गैरलौह धातु

एल्यूमिनियम

7.2.11 बॉक्साइट का उत्पादन वर्ष 2001-02 में 8.60 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 13.075(पी) मिलियन टन हो गया। उड़ीसा में नाल्को का पंचपतमाली बाक्साइट खान का उत्पादन देश में होने वाले उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है। यह एक विश्वस्तरीय एवं पूर्णतः मशीनीकृत खान है जिसकी

वर्तमान क्षमता 4.8 मिलियन टन प्रति वर्ष है। देश में पांच एल्यूमीनियम कंपनियों नामतः नाल्को, हिण्डालको, इण्डाल, बाल्को और माल्को के पास छः एल्यूमीनियम रिफाइनरियां हैं।

7.2.12 कुल एल्यूमीनियम क्षमता वर्ष 2001-02 में 2.72 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 4.24 मिलियन टन हो गई जो कि बहुत कम है यह देखते हुए कि इस उत्पाद के उत्पादन और निर्यात में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रतिस्पर्धी है।

7.2.13 उच्च ऊर्जा लागत के कारण लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में एल्यूमीनियम की क्षमता, उत्पादन और निर्यात में व्यापक वृद्धि हुई है जैसाकि 7.2.2 में दर्शाया गया है।


7.2.14 योजना अवधि के दौरान एल्यूमीनियम उत्पादन में 65% वृद्धि होने का अनुमान है, अधिकांश वृद्धि की खपत घरेलू स्तर पर है। नाल्को, सीपीएसई के पास उत्पादन का 35% शेयर है।

ताँबा (कॉपर)

7.2.15 प्राइमरी ताँबे के उत्पादन में भारत की पर्याप्त क्षमता है परंतु अधिकांशतः कापर मिनरल-इन-कन्सन्ट्रेट्स (एमआईसी) के आयात पर निर्भर है। वर्ष 2005-06 में कापर कन्सन्ट्रेट का उत्पादन एवं आयात क्रमशः 22,984 मि. टन तथा 1,072,905 मि. टन था। चित्र 7.2.3 में दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्राइमरी कॉपर की क्षमता, उत्पादन और निर्यात संबंधी आंकड़ा दिया गया है।

स्रोत: खान मंत्रालय

चित्र-7.2.1 सर्वेक्षण परमितों का अनुमोदन




नोट: 2005-06 में बालको के विस्तार के परिणामस्वरूप एल्यूमिनियम का अतिरिक्त उत्पादन हुआ।

स्रोत: वाणिज्य विभाग तथा खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट।

दसवीं योजना के दौरान उप क्षेत्रकीय रूप-रेखा

चित्र - 7.2.2 एल्यूमीनियम का उत्पादन और निर्यात



स्रोत: वाणिज्य विभाग तथा खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट।

चित्र-7.2.3 तांबे की क्षमता उत्पादन एवं स्थिति

7.2.16 यद्यपि भारत कापर कन्सन्ट्रेंट के आयात पर निर्भर है, इस धातु की प्रगालन क्षमता में दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई है तथा उत्पादन लगभग 60 प्रतिशत बढ़ा है। उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्रक (एचसीएस) का शेयर वर्ष 2001-02 में लगभग 13% से गिरकर वर्ष 2005-06 में लगभग 6% तक आ गया है।

जस्ता और सीसा

7.2.17 जस्ता और सीसा का क्षमता विस्तार और उत्पादन वृद्धि भी प्रभावशाली है, दोनो धातुओं के लिए लगभग दुगुना जैसा कि चित्र 7.2.4 में दर्शाया गया है।

7.2.18 निजीकरण के पश्चात् एचजैडएल ने अपने जस्ता खनन का विस्तार किया है तथा अपने कैप्टीव रामपुर अगूचा खानों से खनिज का प्रयोग प्रगालन के विस्तार के लिए किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सीसे की क्षमता और उत्पादन चित्र 7.2.5 में दर्शाया गया है।

दसवीं योजना के दौरान योजना परिव्यय और व्यय


7.2.19 खान मंत्रालय के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) हेतु 8344.50 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें सकल बजटीय सहायता 1271.00 करोड़ रुपये तथा कुल बजटीय सहायता 1021.00 करोड़ रुपये और आंतरिक व बाह्य बजटीय संसाधन 7073.50 करोड़ रुपये था। दसवीं योजना में बजट के माध्यम से विदेशी सहायता हेतु 250 करोड़ रुपये (जीएसआई 200.00 तथा आईबीएम 50.00 करोड़ रुपये) का

प्रावधान था। तथापि, योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान परिव्यय घटाकर 4485.26 करोड़ कर दिया गया था जिसमें से 2856.29 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। गिरावट का मुख्य कारण नाल्को के दूसरे चरण के विस्तार के अनुमोदन में विलम्ब तथा जीएसआई स्कीम के आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन में धीमी प्रगति थी। (ब्यौरे संलग्नक 7.2.1 में दिए गए हैं)।

ग्यारहवीं योजना के उद्देश्य


7.2.20 खनन क्षेत्रक में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- सोना, हीरा, सस्ती धातुओं और प्लेटिनम समूह के खनिजों जैसे कम आकार के उच्च मूल्य वाले खनिजों की खोज में तेजी लाने तथा लौह एवं गैर-लौह खनिजों और औद्योगिक खनिजों के मामले में वर्तमान संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास।
- राष्ट्रीय खनिज सूची में सुधार विशेषकर उन खनिजों का जिसका भण्डार कम है जैसे सस्ती धातुओं, निकल, टिन, ग्रैफाइट, उत्कृष्ट धातुओं, बहुमूल्य रत्नों और रॉक फास्फेट।
- भूमि तथा विमान वाहित दोनो प्रकार के सर्वेक्षणों के लिए उपकरणों के विकास और विनिर्माण के क्षेत्रों में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण तथा उच्च सूक्ष्म क्षमता वाली अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएं हासिल करना। जीएसआई द्वारा किए गए क्षेत्रीय खोज कार्यों तथा ऐसे कार्यों पर आधारित निवेश अवसर के संबंध में मेटा-डाटा दर्शाने वाला एक विस्तृत पोर्टल की स्थापना।



स्रोत: खनिज खोज एवं विकास (कोयला और लिग्नाइट के अतिरिक्त) कार्यदल की रिपोर्ट- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, खण्ड-III

चित्र - 7.2.4 जस्ते की क्षमता एवं उत्पादन



स्रोत: खनिज खोज और विकास (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) संबंधी कार्यदल रिपोर्ट-ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना खण्ड-III

चित्र-7.2.5 सीसे की क्षमता और उत्पादन (मि. टन)

- राष्ट्रीय रजिस्ट्री (माल गुजारी) एवं खनिज मान चित्रावली की स्थापना हेतु भारतीय खान ब्यूरो और राज्य निदेशालयों का आधुनिकीकरण। डाटाबेस में वास्तविक एवं संसाधन सूची दोनों रहेंगे तथा हरित क्षेत्र, परती क्षेत्र और परित्यक्त क्षेत्रों के ब्यौरे सहित भूखण्ड रजिस्ट्री शामिल होगी जिसमें जीएसआई द्वारा पहचान किए गए अयोग्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। डाटा आन-लाईन होगा जिसपर संभावी निवेशकों को सर्वेक्षण, पूर्वक्षण एवं खनन हेतु उपलब्ध सभी सूचनाएं तत्काल उपलब्ध रहेंगी।
- खनिज संसाधनों के वर्गीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र आधारभूत वर्गीकरण (यूएनएफसी) प्रणाली अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाना जिससे कि खनिजों के वर्तमान भण्डार/संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान प्रणाली में रखा जा सके तथा इस क्षेत्र की तरफ और अधिक निजी निवेश आकर्षित किया जा सके।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभानेवाले राज्यों के साथ तथा विशेष हस्तक्षेपों के द्वारा पहल करने वाली केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर खनिजों का विकास।
- खनन के सभी पहलुओं में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ करना।

ग्यारहवीं योजना की कार्यनीति

7.2.21 भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण की प्रौद्योगिकी एवं संसाधन सीमा को देखते हुए निजी क्षेत्र को खोज में निवेश के मुख्यकर्ता के रूप में प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा यद्यपि जीएसआई को गहराई तक चित्रित करने एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोविंग करने जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को सुदृढ़ किया जा रहा है।

7.2.22 वर्तमान आर्थिक नीति की तरह भविष्य में खनन में राज्यों का मुख्य कार्य खोज एवं निवेशकों और उद्यमियों के खनन कार्यकलाप, अवसंरचना प्रावधान, विनियमन एवं कर-संग्रह सुलभ कराना होगा। जहां राज्यों के लिए खनन कार्यकलाप जारी रखना आवश्यक समझा जाएगा वहां खोज एवं खनन करने वाली एजेंसियों तथा विनियमन करनेवाली एजेंसियों को दूर-दूर रखा जाएगा। खनन में अयस्कों के आवंटन में पारदर्शिता बनाई रखी जाएगी।

7.2.23 लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाकर, आरपी/पीएल/एमएल धारकों को अवधि की सुरक्षा प्रदान कर, प्रक्रियात्मक विलम्बों को कम करके तथा परिवहन अवसंरचना में सुधार करके निजी क्षेत्रक निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा।

7.2.24 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वातावरण पर विपरीत प्रभाव डाले बिना धारणीय तरीके से खनन किया जाए जहां कानून प्रभावी रूप से लागू हो तथा एक धारणीय विकास व्यवस्था विकसित हो जो भारत के खनन पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से बनाया गया हो तथा जिसका पालन खनन फर्मों द्वारा स्वैच्छक से किया जाए।

7.2.25 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजा तथा खनन क्षेत्र के आस-पास गांवों में रहने वाले समुदायों के लाभ के लिए राज्यों द्वारा घोषित वर्तमान पैकेज के आधार पर नई राहत एवं पुनर्वास मानक (स्वैच्छक आधार पर) विकसित की जाएगी।

आउट-पुट का ढांचा

7.2.26 देश में लगभग 90 खनिजों का उत्पादन हो रहा है जिसमें 4 ईंधन खनिज, 10 धातु संबंधी खनिज तथा 50 गैर-धातु खनिज, 3 परमाणु संबंधी और 23 लघु खनिज हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान कुल खनिज उत्पादन (परमाणु खनिज छोड़कर) की कीमत 87,866.35 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 2006-07 के दौरान ईंधन खनिज की अनंतिम कीमत 63,938.76 करोड़ रुपये (कुल कीमत का 73%), धातु खनिज की 12,858.71 करोड़ रुपये (कुल कीमत का 15%) तथा लघु खनिज सहित गैर-धातु खनिज की कीमत 11,068.88 करोड़ (कुल कीमत का 12%) रुपये रखी गई है।

मुख्य खनिजों अस्तित्व काल का सूचकांक

7.2.27 दसवीं योजना की समाप्ति पर महत्वपूर्ण खनिजों-बॉक्साइट, तांबा अयस्क, क्रोमाइट, सीसा-जस्ता अयस्क, लौह अयस्क (हीमाटाइट और मैग्नीटाइट) के अस्तित्व का सूचकांक संलग्नक 7.2.2 में दिए गए हैं। दिनांक 1.4.2007 के पश्चात् महत्वपूर्ण खनिजों के लिए उत्पादन के वर्तमान स्तर पर अनुमानित जीवन सूचकांक है : बॉक्साइट (166 वर्ष); तांबा (200 वर्ष); क्रोमाइट (33 वर्ष); सीसा-जस्ता अयस्क (69 वर्ष) और लौह अयस्क (97 वर्ष)।

7.2.28 दसवीं योजना के अंतिम वर्ष तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान अनुमानित प्रत्यक्ष उपभोग, घरेलू उत्पादन, संसाधन स्थिति तथा कुछ चयनित खनिजों का जीवन सूचकांक संलग्नक 7.2.3 में दिया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का जीवन सूचकांक इस प्रकार से है: बॉक्साइट-अपवर्तकीय ग्रेड (96), क्रोमाइट (16), ग्रेफाइट (58), जिप्सम (125) तथा राक फास्फेट (68)।

प्रमुख गैर लौह धातुओं का वस्तुगत शेष

7.2.29 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए खनिज खोज एवं विकास संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट पर आधारित प्रमुख गैर-लौह धातुओं-एल्यूमीनियम, तांबा, जस्ता एवं सीसा की वर्ष 2011-02 तक उत्पादन, आयात, निर्यात एवं घरेलू मांग के आकलन को संलग्नक-7.2.4 में दर्शाया गया है। सभी गैर-लौह धातुओं की घरेलू मांग में तीव्र वृद्धि की आशा है परंतु देश एल्यूमीनियम एवं तांबा (आयातित खनिज कंसन्ट्रेट पर ज्यादातर अधारित) का निवल निर्यातक बना रहेगा। जस्ता के मामले में देश स्वावलंबी होगा परंतु सीसे का निवल आयातक होगा।

क्षेत्रवार वर्णन

लौह अयस्क संसाधन

7.2.30 अब तक पहचान की गई तथा दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार यूएनएफसी आधार पर अनुमानित लौह अयस्क संसाधनों में लगभग 14630 मिलियन टन हीमाटाइट अयस्क तथा लगभग 10619 मिलियन टन मैग्नेटाइट अयस्क है। हीमाटाइट के समान लगभग पूरे मैग्नेटाइट संसाधन को अभी भी भण्डार में परिवर्तित किया जाना है। छोटा अनुपात भी, जिसे अभी तक एनएमडीसी द्वारा परिवर्तित किया गया था, पश्चिमी घाट के जैवविविधता वाले क्षेत्र में है, तथा वर्तमान में पर्यावरण सुस्था कारणों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण निरसारण के लिए उपलब्ध नहीं है। हीमाटाइट संसाधनों की उच्च गुणवत्ता भण्डारण मात्र 1.3 बिलियन टन है जिसमें 65 प्रतिशत लौह है। ब्यौरे संलग्नक 7.2.5 तथा 7.2.6 में दिए गए हैं।

मैंगनीज अयस्क

7.2.31 मैंगनीज अयस्क का अखिल भारत कुल संसाधन दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 380 मिलियन टन है। इनमें से 37.29% रिजर्व श्रेणी में तथा शेष 62.71% शेष संसाधन श्रेणी में है। कुल संसाधनों का ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड 130.2 मिलियन टन, मीडियम ग्रेड 31.63 मिलियन टन, फेरो-मैंगनीज ग्रेड 25.3 मिलियन टन है।

क्रोमाइट

7.2.32 क्रोमाइट का अखिल भारत कुल संसाधन दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 232.12 मिलियन टन (अनंतिम) है, जिसका 28.48% रिजर्व श्रेणी से हैं तथा 71.52% शेष संसाधन है। ग्रेडवार, 18% मेटलर्जिकल, 1.79% रिफ्रेक्टरी, 23.69% चार्जक्रोम, 18.28% धातुशोधन तथा शेष 38.24% लो-ग्रेड फेरोक्रोम, अन्य अवर्गीकृत एवं अपरिभाषित ग्रेड्स है। अधिकांश संसाधन 93.38% उड़ीसा में स्थित है। लीज होल्ड में 161 मिलियन टन संसाधनों में से 33.67% सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 66.33% निजी क्षेत्र में है। लौह अयस्क ग्रुप के साथ जुड़े क्रोमाइट डिपॉजिट अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उनमें दो क्षेत्र नामतः उड़ीसा के सुकिन्दा अल्ट्रामाफिक बेल्ट तथा नौसाही अल्ट्रामाफिक बेल्ट में भारत के कुल क्रोमाइट संसाधनों का लगभग 97% है।

बाक्साइट

7.2.33 बाक्साइट का अखिल भारत कुल संसाधन दिनांक 1.4.2005 (अनंतिम) के अनुसार 3306 मिलियन टन है। इनमें से 915 मिलियन टन रिजर्व श्रेणी तथा शेष 2392 मिलियन टन शेष संसाधन श्रेणी में है। ग्रेड वार, 0.4% केमिकल ग्रेड है, 2.1% रिफ्रेक्टरी ग्रेड, 83.39% मेटलर्जिकल ग्रेड तथा शेष 14.1% अवर्गीकृत एवं अन्य मिश्रित ग्रेड है। 1079 मिलियन एमटी लीज होल्ड संसाधनों में से 41.94% सार्वजनिक क्षेत्र तथा 49.06% निजी क्षेत्र में है। कुल संसाधनों का 54.35% कैप्टीव में तथा 45.65% नान-कैप्टीव क्षेत्र में है। 453 मिलियन टन सार्वजनिक क्षेत्र संसाधनों में से 300 मिलियन टन कैप्टीव क्षेत्र में है।

तांबा अयस्क

7.2.34 तांबा अयस्क का अखिल भारत कुल संसाधन दिनांक 1.4.2005 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार 11.41 मिलियन टन धातु सहित 1394 मिलियन टन है। इसमें से 4.4 मिलियन टन धातु सहित 369.5 मिलियन टन अयस्क रिजर्व श्रेणी में तथा बाकी शेष संसाधन श्रेणी में है। ग्रेडवार 28.031 मिलियन टन एमटी 31.85% तांबे के साथ, 622 मिलियन टन एमटी 1.0 से 1.85% तांबे के साथ, 604 मिलियन टन एमटी 0.5 से 1.0% घनाकार तथा 140 मिलियन टन एमटी 0.5% से कम तांबे के साथ है।

7.2.35 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, देश में तांबा खनन का एकमात्र उपक्रम है। खनन के अंतर्गत ताम्बे के अधिकांश प्राकृतिक भण्डारों की विस्तृत खोज की गई है। खोज कार्यकलाप से देश के पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और केन्द्रीय प्रीकेम्ब्रीयन शील्ड क्षेत्रों में तांबे के छोटे-मोटे प्राकृतिक भण्डारों का पता चला है। तांबे के लिए खोज कार्यकलापों को तेज करना आवश्यक है तथा इसके लिए एचसीएल विदेशों के विशेषज्ञता प्राप्त उन कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम कर सकते हैं जिनके पास नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करते हुए खोज कार्यकलाप शुरू करने की प्रौद्योगिकी है।

सीसा-जस्ता अयस्क

7.2.36 सीसा-जस्ता अयस्क का अखिल भारत कुल संसाधन 522 मिलियन टन है जिसमें 7.2 मिलियन टन सीसा धातु तथा 24.25 मिलियन टन जस्ता धातु है। कुल संसाधनों में 126 मिलियन टन जिसमें 2.6 मिलियन टन सीसा धातु तथा 11.0 मिलियन टन जस्ता धातु है, रिजर्व श्रेणी में है। ग्रेड वार 86.82 मिलियन टन + 10% सीसा एवं जस्ता के साथ, 144.67 मिलियन टन 5-10% सीसा एवं जस्ता के साथ, तथा 291 मिलियन टन 5% से कम सीसा एवं जस्ता धातु के साथ है। कुल संसाधनों में से 3.7 मिलियन टन सीसा धातु और 8.99 मिलियन टन जस्ता धातु सहित 352.82 मिलियन टन पूर्ण स्वामित्व वाले क्षेत्र में है। पट्टे पर कुल संसाधन 169.7 मिलियन टन है जिसमें 3.5 मिलियन टन शीशा धातु और 15.26 मिलियन टन जस्ता धातु है। तालिका 7.2.1 में सीसा-जस्ता अयस्क के उत्पादन और आयात के आंकड़े दिए गए हैं।

तालिका 7.2.1
सकेंद्रित सीसा-जस्ता का उत्पादन एवं आयात
(मि.ट.)

वर्ष	उत्पादन	आयात
2001-02	450438	68,148
2002-03	544986	37,550
2003-04	663234	103,007
2004-05	750675	81,547
2005-06	984745	40,187

स्रोत: - वार्षिक रिपोर्ट - खान मंत्रालय

भारतीय खनिज क्षेत्रक की तुलना में वैश्विक परिदृश्य

7.2.37 खनिज खोज कार्यकलाप दीर्घ अवधि वाले जोखिम भरे उद्यम है तथा भारी निवेश की आवश्यकता है। पिछले दशक के पूर्वार्ध (1991-95) के दौरान खनिज की खोज पर ग्लोबल खर्च 18,500 मिलियन अमरीकी डालर था जो उत्तरार्ध में

(1996-2000) घटकर 14,900 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत में खनिज खोज पर खर्च कुल ग्लोबल व्यय का लगभग 0.7-0.8 प्रतिशत के इर्द गिर्द है। खोज कार्यकलापों पर कम खर्च होने से देश में खनिज संभाव्यता की प्राप्ति नहीं हो पाई है। कुछ मुख्य खनिजों के निम्नलिखित आंकड़े यह सुझाते हैं कि संसाधनों को रिजर्व श्रेणी (तालिका 7.2.2) में परिवर्तित करने के लिए खोज कार्यकलापों में तेजी लाने की आवश्यकता है। भारत में रिजर्व संसाधन का अनुपात सीसा और जस्ता को छोड़कर ग्लोबल रिजर्व संसाधन अनुपात की तुलना में कम है।

तालिका - 7.2.2
खनिज - हासिल न हुई क्षमता

(मिलियन मि. ट. में)

सामग्री	वैश्विक		भारत	
	संसाधन	भण्डार	संसाधन	भण्डार
तांबा	1600	940	11.4	4.4
जस्ता	1900	460	24.2	11.0
सीसा	1500	140	7.2	2.6
निकल	140	140	1.9	0.0
सोना*	90,000	90,000	497	85.0
हीरा**	1250	1250	4.6	1.2

* टन में **मिलियन कैरट

स्रोत : भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक, 2004, आईबीएम

ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित सरकारी एजेंसियों एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकलाप

भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण

7.2.38 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीएसआई सात स्कीमों शुरू करेगा नामतः सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, खनिज की खोज, विशेषज्ञ जांच, अनुसंधान एवं विकास और अन्य खोज, मानचित्र और प्रकाशन एवं सूचना प्रसार, मानव संसाधन विकास और आधुनिकीकरण व प्रतिस्थापन। खनिज खोज कार्यक्रम के अंतर्गत जीएसआई देश में अपर्याप्त खनिज संसाधनों को बढ़ाने तथा उच्च कीमत वाले खनिजों जैसे सोना, डायमण्ड, प्लेटिनम ग्रुप के तत्व तथा अन्य खनिज जैसे ताँबा, सीसा व जस्ता, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, बाक्साइट, लाइमस्टोन तथा टंगस्टन, निकल, उर्वरक खनिज आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिजों हेतु कार्यकलाप शुरू करेगा। जीएसआई समुद्र तल सर्वेक्षण एवं खोज के लिए पुराने हो रहे आरवी समुद्रमंथन के

लिए लेवोरेटरी उपस्कर हासिल करेगा तथा ब्ल्यूवाटर रिसर्च वेसल को बदलने का भी कार्य करेगा। यह भू-तकनीकी पोत और एक हेलीकाप्टर वाहित भू-भौतिक सर्वेक्षण प्रणाली भी हासिल करेगा। इन चीजों को हासिल करने की प्रक्रिया दसवीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे पूरा कर लेने का कार्यक्रम है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जीएसआई द्वारा प्रस्तावित वास्तविक कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्नक 7.2.7 में दिया गया है।

7.2.39 दो मुद्दे जिनका जीएसआई के साथ समाधान किया जाना है वे हैं पृथ्वी विज्ञान कार्यकलाप को खनिज खोज कार्यकलाप से अलग करना तथा कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए कोल इण्डिया से आउटसोर्सिंग करना जो व्यावसायिक आधार पर इस प्रकार का खोज करेगा।

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)

7.2.40 भारतीय खान ब्यूरो के कार्यकलापों को उनके कार्य की सूची के अनुसार मुख्यतः चार स्कीमों में वर्गीकृत किया गया है नामतः वैज्ञानिक एवं पद्धतिबद्ध खनन हेतु खानों का निरीक्षण, खनिज संरक्षण एवं खान पर्यावरण, खनिज धातु शोधन अध्ययन-निम्न ग्रेड और उप-ग्रेड अयस्क की उपयोगिता तथा पर्यावरणीय प्रतिदर्श का विश्लेषण, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, तथा संग्रहण, प्रसंस्करण, विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से खान एवं खनिज संबंधी आंकड़ों का प्रसार। यह आवश्यक है कि आईबीएम को जनशक्ति और उपस्करों से सुदृढ़ करने के लिए इसके बजटीय संसाधनों को बढ़ाया जाए जिससे कि यह देश में खराब खनन कार्यों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपट सके। आईबीएम दो नई परियोजनाएं शुरू करेगा- (i) खनन-भूखण्ड प्रणाली का कम्प्यूटरीकृत आन-लाईन रजिस्टर (ii) भारत में खनन से उत्पन्न टोस अपशिष्ट का प्रबंधन। आईबीएम द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्नक 7.2.8 में दिया गया है।

खनिज खोज निगम लिमिटेड (एमईसीएल)

7.2.41 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमईसीएल प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत विस्तृत खोज कार्य तथा कैपिटल स्कीम के अंतर्गत उपस्करों को प्राप्त करने का कार्य शुरू करेगा। एमईसीएल को उन क्षेत्रों में विकास (प्रमोशनल) खोज के लिए निधियों की आवश्यकता है जहां निजी क्षेत्रक की कोई रुचि नहीं है। आरपी और पीएल होल्डर्स के लिए व्यावसायिक खोज शुरू करने के लिए इसे विदेशों के विशेषज्ञ खोज कंपनियों के साथ संयुक्त

उद्यम करने की भी आवश्यकता है।

7.2.42 खनिज भण्डारों, विशेषतः लौह और अलौह खनिजों, में सुधार के लिए कंपनी संयुक्त प्रयास करेगी तथा इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार का प्रयास करेगी जिससे कि यह खनिज सम्पन्न राज्यों से वर्क आर्डर हासिल कर सके। आईबीएम और एमईसीएल के लिए ग्यारहवीं योजना हेतु प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्यों के ब्योरे संलग्नक-7.2.8 में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को)

7.2.43 नाल्को एक लाभ में रहने वाला सीपीएसई है जिसका धातु के घरेलू उत्पादन में 35% शेयर है। इसके दूसरे चरण के विस्तार स्कीम, जिसे भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2004 में अनुमोदित किया गया, की अनुमानित लागत 4091.51 करोड़ रुपये है तथा दिसम्बर, 2008 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। विस्तार की जानेवाली विभिन्न परियोजना खण्डों की क्षमता संलग्नक 7.2.9 में दी गई है। नाल्को ग्रीन फील्ड परियोजना स्थापित करने तथा इसके कार्यकलापों को विविधता देने का कार्य भी शुरू करेगा।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एचसीएल)

7.2.44 एचसीएल जो पहले एक बीमार सीपीएसई था, पिछले तीन वर्षों से लाभ में रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एचसीएल उपस्करों को बदलने और नवीकरण का कार्य करेगा जिसका निधिकरण उनके आंतरिक संसाधनों से होगा जिससे कि उत्पादन का वर्तमान स्तर बना रहे तथा भविष्य में और अधिक उत्पादन की योजना बन सके।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

7.2.45 अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय रॉक मेकनिक्स संस्थान, जवाहर लाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान, विकास और डिजाइन केन्द्र (जेएनएआरडीडीसी), राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान एवं शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। इन संस्थाओं को अनुसंधान कार्य हेतु निधियां खान मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के स्थायी सलाहकार समूह द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं के अनुमोदन के पश्चात् दी जा रही हैं।

7.2.46 खनिज क्षेत्रक में आर एंड डी हेतु पहचान किए गए ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं : खोज, खनन प्रौद्योगिकी, खनिज प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, धातु आसवन, मिश्रधातु और उत्पाद विकास तथा क्षेत्रका का धारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन।

7.2.47 खनिज क्षेत्र में आरएण्डडी के क्षेत्र में एक संकेन्द्रित पहल करने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं योजना के लिए पहचान की गई कुछ विशिष्ट परियोजनाएं निम्नलिखित हैं-

- ग्रीन स्टोन वेल्ड तथा उससे संबंधित खनिजों, विशेषकर सोना (एयू) और प्लेटिनिम तत्व समूह (पीजीई) खनिजीकरण का अध्ययन।
- उपोत्पाद तथा उपलब्ध अपशिष्ट भविष्य के लिए कीमती उत्पाद हैं। टिटानियम (टीआई), वेनाडियम (वी), गैलीयम (जीए) के दाम नई ऊँचाइयों पर होने के कारण उसी स्रोत से कई पदार्थों को हासिल करने संबंधी एकिकृत पहल आवश्यक हो गया है। रेड मड के बारे में पुनः गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि उपरोक्त धातु को हासिल करना संभव है। इसी प्रकार पीजी धातु के लिए उच्च मूल्य वाले सूक्ष्मांत्रिक धातुओं के वास्ते विभिन्न स्लैग्स व एनोड स्लाइम्स पर भी पुनः विचार करने की आवश्यकता है तथा द्वितीयक एवं अपशिष्ट हेतु विशिष्ट आर एण्ड डी कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।
- जहां एक तरफ टंगस्टन, मालीबेडनम, वेनोडियम, क्रोमियम व निकल आदि जैसे धातुओं के आसवन हेतु मल्टी मैटेरियल आसवन प्रौद्योगिकी विकसित किए जाने की आवश्यकता है वहीं दूसरी तरफ वैल्यू एडेड ट्रेस एलिमेण्ट्स जैसे गैलियम, इंडियम, टैलरियम आदि को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

7.2.48 खनन के क्षेत्र में आरएण्डडी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने हेतु, खनन के सभी पहलुओं पर अनुसंधान शुरू करने हेतु एक केन्द्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता है।

मानव संसाधन विकास

7.2.49 भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण(जीएसआई), भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), राज्य खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय, राज्य खनन निगम, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, निजी एवं संयुक्त उद्यम खोज एवं खनन कंपनीज, अनुसंधान संस्थान तथा शैक्षिक संस्थान कुछ ऐसे मुख्य संगठन हैं जो खनिज क्षेत्र में सक्षम एवं कुशल जनशक्ति की भर्ती करते हैं। जीएसआई और आईबीएम जैसे संगठन कुशल जनशक्ति की कमी झेल रहे हैं। उच्च प्रतिभावाले सूचना प्रौद्योगिकी तथा विजिनेस मैनेजमेंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग और भू-विज्ञान का कोर्स के रूप में अध्ययन करने की मांग छात्रों में कम है। जीएसआई और आईबीएम में एण्ट्री लेवल पर अधिकारियों की भर्ती न होने से समस्या और

बढ़ गई है। इस स्थिति के समाधान के लिए जीएसआई और आईबीएम में भू-वैज्ञानिकों और माइनिंग इंजीनियरों की भावी आवश्यकताओं का आंकलन करने तथा भर्ती के लिए एक दीर्घावधिक कार्यक्रम की घोषणा करना आवश्यक है।

खनिज विकास की धारणीयता

7.2.50 देश में खनिज विकास का दो कारणों से विरोध हो रहा है। पहला, लोगों में यह शंका है कि खनन कार्य जिस तरीके से किया जा रहा है उसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न हो। दूसरा, परियोजना प्रभावित लोगों में यह भावना है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। इससे भी महत्वपूर्ण, खानों के संचालन हेतु सामाजिक लाइसेंस के बदले विकास सेवाएं प्रदान करने के लिए माइनिंग कंपनियों से अपूरित अपेक्षाएं।

7.2.51 दो संविधियां हैं अर्थात् वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 जिसमें ऐसे कानूनों का उल्लेख है जिनका खानों के विकास में अवश्य अनुपालन किया जाना चाहिए। आलोचना की गई है कि इन दो संविधियों के दो विचार-विषय हैं नामतः वन भूमि को गैर-वन प्रयोग हेतु विभिन्न तरीकों (प्रतिपूरक वानिकीकरण सहित) से प्रयोग करने के लिए मुआवजा तथा पर्यावरणीय अनुमति देने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित तरीका इन विचार-विषयों से परे है। विश्वव्यापी खनन हस्तक्षेप व्यावहारिक होते जा रहे हैं तथा इसका उद्देश्य 'यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा बनी रहे, जहां संभव हो, पारिस्थितिकी प्रणाली का विकास हो तथा निवल पर्यावरणीय सततता में खनिज संपदा का योगदान हो'। (राष्ट्रीय खनिज नीति, उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट, 2006)।

7.2.52 राहत और पुनर्वास के लिए खनिज सम्पन्न विभिन्न राज्यों की अपनी नीतियां एवं कार्यपालिका आदेश हैं जिनमें परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए हकदारी संबंधी सूचनाएं हैं। परंतु इस देश में खनन क्षेत्र हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हस्तक्षेपों की तुलना में कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित तरीकों में उस क्षेत्र के सामाजिक अवसंरचना पर खनन कंपनियों का 2-3% टर्न ओवर खर्च किया जाना, खनन उद्यम में स्वदेशी समुदायों (जैसे जनजातीय) को इक्विटी के रूप में सीधा वित्तीय हिस्सेदारी और इसके अतिरिक्त नगद, आवास और काम के माध्यम से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजा शामिल है। भारत में खनन कंपनियों अब कानूनी बाध्यताओं के अंतर्गत नियमित रूप से संपूर्ण स्थानीय समुदायों के विकास हेतु कल्याणकारी उपाय कर रही है। तथापि, जैसाकि

उच्चस्तरीय समिति ने पाया है 'ये असंगठित तदर्थ पहले हैं जो कि स्वैच्छिक प्रकृति की है तथा जिसके लिए बाहरी एजेंसियों की कोई जवाबदेही नहीं है'। एक औपचारिक व्यवस्था का होना आवश्यक है जिससे कि मानक बनाए जा सकें तथा उन मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

7.2.53 पर्यावरण शोधन में खनन के योगदान को बढ़ाने तथा वर्तमान कानूनों एवं नीतियों से ऊपर उठकर स्थानीय समुदायों के कल्याण में सुधार हेतु खनिज नीति संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद (आईसीएमएम) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ (आईयूसीएन) द्वारा विकसित धारणीय विकास ढांचा (एसडीएफ) के आधार पर भारतीय खनन के परिप्रेक्ष्य में एक मूलभूत सिद्धान्त तैयार किया जाए एवं अपनाया जाए। एक बार मूलभूत सिद्धान्त तैयार हो जाने पर सभी खनन लीज धारकों से लीज के शर्त के रूप में उसका पालन करना अपेक्षित होगा। सरकार एनजीओ और पीएपीज के साथ भागीदारी के माध्यम से इस प्रकार के अनुपालन की मानीटरिंग हेतु एक मैकेनिज्म स्थापित करेगी।

खनन के लिए निवेश में बाधा

7.2.54 खोज एवं खनन कार्यकलापों में निजी क्षेत्रक निवेश में कमी का मुख्य कारण यह है कि अनुसंधान परमिट (आरपी) धारक को प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस (पीएल) तथा पीएल धारक को माइनिंग लीज (एमएल) मिलने का कोई आश्वासन नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि किसी उद्यमी को एमएल मिलता है तो कानून के अनेक विवेकाधिकार प्रावधान एमएल धारक के सुरक्षा अवधि के लिए खतरा हो जाते हैं।

7.2.55 वर्तमान में, विशिष्ट आरपीज प्रणाली में आरपी धारकों के लिए अनुसंधान कार्य में तेजी लाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। इसके अतिरिक्त, पीएल अंतरण के अधिकार में अस्पष्टता होने के कारण आरपी हेतु आवेदन उन बड़ी कम्पनियों तक ही सीमित है। जिनके पास अनुसंधान, संवर्धन तथा खनन कार्यकलाप शुरू करने की क्षमता है। पीएल अंतरण की गारंटी एवं विशिष्ट अधिकार के बगैर, उत्कृष्ट खोज कम्पनियों जिनके पास अत्याधुनिक तकनीकी के आधार पर अनुसंधान एवं संवर्धन करने की क्षमता है परंतु अलग कार्यकलाप होने के कारण खनन का कार्य नहीं करती है, आरपी हेतु आवेदन करने में हतोत्साहित होती है। खोज में निवेश को आकर्षित करने का एक मात्र महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि राष्ट्रीय खनिज नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा 'अनबंडलिंग' हेतु की गई सिफारिश का मूल आधार है।

7.2.56 यद्यपि विनियमों में राज्य सरकारों के लिए आवेदनों के निपटान हेतु समय-सीमा दी गई है, राज्य सरकारें, इस आशा में कि भविष्य में आवेदन वैल्यू एडर्स से प्राप्त होंगे, आरपी/पीएल/एमएल हेतु आवेदनों पर निर्णय अनिश्चित काल तक लम्बित रख सकती है।

7.2.57 आवेदनों के निपटान में प्रक्रियात्मक विलम्ब कई कारणों से होते हैं। उनमें से एक है खनिज शीर्ष की जांच में लिया गया लम्बा समय। स्थानीय प्रतिनिधित्व की उपलब्धता, सभी लम्बित एवं अनुमोदित खोज शीर्षों की सुलभ रजिस्ट्री आधुनिक नियामक प्रणाली का मुख्य हिस्सा है।

7.2.58 खनन कार्यकलाप में राज्य सरकार के कई उपक्रम शामिल हैं और चूंकि राज्य एक नियामक संस्था भी है अतः निजी खनन कंपनियों के साथ खनन एवं प्रतिस्पर्धा में राज्य का शामिल होना निजी क्षेत्र निवेश को हतोत्साहित कर सकता है।

राज्यों में खनिज विकास

7.2.59 वर्तमान आर्थिक एवं नई खनिज नीति के समान, खनन में राज्य का मुख्य कार्य निवेशकों और उद्यमियों को खोज एवं खनन कार्यकलाप, अवसंरचना प्रावधान तथा विनियम एवं कर-संग्रह सुलभ कराना है। खनिज उत्पादन वाले राज्यों को अपनी खनिज नीति को राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता है।

खनन क्षेत्रों में अवसंरचना

7.2.60 नाड़ी की प्रकृति वाले (आर्टरियल) सड़क, रेल एवं पोत अवसंरचना में कमियों को केन्द्र सरकार द्वारा दूर किए जाने की आवश्यकता है, खनन विकास के लिए खानों को आर्टरियल मार्गों से जोड़ने वाली अवसंरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जबकि केन्द्र सरकार आर्टरियल मार्गों हेतु निधियां प्रदान करती है, अवसंरचना को जोड़ने के लिए भी निधियों की आवश्यकता है। हमारे देश में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां और कैंपटीव खनन मुख्य रूप से एक एसएमई क्षेत्र कार्यकलाप है।

चुनौतियों का सामना करने हेतु कार्यनीति

7.2.61 दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर, आवश्यक स्केल पर खोज कार्यकलाप न होने के कारण देश में खनिज क्षेत्र संभाव्यता को अधिकांश रूप से अभी प्राप्त नहीं किया जा सका है। सार्वजनिक क्षेत्र निकाय वित्तीय संसाधनों के कमी के कारण पंगु हो गये हैं तथा निजी क्षेत्र कानूनी ढांचे और प्रक्रिया को उद्यम के अनुकूल नहीं पाते हैं। अन्य चुनौतियां भी है विशेषकर वे जो परिवहन अवसंरचना, पर्यावरण सुरक्षा, खनन

कार्यकलापों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा खनन कार्यकलापों से राज्य सरकारों हेतु राजस्व बढ़ाने से संबंधित है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम और महत्वपूर्ण कार्यनीतियाँ रही है जो कि अधिकांशतः पूर्व में संदर्भित खनिज नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

• कानून में परिवर्तन करना आवश्यक है जिससे आरपी से पीएल और आगे एमएल तक संक्रमण क्षति रहित हो सके। सरकार की विवेकाधीन शक्तियां, जो कि आरपी/पीएल/एमएल धारकों की सुरक्षा अवधि को प्रभावित करती है, समाप्त की जानी चाहिए अथवा उनमें भारी कटौती की जानी चाहिए।

• खोज में निवेश को अधिकतम करने के लिए आरपीज को गैर-विशिष्ट बनाया जाना चाहिए तथा प्रभावी कम्पनियों को पीएल अंतरण करने के स्पष्ट गारंटीड अधिकार के साथ-साथ एमएल देने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

• वर्तमान रजिस्ट्री प्रणाली को डिजीटाइज्ड आन-लाइन खनिज एटलस का सृजन कर आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए जो खनिज टाइल्स को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा। इससे आवेदकों को आवेदन करने से पहले क्षेत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा आन-लाईन आवेदन व्यवहार्य बनाया जा सकेगा जिसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

• विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा तेजी से अनुमति (क्लीयरेंस) सुनिश्चित करने के लिए एक दबाव बिन्दु के रूप में कार्य करने तथा क्लीयरेंस की मानीटरिंग करने के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों में सहयोग-सव-अधिकार प्राप्त समितियां गठित किए जाने की आवश्यकता है।

• वर्तमान आर्थिक एवं नई खनिज नीति के समान, खनन में राज्य का मुख्य कार्य निजी निवेशकों और उद्यमियों की खोज एवं खनन कार्यकलाप, अवसंरचना प्रावधान तथा विनियम एवं कर-संग्रह सुलभ कराना है।

• खानों की अर्टरियल मार्गों से जोड़ने के लिए अवसंरचना प्रावधान सुलभ कराने हेतु शीर्ष खनन कार्य वाले प्रत्येक राज्य को एक खनिज विकास निधि (एमडीएफ) की स्थापना करनी चाहिए जिसमें निधियों के लिए वार्षिक रायल्टी संग्रह का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया हो। भारत सरकार को भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य के योजना निधि से एमडीएफ में दी जाने वाली समान राशि के बराबर मैचिंग अंशदान दिया जाना चाहिए।

ग्यारहवीं योजना में योजना परिव्यय

7.2.62 ग्यारहवीं योजना परिव्यय का स्कीमवार ब्यौरा संलग्नक 7.2.10 में दिया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में खान मंत्रालय के लिए कुल अनुमानित परिव्यय वर्ष 2006-07 के मूल्यों पर (8404 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य पर) 7430 करोड़

रुपये है जिसमें वर्ष 2006-07 के मूल्यों पर (1180 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य पर) 1043 करोड़ रुपये का जीवीएस तथा वर्ष 2006-07 के मूल्यों पर (7224 रुपये के वर्तमान मूल्यों पर) 6387 करोड़ रुपये का आईईबीआर शामिल है।

अनुलग्नक 7.1.1
औद्योगिक निवेश प्रस्ताव

वर्ष	औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन		आशय पत्र		प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस	
	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)
2001	2981	91,234	117	1,318		
2002	3172	91,291	89	649		
2003	3875	118,612	116	1395	14	
2004	5118	267069	39	381	61	4884
2005	6203	353956	24	333	111	2657
2006	6260	588271	20	137	90	4693
2007 (मार्च, 2007 तक)	1030	204517	1	37	6	886

स्रोत: एस.आइ.ए. स्टैटिस्टिक्स, अप्रैल 2007, औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग

अनुलग्नक 7.1.2
2004-05, 2005-06 और 2006-07 में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों से लाभ उठाने वाली निवेश परियोजनाएं

1	2004-04			2005-06			2006-07		
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत हिस्सा
उद्योग				2	3	4	5	6	7
1. अवसंरचना	75	31294	33.3	109	44,541	33.9	125	1,01,744	35.9
(i) विद्युत	60	12419	13.2	66	35,358	26.9	64	51,451	18.2
(ii) दूर-संचार	4	15832	16.9	5	2,639	2.0	9	17,950	6.3
(iii) पत्तन और हवाई अड्डे	11	3043	3.2	3	2,295	1.8	7	10,745	3.8
(iv) सड़कें, स्टोरेज और जल प्रबन्ध				22	2,386	1.8	8	13,083	4.6
(v) एस.ई.जेड., औद्योगिक, जैव-प्रौद्योगिकी				13	1,864	1.4	37	8,515	3.0
2. चीनी	14	763	0.8	20	2,857	2.2	33	8,867	3.1
3. कपड़ा	126	7458	8.0	158	14,128	10.8	258	25,933	9.2
4. कागज और कागज उत्पाद	17	2330	2.5	23	2,397	1.8	24	2,915	1.0
5. कोक और पेट्रोलियम उत्पाद				2	1,107	0.8	11	44,083	15.5
6. रसायन और पेट्रो-रसायन	38	2822	3.0	26	3,021	2.3	35	4,136	1.5
7. सीमेंट	14	3642	3.9	13	1,945	1.5	27	10,567	3.7
8. धातु और धातु उत्पाद	141	27331	29.1	126	21,799	16.6	130	39,876	14.1
9. विद्युत और गैर-विद्युत मशीनें	23	671	0.7	22	384	0.3	20	4,486	1.6
10. परिवहन उपस्कर	25	1289	1.4	13	988	0.8	29	5,174	1.8
11. निर्माण	8	275	0.3	33	4,700	3.6	34	9,277	3.3
12. होटल और रेस्तरां	20	2254	2.4	37	4,454	3.4	74	11,122	3.9
13. परिवहन सेवाएं	45	4201	4.5	21	16,947	12.9	17	1,561	0.5
14. मनोरंजन				9	1,807	1.4	20	761	0.3
15. सूचना प्रौद्योगिकी	16	974	1.0	7	2,683	2.0	8	228	0.1
16. खाद्य उत्पाद/प्रोसेसिंग	47	1754	1.9						
17. अन्य*	81	3401	3.6	193	7,540	5.7	209	12,710	4.5
जोड़	720	93859	100.00	812	1,31,299	100.0	1054	2,83,440	100.0

नोट: इनमें वे उद्योग शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का हिस्सा 2005-06 और 2006-07 में परियोजनाओं की कुल लागत में 1 प्रतिशत से कम था।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अगस्त 2006 और अगस्त 2007

अनुलग्नक 7.1.3
निर्यात की संरचना और संवृद्धि दरें

वस्तुएं	निर्यात 2006-07 (अमरीकी मिलियन डालर)	निर्यात का % हिस्सा	नौवीं योजना में सी.ए. जी.आर		पिछले वर्ष से वृद्धि की दर				दसवीं योजना में सी.ए.जी.आर	
			2006-07	2006-07	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06		2006-07
I. प्राथमिक उत्पाद										
क. कृषि और सम्बद्ध उत्पाद	19547.8	18.3	15.5	-2.3	21.5	13.7	36.9	20.9	19.4	22.2
ख. अयस्क और खनिज	12514.6	15.6	9.9	-3.0	13.7	12.3	12.5	20.3	22.5	16.2
ग. चमड़ा और विनिर्मितियां	7033.1	2.7	5.6	1.5	58.1	18.7	114.4	21.9	14.1	41.0
घ. रसायन और सम्बद्ध उत्पाद	82817.8	77.4	65.6	6.3	20.6	20.5	25.2	18.3	14.1	19.9
1. बेसिक रसायन, औषध और प्रसाधन सामग्री	2933.1	4.5	2.3	3.5	-3.2	17.0	12.0	8.4	8.7	9.0
2. अन्य	16727.1	12.9	13.2	9.1	23.2	26.7	31.7	16.6	13.3	22.5
3. सूती धागा, कपड़ा, मेडअप, आदि	10445.8	8.2	8.2	8.2	26.0	25.5	22.1	25.2	14.4	23.1
4. कपड़ा और कपड़ा उत्पाद	6281.3	4.7	5.0	10.7	18.8	28.7	47.3	5.1	11.3	21.7
5. इजीनियरी वस्तुएं	29079.1	14.9	23.0	7.0	29.8	37.3	39.8	24.2	33.9	33.1
6. कपड़ा और कपड़ा उत्पाद	17009.7	25.5	13.5	3.4	13.8	10.1	6.0	18.3	3.7	10.8
7. सूती धागा, कपड़ा, मेडअप, आदि	4136.6	8.1	3.3	-0.3	9.1	1.3	1.6	12.0	4.9	6.1
8. सिले-सिलार वस्त्र	8694.7	12.2	6.9	5.9	13.6	9.5	5.3	28.1	0.9	11.7
9. मानव-निर्मित धागा, कपड़ा, निर्मितियां, आदि	2164.6	2.3	1.7	8.7	28.8	28.4	11.4	-2.2	10.6	15.2
10. अन्य (सिल्क, जूट, नाखिल जटा, ऊनी उत्पाद और कालीन)	2013.8	2.9	1.6	0.1	13.4	16.6	12.6	17.2	7.0	13.7
11. रत्न और आभूषण	15585.7	17.3	12.3	9.0	23.6	17.1	30.2	13.0	0.4	16.4
12. हस्तशिल्प (हाथ से बने कालीनों को छोड़ कर)	371.7	1.6	0.3	2.9	43.0	-36.4	-24.5	8.7	-19.5	-7.5
13. अन्य विनिर्मित वस्तुएं	1111.4	0.8	0.9	7.7	22.5	29.0	34.1	37.7	13.0	23.4
III. पेट्रोलियम उत्पाद	18551.9	2.3	14.7	34.5	21.6	38.5	95.9	64.7	59.4	54.3
IV. अन्य	5413.7	2.0	4.3	28.2	1.5	57.7	20.3	32.9	115.6	35.8
कुल निर्यात	126331.1	100.0	100.0	5.5	20.3	21.1	30.8	23.0	22.5	23.6

स्रोत: हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आन इंडियन इकानामी, भारतीय रिजर्व बैंक, 2007
नोट: पी - अनंतिम

अनुलग्नक 7.1.4
दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों का कार्य-निष्पादन

(करोड़ रुपए)

	कारोबार					निवल लाभ/हानि (-)				
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
उद्योग										
इस्पात	20135	24885	31008	40820	41742	-1781	229	4091	8893	5307
खनिज और अलौह धातुएं	5461	5846	7160	10153	12384	568	755	1467	2876	4039
कोयला और लिग्नाइट	22001	26920	29048	33698	34489	2158	3035	5238	4826	8216
विद्युत	23977	25271	25321	30010	34306	5613	5219	8605	8730	9082
पेट्रोलियम	253012	305335	330074	406247	499555	12639	22322	23819	25959	26181
उर्वरक	7429	8280	8017	8999	9364	-1796	-2329	-2128	-2104	-1990
रसायन और औषधियां	810	981	1005	1298	976	-388	-253	-376	-557	-74
भारी इंजीनियरी	7892	7973	9041	10823	15042	144	-6	43	313	977
मध्यम और हल्की इंजीनियरी	7808	7946	7864	8443	9559	-191	-687	-977	-450	-25
परिवहन उपस्कर	6112	6505	6962	8198	9619	776	388	293	679	1045
उपभोक्ता वस्तुएं	1241	1241	1311	1325	1606	-306	-721	-575	-848	225
कृषि-आधारित उद्योग	129	142	158	150	173	-14	-14	-11	-26	-21
कपड़ा	753	940	825	875	856	-1032	-1961	425	-1479	1211
कुल उद्योग	356759	422264	457793	561039	669672	16390	25978	39914	46815	54172
सेवा देने वाले उद्यम	107174	138930	160064	166302	162912	10003	6199	12576	17269	16117
जोड़ - सी.पी.एस.ई.	463934	561194	617857	727341	832584	26393	32176	52490	64083	70288

स्रोत: लोक उद्यम विभाग, 2007, लोक उद्यम सर्वेक्षण 2005-06, खंड-1

टिप्पणी: आंकड़े 2001-02 से 2004-05 के लिए 2005-06 में कार्य कर रहे 225 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों के बारे में हैं। 2005-06 के आंकड़े 215 सी.पी.एस.ई. के बारे में हैं, 10 सीपीई के डाटा की रिपोर्ट डीपीई को प्राप्त नहीं हुई।

अनुलग्नक-7.1.5
राज्य-वार और वर्ष-वार निवेश आशय (आई.ई.एम.+ एल.ओ.आई.+डी.आई.एल.)

(करोड़ रुपए)

क्रम सं. राज्य का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-मई)
1 आन्ध्र प्रदेश	16527	16596	19001	48660	2577
2 असम	163	430	809	2044	169
3 बिहार	27	314	3913	4850	308
4 छत्तीसगढ़	16155	47602	39914	118737	17559
5 दादरा और नगर हवेली	4137	834	2374	2794	431
6 गुजरात	32341	29695	82901	72283	7946
7 हरियाणा	8372	2737	5578	16095	769
8 हिमाचल प्रदेश	1126	3384	1774	1906	254
9 जम्मू और कश्मीर	774	2719	2058	2306	400
10 झारखंड	1861	10539	54089	35257	17969
11 कर्नाटक	14074	10969	15353	72250	7059
12 मध्य प्रदेश	1616	8538	18782	12537	1963
13 महाराष्ट्र	8878	13256	24694	62191	6907
14 उड़ीसा	17718	45565	38255	96869	5997
15 पंजाब	1844	4190	7127	10128	544
16 राजस्थान	1096	2162	5077	10040	1768
17 तमिलनाडु	2898	54481	11841	20377	5373
18 उत्तर प्रदेश	2179	21633	31710	33745	1823
19 उत्तराखंड	1334	2441	5706	14887	968
20 पश्चिम बंगाल	7637	14078	12047	51836	9410
21 अन्य	17628	1931	3378	6574	1857
जोड़	158385	294094	386381	696366	92051

टिप्पणी: दायर किए गए औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापनों (आई.ई.एम.), जारी किए गए आशय पत्रों (एल.ओ.आई.) और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों (डी.आई.एल.) के रूप में निवेश

स्रोत: एस.आई.ए. स्टैटिस्टिक्स, जून 2007

अनुलग्नक 7.1.6

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों सेलाभ उठाने वाली राज्य-वार निवेश परियोजनाएं

राज्य	2004-05			2005-06			2006-07		
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	
		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत हिस्सा		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत हिस्सा		राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	38	3,330	3.6	76	11,254	8.6	105	25,173	8.9
छत्तीसगढ़	40	8,620	9.2	19	5,162	3.9	13	2,365	0.8
दिल्ली	12	1,471	1.6	24	2,127	1.6	19	6,359	2.2
गुजरात	81	10,983	11.7	95	24,531	18.7	86	73,170	25.8
हरियाणा	21	1,440	1.5	29	1,805	1.4	42	3,897	1.4
हिमाचल प्रदेश	17	1,358	1.4	19	9,325	7.1	30	2,644	0.9
झारखण्ड	-	-	-	8	367	0.3	13	7,174	2.5
कर्नाटक	50	6,641	7.1	51	4,537	3.5	91	19,930	7.0
मध्य प्रदेश	19	766	0.1	12	2,514	1.9	23	4,878	1.7
महाराष्ट्र	102	9,808	10.4	121	24,828	18.9	142	24,330	8.6
उड़ीसा	30	9,256	9.9	20	4,525	3.5	23	14,806	5.2
पंजाब	32	2,609	2.8	27	2,041	1.5	48	5,902	2.1
राजस्थान	26	1,587	1.7	27	2,466	1.9	38	9,806	3.5
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	3	9,418	3.3
तमिलनाडु	110	9,929	10.6	124	12,160	9.3	157	24,299	8.6
उत्तर प्रदेश	23	1,348	1.4	50	10,415	7.9	60	9,836	3.5
उत्तराखण्ड	10	599	0.6	24	2,959	2.2	31	5,633	2.0
पश्चिम बंगाल	40	2,324	2.5	27	2,548	1.9	37	3,404	1.2
बहु-राज्य	33	18,893	20.1	29	5,730	4.4	46	25,428	9.0
अन्य*	36	2,898	3.1	30	2,005	1.5	47	4,988	1.8
जोड़	720	93,859	100.0	812	1,31,299	100.0	1054	2,83,440	100.0

- शून्य

* वे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का हिस्सा 2005-06 में और 2006-07 में परियोजनाओं की लागत में 1 प्रतिशत से कम था।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अगस्त 2006 और अगस्त 2007

अनुलग्नक 7.1.7
वाहनों का उत्पादन एवं निर्यातवाहनों का उत्पादन (000 में)

श्रेणी	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पी.वी.	564	609	842	960	1046	1238
एम.यू.वी.	106	114	146	249	263	306
सी.वी.	163	203	275	350	391	520
दुपहिये	4271	5076	5625	6527	7600	8444
तिपहिये	213	277	341	374	434	556
जोड़	5316	6280	7229	8461	9735	11065
वाहनों का निर्यात (000 में)						
पी.वी.	50	71	126	161	170	192
एम.यू.वी.	3	1	3	6	6	6
सी.वी.	12	12	17	30	40	50
दुपहिये	104	180	265	367	513	619
तिपहिये	15	43	68	67	77	144
जोड़	183	307	479	630	806	1011

नोट: पीवी - पैसेंजर व्हीकल्स (यात्री वाहन)

स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मेन्चेफेक्चर

अनुलग्नक 7.1.8
पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक में उत्पादन का कार्य-निष्पादन

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	2002	2003	2004	2005	2006	सी.ए.जी.आर.%
मशीनी औजार	1835	2371	2457	2645	2899	12
कपड़ा मशीनें	1073	1175	1256	1668	2151	19
भारी विद्युत उपस्कर			16500	21000		27
खनन और निर्माण उपस्कर		4150	4750	6300		23
प्रोसेस संयंत्र उपस्कर		2850	3560	5000		32
निर्यात कार्य-निष्पादन						
मशीनी औजार	436	568	628	686	819	17
कपड़ा मशीनें	427	406	535	457	516	5
भारी विद्युत उपस्कर			3075	2700		-12
खनन और निर्माण उपस्कर		216	280	330		24
प्रोसेस संयंत्र उपस्कर		630	860	1150		35

स्रोत: भारी उद्योग विभाग

अनुलग्नक 7.1.9
रसायनों का उत्पादन

(हजार टन)

श्रेणी	स्थापित क्षमता (मार्च 2007 को)	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	सी.ए. जी.आर.
क्षार	7072	4342	4792	5070	5272	5475	5269	3.9
अकार्बनिक रसायन	748	374	404	441	508	544	602	10
रंग पदार्थ और मध्यवर्ती रंग	52	24.8	26.2	25.9	28.5	29.5	32.5	5.6
कृषि रसायन	145	81.8	69.56	85.12	93.97	82.24	84.7	0.7
कार्बनिक रसायन	1889	1166	1353	1473	1506	1545	1545	5.8
कुल रसायन	9908	5990	6645	7096	7408	7676	7534	4.7

स्रोत: रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

रसायनों का विदेशी व्यापार

(करोड़ रुपए)

वर्ष	अकार्बनिक रसायन		कार्बनिक रसायन		कीटनाशी		रंग और पदार्थ	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
2001-02	1259	5730	7624	8795	1356	362	2436	1138
2002-03	1946	5579	10190	10695	1487	287	2943	1344
2003-04	1949	5916	12975	14363	1746	501	3112	1617
2004-05	2872	8130	16269	18785	2096	712	3111	1878
2005-06	3431	10446	21504	22775	2791	754	3750	2245
2005-06(अप्रैल-दिस)	2638	8531	19080	20451	2001	656	3366	2072

स्रोत: रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

अनुलग्नक 7.1.10
उर्वरकों का उत्पादन, खपत और आयात

(लाख टन)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अनु.)
उत्पादन						
यूरिया	190.03	186.21	190.38	202.39	200.85	203.08
डी.ए.पी.	50.91	52.36	47.09	51.84	46.28	48.51
एम.ओ.पी.	0	0	0	0	0	0
एन.पी.के. (कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर)	49.66	48.16	47.59	55.08	66.94	74.44
खपत						
यूरिया	199.17	184.93	197.67	206.65	222.98	244.85
डी.ए.पी.	61.81	54.73	56.25	62.56	67.64	69.24
एम.ओ.पी.	19.92	19.73	20.13	23.10	27.31	24.50
एन.पी.के.	49.63	50.67	51.20	53.63	66.94	74.44
एस.एस.पी.	26.05	24.99	25.44	25.49	27.56	30.57
आयात						
यूरिया	2.20	1.19	1.43	6.41	20.57	47.18
डी.ए.पी.	9.33	3.83	7.34	6.44	24.36	28.41
एम.ओ.पी.	28.3	25.33	25.83	34.09	45.78	-

स्रोत: उर्वरक विभाग

अनुलग्नक 7.1.11
कागज और गत्ते का उत्पादन, आयात और निर्यात

(लाख टन)

वर्ष	उत्पादन	आयात	निर्यात
2003-04	55.57	3.15	2.32
2004-05	57.93	1.95	2.70
2005-06	58.70	2.85	2.29
2006-07	61.28	3.10(अप्रैल-फरवरी 2006-07)	2.6(अप्रैल-दिसम्बर 06)

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, डीआईपीडी

अनुलग्नक 7.1.12
अखबारी कागज का उत्पादन, आयात और निर्यात(लाख टन)

वर्ष	उत्पादन	आयात	निर्यात
2003-04	6.8	7.5	0.03
2004-05	7.6	6.7	0.05
2005-06	9.1	6.8	0.10
2006-07	10.3	7.9	0.04

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, डीआईपीडी

अनुलग्नक 7.1.13
कमोडिटी पालीमरों और संश्लिष्ट रेशों का कार्य-निष्पादन

(किलो टन)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
क्षमता	4252	4316	4431	4614	4710	5187
उत्पादन	3974	4175	4499	4776	4768	5183
खपत	3826	3795	4107	4177	4795	उ.न.
आयात	420	381	450	416	722	उ.न.
निर्यात	568	761	843	1015	695	उ.न.
निवल व्यापार	148	380	393	599	(-) 27	
संश्लिष्ट रेशों का कार्य-निष्पादन						
क्षमता	2071	2113	2204	2341	2413	3246
उत्पादन	1669	1755	1868	1875	1906	2244
खपत	1718	1800	1882	1890	1893	उ.न.
आयात	147	189	155	193	162	उ.न.
निर्यात	98	144	141	178	175	उ.न.
निवल व्यापार	(-)49	(-)45	(-)14	(-)14	13	

स्रोत: रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

अनुलग्नक 7.1.14
तैयार इस्पात का उत्पादन, निर्यात और आयात

(मिलियन टन)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (पी)
बिक्री के लिए उत्पादन	35.41	38.58	41.32	44.39	49.58
घरेलू उपलब्धता	28.6	31.2	34.5	39.4	43.7
खपत (प्रकट)	28.7	31.1	34.3	39.1	43.7
आयात	1.51	1.54	2.11	3.85	4.10
निर्यात	4.51	4.84	4.38	4.48	4.75

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

अनुलग्नक 7.1.15
2011-12 तक इस्पात उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री और अन्य निविष्टियों की अनुमानित आवश्यकता

निविष्टि	यूनिट	अनुमानित खपत 2005-06	अनुमानित खपत 2011-12
कोकिंग कोयला	मिलियन मीट्रिक टन	31.5	46.0
नान-कोकिंग कोयला	मिलियन मीट्रिक टन	15	24.5
कोल डस्ट इंजेक्श	मिलियन मीट्रिक टन	नगण्य	3.00
लौह अयस्क	मिलियन मीट्रिक टन	66.9	130
स्कैप इस्पात	मिलियन मीट्रिक टन	10.2	18.0
चूने का पत्थर	मिलियन मीट्रिक टन	11	19.5
डोलोमाइट	मिलियन मीट्रिक टन	4.0	7.4
प्राकृतिक गैस	एम.सी.ए.एल.	10000	15000
लौह मिश्र	मिलियन मीट्रिक टन	0.85	1.5
विद्युत	एम.डब्ल्यू.	4120	7700

स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात सम्बन्धी कार्य समूह की रिपोर्ट

अनुलग्नक-7.1.16
2002-03 से 2006-07 के दौरान चीनी का उत्पादन, खपत और निर्यात

(लाख टन)

क्रम सं. ब्योरा	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1 आगे लाया गया स्टॉक	113.19	116.16	85.00	40.00@	
2 उत्पादन	201.32	198.58	130.00	189.59	283.0
3 आयात	0.41	5.53	20.74	3.62	
4 आन्तरिक खपत	183.76	175.00	171.44	183.21	
5 निर्यात	15.00	2.94	0.98	13.68	
6 इतिशेष स्टॉक	116.16	85.00*	57.00*	36.32	

* केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा यथा-सूचित @ क्षतिग्रस्त चीनी को बाहर निकालने के बाद।

स्रोत: भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक विभाग की वार्षिक योजना 2007-08। 2006-07 स्टैटिस्टिक्स फ्राम इंडियन शूगर, अगस्त 2007

अनुलग्नक 7.1.17
कपड़े का उत्पादन: वर्ष-वार वृद्धि

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
सूती	0.26	-2.37	-6.53	14.50	15.13	9.67
सम्मिश्रित	-1.01	-6.54	3.27	-0.59	3.48	8.34
100% सूती-भिन्न	12.70	5.22	9.16	2.19	4.16	7.07
खादी, आदि	15.41	2.80	0.00	4.68	0.00	0.00
कुल कपड़ा	4.48	-0.15	0.98	7.07	9.00	8.37

नोट: अनन्तिम, कान्फेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री

स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कपड़ा और पटसन उद्योग सम्बन्धी कार्य समूह की रिपोर्ट

अनुलग्नक 7.1.18
दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेक्सटाइल और क्लोथिंग का निर्यात

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल 05- फर. 06*	अप्रैल 06- फर. 07*	वर्ष-दर- वर्ष % प्रगति
सूती कपड़ा	3092	3370	3609	3543	4493	4038.0	4781.90	8.40
मानव निर्मित कपड़ा	1092	1421	1826	2050	2000	1813.70	2104.70	16.00
रेशमी कपड़ा	287	315	381	405	430	631.50	634.30	0.50
ऊनी कपड़ा	52	51	58	70	84	418.10	412.50	-1.30
क्लोथिंग	5024	5705	6248	6559	8403	7051.40	7273.40	3.10
जोड़	9547	10862	12122	12627	15410	13952.70	15206.80	9.0
पटसन, नारियल जटा और हस्तशिल्प	1254	1583	1409	1394	1668	1574.80	1524.70	-3.18
कुल जोड़	10801	12445	13531	14021	17078	15527.50	16731.50	7.75
% संवृद्धि		15.22	8.73	3.62	21.80		.	.75

स्रोत: ग्यारहवीं योजना के लिए कपड़ा और पटसन उद्योग सम्बन्धी कार्य समूह की रिपोर्ट।

नोट: डी.जी.सी.आई. ऐण्ड एस., कोलकाता

अनुलग्नक-7.1.19
दसवीं योजना का परिचय और प्रत्याशित व्यय तथा ग्यारहवीं योजना का परिचय

मंत्रालय/विभाग	दसवीं योजना				प्रत्याशित व्यय				ग्यारहवीं योजना (चालू कीमतों पर)					
	परिचय		परिचय		परिचय		परिचय		बी.एस.		आई.ई.बी.आर.		परिचय	
	बी.एस.	आई.ई.बी.आर.	बी.एस.	परिचय	बी.एस.	आई.ई.बी.आर.	व्यय	आई.ई.बी.आर.	बी.एस.	आई.ई.बी.आर.	बी.एस.	आई.ई.बी.आर.	बी.एस.	परिचय
1. इस्पात	65	10979	11044	11044	106	4708	4814	4708	217.00	45390.08	217.00	45390.08	45607.08	
लौह एवं इस्पात	60	6039	6099	6099	103	3994	4097	3994	216.00	37102.18	216.00	37102.18	37318.18	
खनिज	5	4940	4945	4945	3	714	717	714	1.00	8287.90	1.00	8287.90	2288.90	
2. उर्वरक	1050	4850	5900	5900	657.36	1893.74	2551.10	1893.74	1492.06	19135.87	1492.06	19135.87	20627.93	
3. रसायन और पेट्रो-रसायन	300	2744	3044	3044	574.91	0	574.98	0	1960.00	296.36	1960.00	296.36	2256.36	
4. औद्योगिक नीति और संवर्धन	2000	0	2000	2000	1779	0	1779	0	4183.00	0.00	4183.00	0.00	4183.00	
5. भारी उद्योग	700	1363	2063	2063	1351	1255	2606	1255	4093.00	7208.67	4093.00	7208.67	11301.67	
6. लोक उद्यम	50	0	50	50	94	0	94	0	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	
7. कपड़ा (आई.एण्ड एम.)	3500	80	3580	3580	4504.48	0	4504.48	0	14000.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	
उद्योग क्षेत्रक	1900	80	1980	1980	2686.63	0	2686.63	0	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	
वीएसई क्षेत्रक	1600	0	1600	1600	1817.85	0	1817.85	0	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	
8. उपभोक्ता कार्य	55	0	55	55	280.24	0	280.24	0	1083.00	0.00	1083.00	0.00	1083.00	
9. कम्पनी कार्य (निगम कार्य)	50	0	50	50	0	0	0	0	211.00	0.00	211.00	0.00	211.00	
अन्य मंत्रालयों/विभागों में उद्योग क्षेत्र का परिचय														
10. पेट्रोलियम (पेट्रो-कैमिकल एवं तकनीक)	0	7614.81	7614.81	7614.81	0	6824	6824	6824	0.00	15557.00	0.00	15557.00	15557.00	
11. जहाज निर्माण	242.86	805	1047.86	1047.86	156	127	282	127	170.00	550.00	170.00	550.00	720.00	
12. परमाणु ऊर्जा (आई एंड एम)	2270	1079.5	3349.5	3349.5	1645.53	392.44	2037.97	392.44	8425	2554.12	8425	2554.12	10979.12	
उद्योग	18111	90.0	1901.0	1901.0	1241.23	49.65	1280.88	49.65	6975	160	6975	160	7135.00	
खनिज	459	989.5	1448.5	1448.5	404.30	352.79	757.09	352.79	1450	2394.12	1450	2394.12	3844.12	
13. जैव-प्रौद्योगिकी	30	0	30	30	102	0	102	0	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
14. डी.एस.आई.आर.	25	0	25	25	25	0	25	0	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
15. भू-विज्ञान (महासागर विकास)	100	0	100	100	93	0	93	0	319.00	0.00	319.00	0.00	319.00	

स्रोत: योजना आयोग

अनुलग्नक 7.1.20
द्वितीय 2000-01 से 2006-07 तक लघु उद्योगों का निष्पादन

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल लघु उद्योग यूनिट (लाख)	निश्चित निवेश (करोड़ रुपए)	उत्पादन		रोजगार (लाख व्यक्ति)	निर्यात (करोड़ रुपए)
			चालू कीमतें (करोड़ रुपए)	स्थिर कीमतें (1993-94 में करोड़ रुपए)		
2000-01	101.1 (4.07)	151527 (8.25)	261297 (11.78)	184401.4 (8.23)	240.94 (5.17)	69797 (28.78)
2001-02	105.21 (4.07)	160673 (6.04)	282270 (8.03)	195613 (8.00)	252.29 (4.71)	71244 (2.07)
2001-02 के मूल्यों पर						
2002-03	109.49 (4.07)	169579 (5.54)	314850 (11.54)	306771 (8.68)	263.68 (4.51)	86013 (20.73)
2003-04	113.95 (4.07)	178269 (5.12)	364547 (15.78)	336344 (9.64)	275.30 (4.41)	97644 (13.52)
2004-05	118.59 (4.07)	188793 (5.90)	429796 (17.90)	372938 (10.88)	287.55 (4.45)	124417 (27.42)
2005-06	123.42 (4.07)	198050 (4.90)	497842 (15.83)	418884 (12.32)	295.85 (4.28)	150242 20.76
2006-07(अनंतिम)	128.44 (4.07)	207307 (4.67)	585112 (17.53)	471663 (12.60)	312.52 (4.23)	— —

स्रोत: लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट 2005-06कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से हुई वृद्धि की प्रतिशतता के हैं।

अनुलग्नक 7.1.21
लघु उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के गन्तव्य (देश)

क्रम सं. उत्पाद समूह	प्रमुख गन्तव्य (देश)
1. सिले-सिलाए कपड़े	संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका
2. प्लास्टिक वस्तुएं	यू.ए.ई., चीन, इटली, सऊदी अरेबिया और ओमान
3. समुद्री उत्पाद	जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और उत्तर-पूर्वी एशिया
4. खेल वस्तुएं	यू.के., यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका
5. मसाले	पूर्वी एशिया, यूरोपीय संघ, उत्तरी अफ्रीकी ज़ोन और अमेरिकी ज़ोन
6. काजू मर्दे	संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, यू.के., जापान और यू.ए.ई.
7. लाख (शेल्क) की मर्दे	इंडोनेशिया, जर्मनी, अरब रिपब्लिक अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली
8. संश्लिष्ट मर्दे (मेडअप्स)	यू.ए.ई., यू.के., टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली
9. चमड़ा और चमड़े की मर्दे	जर्मनी, यू.के., इटली, यू.एस.ए. और फ्रांस
10. इंजीनियरी और विद्युत मर्दे	संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, हांगकांग, यू.ए.ई., जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस
11. बेसिक रसायन और सौन्दर्य प्रसाधन	संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सऊदी अरब, चीन, सिंगापुर और नीदरलैंड
12. रसायन और सम्बद्ध उत्पादन	जापान, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, बंगला देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और यू.के.
13. ऊनी और ऊनी चीजें, बुने हुए कपड़े, आदि	यूरोप, जापान और बंगला देश
14. प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं	संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान
15. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और कम्प्यूटर साफ्टवेयर	यू.एस.ए., हांगकांग, यू.के., जर्मनी और जापान
16. तम्बाकू और तम्बाकू मर्दे	पूर्वी यूरोप

स्रोत: <http://www.laghu-udyog.com/ssiindia exportdest.htm>

अनुलग्नक 7.1.22
लघु उद्योग क्षेत्रक में महिलाओं की भागीदारिता - राज्यवार

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम महिला उद्यमों	महिला कर्मचारियों की संख्या				महिलाओं द्वारा की संख्या
	पंजीकृत लघु उद्योग क्षेत्रक	गैर-पंजीकृत लघु उद्योग क्षेत्रक	जोड़	प्रबन्धित उद्यमों की संख्या	
जम्मू और कश्मीर	3313	8153	11466	5640	5742
हिमाचल प्रदेश	4016	4134	8150	3515	3722
पंजाब	11757	36013	47770	30190	29068
चंडीगढ़	659	1975	2634	2059	2243
उत्तरांचल	2940	13240	16180	8706	8804
हरियाणा	15651	14889	30540	10087	9620
दिल्ली	6306	35798	42104	13368	14383
राजस्थान	15003	46065	61068	29785	36371
उत्तर प्रदेश	23506	180918	204424	54491	72667
बिहार	8353	68908	77261	38170	49443
सिक्किम	212	9	221	30	98
अरुणाचल प्रदेश	342	104	446	131	150
नागालैंड	637	2574	3211	207	179
मणिपुर	3853	19485	23338	9168	10745
मिजोरम	2188	4636	6824	3076	3700
त्रिपुरा	4294	3325	7619	631	863
मेघालय	3139	5664	8803	3658	3580
असम	9077	16988	26065	11189	11757
पश्चिम बंगाल	26549	304969	331518	71847	69625
झारखण्ड	5105	8907	14012	7271	7865
उड़ीसा	11723	213123	224846	33274	38233
छत्तीसगढ़	10177	52476	62653	11766	10034
मध्यप्रदेश	29612	111703	141315	62351	68823
गुजरात	41189	79990	121179	55361	53703
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	6106	126	6232	167	213
महाराष्ट्र	78731	162700	241431	80662	100670
आन्ध्र प्रदेश	60693	270026	330719	77347	77166
कर्नाटक	117934	223142	341076	101264	103169
गोवा	5309	1833	7142	677	810
लक्षद्वीप	26	405	431	61	67
केरल	189640	224491	414131	137561	139225
तमिलनाडु	270936	223050	493986	130289	129808
पांडिचेरी	5613	2670	8283	1089	1065
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	124	294	418	53	110
	974713	2342783	3317496	995141	1063721

स्रोत : तृतीय एसएसआई सेंसस 2001-02, एमएसएमई मंत्रालय

अनुलग्नक 7.1.23
माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए स्कीमें

स्कीम/ लक्ष्य	पात्रता	विवरण
माइक्रो और लघु उद्यमों के उत्पादों की कीमतों को प्रतियोगी बनाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट	राजकोषीय प्रोत्साहन/सब्सिडियां सभी माइक्रो और लघु उद्यम (विनिर्माण), खादी और ग्रामोद्योग यूनिटों सहित	100 लाख रुपए तक उत्पाद शुल्क से छूट, यदि कुल वार्षिक निकासी अथवा बिक्री 400 लाख रुपए से अधिक न हो।
माइक्रो और लघु उद्यमों को ऋण सुविधाजनक बनाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋणदान	ऋण (अनुदान और ऋण) सभी माइक्रो और लघु उद्यम	विदेशी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत भाग एम.एस.ई. क्षेत्रक को जाएगा, घरेलू बैंकों के लिए कोई विशिष्ट उप-लक्ष्य नहीं, जिन्हें निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत भाग सम्पूर्ण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रक को मुहैया करना है।
प्रौद्योगिक उन्नयन के लिए ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी स्कीम	सभी (विनिर्माण) एम.एस.ई., खादी और ग्रामोद्योग यूनिटों सहित	स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित उप-क्षेत्रकों/ उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकों के उन्नयन के लिए प्राप्त की गई पूंजी की 15 प्रतिशत (29 सितम्बर, 2005 से पहले 12 प्रतिशत) सब्सिडी 100 लाख रुपए (29 सितम्बर, 2005 से पहले 40 लाख रुपए) की सीमा तक।
एम.एस.ई. को ऋण देने वाले बैंकों को, ऋण गारंटी स्कीम	सभी (विनिर्माण) एम.एस.ई., खादी और ग्रामोद्योग यूनिटों सहित	ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं द्वारा दिए गए 25 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए 75 प्रतिशत की गारंटी, गारंटी शुल्क ऋणकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
रोजगार सृजन के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना	शिक्षित (VIIIवीं कक्षा पास) बेरोजगार युवा, जिनकी पारिवारिक आय 40,000/- रुपए प्रतिवर्ष हो।	प्रत्येक मामले में स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपए तक ऋण (व्यापार/ सेवा क्रियाकलापों के लिए 1 लाख रुपए)। सरकार द्वारा अनुदान के रूप में सब्सिडी, भारतीय रिजर्व बैंक को लाभभोगी के खाते में जमा कराने के लिए रिलीज की जाती है, और लाभभोगी द्वारा ऋण की अन्तिम किस्त की वापसी-अदायगी के प्रति समायोजित की जाती है। यह सब्सिडी परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अथवा 7,500/- रुपए प्रति उद्यमकर्ता, इनमें से जो भी कम हो, होती है। बैंक सब्सिडी को घटा कर ऋण की राशि पर ब्याज (पी.एल.आर. से अनधिक) लेता है।
गुणवत्ता और व्यापार प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए आई.एस.ओ.9000/आई.एस.ओ. 14001 प्रमाणीकरण शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम	अलग-अलग एम.एस.ई., जिनमें व्यापार/सेवा में कार्यरत उद्यम शामिल हैं।	क्वालिटी प्रबन्ध प्रणाली आई.एस.ओ.9000 प्रमाणीकरण/ पर्यावरण प्रबन्ध आई.एस.ओ. 14001 प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, लागत के 75 प्रतिशत अथवा 75,000 रुपए तक, इनमें से जो भी कम हो।
निर्यात संवर्धन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना	अलग-अलग एम.एस.ई. अन्य स्कीमें	स्थान किराए पर लेने के लिए सब्सिडी और हवाई भाड़े की आंशिक प्रतिपूर्ति।
साख मूल्यांकन और रेटिंग टूल (सी.ए.आर.टी.)		प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा एम.एस.एम.ई. के कार्य-निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग की प्रतिपूर्ति की स्कीम।

(अनुबंध 7.1.23 जारी)

(अनुबंध 7.1.23 जारी)

स्कीम/ लक्ष्य	पात्रता	विवरण
अन्य रूप से एम.एस.ई. द्वारा विनिर्माण के लिए उत्पादों का आरक्षण	सभी एम.एस.ई.	क्रेडिट के प्राइसिंग को युक्तिसंगत बनाने के लिए, एस.आई.डी.बी.आई. ने एम.एस.ई. के लिए एक उन्नत किन्तु सरलीकृत, प्रौद्योगिकी आधारित रेटिंग माडल विकसित किया है, जिसे क्रेडिट मूल्यांकन और रेटिंग टूल (सी.ए.आर.टी.) कहा जाता है।
विपणन में सुधार में सहायता के लिए सरकारी उपाप्ति में खरीद और कीमत में तरजीह	एन.एस.आई.सी. के साथ पंजीयित एम.एस.ई.	इस समय 114 मर्दें
लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (अब इसे माइक्रो और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया है), जो माइक्रो और लघु उद्यमों की उत्पादकता, और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और क्षमता के निर्माण के लिए है।	माइक्रो और लघु उद्यम क्लस्टर	इस समय केन्द्रीय सरकार और उसके सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों द्वारा एम.एस.ई. से अनन्य खरीद के लिए 358 मर्दें आरक्षित हैं। केन्द्रीय सरकार की खरीद के लिए 15 प्रतिशत कीमत तरजीह, अर्थात् किसी एम.एस.ई.-भिन्न बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत भाव से 15 प्रतिशत अधिक भाव उद्धृत करने वाला माइक्रो/ लघु उद्यम, गुणवत्ता की अन्य शर्तें, आपूर्ति के निबन्धनों को पूरा करने पर, आर्डर प्राप्त करने का हकदार होगा। टेंडर का दस्तावेज भी निःशुल्क मुहैया किया जाता है और बयाने की राशि/ प्रतिभूति जमा से छूट होती है।
विनिर्माण और सम्बन्धित सेवा उद्यमों के लिए आवश्यक सुविधाओं सहित निर्मित अवसंरचना की व्यवस्था करने में सहायता देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ, एकीकृत अवसंरचना विकास स्कीम	वाणिज्यिक आधार पर प्लाटों/ शेडों के विकास/ निपटान के लिए राज्य सरकारें, उद्योग एसोसिएशनें और गैर-सरकारी संगठन	सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारिता (पी.पी.पी.) मोड में क्रियान्वित किया जाता है, सरकारी सहायता संयंत्र और मशीनों में औसत निवेश, क्लस्टर की अवस्थिति, वाणिज्यिक आत्म-निर्भरता पर निर्भर करते हुए, 30 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक दी जाती है।
प्रयोक्ता प्रभारों की अदायगी पर, विनिर्माण के लिए आवश्यक, गुणवत्ता वाले उपस्कर, मशीनों और टूलिंग सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए मिनी टूल रूम	राज्य सरकारें/सरकारी एजेंसियां	केन्द्रीय सरकार एम.एस.ई. के लिए नई औद्योगिक एस्टेट्स स्थापित करने के लिए 200 लाख रुपए और परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, (सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल के लिए 80 प्रतिशत अथवा 40 मिलियन) सहायता देती है। मौजूदा एस्टेटों में सुधार के लिए भी उपलब्ध।
प्रयोक्ता प्रभारों की अदायगी पर, कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती पदार्थों, और तैयार उत्पादों के परीक्षण के लिए आवश्यक, गुणवत्ता वाले परीक्षण उपस्कर, मशीनों और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए परीक्षण केन्द्र	उद्योग एसोसिएशनें	नए मिनी टूल रूम स्थापित करने के लिए संयंत्र और मशीनों की लागत के 90 प्रतिशत अथवा 900 लाख रुपए तक, जो भी कम हो, सहायता (मौजूदा टूल रूमों के उन्नयन के लिए संयंत्र और मशीनों की लागत का 75 प्रतिशत अथवा 750 लाख रुपए)।
		परीक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए परीक्षण उपस्कर और मशीनों की लागत के 50 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपए तक, जो भी कम हो, सहायता।

(अनुबंध 7.1.23 जारी)

(अनुबंध 7.1.23 जारी)

स्कीम/ लक्ष्य	पात्रता	विवरण
बड़े उद्योगों द्वारा थोक आपूर्तियों के लिए थोक आर्डरों/ टैंडरों का पता लगाने के लिए एम.एस.ई. की एसोसिएशनों को सहायता देने के लिए सब-कान्ट्रेक्टिंग एक्सचेंज, ताकि एम.एस.ई. इन आर्डरों के भागों के लिए चेष्टा कर सकें।	उद्योग एसोसिएशनों	सादे कागज, कापिअर, टैलेक्स, फ़ैक्स मशीन, कम्प्यूटर, फर्नीचर जैसे हार्डवेयर की उपाप्ति के लिए 4 लाख रुपए तक का एकबारगी अनुदान। अनुदान प्रतिपूर्ति के आधार पर दिया जाता है और चालू व्यय के लिए 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर घटते हुए आधार पर समतुल्य अनुदान दिया जाता है, जो पहले तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 1,25,000 रुपए, 75,000 रुपए और 25,000 रुपए से अनधिक हो, और जो 157,000 रुपए प्रति एक्सचेंज की उच्चतम सीमा के अधीन हो।
निर्यात संवर्धन के लिए एस.एस.आई. मार्केट विकास सहायता	एम.एस.ई. और उनकी एसोसिएशनों	माइक्रो उद्यमों को तरजीही शर्तों के साथ, एम.एस.ई. को हवाई भाड़े, स्थान के किराए, प्रचार, आदि की लागत के लिए विभिन्न दरों पर आंशिक सब्सिडी, डम्पिंग-रोधी मामलों को लड़ने, मार्केट अध्ययन करने, आदि के लिए आंशिक वित्तीय सहायता। बार कोडिंग अपनाने के लिए एकबारगी पंजीयन शुल्क के 75 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपए की, जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के लिए व्यवस्था।
उद्यमशीलता विकास संस्थानों को सहायता	उद्यमशीलता के विकास में शामिल राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारें	इमारत, प्रशिक्षण साधनों/उपस्कर, और अन्य समर्थन सेवाओं जैसी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए अनावर्ती अनुदान के रूप में लागत के समतुल्य (50:50 आधार) अथवा 100 लाख रुपए, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता।
माइक्रो वित्त कार्यक्रम	माइक्रो वित्त संस्थाएं	माइक्रो वित्त संस्थाओं से ऋण राशियों की प्रतिभूति जमा की आवश्यकताओं के लिए एस.आई.डी.बी.आई. को मुहैया की गई पोर्टफोलियो जोखिम निधि

स्रोत: एस.आई.डी.ओ. आनलाइन सूचना। <http://www.smallindustry.india.com> (4 जुलाई 2006) पर देखी गई; रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन इन्फार्मेशन। <http://www.rbi.org.in/scripts/FAQView.aspx?Id=8>; और वित्त मंत्रालय (2006), इकनामिक सर्वे 2005/06

संलग्नक 7.2.1
दसवीं पंचवर्षीय योजना में संगठन/कंपनीवार वास्तविक व्यय- खान मंत्रालय

(करोड़ रुपये)

संगठन	अनुमोदित दसवीं योजना	संशोधित दसवीं योजना मध्यावधि	दसवीं योजना वास्तविक
नेशनल एल्युमिनियम को. लि.	7056.00	2864.25	1840.27
हिन्दुस्तान कॉपर लि०	50.00	326.16	266.34
मिनरल एक्सप्लोरेशन को० लि०	50.00	73.75	66.45
जियोलोजीकल सर्वे आफ इंडिया	1000.00	998.56	537.54
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स	103.00	136.08	84.88
एस एण्ड टी प्रोग्राम	57.50	52.48	32.95
कन्सट्रक्शन #	28.00	34.00	27.86
जोड़	8344.50@	4485.28	2856.29
जीबीएस	1271.00	2881.75	986.27
आईईबीआर	7073.50	1603.53	1870.02

नोट: आईबीएम और जीएसआई में विनिवेश एवं निर्माण के बाद से एचजैडएल के आउटले को छोड़कर।

स्रोत: दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज, योजना आयोग एवं खान मंत्रालय।

संलग्नक 7.2.2
महत्वपूर्ण खनिजों के अस्तित्व काल का सूचकांक

(मिलियन मि.टन में)

क्र०सं० खनिज	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार कुल संसाधन	1.4.2007 की स्थिति के अनुसार कुल शेष संसाधन	2006-07 के दौरान घरेलू उत्पादन का अनुमान	2006-07 के उत्पादन वर्ष स्तर पर 1.4.2007 के बाद जीवन सूचकांक
1 बाक्साइट	3306.763 (2221.549)	3269.525 (2184.311)	13.142	166
2 कॉपर ओर	1394.425 (659.789)	1385.094 (650.458)	3.293	200
3 क्रोमाइट	232.120 (146.483)	220.532 (134.895)	4.090	33
4 लेड-ज़िंक ओर	522.579 (316.879)	510.072 (304.372)	4.414	69
5 आयरन ओर (हेमेटाइट और मैग्नेटाइट)	25250 (15946)	24795 (15432)	160.33	97

नोट: कोष्टक में दिए गए आंकड़े (प्रमाणित एवं प्रमाणित होने वाले भण्डारण) को जीवन सूचकांक समझा गया है।

स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना- खण्ड-II हेतु खनिज खोज एवं विकास संबंधी कार्यदल रिपोर्ट (कोयला और लिग्नाइट छोड़कर)

संलग्नक 7.2.3
अनुमानित प्रत्यक्ष उपभोग, घरेलू उत्पादन, संसाधन स्थिति तथा चयनित खनिजों के अस्तित्व काल का सूचकांक

(हजार टन)

खनिज	समाप्ति वर्ष में अनुमानित प्रत्यक्ष उपयोग		समाप्ति वर्ष में अनुमानित उत्पादन		1.4.2012 की स्थिति के अनुसार कुल अनुमानित संसाधनों का शेष	वर्ष 2012 के पश्चात जीवन सूचकांक
	दसवीं पंचवर्षीय योजना	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	दसवीं पंचवर्षीय योजना	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना		
	2006-07	2011-12	2006-07	2011-12		
क अपवर्तकीय खनिज						
1. बाक्साइट	12934	19900	14214	21875	3176799 (2091585)	96
2. क्रोमाइट	2978	4583	4302	6619	192569 (106932)	16
3. ग्रेफाइट	113	174	113	174	157788 (10087)	58
4. बाल क्ले	2045	3147	1610	2477	52493 (13335)	5
5. वोलेस्टोनाइट	170	262	194	298	18429 (14255)	48
ख फ्लक्स एण्ड कन्सट्रक्शन मिनरल						
1. जिप्सम	3437	5289	3994	6145	1194934	125 (767507)
2. एसबेस्टस	227	349	6	9	21724 (11228)	बहुत बड़ा
ग फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल मिनरल्स						
1. रोक फोस्फेट	4475	6695	1340	2061	383547 (139631)	68
2. सल्फर (उपोत्पाद से)	1320	2031	128	197	-	-
3. फ्लूओरस्पर	126	194	12.86	20	12591 (10765)	538

टिप्पणी: जीवन सूचकांक हेतु पैरेंथिसिस (साबित एवं सम्भावित रिजर्वस) के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना- खण्ड-II हेतु खनिज खोज एवं विकास संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट (कोयला और लिग्नाइट छोड़कर)

संलग्नक 7.2.4
प्रमुख गैर-लौह धातुओं का वस्तुगत शेष

(000 मि.ट.)

	एल्युमिनियम			तांबा			जस्ता			सीसा		
	2001-02	2006-07	2011-12	2001-02	2006-07	2011-12	2001-02	2006-07	2011-12	2001-02	2006-07	2011-12
उत्पादन (प्राथमिक)	660	950	1250	390	740	808	201	423	638	31	63	95
द्वितीय	40	50	60	-	-	-	25	30	40	40	60	75
कुल उत्पादन	700	1000	1310	390	740	808	226	453	678	71	123	170
आयात	150	120	270	45	-	-	71	2	-	61	152	273
निर्यात	150	200	300	61	300	219	-	-	11	-	-	-
घरेलू मांग	700	920	1280	374	440	589	297	455	667	132	275	443

स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना- खण्ड-III हेतु खनिज खोज एवं विकास संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट (कोयला और लिग्नाइट छोड़कर)

टिप्पणी: वर्ष 2011-12 के लिए तांबे की मांग 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि दर से अनुमानित की गई है तथा उत्पादन 897500 के वर्तमान स्थापित क्षमता का 90 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता अनुमानित की गई है।

संलग्नक 7.2.5
हीमाटाइट - लौह अयस्क उपलब्धता 1.4.2005 की स्थिति

(मिलियन मि.ट. में क्वांटिटी)

ग्रेड	आरक्षित	बचे हुए संसाधन	कुल
उच्च ग्रेड (ढक्क 3-65 प्रतिशत)	1304.3	629.03	1933.33
मेडियम ग्रेड (62-65%)	3544.03	3062.02	6606.05
निम्न ग्रेड (ढक्क 62% से नीचे)	1989.75	1686.94	3676.69
अवर्गीकृत	159.23	743.67	902.90
ब्लैक आयरन ओर	2.52	12.72	15.24
अन्य	1.62	5.05	6.67
अवर्गीकृत	1.98	0	1.98
जानकारी नहीं	0.73	1486.79	1487.52
कुल योग	7004.17	7626.22	14630.39

स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो

संलग्नक 7.2.6
मेग्नेटाइट - लौह अयस्क की उपलब्धता 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार

(मात्रा मिलियन मी. टन में)

श्रेणी	भण्डार	शेष संसाधन	कुल
मेटलरजिकल	0.67	2185.05	2185.74
कोल वासरी	3.33	5.00	8.33
फाउंडरी	0.46	0.30	0.76
अन्य	0.97	24.16	25.13
अवर्गीकृत	52.64	8060.34	8112.98
अज्ञात	0.43	286.12	286.55
कुल योग	58.50	10560.98	10619.48

स्रोत: (भारतीय खान ब्यूरो)

संलग्नक 7.2.7

ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों हेतु जीएसआई द्वारा प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य

स्कीम	वास्तविक लक्ष्य
1. सर्वेक्षण एवं मानचित्रण विशिष्ट थीमेटिक मान चित्रण जिओ केमिकल मानचित्रण जिओ फिजिकल मानचित्रण विमान वाहित भू-भौतिक सर्वेक्षण मरीन सर्वेक्षण	35,000 वर्ग कि. मी. 1,80,000 वर्ग कि. मी. 2,40,000 वर्ग कि. मी. 76,000 वर्ग कि. मी. आर. बी. समुद्रमंथन के साथ 12 क्रूज न्यू ब्लू वाटर रिसर्च वेसल के साथ 13 क्रूज, तटीय लंचों अर्थात् आर वी समुद्र कौस्तुम एवं आर वी समुद्र सौधिकाम के द्वारा 70 क्रूज
2. खनिज खोज	226 मदे जिनमें से 154 मदे गैर कोयला खनिज तथा 72 मदे कोयला और लिग्नाइट है (कोयला 66 मदे और लिग्नाइट 6 मदे) वृहद् स्केल : मानचित्रण 13530 वर्ग कि. मी. ड्रिलिंग : 4,29,000 मीटर
3. विशिष्ट जांच	भू-स्खलन वाले पर्वतीय तराइयों में लगभग 10000 लाईन कि. मी. का 1,50000/ 25000 स्केल पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 1 : 10000/5000 स्केल पर भू-स्खलन करना। 20 साइटों में, 3 समस्याग्रस्त भू-स्खलन वाले क्षेत्रों में पूर्व-चेतावनी प्रणाली विकसित करना। अन्य विशिष्ट जांचों में भूकम्प भू-विद्या और भूकम्प विज्ञान (सिस्मोलाजी) पर्यावरणीय भू-विद्या, भू-तकनीकी अध्ययन, ग्लैसियोलॉजिकल एवं जिओ-थर्मल अध्ययन शामिल है।
4. आर एण्ड डी और अण्टार्क्टिका अध्ययन	जिओक्रोनोलाजी और आईसोटोप जिओलाजी, पेट्रोलॉजी, फोटो-जिओलाजी और रिमोट-सेंसिंग आदि को कवर करते हुए 202 मदे
5. सूचना का प्रकाशन एवं प्रसार	जीआईएस प्लेटफार्म के अंतर्गत अब तक डिजिटाइज किए कुल 4306 मैपों तथा डिजिटाइज किए जाने वाले 118 खनिज बेल्ट मैपों 1.50000 स्केल जिओलाजिकल मैपों के 3892 मैपों का यूनिफार्म अंतरण, 130 जिला संसाधन मैपों को पूरा करने के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र में करना, 14 राज्यों के 1 : 05 एमस्केल मैपों को पूरा करना, विभागीय प्रकाशन : 100
6. मानव संसाधन विकास	गृह प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 177
7. आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन	लैबोरेटरी उपकरण प्राप्त करना, आर. वी. समुद्र मंथन को बदलना, जिओ तकनीकी वेसल और हेलीवॉर्न जिओ फिजिकल सर्वे सिस्टम

नोट: एम स्केल - मिलियन स्केल

स्रोत: खान मंत्रालय

संलग्नक 7.2.8

ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों हेतु आईबीएम और एमईसीएल द्वारा प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य

स्कीम	लक्ष्य
भारतीय खान ब्यूरो	
एम सी डी आर, 1988 के प्रावधान के पालन हेतु खानों का निरीक्षण	प्रति वर्ष 2500 खाने
खनिज कल्याण अध्ययन	अयस्क ड्रेसिंग जांच, 70 तथा प्रतिवर्ष 15000 रेडिकल्स का रासायनिक विश्लेषण, मिनरलाजिकल अध्ययन 1300
प्रौद्योगिकीय उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	भारत में खनन से ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन
खान एवं खनिज संबंधी आंकड़ों का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं प्रसार	यूएनएफसी प्रणाली, वन आच्छादन के तदनुसूची 100 मल्टी मिनरल मैपों को वार्षिक आधार पर अपनाना। खनन भूखण्ड प्रणाली का कम्प्यूटरीकृत आन लाईन रजिस्टर
खनिज खोज निगम लिमिटेड	
रिमोट सेन्सिंग स्टडीज	23 मदे
इनवरामेंटल स्टडीज पर्यावरणीय अध्ययन	75 मदे
जियो फिजिकल सर्वे	1535 line km.
जियो फिजिकल लौजिंग	557462 मीटर
जियोलोजिकल मैपिंग	4655 वर्ग कि. मी..
ड्रिलिंग	1066325 मीटर
एक्सप्लोरेटरी माइनिंग	17500 मीटर
सेंपलिंग एण्ड एनालिसिस	358250 सं..

स्रोत: खान मंत्रालय

संलग्नक 7.2.9
नालको की विस्तार परियोजनाएं - क्षमता वृद्धि

उत्पादन	यूनिट	विद्यमान क्षमता	विस्तारित क्षमता	क्षमता वृद्धि	
खिनज	बाक्साइट	लाख टीपीवाई	48.00	63.00	15.00
एलुमिना प्लांट	एल्युमिना हाइड्रेट	लाख टीपीवाई	15.75	21.00	5.25
स्मेलटर	एल्युमिनियम	लाख टीपीवाई	3.45	4.60	1.15
सीपीपी	वद्युत	मेगा वाट	960	1200	240
			(120x8)MW	(120x10) MW	(120x2) MW

नोट: टीपीवाई - टन प्रतिवर्ष सीपीपी - कैप्टिव पावर प्लांट।

स्रोत: खान मंत्रालय

संलग्नक 7.2.10
वर्तमान मूल्यों पर ग्यारहवीं योजना परियोजनाओं का स्कीमवार ब्यौरा-खान मंत्रालय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	संगठन/कम्पनी	परिव्यय	आईआर	ईबीआर	जीबीएस	एनबीएस
1.	नाल्को	6927.08	6927.08	0.00	-	-
2.	एचसीएल	223.00	223.00	-	-	-
3.	एमईसीएल					
	प्रोमोशनल	50.00	-	-	50.00	50.00
	केपिटल	44.00	44.00	-	-	-
4.	जीएसआई(निर्माण कार्य शामिल)	1020.00	-	-	1020.00	1020.00
5.	आईबीएम(निर्माण कार्य शामिल)	90.00	-	-	90.00	90.00
6.	एस एण्ड टी	49.92	26.97	2.95	20.00	20.00
	जोड़	8404.00	7221.05	2.95	1180.00	1180.00

नोट: एनबीएस: शुद्ध बजटीय सहायता

स्रोत: योजना आयोग

IV
सेवाएं

8.1 निर्माण

पृष्ठ भूमि

8.1.1. देश में भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास और उसके फलस्वरूप, पिछले दशक के दौरान निर्माण क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में निर्माण कार्यों का बढ़ता हुआ महत्व 10वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के दौरान कुछ क्षेत्रों में भी देखा गया जैसे कि परिवहन, सिंचाई, आवास, शहरी विकास और नागरिक विमानन को अधिक महत्व दिया गया। यह सुस्पष्ट है कि निर्माण उद्योग का प्रभाव अर्थव्यवस्था के विभिन्न उपक्षेत्रों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास जैसे उद्योग एवं खनन अवसंरचना, राजमार्गों, सड़कों, बन्दरगाहों, रेलवे, हवाईअड्डों, विद्युत प्रणाली, सिंचाई एवं कृषि प्रणाली, दूरसंचार प्रणाली, अस्पतालों, स्कूलों, शहरों, कार्यालयों, मकानों तथा अन्य इमारतों, शहरी आधारिक ढांचा जिसमें जलापूर्ति मल निकास व्यवस्था, नालियां आदि शामिल हैं, और ग्रामीण अवसंरचना ढांचे में स्पष्ट देखा गया है। यद्यपि, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह मूलभूत जरूरत है।

अर्थव्यवस्था में महत्व (क्रिटिकैलिटी टू इकॉनामी)

8.1.2 2006-07 में घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण का योगदान बढ़कर 1,96,555 करोड़ रुपये था जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.7% की वृद्धि दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण की हिस्सेदारी में 2006-07 में 6.9% की वृद्धि हुई थी जो 2002-03 में 6.1% थी। सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि मुख्यतया विगत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा भौतिक बुनियादी ढांचे में अधिक व्यय करने के कारण हुई, इसके साथ ही कुछ कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वहि/भारत निर्माण की ओर बाद में अधिक ध्यान दिया

गया। निर्माण उद्योग में कार्यभार की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है और यह पिछले पांच वर्षों के दौरान 10% वार्षिक दर से बढ़ी है। यद्यपि निर्माण उद्योग को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, फिर भी वृद्धि संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए इस उद्योग को मजबूत करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है।

8.1.3 बुनियादी ढांचे, आवास तथा अन्य भवन निर्माण संबंधी परिसम्पत्तियों में निर्माण गतिविधियों का महत्व इस तथ्य से देखा जा सकता है कि निर्माण कार्यों में परियोजना लागत का लगभग 60-80% हिस्सा बुनियादी परियोजनाओं जैसे सड़कों, आवास आदि पर होता है विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक संयंत्रों आदि जैसी परियोजनाओं में यह हिस्सा कम होता है लेकिन इसका महत्व बना रहता है। प्रभावशीलता के रूप में, निर्माण गतिविधियों का स्थान कृषि के बाद दूसरे स्थान पर आता है। निर्माण उद्योग का संबंध मुख्यतया भवन निर्माण संबंधी उद्योग से होता है जिसमें सीमेंट/स्टील, ईटें/टाइल्स, रंग/बदरपुर, जुड़नारों/फिटिंग्स, पेंट और रसायन, निर्माण संबंधी उपकरणों, पेट्रोल/अन्य पेट्रो उत्पाद, इमारती लकड़ी, खनिज उत्पाद, एल्यूमिनियम, शीशा और प्लास्टिक शामिल हैं। औसत निर्माण लागत का लगभग दो तिहाई व्यय निर्माण संबंधी सामग्री पर व्यय होता है। निर्माण कार्यों में पहले और बाद के कार्यों का विश्लेषण करने के आधार पर, अर्थव्यवस्था पर निर्माण कार्यों का प्रभाव बहुत अधिक आंका जाता है।

निर्माण उद्योग में रोजगार

8.1.4 वर्ष 2005 में निर्माण संबंधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 27,770 उद्यमी संलग्न थे, यह उद्योग समूचे देश में सबसे बड़ा रोजगारदाता है और इसमें संगठित तथा असंगठित दोनों ही

रूप देखे जाते हैं। वर्ष 1995 में इसमें 14.6 मिलियन व्यक्ति कार्यरत थे जो वर्ष 2005 में बढ़कर इसके दुगुने अर्थात् 31.46 मिलियन व्यक्ति हो गये, जिनमें इंजीनियर, तकनीशियन, फौरमैन, लिपिक, कुशल एवं अकुशल कर्मचारी शामिल हैं। बुनियादी ढांचे में अधिकाधिक निवेश के फलस्वरूप निर्माण की मांग में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप निर्माण संबंधी इंजीनियरों व तकनीशियनों की मांग भी बढ़ी। हालांकि, इंजीनियरों और तकनीशियनों की आमतौर से सीमित उपलब्धता के कारण और कुछ क्षेत्रों पर नियुक्त योग्यता प्राप्त इंजीनियरों की संख्या में बहुत अधिक कमी आ गई। यह संख्या वर्ष 1995 में 4.71% थी वह वर्ष 2005 में घटकर 2.65% रह गई, और इसी प्रकार उप-इंजीनियरी स्तरों पर भी वर्ष 1995 में 2.46% से घटकर वर्ष 2005 में 1.85% रह गई। कुशल कामगारों की भी निरन्तर कमी होती जा रही है जो 1995 में 15.34% थी वह 2005 में घटकर 10.57% रह गई जब कि अकुशल कामगारों के सापेक्ष अनुपात में वृद्धि हुई अर्थात् जो 1995 में 73.08% था वह 2005 में 82.45% हो गया। 2005 में निर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार का 93% मजदूर वर्ग था जिसमें प्रवासी श्रमिकों की संख्या अधिक थी। कार्य स्थल पर और उनके मूल निवास स्थलों पर हो रही कमी को मापने के लिए विश्वस्त सूचना प्रणाली का होना महत्वपूर्ण है चूंकि कामगारों की संख्या और उनके प्रवास के कारणों को ज्ञात करने के लिए सबसे निचले स्तर पर आंकड़े अक्सर अपर्याप्त होते हैं; इस अंतराल को भरने के लिए राज्य स्तर पर सर्वेक्षण करना जरूरी है। 11वीं योजना के दौरान अनेक बड़ी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। जिसके कारण निर्माण कार्य संबंधी कामगारों की मांग में निरन्तर वृद्धि होगी जो लगभग 8-9% तक होगी, इस प्रकार मौजूदा कार्यबल में लगभग 25 लाख व्यक्तियों की वार्षिक वृद्धि होगी।

दसवीं योजना के दौरान विकास कार्य

8.1.5 2002-07 के दौरान, भारतीय निर्माण उद्योग द्वारा संस्थागत वित्त, मानव संसाधन विकास, विवाद निराकरण, संभरण प्रक्रिया, सुरक्षा एवं निर्माण उद्योग में गुणवत्ता तथा आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अनेक नए-नए उपाय अपनाकर अनेक उपलब्धियां प्राप्त की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई डी बी आई (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण उद्योग को औद्योगिक संबद्धता का दर्जा दिया गया, इस प्रकार निर्माण उद्योग को वित्त की उपलब्धता की चिरप्रतिक्षित जरूरत को पूरा किया गया। अनौपचारिक निर्माण क्षेत्र के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए गए जिनसे इस उद्योग के कामगारों, इंजीनियरों और प्रबंधकों की समस्याएं हल की गई। अन्य मुख्य उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ

शामिल हैं - विवादों का निबटान करने के लिए न्यायिक संस्थानों की स्थापना करना, सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए संस्थानों का विकास, आपदाओं से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए संगठनों की स्थापना एवं पश्च उपचार चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, सार्वजनिक क्षेत्र में संभरण प्रणाली को उन्नत करना तथा संभरण प्रक्रिया के लिए विनियामक नियम-पुस्तिकाओं को तैयार करना, साथ ही बेहतर प्रणालियों के बारे में सूचना का विश्लेषण करना और गुणवत्ता, सुरक्षित लेखा-परीक्षा के लिए कार्य ढांचा तैयार करना, जनशक्ति को प्रशिक्षण देना और प्रमाण पत्र प्रदान करना।

ग्यारहवीं योजना के लिए रणनीतियां

8.1.6 ग्यारहवीं योजना के दौरान निर्माण उद्योग के सामने मुख्य चुनौती में परिवहन, आवास तथा शहरी विकास जैसे क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाना है। बुनियादी ढांचे का सुनियोजित विकास करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, यदि महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान द्वारा कार्यबल तथा प्रणाली सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने के लिए परिवर्तन नहीं किए जाते। निर्माण उद्योग में मुख्य मुद्दों के बारे में नीचे दिए खण्डों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

निर्माण उद्योग में उत्पादकता

8.1.7 क्योंकि निर्माण उद्योग में अनुमानित कार्य निष्पादकता क्षमता को बढ़ाना मुख्य मुद्दा है, उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हेतु कुशल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाना महत्वपूर्ण है निर्माण उद्योग में अनुसंधान एवं विकास को निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए क्योंकि निर्माण उद्योग में प्रौद्योगिकीय आधार को बनाने एवं मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकियों संवर्धन करना जरूरी है। इस आवश्यकता को मानते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता देना और साथ ही निजी क्षेत्र के उद्यमों को अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है।

8.1.8 भारतीय निर्माण उद्योग में निम्न प्रौद्योगिकी स्तर होने के कारण उत्पादन, गुणवत्ता में कमी आती है और समय अधिक लगता है तथा लागत व्यय बढ़ जाता है। उत्पादकता को बढ़ाने और लागत को घटाने की ओर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय रणनीति नई प्रौद्योगिकियों शुरू करने, निर्माण पद्धतियों और ऊर्जा बचत वाली सामग्री (विशेषकर कूड़ा-करकट से तैयार) की ओर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण सड़कों के लिए, कार्य-लागत कम करने के लिए "सस्ती सामग्री" और वैकल्पिक

सामग्री की पहचान के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8.1.9 समकालीन निर्माण परियोजना में सूचना प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है जो परियोजना दलों के सामने उत्पादन स्तर को उन्नत करने में आड़े आती है। निर्माण उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा निविदाएं जारी करने, दरें तय करने, निविदाओं का मूल्यांकन करने, निर्माण गतिविधियों की ग्रेडिंग करने, परियोजना निष्पादन परिभारिकी, परियोजना प्रबंधन, तथा वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग का कार्य किया जा सकता है। एक उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त, निर्माण उद्योग के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस संग्रहण केन्द्र के रूप में एक संस्थान बनाने की भी आवश्यकता है।

मानव संसाधन और उद्यमगत विकास ढांचा

8.1.10 निर्माण उद्योग के सामने एक बड़ी समस्या क्षमता को बढ़ाने के सम्बन्ध में कुशल जनशक्ति, श्रमिक तथा पर्यवेक्षक दोनों ही स्तरों की अत्यधिक कमी और अनुभवी निर्माण इंजीनियरों की भी कमी के रूप सामने में आती है। निर्माण उद्योग, विशेष रूप से राजमार्गों व सड़कों के निर्माण क्षेत्र में, अनुबंधकर्ता एजेंसियों की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। निर्माण कार्य संबंधी कामगारों के लिए उपयुक्त दक्षता उन्नयन एवं प्रमाणन कार्यक्रम की कमी, प्रोत्साहनों का अभाव तथा विनियामक ढांचे का न होना है जिससे अनुबंधकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षित व प्रमाणित कामगारों का एक निर्दिष्ट औसत तय किया जा सके।

सिविल इंजीनियरों की मौजूदा कमी को दूर करने के लिए इंजीनियरी संस्थानों में पर्याप्त संख्या में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है।

8.1.11 निर्माण उद्योग विकास परिषद (सी आई डी सी) ने निर्माण संबंधी कामगारों के प्रशिक्षण, जांच करने तथा प्रमाणीकरण का एक कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के द्वारा निर्माण कार्य संबंधी कामगारों को प्रशिक्षण देकर, जांच करके तथा प्रमाणीकरण के द्वारा 47 निर्दिष्ट ट्रेडों में निर्माण कार्य संबंधी कामगारों की कार्य कुशलता को सफलतापूर्वक उन्नत किया गया है। (बाक्स 8.1.1)

8.1.12. निर्माण कार्य संबंधी कार्मिकों, सभी स्तरों पर, प्रशिक्षण देने तथा प्रमाणीकरण के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने व क्रियान्वित करने की जरूरत है। योजना के अन्तर्गत प्राप्त दक्षता के आधार पर "ग्रेड आधारित प्रमाणीकरण" की पद्धति होनी चाहिए। प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडों में अल्प-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया जाए। निर्माण उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए सलाहकार एवं परामर्शीय सेवाओं की भूमिका अहम है। यद्यपि, फिलहाल ये सेवाएं समग्र निर्माण सेवाओं में एक छोटे हिस्से के रूप में ही हैं जिन्हें उपयुक्त तरीके से उन्नत करने की जरूरत है।

निर्माण लागत कम करने की आवश्यकता

8.1.13 यह अनुमान लगाया गया है कि निर्माण परियोजनाओं में संभरण, निगरानी तथा पर्यवेक्षण पर कुल व्यय तथा अन्य अप्रत्यक्ष खर्च कुल परिसम्पत्ति की लागत का लगभग 22 प्रतिशत हो

बाक्स 8.1.1

समग्र मानव संसाधन विकास-निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)

- सीआईडीसी, अनेक विश्व विद्यालयों एवं उद्योगों के संघ, ने पिछले 3 वर्षों से निर्माण उद्योग से जुड़े कार्मिकों के लिए एक मानव संसाधन विकास कार्यक्रम जारी किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित 19 केंद्रों द्वारा 38 ट्रेडों में मुक्त पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाती है। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, (पी एस यू) एसपीवी तथा राज्य द्वारा इसमें सक्रिय भागीदारी की जा रही है।
- सीआईडीसी चार राज्यों—मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार— में 29 आईटीआई में कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 1,00,000 कार्मिकों की जांच और प्रमाणीकरण किया जा चुका है और इन कार्मिकों ने निर्माण कम्पनियों में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर लिया है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एनएचएआई के निविदा दस्तावेजों में पूर्व-योग्यता का प्रावधान शामिल करके पहल की जा चुकी है कि कम से कम 5 प्रतिशत और प्रमाणित कार्मिकों को भर्ती किया जाए, एनएचएआई की किसी भी निविदा के लिए वे ही पात्र होंगे। इस प्रणाली को अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाये जाने की आवश्यकता है।
- सी आई डी सी निर्माण प्रबंधन परियोजना प्रबंधन, नवीन प्रौद्योगिकी तथा अन्य सम्बन्धित विषयों में पर्यवेक्षकों, प्रबन्धकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रबन्धन विकास कार्यक्रम तैयार करने व क्रियान्वित करने में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। सी आई डी सी द्वारा सैनिकों के लिए सिविल, मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा कार्यक्रम की मैदानी जांच हो ही चुकी है तथा सेनाओं में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है।

जाता है। भारतीय निर्माण उद्योग की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए इन खर्चों तथा अन्य भुगतान सम्बन्धित खर्चों में कमी करना जरूरी है। उत्पादकता उन्नत करने के उपायों के अतिरिक्त, जैसाकि पिछले खण्डों में उल्लेख किया गया है, उद्योग में स्वयं प्रक्रिया और तंत्र को क्रमबद्ध करने और गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने के लिए उपाय करने की भी आवश्यकता है।

अनुबंध प्रणाली

8.1.14 मौजूदा अनुबंध शर्तों, परियोजनाओं के लिए माल आपूर्ति प्रक्रिया तथा सेवाओं का प्रयोग देश में विभिन्न परियोजना प्राधिकरणों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की समीक्षा करना और अनुकूल बनाना जरूरी है। कुछ अनुमानों के अनुसार, कुछ परियोजनाओं की कुल लागत का 16 प्रतिशत माल आपूर्ति पर व्यय होता है। मानक अनुबंध-प्रणाली, दस्तावेजों और मूल्यांकन मानदंडों को तैयार करने पर कारोबारी लागत और समय की बहुत अधिक बचत होगी। निष्पक्ष प्रतियोगिता और कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी पी वी) वाली बड़ी परियोजनाओं में पूर्व-अर्हता प्रणाली को अपनाया चाहिए, जिससे उन्हीं कम्पनियों का चयन हो सकेगा जो पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगी और उन्हें ही निविदाएं सौंपी जायेगी। छोटी परियोजनाओं के लिए, विशेषकर जिसमें मरम्मत और अनुरक्षण कार्य करना हो, पूर्व-अर्हता को आवधिक आधार पर किया जाए तथा निविदाएं सीमित परिचालन के आधार पर आवंटित की जाएं। सांख्यिकीय और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को 'समान अनुबंध 1 शर्त' के सेट के रूप में क्रियान्वित किया जाए, इन्हीं के आधार पर विशेषज्ञों तथा पणधारकों से परामर्श करके मानक अनुबंध व निविदा दस्तावेज तैयार किए जाएं। मौजूदा प्रणाली को बदल कर इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया, निविदा नोटिस ऑनलाइन प्रचारित करने, अनुबंध निविदा दस्तावेज ऑनलाइन देने तथा रिवर्स निविदाएं होने पर अनुचित पक्षपातपूर्ण प्रतियोगिता समाप्त होगी और निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

विवादों का समाधान

8.1.15 संस्थागत प्रणाली और प्रक्रिया के अभाव के कारण, न्यायिक प्रक्रिया मंहगी है तथा समय भी अधिक लगता है। निर्माण उद्योग परिषद द्वारा 2001 में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, निर्माण क्षेत्र संबंधी विवादों में 54,000 करोड़ रूपए से अधिक की पूंजी फंसी हुई है। विवादों को कम समय और खर्च पर सुलझाने के लिए, उचित परियोजना पद्धति अपनाने को बढ़ावा देना चाहिए तथा तकनीकी स्वीकृति मिलने से पहले ही डी पी आर को पूरा कर लिया जाए। न्याय एवं समझौता अधिनियम 1996 लागू होने से पूर्व, विवादों को सुलझाने में अच्छी प्रगति हुई है। यद्यपि, तदर्थ न्यायिक प्रक्रिया में परिभाषित चयन प्रक्रिया और

न्याय के लिए कार्यशील सिद्धान्तों के रूप में कमियों, करार के लिए निर्दिष्ट नियम न होने तथा न्याय करने व पर्यवेक्षण करने वाले निष्पक्ष निकाय का प्रावधान न होने जैसी कमियों को दूर किया जाएगा। इन कमियों को दृष्टिगत रखते हुए, विवादों को निष्पक्षता, शीघ्रता, पारदर्शिता तथा सस्ते में निपटाने के लिए नए उपायों को आरंभ करने की जरूरत है।

8.1.16 विवादों को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने की प्रक्रिया अपनाई जाए, अन्यथा वैकल्पिक विवाद प्रस्ताव के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली के न्यायिक नियमों के अनुसार न्यायिक बोर्ड द्वारा न्यायालय को सौंपने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त संस्थागत न्यायिक नियम, गुणवत्ता, आचरण/व्यवहार के मानकों व कोड को बनाए रखने के लिए ख्याति प्राप्त न्यायविदों का पैनल, नियुक्ति के परक्राम्य मानदंडों, न्यायविदों के शुल्क का प्रबंधन, तथा विवादों की प्रगति की निगरानी व पर्यवेक्षण विधि तैयार की जाए और विशेषज्ञों व पणधारकों से परामर्श करने के बाद भारतीय न्याय एवं समझौता अधिनियम 1996 के अनुसार उन्हें संस्थागत किया जाए।

गुणवत्ता और स्तर

8.1.17 भारतीय निर्माण उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने से सम्बन्धित पक्षों की ओर सभी स्तरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कमी का कारण, नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन की कमी, प्रशिक्षित एवं प्रमाणित कर्मियों के लिए अपेक्षित पूर्व-योग्यता में कमी, जीवन सुरक्षा के लिए उपायों की कमी तथा पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास की कमी पाया जाना है। उद्योग की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी पणधारकों को कुशल श्रमिकों, पर्यवेक्षकों, प्रबन्धकों के प्रशिक्षण की ओर सक्रिय रूप से सहयोग करना होगा तथा निर्माण संबंधी तकनीकों (जैसे रेडीमिक्स्ड कंक्रीट, प्री-फैब तकनीकें) को बढ़ावा देना होगा, इनमें सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है।

8.1.18 निष्पादकता मूल्यांकन प्रमाण पत्र योजना को सामग्री, उत्पादों एवं भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संबंधी परिषद, (बी एम पी टी सी) सीआईडीसी, भारतीय मानक ब्यूरो तथा अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त प्रयासों से विकास एवं वृद्धि करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ओर चल रहे विकास कार्यक्रमों, विशेषकर सड़कों, राजमार्गों और गांव को जोड़ने की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए जिससे वहां पर सामग्री की गुणवत्ता का मूल्यांकन व जांच की जा सके।

8.1.19 निविदाओं को आमंत्रित व क्रियान्वित करने, निष्पादकता स्तर को बनाये रखने के महत्व और लाभ को निर्माण उद्यमों तथा

संभरण एजेन्सियों द्वारा अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले विशेष कार्यों के लिए निष्पादकता मानदण्ड तैयार किये जा रहे हैं। अन्य विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बढ़ाना है। अनेक निर्माण कम्पनियों आई.एस.ओ. 9000 की श्रृंखला के प्रमाण पत्र पाने के लिए प्रयत्नरत हैं।

निर्माण हेतु वित्त पोषण

8.1.20 भारतीय निर्माण उद्योग परिचालन अनुरक्षण पर अधिक वित्त उपलब्धता संबंधित समस्या का सामना कर रहा है। संस्थागत वित्त पोषण तक पूरी पहुंच न होने के कारण विशेषकर छोटे अनुबंधकर्ताओं के लिए जो कुल निर्माण कार्य का 90 प्रतिशत से अधिक का कार्य करते हैं, यह समस्या और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त निर्माण उद्योग को औद्योगिक संबद्ध दर्जा दिये जाने के फलस्वरूप, मौजूदा वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को निर्माण क्षेत्र की ऋण लेने वाली एजेन्सियों के लिए ऋण देने संबंधी मानदण्डों एवं पात्रता के बारे में निर्माण उद्योग की विशेष नीति को अपनाना चाहिए और आधुनिक परियोजनाओं के लिए उच्च तकनीकी उपकरणों के आयात के लिए विशेष प्रोत्साहन या वित्तपोषण योजनाएं शुरू करनी चाहिए।

अन्य विशेष मुद्दे

निर्माण कार्मिकों की सुरक्षा एवं अन्य संबंधित मुद्दे

8.1.21 निर्माण कार्यों में कार्यरत कार्मिकों को श्रमिकों की श्रेणी में होने के कारण भारी खतरा होता है क्योंकि वे असंगठित होते हैं। निर्माण उद्योग के कार्मिकों को जीवन व अंग भंग का भारी जोखिम होता है। निर्माण कार्यों में कार्मिकों को कम प्रशिक्षण, नियोक्ता और कार्मिकों के बीच अस्थाई संबंध, अनिश्चित कार्य समय, मूलभूत सुविधाओं की कमी, कल्याण सुविधाओं की कमी और नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देना, पाया जाता है। पर्याप्त कानूनी प्रावधानों के न होने के कारण दुर्घटनाओं की प्रकृति और संख्याओं के बारे में भी आमतौर से अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती।

8.1.22 पिछले कुछ समय में, निर्माण कार्य संबंधी श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। जैसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए भविष्य निधि योजना के लिए अनिवार्य प्रावधान और श्रमिक कल्याण उपकर शुरू करना भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य संबंधित कार्मिक (रोजगार और सेवाशर्तों से संबंधित विनियमावली) अधिनियम, 1996 भी तैयार किया गया जिसमें निर्माण कार्यों से जुड़े कार्मिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं अन्य सेवाशर्तों को नियमित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर वृहत कानून बनाने को मान्यता दी गई। यद्यपि कुछ ही राज्यों में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है। जैसे कल्याण

बोर्डों की स्थापना करना, अधिनियम को तेजी से लागू करने के लिए नये प्रयासों की जरूरत है।

8.1.23 निर्माण से जुड़े सुरक्षा पहलुओं के लिए उचित प्रशिक्षण सुविधाओं की उचित व्यवस्था करने के साथ सतर्क सुरक्षा प्रबन्ध दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन एवं खतरों एवं जोखिम का मूल्यांकन करने और कार्मिकों की सुरक्षा के लिए निर्धारित उपायों से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। निर्माण उद्योग से जुड़े कार्मिकों, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और दक्षता बढ़ाने तथा निर्दिष्ट सामाजिक लाभों के लिए प्रावधान करना जरूरी है।

परिसम्पत्ति प्रबन्धन एवं अनुरक्षण

8.1.24 यद्यपि सभी पंचवर्षीय योजनाओं में भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल दिया जाता रहा है किन्तु परिस्थितियों के अनुरक्षण के लिए की गई व्यवस्था की ओर अपेक्षित बुनियादी ढांचा, योजना और निपुण कार्मिकों के अभाव के कारण अधिक महत्व नहीं दिया गया। मौजूदा परिसम्पत्ति प्रबन्धन को स्थानीय राज्य व केन्द्र सरकार के स्तरों पर पुनर्विचार और मजबूत करने की आवश्यकता है। परिस्थितियों के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए नियमित ढांचा तैयार करने की जरूरत है।

पर्यावरण संबंधी मुद्दे

8.1.25 निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण एवं परिचालन पर लागू होने वाला विकास ही आर्थिक संपन्नता और समाज के लिए बेहतर पर्यावरण दे सकता है। इन उद्देश्यों का सामामेलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को मान्यता दी गई है। जबकि ईआईए एक निर्धारित आकार से बड़ी परियोजनाओं का निर्माण करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा विनियमों जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2006 और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कार्यवाही की जाए। भवन निर्माण सामग्री को पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा क्षमता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न अन्तर अनुशासनात्मक संग्रहण जैसे सीआईडीसी तथा बीएमटीपीसी है और इनके साथ साथ केन्द्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं जो परियोजनाओं को सभी क्षेत्रों से, निर्माण से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन, नियंत्रण और विनियमन करते हैं।

निर्माण संबंधी कानून

8.1.26 वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, निर्माण गतिविधियों में सलग्न कोई भी संगठन को पांच भिन्न कानूनों के तहत पंजीकरण कराने के

अतिरिक्त तीन कानूनों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने पड़ते हैं और बारह कानूनों के तहत निरीक्षण किया जाता है। इनके अतिरिक्त केवल श्रम से संबंधित 27 कानून हैं। मौजूदा कानूनी प्रक्रिया में कानूनों व प्राधिकारियों की बहुलता, विसंगतियां एवं जटिलताएं हैं। अतः एक संगठित भवन निर्माण कानून बनाने की जरूरत के साथ साथ एकल विंडो व्यवस्था करना आवश्यक है। संगठित निर्माण कानून में राष्ट्रीय निर्माण नीति एवं योजना, संविधान तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के भवन निर्माण प्राधिकारियों, विवाद प्रस्ताव तथा न्यायिक समझौता, अनुदान, निधियों, लेखा, लेखा-परीक्षाओं एवं रिपोर्ट, पंजीकरण तथा अन्य प्रावधानों पर अध्ययन होने चाहिए।

कराधान

8.1.27 निर्माण सेक्टर में, अन्य सेक्टरों की तुलना में, निर्माण तथा निर्माण संबंधी गतिविधियों पर बहुत अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर लगते हैं। निर्माण कार्यों से संबंधित कराधान तथा विनियामक प्रणाली को तर्क संगत बनाने और बहुस्तरीय कराधान को समाप्त करने के दृष्टिकोण से इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। 'उद्योग' या 'सेवाएं' पर कराधान के लिए इस सेक्टर की सुस्पष्ट व्याख्या करने की जरूरत है।

प्राकृतिक विनाश से बचाव

8.1.28 अब यह भलीभांति समझा जाने लगा है कि प्राकृतिक विनाश की समस्या गंभीर होती है क्योंकि पिछले दो दशकों में इसमें पांच गुणा वृद्धि दर्ज की गई है। प्राकृतिक विनाश के प्रभाव की पहचान, रोकथाम और कम करने के लिए संस्थागत प्रयासों की जरूरत है। राष्ट्रीय विपदा पर प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा घोषित दिशा निर्देशों और कार्यक्रमों के अनुसार नये कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। विनाश को कम करने में मानव संसाधनों के विकास तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, विनाश रोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों और आपदा प्रभावित लोगों के उपकार हेतु औषधालयों तथा आपदा सम्भावित क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी मुख्य जिलों में आपदा पहचान केन्द्रों को स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।

8.1.29 भवन निर्माण परिसंपत्तियों पर बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिवहन संबंधी नई परियोजनाओं के शुरू होने, ग्रामीण सड़कों, आवास औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, समय निर्धारित ऊर्जा एवं कृषि संबंधी परियोजनाओं के शुरू होने पर निवेश में भारी वृद्धि होगी। निर्माण क्षेत्रक में वांछित वृद्धि पाने के लिए अपेक्षित संशोधन, विस्तारण और अच्छी प्रणालियों को शुरू करने की जरूरत है जिससे वृद्धि, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धा में वैश्विक प्रवृत्ति के अनुकूल बन सके।

भावी पथ

- कुशल प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा कर निर्माण क्षेत्रक में भवन निर्माण क्षमता में वृद्धि करना।

- अनुबंध प्रणाली और विवाद समाधान तंत्र की समीक्षा करके परिचालन तक खर्चों को घटाना।
- निर्माण क्षेत्रक को पर्याप्त संस्थागत वित्त पोषण का प्रावधान करना और गुणवत्ता स्तर को उन्नत करना।
- निर्माण कार्य से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर तथा प्रमाणन करके मानव संसाधनों के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करना।
- निर्माण संबंधी गतिविधियों में प्रशिक्षित और प्रमाणित सुरक्षा प्रबन्धन दलों का गठन करके सुरक्षा को अधिक महत्व देना।
- अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिक निधियां उपलब्ध कराना जिससे निर्माण लागत को कम करने के लिए उपयुक्त तथा वैकल्पिक सामग्री की पहचान की जा सके।

8.2 पर्यटन

सिंहावलोकन

8.2.1 पर्यटन एक बहु-क्षेत्रीय गतिविधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। देश में यह सबसे बड़ा सेवा उद्योग है। इसकी महत्ता देश के विशेष रूप से दूरवर्ती तथा पिछड़े इलाकों में आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन करन का साधन बनने में निहित है। यह अर्थव्यवस्था में समग्र समाजार्थिक सुधार और तीव्र, त विकास की दिशा में योगदान कर रहा है। पर्यटन के विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढ़े हुए राष्ट्रीय और राज्य राजस्वों, व्यापार आय, रोजगार, मजदूरी और वेतन आय के रूप में आर्थिक लाभ में प्रवाहित होते हैं। पर्यटन मुख्य रूप में निजी क्षेत्रक प्रदाताओं का उद्योग है और सार्वजनिक क्षेत्रक को इसके अवसरचना में प्रत्यक्ष अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।

8.2.2 भारत में पर्यटन एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र है जिसमें तेजी से बढ़ने की क्षमता है जिसके फलस्वरूप बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित होता है। इससे अन्य क्षेत्रों जैसे .षि, बगानों, हस्तशिल्प, परिवहन विभाग इत्यादि के साथ आन्तरिक एवं बाह्य मितव्ययी एवं प्रतिक्षेत्रीय सहक्रीयताओं द्वारा अन्य आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के क्षमता है। भारत में पर्यटन उद्योग का विशेष महत्व राष्ट्रीय एकता एवं प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण का संरक्षण करने और लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को और अधिक समृद्ध करने जैसे स्मारकों व धरोहर संरक्षण में योगदान है। यह उद्योग पारम्परिक कला, हस्तकला तथा संस्कृति को भी सहायता पहुँचाता है।

वैश्विक स्थिति तथा प्रवृत्ति

8.2.3 पिछले कुछ वर्षों के दौरान, यात्रा एवं पर्यटन उद्योग को अनेक अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं जैसे आतंकवाद तथा एसएआरएस, और आर्थिक उथल-पुथल के कारण यात्रा एवं पर्यटन की मांग में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े। इसके साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे इन्टरनेट पर जानकारी और बुकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण, लोगों में घूमने की प्रवृत्ति बढ़ी है, प्रसिद्ध विश्व स्तरीय कंपनियों तथा सस्ते किराये ने बाजार की प्रवृत्ति और यात्रा विधियों ने मूलभूत परिवर्तन करके प्रेरक का काम किया है, यह प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में देखी गई है। यद्यपि कारोबारी योजनाएं अधिकाधिक अल्प कालिक होती जा रही हैं, अधिकांश सरकारें अनुभव कर रही हैं कि वे यात्रा एवं पर्यटन वृद्धि को भाग्य पर नहीं छोड़ सकती है। समूचे विश्व में इस प्रवृत्ति के कारण इस उद्योग के बढ़ने की अनेक संभावनाएं हैं।

8.2.4 विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के आकलन के अनुसार (तालिका 8.2.1), यात्रा एवं पर्यटन 2008–2017 के दौरान समूचे विश्व में 4.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि का अनुमान है। इस उद्योग में 2007 में आर्थिक गतिविधियों में 7060.3 बिलियन अमरीकी डालर अर्जित करने की संभावना है और 2017 तक यह बढ़कर 13,231.6 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा। 2007 में इस उद्योग द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिशत (1851.1 बिलियन अमरीकी डालर) योगदान करने की संभावना है और 2017 तक यह बढ़कर 3,121.7 बिलियन अमरीकी डालर होने की उम्मीद है। लेकिन इसकी प्रतिशतवार इसमें 3.4 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है। यात्रा एवं पर्यटन से आय ने इसे सबसे बड़ा उद्योग तथा और विश्व की सकल घरेलू उत्पाद में 10.4 प्रतिशत, वैश्विक निर्यात में 12.2 प्रतिशत, वैश्विक रोजगार में 8.3 प्रतिशत इसका हिस्सा है और वैश्विक पूंजीगत निवेश में 9.5 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे तेज बढ़ने वाली श्रेय बना दिया है।

भारत का पर्यटक परिदृश्य

8.2.5 दसवीं योजना के दौरान भारत में पर्यटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि परिवर्तन आया है। नीचे दी गई तालिका 8.2.2 दर्शाती है कि विदेशी पर्यटकों का आगमन वर्ष 2002 में 2.38 मिलियन से बढ़कर 2006 में 4.45 मिलियन हो गया जो 87 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। विश्व भर के पर्यटकों में भारत का हिस्सा इसी अवधि में 0.34 प्रतिशत से बढ़कर 0.52 प्रतिशत हो गया।

तालिका 8.2.2
भारत में पर्यटकों का आगमन

वर्ष	विश्व के पर्यटकों का आगमन	विदेशी पर्यटकों का आगमन	भारत में घरेलू पर्यटकों की यात्रा	(मिलियन में)
				विश्व के पर्यटकों में भारत का हिस्सा (%)
2002	706.4	2.38	269.6	0.34
2003	693.2	2.73	309.0	0.39
2004	761.0	3.46	366.2	0.46
2005	802.0	3.92	390.5	0.49
2006	842.00	4.45	461.2	0.52

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय

8.2.6 इसी प्रकार, नीचे दी गई तालिका 8.2.3 से स्पष्ट है कि इसी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा की आय में लगभग 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2923 मिलियन अमरीकी डालर से 6569 मिलियन अमरीकी डालर) जो अन्तर-राष्ट्रीय पर्यटकों से आय का 0.9 प्रतिशत है। 2006 के दौरान भारत में प्रति पर्यटक से औसत आय लगभग 1476 अमरीकी डालर है जबकि विश्व में यह 872 अमरीकी डालर है।

8.2.7 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू पर्यटकों में भी तेजी से वृद्धि हुई इनकी संख्या 2002 में 269.6 मिलियन थी वह 2006 में बढ़कर 461.2 मिलियन हो गई। पर्यटन मंत्रालय द्वारा

तालिका 8.2.1
2007 में सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में यात्रा एवं पर्यटन का योगदान

	भारत (प्रतिशत) 2007	2007 के दौरान विश्व का प्रतिशत	2017 में संभावित विश्व प्रतिशत
यात्रा एवं पर्यटन का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान	5.4	10.4	10.7
यात्रा एवं पर्यटन उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान	2.0	3.6	3.4
यात्रा एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था का रोजगार में योगदान	5.5	8.3	8.3
यात्रा एवं पर्यटन उद्योग का रोजगार में योगदान	2.3	2.7	2.8

स्रोत: डब्ल्यू टीटीसी

तालिका 8.2.3
पर्यटन से आय (बिलियन अमरिकी डालर)

वर्ष	विश्व आय	भारत की हुई आय	विश्व आय में भारत का हिस्सा
2002	487.0	2.9	0.60
2003	533.1	3.5	0.66
2004	633.0	4.8	0.75
2005	678.0	5.7	0.85
2006	735.0	6.6	0.89

स्रोत - पर्यटन मंत्रालय

तैयार भारत के पर्यटन उपग्रह खाते के अनुसार 2002-03 के दौरान पर्यटन क्षेत्र का योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों को मिला कर तथा रोजगार क्रमशः 5.83 प्रतिशत व 8.27 प्रतिशत रहा। अनुवर्ती हिस्सेदारी का अनुमान क्रमशः 5.90 प्रतिशत व 8.78 प्रतिशत है।

8.2.8 यह एक सार्वभौमिक स्वीकृत तथ्य है कि देश के पर्यटन संस्थानों में यदि विवेकपूर्ण ढंग से दीर्घकालिक तौर पर प्रयोग में लाए जाएं, तो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मांग में अप्रत्याशति वृद्धि करने की क्षमता है जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा

8.2.9 दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2900 करोड़ रुपये का प्रावधान था (केन्द्रीय क्षेत्र) जिसमें से 2635.67 करोड़ रुपये (91 प्रतिशत) व्यय किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में योजनावार वित्तीय निष्पादनता अनुबंध 8.2.1 में दर्शाया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारत को एक पर्यटन स्थल के रूप में इसकी प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि कर व इसे बनाए रखकर और इसकी विश्वस्तरीय अवसरचना सृजन कर एवं सतत एवं प्रभावकारी विपणन योजनाएं व कार्यक्रम तैयार कर और ग्रामीण व लघु खंड पर्यटन के विकास पर बल दिया गया है। देश तथा विदेश में भारतीय पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी मुख्य रूप से बल दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने विकास के बड़े क्षेत्रों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास में पांच मुख्य स्थलों जैसे अजंता, एलोरा, बोधगया, राजगिरी, नालंदा, कुरुक्षेत्र, महाबलीपुरम आदि की ओर विशेष ध्यान दिया। मानव संसाधन विकास और सेवा प्रदाताओं क्षमता निर्माण को अति महत्व दिया गया है, जिसके फलस्वरूप 24 होटल प्रबन्धन संस्थानों और 12 फूड क्राफ्ट संस्थानों के माध्यम से 40 हजार से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके

अतिरिक्त बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त वाले उत्पादों जैसे सूरजकुण्ड हरियाणा में सम्मेलन केन्द्र, कर्नाटक में लगजरी रेल, जोरपोखरी दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में रात्रिकालीन सफारी पार्क का विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली द्वारा किया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य एवं रणनीतियां

8.2.10 यद्यपि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटन कार्यकारी ग्रुप ने 2011 तक 10 मिलियन अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों/आगंतुकों के लक्ष्य की सिफारिश की है। परन्तु पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारूपित 'विजन दस्तावेज' ने इस लक्ष्य की प्राप्ति से 2010 तक इस लक्ष्य को पाने का अनुमान है। इस रणनीति के अनुसार वर्ष 2011 के लिए लक्ष्य 10.25 मिलियन होगा। इस लक्ष्य को मुख्य स्रोत बाजार, बुनियादी सुविधाओं जैसे हवाई अड्डों, सड़कों, पर्यटन स्थलों पर नागरिक सुविधाओं, हवाई यात्रा की क्षमता और संपर्कता बढ़ा कर भारी प्रचार आदि में सुधार द्वारा प्राप्त करने का प्रस्ताव है। घरेलू पर्यटकों की संख्या जो 2006 में 461 मिलियन थी 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 2010 और 2011 में क्रमशः 725 मिलियन व 812 मिलियन होगी।

8.2.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 10 मिलियन अन्तर-राष्ट्रीय पर्यटक स्तर का लक्ष्य पाने के लिए मूल स्रोत बाजारों के विविधीकरण पर जोर देना होगा ताकि उन देशों को, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, स्पेन, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि जैसे देशों को शामिल किया जा सके, जहां उच्च विकास संभावना और बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है जो फिलहाल बहुत कम है। कुछ अन्य देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, मौरिशस, कीनिया, मलेशिया, फिजी आदि की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। जो इन देशों से पर्यटन के लिए भारत आते हैं। इसी प्रकार अनिवासी भारतीयों और पीआईओ को अपने मूल जन्म स्थल पर आने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है जिससे वे यहां आकर अपने पूर्वजों के इतिहास की जानकारी पा सके। उत्तरी अमेरिका व यूरोप में बेबी-बूमर्स ग्रुप में विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की खोज करने के लिए और भारतीय बहुरंगी सांस्कृतिक मनोरंजन पाने के लिए उन्हें भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

8.2.12 यातायात में वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए, गुणवत्ता आवासों की और अधिक व्यवस्था करनी होगी। अनुमान है 2011 में 2,00,000 अनुमोदित गुणवत्ता वाले कमरों की जरूरत होगी। घरेलू यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का पूरक होना चाहिए। जबकि फिलहाल ऐसे लगभग 1,00,000 कमरे हैं। इससे बुनियादी सुविधाओं का इष्टतम प्रयोग करने में मदद मिलेगी और भावी निवेश भी संभव हो सकेगा। अन्तर-राष्ट्रीय हवाई अड्डों के

नजदीक भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण की फालतू पड़ी जमीन पर होटलों के निर्माण की संभावना पर विचार करने की जरूरत है। कुछ निर्दिष्ट रेलवे स्टेशनों पर रेलवे की फालतू जमीन को भी बजट होटलों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्यटन के नए रूपों जैसे ग्रामीण, संस्कृति, साहसिक पर्यटन क्रूज पर्यटन एमआईसीई पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन को भी नये उत्साह के साथ बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

8.2.13 उपरोक्त लक्ष्य को पाने के लिए निम्नलिखित उपयुक्त उपाय करने होंगे:-

- पर्यटन विकास को एक राष्ट्रीय अग्रता प्राप्त गतिविधि के रूप में पहचान दिलाना व उसे बनाए रखना।
- पर्यटन केन्द्र के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उसे बनाए रखना।
- भारत के मौजूदा पर्यटन उत्पादों को और अधिक उन्नत करना एवं विस्तारित करना जिससे नये बाजार की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- विश्व स्तरीय अवसंरचना तैयार करना।
- स्थायी एवं प्रभावी विपणन योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्यनीतियां तैयार करना।
- मानव संसाधनों का विकास और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना।

पर्यटन की राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापना एवं रख रखाव

8.2.14 एक व्यवसायिक तौर पर प्रक्रिया तथा समेकित संचार नीति तैयार करने व उसके क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच अंतःसमन्वय और प्रभावी सम्पर्क बनाया जायेगा, ताकि पर्यटन तथा इसके द्वारा पड़ने वाली सामाजिक व आर्थिक प्रभावों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हो। राज्य सरकारों को भूमि बैंकों का गठन करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि पर्यटन सेक्टर में निवेश करना सुविधाजनक हो,

पर्यटन केन्द्र के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और रख रखाव करना

8.2.15 वीजा की सरलता और शीघ्रता से प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्यवाही करने, हवाई संयोजकता और विदेशी बाजारों से सीट क्षमता को बढ़ाने, अन्तर-राष्ट्रीय और बड़े घरेलू हवाई अड्डों पर सुविधाओं एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाने, करों को तर्क संगत करना तथा प्रतिबंधों जैसे आरएपी/पीएपी/आईएलपी को समाप्त करने से देश में पर्यटकों का आना सुकर होगा।

8.2.16 भारत में पर्यटन की वृद्धि में एक बड़ी बाधा संयोजकता की कमी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीटों की उपलब्धता के बारे में नागरिक विमानन सेक्टर को उदारीकृत करने के लिए कार्रवाई की गई जिससे स्थिति में बड़ा सुधार हुआ। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों द्वारा अधिक सीट क्षमता समाविष्ट की। घरेलू हवाई सेवाएं प्रदान करने वाले विमानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप न केवल हवाई यात्रा की मांग पूरी हुई बल्कि हवाई किराया भी कम हुआ है। बढ़ते हवाई यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए हवाई अड्डों पर बुनियादी सेवाएं बेहतर की जायेंगी। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई अड्डों पर सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कार्मिक और कार्यबल उपलब्ध कराने की जरूरत है। कुछ चयनित देशों से आने वाले पर्यटकों को आगमन के समय वीजा बढ़ाने की सुविधाओं की संभावना पर भी विचार किया जाये।

8.2.17 रेल मार्ग से यात्रा करने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। सभी महानगरों में सरकारी निजी, साझेदारी में बने बजट होटल रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। रेलवे स्टेशनों पर पर्यटकों के लिए सुव्यवस्थित साफ सुथरे प्रतीक्षालय, मूलभूत सुविधाएं जैसे पेय जल, शौचालय, चाय, कॉफी, गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाये।

8.2.18 सभी बड़े पर्यटन पुरातत्व स्थलों को राजमार्गों से उपयुक्त रूप से जोड़ा जाना चाहिए। पर्यटकों के वाहनों को सीमा पर पथ कर और प्रत्येक कैरियर पर परिवहन कर भुगतान के लिए पंक्तिबद्ध होकर प्रतीक्षा में रूकना पड़ता है जिससे उन्हें कष्ट होता है। राज्य सरकारें पर्यटकों के वाहनों की बाधा रहित यात्रा के लिए केवल एक स्थान पर पथ कर वसूलने की प्रणाली पर विचार करे। पर्यटन वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक अलग पहचान दी जाये जिससे वह राज्यों के बीच अबाधित आवागमन कर सके। राज्य मार्गों पर तेल कम्पनियों को पेट्रोल पम्प पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

भारत के मौजूदा पर्यटन उत्पादों को और अधिक उन्नत करना एवं विस्तारित करना जिससे नए बाजार की नई जरूरतों को पूरा किया जा सके।

8.2.19 भारत के अपने स्मारकों व स्थलों में वास्तुकला, संगीत, नृत्य/झामा, स्थानीय रीति रिवाजों और परम्पराओं तथा अन्य लोक कलाओं के रूप में दोनों मूर्त व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की बहुतायत है। स्मारकों और स्थलों में उपलब्ध सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर लाभ उठाने के लिए सांस्कृतिक एवं स्मारक पर्यटन का विस्तार किया जायेगा। सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पन्न ग्रामों व

शहरों के आसपास स्थित प्राचीन स्मारकों को आपस में जोड़ कर— एक समेकित क्षेत्र — भारत में सांस्कृतिक पर्यटन को मजबूत और विकसित किया जा सके। राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण अपने राजमार्गों पर स्थित बजट पर्यटन आवास जैसी पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने और सड़कों के किनारे या राज मार्गों पर मिलने वाली सुविधाओं को उन्नत करने का विचार कर, उन्हें गोवा, केरल और उत्तरी कर्नाटक में तटवर्ती एवं बीच पर्यटन का रूप दिया जाएगा ताकि पर्यटन को विकसित करने हेतु विचार किया जाए, क्योंकि हवाई मार्ग से वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। केरल तथा अंडमान—निकोबार द्वीप समूह को अन्तरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा के लिए पहले ही विकसित किया जा चुका है। नदियों से पर्यटन को परम्परागत मार्गों से विकसित किया जा सकता है जो एक उत्साहवर्धक उपाय होगा व इससे मार्गों के साथ-साथ बसे गांवों एवं कस्बों को भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार से ग्राम पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय भोजन को समूचे विश्व में पंसद किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन मार्गों पर पाक कला तथा भारतीय भोजन के स्वाद व बनाने की कला के प्रति आकर्षित करके पर्यटन को बढ़ावा देकर लाभ उठाना चाहिए। इससे न केवल भारत में पाक कला में निपुण व्यावसायिकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय पाक कला को बढ़ावा मिलेगा। वन्य जीव अभ्यारणों और राष्ट्रीय पार्कों को भी भारतीय पर्यटन उत्पाद का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। सतत पर्यटन पार्कों में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए एवं उचित स्थलों और आगन्तुक प्रबंधन योजनाएं बनाने की आवश्यकता है ताकि भूगर्भीय संतुलन और स्थानीय आवास को बाधा न पहुंचे।

8.2.20 भारत समूचे विश्व में बेहतर पर्वतीय एडवेंचर पर्यटन की सुविधाएं, हिमालय क्षेत्र में उपलब्ध कराता है। इस क्षेत्र में काफी काम किया जा चुका है। किन्तु इसे एलपाइन देशों में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप या उससे बेहतर बनाना होगा। भारत के चिकित्सा विशेषज्ञों की मांग पश्चिमी देशों में बढ़ी है। जहां चिकित्सा व्यय बहुत अधिक है, विशेषकर पर्यटन के विकास से सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे।

8.2.21 भारतीय वस्त्र हैंडलूम और हस्तकला, फर्नीचर, आभूषण विदेशों में लोकप्रिय हैं। अब भारतीय डिजाइनरों को अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। पर्यटकों के कार्यक्रम में खरीददारी भी शामिल होती है। अतः अच्छे शॉपिंग केन्द्र विकसित होने और शॉपिंग में विशेष रूचि के कारण पर्यटक आकर्षित होंगे। इससे परम्परागत दस्तकारी और हस्तकला, वस्त्रों और बुनकरों को सहायता मिलेगी और उन्हें जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध होगा।

8.2.22 भारत में घरेलू पर्यटन अधिकांशतः तीर्थों से संबंधित होता है। तीर्थ स्थलों पर यात्रा सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं को बेहतर किया जाये जो पर्यटकों के अनुकूल हों। तीर्थ स्थलों की पहचान करके उन्हें नये घरेलू पर्यटन मार्गों से जोड़ा जाए, जहां परिवहन, आवास, खान-पान और दर्शन की सुविधा हो ताकि पर्यटकों को उनके प्रति आकर्षण बढ़े।

विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना

8.2.23 पर्यटन उत्पादों को विकसित करने तथा घरेलू व विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे का सृजन किया जाये। पर्यटन के बुनियादी ढांचों का सृजन मजबूत करने से समूची अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के विकास और कला संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर के बचाव पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। पर्यटन परियोजनाओं जैसे पर्यटन स्थलों का विकास एक पूंजीवादी व वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य है जिसके लिए सरकार से वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि यह बुनियादी ढांचा विशेषज्ञ वस्तुकारों, भू विशेषज्ञों की सहायता से विकसित किया जाये तत्पश्चात्, निजी क्षेत्र द्वारा पारदर्शी तरीके से उसका संचालन किया जाए। अधिक राजस्व आय वाली परियोजनाओं जैसे होटलों का निर्माण, स्मारकों, गोल्फ कोर्स, पर्यटन रेलों आदि जिनका उत्पादन पूर्व अवधि से काफी ज्यादा होता है, का सृजन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें सरकार सुविधादाता और प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

8.2.24 पर्यटन स्थलों और केन्द्रों का चयन कुछ बातों जैसे इन स्थानों पर पर्यटकों को अपेक्षित सभी बुनियादी ढांचा को उपलब्ध कराने की क्षमता को ध्यान में रख कर सावधानी से किये जाने की आवश्यकता है। पर्यटन स्थलों व केन्द्रों की मास्टर योजना ख्याति प्राप्त वास्तुकारों/परामर्शीय एजेंसियों के सहयोग से तैयार की जाए, इसके साथ ही वे संरक्षण, परीक्षण और सौन्दर्य पहलुओं का ध्यान रखेंगे ताकि उनका समग्र रूप से विकास किया जा सके।

8.2.25 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बुनियादी ढांचे के विकास की रणनीति के अन्तर्गत केवल 10 बड़े स्थलों और 6 सकिलों का वार्षिक आधार पर चयन करना चाहिए। स्थलों के प्रबंधन में देश में 27 विश्व स्मारक स्थलों पर ध्यान व समन्वय बनाये रखने की आवश्यकता है और जो पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही उन्हें अनेक विनियामक प्राधिकरणों के नियमों का अनुपालन भी करना पड़ता है। ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए विशेषज्ञों के पैनल का चयन किया जाए। लोगों से सम्पर्क कर ग्रामीण स्थलों का चयन कर उस स्थान पर पर्यटकों की संभावना को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करना।

8.2.26 होटल बुनियादी ढांचा तैयार करने में एक बड़ी बाधा भूमि की अनुपलब्धता है अतः इससे संबद्ध उपाय इस प्रकार हैं— (i) बड़े शहरों के मास्टर प्लान में होटलों, स्मारकों और प्रदर्शनी स्थलों के निर्माण के लिए वाणिज्यिक स्थलों को चिन्हित करना, (ii) होटल स्थलों को दीर्घकालीन पट्टा आधार पर आर्बिटेट करना या संयुक्त उद्यम, आय हिस्सेदारी आदि के माध्यम से सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के तहत आर्बिटेट किया जाना, (iii) हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि होटलों को अधिक एफएआर/एफएसआई की अनुमति दी जाए जिससे अधिक कमरे बन सकें और उस स्थान का व्यावसायिक उपयोग किया जा सके जिससे चिर-स्थायी आय अर्जित होगी, (iv) सभी बड़े शहरों और पर्यटन स्थलों पर यदि संभव हो गेस्ट हाउसों के निर्माण के लिए भी भूमि आर्बिटेट करना, (v) भारत सरकार की योजना 'इन्क्रेडिबिल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट' के तहत घर में निवास कार्यक्रम ऐसी स्थापनाओं के गैर वाणिज्यिक के रूप में मान कर सभी राज्य सरकारों द्वारा इन्हें गैर वाणिज्यिक मान कर बढ़ावा देना ।

8.2.27 ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां प्रचुर सांस्कृतिक परम्पराओं की क्षमता है, भारत की विशाल धरोहर को "दर्शनीय रूप" में विकसित करने की जरूरत है। बुनियादी ढांचे तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का विकास और इसके प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक-आर्थिक लाभ हो। मूर्त तथा अमूर्त दोनों ही धरोहरों की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाए। मूर्त धरोहर में समाज की "होड़" संस्कृति का रूप दर्शाती है जब कि अमूर्त धरोहर 'सॉट' संस्कृति जैसे लोगों की परम्पराएं, लोक कलाएं, रीति-रिवाजों, हस्तकला, कला, त्योहारों, उत्सवों, कहानीकारों, स्थानीय बाजारों तथा लोगों के रहन-सहन को दर्शाती है।

प्रभावकारी तथा स्थायी विपणन योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए रणनीतियां विकसित करना ।

8.2.28 इस उद्देश्य की प्राप्ति भारत के मुख्य बाजार स्रोतों से संबंधित विपणन अनुसंधान गतिविधियों को तैयार और अपना करके प्राप्त किया जा सकता है, इसके प्रति मूल्यों, सुरक्षा मुद्दों, स्वास्थ्य, हिफाजत व पर्यटन सेवाओं तथा उत्पादों की गुणवत्ता आदि के बारे में सूचना लगातार प्राप्त करना और विश्लेषण करना जरूरी है और विभिन्न प्रौद्योगिकियों व इंटरनेट के द्वारा विज्ञापन करके प्रचार किया जाए। इसके अतिरिक्त, छोटे व मझोले उद्यमियों को विपणन संबंधी सहायता देने और प्रतिस्पर्धी पैकेज देने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाए।

मानव संसाधनों का विकास और सेवा-प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाना

8.2.29 देश में पर्यटन क्षेत्र में भारी वृद्धि देखी जा रही है जिसके कारण प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों, कुशल व अर्ध-कुशल कार्मिकों की

अत्यधिक मांग होगी। इस वृद्धि का प्रभाव असमान मांग और पूर्ति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा, जिसका अभी देश सामना कर रहा है तथा पर्यटकों को संतोषजनक सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। दक्ष कर्मियों के बढ़ते हुए अन्तराल को भरने के लिए, मौजूदा भोजन कला संस्थानों को मजबूत करना होगा और नए संस्थान खोलने होंगे। क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पोलिटैक्नीकों के द्वारा और +2 स्तर पर स्कूल सिस्टम के व्यावसायिक विषय के रूप में, प्रशिक्षण देने की जरूरत है। होटल प्रबंधन संस्थान, जो प्रबंधकीय तथा दक्षता स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहा है, को मजबूत करने तथा क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, इसकी गुणवत्ता और मात्रा को अन्तर-राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाया जाए। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थित होटल प्रबंधन संस्थानों, जिन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया है, को सरकारी संसाधनों के उचित वितरण के लिए स्थापित किया जाए। राज्यों के साथ संघटित प्रयास करके सार्वजनिक-निजी भागदारी में होटल प्रबंधन संस्थानों को बढ़ावा दिया जाए। युवा अप्रशिक्षित कर्मियों को जो इस उद्योग में बने रहना चाहते हैं, सरकार अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रशिक्षण दे ताकि बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। एक योजना तैयार करके देश में उपलब्ध परम्परागत रूप से प्रशिक्षित कुशल कार्मिकों/उद्योगों में कार्यरत कार्मिकों की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण-पत्र दिए जाएँ। मौजूदा योजना प्रशिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए एवं उन्हें अधिक मजबूत करके समूचे देश में लागू करना चाहिए ताकि प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षक उपलब्ध हो सकें।

8.2.30 सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे आतिथ्य सत्कार उद्योग में अपेक्षित उम्मीदवार मिल सकें। भोजन कला में दक्ष कार्मिकों की मांग को पूरा करने के लिए नए फूड क्राफ्ट संस्थान खोलने की जरूरत है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए अभ्यर्थियों के लिए दक्षता विकास, विशेषज्ञ दक्षता विकास व भाषा पाठ्यक्रम, जो नए तथा मौजूदा सेवा प्रदाताओं के लिए हों, मौजूदा सेवा प्रदाताओं की मूल दक्षता का समग्र विकास, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पर्यटन के लाभों के प्रति जागरूकता सृजित करना/ग्रामीण क्षेत्रों का ज्ञान कराना शामिल होना चाहिए।

संवर्धन और प्रचार

8.2.31 पर्यटन मंत्रालय देश तथा विदेशों में अपने संवर्धन एवं प्रचार का कार्य पूरे जोरशोर से कर रहा है। 11वीं योजना में भारतीय पर्यटन को यूरोपियन देशों जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में बढ़ावा देने के लिए उन देशों की क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार और विपणन तथा कोरिया और जापान में संकेन्द्रित रूप में प्रचार करने की रणनीति आवश्यकता होगी। जुलाई, अगस्त और सितम्बर में

जब अधिकांश यूरोपीय तथा उत्तरी अमरीका के स्कूल, कालेजों में अवकाश होता है, भारत को समर रिजोर्ट के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रचार अभियान में भारत को 'वर्षीय भ्रमण' गन्तव्य के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। 2009 को 'भारत भ्रमण का वर्ष' घोषित किया जाए, क्योंकि राष्ट्र संघ खेल 2010 निकट ही हैं। इससे पर्यटकों में भारत आने के प्रति रुचि बढ़ेगी। प्रचार सामग्री जैसे पत्रिकाएं आदि तैयार करते समय प्रमुख स्थलों की पहचान की जाए और मुद्रित सामग्री व डिजिटल फॉर्मेट के बीच संतुलन रखा जाए। पर्यटन संबंधी साहित्य प्रकाशित करते समय, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सम्पर्कता को भी चिन्हित करने की विशेष रूप से जरूरत है।

कराधान, प्रोत्साहन और रियायतें

8.2.32 पर्यटन क्षेत्र में गैर-पर्यटन क्षेत्र से निवेश को बढ़ाने के लिए यात्रा और पर्यटन को करों से मिलने वाली छूट संबंधी प्रावधानों पर विचार किया जाए। वित्त मंत्रालय, बजट 2007-08, ने राष्ट्र संघ खेलों के समय दिल्ली में और उसके आसपास क्षेत्रों में स्थित 2 सितारा, 3-सितारा, 4-सितारा और 5-सितारा श्रेणी के होटलों को 5 वर्ष के लिए करों में छूट प्रदान की हैं। इस व्यवस्था को समूचे देश में, यदि संभव हो, सभी श्रेणियों के होटलों के लिए लागू किया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, तीर्थ स्थलों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश को विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाए। प्रत्येक राज्य सरकार 5 से 20 प्रतिशत तक विलासिता कर लगाती है। विलासिता कर तथा पर्यटन संबंधित अन्य करों एवं उद्ग्रहणों को तर्कसंगत बनाने के लिए सभी राज्यों द्वारा विचार किया जाए। कर ढांचा घोषित करों के आधार पर नहीं होकर बल्कि ग्राहक द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान के आधार पर होना चाहिए। पूरे देश में होटलों के आवास की बहुत अधिक कमी है और विशेष कर बजट होटलों की। पर्यटन मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि पूरे देश में 1,50,000 होटल कमरों की कमी है। इनमें से 1,10,000 कमरे बजट श्रेणी में आते हैं। कमरे सृजन कराने के आधार पर आर्थिक सहायता/प्रोत्साहन दिया जाए और यह महानगरों में भी लागू होना चाहिए जिसके लिए आर्थिक अनुदान संवितरण की विधि सरल होनी चाहिए। मानक बजट आवास तैयार करने के लिए, सरकार के 'होम स्टे' कार्यक्रम के तहत गेस्ट हाउसों आदि को भी सहायता दी जाए।

11वीं योजना के लिए परियोजना

8.2.33 पर्यटन मंत्रालय के लिए 11वीं योजना में कुल बजटीय प्रावधान 4558 करोड़ रुपये (2006-07 के मूल्य) और 5156 करोड़ रुपये (मौजूदा मूल्य) हैं। योजनावार विवरण परिशिष्ट (भाग-3) में दिया गया है।

8.3 आईटी और आईटी समर्थित सेवाएं

सिंहावलोकन

8.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ने विश्व व्यापार एवं सेवाओं के इतिहास में एक नए मोड़ को जन्म दिया है। अन्तरराष्ट्रीय बैण्डविड्यु और सशक्त कार्य प्रवाह प्रबंधन सॉफ्टवेयर की बढ़ती हुई उपलब्धता के कारण अब किसी भी व्यवसाय प्रक्रिया को विसंकलित करना, विश्व भर में बहुत से स्थानों पर उप प्रक्रियाओं को निष्पादित करना और उन्हें दूसरे स्थानों पर अल्प समय में ही पुनः संकलित करना संभव हो गया है। यह विश्व आईटी सेवाओं के परिदृश्य में प्रेरक आधारभूत परिवर्तन है। विक्रेता और उपभोक्ता इस उद्योग में मूल्य सृजन के स्तरों को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। आईटी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। वस्तुतः भारतीय आईटी सॉफ्टवेयर और सेवाओं और आईटीआईएस-बीपीओ क्षेत्र की असाधारण वृद्धि का समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर असाधारण प्रभाव दिखाई देता है। राष्ट्रीय आय और रोजगार सृजन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव के अलावा, इससे प्रत्यक्ष कर वसूली में वृद्धि हुई है और उपभोक्ता व्यय को भी बढ़ाया है तथा इसके कारण प्रयोज्य आय में सार्थक वृद्धि हुई है। आज भारत आईटी की दुनिया में अपना स्थान बना चुका है और आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) के विश्व स्रोत के लिए प्रमुख स्थान के रूप में माना जाता है। देश में चिकित्सा ट्रांसक्रिप्शन, कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग, बेक-ऑफिस ऑपरेशनों, जीआईएस, राजस्व लेखाकरण आदि जैसी आईटी समर्थित सेवाओं को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है और अब आईटी उद्योग एक सिरे से दूसरे तक व्यवसाय समाधान, प्रणाली एकीकरण रिमोट प्रबंधन आदि कार्य कर रही है।

10वीं योजना की समीक्षा

8.3.2 आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं को दो भागों में बांटा जाता है- (1) निर्यात और (2) घरेलू-जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

आईटी समर्थित सेवाएं (निर्यात भाग)

8.3.3 पिछले दशक से आईटी सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाओं के निर्यात में भारत की सफलता अद्वितीय रही है। इस क्षेत्रक द्वारा अर्जित कुल निर्यात राजस्व वर्ष 2001-02 में 7.7 यू.एस. बिलियन डॉलर था, जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 31.3 यू.एस. बिलियन डॉलर हो गया, इस प्रकार वृद्धि की दर लगभग 32% की रही है। अब विश्व बाजार में 65% की भागीदारी भारत के आईटी सॉफ्टवेयर की है और आईटी समर्थित सेवाओं के बाजार में 46% की भागीदारी है। फार्च्युन 500 और 2000 ग्लोबल निगमों में से

अधिकांश, आईटी और आईटीएस सेवाएं भारत से करा रहे हैं। जबकि यू.एस. और यू.के. प्रमुख बाजार रहे हैं, जिन्होंने कुल निर्यात में क्रमशः 67% और 15% का योगदान दिया है, भारतीय फर्म भी अपने व्यवसाय का विकास करने और वैश्विक डिलीवरी को सुदृढ़ करने के लिए नए बाजारों की खोज बड़ी उत्सुकता से कर रही है।

8.3.4 भारत में आईटी उद्योग प्रारम्भ से कम्पनियां गुणवत्ता पहलों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही हैं, ताकि वे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की बराबरी कर सकें। वर्षों से इस उद्योग ने सशक्त प्रक्रियाएं और प्रावधान तैयार किए हैं, ताकि विश्वस्तरीय आईटी सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाएं प्रदान की जा सकें। आज, भारत आधारित केन्द्रों (भारतीय फर्म तथा एमएनसी स्वामित्व वाली कैंपिज दोनों) के पास गुणवत्ता प्रमाणन किसी एक देश द्वारा प्राप्ति में सबसे अधिक भाग हैं। दिसम्बर 2006 तक, 440 से अधिक भारतीय कम्पनियां, गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर चुकी हैं, 90 कम्पनियां एसईआईसीएमएम लेवल 5 प्रमाणित हो चुकी हैं, जो पूरी दुनिया के किसी भी देश से सर्वाधिक हैं।

8.3.5 इस क्षेत्र का विकास होने के परिणामस्वरूप धन के सृजन और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार की उत्पत्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। अब अग्रणी भारतीय आईटी कम्पनियों का बाजारी पूंजीकरण मूल्य विश्व के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक है, और भारतीय आईटी-आईटीईएस क्षेत्र के निर्यात भाग में वर्ष 2005-06 में सीधे ही 920,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है।

8.3.6 यूएस डॉलर 300 बिलियन बाजार क्षमता में से अब तक केवल 10% तक ही पहुंचा जा सका है, इस प्रकार विकास के लिए पर्याप्त अवसर हैं। इसके अतिरिक्त वैश्विक बाजार बड़ी तेजी के साथ निरन्तर विकास कर रहे हैं, ऑफ शोरिंग बाजार (वैश्विक सोर्सिंग या वैश्विक डिलीवरी के रूप में भी जाना जाता है) के प्रमाणित लाभों को देखकर अधिकाधिक कम्पनियाँ इन पद्धतियों को अपना रही हैं तथा संभरक अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं, ताकि वे अधिक परिष्कृत उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकें - इसका समग्र आकार भी बढ़ रहा है।

8.3.7 मुख्य सर्विस लाइनों और आईटीईएस के लिए नए उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों सहित वर्टिकल बाजारों की सूची नीचे दी जा रही है —

सेवा (सर्विस) लाइनें

- आर एण्ड डी तथा इंजीनियरी सेवाएं;
- परामर्श सेवाएं;

- प्रणाली एकीकरण;
- अनुप्रयोग विकास और अनुसंधान;
- परम्परागत आईटी आउटसोर्सिंग;
- क्षितिज सेवाएं (वित्त लेखांकन और प्रशासन, ग्राहक पारस्परिक सेवाएं, मानव संसाधन प्रशासन, अनुसंधान, आदि)।

वर्टिकल (उभरे नए क्षेत्रों सहित)

- कृषि;
- बैंकिंग;
- बीमा;
- विनिर्माण;
- स्वास्थ्य देखरेख एवं फार्मास्यूटिकल्स;
- यात्रा और आतिथ्य;
- एनिमेशन, मीडिया और मनोरंजन;
- बायोटेक्नोलॉजी और जीवन विज्ञान;
- नैनोटेक्नोलॉजी;
- न्यायालय और विधिक;
- विद्युत और ऊर्जा;
- वीएलएसआई और सीएडी;
- ऑटोमोबाइल और परिवहन;
- सक्रिय शासन;

8.3.8 यह "करो या मरो" (मेक और ब्रेक) का अवसर प्रदान करता है, जो भारत को उच्च विकास का एक मार्ग देता है और तीव्रता के साथ विकसित राष्ट्र होने का अवसर भी प्रदान करता है। यह मानते हुए कि अन्य राष्ट्र भी उम्मीद के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं, ताकि वह इन सबका फायदा उठा सकें, अतः सरकार द्वारा संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है और उद्योग को अग्रणी स्थिति प्राप्त करनी है और इस सृजन का प्रसार आगे भी जारी रखना है। इन ज्ञान उद्योगों को आर्थिक आयामों से भी बढ़कर वैश्विक नेतृत्व करते हुए लाभ उठाना है, क्योंकि मुख्य वैश्विक कम्पनियाँ, मिशन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भारत से करवाती हैं, और भारत पर उनकी निर्भरता बढ़ गई है, जो कि हमें महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ उपलब्ध करवाते हैं।

घरेलू आईटी/आईटीएस-बीपीओ सेगमेंट

8.3.9 बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, संचार और मीडिया, विनिर्माण (उपभोक्ता ड्यूरेबल्स/ऑटोमोबाइल), विमानन, हॉस्पिटैलिटी (आतिथ्य) रिटेल आदि कुछ मुख्य वर्टिकल्स हैं, जो भारतीय घरेलू बाजार में आईटीएस-बीपीओ सेवाओं का प्राथमिक लाभ उठाते हैं, जबकि ऑफशोर आउटसोर्सिंग की प्राथमिक वजह लागत की बचत करना

है, जबकि भारतीय बाजार में सेवाएं देने में विक्रेताओं के पास बंदोबस्त तुलनात्मक दृष्टि से श्रम लागत में अधिक अंतर नहीं रहता है। परिणामस्वरूप घरेलू बाजार के प्राथमिक प्रोत्साहन के लिए विकास के आरम्भिक वर्ष लागत बचाने वाले नहीं हैं, लेकिन इससे विशेषज्ञता की दक्षता तक पहुंच हो जाएगी और मुख्य व्यापार पर ग्राहक संसाधनों को मुक्त रखने पर ध्यान दिया जा सकेगा। घरेलू बाजार में भी लागत बचाने की कुछ सीमा तक सीलिंग और प्रक्रिया की क्षमता की अपेक्षा की जाती है। उद्योग राजस्व के प्रति सापेक्ष रूप से इसका कम अंशदान होते हुए भी यह सिगमेंट इंटरैस्ट और गतिविधियों में ग्राहक संगठन के भाग के रूप में और सेवा देने में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस कर रहा है। फिर भी घरेलू बाजार का कुल आकार वित्त वर्ष 2006-07 तक यूएस (डॉलर) \$ 8.335 बिलियन को भी पार कर जाएगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2005-06 के मुकाबले 28% अधिक है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों से इस सिगमेंट का नेतृत्व एमएनसी(ज) कर रही है और भारतीय फर्म उत्तरोत्तर रूपसे अपना आधार बना रहे हैं। कुछ समय बाद यह सिगमेंट बृहद एसएमई(ज) के लिए महत्वपूर्ण स्थल उपलब्ध कराएगा, क्योंकि मध्यम आकार के फर्मों ने आईटी को अपनाकर अपने स्तर में वृद्धि कर ली है। तालिका 8.3.1 दसवीं योजना अवधि के दौरान भारत में आईटी-आईटीईएस व्यावसायिकों के विकास को दर्शाती है -

11वीं योजना की कार्यनीति एवं विजन

विजन

8.3.10 हमारा विजन है कि भारत को आईटी और आईटी समर्थित सेवाएं (आईटीईएस) प्रदान करने में सर्वाधिक रूप से प्राथमिक स्थल बनाया जाए और इको - सिस्टम को भारतीय दक्षता और उद्यम की पूरी क्षमता का प्रदर्शन इस व्यापक क्षेत्रक में किया जाए। 11वीं योजना का उद्देश्य होगा कि आम आदमी के जीवन में गुणवत्ता संबंधी सुधार के लिए आईसीटी का

अधिकतम और प्रभावी उपयोग किया जाए और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाए, उत्पादकता बढ़ायी जाए, प्रतिस्पर्धा लाई जाए, साथ ही में सम्पन्नताएं, सशक्तता लाई जाए, ताकि विकसित राष्ट्रों की समिति में भारत ज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उभर सके।

कार्यनीति

8.3.11 आईटी समर्थित और अन्य उच्च सेवाओं में भारत का निष्पादन स्पष्ट रूप से एक शक्ति का स्रोत है, जिसे हमें आगे ले जाना है। हमारी कार्यनीति है कि विभिन्न आईटीईएस, बीपीओ/केपीओ वर्टिकल में यदि कोई अंतराल हों, तो उन्हें ठीक किया जाए, और उन्हें भरने के लिए कार्यक्रम सुझाए जाएं, जो औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रों के माध्यम से हो सकते हैं, ताकि भारत पूरी दुनिया में साफ्टवेयर का विकास करने वालों में सबसे आगे आ सके। इसके अलावा ध्यान देने योग्य क्षेत्रों का पता लगाया जाए, जहां देश में वह क्षमता हो, जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो और इलेक्ट्रॉनिक्स साफ्टवेयर विनिर्माण में उससे महत्वपूर्ण निर्यात हासिल कर सकें।

11वीं योजना में नीतिगत मुद्दे, कार्यक्रम सुधार, और नई पहलें

8.3.12 देश में आईटी और आईटीईएस क्षेत्रक में जिन नीतिगत मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

उपयुक्त प्रतिभा की आपूर्ति में सुधार करना

8.3.13 तालिका 8.3.2 दर्शाती है कि भारत में आईटी-आईटीईएस की जरूरत अपने-आप में सुस्पष्ट है। वस्तुतः मानव संसाधन संबंधी विकास ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यद्यपि हम काफी संख्या में स्नातक और टेक्नोलॉजिस्ट तैयार करते हैं, फिर भी आईटी

तालिका 8.3.1

भारत में आईटी-आईटीईएस व्यावसायिकों का विकास भारतीय आईटी क्षेत्रक नियोजित ज्ञान व्यावसायिक*

(संख्या)

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 ई	2004-05 ई	2005-06 ई
आईटी इंजीनियरिंग और अनु और वि. साफ्टवेयर उत्पादक निर्यातक	110,000	162,000	170,000	205,000	296,000	390,000	513,000
आईटी समर्थित सेवाओं का निर्यात	42,000	70,000	106,000	180,000	216,000	316,000	409,000
घरेलू क्षेत्रक	132,000	198,114	246,250	285,000	318,000	352,000	365,000
कुल	284,000	430,114	522,250	670,000	830,000	1,058,000	1,287,000

नोट: * हार्डवेयर क्षेत्रक में कर्मचारियों की संख्या शामिल नहीं है।

स्रोत: नासकॉम

तालिका 8.3.2
भारत में आईटी-आईटीईएस के लिए मानव शक्ति की जरूरत

(मिलियन)

	2002	2003	2006	2009	2012
आईटी निर्यात सेवाएं					
परामर्श, एकीकरण, संस्थापन	0.01	0.02	0.03	0.09	0.27
आईटी विकास	0.07	0.08	0.08	0.08	0.11
आउटसोर्स की गई आईटी सहायता	0.09	0.11	0.17	0.28	0.53
प्रशिक्षण एवं शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06
कुल	0.17	0.21	0.29	0.48	0.97
आई टी समर्थित सेवाएं					
उपभोक्ता देखरेख	0.03	0.05	0.15	0.42	1.03
वित्त	0.02	0.03	0.05	0.09	0.21
मानव संसाधन	0.00	0.00	0.02	0.15	0.69
भुगतान सेवाएं	0.00	0.1	0.05	0.14	0.45
प्रशासन	0.2	0.3	0.5	0.15	0.15
कंटेंट विकास	0.03	0.04	0.07	0.09	0.20
कुल	0.11	0.16	0.38	1.0	2.72

स्रोत: आईटीडी नैसकॉम मैकेंसी। भारत की मानव शक्ति की रूपरेखा केपीएमजी 2003.

उद्योग की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और हम उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में गुणवत्ता और मात्रा दोनों की ही समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान हमें लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि की सीमाओं के अनुरूप करना होगा।

8.3.14 लघु अवधि में "फिनीसिंग स्कूल" "फिनीसिंग प्रोग्राम" के माध्यम से जो हम गुणवत्ता की समस्या का समाधान करेंगे। नए स्नातक विद्यार्थियों की दक्षता के सुधार को शीर्षस्थ स्तर पर ले जाने के लिए हमें कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। चूंकि प्रतिभा पूल की गुणवत्ता उद्योग के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होती है, फिनीसिंग स्कूल अवधारणा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है कि तत्काल नियोजन के लिए उचित प्रतिभा उपलब्ध है। अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि के लिए मध्यम स्तरीय प्रबंधक हैं, जो इच्छुक भी हैं, और आईटी-आईटीईएस क्षेत्रक में कार्य के अनुकूल भी हैं। ऐसे व्यावसायिकों को तैयार करने के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया जा सकता है, जिन्होंने इस कोर्स के बारे में आईटी में शायद न पढ़ा हो। मध्यम अवधि में इस प्रकार के प्रशिक्षण को औपचारिक प्रणाली में बैक - खण्ड करने की आवश्यकता है, जिसे स्नातक स्तर पर ही तकनीकी और सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों में गुणवत्ता में सुधार के द्वारा किया जा सकता है। ये स्नातकों को और अधिक नियोजन योग्य बनायेगा। दीर्घ अवधि के दौरान हमें मात्रा की समस्या का समाधान करना है। सभी स्तरों

पर शिक्षा में विस्तार करने की आवश्यकता है। इससे हमारे मास्टर और डॉक्टरल कार्यक्रमों का बृहद विस्तार की आवश्यकता होगी। आपूर्ति की कठिनाइयों को आसान बनाने के लिए अधिक निवेश और हमारी शिक्षा प्रणाली में एक मूलभूत सुधार की आवश्यकता है। कुछ छोटे क्षेत्रों जैसे - स्वास्थ्य देखरेख, परिवहन, विनिर्माण, नैनोटेक्नोलॉजी, एनिमेशन और मनोरंजन आदि में आईटी में मानव शक्ति के विकास के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम भी शुरू करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित क्षेत्रों में संकाय विकास करने की आवश्यकता होगी। 11वीं योजना अवधि में उपर्युक्त महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है और सरकार को आवश्यक संसाधन और नीतिगत रूपरेखा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ताकि अपेक्षित उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। इस राष्ट्रव्यापी साहसिक कार्य में उद्योग और सरकार, दोनों को मिलकर घनिष्ठता एकता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। मानव शक्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और उसके अनुरक्षण के लिए, अन्य जो कुछ उपाय शुरू करने आवश्यक हैं, वे इस प्रकार हैं -

- एसएटी, जीआरई, मैट आदि के समतुल्य स्टैण्डर्ड के राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षण शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि भारत में अधिस्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की बैचमार्किंग की जा सके।

- एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सभी शैक्षणिक संस्थानों की रेटिंग और उनका प्रमाणन करना।
- स्नातक विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्य राष्ट्रव्यापी बैंचमार्किंग शुरू करना और इस मूल्यांकन प्रक्रिया में उद्योगों की आवश्यकता को शामिल करना।
- शिक्षण/शैक्षणिक व्यावसायिकों को अधिक आकर्षक और सम्माननीय बनाना।
- दक्षता में वृद्धि के लिए विद्यार्थियों और कार्यरत व्यावसायिकों को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
- पाठ्यक्रम में आवधिक रूप से समीक्षा करते हुए उसको अद्यतन बनाना, ताकि ये और अधिक उद्योग - उन्मुख हो सके एवं संकाय को लगातार रूप से अपनी दक्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

पर्याप्त बुनियादी, कारोबारी एवं सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

8.3.15 आईटी और आईटीईएस उद्योग में विकास के लिए बुनियादी, कारोबारी और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के सुदृढीकरण की जरूरत है। अनुमानित विकास में सहायता के लिए जिस वृद्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसके मौजूदा शहरी केन्द्रों में खप जाने की संभावना नहीं है (टीयर 1/2), जो कि पहले से ही दबाव महसूस कर रहे हैं। टीयर 3/ टीयर 4 के शहर भी कारोबार और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण तत्वों की कमी महसूस कर रहे हैं। आई टी और आईटीईएस क्षेत्रक के विकेन्द्रीकृत विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में (वितरण) समन्वयन, और शहरी प्लानिंग का कार्य करना होगा। शुरू किए जाने योग्य कुछ पहलों में शामिल हैं —

- आंतरिक शहरी रोड नेटवर्क को सुदृढ बनाना और मौजूदा हब्स की भीड़ को कम करने के लिए परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना।
- नई टाउनशिप विकसित करते हुए मौजूदा हब्स से आगे उद्योगों का विकेन्द्रीकरण।
- महत्वपूर्ण शहरों के बीच तीव्र सार्वजनिक परिवहन (फ्रांस की टीवीजी और जापान की बुलेट के समरूप उच्च गति की रेल) शुरू करना।

अनुकूल कारोबारी नीतियां सुनिश्चित करते हुए एसएमई(ज) और नए उद्यमों पर विशेष ध्यान देने के लिए विनियामक वातावरण तैयार करना

8.3.16 किसी भी क्षेत्रक की सफलता के लिए अनुकूल कारोबारी नीति और विनियामक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एसटीपीआई योजना द्वारा स्थापित उदाहरण इस तथ्य के संबंध में एक अच्छा

प्रमाण है। आईटी और आईटीईएस के क्षेत्रों में धारणीय नेतृत्व के लिए बाहर की स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि एसएमई क्षेत्रक की सक्रियता से सहायता की जाए। इसके अतिरिक्त बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के मुद्दे और आंकड़ों की सुरक्षा भी इस क्षेत्र के प्रति एक मुख्य जोखिम होती है। अतः भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह शीघ्रता से इस चुनौती का समाना करने के लिए एक सशक्त नीति की रूपरेखा तैयार करे। इसके लिए आवश्यक है (1) एसटीपीआई स्कीम द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हितलाभों को जारी रखा जाए (2) देश में आईपी संरक्षण, डेटा प्राइवैसी और सूचना सुरक्षा वातावरण को सुदृढ किया जाए। (3) एसटीपी /एसईजेड स्कीमों के तहत दिए जाने वाले लाभों को उठाते हुए बिना परेशानियों के चाहे वे कहीं भी स्थित क्यों न हों, एसएमई(ज) को जारी करना सुनिश्चित किया जाए, जिससे एसएमई(ज) सिगमेंट विकसित करने के लिए सहायता मिलती रहे। (4) आरम्भिक सहायता के रूप में उद्यम पूँजी और एंगल फंडिंग पर पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करना।

वैश्विक व्यापार विकास और सेवाओं में वैश्विक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना

8.3.17 वैश्विक आईटी-बीपीओ बाजार अवसर में विस्तार प्रत्यक्ष रूप से नीति, विनियामक- रूपरेखा और बाहरी व्यापारी सेवाओं से प्रभावित होता है। सेवाओं में बाहरी व्यापार का विकास मात्र किराये की बाधाओं से ही मुश्किल में नहीं आता, बल्कि अन्य गैर-टैरिफ बाधाएं अधिक होती हैं (यानी क्रास बार्डर आपूर्ति में नेशनल ट्रीटमेंट और लोगों का आवागमन)। भारत को अपने व्यापारिक सहभागियों के साथ सक्रियता से कार्य जारी रखना चाहिए (डब्ल्यू टी ओ और अन्य व्यापार विकास एजेंसियों के माध्यम से)। ताकि व्यावसायिकों सेवाओं में व्यापार को युक्तियुक्त बनाया जा सके। भारत को व्यावसायिक, जो सेवाएं उपलब्ध कराने में औपचारिक ठेकों के आधार पर लगे हुए हैं, के मुक्त आवागमन के भी प्रयास करने चाहिए, जो कि एक वैश्विक गैट्स या व्यावसायिक सेवा वीज़ा के माध्यम से हो सकता है। इसी के साथ इसे अनिवार्य रूप से द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते, हमारे प्रति विशेष रुचि दिखाने वाले देशों के साथ करने होंगे। इन समझौतों में सामाजिक सुरक्षा- करों, जो कि बाहर कार्य करने वाले भारतीय व्यावसायिकों द्वारा देने होते हैं, उनकी प्रतिपूर्ति या छूट के संबंध में भी समझौते करने होंगे।

नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास के लिए धारणीय इको - सिस्टम तैयार करना

8.3.18 संरचना की दृष्टि से भारत की स्थिति को मजबूत करने और दीर्घकालीन नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में नवप्रवर्तन और अनुसंधान और विकास के लिए देश में दीर्घकालीन इको-सिस्टम की कोशिश की जाए। इसके लिए एक बहु आयामी

अवधारणा की जरूरत होगी, जिसमें शामिल हैं- (i) पहचान किए गए ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में शैक्षणिक स्तर पर मुख्य क्षमताओं का विकास करना। (ii) अनुसंधान एवं विकास में उद्योग-एकडमिया सहभागिता को प्रोत्साहन देना। (iii) नवप्रवर्तनों का वाणिज्यीकरण और उनका समावेश करना। उद्योगों और उद्योगपतियों के बीच आईपी अधिकारों की जागृति में बढ़ोत्तरी करना। नव परिवर्तनों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने की दृष्टि से तकनीकी उद्यमियों और नव परिवर्तनों के वाणिज्यीकरण के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की उपलब्धता एवं पहुंच को सुनिश्चित करना। अनुसंधान एवं विकास साथ-साथ चलना चाहिए और यही विश्वव्यापी परम्परा है। सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को विश्वविद्यालयों के साथ तालमेल रखना चाहिए और लक्षित अनुसंधान एवं विकास को पूरा करना चाहिए।

बीपीओ से केपीओ और सम्बंधित मानव संसाधन मुद्दों में उद्योगों का परिवर्तन

8.3.19 हमारा समाज एक औद्योगिक सोसायटी से अब "ज्ञान आधारित सोसायटी" में बदल रहा है। आज की नैटवर्क सोसायटी में ज्ञान का सृजन और इसे लागू करना इस परिवर्तन की प्राथमिक विशेषता है। किसी भी औद्योगिक सोसायटी में सेवा क्षेत्रक की विकास दर विनिर्माण की विकास दर भी अधिक होती है। सेवाएं अपने-आप में उत्पादन व्यापार के अंतरिम हिस्से के रूप में लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब सापेक्ष रूप से अधिक लोग इस क्षेत्रक में कार्यरत होने लगे हैं। आखिरकार इस प्रवृत्ति से इन्टैजिबल उत्पादों, जिन्हें सेवा अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है, के ऊपर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सेवाएं उपलब्ध कराना मात्र वस्तुएं मुहैया कराने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इस प्रकार उनकी स्पर्धा को अधिकतम बनाने के लिए संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग करने पर अधिक ध्यान देना होगा।

8.3.20 आईटी और आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्रक को सतत् रूप से उभरते हुए वर्टिकल्स की पहचान करनी होगी, जिनमें विकास की क्षमता है और इस क्षेत्रक की सक्रिय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उनमें राजस्व अर्जन की क्षमता है। उचित मानव शक्ति के निर्माण से, जिसमें दक्षता - शेड्स की जरूरतों के साथ उचित मानव शक्ति का सृजन, प्रत्येक क्षमताशील वर्टिकल्स के लिए इतना विविधी है कि एक कम्पनी के लिए मानव संसाधन एक चुनौती बन जाती है और वह विशिष्ट प्रशिक्षण प्रणालियों में ही लगातार रूप से वर्टिकल्स के रूप में इर्द-गिर्द घूमता रहता है और उपयुक्त प्रशिक्षण माड्यूल बनाने में लगता रहता है। इसके अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकियों और ज्ञान क्षेत्रों के सामने आने से मानव संसाधन कम्पनियों को और अधिक रूप से शिक्षित को सतत् रूप से स्कैन करना होगा। जैसे ही बीपीओ से केपीओ (ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग) होती है, वैसे ही स्थिति और अधिक जटिल होती चली जाएगी।

सहज बुद्धि से कोई भी कह सकता है कि देश के विकास और बाजार में तदनु रूप स्थापना के संबंध में धारणीयता के लिए इस परिवर्तन (ट्रांजिशन) का बहुत ही महत्व है।

8.3.21 प्रत्येक कम्पनी के लिए यह जरूरी होगा कि वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए ज्ञान की प्रभावी व्यवस्था हेतु आंतरिक क्षमताओं का निर्माण करे और सामूहिक क्षमता कायम करे। ज्ञान की व्यवस्था वह प्रक्रिया है, जिसमें बहु अवधि निर्णय, रूपरेखा, जो कि अनुसंधान एवं विकास में निवेश से लेकर नवप्रवर्तन और आखिरकार उसके महत्व को महसूस करने हेतु नवप्रवर्तनों के सृजन से ज्ञान की प्राप्ति तक नवपरिवर्तनों और आविष्कारों के वाणिज्यीकरण के माध्यम से उनके महत्व को समझा जा सकता है।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना

8.3.22 किसी भी क्षेत्रक की सफलता के लिए अनुकूल कारोबारी नीति और एक शासी वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एसटीपी योजना वस्तुतः इसके लिए एक वसीयत का रूप है। एसटीपी को देश के विभिन्न भागों में 1993 में सरकार द्वारा जारी संकल्प के अनुसार स्थापित किया गया था। अंतिम कुछ वर्षों से इसने भारत को विश्व के मानचित्र पर आईटी की सुपर - पावर के रूप में एक सेमिनल भूमिका तक पहुंचाने का कार्य किया है। वस्तुतः निर्यात, विदेशी अर्जन विनिमय, रोजगार सृजन और भारतीय आईटी-आईटीईएस क्षेत्रक के विकास में निर्यात संबंधी वृद्धि के रिकार्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसटीपी स्कीम के तहत आईटी-आईटीईएस के निर्यात में कार्यरत यूनिट्स आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 10 ए और 10 बी के तहत कर - लाभों के लिए पात्र हैं। फिर भी स्कीम के अन्तर्गत ये लाभ मूल्यांकन वर्ष 2009-10 के बाद चूक के तहत माने जाएंगे।

स्कूली शिक्षा में आईटी

8.3.23 अन्य संस्थानों में प्रौद्योगिकी उच्च गुणवत्ता के व्याख्यानों हेतु डिजिटल डिलीवरी के रूप में और पाठ्य सामग्री के रूप में प्रभावी रूप से उपयोग में लाई जा सकती है और इसे क्लास - रूम सेक्शन में भी लर्निंग में वृद्धि की दृष्टि से अपनाया जा सकता है। आईसीटी उपस्कर न केवल विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं निष्पादन का मॉनीटरिंग कर सकते हैं, अपितु अध्यापकों के मानीटरिंग में भी आसानी होगी। प्रबंधन सूचना प्रणालियों को भी राष्ट्रीय परियोजनाओं जैसे - सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) मिड डे मील (एमडीएम) और एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) आदि के मॉनीटरिंग के लिए विकसित करने की आवश्यकता है।

आईसीटी के माध्यम से जेंडर सशक्तीकरण

8.3.24 भारतीय आईटी-आईटीएस उद्योग देश में सबसे बड़े निजी क्षेत्रक नियोजक के रूप में उभरा है, जो 39.6 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा राजस्व कमाता है, और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 1.6 मिलियन व्यावसायिक और अप्रत्यक्ष रूप से 6 मिलियन से भी ज्यादा लोग विभिन्न क्षेत्रों में लोग कार्यरत है। भारत में आईटी और आईटीईएस क्षेत्रक के इस तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रक ने महिलाओं के लिए नए अवसर प्रशस्त किए हैं। आईटी-बीपीओ में महिलाओं की सहभागिता से उद्योग के सतत् विकास के लिए कार्यस्थल एक महत्वपूर्ण सहायक कारक के रूप में साबित हुआ है, जबकि आईटी-बीपीओ कार्यस्थल में प्रवेश के समय महिलाओं का स्तर स्नातक के रूप में निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या के समानुपातिक है। कुछ प्रमाण सुझाते हैं कि मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन की स्थितियों में ऐसा नहीं है, फिर भी कम्पनियों यह मान्यता दे रही हैं कि संगठन में सभी स्तरों पर महिलाओं के रहने से एक अच्छी कारोबारी भावना पनपती है। अतः आईटी-बीपीओ कम्पनियों उन तरीकों पर विचार कर रही हैं कि महिलाओं को उच्चस्तरीय भूमिकाओं और कार्यों में शामिल कर, उनका विकास किया जाए। उनकी वृद्धित व्यावसायिक सहभागिता से नियोजक संगठन के भीतर ही महिलाओं के समाजार्थिक स्टेटस में परिवर्तन आएगा और इससे जेंडर असमानता भी दूर हो सकेगी। नैसकॉम द्वारा 2006 में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि आईटी कम्पनियों के सॉफ्टवेयर व्यावसायकों में 76% पुरुष और 24% ही महिलाएं हैं। फिर नैसकॉम का कहना है कि वर्ष 2007 तक यह अनुपात 65 : 35 (पुरुष : महिला) हो जाएगा। यह बात रुचिकर है कि आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्रक में यह अनुपात विपरीत है, जहां पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 31 : 69 है। शासन के बुनियादी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए बचनबद्ध है। सरकार ने जेंडर आधारित बजट शुरू कर दिया है। आईसीटी के माध्यम से इस जेंडर सशक्तीकरण के अनुसार 11वीं योजना में ये नियमित प्रक्रिया रहेगी और जेंडर सशक्तीकरण की स्कीमों को सहायता देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि डिजिटल खाई को भरा जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी में संकाय का विकास

8.3.25 भारत में मौजूदा शिक्षा प्रणाली अनेक कारणों से परेशानियों में रही है। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा प्रणाली की संरचना को सुदृढ़ बनाए, जिसके लिए अनेक कार्यनीतियां बनाने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम सामग्री को सतत रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता है और उसे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए पैडागोगिक तरीके अपनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त संकाय के विकास के लिए और शिक्षण को एक

आकर्षक करियर के रूप में अपनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ नीतिगत मुद्दे, जिनपर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं :-

- उद्योगों में कार्य करने के लिए शिक्षण/अकादमियों को एक आकर्षक करियर का विकल्प बनाया जाए। शैक्षणिक संस्थानों को संकाय के अनुकूल पारिश्रमिक दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उद्योगों और शैक्षणिक क्षेत्रों की वेतन संरचनाओं में काफी अंतर है। उद्योगों को आगे आने की आवश्यकता है और उन्हें सरकार के प्रयासों के माध्यम से अपने यहां प्रोफेसर्स के स्थान बनाने की आवश्यकता है, उन्हें प्रोत्साहन और प्रायोजित अनुसंधान एवं ऐसे अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं।
- भारतीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में संकाय की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है और साथ में उद्योग से भी संबंधित संकाय को बुलाया जाना चाहिए, ताकि गुणवत्ता और मात्रा के संयुक्त मुद्दों और अनुसंधान और विकास की गतिविधियों का समाधान किया जा सके।
- विदेशों के संस्थानों से सम्पर्क जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि वहां से सबैटिकल आधार पर प्रोफेसर्स आ सकें।
- शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रकों के संकाय को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि उद्योग की मांगों और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के साथ कदम रखा जा सके।
- गुणवत्ता के मुद्दे की समस्या का समाधान करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक धाराओं में विद्यार्थियों के स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। एक क्रेडिट प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता है, जिसमें विद्यार्थी अपने क्रेडिट को संचित और आगे लगवा सकें और अपने प्रयासों से शिक्षा को पूरा कर सकें। इससे विशेष रूप से सेवाकालीन कार्मिकों को सहायता मिलेगी।
- सामान्य रूप से संकाय के विकास और आईटीईएस के अनुकूल क्षेत्रों जैसे पर्यटन, स्वास्थ्य, चिकित्सा और विधि सेवाएं और विशेष रूप से वित्त में आईटी का उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का विकास।

स्वास्थ्य क्षेत्रक में सूचना प्रौद्योगिकी

8.3.26 आर्थिक और सामाजिक विकास और नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य के महत्व को भलीभांति मान्यता दी गई है। सरकार ने स्वास्थ्य को सात (7) ध्यान देने

योग्य क्षेत्रों में शामिल किया है और इस पर विशेष ध्यान दिया है। आजादी के बाद व्यापक स्तर पर सार्वजनिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर सृजित किए गए हैं, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी(ज) और समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी(ज) और जिला/राज्य और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आदि शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कुछ जनसंख्या इस सुविधा से वंचित है, जहां गरीबी के विभिन्न सर्कल कुपोषण और कमजोर स्वास्थ्य से प्रभावित हैं, इन दूर - दराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से तत्काल सुविधाएं पहुंचाने की आवश्यकता है। ये तभी संभव हो सकता है, जब प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य क्षेत्रक में मिलकर काम करे।

8.3.27 एकीकृत बीमारी सर्वलेंस परियोजनाएं जिला और राज्य स्वास्थ्य डेटा केन्द्रों का सृजन सर्वलेंस यूनिट के लिए, वीडियो आधारित दूरस्थ संचार के माध्यम से जिला स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्किंग एवं परिचालन, बीमारियां फैलने पर समय पूर्व चेतावनी प्रणाली और कॉल सेंटर आधारित सूचना, वैब आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन और टेलीमैडिसिन अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिन्हें प्रचालन में लाने की आवश्यकता है। इलैक्ट्रॉनिक्स स्वास्थ्य - ई-स्वास्थ्य अन्य अग्रणी क्षेत्र हैं, जो आईसीटी नवपरिवर्तनों से ही संभव हो सकते हैं। देश के कुछ प्रख्यात अग्रणी अस्पतालों ने स्वास्थ्य के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है, जिसे चिकित्सा सूचना प्रणाली (एमआईएस) के नाम से जाना जाता है, जो सृजन और राष्ट्रीयव्यापी आधार पर इलैक्ट्रॉनिक्स मेडिकल रिकॉर्ड सभी अस्पतालों में सभी प्रकार के रोगियों के इलाज के लिए देश के सभी अस्पतालों में लम्बे समय से लाभकारी होंगे। अन्य मुद्दे जैसे आंकड़ों की प्राइवैसी, सुरक्षा और प्रणालियों की इन्ट्रोपरिब्लिटी को ई-हेल्थ के परिप्रेक्ष्य में विधिवत देखे जाने की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्रक में आईटी

8.3.28 कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण मेन स्टेज में एक है। वृद्धित कृषि उत्पादन और आय से गांव में रहने वाले लोगों के हाथों में और अधिक धन आएगा। आईटी की भूमिका जो किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने की भूमिका निभा सकती है और प्रचालनों की लागत को कम कर सकती है इस दृष्टि से राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत कृषि की पहचान मिशन मोड परियोजना के तहत की गई है और देश में ई-शासन के प्रसार के लिए राष्ट्रव्यापी पहल की गई है।

8.3.29 आईटी के माध्यम से कृषि क्षेत्रक में और अधिक क्षमता आ सकेगी, जिससे उत्पादन और फसल कटाई के बाद के नुकसानों से निपटने की परिभाषा ही बदल जाएगी। कृषि संसाधन सूचना प्रणाली का विचार है कि भूमि उपयोग, जल उपयोग और संबंधित विभिन्न पैरामीटर्स के संबंध में व्यापक डेटाबेस तैयार

किए जाएं, ताकि किसानों को अद्यतन कृषि उत्पादन प्रणालियां अपनाने में सलाहकारी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा सके। एगमार्केट, जो सामुदायिक कीमतों पर लगभग 300 वस्तुओं और 2000 किस्मों के बारे में 2700 बाजारों के संबंध में कीमतों की दैनिक बाजारी सूचना उपलब्ध कराता है, यह किसानों के लिए एक सनशाइन पोर्टल है, जिसके आधार पर किसान अपने उत्पाद की बेहतर कीमतों के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का "ज्ञानदूत" पोर्टल है, जो खाद्यान्नों और सब्जियों डिस्पेंसिज जमीन रिकॉर्ड्स और आय, आवास और जाति प्रमाण पत्रों के मुद्दों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त वास्तविक समय आधार पर किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों को देश के दूर-दराज भागों में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आज बाजार कृषि विकास का वाहक है और बाजार की क्षमता सूचना के प्रभावी प्रसारण पर निर्भर करती है। आईटी में वह क्षमता है, जिससे वह कृषि क्षेत्र में सहायता पहुंचा कर कुछ परम्परागत बाधाओं से उबार सकती है, और सूचना की पहुँच से विकास हो सकता है। बाजारी आधार को व्यापक बनाया जा सकता है, नियोजन के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। कृषि उत्पाद और विपणन, सिंचाई प्रणाली में जल आवंटन और पशुधन में पशु फार्मिंग प्रणाली कुछ निर्णय समर्थन प्रणालियां हैं, जिन्हें पुरजोर विकसित करने की आवश्यकता है।

8.3.30 निजी क्षेत्रक में भी आपूर्ति चेन "ई-चौपाल" को अधिक सक्षम आपूर्ति चेन के रूप में अपनाया गया है, और आपूर्ति चेन को अधिकतम बनाने के लिए पहलकारी कदम भी उठाए गए हैं, जिसका उद्देश्य है कि अपने ग्राहकों को धारणीय आधार पर पूरी दुनिया में मूल्य प्रदान कराया जाए। ई-चौपाल मॉडल को विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया, ताकि भारत की अनुपम कृषि प्रणालियों द्वारा आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का सामना किया जा सके, जैसे टुकड़ों में फार्म, कमजोर इन्फ्रॉस्ट्रक्चर, और अनेक बिचौलियों की सहभागिता आदि अन्य समस्याओं के साथ हैं।

ग्रामीण क्षेत्रक में सूचना प्रौद्योगिकी

8.3.31 ग्रामीण कंटेंट प्रोवाइडर्स (आरसीपी(ज): स्थानीय/ग्रामीण कंटेंट की सृजनशीलता पीसी और इंटरनेट को लोगों में और अधिक संख्या में आकर्षक बनाने के लिए इसका महत्व है। इस संबंध में निजी क्षेत्रक को भी सहभागी बनाना अनिवार्य होगा। अतः यह महसूस किया जाता है कि ग्रामीण कंटेंट प्रोवाइडर्स (आरसीपी(ज) की नई उद्यमशील श्रेणी से इस मांग को आकर्षित करने में और अधिक उछाल आएगा। पीसी और इंटरनेट दोनों ग्रामीण सम्पर्कता को जोड़ेंगे। इससे पूर्व में या ग्रामीण क्षेत्रों में

आयोजित होने वाली केबल/वायरलेस नेटवर्क के बेहतर सद्पयोग में सहायता मिलेगी। बैंडविड्थ प्रोवाइडर्स द्वारा सहायता मिलेगी। ग्रामीण कंटेंट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे, जिनमें मनोरंजन भी शामिल हैं, जो ग्रामीण लोगों के लिए काफी आकर्षक होगा।

8.3.32 कंटेंट क्रिएशन के एक विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जिसे स्थानीय जरूरतों और भाषा के आधार पर ही समझा जा सकता है और इसे मात्र स्थानीय उद्यमी ही पूरा कर सकेंगे। ऐसे आरसीपी(ज) का एक बिजनेस मॉडल क्षेत्रवार अलग-अलग होगा और वह बाजार द्वारा संचालित होगा। आईटी विभाग और संचार विभाग को एक अनुकूल कार्यनीति विकसित करनी होगी, ताकि आरसीपी(ज) को प्रोत्साहित किया जा सके। यदि इसका लाभ ग्रामीण जनता को प्राप्त नहीं होता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति अधूरी ही रह जाएगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आईटी-आईटीईएस क्षेत्र के लिए लक्ष्य

8.3.33 बृहद अनियंत्रित मांग क्षमता और सुदृढ़ सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में भारत को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने में अनुपम स्थिति प्राप्त होगी। 11वीं योजना अवधि के लिए तालिका 8.3.3 निर्यात का पूर्वानुमान दर्शाती है, जो कि नैसकॉम मैकेंसी रिपोर्ट 2005 द्वारा अनुमानित है —

तालिका 8.3.3
भारतीय आईटी-आईटीईएस निर्यात का पूर्व अनुमान 2007-12

वर्ष	आईटी-आईटीईएस निर्यात (यूएस डॉलर बिलियन में)
2007-08	37.6
2008-09	47.5
2009-10	60.0
2010-11	72.1
2011-12	86.6

स्रोत: नैसकॉम मैकेंसी रिपोर्ट, 2005

8.3.34 उद्योग सहभागियों द्वारा गहन और सहनीय नवपरिवर्तनों से भारतीय आईटी-आईटीईएस निर्यात विकास में और अधिक तीव्रता आ सकती है। इस प्रकार के व्यापक नवपरिवर्तनों से आगामी 5 से 10 वर्षों के दौरान निर्यात राजस्व में अतिरिक्त 15-20 यूएस बिलियन डॉलर की अतिरिक्त कमाई होगी।

8.3.35 इसके अतिरिक्त वैश्विक आईटी-आईटीईएस क्षेत्रक में भारत के नेतृत्व का आशय होगा कि निर्यात में लक्षित विकास से भी अधिक उपलब्धि हासिल करना। इन लक्षित परिणामों को हासिल करने से उद्योग खिलाड़ियों के बीच सहयोग की नई भावना उत्पन्न होगी। केन्द्र और राज्य सरकारें और नैसकॉम को

यह सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक सोर्सिंग बाजारित क्षमता को अधिकतम करने के लिए उचित कार्रवाई करना जरूरी होगा, और भारतीय उत्कृष्टता को धारणीय बनाना होगा, क्योंकि सोर्सिंग का स्थल समय आधार पर ही निष्पादित होता है।

8.3.36 देश में इन विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वृद्धित मानव और वित्तीय पूँजी के लिए ठोस मांग करनी होगी और 2012 तक आईटी - आईटीईएस निर्यात को 86 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना होगा, जिससे 2.5 मिलियन लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा और लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर का पूँजी निवेश हो सकेगा।

प्रगति का भावी मार्ग

8.3.37 भारतीय आईटी-आईटीईएस-बीपीओ का भविष्य उज्ज्वल है और उम्मीद की जाती है कि इस क्षेत्रक में वित्त वर्ष 2011-12 तक निर्यात में 86.6 बिलियन यूएस डॉलर के लक्षित राजस्व का अर्जन होगा। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत सरकार और उद्योगों को मिलकर काम करना होगा। जबकि सरकार का बुनियादी नीति की रूपरेखा और राजकोषीय प्रोत्साहन उपर्युक्तानुसार लाने होंगे। उद्योग संघ और उद्योगों को इन पहलों में सक्रियता से पहल करनी होगी।

8.4 वित्तीय सेवाएं

प्रस्तावना

8.4.1 हाल के वर्षों में देश में वित्तीय सेवा क्षेत्रक विकास दर का संकेत करता रहा है। 2000-01 से वार्षिक विकास की दरें तालिका 8.4.1 में नीचे दी गई हैं—

तालिका 8.4.1
वित्तीय सेवाओं की (वारस्तविक) विकास दर

क्रम सं.	वर्ष	विकास दर	(बैंकिंग एवं बीमा)
			सकल घरेलू उत्पाद में हिस्से की प्रतिशतता
1	2000-01	-2.0	5.5
2	2001-02	9.1	5.7
3	2002-03	11.3	6.1
4	2003-04	2.2	5.8
5	2004-05	8.8	5.9
6	2005-06	14.0	6.1
7	2006-07	13.0	6.3
8	2000-01 से 2006-07 (औसत)	8.1	5.9

स्रोत: सी.एस.ओ.

8.4.2 समग्र वित्तीय क्षेत्रक में 3.5-4.0 मिलियन लोगों के रोजगार का अनुमान लगाया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष कर्मचारी और

एजेंसी बल शामिल हैं। 9-10 प्रतिशत के जीडीपी विकास की प्रत्याशा को प्राप्त करने हेतु, वित्तीय क्षेत्रक को आगामी 5 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 25-30 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकास करना होगा। भारत में वित्तीय क्षेत्रक की पकड़, अन्य बाजारों के सापेक्ष रूप में कम है, जो कि बैंक क्रेडिट/जीडीपी 50.0% के नीचे है। समग्र बीमा प्रीमियम/जीडीपी के 5.0% के नीचे है और सामान्य बीमा प्रीमियम/जीडीपी 1.0% से कम है। कम जीडीपी ग्रोथ और उच्चतर प्रवेश क्षमता वित्तीय क्षेत्रक के लिए सुदृढ़ विकास के अवसर प्रदान करते हैं। रोजगार सृजन के लिए वित्तीय क्षेत्रक में भी काफी टोस क्षमता है।

8.4.3 ये क्षेत्रक समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और आय के विकास हेतु व्यापक कार्य करता है और इस विकास को अधिक समावेशी बनाने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस क्षेत्रक को वृद्धित होते हुए परिष्कृत स्तर को हासिल करना होगा, ताकि भूमंडलीय व्यापार और उद्योग की जरूरतों को पूरा किया जा सके और भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई व्यस्तताओं को शेष दुनियां की जरूरतों से पूरा किया जा सके, जो चालू और पूंजी लेखों दोनों आधार पर होंगे। सरकार के पास हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो मुम्बई को अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में बनाने के संबंध में है। इस रिपोर्ट ने राजकोषीय और धन संबंधी नीतियों, वित्तीय क्षेत्रक विनियमों और पर्यवेक्षण और विभिन्न वित्तीय बाजारों के विकास में पहुंच से बाहर की सिफारिशों की हैं। जबकि ये सिफारिशें मध्यम और बृहद् उद्योग एवं वाणिज्य के परिप्रेक्ष्य में ही आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, यह आवश्यक है कि अन्य नीतिगत उपायों पर ध्यान दिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे और मझोले किसानों और असंगठित क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमियों, और समाज के कमजोर और वंचित वर्गों एवं सापेक्ष रूप से पिछड़े क्षेत्रों और राज्यों को भी विकास प्रक्रिया में और अधिक सहभागी बनने का अवसर मिल सके।

8.4.4 यह अध्याय कुछ बड़े मुद्दों को रेखांकित करता है कि वित्तीय सेवा क्षेत्रक को समावेशी विकास के प्रसार के कार्य को देखने की आवश्यकता है और आगे के लिए कुछ आवश्यक उपायों के सुझाव दें।

वित्तीय समावेश

8.4.5 वित्तीय समावेश की परिभाषा के अनुसार कम आय वाले समूहों और वंचित विशाल समुदाय को वाजिब लागत पर बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। "वित्तीय दृष्टि से बाहर" रहे लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए नीतिगत पहलें शुरू की गयी हैं, जैसे "नॉ फ्रिल्स" खाता की बुनियादी बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना, बिना पैसे या न्यूनतम कम बकाया से खाता खोलना, पात्र लाभार्थियों को बिना धरोहर,

उद्देश्य या क्रेडिट का मुख्य उपयोग के दबाव बिना क्रेडिट कार्ड जारी करना, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, बैंकों को गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं लेने की अनुमति देना आदि शामिल हैं। स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और नागरिक समिति संगठनों जैसे वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में मध्यस्थ, स्वयं सहायता समूहों की क्रेडिट लिंकिंग, एमएफआई(ज) और वित्त क्षेत्रक (नियमन और विकास) बिल 2007 लागू करना, ताकि एमएफआई(ज) को विनियमित किया जा सके और रुपये 500 करोड़ की प्रत्येक वित्तीय समावेशी निधि और वित्तीय समावेशी प्रौद्योगिकी निधि का गठन किया जा सके, ताकि संस्थागत और प्रौद्योगिकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर को और अधिक वित्तीय समावेश हेतु विकसित किया जा सके। हमें अनुकूल नीति हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकीय नवपरिवर्तन लाने होंगे, ताकि 11वीं योजना अवधि में वित्तीय समावेश को अधिकतम किया जा सके।

वित्तीय समावेश की सीमा और कारण

8.4.6 वित्तीय सेवाओं जैसे क्रेडिट, बचत और बीमा को वहनीय लागत पर सुलभ कराने संबंधी अभाव के कारण न केवल बहिष्करण होता है, बल्कि इससे ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वित्तीय समावेशी लक्ष्यों के साथ वर्षों से बनाई गई नीतियों के बावजूद आज भी अनेकों घरों की पहुँच औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक नहीं हो रही है।

8.4.7 वित्तीय एक्सक्लूजन में कोई या आवश्यक सभी वित्तीय सेवाएं आ जाती हैं, जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के बाजार में सहभागिता के लिए जरूरी हैं। फिर भी क्रेडिट प्रावधान से एक्सक्लूजन, अन्य सेवाओं के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वित्तीय एक्सक्लूजन में ग्रामीण और शहरी अंतर है, और क्षेत्रीय विषमता है। तालिका 8.4.2 मौजूदा स्थिति को दर्शाती है —

तालिका 8.4.2
बचत और ऋण के लेखे

क्रम संख्या	क्षेत्र	बालिगों के बचत		बालिगों के ऋण	
		बैंक खातों की संख्या (200)	(%)	खातों की संख्या (2005)	(%)
1	उत्तर	80		12	
2	पूर्वोत्तर	37		7	
3	पूर्व	34		8	
4	मध्य	52		9	
5	पश्चिम	60		13	
6	दक्षिण	66		25	
7	अखिल भारतीय	59		14	
7क	ग्रामीण	39		9.5	
7ख	शहरी	60		14	

स्रोत: श्रीमती ऊषा थारत उप गवर्नर, आरबीआई (19 जून 2007)

8.4.8 "किसानों के अन्नघर" (2003) पर एनएसएसओ की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण से पता चलता है कि 51.4% कृषक घर अनौपचारिक स्रोतों से उधार नहीं लेते हैं, ऋण न लेने वाले लोगों की क्षेत्रवार स्थिति तालिका 8.4.3. में दर्शाई गई है —

8.4.9 वित्तीय एक्सक्लूजन के अनेक कारण हैं, जागृति का अभाव, कम आय/सम्पत्ति, सामाजिक एक्सक्लूजन और निरक्षरता मांग की तरफ के कारक हैं। आपूर्ति की तरफ के कारक हैं, शाखाओं से दूरी, शाखाओं का कार्यसमय, भारी-भरकम दस्तावेज और प्रक्रियाएं। प्रतिकूल उत्पाद, भाषा और स्टॉफ का स्वभाव भी एक्सक्लूजन के कारण हैं।

8.4.10 पहुंच के संबंध में सुधार एवं क्रेडिट की आपूर्ति के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। वित्तीय सेवाओं का सदुपयोग करने के लिए कमजोर समूहों की क्षमता को बनाने के लिए और अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। कुछ सीमा तक वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा, अन्य क्रेडिट संबंधी सेवाओं से अधिक जरूरी है। वित्तीय साक्षरता से बचत क्रेडिट, बीमा सेवाओं आदि में सहायता मिलेगी। परन्तु वित्तीय क्षेत्रक से बाहर भी अनेक महत्वपूर्ण कारक रह जाते हैं, जो कि वित्तीय सेवाओं के लिए जरूरी हैं, और उनके एकीकृत पैकेज के लिए विचार करने की आवश्यकता है।

8.4.11 आपूर्ति की तरफ 1991 के बाद की अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन गरीब समूह के क्रेडिट प्रावधानों के संबंध में देखे गए हैं। क्रेडिट बढ़ाने के संदर्भ में जोर देने के बावजूद क्रेडिट के संस्थागत स्रोतों की आउटरीच के कारण ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या मार्च 1991 में 35134 थी, जो मार्च 2006 में घटकर 30572 हो गई है। यहां तक की छोटे उधार खातों की संख्या (25000 से कम) 625.48 लाख से घटकर 387.33 लाख रह गई

है। परिणाम यह रहा है कि ग्रामीण घरों में कुल बकाया धन उधार देने वालों की हिस्सेदारी 1991 में 17.5% थी, जो 2002 में बढ़कर 29.6% हो गई (30 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 59वें दौर के संदर्भ में अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण के बारे में दिसम्बर 2005 में जारी आंकड़े)।

8.4.12 प्राथमिक क्षेत्र उधार के संबंध में एक सतत नीति निर्धारक उपाय है। फिर भी अंतिम 10 वर्षों में इसका प्रचलन कम हो गया है और बेहतरीन उधार की गतिविधियों जैसे हाउसिंग, परिवहन, व्यावसाय गतिविधियां आदि की ओर ध्यान शिफ्ट हो गया है।

8.4.13 प्राथमिकता क्षेत्रक में अब कृषि (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) और लघु उद्योग, छोटी सड़कें, और जल परिवहन प्रचालक, छोटे धंधे, फुटकर व्यापार, व्यावसायिक और स्व नियोजित व्यक्ति, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संघटन, शिक्षा, आवासीय ऋण, सूक्ष्म क्रेडिट, सॉफ्टवेयर के ऋण और खाद्य और एग्रो प्रसंस्करण क्षेत्रक शामिल हैं।

8.4.14 मार्च, 1990 के अंत में कृषि में कुल बैंक क्रेडिट का हिस्सा 15.9% था, जो मार्च, 2001 के अंत तक तेजी से घटकर 9.6% हो गया। फिर भी इस अवधि में जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत ज्यादा घट गया। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्रक की सघनता (क्षेत्रकीय जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कृषि क्षेत्रक की क्रेडिट) मोटे तौर पर उसी स्तर पर रही। 2004-05 से कृषि की क्रेडिट में महत्वपूर्ण रूप में उछाल आया। सरकार ने 18 जून, 2004 को एक घोषणा कर कृषि और संबंधित गतिविधियों में प्रवाह, जिसकी अवधि 2004-05 से शुरू होकर 3 वर्ष के लिए थी और यह घोषणा 2003-04 के दौरान वितरित राशि के बारे में

तालिका 8.4.3
कृषक हाउस होल्ड्स की क्रेडिट एक्सस

क्षेत्र	औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्रोतों से उधार लेने वाले कृषक घर,		कृषक घर जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्रोतों से क्रेडिट नहीं लेते हैं	
	संख्या लाख में	कुल घरों का प्रतिशत	कुल संख्या लाख	कुल घरों का प्रतिशत
उत्तरी	56.26	51.40	53.20	48.60
पूर्वोत्तर	7.04	19.90	28.36	80.10
पूर्वी	84.22	40.00	126.39	60.00
मध्य	113.04	41.66	158.29	58.34
पश्चिमी	55.74	53.77	47.92	46.23
दक्षिणी	117.45	72.70	44.11	27.30
संघ शासितों का समूह	0.49	33.10	0.99	66.90
अखिल भारतीय	434.24	48.6	459.26	51.4

थी। तालिका 8.4.4, वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान कृषि क्रेडिट प्रवाह के लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाती है।

तालिका 8.4.4
कृषि में क्रेडिट का प्रवाह

वर्ष	(करोड़ रुपए में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि
2004-05	1,05,000	1,25,309
2005-06	1,41,000	1,80,486
2006-07	1,75,000	2,03,296
2007-08	2,25,000	1,66,888

* जुलाई, 2007 तक

8.4.15 क्षेत्रक की क्रेडिट सघनता 2001-02 में 11.1% थी, जो तेजी से बढ़ते हुई 2005-06 के दौरान 27% हो गई। कृषि क्षेत्रक में उधार लेने वाले खाते भी 2000-01 में 19.84 मिलियन थी, जो 2004-05 में बढ़कर 26.66 मिलियन हो गई। समग्र न्यूनतम प्राथमिक क्षेत्रक के 40% के लक्ष्य के प्रति शुद्ध बैंक क्रेडिट के भीतर ही कृषि का हिस्सा 18% है। सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के लिए कृषि ऋण का हिस्सा एनबीसी के प्रतिशत के रूप में 15.3% मार्च, 2005 के अंत में था, जो मार्च, 2006 के अंत में 15.2% हो गया। मार्च 2005 और मार्च

2006 के अंत में निजी क्षेत्रक बैंक 13.5% पर थे। जबकि वाणिज्यिक बैंकों ने छोटे किसानों की आवश्यकताओं की देख-रेख की है, उन्होंने मझोले/उप मझोले किसानों, किरायेदारों/शेयर क्रोप्स, ओरललेसिज, गैर-कृषि घरों के बारे में ऐसा नहीं किया है।

8.4.16 पिछले 10 वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी(ज) द्वारा रुपये 2 लाख तक के ऋणों का वितरण तालिका 8.4.5 में देखा जा सकता है। रुपये 25000 तक के ऋण लेने वालों के ऋण खातों की संख्या जो 1996 में 5.19 करोड़ थी, 2006 में यह घटकर 3.84 करोड़ हो गई। कुल ऋण खातों के एक भाग के रूप में यह उसी अवधि के दौरान 91.6% से घटकर 45% रह गया। इसी प्रकार 1996 में कुल बैंक क्रेडिट में से बकाया क्रेडिट अत्यधिक मात्रा 14.2% थी, जो 2006 में एक दम घटकर 3% ही रह गई। फिर भी औसतन बकाया में वृद्धि हुई है, जो रुपये 6985 से बढ़कर रु 11769 हो गयी है।

8.4.17 उपर्युक्तानुसार रुपये 25 हजार से रुपये 2 लाख तक वितरित ऋण खातों में लगभग 10 गुणा वृद्धि हुई और बकाया क्रेडिट लगभग 7 गुणा से भी ज्यादा हो गई। परिमाणानुसार औसतन ऋण बकाया, जो 1996 में रु 70,000 था, वह 2006 में रु 52500 हो गया।

तालिका 8.4.5
क्रेडिट सीमा के आकार के अनुरूप एससीबी(ज) के बकाया क्रेडिट का संवितरण

क्र. सं. वर्ष	रुपये 25,000 और उससे कम की क्रेडिट			रुपये 25,000 से ऊपर और रुपये 2,00,000 तक		
	खातों की संख्या	बकाया धन	औसतन बकाया (लाख में)	खातों की संख्या	बकाया धन	औसतन बकाया (लाख में)
1 1996	51904658 (91.59)	3625319 (14.23)	6985	3991468 (7.04)	2808470 (11.03)	70362
2 1999	42747346 (81.73)	3828497 (10.01)	8956	8249220 (15.77)	4999659 (13.07)	60608
3 2001	37252319 (71.14)	3781632 (7.02)	10151	13203909 (25.22)	6847786 (12.72)	51862
4 2004	36766092 (55.38)	3855543 (4.38)	10487	25133746 (37.86)	12414438 (14.10)	49394
5 2005	38732564 (50.20)	4299179 (3.73)	11100	32373797 (41.96)	15688824 (13.61)	48461
6 2006	38419104 (44.97)	4521734 (2.99)	11769	38703221 (45.30)	20328082 (13.43)	52523

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं

स्रोत: आरबीआई की मूल सांख्यिकीय विवरणियां

8.4.18 क्रेडिट परिव्ययों का संवितरण की शहरी और ग्रामीण तालिका 8.4.6 में देखी जा सकती है। कुल ऋण लेखों के एक भाग के रूप में ग्रामीण और अर्द्धशहरी ऋण खातों की संख्या 1996 में 79% थी, जो 2006 में घटकर 59% रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट काफी तीव्र रही है। इस अवधि के दौरान बकाया क्रेडिट 29.64% से घटकर बैंक क्रेडिट 24.72% हो गई, इस प्रकार इसमें 5% की गिरावट आई है। दूसरी तरफ शहरी और मैट्रो क्षेत्रों में स्थिति का रुख बिल्कुल विपरीत है। शहरी और मैट्रो में ऋण खातों की संख्या क्रमशः दो गुणा और 4 गुणा बढ़ गई। कुल ऋण खातों की संख्या 1996 में लगभग 21% थी, जो 2006 में बढ़कर 41% हो गई। इस प्रकार बकाया ऋण, जो 1996 में 70% था, वह 2006 में 75% हो गया, इस प्रकार उसमें 5% की वृद्धि देखी गई।

8.4.19 दस्तकार, ग्रामीण एवं अति सूक्ष्म उद्योग एवं अन्य लघु उद्योग (एवीटी और अन्य एसएसआई(ज)) को पर्याप्त क्रेडिट प्राप्त हुई। कुल बैंक खातों की प्रतिशतता के रूप एवीटी और अन्य एसएसआई के खातों की कुल संख्या 1996 में 7.2% थी, जो 2006 में घटकर 2.6% हो गयी। इस प्रकार इसमें 4.6% की गिरावट आई है (कृपया देखें तालिका 8.4.7) और यह 40.9 लाख से एक दम घटकर 21.8 लाख तक आ गई। ऋण खाते भी इस अवधि के दौरान ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार घट गए, लेकिन मैट्रो में इनकी संख्या बढ़ी है। बकाया

क्रेडिट में भी 6.6% की गिरावट आई है, जो 1996 में बैंक क्रेडिट का 10.7% थी, वह 2006 में घटकर 4.1% हो गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह गिरावट, फिर भी यह मैट्रो में अधिक रही है। यद्यपि इस अवधि के दौरान ऋण खाते लगभग आधे हो गये, औसतन बकाया क्रेडिट 4 गुणा से भी ज्यादा बढ़ गए, जो 1996 में रुपये 66,750 थी, और 2006 में यह रुपये 2,85,500 हो गई। जबकि दस्तकारी ग्रामीण और अति सूक्ष्म उद्योग, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सघन रहे हैं और शहरी और मैट्रो में अन्य एसएसआई(ज) की प्रमुख रही है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि दस्तकारी ग्रामीण और अति सूक्ष्म उद्योग, जो कि सापेक्ष रूप से कम क्रेडिट वाले हैं, वे क्रेडिट से वंचित ही रहे हैं।

8.4.20 एसएसआई के प्रति क्रेडिट का हिस्सा 1998 में एनबीसी का 15% था, जो 2005-06 में घटकर 6.4% रह गया। छोटे धंधों, फुटकर व्यापार आदि को मिलाकर कुल हिस्सा एनबीसी से 10% से भी कम रहा। आवासन का हिस्सा 2.9% से बढ़कर 9.23% हो गया।

8.4.21 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी(ज) और उनका सम्पर्क, कमजोर समूहों के लिए हाल ही के वर्षों में बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय सेवाओं के प्रावधानों में एक उल्लेखनीय विशेषता रही है। फिर भी इस तथ्य के अलावा ये दक्षिण क्षेत्र में अधिकांश रहा है, दी गई कुल क्रेडिट की मात्रा बहुत ही कम रही है, मार्च 2006 के

तालिका 8.4.6
एससीबी(ज) की बकाया क्रेडिट का क्षेत्रकवार संवितरण

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्रकवार संवितरण							
		ग्रामीण		अर्द्ध शहरी		शहरी		मैट्रो	
		लेखा	बकाया	लेखा	बकाया	लेखा	बकाया	लेखा	बकाया
1	1996	28795008 (50.8)	3861351 (15.2)	15907178 (28.1)	3689050 (14.5)	7034553 (12.4)	4439731 (17.4)	4935690 (8.7)	13479079 (52.9)
2	1999	24473040 (46.8)	5390862 (14.1)	14457568 (27.6)	5482002 (14.3)	6992485 (13.4)	7071668 (18.5)	6382363 (12.2)	20297971 (53.1)
3	2001	22510707 (43.0)	6888194 (12.8)	14046994 (26.8)	7110588 (13.2)	7933614 (15.2)	9530289 (10.8)	7873080 (15.0)	30314307 (56.3)
4	2004	25564806 (38.5)	10990745 (12.5)	16108316 (24.3)	11487098 (13.0)	8931305 (13.5)	16997379 (14.7)	15785863 (23.8)	48555981 (55.2)
5	2005	29357131 (38.1)	16047938 (13.9)	18225926 (23.6)	14283629 (12.4)	10176816 (13.2)	21229977 (18.4)	19390921 (25.1)	63685248 (55.3)
6	2006	29053685 (34.0)	19942287 (13.2)	21474702 (25.1)	17479436 (11.5)	12918689 (15.1)	27636541 (18.3)	21988305 (25.7)	86325949 (57.0)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत - आरबीआई की मूल सांख्यिकीय विवरणियां।

तालिका 8.4.7
दस्तकारी और ग्रामीण उद्योग एवं अन्य लघु उद्योग

वर्ष	खातों की संख्या					बकाया राशि (रुपये लाख में)				
	ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	मैट्रो	कुल	ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	मैट्रो	कुल
1996	2306666 (8.01)	1022012 (6.42)	537760 (7.64)	227208 (4.60)	4093646 (7.22)	333261 (8.63)	503052 (13.64)	740522 (16.68)	1155699 (8.57)	2732534 (10.73)
1999	1894551 (7.74)	1069453 (7.40)	616374 (8.81)	347256 (5.44)	3927634 (7.51)	414597 (7.69)	592352 (10.81)	985547 (13.94)	1342224 (6.61)	3334720 (8.72)
2001	1340518 (5.96)	715700 (5.10)	588912 (7.42)	442582 (5.62)	3087712 (5.90)	373850 (5.43)	716957 (10.08)	1105629 (11.60)	1701256 (5.61)	3897692 (7.24)
2004	1134176 (4.44)	480711 (2.98)	258361 (2.89)	138583 (0.88)	2011831 (3.03)	489411 (4.45)	809427 (7.05)	1247847 (7.34)	1787782 (3.68)	4334467 (4.92)
2005	1213263 (4.13)	555214 (3.05)	287666 (2.83)	171364 (0.88)	2227507 (2.89)	601963 (3.75)	977442 (6.84)	1558533 (7.34)	2184599 (3.43)	5322537 (4.62)
2006	1000377 (3.44)	550984 (2.57)	352933 (2.73)	279702 (1.27)	2183996 (2.56)	711926 (3.57)	1156510 (6.62)	1834442 (6.64)	2532432 (2.93)	6235310 (4.12)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत: - आरबीआई की मूल सांख्यिकीय विवरणियां

अंत तक 22.39 लाख एसएचजी(ज) ही बैंकों के साथ जोड़े गए थे और संचित उधार कुल रुपये 11,398 करोड़ थी। चालू बकाया क्रेडिट लगभग 4,000 करोड़, जो एनबीसी का बहुत ही छोटा भाग है। लगभग 24 मिलियन परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। प्रति एसएचजी औसतन बैंक ऋण 2001 में रुपये 18,227 था, जो 2005 में बढ़कर रुपये 32,012 हो गया।

नीतिगत मुद्दे

8.4.22 वित्तीय समावेश को सुधारने के बारे में अनेक समितियों ने दिशानिर्देश उपलब्ध कराये। श्री के.वी. कामथ की अध्यक्षता में वित्तीय सेवाओं का उप समूह (2007) उन सब में अद्यतन है। वित्तीय समावेश (2007) पर सी. रंगराजन समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में आपूर्ति से संबंधित समाधानों के बारे में विस्तृत सिफारिशें की हैं, जो कि परम्परागत और अपराम्परागत चैनल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी में सुधार से संबंधित हैं। इसने पूरक मांग संबंधी उपायों पर भी जोर दिया है, जो बहुत ही आवश्यक हैं। वित्तीय समावेश को सुधारने के लिए श्री वैद्यनाथन समिति ने सहकारिताओं की पुनर्संरचना पर जोर दिया (2004) और मनीलैंडर लेजिसलेशन समिति ने (2006) नीतिगत उपायों की सिफारिश की है।

8.4.23 इनमें से कुछ मुख्य नीतिगत मुद्दे उभर रहे हैं और आउटरीच में विस्तार और वित्तीय समावेश की गहराई के बारे में अगले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

ब्याज दर की सीमा

8.4.24 और एक निर्यात क्रेडिट और रुपये 2 लाख तक के ऋणों पर अपवाद के साथ 1994 से बैंकों द्वारा ऋण पर लगायी जाने वाली ब्याज दरों में डीरेग्यूलेशन हुआ है। बाद के मामले में ब्याज की दर बैंक के अधिसूचित बैंचमार्क पीएलआर से अधिक नहीं हो सकती। हाल ही में सरकार ने उत्पादन क्रेडिट को रुपये 3 लाख तक, कृषि के मामले में 7% तक बढ़ाने के लिए बैंकों को 2% की सब्सिडी की घोषणा की गई है। फिर भी करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट 2005-06 कहती है कि "1990 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों को क्रेडिट की अवधारणा पर आपूर्ति आधारित दृष्टिकोण से सब्सिडाइज दर से क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित होती थी। वित्तीय दृष्टि से यह धारणीय नहीं रह गई, क्योंकि इसने क्रेडिट संस्थानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।"

8.4.25 ब्याज दर को डीरेग्यूलेटिंग/रेग्यूलेटिंग करने संबंधी सम्पूर्ण मुद्दा इस प्रश्न में निहित है कि क्या क्रेडिट की सामयिक पहुंच और उपलब्धता क्रेडिट की लागत की बजाय क्या एक ओवर राइडिंग सरोकार है।

8.4.26 संस्थागत वित्त और सहकारिता सुधार के आउटरीच पर कार्यसमूह ने इस मुद्दे की जांच की और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उधार लेने वालों के वित्तपोषण की वास्तविक लागत पर उप समूह के माध्यम से अध्ययन भी करवाया गया। एक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के द्वारा उधार देने के एक नमूना अध्ययन ने दर्शाया

है कि रुपये 25000 और उससे कम के ऋणों की समावेशी लागत 21% होती है। एक निजी क्षेत्रक के बैंक के माध्यम में यह देखा गया है कि प्रत्यक्ष उधार की लागत एक मध्यवर्ती (एमएफआई) के माध्यम से उधार देने पर भी इससे अधिक लागत आती है। फिर भी जैसे ही ऋण का आकार बढ़ता है, लागत के अंतर में कमी आ जाती है। सम्पूर्ण समावेशी लागत इस अध्ययन के अनुसार रुपये 10000 के ऋण के प्रत्यक्ष उधार पर यह 33.1% परिकलित होती है, जबकि रुपये 25000 के ऋण जो एमएफआई के माध्यम से लिया गया है, पर यह लागत 17.5% परिकलित होती है। इस प्रकार आरआरबी(ज) का समग्र तुलन-पत्र विश्लेषण और सीसीबी(ज) ने 7.75% की लागत, आरआरबी(ज) के अर्जन सम्पत्तियों पर दर्शाई है और सीसीबी(ज) के लिए 10.16 %। वाणिज्यिक बैंकों में यह अनुमान 7.5% से 13.5% के बीच रहती है। 22 एमएफआई(ज) के अध्ययन के एक कृषि बैंकिंग कॉलेज ने 30.2% की औसतन लागत दर्शाई है।

8.4.27 इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से चयनित उदाहरणों के आधार पर आवधिक रूप से अध्ययन कराने की स्पष्ट आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लघु उधार लेने वालों को वास्तविक लागत तक पहुँचने हेतु इसे प्रभावशील बनाना है।

8.4.28 प्रभासित ब्याज दर के अलावा उधार लेने वालों को अन्य लागत भी वहन करनी होगी, जैसे प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना (भूमि दस्तावेज, वकीलों द्वारा सर्व रिपोर्ट, अन्य बैंकों की शाखाओं द्वारा बेबाकी प्रमाण पत्र, मूल्यांकन प्रमाण पत्र आदि) और आम रिश्वतें। इन सब को ध्यान में रखते हुए उधार की कुल लागत औपचारिक संस्थागत चैनल्स के माध्यम से हो सकता है कि कम नहीं रहे, जो कि औपचारिक क्रेडिट चैनल्स द्वारा दर ली जाती है।

8.4.29 यदि दस्तावेज और अन्य प्रक्रियाओं को सरलीकृत कर दिया जाता है, तो किसानों को ट्रांजिसन लागत में काफी कमी आ जाएगी, निधि की लागत को कवर करते हुए ट्रांजिसन लागत, और बैंकों की जोखिम लागत को देखते हुए किसानों को बाजारी ब्याज दर के भुगतान में कुछ महसूस भी नहीं होगा। बाजार आधारित ब्याज दरों की स्वीकृति के बाद और बैंकों के जोखिम संभावित मामलों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को एक दृश्य कारोबारी स्थिति के रूप में कृषि उधार देने पर विचार करना होगा।

8.4.30 करेंसी और वित्त पर रिपोर्ट स्वयं प्रधानमंत्री को उद्धृत करती हैं कि गरीब समूहों को उधार देने के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे उठाया जाए, इससे यह उस बुनियादी मुद्दों को उठाती है कि क्या किसानों को वाजिब दरों पर क्रेडिट की पहुंच हो सकती है, या उन्हें कम ब्याज पर यह संभव है, क्या हमें नई संस्थागत संरचनाओं के सृजन की आवश्यकता है, आदि।

8.4.31 ब्याज दर के संबंध में निर्धारणों में इनकॉन्सिस्टेंसी तत्व का अस्तित्व बने रहना प्रतीत होता है, जबकि बैंकों द्वारा रुपये 2 लाख तक की सीमा के प्रत्यक्ष ऋणों पर ब्याज दर बैंक के पीएलआर की दर से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक एमएफआई की मध्यस्थता के माध्यम से आखिरकार उधार लेने वाले को यह उधार दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएफआई के माध्यम से दिए जाने वाले ऋणों पर बैंक दरों के डिरेगुलराइज किया था। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या एक मध्यस्थ के माध्यम से दी जाने वाली माइक्रो क्रेडिट को बैंक के प्राथमिक क्षेत्रक उधार के एक भाग के रूप में माना गया था। 2006 में पुनः आरबीआई ने जोर दिया कि बैंकों द्वारा एमएफआई और एमएफआई के माध्यम से एसएचजी(ज)/सदस्य लाभार्थी को दिए जाने वाले ऋण पर लागू ब्याज दरें उनके विवेक पर छोड़ दी जानी चाहिए। इससे एक असंगत स्थिति पैदा हो जाती है। जब उसी लाभार्थी को ऋण एक वैकल्पिक वित्तीय चैनल के माध्यम से अलग-अलग मूल्य पर प्रदान किया जाता है। इस असंगत को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बैंकों पर ब्याज दर की कोई सीमा नहीं थोपी जानी चाहिए।

8.4.32 आंकड़े दर्शाते हैं कि बैंकों द्वारा दी जानी वाली लगभग 82% उधार उप-पीएलआर दरों पर ही होती है, जब कि अधिक क्रेडिट अनुकूल कॉर्पोरेट उप-पीएलआर दर पर ही क्रेडिट लेते हैं, कृषि और एसएसआई क्षेत्रक और अन्य से पीएलआर या उससे भी अधिक दर चार्ज की जाती है। इससे भी यह बात सामने आती है कि विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों को क्रेडिट देने संबंधी अलग-अलग प्रावधानों की उचित लागत के बारे में अध्ययन करवाने की आवश्यकता है। यह भी समझना चाहिए कि वंचित रहे लोगों को वित्तीय समावेश में धारणीय बनाये जाने के प्रयास किए जाते हैं, तो ऐसी सेवाएं प्रदान करने की लागत भी अनिवार्य रूप से सहन करनी होगी। फिर भी इसी के साथ मॉडल भी क्रेडिट उपलब्ध कराने में अक्षमताओं को दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार लागत को सर्वोत्तम प्रणालियों के माध्यम से बेंचमार्क किए जाने की आवश्यकता है। एक ब्याज मुक्त तंत्र और प्रतिस्पर्धा को मान्यता देनी होगी, जो वाजिब दरों को सुनिश्चित करने के प्राथमिक उपायों के रूप में होंगे। ऐसे अध्ययनों के परिणामों के प्रकाशन के माध्यम से इसमें सहायता पहुंचाई जा सकती है।

8.4.33 यह समझ लेना भी आवश्यक है कि कुछ सीमाएं होती हैं, जिनसे आगे संस्थागत क्रेडिट प्रणाली अपनी सेवाएं प्रौद्योगिकी अपना कर भी प्रदान नहीं कर सकती, विशेष रूप से जब यह वंचित समूहों के बारे से संबंधित मामला हो। प्रकरण अध्ययनों के अनुभवों से पता चलता है कि माइक्रो फाइनेंस के विस्तारण से अनौपचारिक क्षेत्रक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज दर को कुछ ठीक करने में सहायता मिली है।

8.4.34 जबकि आरबीआई का दृष्टिकोण बहुत खुला रहा है, जो कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्रक के विकास के लिए व्यापक हितों से संचालित होता है। ऐसे भी कुछ उदाहरण रहे हैं, जहां राज्य सरकारें भी ब्याज दरों को संचालित करती हैं। राज्य सरकारों ने यह कारण बताया है कि एमएफआई उपभोज्य ब्याज दरें चार्ज करती हैं, इससे आमतौर पर उधार लेने वाले गरीबों की ऋणग्रस्तता बढ़ जाती है।

8.4.35 परामर्शी समूहों को विनियमन पर दिशानिर्देशी सिद्धान्तों के बारे में गरीबों की सहायता करनी चाहिए और वे माइक्रो फाइनेंस की ब्याज दर के बारे में बताते हैं, जहां वे लागू होते हैं। वे दरों को कम करके गरीबों को इतनी सहायता नहीं पहुंचाते, जितना कि वे सदैव सेवाओं को सीमित कर गरीबों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ग्रामीण क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस (खान समिति) की रिपोर्ट, जो आंतरिक समूह द्वारा मुद्दों की जांच करने के बारे में थी, उन्होंने इस मुद्दे पर विमर्श प्रस्तुत किए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि दुनिया के विभिन्न भागों में अनेकों माइक्रो फाइनेंस परियोजनाओं के बारे में इम्पेरिकल डेटा निकाले जाते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि क्रेडिट की सामयिक उपलब्धता और उचित गुणवत्ता, न कि ब्याज दर माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रमों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा लागत के बारे में लागू किये जाने वाला तरीका बुनियादी रूप से बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके से अलग है, तो उनसे ब्याज दरें लेकर अपने तरीके में अपनाना, यह बैंक से अलग होना चाहिए, क्योंकि ग्राहकों को उनके दरवाजों पर सेवाएं उपलब्ध करवाने में कुछ तो लागत आती ही है, इसमें कोई अनावश्यक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जिसके अनुसार ब्याज दर वित्तीय मध्यस्थ रूट के माध्यम से आखिरकार उधार लेने वाले द्वारा चार्ज की जाए। सर्वोत्तम होगा कि इसे उधार लेने वाले एमएफआई(ज) के वाणिज्यिक निर्णय और उधार देने वाले संस्थानों पर छोड़ दिया जाए।

8.4.36 यह तर्क दिया जाता है कि बिना दर की सीमा लागू किए ब्याज दर घटाने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें केन्द्रीय भूमिका निभा सकती हैं। इसे एमएफआई(ज) द्वारा चार्ज किए जाने वाले ब्याज दरों के बारे में एक डेटा बेस और मानीटरिंग प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत एमएफआई के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे आवधिक रूप से ब्याज प्रभावी ब्याज दर की रिपोर्ट करें। फिर भी, ब्याज दर के निर्धारण के बारे में पारदर्शिता एक मुख्य बाधा है। वर्तमान में एमएफआई(ज) द्वारा चार्ज की जाने वाली प्रभावी ब्याज दर को बताने के बारे में कृषि, समान सहमत प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें ऋण फीस प्रक्रिया, खराब ऋण प्रावधान और अन्य अनुसंगी प्रभार शामिल हैं। इससे एमएफआई(ज) के बीच ब्याज की तुलना करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इनमें एक विकल्प होगा कि स्वयं

विनियमन यानी एमएफआई स्वयं अपने संघों के माध्यम से आचरण का एक कोड अपनाएं और उसे लागू करें, जिसमें सूचित करने के मानदंड भी शामिल हैं। एक स्वयं विनियामक संगठन के रूप में अपने विनियम लागू करने में काफी गंभीर सीमाएं होती हैं, अन्य विकल्प है कि क्षेत्रक का औपचारिक विनियमन करना। इसमें समान वित्तीय रिपोर्टिंग दिशानिर्देश तैयार करना और शामिल करना शामिल है। इसमें गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों के ट्रीटमेंट के लिए मानदंड, एक ब्याज दर सूचना दिशानिर्देश, जिसमें ऋण प्रक्रिया फीस सूचित करने के तरीके, खराब ऋण प्रावधान और अन्य गुप्त प्रभार भी शामिल हैं, एमएफआई(ज) स्टाफ के व्यवहार के बारे में स्पष्ट आचरण नियमावली होनी चाहिए और उस आचरण नियमावली को तोड़ने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए और कुछ पोर्टफोलियों के निश्चित स्तर से ऊपर एमएफआई(ज) के लिए ऑडिट का प्रावधान शामिल है।

8.4.37 बाहरी एजेंसियों जैसे सिडबी द्वारा एमएफआई(ज) के रेटिंग के बारे में एमएफआई(ज) के प्रचालनों में पारदर्शिता के विकास के लिए विचार किया जा सकता है।

8.4.38 एमएफआई(ज) के बीच बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के साथ कीमतों में पारदर्शिता आईटी सोल्यूशन के उपयोग से संभव है, यह अपेक्षा की जाती है कि एमएफआई(ज) द्वारा लिए जा रहे ब्याज दर में कमी आ जाएगी। वैकल्पिक चैनल्स जैसे एमएफआई(ज) एसएचजी(ज) और एनबीएफसी(ज), आवासन वित्त कम्पनियों, डाकघरों के माध्यम से क्रेडिट का संवितरण करने से इसकी सुलभता में वृद्धि आएगी। ट्रांजैक्शन लागत में कमी आएगी और वसूली में सुधार हो सकेगा।

आउटरीच बढ़ाने के तरीके

एसएचजी(ज)- बैंक लिंकेज कार्यक्रमों (एसबीएलपी) में बढ़ोतरी

8.4.39 अनिवार्य रूप से माइक्रो क्रेडिट प्रदान करने के दो स्वरूप हैं, यानी एसबीएलपी और एमएफआई(ज)। एसएचजी(ज)- बैंक लिंकेज मॉडल के भीतर ही एसएचजी(ज) एनजीओ(ज)/एसएचपीआई(ज) द्वारा बनाए जाते हैं और एसएचजी(ज) को सीधे बैंकों द्वारा क्रेडिट प्रदान की जाती है। यह एसबीएलपी के भीतर क्रेडिट के संवितरण का एक प्रचलित स्वरूप है।

8.4.40 दोनों एसएचजी(ज) - बैंक लिंकेज और एमएफआई(ज) का भौगोलिक संवितरण काफी हद तक कम हो गया है। दक्षिण राज्यों में काफी मात्रा में एसएचजी(ज) हैं, फिर भी हाल ही के वर्षों में एसबीएलपी क्षेत्रों के भीतर तक पहुंच हो गए हैं, जिसमें ग्रामीण गरीब लोगों की काफी प्रतिशतता है। लगभग 90% एसएचजी(ज) जो बैंकों से जुड़े हैं, वे महिलाओं से संबंधित हैं।

8.4.41 आखिरी पांच से सात वर्षों के दौरान एसबीएलपी ने काफी प्रभावशाली विकास दर्ज किया है। वर्तमान में माइक्रो क्रेडिट का 90% एसएचजी(ज)-बैंक लिंकेज मॉडल से वितरित किया जा रहा है। बैंक से सम्बद्ध एसएचजी(ज) की संख्या 2000-01, 2.64 लाख थी, जो 2005-06 में बढ़कर 22.39 लाख हो गई है। इस प्रभावशाली विकास के बावजूद भी माइक्रो क्रेडिट आपूर्ति के बीच व्यापक मांग और आपूर्ति का काफी अंतर मौजूद है। वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में बनाए गए कार्यदल (2007) के अनुमानों के अनुसार माइक्रो क्रेडिट की न्यूनतम जरूरत ₹ 70 हजार करोड़ है, जबकि आपूर्ति मात्र 11,378 करोड़ है। ये कार्यक्रम दक्षिणी राज्यों में भी काफी सघन है। फिर भी नाबार्ड ने 2005 में 13 प्राथमिकता वाले राज्यों की पहचान की है, जहां भारत के गरीब लोग काफी संख्या में रहते हैं और उनके लिए विशेष प्रयास और अवस्थिति सापेक्ष रणनीतियों की आवश्यकता है।

8.4.42 एसबीएलपी के तहत प्रति व्यक्ति ऋण का औसत ₹ 4000 से भी कम है। यह सकल रूप से वित्तीय आय सृजन गतिविधियों के लिए पर्याप्त नहीं है। सदस्यों द्वारा लिए जाने वाली ब्याज दर 15 से 24% प्रति वार्षिक बताई गई है। समूह बनाने और उसके पोषण की लागत क्रेडिट की स्टेज लिंकेज के बराबर है, जो नाबार्ड द्वारा वहन की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक समूह के लिए ₹ 10000 के मानदंड का प्रावधान करता है, जो लागत समूह को बनाने में आती है।

8.4.43 एसबीएलपी को बनाए रखने में जो कठिनाई आती है, वह समूहों को बनाने की योग्यता है, और उनकी क्षमताओं को बनाए रखने की है। यह बदले में वचनबद्ध एनजीओ(ज) और एसएचजी प्रमोटिंग संस्थानों (एसएचपीआइ(ज) की समर्पित उपलब्धता पर काफी सुदृढ़ता से निर्भर करता है। रंगराजन समिति ने एसबीएलपी को वित्तीय समावेश की उपलब्धि के लिए मुख्य दो उपस्करों के रूप में से एक के रूप में पहचान की है और यह सुझाव दिया है कि महिला और बाल विकास विभाग को इस प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल किया जाए। समिति की सिफारिश के अनुसार नाबार्ड द्वारा विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय समावेशी निधि स्थापित की गई है। इस क्षेत्र में नाबार्ड पहले से ही अनेकों क्षमतावर्धन संबंधी प्रयासों में लगा हुआ है। नाबार्ड के कार्यक्रमों को राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ काफी निकटता के साथ उन्हें एकीकृत करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से 13 प्राथमिक राज्यों में। यह उल्लेखनीय है कि असंगठित क्षेत्रक (एनसीईयूएस) उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने ऐसी ही सिफारिश, विकासात्मक गतिविधियों के लिए एक निधि के उपयोग के बारे में की है।

8.4.44 इसी के साथ कुछ के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि इस मॉडल को मूलरूप से विकसित होने दिया जाए, जो कि

आवश्यकता और क्षमताओं की प्रक्रिया के अनुसार होगा, और मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। एसएचजी(ज) को सहकारिताओं के रूप में जाने का अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सहकारिताओं के ऊपर गैर-क्रेडिट बिजनेस को बोझ रहता है। यानी कि उनका उपयोग सरकारी कार्यक्रमों के डिलिवरी के तंत्र के रूप में किया जाता है, जैसे पीडीएस, खाद की बिक्री आदि और अन्त में उनका राजनीतिकरण हो जाता है। एसएचजी(ज) जैसे व्यापक स्तर के अभियानों के राजनीतिकरण होने की भी शंका बनी रहती है, अतः यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि एसएचजी(ज) अपनी विशेषताएं बनाये रखें कि वे लोगों का एक अभियान है और पॉवर पॉलिटिक्स में उपस्कर का काम न करें।

8.4.45 यह रुचि की बात है कि विद्यानाथन समिति ने कहा है कि सहकारिताएं पारस्परिक थ्रिप्ट और क्रेडिट की तरह होती हैं, और वे संगठन के एकमात्र स्वरूप हैं, जिनके माध्यम से आर्थिक रूप से वंचित लोग और समूह, स्वैच्छिक सामूहिक कार्रवाईयों के माध्यम से अपनी वंचित स्थिति से असमान बाजार के बीच ऊपर उठते हैं और अपना विकास करते हैं। समिति ने यह भी कहा है कि क्रेडिट को अच्छे उपयोग के लिए क्रेडिट का उपयोग ऐसे संगठनों में किया जाएगा, जिनमें सदस्य अपना हाथ पहले बढ़ाते हैं और वे रिश्तों और सामाजिक रिश्तों के माध्यम से गहराई से जुड़े हैं और वे कॉमन क्रेडिट पूल के उचित सदुपयोग में सुदृढ़ पारस्परिक स्टेक रखते हैं। किसी को भी यह गलती नहीं करनी चाहिए कि एसएचजी की रूपरेखा भी इसी प्रकार समझा गयी है। वस्तुतः एसएचजी(ज) की अवधारणा में कुछ नया नहीं है, जो कुछ पहले सहकारिताओं में होना नहीं बताया गया है। सहकारिताएं आज जिस स्थिति में पहुंच चुकी हैं, उसे एसएचजी अभियान को एक गंभीर चेतावनी के रूप में लेना चाहिए।

एमएफआई क्षेत्रक

8.4.46 एमएफआई मॉडल ने एमएफआई समूहों को बनाने तथा एसएचजी(ज)/व्यक्तियों को क्रेडिट दिलाने संबंधी दोनों कार्य करता है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण उठते हैं, ताकि वे आगे एसएचजी(ज) और व्यक्तियों को आगे दे सकें।

8.4.47 एमएफआई(ज) विधिक अस्तित्वों के समाहरण में दोनों, लाभ और बिना लाभ संस्थानों के लिए सहायता प्रदान करती हैं। बिना लाभ वाले संस्थानों में शामिल हैं, एनजीओ(ज), जिन्हें, न्यास/समितियों, सहकारिताओं, जो सहकारिता अधिनियम के तहत बनाई गई हैं और कम्पनी ऐक्ट के तहत अनुच्छेद 25 की कम्पनियां आती हैं। लाभ वाली एमएफआई(ज) में कम्पनी ऐक्ट के तहत किए गए एनबीएफसी(ज) आते हैं, जो आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।

8.4.48 एमएफआई मॉडल में तैयार की जाने वाली ब्याज दर (लगभग 20 से 24 %) एसबीएलपी मॉडल से उच्च रहती है, क्योंकि एमएफआई(ज) द्वारा चार्ज किए जाने वाले ब्याज की दर में निधि की लागत और साथ में समूह बनाने की लागत भी शामिल की जाती है। साधन के स्वैच्छिक आचरण नियमावली निर्धारित करते हैं कि एमएफआई(ज) ब्याज की वाजिब दर ही लेंगे, यानी 21 से 24% प्रति वर्ष। इसकी तुलना एसएचजी(ज) द्वारा अपने सदस्यों से ली जाने वाली ब्याज दर से की जा सकती है। यहां तक कि समूहों को बनाने और उनके पोषण से संबंधित लागत स्वयं एमएफआई(ज) द्वारा वहन की जाती है। एमएफआई(ज) को निधि की लागत एसबीएलपी के तहत एसएचजी(ज) को बैंकों को दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक होती है। ट्रांजैक्शन लागत भी अधिक हैं, क्योंकि वे घरों से सेवाओं की डिलीवरी और समाहरण साप्ताहिक आधार पर करते हैं। फ्लिप साइड, ब्याज दर के निर्धारण में पारदर्शिता और सूचित करने के मानक एवं उपभोक्ता संरक्षण और एमएफआई(ज) द्वारा अपनाई गई प्रणालियां बड़ी चिंताओं के रूप में सामने आ रही हैं।

8.4.49 क्रेडिट के विस्तारण के लिए और उसे आगे एसएचजी(ज) और वैयक्तिक सदस्यों को उधार देने के लिए एमएफआई को क्रेडिट के विस्तार हेतु निधियों की जरूरत होती है। अभी अध्ययन ये स्पष्ट करते हैं कि शेष दुनिया के मुकाबले, भारत के एमएफआई(ज) का बंदोबस्त बड़े उच्च रूप में होता है। निम्न इक्विटी आधार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण संसाधन उगाहने में एमएफआई(ज) की क्षमता सीमित होती है। एमएफआई(ज) की इक्विटी पूँजी को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं, उद्यम पूँजी द्वारा इक्विटी पर निवेश, जो बाधाओं को कम करने के लिए इसे एमएफआई(ज) में लिया जाता है, विदेशी सहभागिता की पूँजी जरूरत को न्यूनतम रूप से कम करना और नाबार्ड से प्रति समूह (कोरपस) इक्विटी सहायता को बढ़ाना।

सहकारिताओं को पुनः सक्रिय बनाना

8.4.50 आउटरीच ग्रामीण वित्तीय संस्थानों में सहकारिताओं का सबसे बड़ा नामिनल होता है, जिनमें वाणिज्यिक बैंक भी शामिल हैं। वर्तमान में विभिन्न संसाधन संबंधी दिक्कतों के कारण यह क्रॉस-रोड पर हैं, कमजोर शासन, बुरे प्रबंधन, और अक्षमता से जूझ रहे हैं। वैधानाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने इन ग्रामीण सहकारिता क्रेडिट संस्थाओं की पुनर्संरचना और सुदृढ़ीकरण के लिए एक पुनर्जागरण पैकेज तैयार किया है। भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए संशोधित पुनर्जागरण पैकेज से सिद्धान्त रूप से 17 राज्य सहमत हो गए हैं। 12 राज्यों ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापनों

पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसकी शर्तें सोसायटीज को तीन सूत्रीय संरचना का अनिवार्य रूप से भाग बनने से मुक्त कर देती हैं। निजी समितियों को भी वाणिज्यिक बैंकों और किसी आरबीआई विनियमित संस्थान से उधार लेने संबंधी कारोबारी ठेके की स्थापना से मुक्त करती हैं। संघ की अनिवार्यता से मुक्ति मिलने पर वित्त पोषण में अनावश्यक टियरों को कम करने में सहायता मिलती है, जिनसे लागत घटती है। उन्हें जमा और अग्रिम राशि पर ब्याज दर निर्धारण में छूट देनी होगी, बशर्ते कि वे आरबीआई विनियमन के अनुसार हों। लोग इन सुधारों का स्वागत करेंगे और इनसे सहकारिताएं सुदृढ़ वाणिज्यिक आधारों पर कार्य कर सकेंगी। विभिन्न शर्तों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने संबंधी दबाव और आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की स्वीकार्यता, बोर्ड के निदेशकों और ग्रामीण सहकारिताओं के सीईओ(ज) के लिए "फिट एण्ड प्रॉपर" को सुनिश्चित करने में कुछ स्पष्ट रूप से सहायक कारण हैं, जो कि संशोधित पैकेज के कार्यान्वयन को धीमा कर देते हैं।

8.4.51 यह आदेशात्मक है कि बिना आकस्मिक विधि, वित्तीय, नियामक और संस्थागत सुधारों में शिथिलता के बिना इसका कार्यान्वयन किया जाए। इससे तुलन पत्रों की क्लिनिंग जैसा प्रभाव पड़ेगा और ग्रामीण सहकारिताओं के पूँजी आधार को मजबूती मिलेगी, ताकि वे क्लीन स्लेट बन सकें और वे अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के समरूप हो सकें। फिर भी, कुछ ऐसी वैध चिंताएं हैं, जिनका समाधान करना होगा, ताकि ग्रामीण सहकारिताओं की वित्तीय और संस्थागत धारणीयता में कोई कमी न आने पाए।

8.4.52 वैधानाथन समिति कहती है कि भारत में सहकारी समितियां, विश्व की सहकारी समितियों से अलग हैं, जो पारस्परिक नहीं हैं और क्रेडिट के वितरण में मात्र एजेंसियों का कार्य ही करती हैं। निम्न स्तर पर पुनर्वित्त पोषण प्रदान करने के लिए उच्चतर सोपानों का सृजन किया गया। इससे एक ऐसी संरचना निकली, जो सभी स्तरों पर उधार लेने वालों द्वारा संचालित होती है। अतः समिति ने सिफारिश की कि एक शुद्ध क्रेडिट के लिए सख्ती रूप से प्रयास किए जाएं, ताकि थ्रिप्स क्रेडिट सोसायटी बन सकें। इस स्वरूप में यह अपेक्षा की जाती है कि सुशासन के लिए स्वाभाविक प्रोत्साहन होने चाहिए। इस विजन को व्यापक रूप से सुधार पैकेज में कायम रखा गया है, जिसने अब कार्य शुरू कर दिया है। फिर भी, आर्गनिक विकास की प्रक्रिया, जो सहकारिताओं की योग्यताओं के बीच नियंत्रण रखने की संभावना है, उसे शीघ्र ही प्रचालन में लाया जाए।

8.4.53 वैधानाथन समिति ने गैर-जरूरी और डिफंक्ट प्राथमिक कृषि सहकारिता के लिक्विडेशन की सिफारिश की है। फिर भी तरलता (लिक्विडेशन) की सही मॉड्यूलटी अभी तक नहीं बताई

गई है, क्योंकि प्राथमिक कृषि सहकारिता की संख्या काफी बड़ी है, जिसे तरलीकरण में लिया जाना है, वास्तविक क्रेडिट के प्रवाह के अनुक्षण के लिए इसके स्थान पर कुछ ट्रांजिशनल व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि सहकारिता के साथ या पड़ोसी प्राथमिक कृषि सहकारिता द्वारा संभालने से वित्त निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसे लेने वाली प्राथमिक कृषि सहकारिता की कार्यप्रणाली पर बोझ भी बढ़ जाएगा। बेहतर समाधान होगा कि वैद्यानाथन समिति द्वारा दिए गए सुझाव की मॉडल एक्ट के अन्तर्गत नई प्राथमिक कृषि सहकारिता का विकास किया जाए। यद्यपि इसमें काफी समय लगेगा, परन्तु यह दीर्घ अवधि में धारणीय विकल्प साबित होगा।

8.4.54 सहकारिताएं जमा राशि पर उच्च ब्याज दर प्रदान करती हैं। अधिक स्टाफ रखने एवं बिजनेस के परिमाण से असंगत वेतन देने के कारण सहकारिताओं की ट्रांजैक्शन लागत बहुत उच्च रहती है। वसूली स्तरों में कमी के कारण लागत की उच्च जोखिम रहती है। पर्याप्त जोखिम पूर्ति प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अभाव रहता है। उचित क्रेडिट मूल्यांकन और मॉनिटरिंग की कमी रहती है और कृषि उधार का अधिक एक्सपोजर रहता है। वस्तुतः भुगतान तदर्थ सरकारी निर्णयों द्वारा प्रभावित होते हैं, जो निलंबन, देरी, और वसूली को माफ करने के बारे में होते हैं। रिवाइबल पैकेज महत्वपूर्ण रूप से क्रेडिट सहकारिताओं को निर्देश देते हुए राज्य सरकारों के अधिकार वापस नहीं लेता है। इन अधिकारों का उपयोग आमतौर पर विगत वर्षों में होता रहा है, जो सहकारिताओं के प्रति वाणिज्यिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं रहते हैं। निधि की लागत भी उच्च रहती है, क्योंकि पीएसी(ज) उच्च सोपानों के सहकारिताओं की उधार पर निर्भर रहते हैं। ग्राहक की क्रेडिट अनुकूलता के बारे में भी सूचना का अभाव रहता है, जो इस समस्या को और गंभीर बना देता है। उधार की दरों में निधि की लागत ट्रांजैक्शन लागत और जोखिम लागत को भी शामिल करने की आवश्यकता है। जबकि वैद्यानाथन समिति ने इन कारकों की पहचान की है कि वे सहकारिता क्रेडिट प्रचालनों की लागत में वृद्धि करते हैं, लेकिन इसने तंत्र के बारे में सही सुझाव नहीं दिए हैं, जिससे संबंधित ट्रांजैक्शन और जोखिम लागत को कम किया जा सके।

8.4.55 अतः निष्कर्ष निकलता है कि पुनर्जागरण पैकेज के कार्यान्वयन से कोई ठोस सुधार होने वाला नहीं है, जिससे वित्तीय एक्सक्लूजन की समस्या का निराकरण हो सके। यह कृषि में उत्पादन और निवेश की वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सही है। प्रतीत होता है कि यह आउटरीच और ग्रामीण वाणिज्यिक बैंकों के मान में अत्यधिक वृद्धि के लिए कोई विकल्प नहीं होगा।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी(ज)/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी(ज)

8.4.56 जबकि 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने उत्तरोत्तर रूप से ग्रामीण शाखाओं के नेटवर्क में काफी विकास किया है, 1991 से एक रोल बैंक की स्थिति आ गई है। एक बैंक की शाखा द्वारा सेवा दी जाने वाली औसतन ग्रामीण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई, जिसे निम्नलिखित संख्या द्वारा दर्शाया गया है (देखें तालिका 8.4.8)।

तालिका 8.4.8
प्रति शाखा कार्यालय औसतन जनसंख्या

	1991	2005
प्रति शाखा जनसंख्या	13711	15680
प्रति ग्रामीण शाखा जनसंख्या	13462	16650
प्रति शहरी शाखा जनसंख्या	14484	13619

8.4.57 फिर भी यह राय रहती है कि मौजूदा ग्रामीण शाखा इन्फ्रॉस्ट्रक्चर को अधिक सघनता से उपयोग में लाया जाए, ताकि और अधिक ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। रंगराजन समिति की मुख्य सिफारिश है कि बैंकों को यह लक्ष्य दिया जाना चाहिए कि वे प्रति शाखा, प्रति वर्ष 250 किसानों के खाते और खोलें। यह समिति महसूस करती है कि इससे अब तक कवर न किए गए कृषक - घरों को भी अगले 5 वर्षों में कवर किया जा सकेगा। वाणिज्यिक बैंकों के लिए लक्ष्य आधारित अवधारणा निर्धारित की है, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आउटरीच में विस्तार कर सकें और यह हो सकता है कि दृष्टिगत राय न हो, जब तक की बैंकों को निधि की लागत, ट्रांजैक्शन लागत और जोखिम लागत को ब्याज की दर में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाती हो।

8.4.58 जबकि छोटे और मझोले उधार लेने वालों को क्रेडिट के अंतरण में वृद्धि करने के लिए अनेक नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं, लेकिन परिणाम इससे अलग ही दर्शाते हैं। 1996 और 2006 के दौरान 2 लाख तक के क्रेडिट के बकाया खातों में कमी आई है, जो बैंक क्रेडिट के 25.3% से 16.4% तक नीचे आ गये हैं। ये ऋण बैंक के पीएलआर या उससे नीचे ब्याज दर पर वितरित किए जाते हैं। उप पीएलआर लेंडिंग सितम्बर, 2004 में 39% थी, जो मार्च 2007 में बढ़कर 82% हो गई है। ये ऋण अनिवार्य रूप से बेहतर क्रेडिट अनुकूल कॉर्पोरेट्स को वितरित किए गए हैं, फिर भी विशेष रूप से कृषि और एसएसआई क्षेत्रों, एवीटी, और अन्य एसएसआई(ज) को दिए गए हैं। जिनके ऋण बकाया 2 लाख से अधिक हैं, उनसे पीएलआर से ऊपर की ब्याज दर ली जाती है। इसकी अनेक आशय हैं। पीएलआर से नीचे उधार देने में पारदर्शिता में कमी रहती है, और इससे उधार

देने वाला और लेने वाला, दोनों प्रभावित होते हैं, दूसरी बात है कि उप पीएलआर के लिए क्षतिपूर्ति करनी होती है, अन्य सिग्मेंट से अधिक ब्याज चार्ज किया जाता है। परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर लोगों द्वारा ली जा रही उधार को, आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों द्वारा उधार लेने वालों से क्रास सब्सिडाइज किया जाता है।

8.4.59 रोजगार सघन और अन्य एसएसआई(ज) के बृहद् क्षेत्रीय फैलाव से उनके द्वारा एक समावेशी विकास का इंजिन तैयार हो जाता है। फिर भी बैंकों द्वारा उन्हें अधिक जोखिमपूर्ण माना जाता है और गरीबी (कोलेटरल्स) के लिए दबाव दिया जाता है। इसका समाधान, एसएसआई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना करके, आंशिक रूप से किया जा रहा है। यह निधि क्रेडिट जोखिम के 75% तक की गारंटी देती है, बशर्ते कि प्रत्येक उधार लेने वाले के लिए ऋण की सीमा 50 लाख तक हो। अन्य विकल्प है कि उधार लेने वालों की स्वतंत्र रेटिंग और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री तैयार करते हुए कोलेटरल्स को लागू करने की आवश्यकता है।

8.4.60 आज लघु उद्यमी, उधार लेने वाले का एक बड़ा व्यापारी है। यदि वह उचित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बैंकों को और अधिक सक्रिय होना होगा और अपनी जोखिम के मूल्यांकन और प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना होगा। यदि वित्तीय समावेश को वास्तविक रूप देना है तो उद्यमियों को पहली बार वित्त पोषित करना होगा, बशर्ते उसमें जोखिम क्यों न हो। कुछ सीमा तक असफल उद्यमों की अपरिहार्यता से गैर-वाजिब सम्पर्कता, जवाबदेही नहीं होने देनी चाहिए, अन्यथा दूसरे उधार लेने वालों में जोखिम की संभावना निश्चित हो जाएगी। नियामक द्वारा विवेकी मानदंड निर्धारित करने होंगे, ताकि यह सुविधा प्रदान की जा सके।

8.4.61 उपर्युक्त के साथ यह आवश्यक होगा कि प्राथमिक क्षेत्रक उधार की दिशा-निर्देशों में गरीब वर्गों को उधार देने के लिए कुछ उप सीमाओं का सृजन करते हुए संशोधित करने की आवश्यकता है। जैसे कि असंगठित क्षेत्रक के लिए राष्ट्रीय उद्यम आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है कि 10% के उपलक्ष्य को मंजोले और लघु किसानों के लिए आरक्षित रखा जाए और उसमें से 18% कृषि के लिए आरक्षित रखा जाए। इस उप लक्ष्य के लिए क्रेडिट के अंतरण का मॉनीटरिंग अलग से किया जाए। इसी प्रकार लघु और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए भी 10% का अलग लक्ष्य रखा जाए, जिसमें से 4% माइक्रो उद्यमियों के लिए आरक्षित किया जाए, जिनमें पांच लाख से भी कम की पूंजी निवेश करते हुए, आवश्यक सुधार किया जाए और उसे लागू किया जाए। जैसे कि उपयुक्तानुसार सिफारिश की गई है कि ब्याज दर को मुक्त कर दिया जाए, जिससे जरूरत मंद वर्गों को क्रेडिट मिल सके।

8.4.62 कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक के लक्ष्य इसके बाद अलग तरीके से लागू किए जाएं। एक सुझाव है कि यह योग्यता के अनुसार होना चाहिए और बैंकों के बीच ट्रेड योग्य लक्ष्य बनाए जाएं। इससे लक्ष्यों के हासिल करने के एक साधन हेतु कार्रवाई हो सकेगी, जो कि न्यूनतम संभावित लागत पर होगी।

8.4.63 हाल ही में लिया गया एक बड़ा कदम है बैंकों को अपनी बिजनेस सुविधाओं (बीएफ) और बिजनेस कोर्सपॉजेंड (बीसी) के माध्यम से अपनी आउटरीच में विस्तार करने की अनुमति दी गई है। इन प्रणालियों को प्रचालन में लाने के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी स्कीमों तैयार करने की आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी गाइड लाइन्स डेढ़ वर्ष पहले ही लाई गई थी, एनसीईयूएस ने नोट किया है कि लागत विचारधारा को देखते हुए बैंक इस मॉडल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः वे सुझाव देते हैं कि बैंकों को कुछ प्रोत्साहन दिए जाएं, जो कर या अन्य लाभों के रूप में हो सकते हैं, ताकि वे इस मॉडल को अपना सकें। रंगराजन समिति का कहना है कि बैंकिंग प्रणाली ने बिजनेस लाभों को अभी तक पूरी तरह नहीं समझा है, जो इस मॉडल को अपनाने से हो सकता है। इसने यह भी कहा है कि बैंकर्स के विभिन्न वर्गों से हुई चर्चा के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि यह उनकी मौन प्रतिक्रिया है। आंशिक रूप से प्रचालनों की व्यवहारिकता पर इसके प्रभाव से पड़ने वाली लागत को बैंक आमेलित करने में उदासीन हैं।

8.4.64 2 लाख से कम के ऋणों पर पीएलआर से ज्यादा चार्ज करने पर बैंकों को मनाही है, इससे यह बीसी मॉडल माइक्रो क्रेडिट प्रावधानों के लिए अव्यावहारिक हो गया है। यदि बैंक अपने पीएलआर और उनके निधि की लागत के बीच के अंतर को आमेलित करने के इच्छुक हैं, तो अन्तर ठीक नहीं रहेगा, जिससे बीसी(ज) को मूल लागत, मॉनीटरिंग, ऋण एकत्रीकरण को कवर किया जा सके। दूसरा इस मॉडल के तहत बैंक इस बीसी के जाने-अनजाने में की कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार होगा। तीसरी बात है कि इसमें आईटी सम्पर्कता का अभाव है (लागत के विचारों को ध्यान में रखते हुए), जिससे कि ट्रांजैक्शन को अगले कार्यदिवस के अंत तक बैंक की बुक्स में बीसी(ज) के लेन-देन को शामिल करना और रिपोर्ट करना मुश्किल होगा। ऋण कारणों से बैंकों से बीसी मॉडल को एक उदासीन प्रतिक्रिया मिली है। फिर भी, वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए यह उपलब्ध विकल्पों में सर्वोत्तम है। ब्याज दर से नियंत्रण हटाने की बजाय, बीसी(ज) के लिए क्षमता निर्माण हेतु एक उचित कार्यक्रम बनाया जाए, उसके निष्पादनों के मॉनीटरिंग के लिए सशक्त प्रक्रियाएं स्थापित की जाएं, और उनकी रेटिंग की जाए। आईटी सम्पर्कता को

बढ़ाया जाए, शायद इससे अन्य बैंकों से हिस्सेदारी के साथ भी किया जा सकता है, जिससे लागत में कमी आ सके, ये सब इस मॉडल की सफलता के लिए जरूरी हैं।

8.4.65 उद्योग यह महसूस करते हैं कि वित्तीय क्षेत्र के सहभागी उचित भुगतान प्रक्रिया के अभाव में, इसे वंचित क्षेत्रों तक पहुँचाने में मुश्किलें आएंगी। भारत के वित्तीय लेन-देन का 80% भाग की प्रक्रिया वास्तविक रोकड़ के माध्यम से होती है। यदि रोकड़ का भुगतान नकद रूप से होता है, तो इसे संभालने, लेन-देन प्रक्रिया, इसके रखरखाव और नुकसान होने की जोखिम के कारण इसकी लागत बढ़ जाती है और आगे को ध्यान में रखते हुए कार्ड आधारित समाधान उभर कर आ सकते हैं, क्योंकि यह वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी हेतु मुख्य मैकेनिज्म होगी, जो कि बिना बैंक के है। इस प्रकार आवश्यकता है कि एक राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का सृजन किया जाए, जिसमें सभी बैंकों की सहभागिता हो, लेन-देन की लागत कम की जाए और पीओएस टर्मिनल्स और अधिक संख्या में लगाए जाएं और उनका सदुपयोग लघु एवं उच्च मूल्य के भुगतानों के लिए किया जाए।

8.4.66 भारत ने भौगोलिक और समाजार्थिक दोनों दृष्टि से मोबाइल पर अच्छी पकड़ हासिल की है। मोबाइल फोन कनेक्शन की कुल संख्या पहले से ही बैंक खातों से काफी अधिक हो गई है। दक्षिण अफ्रीका ने रिपोर्टेडली काफी संख्या में भुगतान के लिए मोबाइल का उपयोग शुरू कर दिया है। माना जाता है कि जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में भी इस तरीके को अपनाया जा रहा है। मोबाइल समर्थित भुगतान से भुगतान प्रक्रिया अधिक सस्ती होगी। इससे भौगोलिक व्याप्ति अधिक होगी और सीधे ही प्रक्रिया के माध्यम से ऑन लाइन भुगतान होगा, जिससे वित्तीय समावेश बढ़ेगा। मोबाइल फोनों को निधि के अंतरण की प्रणाली के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है और उचित प्राधिकरण प्रोटोकॉल अपनाते हुए बैंक के लेखों से भुगतान किया जा सकता है।

परम्परागत धन उधार देने वाले (मनी लैण्डर्स)

8.4.67 ऋण एवं निवेश संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एनएसएस का 59वां दौर) ने प्रकट किया है कि संस्थागत एजेंसियों का हिस्सा कुल रोकड़ बकाया में शहरी घरों के मामले में यह 1991 में 72% था, जो 2002 में बढ़कर 75.1% हो गया और इस अवधि में पणधारियों की संख्या भी 10.2% से बढ़कर 14.1% हो गई। दूसरी तरफ ग्रामीण घरों की संख्या संस्थागत एजेंसियों का हिस्सा 1991 में 64% था, जो 2002 में घटकर 57.1% हो गया और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण घरों में धन उधार देने वालों का हिस्सा इस अवधि के दौरान 17.5% से बढ़कर 29.6% हो गया।

8.4.68 संस्थागत क्रेडिट को बढ़ाने संबंधी उपायों के बावजूद विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में धन उधार देने वालों पर निर्भरता बढ़ गई। इस प्रकार इन धन उधार देने वालों के मामलों पर क्रेडिट उपलब्ध कराने के बारे में विनियमित रूप रेखा के भीतर देखे जाने की आवश्यकता है। ब्याज के उपभोज्य दरों और प्रणालियाँ वास्तविक स्थिति है, जिसका उचित रूप में समाधान किया जाना चाहिए।

8.4.69 अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी यह सुझाव देते हैं कि धन उधार देने वाले पूरी दुनिया, विकसित एवं विकासशील देशों में, ऐसा ही करते हैं। अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि से धन उधार देने की प्रकृति के विनियामक होते कानून हैं। ऐसे कानूनों पर जोर देने से उधार लेने वाले के हितों की रक्षा होती है, और ब्याज की दर की सीमा निर्धारित हो जाती है, और वसूली प्रणालियाँ कुचल जाती हैं।

8.4.70 धन उधार देने के संबंध में आरबीआई का तकनीकी समूह, जो विधानों की समीक्षा करता है, ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि धन उधार देने वालों का पंजीकरण जरूर किया जाए, और बिना पंजीकरण यह कार्य करने वालों को दंडित किया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकार ब्याज की अधिकतम दर को निर्धारित करें, जो कि धन उधार देने वालों द्वारा चार्ज की जा सकती है। समूह ने एक विधान के मॉडल को राज्य सरकारों द्वारा अपनाने की सिफारिश की है, जिससे धन उधार देने वालों का नियमन किया जा सके। इस विधान में धन उधार देने की गतिविधि चलाने के लिए पंजीकरण प्रोत्साहन भी दिया जाता है। यह विधान में इसके प्रावधानों को तोड़ने वालों को दंडित करने का प्रावधान भी है, और साथ ही जो इन कानूनों को तोड़ता है, बिना पंजीकरण धन उधार देने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है।

8.4.71 एक बड़ा मुद्दा जिसका समाधान करने की आवश्यकता है, वह है — राज्य सरकार की नियामक क्षमता, जो इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि नियामक कार्यों को बैंकिंग सिस्टम के द्वारा आउटसोर्स किया जा सकता है। बैंक(स) के माध्यम से क्रेडिट लेने संबंधी प्रोत्साहन, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिए जा सकते हैं, जिससे पंजीकरण से जुड़ी लागत के डर से पीछा छुड़ाया जा सकता है। सरकार धन उधार देने को मुख्य धारा में लेने पर विचार कर सकती है, जिसके लिए एक प्रभावी नियामक रूप रेखा, जो पूरी दुनिया में अपनाई जाती है की संस्थापना से संभव है।

डिमांड (मांग) साइड का सुदृढीकरण

8.4.72 शायद वित्तीय समावेश की तरफ सार्वजनिक नीतियों की पहल के सर्वाधिक लाभ विधिवत इन्फ्रॉस्ट्रक्चर का सृजन है, जिसके तहत क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं का प्रावधान किया

जाता है। विशिष्ट उपायों में शामिल है, क्रेडिट रजिस्ट्रीज का सृजन, राष्ट्रीय पहचान संख्या, भुगतान प्रणालियाँ, इलैक्ट्रॉनिक समुदाय और नीलामी बाजार एवं मौसम माप प्रणालियाँ — ये सभी सार्वजनिक वस्तुएं हैं, जो आर्थिक गतिविधि के निर्धारण में सहायता करेंगी। अन्य साधन, जो वित्तीय सेवाओं की मांग बढ़ाने में सहायक होंगे, उनमें शामिल हैं, ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों में सार्वजनिक निवेश, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाजारी संबंध सुधारने के उपाय, जो सूक्ष्म उद्यमियों को विश्वनीय चैनल्स उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं, जहाँ वे अपनी सेवाओं और उत्पाद का विपणन कर सकें।

नई पहलें

8.4.73 कुछ ऐसे गैर-सरकारी संगठन, सोसाइटी(ज), न्यास और सहकारी समितियाँ हैं, जो सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्रक में प्रचालन कर रही हैं, जो क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाएं आर्थिक दृष्टि से सक्रिय कम आय वाले लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, गरीब घरों और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रदान कराते हैं। फिर भी, ऐसे संगठनों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में औपचारिक सांविधिक रूपरेखाओं का अभाव होता है। अतः ये जरूरी समझा गया है कि सूक्ष्म क्रेडिट क्षेत्रक के प्रसार, विकास और विधिवत विकास के लिए एक औपचारिक सांविधिक रूपरेखा प्रदान की जाए। तदनुसार सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्रक (विकास एवं विनियमन) बिल 2007, 20.3.2007 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस बिल की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं —

- सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्रक के विकास और विनियमन का कार्य राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक (नेशनल बैंक) को सौंपा जाए।

- सूक्ष्म वित्त की गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न एजेंसीज जैसे - सहकारी समितियां, पारस्परिक लाभ सोसाइटी(ज), जो किसी राज्य इन्वैक्टमेंट से पंजीकृत है या मल्टी-स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी(ज) एक्ट 2002 के तहत मल्टी-स्टेट सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं, सोसाइटी(ज) पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है या कोई भी राज्य इन्वैक्टमेंट, जो ऐसी सोसाइटी(ज) का अधिशासन करता है, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत सृजित ट्रस्ट या किसी राष्ट्र इन्वैक्टमेंट के तहत पंजीकृत कोई सार्वजनिक ट्रस्ट, जो कि प्रस्तावित किए जाने वाले नियामक रूपरेखा द्वारा अधिशासित होगा।
 - सूक्ष्म वित्तीय सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को पात्र ग्राहक के रूप में परिभाषित करना, जिनमें स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या ऐसे पात्र ग्राहकों के संयुक्त लाइब्लिटी समूह।
 - वित्तीय सहायता के माध्यम से पात्र ग्राहकों को सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जो निर्धारित सीमाओं के अनुरूप होगी और अन्य वित्तीय सेवाएं, जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
 - सूक्ष्म वित्त विकास परिषद का गठन करना, जो नेशनल बैंक को नीतियों, स्कीमों और अन्य जरूरी उपायों, जो कि विधिवत विकास के हित के लिए जरूरी है, के निर्माण और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक के विकास हेतु सलाह देगी।
 - सूक्ष्म वित्त विकास एवं इक्विटी फंड का गठन करना, जिसका सदुपयोग सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक के विकास के लिए किया जाएगा।
- 8.4.74** यह बिल वर्तमान में वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति के पास जाँच के अधीन है।

संलग्नक : 8.2.1
दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन की वित्तीय और वस्तुतः निष्पादकता

(करोड़ रुपये)

क्रम	योजना/ कार्यक्रम	वित्तीय निष्पादकता/दसवीं योजना	वस्तुतः निष्पादकता/दसवीं योजना	उपलब्धियां			
सं०		लागत व्यय	बजटीय व्यय	आवर्ती व्यय	वास्तविक व्यय	लक्ष्य	
I	केन्द्रीय सेक्टर की योजनाएं						
1.	बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं	50.00	40.50	40.50	31.24	अंजना-एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना चरण-II और उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्किट परियोजना, जो जेबी आईसी की सहायता से बन रही है, की प्रभावपूर्ण ढंग से योजना तैयार करने व निष्पादन का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।	देश भर में 22 महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों की पहचान करके बुनियादी ढांचे का उन्मयन करना। पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, कपिल वस्तु, श्रावस्ती और संकिसा में बौद्ध स्थलों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 395.63 करोड़ ₹ की ऋण सहायता, परियोजना का कुल लागत व्यय 680 करोड़ ₹, के लिए जेबीआईसी से करार किया
2.	आईएचएम/ एफसीआई आदि को सहायता	110.00	127.50	127.50	135.43	एफसीआई/ आईआईटीटी एम के मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत तथा बेहतर करने के लिए वित्तीय सहायता	राष्ट्रीय पर्यटन के कार्यक्रम के तहत 22 होटल प्रबंधन संस्थानों और 7 भोजन कला संस्थानों को सहायता दी गई।
3.	सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाना	24.00	31-50	31-50	12-25	देश में पर्यटन से सम्बद्ध कार्मिकों की योग्यता बढ़ाने के लिए प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	असंगठित क्षेत्र के उन व्यक्तियों जो अधिकतर पर्यटकों के सम्पर्क में आते हैं, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना। सीबीएसपी योजना के अन्तर्गत 40,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
4.	विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार तथा एमजीए	500.00	485.00	485.00	509.34	विश्व में प्रचार, मेलों, उत्सवों, नुक्कड़ नाटकों आदि के द्वारा विश्वभर में पर्यटन को बढ़ावा देना।	विदेशी बाजारों में 'इंफ्रेडिबल इंडिया' अभियान के तहत विश्व अभियान और बाजार प्रचार किया गया। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनी में भाग लिया तथा मार्गो परदर्शनी का आयोजन किया। भारतीय पर्यटन की विभिन्न उत्पादों का विदेशों के मुख्य बाजारों में प्रस्तुतीकरण किया गया।
5.	देश में संवर्धन एवं प्रचार और आतिथ्य सत्कार	230.00	172.00	172.00	173.40	देश में प्रचार, मेलों, उत्सवों, नुक्कड़ नाटकों आदि के द्वारा विश्वभर में पर्यटन को बढ़ावा देना।	विषय आधारित घरेलू मीडिया अभियान, जन सामाजिक चेतना कार्यक्रम, प्रचार सामग्री आदि तैयार करना तथा मेलों तथा उत्सवों के लिए, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय आधार पर वित्तीय सहायता दी गई।

(अनुबंध 8.2.1 जारी)

क्रम सं०	योजना/ कार्यक्रम	वित्तीय निष्पादकतादसवी योजना				वस्तुतः निष्पादकता दसवी योजना	उपलब्धियां
		लागत व्यय	बजटीय व्यय	आवर्ती व्यय	वास्तविक व्यय		
6.	आवासीय बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन	45.00	47.00	47.00	47.50	आर्थिक सहायता/ प्रोत्साहन देकर देश में बजट आवास का निर्माण करना।	बजट श्रेणी के होटलों के निर्माण के लिए उद्यमियों को लिए गये ऋण पर आर्थिक सहायता देना।
7.	गुलमर्ग कश्मीर में आईआईएसएम के लिए भवन का निर्माण करना	0.00	16.00	16.50	13.80	भवन का निर्माण करके तथा मशीनें व अन्य उपकरण दे कर संस्थान को उन्नत करना।	भवन निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है।
8.	बाजार अनुसंधान एवं 20 वर्ष की भावी योजना	20.00	15.50	15.50	32.22	मास्टर प्लान/डीपीआर, सर्वेक्षण अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और पर्यटन आंकड़ों का प्रकाशन जो पर्यटन के विविध पहलुओं पर है जिनसे नीति निर्माताओं को जानकारी उपलब्ध होगी।	नीति निर्माताओंको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 24 मास्टर प्लान/डीपीआर, 14 सर्वेक्षण/ अध्ययन रिपोर्ट और 2 पर्यटन आंकड़ों का प्रकाशन।
9.	अधिक राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं को सहायता	98.00	122.00	92.00	34.96	सार्वजनिक/निजी साझेदारी तथा अन्य सरकारी अर्ध सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी अधिक राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देना।	21 बड़ी राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
10.	कंयूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी।	100.00	72.00	72.00	52.33	केवल संवर्धन और प्रचार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावपूर्ण प्रयोग और उपयुक्त हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा संग्रहण एवं अद्यतन प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना।	'इंफ्रेडिबल इंडिया' का अधिक प्रभावकारी ढंग से समूचे विश्व में वेबसाइट पर प्रचार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग पर बल दिया गया है। जिससे पर्यटन मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर पर्यटकों के आगमन की जानकारी उपलब्ध होगी।
11.	पर्यटन बुनियादी ढांचा विकास निधि	0.00	30.00	30.00	0.00		योजना को छोड़ दिया गया।
12.	जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना	0.00	9.00	16.00	16.00	रोजगार, स्व रोजगार पैदा करना और आर्थिक गतिविधियों का पुनर्बुद्धार	मंत्रालय ने सेवा प्रदाताओं जैसे हाउस बोट के स्वामी, होटलों व रेस्ट हाउसों, शिकारा मालिकों और पोनीवालों को वित्तीय सहायता और आर्थिक सहायता देने के लिए एक पैकेज दिया है। वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार को 7 करोड़ रूपए की संस्वीकृति दी गई तथा यह राशि जारी की गई। वर्ष 2004-05 में 9 करोड़ रूपए दिए गए।

(अनुबंध 8.2.1 जारी)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	योजना/ कार्यक्रम	वित्तीय निष्पादकतादसवी योजना			वास्तविक		वस्तुतः निष्पादकता दसवी योजना	उपलब्धियां
		लागत व्यय	बजटीय व्यय	आवर्ती व्यय	वास्तविक व्यय	लक्ष्य		
13.	नौवीं योजना से चली आ रही योजनाएं	71.50	71.50	71.50	71.50	78.88	इस राशि का प्रयोग उन योजनाओं के लिए किया गया जो 9वीं पंचवर्षीय योजना से चल रही है।	
II केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं								
1.	गन्तव्य स्थानों तथा सर्किटों के विकास के लिए उत्पाद/ बुनियादी ढांचा	1361.50	1242.50	1260.00	1498.21		विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से परामर्श करके गन्तव्य स्थलों व सर्किटों में पर्यटन संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।	
III पूर्वोत्तर राज्यों व सिक्किम के लिए एक मुक्त 10 प्रतिशत का प्रावधान था								
		290.00	184.00	184.00	0.00		उपर्युक्त उल्लिखित निर्दिष्ट योजनाओं के उपर्युक्त उल्लिखित निर्दिष्ट योजनाओं के अनुसार	
कुल (I+II+III)		2900-00	2666.00	2661.00	2635.67			

III

उद्योग

9

परिवहन

9.1 एकीकृत परिवहन पद्धति

9.1.1 भारत में परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत अनेक भिन्न-भिन्न साधन और सेवाएं सम्मिलित हैं, इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं : रेलवे, सड़कें, सड़क परिवहन, बंदरगाह, अंतर्देशीय जल परिवहन, तटवर्ती नौवहन, हवाई अड्डे और एयरलाइनें। रेलवे और सड़कें परिवहन के प्रमुख साधन हैं, जिनका देश में होने वाले कुल ट्रेफिक में 95% से भी अधिक का हिस्सा है। यद्यपि, तटवर्ती नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन जैसे साधनों का अधिक योगदान रहेगा किन्तु रेलवे और सड़कों का आने वाले भविष्य में परिवहन के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बना रहेगा।

9.1.2 विभिन्न परिवहन साधनों का एकीकृत ढंग से विकास करना और उसे इस प्रकार से बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे एक सुचारू, संधारणीय, सुरक्षित और क्षेत्रीय संतुलित परिवहन पद्धति कायम होगी, जिसके अंतर्गत परिवहन की प्रत्येक विधि अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था और उपयोगिता के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता और बिना किसी भेदभाव वाली कीमतों के साथ कार्य करेगी जो परिवहन ढांचे और सेवाओं के क्रमिक विकास को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त हों। इससे तुलनात्मक लाभ और आर्थिक कार्यकुशलताएं भी प्राप्त होंगी, जो उपभोक्ता लागतों में उचित रूप से परिलक्षित होगी।

9.1.3 आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप यह बात जल्द से जल्द समझना जरूरी हो गई है कि उत्पादकता को बढ़ाने और देश को विश्व बाजार में प्रभावी ढंग से स्पर्द्धा करने में समर्थ बनाने के लिए एक कुशल परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। परिवहन ढांचे और सेवाओं की पर्याप्तता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण कारक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा करने तथा विदेशी प्रत्यक्ष

निवेश को आकर्षित करने के लिए देश की समर्थता की दिशा में योगदान करते हैं। इस क्षेत्र में सरकार को एक बड़ी भूमिका निभानी है। बाजार अर्थव्यवस्था में भी एक ऐसा ढांचा, जिसकी राष्ट्रीय सरकारें परिवहन क्षेत्रक के लिए व्यवस्था करती हैं, वह लागत और परिवहन प्रचालनों के स्तर को प्रमुख रूप से निश्चित करता है। इसलिए, एक ऐसा नीतिगत परिवेश कायम करना जरूरी है, जिससे वैकल्पिक पद्धतियों के बीच प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमत-पद्धति और समन्वयन को बढ़ावा मिले ताकि एक एकीकृत परिवहन व्यवस्था कायम हो सके जिससे अधिकतम कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत के साथ वस्तुओं और लोगों की गतिशीलता आश्वस्त हो।

9.1.4 एक एकीकृत नीति व दीर्घावधिक निवेश योजना तैयार करने की परिकल्पना करते हुए योजना आयोग ने, मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनोमिक सर्विसिस (राइट्स) की सहायता से एक समग्र परिवहन पद्धति का अध्ययन आयोजित करने की एक परियोजना प्रारंभ की है। इस अध्ययन से परिवहन की चार बड़ी मशीनीकृत विधियों-रेलवे, राजमार्गों, एयरवेज और नौवहन को शामिल करते हुए यातायात प्रवाह का पता चल सकेगा तथा 2025-2026 तक विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए विधि-वार यातायात मांग का भी अनुमान लग सकेगा। इस अध्ययन से अंतर-मॉडल परिवहन संसाधन लागतों का विश्लेषण करने और इष्टतम अंतर-मॉडल मिश्रण निश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

9.2 रेलवे

9.2.1 भारतीय रेलवे को थोक समान और दूरवर्ती यात्री ट्रेफिक के परिवहन में इसके प्रभुत्व के कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रायः जीवनरेखा के रूप में पुकारा जाता है। इसका नेटवर्क पूरे

देश में फैला हुआ है जो पूरे देश के अंदर माल और यात्रियों को ढोकर इसे इकट्ठा बांधे हुए है। जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंचे विकास मार्ग की दिशा में बढ़ रही है, वैसे-वैसे भारतीय रेलवे भी भविष्य में और भी अधिक बड़ी भूमिका निभाने के लिए अपने आपको तैयार कर रही है।

दसवीं योजना की समीक्षा

9.2.2 दसवीं योजना के दौरान भारतीय रेलवे के वित्तीय निष्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसके फलस्वरूप इसके विकास के लिए आंतरिक संसाधनों और बाजार उधारों पर अधिकाधिक निर्भरता संभव हो सकी है। आंतरिक संसाधनों का वास्तविक जुटाव जो पहले वर्ष में कुल संसाधन जुटाव का केवल 3,113 करोड़ रुपए अथवा 27 प्रतिशत था, इसके अंतिम वर्ष में कुल संसाधन जुटाव का 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक अथवा लगभग 50 प्रतिशत तक के पर्याप्त योगदान तक पहुंच गया। संलग्नक 9.2.1 में दी गई तालिका से भी दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में आंतरिक संसाधन सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है, जो इस अवधि के दौरान सकल बजटीय संसाधनों (जीबीएस) के योगदान में कमी के अनुरूप है। विशेष रूप से जीबीएस के लिए योगदान का अधिकांश भाग विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (एसआरएसएफ) के कारण रहा जैसाकि संलग्नक 9.2.2 में दी गई तालिका से पता चलता है। एसआरएसएफ के माध्यम से प्रदत्त अतिरिक्त जीबीएस से रेलवे को महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के नवीकरण में बकायों को समाप्त करने में मदद मिली है, जिससे परिसंपत्तियों की उपलब्धता और साथ ही, उनके उपयोग में सुधार करने में भी मदद मिली, जिसने अंततः रेलवे निष्पादन में हुई महत्वपूर्ण प्रगति में योगदान दिया।

भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

9.2.3 दसवीं योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां संक्षेप में निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैं। भारतीय रेलवे ने, यात्री और माल ट्रैफिक दोनों में ही दसवीं योजना के पूर्वानुमानों को पार कर

लिया है। दसवीं योजना अवधि के दौरान ओरिजिनेटिंग माल ने 8.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाई है जबकि नौवीं अवधि के दौरान 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। इसी प्रकार, बिलियन टन कि.मी. की दृष्टि से माल में तदनुसूची विकास 7.4 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत था। दसवीं योजना में औसत वार्षिक यात्री वृद्धि भी कम प्रभावशाली नहीं थी, जो जाने वाले यात्रियों की संख्या की दृष्टि से 4.2 प्रतिशत और यात्री कि.मी. की दृष्टि से 7.4 प्रतिशत थी जबकि नौवीं योजना के दौरान संबंधित आंकड़े 4.2 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत थे।

उल्लेखनीय निष्पादन

9.2.4 माल के लदान और संचलन में प्रभावशाली उपलब्धि, जो लक्ष्य से 16.7%/20% अधिक थी - बढ़ती इनपुट लागतों के बावजूद यूनिट लागतों में सम्बद्ध कटौती के साथ-साथ परिसंपत्तियों और संसाधनों के सुचारु उपयोग के साथ ही बड़ी मात्रा में ट्रैफिक को आकर्षित करने के उद्देश्य से अपनाई गई बाजारोन्मुखी कार्यनीति का परिणाम थी। जिन प्रमुख उपायों ने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बढ़ाने में योगदान किया उनमें सम्मिलित थे : चुनिंदा मार्गों पर वैगनों की लदान क्षमता में 15 प्रतिशत तक की इष्टतम क्षमता तक लदान क्षमता का उपयोग करने का निर्णय, बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों के अनुरूप टैरिफों का पुनः समायोजन और कम काम वाली अवधि के दौरान तथा खाली जाने वाली दिशा में लदान को प्रोत्साहित करना। पेट्रोलियम उत्पादों में यथा अपेक्षित कमी को छोड़कर सभी पण्य समूहों में तुरंत वृद्धिकारी लदान हुआ। प्रमुख रूप से वृद्धि कोयले, निर्यात हेतु लौह अयस्क और इस्पात संयंत्रों, सीमेंट व अन्य वस्तुओं में देखी गई (जिनमें कंटेनर सम्मिलित हैं)। सीमेंट और इस्पात जैसी वस्तुओं के संबंध में रेलवे के हिस्से में, सड़क से कठोर प्रतिस्पर्धा के बावजूद, वृद्धि हुई। इस सराहनीय निष्पादन को उसे ग्यारहवीं योजना के दौरान बनाए रखने, सुदृढ़ करने तथा आगे बढ़ाने की जरूरत है।

तालिका 9.2.1
भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

	नौवीं योजना (2001-02)		दसवीं योजना				
	अंतिम वर्ष (2006-07) के लिए लक्ष्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	
ओरिजिनेटिंग माल (मी.टन)	492.5	624	518.7	557.4	602.1	666.5	728.4
माल निवल टन केएम बिलियन	333.2	396	353.2	381.2	407.4	439.6	475
जाने वाले यात्री मिलियन	5169.3	5885	5048.2	5202.9	5475.5	5832.4	6352.1
यात्री कि.मी. बिलियन कि.मी.	494.2	625	515.4	542.1	576.6	616.6	691.8

उत्पादकता

9.2.5 ट्रैफिक में बढ़ोत्तरी को परिसंपत्तियों की उत्पादकता में तदनुसूची वृद्धि समर्थन प्राप्त हुआ। परिसंपत्तियों की उत्पादकता में यह मात्रात्मक उछाल, वैगन और ट्रैक उपयोग सहित, अनेक उपायों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ। खनिज मार्गों पर एक्सल माल में वृद्धि, सुधरी अनुसूक्षण प्रथाओं और टर्मिनलों पर घटी दर से प्रतिधारण सभी ने उच्च च्च वैगन उत्पादकता में योग दिया। मात्रा में वृद्धि और सुधरी उत्पादकता के फलस्वरूप प्रचालनों की यूनिट लागत में कमी आई है। योजना अवधि के दौरान परिसंपत्तियों की सुधरी उत्पादकता का संक्षेप में नीचे तालिका 9.2.2 उल्लेख किया गया है।

9.2.6 वैगन उपयोग में लगातार सुधार हुआ है, जो दसवीं योजना के पहले वर्ष में 2468 निवल टन कि.मी. (एनटीकेएम) प्रति वैगन प्रति दिन से अंतिम वर्ष में 2963 हो गया। वैगन वापसी का समय दसवीं योजना के शुरु में 7 दिन और 1996-97 में 8.5 दिन से कम होकर 6 दिन हो गया। ट्रैक उपयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो 7.74 मिलियन एनटीकेएम से 9.05 मिलियन एनटीकेएम प्रति मार्ग कि.मी. हो गया।

9.2.7 प्रबंधकीय प्रथाओं में महत्वपूर्ण सुधारों ने दसवीं योजना के दौरान मानव संसाधनों की उत्पादकता में सुधारों को पछाड़ दिया है जो 0.26 मिलियन एनटीकेएम प्रति कर्मचारी से बढ़कर दसवीं योजना के चौथे वर्ष के अंत में 0.33 मिलियन एनटीकेएम प्रति कर्मचारी हो गया तथा इसी अवधि के दौरान यात्री कि.मी. प्रति कर्मचारी 0.37 मिलियन से बढ़कर 0.47 मिलियन हो गया।

ग्यारहवीं योजना के लिए नीतिगत मुद्दे तथा कार्यनीतियां

9.2.8 भारतीय रेलवे, ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ में एक बड़े परिवर्तन के दहलीज पर है। इसके सामने एक बड़ी चुनौती अतिरिक्त ट्रैफिक को आकर्षित करने की नहीं बल्कि एक उदीयमान अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न उच्च कोटि की सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने की है, जिसके लिए इसे नए निवेश और टैरिफ नीतियों के जरिए क्षमता में वृद्धि करने तथा इसका इष्टतम ढंग से उपयोग करने के लिए तत्काल और समुचित उपाय करने होंगे। रेलवे को, परियोजना कार्यान्वयन, उत्पादन और नई परिसंपत्तियों की खरीद में सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाकर परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करना होगा तथा तेज गति से परिसंपत्तियों की खरीद करनी होगी।

9.2.9 दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में यह बात नोट की गई कि चीन की रेलवे भारतीय रेलवे की तुलना में 4.5 गुना अधिक माल ढोह रही है, जिसका मुख्य कारण चीनी रेलवे द्वारा अवस्थापना को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने के लिए किए गए बड़े निवेश हैं, जिनके फलस्वरूप चीनी रेलवे की उत्पादकता में सुधारों दिशा में भी योगदान मिला। चीनी रेलवे की तुलना में भारतीय रेलवे अधिक यात्री ले जाती है किन्तु भारत में रेलवे का दीर्घावधिक विकास प्रमुख रूप से, बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रतिस्पर्धी बने रहने की जरूरत द्वारा निर्धारित गति और विश्वसनीयता के साथ, माल को ढोने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है। रेलवे की दूरवर्ती माल की अधिक ऊर्जा कार्यकुशलता को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है (बाक्स 9.2.1)।

तालिका 9.2.2
उत्पादकता निष्पादन

उत्पादकता संकेतक	नौवीं योजना (2001-02)	दसवीं योजना			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
वैगन उपयोगिता					
एनटीकेएम/वैगन/दिन (बीजी)	2,223	2,468	2,574	2,617	2,872
वैगन केएम/वैगन/दिन (बीजी)	191.6	204.6	187.8	204.5	211
वैगन वापसी (दिन) (बीजी)	7.2	7.0	6.7	6.4	6.1
ट्रैक उपयोग					
एनटीकेएम/मार्ग कि.मी. (मिलियन)	7.38	7.74	8.14	8.57	9.05
यात्री कि.मी./मार्ग कि.मी. (मिलियन)	10.1	10.5	10.8	11.5	12.2
एनटीकेएम/इंजन दिन आनलाइन (माल-बीजी)					
डीजल	1,67,163	1,64,713	1,99,958	2,18,045	2,79,066
बिजली	3,11,061	3,26,798	3,52,669	4,15,244	4,65,375
मानव संसाधन उत्पादकता					
एनटीकेएम/कर्मचारी (मिलियन)	0.24	0.26	0.28	0.31	0.33
पीकेएम/कर्मचारी (मिलियन)	0.35	0.37	0.40	0.43	0.47

बॉक्स 9.2.1
चीनी और भारतीय रेलवे का विस्तार
1992-2002 : एक तुलना

	चीन	भारत
नया ट्रैक (मार्ग कि. मी.)	13,797	682
ट्रैक को दोहरा करना	9,400	1,519
विद्युतीकरण	8,975	5,192
निवेश (बिलियन डालर)	85	17.3
माल (2003-04) (बिलियन एनटीकेएम)	1,724	381
यात्री (2003-04) (बिलियन पीकेएम)	478	541

निवेश

9.2.10 दसवीं योजना के प्रारंभिक वर्षों में पुरानी पड़ गई परिसंपत्तियों को बदलने में विशाल बकायों को देखते हुए, 17,000 करोड़ रुपए की एसआरएसएफ कायम करने का निर्णय लिया गया था जिसमें 12000 करोड़ रुपए सामान्य राजस्व से प्राप्त होने थे। परिणामस्वरूप, जीबीएस के अनुपात में आठवीं योजना में 23 प्रतिशत, नौवीं योजना में 34 प्रतिशत और वह दसवीं योजना में बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया। एसआरएसएफ के समाप्त होने से जीबीएस में सामान्यतः ग्यारहवीं योजना में इस स्तर से कमी होने की उम्मीद है। तथापि, आर्थिक विकास के पूर्वानुमानित स्तरों और विनिर्माण उत्पादन में तीव्रता की वजह से यह आवश्यक होगा कि रेलवे के क्षमता सुदृढीकरण को यथासंभव अधिकतम सीमा तक जीबीएस से समर्थन प्राप्त हो। ऐसा होने पर भी, आंतरिक संसाधनों (आईआर) और बजटेंतर संसाधनों (ईबीआर) पर अधिक निर्भरता की प्रवृत्ति को, जो दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में देखी गई थी, ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रखने की जरूरत है। इसके लिए, रेल सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पद्धति को क्षमता सुदृढीकरण हेतु आवश्यक निवेश के उच्च स्तरों के वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते नवीन, गैर-परंपरागत कार्यनीतियां तथा विधियां अपनानी होंगी। इस संभावना को देखते हुए कि जुटाए गए अधिशेषों का एक बड़ा भाग छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए, प्रतिस्थापनों और नवीकरणों की बढ़ी हुई जरूरत तथा साथ ही अधिक लाभांश देनदारी की अदायगी हेतु विनिश्चित करना होगा, स्थिति की मांग है कि आईआर और ईबीआर जुटाने के लिए ठोस रूप में प्रयास करने होंगे।

9.2.11 माल और यात्रियों के संबंध में टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाकर संसाधन जुटाव हेतु गुंजाइश में भी वृद्धि करने की जरूरत है, जिससे कि यात्री संघटक के अंदर और माल भाड़े

से यात्री संघटक के लिए भी परस्पर सब्सिडी प्रदान करने की वर्तमान प्रथा को कम किया जा सके। इस समय, माल भाड़े से यात्री सेवाओं के लिए अत्यधिक परस्पर-सब्सिडाइजेशन है। निजी क्षेत्रक भागीदारी के लिए, सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए सहित, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को खोलना होगा। अनुमान है कि पीपीपी से ग्यारहवीं योजना में रेलवे के लिए कुल अपेक्षित 2,15,000 करोड़ रुपए के निवेशों के 9 प्रतिशत से अधिक का योगदान प्राप्त होगा, जो दसवीं योजना में 0.4 प्रतिशत निजी क्षेत्रक हिस्से की तुलना में अत्यधिक वृद्धि है।

नवीकरण, पुनर्वास और प्रतिस्थापना

9.2.12 लगभग 730 मिलियन टन के ट्रैफिक के 2006-07 स्तरों को बनाए रखने के वास्ते विद्यमान परिसंपत्तियों के संबंध में उच्च अनुसंधान मानक प्राप्त करना एक स्पष्ट प्राथमिकतापूर्ण कार्य है। घटी हुई परिसंपत्ति असफलताओं और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सुधरी सुस्था प्राप्त करने के समग्र उद्देश्य के साथ नवीकरणों, पुनर्वास और प्रतिस्थापनों की पूर्ति करनी होगी। समय पर पुनर्वास और प्रतिस्थापनाएं और साथ ही उनकी उपयोगिता स्तरों में सुधार करने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण के वास्ते भी, विद्यमान परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की जरूरत होगी (सतत 2006-07 कीमतों पर)। ऐसी कार्यनीति से रेलवे परिसंपत्तियों के विद्यमान स्तर से श्रुपट में वृद्धि करने में समर्थ हो सकेगी।

क्षमता संवर्धन

9.2.13 एक अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकता, ट्रैफिक में आशान्वित वृद्धि को देखते हुए क्षमता में पर्याप्त रूप से संवर्धन प्राप्त करने की है। अभी तक वृद्धिकारी क्षमता सुदृढीकरण पर बल दिया जाता रहा है। क्षमता संवर्धन संबंधी कार्यनीति में एक बड़े बदलाव की जरूरत को समझते हुए, दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में चुनिंदा ट्रंक (लम्बे) मार्गों पर समर्पित माल गलियारों (डीएफसी) के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। ट्रंक मार्गों पर माल ट्रैफिक को यात्री ट्रैफिक से अलग करके समर्पित माल गलियारों (डीएफसी) के निर्माण की घोषणा के साथ इस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। भारी भीड़-भाड़ वाले मार्गों के साथ डीएफसी के निर्माण के जरिए क्षमता संवर्धन का प्रस्ताव, माल और यात्री क्षेत्र में उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए नई दीर्घावधिक कार्यनीति का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इन डीएफसी के साथ विद्यमान ट्रंक मार्गों पर यात्री सेवाएं भी माल संचलन द्वारा क्षमता की विमुक्ति से लाभान्वित होंगी, किन्तु गति और क्षमता में सुधार करने के वास्ते निवेशों की जरूरत होगी, जिससे कि उपलब्ध मात्रा और यात्री सेवाओं की गुणवत्ता दोनों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो सके (बॉक्स 9.2.2)।

बॉक्स 9.2.2

समर्पित माल गलियारे डीएफसीज़

क्षमता का निर्माण करने तथा सेवाओं की कोटि में सुधार करने के लिए पश्चिमी और पूर्वी मार्गों पर समर्पित रेलवे माल गलियारा परियोजनाएं वर्ष 2006-07 के रेल बजट में शामिल की गई थीं। 1469 कि.मी. का पश्चिमी गलियारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को उत्तर में दादरी और तुगलकाबाद के साथ जोड़ेगा। 1232 कि.मी. का पूर्वी गलियारा दादरी और खुर्जे के रास्ते, लुधियाना को सोननगर के साथ जोड़ेगा। इस प्रकार एक गलियारे से दूसरे गलियारे में तबादला सुकर होगा। क्षेत्र में प्रस्तावित गहन-समुद्र बंदरगाह को जोड़ने के लिए पूर्वी गलियारे का कोलकाता तक और विस्तार किया जाएगा। इन दोनों गलियारों के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 28000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है तथा इन गलियारों को पूरा करने के लिए लगभग पांच वर्ष का समय लगने की संभावना है तथा इसका कार्य ग्यारहवीं योजना के बाद भी चलेगा।

अधिक थ्रूपुट प्राप्त करने तथा प्रचालन की लागत कम करने के लिए डीएफसी का डिजाइन अधिकतम 100 कि.मी. प्रति घंटा की गति से 25 टन एक्सल भार के साथ दोहरी स्टेक कंटेनर रेलगाड़ी चलाने के लिए तैयार किया गया है।

डीएफसी परियोजना कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लि0) स्थापित किया गया है। एसपीवी, अवस्थापना की योजना तैयार करेगा, उसका निर्माण और अनुक्षण करेगा। यह रेलगाड़ियों के प्रचालन के लिए भी जिम्मेदार होगा। रेल मंत्रालय और एसपीवी के बीच संबंध को एक रियायत करार (कनसेशन एग्रीमेंट) में संहिताबद्ध किया जाएगा, जिसे विश्वभर की सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, पूर्व-दक्षिण तथा दक्षिण-दक्षिण मार्गों के संबंध में डीएफसी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत योजना तैयार करने का काम भी शुरू किया जाएगा।

डीएफसी के निर्माण से, प्रचालनों में पर्याप्त बचतों के साथ तथा अवस्थापना के लिए थ्रूपुट में वृद्धि करके, परिवहन की यूनिट लागत कम होगी। सुधरी विश्वसनीयता और सेवा की कोटि के साथ-साथ और अधिक सुचारु तालिका प्रबंधन सहित, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में पर्याप्त सुधार होगा।

उम्मीद है कि पश्चिमी डीएफसी औद्योगिक गलियारे की भी सेवा करेगा, जिसके लिए आवश्यक उपायों की योजना तैयार की जा रही है।

9.2.14 मार्ग के अनुसार आयोजना तैयार करने और कम लागत वाले क्षमता सुधारों के आधार पर अन्य मार्गों पर अतिरिक्त क्षमता, ग्यारहवीं योजना कार्यनीति का एक अन्य कार्यक्रम होगा। मार्ग के अनुसार आयोजना से लाइन और टर्मिनल क्षमता में साथ-साथ वृद्धि होगी क्योंकि प्रायः अपर्याप्त टर्मिनल बाध्यकर बाधाएं हैं, जो रेल संचालन के संयोजन को प्रभावित करती हैं।

9.2.15 दसवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान यात्री और माल दोनों प्रकार के ट्रैफिक में अपार वृद्धि तथा ग्यारहवीं योजना में पूर्वानुमानित वृद्धि से, रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता एक प्रमुख कारक होगी। विद्यमान उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा, रेल कोचों, लोकोमोटिवों और वैगनों के लिए नई उत्पादन सुविधाओं की जरूरत होगी। इन नई उत्पादन सुविधाओं को श्रेष्ठ कोटि के लोकोमोटिव, कोच और वैगन व अन्य रोलिंग स्टॉक विनिर्मित करने के लिए समर्थ बनना होगा।

9.2.16 सभी क्षमता संवर्धन परियोजनाओं के, डीएफसी सहित, सफल कार्यान्वयन के लिए, एक महत्वपूर्ण इनपुट, निर्माण एजेंसियों और अर्हताप्राप्त मानव संसाधनों की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता की उपलब्धि है। देश में पर्याप्त जागरूकता पैदा करनी होगी, जिससे कि समुचित एजेंसियां, जैसे कि तकनीकी संस्थान व निर्माण उद्योग आवश्यक तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने के काम के लिए तैयार हो सकें तथा संयुक्त उद्यमों आदि के जरिए

आवश्यक क्षमताएं प्राप्त कर सकें। स्वीकार्य जोखिम प्रोफाइलों के साथ वित्तीय रूप से सक्षम "निर्भर योग्य" परियोजनाओं का, विनियमन के प्रति एक निश्चित व व्यापक दृष्टिकोण के साथ-साथ विनिर्धारण करना जरूरी होगा, जिसके तहत विनियामक संस्थानों की भूमिका और कार्यक्षेत्र तथा कुल मिलाकर विधायी व सरकार की कार्यपालिका और उपभोक्ताओं के साथ उनके संबंधों का विनिर्धारण करने की जरूरत होगी।

अल्पावधि में क्षमता संवर्धन के संबंध में कार्यनीति

9.2.17 अल्पावधि में कार्यनीति के अंतर्गत, मांग में दिशा संबंधी और सामयिक भिन्नताओं का समाधान करके विद्यमान क्षमता के अधिकतम उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। परंपरागत रूप से खाली रहने वाली दिशा में ट्रैफिक का सृजन करने और विभेदक कीमत पद्धति अपनाकर मांग में मौसमी उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करने के लिए हाल ही में किए गए उपायों को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा प्रतिक्रिया प्रणाली को संस्थागत बनाया जाना चाहिए ताकि नीति व प्रचालन प्रतिक्रियाएं गतिशील और नम्य हों।

9.2.18 दूसरी महत्वपूर्ण कार्यनीति, विनिर्धारित खनिज मार्गों और डीएफसी के सहायक मार्गों में निवेश करने की होगी। परिकल्पना की गई है कि 6973 कि.मी. के पूरे लौह अयस्क मार्ग को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 25 टन एक्सल भार

वाली रेलगाड़ियां चलाने के लिए स्तरोन्नत किया जाएगा। यह कार्य दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में पहले ही शुरू हो चुका है। साथ-साथ ट्रैक और पुल संरचनाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। यह भी परिकल्पना की गई है कि डीएफसी को मिलाने वाले विद्यमान 4220 कि.मी. सहायक मार्गों को 25 टन एक्सल भार वाले मार्गों में स्तरोन्नत किया जाएगा। विनिर्धारित खनिज मार्गों में निवेश किए जाने से, अपेक्षित रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता के साथ-साथ 25 टन एक्सल भार में बदलना संभव होना चाहिए।

9.2.19 अंततः, सिगनलिंग सुधारों, जैसे कि ऑटोमेटिक सिगनलिंग, मध्यवर्ती ब्लाक सेक्शन लागू करने, ब्लाक-पूफिंग एक्सल काउंटर्स, ट्रैक सर्कटिंग आदि में निवेश से, उच्च शक्ति वाले लोकोमोटिव लागू होने के साथ-साथ, अत्यावधि में कम लागत पर अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होगा। इसके अलावा, विद्यमान में 2.6 से लगभग 4 के टेयर अनुपात के उच्च पे लोड के साथ सुधरे वैगन, अत्यावश्यक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए, जल्द से जल्द लागू किए जाने चाहिए। ट्रैक मशीनों में निवेश करके ट्रैक के मशीनीकृत अनुसंधान में बदलाव करने से भी ट्रैक के मनुष्यों द्वारा अनुसंधान में बद्ध कुछ क्षमता मुक्त हो जाएगी। परंपरागत असफलताओं में कटौती करना भी अंतरिम अवधि के दौरान लाइन क्षमता सुधारने की कार्यनीति का एक भाग होगा।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

9.2.20 रेलवे क्षेत्रक के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकीय विकास के साथ चलने के लिए प्रौद्योगिकी का सतत रूप से उन्नयन करना आवश्यक है। उन पर बताए गए उपाय अपनाने के अलावा, लम्बी रेलगाड़ियां प्रारंभ करने और कोच क्षमताओं के इष्टतम उपयोग जैसे उपायों का पूर्णतः पता लगाया जाना चाहिए।

9.2.21 माल और यात्री रेलगाड़ियों के बीच गति की भिन्नता को, उच्च गति वाला माल स्टॉक शामिल करके तथा भाड़ा टर्मिनलों को उन्नत करके, कम किया जाना चाहिए ताकि मध्यावधि में अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की जा सके और साथ ही भाड़ा व्यवसाय में सेवा की विश्वसनीयता में वृद्धि हो सके।

9.2.22 सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सेवाओं और कार्यकुशलता में रेलवे के सतत सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को घर पर ही टिकट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगस्त, 2002 में इंटरनेट टिकट प्रणाली लागू की गई थी। प्रारंभ में इसे दिल्ली में शुरू किया गया था, जिसे अब 200 से अधिक शहरों में लागू कर दिया गया है। इसका अलावा, दो रेलगाड़ियों में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर सितम्बर, 2005 में ई-टिकट पद्धति लागू

की गई थी, जिसका विस्तार अब सभी रेलगाड़ियों में कर दिया गया है। दिसम्बर, 2005 में इंटरनेट के जरिए "तत्काल" टिकटों की बुकिंग भी प्रारंभ की गई थी। आरक्षित, अनारक्षित और उपनगरीय टिकटों के संबंध में "घर पर ही टिकट" की अवधारणा का और विकास करना होगा। वास्तविक समय आधार पर एक एकीकृत रेलवे सूचना पद्धति का विकास और कार्यान्वयन किया जाएगा ताकि रेल के संचलन, टिकट व्यवस्था अन्य सुविधाओं के बारे में स्टेशन और रेलगाड़ियों में प्रदर्शन पद्धतियों तथा विविध मीडिया के जरिये भी जानकारी प्रदान की जा सके।

9.2.23 "फ्रेट आपरेशन इन्फोर्मेशन सिस्टम (एफओआईएस)", जिसे प्रारंभ में 1984 में मंजूर किया गया था, 1998-2003 में विस्तारपूर्वक संवीक्षा करने के बाद सही ढंग से शुरू किया गया तथा विनिर्धारित दो माड्यूलों में से पहला माड्यूल अर्थात् "रेल प्रबंधन पद्धति" पूरी तरह से कार्यान्वित और चालू हो गया। द्वितीय माड्यूल, अर्थात् "टर्मिनल प्रबंधन पद्धति" के 489 स्थानों पर लागू होने से एमओआईएस के कार्यान्वयन दूसरे चरण में पहुंच गया है तथा अब ग्राहकों को इसके लाभ प्राप्त होने लगेंगे। एफओआईएस का विस्तार सभी लदान केन्द्रों तक करना होगा तथा ग्राहक सूचना पद्धतियों, तुला सेतु आदि के साथ तालमेल कायम करना होगा। उम्मीद है कि यह कार्य इस योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाएगा।

9.2.24 कोच शौचालय रेलवे परिसरों में असंतोषजनक स्वच्छता का मुख्य स्रोत हैं। रेलगाड़ी के रेलवे स्टेशन परिसर पर खड़े होने के समय शौचालय से डिस्चार्ज को रोकने के उद्देश्य से यात्री गाड़ियों में गति चालित नियंत्रित शौचालय तथा बायोडिग्रेडेबिल शौचालय प्रारंभ किए जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के सहयोग से, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पूर्णतः पर्यावरण-अनुकूल शौचालय निर्मित करने के लिए देशज प्रौद्योगिकी विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि कोच शौचालयों से डिस्चार्ज से रेलवे ट्रैक के साथ-साथ अस्वस्थकर स्थिति पैदा न हो।

भावी मार्ग

9.2.25 रेलवे की बड़ी संख्या में परियोजनाएं चल रही हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए विशाल निधियों की जरूरत है (बॉक्स 9.2.3)। विभिन्न श्रेणियों के तहत इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकताएं निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैं (9.2.3)। वर्तमान कीमतों पर भविष्य में कुल लगभग 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। दसवीं योजना के शुरू में स्थिति की तुलना में अधिकतम वृद्धि नई लाइनों और दोहरा करने के क्षेत्रों में हुई है।

बॉक्स 9.2.3 आगे बढ़ाना

प्रचालनात्मक जरूरत के परिणामस्वरूप, लाइनों को दोहरा करने, विद्युतीकरण और गाँज परिवर्तन के कार्य को एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उपलब्ध साधनों की तंगी के कारण, अन्य भावी कार्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा निश्चित करना संभव नहीं है। तथपि, नई लाइनों के काम को, जिनका पूर्वानुमानित मूल्य में हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है, दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में प्राथमिकतापूर्ण श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे कार्यों के लिए किया जाए, जिनके लाभ तुरंत प्राप्त हों तथा जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी पूरा करें। इसलिए, सभी लंबित कार्यों को उनके महत्व के अनुसार चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था और "अंतिम चरण" वाली परियोजनाओं, "प्रचालन की दृष्टि से आवश्यक" परियोजनाओं, सामरिक महत्व की परियोजनाओं तथा लागत-हिस्सेदारी आधार पर शुरू की गई परियोजनाओं के लिए अधिक परियोजनाओं की व्यवस्था की जा रही है। इसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं, जबकि भौतिक उपलब्धियाँ वित्तीय परियोजनाओं के, विशेष रूप से गाँज परिवर्तन कार्यों के संबंध में अनुरूप हैं।

तालिका 9.2.3 परियोजनाओं की प्रगति

परियोजनाओं की किस्म	अनुमानित	
	(कि.मी.)	(करोड़ रुपए)
नई लाइनें	8132	31,519
गाज परिवर्तन	7148	10,417
दोहरा करना	3213	7,314
विद्युतीकरण	1,952	1,080
ट्रैफिक सुविधा कार्य	325	2044
	संख्या	
महानगर परिवहन परियोजनाएं	-	3,820
जोड़		56194

टैरिफ विनियमन पद्धतियाँ

9.2.26 भारतीय रेलवे ने अपनी लेखांकन नीतियों और प्रथाओं की समीक्षा करने तथा एक पूर्णतः कंप्यूटरीकृत लेखांकन और प्रबंधन सूचना पद्धति लागू की है ताकि लागत संबंधी डाटा वाणिज्यिक आधार पर प्राप्त हो सकें। इसका उद्देश्य, विभिन्न प्रचालनों और मार्गों की लाभप्रदता का अनुमान लगाना, विपणन प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने के वास्ते विनिर्दिष्ट लागत जानकारी उपलब्ध कराना तथा इनपुट लागतों की तुलना में टैरिफों की इंडेक्सिंग को सुलभ कर बनाना है।

9.2.27 भारत में किराया-भाड़ा अनुपात, अर्थात् प्रति कि.मी. यात्री किराया का और प्रति टन कि.मी. भाड़ा दर का अनुपात विश्व में सबसे कम है जिससे माल से यात्री किराए के लिए


परस्पर सब्सिडाइजेशन की सीमा का पता चलता है। (बाक्स 9.2.4) इसके अलावा, अत्युत्तम (प्रीमियम) यात्री सेवाएं वित्तीय श्रेणी की तुलना में अत्यधिक ऊंची कीमत वाली हैं। यह कोई व्यवहार्य कार्यनीति नहीं है क्योंकि प्रीमियम संघटक के संबंध में रेलवे की हवाई यातायात के साथ प्रतिस्पर्धा है तथा एयरलाइन क्षेत्रक अत्यंत स्पर्धी है। यात्री किरायों के अंदर और यात्री तथा माल भाड़े के बीच परस्पर सब्सिडाइजेशन को कम करने की अब तत्काल आवश्यकता है। किसी भी स्थिति में रेलवे को ट्रैफिक की सभी विधियों और श्रेणियों में लागत के साथ भाड़े के तालमोल की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

9.2.28 लागतों के संबंध में और अधिक विश्वसनीय व वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध होने से, यात्री सेवाओं और साथ ही माल सेवाओं के संबंध में भी, अलग-अलग सेवाओं के लिए लागतों का अनुमान लगाने के वास्ते एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध होगा। इसलिए, अआर्थिक लाइनों और उप-शहरी सेवाओं के कारण अपरिहार्य हानियों के संगत मुद्दों को ध्यान में रखने के बाद, एक तर्कसंगत आधार पर रेल भाड़े निश्चित करने के लिए एक ट्रैफिक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना अगला तर्कसंगत उपाय होगा।

संभारतंत्रीय समाधान

9.2.29 रेलवे को, बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप उत्पन्न नए ट्रैफिक को आकर्षित करने के वास्ते एकीकृत बहु-माडल परिवहन प्रणाली में एक बढ़ती हुई भूमिका निभानी है। इसकी प्राप्ति के वास्ते रेलवे को, यूनिट लागतों में कमी करने तथा श्रेष्ठ किस्म की सेवाएं प्रदान करने के अलावा, अपने माल ग्राहकों के लिए पूर्ण संभारतंत्रीय समाधान प्रदान करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बंधुआ भंडारगृहों, संभारतंत्रीय प्रसंस्करण, वस्तु अनावरण और संभारतंत्रीय वितरण को एकीकृत करके संभारतंत्रीय उद्यान (पार्क) विकसित करने का प्रस्ताव है। प्रमुख रूप से आयात/निर्यात

बॉक्स 9.2.4 विश्व रेलवे का भाड़ा-माल अनुपात



Source: World Bank Study.

संभारतंत्रिय वितरण का विकास करने का लक्ष्य है ताकि अंतर्राष्ट्रीय खरीद, तृतीय पक्ष और चतुर्थ पक्ष संभारतंत्रिय कंपनियों और संभारतंत्रिय एजेंसियां सुकर हो सकें।

9.2.30 इसके अलावा, राज्य सरकारों और रेलवे के बीच संयुक्त उद्यमों, पीपीपी और सीधी निजी क्षेत्रक भागीदारी के जरिए महत्वपूर्ण रेल स्थलों पर अथवा उनके आस-पास संभारतंत्रिय हब विकसित किए जा सकते हैं। पृष्ठक्षेत्र में कृषि-औद्योगिक उत्पाद को आकर्षित करने तथा कवर हुए क्षेत्रों में उद्योगों के लिए बाजार तक सुलभता का विस्तार करने के लिए इन हबों को महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित किया जाएगा। इन हबों का विकास लघु-माल ग्रामों अथवा संभारतंत्रिय उद्यानों के रूप में किया जा सकता है, जो कारोबार पर निर्भर करता है। बड़े कारोबार की स्थिति में अनेक मूल्यवर्धित सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है जैसे कि भंडारागृह, प्रशीतित भंडारगृह, क्रेन व अन्य हैंडलिंग सुविधाएं, पैकिंग/पुनःपैकिंग, असेम्बली, मरम्मत, अनुरक्षण, वित्तीय सेवाएं, कृषि मार्ट्स और इलेक्ट्रानिक केन्द्र। इन हबों का 24-7 सेवा केन्द्रों के आधार पर "निर्मित करो-मालिक बनो और प्रचालित करो (बीओओ)" के आधार पर पीपीपी के माध्यम से विकास किया जा सकता है। संभारतंत्रिय हबों के प्रोन्नयन और विकास के लिए रेलवे को एक अहम भूमिका निभानी चाहिए तथा प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों और संभारतंत्रिय सेवा प्रदाताओं को शामिल करके परामर्श तंत्र स्थापित करना चाहिए। ऐसे मंच से रेलवे को दीर्घावधिक आधार पर क्षमता संवर्धन के लिए योजना तैयार करने

में भी मदद मिलेगी।

उच्च गति की यात्री सेवाएं

9.2.31 ग्यारहवीं योजना की कार्यनीति के अंतर्गत, यात्री व्यवसाय के क्षेत्र में, विशेष रूप से यात्री गाड़ियों की वाणिज्यिक गति बढ़ाकर और वर्तमान में 110/130 कि.मी. प्रति घंटे की गति को 150 कि.मी. प्र. घंटे की अधिकतम गति के साथ महानगरीय नगरों के बीच तीव्र सेवाएं प्रारंभ करके, दूरवर्ती और मध्यम दूरी के संघटक में, रेल भागीदारी को सुदृढ़ किया जाएगा। चुनिंदा मार्गों पर उच्च गति के गलियारों का विकास करने का पता लगाया जाएगा, जो उच्च गति के यात्री परिवहन के लिए एक पर्यावरणीय-अनुकूल समाधान है। यह कार्य पीपीपी माध्यम के जरिए किया जाएगा। "मेमु" और "डेमु" रैकों का उपयोग करके यात्री सेवाएं प्रदान करने में तेजी लाने पर अधिक उत्साह के साथ बल दिया जाएगा। रेलगाड़ियों को सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में 24 कोचों तक सुदृढ़ किया जाएगा।

टर्मिनल सुविधाएं

9.2.32 टर्मिनल क्षमता, यात्रियों और मालगाड़ियों के प्रवाह को प्रभावित करने वाली वाहन क्षमता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। जब तक टर्मिनल बाधाएं दूर नहीं होती तब तक लाइन क्षमता कार्यों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। भारतीय रेलवे को एक विश्व-श्रेणी रेलवे पद्धति बनाने के उद्देश्य से टर्मिनल सुविधाओं में पर्याप्त सुधार करने की जरूरत है।

बॉक्स 9.2.5 सरकारी-निजी भागीदारी

आज की स्थिति में भारतीय रेलवे की बड़ी संख्या में अपूर्ण परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए लगभग 65000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। भारतीय रेलवे के भावी विकास की जरूरतों को पूरा करने के वास्ते और नई निवेश परियोजनाओं की जरूरत होगी जिनके लिए बड़ी मात्रा में निधियों की जरूरत है। कार्य की मात्रा विशाल है तथा उसकी उपेक्षा किए जाने से गंभीर क्षमता सीमाएं उत्पन्न होंगी, जिनका प्रतिस्पर्द्धात्मकता और अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अनुमान है कि भारतीय रेलवे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अपनी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आंतरिक तौर पर, उधारों के जरिए और बजटीय सहायता से पर्याप्त निधियां जुटाने में समर्थ नहीं होगी। कमी को पीपीपी परियोजनाओं में निजी निवेशों के माध्यम से पूरा करना होगा। भारतीय रेलवे के साथ भागीदारियों के परिणामस्वरूप सृजित विनिर्माण सुविधाओं में उनके निवेश के जरिए भी निजी क्षेत्रक से अतिरिक्त निवेश की उम्मीद है। उम्मीद की जाती है कि कुल मिलाकर निजी क्षेत्रक द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 20,000 करोड़ रुपए के मूल्य का निवेश किए जाने की उम्मीद है।

कंटेनर संचलन के क्षेत्र में प्रतियोगिता लागू करने के निर्णय के बाद इस संघटक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी का बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है। आवश्यक एमसीए को अंतिम रूप दे दिया गया है, 15 पक्षकारों के साथ जनवरी, 2007 में करारों पर हस्ताक्षर किए गए तथा स्कीम को सात नए आपरेटरों के साथ, "कानकोर" को छोड़कर, लगभग 30 नए रैकों का उपयोग करके प्रचालनों की शुरूआत करके, स्कीम को प्रचालित कर दिया गया है।

रेलवे से उपयुक्त गारंटियां तथा प्रतिबद्धताएं प्राप्त करके इस नीति पर और आगे अमल करने की जरूरत है, जिससे कि निजी प्रचालक मूल्यवर्धित कंटेनर सेवाएं प्रदान करने और आईसीडी तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) जैसी कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं में निवेश करने में समर्थ हो सकें। कंटेनर संभारतंत्र क्षेत्र में निजी निवेश प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे की ओर से मार्गस्थ समय और सुलभता प्रभाओं के संबंध में दीर्घावधिक प्रतिबद्धताओं की जरूरत होगी।

अनेक पीपीपी माडल विनिर्धारित किए गए हैं जिन पर और आगे कार्यवाई करने की जरूरत है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : बहु-माडल संभारतंत्रिय पार्क, प्रमुख माल और यात्री टर्मिनलों का उन्नयन, पुलों पर सड़कों का निर्माण, रेलवे ओएफसी नेटवर्क, छुट-पुट पार्सलों का वैगनों में सुदृढ़ीकरण तथा रेल भार आदि। पीपीपी के जरिए 22 रेलवे स्टेशनों का विश्व श्रेणी के स्टेशनों में पुनः विकास का एक कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है।

विश्व स्तरीय स्टेशन

9.2.33 अधिकांश रेलवे स्टेशन और भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री टर्मिनलों का निर्माण अनेक वर्षों पहले किया गया था तथा उनमें यात्रियों की हैंडलिंग में अत्यंत आधारभूत अपर्याप्ताएं हैं। क्योंकि स्टेशन, नगरों के मध्य में महत्वपूर्ण जमीन पर स्थित हैं इसलिए वहां संपत्ति की विकास क्षमता के एक भाग का लाभ उठाकर उनके पुनः विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। पीपीपी माध्यम से 22 स्टेशन विनिर्धारित किए गए हैं, जो बड़े महानगरों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर स्थित हैं। नई दिल्ली और पटना स्टेशनों के संबंध में प्रारंभिक कार्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके प्रारंभ किया जा चुका है।

बचाव और सुरक्षा

9.2.34 प्रौद्योगिकी साधनों का उन्नयन करके और साथ ही मानव निर्भरता को कम से कम करते हुए, परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता में सुधार करके, सुधरी सुरक्षा सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त की जा सकती है। टकराव-रोधी यंत्रों का प्रयोग करके टकराव को समाप्त करना, अग्नि कांडों को कम करने के लिए अग्नि बचाव कोच लागू करना, दुर्घटना की स्थिति में मौतों को कम करने के लिए दुर्घटना-सह्य कोच अपनाना और लेवल क्रॉसिंग दुर्घटनाओं को कम करना इस योजना के अंग हैं। परिसंपत्तियों के प्रचालन और अनुरक्षण में बेहतर दक्षताएं प्रदान करने के वास्ते और अधिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी योजना के दौरान ध्यान दिया जाएगा। सामान्य रूप से यात्रियों की और विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से, रेलवे सुरक्षा बल को आधुनिक उपस्कर और आग्नेय अस्त्र उपलब्ध कराकर और साथ ही बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके तथा सूचना पद्धति उन्नयन करके, सशक्त बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

ग्यारहवीं योजना के लिए भौतिक लक्ष्य

माल ट्रैफिक

9.2.35 ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में ओरिजिनेटिंग माल के संबंध में 1100 मिलियन टन और परिवहन आउटपुट के संबंध में 702 बीटीकेएम माल ट्रैफिक का पूर्वानुमान लगाया गया है। माल भाड़ा के आवागमन के लिए अनुमान तालिका 9.2.4 में दिए गए हैं।

तालिका 9.2.4

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, नौवीं और दसवीं योजनाओं की उपलब्धियों के मुकाबले माल ट्रैफिक का पूर्वानुमान

	2001-02	2006-07	2011-12
शुरूआती माल (मिलियन)	492.5	728.4 (47.9)*	1,100 (51.0)*
माल टन कि.मी.	332.2	475(43.0)*	702(47.8)*

नोट : *पिछली योजना की तुलना में% वृद्धि

यात्री ट्रैफिक

9.2.36 उम्मीद है कि यात्री ट्रैफिक में लगभग 5.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। यात्री ट्रैफिक के संबंध में पूर्वानुमान निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रचालनों की लागत को कम करने, आकर्षक सेवा पैकेज विकसित करने और ऊपरि श्रेणी को रेल यात्रा का एयरलाइनों के मुकाबला करने के बाजार हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पद्धति अपनाने पर बल दिया जाएगा। (तालिका 9.2.5)

तालिका 9.2.5

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नौवीं और दसवीं योजनाओं की उपलब्धियों की तुलना में यात्री ट्रैफिक का पूर्वानुमान

	2001-02	2006-07	2011-12
शुरूआती यात्री (मिलियन)	5169.3	6352.1 (22.9)*	8,400 (32.2)*
यात्री कि.मी. (बिलियन)	494.2	691.8 (40.0)*	942 (36.2)*

नोट : * पिछली योजना की तुलना में% वृद्धि

9.2.37 गैर-उपनगरीय ट्रैफिक की 8-9 प्रतिशत पूर्वानुमानित वार्षिक वृद्धि को पूरा करने के लिए रेल सेवाओं में वृद्धि करके तथा रेलों की बैठने की क्षमता को सुदृढ़ करके आपूर्ति का विस्तार करना जरूरी होगा। रेलों में कोचों की संख्या 24 तक बढ़ाने का कार्य, जिसे दसवीं योजना के दौरान शुरू किया गया था, जारी रखा जाएगा तथा इसे अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा।

पुल

9.2.38 भारतीय रेलवे के 1,27,768 पुल हैं। इनमें से 44% पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। रेलवे, वार्षिक निरीक्षणों के दौरान पता चली उनकी भौतिक स्थिति के आधार पर पुलों की मरम्मत, पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण का कार्य करेगी।

सिगनलिंग और दूरसंचार

9.2.39 कतिपय मार्गों पर 10,000 से अधिक आरकेएम में अभी भी अप्रचलित ओवरहेड संयोजन-आधारित संचार पद्धति है। इसे जल्द से जल्द ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) और क्वेड केबल-आधारित संचार पद्धति से बदलने की योजना है।

विद्युतीकरण

9.2.40 ग्यारहवीं योजना के दौरान लगभग 3500 कि.मी. ट्रैक का विद्युतीकरण किया जाएगा जो दसवीं योजना की लगभग 1800 कि.मी. की उपलब्धि से लगभग दुगना है।

ऊर्जा प्रबंधन

9.2.41 भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) से गाजियाबाद-कानपुर सेक्शन के

लिए सीधी विद्युत आपूर्ति प्राप्त की गई, इसके फलस्वरूप, 68 करोड़ रुपए के अपेक्षाकृत थोड़े से निवेश के साथ प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये की पर्याप्त बचत प्राप्त हुई। इसके अलावा, रेलवे, मुक्त सुलभ पद्धति के तहत, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से, एनटीपीसी अथवा अन्य विद्युत यूटिलिटीयों से बिजली खरीदने की संभावनाओं का भी पता लगा रही है। बिहार में नबीनगर में, एनटीपीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में 1000 मेगावाट का एक कैप्टिव उत्पादन विद्युत संयंत्र की स्थापना की भी मंजूरी प्राप्त हो गई है, जिसके इसी योजना अवधि के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एक रेलवे उत्पादन यूनिट के लिए कैप्टिव विद्युत उपलब्ध कराने के लिए चेन्नई में एक 10 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

रोलिंग परिसंपत्तियां

9.2.42 प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा रोलिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण रोलिंग परिसंपत्तियों के लिए योजना का एक प्रमुख घटक है। वर्तमान के 21.3 टन एक्सल भार के स्थान पर 22.9 टन एक्सल भार वैगनों को सामान्य तौर पर बदलने से वैगनों की सुधरी भार क्षमता प्राप्त होगी। पेलोड का वैगनों के टैयर अनुपात में सुधार करने के लिए हल्की तथा जंग-रोधी सामग्री की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। आटोमोबाइलों, थोक मात्रा में सीमेंट फ्लाई एश और खतरनाक रसायनों के संचलन के लिए विशेष किस्म के वैगन लागू करने की भी रेलवे की एक योजना है। ग्यारहवीं योजना के दौरान उच्च अश्व-शक्ति वाले लोकोमोटिवों के अनुपात में भी वृद्धि की जाएगी। आवश्यकताएं तालिका 9.2.6 में दर्शायी गई हैं। :

तालिका 9.2.6

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना : रोलिंग स्टॉक के लिए आवश्यकता

	दसवीं योजना		ग्यारहवीं योजना लक्ष्य
	लक्ष्य	वास्तविक	
वैगन (एफडब्ल्यू में संख्या)	65,000	90,554	155,000
इलेक्ट्रिक लोको (संख्या)	343	524	1800
डीजल लोको (संख्या)	444	622	1800
बीजी कोन्वेंशनल	9,160	10789	17,500
ईएमयू/डीईएमयू/एमईएमयू	2,715	1413	5000

महानगर परिवहन परियोजनाएं

9.2.43 मुम्बई जैसे नगर में उपनगरीय सेवाओं को मुख्य लाइन पद्धति से अलग करने की जरूरत होगी। उपनगरीय सेवाओं के अंतर्गत चरम समय सेवाओं में वृद्धि करने और रेलों को 12 कार रैकों तक बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

9.2.44 मुम्बई उपनगरीय सेवाओं पर अत्यंत दबाव है तथा इसे एमयूटीपी कार्यों के भाग के रूप में क्षमता अभिवृद्धि के साथ सुदृढ़ किया जाएगा। वातानुकूलित रेल/कोच शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा, यदि संभव हुआ तो पीपीपी के माध्यम से।

9.2.45 मुम्बई रेल विकास निगम लि0 (एमआरवीसी), टाइप माडल, जिसे मुम्बई परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के चरण-2 के रेल घटक के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार, चरम नकदी घाटा निधियन के आधार पर वित्तपोषित करने के लिए सहमत हो गई है, (एक प्रकार का व्यवहार्यतः अंतर निधियन, जिसके तहत ऋण सेवा देयता और ऋण के परिशोधन के लिए आरोपित अति भार संग्रहण के बीच अंतर का वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है), का परीक्षण चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में अन्य उपनगरीय पद्धतियों के लिए किया जा सकता है। पहले उपाय के रूप में, विद्यमान पद्धति के आधुनिकीकरण और उन्नयन की अनिवार्यता के साथ, इनमें से प्रत्येक उपनगरीय पद्धति के लिए एक पृथक एसपीवी का गठन किया जाना चाहिए।

शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति तथा वरिष्ठ नागरिक

9.2.46 सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में विशेष रूप से डिजाइन किए हुए कोचों की व्यवस्था की जाएगी, जिनमें शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक कंपार्टमेंट, उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए शौचालय होंगे। इसके अलावा, वातानुकूलित स्थान वाली रेलगाड़ियों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वातानुकूलित कंपार्टमेंट की व्यवस्था की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.)

9.2.47 पूर्वोत्तर में सभी राज्यों के लिए रेल संयोजकता की व्यवस्था करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। रेलवे की सामान्य बजटीय सहायता (जीबीएस) से 25% अंशदान के साथ और शेष 75% की व्यवस्था सामान्य राजस्व से अतिरिक्तता के रूप में की जाएगी, पूर्वोत्तर की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए एक समर्पित निधि का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। इन बढ़ी हुई निधियों के साथ रेलवे को सभी मंजूरशुदा कार्यों को ग्यारहवीं योजना अवधि के अंदर पूरा करने को सुनिश्चित बनाने का निर्देश दिया गया है।

संसाधन जुटाना

9.2.48 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु आधारभूत क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण को दसवीं योजना के शुरू में जीडीपी के 5% से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना के अंत में लगभग 9% करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के वास्ते बड़ी मात्रा में निजी मात्रा में निजी

क्षेत्रक भागीदारी अनिवार्य है। निजी क्षेत्रक भागीदारी के लिए विनिर्धारित क्षेत्रकों में सम्मिलित हैं : नई विनिर्माण इकाइयां, बहु-माडल संभारतंत्र पार्क, उच्च गति वाले यात्री गलियारों का निर्माण, कंटेनर आपरेटरों की निजी मिल्कियत वाले रोलिंग स्टॉक को लागू करना, भूमि और हवाई स्थलों का वाणिज्यिक विकास, निजी बंदरगाहों के बंदरगाह संयोजकता कार्य, इस्पात संयंत्रों के लिए अयस्क लाइनें, प्रमुख माल और यात्री टर्मिनलों का उन्नयन, सड़क ओवरब्रिजों का निर्माण और रेलवे ओएफसी नेटवर्क।

9.2.49 पूर्वानुमानित आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए अतिरिक्त आंतरिक संसाधन जुटाने के वास्ते रेलवे, डीएफसी के वित्तपोषण और साथ ही उच्च गति वाली यात्री रेलगाड़ियों चलाने के वास्ते विद्यमान नेटवर्क के उन्नयन हेतु भी यात्रियों पर और साथ ही माल ट्रैफिक पर भी "विकास अति भार" आरोपित करने पर विचार किया जा सकता है।

9.2.50 रेल मंत्रालय के लिए ग्यारहवीं योजना के वास्ते कुल पूर्वानुमानित परिव्यय की राशि 2006-07 कीमतों पर 194,263 करोड़ रुपए है (चालू कीमतों पर 219,717.36 करोड़ रुपए) जिसमें 2006-07 कीमतों पर जीबीएस के 44,263 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं (चालू कीमतों पर 50,063.36 करोड़ रुपए) जिसमें 3750 करोड़ रुपए 2006-07 कीमतों पर (चालू कीमतों पर 4241.36 करोड़ रुपए) उपकर प्रोदभवन सम्मिलित हैं। चालू कीमतों पर जीबीएस का स्कीम-वार विवरण परिशिष्ट (खंड-3) में दिया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान इस क्षेत्रक से 20,000 करोड़ रुपए का निजी क्षेत्रक निवेश आकर्षित किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जम्मू और काश्मीर तथा पूर्वोत्तर की राष्ट्रीय परियोजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जीबीएस की जरूरत होगी तथा यह, विगत की भांति वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी। इससे रेलवे की आवश्यकता पूरी हो जानी चाहिए। तथापि, यदि योजना के आकार में और वृद्धि करने की जरूरत है तो इसे योजना के कार्यान्वयन के दौरान अतिरिक्त आईईबीआर और निजी निवेश जुटाकर पूरा किया जाएगा।

9.3 सड़कें

9.3.1 तीव्र विकास के लिए अवस्थापना हेतु उत्तम रोड नेटवर्क एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इससे दूरवर्ती क्षेत्रों तक संयोजकता उपलब्ध होती है, बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों तक पहुंच सुलभ होती है, पिछड़े क्षेत्रों के लिए व्यापार और निवेश के अवसर प्राप्त होते हैं। सड़कें, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों के साथ संयोजन कायम करके, अंतर-मॉडल परिवहन विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

9.3.2 भारत में 33.14 लाख कि.मी. का विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), (ख) राज्य राजमार्ग (एसएच), (ग) प्रमुख जिला सड़कें(एमडीआर), और (घ) ग्रामीण सड़कें(आरआर), अर्थात् अन्य जिला सड़कें(ओडीआर) व ग्रामीण सड़कें 66,590 कि.मी. की लम्बाई के साथ एनएच के अंतर्गत केवल 2.0 प्रतिशत सड़क नेटवर्क सम्मिलित है किन्तु यह सड़क आधारित ट्रैफिक के 40 प्रतिशत को ढोता है। लगभग 37,000 कि.मी. की लम्बाई के साथ राज्य राजमार्ग और 3,00,000 कि.मी. की लम्बाई के साथ एमडीआर दोनों मिलाकर सड़क परिवहन की गौण पद्धति का निर्माण करते हैं जो देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। गौण पद्धति भी कुल सड़क ट्रैफिक के लगभग 40 प्रतिशत को ढोती है यद्यपि यह कुल सड़क लम्बाई का लगभग 13% है। ग्रामीण सड़कों में, उनके एक बार पर्याप्त रूप से विकसित और अनुरक्षित किए जाने पर, ग्रामीण संयोजकता प्रदान करने की क्षमता है, जो उच्च कृषि आय सृजित करने और आर्थिक व सामाजिक सेवाओं की सुलभता प्रोत्साहित करने के अलावा, उत्पादन रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

9.3.3 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व के बावजूद, सड़क नेटवर्क विभिन्न दृष्टियों से अत्यंत अपर्याप्त है। यह अनेक स्थानों पर उच्च ट्रैफिक घनत्व और उच्च गति को कायम रखने में असमर्थ है तथा इसकी सवारी क्षमता असंतोषजनक है। इसलिए, स्वर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम (एन-एस-ई-डब्ल्यू) गलियारों के शीघ्र कार्यान्वयन के अलावा, एनएच के लम्बे खंडों में गिरावट को दूर करने व सड़क नेटवर्क में अन्य सुधारों को आयोजन प्रक्रिया में उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी है।

दसवीं योजना की समीक्षा

9.3.4 सड़क क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना में 59,490 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले खर्च हुई राशि 42577.43 करोड़ रुपए थी (चालू कीमतों पर 48,593.95 करोड़ रुपए)। कुल मिलाकर वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन संलग्नक 9.3.1 में दर्शाया गया है। स्कीम-वार तथा वर्ष-वार परिव्यय और व्यय संलग्नक 9.3.2 में दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

9.3.5 निरपेक्ष दृष्टि से, आजादी के बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में पर्याप्त प्रगति हुई है। तालिका 9.3.1 में चयनित अवधियों के दौरान विभिन्न उपलब्धियों का विवरण व संलग्नक 9.3.3 में एनएच नेटवर्क में वृद्धि का योजना-वार विवरण दिया गया है।

तालिका 9.3.1
राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में उपलब्धियां

अवधि	कुल लम्बाई* (कि.मी.)	दो लेनों तक चौड़ा करना (कि.मी.)	चार लेनों तक चौड़ा करना (कि.मी.)	पगडंडी को मजबूत करना (कि.मी.)	बड़े पुल (संख्या)
1947-1969	24,000	14,000	शून्य	शून्य	169
1969-1990	33,612	16,000	267	9,000	302
1990-2002	58,112	3,457	1,276	7,000	87
दसवीं योजना (2002-2007)	66,590	4,177	6769 [®]	8,377	611 [#]
कुल	-	37,634	8,312	24,377	1,169

@ 216.62 कि.मी. मार्ग सम्मिलित है, जिसे दसवीं योजना के अंत तक 6/8 लेनों वाला बनाया गया है।

नोट : * अवधि के अंत में लम्बाई।

** 6000 कि.मी. की वे सड़कें सम्मिलित हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल किए जाने के समय पहले से 2 लेन वाली थी।

इनमें वे पुल शामिल नहीं हैं जिन्हें एनएचडीपी के टुकड़ों के तहत एनएचएआई द्वारा निर्मित/पुनरुद्धार किया गया था।

9.3.6 धन की उपलब्धता को देखते हुए, दसवीं योजना के दौरान चार लेन, दो लेन निर्मित करने, सड़कों के सुदृढ़ीकरण और पुलों के निर्माण में प्रगति संतोषजनक है। तथापि, उप-मार्गों के निर्माण में कुछ कमियां हैं, जिसका मुख्य कारण भूमि प्राप्त करने तथा उप-मार्गों के मामले में यूटिलिटियों को स्थानांतरित करने में समय खपाने वाली प्रक्रिया है। तथापि, नेटवर्क में बड़ी कमियां रह गई हैं जो अपर्याप्त क्षमता, अपर्याप्त पगडंडीय मोटार्ई, कमजोर, संकीर्ण और कठिनाइग्रस्त पुल/पुलियां, रेल ओवरब्रिजों (आरओबी) आदि की दृष्टि से हैं। संलग्नक 9.3.1 में दसवीं योजना अवधि के दौरान सामान्य एनएच कार्यों, सीमा सड़क विकास बोर्ड (बीआरडीबी) कार्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कार्यों की समीक्षा और भौतिक लक्ष्य दिए गए हैं।

9.3.7 ऊपर बताई गई प्रगति के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति वह नहीं है जो होनी चाहिए थी। (31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार) कुल लम्बाई का केवल 12.5 प्रतिशत दो लेनों से अधिक चौड़ा है, जिसके फलस्वरूप भारी भीड़ रहती है। उप-मार्गों के निर्माण में कमी, अपर्याप्त क्षमता, अपर्याप्त पगडंडी मोटार्ई, और कमजोर, संकीर्ण व कठिनाइग्रस्त पुल/पुलियां और साथ ही रेल ओवरब्रिज (आरओबी) कुछेक अन्य कमियां हैं। नौवीं और दसवीं योजनाओं के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत बड़े खंडों का एसएच से एनएच में स्तरोन्नयन, यद्यपि प्रभावशाली था, फिर भी सड़क परिवहन की मांग के अनुरूप नहीं रहा तथा उपलब्ध संसाधनों का अनेक स्पर्धी परियोजनाओं के बीच थोड़ा-थोड़ा फैलाव हो गया। (परिणामतः), एनएच नेटवर्क की, विशेष रूप से गैर एनएचडीपी का घटिया अनुरक्षण एवं सवारी गुणवत्ता का रहा। इसके साथ ही पिछली दो योजना अवधियों के दौरान घोषित अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग मानक स्तर से कम थे, जिसके फलस्वरूप समस्या और गंभीर हो गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी)

9.3.8 अवस्थापना संबंधी समिति (सीओआई) ने 2005-2012 अवधि के दौरान एनएच के सुधार और विकास के लिए एक विशाल क्रमवार कार्यक्रम अनुमोदित किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2,36,247 करोड़ रुपए का निवेश परिकल्पित है। यद्यपि, एनएचडीपी के अंतर्गत 2012 तक रियायतें/संविदा अवार्ड किए जाने की परिकल्पना की गई है, तथापि, चरण-3 के एक भाग और चरण 4, 5, 6 और 7 की पूर्णता केवल 12वीं योजना के मध्य तक प्राप्त होने की उम्मीद है।

9.3.9 एनएचडीपी चरण-1 के अंतर्गत, जीक्यू बंदरगाह संयोजकता और एनएचडीपी चरण-2 के एनएस-ईडब्ल्यू गलियारे के अंतर्गत शामिल किए एनएच का 962 कि.मी. सम्मिलित है। जीक्यू के संबंध में सभी कार्य अवार्ड कर दिए गए हैं, किन्तु इसकी पूर्णता में कुछ चूक रह गई हैं। जीक्यू की 5,848 कि.मी. की कुल लम्बाई के मुकाबले 5,602 कि.मी. अर्थात् 95.82 प्रतिशत को चार लेन वाला बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप 244 कि.मी. शेष की पूर्णता होनी बाकी है। जीक्यू के विभिन्न संघटकों की प्रगति तालिका 9.3.2 में दर्शाई गई है।

9.3.10 बंदरगाह संयोजकता परियोजना के अंतर्गत, दस बड़े बंदरगाहों को जोड़ने वाले 380 कि.मी. एनएच का सुधार परिकल्पित है। अभी तक, कांडला, मोरमुगोआ, चरण-1, जेएनपीटी, चरण-1 और विज़ाग बंदरगाहों से संबंधित कार्य पूरा हुआ है। अगस्त, 2007 के अंत तक बंदरगाह संयोजकता की लगभग 159 कि.मी. सड़कों को 4 लेन वाला बनाने व अन्य एनएच के 322 कि.मी. का कार्य पूरा हुआ है। बंदरगाह संयोजकता की लगभग 215 कि.मी. सड़कों व अन्य एनएच के 620 कि.मी. का सुधार कार्य प्रगति पर है तथा बंदरगाह संयोजकता के 6 कि.मी. की लम्बाई और अन्य एनएच के 20 कि.मी. का कार्य अभी अवार्ड किया जाना है।

तालिका 9.3.2
31 अगस्त, 2007 तक स्वर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) के संबंध में प्रगति का गलियारे-वार विवरण

गलियारा	4 लेन वाले की लम्बाई (कि.मी.)	कार्यान्वयन के अधीन		कुल लम्बाई (कि.मी.)
		लम्बाई (कि.मी.)	संविदाओं की संख्या	
दिल्ली-कोलकाता (एनएच2)	1364	89 (92.15)	13	1453
कोलकाता-चेन्नई (एनएच 5, 6 और 60)	1568	116 (93.11)	6	1684
मुम्बई-चेन्नई (एनएच 4,7 और 46)	1251	39 (96.97)	6	1290
दिल्ली-मुम्बई (एनएच 8, 76 और 79)	1419	- (100)	-	1419
जोड़	5602	244 (95.82)	25	5846

नोट : * कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

9.3.11 एनएचडीपी-II के अंतर्गत, अगस्त, 2007 के अंत तक 1418 कि.मी. एनएस-ईडब्ल्यू गलियारे को चार लेनों वाला बनाया गया जबकि कुल लम्बाई 7,300 कि.मी. है (वर्तमान में 7200 कि.मी.) अर्थात् 19.42 प्रतिशत। 4903 कि.मी. की लम्बाई के संबंध में कार्य प्रगति पर है तथा शेष 821 कि.मी. के संबंध में कार्य अभी अर्वाड किया जाना है। एनएस-ईडब्ल्यू गलियारे परियोजना को पर्याप्त रूप से पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2009 है।

9.3.12 दसवीं योजना अवधि के दौरान विनिश्चित लक्ष्यों को पूरा करने में कमियों के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं : भूमि प्राप्ति में देरी, पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करना, आरओबी डिजाइनों के संबंध में रेलवे की मंजूरी प्राप्त करना, यूटिलिटियों का स्थानांतरण, स्थानीय कानून और व्यवस्था समस्याएं तथा कुछ ठेकेदारों द्वारा असंतोषजनक निष्पादन।

9.3.13 एनएचडीपी-III के संबंध में, जिसके अंतर्गत प्रारंभ "निर्मित, प्रचालित और हस्तांतरण" (बीओटी) आधार पर लगभग 10,000 कि.मी. को (बाद में बढ़ाकर 12,109 कि.मी. कर दिया गया) चार/छः लेनों वाला बनाने की परिकल्पना की गई थी, 4,815 कि.मी. को शामिल करते हुए पहला चरण दिसम्बर, 2009 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। एनएचडीपी-III के तहत कुल 126 कि.मी. सड़क को चार लेनों वाला बनाने का काम पूरा हो गया है, कुल 1866 कि.मी. के संबंध में कार्य की प्रगति विभिन्न चरणों पर है तथा कुल 2,823 कि.मी. के संबंध में कार्य अभी अर्वाड किए जाने हैं। एनएचडीपी-III के दूसरे चरण के अंतर्गत, जिसे भी अनुमोदित कर दिया गया है, लगभग 7294

कि.मी. शेष रहती लम्बाई के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना सम्मिलित है तथा इसे दिसम्बर, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

9.3.14 20,000 कि.मी. को पटरी के साथ चौड़ा करके दो लेन वाला बनाने की एनएचडीपी-IV परियोजना के संबंध में तथा एनएचडीपी-VII के संबंध में भी अनुमोदन लंबित है, जिसके अंतर्गत बड़े शहरों की रिंग रोडों और उप-मार्गों, फ्लाईओवरों आदि का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

9.3.15 एनएचडीपी-V के अंतर्गत, छः लेन वाला बनाए जाने वाले 6,500 कि.मी. में से, 148 कि.मी. को शामिल करते हुए 2 परियोजनाएं अर्वाड की जा चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप 31 अगस्त, 2007 तक की स्थिति के अनुसार 6,352 कि.मी. के संबंध में अर्वाड किया जाना शेष है।

9.3.16 एनएचडीपी-VI, को भी अनुमोदित कर दिया गया है, जो कि नए संयोजन के साथ पूर्ण सुलभता नियंत्रण के साथ, 1000 कि.मी. एक्सप्रेसवेज के निर्माण से संबंधित है। एनएच-8 पर वड़ोदरा-मुम्बई गलियारे को (400 कि.मी.), जो कि सर्वाधिक घनत्व वाला गलियारा है, प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा इसे संभवतः 2008-09 तक अर्वाड कर दिए जाने की संभावना है। शेष 600 कि.मी. का चयन ट्रैफिक मात्रा के आधार पर विनिर्धारित अन्य उच्च घनत्व वाले गलियारे मार्गों में से किया जाएगा। एनएचडीपी व अन्य सड़कों के भौतिक प्राचलों की स्थिति, बंदरगाह संयोजकता परियोजनाओं सहित, तालिका 9.3.3 में दर्शाई गई है।

9.3.17 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनुमोदित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), जिसके अंतर्गत लगभग

तालिका 9.3.3
31 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार एनएचडीपी तथा अन्य एनएचएआई परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना	कार्यान्वयन के अधीन				अभी अवार्ड किया जाना है
	लम्बाई (कि.मी.)	पहले से 4 लेने वाली	लम्बाई (कि.मी.)	ठेकों की संख्या	
स्वर्ण चतुर्भुज	5,846	5,602	244	25	-
उत्तर-दक्षिण/पूर्व-पश्चिम	7,300	1,418	4,903	148	821
बंदरगाह संयोजकता	380	159	215	8	6
अन्य	962	322	620	16	20
एनएचडीपी III ए	4,000	126	1866	31	2,008
एनएचडीपी V	6,500	-	148	2	6,352
जोड़	24,988	7627	7,996	230	9,207

7616 कि.मी. लम्बाई वाली सड़कों का सुधार परिकल्पित है (3251 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 4365 कि.मी. राज्य सड़कें/सामरिक महत्व की सड़कें), बाद में बढ़ाकर सड़कों की लम्बाई 8737 कि.मी. कर दी गई (3846 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 4891 कि.मी. राज्य सड़कें/सामरिक महत्व की सड़कें)। इसे दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। एसएआरडीपी के चरण "ए" का कार्यान्वयन, जिसकी कुल लम्बाई 2304 कि.मी. है तथा 6433 कि.मी. के संबंध में चरण "बी" के अंतर्गत डीपीआर के निर्माण के संबंध में कार्रवाई शुरू करने का भी अनुमोदन कर दिया गया है। विभिन्न प्रस्तावों के दोहरेपन से बचने को सुनिश्चित करते हुए तथा एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत अलग-अलग उप-परियोजनाएं मंजूर करने के लिए, कार्यक्रम के समन्वयन हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त अंतर-मंत्रालीय समिति (एचपीसी) गठित की गई है। एचपीसी ने, मुख्यतः असम, मणिपुर और सिक्किम को कवर करते हुए, 1424 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 571 कि.मी. लम्बाई के संबंध में अभी तक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। अन्य टुकड़ों के संबंध में डीपीआर तैयार की जा रही है। पूर्वोत्तर में सड़क संयोजकता की इस महत्वपूर्ण पहल के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान 9562 करोड़ रुपए का (चालू कीमतों पर 10814.83 करोड़ रुपए) प्रावधान किया गया है।

9.3.18 कार्यों की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी किया जाता है ताकि कठिनाइयों को दूर किया जा सके। संविदाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार करने के वास्ते अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें से कुछेक का उल्लेख बॉक्स 9.3.1 में किया गया है।

राज्य राजमार्ग तथा प्रमुख जिला सड़कें

9.3.19 द्वितीयक नेटवर्क की वर्तमान स्थिति तथा विकास के स्तर में विभिन्न राज्यों के बीच काफी भिन्नताएं हैं। यद्यपि, आकार की दृष्टि से उचित है किन्तु एसएच और एमडीआर की कोटि विशेष रूप से चिंताजनक है। इसका मुख्य कारण यह है कि द्वितीयक पद्धति के विकास के लिए निधियां अत्यंत अपर्याप्त हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के लिए उनके विकास हेतु केन्द्रीय स्तर पर समुचित निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, तथा ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य स्तर पर कुछ हिस्सा प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में, सड़कों की द्वितीयक पद्धति की अवहेलना होती है।

9.3.20 परिणाम यह है कि विद्यमान एसएच और एमडीआर में निम्नलिखित दृष्टियों से अनेक कमियां हैं: (1) ट्रैफिक की मांग की तुलना में मार्ग की अपर्याप्त चौड़ाई, (2) कमजोर पटरियां तथा पुल, (3) नगरों/शहरों के बीच से गुजरने वाले एचएच और एमडीआर के भीड़-भाड़ वाले टुकड़े, (4) घटिया सुरक्षा विशेषताएं तथा सड़क ज्यॉमिति और पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्र में अपर्याप्त चौड़ाई निर्माण, (5) संयोजनों और पुलों की कमी, और (6) अनेक रेलवे लेवल क्रॉसिंग, जिन्हें तत्काल आरओबी/आरयूबी द्वारा बदले जाने की जरूरत है।

9.3.21 ट्रैफिक में वृद्धि, वाहनों की ओवरलोडिंग और सड़क अनुसूक्षण हेतु निधियों के अभाव के कारण विद्यमान सड़क नेटवर्क पर भारी दबाव है। एक सामान्य आकलन से पता चलता है कि 50% से अधिक एसएच और एमडीआर नेटवर्क पर सवारी क्षमता की कोटि घटिया है। एक आकलन के अनुसार, सड़कों की घटिया स्थिति के कारण हानियां लगभग 6000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो सकती है।

बाक्स.9.3.1**गुणतापूर्ण सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए की गई पहलें/उपाय**

- विधि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भूमि के अधिग्रहण के लिए मानक प्रारूप, जिसके आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग (डीओआरटीएच) भूमि अधिग्रहण के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर कार्रवाई करेंगे।
- निर्माण-पूर्व कार्यकलापों में समस्याओं का समाधान करने के लिए, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष रूप से राज्य सरकारों के विशिष्ट रूप से पदनामित नॉडल अधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- सीओआई के निर्णय के अनुसरण में, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी स्थानान्तरण, पर्यावरणीय स्वीकृति आदि के संबंध में अन्तर-मंत्रालयीय और केन्द्र-राज्य मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई है।
- रेल ओवरब्रिज (आरओबी) के जल्द निर्माण के लिए मेसर्स 'इरकॉन' के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- निर्माण कार्य और परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए मार्गनिर्देशों को सम्मिलित करते हुए, एनएचएआई द्वारा जुलाई 2006 में संकलित कार्य मैनुअल, संविदाओं की प्राप्ति और प्रबंधन का, पीपीपी परियोजनाओं के तहत कार्यों सहित, मार्गदर्शन किया जायेगा।
- चूककर्ता सिविल ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है : 14 संविदाओं को समाप्त कर दिया गया तथा 17 ठेकेदारों को गैर-निष्पादनकर्ता घोषित कर दिया गया।
- सिविल कार्यों के संबंध में उत्तम डीपीआर का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा, 10 प्रतिशत निष्पादन गारंटी और देरी व 15 प्रतिशत से अधिक मात्राओं में भिन्नता के लिए दण्ड की व्यवस्था।
- डीपीआर परामर्शदाताओं को अब परियोजना कार्यान्वयन यूनितों (पीआईयू), एचएचएआई, स्थानीय अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के साथ डीपीआर के निर्माण के प्रत्येक स्तर पर-क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय करना आवश्यक है। परियोजना आवश्यकताओं, समय की पाबंदी और विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए डीपीआर की प्रूफ परामर्शदाताओं द्वारा समीक्षा।
- तकनीकी समन्वयन के लिए सिविल संविदा प्रदान किए जाने के बाद कम से कम तीन से चार महीने की अवधि के लिए डीपीआर परामर्शदाताओं के कतिपय प्रमुख कार्मिकों को अनिवार्य रूप से जारी रखने के लिए डीपीआर संविदाओं में व्यवस्था।
- संयुक्त उद्यम (जेवी) भागीदारों द्वारा संयुक्त उद्यम में उनकी भागीदारी की सीमा तक प्रत्येक भागीदार के बैंक खाते से अलग-अलग निष्पादन प्रतिभूति की अनिवार्य रूप से प्रस्तुति।
- ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याज वाले विवेकाधीन अग्रिम की मंजूरी, समान राशि की बैंक गारंटी के विरुद्ध प्रतिधारण राशि जारी करके, अग्रिमों की वसूली के आस्थगन (ब्याज आधार पर) और न्यूनतम अन्तरिम अदायगी प्रमाणपत्र (आईपीसी) राशि में ढील देकर ठेकेदारों की नकदी प्रवाह समस्याओं में सुधार करने के लिए उपाय किए गए हैं।

9.3.22 यद्यपि, अनेक राज्यों ने सड़कों की क्षमता में वृद्धि करने और पुलों की व्यवस्था करने, आरओबी तथा उप-मार्गों के वित्तपोषण हेतु निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहित और आकर्षित करने के लिए प्रयास किए हैं, तथापि, दसवीं योजना के दौरान राज्य सड़कों से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में संसाधन एक प्रमुख बाधा रही है। अन्य बाधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

संसाधनों का छितराव : उपलब्ध संसाधनों के अंदर आयोजित की जाने वाली परियोजनाओं से अधिक की मंजूरी जिसके फलस्वरूप उपलब्ध निधियों का छितराव हो जाता है और परिणामतः समय और लागतों में वृद्धि होती है।

निर्माण-पूर्व कार्यकलापों में देरी : कभी-कभी परियोजना के लिए पूरी ज़मीन प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य अवाह्य कर दिए जाते हैं। इससे पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने और यूटिलिटियों के स्थानांतरण/हटाने पर प्रभाव पड़ता है।

ठेकेदारों द्वारा कमजोर प्रबंधन : यद्यपि संविदाकारी उद्योग द्वारा आधुनिकतम उपस्कर और उत्तम तकनीकी व प्रबंधकीय स्टाफ प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, तथापि परियोजना प्रबंधन उत्कृष्टता प्राप्त करने, मानव संसाधनों और उपस्कर संसाधनों की उचित तैनाती के संबंध में सुधार की काफी गुंजाइश है।

कमजोर कार्यान्वयन क्षमताएं : राज्य पीडब्ल्यूडी को आधुनिक प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक प्रबंधन सिद्धांतों की वर्तमान ज़रूरतों के संबंध में प्रशिक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। अनेक राज्यों में उपभोक्ताओं की परिवहन मांग को पूरा करने के लिए योजना, डिजाइन तैयार करने और कार्यों के निष्पादन के संबंध में क्षमता में सुधार करने की ज़रूरत है। इंजीनियरी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था में भी वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है। इसके साथ-साथ संविदाकारी उद्योग और परामर्श क्षेत्रक का भी संतोषजनक ढंग से विकास किए जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण सड़कें

9.3.23 ग्रामीण संयोजकता बढ़ाने हेतु, एक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), एक 100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य, 1000 और उससे अधिक आबादी वाली बस्तियों के लिए 2003 तक तथा 500 व उससे अधिक की आबादी वाली बस्तियों के लिए 2007 तक बारहमासी सभी मौसम वाली सड़कों की व्यवस्था करना है। पर्वतीय/मरूस्थल/जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में इसका उद्देश्य 250 और उससे अधिक आबादी वाली बस्तियों को जोड़ना है।

9.3.24 तथापि, सभी प्रयासों के बावजूद सभी व्यक्तियों में से लगभग 35 प्रतिशत को अभी भी बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ा जाना है। तालिका 9.3.4 में, मार्च, 2007 के अन्त तक पीएमजीएसवाई के भौतिक प्राचलों में हुई प्रगति का ब्यौरा दर्शाया गया है। जैसाकि तालिका से देखा जा सकता है, अभी तक केवल 21 प्रतिशत बस्तियों को वास्तविक रूप में जोड़ा गया है। यद्यपि दसवीं योजना अवधि के दौरान 24 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस चूक का समाधान करने के लिए पीएमजीएसवाई की पुनर्संरचना की गई है ताकि इसे भारत निमाण कार्यक्रम (जिसे 2005-06 में शुरू किया गया था) में शामिल करके ग्रामीण संयोजकता के समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 1000 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 से अधिक) वर्ष 2009 तक जोड़ना है। भारत निर्माण के अन्तर्गत भी बस्तियों, संयोजकता कवरेज, निर्माण लक्ष्यों और वित्तीय निवेश की दृष्टि से कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।

तालिका 9.3.4

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत (31 मार्च, 2007 तक) संयोजकता स्थिति : लक्ष्य बनाम उपलब्धियां

जनसंख्या श्रेणी	वांछनीय बस्तियों की संख्या	दसवीं योजना के अन्त तक लक्ष्य	जोड़ी गई बस्तियों की संख्या
1000 और उससे अधिक	60,030	25,371	20,478
500 और उससे अधिक	79,208	14,854	13,193
250 और उससे अधिक	39,530	2,511	3,816
जोड़	1,78,768	42,736	37,487

सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण संबंधी मुद्दे

सड़क अनुरक्षण

9.3.25 विशाल लागत से निर्मित सड़क नेटवर्क का उचित रूप में रख-रखाव करने की जरूरत है ताकि उसे टूट-फूट और ह्रास से बचाया जा सके, इष्टतम ढंग से इसका सतत उपयोग सुनिश्चित

हो सके और उपभोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तथापि, सड़कों के रख-रखाव की, एक गैर-योजना कार्यक्रमलाप होने की वजह से, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अभाव में, उपेक्षा की गई है। विश्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 85 देशों में प्रमुख सड़कों पर किये गए 45 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश में पिछले 20 वर्षों के दौरान क्षति हुई है। भारत में भी, चार दशक पहले आईडीए ऋण के साथ निर्मित कुछेक उत्तम सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। जैसाकि बारहवें वित्त आयोग ने टिप्पणी की है 'यह सुनिश्चित करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि पहले से सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण किया जाए बजाए इसके कि और अधिक परिसम्पत्तियां निर्मित करने की प्रतिबद्धता की जाए....।' महत्वपूर्ण बात यह है कि मरम्मत कार्यक्रमलाप यदि सड़कों के संबंध में जरूरी हों तो उपयुक्त समय पर किए जाएं क्योंकि एक बार शुरू हो जाने पर सड़कों की टूट-फूट से उन्हें तेजी से क्षति पहुँचती है। राजमार्गों पर वाहन प्रचालन लागत, जो कुल परिवहन लागत का एक मुख्य घटक है, पूर्णतः सड़कों की स्थिति पर निर्भर है। अनुरक्षण पर खर्च किये गए एक रुपये से वाहन प्रचालन लागत में 2-3 रुपये की बचत होती है, जो ट्रैफिक प्रवाह सुधारने के लिए एक अत्यंत कारगर विकल्प भी है। यद्यपि दसवीं योजना अवधि के दौरान अनुरक्षण कार्य पर ध्यान दिया गया है, तथापि इसे उच्च मानकों पर अधिक बल देते हुए अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान किए जाने की जरूरत है जिससे कि पुनर्निर्माण की बारम्बारता में कमी आ सके।

9.3.26 निर्माणाधीन तथा निष्पादन पश्चात एनएच के उच्च घनत्व वाले गलियारे की अनुरक्षण आवश्यकता की व्यवस्था एनएचएआई द्वारा की जाती है। तथापि, गैर एनएचडीपी एनएच सेक्शन, जिनका अनुरक्षण राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है, असंतोषजनक रूप से प्रबंधित है, जिसका प्रमुख कारण उन्हें अनुरक्षण के लिए उपलब्ध निधियां मानदण्डों के अनुसार उनकी आवश्यकता से काफी कम होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित कुल निधियों का, विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार केवल 40% प्राप्त होता है। कमी का वर्ष-वार ब्योरा तालिका 9.3.5 में दिया गया है।

9.3.27 राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का अनुरक्षण भी इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अभाव के कारण पीड़ित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, बारहवें वित्त आयोग ने 2006-10 अवधि के दौरान पूरे देश में सड़कों और पुलों के अनुरक्षण के लिए 15000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह राशि राज्यों को उनकी सड़क की लम्बाई के आधार पर, विभिन्न प्रकार की सड़कों को समुचित भार प्रदान करते हुए,

वितरित की जाती है। पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए, परियोजना के पूरी होने के बाद पांच वर्ष के लिए अनुरक्षण हेतु प्रावधान है, यद्यपि अनुरक्षण के दीर्घावधिक मुद्दे पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।

तालिका 9.3.5
दसवीं योजना में सड़क अनुरक्षण के लिए निधियों में कमी
(रुपए)

वर्ष	मानदण्डों के अनुसार आवश्यकता	प्रदत्त राशि	कमी	कमी (प्रतिशत)
2002-2003	2,200.00	800.00	1,400.00	63.64
2003-2004	2,200.00	731.74	1,468.26	66.74
2004-2005	2,480.00	745.56	1,734.44	69.94
2005-2006	2480.00	868.10	1611.90	65.00
2006-2007	2480.00	814.38	1665.62	67.16

*बजटीय अनुमान

9.3.28 संसाधनों की अपर्याप्तता के अलावा, सड़कों का प्रबंधन अव्यवस्थित है तथा निरीक्षण अनियमित। अनुरक्षण कार्य विभागीय तौर पर किया जाता है तथा गैंग की स्थापना पर अनुपातिक आवंटन किया जाता है। सड़क अनुरक्षण के लिए आधुनिक मशीनीकृत उपकरण का वांछित स्तर तक प्रयोग नहीं किया जाता है। जवाबदेही असंतोषजनक है तथा अनुरक्षण कार्यकलापों का निगरानी संतोषजनक नहीं है।

9.3.29 पहला कार्य यह सुनिश्चित करना है कि मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवंटन पर्याप्त हो। केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 में, जिससे केन्द्रीय सड़क निधि को सांविधिक दर्जा प्राप्त है, स्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट है कि निधि का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए किया जाए। सांविधिक प्रावधान में स्पष्टता के बावजूद, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निश्चित पूरे हिस्से का आवंटन सड़कों के विकास और उनके विस्तार के लिए एनएचडीपी कार्यक्रमों के लिए किया गया। चूंकि नई परिसम्पत्तियों के निर्माण की बजाए विद्यमान परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अनुरक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें एक निश्चित अंश के संभावित उपकरण के एनएच हिस्से के एक-तिहाई पर पुनः विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इससे नए निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाएगी। इसी प्रकार, राज्य सरकारों को, सड़क उपकरण के राज्य हिस्से के साथ बारहवें वित्त आयोग से सड़क अनुरक्षण के लिए आवंटन को पूरक बनाने पर विचार करना होगा। ग्यारहवीं योजना की शुरुआत से और भावी योजनाओं में, पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित की जाने वाली पर्याप्त सड़क परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए, इस बात को ध्यान में रखते

हुए कि ग्रामीण सड़कों के लिए सड़क उपकरण हिस्सा अनेक वर्षों तक मूल निर्माण कार्य के लिए पहले ही समाप्त हो गया है, अधिकाधिक संसाधनों की खोज करनी होगी।

9.3.30 इसके अलावा, बीओटी विधि के तहत एनएच परियोजनाओं की देखभाल रियायत (कन्सेशन) अवधि के दौरान की जाती है। अन्य टोल-योग्य सड़कों के लिए योजना आयोग द्वारा प्रकाशित मॉडल कन्सेशन (एमसीए) जो 'प्रचालन, अनुरक्षण और टोल कर (ओएमटी) को लागू किया जाना चाहिए। गैर-टोल सड़कों पर जिसमें एनएल, एसएल एवं एमडीएस शामिल है, दीर्घावधिक अनुरक्षण संविदाएं लागू करनी होगी। अलग किए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: पटरी प्रबंधन पद्धतियां (पीएमएस) अपनाना, कार्य की आउटसोर्सिंग, अधिकाधिक मशीनीकरण, गलियारा प्रबंधन और राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और ट्रैफिक) नियंत्रण अधिनियम 2002 का प्रवर्तन (बाक्स 9.3.2)।

सड़क परियोजना के निष्पादन के लिए प्रक्रियाएं

9.3.31 सड़क नेटवर्क के विकास की समस्याएं विविध हैं तथा भावी आवश्यकताओं की मात्रा अत्यधिक है। इसलिए, सड़कों के विकास के लिए कार्यनीति, समस्या और विकास की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न होगी। एनएचडीपी III के अन्तर्गत अब से आगे उच्च घनत्व वाले गलियारों के लिए सभी ठेके केवल 'बीओटी' आधार पर अवार्ड करने का निर्णय लिया गया है, तथा परंपरागत निर्माण ठेके विनिर्दिष्ट असाधारण मामलों में ही प्रदान किए जाएंगे। तथापि, कम ट्रैफिक घनत्व प्रकृति वाले एनएच और दूरवर्ती, दूरस्थ अथवा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों का विकास प्रमुख रूप से बजटीय संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा।

9.3.32 दसवीं योजना के दौरान, एनएचडीपी पर निजी क्षेत्रक निवेश की कुल मात्रा 6,367.25 करोड़ रुपये थी जबकि लक्ष्य 7,580.27 करोड़ का था। इसकी उपलब्धि में, विशेष रूप से 2006-07 के दौरान कमी (2243 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1578 करोड़ रुपये) का मुख्य कारण, पीपीपी के लिए समुचित नीति और विनियामक फ्रेमवर्क स्थापित करने में, पेश आई प्रारम्भिक समस्याएं हैं जिनमें इसकी संस्थागत पद्धति शामिल है। तथापि, पीपीपी ठेकों की जटिलता को देखते हुए तथा ऐसे ठेकों में सरकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कुछ मानकीकृत संरचनाएं कायम की गई हैं जिनमें निजी पूँजी के पूर्वानुमान की तथा जोखिम को कम करने की व्यवस्था है। इस प्रकार, बीओटी परियोजनाओं के लिए एमसीए तैयार किया गया है ताकि जल्द ठेका देना सुकर हो सके तथा परियोजनाओं के परिणामों में तीव्रता हो सके। इसके अलावा, 'प्रचालन, अनुरक्षण और टोल (ओएमटी)' हेतु एमसीए का योजना आयोग द्वारा प्रकाशन किया गया है। वार्षिकी परियोजनाओं के लिए एमसीए को इस समय

बॉक्स 9.3.2**अनुरक्षण प्रबंधन का आधुनिकीकरण**

- सीमित संसाधनों के उत्पादक उपयोग हेतु, अनुरक्षण कार्यकलापों के वास्ते कठिनाई के आकलन की एक तर्कसंगत विधि और अनुरक्षण कार्यकलापों हेतु निर्णय समर्थन पद्धति को शामिल करते हुए 'पटरी प्रबंधन पद्धति (पीएमएस)' लागू किए जाने की आवश्यकता है। पीएमएस के लिए, तालिका निर्माण कार्यक्रम, (जिसमें सड़क सूचना पद्धति शामिल है), का उपयोग किया जा सकता है।
- पटरियों में टूट-फूट की मरम्मत करने के लिए मशीनों का प्रयोग करने तथा पुलों के उचित निरीक्षण/टूट-फूट के लिए मोबाइल निरीक्षण यूनितों को, अनुरक्षण प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अभी तक विभागीय तौर पर किए जाने वाले अनुरक्षण कार्यों को कार्यकुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, निजी क्षेत्र को आउटसोर्स किया जा सकता है। प्रचालन, अनुरक्षण और चुंगी संविदाओं वाली अवधारणाओं को राज्य पीडब्ल्यूडी के साथ एनएच के लिए लागू किए जाने की जरूरत है।
- एनएच सेक्शन के उचित प्रबंधन और अनुरक्षण हेतु, गलियारा प्रबंधन की जरूरत है जिसमें इंजीनियरिंग व गैर-इंजीनियरिंग विशेषज्ञ सम्मिलित हैं : इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :
 - अपेक्षित मानक तक सड़कों और पुलों का अनुरक्षण
 - सुरक्षा खतरों और ट्रैफिक बाधाओं का समाधान
 - ट्रैफिक प्रबंधन
 - उपभोक्ता शुल्क का संग्रह
 - घटना प्रबंधन
 - भूमि प्रबंधन
- राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और ट्रैफिक) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के आवश्यक प्रावधान लागू करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, जो एनएच पर सुरक्षित तथा जल्द संचलन के लिए जनवरी, 2005 में लागू हो गया। इसके प्रवर्तन के लिए राजमार्ग प्रशासन कायम किया जा चुका है।

अन्तिम रूप दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र को निवेश सुकर बनाने के उद्देश्य, से किए गए उपाय बॉक्स 9.3.3 में दिए गए हैं।

9.3.33 यद्यपि, ग्यारहवीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र को निवेश में वृद्धि होगी, तथापि बीओटी (चुंगी) आधार पर दिए जाने वाले सड़क पट्टियों की निसन्देह एक सीमा होगी। प्रदान की जाने वाली इस विधि में, निजी क्षेत्र को बाजार जोखिम उठाता है क्योंकि

रियायत प्राप्तकर्ता न केवल रियायत अवधि के दौरान सड़क का निर्माण और उनका अनुरक्षण करता है बल्कि वह निर्माण और अनुरक्षण की लागत वसूल करने के लिए चुंगी प्रभारित करता है। भावी ट्रैफिक प्रवाह की अनिश्चितता को देखते हुए तथा ऐसे मामलों में जहां चुंगी आय से पूंजी लागत की पूर्ण वसूली न हो, रियायत प्राप्तकर्ता को, न्यूनतम सब्सिडी हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली

बॉक्स 9.3.3**निजी क्षेत्र को निवेश की सुलभता के लिए की गई पहलें**

- सड़क क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकारी संसाधनों की उपलब्धता तथा पिछड़े/दूरवर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए उनके उपयोग की जरूरत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एनएचडीपी चरण २ से चरण ३ में सभी उप-परियोजनाओं को 'निर्मित करो, प्रचालित करो और हस्तान्तरण (बीओटी)' विधि के आधार पर पीपीपी के जरिए कार्यान्वित किया जाए।
- सरकार ने, निजी क्षेत्र को भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक प्रोत्साहनों, की जैसे कि कर छूट और सड़क निर्माण उपस्कर तथा मशीनरी के शुल्क-मुक्त आयात की घोषणा की है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में एमसीए, जिसे सीओआई द्वारा 2005 में अनुमोदित किया गया था, उसे अब एमओएसआरटीएच/एनएचएआई द्वारा पीपीपी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपनाया गया है, राज्य राजमार्गों के संबंध में एमसीए योजना आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में चुंगी कर नीति की समीक्षा की गई है तथा अन्तिम रूप दिए जाने पर यह रिपोर्ट रियायत प्राप्तकर्ताओं के लिए राजस्व पूर्वानुमानों के संबंध में और अधिक निश्चयनात्मकता प्रदान करेगी।
- पीपीपी के जरिए राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला और छः लेन वाला बनाने के लिए मानकों और विनिर्देशों के मैनुअल को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन मैनुअलों को अपनाने से परियोजना निर्माण समय में कमी आएगी क्योंकि परियोजना विशिष्ट मैनुअलों की आवश्यकता नहीं होगी।
- एनएचडीपी चरण-I, अर्थात् स्वर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) का काफी काम पूरा हो जाने पर गलियारे प्रबंधन पर बल देने के प्रति बदलाव की जरूरत है जिससे कि प्रचालन लागत को कम से कम करते हुए तथा सड़क सुरक्षा में वृद्धि करते हुए गति और ट्रैफिक मात्रा की दृष्टि से अधिकतम थ्रूपुट प्रदान किया जा सके। इस संबंध में, 'राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण' के संबंध में एक एमसीए योजना आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है।

के आधार पर परियोजना लागत के 40% तक की वीजीएफ की अनुमति होती है। कुछ परियोजनाएं, प्रदाय आधा 'बीओटी' (वार्षिकी) विधि के आधार पर भी चलाई जा सकती हैं जिसके आधार पर चुंगी परियोजना का एक अभिन्न अंग होती है और इसलिए परियोजना में अनिवार्यतः सड़क निर्माण और अनुसंधान व्यवस्था होती है जिसमें सरकार द्वारा आस्थगित अदायगी सम्मिलित होती है। 'बीओटी' (वार्षिकी) आधार पर परियोजना प्रारंभ करने के इच्छुक रियायत प्राप्तकर्ता खोजना कठिन नहीं होगा। प्रदान करने की यह विधि, जो क्लासिकल पीपीपी नहीं है, महंगी है और इसे कम से कम पसंदीदा विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

एक्सप्रेसवेज

9.3.34 एनएचडीपी VI के तहत अपनाए जाने वाले पट्टियों को छोड़कर, चाहे वे दो लेन, चार लेन अथवा छः लेन वाले हों, ट्रैफिक स्थितियां विश्व मानकों से पर्याप्त रूप में कम हैं। इन सड़कों पर मोटरीकृत तथा गैर-मोटरीकृत ट्रैफिक का मिश्रण एक बहुत बड़ी बाधा है। ये सड़कें बस्तियों के बीच से गुजरती हैं तथा पैदल चलने वालों का ट्रैफिक वाहन ट्रैफिक के प्रवाह में बाधक है। कुछ नगरों के लिए उप-मार्गों का निर्माण किया गया है किन्तु रिबन विकास और सड़क के किनारे खान-पान की दूकानें पर्याप्त संख्या में हैं। सड़क के किनारे पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में सड़कों का उपयोग ट्रकों की पार्किंग के लिए किया जाता है जो 'आरओडब्ल्यू' पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेते हैं। इन राजमार्गों पर इन्टर-सेक्शन की व्यवस्था की गई है ताकि वाहन विभिन्न स्थानों पर यू-टर्न ले सकें। सड़क के बीच में खड़े वाहन, जो यू-टर्न लेने से पहले आने वाले ट्रैफिक प्रवाह में बाधक हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि अभिगम्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अगले इन्टर-सेक्शन तक गाड़ी चलाने और वापस आने से बचने के उद्देश्य से गलत दिशा में चलना वाहनों के लिए पूरे देश में एक सामान्य प्रथा है।

9.3.35 एक अन्य बाधा राज्य की सीमाओं पर चैक-पोस्टों पर वाहनों का रोका जाना है चाहे वाहन उस राज्य से मात्र गुजर रहा हो। अन्तर-राज्य मार्गों पर चलने वाले वाहन खड़े रहते हैं और इस प्रकार निरीक्षण की प्रक्रिया में 40 प्रतिशत समय लग जाता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि चैकपाइन्ट पोस्टों पर ट्रकों की देरी से भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 900 करोड़ रुपये से 2300 करोड़ रुपये तक की हानि होती है।

9.3.36 सभी कमियों का संचयी परिणाम यह है कि सड़क की सतह अच्छी और उसकी चौड़ाई पर्याप्त होने पर भी वाहन धीमी गति से चलते हैं। दिल्ली-मुम्बई (1,419 किमी) की यात्रा में ट्रकों को (एक अथवा दो ड्राइवर्स और एक सहायक के साथ) तीन दिन, दिल्ली-बंगलौर (2019 किमी) के लिए चार-पांच दिन का

समय लगता है। इसी विश्व बैंक अध्ययन के अनुसार 'अमरीकी समकक्ष मार्गस्थ समय, कानूनी तौर पर चलाने वाले एक ड्राइवर के साथ क्रमशः दो और तीन दिन (वस्तुतः दूसरी और तीसरी सुबह) का समय लगेगा। यदि अमरीकी कैरियर 2 ड्राइवर्स की टीम का उपयोग करता है तो प्रत्येक संचलन में एक दिन कम हो जाएगा'। औसतन भारतीय ट्रकों का उपयोग एक वर्ष में 60,000 से 1,00,000 किमी के लिए किया जाता है, जो विकसित देशों की तुलना में एक चौथाई से भी कम है।

9.3.37 नौवीं योजना के दौरान स्थापित नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओएसआरटीएच) के एक अध्ययन दल ने तालिका 9.3.6 में दर्शाए गई सामान्य चरण व्यवस्था के साथ वर्ष 2020 तक लगभग 15,600 कि. मी. के कुल एक्सप्रेस वेज नेटवर्क का प्रस्ताव किया था।

तालिका 9.3.6

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अध्ययन समूह के आधार पर एक्सप्रेस-वे की फेजिंग

वर्ष	संचयी लम्बाई (कि. मी.)
2005	4,900
2010	10,500
2015	14,100
2020	15,600

हाल ही में, सड़क क्षेत्रक के संबंध में दसवीं योजना कार्य दल ने टिप्पणी की थी : 'यह दृढ़ मत है कि राजमार्गों के जिन घटकों में अगले पाँच से सात वर्षों में ट्रैफिक स्तर के आकलन के अनुसार छः लेन की सुविधा न्यायोचित है, (स्थानीय और दूरवर्ती अन्तर-नगर (ट्रैफिक)), उदाहरण के लिए जहाँ 60,000 पीसीयू प्रतिदिन से अधिक ट्रैफिक है, विद्यमान राजमार्ग को चौड़ा करने के विकल्प की बजाए, एक एक्सप्रेसवे की दृष्टि से सोचना अधिक विवेकपूर्ण होगा। अन्तरिम अवधि में ट्रैफिक की जरूरत, विद्यमान सड़कों के साथ-साथ पटरी मार्ग की व्यवस्था करके, पूरी की जा सकती है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा मुम्बई-पुणे एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना के संबंध में की गई पहल एक उत्तम उदाहरण पेश करती है।' वर्ष 2005 में सीओआई ने 2005-12 अवधि के दौरान एनएच के निर्माण के लिए एक योजना अनुमोदित की थी, जिसके अन्तर्गत एनएचडीपी जू के तहत 1000 कि0 मी0 एक्सप्रेसवे का निर्माण सम्मिलित था।

9.3.38 ग्यारहवीं और बारहवीं योजनाओं के दौरान विश्व श्रेणी की सड़क संरचना की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, एनएचडीपी चरण VI का पर्याप्त रूप में विस्तार करना होगा। एनएच की कमियों को दूर करने के लिए पहुँच-नियंत्रित एक्सप्रेसवे सर्वोत्तम उपाय है। यह आवश्यक बनाकर कि चैक एक्सप्रेसवे नेटवर्क में केवल प्रवेश अथवा

निकासी के समय ही किए जाएंगे, अन्तर-राज्य ट्रैफिक के संबंध में चैकिंग को भी न्यूनतम किया जा सकता है। इसलिए, नए समायोजनों के आधार पर पहुँच-नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करना और फिर भूमि अधिग्रहण करना आवश्यक होगा। सक्रिय भागीदारी और आवश्यक वित्तीय सहायता, विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा भू-अधिग्रहण के लिए, ऐसे एक्सप्रेसवेज के विकास हेतु आवश्यक होगी। 15600 कि. मी. एक्सप्रेसवेज के विकास हेतु एक खाके में जीक्यू और एनएस-ईडब्ल्यू गलियारों को शामिल किया जा सकता है जिसके लिए समायोजन निश्चित करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करना और जहाँ तक संभव हो बस्तियों से बचना आवश्यक हो सकता है। स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक 'एक्सप्रेसवेज आथोरिटी आफ इण्डिया' की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है।

विद्यमान सड़कों की क्षमता का अध्ययन करने की जरूरत तथा क्षमता मानदण्डों में संशोधन

9.3.39 योजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ, काफी समय पहले विकसित डिजाइन सेवा मात्रा मानदण्डों का उपयोग किया गया है। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित सड़क उपभोक्ता लागत डाटा उन्नयन संबंधी अध्ययन (जुलाई, 2001) से पता चलता है कि ये मानदण्ड, विशेष रूप से 4 लेन से संबंधित मानदण्डों के अन्तर्गत, हो सकता है कि कम अनुमान लगाया गया हो। वस्तुतः बहु-लेन सड़कों की क्षमता तय करने के लिए, कभी भी कोई व्यवस्थित अध्ययन आयोजित नहीं किया गया है। विभिन्न वाहनों की गति के भिन्नता में कटौती, ट्रैफिक के मिश्रण और साथ ही इसकी पद्धति आदि में परिवर्तन का भी सड़कों की विभिन्न श्रेणियों की क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, कैरिजवे/रोडवे चौड़ाई आदि पर निर्भर रहते हुए, राजमार्गों की क्षमता के संबंध में एक अध्ययन शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

आपूर्ति पक्ष की बाधाएं

9.3.40 संसाधनों की तंगी के अतिरिक्त, कतिपय राज्यों की अवशोषण क्षमता, अपर्याप्त संस्थागत व कार्यान्वयन क्षमता, स्थानीय संविदाकारी और परामर्श सेवाओं की उपलब्धता/क्षमता, कच्ची सामग्री और मानव संसाधनों की उपलब्धता कुछेक महत्वपूर्ण आपूर्ति पक्ष बाधाएं हैं, विशेष रूप से जबकि अनेक प्रतिस्पर्धी सड़क योजनाएं डी डी भवन निर्माण, आरएसवीवाई के तहत सड़कों आदि को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार, एनएचडीपी के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकारियों की एक समर्पित टीम तैनात कर सकती है।

9.3.41 एनएचएआई, राज्य पीडब्ल्यूडी तथा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) जैसे संस्थानों के सुदृढीकरण उपाय किए जा रहे हैं जो सड़कों के विकास और उनके अनुक्षण के लिए उत्तरदायी है। इनके अन्तर्गत, एनएचएआई का पुनर्गठन और परियोजना निर्माण हेतु बीआरओ में तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण, नए विनिर्देश और निर्माण व अनुक्षण प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। राज्य पीडब्ल्यूडी को निजी क्षेत्रक भागीदारी पर अधिक बल दिए जाने व बड़ी संख्या में परियोजनाओं का बहुपक्षीय एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषण किए जाने की वजह से अपनी पुनर्संरचना करनी होगी। यद्यपि, राज्य पीडब्ल्यूडी के तहत लेखा संहिताएं तथा निर्माण कार्य मैन्युअल सुविकसित हैं तथापि इनकी समीक्षा की जानी चाहिए और केन्द्रीय स्तर पर अपनाई गई अन्तर-पद्धतियों के साथ इनका तालमेल किया जाना चाहिए।

9.3.42 यद्यपि, ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की योजना तैयार करने और उनके निष्पादन के लिए पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट (पीआईयू) स्थापित किए गए हैं, फिर भी आरआर के संबंध में नीति, योजना और प्रबंधन की जिम्मेदारी के साथ, राज्य स्तरीय समन्वयन हेतु एक एकल विशिष्ट नोडल एजेन्सी की स्थापना करना वांछनीय है। क्योंकि आरआर का मिल्कियत अंततः पंचायती राज संस्थानों के पास होगी इसलिए अर्हता प्राप्त जनशक्ति और प्रशिक्षण के जरिए आधारभूत स्तर पर क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए।

9.3.43 आरआर के लिए, जो अनिवार्यतः कम लागत की सड़कें हैं, स्थानीय सामग्री का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए जो सस्ती है तथा जिसमें ढोने पर कम से कम लागत आती है। गैर-परम्परागत सड़क निर्माण सामग्री के प्रयोग को, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट और उप-उत्पादों को, बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सड़क नेटवर्क का एकीकृत विकास

9.3.44 राज्य सरकारों को अपने सड़क नेटवर्क के विकास के लिए एक एकीकृत परिवहन योजना तैयार करने पर विचार करना चाहिए। केन्द्र, एसआर के संतुलित विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से निधियां उपलब्ध करा रहा है। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि एसएआरडीपी-एनई एक प्रमुख पहल है, जो न केवल पर्वतीय/दूरवर्ती क्षेत्रों में संयोजकता सुधारने के लिए बल्कि सड़क कार्यों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए भी है।

ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य और उद्देश्य

9.3.45 प्रमुख प्राथमिकता, परिवहन की लागत को कम करते हुए गतिशीलता और सुलभता में सुधार करने के उद्देश्य से विश्व स्तर की सड़क अवस्थापना निर्मित करने की है। कार्यान्वित हो

जाने पर विस्तारित एनएचडीपी से कुल 66,590 कि. मी. एनएच में से लगभग 46000 कि. मी. सहायक सड़कों की सवारी गुणवत्ता और क्षमता में एक बड़ा सुधार होगा, जो सड़क यातायात के लगभग 40 प्रतिशत को ढोती है। संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए, एनएचडीपी कार्यक्रमों में कुछ फेर-बदल करना आवश्यक हो सकता है। एनएचडीपी IV के अन्तर्गत मूलतः परिकल्पित 20,000 कि. मी. में से, ग्यारहवीं योजना के दौरान 'बीओटी' माध्यम से 6800 कि. मी. का कार्य संभव हो सकेगा। शेष 13200 कि. मी. सड़कों का कार्य कई अंतरालों में किया जाएगा जिसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उन पर गुजरना लगभग असंभव हो गया है, यह कार्य 50 लाख रुपये से लेकर 1.75 करोड़ रुपये प्रति कि. मी. के बीच अनुमानित लागत पर 'आईआरक्यूपी' और सुदृढीकरण के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा, प्रारंभ में 15600 कि. मी. पहुँच नियंत्रित एक्सप्रेसवेज के लिए खाका तैयार करके तथा समायोजन निश्चित करके तथा 600 कि. मी. के लिए भूमि का अधिग्रहण करके, ग्यारहवीं योजना के दौरान, एक्सप्रेसवेज परियोजना का पर्याप्त रूप से विस्तार करना आवश्यक होगा। कठोर निगरानी की जरूरत होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 1000 कि. मी. एक्सप्रेसवेज का निर्माण कार्य ग्यारहवीं योजना के दौरान शीघ्र पूरा हो जाए।

9.3.46 देश भर में कुल सड़क नेटवर्क का संतुलित विकास सुनिश्चित करना ग्यारहवीं योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बना रहेगा, जिसमें सड़कों को चौड़ा करना, सवारी की गुणवत्ता में सुधार करना और सुदृढीकरण, सड़क सुरक्षा उपाय तथा सड़क सेवाओं के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विश्व स्तर की मार्गस्थ सुविधाएं प्रदान करना सम्मिलित है। विशेष रूप से 1000 से अधिक (पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 500 से अधिक) आबादी वाली बस्तियों के लिए बारहमासी सड़कों के साथ 100 प्रतिशत ग्रामीण संयोजकता, 'भारत निर्माण' कार्यक्रम के तहत एक प्राथमिकतापूर्ण उद्देश्य है। हवाई अड्डों, रेलवे, बन्दरगाहों आदि के साथ सड़क संयोजकता जैसे अन्तर-मॉडल मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। ग्यारहवीं योजना में सड़क क्षेत्रक विकास के प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बाक्स 9.3.4 में दिए गए हैं।

संसाधन जुटाना

राष्ट्रीय राजमार्गों का वित्त पोषण

9.3.47 विगत में, एनएच के विकास के लिए निधियों की व्यवस्था अनिवार्य तौर पर केन्द्रीय सरकार के बजट के जरिए की जाती थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा एनएच पर पुलों और चुनिन्दा स्थलों पर आरोपित की जाने वाली फीस/चुंगी का उपयोग सड़कों के उन्नयन और सुधार के लिए किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्र किया जाने वाला तथा केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) में जमा

किया जाने वाला पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल पर 2 रुपये प्रति लिटर उप-कर में से 1.50 रुपये प्रति लिटर उपकर की राशि, एनएच, एसआर, आरआर के विकास और अनुक्षण के लिए तथा आरओबी/आरयूबी के निर्माण और विकास तथा अन्य सुरक्षा उपायों के लिए वितरित की जाती है जैसी कि निर्धारित फार्मुले के अनुसार सीआरएफ अधिनियम 2000 में व्यवस्था है। 0.50 रुपये प्रति लिटर का शेष उप-कर मात्र रूप से एनएच के विकास और अनुक्षण हेतु आवंटित किया जाता है। बहु-पक्षीय वित्तीय एजेन्सियां, जैसे कि विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करती रही हैं तथा इस स्रोत का निरंतर लाभ उठाते रहने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए।

9.3.48 एनएचडीपी के कार्यान्वयन से गैर-एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का एक बड़ा भाग शेष रह जाएगा जिसका विकास भी ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान करना होगा। इन सेक्शनों पर कम घनत्व में यातायात चलता है। इनमें से कुछेक खण्ड पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में हैं तथा अन्य सामरिक महत्व के हैं। वस्तुतः पिछली दो योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में की गई पर्याप्त वृद्धियों के कारण संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच अन्तर बढ़ गया है और इस प्रकार गैर-एनएचडीपी नेटवर्क का अनुक्षण और सवारी करने की गुणवत्ता असंतोषजनक हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के इन खण्डों के विकास का वित्त पोषण प्रमुख रूप से बजटीय संसाधनों के जरिए करना होगा। तथापि, इनकी प्राथमिकताएं तय करना जरूरी होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संसाधनों का प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं के बीच थोड़ा-थोड़ा फैलाव न हो, जो समय और लागत में बढोत्तरी के लिए उत्तरदायी है।

राज्य राजमार्गों का वित्त पोषण

9.3.49 यद्यपि राज्य सरकारें एसएच के लिए निधियां उपलब्ध कराती हैं लेकिन सीआरएफ से आवंटनों के अलावा (उदाहरणार्थ, 2007-08 के दौरान 1,566 करोड़ रुपये), एसएच की बड़ी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्यारहवीं योजना में 'बीओटी' परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ, एसएच में पीपीपी के लिए एक एमसीए योजना आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है तथा राज्य सरकारों को इसका प्रयोग करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, राज्य क्षेत्रक स्कीमों के वित्त पोषण के लिए परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक के 'व्यवहार्यता अन्तर वित्त पोषण (वीजीएफ)' की व्यवस्था करने के केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा, विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और पंजाब में विशिष्ट उपाय किए गए हैं ताकि एसआर को मजबूत बनाया जा सके और उनका उन्नयन किया जा सके (बाक्स 9.3.5)। उन रेलवे लाइनों पर जहाँ भारी ट्रैफिक है, लेवल

बॉक्स 9.3.4
ग्यारहवीं योजना के लिए सड़क क्षेत्रक उद्देश्य

- परिवहन पद्धति के एक अभिन्न अंग के रूप में सड़कों के विकास, अन्य निधियों को पूरक बनाते हुए, जिसके तहत सड़क नेटवर्क (प्राथमिक, गौण और तृतीयक पद्धतियाँ) के संतुलित विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- संवर्धित एनएचडीपी के कार्यान्वयन में तेजी लाना :
 - स्वर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारों के शेष कार्य को पूरा करना,
 - एनएचडीपी चरण III से VII तक, एनएचडीपी IV के कार्यक्षेत्र में 20,000 से 6800 कि. मी. तक की कटौती,
 - एनएचएआई की पुनर्संरचना, जो एनएचडीपी की मुख्य कार्यान्वयन एजेन्सी है।
- विद्यमान एनएच में कमियों को क्रमिक रूप से दूर करना, अगले 10-15 वर्षों के दौरान ट्रैफिक के विकास के साथ-साथ :
 - उच्च घनत्व वाले गलियारों की क्षमता वृद्धि पर बल,
 - ट्रैफिक सुरक्षा के लिए गुम हुए संयोजनों और गुम हुए पुलों, कमजोर/टूटे-फूटे पुलों का पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण।
- 15,600 कि. मी. अभिगम नियंत्रित एक्सप्रेसवेज के विकास के लिए एक वृहद मास्टर प्लान तैयार करना :
 - समायोजन विनिश्चित करना,
 - लगभग 6000 कि. मी. के लिए भूमि का अधिग्रहण
 - 1000 कि० मी० के निर्माण कार्य में तेजी लाना और उसे पूरा करना,
 - मास्टर प्लान कार्यान्वित करने के लिए एक 'एक्सप्रेसवेज आथोरिटी आफ इण्डिया' की स्थापना पर विचार करना।
- एसएआरडी/पी-एनई का प्राथमिकताकरण :
 - पूर्वोत्तर में सभी राज्यों की राजधानियों की 2/4 लेन पटरियों के साथ एनएच से संयोजकता में सुधार,
 - सभी जिला मुख्यालयों को 2 लेन एनएच/एसएच के साथ जोड़ना।
- एसएच/एमडीआर में उच्च घनत्व गलियारों के विकास को प्राथमिकता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय तथा राज्य सड़क नेटवर्कों के विकास के लिए निजी क्षेत्रक भागीदारी को प्रोत्साहित करना
 - निर्माण के लिए बीओटी (चुंगी) अपनाना,
 - चुंगी कर योग्य सड़कों के लिए 'प्रचालन, अनुरक्षण और चुंगी-कर (ओएमटी)' हेतु एमसीए अपनाना,
 - गैर-चुंगी सड़कों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधियाँ विनिश्चित करना,
 - एनएच/एसएच/एमडीआर के लिए सुधरी अनुरक्षण प्रथाएं अपनाना।
- 1000 से अधिक आबादी वाली (पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 500 से अधिक) सभी बस्तियों के लिए 2009 तक बारहमास सड़कों के जरिए ग्रामीण संयोजकता प्रदान करने के भारत निर्माण समयबद्ध लक्ष्य को प्राप्त करना और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन श्रेणी में सुधार करना तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना।
- विद्यमान सड़क नेटवर्क की उचित देखभाल और अनुरक्षण पर तथा विद्यमान नेटवर्क क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए उच्च अनुरक्षण मानक प्राप्त करने व पहले से निर्मित सड़क परिसम्पत्तियों के परिरक्षण पर बल देना, अनुरक्षण कार्यनीतियों/प्राथमिकताओं के वैज्ञानिक आकलन के लिए आधुनिक प्रबंधन तकनीकें अपनाना।
- कार्यान्वयन एजेन्सियों, यथा एनएचएआई, राज्य पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की क्षमताएं सुधारना।
- सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करना
 - ट्रकों की ओवरलोडिंग अनाधिकृत कब्जों, अनियोजित रिबन आदि को रोकना ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर बल देना।
- राजमार्गों के साथ-साथ सड़क के किनारे विश्व स्तर की सुविधाएं प्रदान करना।
- परिवहन लागतों में कमी करना, बेहतर सवारी सतह, कन्टेनरों का उपयोग, सामान ढोने में बहु-एक्सलवाले वाहन आदि।
- जहाँ रेल संयोजन संभव नहीं है, वहाँ सड़क संयोजकता सुनिश्चित करना,
- रेलवे व परिवहन की अन्य विधियों के साथ एकीकृत सड़क विकास।
 - महत्वपूर्ण रेलवे मार्गों के लिए फीडर सड़कों का विनिर्धारण और आवधिक अनुरक्षण सहित आवश्यक सुधार आयोजित करना,
 - छोटे महत्वपूर्ण बन्दरगाहों को कम से कम दो लेन वाले एनएचएएसएच/राज्य सड़कों के साथ जोड़ना,
 - सभी अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो/कन्टेनर माल स्टेशनों को कम से कम दो लेन वाले एनएच/एसएच के साथ जोड़ना।
- सड़क डाटा बैंक विकसित करना, परियोजना मानीटरन पद्धति को कम्प्यूटरीकृत करना, सड़क क्षेत्रक में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

बॉक्स 9.3.5 कुछ राज्य सरकारों द्वारा नूतनताएं

- केन्द्र सरकार की व्यवहार्यता अन्तर निधि (वीजीएफ) का उपयोग करके, जिसके अन्तर्गत कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है तथा अतिरिक्त 20 प्रतिशत का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, एसआर को उन्नत बनाने में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) और गुजरात राज्य सड़क विकास निगम (जीएसआरडीसी) द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। जीएसआरडीसी के लिए अंशदान को निर्माण-पूर्व कार्यकलापों पर व्यय करने के लिए भी रखा जाता है।
- जैसाकि एसआर को चौड़ा करने/मजबूत बनाने से 40 प्रतिशत की सीधी सब्सिडी के बावजूद, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रतिफल का सृजन होता है, इसलिए गुजरात द्वारा पीपीपी (वार्षिकी) मॉडल अपनाया गया है।
- प्रमुख राजमार्गों पर यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए पंजाब द्वारा विनिर्धारित गलियारों के लिए भू-अधिग्रहण के लिए एक योजनागत स्कीम अपनाया, जिसके लिए इस शर्त पर निधियां जारी करने का प्रस्ताव है कि इन्हें पीडब्ल्यूडी द्वारा, पीडब्ल्यूडी सड़कों की निकटवर्ती भूमि पर निजी पार्टियों द्वारा बिक्री/खरीद और किए जाने वाले किसी विकास कार्यकलाप पर उप-कर आरोपित करके, वसूल लिया जाएगा।
- एसएच के उन्नयन के लिए परियोजनाओं हेतु राजस्थान की सड़क अवस्थापना विकास कम्पनी के लिए ब्याज-मुक्त ऋण और शेयर पूँजी प्रदान करने के वास्ते पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर उप-कर के जरिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि का सृजन।

क्रासिंग पर निर्मित आरओबी पर चुंगी कर लगाने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए और सफल उदाहरणों का अन्य राज्यों द्वारा अनुकरण करना चाहिए। चुनिन्दा राजमार्गों के विकास हेतु वित्त के एक संभावित स्रोत के रूप में विदेशी वित्त पोषण की संभावना का भी पता लगाया जाना चाहिए। कुछ राज्यों ने सड़क निर्माण निगमों की स्थापना की है जो बाजार उधारों के जरिए संसाधनों में वृद्धि करती हैं।

ग्रामीण सड़कों के लिए वित्त पोषण

9.3.50 भारत निर्माण के तहत ग्रामीण संयोजकता के समय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निधियन में वृद्धि करने के उद्देश्य से,

उपकर उपार्जनों का लाभ उठाकर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 16500 करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव है। तथापि, ऋण की वापसी अदायगी 2009-10 में शुरू होने पर, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध उप-कर की राशि (वापसी अदायगी को कम करके) ग्यारहवीं योजना के अन्तिम दो वर्षों में सीमित रह जाएगी। निधियां जुटाने के लिए उप कर का लाभ उठाने, बजटीय सहायता में वृद्धि करने व विभिन्न अन्य नीतियों को जारी रखने के विकल्प की खोज की जानी चाहिए (बाक्स 9.3.6)।

बॉक्स 9.3.6 ग्रामीण सड़कों के लिए संसाधन जुटाने के लिए कुछ विकल्प

स्वतंत्र सड़क निधि : ग्रामीण सड़कों के वित्त पोषण के लिए निजी क्षेत्र के वित्त की कोइ गुंजाइश नहीं है क्योंकि उनपर बहुत कम यातायात चलता है। विभिन्न राज्यों में स्वतंत्र सड़क निधि के सृजन की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए जैसाकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों द्वारा अनुसंधान जरूरतों हेतु किया गया है।

बाजार समिति निधियां : कृषि उत्पाद पर बाजार फीस और ग्रामीण विकास उप-कर आरोपित करने की स्कीम का, कृषक समुदाय के सहयोग से सभी राज्यों तक विस्तार के संबंध में संभावना का पता लगाया जा सकता है।

वाहन फीस : ईंधनों पर कर के अलावा, दो पहियों, कारों और कृषि ट्रैक्टरों पर विशेष क्रय कर के माध्यम से अतिरिक्त निधियां जुटाई जानी चाहिए। इस प्रकार एकत्रित ऐसी निधियों के एक भाग अथवा पूरी राशि को ग्रामीण सड़कों के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए आवंटित किया जा सकता है।

घरेलू उधार : हाल ही में 'नाबार्ड' ने आरआईडीएफ कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक राज्यों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के वास्ते महत्वपूर्ण ढंग से शुरूआत की है। क्योंकि 'नाबार्ड' जैसे संस्थानों के पास अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता नहीं हो सकती इसलिए एनआरआरडीए के तकनीकी और प्रबंधन इनपुटों के साथ 'नाबार्ड' ऋण प्रदान करने पर विचार करना उपयोगी होगा। इससे वित्तीय तथा तकनीकी अनुशासन में वृद्धि होगी तथा साथ ही, पीएमजीएसवाई की तरह, इन सड़कों के लिए एकसमान मानक अपनाने में भी मदद मिलेगी।

ग्यारहवीं योजना के लिए भौतिक लक्ष्य

राष्ट्रीय राजमार्ग

9.3.51 एनएचडीपी के पहले और दूसरे चरण तथा एनएचडीपी III के पहले चरण के तहत शेष रहते निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जीक्यू की पर्याप्त पूर्णता दिसम्बर 2007 तक पूरी होनी है। उम्मीद है कि उत्तर-दक्षिण, पूर्व पश्चिम गलियारे पर्याप्त रूप में दिसम्बर, 2009 तक पूरे हो जाएंगे। अन्य प्राथमिकताओं में शामिल हैं:

- एनएचडीपी III का पहला चरण दिसम्बर, 2009 तक पूरा करना। यद्यपि एनएचडीपी चरण III, चरण V (6500 कि. मी. को छः लेन वाला बनाना) और जू (1000 कि. मी. का एक्सप्रेसवेज) बारहवीं योजना में पूरा होना है, तथापि उनके कार्यान्वयन पर ग्यारहवीं योजना अवधि में कठोरतापूर्वक निगरानी किया जाना चाहिए।
- एनएचडीपी IV के तहत विनिर्धारित खण्डों के 6800 कि.मी. को 'बीओटी' (टोल) विधि के माध्यम से और बड़े नगरों की रिंग सड़कों और उप-मार्गों तथा फ्लाइओवरों का एनएचडीपी VII के अन्तर्गत निर्माण के संबंध में कार्य प्रारंभ करना।
- उच्च घनत्व वाले गलियारों के लिए अभिगम-नियंत्रण 15,600 कि.मी. एक्सप्रेसवेज के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर कार्यान्वित करना तथा समायोजन निश्चित करने व 6000 कि. मी. भूमि अधिगृहित करने के लिए कार्रवाई आरंभ करना, इसके साथ ही बाधारहित, हाई स्पीड व सुरक्षित ट्रैफिक संचलन की व्यवस्था करने के लिए एनएचडीपी जू के अन्तर्गत 1000 कि. मी. एक्सप्रेसवेज का निर्माण तेज करना।
- एसएआरडीपी-एनई (चरण 'ए') को पूरा करना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के श्रेणीकृत विकास के लिए चरण 'बी' को कार्यान्वित करने के लिए कार्य प्रारंभ करना।
- शेष एनएचडीपी-गैर को उचित रूप से उत्तम आकार में रखना, एनएच के लिए उपलब्ध उप-कर के एक हिस्से को अनुरक्षण के लिए सुनिश्चित करना।

9.3.52 एनएचडीपी के अलावा अन्य खण्डों के लिए लक्ष्यों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्त्व के अनुसार प्राथमिकताकरण किया गया है जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का प्रतिस्पर्धी घटकों के बीच विरलता से फैलाव न हो। गैर एनएचडीपी घटकों के लिए प्रमुख लक्ष्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- एनएच के नेटवर्क को (जो इस समय 20,644 कि. मी. एकल लेन/मध्यवर्ती लेन वाला है), अगले दस वर्ष के अन्दर दो-लेन के न्यूनतम मानक के अन्तर्गत और एनएचडीपी टुकड़ों के छोटे खण्डों को चार-लेन वाला बनाने के लिए प्रयास तेज करना।

- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को सुदृढ़ करके/सवारी गुणवत्ता में सुधार करके, सड़क नेटवर्क में, अपर्याप्त क्षमता, अपर्याप्त पगडण्डी की मोटाई आदि जैसी विद्यमान कमियों को दूर करना।

राज्य सड़कें

9.3.53 बड़े पैमाने पर विस्तार करने की बजाय एसआर की क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। एसएच/एमडीआर को कवर करते हुए प्रमुख सहायक मार्गों का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क विनिर्धारित और विकसित करने की जरूरत है जहाँ पहले से ही उच्च मात्रा में ट्रैफिक है अथवा जहाँ सरकारी और अथवा निजी क्षेत्रक द्वारा औद्योगिक व अन्य विकास खण्डों में ऐसी क्षमता है।

9.3.54 महत्वपूर्ण (कोर) नेटवर्क के अन्तर्गत, राज्यों को कवर करते हुए लगभग 80,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लगभग 71,500 कि. मी. लम्बाई के लिए, एक्सप्रेसवेज, चार लेन वाली सड़कें, सुदृढीकृत पगडण्डियाँ और अच्छी सवारी गुणवत्ता वाली पटरियाँ, उप-मार्ग, एवं पुल आदि शामिल होंगे। यह नेटवर्क 'गलियारा अवधारणा' पर अधारित हो सकता है जिससे कि एक वाणिज्यिक वाहन इस नेटवर्क पर पर्याप्त सड़क सुरक्षा के साथ एक दिन में लगभग 500 कि. मी. (800 कि. मी. अथवा एक्सप्रेसवेज पर अधिक) की यात्रा कर सके।

9.3.55 यद्यपि, संबंधित राज्यों द्वारा ट्रैफिक पूर्वानुमानों और उनकी विद्यमान स्थितियों के विस्तृत अध्ययन के बगैर एसएच और एमडीआर के उन्नयन के लिए भौतिक और वित्तीय आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाना कठिन होगा, तथापि, 300 कि. मी. एक्सप्रेसवेज के निर्माण, 5000 कि. मी. को चार लेन वाला बनाने और कोर नेटवर्क के 4000 कि. मी. को दो लेन वाला चौड़ा करने के लए 1,00,000 करोड़ रुपये की राशि का मौटे तौर पर अनुमान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोर भिन्न नेटवर्क के लिए, 2500 कि. मी. की लम्बाई को दो लेन वाली में और अन्य राज्यों में 10,000 कि. मी. लम्बाई को दो लेन वाली में उन्नत किया जाना है।

ग्रामीण सड़कें

9.3.56 'भारत निर्माण' के अन्तर्गत 2008-09 के अन्त तक विनिर्धारित भौतिक लक्ष्य सामान्यतः राज्यों द्वारा प्राप्त की जाने योग्य क्षमता से अधिक पाए गए हैं। इसलिए 'भारत निर्माण' के शेष लक्ष्य (अर्थात् लगभग 33 प्रतिशत) केवल 2009-10 तक पूरे हो पाएंगे। 'भारत निर्माण' के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, देश में 66802 वांछनीय बस्तियों के लाभार्थी 1,46,185 कि. मी. ग्रामीण सड़कें निर्मित करने का प्रस्ताव है। उन विद्यमान ग्रामीण सड़कों के लगभग 1.94 लाख कि. मी. को भी उन्नत बनाने का प्रस्ताव

हे जिन्हें कोर नेटवर्क में विनिर्धारित किया गया है। नई संयोजकता, जोड़ी जाने वाली नई बस्तियों की संख्या तथा 'भारत निर्माण' के अन्तर्गत उन्नत की जाने वाली सड़कों की लम्बाई संलग्नक 9.3.4 में दर्शाई गई है।

9.3.57 ग्यारहवीं योजना के शेष वर्षों, अर्थात् 2010-12 के लिए नई संयोजकता और उन्नयन दोनों के संबंध में, लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिससे बारहवीं योजना में पूरा करने के लिए पीएमजीएसवाई का कार्य का शेष 42 प्रतिशत रह जाएगा, जैसाकि तालिका 9.3.7 में दर्शाया गया है।

9.3.58 वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों के लिए लागू कार्यक्रम मार्गनिर्देशों के अनुसार, जोड़ी जाने वाली बस्तियों की वांछनीयता का अंत भिन्न-भिन्न राज्यों में 19 प्रतिशत से लगभग 100 प्रतिशत तक है। तथापि, कुछ पर्वतीय राज्यों में, उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 प्रतिशत बस्तियां (2741 में से 466) पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नई संयोजकता के लिए पात्र हैं क्योंकि छोटी बस्तियां बड़े इलाकों में फैली हैं। फिर भी, कम आबादी वाली बस्तियों को भी जोड़ने के लिए प्रावधान करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी क्योंकि ऐसी बस्तियों में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजार सुविधा की सुलभता की जरूरत है। इसलिए ऐसी बस्तियों को जोड़ने के प्रश्न पर भी, जो पीएमजीएसवाई के वर्तमान मानदण्डों के अनुसार पात्र नहीं हैं, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार किया जाएगा।

ग्यारहवीं योजना के लिए परिव्यय

9.3.59 केन्द्रीय क्षेत्रक सड़कों के लिए ग्यारहवीं योजना की बजटीय सहायता राशि 72,530 करोड़ रुपये है (चालू कीमतों पर 82,032.97 करोड़ रुपये)। सड़क क्षेत्रक के लिए चालू कीमतों पर जीबीएस का स्कीम-वार ब्यौरा परिशिष्ट (खण्ड III) में दिया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान इस क्षेत्रक से 34,829 करोड़ रुपये की राशि के आईईबीआर सृजन और निजी क्षेत्रक से 86,792 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।

सड़क परिवहन

सिंहावलोकन

9.3.60 देश के अन्दर माल और यात्री संचलन के लिए परिवहन की मांग मुख्यतः सड़क परिवहन और रेलवे के माध्यम से पूरी होती है। इन दोनों साधनों में सड़क परिवहन ने अपने प्रचालन का क्षेत्र धीरे-धीरे काफी बढ़ा लिया है और यह न केवल अन्तिम दुलाई के लिए एक साधन है बल्कि दूरवर्ती माल की भी संचालन करता रहा है। इस के अतिरिक्त यह रेलवे स्टेशन से न रेलवे स्टेशन तक माल पहुंचाने में रेलवे के लिए एक पूरे भूमिका निभाता है। माल ढोने में इसका अन्तः-मोडल हिस्सा जो 1950-51 में लगभग 14 प्रतिशत था, 2004-05 में बढ़कर लगभग 61 प्रतिशत हो गया। यात्री संचलन में भी सड़क परिवहन के हिस्से में काफी उछाल देखा गया है जो 1950-51 में 15 प्रतिशत से बढ़कर दसवीं योजना के अन्त तक कुल ट्रैफिक का 87 प्रतिशत होने का अनुमान है।

9.3.61 तथापि, सड़कों पर वाहन ट्रैफिक में वृद्धि राजमार्गों में वृद्धि की तुलना में अधिक रही है, जिससे मुख्य सहायक मार्गों पर क्षमता की परिपक्वता की स्थिति पैदा हो गई है। 1951 और 2004 के बीच वाहनों की संख्या में, कुल सड़क लम्बाई के 4.3 प्रतिशत समग्र वार्षिक विकास की (सीएजीआर) की तुलना में 10 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा

9.3.62 केन्द्रीय सड़क परिवहन क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय 210 करोड़ रुपये था जिसमें से 73 प्रतिशत सड़क सुरक्षा के लिए और शेष 27 प्रतिशत, माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, प्रदूषण परीक्षण उपस्कर तथा नेशनल डाटाबेस नेटवर्क के लिए था। इसके विपरीत, किया गया कुल खर्च दसवीं योजना के लिए कुल आवंटन का 85.41 प्रतिशत था। दसवीं योजना के संबंध में स्कीम-वार वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन संलग्नक-9.3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.3.7

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमानित लक्ष्य

अवधि	कवर की जाने वाली बस्तियों की संख्या	नई संयोजकता की लम्बाई	उन्नयन की लम्बाई (पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत वित्त पोषित)	नवीकरण की लम्बाई (कि.मी.) (राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना है)
'भारत निर्माण' के अनुसार वर्ष 2009 तक लक्ष्य	30,200	62,720 कि.मी.	43,220 कि.मी.	51,227 कि.मी.
2010-12* के लिए लक्ष्य	30,438	66,987 कि.मी.	57,520 कि.मी.	25,759 कि.मी.
ग्यारहवीं योजना के लिए कुल मिलाकर	60,638	1,29,707 कि.मी.	1,00,740 कि.मी.	76,986 कि.मी.

नोट : * 'भारत निर्माण' के शेष रहते लक्ष्य सम्मिलित हैं।

माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल- एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में

9.3.63 यह स्कीम ड्राइवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ताकि दुर्घटनाओं की दर कम किया जाये। दसवीं योजना में शुरू की गई जिस के अन्तर्गत, परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक इमारत व अन्य अवस्थापना के लिए एकबारगी पूँजीगत अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार की सहायता की परिकल्पना की गई है। शेष लागत, अनुक्षण और प्रचालन लागत सहित, राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। दसवीं योजना के दौरान ऐसे ग्यारह स्कूल मंजूर किए गए। यद्यपि स्कीम को ग्यारहवीं योजना में बन्द कर दिया गया है, तथापि इसके स्थान पर एक और अधिक व्यापक-आधारित कार्य योजना की जरूरत होगी। राज्य-वार और वर्ष-वार आवंटन तथा जारी राशि संलग्नक-9.3.6 में दर्शाई गई है।

यात्री सेवाएं

9.3.64 भारत में यात्री सड़क परिवहन सेवाओं की पूर्ति वैयक्तिक व सरकारी परिवहन द्वारा होती है। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था राज्य सड़क परिवहन/निगमों/उपक्रम (एसआरटीयू) और निजी आपरेटरों द्वारा की जाती है। वर्ष 2003-04 के अन्त में देश में लगभग 73 मिलियन पंजीकृत आटो-मोबाइल्स थे। इसकी संरचना में दोपहियों की बहुतायत थी जिनका हिस्सा 71 प्रतिशत से अधिक है, इसके बाद 13 प्रतिशत के साथ कारों का स्थान है तथा 9.4 प्रतिशत के साथ अन्य वाहनों का स्थान है (भिन्न-भिन्न श्रेणी, जिसमें तिपहिए, ट्रेलर, ट्रेक्टर आदि सम्मिलित हैं) कुल वाहनों की संख्या में बसों और ट्रकों का हिस्सा क्रमशः 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है। परिवहन के वैयक्तिक मोडों, अर्थात् दोपहिए, कार और जीपों का हिस्सा जो 1951 में 60 प्रतिशत था, 2004 में बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया, जो सार्वजनिक परिवहन की हिस्से में कमी के कारण हुआ है। विशेष रूप से, जो 1951 में 11.1 प्रतिशत थी घटकर 2003-04 के अन्त तक 1.1 प्रतिशत रह गया। बस श्रेणी के अन्दर, कुल बसों में एसआरटीयू का हिस्सा जो 1985-86 में 37 प्रतिशत था, 2002-03 में कम होकर 15.8 प्रतिशत हो गया तथा निजी बसों का हिस्सा 1985-86 में 63 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 84.2 प्रतिशत का सर्वोत्कृष्ट हो गया।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम (एसआरटीयू)

9.3.65 देश में प्रचालित 53 एसआरटीयू में से 15 स्थानीय निकायों द्वारा प्रचालित हैं तथा 38 की स्थापना सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा की गई है। अनुमान है कि इन 38 एसआरटीयू में कुल 1.13 लाख बसें हैं जिनमें कुल 18,669.19 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है तथा 2006-07 के दौरान लगभग 7.09 लाख कामगारों को रोजगार प्रदान किया।

एसआरटीयू का भौतिक निष्पादन

9.3.66 एसआरटीयू की समग्र उत्पादकता में दसवीं योजना के दौरान सुधार हुआ। बेड़े के उपयोग में, 2002-03 में 78.72 प्रतिशत से सुधार होकर 2006-07 में 82.50 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि के दौरान वाहन उत्पादकता 210 कि. मी. प्रति बस प्रति दिन से बढ़कर 229 कि. मी., स्टाफ उत्पादकता 39.23 रुपये प्रति कामगार प्रति दिन से 39.39 रुपये, ईंधन कार्यकुशलता 4.11 कि. मी. प्रति लिटर से 4.31 कि. मी. हो गई।

9.3.67 किन्तु, विभिन्न एसआरटीयू के भौतिक प्राचलों के निष्पादन में व्यापक भिन्नता है। कुशलतापूर्वक चलाए जाने वाले उपक्रमों में हरियाणा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उपक्रम सम्मिलित हैं जबकि बिहार, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों, पंजाब रोडवेज और दिल्ली परिवहन निगम के कार्यक्रमों में काफी सुधार की गुंजाइश है। अपने भौतिक प्राचलों के निष्पादन में तेजी से सुधार करने के लिए इन उपक्रमों द्वारा प्रबंधन मानीटरन के संबंध में एक कार्रवाई योजना तैयार किए जाने की जरूरत है। एसआरटीयू का राज्य-वार भौतिक निष्पादन संलग्नक-9.3.7 में दर्शाया गया है।

एसआरटीयू का वित्तीय निष्पादन

9.3.68 एसआरटीयू का वित्तीय निष्पादन वर्षानुवर्ष गिरता जा रहा है जबकि उनकी निवल हानियां, जो 2002-03 में, 1503.02 करोड़ रुपये थी, 2006-07 में बढ़कर 2137.66 करोड़ रुपये हो गईं। इनके लिए अनार्थिक यात्री किराए, करों का भारी बोझ, अनार्थिक किन्तु अनिवार्य मार्गों पर प्रचालन, यात्रियों की कतिपय श्रेणियों के लिए प्रदत्त भाड़ों में रियायतें और उच्च बस-स्टाफ अनुपात और हाल ही में बड़े संस्थागत उधारों के कारण ब्याज भार में वृद्धि, सभी जिम्मेदार हैं।

9.3.69 अपने भौतिक और वित्तीय प्राचलों में सुधार करने के लिए एसआरटीयू द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : मार्ग का युक्तिकरण, डीलक्स बसें और रात्रि सेवाएं जैसी विशेष सेवाएं प्रारंभ करना, डिपो स्तर पर बेहतर अनुक्षण प्रथाएं, इलेक्ट्रानिक टिकट पद्धति लागू करना और स्टाफ तथा सेवाओं की आउटसोर्सिंग। तथापि, कतिपय अन्य उपाय भी किए जाने की जरूरत है जैसे कि एसआरटीयू को लागत रियायतों की पूर्ण प्रतिपूर्ति, एसआरटीयू को अपेक्षित वाणिज्यिक किराया समायोजन करने की अनुमति, मोटर वाहन और सम्बद्ध करों को युक्तिसंगत बनाना, निजी प्रचालकों को परिवहन मार्ग अवार्ड करने के लिए प्रक्रियाओं को भी युक्तिसंगत बनाए जाने की जरूरत है। वाणिज्यिक मार्गों के लिए निजी प्रचालकों का चयन प्रतिस्पर्धी निविदा पद्धति की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। जहाँ

तक गैर-वाणिज्यिक मार्गों का संबंध है, उनका एसआरटीयू पर बोझ डालने की बजाए, इन्हें भी यूनियर्सल सर्विस आब्लिगेशन (यूएसओ) अथवा बीजीएफ माडलों जैसे विकल्पों के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अधीन लाया जाना चाहिए।

माल सेवाएं

9.3.70 सड़क पर माल संचलन प्रमुख रूप से निजी क्षेत्रक ट्रक आपरेटरों द्वारा किया जाता है। सड़क द्वारा ले जाए जाने वाले माल की मात्रा में पिछले 10 वर्षों में बीटीकेएम की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 6.5 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई जबकि रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले माल में 3.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। सड़क माल उद्योग अधिकांशतः असंगठित है तथा अत्यंत बिखरा हुआ है जहाँ कि 85 प्रतिशत से अधिक ट्रक प्रचालक 5 ट्रकों से कम के स्वामी हैं। माल ढोने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है जो 1951 में 82 हजार से 1986 में 8.63 लाख हो गई (10 गुणा से अधिक की वृद्धि) तथा 2004 में यह संख्या और बढ़कर 37.49 लाख हो गई (1951 के स्तर से 46 गुणा वृद्धि)। यह वृद्धि सड़क माल सेवाओं में आ रही मांग को और परिणामतः सेवा स्तरों में सुधार करने, लागतों को युक्तिसंगत बनाने, उत्पादकता में वृद्धि करने और सड़क माल सेवा उद्योग को पुनर्गठित करने की चुनौतियों को दर्शाती है।

नितीगत मुद्दे

9.3.71 यात्रियों और माल संचलन दोनों के संबंध में सड़क परिवहन की प्रत्याशित भावी वृद्धि अपार है जिसका कारण राजमार्ग नेटवर्क की पहुँच, क्षमता और कोटि के सुधार में किए जाने वाले निवेश हैं। तथापि, यह क्षेत्रक निम्न प्रौद्योगिकी, न्यून ऊर्जा कार्यकुशलता, अधिक प्रदूषण, सड़कों की घटिया कोटि और बाधापूर्ण वस्तुओं और यात्री ट्रैफिक का संचलन से व्याप्त है। भावी वृद्धि की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सड़क परिवहन क्षेत्रक को चुस्त बनाने के लिए अनेक नीतिगत पहलुओं का समाधान किया जाना है।

सार्वजनिक परिवहन पद्धति को सुदृढ़ करने की जरूरत

9.3.72 वैयक्तिक वाहनों की तुलना में सार्वजनिक परिवहन वायु और शोर प्रदूषण की दृष्टि से कम पर्यावरणीय क्षति पहुँचाता है, सड़क स्थल का इष्टतम उपयोग करता है, प्रति यूनिट उत्पादन (थ्रूपुट) बढ़ाता है, और ट्रैफिक भीड़-भाड़ में कटौती करता है। तथापि, भारत में वाहनों की संख्या की संरचना वैयक्तिक परिवहन के प्रति झुकी हुई है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक की भूमिका महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक परिवहन के लाभ को ध्यान में रखते हुए, एक नीतिगत व्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है जिससे उनकी वित्तीय क्षमता को

बढ़ावा मिले और उन्हें और अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हो। उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित सूत्र के आधार पर वाणिज्यिक भाड़ा निर्धारित करने की छूट होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को उनके द्वारा विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली रियायतों की पूरी लागत भी भरपाई की जानी चाहिए।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

9.3.73 लगभग सभी राज्य सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्रक पर दबाव को कम करने के लिए यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्रक के प्रवेश को सुलभ बनाया है। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार निजी बसों का हिस्सा 85 प्रतिशत है। तथापि निजी बस आपरेटरों ने, यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए, असुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं, अनियमित प्रचालन, और तर्कहीन लागत कटौती उपाय अपनाते हुए और कर अपवंचना के जरिए घटिया किस्म की सेवाएं प्रदान की है। निजी क्षेत्रक ने अनुचित प्रतिस्पर्धा का सहारा लेकर सार्वजनिक क्षेत्रक के निष्पादन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया है।

9.3.74 इसलिए, नियमों को कठोरतः प्रवर्तित करने की पूर्वापेक्षा है जिसके लिए विशेष रूप से पदनामित विनियामक निकाय स्थापित करने की जरूरत है, जिसे न्यूनतम बुनियादी सेवा मानक निर्धारित करने, भारी जुर्माना आरोपित करने, लाइसेंस को निलम्बित या रद्द करने और दुर्घटनाओं के लिए तेजी से अभियोजन शुरू और उनपर अनुवर्ती कार्यवाही करने की शक्तियाँ प्राप्त हों।

प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा संरक्षण

9.3.75 पिछले एक दशक के दौरान देश में मोटरीकृत वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने से पेट्रोलियम ईंधन की मांग में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप वाहन प्रदूषण में वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार ने, दसवीं योजना के दौरान निम्नलिखित उत्सर्जन मानदण्ड लागू करके डीजल में सल्फर की मात्रा के स्तर को वर्तमान में 0.5 प्रतिशत से चरणों में 0.10 प्रतिशत तक कम करने के लिए उपाय किए हैं :

- पूरे देश में 1.4.2005 के बाद विनिर्मित सभी श्रेणियों के वाहनों के संबंध में 1.4.2005 से भारत स्टेज II उत्सर्जन मानदण्ड लागू कर दिए हैं।
- 1.4.2005 को और उनके बाद विनिर्मित 4 पहिए वाले वाहनों के संबंध में 1.4.2005 से एनसीआर और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, सिकन्दराबाद सहित, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा में, अन्तर-राज्य परमिटों, राष्ट्रीय परमिटों अथवा अखिल भारत पर्यटक परमिटों

के आधार पर इन नगरों के क्षेत्राधिकार के अन्दर चलने वाले 4 पहिए वाले परिवहन वाहनों को छोड़कर भारत स्टेज III उत्सर्जन मानदण्ड लागू कर दिए गए हैं। ट्रैक्टरों के संबंध में उत्सर्जन मानदण्डों को उन्नत बना दिया गया है। यद्यपि भारत (ट्रेम) स्टेज II मानदण्ड 1 जून, 2003 से लागू हो गए तथापि भारत (ट्रेम) स्टेज III मानदण्ड 1.10.2005 से लागू हो गए हैं।

9.3.76 अन्तर्राष्ट्रीय उत्सर्जन मानदण्डों के अनुसार उत्सर्जन मानदण्डों को संशोधित किया जा रहा है। किन्तु इनके प्रवर्तन में अनेक कमियां हैं तथा जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को पूरक बनाने के लिए निजी क्षेत्रक संस्थानों को प्रत्यायित करके, सुधार किए जा सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन, परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करते हैं। राज्य सरकारें, एक अधिसूचना जारी करके किसी भी एजेंसी को प्राधिकृत करने के लिए सशक्त हैं।

माल और यात्रियों का बाधा-रहित संचलन

9.3.77 पुलिस, बिक्री कर विभाग, परिवहन विभाग और उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क द्वारा अनेक चैकिंग के माध्यम से अन्तर-राज्य संचलन में अवरोधों के फलस्वरूप 2004 में 3200 से 4300 करोड़ रुपये तक के बीच विशाल आर्थिक लागत आई जिसके 2017 तक धीरे-धीरे बढ़कर 60,168 करोड़ तक पहुँच जाने का अनुमान है।

9.3.78 गणतन्त्र स्थल तक बाधा-रहित यात्रा के लिए माल को प्रारम्भिक स्तर पर प्रमाणित करके और अपेक्षित दस्तावेज प्राधिकारियों को प्रेषित करके, प्रारंभ में उच्च मूल्य वाले माल और नश्वर वस्तुओं के संबंध में, एक उपाय के तौर पर, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर पंजीकरण व कर प्रशासन के लिए आनलाइन सूचना नेटवर्क लागू करने के अलावा, अन्तर-राज्य में आने-जाने वाले ट्रकों की नम्बर प्लेट के लिए भिन्न-भिन्न रंग कोड, 'ग्रीन चैनल' की भी अवधारणा लागू की जा सकती है।

मोटर वाहन कराधान

9.3.79 वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में विद्यमान कर संरचना से वाहनों के कराधान के संबंध में भिन्न-भिन्न वर्गीकरण सिद्धान्तों, वाहन श्रेणियों के लिए आजीवन और वार्षिक कर दरें लागू करने में भिन्नताओं, विनिर्दिष्ट तथा मूल्यानुसार दरें और दरों में बहुलता के कारण राज्यों के बीच व्यापक असमानताएं हैं। देश भर में कर संरचना को युक्तिसंगत बनाने से कारोबार की लागतों में कटौती पर इसके प्रभाव की दृष्टि से, आर्थिक निहितार्थों का अध्ययन करने की जरूरत है। वाहन कराधान सड़क क्षति सम्बद्ध है किन्तु सक्षम एक्सल लोड की बजाए उसे सकल वाहन भार के आधार पर आरोपित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बहु-एक्सल

वाहनों की तुलना में 2 एक्सल वाले ट्रकों का कम कराधान होता है और इसे माल वाहनों के संबंध में सकल वाहन भार से एक्सल लोड में बदला जाना चाहिए।

ओवरलोडिंग

9.3.80 ओवरलोडिंग को रोकने के लिए एनएच पर, अन्तर-राज्य चैक स्थलों औद्योगिक क्षेत्रों आदि चुनिन्दा स्थलों पर, भार उतारने और अधिक भार के अस्थाई रूप से भाण्डारगारों में रखने की सुविधाओं के साथ 'वेह इन मोशन (डब्ल्यूआईएम)' सेतु, स्थापित किए जाने की जरूरत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अधिक भार को अनिवार्य रूप से उतारा जाना चाहिए चाहे अपराध समाधेय हो। भारत सरकार ने हाल ही में, मोटर वाहन विधेयक 2007 लागू करके, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के ओवरलोडिंग अपराध के क्षेत्र का विस्तार किया है। प्रस्तावित विस्तार से सामान्य वाहन और प्रेषणकर्ता को भी, वाहन के मालिक के साथ-साथ (जो वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत पहले से ही कवर है) ओवरलोडिंग के लिए जिम्मेदार ठहराता है और इससे वस्तुओं के गैर-कानूनी ओवरलोडिंग का व्यापक प्रचालन हतोत्साहित होगा।

सड़क सुरक्षा

9.3.81 दुर्घटनाओं की संख्या में चार गुणा वृद्धि हुई है, जो 1970 में 1.1 लाख थी, 2004 में 4.3 लाख हो गई जबकि 2004 में दुर्घटनाओं में 92,618 व्यक्ति मारे गए (प्रति 4.6 दुर्घटनाओं में एक मृत्यु) तथा 4,64,521 व्यक्ति चोटग्रस्त हो गए। सड़क दुर्घटनाओं में सामाजिक लागत में घरेलू कुल का 3 प्रतिशत है।

9.3.82 सड़क सुरक्षा एक बहु-आयामीय मुद्दा है, जिसमें सड़क अवस्थापना का विकास और प्रबंधन, सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था, विधान तथा विधि प्रवर्तन, गतिशीलता आयोजना, स्वास्थ्य एवं अस्पताल सेवाओं की व्यवस्था, बाल सुरक्षा और शहरी भू-उपयोग आयोजना सम्मिलित है। सड़क सुरक्षा कार्यनीतियों की सभी पण-धारियों की ओर से सुरक्षा आधारीय समर्थन तथा सामान्य कार्रवाई पर भी निर्भर है। इसका विद्यमान संस्थागत (ढाँचा) बहु-प्रणाली वाला है, जो केन्द्र में एमओएसआरटीएच, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (एनआरएससी) और परिवहन विकास परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य परिवहन विभाग और राज्य सड़क सुरक्षा परिषदों और अन्ततः पुलिस (आईआरसी), केन्द्रीय रोड़ कांग्रेस (सीआरआई) केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), गैर-सरकारी संगठनों तथा शैक्षिक संस्थानों सहित, इसमें सम्मिलित संगठनों और एजेंसियों पर निर्भर है।

9.3.83 भारत में सड़क यातायात से चोटों और मौतों की मात्रा का अनुमान लगाने तथा दुर्घटना पीड़ितों के बचाव व राहत के संबंध में उपाय सुझाने के वास्ते भारत में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा व ट्रैफिक प्रबंधन बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है। जो मानक और मार्गनिर्देश करने के साथ-2 केन्द्रीय और राज्य स्तरीय राज्य साथ संवहित सभी कार्यकलापों पर निगरानी रखें ताकि ट्रैफिक संरचना को अनेक सुधार लाया जा सके। रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

9.3.84 दुर्घटनाएं, चोटें और मौतों को कम करने के उद्देश्य से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और उपाय किए जाने की जरूरत है। सभी एनएच पर, कठोर राजमार्ग पेट्रोलिंग पद्धति के साथ-साथ, परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों पर सड़क सुरक्षा आडिट को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। आघात देखभाल केन्द्र स्थापित किए जाने, दुर्घटना प्रधान स्थलों का विनिर्धारण करने तथा सड़क जियोमेटरी में सुधार लाने के जरूरत है। सभी शहरी और ग्रामीण सड़क के किनारे फर्नीचर मानकों को अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप उन्नत बनाए जाने की जरूरत है तथा साथ ही सड़क डिजाइन, सड़क अनुसंधान और ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा भी की जानी चाहिए। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम का कठोरतः अनुपालन किया जाना महत्वपूर्ण है।

मानव संसाधन विकास

9.3.85 अनुमान है कि मानव संसाधन आवश्यकता 2007 में 12.83 मिलियन से बढ़कर 2012 में 17.64 मिलियन हो जाएगी, जिसमें से 66 प्रतिशत ड्राइवर होंगे, जिनमें से 4/5 भाग माल वाहन श्रेणी में खप जाएंगे। ड्राइविंग दक्षताओं में पर्याप्त रूप से सुधार करने तथा ड्राइवरों के संख्या में विस्तार करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और सीआईआरटी जैसे प्रत्यायित संस्थानों के जरिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ सक्षम ड्राइवर प्रशिक्षण अनुदेशकों का निर्माण करने की जरूरत है। ड्राइविंग स्कूलों द्वारा उपयोगार्थ शहरों के निकट ड्राइविंग ट्रेकों के साथ, पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं कायम किए जाने की जरूरत है। भारत में सड़क सुरक्षा शिक्षा व ड्राइविंग प्रशिक्षण सुविधा प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रक दोनों के द्वारा ही बहुत से उपाय किए गए हैं जिनमें ड्राइविंग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), जो परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार और मारुति उद्योग लि0 के बीच एक संयुक्त उद्यम है, आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ अपर इण्डिया (एएयूआई) ड्राइविंग स्कूल (जो इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करता है) ; अशोक लिलेण्ड द्वारा दिल्ली के

निकट बुरारी में, दिल्ली सरकार के साथ भागीदारी में सड़क ट्रैफिक शिक्षा संस्थान (आईआरटीई) और ड्राइवर ट्रेनिंग संस्थान सम्मिलित हैं। आटोमोबाइलों के ड्राइवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आटोमोबाइल विनिर्माताओं और बीमा कम्पनियों को आमंत्रित करने की पहल को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। भविष्य में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा VIII पास से बढ़ाकर कक्षा XII किए जाने की जरूरत है।

वाहन कार्यकुशलता सुधारने के लिए अनुसंधान और विकास

9.3.86 आरएण्डडी प्रयासों के अन्तर्गत, ऊर्जा संरक्षण और पारि-अनुकूलता पर बल देते हुए बस बाड़ी के डिजाइन, हाइब्रिड सैलों, बायो ईंधन आदि के उपयोगार्थ प्रोपलशन प्रौद्योगिकी और शहरी ड्राइविंग स्थितियों के लिए समुचित पारेषण पद्धतियों का विकास करने पर बल दिया जाना चाहिए।

डाटा बेस

9.3.87 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर रखने की व्यवस्था है। एक आईटी आधारित केन्द्रीयकृत वाहन पंजीकरण पद्धति, 'पीएएन' की तरह अनूठी संख्या प्रदान करके मोटर वाहन पंजीकरण की संग्रहशाला, कर अदा करने वाले तथा कर अदा न करने वाले वाहनों के संबंध में डाटा, सड़क द्वारा माल/यात्री संचलन मापने के लिए सार्वजनिक सर्वेक्षण, कारोबार लागत का आकलन करने के लिए ट्रकों का समय गति सर्वेक्षण के साथ, स्थापित किए जाने की जरूरत है।

गैर-मोटरिकृत परिवहन (एनएमटी)

9.3.88 एनएमटी की स्थिति का अध्ययन करने और साइकिलों, सैर-सपाटों तथा इसी तरह के अन्य साधनों को होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एनएमटी के संबंध में सुरक्षा संहिता के अधिनियम के साथ उपयुक्त अवस्थापना सृजित करने की जरूरत है। इससे मोटरिकृत परिवहन के लिए सड़क पर खुला स्थान उपलब्ध होगा।

ग्यारहवीं योजना के लिए परिव्यय

9.3.89 सड़क परिवहन क्षेत्रक के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय चालू कीमतों पर 1,131.00 करोड़ रुपये है जो बजटीय सहायता होगी। स्कीम-वार ब्योरा परिशिष्ट (खण्ड III) में दिया गया है।

9.3.90 सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग के लिए ग्यारहवीं योजना परिव्यय के लिए कुल पूर्वानुमानित परिव्यय 2006-07 कीमतों पर 108,359 करोड़ रुपये है (चालू कीमतों पर 122,557 करोड़ रुपये), जिसमें 2006-07 कीमतों पर 73,530 करोड़

रुपये की जीबीएस (चालू कीमतों पर 83,164 करोड़ रुपये) और 2006-07 कीमतों पर 34829 करोड़ रुपये के आईईबीआर सम्मिलित हैं (चालू कीमतों पर 39,393 करोड़ रुपये)।

9.4 नौवहन

नौवहन का महत्व

9.4.1 भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में हाल ही के तीव्र विकास से भारत के लिए नौवहन क्षेत्रक के बढ़ते महत्व का पता चलता है क्योंकि देश का अधिकतम 'एग्जिम' व्यापार समुद्रीय मार्ग के जरिए होता है। विदेश व्यापार नीति 2004-09 का एक उद्देश्य 'अगले पाँच वर्षों के दौरान विश्व माल व्यापार के हमारे प्रतिशत हिस्से को दुगुना' करके इसे 1.5 प्रतिशत करना है। 8.42 मिलियन सकल टनेज (जीटी) के साथ, भारत का बेड़े के आकार की दृष्टि से, विश्व बेड़े में 1.19% हिस्से के साथ, समुद्रीय राष्ट्रों के बीच भारत का 20वां स्थान है।

9.4.2 वर्ष 2004-05 तक भारत का टनभार व्यवहार्यतः स्थिर था किन्तु उस वर्ष शुरू किए गए सुधारों से 2005-06 में विकास को जोरदार बढ़ावा मिला। शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (एससीआई) का, जो नौवहन विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्रक उपक्रम है, नौवहन टन भार में प्रमुख हिस्सा है। भारत के नौवहन क्षेत्रक में हाल ही के अनुभव की एक विशेषता, भारत के समुद्रपार व्यापार में 1999-2000 में 31.5 प्रतिशत से 2004-05 में तेजी से कमी आकर 13.7 प्रतिशत होना है। भारतीय नौवहन बेड़े में तेल टैंकरों और थोक कैरियरों की बहुलता है। कुल टनभार में तेल टैंकरों का हिस्सा 60.6 प्रतिशत है, थोक कैरियरों का हिस्सा 29.6 प्रतिशत है तथा लाइनर पोतों, अपतटीय आपूर्ति पोतों (ओएसवी) जैसे अन्य किस्म के पोतों का हिस्सा मात्र 9.8 प्रतिशत है।

दसवीं योजना की समीक्षा

9.4.3 दसवीं योजना के दौरान, नौवहन टन भार में 6.82 मिलियन जीटी के साथ 560 पोतों से 8.60 मिलियन जीटी के साथ 787 पोतों की वृद्धि देखी गई। बेड़े में 1.78 मिलियन जीटी के कुल 227 पोत जोड़े गए जबकि लक्ष्य 3.26 मिलियन जीटी के 156 पोतों का था।

9.4.4 2005-06 के दौरान बेड़े में वृद्धि का मुख्य कारण, इस क्षेत्रक के लिए लागू राजकोषीय व्यवस्था में परिवर्तन का होना था। 2004-05 में टनभार कर लागू किया गया तथा इसे 2005 में नियमित कम्पनी के विकल्प के रूप में ड्रेजर्स पर भी लागू कर दिया गया, जिससे कर कम होकर मामूली दर पर हो गया तथा नौवहन से लाभों को कर से छूट दे दी गई, यदि उनका उपयोग नए टन भार की प्राप्ति के लिए एक निवेश निधि सृजित करने के लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास और विदेशी वाणिज्यिक उधारों को अधिशासित करने वाली उदासीकृत नीति के कारण सस्ती लागत पर पूँजी की अधिक उपलब्धता से भी पोतों के अधिग्रहण को बढ़ावा मिला।

9.4.5 नौवहन क्षेत्रक के लिए दसवीं योजना में 7753.85 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई। इसके विपरीत खर्च की राशि 2991.62 करोड़ रुपये थी, जो कुल परिव्यय का 38.6% थी। स्कीम-वार ब्योरा तालिका 9.4.1 में दिया गया है।

ग्यारहवीं योजना के लिए कार्यनीतियां

9.4.6 जैसा कि डा. राकेश मोहन की अध्यक्षता वाली भारतीय नौवहन समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति (2002) की रिपोर्ट में स्वीकारा गया है कि 'नौवहन अकेला खड़े रहने वाला उद्योग नहीं है तथा इसके अनेक अन्य आर्थिक परिणाम वाले औद्योगिक कार्यकलापों के साथ सहवर्ती संयोजन हैं'। रिपोर्ट में आकलन किया गया है,

तालिका 9.4.1
दसवीं योजना में नौवहन क्षेत्रक का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं. स्कीम/कार्यक्रम	वित्तीय निष्पादन-दसवीं योजना		
	अनुमोदित दसवीं योजना परिव्यय	अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय
1. एससीआई	5800.00	6378.95	2380.94
2. डीजी (एस)	288.84	58.03	59.91
3. डीजी (एलएल)	185.00	132.00	67.41
4. आईडब्ल्यूटी	903.00	615.57	475.87
5. आईटेक	-	7.49	7.49
6. अनावंटित	577.01	-	-
जोड़	7753.85	7192.04	2991.62

नोट :

‘मातृ उद्योग, अर्थात् नौवहन और इसकी उप कम्पनियों के मिले-जुले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका निवल कुल योगदान राष्ट्रीय जीडीपी के 2.5-3 प्रतिशत तक हो सकता है’। इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा पण्य व्यापार के विकास के प्रभाव को अधिकतम बनाने के उद्देश्य से, यह जरूरी है कि नौवहन टन भार व्यापार के साथ-साथ धीरे-धीरे बढ़े। नौवहन क्षेत्रक से प्रतिधारित आय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रकों से निर्यात आय महत्वपूर्ण है।

9.4.7 हमारी समुद्रपार कार्गो जरूरतों के अनुरूप एक राष्ट्रीय नौवहन बेड़े से भारतीय कार्गो की माल लागतों को कम करने में मदद मिलेगी। ‘ट्रान्सचार्ट’ तथा ‘प्रथम अस्वीकृति के अधिकार’ नीति से भी अनुचित भाड़ा वृद्धियों को हतोत्साहित करने में मदद मिलती है। एक समृद्ध नौवहन क्षेत्रक से इस उद्योग की सेवा के लिए आवश्यक सम्बद्ध उद्योग और सेवा प्रदाताओं का विकास भी प्रोत्साहित होता है, जिसका नौवहन क्षेत्रक के राष्ट्रीय योगदान में 75 प्रतिशत से अधिक का अंशदान है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय आपातस्थितियों के दौरान अनिवार्य कार्गो की सप्लाई लाइन को बनाए रखने में राष्ट्रीय टन भार एक निर्णायक भूमिका निभाता है, जैसा कि इराक युद्ध के दौरान भी देखा गया जबकि मध्य-पूर्व से क्रूड आयात की प्रत्येक बूंद भारतीय पोतों द्वारा आई।

टन भार में वृद्धि

9.4.8 ग्यारहवीं योजना के दौरान, 10 मिलियन जीटी का टन भार लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है। भारतीय नौवहन के विकास के लिए प्रेरक परिवेश को राजकोषीय युक्तिकरण, विनियामक पद्धति के सुदृढीकरण और समुद्रीय प्रशिक्षण पर अधिक बल देकर बढ़ावा दिया जा सकता है। यदि नीचे बताए अनुसार समर्थनकारी नीति अपनाई जाए तो 12 मिलियन और 15 मिलियन जीटी तक पोतों की अधिप्राप्ति प्राप्त की जा सकती है। इन परिदृश्यों और साथ ही उनके अपेक्षित निवेशों को नीचे तालिका 9.4.2 में उल्लेख किया गया है :

तालिका 9.4.2
टन भार में वृद्धि

परिदृश्य	टन भार	अतिरिक्त पोत		निवेश (करोड़ रुपये)
	लक्ष्य	संख्या	टन	
परिदृश्य 1	10 मि. जी. टी.	279	4.6 मि. जी. टी.	35,000
परिदृश्य 2	12 मि. जी. टी.	404	6.2 मि. जी. टी.	55,000
परिदृश्य 3	15 मि. जी. टी.	609	9.2 मि. जी. टी.	80,000

राजकोषीय व्यवस्था युक्तिकरण

9.4.9 पोत स्वामी पंजीकरणों में सहजतापूर्वक बदलाव कर सकते हैं और परिणामस्वरूप वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें कर व्यवस्था कम बोझिल हो। भारत में टन भार कर लागू करने का अनुकूल प्रभाव, जैसा कि प्रारंभ में देखा गया, अन्य व्यवस्थाओं में कम कराधान के कारण शीघ्र ही समाप्त हो गया, जिसका उद्योग द्वारा, 5 से 6 प्रतिशत तक का अनुमान लगाया था। भारत में पंजीकृत पोतों पर करों के संचयी भार का अन्य क्षेत्राधिकारों में भार की तुलना में तत्काल अध्ययन करने की आवश्यकता है जिससे कर उपचार में असमानता को कम करने अथवा समाप्त करने हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकें। एक अन्य पहलू, जिसका परिणाम भारतीय ध्वज वाले पोतों के लिए एक कर सम्बद्ध हानि है, यह है कि उनके लिए राष्ट्रीय जनशक्ति आवश्यक है। कम्पनी को भारतीय नाविकों के लिए कर अदायगियाँ रोकनी पड़ती हैं क्योंकि उन्हें आय कर से छूट प्राप्त नहीं है। क्योंकि यह दायित्व अन्य क्षेत्राधिकारों में पंजीकृत और भारतीय नाविकों को नियुक्त करने वाले पोतों पर लागू नहीं होता जिसका परिणाम यह होता है कि भारतीय पोतों को उच्च वेतन अदा करना पड़ता है। भारत में नौवहन के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि करों के संबंध में अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में एकसमान व्यवस्था कायम की जाए।

कार्गो समर्थन

9.4.10 एफओबी आधार पर आयात किए जाने वाले सरकारी स्वामित्व वाले और नियंत्रित कार्गो के संबंध में नीति जारी रखने और नौवहन व्यवस्था नौवहन विभाग के चार्टरिंग स्कंध के माध्यम से किए जाने के लिए ‘ट्रान्सचार्ट’ की सलाह दी जाती है। यह नीति, जो कुछ विकासशील देशों में अपनाई जाने वाली व्यवस्था के समान है, न केवल भारतीय पोतों के लिए कार्गो समर्थन प्रदान करके बल्कि क्रेताओं/प्राप्तकर्ताओं को अपनी आयात आवश्यकताओं के अनुसार नौवहन व्यवस्थाओं और लदान अनुसूचियों पर नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ बनाकर भी लाभप्रद रही है। कार्गो समर्थन के आश्वासन से नए प्रवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है तथा टन भार व विद्यमान कम्पनियों के लिए बेड़े के विस्तार के जोखिम भी कम होते हैं।

समुद्रीय मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण

9.4.11 भारत, समुद्रीय उद्योग के लिए एक बड़े मानव संसाधन आपूर्तिकर्ता राष्ट्र के रूप में बन गया है। समुद्रीय प्रशिक्षण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सरकार द्वारा किए उपायों के परिणामस्वरूप नौवहन निदेशालय द्वारा कोटि प्रशिक्षण आश्वासन के अन्तर्गत समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 2005 में बढ़कर 128 हो गई। विश्व समुद्रीय मानव संसाधनों में भारत का हिस्सा

बढ़कर 26950 अधिकारियों और 75,650 रेटिंग्स का हो गया जो अनुमानतः विश्व नाविकों का 6 प्रतिशत है। समुद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य विश्व कार्यबल के अपने 6 प्रतिशत हिस्से को बनाए रखना व वर्तमान अनुमानित कमियों के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त आपूर्ति करना है।

9.4.12 भारतीय नाविकों पर लागू आय कर की वजह से भारतीय पोत स्वामी घाटे में रहते हैं क्योंकि विदेशी ध्वज वाले पोत भारतीय नाविकों के लिए पहला विकल्प बन जाते हैं और स्थानीय पोत उद्योग सर्वोत्तम प्रतिभा से वंचित रह जाता है। इसके अलावा, भारतीय पोतों के लिए भारतीय नाविक नियुक्त करना अनिवार्य है, जिससे समस्या और गंभीर बन जाती है। इस प्रतिबंध की समीक्षा करना आवश्यक होगा जिससे कि भारतीय नौवहन उद्योग को मानव संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े।

9.4.13 प्रतिभा को बनाए रखने व उसका निर्माण करने के लिए नीतिगत पहल आवश्यक है। समुद्रीय प्रशिक्षण के क्षेत्र में, यद्यपि सभी प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकारियों के लिए दाखिले की क्षमता में वृद्धि हुई है जो आवश्यक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए वर्ष 2000 में 2185 से वर्ष 2006 में 5263 हो गई तथा रेटिंग्स के लिए वर्ष 2006 में 4726 हो गई, तथापि अनेक समुद्र-पूर्व अधिकारियों और रेटिंग्स प्रशिक्षार्थियों को खपाने के लिए समुद्री-समय बर्थों का अभाव है। इस प्रकार, कार्यनीति में समुद्र-पूर्व स्तरों पर क्रेडिट दाखिले में वृद्धि करने की बजाए अधिक समुद्र-समय प्रशिक्षण स्लोटों पर बल देने के लिए बदलाव लाने की जरूरत है। इस हेतु उपायों के अन्तर्गत इण्डियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन (आईएनएसए) की सदस्य लाइनों को प्रत्येक पोत के जन प्रबंधन पैमाने के 10 प्रतिशत का आबंटन मात्र रूप से इन भावी नियोक्ताओं की लागत पर समुद्रीय प्रशिक्षण बर्थों के लिए सहायोजित करना शामिल हो सकता है।

9.4.14 नौवहन क्षेत्रक के लिए विश्व स्तर के प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार संसद के एक अधिनियम के माध्यम से चेन्नई में एक भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय (आईएमयू) स्थापित करेगी जिसके परिसर कोलकाता, मुंबई और विशाखापटनम में होंगे। प्रशिक्षण को राष्ट्रव्यापी रेटिंग, आईएमयू के अन्तर्गत प्रशिक्षण पद्धतियों का समेकन और पुनर्गठन करके प्रशिक्षण को राष्ट्रव्यापी रेटिंग, समन्वयन उसकी निगरानी व नियंत्रित करने के लिए आईएमयू भारत एक केन्द्रीयकृत नोडल एजेन्सी के रूप में भूमिका निभाएगा। इससे, समुद्रीय अध्ययन तथा समुद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा समुद्रीय पर्यावरण जैसे उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान सुकर व प्रोत्साहित होगा। आईएमयू का उद्देश्य, समुद्रीय प्रशिक्षण की सामग्री और कोटि में उत्कृष्टता का एक केन्द्र बनना व साथ ही विश्व समुद्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करना होगा।

9.4.15 इस हेतु और अधिक प्रौद्योगिकीय यंत्रों, प्रशिक्षण, मानव संसाधन उपलब्धता और पोतों को विदेशी तटों पर सर्वेक्षक (सर्वेयर) संचालन को प्राधिकृत करने के लिए तथा मर्केनटाइल मेरीन डिपार्टमेंट को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में निर्णय लेने हेतु और अधिक स्वायत्तता के साथ नौवहन महानिदेशालय में क्षमता निर्माण की भी जरूरत होगी।

अन्य मुद्दे

9.4.16 क्षेत्रीय जल में बढ़ते ट्रैफिक तथा बढ़ते बेड़े को देखते हुए समुद्रीय आपदा और आपातकालीन प्रतिक्रिया पद्धति कायम की जानी चाहिए। पर्यावरण के बचाव के लिए, आइएमओ द्वारा 2004 में यथा अपनाए अनुसार बन्दरगाहों पर अपशिष्ट निपटान सुविधाएं अपनाने के साथ 'इन्टरनेशनल कन्वेंशन फार टि कन्ट्रोल एण्ड मैनेजमेंट आफ शिप्स' की आवश्यकताओं के अनुसार एक 'बालास्ट जल प्रबंधन पद्धति' का विकास करना भी आवश्यक है। इसके अलावा, अपतटीय आपूर्ति पोतों के सुरक्षित प्रचालनों के हित में इस क्षेत्रक के लिए एक विनियामक पद्धति विकसित की जानी चाहिए।

तटीय नौवहन

9.4.17 तटीय नौवहन, पण्य वस्तुओं के स्वदेशी और समुद्रपार व्यापार में आपूर्ति श्रृंखला के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। यह, पहले से अतिभार से ग्रसित (स्ट्रेच्ड) हुए रेल और सड़क ढांचे का एक व्यवहार्य, पारि-अनुकूल और न्यून समाजार्थिक लागत वाला विकल्प है। राष्ट्र के व्यापार और अर्थव्यवस्था में इसके पर्याप्त योगदान के अलावा, नौवहन सेवाएं, अनेक तटवर्ती राज्यों में लोगों के लिए आय के एक बड़े स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है तथा एक आजीविका के साधन के रूप में भी कार्य करता है विशेष रूप से अन्डमान और निकोबार जैसे द्वीपसमूहों के लिए। वर्ष 2004-05 के दौरान बड़े बन्दरगाहों पर तटवर्ती ट्रैफिक 109.80 मिलियन टन था जो कुल बड़े बन्दरगाह ट्रैफिक का 28.6 प्रतिशत बैठता है तथा इसमें 5.81 प्रतिशत सीएआरजी की दर से वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि भारत का तटवर्ती ट्रैफिक जो 2002-03 में 116 मि. टन था, ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) के अन्त तक बढ़कर 220 मि. टन हो जाएगा। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार भारतीय तटीय पोतों में 8.17 लाख जीटी के कुल 497 पोत सम्मिलित हैं। विगत दशक के दौरान, तटवर्ती नौवहन ने लाइनर्स, यात्री-सह-कार्गो लॉचों, टर्ग्स, रो-रोस, ड्रेज़र्स, पायलट/सर्व लॉचों आदि जैसे छोटे आकार के पोतों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। इस समय, तटवर्ती नौवहन के अन्तर्गत, अपतटीय व हार्बर सेवाएं और ड्रेजिंग जैसे कार्यकलाप भी सम्मिलित हैं।

9.4.18 योजना अवधि के दौरान भारतीय तटवर्ती नौवहन के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने इस क्षेत्रक के लिए अनेक रियायतें प्रदान कीं तथा उपाय किए जैसे कि सीमाशुल्क प्रक्रियाओं में कतिपय ढील, टन भार कर का लाभ बन्दरगाहों पर न्यून पोत तथा कार्गो सम्बद्ध प्रभार, एवं तटवर्ती नौवहन के लिए समर्पित टर्मिनलों की व्यवस्था। इसके आर्थिक लाभों के अलावा, तटवर्ती नौवहन से ट्रैफिक भीड़-भाड़ भी कम होती है जो सड़क परिवहन में प्रायः होती है। अन्तर्निहित लाभों के बावजूद, तटवर्ती नौवहन के लिए अपर्याप्त बन्दरगाह और भूमिगत ढाँचा, सीमा शुल्कों का भार, बोझिल प्रक्रियाएं तथा असंतोषजनक बन्दरगाह उत्पादकता कुछेक बाधाएं हैं। तटवर्ती नौवहन के सकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए, राजकोषीय प्रोत्साहनों पर विचार किए जाने की जरूरत है ताकि वे पंजीकृत बहुमोडल परिवहन आपरेटरों, लदानकर्ताओं, व्यापार/उद्योगों के लिए जो पर्याप्त मात्रा में देशज कार्गो तटवर्ती नौवहन के जरिए परिवहन करना पसंद करें।

9.4.19 तटवर्ती नौवहन के लिए अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करने हेतु, तटवर्ती नौवहन क्षेत्रक में प्रभावशाली क्षमता वाले उभरते क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षित ढाँचे के विकास के साथ-साथ प्रत्येक बन्दरगाह के लिए पर्याप्त रेल और सड़क संयोजकता की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। तटवर्ती नौवहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय बन्दरगाहों पर बर्थिंग क्षमताओं का विकास किया जा सकता है तथा यदि आवश्यक है तो, सभी टर्मिनलों पर बर्थस्थान तटवर्ती नौवहन पोतों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

9.4.20 अन्य नीतिगत उपाय, जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं, प्रशिक्षण पहलों और सर्वेक्षण करने से सम्बद्ध हैं। यद्यपि तटवर्ती पोतों के जल संसाधन पैमाने की, उन्हें सरल बनाने के उद्देश्य से, पिछले कुछ वर्षों के दौरान समीक्षा की गई है, तथापि, इसे और युक्तिसंगत बनाए जाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रचालन मानक बने रहें तथा पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हों, प्रचालन (फ्लोटिंग) स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं कायम की जानी चाहिए। सुझाव है कि मात्र रूप से निकटवर्ती तटीय सफर (निअर कोस्टल वॉयज़िस) हेतु नियुक्ति के वास्ते और अधिक क्रेडेंट अधिकारियों का निर्माण व उन्हें बनाए रखने के लिए तटवर्ती नौवहन हेतु विशिष्ट रूप से एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि सर्वेक्षकों का अभाव है इसलिए पोतों को देरी से बचाने के लिए, सर्वेक्षण का कार्य 'श्रेणीकृत सर्वेक्षकों' को सौंपा जा सकता है।

बहु-मोडल परिवहन

9.4.21 विश्व भर में बहु-मोडल पद्धति के विकास ने, जिसमें बढ़ते व्यापार, कन्टेनरीकरण और घटती सम्भारतंत्रीय लागतों ने योग दिया, भारतीय नौवहन परिदृश्य को प्रभावित किया है। भारत में बहुमोडल संचलन को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित भौतिक अवस्थापना का, बन्दरगाह क्षमताओं और अवस्थापना में निवेशों, बन्दरगाह से पृष्ठक्षेत्र तक संयोजकता और बन्दरगाह-रेल-सड़क तालमेल की दृष्टि से समाधान किया जा रहा है। तथापि, सेवाओं के विनियमन, सीमाशुल्कों में प्रक्रियाओं और क्रियाविधियों की योजना और सरलीकरण में समन्वय जैसे नीतिगत मुद्दों पर भी साथ-साथ ध्यान देना जरूरी है। भारत में बहु-मोडल परिवहन, मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्टेशन आफ गुड्स एक्ट 1993 द्वारा अधिशासित है, जिसे सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है ताकि देनदारी व्यवस्था, सेवा मानक कायम करने, सेवा प्रदाताओं आदि जैसे मुद्दों का समाधान हो सके, जिससे कि प्रचालनों में पारदर्शिता की व्यवस्था हो सके।

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (एससीआई)

9.4.22 दसवीं योजना में एससीआई के लिए 5800 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इसमें 1290 करोड़ रुपये की राशि आन्तरिक संसाधनों के रूप में और 4510 करोड़ रुपये की राशि विदेशी उधारों के रूप में सम्मिलित थी। इस परिव्यय के मुकाबले खर्च हुई राशि 2381 करोड़ रुपये अथवा कुल परिव्यय का 41.1 प्रतिशत थी। इसके विनिवेश की संभावनाओं के कारण, एससीआई 0.79 मिलियन जीटी के केवल 9 पोत प्राप्त कर सका जबकि लक्ष्य 2.10 मिलियन जीटी के 39 पोत प्राप्त करने का था।

9.4.23 योजना अवधि के दौरान एससीआई की लाभप्रदता में वृद्धि हुई। निवल लाभ 241.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,042.2 करोड़ रुपये हो गया तथा अचल परिसम्पत्तियां 3,463.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,729.8 करोड़ रुपये की हो गई। परिणामस्वरूप, एससीआई का निवल मूल्य इस अवधि के दौरान 2,095.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,355.4 करोड़ रुपये हो गया, जो आरक्षित राशि और अधिशेष में 1,852.1 करोड़ रुपये से 4,077.8 करोड़ रुपये के स्तर की वृद्धि को परिलक्षित करता है। लाभांश अदायगी भी, जो 2001-02 में 98.8 करोड़ रुपये थी, 2005-06 में बढ़कर 239.9 करोड़ रुपये हो गई।

9.4.24 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया की विभिन्न श्रेणी के 62 पोत प्राप्त करने की योजना है।

नौवहन महानिदेशालय डी जी (एस)

9.4.25 नौवहन महानिदेशालय (डीजी शिपिंग), पण्य नौवहन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है, अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। योजना के दौरान, डीजी शिपिंग के लिए, ई-अधिशासन, सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन आदि के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परिव्यय 288.84 करोड़ रुपये था, जिसमें आईआईएमएस के तहत समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जापान सरकार की सहायता अनुदान के अन्तर्गत सिमुलेटर्स की प्राप्ति के लिए 200 करोड़ रुपये का आईईबीआर घटक सम्मिलित है। तथापि, यह सफलीभूत नहीं हुआ और जीबीएस के अन्तर्गत 88.44 करोड़ रुपये की शेष राशि के विरुद्ध प्रत्याशित खर्च की कुल राशि 63.94 करोड़ रुपये है।

9.4.26 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, नौवहन महानिदेशालय का प्रस्ताव, पण्य समुद्रीय विभाग के सुदृढीकरण, लघु बन्दरगाह सर्वेक्षण संगठन (एमपीएसओ) के लिए आधुनिक सर्वेक्षण यंत्र खरीदने और भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कार्यकलाप आयोजित करने का है।

प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत

9.4.27 प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल), भारतीय तट के साथ-साथ नौसंचालन के लिए समुद्रीय सहायता प्रदान करता है। इस समय 169 प्रकाशस्तम्भ, 1 प्रकाशपोत, 22 विभेदक विश्व पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस), 48 रेकन्स और 22 गहन समुद्र प्रकाशित बार्जेज, समुद्रीय नौसंचालन हेतु मदद के लिए उपलब्ध हैं। डीजीएलएल, भारतीय बन्दरगाहों में प्रवेश करने वाले और छोड़ने वाले पोतों से प्रकाश देयों से अपनी आय प्राप्त करके, राजस्व भी अर्जित करता है।

9.4.28 दसवीं योजना के दौरान डीजीएलएल द्वारा प्रत्याशित राजस्व आय 507 करोड़ रुपये है। 185 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय के मुकाबले इस क्षेत्रक पर परिव्यय का लगभग 45.9 प्रतिशत, अर्थात् 85 करोड़ रुपये व्यय होने की उम्मीद है। प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं : कच्छ की खाड़ी के लिए पोत ट्रैफिक सेवा की स्थापना के लिए कार्य आर्डर देना, रेकन्स स्थापित करना और डीजीपीएस लागू करना। कतिपय सीमा तक, पूर्वी तट के साथ-साथ और अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूहों में सुनामी क्षति के कारण परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई जिसकी वजह से प्राथमिकतापूर्वक प्रत्यावर्तन करना पड़ा।

9.4.29 ग्यारहवीं योजना में, निदेशालय नई परियोजनाएं शुरू करेगा, जैसे कि दृश्यक साधन, रेडियो साधन, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, परिसम्पत्तियों और फ्लोटिला का प्रतिस्थापन, साथ ही नई पहलें जैसे कि संभारतंत्रीय प्रकाशों के सुधार के लिए

सहायता प्रदान करना, पर्यटक आकर्षित करने के लिए प्रकार स्तम्भों का सौन्दर्यकरण, नेशनल आटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एआईएस) नेटवर्क की स्थापना और खम्भात की खाड़ी में पोत ट्रैफिक सेवा।

अन्तर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी)

9.4.30 भारत में लगभग 14,500 कि. मी. नौवहन-योग्य जलमार्ग है जिसमें नदियां, नहरें, अप्रवाही जल खड़ियां आदि शामिल हैं। लगभग 45 मिलियन टन (2.5 बिलियन टन कि. मी.) कार्गो प्रत्येक वर्ष अन्तर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) द्वारा ढोया जाता है। नौवहन और नौसंचालन के लिए अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए 1986 में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) की स्थापना की गई थी। तथापि, अधिकांश जलमार्ग नौसंचालन संबंधित अपर्याप्तताओं से पीड़ित हैं जैसे कि उथले जल, संकीर्ण चौड़ाई, गाद और किनारा अपरदन। परिणामस्वरूप, इसका प्रचालन इस समय लगभग 5200 कि. मी. बड़ी नदियों और 485 कि. मी. नहरों तक सीमित हैं जो मशीनीकृत नौका प्रचालनों के लिए उपयुक्त हैं। आजकल, तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किया गया है, नामतः हृदयिया से इलाहाबाद तक गंगा (1620 कि. मी.), धुब्री से ददिया तक ब्रह्मपुत्र (891 कि. मी.) और कोटापुरम से कोल्लम तक पश्चिमी तट नहर, चम्पाको और उद्योग मंडल नहरों (205 कि. मी.) सहित, तीन और जलमार्गों को घोषित करने पर विचार किया जा रहा है। इस समय व्यवस्थित कार्गो परिवहन एनडब्ल्यू-I में गंगा नदी पर, एनडब्ल्यू-II में ब्रह्मपुत्र नदी पर, एनडब्ल्यू-III में पश्चिम तट नहर और गोआ तथा मुम्बई जलमार्गों में फैला है। कवर हुए राज्य हैं : एनडब्ल्यू-I के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, एनडब्ल्यू-II के अन्तर्गत असम और एनडब्ल्यू-III के अन्तर्गत केरल। सभी तीन राष्ट्रीय जलमार्गों में अनेक निजी ऑपरेटर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि सरकारी क्षेत्रक केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (सीआईडब्ल्यूटीसी) राष्ट्रीय जलमार्ग I और II में प्रचालन कार्य करता है।

9.4.31 आईडब्ल्यूटी द्वारा कार्गो संचालन नौवीं योजना में 197.65 लाख टन (1 बीटीकेएम) से बढ़कर 2005-06 तक 504.13 लाख टन (2.82 बीटीकेएम) हो गया। योजना में आईडब्ल्यूटी के लिए 903 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया जिसके विपरीत परिव्यय का 275 करोड़ रुपये अथवा 30% खर्च किया गया। आईडब्ल्यूआई के लिए अनुमोदित योजनागत परिव्यय 626.73 करोड़ रुपये था जिसके विपरीत परिव्यय का 386.74 करोड़ रुपये अथवा 62 प्रतिशत खर्च किया गया। खर्च मुख्य रूप से फेयरवे पर किया गया जिसमें चैनल विकास के लिए पोतों की प्राप्ति (ड्रेजर सर्वेक्षण लॉन्चर आदि), टर्मिनलों की स्थापना करना,

नौसंचालन साधनों की व्यवस्था, प्रदर्शन प्रयोजनार्थ कार्गो पोतों की प्राप्ति, अन्य जल मार्गों के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन, केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को सहायता और आईडब्ल्यूटी पोतों की प्राप्ति के लिए उद्यमियों के लिए अन्तर्देशीय पोत निर्माण सब्सिडी स्कीम शामिल है।

9.4.32 अन्तर्देशीय जल परिवहन विधि के विकास को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ, भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन नीति अनुमोदित की है जिसके अन्तर्गत आईडब्ल्यूटी के विकास के लिए अनेक राजकोषीय रियायतें और नीतिगत मार्गनिर्देश सम्मिलित हैं, जैसे कि अन्तर्देशीय पोतों की अवस्थापना विकास और स्वामित्व तथा प्रचालन में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहन शामिल है। आईडब्ल्यूएआई, संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा बीओटी परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी करने के लिए भी प्राधिकृत है।

9.4.33 सीआईडब्ल्यूटीसी, पहले पोतों के बेड़े के प्रचालन के अलावा, पोत निर्माण और पोत मरम्मत के कार्यकलापों में भी भाग ले रहा था। अपनी शुरुआत से ही निरन्तर हानियां होने तथा सीआईडब्ल्यूटीसी के पुनर्गठन के निर्णय के फलस्वरूप, राजाबागान डॉकयार्ड (आरबीडी) को 1 जुलाई, 2006 को सीधे ही बिक्री आधार पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स (जीआरएसई) को हस्तान्तरित कर दिया गया है। ब्याज को बट्टे खाते डालने और बकाया मूल राशि को इक्विटी में बदलने संबंधी निर्णय के विषय में वित्तमंत्री द्वारा 2006-07 के पूरक बजट में उपयुक्त प्रावधान किया गया है। सीआईडब्ल्यूटीसी के विनिवेश और वीआरएस के संबंध में सरकार कर्मचारियों की संख्या के विभिन्न स्रोतों के साथ विनिवेश की व्यवहार्यता का आकलन करने के संबंध में कार्रवाई कर रही है।

ग्यारहवीं योजना में नीतियां तथा कार्यक्रम

9.4.34 ग्यारहवीं योजना के दौरान विद्यमान जलमार्गों पर अपेक्षित अवस्थापना कायम करने पर बल दिया जाएगा ताकि उन्हें पूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाया जा सके और नए जलमार्गों का भी विकास किया जा सके। ग्यारहवीं योजना के अन्त तक, विद्यमान 3 एन डब्ल्यू में तीन जलमार्ग, नामतः गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ एकीकृत काकीनाडा से पाण्डिचेरी तक (1095 कि. मी.), ब्रह्माणी नदी और महानदी के डेल्टा के साथ एकीकृत पूर्वी तट नहर (623 कि. मी.) और असम में बराक नदी (152 कि. मी.) से जोड़े जाएंगे जिन्हें मिलाकर कवरेज 4,500 कि. मी. हो जाएगा।

9.4.35 बहु-मोडल परिवहन में आईडब्ल्यूटी के लिए और अधिक सार्थक भूमिका निभाने के लिए, आईडब्ल्यूटी के लिए आयोजना और विकास प्रक्रिया के संबंध में एक संरचित और वैज्ञानिक

दृष्टिकोण की ज़रूरत है। विद्यमान आईडब्ल्यूटी अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने के लिए अपेक्षित निवेशों के तहत कुल मिलाकर अन्त से अन्त तक ट्रेफिक संचलन तथा एक वृहद विकास के लिए परियोजना को अपेक्षित चरण-वार तैयार करने पर विचार करने की आवश्यकता है। परियोजना निर्माण और अनुमोदनों की पूर्ण प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए जाने की ज़रूरत है। आईडब्ल्यूएआई, ईएफसी/पीआईबी के अनुमोदनार्थ प्रत्येक जलमार्ग के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सकता है और इन परियोजनाओं के लिए यथा अनुमोदित तयशुदा चरणों के लिए निधियां जारी की जा सकती है। आईडब्ल्यूएआई द्वारा कुछ व्यवहार्य खण्डों का पता लगाए जाने की ज़रूरत है तथा उनके विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। नौवहन मंत्रालय द्वारा उपरोक्त के अनुसार बजट तैयार करने की ज़रूरत है।

9.4.36 ग्यारहवीं योजना के दौरान, और अधिक प्रोटोकॉल मार्ग, और अधिक कॉल पोर्ट तथा प्रोटोकॉल मार्गों पर उन्नत कार्गो हेण्डलिंग सुविधाएं जोड़कर, पूर्वोत्तर के लिए उच्च निर्यात और बेहतर संयोजकता प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश के साथ सहयोग पर बल दिया जाएगा। कानूनी व्यवस्था में समनुरूपता तथा प्रेरणादायक, बाधा-रहित अंतर-राज्य आईडब्ल्यू प्रचालनों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा पालन किए जाने के हेतु आईडब्ल्यूएआई द्वारा तैयार मॉडल आई.वी. नियमों के निर्माण के साथ-साथ आई.वी. अधिनियम 1917 में संशोधनों पर विचार किया जा सकता है।

ग्यारहवीं योजना के लिए परिव्यय

9.4.37 नौवहन क्षेत्रक के लिए ग्यारहवीं योजना की राशि 2006-07 कीमतों पर 1000 करोड़ रुपये है (चालू कीमतों पर 1,131 करोड़ रुपये)। चालू कीमतों पर जीबीएस का स्कीम-वार ब्योरा परिशिष्ट (खण्ड III) में दिया गया है। क्षेत्रक से 2006-07 कीमतों पर 12,285 करोड़ रुपये की राशि के आईईबीआर भी सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, पोत निर्माण और मरम्मत (एसबीआर) के लिए बजटीय सहायता 150 करोड़ रुपये है (चालू कीमतों पर 170 करोड़ रुपये)। इस क्षेत्रक के लिए आईईबीआर की राशि 2006-07 कीमतों पर 550 करोड़ रुपये है।

9.5 बन्दरगाह

9.5.1 बन्दरगाह, समुद्री तथा सड़क और रेल परिवहन के बीच अन्तर-माडल तालमेल कायम करते हैं। भारत में लगभग 7517 कि. मी. की तटीय रेखा है। जिसमें समुद्री द्वीपसमूहों के साथ-साथ, 12 बड़े बन्दरगाहों और 187 अधिसूचित छोटे (गौण/मध्यवर्ती) बन्दरगाह भारत के विश्व व्यापार की लगभग 95 प्रतिशत मात्रा और मूल्यानुसार 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग के माध्यम से होता है। वर्ष 2006-07 में 12 बन्दरगाहों ने देश के समुद्रीय

कार्गों के लगभग 73 प्रतिशत का संचालन 12 बड़े बन्दरगाहों तथा शेष 27 प्रतिशत का संचालन छोटे बन्दरगाहों द्वारा किया गया। भारतीय बन्दरगाहों द्वारा संचालन किए जाने वाले कुल कार्गों का लगभग 77 प्रतिशत समुद्रपार कार्गों द्वारा होता है। 11 बड़े बन्दरगाहों को संबंधित बन्दरगाह न्यासों द्वारा प्रशासित किया जाता है तथा 12वें बड़े बन्दरगाह, एनमोर बन्दरगाह को, जिसने फरवरी, 2001 में कार्य करना शुरू किया, निगमित बना दिया गया है।

दसवीं योजना की समीक्षा

ट्रैफिक और क्षमताएं

9.5.2 ट्रैफिक और क्षमताएं : दसवीं योजना के लिए, बड़े बन्दरगाहों के संबंध में 415 मिलियन टन का तथा छोटे बन्दरगाहों के संबंध में 150 मिलियन टन ट्रैफिक का पूर्वानुमान लगाया गया था तथा कुल मिलाकर 565 मिलियन टन का लक्ष्य है। बड़े बन्दरगाहों के मामले में उपलब्धियां लक्ष्यों से अधिक रही हैं तथा छोटे बन्दरगाहों के संबंध में भी लक्ष्य पार हो जाने की संभावना है। 2006-07 के दौरान बड़े बन्दरगाहों ने 463.84 मिलियन टन माल को संचालन किया तथा छोटे बन्दरगाहों द्वारा लगभग 171.92 मिलियन टन की संचालन किए जाने की उम्मीद है। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार बड़े बन्दरगाहों पर संचालन किया गया वास्तविक ट्रैफिक 423.42 मिलियन था तथा छोटे बन्दरगाहों के मामले में 151.14 मिलियन टन था। दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष में संचलित वस्तु-वार ट्रैफिक तालिका 9.5.1 में दर्शाया गया है (वर्ष-वार विवरण संलग्नक 9.5.1 में दिया गया है)। वर्ष-वार तथा बंदरगाह-वार (बड़े बंदरगाह) भौतिक उपलब्धियां संलग्नक 9.5.2 में दी गई हैं।

9.5.3 लक्ष्य की तुलना में लगभग 70 मिलियन टन की वृद्धि प्रमुख रूप से, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को लौह अयस्क निर्यात की मात्रा में वृद्धि के कारण थी। उर्वरक, (एफआरएम सहित), ब्रेक बल्क कार्गों और कन्टेनरों में भी ट्रैफिक पूर्वानुमानों को पार कर गया। दूसरी ओर, पीओएल में कमी आई, क्योंकि नागार्जुन तेल रिफाइनरीज लि0 और एनमोर तथा कोचीन में एलएनजी हेण्डलिंग सुविधाएं जिनके योजना अवधि के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद थी, चालू नहीं हुईं। पूर्वानुमानों की तुलना में कोयले के ट्रैफिक में भी कमी रही क्योंकि न्यू मंगलौर और मुम्बई में प्रत्याशित नए विद्युत संयंत्र कायम नहीं हुए।

9.5.4 दसवीं योजना की शुरुआत में बड़े बन्दरगाहों की वास्तविक क्षमता 343.95 मिलियन टन थी जिसके दसवीं योजना के अन्त तक 470.60 मिलियन टन तक बढ़ जाने का लक्ष्य था। तथापि, दसवीं योजना के अन्त में बड़े बन्दरगाहों की वास्तविक क्षमता 31 मार्च, 2007 तक 504.75 मिलियन टन तक बढ़ जाने की संभावना है जो योजना अवधि के दौरान 160.80 मिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है। ऐसी क्षमता अभिवृद्धि, नौवीं योजना की अधूरा स्कीमों एवं दसवीं योजना के दौरान नई स्कीमों के कार्यान्वयन और उत्पादकता में सुधार के फलस्वरूप थी। इस प्रकार, दसवीं योजना के अन्त में बड़े बन्दरगाहों पर 504.75 एमटी की क्षमता 463.84 मिलियन टन के वास्तविक ट्रैफिक से कुछ अधिक थी। ट्रैफिक की बचिंग के लिए रियायत की अधिक गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए। 160.80 मिलियन टन की क्षमता अभिवृद्धि का ब्यौरा तालिका 9.5.2 में दिया गया है।

तालिका 9.5.1
दसवीं योजना कार्गों ट्रैफिक लक्ष्य और उपलब्धिया

(मिलियन मेट्रिक टन)

वस्तु	दसवीं योजना लक्ष्य	2006-07 में वास्तविक		
		बड़े बन्दरगाह	छोटे बन्दरगाह(अन्ततिम)	जोड़
पीओएल	235.30	154.35	81.87	236.22
लौह अयस्क	65.50	80.56	29.21	109.77
कोयला	88.30	60.22	14.05	74.27
उर्वरक, एफआरएम सहित	18.45	14.11	7.05	21.16
कन्टेनर	66.10	73.47	5.0	78.47
अन्य कार्गों	91.35	81.13	34.74	115.87
जोड़	565.00	463.84	171.92	635.76

नोट :

तालिका 9.5.2
दसवीं योजना : बड़े बन्दरगाहों पर बढ़ाई गई क्षमता

(मिलियन मीट्रिक टन)

वस्तु	31.3.2002 को क्षमता	दसवीं योजना के दौरान अभिवृद्धि	31.3.2007 को क्षमता
पीओएल	135.35	39.35	174.70
लौह अयस्क	43.60	13.90	57.50
कोयला	44.20	2.05	46.25
कन्टेनर	37.00	51.08	88.08
अन्य कार्गो	83.80	54.48	138.22
जोड़	343.95	160.86	504.75

उत्पादकता

9.5.5 सभी बड़े बन्दरगाहों पर औसत टर्न-अराउन्ड समय में नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष में 4.24 दिन से सुधार होकर दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष में 2.58 दिन हो गया। बन्दरगाहों के बीच, चेन्नई, तूतीकोरीन, मुम्बई, जेएनपीटी और कान्दला ने सराहनीय सुधार दर्शाया है। बार्थिंग-पूर्व प्रतिधारण, जिसने पर्याप्त सुधार दर्शाया था और जो नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान 11.5 घंटों से घटकर 2003-04 के दौरान 4.9 घन्टे हो गया, में पर्याप्त सुधार दर्शाया है। जो दसवीं योजना के अन्तिम दो वर्षों में थोड़ा सा कम हो गया (किन्तु फिर भी नौवीं योजना के निष्पादन की तुलना में बेहतर था)। बन्दरगाहों के बीच, पारादीप, चेन्नई, तूतीकोरीन, एनमोर और न्यू मंगलौर में सुधार देखा गया। योजना अवधि के दौरान प्रति पोत बर्थदिन परिणाम में भी सतत रूप से सुधार हुआ है जैसाकि तालिका 9.5.3 में दर्शाया गया है।

9.5.6 पिछले दो वर्षों के दौरान औसत बार्थिंग-पूर्व प्रतिधारण समय में कमी का कारण प्राथमिकतापूर्ण बार्थिंग, खाद्यान्न व उर्वरक ढोने वाले पोतों, विशेष रूप से काण्डला, कोलकाता

बन्दरगाह में, हल्दिया डाक पद्धति और विशाखापटनम बन्दरगाहों को, अधिक प्राथमिकता दिया जाना, पोतों की बंचिंग, कतिपय शुष्क थोक वस्तुओं के लिए मशीनीकृत कार्गो हेण्डलिंग उपस्कर की कमी का होना है। यद्यपि संचलन किया गया कार्गो बन्दरगाहों की कुल क्षमता के अन्दर था, तथापि कुछ विशिष्ट बन्दरगाहों में कतिपय वस्तुओं की क्षमता में कमी थी। अपर्याप्त बन्दरगाह क्षमता की वजह से भीड़-भाड़ हो जाती है जिसकी वजह से पोत प्रतिधारण आदि होता है। अधिकांश बन्दरगाहों पर नवीनतम नौचालन साधनों और सुविधाओं, जैसे कि पोत ट्रैफिक प्रबंधन पद्धति (वीटीएमएस), आधुनिकतम नौकाओं आदि की अनुपलब्धता, चौड़ाई में चैनल प्रतिबंध, जिनकी वजह से एक ही दिशा में संचलन होता है, उपलब्ध समर्पित बर्थों की सीमित संख्या, जिनकी वजह से पोतों की बंचिंग होती है तथा अपर्याप्त कार्गो हेण्डलिंग उपस्करों के साथ बड़े पोतों की कालिंग कुछ अन्य कारक हैं जो प्रतिधारणों में वृद्धि में योग देते हैं।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

9.5.7 सरकार ने बड़े बन्दरगाहों में, विशेष रूप से कन्टेनर टर्मिनलों, विशिष्ट कार्गो बर्थों, वेयर हाउसिंग/भण्डारण सुविधाओं आदि में, रियायत अवधि के साथ, जो 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी, 'बीओटी' आधार पर, निजी भागीदारी की एक स्कीम शुरू की है। स्कीम के अन्तर्गत बन्दरगाहों द्वारा निजी आपरेटरों के साथ, जिनका चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर किया जाएगा, संयुक्त उद्यम गठित करने की व्यवस्था है। दसवीं योजना के दौरान स्कीम के तहत आशानुसार प्रगति नहीं हुई। प्रबंधन नियंत्रण आदि के संबंध में आवश्यक नीतिगत उपाय किए जाने आवश्यक है जिससे संयुक्त उद्यमों का गठन सुकर हो सके। छोटे बन्दरगाहों के मामलों में, भारत सरकार की क्षमता अन्तर वित्तपोषण स्कीम को क्षेत्रक की जरूरतों और प्रचालन संबंधी अनिवार्यताओं के अनुरूप बनाना होगा जिससे कि छोटे बन्दरगाहों के लिए इन निधियों की सुलभता सुनिश्चित हो सके। दसवीं योजना अवधि के

तालिका 9.5.3
दसवीं योजना : बड़े बन्दरगाहों के उत्पादकता मानदण्ड

वर्ष	औसत टर्न-अराउन्ड समय (दिन)	औसत बार्थिंग-पूर्व प्रतिधारण (घन्टे)	प्रतिपोत बर्थ दिन औसत परिणाम (टन)
2001-02 (रूद्र योजना)	4.24	11.53	7,158
2002-03	3.69	6.90	8,455
2003-04	3.45	4.90	9,079
2004-05	3.41	6.03	9,298
2005-06	3.41	8.73	9,586
2006-07	2.58	9.94	12,612

दौरान, 11257 करोड़ रुपये की लागत वाली निजी क्षेत्रक स्कीमों का विनिर्धारण किया, 2435 करोड़ रुपये की लागत वाली 8 स्कीमों में 44.40 मिलियन एमटी की वृद्धिकारी क्षमता अधिवृद्धि के साथ पूरी हो गई, 3818 करोड़ रुपये की लागत वाली 6 और स्कीमों में निजी आपरेटरों को अवार्ड की गई हैं जिनसे 45.50 मिलियन एमटी की अतिरिक्त क्षमता सृजित होने की उम्मीद है।

सेतुसमुद्रम चैनल परियोजना

9.5.8 जून, 2005 में मुन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी/पाल्क खाड़ी तक एक नौवहन योग्य चैनल का निर्माण करने के उद्देश्य से सेतुसमुद्रम चैनल परियोजना (एसएससीपी) को मंजूरी दिया जिस नौसंचालन में 424 समुद्रीय मील और पूर्व तथा पश्चिम तटों के बीच चलने वाले पोतों के लिए नौसंचालन समय में 30 घंटे तक की बचत होगी। परियोजना के लिए 2427.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 495 करोड़ रुपये की सरकार की इक्विटी भागीदारी के साथ सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लि0 नामक एक 'विशेष प्रयोजन वाहन' (एसपीवी) का गठन किया गया था।

सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम

9.5.9 गंभीर भूकम्प और सुनामी लहरों के बाद, जिसने 56 बन्दरगाहों, हारबरों, जेट्टियों, व्हाफों और सम्बद्ध संरचनाओं को, विशेष रूप से हट बे के दक्षिणी द्विपसमूहों, कार निकोबार द्विपसमूहों के नान कोवरी समूह और ग्रेट निकोबार को अत्यधिक क्षति पहुँचाई थी, शुरू किया गया 897.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम मार्च 2009 में पूरा होना है।

दसवीं योजना परिव्यय तथा व्यय

9.5.10 बन्दरगाह क्षेत्रक के लिए 5,418.29 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें 972 करोड़ रुपये जीबीएस और 4,446.29 करोड़ रुपये आईईबीआर शामिल है। तथापि, वर्ष-वार आवंटनों को जोड़ने से यह राशि 5,954.84 करोड़ रुपये थी (ब्योरा संलग्नक 9.5.3 में दिया गया है) जिसमें से 2,892.65 करोड़ रुपये अथवा 48.58 प्रतिशत का उपयोग किया गया। व्यय में, विशेष रूप से बड़े बन्दरगाहों के संबंध में, अत्यधिक कमी का कारण, परियोजना निर्माण में असफल रहना है जिसकी वजह से कार्यान्वयन में देरी और छोड़ दी गई/स्थगित की गई स्कीमों के कारण बचत हुई।

बन्दरगाह क्षेत्रक को प्रभावित करने वाला उभरता परिदृश्य

9.5.11 अगले पाँच वर्षों में विश्व व्यापार में भारत के हिस्से को दुगुना करने की पृष्ठभूमि में, बन्दरगाहों के माध्यम से कार्गो के संचलन में कार्यकुशलता और गति लाना महत्वपूर्ण है। लदान और कार्गो प्रौद्योगिकियों में तेजी से बदलाव आ रहा है, पोतों के

आकार व गति में वृद्धि हो रही है बड़े आकार वाले कन्टेनर पोत 14.5 मीटर नौकाओं को संचालित करते हैं तथा 25 नोट की गति से चलते हैं तथा ट्रैफिक का कन्टेनीकरण लगातार और पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है।

9.5.12 ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए, किए गए उपायों में अनेक बन्दरगाहों पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) आधारित एकल खिड़की मंजूरी और कोचीन में एक अन्तर्राष्ट्रीय कन्टेनर लदान टर्मिनल शामिल है। छोटे तथा निजी बन्दरगाहों में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि छोटे बन्दरगाहों ने कार्गो ट्रैफिक के अपने हिस्से में 2000-01 में 23.58 प्रतिशत से 2006-07 में 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि उनकी ट्रैफिक मात्रा में विगत 5 वर्षों में 11.74 प्रतिशत (सीएजीआर) वृद्धि हुई थी। जबकि छोटे बन्दरगाहों के संबंध में 8.54 की वृद्धि हुई थी। तथापि, छोटे बन्दरगाहों पर ट्रैफिक की वृद्धि तटवर्ती राज्यों के बीच असमान थी जहाँ गुजरात ने 60 प्रतिशत से अधिक की हेण्डलिंग की।

9.5.13 तथापि भारतीय बन्दरगाहों को प्रारंभ में क्षेत्र और अन्ततः विश्व श्रेणी के कुशल बन्दरगाहों के बेंच मार्क को प्राप्त करने के लिए सक्षमकरण नीतियों द्वारा परिचालन सवधी कार्यकुशलता में सुधार, नियामक तथा संस्थाग व्यवस्था द्वारा कार्यकुशलता, उत्पादकता, मानव संसाधन आयोजना एवं उपस्कर इत्यादि में सुधार के लिए और भी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

ग्यारहवीं योजना के लिए मुद्दे तथा कार्यनीतियां

क्षमता संवर्धन

9.5.14 वर्ष 2011-12 तक 1,008.95 एमटी के समग्र पूर्वानुमानित ट्रैफिक की पूर्ति के लिए, जिसमें से बड़े बन्दरगाहों का हिस्सा 708.09 एमएमटी होगा, पर्याप्त बन्दरगाह क्षमता निर्मित किए जाने की जरूरत है, जिसका ब्योरा तालिका 9.5.4 में दिया गया है।

ड्रेजिंग

9.5.15 बन्दरगाह क्षमता के इस महत्वपूर्ण संघटक में, दसवीं योजना अवधि के दौरान केपिटल ड्रेजिंग के लिए लक्ष्य का केवल 11 प्रतिशत प्राप्त किया जा सका। ग्यारहवीं योजना में केपिटल ड्रेजिंग की आवश्यकता दुगुनी से भी ज्यादा बढ़ाकर बड़े बन्दरगाहों और एसएससीपी के संबंध में 298.28 एमसीयूएम और छोटे बन्दरगाहों के संबंध में 367.18 एमसीयूएम कर दी गई है, जो क्रमशः 380.06 एमसीयूएम और 33.89 एमसीयूएम के अनुष्ण ड्रेजिंग के अलावा है। ग्यारहवीं योजना के दौरान बन्दरगाहों की ड्रेजिंग क्षमता 29.73 एमसीयूएम प्रतिवर्ष तथा डीसीआई की 168 एमसीयूएम होगी।

तालिका 9.5.4
ग्यारहवीं योजना में बड़े बन्दरगाहों में क्षमता निर्माण और पूर्वानुमानित ट्रैफिक

(मिलियन मिट्रिक टन)

बन्दरगाह	2011-12 में पूर्वानुमानित ट्रैफिक	विद्यमान क्षमता 2006-07	2011-12 तक क्षमता अभिवर्धन	2011-12 में कुल क्षमता
कोलकाता	13.43	13.40	18.85	32.25
हल्दिया	44.50	43.50	21.20	64.70
पारादीप	76.40	56.00	55.00	111.00
विशाखापटनम	82.20	58.50	52.40	110.90
एन्नोर	47.00	13.00	51.20	64.20
चेन्नई	57.50	50.00	23.50	73.50
तूतीकोरीन	31.72	20.55	43.43	63.98
कोचीन	38.17	20.15	35.40	55.55
न्यु मंगलौर	48.81	41.30	22.50	63.80
मोरमुगाओ	44.55	30.00	37.46	67.46
मुम्बई	71.05	44.65	48.16	92.81
जेएनपीटी	66.04	52.40	43.90	96.30
काण्डला	86.72	61.30	58.80	120.10
जोड़	708.09	504.75	511.80	1016.55

9.5.16 इस क्षमता निर्माण को समर्थ बनाने के लिए और अधिक उदार ड्रेजिंग नीति लागू की गई है जिसके तहत भारतीय कम्पनियों को 'अस्वीकृति का प्रथम अधिकार' (आरओएफआर) प्रदान करने के बाद विदेशी ध्वज वाले ड्रेजर का प्रधिकार करने की अनुमति प्रदान कर है। दीर्घावधिक आधार पर निजी ड्रेजिंग कम्पनियों से अपेक्षित ड्रेजर प्राप्त करने के नीतिगत विकल्प पर, करार समझौते में टर्मिनल ऑपररेटर के लिए समुचित गारन्टी तथा जोखिम हिस्सेदारी के प्रावधान के साथ, विचार करना आवश्यक है। पर्याप्त ड्रेजिंग घटक वाली परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यमों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

9.5.17 सामान्य रूप से कार्गो ट्रैफिक और विशेष रूप से कन्टेनर ट्रैफिक पश्चिमी बन्दरगाहों पर संकेन्द्रित है जिसकी वजह से भीड़-भाड़ और देरी होती है। पश्चिमी बन्दरगाहों का अधिकांश पूर्व समुद्र लेन ट्रैफिक के लिए भी विशिष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है जो कुल कन्टेनर ट्रैफिक का लगभग 40 प्रतिशत है। पूर्वी बन्दरगाहों पर गहन ड्राफ्ट चाहने वाले कन्टेनर पोतों को संचलित करने के लिए ड्रेजिंग सुविधाओं के विकास को ग्यारहवीं योजना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (डीसीआई)

9.5.18 बड़े और बन्दरगाहों के लिए एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1976 में स्थापित ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ

इण्डिया की क्षमता, दसवीं योजना की शुरुआत में, ट्रेलर सेक्शन ड्रेजरों (टीएसडी) की 73.60 एमसीयूएम तथा कटर सेक्शन ड्रेजरों (सीएसडी) की 6.25 एमसीयूएम थी। ड्रेजरों के लिए प्राप्ति आदेशों को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण दसवीं योजना के दौरान कोई क्षमता अभिवृद्धि नहीं हुई। दसवीं योजना में खर्च की राशि 206.12 करोड़ रुपये है जबकि परिव्यय की राशि 365 करोड़ रुपये थी।

9.5.19 ग्यारहवीं योजना के दौरान, डीसीआई का प्रस्ताव, अन्य सहायक उपस्कर के अलावा, 5000-9000 सीयूएम होपर क्षमता के 10 टीएसएचडी और 2000-3000 सीयूएम होपर क्षमता के 5 सीएसडी प्राप्त करने का है।

नए गहन ड्राफ्ट बन्दरगाहों का विकास

9.5.20 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के बन्दरगाहों पर ट्रैफिक में आशान्वित वृद्धि का सामना करने के लिए कुछ और बन्दरगाह, विशेष रूप से पूर्वी तट पर, विकसित करने के लिए आवश्यक व्यवहार्यता तथा स्थान संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं।

उत्पादकता

9.5.21 संवर्धित प्रशिक्षण और अधिशेष मानव संसाधनों की पुनः तैनाती के माध्यम से श्रम उत्पादकता में सुधार करना ग्यारहवीं योजना के दौरान विचार किया जाने वाला एक प्रमुख विषय है।

इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बन्दरगाहों को, अप्रचलित उपस्कर को अधिशेष/अप्रचलित उपस्कर के निपटान के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा मार्गदर्शित आधुनिकतम बहु-कार्य शिथिलनीय उपस्कर द्वारा, समय पर प्रतिस्थापन के जरिए, कार्गो हेण्डलिंग उपस्कर के चयन, तैनाती और प्रचालन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। निजी प्रचालकों के साथ प्रतिस्पर्धा से सार्वजनिक बर्थों की उत्पादकता में कुछ सुधार दिखाई देने लगे हैं।

रुकने का समय

9.5.22 भारतीय बन्दरगाहों पर कार्गो के रुकने का समय अनेक बाधाओं के कारण अधिक है। भारतीय बन्दरगाहों में कार्य प्रवाह, हस्तचालित है। व इसमें आईटी गैर का स्तर निम्न कन्टेनर संचालन के लिए, उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) के साथ पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक परिवेश, जिससे बन्दरगाहों के संसाधनों का एकसमान और सुचारु ढंग से इस्तेमाल सुकर होता है, परिपूर्ण ढंग से अभी कायम किया जाना है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई), जो बन्दरगाह, सीमाशुल्क, पोत लाइनों, और उपभोक्ताओं के बीच डाटा इलेक्ट्रॉनिकी ढंग से प्रवाह सुनिश्चित होता है, समग्र समुद्रीय सम्भारतंत्रीय श्रृंखला में अधिक शुद्धता, गति और कार्यकुशलता प्रदान करती है, को अभी एक एकसमान मंच पर चालू किया जाना है। अनुमान है कि इस सूचना अवरोध की वजह से प्रलेखन के लगभग 40 प्रतिशत का योगदान होता है। इस समय ईडीआई है न्यूनतम जिसके तहत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा तैयार स्वामित्व संदेश विनिमय प्रारूप आता है। ईडीआई के लाभों को अधिकतम बनाने तथा एक कागजरहित व्यवस्था की दिशा में बढ़ने के लिए, केन्द्रीयकृत वेब आधारित बन्दरगाह समुदाय पद्धति (पीसीएस) कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय पहले ही किए गए हैं जिससे अन्ततः बन्दरगाह समुदाय का एकीकरण प्राप्त होगा। उपरोक्त के अलावा, अपर्याप्त अवस्थापना, अन्य विधियों के साथ सतत संयोजकता का अभाव जैसी अन्य बाधाएं हैं। इन मुद्दों के विषय में सचिवों की एक समिति ने विचार किया है तथा दिसम्बर, 2007 से जून, 2010 तक की अवधि के लिए समय संरचना का उल्लेख करते हुए उपयुक्त सिफारिशों की हैं। इन सिफारिशों पर अमल होने के बाद शुष्क बल्क, ब्रेक बल्क और कन्टेनरों के संबंध में अन्त में रुकने के समय में, क्रमशः 3.23, 5.62 और 1.88 दिन से 1.60, 1.50 और 1.00 दिन आयात के मामले में और 3.57, 6.60 और 3.78 दिन से 1.70, 3.30 और 1.50 दिन निर्यात के मामले में कटौती होने की उम्मीद है।

9.5.23 सीमा शुल्क की जोखिम प्रबंधन पद्धति : बन्दरगाहों पर कार्गो के रुकने के दो मुख्य सीमाशुल्क घटक, बन्दरगाहों पर आकलन व जाँच-पड़ताल है। जोखिम प्रबंधन पद्धति (आरएमएस) पर अमल करने से बन्दरगाहों पर कार्गो के रुकने में पर्याप्त रूप से

कटौती होगी। आरएमएस का बुनियादी दृष्टिकोण 'प्रत्यायित व्यापार भागीदार पर विश्वास करना' तथा स्वःमूल्यांकन पद्धति है तथा इसमें परिकल्पित जोखिमों का समाधान करने के लिए न्यूनतम और समुचित हस्तक्षेप करना व्यवस्था है। आरएमएस की स्कीम के अन्तर्गत एक प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम सम्मिलित है जिसके तहत उन ग्राहकों के लिए आश्वस्त सुविधा की व्यवस्था है जो अदा किए गए शुल्क की राशि, आयात की मात्रा और स्वच्छ अनुपालन रिकार्ड की दृष्टि से विनिर्दिष्ट मापदण्डों की पूर्ति करते। उनके आयात थोड़ी प्रतिशतता में एक पद्धति निर्मित यादृच्छिक चेकों के अध्यधीन होंगे ताकि उनके सतत अनुपालन का मानीटर किया जा सके तथा अचानक जांच का भय बना रहे। अप्रत्यायित ग्राहक आयात के संबंध में, आरएमएस, ऐसे कारोबार से जुड़े जोखिमों के एक आकलन के आधार पर अलग-अलग कारोबार के साथ किए जाने वाले व्यवहार का निर्धारण करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभाग के संसाधन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर संकेन्द्रित किए जाएं ताकि राजस्व के लिए खतरों और आयातों पर प्रतिबंधों/निषिद्धियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। बड़ी संख्या में कम जोखिम वाले प्रवेश बिलों को अधिकारियों द्वारा बिना किसी आकलन और जाँच के मंजूरी प्रदान की जाती है।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

9.5.24 अधिकांश क्षमता संवर्धन पीपीपी और कैप्टिव उपभोक्ताओं के माध्यम से किया जाएगा। बड़े बन्दरगाहों पर नई बर्थों का निर्माण उन वर्गों के सिवाय जिनका निर्माण प्रचलन संबंधी कर्तियों से बन्दरगाहों स्वयं के संसाधन द्वारा ही पीपीपी मोड द्वारा किया जायेगा, पहले से विनिर्धारित क्षेत्रों के अलावा ग्यारहवीं अवधि के दौरान अनुसूचित ज़ेजिंग प्रचालनों और पायलोटज में निजी निवेश आमंत्रित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। एक स्थिर नीति और विनियामक संरचना की व्यवस्था करने के लिए, विद्यमान माडल बोली दस्तावेजों में, कन्सेशन करारों सहित, विद्यमान पीपीपी परियोजनाओं से एकत्र किए गए अनुभवों के आधार पर, संशोधन किया जा रहा है। विद्यमान निजी टर्मिनलों के सभी अनुभवों और सभी पणधारियों की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए एक नया माडल कन्सेशन करार (एमसीए) तैयार किया जा रहा है।

छोटे बन्दरगाह

9.5.25 छोटे बन्दरगाहों और निजी बन्दरगाहों पर ट्रैफिक में 11.74 प्रतिशत (सीएजीआर) की दर से वृद्धि हो रही है तथा उम्मीद है कि उनका हिस्सा 2005-06 में 26.30 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 30 प्रतिशत हो जाएगा। ग्यारहवीं योजना

अवधि के दौरान उम्मीद है कि छोटे बन्दरगाह अपनी क्षमता को 228.31 एमएमटी से 575 एमएमटी तक दुगुने से भी अधिक बढ़ा लेंगे। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रारंभ की जाने वाली विकास स्कीमों का कुल मूल्य लगभग 36,000 करोड़ रुपये होगा, जिसमें निजी इकाइयों का प्रमुख रूप से योगदान होगा।

9.5.26 बड़े तथा छोटे बन्दरगाहों का एक वृहद तथा एकीकृत विकास परिप्रेक्ष्य आवश्यक है क्योंकि वे एक-दूसरे के पूरक और प्रतिस्पर्धी होंगे। उपयुक्त नीतियां विकसित करने की जरूरत है जिससे कि छोटे बन्दरगाह भी समुद्रीय राज्यों और केन्द्रीय एजेन्सियों के बीच उपयुक्त समन्वयन के साथ विकास के केन्द्र के रूप में कार्य करें।

टैरिफ विनियमन

9.5.27 बन्दरगाह प्रचालनों में निजी उद्यमियों के बढ़ते समावेश के फलस्वरूप एक प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश का धीरे-धीरे उदय हो रहा है। बन्दरगाह प्रचालकों की बहुलता से एक ऐसी संस्थागत पद्धति की बढ़ती जरूरत सामने आई है जिसके अन्तर्गत सभी बन्दरगाह प्रचालकों के लिए कार्य करने के समान अवसर प्राप्त हो सकें। नौसंचालन सुरक्षा, बचाव और बन्दरगाहों में संरक्षण, सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को भी एक राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित किए जाने की जरूरत है। बड़े बन्दरगाहों के लिए बनी टैरिफ प्राधिकरण का अधिकार और बड़े बन्दरगाहों पर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत निजी आपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, टैरिफ आरोपित करने तक सीमित है। बन्दरगाहों के लिए विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए एक उपयुक्त विनियामक और विनयंत्र पद्धति कायम की जानी चाहिए।

बॉक्स 9.5.1 टैरिफ निर्धारण पद्धति

पीपीपी परियोजनाओं के लिए राजस्व भागीदारी माडल सहित वर्तमान 'लागत सहित' (कॉस्ट पर) टैरिफ निर्धारण पद्धति में कुछ विसंगतियां हैं। टैरिफ निर्धारण पद्धति की जाँच तथा पीपीपी परियोजनाओं के लिए निविदा प्राचल तैयार करने के वास्ते श्री अनवारुल हुदा, सदस्य, योजना आयोग, की अध्यक्षता में गठित कार्यबल (टास्क के) ने बन्दरगाह प्रचालकों द्वारा वसूल किए जाने वाले टैरिफ, पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाने तथा पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा लागू हो जाने पर बाजार बलों द्वारा तय किए। तथापि, विमर्श की बात कही है, में इस प्रयोजनार्थ विकसित किए जाने वाले मानदण्डों के आधार पर अधिकतम टैरिफ सीमा निर्धारित करने के बाद, बर्थों की बोली लगाई जानी चाहिए। वर्तमान की तरह ही राजस्व हिस्सेदारी एकमात्र बाध्यकर प्राचल जारी रहेगा।

संस्थागत सुधार

9.5.28 बन्दरगाह प्रबंधन को बन्दरगाह उपभोक्ताओं की गतिशील और बढ़ती जरूरतों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने के वास्ते: (क) उन्हें वित्तीय तथा प्रचालनात्मक स्वायत्तता प्रदान करना आवश्यक होगा। (ख) प्रबंधन को वाणिज्यिक बनाने के उद्देश्य से विनियामक और प्रबंधन कार्य का पृथक करना (ग) दीर्घावधिक पूँजी व परियोजना वित्त की सुलभता, और निश्चित करना (घ) विभिन्न सेवाएं प्रदान करने तथा विनिर्धारित क्षेत्रों का निजीकरण करना।

निगमीकरण

9.5.29 बन्दरगाह न्यासों का निगमीकरण करने से निधियों की बेहतर सुलभता बोर्ड प्रबंधित निगमित इकाई कायम करने और भी निवेश में सुकरता प्राप्त होगा। दूसरी ओर, परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निगमीकरण से बन्दरगाह उपभोक्ताओं को सेवा की कोटि में किसी परिवर्तन के बगैर मात्र टैरिफों में वृद्धि होगी यदि ऐसे प्रयास के साथ अन्य समर्थनकारी सुधार न किए जाएं। 'मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट' के प्रावधानों का बन्दरगाह सेवाओं के विवेकपूर्ण निजीकरण के साथ यादृच्छिक रूप से वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के वास्ते इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है जिसमें बन्दरगाह न्यास एक भूस्वामी की भूमिका निभाएं। जिस मामले में किसी सेवा विशेष से पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध न हो और इस प्रकार समग्र निजीकरण के लिए अ-व्यवहार्य हो, तो निजी निवेश आकर्षित करने के लिए संयुक्त उद्यम का मार्ग अपनाया जा सकता है तथा प्रबंधन विशेषज्ञता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9.5.30 उत्पादकता, सेवा की कोटि में सुधार तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए बड़े बन्दरगाहों पर विद्यमान संरचना का, लेण्डलॉर्ड पोर्ट माडल में अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप बन्दरगाह सेवाएं प्रदान करने के लिए पुनर्गठन करना होगा।

बन्दरगाहों में आई टी

9.5.31 अभी तक, दो बुनियादी आईटी पद्धतियों में से, नामतः बन्दरगाहों के प्रचालन के प्रबंधन के लिए अनुप्रयोग साफ्टवेयर और किसी मानव तालमेल के बिना मूल्यांकन और ड्यूटी की अदायगी सुकर बनाने के लिए ईडीआई, कुछ बन्दरगाहों में उपभोक्ता-पश्चात तालमेल प्राप्त हो गया है जबकि ईडीआई लागू किया गया है तथा पारादीप को छोड़कर, सभी बन्दरगाहों में सीमा शुल्क-पश्चात तालमेल प्राप्त हो गया है। अब, समुद्रीय परिवहन श्रृंखला के बीच सभी कार्यकलापों को एक एकसमान मानक

बन्दरगाह समुदाय पद्धति (पीसीएस) के माध्यम से एकीकृत करना होगा। उम्मीद है कि प्रमुख बन्दरगाहों में पीसीएस ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष में लागू कर दी जाएगी। बन्दरगाहों को, बन्दरगाहों की कार्यकुशलता तथा प्रभावशालिता को अधिकतम बनाने के लिए आधुनिकतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां विकसित और लागू करने के उद्देश्य से अपनी आईटी नीति तैयार करनी चाहिए।

9.5.32 संक्षेप में, ग्यारहवीं योजना के दौरान बन्दरगाह क्षेत्रक में आईटी के अन्तर्गत निम्नलिखित पर बल दिया जाएगा : (क) बड़े बन्दरगाहों पर केन्द्रीयकृत वेब-आधारित ईडीआई-पीसीएस लागू करना तथा इसका आपूर्ति श्रृंखला तक और विस्तार करना, व अन्य बन्दरगाहों को इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना, (ख) बन्दरगाहों को, लदानों पर आरएफआईडी टैगों से डाटा संकलित करने के लिए आरएफआईडी रीडर तैयार करने और (ग) सभी बड़े बन्दरगाहों को शामिल करते हुए एक केन्द्रीयकृत ईआरपी लागू करना।

पृष्ठक्षेत्र संयोजकता

9.5.33 अन्य खामियों के अलावा, बन्दरगाह कार्यकुशलता, बन्दरगाहों से कार्गो की धीमी निकासी अथवा पोतों के धीमे टर्न-अराउण्ड की वजह से अतिरिक्त ट्रैफिक हेण्डल करने की उनकी असमर्थता की वजह से, बाधित है। इससे, भारतीय बन्दरगाहों की क्षेत्र में अन्य बन्दरगाहों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आती है तथा देश में विनिर्माण में निवेश के लिए परिवेश दूषित होता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि पृष्ठक्षेत्र के साथ बड़े बन्दरगाहों की संयोजकता में न केवल वर्तमान स्तर पर ट्रैफिक का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बल्कि ट्रैफिक में प्रत्याशित वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी, वृद्धि की जाए।

9.3.34 पृष्ठक्षेत्र संयोजकता पर विचार करने के लिए गठित सचिवों की समिति की सिफारिशों में चार लेन वाली सड़कों का निर्माण व प्रत्येक बड़े बन्दरगाह के लिए रेलवे लाइन संयोजकता को दोहरा करना, न्यूनतम निर्धारित आईपीआर से कम परियोजनाओं पर प्रत्येक मामले के आधार पर विचार करना तथा बजटीय सहायता पर विचार करना और साथ ही ऐसी परियोजनाओं के लिए वीजीएफ के अन्तर्गत सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि 2,036 करोड़ रुपये मूल्य की 10 सड़क परियोजनाएं तथा 2,014 करोड़ रुपये मूल्य की 8 रेल परियोजनाएं जिन्हें पहले ही मंजूर कर दिया गया है, एक समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं। सभी अनुमोदित सिफारिशों को 3 वर्ष की अवधि के अन्दर अर्थात् 2009 तक कार्यान्वित किया जाना है।

अन्डमान लक्ष्यद्वीप हार्बर निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू)

9.5.35 अन्डमान लक्ष्यद्वीप हार्बर निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू) की स्थापना, अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों तथा लक्ष्यद्वीप द्वीपसमूहों में बन्दरगाह व हार्बर सुविधाओं के आयोजन, निष्पादन और अनुसंधान के लिए, 1965 में की गई थी। दसवीं योजना के दौरान कार निकोबार में 'मुस' में ब्रेकवाटरों का निर्माण और लिटिल अन्डमान में 'हट बे' में जहाज घाट (क्वार्ड) का विस्तार कार्य पूरा हो गया। लक्ष्यद्वीप में अगाथी, अमिनी और मिनिकाय तथा कवास्ती में तटनिर्माण तथा पोर्ट ब्लेयर में जंगलीघाट हार्बर का विकास कार्य व कम्पेबल बे में गहन समुद्र जहाज-घाट का कार्य शुरू किया गया है। 200 करोड़ रुपये के दसवीं योजना परिव्यय के मुकाबले 31.3.2007 तक खर्च हुई राशि 144.20 करोड़ रुपये थी।

ग्यारहवीं योजना के लिए परिव्यय

9.5.36 केन्द्रीय क्षेत्रक बन्दरगाहों के लिए ग्यारहवीं योजना बजटीय सहायता की राशि 2006-07 कीमतों पर 3,315 करोड़ रुपये है (चालू कीमतों पर 3,749 करोड़ रुपये)। चालू कीमतों पर जीबीएस का स्कीम-वार ब्योरा परिशिष्ट (खण्ड-III) में दिया गया है। इसके अलावा, उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्रक से 2006-07 कीमतों पर 26,574.11 करोड़ रुपये का आईईबीआर सृजित होगा तथा 36,868.00 करोड़ रुपये का निजी क्षेत्रक निवेश होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्रक में 3,627.00 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है।

9.5.37 नौवहन विभाग के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए कुल पूर्वानुमानित परिव्यय (बन्दरगाह सहित) की राशि 2006-07 कीमतों पर 43,874 करोड़ रुपये है (चालू कीमतों पर 49,623 करोड़ रुपये), जिसमें 2006-07 कीमतों पर 4,465 करोड़ रुपये की जीबीएस (चालू कीमतों पर 5050 करोड़ रुपये) और 2006-07 कीमतों पर 39,409 करोड़ रुपये के आईईबीआर (चालू कीमतों पर 44,573 करोड़ रुपये) सम्मिलित हैं।

9.6. नागर विमानन

सिंहावलोकन

9.6.1 हवाई परिवहन विशेष रूप से दूरवर्ती यात्रा, व्यवसाय यात्रा, कठिन तराइयों तक पहुँचने के लिए तथा उच्च कीमत वाली तथा नश्वर वस्तुओं के यातायात के लिए एक पसन्दीदा परिवहन विधि है, जिसका मुख्य कारण यात्रा की गति और समय की बचत है। दसवीं योजना व द्वितीय अर्ध में निजी वाहकों (कैरियरों) के लिए घरेलू आकाश को खोल देने से, हवाई सेवाएं वहनीय हो गई हैं तथा अब ये परिवहन की अन्य साधनों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अर्थव्यवस्था के विकास और उदारीकरण से प्रेरित इस क्षेत्रक ने दसवीं योजना के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की, जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से तेजी आई।

दसवीं योजना की समीक्षा

9.6.2 दसवीं योजना के दौरान नागर विमानन मंत्रालय के लिए 12,928.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई जिसमें से 7,792.09 करोड़ रुपये अथवा परिव्यय का 60 प्रतिशत उनके द्वारा खर्च किया गया। तथापि, जीबीएस के रूप में व्यवस्थित 672.73 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले खर्च की गई राशि 546.10 करोड़ रुपये अथवा 81 प्रतिशत थी। परिव्यय और प्रत्याशित व्यय का विवरण संलग्नक 9.6.1 में दिया गया है।

9.6.3 एयरलाइन और हवाईअड्डे क्षेत्रक में महत्वपूर्ण घटनाओं में सम्मिलित हैं : (क) दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का संयुक्त उद्यम कम्पनियों के माध्यम से आधुनिकीकरण और पुनर्संरचना, (ख) बंगलौर और हैदराबाद में 'बीओओटी' आधार पर सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के साथ ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का विकास, (ग) 35 नाम मेट्रो हवाई अड्डों व 13 अन्य हवाईअड्डों का, चरणों में, विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण का अनुमोदन, (घ) ग्रीन फील्ड हवाईअड्डे स्थापित करने के लिए आटोमेटिक मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत सीमा तक एफडीआई सीमा का उदारीकरण, (ङ) एयर इण्डिया लि0, एयर इण्डिया चार्टर्स लि0 तथा इण्डियन एयरलाइन्स लि0 के लिए आधुनिक तथा प्रौद्योगिकीय उन्नत वायुयानों की अधिग्रहण, (च) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन क्षेत्रक में समकालिक घटनाओं के अनुरूप द्विपक्षीय हवाई सेवा करारों का उदारीकरण, (छ) चरम सत्र के दौरान ट्रेफिक मांग को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा में सीमित मुक्त आकाश नीति अपनाना, और (ज) एयर कार्गो की शीघ्र निकासी को सुकर बनाने के वास्ते सीमाशुल्क प्रक्रियाओं में व्यापार सुविधा उपाय अपनाना।

ग्यारहवीं योजना

उद्देश्य

9.6.4 ग्यारहवीं योजना के लिए नागर विमानन क्षेत्रक का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवस्था करना होगा : (क) विश्व स्तर की मूलभूत सुविधाएं, (ख) सुरक्षित, विश्वसनीय और वहनीय हवाई सेवाएं जिससे कि यात्री और कार्गो ट्रेफिक में विकास प्रोत्साहित हो सके, और (ग) देश के पूर्वोत्तर भाग के विशेष संदर्भ के साथ, दूरवर्ती व दुर्गम क्षेत्रों के लिए हवाई संयोजकता।

कार्यनीतियाँ

9.6.5 उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत होगी जिसमें प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण और विस्तार, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल हो, सभी हवाई अड्डों पर कार्गो संचालन सुविधाओं का संवर्धन और हवाई यातायात प्रबंधन

(एटीएम) पद्धति का उन्नयन और आधुनिकीकरण शामिल है।

9.6.6 इसी प्रकार, एयरलाइन क्षेत्रक में, नवीनतम उपस्कर से सज्जित आधुनिक ईंधन बचत वायुयानों की अधिग्रहण को प्रोत्साहित किया जाएगा। एयरलाइनों और हवाईअड्डों में क्षमता निर्माण प्रक्रिया मुख्यतः निजी क्षेत्रक भागीदारी के माध्यम से की जाएगी। यद्यपि भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) के माध्यम से नान मेट्रो हवाईअड्डों को आधुनिक बनाने के लिए निर्णय ले लिया गया है, तथापि इन हवाईअड्डों पर नगर की ओर (सिटी साइड) का विकास पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा। दो बड़े मेट्रो हवाईअड्डे (दिल्ली और मुंबई) और दो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे (बंगलौर और हैदराबाद), जिन्हें ग्यारहवीं योजना के दौरान पूरा किया जाएगा, पहले ही पीपीपी के माध्यम से विकसित किए जा रहे हैं। नवी मुंबई हवाईअड्डे के लिए भी एक ऐसी ही कार्यनीति की परिकल्पना की गई है जिसके लिए सिद्धान्ततः स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यद्यपि कोलकता और चेन्नई में विद्यमान हवाई अड्डों का विकास एएआई द्वारा किया जाएगा किन्तु इन स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का विकास पीपीपी के माध्यम से किया जाना आवश्यक होगा।

9.6.7 तकनीकी तथा प्रचालन जनशक्ति की गंभीर कमी का समाधान विद्यमान प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाकर तथा नए विश्व स्तर के हवाई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके किया जाएगा।

ट्रेफिक पूर्वानुमान

9.6.8 दसवीं योजना के अन्तिम वर्षों, यथा 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान देशज और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के ट्रेफिक में अपार वृद्धि हुई। यात्री ट्रेफिक में यह वृद्धि क्रमशः 21.5 प्रतिशत, 23.7 प्रतिशत, और 31.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप दसवीं योजना के दौरान 19.23 प्रतिशत की समग्र वृद्धि (सीएजीआर) हुई (अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेफिक में 13.58 प्रतिशत तथा घरेलू ट्रेफिक में 21.78 प्रतिशत)। इस वृद्धि में योग देने वाले प्रमुख कारकों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि, गिरते किराए और घरेलू निजी एयरलाइनों की बढ़ती क्षमता शामिल है। अनुमान है कि अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों के ट्रेफिक में क्रमशः 15.9 प्रतिशत और 19.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप ग्यारहवीं योजना के दौरान कुल मिलाकर 18.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सभी भारतीय हवाईअड्डों को मिलाकर 2011-12 तक 2,054.00 लाख यात्रियों के ट्रेफिक (540.37 लाख अन्तर्राष्ट्रीय तथा 1,513.63 लाख घरेलू यात्री) तथा कार्गो ट्रेफिक में 2,683.47 टीएमटी का (1,822.69 टीएमटी अन्तर्राष्ट्रीय व 860.78 टीएमटी घरेलू कार्गो) पूर्वानुमान है।

9.6.9 45 प्रमुख हवाई अड्डों पर 2011-12 तक लगभग 296.95 लाख अन्तर्राष्ट्रीय और 1,035.74 लाख घरेलू यात्रियों की अतिरिक्त क्षमता निर्मित करने की जरूरत होगी क्योंकि कुल अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों और घरेलू यात्रियों का पूर्वानुमान क्रमशः 539.39 लाख और 1,489.70 लाख है।

9.6.10 इसी प्रकार, दसवीं योजना के दौरान कार्गो ट्रैफिक में 12.70 प्रतिशत (सीएजीआर) की वृद्धि हुई (12.75 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय तथा 12.61 प्रतिशत घरेलू कार्गो)। ग्यारहवीं योजना के दौरान उम्मीद है कि अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू कार्गो ट्रैफिक में क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप कुल मिलाकर 11.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

9.6.11 कार्गो टर्मिनल के संबंध में उपरोक्त वृद्धि का सामना करने के लिए 2011-12 तक 800.00 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो ट्रैफिक के लिए और लगभग 300.00 टीएमटी घरेलू कार्गो ट्रैफिक तक के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित करनी होगी।

नीतिगत संरचना

हवाई यातायात

9.6.12 नागर विमानन का मुख्य फायदा इसकी गति में है, विशेष रूप से तटवर्ती और कठिन तराई में। मुख्य घाटा, ऊँची विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) लागत के कारण परिवहन की ऊँची लागत है जो करों की वजह से और गंभीर हो जाती है। अन्तर-माडल संदर्भ में, एटीएफ कीमत पद्धति को युक्तिसंगत बनाना तथा कर संरचना की समीक्षा करना वांछनीय है।

बहु-माडल संयोजकता

9.6.13 भारत में बड़े हवाईअड्डे अधिकांशतः नगर केन्द्र से काफी दूरी पर हैं। इससे यात्रियों को असुविधा होने के अलावा, हवाई परिवहन द्वारा यातायात की अन्य साधनों की तुलना में समय की बचत की दृष्टि से तुलनात्मक लाभ पर भी प्रतिकूल से असर पड़ता है। इन हवाईअड्डों को मेट्रो और एक्सप्रेसवेज द्वारा नगरों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि यात्रा के कुल समय को कम करके हवाई यातायात का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सके।

विदेशी इक्विटी भागीदारी

9.6.14 सरकार द्वारा अनुमोदित घरेलू हवाई यातायात नीति के अन्तर्गत घरेलू हवाई यातायात सेवाओं में 49 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी और 100 प्रतिशत तक अ-निवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा निवेश की व्यवस्था है। तथापि, विदेशी एयरलाइन्स को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में भाग लेने की अनुमति नहीं है। नई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विशेषज्ञता आकर्षित करने के उद्देश्य से इस नीति की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

हवाई कार्गो

9.6.15 आजकल, विश्व का लगभग 40 प्रतिशत कार्गो व्यवसाय, मूल्य की दृष्टि से, वायुयानों द्वारा किया जाता है। यद्यपि, हाल ही के वर्षों में कार्गो ट्रैफिक में लगातार वृद्धि हुई है, तथापि यह अनेक कमियों के कारण जैसे कि आयात और निर्यात के वाहनान्तरण के लिए सुविधाओं का अभाव, एकीकृत कार्गो अवस्थापना की अनुपस्थिति, रेल और सड़क क्षेत्र संयोजकता तथा गैर व की अभाव, एयरकार्गो में सीमाशुल्क प्रक्रियाओं की जटिलताएं, और प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा निष्पादन आधारित सेवा मानकों की जरूरत के कारण भारी ट्रैफिक के अनुरूप नहीं बढ़ा है। इन कमियों को दूर करने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान जो उपाय किए जाएंगे वे निम्नलिखित हैं : (क) विभिन्न विनियामक एजेन्सियों द्वारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण/दुरुस्ती कर, (ख) कार्गो हेण्डलिंग से संबंधित अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था, भारत को एक क्षेत्रीय हवाई कार्गो हब के रूप में विकसित और प्रोत्साहित करना, और प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर 'कार्गो ग्राम' स्थापित करना।

अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ)

9.6.16 दक्ष जनशक्ति की उपलब्धता के कारण, भारत, एशिया प्रशान्त क्षेत्र में एक एमआरओ हब के रूप में विकसित होने की क्षमता रखता है। फिलहाल, दो विलयित राष्ट्रीय एयरलाइनों, यथा इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के पास इन-हाउस वायुयान अनुरक्षण सुविधाएं हैं किन्तु कभी-कभी उन्हें भी अनुरक्षण विदेशी कम्पनियों को आउटसोर्स करना पड़ता है। इस समय, भारत में तेजी से बढ़ते निजी आपरेटरों के हवाई बेड़े की आवश्यकताओं को सहायता प्रदान करने के लिए वस्तुतः कोई भरोसेमंद तृतीय पक्ष एमआरओ सुविधा नहीं है। वर्तमान विकास चरण को मध्य नजर रखते हुए भारत के लिए एक एमआरओ हब के रूप में विकसित होने के लिए एक आदर्श अवसर उपलब्ध है। इस उद्देश्य हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, निजी क्षेत्रक द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्षेत्रीय एयरलाइनें

9.6.17 ट्रैफिक के विकास की अपार क्षमता का लाभ उठाने और नागर विमानन के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय एयरलाइनों को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। तथापि, क्षेत्रीय एयरलाइनों का प्रोत्साहन और अधिक उदार नीति व बेहतर अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करके किया जाएगा। प्रवेश को अधिशासित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं को भी सरलीकृत बनाया जाना चाहिए।

मार्ग आबंटन मार्गनिर्देश

9.6.18 1994 में निर्धारित मार्ग आबंटन मार्गनिर्देशों (आरडीजी) के अनुसार, सभी अनुसूचित आपरेटरों को लम्बे मार्गों पर (श्रेणी I मार्गों) अपनी क्षमता का कुछ प्रतिशत पूर्वोत्तर व अन्य दुर्गम क्षेत्रों (श्रेणी II) और श्रेणी II क्षेत्रों के अन्दर तैनात किया जाना जरूरी है। इस नीति के निर्धारित किए जाने के बाद से नागर विमानन क्षेत्रक में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखते हुए, आरडीजी की समीक्षा करना वांछनीय है ताकि उन्हें इन घटनाओं के अनुरूप बनाया जा सके। आरडीजी को वर्कएबल करने का दो विकल्प है, पहला इस आबलिंगेशन को व्यापार योग्य बनाया जाए, दूसरा इच्छुक प्रचालकों को दुर्गम वाली और दूरदराज के क्षेत्रों में प्रचालित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सबसीडी प्रदान की जाए, जिसके लिए ट्रंक मार्ग प्रचालकों को योगदान के लिए कहा।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अन्य दूरवर्ती/दुर्गम क्षेत्रों में हवाई संयोजकता

9.6.19 भू संयोजन के माध्यम से कठिन पहुंच वाली पर्वतीय तराई को देखते हुए, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व अन्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के द्वितीय क्षेत्रों के लिए हवाई संयोजकता में सुधार करने तथा हवाई अवरस्थापना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की जरूरत है।

9.6.20 ग्यारहवीं योजना के दौरान, तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, सिक्किम में पकयोंग, अरुणाचल प्रदेश में इटानगर और नागालेण्ड में चेइथु का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर में कुछ विद्यमान हवाईअड्डों का विस्तार/नवीनीकरण किया जाएगा ताकि उन्हें अनुसूचित उड़ानों के लिए प्रचालनात्मक बनाया जा सके। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे कि जम्मू, देहरादून, अगाती और पोर्टब्लेयर में हवाई अड्डों का कार्य 35 नॉन मेट्रो हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और उन्नयन की स्कीम के तहत किया जाएगा।

हवाई यातायात सुरक्षा

9.6.21 सुरक्षा मुद्दे, विशेष रूप से आतंकी सम्बद्ध कार्यकलापों के कारण, हाल ही के दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। नागर विमानन सुरक्षा के लिए कानूनी तथा संस्थागत संरचना को उपयुक्त प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तथा उपकरणों का विकास करके सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है।

निजी क्षेत्रक की भूमिका

9.6.22 अब, एयरलाइन और एयरपोर्ट दोनों क्षेत्रकों के विकास में, निजी क्षेत्रक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2006 के दौरान घरेलू ट्रैफिक में इसका बाजार हिस्सा 78.5 प्रतिशत

तक पहुंच गया जिसमें कम लागत वाली एयरलाइनों का 29 प्रतिशत ट्रैफिक सम्मिलित है। 31.2 प्रतिशत हिस्से के साथ जेट एयरवेज एक प्रमुख बाजार नेता के रूप में उभरा है जिसके बाद इण्डियन (21.5 प्रतिशत), दक्कन (18.3 प्रतिशत), एयर सहारा (8.8 प्रतिशत), किंगफिशर (8.7 प्रतिशत), स्पाइसजेट (6.9 प्रतिशत), गो एयर (2.8 प्रतिशत), इण्डिगो (1.3 प्रतिशत) और पेरामाउन्ट (0.7 प्रतिशत) का स्थान है। ग्यारहवीं योजना के दौरान निजी क्षेत्रक के हिस्से में, उनके द्वारा 71,863.00 करोड़ रुपये तक के निवेश के साथ पट्टे/खरीद के मिश्रण के जरिए लगभग 258 वायुयानों के अतिरिक्त बेड़े की अधिग्रहण के जरिए, और वृद्धि होने की संभावना है।

9.6.23 इस क्षेत्रक के लिए परिकल्पित कुल निजी निवेश, 35 नॉन मेट्रो हवाईअड्डों के नगर की ओर (सिटी साइड) विकास हेतु 1500.00 करोड़ रुपये के निवेश सहित, ग्यारहवीं योजना के दौरान 93493.00 करोड़ रुपये तक का है।

नई पहलें

9.6.24 विगत कुछ वर्षों के दौरान नगर विमानन क्षेत्रक द्वारा दर्ज की गई उल्लेखनीय वृद्धि को बनाए रखने के उद्देश्य से, ग्यारहवीं योजना के दौरान निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

- माडल कन्सेशन करार (एमसीए), निजी/निवेश आकर्षित करने में सहायता प्रदान करने और हवाई यातायात परियोजनाओं के सुचारु निष्पादन को सुकर बनाने हेतु, तैयार किया जा रहा है।
- हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), की स्थापना की जा रही है ताकि सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जा सकें और सभी प्रमुख हवाईअड्डों के बीच (प्रत्येक वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक यात्रियों को संचालन करने वाले) उत्तम प्रतियोगिता विकसित की जा सके, हवाईअड्डा सुविधाओं में निवेश प्रोत्साहित किया जा सके, वैमानिकी सेवाओं के टैरिफ को विनियमित किया जा सके तथा सुचारु, मितव्ययी और व्यवहार्य हवाई अड्डे प्रचालित किए जा सकें।
- एयर इण्डिया और इण्डियन का विलयन, बेड़े का अधिकतम अधिग्रहण, परिसम्पत्ति आधार का लाभ उठाने, नेटवर्क को मजबूत बनाने और बचत वाली अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए, अनुमानित लागत व तालमेल के साथ, विलयन के तीसरे वर्ष के अन्त में 600.00 करोड़ रुपये का (निवल) लाभ प्राप्ति हेतु।
- मानव संसाधन विकास (एचआरडी), अर्हताप्राप्त कार्मिकों जिसमें, विशेष रूप से पायलटों और फ्लाईंग अनुदेशकों की

कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- आईजीआरयूए (इग्रुआ) में प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण।
- गोन्डिया, महाराष्ट्र में एक नये फ्लाईंग प्रशिक्षण संस्थान, की स्थापना।
- अपने उपस्कर और अवस्थापना में सुधार करने के लिए फ्लाईंग क्लबों और स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाना।
- एएआई का पुनर्गठन, विमानन अवस्थापना पर दबाव के कारण, इस क्षेत्र में उच्च विकास के फलस्वरूप कुछ हवाईअड्डों पर भीड़-भाड़ और देरियां होती हैं, इस हेतु विषयक स्टाफ एवं विशेषज्ञता और निदेशकों के स्वतंत्र कार्यभार के साथ पुनर्गठन किया जाएगा। एएआई के पुनर्गठन के लिए संरचना का ग्यारहवीं योजना के दौरान विकास किया जाएगा।

नागर विमानन मंत्रालय के संगठन

एयर इण्डिया (एआई)

9.6.25 दसवीं योजना के दौरान एयर इण्डिया लि0 ने 2,388.27 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जबकि अनुमोदित परिव्यय की राशि 2,661.39 करोड़ रुपये थी, जो अनुमोदित राशि का लगभग

90 प्रतिशत है। यह कमी मुख्यतः भारतीय रुपये के मजबूत होने तथा नॉन वायुयान पूंजीगत व्यय को संसाधन तंगी की वजह से अगले वर्षों तक स्थगित करने की वजह से थी। दसवीं योजना के दौरान एयर इण्डिया का वित्तीय निष्पादन तालिका 9.6.1 में दिया गया है।

9.6.26 एयर इण्डिया का निवल लाभ 2002-03 के दौरान 133.86 करोड़ रुपये से कम होकर 2006-07 के दौरान 12.50 करोड़ रुपये हो गया जिसकी वजह अधिक प्रतियोगिता की वजह से ट्रैफिक में इसके हिस्से में गिरावट आना था। एयरलाइन की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में कमी का एक बड़ा कारण नए वायुयानों के पर्याप्त बेड़े का अभाव था।

9.6.27 एयर इण्डिया, अपनी क्षमता बढ़ाने में सफल रहा है जैसाकि तालिका 9.6.2 से स्पष्ट है। ग्यारहवीं योजना के दौरान एयर इण्डिया 50 नए दूरवर्ती श्रेणी के वायुयान प्राप्त करेगा जिनमें 8 बोइंग 777-2000 एलआर, 15 बोइंग 777-300 ईआर और 27 बोइंग 787 वायुयान सम्मिलित होंगे। इन अधिग्रहण के साथ, इसकी लक्षित क्षमता, ग्यारहवीं योजना के अन्त तक उपलब्ध टन किलोमीटर (एटीकेएम) की दृष्टि से 10,484 मिलियन और राजस्व टन किलोमीटर (आरटीकेएम) की दृष्टि से 7,092 मिलियन हो जाएगी।

तालिका 9.6.1
एयर इण्डिया का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1 कुल राजस्व	5689.88	6331.78	7676.39	9251.02	8887.00
2 कुल खर्च	5545.87	6238.07	7579.85	9232.52	8874.50
3 निवल लाभ/हानि, कर से पूर्व	144.01	93.71	96.54	18.50	12.50
4 निवल लाभ/हानि, कर के बाद	133.86	92.33	96.36	14.94	12.50

तालिका 9.6.2
दसवीं योजना के दौरान क्षमता और ट्रैफिक में वृद्धि

(मिलियन)

वर्ष	उपलब्ध क्षमता (एटीकेएम)	प्रयुक्त क्षमता (आरटीकेएम)	लोड कारक प्रतिशत
2002-2003	2,415.9	1,561.0	64.6
2003-2004	2,897.5	1,774.0	61.2
2004-2005	3,600.4	2,218.0	61.6
2005-2006	4,193.2	2,363.7	56.4
2006-2007 (अनन्तिम)	4,152.9	2,204.20	53.1
जोड़	17,259.9	10,120.90	58.6
	(13,711.00)*	(9,185.80)*	(67.0)*

नोट : * दसवीं योजना के लिए लक्ष्य

इण्डियन एयरलाइन्स

9.6.28 दसवीं योजना के दौरान 'इण्डियन एयरलाइन्स' केवल 1,431.54 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर सका जबकि अनुमोदित परिचय की राशि 4,240.50 करोड़ रुपये थी, 66 प्रतिशत की कमी, जो मुख्य रूप से भारतीय रुपये में मजबूती आने, नई वायुयान परियोजना के लिए कम राशि को खर्च और संसाधन तंगी के कारण 'अन्य सहायक सुविधाओं' के अन्तर्गत केवल प्रचालन की दृष्टि से अनिवार्य परियोजनाएं शुरू किये जाने की वजह से थी। 'इण्डियन एयरलाइन्स' ने अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार किया है जैसा कि तालिका 9.6.3 में दर्शाया गया है।

9.6.29 'इण्डियन एयरलाइन्स' ने 2003-04 में 44.17 करोड़ रुपये को निवल लाभ अर्जित किया, जिसका मुख्य कारण देशज किरायों में वृद्धि तथा कम्पनी द्वारा शुरू किए गए लागत में कटौती के विभिन्न उपायों की शुरुआत थी। तथापि, एटीएफ कीमत में वृद्धि और घरेलू विमानन बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप यात्रियों से प्राप्तियों में कमी की वजह से वित्तीय निष्पादन त्रुटिपूर्ण रहा।

9.6.30 दसवीं योजना के दौरान, 'इण्डियन' के भौतिक निष्पादन से, उत्पादित और प्रयुक्त क्षमता की दृष्टि से, पता चलता है कि यह लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है जिसका मुख्य कारण

वायुयानों की अधिग्रहण में देरी व अन्य घरेलू एयरलाइनों से तीव्र प्रतिस्पर्द्धा का होना है। ग्यारहवीं योजना के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि करने तथा नेटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से 'इण्डियन एयरलाइन्स' 43 नए एयरबस वायुयान प्राप्त करेगा जिनके लिए दसवीं योजना के दौरान आर्डर दिया गया था। इन वायुयानों के अलावा, 'इण्डियन एयरलाइन्स' क प्रस्ताव, अन्यो के साथ-साथ 12 वाइड बाडी वायुयान और 8 टर्बो प्रोप वायुयान (50 सीट वाले) पट्टे पर लेने का है जिसके फलस्वरूप ग्यारहवीं योजना के अन्त तक इसका कुल बेडा आकार बढ़कर 117 हो जाएगा। इसके साथ ही, इसका प्रस्ताव 11 बोइंग 737-200, 3 एयरबस ए 300 और 2 डोर्नियर को अपने बेड़े से निकालने का है। परिणामस्वरूप, 'इण्डियन एयरलाइन्स' की क्षमता, ग्यारहवीं योजना के अन्त तक 1,686 मिलियन एटीकेएम से बढ़कर 4,238 मिलियन एटीकेएम हो जाने की उम्मीद है। इसी प्रकार, आरटीकेएम की दृष्टि से क्षमता 2006-07 के दौरान 1,233 मिलियन से बढ़कर इसी अवधि के दौरान 3,093 मिलियन हो जाने की उम्मीद है।

भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई)

9.6.31 5,404.21 करोड़ रुपये के अनुमोदित बजट के मुकाबले, 250 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित, एएआई ने दसवीं योजना के दौरान 150.67 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता

तालिका 9.6.3
इण्डियन एअर लाइन्स का वित्तीय निष्पादन

क्र.सं.	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (ब.अ.)
1 कुल राजस्व	4,173.51	4,725.67	5,362.57	5,788.82	7,944.00
2 कुल खर्च	4,370.07	4,677.50	5,290.96	5,725.82	7,847.50
3 निवल लाभ/(हानि)-कर पूर्व	(-)196.56	48.17	71.61	63.00	96.50
4 निवल लाभ/(हानि)-कर पश्चात	(-)196.56	44.17	65.61	49.50	43.00

नोट :

तालिका 9.6.4
दसवीं योजना के दौरान क्षमता और ट्रेफिक में वृद्धि(मिलियन)

वर्ष	उपलब्ध क्षमता (एटीकेएम)	प्रयुक्त क्षमता (आरटीकेएम)	लोड कारक प्रतिशत
2002-2003	1308.018	845.097	64.6
2003-2004	1334.069	877.475	65.8
2004-2005	1472.062	1017.284	69.1
2005-2006	1592.642	1140.947	71.6
2006-2007 (अंतिम)	1686.29	1232.67	73.1
जोड़	7393.081 (8384.00)*	5113.473 (5793.00)*	69.2 (69.1)*

नोट : * दसवीं योजना के लिए लक्ष्य

सहित 3,534.62 करोड़ रुपये की राशि खर्च की। व्यय में 35 प्रतिशत की कमी मुख्यतः दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों का पीपीपी की माध्यम से पुनर्संरचना किए जाने के कारण उनकी परियोजनाओं के आस्थगन, नॉन मेट्रो हवाईअड्डों के संबंध में कतिपय परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने में देरी तथा संचार/निगरानी व दूरवर्ती मापन उपस्कर की प्राप्ति में देरी के कारण हुई।

9.6.32 एएआई का निवल लाभ 2002-03 के दौरान 282.05 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 के दौरान 793.71 करोड़ रुपये हो गया, इस प्रकार दसवीं योजना के दौरान 2,433.71 करोड़ रुपये का कुल प्रशंसनीय लाभ अर्जित किया जिसे तालिका 9.6.5 में दर्शाया गया है।

9.6.33 ग्यारहवीं योजना के दौरान, एएआई निम्नलिखित कार्य प्रारंभ करेगा : 35 नॉन मेट्रो हवाईअड्डों व 13 अन्य हवाईअड्डों का विकास, चेन्नई तथा कोलकाता हवाईअड्डों का विकास, पूर्वोत्तर में तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों सहित, नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का निर्माण, व अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर में 5 हवाईअड्डों का विस्तार, भू-आधारित सीएनएसएटीएम से उपग्रह-आधारित सीएनएस-एटीएम सुविधाओं की प्रौद्योगिकी का उन्नयन, विभिन्न हवाईअड्डों पर नई सुविधाओं की स्थापना, सुरक्षा उपस्कर सहित, सुरक्षा और सुविधाप्रदानकर्ता उपस्कर की स्थापना, एयरस्पेस क्षमता संवर्धन का विकास और आईटी का विकास।

पवन हंस हेलिकोप्टर्स लि0 (पीएचएचएल)

9.6.34 पीएचएचएल ने 281.95 करोड़ रुपये की राशि खर्च की, जबकि अनुमोदित परिव्यय की राशि 458.90 करोड़ रुपये थी, जो दसवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय का 61 प्रतिशत है। कमी मुख्य रूप से नए हेलिकोप्टरों की अधिग्रहण में देरी की वजह से थी।

9.6.35 सतत रूप से बढ़ती एटीएफ कीमत के बावजूद पीएचएचएल अपना लाभ 2002-03 में 15.39 करोड़ से 2006-07 में 49.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में सफल रहा जिसका ब्योरा तालिका 9.6.6 में दिया गया है।

9.6.36 ग्यारहवीं योजना के दौरान पीएचएचएल अपने विद्यमान बेड़े में 20 और हेलिकोप्टरों का विस्तार करेगा जिसमें गहन जल अन्वेषण हेतु दूरवर्ती श्रेणी और उच्च पे-लोड क्षमताओं के साथ 5 मध्यम श्रेणी के हेलिकोप्टर सम्मिलित होंगे। ओएनजीसी, एनएचपीसी, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की सेवा के अलावा, हेलिकोप्टर सहायता सेवाएं प्रदान करने का, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों व अन्य दूरवर्ती और दुर्गम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, पर्यटन, मेडिकल निकासी, विधि प्रवर्तन, समाचार एकत्रण, आन्तरण-नगर, परिवहन और कम्पनी यात्रा जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य आपरेटरों को मरम्मत सेवाओं की पेशकश करके तथा मुम्बई में एक नया आधुनिकतम अनुरक्षण केन्द्र स्थापित करके, अपनी मरम्मत और ओवरहॉल व्यवसाय का विस्तार करने की संभावना का भी पता लगाया जाएगा।

तालिका 9.6.5

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1 कुल राजस्व	2,384.49	2,630.59	2,999.65	3,490.46	3,431.86
2 कुल खर्च	1,887.44	2,086.63	2,314.83	2,281.85	1,948.15
3 निवल लाभ/ हानि-कर-पूर्व	497.05	543.96	684.82	1,208.61	1,483.71
4 कर के लिए प्रावधान	215.00	229.00	359.45	490.99	690.00
5 कर-पश्चात लाभ	282.05	314.96	325.37	717.62	793.71

तालिका 9.6.6

पवन हंस हेलिकोप्टर्स लि0 का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ.)
1 कुल राजस्व	205.02	224.00	241.85	199.08	211.50
2 कुल खर्च	145.54	158.78	173.90	163.98	177.86
3 निवल लाभ/ हानि-कर-पूर्व	24.37	77.84	83.86	64.60	40.30
4 कर-पश्चात लाभ	15.39	52.69	49.58	47.39	49.00

नोट :

होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया (एचसीआई)

9.6.37 दसवीं योजना के दौरान एचसीआई के लिए 15.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसके मुकाबले खर्च हुई राशि 26.27 करोड़ रुपये अथवा आवंटन से 75 प्रतिशत अधिक थी, जिसका मुख्य कारण होटलों के विनिवेश में देरी के कारण उनका अनुसूक्षण और प्रचालन किया जाना था।

9.6.38 उम्मीद है कि दसवीं योजना के पहले चार वर्षों के संबंध में हानि उठाने के बाद एचसीआई 2006-07 के दौरान 2.19 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने की उम्मीद है।

9.6.39 एचसीआई के होटलों का विनिवेश करने की सिफारिश की गई थी और तदनुसार दो होटलों यथा बम्बई हवाईअड्डे पर सेन्टोर होटल्स और मुम्बई में जुहू बीच पर का विनिवेश कार्य 2002-03 के दौरान पूरा हो गया। तथापि, सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण विनिवेश की प्रक्रिया को रोक दिया गया जिसके तहत श्रीनगर में सेन्टोर होटल और मुम्बई में फ्लाइट किचन को दीर्घावधिक प्रबंधन ठेके पर चलाने का निर्णय लिया गया। दो अन्य होटल, यथा दिल्ली हवाई अड्डे पर सेन्टोर होटल तथा फ्लाइट किचन को राष्ट्रमंडल खेलों तक एचसीआई द्वारा चलाया जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ग्यारहवीं योजना के दौरान इन होटलों का पुनरुद्धार करना होगा ताकि इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

एयर इण्डिया चार्टर्स लि० (एआईसीएल)

9.6.40 एयर इण्डिया चार्टर्स लि० एयर इण्डिया लि० की एक सहायक कम्पनी है। यह हवाई अड्डों पर सम्बद्ध सेवाओं के लिए जनशक्ति की व्यवस्था करने का काम करती थी। तथापि, इस की भूमिका में रूपान्तरण हो गया। जिससे यह ग्राउण्ड है हंडलिंग और सुरक्षा प्रदाता से, भारत से चलने वाली प्रथम अंतरराष्ट्रीय कम लागत वाली एयरलाइन। इसकी कम लागत वाली एयरलाइन, यथा एयर इण्डिया एक्सप्रेस ने 29 अप्रैल, 2005 से अपना कामकाज शुरू कर दिया। तब से इसने 59.01 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय किया। एआईसीएल का निवल लाभ 2006-07 में बढ़कर 2.50 करोड़ रुपये हो गया जो 2005-06 के दौरान अर्जित 1.35 करोड़ रुपये के

निवल लाभ की तुलना में लगभग 85 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। जिसे तालिका 9.6.7 में दर्शाया है।

9.6.41 क्षमता बढ़ाने तथा अपने बेड़े का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से इसने दसवीं योजना के दौरान 18 बोइंग 737-800 वायुयानों का आर्डर दिया जिनमें से 6 की सुपुर्दगी कर दी गई। शेष 12 की सुपुर्दगी ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान की जाएगी। इन प्राप्तियों के बाद एटीकेएम और आरटीकेएम की दृष्टि से 2011-12 तक क्षमता संवर्धन क्रमशः 1,107.00 मिलियन और 883.00 मिलियन हो जाएगा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए)

9.6.42 दसवीं योजना के दौरान आईजीआरयूए का अनुमोदित परिव्यय 10.00 करोड़ रुपये था जिसके विपरीत खर्च हुई राशि 37.88 करोड़ रुपये थी जो मुख्य रूप से नई एयरलाइनों के प्रवेश और विद्यमान एयरलाइनों द्वारा अपने बेड़े का विस्तार करने के कारण पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने के वास्ते संस्थान का आधुनिकीकरण/उन्नयन करने की वजह से थी।

9.6.43 वाणिज्यिक पायलटों को फ्लाईंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के नाते आईजीआरयूए, को अपनी विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन और सुदृढीकरण करके अपनी क्षमता में वृद्धि करने की जरूरत होगी ताकि प्रशिक्षित किए जाने वाले पायलटों की संख्या 30 पायलटों की विद्यमान क्षमता से 100 तक बढ़ाई जा सके। आईजीआरयूए के उन्नयन/सुदृढीकरण के लिए एक परियोजना, प्रशिक्षण सुविधाओं के संवर्धन, जैसेकि 11 वायुयानों की प्राप्ति (10 एकल इंजिन वाले तथा एक बहु-इंजिन वाला वायुयान) सहित, दसवीं योजना के दौरान अनुमोदित की गई थी। तथापि, ग्यारहवीं योजना के दौरान दो अन्य वायुयान-एक विंग एयर सिमुलेटर (ग्लास कोकपिट) और एक टीबी-20 सीपीटी (ग्लास कोकपिट) प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, अकादमी के प्रबंधन में व्यावसायिकता का समावेश करने के लिए तथा संस्थान को स्वःसंधारणयोग्य बनाने के लिए, आईजीआरयूए का प्रबंधन, प्रबंधन पट्टे के आधार पर, किसी निजी क्षेत्रक भागीदार को सौंपने की संभावना का पता लगाया जाएगा।

तालिका 9.6.7
एयर इण्डिया चार्टर्स लि. का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (सं.अ)
1	राजस्व	-	-	-	432.38	736.50
2	व्यय	-	-	-	427.54	734.00
3	निवल लाभ (हानि) कर-पूर्व	-	-	-	4.84	2.50
4	निवल लाभ (हानि) कर-पश्चात	-	-	-	1.35	2.50

एयरो क्लब आफ इण्डिया (एसीआई)

9.6.44 दसवीं योजना के दौरान एसीआई ने 11.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जबकि अनुमोदित परिव्यय की राशि 5.00 करोड़ थी, जो अनुमोदित परिव्यय से 120 प्रतिशत अधिक है।

9.6.45 भारत में सभी फ्लाईंग क्लबों, ग्लाइडिंग क्लबों और एयरो खेल संगठनों का एक शीर्षक निकाय होने के नाते, एसीआई उन्हें सहायता प्रदान करके अपने उपस्कर और अवस्थापना में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्यारहवीं योजना के दौरान एसीआई, सदस्य फ्लाईंग क्लबों के बीच वितरणार्थ एक प्रशिक्षण वायुयान, सिमुलेटर और प्रशिक्षण साधन प्राप्त करेगा। इसके अलावा, यह एक एयरो-स्पोर्ट्स परिसर सहित एयरो-स्पोर्ट्स सुविधाएं विकसित करने की संभावना का पता लगाएगा।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)

9.6.46 दसवीं योजना के दौरान, डीजीसीए के लिए 19.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसके विपरीत केवल 12.03 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। कमी का कारण नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एनएएल) से कम संख्या में प्रशिक्षक वायुयानों की खरीद किया जाना था।

9.6.47 हवाई यातायात में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, डीजीसीए के विद्यमान कार्यक्रमों को, जैसे कि आईसीएओ (सीओएससीएपी) का सुरक्षा निगरानी कार्यक्रम और यूरोपिय संघ प्रशिक्षण कार्यक्रम को ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा। डीजीसीए द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : क्लबों/संस्थानों (फ्लाईंग/ग्लाइडिंग के पुनर्गठन के लिए प्रशिक्षक वायुयान, हलके हेलिकोप्टर/सिमुलेटर) की प्राप्ति, वायुयान दुर्घटना जांच प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी और उपस्कर की खरीद और परीक्षा पद्धति का आधुनिकीकरण व डीजीसीए मुख्यालय व उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में सिविल निर्माण कार्य।

9.6.48 तकनीकी तथा प्रचालन जनशक्ति की अत्यंत कमी को देखते हुए, गोन्डिया, महाराष्ट्र में एक नया विश्व स्तर का आधुनिकतम राष्ट्रीय फ्लाईंग प्रशिक्षण संस्थान (एनएफटीआई) स्थापित करने का प्रस्ताव है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य, पीपीएल, सीपीएल, एएलटीपी, एमपीएल आदि प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षार्थियों को

फ्लाईंग प्रशिक्षण प्रदान करना है। संस्थान का, फ्लाईंग प्रशिक्षण, विमानन सम्बद्ध नूतन व व्यावहारिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस)

9.6.49 दसवीं योजना के दौरान बीसीएएस केवल 9.52 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर सका जबकि अनुमोदित परिव्यय 114.00 करोड़ रुपये था, जो लगभग 8 प्रतिशत बैठता है। निधियों के उपयोग में भारी कमी मुख्यतः स्कीमों, जैसे कि बीसीएएस का पुनर्गठन, अतिरिक्त आरडीसीओएस कार्यालय का निर्माण, अतिरिक्त बीडीडीएस/डॉक स्क्वेड की स्थापना को अन्तिम रूप न दिए जाने और नागर विमानन सुरक्षा अकादमी स्थापित करने के संबंध में कार्य शुरू करने में देरी के कारण भी थी।

9.6.50 एयरलाइन प्रचालनों में सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, विशेष रूप से 9/11 की घटनाओं और अन्य आतंक सम्बद्ध कार्यकलापों से उत्पन्न धमकियों की वजह से। बीसीएएस, इसकी प्रशिक्षण विधियों तथा प्रशिक्षण अवस्थापना को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने आदि के लिए उपाय करना आवश्यक होगा। ग्यारहवीं योजना के दौरान अन्य उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : इलेक्ट्रॉनिक पेरीमीटर निगरानी और संरक्षण, हवाईअड्डों पर आटोमेटिड स्मार्ट कार्ड सुलभता नियंत्रण, विनिर्धारित हाइपर संवेदी हवाई अड्डों पर अतिरिक्त बीडीडीएस और डॉक स्क्वेड की स्थापना और नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना।

ग्यारहवीं योजना के लिए परिव्यय

9.6.51 नागर विमानन मंत्रालय के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए कुल पूर्वानुमानित परिव्यय की राशि 2006-07 कीमतों पर 43,560 करोड़ रुपये है (चालू कीमतों पर 49,267 करोड़ रुपये) जिसमें 2006-07 कीमतों पर 1680 करोड़ रुपये की जीबीएस (चालू कीमतों पर 1900 करोड़ रुपये) शामिल हैं। चालू कीमतों पर जीबीएस का स्कीम-वार ब्योरा परिशिष्ट (खण्ड III) में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रक से इस अवधि के दौरान 93,493 करोड़ रुपये के निजी क्षेत्रक निवेश के सृजन की उम्मीद है। एएआई द्वारा अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अधिक सृजन और उपयोग की वजह से आईईबीआर 2006-07 कीमतों पर 2226.68 करोड़ रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है।

संलग्नक 9.2.1
दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन जुटाना

(चालू कीमतों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	आन्तरिक संसाधन		बाजार उधार		सकल बजटीय सहायता		जोड़ राशि (करोड़ रुपये)
	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत हिस्सा	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत हिस्सा	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत हिस्सा	
2002-03	3,113	27	2,517	22	5,778	51	11,408
2003-04	3,475	26	2,837	21	7,081	53	13,393
2004-05	3,712	24	3,041	20	8,669	56	15,422
2005-06	7,033	37	3,731	20	8,074	43	18,838
2006-07 (सं.अ.)	12,233	49	4,794	19	7,914	32	24,941
जोड़ (अस्थाई)	29,567	35	16,920	20	37,516	45	84,003
दसवीं योजना परिव्यय			33,000 (54.5%)		27,600	45.5	60,600

संलग्नक 9.2.2
सकल बजटीय सहायता

(चालू कीमतों पर करोड़ रुपये)

वर्ष	पूँजी		विशेष रलवे सुरक्षा निधि		डीजल उपकर		जोड़	
	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत हिस्सा	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत हिस्सा	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत हिस्सा	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत हिस्सा
2002-03	4,264	37.6	1,350	11.9	164	1.5	5,778	51
2003-04	5,315	39.8	1,600	12.0	166	1.2	7,081	53
2004-05	5,493	35.5	2,975	19.2	201	1.3	8,669	56
2005-06	5,312	28.3	2,499	13.3	262	1.4	8,073	43
2006-07	6,189	24.8	1,365	5.5	360	1.4	7,914	33
जोड़ (अस्थाई)	26,573	31.6	9,789	11.5	1,154	1.4	37,516	45

संलग्नक 9.3.1
वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन के संबंध में तालिका

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	दसवीं योजना के दौरान वित्तीय निष्पादन			
		परिव्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1	2	4	4	5	6
1	विदेश सहायित परियोजनाएं	13990.00	13050.70	10007.90	9495.18
	(क) विदेश सहायित (आरडब्ल्यू)	2560.00	403.10	99.16	7.53
	(ख) प्रतिपक्ष निधियां (आरडब्ल्यू)	640.00	126.00	28.54	4.66
	ईएपी मंत्रालय	3200.00	529.10	128.00	15.53
	(ग) विदेश सहायित (एनएचएआई)	8712.00	10015.72	7893.62	5182.70
	(घ) प्रतिपक्ष निधियां (एनएचएआई)	49.50	0.00	0.00	0.00
	(ङ) एनएचएआई के लिए ऋण	2028.00	2504.88	1986.28	1346.78
	ईएपी-एनएचएआई	10789.50	12520.90	9879.98	9479.48
	(च) पीआईसी का सुदृढीकरण	0.50	1.00	0.85	0.47
2	अन्य स्कीमें-एनएच (ओ)	8664.00	7443.60	7789.67	7560.85
3	बीआरडीबी के अन्तर्गत कार्य	950.00	1564.00	1508.00	1525.43
4	यात्रा व्यय (देशज)	20.00	5.27	3.47	3.05
5	अन्य प्रभार		2.90	1.18	0.53
6	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	20.00	24.00	14.50	9.44
7	आरडब्ल्यू के तहत महत्वपूर्ण सड़कें	50.00	1.50	1.50	0.00
8	बीआरडीबी के तहत महत्वपूर्ण सड़कें		192.17	202.42	178.30
9	आर एण्ड डी योजना अध्ययन	20.00	24.75	22.75	11.50
10	प्रशिक्षण	10.50	17.50	15.50	13.60
11	मशीनरी और उपकरण	15.00	37.72	37.72	34.67
12	प्रभारित व्यय	50.00	25.00	25.00	17.79
13	एनएचएआई (निवेश)	10500.00	15518.19	15518.19	15518.19
14	सीआरएफ से राज्यों के लिए ईएण्डआई	500.00	716.11	626.11	374.55
15	सीआरएफ से संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ई एण्ड आई		31.09	31.09	8.55
16	एनएचडीपी III, एक्सप्रेसवेज को दो लेन वाला तथा 6 लेन वाला बनाना		1510.00	810.00	810.00
17	पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम		1000.00	1000.01	550.01
18	रक्षा मंत्रालय के अधीन अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण सड़कें		100.00	100.00	0.00
19	पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान			0.00	
	जोड़ (बीएस)	34790.00	41264.70	37715.00	36112.05
20	आईईबीआर	24700.00	25500.00	17782.00	12481.90
	कुल जोड़	59490.00	66764.70	55497.00	48593.95

टिप्पणी: परिव्यय में पूर्वोत्तर के लिए भी प्रावधान शामिल हैं जबकि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान आकड़ों में पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान को अलग कर दिया गया है तथा मद संख्या 19 के अन्तर्गत अलग से दिखाया गया है।

संलग्नक- 9.3.1 (जारी)

दसवीं योजना (2002-07)
भौतिक निष्पादन
एनएच(ओ)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम (सामान्य एनएच निर्माण कार्य)	भौतिक निष्पादन- दसवीं योजना	
		लक्ष्य	उपलब्धियां
1	दो लेनों तक चौड़ा करना (कि. मी.)	4000	3420.88
2	चार लेनों तक चौड़ा करना (कि. मी.)	800	157.01
3	क्षतिग्रस्त 2 लेनों का सुदृढ़ीकरण (कि. मी.)	2000	3346.14
4	उप-मार्ग (संख्या)	25	13
5	बड़े पुल/छोटे पुल, आरओबी सहित (सं.)	300	548
6	आईआरक्युपी	10000	15326.62
बीआरडीपी			
क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम (सामान्य एनएच निर्माण कार्य)	भौतिक निष्पादन- दसवीं योजना	
		लक्ष्य	उपलब्धियां
1	दो लेनों तक चौड़ा करना (कि. मी.)	528.92	755.94
2	चार लेनों तक चौड़ा करना (कि. मी.)	0.00	
3	क्षतिग्रस्त 2 लेनों का सुदृढ़ीकरण (कि. मी.)	200.82	164.12
4	उप-मार्ग (संख्या)	एलएस	3
5	बड़े पुल/छोटे पुल, आरओबी सहित (सं.)	एलएस	56
6	आईआरक्युपी	613.03	923.70
एनएचएआई			
क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम (सामान्य एनएच निर्माण कार्य)	भौतिक निष्पादन- दसवीं योजना	
		लक्ष्य	उपलब्धियां
1	दो लेनों तक चौड़ा करना (कि. मी.)	जीक्यू का पूरा होना	
2	चार लेनों तक चौड़ा करना (कि. मी.)		6612.00
3	क्षतिग्रस्त 2 लेनों का सुदृढ़ीकरण (कि. मी.)		4867.00
4	उप-मार्ग (संख्या)		10
5	बड़े पुल/छोटे पुल, आरओबी सहित (सं.)		7
6	आईआरक्युपी		

संलग्नक 9.3.2
केन्द्रीय सड़क क्षेत्रक परियोजना और व्यापक योजना के संबंध में चालू और सतत कीमतों पर

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं. स्कीम	दसवीं योजना (2002-07)		वार्षिक योजना (2002-03)		वार्षिक योजना (2003-04)		वार्षिक योजना (2004-05)		वार्षिक योजना (2005-06)		वार्षिक योजना (2006-07)		दसवीं योजना के लिए कुल		चालू कीमतों पर कुल	
	परिव्यय	3	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	सं.अ.	परिव्यय	14	15	
1																
1	विदेशी सहायित परियोजनाएं	13990.00	2158.00	1512.64	2390.90	1448.90	3323.70	1602.30	3200.30	2953.34	1978.00	1978.00	13050.70	9495.18		
	(क) विदेशी सहायित (आरडब्ल्यू)	2560.00	123.80	4.88	39.30	0.00	80.00	2.65	160.00	0.00	0.00	0.00	403.10	7.53		
	(ख) प्रतिपक्ष निधियां (आरडब्ल्यू)	640.00	31.00	4.66	21.50	0.00	33.50	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	126.00	4.66		
	ईएपी मंत्रालय	3200.00	154.80	9.54	60.80	0.00	113.50	2.65	200.00	3.34	0.00	0.00	529.10	15.53		
	(ग) विदेशी सहायित (एनएचआई)	8712.00	1602.00	1202.00	1863.52	1159.12	2568.00	1239.08	2400.00	0.00	1582.20	1582.50	10015.72	5182.70		
	(घ) प्रतिपक्ष निधियां (एनएचआई)	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(ङ) एनएचआई के लिए ऋण	2028.00	401.00	301.00	466.38	289.78	642.00	360.50	600.00	0.00	395.50	395.50	2504.88	1346.78		
	ईएपी-एनएचआई	10789.50	2003.00	1503.00	2329.90	1448.90	3210.00	1599.58	3000.00	2950.00	1978.00	1978.00	12520.90	9479.48		
	(च) पीआईसी का सुदृढीकरण	0.50	0.10	0.10	0.10	0.00	0.20	0.07	0.30	0.00	0.30	0.30	1.00	0.47		
2	अन्य स्कीम-एनएच (ओ)	8664.00	1440.00	1425.17	1544.00	1474.57	1482.00	1503.88	1427.30	1570.34	1550.30	1586.89	7443.60	7560.85		
3	बीआरडीबी के अधीन कार्य	950.00	145.00	210.04	210.00	256.00	210.00	210.00	415.00	321.39	584.00	528.00	1564.00	1525.43		
4	यात्रा व्यय (देशज)	20.00	1.00	0.40	1.02	0.33	0.50	0.37	1.00	0.70	1.75	1.25	5.27	3.05		
5	अन्य प्रभार	1.00	1.00	0.03	0.50	0.0045	0.40	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	2.90	0.53		
6	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	20.00	4.00	2.48	5.00	1.81	3.00	0.29	6.00	1.86	6.00	3.00	24.00	9.44		
7	आरडब्ल्यू के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सड़कें	50.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00		
8	बीआरडीबी के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सड़कें	20.00	8.50	10.25	19.00	24.50	19.50	19.50	71.00	49.88	74.17	74.17	192.17	178.30		
9	आर एण्ड डी योजना अध्यायन	20.00	3.00	1.75	3.00	0.19	7.90	0.61	4.85	2.95	6.00	6.00	24.75	11.50		

(संलग्नक 9.3.2 जारी)

(संलग्नक 9.3.2 जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	प्रशिक्षण	10.50	1.50	0.43	12.00	10.61	1.00	1.00	1.50	1.06	1.50	1.50	17.50	13.60
11	मशीनरी और उपस्कर	15.00	2.00	1.50	7.00	6.29	3.00	3.00	15.72	13.88	10.00	10.00	37.72	34.67
12	प्रमांनित व्यय	50.00	5.00	5.00	5.00	3.71	5.00	0.03	5.00	4.05	5.00	5.00	25.00	17.79
13	एनएचएआई (निवेद्य)	10500.00	2000.00	2000.00	1993.00	1993.00	1848.00	1848.00	3269.74	3269.74	6407.45	6407.45	15518.19	15518.19
14	सीआरएफ से राख्यो के लिए ईएण्डआई	500.00	95.00	25.00	95.00	64.52	92.00	16.88	162.05	86.09	272.06	182.06	716.11	374.55
15	सीआरएफ से संघ राख्य क्षेत्रों के लिए ईएण्डआई		5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	8.54	0.00	8.55	8.55	31.09	8.55
16	एनएचडीपी III , एक्सप्रेसवेज को 2 लेन वाला और 6 लेन वाला बनाना								1400.00	700.00	110.00	110.00	1510.00	810.00
17	पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम								450.00	0.00	550.00	550.01	1000.00	550.01
18	रखा मंत्रालय के अधीन अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण सड़कें								100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
19	जोड़ (सीएस)	34790.00	5870.00	5194.79	6290.92	5284.44	7000.00	5204.86	10539.00	8975.28	11564.78	11452.68	41264.70	36112.05
	आईबीआर	24700.00	6200.00	5592.90	4000.00	0.00	3300.00	0.00	8500.00	3389.00	3500.00	3500.00	25500.00	12481.90
	कुल जोड़	59490.00	12070.00	10787.69	10290.92	5284.44	10300.00	5204.86	19039.00	12364.28	15064.78	14952.68	66764.70	48593.95

संलग्नक 9.3.3
एनएच लम्बाई में योजना-वार अभिवृद्धि

अवधि	जोड़ी गई लम्बाई	कुल लम्बाई (कि. मी.)
1.4.1947 की स्थिति		21,440
प्रथम योजना पूर्व (1947-1951)	815	22,255
पहली योजना (1951-1956)	-	22,255
द्वितीय योजना (1956-1961)	1,514	23,769
तृतीय योजना (1961-1966)	179	23,948
मध्यवर्ती अवधि (1966-1969)	52	24,000
चौथी योजना (1969-1974)	4,819	28,819
पाँचवी योजना (1974-1978)	158	28,977
मध्यवर्ती अवधि (1978-1980)	46	29,023
छठी योजना (1980-1985)	2,687	31,710
सातवी योजना (1985-1990)	1,902	33,612
मध्यवर्ती अवधि (1990-1992)	77	33,689
आठवीं योजना (1992-1997)	609	34,298
नौवीं योजना (1997-2002)	23,814	58,112
दसवीं योजना (2002-07)	9008*	66,590
दसवीं योजना (2002-2007)		
2002-2003	-	58,112
2003-2004	7457	65,569
2004-2005	-	65,569
2005-2006	556*	66,125
2006-2007	995	66,590

नोट : * 2006 में अ-अधिसूचित 530 कि. मी. एन. एच. को छोड़कर

संलग्नक 9.3.4
भारत निर्माण-नई संयोजकता के लिए लक्ष्य

(लम्बाई-कि.मी., बस्तियाँ संख्या में)

क्र. सं. राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		जोड़	
	लम्बाई	बस्तियाँ	लम्बाई	बस्तियाँ	लम्बाई	बस्तियाँ	लम्बाई	बस्तियाँ	लम्बाई	बस्तियाँ
1 आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 अरुणाचल प्रदेश	162.5	22	637.5	85	646.875	86	671.875	105	2118.75	298
3 असम	605.852	421	2864.063	1988	3889.845	2701	5793.46	4022	13153.22	9132
4 बिहार	1665.831	896	3928.75	2062	6121.425	3214	7230.306	3784	18946.312	9956
5 छत्तीसगढ़	1501.365	478	4367.606	1310	6450.644	2007	8255.181	2514	20574.796	6309
6 गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 गुजरात	402.955	230	429.723	246	438.675	251	438.675	251	1710.028	978
8 हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 हिमाचल प्रदेश	464.583	127	795.833	209	638.542	166	479.167	123	2378.125	625
10 जम्मू और कश्मीर	169.972	57	1059.49	352	1781.869	593	1405.099	466	4416.43	1468
11 झारखंड	1051.779	526	2594.39	1295	1812.298	901	2319.31	1155	7777.777	3877
12 कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 मध्य प्रदेश	2602.139	768	6162.451	1760	8326.848	2399	10470.17	2905	27561.608	7832
15 महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 मणिपुर	100	11	460.714	48	464.286	48	719.048	74	1744.048	181
17 मेघालय	123.609	35	135.971	39	140.091	40	144.211	41	543.882	155
18 मिजोरम	82.746	12	274.819	39	277.884	39	306.498	43	941.947	133
19 नागालैण्ड	93.318	9	104.529	10	109.507	10	114.485	11	421.839	40
20 उड़ीसा	1055.95	493	1985.609	874	2524.021	1087	4427.774	1993	9993.354	4447
21 पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 राजस्थान	2153.615	743	3629.519	1252	3554.217	1225	2123.494	732	11460.845	3952
23 सिक्किम	75.031	22	104.042	30	108.043	31	132.053	37	419.169	120
24 तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 त्रिपुरा	94.774	66	261.74	183	354.701	248	447.661	313	1158.876	810
26 उत्तर प्रदेश	1966.416	1236	2390.632	1504	2059.213	1295	1378.701	867	7794.962	4902
27 उत्तराखण्ड	380.609	95	422.008	106	1025.641	257	1020.299	255	2848.557	713
28 पश्चिम बंगाल	739.378	787	2572.767	2738	3265.307	3473	3643.359	3876	10220.811	10874
जोड़	15492.42	7034	35182.16	16130	43989.93	20071	51520.83	23567	146185.34	66802

(संलग्नक 9.3.4 जारी)

338 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

(संलग्नक 9.3.4 जारी)

उन्नयन हेतु भारत निर्माण लक्ष्य

(कि. मी. में लम्बाई)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06 लम्बाई	2006-07 लम्बाई	2007-08 लम्बाई	2008-09 लम्बाई	जोड़ लम्बाई
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	1821.494	2258.652	2258.652	2258.652	8597.45
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	0	2005.71	2269.808	2219.843	6495.361
4	बिहार	0	2393.617	3510.638	3390.958	9295.213
5	छत्तीसगढ़	0	1986.063	3240.418	3222.996	8449.477
6	गोवा	190.114	190.114	190.114	190.114	760.456
7	गुजरात	0	1557.971	1557.971	1413.043	4528.985
8	हरियाणा	229.358	1146.789	1146.789	1238.532	3761.468
9	हिमाचल प्रदेश	0	1515.923	1694.268	1503.185	4713.376
10	जम्मू और कश्मीर	0	1007.584	920.91	1007.584	2936.078
11	झारखंड	0	2108.433	2123.494	1987.952	6219.879
12	कर्नाटक	2573.529	2573.529	2573.529	2573.529	10294.116
13	केरल	524.109	628.931	524.109	524.109	2201.258
14	मध्य प्रदेश	0	5189.543	6614.379	6823.53	18627.452
15	महाराष्ट्र	4334.365	4334.365	4334.365	4334.365	17337.46
16	मणिपुर	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	587.583	587.583	665.189	1840.355
18	मिजोरम	0	257.998	257.998	216.718	732.714
19	नागालैण्ड	0	246.914	246.914	370.371	864.199
20	उड़ीसा	0	4438.574	4663.144	5059.445	14161.163
21	पंजाब	423.729	1483.051	1483.051	1680.791	5070.622
22	राजस्थान	0	4764.543	4653.74	3656.51	13074.793
23	सिक्किम	0	196.85	137.795	98.425	433.07
24	तमिलनाडु	1297.71	2824.427	2824.427	4167.939	11114.503
25	त्रिपुरा	0	373.737	383.838	414.141	1171.716
26	उत्तर प्रदेश	0	7158.962	6956.031	14408.12	28523.113
27	उत्तरांचल	0	889.454	1283.354	1270.648	3443.456
28	पश्चिम बंगाल	0	2549.942	2878.965	4054.053	9482.96
जोड़		11394.408	54669.259	59316.284	68750.742	194130.693

संलग्नक 9.3.5
दसवीं पंचवर्षीय याजना (2002-07) सड़क परिवहन का वित्तीय तथा भौतिक निष्पादन

क्र. सं. स्कीम/कार्यक्रम	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रुपये)				भौतिक उपलब्धियां उपलब्धियां
	परिव्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	
1 सड़क सुरक्षा	153.00	156.95	154.16	137.19	
(i) असंगठित क्षेत्रक में ड्राइवरों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण	12.00	15.85	15.55	13.81	1,92,218 ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया गया
(ii) प्रचार उपाय तथा जागरूकता अभियान	60.00	59.80	62.35	59.97	686 विडियो स्पार्टों और 4326 रेडियो स्पार्टों का प्रसारण किया गया। सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रचार सामग्री मुद्रित और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की गई। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के लिए 499 एनजीओ को निधियां जारी की गईं।
(iii) मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण सहित	2.00	1.40	1.40	1.38	*राज्य परिवहन विभाग कार्मिकों के लिए 75 प्रतिशत कार्यक्रम एआरएआई, सीआईआरटी, पुणे, आईआईपी देहरादून और ईएससीआई, हैदराबाद में आयोजित किए गए।
(iv) सड़क सुरक्षा उपकरण और कार्यक्रम कार्यान्वयन	10.00	8.60	8.56	5.14	उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, और कर्नाटक राज्यों को 22 इन्टरसेप्टर प्रदान किए गए।
(v) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम	69.00	71.30	66.30	56.89	राज्यों/गैर सरकारी संगठनों को 268 एम्बुलेंस और 200 क्रेन प्रदान की गईं।
2 प्रदूषण परीक्षण और नियंत्रण	10.00	6.55	4.05	3.32**	**
3 राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क	13.00	12.61	11.28	9.41	भौतिक प्रगति की मात्रा नहीं बताई जा सकती
(i) कम्प्यूटर पद्धतियां तथा राष्ट्रीय डाटाबेस	8.00	7.70	7.59	7.58	
(ii) डाटा संग्रहण अनुसंधान और विकास परिवहन अध्ययन	5.00	4.91	3.69	1.83	
4 माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल तथा सार्वजनिक	34.00	33.89	35.26	29.45	4 स्कूलों के लक्ष्य के मुकाबले 13 स्कूल मंजूर किए गए हैं तथा इनमें से 2 परिवहन प्रणाली चल रहे हैं।
कुल जोड़	210.00	210.00	204.75	179.37	

नोट : * 2006-07 के दौरान एचआरडी को ड्राइवरों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण के साथ मिला दिया गया। इसलिए वास्तविक व्यय दसवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के संबंध में है।

** 2006-07 के दौरान, प्रदूषण परीक्षण एवं नियंत्रण को सड़क सुरक्षा संबंधी उपकरण एवं कार्यक्रम निष्पादन के साथ मिला दिया गया। इसलिए, दसवीं योजना का वास्तविक व्यय प्रथम चार वर्षों के लिए है।

संलग्नक 9.3.6
माडल इडविंग प्रशिक्षण स्कूल के संबंध में केन्द्रीय हिस्से की राज्य-वार मंजूरियां तथा जारी राशि- 31.3.2007 की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/एनजीओ का नाम	केन्द्रीय सहायता	मंजूर राशि								जारी कुल राशि	शेष (लाख रुपये)
			2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	8	9	10		
1	असम (बेतकुची) आरटी- 25036/2/2001-आरएससी	394.00	45.00 (25.3.03)	150.00 (11.3.04) 25.00	-	-	150.00 (19.05.05)	20.00 (14.02.07)	390.00	4.00		
2	मेसर्स केडीएलओए (विजयवाड़ा) आरटी- 25036/2/2001-आरएससी	400.00	50.00 (25.3.03)	125.00 (18.3.04)	150.00 (14.10.04)	60.00 (20.6.05)	12.81 (30.3.07)	397.81	कुछ नहीं (15.00 लाख रु में से) (385 लाख रु. पर 2.19 लाख रुपये का ब्याज)	4.00		
3	कर्नाटक (हगरीबोमानाहल्ली) आरटी- 25036/2/2001-आरएससी	269.00	100.00 (25.3.03)	-	100.00 (28.6.04)	50.00 (20.6.05)	15.00 (30.3.07)	265.00	4.00			
4	पश्चिम बंगाल (जेस्सीर रोड) आरटी- 25036/2/2001-आरएससी	328.00	100.00 (25.3.03)	50.00 (11.12.03) 125.00 (31.3.04)	-	-	-	275.00	53.00			
5	हिमाचल प्रदेश (जस्सुर) आरटी- 25036/2/2004-आरएससी	181.00	-	-	75.00 (6.8.04)	80.00 (31.3.06)	-	155.00	26.00			
6	केरल (ईडपाल) आरटी- 25036/2/2004-आरएससी	299.00	-	-	100.00 (6.8.04)	-	-	100.00	199.00			
7	आइडीटीआर (सराय काले खों) आरटी- 25036/2/2004 -आरएससी	325.00	-	-	100.00 (6.8.04)	150.00 (14.11.05)	40.00 (24.08.06)	290.00	35.00			
8	उत्तराखण्ड (देहरादून) आरटी- 25036/2/2004-आरएससी	325.00	-	-	125.00	-	-	125.00	200.00 (17.2.05)			
9	उत्तर प्रदेश (कानपुर में एलेन फोरेस्ट) आरटी- 25036/2/2004-आरएससी	339.00	-	-	-	101.70 (27.03.06)	-	101.70	237.30			
10	उड़ीसा (चन्डीखोले) (टाटा मोटर्स और अखिल उड़ीसा ट्रक मालिक संघ के साथ संयुक्त उद्यम) आरटी- 25036/2/2004-आरएससी	336.00	-	-	-	100.80 (27.03.06)	200.00 (30.3.07)	300.80	35.20			
11	नागालैण्ड (दीमापुर में) आरटी- 25036/2/2005-आरएस	354.00	-	-	-	-	106.20 (23.10.06)	306.20 (30.3.07)	47.80			
12.	मध्य प्रदेश (इन्दौर) आरटी- 25036/2/2006-आरएस	393.96	-	-	-	-	200.00 118.18 (13.2.07)	118.18	275.78			
13.	हरियाणा (वल्लभगढ़ में) आरटी- 25036/2/2007-आरएस	400.00	-	-	-	-	120.00 (30.3.07)	120.00	280.00			
	कुल जोड़ (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार)	4,343.96	295.00	475.00	650.00	692.50	832.19	2944.69	(1,397.08 रुपये+ ब्याज 2.19 लाख रु) 1,399.27 रुपये			

संलग्नक 9.3.7
राज्य सड़क परिवहन निगम/उपक्रमों का भौतिक निष्पादन

एसआरटीयू	प्रतिशत बेड़ा उपयोग		वाहन उत्पादकता- राजस्व आय प्राप्ति बस कि. मी.		स्टाफ उत्पादकता राजस्व आय कि. मी. प्रति कामगार प्रतिदिन		ईंधन कार्यकुशलता केएमपीएल	
	2002-03	2006-07	2002-03	2006-07	2002-03	2006-07	2002-03	2006-07
आन्ध्र प्रदेश	99.24	99.50	320	339	48.00	55.00	5.24	5.27
अरुणाचल प्रदेश	65.00	77.00	125	99	24.56	25.51	3.1	3.10
असम	68.00	78.00	123	141	13.00	14.00	4	4.00
बिहार	12.00	67.00	29	176	7.52	30.83	4.1	4.03
डी.टी.सी (दिल्ली)	79.85	85.65	171	179	17.99	27.48	3.78	3.96
गोवा (कदम्बा)	79.00	83.00	206	214	39.00	44.00	4.26	5.1
गुजरात	83.50	84.50	302	313	47.91	57.02	5.3	5.25
हरियाणा	97.00	96.00	311	338	57.50	62.79	4.54	4.93
हिमाचल प्रदेश	97.00	98.00	223	235	45.79	46.95	3.57	3.64
जम्मू और कश्मीर	64.00	75.00	95	112	15.14	23.90	3.81	4.2
कर्नाटक								
केएसआरटीसी	95.30	95.00	343	368	62.20	57.30	4.97	5.22
एनडब्ल्यूकेआरटीसी	96.10	95.00	336	333	57.54	55.13	4.97	5.6
बीएमटीसी	95.00	95.00	216	218	42.20	37.10	4.6	4.75
केईकेआरटीसी	92.30	96.00	285	315	56.70	58.00	4.97	5.55
केरल	78.00	82.00	335	329	45.66	52.96	3.89	4
मध्य प्रदेश	83.00	0.00	245	0	42.00	0.00	4.06	0
महाराष्ट्र	93.96	95.00	293	309	45.32	48.79	4.76	4.9
मेघालय	72.00	68.00	85	154	7.45	3.67	3.66	3.67
मिजोरम	53.00	63.00	60	138	5.92	6.26	3	3
नागालेण्ड	61.00	63.00	90	89	13.61	19.84	3.5	3.7
उड़ीसा	91.00	90.00	275	230	45.50	57.24	4.2	4.45
पंजाब रोडवेज	85.10	88.40	238	206	41.40	47.80	4.29	4.42
पीईपीएसयू आरटीसी	95.00	95.00	267	318	57.90	60.82	4.39	5.12
राजस्थान	93.00	96.00	319	364	63.37	75.25	4.94	5.12
सिक्किम	80.00	68.00	67	65	17.53	10.56	3.25	2.8
तमिलनाडु	91.72	93.02	379	404	52.06	58.31	4.37	4.8
त्रिपुरा	61.00	55.00	76	79	9.27	12.52	3.57	3.63
उत्तर प्रदेश	90.00	97.00	262	322	42.79	62.61	4.79	5.2
कलकत्ता एसटीसी	66.88	59.00	150	128	20.77	22.26	3.7	3.9
नोर्थ बंगाल एसटीसी	61.00	57.00	147	141	21.19	22.61	3.94	3.95
साउथ बंगाल एसटीसी	77.00	85.00	206	222	34.54	38.41	3.85	4.3
कलकत्ता ट्रामवेज	63.00	67.00	136	157	20.20	22.70	3.3	3.5
उत्तराखण्ड	0.00	94.00	0	300	0.00	43.00	0	4.79
अखिल भारत औसत	78.72	82.50	210	229	39.23	39.39	4.11	4.31

संलग्नक 9.5.1
दसवीं योजना के दौरान वर्ष-वार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां- प्रमुख बन्दरगाह (वस्तु-वार)

(मिलियन मीट्रिक टन)

क्र. सं.	वस्तु का नाम	दसवीं योजना	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
		लक्ष्य			उपलब्धि		
1.	पीओएल	154.30	109.63	122.16	126.44	142.09	154.35
2.	लौह अयस्क	52.50	50.56	58.81	76.20	79.17	80.56
3.	उर्वरक तथा उर्वरक कच्ची सामग्री (एफआरएम)	13.45	8.55	7.54	9.68	12.19	14.11
4.	थर्मल और कोकिंग कोयला	71.30	48.19	48.80	52.56	58.76	60.21
5.	कन्टेनर	61.10	43.67	51.00	54.76	61.98	73.48
6.	अन्य कार्गो	62.35	52.95	56.49	64.11	69.38	81.13
	जोड़	415.00	313.55	344.80	383.75	423.57	463.84

संलग्नक 9.5.2
दसवीं योजना के दौरान वर्ष-वार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां-बड़े बन्दरगाह (बन्दरगाह-वार)

(मिलियन मीट्रिक टन)

क्र. सं.	बन्दरगाह/संगठन	दसवीं योजना	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
1.	कोलकाता	21.40	7.20	8.69	9.95	10.81	12.60
2.	हल्दिया	33.40	28.60	32.56	36.26	42.33	42.45
3.	पारादीप	28.90	23.90	25.31	30.10	33.11	38.52
4.	विजाग	60.00	46.01	47.74	50.15	55.80	56.39
5.	चेन्नई	40.00	33.69	36.71	43.81	47.25	53.41
6.	तूतीकोरीन	18.70	13.29	13.68	15.81	17.14	18.00
7.	कोचीन	17.20	13.02	13.57	14.09	13.89	15.31
8.	न्यु मंगलौर	32.70	21.43	26.67	33.89	34.45	32.04
9.	मोरमुगाओ	26.30	23.65	27.87	30.66	31.69	34.24
10.	मुम्बई	30.40	26.80	30.00	35.19	44.19	52.36
11.	जेएल नेहरू	34.50	26.84	31.19	32.81	37.83	44.82
12.	कान्डला	51.00	40.63	41.52	41.55	45.91	52.99
13.	एन्नोर पोर्ट लि.	20.50	8.49	9.28	9.48	9.17	10.71
	कुल जोड़	415.00	313.55	344.79	383.75	423.57	463.84

संलग्नक 9.5.3
दसवीं योजना- बन्दरगाह क्षेत्रक में परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं. बन्दरगाह/संगठन का नाम	(2002-03)		(2003-04)		(2004-05)		(2005-06)		(2006-07)		दसवीं योजना वास्तविक व्यय		
	दसवीं योजना परिव्यय	स्वीकृत परिव्यय	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कोलकाता*	789.42	199.92	6.85	210.30	10.48	46.22	47.55	54.04	59.66	50.04	71.99	196.53
2	मुम्बई	880.20	109.05	100.76	54.21	57.81	56.15	44.49	74.53	19.23	59.86	14.55	236.84
3	जेएनपीटी	262.75	146.36	40.26	143.02	12.73	102.14	58.85	96.84	65.77	106.14	40.74	218.35
4	चेन्नई	326.70	95.99	85.50	36.69	29.21	16.75	22.68	46.71	25.11	35.00	26.07	188.57
5	कोचीन	366.51	-	10.02	18.88	10.86	85.41	9.52	53.12	24.76	73.84	72.89	128.05
6	विजय	240.84	49.06	51.30	51.00	55.65	54.44	27.68	27.00	17.68	27.33	43.79	196.10
7	काडला	416.71	94.78	55.89	66.71	41.50	92.98	52.89	93.30	91.29	94.66	80.19	321.76
8	मोरमुगाओ	348.06	30.86	26.53	87.14	43.06	53.85	11.05	33.50	17.92	28.06	20.77	119.33
9	पारादीप	222.70	59.00	41.42	53.40	14.56	87.16	28.99	116.00	44.02	83.40	23.15	152.14
10	यु मंगलौर	147.40	37.00	24.41	25.00	5.14	20.00	29.60	26.00	18.09	18.00	18.02	95.26
11	सुतीकोरीन	230.0	76.10	36.02	17.54	21.84	25.81	5.48	43.67	13.56	52.31	29.12	106.04
12	एम्नोर पोर्ट लि०	300.00	1.00	-	150.00	0.99	95.00	2.32	76.00	13.40	70.00	9.57	26.28
	जोड़ (क)	4531.29	899.12	478.96	913.89	303.83	735.91	341.1	740.71	410.49	698.64	450.85	1985.25
13	सेतुसमुद्रम	-	-	-	-	-	10.00	-	107.00	150.00	304.00	334.66	484.66
14	वेब आधारित ईडीआई बन्दरगाह समुदाय पद्धति	-	-	-	-	-	-	-	6.00	0.34	7.83	1.66	2.00
15	अन्य**	587.00	214.88	53.98	237.00	44.06	221.04	19.87	260.04	79.13	333.78	214.77	411.81
	जोड़ (ख)	587.00	214.88	53.98	237.00	44.06	231.04	19.87	373.04	229.47	645.61	551.09	898.47
	जोड़ (क+ख)	5118.29	1114.00	532.94	1150.89	347.89	966.95	360.97	1113.75	639.96	1344.25	1001.94	2883.70
16	सर्वेक्षण पोत	300.00	45.00	8.95	50.00	-	100.00	-	50.00	0.00	20.00	0.00	8.95
	कुल जोड़	5418.29	1159.00	541.89	1200.89	347.89	1066.95	360.97	1163.75	639.96	1364.25	1001.94	2892.65

नोट : *हस्तिया और आस्वार स्कीमें सम्मिलित हैं। **डीसीआई, एएलएचडब्ल्यू, आर एण्ड डी अध्ययन, सुनामी पश्चात कार्य और गौण बन्दरगाह अध्ययन सम्मिलित हैं।

संलग्नक 9.6.1
दसवीं योजना दौरान नागर विमानन क्षेत्रक

क्र. सं. संगठन	दसवीं योजना		(2002-03)		(2003-04)		(2004-05)		(2005-06)		(2006-07)		दसवीं योजना वास्तविक व्यय
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 एयर इण्डिया लि0	2661.39 (1.00)	858.70 (1.00)	743.07	600.81 (1.00)	479.57	471.40 (1.00)	358.07	468.74 (1.00)	443.33	486.70	364.23	2388.27	
2 इण्डियन एयरलाइन्स लि0	4240.50 (1.00)	510.00 (1.00)	418.93	280.00 (1.00)	248.78 (325.00)	226.00 (325.00)	221.70 (325.00)	911.73	192.13	706.00	350.00	1431.54	
3 एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इण्डिया	5404.21 (250.00)	996.05 (53.12)	445.66 (33.59)	800.00 (34.96)	566.22 (22.08)	795.08 (30.00)	606.49 (30.00)	892.30 (30.00)	876.08 (36.00)	1506.44 (42.91)	1040.17 (29.00)	3534.62 (150.67)	
4 पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि0	458.90	133.80	53.01	81.45	19.60	109.50	60.92	90.70	41.52	175.00	106.90	281.95	
5 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	10.00 (10.00)	2.09 (2.09)	0.98 (0.98)	3.50 (3.50)	0.50 (0.50)	3.00 (3.00)	3.00 (3.00)	3.85 (3.85)	2.30 (2.30)	40.30 (40.30)	31.10 (31.10)	37.88 (37.88)	
6 नागर विमानन महानिदेशालय	19.00 (19.00)	3.10 (3.10)	2.54 (2.54)	4.15 (4.15)	2.86 (2.86)	4.00 (4.00)	3.06 (3.06)	5.00 (5.00)	1.83 (1.83)	29.00 (29.00)	1.74 (1.74)	12.03 (12.03)	
7 नागर विमानन सुस्था ब्युरो	114.00 (114.00)	7.69 (7.69)	3.87 (3.87)	7.00 (7.00)	4.24 (4.24)	10.00 (10.00)	0.28 (0.28)	5.00 (5.00)	0.98 (0.98)	5.00 (5.00)	0.15 (0.15)	9.52 (9.52)	
8 हॉटक कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लि0	15.00	8.76	8.76	1.00	0.51	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	15.00	26.27	
9 एयर इण्डिया चार्टर्स लि0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	70.70	42.18	59.01	
10 एयरो क्लब आफ इण्डिया	5.00 (5.00)	1.00 (1.00)	0.00 (0.00)	1.27 (1.27)	1.00 (1.00)	1.00 (1.00)	1.00 (1.00)	1.00 (1.00)	0.00 (0.00)	12.79 (12.79)	9.00 (9.00)	11.00 (11.00)	
जोड़	12928.00 (400.00)	2521.19 (69.00)	1676.82 (40.98)	1779.18 (52.88)	1323.28 (30.68)	1620.98 (50.00)	1255.52 (37.34)	2379.32 (370.85)	1576.00 (366.11)	3046.93 (130.00)	1960.47 (70.99)	7792.09 (546.10)	

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल बजटीय सहायता दर्शाते हैं।

* वर्ष 2005-06 के दौरान, नए वायुयान खरीदने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स को 325 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता जारी की गई, जिसमें से कम्पनी ने 2005-06 के दौरान 47.61 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया तथा 277.39 करोड़ रुपये की शेष राशि का उपयोग अप्रैल, 2006 में किया गया।

10

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्रक

मुद्दे और चुनौतियां

10.1 ऊर्जा की उपलब्धता और अभिगम्यता को आर्थिक विकास के अभिप्रेरक के रूप में समझा जाता है। ग्यारहवीं योजना में अर्थव्यवस्था की 9% परिकल्पित वृद्धि ऊर्जा में तदनुसूची वृद्धि के बगैर प्राप्त नहीं की जा सकती। देश में लगभग आधी आबादी को विद्युत अथवा किसी अन्य प्रकार की वाणिज्यिक ऊर्जा सुलभ नहीं है। ऊर्जा सुलभता की चुनौतियों को पूरा करने तथा सभी व्यक्तियों को, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, जिन्हें जलाऊ लकड़ी, फसल अवशिष्ट और उपले जैसे गैर-वाणिज्यिक ईंधन एकत्र और उपयोग करने का काम करना पड़ता है, जो दो-तिहाई से अधिक परिवारों के लिए अभी भी खाना पकाने का प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा की सतत रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था करना अथवा बस्ती के कम से कम एक किलोमीटर के आसपास पेड़ लगाना और स्वच्छ ईंधन के उपयोगार्थ प्रौद्योगिकी का प्रसार करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि विकास को समावेशी बनाया जाना है तो यह जरूरी है।

10.2 भारत ऊर्जा का एक बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही है। भारत का इस समय विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देश के रूप में सातवां स्थान है, जिसका विश्व के कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन में लगभग 2.49% हिस्सा है। यह विश्व का सबसे बड़ा पांचवां ऊर्जा उपभोक्ता भी है, जिसका 2004 में विश्व की कुल वार्षिक ऊर्जा खपत में लगभग 3.45% हिस्सा है। आजादी के

बाद से देश में समग्र ऊर्जा उपयोग में पर्याप्त विस्तार हुआ है जबकि गैर-वाणिज्यिक से वाणिज्यिक स्रोतों में बदलाव आया है। कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में वाणिज्यिक खपत का हिस्सा, जो 1980-81 में 59.7% था, 2006-07 में 72.6% हो गया। तथापि, यह नोट करने योग्य है कि विश्व में भारत प्रति व्यक्ति कम ऊर्जा खपत करने वाले देशों में से एक है। भारत ने 2004 में प्रति व्यक्ति 455 तेल समकक्ष के किलोग्राम (केजीओई) की प्राथमिकता ऊर्जा की खपत की जो उस वर्ष में 1750 केजीओई की विश्व औसत का लगभग 26% थी। इसके विपरीत चीन और ब्राजील में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत क्रमशः 1147 केजीओई और 1232 केजीओई थी।

10.3 ग्यारहवीं योजना में प्रस्तावित वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा क्षेत्रक के समक्ष मुख्य चुनौती कम लागत वाले तरीकों से ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि करना है। चरम विद्युत और ऊर्जा दोनों के लिए बिजली की सतत रूप से कमी से समस्या की मात्रा का पता चलता है। अनुमान है कि 2006-07 में शिखर समय में औसतन कमियां 12% थी, जो एक प्रकार से कम अनुमान है क्योंकि अनुसूचित लोड शेडिंग इसमें सम्मिलित नहीं है। सिस्टम के 76.8% के अत्यंत उच्च भार क्षमता से पता चलता है कि सिस्टम अत्यंत दबाव के तहत काम कर रहा है अथवा रिजर्व सीमित है। इसके साथ ही, प्राकृतिक गैस के अभाव में कुछ गैस आधारित विद्युत संयंत्र निष्क्रिय हैं। नाभिकीय संयंत्र भी पर्याप्त यूरैनियम के अभाव में न्यून भार क्षमताओं पर प्रचालित होते हैं। बिजली की कमी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता और अपर्याप्त पारेषण और वितरण (टीएंडडी) नेटवर्क का संकेत देती है। काफी सीमा तक यह राज्य विद्युत यूटिलिटियों की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति का परिणाम

है जो बड़े स्तर पर कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियां (एटीएण्डसी) उठा रहे हैं।

10.4 विश्व तापन के अनिवार्य खतरे के कारण हाल ही के समय में विकास की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने का काम और भी अधिक जटिल हो गया है। यह भारत सहित पूरे विश्व के लिए एक चुनौती पैदा करता है और समस्या से निपटने के लिए एक स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत की ओर इशारा करता है। इसलिए, भारत की ऊर्जा कार्यनीति के अंतर्गत एक उचित अंतर्राष्ट्रीय समझौते के भाग के रूप में कार्रवाई की जरूरत को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो।

दीर्घावधिक आवश्यकता

10.5 क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत लम्बी परिपक्वनावधि सम्मिलित होती है इसलिए हमें भी दीर्घावधिक जरूरत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विकास की दर और ऊर्जा तीव्रता प्रमुख कारक हैं जो भावी ऊर्जा मांग के पूर्वानुमानों को प्रभावित करते हैं। एकीकृत

ऊर्जा नीति संबंधी योजना आयोग (बॉक्स 10.1) की विशेषज्ञ समिति ने भारत के संबंध में 2031-32 के लिए प्राथमिक ऊर्जा मांग का पूर्वानुमान लगाया था। तालिका 10.1 में पूर्वानुमानित आवश्यकता और आपूर्ति का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। कोयले की पूर्वानुमानित आवश्यकता का अनुमान लिग्नाइट के संबंध में इसकी 4000 केसीएएल/कि.ग्रा. और 2865 केसीएएल/कि.ग्रा. की कैलोरी सामग्री मानकर लगाया गया है।

ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता

10.6 भारत, अपने विशाल भौगोलिक क्षेत्र, बढ़ती आबादी और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप बड़े प्राथमिक ऊर्जा रिजर्वों से भरपूर नहीं है। देश में प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधनों का विभाजन काफी विषम है। यद्यपि कोयला प्रचुर है और अधिकांशतः पूर्वी क्षेत्र में संकेन्द्रित है, जहां कोयला रिजर्वों का लगभग 70% स्थित है, तथापि, देश में 70% से अधिक हाइड्रोकार्बन रिजर्व पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। इसी प्रकार, देश में 70% से अधिक कुल जल विद्युत क्षमता उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्यमान है। दक्षिणी क्षेत्र में, जहां कोयला रिजर्व का केवल 6%

बॉक्स 10.1 एकीकृत ऊर्जा नीति

एक एकीकृत ऊर्जा नीति की सिफारिश करने के वास्ते योजना आयोग ने एक विशेष समिति गठित की थी। 2006 में प्रस्तुत इसकी रिपोर्ट में (http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_intengy.pdf) ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के /हस्वरूपों (बिजली, कोयला, तेल, गैस, नाभिकीय, जल ऊर्जा, नवीकरणीय, पवन ऊर्जा सहित, सौर ऊर्जा, जैव-ईंधन, काष्ठ वृक्षारोपण), देश की प्रत्याशित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा कार्यकुशलता और साथ ही आर एंड डी प्राथमिकताओं पर भी विचार किया गया था।

रिपोर्ट में ऊर्जा क्षेत्र को सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसमें, ईंधन और तकनीकों के सही चयन को प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम उपाय के रूप में ऊर्जा के स्वरूपों और विभिन्न ईंधनों की सही सामाजिक लागत को परिलक्षित करने वाली सापेक्ष कीमतों और करों; जहां कहीं संभव हो प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों, आवश्यक होने पर पारदर्शी और लक्षित सब्सिडियों; प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों पर निर्भर रहने वाली नीतियों और ऐसी नीतियों की बात कही गई है जो कार्यान्वयन योग्य हैं। सिफारिशों पर कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा की जा रही है। कोयला क्षेत्र के संबंध में सिफारिश की गई बहुत सी नीतियों पर पहले ही अमल किया जा रहा है। ऊर्जा कार्यकुशलता और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीतियों में भी प्रगति हुई है। विद्युत क्षेत्र के प्रगति के परिणाम अभी आने हैं। तेल और गैस क्षेत्र में असंधारणीय कीमत पद्धति नीति जारी है।

तालिका 10.1 भारत के लिए पूर्वानुमानित प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता : 2030

(सभी एमटीओई में)

ईंधन	आवश्यकता की सीमा	कल्पित घरेलू उत्पादन	आयातों की सीमा*	आयात (%)
कोयला, लिग्नाइट सहित	632-1022	560	72-462	11-45
तेल	350-486	35	315-451	90-93
प्राकृतिक गैस, (सीबीएम) सहित	100-197	100	0- 97	0-49
कुल वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा	1351-1702	-	387-1010	29-59

टिप्पणी : *आयात की मात्रा का परिकलन सभी परिदृश्यों के बीच लोअर बाउंड के रूप में न्यूनतम आवश्यकता और अधिकतम अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन और अपर बाउंड के रूप में अधिकतम आवश्यकता और न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन को हिसाब लेकर किया गया है।

स्रोत : एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट (आईईपीआर), 2006

तथा कुल जल विद्युत का 10% विद्यमान है, देश में लिग्नाइट भंडारों का सर्वाधिक है।

कोयला और लिग्नाइट

10.7 कोयला देश में एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन बना हुआ है। जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार, 253.3 बिलियन टन (बीटी) कोयला रिजर्व था, जिनमें से 97.92 बिलियन टन (बीटी) "सिद्ध" श्रेणी में हैं। अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार लिग्नाइट भंडार अनुमानतः 38.27 बिलियन टन थे, जिनमें से 4.5 बिलियन टन "सिद्ध श्रेणी" में हैं। यदि सभी अनुमानित भंडार कामयाब हो जाएं तो इन भंडारों से वर्तमान स्तर के उत्पादन को 140 वर्षों तक बनाए रखा जा सकता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

10.8 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार वसूली योग्य तेल भंडारों का शेष लगभग 1653 मिलियन टन है (स्रोत : निदेशालय (डीजीएच) 2005-06 रिपोर्ट), जिनका वर्तमान स्तर पर उत्पादन अगले 35 वर्ष तक कायम रह सकता है। उत्पादन का वर्तमान स्तर मुश्किल से पेट्रोलियम उत्पादों की 26% की पूर्ति करता है तथा शेष तेल आवश्यकताएं आयात करके पूरी की जाती हैं। देश में प्राकृतिक गैस-उत्पादन का वर्तमान स्तर औद्योगिक मांग को, विशेषकर विद्युत और उर्वरक उद्योग की मांग को पूरा करने में असमर्थ है। 2004-05 से एलएनजी आयात अंशतः अंतर को पाटने में समर्थ रहे हैं। कुछेक वर्षों के बाद कृष्णा-गोदावरी बेसिन भंडारों से उत्पादन शुरू होने के बाद स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

10.9 प्राकृतिक गैस के अलावा, देश में पर्याप्त कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) और भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन (यूसीजी) संसाधन हैं। सीआईएल और ओएनजीसी पहले ही दो सीबीएम परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। सीबीएम के अन्वेषण और दोहन के लिए निजी कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। कोयला बेड मीथेन से 3.78 बीसीएम और यूसीजी से 2.99 बीसीएम का उत्पादन ग्यारहवीं योजना के लक्ष्यों में सम्मिलित है।

नाभिकीय ऊर्जा

10.10 इस समय नाभिकीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 3900 मेगावाट है जो कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 3.1% है तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशनों की संयंत्र भार क्षमता (पीएलएफ) 57% है। भारत का दीर्घावधिक नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम विद्युत उत्पादन के लिए थोरियम के विशाल अंतर्देशीय संसाधनों का उपयोग करने पर आधारित है। भारत में त्रि-चरण नाभिकीय विद्युत विकास कार्यक्रम का उद्देश्य थोरियम को विखंडनीय सामग्री

में बदलना है। भारत बहुत कम मात्रा में यूरेनियम से संपन्न है और उपलब्ध यूरेनियम संसाधन मदक और शीतलक के रूप में हैवी वाटर तथा ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके "प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) पर आधारित 10,000 एमडब्ल्यूई विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को समर्थन प्रदान कर सकते हैं। तीव्र प्रजनक रिएक्टरों (एफबीआर) के माध्यम से, जो U_{233} का उत्पादन करने के लिए "ब्लैंकट" के रूप में थोरियम के साथ-साथ प्रथम चरण के प्रयुक्त ईंधन को पुनर्चक्रण करके प्राप्त प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं, द्वितीय चरण में, प्राकृतिक यूरेनियम की ऊर्जा क्षमता को लगभग 3,00,000 एमडब्ल्यूई तक बढ़ाया जा सकता है। ईंधन के रूप में U_{233} का प्रयोग करके तृतीय चरण में थोरियम के इस्तेमाल से विद्युत उत्पादन हेतु ऊर्जा क्षमता विशाल और पर्याप्त है।

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत

10.11 एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट (आईईपीआर) में लगाए गए पूर्वानुमानों से पता चलता है कि अपने विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को मध्यावधि (2032) में अधिकाधिक आयातित तेल, गैस और कोयले पर निर्भर रहना होगा। इस पृष्ठभूमि में नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका अतिरिक्त महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे यह कोयले का अथवा तेल का स्थान ले। इस संबंध में आईईपीआर में "अंतर्देशीय आपूर्ति विकल्पों का अधिकतम विकास करने की जरूरत और साथ ही ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करने की भी जरूरत" को स्वीकारा गया है, यद्यपि नवीकरणीय स्रोतों का हिस्सा 2032 तक प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा-मिश्रण का केवल 5% - 6% होगा। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए यह जरूरी है कि ईंधन-मिश्रण में इसके हिस्से में दीर्घावधि में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो। नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को सतत रूप से सहायता प्रदान करना दीर्घावधि में देश के हित में होगा चाहे मध्यावधि में यह विकल्प कुछ महंगा प्रतीत हो सकता है। इस प्रकार, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में एक संतुलित दृष्टिकोण, जो ऊर्जा के देशज और नवीकरणीय स्रोतों की जरूरतों के अनुरूप हो, अपनाया जाना चाहिए।

प्राथमिक ऊर्जा मांग और आपूर्ति में प्रवृत्तियां

10.12 ऊर्जा के लिए विशेष रूप से वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मांग, अर्थव्यवस्था में विकास, जनांकिकीय संरचना में परिवर्तन, बढ़ते शहरीकरण, समाजार्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने की इच्छा के कारण तेजी से बढ़ रही है। तालिका 10.2 में, 1960-61 और 2006-07 के बीच प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा मांग और आपूर्ति प्रवृत्ति तथा 2011-12 के लिए पूर्वानुमानित आवश्यकता दर्शाई गई है।

बॉक्स 10.2 ऊर्जा समकक्षता

"अंतिम ऊर्जा" के रूप में पदनामित ऊर्जा, जैसे कि बिजली, पेट्रोल, गैस, कोयला, आग जलाने की लकड़ी आदि, प्रकृति में उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त की जाती है, जिसे "प्राथमिक ऊर्जा" कहा जाता है तथा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन (कोयला, तेल प्राकृतिक गैस) (हिन्दी में लिखें) अथवा फर्टाइल तत्व प्रमुखतः यूरेनियम, प्राकृतिक तत्वों की गतीय ऊर्जा (पवन, जल आदि), सूर्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊष्मा (भू-थर्मल ऊर्जा) सम्मिलित है। परंपरा के अनुसार अंतिम ऊर्जा खपत सामान्यतः खर्च हुए ईंधन अथवा प्रयुक्त केडब्ल्यूएच से, यदि वह बिजली हो, भार के रूप में व्यक्त की जाती है। प्रत्येक ईंधन, जलने के समय, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का कतिपय मात्रा में उत्पादन करता है जिसे मानक यूनितों में, जैसे कि किलो उष्मांक अथवा जूल के रूप में मापा जा सकता है। ईंधनों की तुलना, टनों में तेल अथवा तेल समकक्ष के मिलियन टन (एमटीओई) के साथ उनकी उष्मांक मात्रा के अनुसार की जाती है। एक टन तेल 42 बिलियन जूल अथवा 10 बिलियन कैलोरीज के बराबर है जबकि एक मिलियन टन भारतीय कोयले में 4.1 बिलियन कैलोरी होती है। इस प्रकार कोयले के 1 एमटी का अर्थ 4.1/10 अथवा 0.41 एमटीओई है। केडब्ल्यूएच में मापित विद्युतीय ऊर्जा भी, अंततः एमटीओई (1 बिलियन केडब्ल्यूएच = 0.86 बिलियन कैलोरी) के रूप में व्यक्त और परिभाषित का इस्तेमाल करते हुए थर्मल ऊर्जा केसीएएल अथवा केजे में बदली जाती है। विद्युत संयंत्र की थर्मल कार्यकुशलता व सिस्टम में अन्य हानियों को हिसाब में लेते हुए बिजली और फोसिल ईंधन के बीच समकक्षता 1 बिलियन केडब्ल्यूएच = 0.28 एमटीओई होगी (कोयला ज्वलित बायलरों के मामले में) (और 0.261 एमटीओई नाभिकीय बिजली के मामले में)। तथापि, जल विद्युत अथवा पवन शक्ति से उत्पादित 1 बिलियन केडब्ल्यूएच को 0.086 एमटीओई के समकक्ष समझा जाता है क्योंकि इन प्राथमिक ऊर्जाओं का उपयोग करके ऊष्मा उत्पादन का कोई मध्यवर्ती चरण नहीं है। यह तर्क देना संभव है कि थर्मल पावर की कार्यकुशलता का उपयोग जल विद्युत और पवन शक्ति को बदलने के लिए भी किया जाना चाहिए। इस मामले में, 1 बिलियन केडब्ल्यूएचआर जल विद्युत 0.28 एमटीओई के समक्ष होगी। यदि कोई इस बात पर विचार करे कि कितनी नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय है, तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार 2006-07 में नवीकरणीय ऊर्जा, भारत की समग्र प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा की 2.8% अथवा 8.3% थी, जो प्रयुक्त परिवर्तन कारक पर निर्भर है।

10.13 यद्यपि समग्र प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता में 1990-91 और 2006-07 के बीच 3.67% की दर से औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई तथापि, इसी अवधि के दौरान प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता में 4.93% की दर से औसत वार्षिक दर दर्ज की गई। दसवीं योजना में 2001-02 की तुलना में 2006-07 के अंत तक प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति में 6.64% वृद्धि में परिलक्षित जीडीपी की घटती प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा तीव्रता की परिकल्पना की गई थी जबकि जीडीपी में 8% की वृद्धि हुई जिसका अर्थ 0.83 की ऊर्जा सापेक्षता का होना है। तथापि, प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा खपत में 2001-02 के खपत स्तर की

तुलना में वस्तुतः 5.51% की वृद्धि दर दर्ज की गई जबकि दसवीं योजना अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.8% की औसत वृद्धि दर दर्ज की गई थी जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संबंध में केवल लगभग 0.71% की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा खपत की नम्यता उत्पन्न हुई।

10.14 गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत पारंपरिक ईंधन सम्मिलित हैं, जैसे कि लकड़ी, उपले, फसल अवशिष्ट और बायोगैस, इनकी देश में समग्र प्राथमिक ऊर्जा खपत में काफी प्रतिशत है। इन ईंधनों का एक बड़ा हिस्सा परिवारों द्वारा विशेष

तालिका 10.2 प्राथमिक ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में प्रवृत्तियां

(सभी एमटीओई में)

	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2006-07	2011-12*
वाणिज्यिक ऊर्जा का घरेलू उत्पादन	36.78	47.67	75.19	150.01	207.08	259.56	435
निवल आयात	6.04	12.66	24.63	31.07	89.03	131.97	111
समग्र वाणिज्यिक ऊर्जा	42.82	60.33	99.82	181.08	296.11	391.53	546
गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा	74.38	86.72	108.48	122.07	136.64	147.56	169
कुल प्राथमिक ऊर्जा मांग	117.20	147.05	208.30	303.15	432.75	539.09	715

टिप्पणी : (1) वाणिज्यिक ऊर्जा के घरेलू उत्पादन में कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत और पवन विद्युत सम्मिलित है। (2) निवल आयात में कोयला, तेल और एलएनजी आयात सम्मिलित हैं।

* एमटीओई = तेल समकक्षता का मिलियन टन। ब्योरे के लिए देखें संलग्नक 10.3

* ग्यारहवीं योजना के अंत में पूर्वानुमानित आवश्यकता एकीकृत ऊर्जा नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और घरेलू आपूर्ति का पूर्वानुमान कार्य दल रिपोर्टों के अनुसार है। आयात आवश्यकता पूर्वानुमानित आवश्यकता और घरेलू आपूर्ति पूर्वानुमानों के बीच का अंतर है।

रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी खाना पकाने और तापन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 2006-07 में पारंपरिक ईंधनों की 147.56 एमटीओई की खपत में, 238 मि.टन ईंधन की लकड़ी, 98 मि.टन गोबर और 38 मि.टन कृषि अवशिष्ट की खपत सम्मिलित है। लगभग 80% ईंधन लकड़ी का उपयोग घरेलू खपत के लिए किया जाता है तथा शेष का उपयोग कुटीर उद्योग और होटलों आदि द्वारा किया जाता है।

10.15 समग्र ऊर्जा जरूरतें विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाती हैं। तालिका 10.3 में ऊर्जा मांग का स्रोत-वार ब्यौरा दिया गया है तथा तालिका 10.4 में इनकी घरेलू उत्पादन से पूर्ति की प्रतिशतता दी गई है, शेष की पूर्ति आयातों द्वारा होती है।

10.16 यद्यपि पिछले वर्षों के दौरान तेल और गैस के हिस्से में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि हो रही है, तथापि कोयला देश में समग्र ऊर्जा उपयोग में प्रमुख ईंधन बना हुआ है। 2006-07 में कुल प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा खपत में आयात का हिस्सा लगभग 33.70% था।

10.17 यद्यपि 2006-07 में कोयले के उत्पादन में 1980-81 में उत्पादन के स्तर से लगभग तीन गुणा की वृद्धि हुई, तथापि समग्र प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति में कोयले और लिग्नाइट के हिस्से में पिछले वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर रूप से कमी आ रही है। दूसरी ओर समग्र प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति में तेल और प्राकृतिक गैस का हिस्सा उत्तरोत्तर रूप से बढ़ रहा है। यद्यपि तेल और प्राकृतिक गैस का हिस्सा, जो 1980-81 में 37.89% था 2006-07 में बढ़कर 42.93% हो गया, किन्तु कोयले और लिग्नाइट का हिस्सा, जो 1980-81 में 56.83% था 2006-07 में कम होकर 53.11% हो गया।

10.18 हमारी आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। तालिका 10.4 से पता चलता है कि हमने कोयले की आवश्यकता का 13.4% का, तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरत का 73.4% का और गैस आवश्यकता का 1.6% का आयात किया। 2006-07 में 131.97 एमटीओई के निवल आयात के अंतर्गत 95.43 मिलियन टन कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, 44.29 मिलियन टन कोयले और 5 मिलियन टन एलएनजी का आयात सम्मिलित है।

तालिका 10.3
स्रोत-वार ऊर्जा मांग

(सभी एमटीओई में)

	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2006-07	2011-12*
कोयला	35.64	36.48	56.96	94.15	131.52	200.00	270
लिग्नाइट	0.01	0.81	1.23	3.58	6.43	8.72	13
तेल	8.29	19.14	32.26	57.75	106.97	132.75	186
प्राकृतिक गैस	-	0.60	1.41	11.49	25.07	34.60	48
जल विद्युत	0.67	2.17	4.00	6.16	6.40	9.75	12
नाभिकीय विद्युत	-	0.63	0.78	1.60	4.41	4.86	17
पवन विद्युत	-	-	-	-	0.13	0.83	इ1
कुल योग	44.61	59.83	96.73	174.73	280.93	391.53	546

* ग्यारहवीं योजना के अंत में पूर्वानुमानित आवश्यकता आईईपीसी रिपोर्ट के अनुसार है।

स्रोत : योजना आयोग

तालिका 10.4
घरेलू स्रोतों से पूरी हुई प्रतिशत मांग

(सभी % में)

	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2006-07	2011-12*
कोयला	100	100	99.7	97.8	96.1	90.33	93.02
लिग्नाइट	100	100	100	100	100	100	100
तेल	5.4	35.6	32.6	42.8	30.3	26.6	27.59
प्राकृतिक गैस/एलएनजी	-	100	100	100	100	82.08	69.30
जल विद्युत	100	100	100	99.93	99.96	99.74	95.94

* पूर्वानुमानित विभिन्न कार्य दल रिपोर्टों के अनुसार।

स्रोत : योजना आयोग

10.19 यदि भारत को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान पूर्वानुमानित 9% आर्थिक विकास को बनाए रखना है तो इसे ऊर्जा आपूर्ति की कमी को दूर करना होगा और वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि करनी होगी। तालिका 10.5 में ग्यारहवीं योजना अवधि के अंतिम वर्ष के दौरान भौतिक इकाईयों में सभी उपलब्ध संसाधनों की पूर्वानुमानित वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता दर्शाई गई है। 731 मिलियन टन की कोयला मांग में 51 मिलियन टन का आयात शामिल है। इसके 74% का उपयोग विद्युत क्षेत्रक द्वारा, कौप्टिव संयंत्रों सहित, किए जाने की उम्मीद है। 145 मिलियन टन की तेल मांग में से घरेलू उत्पादन लगभग 40 मिलियन टन होगा तथा शेष का आयात किया जाएगा। ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में प्राकृतिक गैस की अंतर्राज्यीय उपलब्धता लगभग 47 बीसीएम होने की उम्मीद है। 23.75 मिलियन टन एलएनजी के आयात से मांग में कमी को पूरा करने के लिए आपूर्ति में वृद्धि होगी। यदि निजी क्षेत्रक द्वारा कोई अभिवृद्धि नहीं की गई तो उपलब्धता और मांग के बीच लगभग 32 बीसीएम का अंतर रहेगा। उपलब्धता में कमी, विद्युत क्षेत्रक और उर्वरक उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी, जो चालू गैस मांग के लगभग 70% की खपत करती है।

तालिका 10.5

2011-12 के लिए पूर्वानुमानित वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता
2011-12 में आवश्यकता - 9% वृद्धि की दर से*

प्राथमिक ईंधन	यूनिट	परिमाण
कोयला	एमटी	731
लिग्नाइट	एमटी	55.59
तेल	एमटी	145
प्राकृतिक गैस	बीसीएम	106
जल विद्युत	टीडब्ल्यूएच	165
नाभिकीय विद्युत	टीडब्ल्यूएच	44.64
पवन विद्युत	टीडब्ल्यूएच	7

स्रोत : विभिन्न क्षेत्रकों की कार्य दल रिपोर्टें।

10.20 अनुमान है कि जल, पवन और नाभिकीय ऊर्जा की उपलब्धता, योजना अवधि के दौरान संभावित क्षमता अभिवृद्धियों को ध्यान में रखते हुए जल विद्युत के संबंध में 37%, पवन के संबंध में 20% और नाभिकीय के संबंध में 70% की क्षमता वृद्धि संभावित है।

10.21 तालिका 10.6 में विगत वर्षों दौरान विभिन्न ईंधनों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति की प्राप्त विकास दरें और साथ ही ग्यारहवीं योजना के संबंध में पूर्वानुमानित दरें भी दर्शाई गई हैं।

आपूर्ति विकल्प

10.22 अनुमान है कि ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में कोयले के उत्पादन में 2006-07 के उत्पादन स्तर से डेढ़ गुणा से अधिक की वृद्धि होगी। अंतर्राज्यीय कोयला उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने के लिए लगभग 51 मिलियन टन कोयले का आयात करने की जरूरत होगी। ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में अंतर्राज्यीय उत्पादन का स्तर 680 मिलियन टन तक पहुंच जाने की संभावना है जिससे दसवीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त 5.8% वृद्धि दर की तुलना में 9.37% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज होगी। मात्र विद्युत क्षेत्रक पूर्वानुमानित मांग के 70% से अधिक की खपत करेगा।

10.23 संभावना है कि ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में कच्चे तेल के अंतर्राज्यीय उत्पादन में लगभग 40 मिलियन टन की वृद्धि होगी, जो लगभग 34 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से मामूली सी वृद्धि का द्योतक है। ग्यारहवीं योजना के अंत तक अंतर्राज्यीय उत्पादन, ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में 145 मिलियन टन की पूर्वानुमानित पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के मात्र लगभग 28% की पूर्ति करेगा।

10.24 ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में प्राकृतिक गैस का अंतर्राज्यीय उत्पादन 63.23 बीसीएम होने की संभावना है जो

तालिका 10.6 अंतर्राज्यीय आपूर्ति की विकास दरें

(सभी % में)

	1960-70	1970-80	1980-90	1990-00	2002-07#	2007-12*
कोयला	2.74	4.57	6.39	3.87	5.80	9.37
लिग्नाइट	-	4.18	10.42	5.24	4.64	11.72
तेल	31.23	4.42	12.1	-0.18	0.56	3.31
प्राकृतिक गैस	-	5.50	22.32	5.06	0.09	18.53
जल विद्युत	12.61	7.03	3.17	2.66	9.02	7.87
नाभिकीय विद्युत	-	7.95	4.86	11.10	(-) 9.18	19.13

टिप्पणी: - # दसवीं योजना अवधि *विभिन्न कार्य दल रिपोर्टों के अनुसार ग्यारहवीं योजना के संबंध में पूर्वानुमानित

स्रोत:- योजना आयोग

उत्पादन के वर्तमान स्तर से लगभग 100% अधिक होगा। गैस उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः के-जी बेसिन से 40 मिलियन मानक घन प्रति मीटर (एमएमएससीएमडी) उत्पादन से होगी। यदि गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम (जीएसपीसी) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान ही के-जी बेसिन से अपने संसाधनों को विकसित करने में समर्थ हो जाए तो उत्पादन का स्तर और बढ़ सकता है।

10.25 ग्यारहवीं योजना के दौरान 78577 मेगावाट के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के प्रस्ताव के अंतर्गत 16,553 मेगावाट जल विद्युत क्षमता और 3380 मेगावाट नाभिकीय रिएक्टरों से अभिवृद्धि सम्मिलित है। इस क्षमता अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए, जल विद्युत और नाभिकीय संयंत्रों दोनों से पूर्वानुमानित ऊर्जा उत्पादन क्रमशः 165 ट्रिलियन वाट प्रति घंटा टीडब्ल्यूएच और 44.6 टीडब्ल्यूएच होगा।

ऊर्जा आयात

10.26 पारंपरिक तौर पर, भारत एक ऊर्जा आपूर्ति बाधित देश रहा है और देश की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए आयातों का सहारा लेना पड़ता है। विद्युत और उर्वरक क्षेत्रक में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए 2004-05 में एलएनजी का आयात शुरू किया गया। यद्यपि एलएनजी आयातों से कुछ सीमा तक मांग सुदृढ़ हुई है तथापि, फिर भी काफी कमी है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष तेल आयातों में भी वृद्धि हो रही है। हाल ही में विद्युत यूटिलिटीयों और सीमेंट उद्योग द्वारा गैर-कोकिंग कोयले के आयात में भी वृद्धि शुरू हो गई है, जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस्पात उद्योग द्वारा कोकिंग कोयले के आयात के अलावा है। इसके परिणामस्वरूप, समग्र प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में आयातों का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। भारत सरकार, अमरीका से नाभिकीय ईंधन का आयात करने के प्रयास कर रही है, जिससे नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद है।

भावी मार्ग

10.27 ऊपर बताई गई बातों से स्पष्ट है कि भारत में सभी ऊर्जा संसाधनों की कमी है और कोयले का भारत की ऊर्जा डाली में प्रभुत्व बना रहेगा। हमें, अन्वेषण, ऊर्जा कार्यकुशलता, नवीकरणीय तथा अनुसंधान और संवर्धन (आर एंड डी) के माध्यम से संसाधनों का विस्तार करने की जरूरत है। ऊर्जा के व्यापक उपयोग के कारण विभिन्न ऊर्जा विकल्पों के पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ती चिंता की बात है। यह आवश्यक है कि देश में ऊर्जा की मांग को एक पर्यावरणीय अनुकूल और संधारणीय ढंग से पूरा किया जाए।

10.28 संवर्धित पुनःप्राप्ति प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके उपलब्ध जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों का इष्टतम दोहन किया जाए। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का, जैसे कि कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) का पूर्णतः दोहन किया जाए तथा जीवाश्म ईंधन भंडारों को और अधिक गहन खोज के द्वारा बढ़ाया जाए। यद्यपि, पवन ऊर्जा, जैव-भार और जैव-ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का कुल ऊर्जा में थोड़ा सा प्रतिशत है तथापि, उनके योगदान में ग्यारहवीं योजना के दौरान 2-3 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। तदनुसार, वांछित वृद्धि प्राप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्रक के सभी उप क्षेत्रकों में विस्तृत नीति पहलों के साथ एक भावी योजना आवश्यक है। यद्यपि, केंद्रीय और राज्य क्षेत्रक का ग्यारहवीं योजना में ऊर्जा क्षेत्रक पर प्रभुत्व बना रहेगा तथापि ऊर्जा नीति क्षेत्रक के अधार पर निश्चित नहीं की जानी चाहिए जहां प्रधान सार्वजनिक क्षेत्रक योगदानकर्ताओं के कभी-कभी पर्याप्त हित निहित हो सकते हैं। हमें और अधिक पारदर्शी नीतिगत संरचना की ओर बढ़ने की जरूरत है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के साथ एकसमान रूप से व्यवहार किया जाए। ऐसी संरचना, क्षेत्रकों के बीच विकृतियों को न्यूनतम करने और कार्यकुशलता लाभों को अधिकतम बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा लागू करके मित्तव्ययी ढंग से ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिवारों के लिए स्वच्छ, आधुनिक ईंधन की उपलब्धता हमारी मार्गदर्शी चिंता होनी चाहिए। इसके लिए सभी स्तरों पर प्रवेश की बाधाओं को दूर करने और एक इष्टतम कीमत पद्धति तथा कर नीति की जरूरत होगी जिससे कि संसाधनों का आवंटन एक विश्वसनीय विनियामक व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित बाजार ताकतों पर आधारित हो जिससे सरकारी तथा निजी कार्यकर्ताओं के लिए कार्य करने के समान अवसर सुनिश्चित हों।

10.29 ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में सुधार की गति को प्रोत्साहित करने के लिए पद्धतियों को मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। आपूर्ति प्रेरित कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकियों में बदलाव लाकर पुनर्गठन प्रोत्साहनों और सहायता से नए तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग में सहायता मिलेगी। सब्सिडियों और समर्थन को पूंजी निवेशों की बजाए नवीकरणीय ऊर्जा सृजित की दृष्टि से परिणामों के साथ जोड़े जाने की जरूरत है। जहां तक संभव हो सामाजिक उद्देश्यों को वास्तविक जरूरतमंद लोगों के लिए दिए जाने वाले प्रत्यक्ष और व्यापारयोग्य हकदारी के माध्यम से पूरा करने की जरूरत है। पर्यावरणीय बाह्यताओं हेतु नवीकरणीय के लिए समुचित प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिए।

10.30 ऐसी संगत प्रौद्योगिकी और ऊर्जा स्रोत विकसित करने के लिए एक जोरदार ऊर्जा आर एंड डी पद्धति कायम करने की भी जरूरत है जिससे ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हो और दीर्घावधि में

मित्तव्ययी ढंग से ऊर्जा आजादी प्राप्त हो। स्थानिक कोयला/लिंगनाईट गैसिफिकेशन, आईजीसीसी, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण आदि जैसे क्षेत्रों को हिंदी में लिखे करते हुए अनेक प्रौद्योगिकी लक्ष्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। जैव-ईंधनों के कार्यक्षेत्र का, प्रौद्योगिकी में बताई गई प्रगतियों का इस्तेमाल करके कृषि अवशिष्ट से इथानोल के निष्कर्षण सहित, पता लगाया जाना चाहिए।

10.31 ग्यारहवीं योजना के लिए क्षेत्रक-वार कार्यक्रम और वित्तीय आवश्यकताओं का उल्लेख आगामी परिच्छेद में किया गया है।

विद्युत क्षेत्रक

मुद्दे और चुनौतियां

10.32 अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास से विद्युत क्षेत्रक पर भारी मांग का बोझ बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्रक को सक्षम तथा और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए इस क्षेत्रक में सुधार अनेक वर्षों से चल रहे हैं और यद्यपि कुछ प्रगति हुई है तथापि, विद्युत की कमी और सुलभता का अभाव आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। सबसे बड़ी कमजोरी वितरण मोर्चे के संबंध में है जो पूर्णतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में है। अधिकांश राज्य विद्युत यूटिलिटीयों (एसपीयू) की कुल तकनीकी व वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां 40% तक ऊंची बनी हुई हैं और इससे उन्हें वित्तीय रूप से रूग्ण और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में पर्याप्त रूप में निवेश करने में असमर्थ बना दिया है। इसी वजह से इन यूटिलिटीयों को, विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु निजी निवेशकों को आकर्षित करने में केवल सीमित सफलता प्राप्त हुई है।

10.33 ग्यारहवीं योजना में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि 9% और 10% प्रतिवर्ष के बीच वृद्धि दर के अनुरूप संतोषजनक स्थिति की दिशा में बढ़ा जा सके। ऐसी नीतियां तैयार की जानी चाहिए जिनसे चल रही परियोजनाओं की जल्द पूर्णता सुनिश्चित हो और भारत की जल विद्युत क्षमता और नाभिकीय क्षमताओं के, विशेष रूप से तीव्र प्रजनक रिएक्टरों के क्षेत्र में दोहन पर बल देते हुए एक कुशल और कम से कम लागत से नई क्षमता वृद्धि हो सके। पवन विद्युत जैसे नवीकरणीय, जो थोड़े से समय में स्थापित किए जा सकते हैं, उपयोगी भूमिका निभाते हैं। एक प्रमुख चुनौती वितरण ढांचे में निवेश में बड़ी वृद्धि करने और स्मार्ट मीटरिंग तथा वास्तविक समय के लिए प्रबंधकीय साधनों जैसे प्रौद्योगिकीय व प्रबंधकीय साधनों का उपयोग करने एपीडीआरपी की पुनर्संरचना करने एवं एटी एंड सी हानियों को लगभग 40% के वर्तमान स्तर से ग्यारहवीं योजना के अंत तक कम से कम 15% कम करने के लिए राज्य सरकारों के लिए निश्चित लक्ष्य के साथ प्रत्येक वितरण ट्रांसफॉर्मर पर मानीटरिंग

और जवाबदेही हो। इस समय ऐसी हानियों के ऊंचे स्तर को देखते हुए, कुछ राज्यों के लिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो सकता है। एक अन्य चुनौती सभी परिवारों के लिए बिजली की सुलभता प्रदान करने और वस्तुतः राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत सभी बीपीएल परिवारों को कनेक्ट करने की है।

10.34 नई उत्पादन क्षमता कायम करने तथा विद्युत की लागत कम करने के लिए अनेक मोर्चों पर कार्रवाई करनी होगी :

- नए विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन की उपलब्धता आश्वस्त की जानी चाहिए।
- पूंजी प्रभार को कम करने के लिए दीर्घावधिक वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- सीपीएसयू के लिए कर पश्चात प्रतिफल की व्यवस्थित गारंटीशुदा दर, यूटिलिटीयों के लिए प्रतिफल की दर, कुल मिलाकर जोखिमों और पूंजीकरण की विद्यमान लागत को ध्यान में रखते हुए सीईआरसी द्वारा समायोजित किए जाने की जरूरत है।
- पर्याप्त क्षमता की अंतर-राज्य तथा आंतर-राज्य पद्धति का निर्माण किया जाना चाहिए जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विद्युत को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने में समर्थ हो।
- वितरण पद्धति को कुशल बनाया जाना चाहिए, केवल ऐसा करने से ही वित्तीय रूप से सक्षम विस्तार सुनिश्चित हो सकता है।
- उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने तथा पीएलएफ सुधारने के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) के माध्यम से थर्मल स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए।
- अतिरिक्त शिखर क्षमता पैदा करने के लिए जल विद्युत स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए।
- ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्राथमिक ऊर्जा मांग को 5%-7% तक प्रभावी ढंग से कम करने के लिए आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष कार्यकुशलताओं में सुधार किया जाना चाहिए।
- विद्युत उत्पादन के लिए धुले कोयले का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए कैप्टिव क्षमता का दोहन किया जाना चाहिए।

दसवीं योजना की समीक्षा

विद्युत क्षेत्रक सुधार

10.35 लगभग एक दशक से विद्युत क्षेत्रक सुधार आयोजित किए जा रहे हैं। दसवीं योजना के दौरान "विद्युत अधिनियम 2003" का

अधिनियमन, विद्युत क्षेत्रक में सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम के उद्देश्य हैं : "उत्पादन, पारेषण, वितरण, बिजली के व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करना और बिजली उद्योग के विकास के लिए उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए, प्रेरक उपाय अपनाना और सभी क्षेत्रों के लिए बिजली की आपूर्ति, विद्युत टैरिफों का युक्तिकरण, सब्सिडियों से संबंधित पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करते हुए, सक्षम और पर्यावरणीय अनुकूल नीतियों का प्रोत्साहन, विनियामक आयोगों का गठन और उससे संबंधित अथवा उससे प्रासंगिक मामलों के संबंध में पुनर्विचार अधिकरणों की स्थापना करना।"

10.36 दसवीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्रक में हुई उपलब्धियां निम्नलिखित थी :

- 14 राज्यों ने अपने विद्युत क्षेत्रक का पुनर्गठन किया और उसका निगमीकरण किया तथा अपने बोर्डों का पारेषण, वितरण और उत्पादन के लिए अलग-अलग इकाइयों में गठन किया।
- उड़ीसा और दिल्ली में वितरण का निजीकरण किया गया।
- राज्य विद्युत प्राधिकरण (रा.वि.प्रा.) की स्थापना अनिवार्य हो गई है। 25 राज्यों ने एसईआरसी का गठन कर दिया है अथवा उसे अधिसूचित कर दिया है तथा 21 एसईआरसी ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं।
- 26 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों को अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिसूचित कर दिया है, की बिना किसी लाइसेंस के उत्पादन और वितरण की मिश्रित योजनाएं शुरू करने की अनुमति है।
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बिजली नीति, 2005 में अधिसूचित कर दी। इसी प्रकार राष्ट्रीय टैरिफ नीति भी 2006 में अधिसूचित कर दी गई। इसके अलावा, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 4 और 5 के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति 28 अगस्त, 2006 को अधिसूचित कर दी।
- केन्द्रीय सरकार ने बिजली के लिए पुनर्विचार अधिकरण का गठन किया, जो जुलाई, 2005 में प्रचालनात्मक हो गया। अधिकरण ने विनियामक आयोगों/अधिनिर्णयन अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुननी शुरू कर दी हैं।
- मुक्त सुलभता को तकनीकी दृष्टि से अनुमति दे दी गई है और अंतर-राज्य पारेषण के लिए कार्यात्मक बना दी गई है किन्तु वस्तुतः इसमें अनेक एसईआरसी द्वारा निर्धारित ऊंचे परस्पर सब्सिडी प्रभार के कारण बाधा पहुंची है।

- अंततः त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत नौ राज्यों ने 2001-02 की अपनी हानियों की तुलना में 5254.60 करोड़ रुपए की नकद हानि कटौती प्रदर्शित की है। तथापि, प्रगति बहुत कम है और एटी एंड सी हानियां अभी भी बहुत से राज्यों में ऊंची बनी हुई हैं।

दसवीं योजना में अन्य नई बड़ी पहलें

पण्य संयंत्रों/कोयला संयोजनों के लिए तैयार मार्गनिर्देश

10.37 बिजली उद्योग की पुनर्संरचना करने के उद्देश्य से पण्य विद्युत संयंत्रों के संबंध में 3 नवम्बर, 2006 को मार्गनिर्देश तैयार किए गए थे। इस नीति के अंतर्गत, ताप विद्युत स्टेशनों की स्थापना करने के लिए सफल बोलीदाताओं को कोयला ब्लॉक/कोयला संयोजन प्रदान किए जाएंगे।

विद्युत प्राप्त करने के लिए मार्गनिर्देश

10.38 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए वितरण लाइसेंसप्राप्तकर्ताओं द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए मार्गनिर्देश अधिसूचित कर दिए हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने स्थल और स्थान विनिर्दिष्ट करके परियोजनाओं से विद्युत की दीर्घावधिक प्राप्ति के लिए मानक बोली दस्तावेज भी जारी कर दिए हैं।

आधुनिकतम - वृहद विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत

10.39 विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ आधारित बोली की अपेक्षा है। प्रक्रिया शुरू करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा बड़े पैमाने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए, "टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली" योजना 4000 मेगावाट अथवा अधिक की क्षमता वाले कोयला आधारित आधुनिकतम वृहद विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपीएस) के विकास के लिए शुरू की गई थी। परियोजनाओं के अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं और साथ ही पिटहेड स्थलों के संबंध में सम्बद्ध कोयला खानों का विकास और तटीय स्थलों के संबंध में आयातित कोयला सोर्सिंग सम्मिलित होगी। ये परियोजनाएं विकासकर्ताओं को बीओओ आधार पर प्रदान की जाएंगी। दो परियोजनाओं, रिलायंस ऊर्जा और टाटा पावर को आवंटित क्रमशः मध्य प्रदेश में सासन और गुजरात में मुन्द्रा के संबंध में बोली प्रक्रिया पूरी हो गई है। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम के संबंध में प्रक्रिया चल रही है।

संचरण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए जारी मार्गनिर्देश

10.40 केन्द्रीय सरकार ने टैरिफ आधारित बोली के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए भी मार्गनिर्देश अधिसूचित किए हैं।

क्षमता अभिवृद्धि

10.41 यूटिलिटीयों की अखिल भारत स्थापित उत्पादन क्षमता दसवीं योजना की शुरुआत में 1,04,917.50 मेगावाट थी। इसमें 26,261.22 मेगावाट जल विद्युत, 74,428.82 मेगावाट ताप विद्युत और 2,720.00 मेगावाट नाभिकीय विद्युत तथा 1,507.50 मेगावाट पवन ऊर्जा सम्मिलित थी।

10.42 दसवीं योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 41,109.84 मेगावाट था। इसके विपरीत योजना अवधि के दौरान वस्तुतः 21,080.24 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त हुई। दसवीं योजना क्षमता अभिवर्धन लक्ष्य और उपलब्धि का क्षेत्रक-वार, विधि-वार सारांश तालिका 10.7 में दिया गया है।

10.43 यह नोट करने योग्य है कि उपरोक्त क्षमता में 1210.6 मेगावाट ताप आधारित क्षमता सम्मिलित है (केन्द्रीय 500 मेगावाट, राज्य 538 मेगावाट और निजी 172.60 मेगावाट) जो मूल योजना लक्ष्य में सम्मिलित नहीं थी। इन अतिरिक्त परियोजनाओं के बावजूद दसवीं योजना में निष्पादन निराशाजनक रहा।

10.44 दसवीं योजना के अंत में संचयी क्षमता 1,32,329.21 मेगावाट थी, जिसमें 7,760.60 मेगावाट ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत सम्मिलित हैं, जिसका ब्यौरा तालिका 10.8 में दिया गया है।

संचरण तथा वितरण सुविधाएं

10.45 एचवीडीसी का अधिकांश भाग, 765 केवी और 400 केवी पारेषण नेटवर्क का, जिसे दसवीं योजना के दौरान स्थापित करने की योजना थी, केन्द्रीय क्षेत्रक में था, जबकि 220 के.वी. नेटवर्क राज्य क्षेत्रक में था। प्राप्त हुई अधिकांश लक्षित वृद्धि अपर्याप्त थी क्योंकि न तो लक्षित उत्पादन और न ही पूर्वानुमानित मांग प्राप्त हो सकी। दसवीं योजना पारेषण उपलब्धि का सारांश (31 मार्च, 2007 तक) तालिका 10.9 में दर्शाया गया है।

संचरण और वितरण (टी एंड डी) हानियां/एटी एंड सी हानियां

10.46 भारत में टी एंड डी हानियां विश्व में सर्वाधिक बनी हुई हैं तथा विद्युत क्षेत्रक के विकास की एक प्रमुख चिंता है। बताई गई अखिल भारत औसत टी एंड डी हानियां, जो 1992-93 में 19.8 % थी, दसवीं योजना के शुरुआत में बढ़कर 33.98% हो गई। विभिन्न राज्यों द्वारा बताई गई हानियों में व्यापक भिन्नताएं थी, देश की वास्तविक टी एंड डी हानियां कुल मिलाकर 35%.45% के बीच अनुमानित है।

10.47 चूंकि टी एंड डी हानियों के आंकड़ों में बिलिंग और संग्रहण के बीच का अंतर शामिल नहीं था इसलिए एटी एंड

तालिका 10.7
दसवीं योजना के दौरान स्थापित क्षमता वृद्धि

(मेगावाट)

किस्म	लक्ष्य				उपलब्धि			
	केन्द्रीय क्षेत्रक	राज्य क्षेत्रक	निजी क्षेत्रक	कुल योग	केन्द्रीय क्षेत्रक	राज्य क्षेत्रक	निजी क्षेत्रक	कुल योग
जल विद्युत	7842.00	5381.20	1170.00	14393.20	4495.00	2691.00	700.00	7886.00
ताप विद्युत	12790.00	6675.64	5951.00	25416.64	6590.00	3553.64	1970.60	12114.24
नाभिकीय विद्युत	1300.00	0.00	0.00	1300.00	1080.00	0.00	0.00	1080.00
कुल योग	21932.00	12056.84	7121.00	41109.84	12165.00	6244.64	2670.60	21080.24

स्रोत : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

तालिका 10.8
अखिल भारत संचयी उत्पादन क्षमता

(मेगावाट)

	जल विद्युत	ताप विद्युत	नाभिकीय विद्युत	कुल योग
केन्द्र	7562.00	33658.99	3900.00	45120.99
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	25785.62	43334.33	0.00	69119.95
निजी	1306.15	9021.52	0.00	10327.67
कुल योग	34653.77	86014.84	3900.00	124568.61

टिप्पणी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 7,760.60 मेगावाट क्षमता सम्मिलित नहीं है (राज्य-975.65 मेगावाट और निजी - 6,784.95 मेगावाट)।

स्रोत : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

तालिका 10.9
दसवीं योजना के अंत में संचरण लाइनों की संचयी उपलब्धियां

पारेषण पद्धति किस्म/वोल्टेज श्रेणी	इकाई	नौवीं योजना के अंत में (मार्च, 2002)	दसवीं योजना के दौरान वृद्धि	दसवीं योजना के अंत में (मार्च, 2007)
पारेषण लाइनें				
(क) 765 केवी	सीकेएम	971	733	1704
(ख) एचवीडीसी+500केवी बाई-पोल	सीकेएम	3138	2734	5872
(ग) 400 केवी	सीकेएम	49378	26344	75722
(घ) 230/220 केवी	सीकेएम	96993	117636	114629
(ङ) एचवीडीसी 200 केवी मोनोपोल	सीकेएम	162	0	162
जोड़=(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ.)	सीकेएम	150642	47447	198089
उप-स्टेशन				
(क) 765 केवी	एमवीए	0	2000	2000
(ख) 400 केवी	एमवीए	60380	32562	92942
(ग) 230/220 केवी	एमवीए	116363	40134	156497
जोड़ = (क), (ख) और (ग)	एमवीए	176743	74696	251439
एचवीडीसी				
(क) बाई-पोल लिंक क्षमता	एमडब्ल्यू	3000	2000	5000
(ख) बैक-टू बैक क्षमता	एमडब्ल्यू	2000	1000	3000
(ग) मोनो-पोल लिंक क्षमता	एमडब्ल्यू	200	0	200
जोड़=(क), (ख) और (ग)	एमडब्ल्यू	5200	3000	8200

स्रोत : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (क.वि.प्रा.)

सी हानि की अवधारण 2001-02 में प्रारंभ की गई ताकि यूटिलिटी का समग्र निष्पादन प्रदर्शित हो सके। इस समय विभिन्न राज्यों में एटी एंड सी हानियां 18% से 62% के बीच हैं। देश में औसत ए टी एंड सी हानि लगभग 40% है। राज्यों के बीच हानियों में काफी भिन्नता है तथा राज्यों के अंदर वितरण कंपनियों के बीच भिन्नता है। हानियों का बड़ा भाग चोरी और उठाईगिरी के कारण है जो आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 के अनुसार अनुमानतः लगभग 20,000 करोड़ रुपए वार्षिक है। कुल तकनीकी हानि की 75%-80% से अधिक हानि और लगभग पूर्ण वाणिज्यिक हानि वितरण स्तर पर होती है।

एपीडीआरपी के तहत केन्द्रीय सहायता का कार्यक्रम

10.48 वितरण सुधारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)" मार्च, 2003 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत सुधरे निष्पादन हेतु एक निवेश वित्तपोषण घटक और एक प्रोत्साहन घटक सम्मिलित था। निवेश घटक के अंतर्गत, 17,033.58 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं मंजूर की गई थी। ये सभी परियोजनाएं उप-पारेषण और वितरण पद्धति को सुदृढीकरण के जरिए ए टी एंड सी

हानियां कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। यद्यपि विशेष श्रेणी राज्यों में परियोजनाओं के संबंध में कुल निवेश जरूरतें भारत सरकार द्वारा पूरी की जानी थी। एवं, गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को अनुमोदित परियोजना परिव्यय के 75 प्रतिशत का वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा व्यवस्थित प्रतिपक्ष वित्तपोषण के जरिए किया जाना था। निवेश घटक का एक स्थूल सारांश तालिका 10.10 में दिया गया है।

10.49 एपीडीआरपी को, एटी एंड सी हानियों को पांच वर्षों के दौरान 15% तक नीचे लाने के वायदे के साथ प्रवर्तित किया गया था। वास्तविक निष्पादन लक्षित स्तर के आसपास भी नहीं रहा है। तालिका 10.11 में एसईबी के निष्पादन का सारांश में उल्लेख किया गया है। टैरिफ में और वृद्धि करने की गुंजाइश सीमित है क्योंकि अदायगी करने वाले ग्राहकों के लिए टैरिफ पहले ही विश्व में सर्वाधिक है और उनके लिए यह उपयुक्त हो सकता है कि वे कैप्टिव उत्पादन का विकल्प चुनें।

10.50 20 बड़े राज्यों के संबंध में 28,853 करोड़ रुपए की बताई गई एटी एंड सी हानियां अनुमान से कम हैं। एसईबी खाते बताने से अधिक छिपाते हैं - जिनकी वजह है : बेहिसाबी छद्म बिलिंग,

तालिका 10.10
एपीडीआरपी के निवेश घटक का सारांश (31 अगस्त, 2007 की स्थिति) (चालू कीमतों पर)

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्यों की श्रेणी	परियोजना परिव्यय	भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाने वाला संशोधित एपीडीआरपी घटक	भारत सरकार द्वारा वस्तुतः जारी राशि	राज्यों द्वारा प्रदत्त प्रतिपक्ष निधियां	कुल उपयोग (वास्तविक निवेश)
1	गैर-विशेष	13,668.28	5,567.26	5,094.32	4,750.97	9,232.01
2	विशेष	3,365.30	3,152.81	2,292.49	62.95	1,830.41
	कुल जोड़	17,033.58	8,720.07	7,386.83	4,813.92	11,062.42

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

तालिका 10.11
सुधार न करने वाली राज्य यूटिलिटियों की व्यवहारिकता

(करोड़ रुपए)

	2001-02 वास्तविक	2002-03 वास्तविक	2003-04 वास्तविक	2004-05 वास्तविक	2005-06 तत्कालिक
बिक्री गई ऊर्जा/उपलब्ध ऊर्जा (%)	66.02	67.46	67.47	68.75	69.58
बिजली की बिक्री से राजस्व (करोड़ रुपए)	68,135	76,640	85,942	91,738	1,00,000
बिक्री की गई बिजली की लागत (करोड़ रुपए)	98,541	1,02,247	1,10,553	1,18,975	1,28,853
बिजली की बिक्री पर हानि (करोड़ रुपए)	30,407	25,607	24,611	27,237	28,853
आपूर्ति की औसत लागत (पैसे/केडब्ल्यूएच)	374.57	351.72 (-6.10%)	353.80 (-5.54%)	357.35 (-4.60%)	366.96 (-2.03%)
औसत टैरिफ (पैसे/केडब्ल्यूएच)	258.99	263.63 (1.79%)	275.04 (6.20%)	275.55 (6.39%)	284.79 (9.96%)
आपूर्ति और टैरिफ की लागत के बीच अंतर (पैसे)	115.58	88.09	78.76	81.80	82.17

टिप्पणी : 1. 20 प्रमुख राज्यों का वित्तीय निष्पादन, दिल्ली और उड़ीसा को छोड़कर - सूचित या प्रतिवेदित Use करे
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2001-02 की तुलना में वृद्धि दर्शें हैं।
3. अनुमोदित टैरिफ बढ़ोतरी ऊपर अनुमानित औसत टैरिफ वृद्धियों से अधिक हैं।

स्रोत : विविध राज्यों के ऊर्जा आयोग

उपभोक्ता मिश्रण की मिली-भगत और बिक्री तथा व्यय की क्रमशः उपार्जक व नकद आधार पर होना। इसके अलावा, ऑडिट टिप्पणियों को भी शामिल नहीं किया गया है। ऑडिटर की टिप्पणियों के अनुसार, गुजरात एसईबी की हानियां 2002-03 के लिए 476 करोड़ रुपए से बढ़कर 985 करोड़ रुपए हो गईं। उत्तर प्रदेश के संबंध में ऐसे परिणामों की पुष्टि नहीं हो सकी क्योंकि यूपीएसईबी के संबंध में नकद शेषों का भी समाशोधन नहीं हुआ था। वास्तविक एटी एंड सी हानियां 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक होने का अनुमान है।

10.51 निष्पादन, विभिन्न राज्यों के बीच भिन्न-भिन्न है। हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश ने इस संबंध में काफी सुधार दर्शाया है। तथापि, हरियाणा ने 2001-02 में बहुत कम अनुपात (बिल की गई ऊर्जा/उपलब्ध ऊर्जा) किन्तु बाद में 2006-07 में इसके निष्पादन में

काफी गिरावट आई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और केरल जैसे कुछ राज्यों ने 2001-02 और 2005-06 के दौरान काफी बिगड़ती हुई स्थिति दर्शाई। गुजरात ने वर्ष 2006-07 में सुधार दर्शाया है। बेसलाइन के अभाव, रिपोर्ट करने में संगति का अभाव और घटते-बढ़ते निष्पादन को देखते हुए, यह बताना कठिन है कि क्या सुधार, यदि कोई है, स्थायी किस्म का है।

10.52 मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि एपीडीआरपी क्यों असफल रहा है :

- यह बिना किसी जवाबदेही के एक निवेश प्रेरित कार्यक्रम था।
- परियोजना रिपोर्टों ठीक तरह से तैयार नहीं की गईं। उनमें, मेजबान यूटिलिटी द्वारा पूर्ण खरीद के बिना एक ही किस्म के अन्वेषणों को बार-बार दिखाया गया।

- वितरण हानियाँ अथवा बिलिंग/संग्रहण कार्यकुशलता के आधार पर कोई बेसलाइन डाटा कायम नहीं किया गया। इससे यह तय करना कठिन है कि क्या उपलब्धि हुई।
- अवास्तविक लक्ष्य निश्चित किए गए तथा स्कीम के अंतर्गत सहयोग करने के लिए एसईबी स्टाफ के लिए किसी प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं की गई।

10.53 एपीडीआरपी जरूरतों की पुनर्संरचना की जानी चाहिए ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

दसवीं योजना के दौरान योजना व्यय

10.54 वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 के संबंध में वास्तविकों, 2005-06 के संबंध में संशोधित अनुमानों और 2006-07 (तालिका 10.12) के संबंध में अनुमोदित परिव्यय से निम्नलिखित का पता चलता है: तालिका 10.12

10.55 केन्द्रीय क्षेत्रक में निधि उपयोग में कमी निम्नलिखितों की वजह से है :

- पहले दो वर्षों के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में, जैसे कि टीस्टा लो बांध-III और, IV सेवा-II, ओमकारेश्वर, सुबानसरी लोअर, प्रबाती-III, पुरुलिया पीएसपी (पम्प संचयन परियोजना), चमेरा एचईपी-III (जल विद्युत परियोजना), उरी-II, किशनगंगा, तिपईमुख, तुरियल एचईपी, तुइवई एचईपी, लोअर कोपाली एचईपी, रंगनाडी चरण-II, कामेंग, त्रिपुरा गैस आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में निवेश अनुमोदन प्रदान करने में देरी हुई।
- एनटीपीसी के मामले में, सकल बजटीय सहायता में लगभग 3000 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित थी, जिसका उपयोग जरूरत पड़ते पर किया जाना था। तथापि, परियोजनाओं को उनके आंतरिक संसाधनों से वित्तपोषित करने का निर्णय किया गया तथा इसके अलावा, कवास और गंधार जैसी गैस परियोजनाएं प्रारंभ नहीं हो सकीं।

10.56 राज्य क्षेत्रक में, बड़ी कमियां गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में थी।

ग्यारहवीं योजना कार्यक्रम

उत्पादन

क्षमता वृद्धियां

10.57 विद्युत संबंधी कार्यदल द्वारा पूर्वानुमानित ग्यारहवीं योजना के अंत तक सकल बिजली जरूरतें 1038 बिलियन यूनिट (बीयू) हैं तथा चरम मांग 151,000 मेगावाट अनुमानित है जबकि एकीकृत ऊर्जा नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति ने 1097 बिलियन यूनिट (बीयू) की सकल विद्युत आवश्यकता तथा 158000 मेगावाट की चरम मांग का पूर्वानुमान लगाया है। अनुमानित बिजली मांग आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यदल ने प्रारंभ में 78530 मेगावाट के क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की सिफारिश की थी, जिसे ग्यारहवीं योजना के दौरान अद्यतन बनाकर 78577 मेगावाट कर दिया गया (तालिका 10.13)। विधि-वार क्षमता वृद्धि तालिका 10.14 में दर्शाई गई है।

10.58 ग्यारहवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्रक प्रमुख भूमिका निभाना जारी रखेगा, फिर भी सुधार उपायों के अनुसार प्रगति से मध्यावधि से दीर्घावधि में अधिक निजी भागीदारी के लिए अवरोधों को समाप्त करने में सहायक हैं।

10.59 प्रस्तावित क्षमता वृद्धि दसवीं योजना में प्राप्त की तुलना में साढ़े तीन गुणा है और एक प्रकार से अत्यंत महत्वाकांक्षी है। प्रभावी कार्यान्वयन निर्मित किए जा रहे ईंधन संयोजनों और नई परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र किए जाने के अध्यधीन है। नई परियोजनाओं के लिए, विशेष रूप से केन्द्रीय क्षेत्रक में, इनपुट

तालिका 10.12
केन्द्र, राज्य और संघ शासित क्षेत्र का परिव्यय/व्यय

क्षेत्रक	दसवीं योजना अनुमोदित परिव्यय	व्यय (करोड़ रुपए)					दसवीं योजना संभावित	उपयोग (%) व्यय
		2002-03 (वास्तविक)	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (सं.अनुमान)		
राज्य व संघ	93225.71	17102.58	17836.89	17035.28	17330.07	19371.57	88676.39	95.12
राज्य क्षेत्र	(93225.71)	(16462.20)	(16541.68)	(15137.09)	(14742.72)	(15580.77)	(78464.46)	(84.17)
केन्द्रीय क्षेत्रक	177050.64	10993.42	14327.50	17039.96	21045.93	27271.04	90677.85	51.22
	(177050.64)	(10581.79)	(13287.12)	(15141.25)	(17903.81)	(21934.40)	(78848.37)	(44.53)
सकल	270276.35	28096.00	32164.39	34075.24	38376.00	46642.61	179354.24	66.36
	(270276.35)	(27043.99)	(29828.80)	(30278.34)	(32646.53)	(37515.17)	(157312.82)	(58.20)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2001-02 कीमतों पर हैं।

स्रोत: योजना आयोग

तालिका 10.13
 ग्यारहवीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि की स्थिति

(मेगावाट में)

	केन्द्रीय	राज्य	निजी	कुल योग
1. चालू की गई परियोजनाएं (18.10.2007 की स्थिति)	1360	1350	250	2960
2. निर्माणाधीन परियोजनाएं	28765	16342	7378	52485
3. नई परियोजनाएं	9740	10260	3132	23132
कुल योग	39865	27952	10760	78577

टिप्पणी : 8 मई, 2008 को प्रैस में भेजते समय 9573 मेगावाट कमीशन किए गए, 62717 मेगावाट निर्माणाधीन पाए गए और 6410 मेगावाट पूरे होने वाले हैं।
 स्रोत: के.वि.प्रा/योजना आयोग

तालिका 10.14
 ग्यारहवीं योजना के दौरान क्षेत्रक-वार, विधि-वार क्षमता वृद्धि

(मेगावाट)

स्रोत	केन्द्रीय	राज्य	निजी	कुल योग
1. जल विद्युत	9685	3605	3263	16553
2. ताप विद्युत	26800	24347	7497	58644
3. नाभिकीय विद्युत	3380	0	0	3380
कुल योग	39865	27952	10760	78577

टिप्पणी : 8 मई, 2008 को प्रैस में भेजते समय थर्मोहाइड्रो के मिक्स में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

स्रोत: सीईए, योजना आयोग

संयोजनों, तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति और निवेश मंजूरी के संबंध में प्रक्रियाओं को सरल और चुस्त बनाए जाने की जरूरत है। इसके आधार पर, देश में 2011-12 के अंत तक संचयी उत्पादन क्षमता तालिका 10.15 दिए अनुसार होगी।

जल विद्युत विकास

10.60 देश की समग्र उत्पादन क्षमता में जल विद्युत क्षमता का हिस्सा, जो छठी योजना के अंत में 34% था, कम होकर नौवीं योजना के अंत में 25% हो गया। जल विद्युत क्षमता का वर्तमान

26% हिस्सा, ग्यारहवीं योजना के अंत तक 23% परिकल्पित किया गया है, यदि लक्षित ग्यारहवीं योजना क्षमता वृद्धि कार्यक्रम प्राप्त हो जाए।

10.61 देश में जल विद्युत के त्वरित विकास के लिए 2003 में एक 50,000 मेगावाट जल विद्युत पहल आरंभ की गई थी तथा कुल 48,000 मेगावाट की 162 परियोजनाओं की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई थी। इनमें से लगभग 37000 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 77 परियोजनाएं चुनी गई थी, जिनके संबंध में पहला वर्ष का टैरिफ 2.50 रुपए/यूनिट से कम होने की उम्मीद है। ग्यारहवीं योजना में, इन परियोजनाओं की वर्तमान तैयारी को देखते हुए, लगभग 16,553 मेगावाट की क्षमता वृद्धि का विनिर्धारण किया गया है। बारहवीं योजना के लिए कुल 30,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का विनिर्धारण किया गया है जिनके संबंध में, उनका बारहवीं योजना के दौरान प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए, अभी से आवश्यक तैयारियां करनी होंगी। इस प्रकार, 50,000 मेगावाट की पहलों का प्रभाव बारहवीं योजना अवधि के दौरान दृश्य होगा।

10.62 भूगर्भ संबंधी-अनिश्चितता, संविदा प्रबंधन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, भू-अधिप्राप्ति और अवस्थापना विकास में देरी जल विद्युत परियोजनाओं के समय व लागत में वृद्धि होने के मुख्य

तालिका 10.15
 ग्यारहवीं योजना के अंत तक प्रत्याशित उत्पादन क्षमता

(मेगावाट में)

	जल विद्युत	ताप विद्युत	नाभिकीय	पवन और नवीकरणीय	कुल योग
31.3.2007 को संस्थापित क्षमता	34653.77	86014.84	3900.00	7760.60	132329.21
ग्यारहवीं योजना के दौरान वृद्धि	16553.00	58644.00	3380.00	14000.00	92577.00
31.3.2012 को प्रत्याशित कुल क्षमता	51206.77	144658.84	7280.00	21760.60	224906.21

स्रोत : योजना आयोग

कारण हैं। परियोजना कार्यान्वयन में देरी से बचने के उद्देश्य से, परियोजना कार्यान्वयन की "शून्य" तारीख से पहले निम्नलिखित उपाय किए जाने की जरूरत है :

- भरोसेमंद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की जानी चाहिए ताकि भूगर्भीय अनिश्चितता से बचा जा सके।
- संविदा मानीटरिंग पर, परियोजना मानीटरिंग से भिन्न, बल दिया जाना चाहिए।
- परियोजना शुरू किए जाने से पहले भू-प्राप्ति और अवस्थापना विकास को तय और पूरा किया जाना चाहिए।

10.63 इसके अलावा, जल विद्युत के विकास की गति को तेज करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की जरूरत है :

- आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण तेज किया जाना चाहिए।
- प्राथमिकतापूर्ण परियोजनाओं पर कार्यवाही करने के लिए मंजूरीयों में तेजी लाना।
- अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- परियोजनाओं के शीघ्र वित्तीय समापन को सुगम बनाना।
- उन परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए जिनके संबंध में सीईए द्वारा सहमति पहले ही जारी कर दी गई है।
- पांच वर्ष से कम की परिपक्वनावधि वाली कम क्षमता की रन ऑफ रीवर टाइप जल विद्युत परियोजना (आरओआर) किस्म की विद्युत परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता।
- सभी प्रमुख नदी बेसिनों के संबंध में बेसिन-वार इष्टमीकरण अध्ययन आयोजित किए जाने चाहिए।
- टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अलावा, प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर भी विचार किया जा सकता है क्योंकि भूगर्भीय अनिश्चितताओं व अन्य कारकों की वजह से जल विद्युत निर्माण में बहुत अधिक निर्माण जोखिम हैं।

नाभिकीय विद्युत

10.64 परमाणु ऊर्जा विद्युत शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके पर्यावरणीय लाभ हैं तथा जिसकी दीर्घावधि में मित्तव्ययी होने की भी संभावना है। इस समय, नाभिकीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 3900 एमडब्ल्यूई है जो कुल स्थापित क्षमता का 3.1% है। नाभिकीय विद्युत निगम लि० (एनपीसीआईएल) का पीएलएफ 1995-96 में 60% से बढ़कर 2000-01 में 82 % हो गया किन्तु 2006-07 में यह कम होकर 57% हो गया। नाभिकीय ईंधन उपलब्धता में अवरोध न्यून पीएलएफ के मुख्य कारण हैं। एनपीसीआईएल ने दसवीं योजना में नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं

के संबंध में लागत और निर्माण अवधियों में कटौती करने में पर्याप्त प्रगति की। न्यून निर्माण अवधि और सुधरे संविदाकारी व संविदा प्रबंधन के फलस्वरूप प्रति मेगावाट पूंजी लागत में कमी आई है।

10.65 हल्के जल रिएक्टर (एलडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर कुडनकुलम परियोजना (2*1000 एमडब्ल्यूई) स्थापित की जा रही है तथा एनपीसीआईएल ने 1000 एमडब्ल्यूई की दो और इकाइयों के साथ इसका विस्तार करने के लिए परियोजना-पूर्व कार्यकलाप आरंभ किए हैं। इसके अलावा, प्रथम चरण क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की गति तेज करने के लिए एनपीसीआईएल द्वारा 700 एमडब्ल्यूई अंतर्राज्यीय दाब भारी जल रिएक्टरों पीएचडब्ल्यूआर का डिजाइन कार्य शुरू किया गया है। ऐसे चार यूनिट के परियोजना-पूर्व कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

10.66 तीव्र प्रजनन रिएक्टर (एफबीआर) प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास चरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीई) ने देश के प्रथम 500 एमडब्ल्यूई लिक्विड सोडियम कूल्ड तीव्र प्रजनन रिएक्टर के डिजाइन, विकास, निर्माण और प्रचालन के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान (आईजीसीएआर) को नियुक्त किया है। सरकार ने, एफबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रथम परियोजना कार्यान्वित करने के लिए "भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भविनी)" नामक एक नई कंपनी सितम्बर, 2003 में स्थापित की। प्रथम 500 एमडब्ल्यूई प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनन रिएक्टर ग्यारहवीं योजना में चालू होने की संभावना है। एफबीआर प्रौद्योगिकी, भारत के नाभिकीय विद्युत कार्यक्रमों के चरण-II का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है। एफबीआर प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर विकास किए बिना, भारत के लिए ज्ञात देशज यूरेनियम संसाधनों पर आधारित 10,000 एमडब्ल्यूई नाभिकीय क्षमता से आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। भारत के नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के थोरियम-आधारित चरण-III का विकास करने के लिए 20,000 एमडब्ल्यूई नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। एफबीआर प्रौद्योगिकी के प्रयोग से देशज यूरेनियम संसाधन इसे सहायता प्रदान करने में समर्थ होंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), भी 300 एमडब्ल्यूई क्षमता के उन्नत हैवी वाटर रिएक्टर विकसित करने के लिए आर एंड डी कार्यकलापों में लगा है, जो भारत के नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के थोरियम-आधारित चरण-III का एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है।

10.67 ग्यारहवीं योजना विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत 3380 एमडब्ल्यूई के नाभिकीय विद्युत संयंत्र सम्मिलित हैं। भारत सरकार विदेश से नाभिकीय ईंधन का आयात करने के प्रयास कर रही है

जिससे नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद है। यह भी उम्मीद है कि नाभिकीय परियोजनाओं का निष्पादन मुक्त कर दिया जाएगा ताकि अन्य पीएसयू व निजी क्षेत्रक भागीदारी कर सकें। जिसका प्रभाव बारहवी योजना में प्ररिदर्शित होगा। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम ने बारहवी योजना के दौरान लगभग 11,000 मेगावाट की वृद्धि का संकेत दिया है।

पण्य मरचेन्ट विद्युत संयंत्र

10.68 एक पण्य विद्युत संयंत्र की बिजली बिक्री के लिए दीर्घवधिक विद्युत खरीद करार (पीपीए) नहीं होता और इसे सामान्यतः विकासकर्ताओं के तुलन-पत्र पर विकसित किया जाता है। भारत सरकार ने, पण्य और कैप्टिव संयंत्रों के लिए कोयला मंत्रालय की संवीक्षा समिति द्वारा आबंटन हेतु 3.2 बिलियन टन कोयले के रिजर्व के साथ कोयला ब्लॉक आरक्षित किए हैं। इस पहल के माध्यम से लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता का विकास किए जाने की उम्मीद है। ग्यारहवी योजना अवधि के दौरान क्षमता आवश्यकता तय करते समय इस क्षमता को ध्यान में नहीं रखा गया है क्योंकि इसके बारहवी योजना से पहले सफलीभूत होने की संभावना नहीं है।

कैप्टिव विद्युत उत्पादन

10.69 देश में बड़ी संख्या में कैप्टिव संयंत्र, विविध किस्म और आकार के सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र विद्यमान हैं, जिनका उपयोग या तो प्रोसेस उद्योग में अथवा इन-हाउस विद्युत खपत के लिए किया जाता है। अनेक उद्योगों ने अपने खुद के कैप्टिव संयंत्र स्थापित किए हैं ताकि विश्वसनीय और उत्तम विद्युत प्राप्त हो सके। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता, जो 1950 में 588 मेगावाट थी, मार्च, 2007 में बढ़कर 24,680 मेगावाट हो गई। दसवी योजना के अंत में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से वार्षिक उत्पादन लगभग 78 बिलियन यूनिट संभावित है। इसलिए, कैप्टिव संयंत्र, सह-उत्पादन विद्युत संयंत्रों सहित, देश की विद्युत मांग को पूरा करने में पूरक भूमिका निभाते हैं। परिकल्पना की गई है कि ग्यारहवी योजना अवधि के दौरान लगभग 12,000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र सिस्टम में जोड़े जाएंगे जिससे उद्योगों मांगपूर्ति की जाएगी (बाक्स 10.3) और ग्रिड के लिए भी अधिशेष विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

10.70 विद्युत क्षेत्रक विकास में नई पहलों से, जैसे कि आधुनिकतम वृहद विद्युत परियोजनाओं, पण्य विद्युत संयंत्रों, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से भावी पंचवर्षीय योजनाओं में निजी क्षेत्रक क्षमता वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बॉक्स 10.3 निजी क्षेत्रक भागीदारी

विद्युत क्षेत्रक में निजी निवेश का समावेश करने की नीति जिसे 1991 में शुरू किया गया था, 9वीं योजना में 17588 मेगावाट विद्युत क्षमता की वृद्धि होने की उम्मीद थी। तथापि, वास्तविक उपलब्धि 5,061 मेगावाट थी, लक्ष्य का मात्र 29%। इसके अलावा, दसवी योजना के दौरान निजी क्षेत्रक में 7,121 मेगावाट की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य था, जिसके विपरीत वास्तविक क्षमता वृद्धि 2,670.60 मेगावाट थी, जो मात्र 37.50% है जबकि केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रकों के लिए उपलब्धि अनुपात क्रमशः 55.47% और 51.79% पर ऊंचा था। मुख्य बाधाएं निर्मांकित हैं:

- एसईबी की लगातार वित्तीय कमजोरियां।
- आईपीपी के संबंध में अव्यवहार्य टैरिफ, जो तरल ईंधनों की ऊंची लागत, अंतर्निहित जोखिम कारक और भावी विद्युत के लिए आशांचित स्तरों से कम मांग वृद्धि आदि जैसे कारकों की वजह से था।
- समर्थनकारी, विधायी और बाजार परिवेश का अभाव।
- इस तथ्य को स्वीकारने का अभाव कि वितरण घटक को उत्पादन में निजी निवेश और प्रतिस्पर्धा के उभरने से पहले, सक्षम और भरोसेमंद बनाए जाने की जरूरत है।

ईंधन आवश्यकताएं

10.71 सामान्य उत्पादन प्राचलों जैसेकि संयंत्र भार क्षमता (पीएलएफ) और विशिष्ट ईंधन खपत के आधार पर, लगभग 58,644 मेगावाट की क्षमता वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ग्यारहवी योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) तक ताप विद्युत संयंत्रों के लिए विभिन्न ईंधनों की आवश्यकताएं संक्षेप में तालिका 10.16 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 10.16
2011-12 के दौरान ईंधन आवश्यकताएं

ईंधन	आवश्यकताएं	उपलब्धता
कोयला	545 एमटी	482 एमटी
लिग्नाइट	33 एमटी	33 एमटी
गैस (एलएनजी)	89 एमएमएससीएमडी	36 एमएमएससीएमडी

स्रोत: ऊर्जा आधारित कार्य समूह समिति रिपोर्ट

10.72 तथापि, अन्तर्राज्यीय स्रोतों से कुल कोयले की उपलब्धता 2011-12 तक 482 मिलियन टन प्रतिवर्ष प्रत्याशित है। इसलिए ऊर्जा क्षेत्रक के लिए अंतर्राज्यीय कोयले की प्राप्यता में वृद्धि करनी होगी अथवा कोयले का आयात करना होगा ताकि आवश्यकता और आपूर्ति में संयोजन बना रहे। इसके अलावा, 2011-12 तक 89 एमएमएससीएमडी गैस आवश्यकता का पूर्वानुमान है। इस समय, 40 एमएमएससीएमडी गैस उपलब्ध है जो विद्यमान संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ग्यारहवी योजना के दौरान के-जी बेसिन खोजों से अतिरिक्त गैस आपूर्ति की उम्मीद है।

संचरण

भावी संचरण पद्धति

10.73 पहले पारेषण पद्धति की सुविधाओं की योजना, मांग में भिन्नता के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय अधिशेष शक्ति को हस्तांतरित करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय संयोजन के प्रावधान के साथ क्षेत्रीय आधार पर की गई थी। देश में उत्पादन संसाधन असमान रूप से स्थित हैं, जल विद्युत उत्तरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में तथा कोयला मुख्यतः देश के पूर्वी भाग में उपलब्ध है। सभी के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड के विकास की जरूरत है। एक राष्ट्रीय ग्रिड क्षेत्रों के बीच चरण मांग की विविधता का उपयोग कर सकता है, आवश्यक शिखर क्षमता को कम कर सकता है और राष्ट्रीय जल विद्युत क्षमता का बेहतर उपयोग भी सुगम बना सकता है। इसलिए पारेषण पद्धति की आयोजना और प्रचालन क्षेत्रीय से बदलकर राष्ट्रीय स्तर का हो गया है।

संचरण क्षमता आवश्यकता

10.74 ग्यारहवीं योजना के लिए पारेषण पद्धति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त अंतर-क्षेत्रीय और आंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता पर बल दिया जाना है ताकि एक मजबूत अखिल भारत ग्रिड की दिशा में राष्ट्रीय ग्रिड नेटवर्क को समेकित और सुदृढ़ किया जा सके। अंतर-क्षेत्रीय विद्युत आदान-प्रदान की आवश्यकता का आकलन शरद, ग्रीष्म और मानसून मासों की चरम और चरम-इतर स्थितियों के संबंध में क्षेत्रीय अधिशेषों और घाटे के संभावित परिदृश्य के आधार पर किया गया है। पूर्वानुमान उत्पादन और प्रत्याशित मांग के कार्यक्रम पर आधारित हैं जिनका उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर पारेषण आवश्यकताओं का अनुमान लगाना है। इस पूर्वानुमान पर आधारित ग्रिड विस्तार योजना से विभिन्न व्यवहार्य प्रचालन स्थितियों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी तथा बाजार उन्मुख विद्युत विनिमयों को समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित मार्जिनों की भी व्यवस्था हो सकेगी।

राष्ट्रीय ग्रिड का विकास

10.75 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 220केवी पर 20700 मेगावाट की नई अंतर-क्षेत्रीय क्षमताएं जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इससे राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की कुल अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 220 केवी और 14100 मेगावाट से (दसवीं योजना के अंत तक) 2011-12 तक 37750 मेगावाट हो जाएगी। राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के लिए योजना तथा स्कीमों का विनिर्धारण कर लिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम और भूटान में विशाल अप्रयुक्त जल विद्युत क्षमता है जिसका ग्यारहवीं योजना के दौरान और उसके बाद विकास करने की योजना है। पूर्वोत्तर जल विद्युत की निकासी के लिए पारेषण पद्धति की आवश्यकता का जल विद्युत परियोजनाओं

की क्षमता के अनुरूप अनुमान लगाया गया है जिसे अगले 20 वर्ष में विकसित करना व्यवहार्य हो सकता है। अनुमान है कि यह उत्पादन पूर्वोत्तर में लगभग 35000 मेगावाट, सिक्किम में लगभग 8000 मेगावाट और भूटान में लगभग 15000 मेगावाट होगा। पूर्वोत्तर, सिक्किम और भूटान के अंदर मांग में होने वाली त्वरित गति से स्थानीय विकास को ध्यान में रखते हुए जो 10000-12000 मेगावाट के बीच हो सकती है (इस समय लगभग 1500 मेगावाट है) "चिकन नैक" के माध्यम से पारेषण आवश्यकता 45000 मेगावाट तक बैठती है। कुल आवश्यकता, आकस्मिकताओं और भरोसेमंद जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सर्किटों सहित, 800 केवी एचवीडीसी बाई-पोल लाइनों की 7 अथवा 8 संख्या और 400 केवी डबल सर्किट लाइनों की 4 अथवा 5 संख्या - "चिकन नैक" से गुजरने वाले कुल 12 संख्या में उच्च क्षमता पारेषण गलियारों की बैठती है। इसके लिए चौड़ाई का अधिकार (आरओडब्ल्यू) आवश्यकता, निकटवर्ती टावरों के बीच ऐसी न्यूनतम दूरी को ध्यान में रखते हुए कि किसी टावर के गिरने से निकटवर्ती लाइन प्रभावित न हो लगभग 1.5 कि.मी. होगी। पहली 800 केवी एचवीडीसीबाई-पोल की योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में विश्वनाथ चरियाली में एक पूलिंग सब-स्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में आगरा तक की बनाई गई है। इसे 2011-12 में सुबनसिरी लोअर एचईपी के अनुरूप चालू करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

ट्रेडिंग/मार्जिनों के लिए संचरण क्षमता

10.76 राष्ट्रीय संचरण पद्धति विस्तार योजना तैयार करने के लिए अपनाई गई पद्धति के अंतर्गत पर्याप्त पारेषण क्षमताओं की व्यवस्था है जिसमें ट्रेडिंग कारोबार के लिए अंतर्निहित मार्जिन होंगे। इस ढंग से तैयार विस्तार योजना के आधार पर कार्यान्वित पारेषण पद्धति से अंततः उपभोक्तों के लाभार्थ देश में उत्पादन संसाधनों के इष्टतम उपयोग की दिशा में क्षेत्रीय सीमाओं पर ट्रेडिंग हो सकेगी।

वितरण

10.77 वितरण, बिजली आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख घटक है। वितरण क्षेत्रक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जरूरतें पूरा करता है। ग्रामीण वितरण घटक की यह विशेषता है कि इसकी लम्बी लाइनों, कम मांग घनत्व, आपूर्ति की ऊंची लागत, लोगों की कम अदायगी करने की क्षमता, बड़ी संख्या में सब्सिडाइज्ड ग्राहकों, किसानों के लिए बगैर मीटर के एकसमान दर पर आपूर्ति, ऊंची लागत के कारण गैर-मीटरिंग और व्यावहारिक कठिनाइयों, निम्न लोड और लोड वृद्धि की न्यून दर के साथ बड़े क्षेत्र में व्यापक वितरण नेटवर्क है। शहरी वितरण की विशेषता यह है कि इसका उच्च उपभोक्ता घनत्व और लोड वृद्धि की ऊंची दर है। दोनों ही

घटक भिन्न-भिन्न समस्याओं और मुद्दों के साथ भिन्न हैं। विद्युत क्षेत्रक की सबसे बड़ी चुनौती ऊंची टी एंड डी हानियां हैं। तकनीकी और गैर-तकनीकी कारकों का मिश्रण उच्च पारेषण और वितरण हानियों का घटक होता है। उपभोक्ता जागरूकता का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और बिजली के अकार्यकुशल उपयोग से समस्या और भी गंभीर हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में भी, वितरण प्रणाली बड़ी संख्या में अनाधिकृत कनेक्शनों और बिजली की चोरी से पीड़ित है।

10.78 उप-पारेषण और वितरण पद्धति दसवीं योजना के दौरान प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र थे। दसवीं योजना अवधि में एपीडीआरपी योजना का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा और ग्यारहवीं योजना में इसकी पुनर्संरचना किए जाने की जरूरत है क्योंकि विद्युत क्षेत्रक के कुल निष्पादन को सुधारने के लिए वितरण एक प्रमुख घटक है। एपीडीआरपी पुनर्संरचना के लिए, ग्यारहवीं योजना के दौरान किए जाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाइयों का सुझाव है :

- सभी वितरण कंपनियों को अगले पांच वर्षों में अपनी ए टी एंड सी हानियों में 3% प्रतिवर्ष की कटौती करने का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। उच्च हानियों वाले फीडरों को वितरण कंपनियों द्वारा फ्रेंचाइज किया जाना चाहिए।
- चरम कमियों को दूर करने के लिए चरम विद्युत संयंत्रों की स्थापनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे संयंत्र से आपूर्ति की अतिरिक्त विद्युत लागत उन उपभोक्ताओं से वसूल की जा सकती है जो बाधारहित/विश्वसनीय आपूर्ति की इच्छा व्यक्त करें।
- बगैर मीटर वाली विद्युत आपूर्ति के साथ कृषि उपभोक्ताओं के लिए फीडरों का विभाजन, सभी वितरण ट्रांसफोर्मरों की स्वाचालित मीटरिंग और सभी ग्राहकों का जीआईएस मानचित्रण लागू करना।
- उपरोक्त को पूरा करने के तीन महीने के अंदर प्रत्येक वितरण ट्रांसफोर्मरों के संबंध में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में बेसलाइन आंकड़े तैयार करना।
- सुधार के विशिष्ट उपायों से जुड़े विभागीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन।
- प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर स्तर के निष्पादन की वेब-आधारित पारदर्शिता, उत्तरदायी विभागीय स्टाफ के नाम के साथ।
- बाह्यताओं के ट्रैक और मानीटरिंग के लिए स्वतंत्र बाह्य लेखा परीक्षण।
- प्रारंभ में निधियां ऋण के रूप में दी जाएं जिन्हें निवेशों के परिणामों पर विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के आधार पर अनुदान में बदला जा सके है।

10.79 ग्यारहवीं योजना के कार्य दल ने इस क्षेत्रक के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कुल निवेश आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। इतने बड़े आकार का निवेश करना राज्य यूटिलिटियों की क्षमता से बाहर है। इसलिए, इन कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय बिजली निधि (एनईएफ) की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। राज्य यूटिलिटियां, अपनी वितरण निवेश योजनाएं, फ्रेंचाइज की नियुक्ति सहित, समर्थनकारी उपायों के साथ, उच्च वोल्टेज वितरण आपूर्ति, बिजली की चोरी के दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय, बिजली की चोरी के लिए कुख्यात क्षेत्रों में कवर्ड केबलों के उपयोग, मीटरों की स्थापना और उत्पादित व कंपनी को प्राप्त बिजली के पूर्ण लेखा परीक्षण के साथ मॉनीटरिंग पद्धति तैयार कर सकती हैं। एपीडीआरपी निधियों का उपयोग यूटिलिटियों को अनुदान (25%) देने के लिए, एवं शेष भाग एनईएफ से ऋण के रूप में किया जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुदान 90% हो सकता है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

10.80 भारत सरकार ने, सभी ग्रामीण परिवारों को और सभी बीपीएल परिवारों को (अनुमानतः 2.3 करोड़) 2009 तक बिजली सुलभता प्रदान करने के लिए, अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की शुरुआत की। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत भारत सरकार अनुदानों के माध्यम से 90% तक पूंजीगत लागत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित पूंजी लागत अनुमानतः 16000 करोड़ रुपए है, जिसमें सब्सिडी घटक 14,750 करोड़ रुपए है। भौतिक लक्ष्यों के अंतर्गत, ग्रामीण बिजली वितरण पृष्ठाधार और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना निर्मित करके गांव में 10 % परिवारों को 6.50 लाख रुपए प्रति गांव की दर से अंतिम मील सेवा संयोजकता 1,25,000 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण सम्मिलित है। उपरोक्त अनुमानों में 2.34 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देने का लक्ष्य भी सम्मिलित था। इसके अलावा, अनुमानों के अंतर्गत 4.62 लाख गांवों के लिए एक लाख रुपए प्रति गांव के हिसाब से पूर्व विद्युतीकृत गांवों में तीव्रीकरण कार्य सम्मिलित थे।

10.81 यद्यपि ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और परिवार विद्युतीकरण योजना के पहले चरण को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे बाद में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) द्वारा दिसम्बर, 2004 में आरजीजीवीवाई का नाम दे दिया गया, तथापि यह निर्णय लिया गया कि दसवीं योजना में स्कीम के पहले चरण के कार्यान्वयन हेतु सब्सिडी के रूप में, दसवीं योजना के शेष दो वर्षों अर्थात् 2005-06 और 2006-07 के लिए विद्युत मंत्रालय के

योजना बजट के तहत 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि (1) स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजियों की तैनाती; और (2) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अपेक्षित राज्य सरकारों द्वारा राज्य यूटिलिटीयों के लिए अपेक्षित राजस्व सब्सिडियों के प्रावधान के लिए सब्सिडी मंजूर करने से पहले राज्यों की पूर्व प्रतिबद्धता प्राप्त की जाएगी। सीसीईए ने यह भी निर्णय लिया कि स्कीम का सम्वर्ती मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संशोधनों के संबंध में, दसवीं योजना के अंत में एक विस्तृत समीक्षा करने के बाद, निर्णय लिया जा सकता है।

10.82 विद्युत मंत्रालय द्वारा 2005-06 में 10,000 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था तथा इस अवधि के दौरान 9819 गांवों की उपलब्धि की रिपोर्ट की गई। इसके अलावा, पहले से विद्युतीकृत 350 गांवों में तीव्रीकरण कार्य आयोजित किया गया। 2005-06 के लिए व्यवस्थित 1100 करोड़ रुपए की कुल सब्सिडी राशि के मुकाबले राज्यों के लिए 1031.067 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। आरजीजीवीवाई के लिए 2005-06 में जारी कुल राशि 1616.24 करोड़ रुपए थी, जिसमें स्कीम के लिए जारी सब्सिडी की राशि के अलावा पूंजीगत लागत वहन करने के लिए आरईसी द्वारा प्रदत्त ऋण सम्मिलित है। विद्युत मंत्रालय ने यह भी रिपोर्ट किया कि कुल 34,003 परिवारों को (16,815 बीपीएल परिवारों सहित) बिजली की सुलभता प्रदान की गई। वर्ष 2005-06 में आरजीजीवीवाई का कार्यान्वयन मुख्य रूप से बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया गया। तथापि, ग्रामीण विद्युतीकरण की संशोधित परिभाषा के अनुसार, (विद्युतीकृत के रूप में घोषित गांव में विद्युतीकृत किए जाने वाले परिवारों के कम से कम 10% के अनिवार्य कार्यक्षेत्र की आवश्यकता वाले) विद्युतीकृत गांवों की उपलब्धि के बारे में विद्युत मंत्रालय द्वारा सत्यापित और रिपोर्ट किया जाना शेष है।

10.83 विद्युत मंत्रालय ने, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 2006-07 के दौरान 40,000 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा था। वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई की सब्सिडी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय के बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय ने 2005-06 और 2006-07 के दौरान 50,402 गांवों के विद्युतीकरण की संचयी उपलब्धि की रिपोर्ट की है जिनमें 11,177 विद्युतीकृत गांव शामिल हैं जहां तीव्र विद्युतीकरण किया गया। दूसरे शब्दों में, 2006-07 के दौरान अविद्युतीकृत गांवों की संख्या केवल 28,706 तक सीमित है।

अर्थात् 40000 गांवों के निर्धारित लक्ष्य का 72.64 %। 11,177 गांवों में तीव्रीकरण कार्य किया गया। परिवारों के लिए प्रदत्त बिजली सुलभता के संबंध में संचयी उपलब्धि 7,31,527 परिवार थे (672,588 बीपीएल परिवारों सहित)। वर्ष 2006-07 के दौरान 6,97,524 परिवारों को (6,55,773 बीपीएल परिवार सहित) बिजली की सुलभता प्रदान की गई। दसवीं योजना के दौरान आजीजीवीवाई के लिए जारी कुल निधियों की राशि 5475.15 करोड़ रुपए थी, जिसमें प्रदत्त 90% केन्द्रीय सब्सिडी के अलावा ऋण घटक का 10% सम्मिलित है।

ग्यारहवीं योजना में आरजीजीवीवाई

10.84 आरजीजीवीवाई के तहत पूंजीगत सब्सिडी वहन करने के लिए वर्ष 2007-08 के विद्युत मंत्रालय के बजट में 3983 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। विद्युत मंत्रालय ने 2007-08 के दौरान 40,000 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच ग्यारहवीं योजना के लिए आरजीजीवीवाई के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 28,000 करोड़ रुपए राशि अनुमोदित की गई है। योजना कार्यान्वयन की कारगरता में वृद्धि करने पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है।

10.85 भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के तहत सभी 1,25,000 अविद्युतीकृत गांवों को और 2.3 करोड़ परिवारों को (देश में कुल 7.8 करोड़ अविद्युतीकृत परिवारों में से) 2009 तक विद्युतीकृत करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार, भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक आरजीजीवीवाई का एक उप-घटक है। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए समयावधि समान ही है।

विद्युत क्षेत्रक में आर एंड डी

10.86 ऊर्जा संसाधनों में कमी और पर्यावरणीय प्रदूषण की दोहरी चिंताओं की वजह से सुचारु और स्वच्छ विद्युत संयंत्रों और उनकी प्रदाय पद्धति का विकास करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ये संयंत्र, कोयला, प्राकृतिक गैस व ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे संसाधनों के प्रभावी उपयोग में समर्थ होने चाहिए। इस प्रकार, भारत केन्द्रित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से, ऊर्जा के क्षेत्र से सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न-भिन्न अनुसंधान अवसरों के पृथक्करण का विनिर्धारण किया गया है। ईंधन स्रोतों में कमी होने की वजह से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की खोज करने की जरूरत है। इसी प्रकार, दूरस्थ स्थिति अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिए वितरित विद्युत का अनुप्रयोग उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा, उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग पर भी सर्वाधिक बल दिए जाने की जरूरत है।

नीतिगत मुद्दे

- प्रौद्योगिकी प्रगतियों और आर एंड डी पर अभी तक समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। एक ओर उत्पादन पक्ष में एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रिड को और दूसरी ओर विनिर्माण पक्ष में बीएचइएल, एबीबी और सीमन्स को अनुसंधान और विकास हेतु अपने बजट आबंटनों में पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी चाहिए। यूटिलिटियों को अपने लाभ का कम से कम लगभग 1% अनुसंधान और विकास हेतु उपयोगार्थ निश्चित करना चाहिए तथा विनिर्माण संगठनों को 3-4% प्रौद्योगिकी विकास के लिए विनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए।
- आधुनिकतम सुपर क्रिटिकल बायलर प्रौद्योगिकी, आईसीसी प्रौद्योगिकी और ओक्सी-ईंधन प्रौद्योगिकी का विदेश में पर्याप्त अनुसंधान किया गया है किन्तु भारतीय कोयले के संबंध में इसका अभी विकास किया जाना है। एक प्रमुख भारतीय केन्द्रीय क्षेत्रक यूटिलिटी को अपने आर एंड डी केन्द्र को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि आईसीसी के संबंध में दसवीं योजना के दौरान शुरू किए गए कार्य में तेजी लाई जा सके। इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।
- उन्नत बायलरों, ईंधन सैलों, सौर ऊर्जा, बैटरी तथा विद्युत क्षेत्रक में अतिचालन सामग्री अनुप्रयोग के लिए सामग्री प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए सीएसआईआर व अन्य अंतरिक्ष तथा नाभिकीय संस्थापनाओं के तहत विशेषज्ञ एस एंड टी प्रयोगशालाओं के साथ कार्य करने की जरूरत है।
- राष्ट्रीय हित की परियोजनाओं को सहयोगात्मक अनुसंधान के जरिए आयोजित किया जाना चाहिए। भविष्य में आर एंड डी के लिए पूंजी निधि सहायता को कम किया जाना चाहिए तथा यूटिलिटियों और उद्योगों को आर एंड डी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहयोग करना चाहिए।
- अंतर्देशीय आर एंड डी को प्रोत्साहित करने के लिए आर एंड डी आयात को सीमा शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिए।
- आर एंड डी में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति को आर एंड डी परियोजनाओं की मानीटरिंग करना चाहिए तथा निधियों को नियंत्रित करना चाहिए। इससे दोहरेपन से बचा जा सकेगा तथा प्रतिस्पर्धात्मक आर एंड डी सुनिश्चित होगा।

मानव संसाधन विकास तथा क्षमता निर्माण

10.87 विद्यमान विद्युत परिदृश्य में मानव संसाधन विकास तथा क्षमता निर्माण पर अत्यंत व्यापक रूप से व कार्यक्रमबद्ध ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि बहुमूल्य मानव संसाधनों को आकर्षित, उपयोग, विकास व संरक्षण किया जा सके। प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण और कैरियर संभावनाएं, एवं मानव संसाधन विकास

के कुछेक महत्वपूर्ण तत्व हैं। विद्युत क्षेत्रक में सुधारों के फलस्वरूप विशुद्धतः सरकार नियंत्रित तकनीकी प्रबंधन से एक निगमीकृत संरचना में व्यवसाय प्रबंधन की दिशा में वरिष्ठ निर्माताओं की भूमिका में बदलाव आया है।

10.88 तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की, जिसमें दक्ष इंजीनियर, पर्यवेक्षक, शिल्पकार और प्रबंधक आदि सम्मिलित हैं, विद्युत आपूर्ति उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में जरूरत है। अधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकी और स्वाचालन लागू होने से मनुष्य/मेगावाट अनुपात में पिछले वर्षों के दौरान कमी आई है। विद्युत क्षेत्रक में समग्र मानव/मेगावाट अनुपात, जो नौवीं योजना के अंत में 9.42 था, दसवीं योजना के अंत में कम होकर 7.00 और ग्यारहवीं योजना के अंत में 5.82 होने की उम्मीद है। इससे प्रत्येक व्यक्ति, मशीन के पीछे मानव के बढ़ते महत्व का पता चलता है। इसलिए, मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण, तकनीकी, गैर-तकनीकी तथा समर्थकारी स्टाफ की प्रशिक्षण जरूरतों को, राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति को देखते हुए महत्व दिया जाना चाहिए।

10.89 अनुमान है कि ग्यारहवीं योजना के दौरान, प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचे की उपलब्धता लगभग 0.77 लाख मानव-मास/वर्ष है जबकि आवश्यकता 3.40 लाख मानव-मास/वर्ष की है। इससे पता चलता है कि लगभग 77% की कमी है। अपेक्षित ढांचे की उपलब्धता की कमी की ऐसी स्थिति के बावजूद, प्रायः अनेक प्रशिक्षण संस्थानों का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए, विद्युत क्षेत्रक कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एनपीटीआई, आईआईएम, एएससीआई व अन्य प्रख्यात संस्थानों जैसे विभिन्न प्रशिक्षण/अकादमिक संस्थानों की कड़ी कायम करने की जरूरत है।

विधायी तथा नीतिगत मुद्दे

10.90 विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत देश में विद्युत क्षेत्रक के विकास के लिए एक उदार और प्रगतिशील संरचना कायम की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करना, सभी क्षेत्रों के लिए विद्युत व्यवस्था करना, विद्युत टैरिफ का युक्तिकरण और सब्सिडियों के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना है।

10.91 राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति, अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित कर दी गई है। राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य, ऊर्जा और शिखर कमियों पर काबू पाकर अगले पांच वर्षों में सभी के लिए बिजली की सुलभता प्रदान करना तथा सुचारु रूप से व उचित दरों पर विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार मांग, विश्वसनीय व उत्तम विद्युत की आपूर्ति को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए 2012 तक पर्याप्त नम्य रिजर्व बनाए रखना है।

टैरिफ नीति का उद्देश्य, क्षेत्रक की वित्तीय क्षमता सुनिश्चित करना तथा विनियामक दृष्टिकोण में पारदर्शिता, सततता और संभाव्यता प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य, प्रचालन और आपूर्ति की कोटि की पूर्ति करने के लिए प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करना भी है। इसके अलावा, क्षेत्रक का समग्र विकास प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकीकृत ऊर्जा नीति घोषित की गई है। सभी संयंत्रों के लिए जनवरी, 2006 से, सरकारी क्षेत्रक संयंत्रों को छोड़कर, जिन्हें 2011 से ऐसा करना जरूरी होगा विद्युत टैरिफ नीति आधारित बोली अनिवार्य है।

10.92 विद्युत अधिनियम, 2003 राष्ट्रीय विद्युत नीति, टैरिफ नीति और एकीकृत ऊर्जा नीति के कानूनी प्रावधानों में विद्युत क्षेत्रक के विकास के लिए समुचित विधायी और नीति संरचना की व्यवस्था है। इन नीतियों के प्रावधानों को निर्धारित समय के अंदर कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि सभी के लिए 2012 तक वहनीय लागत पर बिजली उपलब्ध हो सके। इस संबंध में ग्यारहवीं योजना के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया जाना है वे निम्नलिखित हैं :

क्षमता निर्माण से सम्बद्ध मुद्दे

क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दे निम्नलिखित हैं

- विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय/वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए समय सीमा को कम करने के लिए प्रक्रिया को चुस्त व मानकीकृत बनाए जाने की जरूरत है।
- कैप्टिव कोयला ब्लॉक का विकास, अग्रिम रूप से विद्युत परियोजनाओं के चालू होने के पूर्व किया जाना चाहिए।
- कोयला ब्लॉकों की खोज करने के लिए प्राधिकृत करने वाली एजेंसियों की संख्या में भी वृद्धि किए जाने की जरूरत है।
- कैप्टिव उत्पादन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त नीतिगत उपाय करने चाहिए।
- पुराने विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सीईआरसी को आर एंड एम पर पूंजीगत व्यय के संबंध में बैंचमार्क स्थापित करने चाहिए।

मुक्त सुलभता और ट्रेडिंग के प्रोत्साहन से सम्बद्ध मुद्दे

- पण्य विद्युत संयंत्रों के संबंध में, जो 1000 मेगावाट तक के आकार के हो सकते हैं, के लिए एक समर्थनकारी नीतिगत संरचना तैयार करने की जरूरत है ताकि मुक्त सुलभता के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो सके।
- पण्य विद्युत संयंत्रों के लिए पारेषण गलियारे प्रदान करने के लिए पारेषण आयोजना के समय पर्याप्त व्यर्थता की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- इष्टतम नेटवर्क उपयोग को सुगम बनाने, विद्युत व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा मुक्त सुलभता सुविधाजनक बनाने के लिए एक तर्कसंगत पारेषण टैरिफ संरचना जरूरी है।

थोक विद्युत की नियंत्रण लागत से सम्बद्ध मुद्दे

- ईंधन लागत को कम करने के लिए, क्योंकि थोक विद्युत की लागत का बड़ा भाग ईंधन लागत है, एकीकृत कोयला खान-सह-विद्युत परियोजना के भाग के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ आधारित बोली के आधार पर कोयला ब्लॉकों की पेशकश की जानी चाहिए।
- अंतर्देशीय प्राकृतिक गैस की कीमत और इसके आवंटन को लागत जमा आधार पर, समुचित प्रतिफल के साथ, अंतर्राज्यीय आपूर्ति द्वारा उर्वरक और फैले हुए विद्युत संयंत्रों द्वारा मांग को पार किए जाने तक, मुक्त रूप से विनियंत्रित किया जाना चाहिए जिसके बाद यह बाजार निर्धारित होनी चाहिए। पर्याप्त भूगर्भीय अनिश्चितताओं वाले जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में अपवाद किए जाने की जरूरत है।
- विकृतियों को दूर करने के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न कर और पहल एकसमान होनी चाहिए।
- ईंधनों पर कर से आर्थिक ईंधन विकल्पों में विकृति नहीं आनी चाहिए।

वितरण घटक में सुधार से सम्बद्ध मुद्दे

वितरण घटक में सुधार हेतु संबंधित मुद्दे निम्नलिखित हैं।

- वितरण पद्धति में बड़े सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय बिजली निधि कायम की जानी चाहिए तथा समर्थनकारी उपाय किए जाने चाहिए।
- एपीडीआरपी की पुनर्संरचना किए जाने की जरूरत है ताकि इसे बेहतर परिणामों की दृष्टि से संधारणीय बनाया जा सके।
- वितरण हानियां कम करने तथा उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए, वितरण नेटवर्क के उन्नयन हेतु बड़े निवेशों की जरूरत होगी तथा बड़े नुकसान वाले क्षेत्रों का पता लगाने और ऐसे क्षेत्रों में वाणिज्यिक हानियों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाना आवश्यक होगा।
- सभी राज्यों द्वारा अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 3% की एटी एंड सी हानि कटौती करने का लक्ष्य निश्चित किया जाना चाहिए।
- शिखर-कमियों पर काबू पाने के लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए दिवस टैरिफ समय द्वारा शिखर विद्युत स्टेशनों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टेशनों से आपूर्ति की अतिरिक्त विद्युत लागत को तब उन उपभोक्ताओं पर लागू किया जा सकता है जो बाधा रहित विश्वसनीय आपूर्ति का विकल्प चुनें।

योजना परिव्यय

10.93 ग्यारहवीं योजना के लिए सतत कीमत पर सरकारी क्षेत्रक अनंतिम परिव्यय की राशि 5,54,766 करोड़ रुपए है। इसमें 3,43,387 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए तथा 2,11,379 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्रक के लिए सम्मिलित हैं। केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए प्रस्तावित परिव्यय में, पीएसयू की 313722 करोड़ रुपए की आईईबीआर आवश्यकता सम्मिलित है 278781 करोड़ रुपए विद्युत मंत्रालय के अधीन पीएसयू के लिए, 12218 करोड़ रुपये नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) (विद्युत) के लिए; 22723 करोड़ रुपए परमाणु ऊर्जा (विद्युत) के लिए इसके अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए आवश्यक 29665 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सम्मिलित है : विद्युत मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए 26924 करोड़ रुपए और परमाणु ऊर्जा (विद्युत) कार्यक्रमों के लिए 2741 करोड़ रुपए। राज्य क्षेत्रक निवेशों में एपीडीआरपी स्कीम के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि के उधार शामिल हैं, प्रारंभ में विद्युत मंत्रालय के केन्द्रीय पीएसयू द्वारा राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को ऋण के रूप में। इसके अलावा, अंतर को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से पारेषण और वितरण पद्धतियों के अंतर को पूरा करने के लिए निवेश करना होगा, जिसके लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक

मुद्दे और चुनौतियां

10.94 फिलहाल, भारत की पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत विश्व की औसत प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में लगभग 1/5 है। वाणिज्यिक ऊर्जा में हाइड्रोकार्बनों का हिस्सा लगभग 45% है जिसमें तेल का हिस्सा 36% और प्राकृतिक गैस का लगभग 9% है। भारत में, कच्चे तेल के देशज उत्पादन में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत/मांग के अनुरूप वृद्धि नहीं हो रही है। तेल से गैस की दिशा में ऊर्जा मिश्रण में बदलाव की विश्व प्रवृत्ति को देखते हुए, खपत पद्धति में गैस के हिस्से में भी धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है। भारत का कच्चे तेल का आजकल आयात इसकी कुल आवश्यकताओं का 70% से अधिक है तथा इसके हिस्से में निकट भविष्य में वृद्धि होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों के प्रभाव और स्थिर बनी देशज तेल आपूर्ति के कारण अंतर्राष्ट्रीय खोज के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्रपार तेल और गैस क्षेत्रों की इक्विटी में भागीदारी की जा रही है तथा एलएनजी का आयात किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हाइड्रोकार्बन उद्योग बड़े कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है।

10.95 देश के समक्ष चुनौतियां हैं :

- जितनी भी संभव हो सके ज्ञात भंडारों से प्राप्त करके, नई खोजों के लिए अन्वेषण को प्रोत्साहित करके तथा विदेश से

इक्विटी तेल प्राप्त करके, ऊर्जा सुरक्षा के भाग के रूप में कम से कम संभव लागत पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति को अधिकतम बनाना।

- नए गैस क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्वेषण के जरिए उपयुक्त गैस बाजार का विकास करना, विद्यमान क्षेत्रों का तेजी से विकास करना, वितरण और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण करना।
- पेट्रोलियम उत्पादों के प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के लिए स्थितियों कायम करना तथा उसे विनियंत्रित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निष्पक्ष प्रतियोगिता से सभी पणधारियों के हितों की रक्षा हो।
- केरोसिन व देशज एलपीजी के लिए सब्सिडियों को तर्कसंगत बनाना। इसके बोझ में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है। बोझ को कम करने के लिए प्रभावशाली प्रदाय और सब्सिडियों का लक्ष्य महत्वपूर्ण है।
- विपणन तथा सम्बद्ध अवस्थापना कायम करने के लिए, जैसे कि बंदरगाह, भंडारण, पाइपलाइनें आदि, बड़े पैमाने पर निवेश सुनिश्चित करना।

10.96 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के लिए विगत में बहुत-सी नीतियां और कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनकी एक संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी गई है :

दसवीं योजना की समीक्षा

10.97 दसवीं योजना के दौरान विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों की एक संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी गई है:

तेल सुरक्षा

- नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के छः चक्रों के तहत 162 ब्लॉक अवार्ड किए गए। अभी तक 37 खोजें की गई हैं तथा उनके दोहन के लिए विकास योजनाएं प्रगति पर हैं। इसके अलावा, कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के दोहन के लिए 26 ब्लॉक अवार्ड किए गए हैं तथा 6 टीसीएफ के गैस भंडार अभी तक स्थापित हुए हैं।
- कच्चे तेल के देशज उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक संशोधित तेल वसूली (आईओआर)/संवर्धित तेल वसूली (ईओआर) स्कीमों कार्यान्वित की गई हैं।
- विदेश में इक्विटी तेल और गैस अवसरों का पता लगाने के लिए तेल और गैस पीएसयू को प्रोत्साहित किया गया। ओवीएल, ओएनजीसी, ओआईएल, आईओसी तथा गेल समुद्रपार अन्वेषण और उत्पादन परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। दसवीं योजना के दौरान 10.14 मिलियन टन तेल और गैस के तेल समकक्ष का

लक्ष्य प्राप्त करने के मुकाबले, ओवीएल की उपलब्धि अपने समुद्रपारीय कार्यकलापों से 22.24 मिलियन टन तेल और गैस की तेल समकक्षता थी (ओएंडओईजी)।

- तीन स्थानों पर 5 मिलियन टन सामरिक कच्चा तेल भंडारण निर्माणाधीन है।
- पेट्रोल का इथनोल के साथ और जैव-डीजल का डीजल के साथ मिश्रण करने के संबंध में जैव-ईंधन नीति की पहल गई।

अवसंरचना विकास

- दसवीं योजना के प्रारंभ में परिशोधन क्षमता 118.37 एमटीपीए थी जो दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में बढ़कर 148.97 एमटीपीए हो गई।
- निजी क्षेत्रक को परिवहन ईंधन की बिक्री करने की छूट दे दी गई, यथा मोटर स्प्रीट, हाई स्पीड डीजल और एटीएफ। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण वांछित प्रतिस्पर्धा कायम नहीं हो सकी जिसके कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को संयत बनाने के लिए सरकार को दखल देना पड़ा।

कार्यक्षमता सुधार

- विभिन्न रिफाइनरियों में ऊर्जा खपत को कम करने के लिए अनेक ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं।
- पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन (पीसीआरए) तथा अन्य संगठनों ने पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन, उद्योग, कृषि और पारिवारिक क्षेत्रों में संरक्षण के संबंध में अनेक उपाय किए हैं। तथापि, संरक्षण और कार्यकुशलता सुधार के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की मात्रा का अभी पता लगाया जाना है।

पर्यावरण और गुणवत्ता सुधार

- वाहन ईंधन विवरण के आधार पर उत्पाद गुणवत्ता मानदंड प्राप्त करने के लिए एक योजना तैयार किया गया था। रिफाइनरियों में डीजल हाइड्रो डि-सल्फराइजेशन (डीएचडीएस) परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं।
- देश भर में भारत स्टेज-II पेट्रोल को 1.4.2005 से लागू कर दिया गया। विभिन्न राज्यों में भारत स्टेज-II डीजल चरणबद्ध रूप से लागू करने का काम पूरा किया गया। यूरो-III पेट्रोल तथा डीजल 11 बड़े शहरों में लागू किया गया।

सुधार

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक पारित कर दिया गया तथा अब बोर्ड का गठन हो गया है।

- प्रशासनिक मूल्य प्रणाली (एपीएम) व्यवस्था को भंग करने के लिए कार्रवाई 1 अप्रैल, 2002 से शुरू की गई। तथापि, पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में परिकल्पित प्रतिस्पर्धा प्राप्त नहीं की जा सकी। भारत सरकार फिलहाल कीमत सीमा घोषित करके नियंत्रण रखती है। व्यवहारिक मामले के तौर पर रिफाइनरी गेट पर तथा खुदरा स्तर पर घोषित कीमत सीमा के अंदर पूरी प्रतिस्पर्धा की छूट दी जानी चाहिए। ऐसी प्रतिस्पर्धा से कीमतें कम होंगी और कुछ समय के दौरान आटोमेटिव ईंधनों पर सरकारी सहायता सीमित/समाप्त करने में मदद मिलेगी। यदि ऐसी कीमत सीमा की वजह से कच्चे तेल की कीमत पद्धति अथवा अन्यथा के जरिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों की कोई क्षतिपूर्ति करनी पड़े तो यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रकों की कंपनियों को समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अंतिम उद्देश्य सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत पद्धति में सरकारी हस्तक्षेप को दूर करना और लक्षित सब्सिडियां प्रत्याशित लाभार्थियों तक सीधे ही प्रदान करना होना चाहिए। रिफाइनरी गेट पर और खुदरा स्तर पर पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा से व्यापार समानता कीमतें कायम हो सकती हैं।
- दसवीं योजना के दौरान देशज एलपीजी और पीडीएस केरोसिन पर सब्सिडियों को धीरे-धीरे समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

10.98 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का वित्तीय निष्पादन तालिका 10.17 में दर्शाया गया है।

खोज और विकास

10.99 एनईएलपी के अंतर्गत, भारतीय तलछट बेसिनों के 40% से कम क्षेत्र को कवर करते हुए अभी तक 162 अन्वेषण ब्लॉक अवार्ड किए गए हैं। इन 162 ब्लॉकों में से 115 ब्लॉक दसवीं योजना के दौरान अवार्ड किए गए।

10.100 सीबीएम नीति के अंतर्गत, बोली के तीन चक्रों में 23 ब्लॉकों के संबंध में पीएसयू/निजी कंपनियों के साथ संविदों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, तीन ब्लॉक-2 ब्लॉक ओएनजीसी-सीआईएल कंसोर्टियम को और 1 ब्लॉक ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कारपोरेशन लि0- को नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए।

वित्तीय निष्पादन

10.101 तेल और गैस पीएसयू के लिए दसवीं योजना के लिए 96041.19 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया जिसके वास्तविक खर्च की राशि चालू कीमतों पर 108002.65 करोड़ रुपए थी। 2006-07 सतत कीमतों पर खर्च अनुमोदित परिव्यय का 98.25% था।

तालिका 10.17
भौतिक कार्यक्रम - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

कार्यक्रम	नौवीं योजना वास्तविक	दसवीं योजना लक्ष्य	2002-03 वास्तविक	2003-04 वास्तविक	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 (अंतिम) वास्तविक	उपलब्धि 2002-07	लक्ष्य का %
मांग/खपत (एमटी)	100.43#	120.4#	104.2	107.75	111.63	111.92	119.85	119.85#	99.5
रिजर्व अभिवृद्धि (एमटीओई)	795.13	785-914	329.47	348.32	337.15	222.95	387.53	1652.92	178-207
क्रूड तेल उत्पादन (एमटी)	162.99	169.38	33.04	33.37	33.98	32.19	33.98	166.56	98.3
प्राकृतिक गैस उत्पादन (बीसीएम)	140.92	177.48	31.39	31.96	31.76	32.20	31.55	158.86	89.5
निवल आयात									
कच्चा तेल	-	-	81.99	90.43	95.86	99.41	111.50	-	-
पेट्रोलियम उत्पाद	-	-	-13.06	-6.72	-9.38	-9.38	-15.77	-	-
परिशोधन क्षमता (एमटी)									
1 अप्रैल, की स्थिति	118.37	138-155#	118.37	127.37	127.37	132.47	148.97	148.97#	-
एमटी : मिलियन टन									

नोट : दसवीं योजना के अंतिम वर्ष के संबंध में आंकड़ें

तालिका 10.18
परिव्यय/व्यय - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

(करोड़ रुपए)

दसवीं योजना अनुमोदित परिव्यय	2002-03 वास्तविक	2003-04 वास्तविक	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	संभावित उपलब्धि (अंतिम)	% उपयोग 2002-07
96041.19	15805.67	16625.99	20981.19	251414.57	29175.23	108002.65	112.45
(119409.99)	(18915.35)	(19169.83)	(23178.51)	(26879.50)	(29175.23)	(117318.43)	(98.25)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2006-07 कीमतों पर आधारित हैं।

स्रोत : योजना आयोग

ग्यारहवीं योजना में प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

10.102 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक में जिन नीतिगत मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है वे तेल और गैस सुरक्षा, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत पद्धति, अंतर्राज्यीय रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत पद्धति और विद्युत व उर्वरक उद्योग के लिए इसका आवंटन, पाइपलाइन परिवहन और वितरण ग्रिड में प्रतिस्पर्धा व मुक्त सुलभता सुनिश्चित करना और पेट्रोलियम उत्पादों व प्राकृतिक गैस के संरक्षण से सम्बद्ध हैं।

तेल तथा गैस सुरक्षा

संवर्धित खोज और विकास

10.103 ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत, अधिकाधिक क्षेत्र को, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों/बेसिनों में, खोज के तहत लाने, आधुनिकतम ई एंड पी प्रौद्योगिकी अपनाने, पता लगे भंडारों के तेजी से विकास करने और सीमांतिक क्षेत्रों के विकास तथा आईओआर/ईओआर स्कीमों के विकास की परिकल्पना की गई है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कुल 206.76 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन होने

का पूर्वानुमान है जबकि दसवीं योजना के दौरान 166.56 मिलियन टन का वास्तविक उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार, पूर्वानुमानित गैस उत्पादन 255.76 बीसीएम होगा जबकि दसवीं योजना में उत्पादन 159.06 बीसीएम हुआ था। इसके अलावा, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में सीबीएम ब्लॉक अवार्ड किए जाएंगे। ग्यारहवीं योजना के दौरान लगभग 3.78 बीसीएम, सीबीएम उत्पादन होने का पूर्वानुमान है।

विदेश में इक्विटी तेल और गैस प्राप्त करना

10.104 कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के देशज उत्पादन और मांग के बीच बढ़ते अंतर और न्यून कच्चे तेल भंडारों के पुनर्भरण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) और निजी कंपनियों को विदेश में उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण विकल्प हैं : अल्पावधि में संपत्ति का उत्पादन करने वाले उद्यमों पर बल देना; रिजर्व पोर्टफोलियो प्रबंधन के भाग के रूप में कंपनियों के इक्विटी शेयर की खरीद; अल्प से मध्यावधि में क्षेत्रों की खोज पर बल और ऊर्ध्वप्रवाह क्षेत्रक सेवाओं का प्रोत्साहन।

कच्चे तेल का सामरिक भंडारण

10.105 सरकार ने सिद्धांततः चरणों में 15 मिलियन टन सामरिक भंडार निर्मित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में कच्चे तेल के लिए 5.0 मिलियन टन का सामरिक भंडार निर्मित करने की एक परियोजना पर तीन स्थानों पर अमल किया जा रहा है, यथा 1 मिलियन टन विशाखापत्तनम में, 1.5 मिलियन टन मंगलौर में, 2.5 मिलियन टन मंगलौर के निकट एक स्थान पडुर में। यह भंडार, विभिन्न रिफाइनरियों में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विद्यमान भंडारण क्षमता के अतिरिक्त होगा और यह अत्यावधि आपूर्ति बाधा के मामले में आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करेगा। आशा है कि परियोजना ग्यारहवीं योजना के दौरान पूरी हो जाएगी।

वैकल्पिक ईंधनों का विकास

कोल बेड मीथेन (सीबीएम)

10.106 बोली के तीन चक्रों में 26 सीबीएम ब्लॉक पहले ही पेश कर दिए गए हैं। ये क्षेत्र विकास स्तर पर हैं और उम्मीद है कि उत्पादन ग्यारहवीं योजना में शुरू हो जाएगा। बोली चक्र ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रहेगा तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा तमिलनाडु में सीबीएम ब्लॉक पेश करने की योजना है।

गैस हाइड्रेट्स

10.107 राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट्स कार्यक्रम 1997 में शुरू किया गया था। अभी तक बड़ी संख्या में भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं। केजी बेसिन, महानदी बेसिन, कोंकण और केरल बेसिनों का संभाव्य क्षेत्रों के रूप में विनिर्धारण किया गया है। गैस हाइड्रेट्स से गैस का उत्पादन ऊर्जा क्षेत्रक को पेश आ रही एक बड़ी चुनौती है और इस संबंध में प्रौद्योगिकी का अभी विकास किया जाना है। भारत में 2009-10 तक प्रायोगिक तौर पर परीक्षण उत्पादन की योजना है।

भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन (यूसीजी)

10.108 ओएनजीसी तथा गैल भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन (यूसीजी) प्रक्रिया के माध्यम से गैस दोहित करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक दोहन करने का प्रस्ताव है। ओएनजीसी ने, यूसीजी प्रक्रिया के माध्यम से 2.7 एमएमएससीएमडी गैस का उत्पादन करने की योजना बनाई है तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान 2.99 बीसीएम यूसीजी गैस का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है।

कोयले से तरल

10.109 ओआईएल ने केटेलिटिक दो स्तरीय तरलीकरण प्रौद्योगिकी और प्रत्यक्ष तरलीकरण प्रौद्योगिकियों के संबंध में व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन आयोजित किए हैं जिससे कि तरलीकरण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के कोयले के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन किया जा सके। चुनी गई प्रौद्योगिकी के संबंध में ग्यारहवीं योजना के दौरान व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में वाणिज्यिक संयंत्र के लिए कोयले की उपलब्धता की पुष्टि करने तथा आश्वस्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एमओपी एंड एनजी द्वारा ओआईएल और कोल इंडिया लि0 के बीच एक संयुक्त कार्यबल गठित किया गया है।

बायो-ईंधन

10.110 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) बिक्री स्थिर हो जाने के बाद, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा ग्यारहवीं योजना के मध्य 10 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, जो इथेनॉल की उपलब्धता और मिश्रण की वाणिज्यिक क्षमता पर निर्भर करता है। जैव-डीजल उत्पादन/उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, ग्यारहवीं योजना के अंत तक 5% जैव-डीजल मिश्रित डीजल की बिक्री का धीरे-धीरे पूरे देश में विस्तार किया जाएगा।

तेल शेल

10.111 भारत में, शेल रचना, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पड़ने वाली शुष्प क्षेत्र में सतह पर प्रकट है। लगभग 100 बिलियन बैरल तेल शेल भंडारों का अनुमान है। तथापि, शेल तेल के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और जल की आवश्यकता है। पर्यावरण और मौद्रिक लागत की वजह से तेल शेल से तेल का उत्पादन अभी तक लाभकर नहीं रहा है।

सुधार

पेट्रोलियम उत्पाद कीमत पद्धति

10.112 पेट्रोलियम पदार्थों के संबंध में 1.4.2002 से प्रशासनिक कीमत प्रणाली (एपीएम) समाप्त हो जाने के बाद परिकल्पना की गई थी कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें प्रशासनिक मूल्य प्रणाली (एपीएम) से बाजार निर्धारित कीमत पद्धति प्रणाली की ओर बढ़ेंगी। तेल उद्योग द्वारा आयात समानता कीमत पद्धति प्रणाली का पालन किया गया, जिसे बाद में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार कीमतों के लगभग के रूप में व्यापार समानता कीमत पद्धति के रूप में संशोधित कर दिया गया। रिफाइनरी गेट और खुदश स्तर पर पूर्ण कीमत प्रतिस्पर्धा अपनाए जाने की जरूरत है ताकि क्षेत्रक में प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हो सके।

पीडीएस केरोसिन और देशज एलपीजी पर सब्सिडियों को धीरे-धीरे समाप्त करना

10.113 केरोसिन के संबंध में उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से निर्धानता रेखा से नीचे उपभोक्ताओं को सीधे ही सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव है। बीपीएल परिवारों के लिए केरोसिन की आपूर्ति के लिए स्मार्ट कार्ड की एक पद्धति लागू की जाएगी। स्मार्ट कार्ड के साथ केरोसिन बाजार कीमत पर किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। धरेलु खाना पकाने की गैस के मामले में भी धरेलु एलपीजी के लिए स्मार्ट कार्ड लागू करके सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव है, जिससे धरेलु एलपीजी को वाणिज्यिक क्षेत्र तक विचलन को रोकने में मदद मिलेगी।

एकीकृत राज्य कर तथा कर विषमताओं को दूर करना

10.114 अलग-अलग राज्य बाजारों को एकीकृत राज्य करों के साथ एक राष्ट्रव्यापी बाजार में विलय किए जाने की जरूरत है। इसलिए, राज्य कर विषमताओं को दूर करने, अंतर्राज्यीय उत्पादन बनाम सीधे आयात के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने तथा एकसमान "वैट" लागू करने की जरूरत है, जिसमें राज्य स्तर पर चुंगी और प्रवेश शुल्क जैसे स्थानीय करों को पूर्ण रूप से प्रतितुलन करने की व्यवस्था हो।

पर्यावरणीय और गुणवत्ता प्रबंधन

10.115 स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) प्रबंधन में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे जिससे कि पेशेवर स्वस्थ कार्य बल, घटी हुई दुर्घटना दरें, घटे निस्सारों और स्त्रावों के साथ स्वच्छ और हरित उत्पादों की व्यवस्था हो सके। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्रक में निम्नलिखित उपाय कार्यान्वित किए जाएंगे :

- स्त्रावों और निस्सारों को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्य स्तरों तक कम करने की दिशा में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर सभी तेल और गैस क्षेत्र संस्थापनाओं और ड्रिलिंग रिगों के लिए पर्यावरण प्रबंधन पद्धति कायम करना।
- प्रमुख संस्थापनाओं की पर्यावरण रेटिंग तथा अनिवार्य पर्यावरणीय लेखा परीक्षण।
- समुद्रीय प्रदूषण को रोकने के लिए सक्रियतापूर्वक उपाय तथा तेल फैलाव को प्रभावी ढंग से रोकना।
- पर्यावरणीय प्रथाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादकों के समान न्यूनतम मानदंड।

10.116 पूरे देश में भारत स्टेज-II मानदंडों और विनिर्धारित नगरों में यूरो-III समकक्ष मानदंडों के संबंध में आकलन के आधार पर विनिर्धारित नगरों में यूरो-4 समकक्ष मानदंड तथा पूरे देश में यूरो-III समकक्ष मानदंड 1.4.2010 से लागू किए जाएंगे।

अवसंरचना विकास

विपणन अवसंरचना

10.117 ग्यारहवीं योजना के दौरान परिशोधन क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि को देखते हुए, विपणन तथा सम्बद्ध अवस्थापना, जैसे बंदरगाह, भंडारण, पाइप लाइनें और टर्मिनल कायम करने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत होगी।

जनशक्ति आयोजना

10.118 पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेल और गैस क्षेत्रक में तीव्र विकास के कारण दक्षताप्राप्त जनशक्ति की अत्यंत कमी हो गई है। इसलिए, उभरती दक्षता कमियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच उच्च मात्रा में सहयोग करना, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्रक में सुविज्ञ कामगारों की लगातार उपलब्धता के लिए योजना तैयार करना एक प्रमुख प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र होगा।

भारत में ईएंडपी कार्यकलापों का परिशोधन

10.119 ईएंडपी सेवा प्रदाता ई एंड पी आपरेटरों की सफलता को समर्थ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईएंडपी कार्यकलापों की त्वरित वृद्धि के फलस्वरूप विश्वभर में प्रौद्योगिकी और तेल क्षेत्र सेवाओं की मांग में कई गुणा वृद्धि हुई है। इसलिए, भारत में सेवाओं की उपलब्धता बाधापूर्ण और खर्चीली होती जा रही है। इसलिए, ईएंडपी सेवा उद्योग के विकास को सुचारु बनाए जाने की जरूरत है।

भौतिक कार्यक्रम

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग/खपत

10.120 ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, 2006-07 में 119.85 एमटी की प्रत्याशित खपत के मुकाबले 131.77 एमटी से 141.79 एमटी पूर्वानुमानित है, जो ग्यारहवीं योजना के दौरान 1.91% से 3.42% के सीएजीआर का संकेतक है। तथापि, वास्तविक विकास कम हो सकता है यदि विद्यमान उच्च तेल कीमतें ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रहीं जिसके फलस्वरूप ऊर्जा में बचत की नीतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राकृतिक गैस की मांग

11.121 इस समय लगभग 70% प्राकृतिक गैस की खपत उर्वरक और विद्युत क्षेत्रों में होती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी कार्यदल के अनुसार, ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में प्राकृतिक गैस की मांग 279.43 एमएमएससीएमडी तक बढ़ने की उम्मीद है जिसमें से 126.57 एमएमएससीएमडी की कल्पना विद्युत क्षेत्रक के लिए तथा 76.26 एमएमएससीएमडी की कल्पना उर्वरक क्षेत्रक के लिए की गई है। तथापि, विद्युत मंत्रालय के पूर्वानुमानों के अनुसार विद्युत क्षेत्रक के लिए प्राकृतिक गैस की मांग केवल 89 एमएमएससीएमडी होगी। विद्युत मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक गैस की कम पूर्वानुमानित मांग के अंतर्गत विद्यमान बाजार कीमत और एपीएम गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए कम मांग को ध्यान में रखते हुए, योजना के अंतिम वर्ष में प्राकृतिक गैस की कुल मांग 241.86 एमएमएससीएमडी होगी। तथापि, इस मांग का सफलीभूत होना, प्राकृतिक गैस की कीमत पर निर्भर करेगा।

हाइड्रोकार्बन भंडार वृद्धि

10.122 दसवीं योजना के दौरान प्रत्याशित भंडार वृद्धि 1652.92 मिलियन टन थी (निजी/जेबीजी हिस्से को छोड़कर), जबकि लक्ष्य 785-914 मिलियन टन का था। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रत्याशित संकेतात्मक हाइड्रोकार्बन इन-प्लेस भंडार 2129.44 मिलियन टन है।

कच्चा (क्रूड) तेल तथा प्राकृतिक गैस उत्पादन

10.123 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन लक्ष्य क्रमशः तालिका 10.19 और 10.20 में दिए गए हैं।

10.124 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में 241.86 एमएमएससीएमडी की पूर्वानुमानित मांग के मुकाबले उत्पादन केवल 173.23 एमएमएससीएमडी होगा। अतिरिक्त आवश्यकता को प्राकृतिक गैस का आयात करके पूरा किया जाएगा।

ग्यारहवीं योजना के दौरान एलएनजी आपूर्ति

10.125 इस समय 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष एलएनजी का दाहेज टर्मिनल पर आयात किया जा रहा है। 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ शैल का हाजिरा टर्मिनल प्रचालन में है किन्तु इसका प्रचालन अभी स्थिर होना है। अनुमान है कि एलएनजी आपूर्ति 2011-12 के अंत तक 23.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष के स्तर तक पहुंच जाएगी। ग्यारहवीं योजना के दौरान एलएनजी आपूर्ति का विस्तृत विवरण तालिका 10.21 में दिया गया है।

10.126 राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) का समुद्रपार उद्यमों से पूर्वानुमानित कच्चे तेल और गैस उत्पादन नीचे तालिका 10.19, 10.20 और 10.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.19
कच्चा तेल उत्पादन

(एमटी)

संगठन	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल योग
ओएनजीसी	27.16	28.00	29.00	28.53	27.37	140.06
ओआईएल	3.50	3.55	3.73	3.91	4.30	18.99
निजी/जेबीसी	10.57	10.78	9.76	8.75	7.85	47.71
कुल योग	41.23	42.33	42.49	41.19	39.51	206.76

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस पर कार्य समूह की रिपोर्ट

तालिका 10.20
प्राकृतिक गैस उत्पादन

(बीसीएम)

संगठन	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल योग
ओएनजीसी	22.10	22.53	22.77	22.99	22.00	112.39
ओआईएल	3.13	3.21	3.25	3.28	3.56	16.43
निजी/जेबीसी	8.55	22.55	29.41	28.77	37.61	126.45
कुल योग	33.78	48.29	55.43	55.03	63.23	255.76
कुल योग (एमएमएससीएमडी)	92.20	132.30	151.86	150.79	173.23	700.38

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस पर कार्य समूह की रिपोर्ट

तालिका 10.21
ग्यारहवीं योजना के दौरान एलएनजी आपूर्ति का पूर्वानुमान

एलएनजी आपूर्ति स्रोत	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
दाहेज	5.00	5.00	7.5	10.00	10.00
हाजिरा	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
दामोल	1.20	2.10	5.00	5.00	5.00
कोची	-	-	-	2.50	5.00
मंगलौर	-	-	-	-	1.25
कुल एलएनजी आपूर्ति (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	8.70	9.60	15.00	20.00	23.75
कुल एलएनजी आपूर्ति (एमएमएससीएनडी)	30.45	33.60	52.50	70.00	83.12

धारणाएं :

- 5.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक हाजिरा विस्तार पर ग्यारहवीं योजना में विचार नहीं किया गया है।
- मंगलौर टर्मिनल अपेक्षित 2011-12 तक आंशिक तौर पर शुरू हो जाएगा।

स्रोत : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी कार्य समूह रिपोर्ट।

तालिका 10.22
विदेश व्यापार से पूर्वानुमानित कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन

		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल योग
क्रूड तेल उत्पादन (एमटी)	ओआईएल	0.25	0.5	1.0	1.53	1.6	4.88
	ओवीएल	7.02	6.53	5.97	5.76	5.35	30.63
	कुल योग	7.27	7.03	6.97	7.29	6.95	35.51
प्राकृतिक गैस उत्पादन (बीसीएम)	ओवीएल	1.75	1.82	1.93	1.97	2.2	9.67

स्रोत : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी कार्य समूह का विवरण।

परिशोधन क्षमता

10.127 अनुमान है कि ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष तक परिशोधन क्षमता 240.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगी जबकि योजना के शुरू में यह 148.97 एमटीपीए थी। ग्यारहवीं योजना के दौरान परिशोधन क्षमता में यह वृद्धि 91.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। इस वृद्धि में निजी क्षेत्रक से 38.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष सम्मिलित है (एस्सार 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष, रिलाएंस-29 मिलियन टन प्रतिवर्ष और नागार्जुन-6 मिलियन टन प्रतिवर्ष)। 240.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष की पूर्वानुमानित परिशोधन क्षमता के मुकाबले ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान उत्पादकों की मांग 132 मिलियन टन के बीच होगी। इस प्रकार, देश में लगभग 108 मिलियन टन तक की परिशोधन क्षमता अधिशेष होगी। उपरोक्त को देखते हुए, नई क्षमता स्थापित करने की जरूरत की समीक्षा की जानी चाहिए।

अनुसंधान और विकास

10.128 भारत, हाइड्रोकार्बन क्षेत्रक में आर एंड डी प्रयासों पर लगभग 200-250 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रहा है, जो 4 लाख करोड़ के केवल पीएसयू के वार्षिक कारोबार में से है। यह

विकसित देशों में अनुसंधान व्यय की तुलना में काफी कम है जो अनुसंधान और विकास के लिए कारोबार का लगभग 1% व्यय करते हैं। गैस हाइड्रेट्स, भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन (यूसीबी), कोयले को तरल में बदले, शिला तेल, जैव-ईंधनों और हाइड्रोजन आदि के अन्वेषण और दोहन से संबंधित प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए सहकारी आधार पर एक मिशन-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। इस समय अधिकांश वित्तपोषण सरकार अथवा सरकारी क्षेत्रक द्वारा किया जाता है। वर्तमान स्थिति में निजी क्षेत्रक पेट्रोलियम उद्योग में महत्वपूर्ण विकास की भूमिका निभा रहा है। इसलिए, निजी क्षेत्रक से अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

योजना परिव्यय

10.129 ग्यारहवीं योजना के लिए, सरकारी क्षेत्रक अस्थाई परिव्यय चालू कीमतों पर 213514.59 करोड़ रुपए है। इसमें अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए 150932.49 करोड़ रुपए और परिशोधन तथा विपणन क्षेत्रक के लिए 62582.10 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। पीएसयू-वार परिव्यय तालिका 10.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.23
ग्यारहवीं योजना के लिए सरकारी क्षेत्रक परिव्यय

(करोड़ रुपए)

पीएसयू	ग्यारहवीं योजना परिव्यय
क. अन्वेषण और उत्पादन	
ओएनजीसी-ओवीएल	45332.87
ओएनजीसी	75983.77
ओआईएल	13439.02
जीएआईएल	10326.83
आईओसी	2982.00
एचपीसीएल	2000.00
बीपीसीएल	868.00
उप-जोड़ (क)	150932.49
ख. परिशोधन और विपणन	
एचपीसीएल	8714.00
बीपीसीएल, केआरएल सहित	11344.80
सीपीसीएल	3275.00
बीआरपीएल	1444.53
आईओसी	28567.75
आईबीपी	0.00
एनआरएल	593.00
एमआरपीएल	8643.02
उप-जोड़ (ख)	62582.10
कुल - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक	213514.59

स्रोत : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

10.130 इसके अलावा, ग्यारहवीं योजना के दौरान सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग के सभी घटकों की शैक्षिक और प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) नामक एक संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है। संस्थान की कुल अनुमानित लागत 695.58 करोड़ रुपए है, जिसमें से 285 करोड़ रुपए की राशि बजटीय सहायता से खर्च की जाएगी।

कोयला क्षेत्रक

मुद्दे और चुनौतियां

10.131 कोयला, विश्व की 25.1% प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है जबकि तेल से 34.3%, गैस से 20.9%, नाभिकीय से 6.5%, जल विद्युत से 2.2% और नवीकरणीय से 11% जरूरतें पूरी होती हैं। विश्व के बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 40% है। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा में कोयले का

हिस्सा 50% से अधिक है तथा लगभग 78% देशज उत्पादित कोयले का विद्युत उत्पादन के लिए निश्चित है। 2005 में विश्व में कोयले का उपयोग 4,990 एमटी थी। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है (2,226 एमटी), उसके बाद अमरीका (951 एमटी) और भारत (398 एमटी) का स्थान है। प्रमुख कोयला निर्यातक देश हैं : आस्ट्रेलिया (231 एमटी), इंडोनेशिया (108 एमटी), रूस (76 एमटी), दक्षिण अफ्रीका (73 एमटी) और चीन (72 एमटी)। प्रमुख कोयला आयातकर्ता देश हैं : जापान (178 एमटी), कोरिया गणराज्य (77 एमटी), चीनी ताइपेइ (61 एमटी), यू.के. (44 एमटी) और जर्मनी (38 एमटी)।

10.132 ग्यारहवीं योजना में कोयले की मांग में वृद्धि 9% प्रतिवर्ष पर अनुमानित है जिससे कि विद्युत क्षेत्रक प्रत्याशित वृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो सके। कोयला उत्पादक कंपनियां एक वर्ष के अंदर 6% से कम वर्तमान वृद्धि दर से एकदम 9% से अधिक की वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकती हैं किन्तु कार्यनीतियों में समयोजन करने की जरूरत है ताकि कोयला पीएसयू और साथ ही कैप्टिव कोयला खानों से भी पूर्वानुमानित कोयला उत्पादन ग्यारहवीं योजना के अंत तक सफलीभूत हो सके। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कोयले का खनन सरकारी क्षेत्रक-कंपनियों और साथ ही पदनामित कैप्टिव उपभोक्तों द्वारा अपने खुद के उपयोग हेतु किया जा सकता है, जो इस समय इस्पात, सीमेंट और विद्युत हैं। उत्पादकों की संख्या में वृद्धि से लक्षित उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही हमें और अधिक कोयले का आयात करना होगा, जिसे सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोयला उत्पादन में प्रस्तावित वृद्धि के साथ अवस्थापना के समानुपातिक विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। रेल नेटवर्क खानों से लोड केंद्रों तक कोयले की पूर्वानुमानित मात्रा को ढोने के लिए रेल नेटवर्क और रोलिंग स्टॉक के वांछित विस्तार के लिए बड़े निवेशों की जरूरत होगी। कोयले की दुलाई कम खर्चीली भी होनी चाहिए। इसलिए कोयले की दुलाई के लिए रेलवे भाड़ा दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने की जरूरत है। ऊंची भाड़ा दर से थोड़ी दूरी पर कोयले की कीमत में वृद्धि होती है और ईंधन के विकल्प को विकृत करती है, प्रतिस्पर्धा को कम करती है तथा परिणामतः उद्योगों का विस्थापन होता है।

10.133 आर्थिक कार्यकुशलता के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक कोयले बाजार की जरूरत है। क्योंकि विद्युत संयंत्र के लिए, जो कोयले के बड़े उपभोक्ता हैं, कोयले की लागत एक गुजरने वाली लागत है, इसलिए कीमत वसूली पद्धति एक चुनौती है। हमें, कोकिंग-भिन्न कोयले की ई-नीलामी की प्रक्रिया को चुस्त बनाने की तथा कोकिंग-भिन्न कोयले के उत्पादन का कम से कम 20% कोयले की बजार कीमत की प्रभावी वसूली के लिए, इस प्रक्रिया के माध्यम से बिक्री करने की जरूरत है।

10.134 कीमत वसूली पद्धति पर नजर रखने, अपस्ट्रीम आबंटन तथा कोयले, कोयला बेड मीथेन, खान मुख मीथेन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कोयला ब्लॉकों के दोहन, कोयले से तरल और स्थानिक कोयला गैसिफिकेशन को विनियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र कोयला विनियंत्रक की जरूरत है ताकि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कोयले का भंडार वाला भारत कोयले के संबंध में अत्यंत लचीले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दीर्घावधिक योगदानकर्ता बन सके। कार्य करने के उद्देश्य से, कोयला कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कामगारों और मशीनों की उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान हो। कोयले की धुलाई करके तथा परिशोधित करके कोयले की दुलाई की लागत में भी कटौती की जा सकती है क्योंकि भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है। कोयले की कीमत पद्धति प्रणाली में बदलाव करने की भी जरूरत है जिसके अंतर्गत कोयले की कीमत, "यूजफुल हीट वैल्यू (यूएचवी) की व्यापक श्रेणियों का उपयोग करके कोयले की ग्रेडिंग की वर्तमान प्रथा की बजाए इसके सकल केलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) पर आधारित पूर्णतः परिवर्तनशील हो।

10.135 देश में निष्कर्षण योग्य कोयले के भंडार लगभग 45 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे यदि देशज कोयले के उत्पादन में 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि जारी रही। तथापि, क्षेत्रकीय अन्वेषण और विस्तृत ड्रिलिंग द्वारा फिलहाल केवल 45% संभाव्य कोयला संपन्न क्षेत्र को कवर किया गया है। कोयला उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए त्वरित अन्वेषण, ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि और कोयला भंडारों का आकलन करने के लिए क्षमता तथा भूगर्भीय रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है।

दसवीं योजना की समीक्षा

कोयले की मांग और उत्पादन

10.136 दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में कोयले की मांग 460.50 एमटी पर पूर्वानुमानित थी, जिसमें 37.21 एमटी कोकिंग कोयला और 423.29 एमटी नान-कोकिंग कोयला अथवा थर्मल कोयला सम्मिलित है। विद्युत क्षेत्रक (यूटिलिटियों) से मांग 297.37 एमटी तक पहुंच गई। मांग की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 5.66% थी जबकि योजना के निर्माण के समय 5.74% की परिकल्पना की गई थी तथा नौवीं योजना के दौरान वस्तुतः 3% की प्राप्ति हुई।

10.137 कोयले की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए बारह विद्यमान खानों/चल रही परियोजनाओं में उत्पादन समय-सारणी को पहले करके तथा 2085.05 करोड़ रुपए के संभावित पूंजी निवेश के साथ चार नई परियोजनाएं शुरू करके, उत्पादन बढ़ाने

के लिए सीआईएल की आपातिक कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल की आपातिक कोयला उत्पादन योजना को मंजूरी प्रदान की गई। कोयले की आउटसोर्सिंग करने तथा इन परियोजनाओं में अतिभार को दूर करने के कार्यकलापों का प्रस्ताव है। यद्यपि, विनिश्चित परियोजनाओं से दसवीं योजना के दौरान अतिरिक्त उत्पादन नहीं हुआ, तथापि, इससे नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत हो गई।

10.138 2006-07 में कोयले का उत्पादन 430.54 एमटी हो गया जबकि लक्ष्य 430.10 एमटी थी। यद्यपि नई परियोजनाओं को शुरू करने में दसवीं योजना के दौरान देरी हुई, तथापि, विद्यमान खानों से उत्पादन में वृद्धि करके और चल रही परियोजनाओं की उत्पादन निर्माण अवधि कम करने के लिए कार्यकलापों में तेजी लाकर, कोयले के उत्पादन को सुदृढ़ करना संभव हो सका। दसवीं योजना के दौरान उत्पादन की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 5.66% थी जबकि योजना के निर्माण के समय 4.46% की परिकल्पना की गई थी तथा नौवीं योजना के दौरान वस्तुतः 2.5% की प्राप्ति हुई थी। दसवीं योजना के दौरान सीआईएल के उत्पादन में वृद्धि 5.28% थी। कैप्टिव खानों में उत्पादन ऊंची दर से बढ़ा।

मांग-आपूर्ति प्रबंधन

10.139 यह बताया गया है कि कोयले की गुणवत्ता मांग और उत्पादन संख्या भारत नहीं है और कोयले की गुणवत्ता भी प्राप्त मांग प्रभावित कर सकती है। अंततः, विद्युत उत्पादन में धुले कोयले के उपयोग अथवा इस्पात क्षेत्रक में कोरेक्स प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी मांग संख्या तय करते समय भली-भांति हिसाब में नहीं लिया जाता है। दसवीं योजना के अंतिम वर्ष (2006-07) में मांग और पूर्ति के बीच 45 एमटी के भौतिक अंतर को 45 एमटी कोयले का आयात करके पूरा किया गया (कोकिंग कोयला-22 एमटी और थर्मल कोयला 23 एमटी), जैसाकि परिकल्पित था। यद्यपि विद्युत क्षेत्रक द्वारा थर्मल कोयले के आयात से योजनाबद्ध विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में मदद मिली, इसके फलस्वरूप घरेलू उठान में कमी आई, जिसके फलस्वरूप पिटहेड पर अतिरिक्त भंडार का निर्माण हो गया।

लिग्नाइट खपत और उत्पादन

10.140 दसवीं योजना के अंतिम वर्ष (2006-07) में लिग्नाइट की मांग का पूर्वानुमान 57.79 एमटी था (तमिलनाडु - 35.86 एमटी; गुजरात-16.27 एमटी; राजस्थान 5.65 एमटी) किन्तु लगभग 30.63 एमटी की प्राप्ति हुई (तमिलनाडु-20.51 एमटी; गुजरात-9.65 एमटी; राजस्थान-0.47 एमटी) जिससे 4.93% सीएजीआर का पता चलता है। 16.36 बीयू सकल विद्युत उत्पादन से जोड़ते हुए नेवेली लिग्नाइट निगम की मांग 2006-07

में 21.50 एमटी पूर्वानुमानित थी। सकल विद्युत उत्पादन को 15.71 बीयू तक नीचे की ओर संशोधित करने के फलस्वरूप, लिग्नाइट की मांग को 1.09 एमटी तक कम कर दिया गया और इसे 20.41 एमटी पर रखा गया। एनएलसी ने 19.38 एमटी लिग्नाइट का उत्पादन किया तथा 14.85 बीयू सकल विद्युत का निर्माण किया।

कोयला और लिग्नाइट तालिकाएं (रिजर्व)

10.141 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय कोयला तालिका 255 बीटी थी, जिसमें से 97.92 बीटी "सिद्ध" श्रेणी के अंतर्गत हैं। 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार लिग्नाइट स्रोतों की तालिका 38.27 बीटी थी, जिसमें 4.5 बीटी "सिद्ध" श्रेणी में थे। तालिका 10.24 में पिछले वर्षों के दौरान कोयला भंडारों में वृद्धि दर्शाई गई है।

केन्द्रीय क्षेत्रक योजना स्कीमें

प्रोन्नयन अन्वेषण

10.142 दसवीं योजना के दौरान, 6 लाख मीटर की ड्रिलिंग के लिए, जिसमें 43 ब्लॉक कवर करते हुए कोयले में 3.3 लाख मीटर और 13 ब्लॉक कवर करते हुए, लिग्नाइट में 2.7 लाख मीटर सम्मिलित हैं, तथा अन्य अन्वेषणात्मक सेवाओं के लिए, जिनमें कोयला/लिग्नाइट का सृजन और सीबीएम अध्ययन सम्मिलित हैं, "क्षेत्रीय/प्रोन्नयन ड्रिलिंग" की योजना स्कीम के लिए 275.80 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इस योजना स्कीम के संबंध में परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था तथा कार्यान्वयन हेतु 121 परियोजनाएं मंजूर की गई थी। पूर्वानुमान के विपरीत, 191.78 बीटी कोयला संसाधन तथा 17.53 बीटी लिग्नाइट संसाधन स्थापित करते हुए दसवीं योजना के दौरान 6.288 लाख मीटर की ड्रिलिंग (91%) प्राप्त की गई।

गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग

10.143 सीआईएल के क्षेत्राधिकार से बाहर ब्लॉकों को, संभाव्य उद्यमियों को ब्लॉक पेश करने हेतु बजटीय सहायता से "गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग" की स्कीम के माध्यम से, किया जा सके। विस्तारपूर्वक अन्वेषण करने का प्रस्ताव था जिससे कि अन्वेषणों की लागत इन ब्लॉकों के प्राप्तकर्ताओं से वसूल की जानी थी। यह स्कीम नौवीं योजना से जारी रही तथा 70.66 करोड़ रुपए के परिव्यय (ड्रिलिंग के लिए 57.86 करोड़ रुपए तथा अन्य अन्वेषण सेवाओं के लिए 12.80 करोड़ रुपए) की दसवीं योजना के दौरान 2.13 लाख मीटर की ड्रिलिंग करने के लिए ताकि 3.65 बिलियन टन के संसाधन "सिद्ध श्रेणी" के अंतर्गत लाए जा सकें, व्यवस्था की गई। इस योजना स्कीम के संशोधित लागत अनुमान मार्च, 2006 में अनुमोदित किए गए जबकि 93.84 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ड्रिलिंग का भौतिक लक्ष्य संशोधित करके 2.83 लाख मीटर कर दिया गया। पूर्वानुमानों के विपरीत, दसवीं योजना के दौरान 2.84 लाख मीटर की ड्रिलिंग प्राप्त की गई और "सिद्ध" के रूप में 7.06 बीटी कोयला संसाधन स्थापित किए गए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अनुसंधान और विकास)

10.144 कोयला (एस एंड टी) कार्यक्रम पर दिए गए बल के बावजूद, 1975 से जारी स्कीमों में, नई परियोजनाएं शुरू करने और विभिन्न चालू परियोजनाओं के लिए व्यवस्थित परिव्ययों का उपयोग करने, दोनों ही दृष्टि से, प्रगति संतोषजनक नहीं हुई है। इस स्कीम के अंतर्गत दसवीं योजना के दौरान संचयी व्यय 50.94 करोड़ रुपए था।

पर्यावरणीय उपाय तथा धँसान नियंत्रण (ईएमएससी)

10.145 "झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में पुनर्वास, अग्नि नियंत्रण और धँसान" नामक नौवीं योजना स्कीम का इस दसवीं

तालिका 10.24
पिछले वर्षों के दौरान कोयला भंडारों में वृद्धि

(मिलियन टन में)

दिनांक को कोयला भंडार	सिद्ध श्रेणी	सिद्ध श्रेणी में वृद्धि	अनुमानित श्रेणी	संकेतित श्रेणी	कुल भंडार	भंडार वृद्धि
1.1.2002	87320	-	109377	37417	234114	-
1.1.2003	90085	2765	112613	38050	240748	6634
1.1.2004	91631	1546	116174	37888	245693	4945
1.1.2005	92960	1329	117090	37797	247847	2154
1.1.2006	95866	2906	119769	37666	253301	5454
1.1.2007	97920	2054	118992	38260	255172	1871

स्रोत :

योजना स्कीम में विलयन कर दिया गया। स्कीम का प्रयोजन पुराने खनन क्षेत्रों में, विशेष रूप से झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में, कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले की गई अवैज्ञानिक खनन के कारण पहुंची क्षति को कम करने के लिए अनेक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से, पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत व्यवस्थित 163.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले दसवीं योजना में संचयी व्यय 52.57 करोड़ रुपए था। भू-प्राप्ति की बाधाओं, स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन/प्रायः व्यवधान, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पुनर्वास के स्थान के बारे में अंतिम रूप से निर्णय न लिए जाने तथा कुछ तकनीकी समस्याओं आदि की वजह से कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक नहीं रही।

सूचना प्रौद्योगिकी

10.146 सरकार ने सभी मंत्रालयों के लिए, ई-शासन को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुल योजना परिव्यय के लगभग 2% के परिव्यय के साथ योजना स्कीम में तैयार करना अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, कोयला मंत्रालय ने, ई-शासन के लिए आवश्यक अवस्थापना में सुधार करने के लिए दसवीं योजना में 4.21 करोड़ रुपए की राशि खर्च की।

कोयला नियंत्रण संगठन (सीसीओ)

10.147 कोयला नियंत्रण संगठन (सीसीओ), सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 और नियम 1959 के अंतर्गत, कोयला और लिग्नाइट सम्बद्ध डाटा एकत्र करने का कार्य करता है तथा 0.22 करोड़ रुपए के परिव्यय के उपयोग के साथ प्रत्येक वर्ष "कोयला सांख्यिकी" का प्रकाशन करता है। इस स्कीम के अंतर्गत दसवीं योजना व्यय 0.93 करोड़ रुपए था।

कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा तथा

कोयला खानों में परिवहन और

अवस्थापना का विकास

10.148 वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार, कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में क्रमशः 117 करोड़ रुपए और 135.79 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दो योजना स्कीमों का प्रस्ताव किया था। इन स्कीमों के अंतर्गत कार्यकलापों का वित्तपोषण, धसान राजय कर के एक भाग की प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाता है, जो कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अनुसार सांविधिक रूप से आरोपित किया जाता है तथा सरकार के राजकोष खाते में जमा किया जाता है। 2005-06 से पहले, इन स्कीमों के अंतर्गत हुआ खर्च योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता था। इस तथ्य के बावजूद कि योजना आयोग ने इन स्कीमों के अंतर्गत कार्यकलापों को योजनेतर कार्यकलाप

समझने पर बल दिया था, मामले का वित्त मंत्रालय के साथ समाधान नहीं किया जा सका। दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में इन प्रत्येक स्कीमों के लिए 0.01 करोड़ रुपए के नाममात्र के प्रावधान की व्यवस्था की गई।

कोयला और लिग्नाइट पीएसयू की उत्पादकता

उपस्कर उत्पादकता

10.149 दसवीं योजना में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) उत्पादकता में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ। सीआईएल में नौवीं योजना की उपलब्धियों की तुलना में शोवल्स की उत्पादकता में 124%, डम्पर्स में 15%, ड्रिलों में 25% और डोजर्स में 14% की वृद्धि हुई, जबकि ड्रगलाइनों की उत्पादकता सतत बनी रही। एससीसीएल के मामले में, ड्रेगलाइनों में 18%, शोवल्स में 21%, डम्पर्स में 50% और डोजर्स के निष्पादन में 6% तक उत्पादकता में सुधार हुआ। अधिकांश कोयला कंपनियों में "सिस्टम केपेसिटी यूटिलाइजेशन" सतत रूप से 100% से अधिक बताया गया है। तथापि, ओपनकास्ट खानों में मशीनरी (ड्रेगलाइन मशीन को छोड़कर) का प्रतिशत उपयोग केन्द्रीय खान आयोजना और डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआईएल) के मानक मानदंडों से नीचे रहा।

जनशक्ति उत्पादकता

10.150 प्रति मानव पारी उत्पादन (ओएमएस) की दृष्टि से कुल मिलाकर उत्पादकता दसवीं योजना की शुरुआत में 2.45 टन से 2006-07 में बढ़कर सीआईएल में 3.54 टन और एससीसीएल में 1.88 टन से 2.32 टन हो गई। एनएलसी में, ओएमएस योजना की शुरुआत में 8.84 टन से 2006-07 में बढ़कर 10.16 टन हो गई। दसवीं योजना के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत से कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग की गई किन्तु संबंधित कोयला कंपनियों की जनशक्ति उत्पादकता का आकलन करते समय जनशक्ति उत्पादकता पर इसके प्रभाव का पता नहीं चल सका।

कोयला संचलन

10.151 दसवीं योजना में संभावित कोयला क्षेत्रों में कतिपय रेल संयोजनों का विनिर्धारण किया गया था तथा रेलवे ने इनमें से अधिकांश का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। बंदरगाह जैसी अवस्थापना को सुदृढ़ करने और उच्च कोयला आयातों के लिए पृष्ठ रेल संयोजनों की भी परिकल्पना की गई थी। सीआईएल और एससीसीएल से कच्चे कोयले और कोयला उत्पादों की ढुलाई 2001-02 में 199.74 एमटी (कुल कोयला उठान का 63.7%) से 2006-07 में 217.20 एमटी (कुल कोयला उठान का 53.4%) हो गई। "मेशी गो राउंड" (एमजीआर) घटक का संचलन, दसवीं योजना के शुरू में 74.62 एमटी (कुल कोयला उठान का 23.8%) से अंतिम वर्ष में 96.35 एमटी हो गया (कुल उठान का 23.9%)।

योजना के प्रारंभ में सड़क द्वारा कोयले का संचलन 51.35 एमटी (कुल कोयला उठान का 16.4%) था 2006-07 में बढ़कर 94.32 एमटी (कुल कोयला उठान का 22.5%) हो गया। कोयले का तटवर्ती लदान (अंतर्देशीय) 2001-02 में 16.10 एमटी से बढ़कर 2006-07 में 17.47 एमटी हो गया।

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के संबंध में पहलें

10.152 उच्च थर्मल कार्यकुशलता और बेहतर पर्यावरणीय निष्पादन, सीएफबीसी, आईजीसीसी और सुपर क्रिटिकल बायलर के स्पष्ट लाभ हैं। उच्च राख वाला भारतीय कोयला तथा उच्च सल्फर लिग्नाइट इन प्रौद्योगिकियों के लिए उत्तम पाए गए हैं। "सुपर क्रिटिकल" और "अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज" को अपनाने पर बल देकर दसवीं योजना में पीसीसी बायलरों के ऊर्जा संरक्षण की कार्यकुशलता सुधारने के लिए पहलें की गईं।

10.153 कोल इंडिया लि0, एससीसीएल और एनएलसी ने, "अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन" प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए ओएनजीसी के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बदले में, ओएनजीसी ने तकनीकी सहायता के लिए स्कोचिंस्की प्रौद्योगिकी संस्थान, मास्को के साथ गठबंधन किया। एनएलसी ने, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार के गैसिफिकेशन के लिए एक आर एंड डी परियोजना शुरू की किन्तु दो महीने के वैश्विक प्रयास के बावजूद कोई तकनीकी परामर्शदाता अथवा सलाहकार न मिल पाने के कारण परियोजना प्रारंभ नहीं हो सकी। अंततः एनएलसी ने परियोजना में परामर्श हेतु ओएनजीसी के साथ एक सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर किए। कोयले के "सर्फस गैसिफिकेशन" के लिए प्रस्तावित जीएआईएल और सीआईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

10.154 एक "संयुक्त कार्यदल" का गठन करके, "कोल लिक्विफेक्शन" के व्यवसाय पहलों के संबंध में सीआईएल और ओआईएल के बीच विचार-विमर्श हुआ। पूर्वोत्तर कोयला क्षेत्रों से कोयले को तरल में बदलने की परियोजना पर 12600 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 3.5 एमटी कोयले के उत्पादन के लिए 3500 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है।

10.155 "ग्लोबल एनवायरनमेंटल फेसिलिटी " और यूएनडीपी की वित्तीय सहायता से एक प्रदर्शन "कोल बेड मीथेन" परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। बोली के तीन चक्रों के दौरान अन्वेषण और उत्पादन हेतु अनेक सीबीएम ब्लॉक भी निजी संपत्तियों को अवार्ड किए गए हैं। इसके अलावा, दो ब्लॉकों के संबंध में अन्वेषण कार्य नामांकन आधार पर दो पीएसयूयू को अवार्ड किए गए। सीबीएम का वाणिज्यिक उत्पादन ग्यारहवीं योजना के शुरु में प्रारंभ होने की उम्मीद है।

सुरक्षा और कल्याण

10.156 कोयला कंपनियों द्वारा सभी प्रचालनों में सुरक्षा प्रथाओं पर अमल किए जाने से खानों में गंभीर और मौत की दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई। तथ्य, पांच आपदाओं के कारण योजना अवधि के दौरान घटनाओं की संख्याओं में वृद्धि हुई जिनमें दस से अधिक मौतें हुईं। कोयला कंपनियों के "आंतरिक सुरक्षा संगठन" (आईएसओ), के सहयोग, जोखिम आकलन तकनीकी और सुरक्षा ऑडिटों की सहायता से सुरक्षा में कामगारों की भागीदारी के जरिए खान सुरक्षा मानीटरन की प्रथा को सुदृढ़ किया गया।

10.157 सीआईएल और एससीसीएल में कामगारों की मजदूरी में 2005 में संशोधन किया गया। गौण लाभों और भत्तों की मात्रा में वृद्धि के अलावा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 238.63 रुपए प्रति दिन कर दी गई। आवासन संतुष्टि, जलापूर्ति, शिक्षा, सुविधाओं, स्वास्थ्य देखरेख आदि जैसी कल्याण सुविधाओं के संबंध में पर्याप्त सुधार किए गए।

10.158 कोयला कंपनियां, अपने कर्मचारियों के लिए मेडिकल सेवाओं, शिक्षा, जलापूर्ति, आवासन, सहकारिताएं और बैंकिंग, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, सामुदायिक विकास में सामाजिक दायित्व निभाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा, कोल इंडिया लि0 की भिन्न-भिन्न कोयला कंपनियों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों भी आयोजित किए गए। दसवीं योजना के दौरान, सीआईएल ने, विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर लगभग 85 करोड़ रुपए की राशि खर्च की।

हानि उठाने वाली कंपनियों का पुनरुद्धार

10.159 कोयला इंडिया लि0 (सीआईएल) की तीन सहायक कंपनियां नामतः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 (ईसीएल), भारत कोकिंग कोल लि0 (बीसीसीएल) और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 (सीसीएल) नौवीं योजना अवधि (2001-02) के अंतिम वर्ष में हानि उठा रही थी। नौवीं योजना अवधि के दौरान इन कंपनियों में बदलाव लाने के लिए प्रयास किए गए किन्तु बहुत कम सफलता मिली। अंततः दसवीं योजना के दौरान इन कंपनियों को, उनके पुनर्वास/पुनरुद्धार के लिए कार्यनीति/उपाय सुझाने के वास्ते, बीआईएफआर को रेफर कर दिया गया। एक कंपनी, सीसीएल वर्ष 2005-06 में बीआईएफआर से बाहर निकालने में सफल रही। ई-नीलामी के जरिए कोयले की बिक्री के जरिए अर्जित लाभ और अधिक उत्पादन के कारण बीसीसीएल ने राष्ट्रीयकरण के बाद पहली बार लाभ दिखाना संभव हो सका। आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने, कंपनी के निवल मूल्य को 2009-10 से सकारात्मक बनाने के लिए ईसीएल के लिए मंजूर बीआईएफआर पुनर्वास स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी।

व्यय प्रणाली

10.160 पीएसयू द्वारा निवेश के रूप में दसवीं योजना में संचयी व्यय (आईईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित) 9574.49 करोड़ रुपए (2001-02 कीमतों पर) था, जबकि प्रावधान 30,556.48 करोड़ रुपए का किया गया था, जो व्यवस्थित कुल परिव्यय का 31.33% है। सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसी में निवेश, दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित परिव्यय का क्रमशः 44%, 60% और 33% था। असंतोषजनक निष्पादन का कारण परियोजनाओं को देर से शुरू किया जाना था। अनेक परियोजनाओं में खनन कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग से भी, पहले परिकल्पित पूंजी निवेशों की आवश्यकताओं को कम करने में मदद मिली।

नीतिगत सुधार

• कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 के पारित होने तक, कैप्टिव ब्लॉक धारकों को ब्लॉक के विकास और प्रचालन के दौरान प्रासंगिक कोयला अधिशेषों को

सीआईएल को अथवा फिलहाल संयोजित अन्त्य उपभोक्ताओं को सीधे ही बेचने की अनुमति; समूह-कैप्टिव खानों की अनुमति देकर आदि जैसे बहुत सी नीतिगत पहलें की गईं, जिससे कि कैप्टिव खपत के लिए विभिन्न निजी और सरकारी कंपनियों को आबंटन हेतु कोयला उपलब्ध कराकर कोयला खनन में और अधिक संख्या में योगदानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि की जा सके और वाणिज्यिक खनन हेतु राज्य सरकारों को शामिल किया जा सके।

- प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए संभाव्य उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों की पेशकश सुकर बनाने के लिए खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के विद्यमान प्रावधानों को संशोधित करनेके लिए उपाय किए गए।
- कोयले को अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है।

तालिका 10.25
दसवीं योजना के दौरान कंपनी-वार/स्कीम-वार व्यय

(करोड़ रुपए)

कंपनी/स्कीम	02 - 03	03 - 04	04 - 05	05 - 06	06 - 07	10वीं योजना	
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	मूल	प्राप्त#
(क) कोयला मंत्रालय के अधीन पीएसयू (आईईबीआर)							
सीआईएल	1147.54	1072.82	1055.90	1370.68	1674.10	14310.00	6321.04
एससीसीएल	134.27	151.55	244.24	360.85	371.82	2113.00	1262.74
एनएलसी	418.55	146.56	194.61	322.99	908.00	14133.48	1990.71
जोड़ आईईबीआर	1700.36	1370.94	1494.75	2054.52	2953.92	30556.48	9574.49
(ख) केन्द्रीय क्षेत्रक योजना स्कीमें (जीबीएस)							
अनुसंधान और विकास (एस एंड टी)	6.74	9.11	11.32	12.54	4.85	100.00	44.55
क्षेत्रीय अन्वेषण	16.84	33.57	38.21	41.23	32.32	275.80	162.17
विस्तृत ड्रिलिंग-सीआईएल-गेर ब्लॉक	12.06	13.97	19.99	19.36	16.95	70.66	82.34
पर्यावरणीय उपाय और धँसान नियंत्रण	12.63	0.00	4.31	21.46	6.46	163.00	44.87
कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	0	0	0	56.24	145.45	0	201.69
कोयला क्षेत्र इलाकों में परिवहन और अवस्थापना का विकास	0	0	0	42.54	11.16	0	53.69
अन्य (वीआरएस* और पूर्वोत्तर घटक सहित)	115.39	16.80	94.05	1.01	24.79	425.06	252.05
जोड़ : जीबीएस	163.66	73.45	167.88	194.38	242.00	1034.52	841.36
जोड़ : कोयला मंत्रालय	1864.02	1444.38	1662.63	2248.90	3195.92	31591.00	10415.85

नोट : * दसवीं योजना में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के लिए जीबीएस की व्यवस्था की गई थी, किन्तु इस स्कीम के तहत खर्च केवल 2002-03 और 2004-05 में हुआ।

स्रोत : # सतत कीमतों पर


- उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए खुली कोयले की ई-नीलामी पद्धति प्रारंभ की गई।
- टन भार आधार पर कोयले और लिग्नाइट पर रायल्टी के परिकलन की विद्यमान पद्धति के, निश्चित भाग (टन भार आधार) ओर परिवर्तन योग्य भाग (मूल्यानुसार आधार) को मिलाकर हाइब्रिड फार्मुला आधारित में बदला गया।
- कोयला गैसिफिकेशन और कोयला तरलीकरण को कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के आबंटन के प्रयोजनार्थ, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अन्त्य-उपयोग के रूप में अधिसूचित किया गया।

ग्यारहवीं योजना

कोयला मांग और उत्पादन

10.161 अनुमान है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक कोयले की मांग 731.10 एमटी पहुंच जाएगी। ग्यारहवीं योजना के दौरान कोयले की मांग में वार्षिक वृद्धि दर 9.7% पूर्वानुमानित है। आवश्यकता का क्षेत्रक-वार ब्यौरा चित्र 10.1 और अनुलग्नक 10.1 में दर्शाया गया है।

10.162 अनुमान है कि ग्यारहवीं योजना के अंत में कोयले का उत्पादन 680 एमटी तक पहुंच जाएगा। अनुमान है कि वृद्धिकारी उत्पादन 247.50 एमटी हो जाएगा जबकि दसवीं योजना में 104.71 एमटी की वृद्धि हुई थी। उम्मीद है कि सीआईएल द्वारा 156.70 एमटी, एससीसीएल द्वारा 3.30 एमटी और कैप्टिव ब्लॉकों द्वारा 86.53 एमटी की वृद्धि होगी। सीआईएल की परिकल्पना, 230 एमटी की अंतिम क्षमता के साथ 114 परियोजनाएं शुरू करने की (2011-12 में 70 एमटी का योगदान



चित्र 10.1 : वर्ष 2011-12 में कोयले के लिए अनुमानित क्षेत्रक-वार मांग

करने हेतु) और एससीसीएल 55.40 एमटी की अंतिम क्षमता के साथ 38 परियोजनाएं शुरू करने की (2011-12 में लगभग 8.0 एमटी का योगदान करने हेतु) है। ग्यारहवीं योजना के दौरान कोयला उत्पादन में संचयी वार्षिक वृद्धि दर 9.47% पर पूर्वानुमानित है। (अनुलग्नक 10.2)

मांग-आपूर्ति प्रबंधन

10.163 कुल मिलाकर 731.10 एमटी की पूर्वानुमानित मांग और 680 एमटी की पूर्वानुमानित देशज उपलब्धता के बीच भौतिक अंतर 2011-12 में 51.10 एमटी बैठता है। इसमें 40.85 एमटी कोकिंग कोयला और 10.25 एमटी थर्मल कोयला सम्मिलित है। इस आवश्यकता को आयातों के जरिए पूरा करना होगा। यदि कैप्टिव ब्लॉकों से उत्पादन परिकल्पना के अनुसार नहीं होता है तो आयातों की मात्रा अधिक होगी।

10.164 इस तथ्य को देखते हुए कि कैप्टिव खानों को पूर्ण उत्पादन तक पहुंचने में 7/8 वर्ष लगेंगे, अन्त्य उपयोग परियोजनाओं में या तो देरी करनी पड़ेगी अथवा कुछ अंतरिम आपूर्ति व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि अंतर्देशीय स्थलों के लिए कोयले का आयात एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है इसलिए कोयला पीएसयू को इन विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की व्यवस्था करनी होगी जिन्हें कैप्टिव खानों आबंटित की गई हैं जब तक कि उनकी कैप्टिव खानों पूरी तरह से उत्पादन आरंभ न करें।

10.165 ग्यारहवीं योजना के दौरान कोकिंग कोयले का उत्पादन 9.1% तक बढ़ने का पूर्वानुमान है, जो 17-18 एमटी में 27.65 एमटी के बीच वर्तमान स्तर पर है जो इस तथ्य के बावजूद है कि कोकिंग कोयले का कोई नया स्रोत नहीं पाया गया है।

लिग्नाइट मांग और उत्पादन

10.166 ग्यारहवीं योजना के दौरान वर्ष 2001-12 के 55.59 एमटी की लिग्नाइट मांग होने का अनुमान है (तमिलनाडु 23.59; गुजरात 23.73 एमटी, राजस्थान 8.27 एमटी)। ग्यारहवीं योजना में अतिरिक्त लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 2225 मेगावाट परिकल्पित है। एनएलसी से 2011-12 में लिग्नाइट की मांग 27.04 एमटी होने का अनुमान है, जिसका अर्थ 6.89% सीएजीआर है। ग्यारहवीं योजना के दौरान एनएलसी द्वारा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन 26077 एमयू तक पहुंच जाने की उम्मीद है जिसका अर्थ 11.91% सीएजीआर है। अनुमान है कि लिग्नाइट उत्पादन 54.96 एमटी तक पहुंच जाएगा (तमिलनाडु 24.23 एमटी; गुजरात 22.26 एमटी, राजस्थान 8.47 एमटी)। उम्मीद है कि एनएलसी इस स्तर की मांग वृद्धि को पूरा करेगा।

केन्द्रीय क्षेत्रक योजना स्कीमें

10.167 दसवीं योजना की दो योजना स्कीमों के तहत अर्थात् क्षेत्रीय/प्रोन्नयन अन्वेषण और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के शुरू किए गए अन्वेषण कार्यकलापों को कोयले और लिग्नाइट में अन्वेषण की गति को बढ़ाने के लिए ग्यारहवीं योजना में आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। झरिया-रानीगंज खानों के संबंध में उनके जल जाने अथवा निष्क्रिय हो जाने के कारण अलाभकारी हो जाने से पहले, शेष कोयले की निकासी करने के लिए, ग्यारहवीं योजना में एक कार्रवाई योजना का प्रस्ताव है। विद्यमान ईएमएससी स्कीम को इस कार्रवाई योजना कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, जारी रखने का प्रस्ताव है। विद्यमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीम को भी ग्यारहवीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय/प्रोन्नयन अन्वेषण

10.168 इस स्कीम के अंतर्गत अन्वेषण कार्यकलाप आयोजित करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा 383.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। लगभग 20 बीटी कोयले और 4.06 बीटी लिग्नाइट स्रोत स्थापित करने के लिए कोयले की 4.00 लाख ड्रिलिंग और लिग्नाइट की 3.5 लाख मीटर ड्रिलिंग का पूर्वानुमान है। इसमें जीएसआई द्वारा क्षेत्रीय अन्वेषण के संबंध में कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, जिसके अंतर्गत कोयले की 1.94 लाख मीटर ड्रिलिंग और लिग्नाइट की 0.10 लाख मीटर ड्रिलिंग की परिकल्पना की गई है।

गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण

10.169 ग्यारहवीं योजना के दौरान "सिद्ध" श्रेणी के अंतर्गत लाने के लिए 10.75 बीटी स्रोतों के लक्ष्य के साथ, गैर-सीआईएल ब्लॉकों में 10 लाख मीटर की ड्रिलिंग आयोजित करने का प्रस्ताव है। अन्वेषण कार्यकलाप का अधिकांश भाग सीएमपीडीआई द्वारा आउटसोर्स किया जाएगा। ग्यारहवीं योजना के दौरान गैर-सीआईएल ब्लॉक स्कीम में विस्तृत अन्वेषण के लिए कुल 893.89 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता का अनुमान है।

पर्यावरणीय उपाय तथा धँसान नियंत्रण

10.170 पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्रों और झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्रों में खनन किए गए पुराने क्षेत्रों में भूमि के धसान और अग्नि का मुद्दा काफी समय से सरकार के विचाराधीन है। राष्ट्रीयकरण से पहले पूर्व मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक खनन कार्यकलापों के कारण अग्नि और धसान की समस्याओं की प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई थी। तथापि, पिछली योजना अवधियों के दौरान स्कीम के वांछित परिणाम नहीं निकले।

10.171 इस स्कीम के अंतर्गत झरिया-रानीगंज कार्रवाई योजना को कार्यान्वयन हेतु ग्यारहवीं योजना के दौरान शुरू किया जाएगा। कार्रवाई योजना के अंतर्गत आग से निपटने, अनियंत्रण योग्य धसान प्रधान क्षेत्रों के पुनरुद्धार और बीसीसीएल तथा ईसीएल के कमान क्षेत्रों के अंदर रेलवे लाइनों/सड़कों के विचलन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए ऊपर प्रस्तुत अस्थाई लागत अनुमानों के अनुसार वार्षिक व्यय 860 करोड़ रुपए होगा। 350 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की राशि की, कोयला संरक्षण तथा विकास अधिनियम (सीसीडीए) के तहत 6.50 रुपए प्रति टन के अतिरिक्त उप-कर द्वारा कर की प्राप्ति के माध्यम से वहन किया जाएगा। यह उप-कर देश में उत्पादित सभी किस्म के कोयले पर पहले से प्रभारित किया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सीआईएल के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से और शेष 310 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बजटीय सहायता के माध्यम से। क्योंकि उप-कर से उपार्जनों को सरकार का राजस्व समझा जाता है इसलिए स्कीम के लिए ग्यारहवीं योजना के दूसरे वर्ष से 660 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बजटीय सहायता की जरूरत होगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

10.172 इस स्कीम के अंतर्गत प्रमुख ध्यान देने योग्य क्षेत्र हैं स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन, कोयला बेनिफिकेशन सहित, स्थानिक कोयला गैसिफिकेशन, कार्बन निष्कर्षण और भंडारण, कोयला बेड मीथेन/कोयला खान मीथेन/परित्यक्त खान मीथेन, कोयला गैसिफिकेशन, कोयले से तेल आदि। उद्योग-उन्मुख परियोजनाओं के लिए अनुसंधान प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। खड़ी और मोटी कोयले की परतों के निष्कर्षण के दौरान बेंच स्लोप स्थिरता, संस्तर नियंत्रण आदि जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा तथा कोयला खान क्षेत्रों में परिवहन अवस्थापना का विकास

10.173 वित्त मंत्रालय के साथ उन्हें योजना-भिन्न स्कीमें समझने का मामला तय हो जाने तक इन स्कीमों के तहत लाइन प्रविष्टियां बनाए रखी गईं। इन स्कीमों को योजना स्कीमें समझने के लिए कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव से योजना आयोग सहमत नहीं हुआ क्योंकि इस स्कीमों के अंतर्गत कार्यकलापों का वित्तपोषण धसान राज्यकर के एक भाग की प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाता है, जो सीसीडीए के अनुसार सांविधिक रूप से आरोपित किया जाता है तथा सरकार के राजकोष खाते में जमा किया जाता है। वित्त मंत्रालय का अब यह विचार है कि इन स्कीमों को बेहतर मानीटरन हेतु योजना स्कीमें समझा जाना चाहिए। क्योंकि इन स्कीमों का वित्तपोषण सीसीडीए के तहत एकत्रित विनिर्धारित धसान उत्पाद शुल्क के माध्यम से किया जाता है इसलिए धन की कोई समस्या नहीं होगी।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में पहल

10.174 परियोजना मानीटरन पद्धति तथा ई-शासन की क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आईसीटी लागू करने के लिए विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं: परियोजना स्तर तक विभिन्न व्यवसाय कार्यों का कंप्यूटरीकरण; कोयला तथा लिग्नाइट स्रोत सूचना पद्धति; स्रोत ह्रास सूचना पद्धति, एकीकृत कोलनेट एप्लीकेशन साफ्टवेयर, जीपीएस आधारित ट्रक प्रेषण पद्धति; मानचित्रण हेतु भौगोलिक सूचना पद्धति (जीआईएस); स्थानिक अवधारणाएं और समय स्थान आपरेशन्स प्रौद्योगिकी, एकीकृत सुरक्षा, भूमिगत खानों में उत्पादन और पर्यावरण मानीटरन और नियंत्रण; केन्द्रीयकृत डाक/संदेश प्रणाली; कर्मचारी कल्याण। इस स्कीम का अनुमानित व्यय ग्यारहवीं योजना में 10 करोड़ रुपए है।

उत्पादकता की बैच मार्किंग

10.175 ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य, योजना के अंतिम वर्ष में सीआईएल में 5.54 टन और एससीसीएल में 2.67 टन प्रति व्यक्ति वाली का उत्पादकता स्तर प्राप्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और उपयों के तुलनीय विभिन्न खनन प्रचालनों/उपस्करों और जन-शक्ति उत्पादकता के संबंध में बैचमार्क स्थापित करके कोयला खनन कंपनियों की प्रचालन कार्यकुशलता में सुधार करने पर बल दिया जाएगा। विभिन्न कोयला कंपनियों में उपलब्धता और उपयोग दोनों दृष्टि से पहले तय किए गए विभिन्न हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) के उत्पादकता मानदंडों पर फिर से गौर किया जाएगा ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तुलनीय हों।

कोयला-दुलाई के लिए कार्यनीतियां

10.176 ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) में, सीआईएल से 348 एमटी कच्चा कोयला और उत्पादों को रेलवे नेटवर्क का उपयोग करके, ढोने का प्रस्ताव है, जो 2006-07 में रेल द्वारा ढोए गए कोयले से 50% अधिक है। बारहवीं योजना के अंत तक प्रति दिन 25300 की चार पहिए वाले वैगनों (एफडब्ल्यूडब्ल्यू) की आवश्यकता के विपरीत ग्यारहवीं योजना में 2011-12 तक प्रति दिन 36728 एफडब्ल्यूडब्ल्यू की परिकल्पना की गई है जो वर्तमान स्तर से लगभग 45% अधिक है। स्वतंत्र माल गलियारों के माध्यम से कोयले का परिवहन और, वैगन मात्रा के अनुरूप और विद्युत स्टेशनों आदि पर अनुरूप माल उतारने की सुविधाओं के जरिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। विद्युत स्टेशनों को अनेक किस्मों के वैगनों को हैंडल करने के लिए अपने आप को सज्जित करना होगा।

10.177 बंदरगाह अवस्थापना को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है जिससे कि आयातों में वृद्धि और साथ ही तटीय लदान भी

सुगम हो सके। ग्यारहवीं योजना के अंत में 110 एमटी कोयले की हैंडलिंग की जरूरत होगी जिसमें तटीय लदान शामिल है, जिसका अर्थ है 2011-12 तक लगभग 120-130 एमटी की बंदरगाह क्षमता की आवश्यकता।

10.178 रेल अवस्थापना पर बोझ में कमी करने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों और तटवर्ती संचलन के माध्यम से कोयले के परिवहन की वैकल्पिक विधियों का विकास करना भी महत्वपूर्ण है।

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के संबंध में पहल

10.179 कोयला ज्वलित विद्युत उत्पादन का भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख स्थान बना रहेगा। इसलिए, इसके पर्यावरणीय निष्पादन, थर्मल कार्यकुशलता और उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में सतत रूप से सुधार करते रहना वांछनीय है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में नई उच्च कार्यकुशलता वाली प्रौद्योगिकियों के प्रसार से अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता में कमी आ सकती है। ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रदूषण उपशमन प्रक्रिया भी इस संबंध में विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। थर्मल कार्यकुशलता और पर्यावरणीय निष्पादन सुधारने के लिए अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित हुईं। इस संबंध में विभिन्न पहलों को स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी कहा जाता है, जिनमें दहन-पूर्व प्रक्रियाएं, दहन प्रक्रियाएं और वैकल्पिक उपयोग शामिल हैं, जैसे कि कोयले का गैसिफिकेशन, कोल बेड मीथेन, स्थानिक कोयला गैसिफिकेशन आदि। भिन्न-भिन्न स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं है और उनके अलग-अलग लाभ हैं।

10.180 कोयला बेनिफिकेशन एक प्रमुख स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी है। कोयले के धोने के प्रभाव और इस प्रकार परंपरागत चूर्णित कोयला दहन बायलरों के लिए और अधिक सतत रूप से ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने से उनकी कार्यकुशलता में लगभग 1 प्रतिशत का सुधार हो सकता है।

10.181 ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रियाओं की थर्मल कार्यकुशलता और अंततः पर्यावरणीय निष्पादन सुधारने के लिए, ऊंची राख वाले भारतीय कोयले के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी की जरूरत है। धुले हुए कोयले से कोयला की गुणवत्ता की सततता सुनिश्चित होती है और यूनिट व अनुषंगियों को डिजाइन (इष्टतम कार्यकुशलता) बिंदुओं के आसपास कार्य करने के लिए छूट पूर्वानुमानित क्षमता वृद्धि के लिए उच्च क्षमता वाली इकाइयों (800-1000 मेगावाट के बीच) शुरू करने की जरूरत है। जिनके तहत परंपरागत रूप से उपलब्ध आकार/संख्या सीमित करने के लिए धुले कोयले का उपयोग वांछनीय है।

10.182 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धुले थर्मल कोयले के उपयोग में वृद्धि हुई जो 2002-03 में 17.12 एमटी से 2006-07 तक 55.24 एमटी हो गया। अनुमान है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक प्रतिवर्ष 243 एमटी थर्मल कोयला धोने की जरूरत होगी और तदनुसार लगभग 140 एमटी अतिरिक्त थर्मल कोयले को धोने की क्षमता का सृजन करना होगा। कोयला धोने का सही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोयले की कीमत योजना आयोग के सुझाव पर जी सी वी आधारित पूर्णतः परिवर्तनशील कर दी जाए। ऐसी कीमत पद्धति से, गुणवत्ता सुधारने के लिए कोयले के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए सही प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तथापि, धुलाई क्षमता में वृद्धि करने से कच्चे कोयले की मांग में वृद्धि होगी जब तक कि परिशुद्ध कोयले का उपयोग उत्पादक ढंग से न किया जाए।

10.183 प्रथम 100 मेगावाट आईजीसीसी प्रदर्शन परियोजना को एनटीपीसी और बीएचईएल के संघ द्वारा भारत सरकार की आंशिक सहायता से शुरु किया जाएगा।

10.184 भूमिगत कोयला और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी के तहत ईंधन का उपयोग भिन्न-भिन्न स्वरूप में किया जाता है और यह लाभप्रद हो सकता है यदि दुर्गम संसाधनों के लिए इसका प्रयोग किया जाए। कोल बेड मीथेन निष्कर्षण से ईंधन के एक अतिरिक्त स्रोत का उपयोग करके ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होती है, जो अन्यथा व्यर्थ जाता। कार्बन डाई ऑक्साइड पृथक्करण के साथ सहयोग से सीबीएम से, ग्रीनहाउस गैस कम करते हुए, मीथेन वसूली में वृद्धि होती है। कोयला तरलीकरण के अंतर्गत, गैसिफिकेशन के जरिए कोयले को तेल में बदलना शामिल है, जिसके लिए सर्फेस गैसिफायर की जरूरत है। ओएनजीसी के सहयोग से सीआईएल और एनएलसी, भूमिगत गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी को सफल बनाने के लिए कार्य करेगा।

10.185 कोल बेड मीथेन और कोयले से तरल (सीटीएल) विषय को पेट्रोलिम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के अंतर्गत कवर किया गया है।

खनन प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और कल्याण

10.186 कोयला खानों में सुरक्षा, खान अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा अधिशासित है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) को खान सुरक्षा से संबंधित संविधियों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। कोयला खानों की सुरक्षा संबंधी एक स्थायी समिति है जिसके अध्यक्ष प्रभारी कोयला मंत्री हैं। कार्रवाई हेतु कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं : स्व:विनियमन की अवधारण लागू करना, विधान का विकास, आयोजना तथा प्रौद्योगिकी,

आपातक प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन, मानव संसाधन विकास और आर एंड डी प्रयास, सुरक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्षेत्रों के विनिर्धारण सहित।

कोयला क्षेत्रक में आर एंड डी

10.187 कोयले में आर एंड डी चार प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात् उत्पादन, उत्पादकता और सुरक्षा ; कोयला बेनिफिकेशन; कोयला उपयोग; और पर्यावरण और पारिस्थितिकी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में पहलों के अतिरिक्त, उद्योग-उन्मुख आर एंड डी परियोजनाएं आयोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए जिनमें खड़ी और मोटी कोयला परतों का निष्कर्षण, ओपन कास्ट बेंच स्लोप स्थिरता, संस्तर नियंत्रण आदि सम्मिलित हैं।

निवेश आवश्यकताएं तथा वित्तपोषण पद्धति

10.188 उत्पादन को समर्थन प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित सरकार क्षेत्रक निवेश 35,774 करोड़ है (सीआईएल-17,390 करोड़ रुपए; एससीसीएल- 3,340 करोड़ रुपए; एनएलसी-15,044 करोड़ रुपए (चल रही परियोजनाओं के लिए 17,000 करोड़ रुपए सहित - एनएलसी खान-2993 करोड़ रुपए; एनएलसी पावर-12051 करोड़ रुपए)। ग्यारहवीं योजना के लिए कोयला पीएसयू के लिए प्रस्तावित परिव्यय, दसवीं योजना के 30,556.48 करोड़ रुपए के परिव्यय का लगभग 117% है।

10.189 अनुमानतः 66,926.77 करोड़ रुपए की आईईबीआर उपलब्धता के मुकाबले (सीआईएल-51542.55 करोड़ रुपए; एससीसीएल-3340.30 करोड़ रुपए; एनएलसी-15043.92 करोड़ रुपए), पीएसयू का प्रस्तावित योजना परिव्यय 35,774 करोड़ रुपए है (सतत कीमतों पर)। यद्यपि एससीसीएल और एनएलसी की संसाधन स्थिति मात्र योजना परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तथापि, कोल इंडिया लि० की संसाधन स्थिति में विशाल अधिशेष है तथा सीआईएल को व्यवहार्य विविधीकरण योजनाओं के माध्यम से अधिशेष साधनों के उत्पादक निवेश पर विचार करना चाहिए।

10.190 विभागीय स्कीमों के लिए प्रस्तावित परिव्यय को देशज बजटीय सहायता के माध्यम से समर्थित किया जाना है, 6667.76 करोड़ रुपए के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रस्तावित घटक सहित (सतत कीमतों पर), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : प्रोन्नयन अन्वेषण-383.50 करोड़ रुपए रुपए गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग-893.39 करोड़ रुपए; आर एंड डी-100.00 करोड़ रुपए; कोयला संरक्षण तथा विकास अधिनियम (सीसीडीए) के अंतर्गत स्कीमें-1665.60 करोड़ रुपए (692.95 करोड़ रुपए गोदाम और संरक्षण

कार्यों के लिए तथा 972.65 करोड़ रुपए सड़क और रेल अवस्थापना के लिए); कोयला सांख्यिकी का प्रकाशन-1.2 करोड़ रुपए; और ई-शासन के लिए 10 करोड़ रुपए। ईएमएससी स्कीम के अंतर्गत झरिया-रानीगंज कार्रवाई योजना का वित्तपोषण अंशतः कोल इंडिया लि0 के आईईबीआर के माध्यम से (800 करोड़ रुपए) और शेष 1400 करोड़ रुपए सीसीडीए निधि से और 1200 करोड़ रुपए बजटीय सहायता के माध्यम से वहन किए जाएंगे। तदनुसार, कोयला मंत्रालय के लिए उपरोक्त योजना स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए 5867.76 करोड़ रुपए की देशज बजटीय सहायता की जरूरत होगी। इसमें, सीसीडीए के अंतर्गत बेचे गए सभी किस्म के कोयले पर 10 रुपए प्रति टन की दर से सीसीडीए के तहत एकत्र की जा रही है धसान राज्यकर की अर्जित निधि से प्राप्त होने वाली 3065.72 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

10.191 इस प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयला मंत्रालय के लिए प्रस्तावित कुल योजनागत परिव्यय 42442 करोड़ रुपए है (सतत कीमतों पर) जो दसवीं योजना के 31,591 करोड़ रुपए का 134% है।

नीतिगत सुधार

10.192 ग्यारहवीं योजना के दौरान निम्नलिखित के संबंध में नीतिगत उपायों की जरूरत हैं :

- सीआईएल के प्रचालनों को अधिकतम उत्पादक बनाने के लिए उसका पुनर्गठन।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय विभिन्न प्रचालनों/उपस्करों के संबंध में बैंचमार्क स्थापित करके क्षेत्रक की उत्पादकता में सुधार।
- ई-नीलामियों के जरिए कोयला उत्पादन के कम से कम 20% की बिक्री सुनिश्चित करना जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए खुली हो।
- दीर्घावधिक आपूर्ति संविदाओं के अंतर्गत अतिरिक्त थर्मल कोयला आयातों को प्रोत्साहित करना। ऐसे कोयला आयातों से तटवर्ती विद्युत संयंत्रों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं।
- कोकिंग-नॉन कोयले की ग्रेडिंग और कीमत पद्धति को विद्यमान उपयोगी ऊष्मा मूल्य (यूएचवी) से सकल केलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) के आधार पर कोयले की कीमत पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा में बदलाव।
- कोयला संयोजनों को ईंधन, आपूर्ति करारों के साथ प्रतिस्थापित करना।
- स्थानिक कोयला गैसिफिकेशन को प्रोत्साहित करना तथा कोल बड़े मीथेन/कोयला खान मीथेन का दोहन करना।
- कोयला परिवहन के लिए रेल भाड़ा दरों का युक्तिकरण।
- कोयला उद्योग को अवस्थापना दर्जा प्रदान करना। कोयला खानों के लिए आयातित पूंजी वस्तुओं पर ड्यूटियां कम करना।
- कोयला क्षेत्रक के लिए स्वतंत्र विनियामक पद्धति प्रारंभ करना।
- संविदा श्रम (विनियमन और समाप्ति) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों में संशोधन करना जो खनन कार्यकलापों में संविदा श्रमिकों की नियुक्ति को निषिद्ध करता है। इससे प्रचालन की सुधरी अर्थव्यवस्था के लिए कोयला खनन में कतिपय कार्यकलापों को समाप्त करने में सुविधा मिलेगी।
- पातालीय निक्षेपों के निष्कर्षण के लिए भूमिगत खनन प्रचालनों को प्रोत्साहित करना।
- नई खान और कोयला वाशरियां स्थापित करके घरेलू कोकिंग कोयला आपूर्तियों में वृद्धि करना।
- आयात में परिकल्पित वृद्धि को सुकर बनाने के लिए बंदरगाह अवस्थापना को सुदृढ़ करना।
- सीबीएम (कोयला बेड मीथेन) के लिए अन्वेषण तथा गैर एनएलसी लिग्नाइट ब्लॉकों का विस्तृत अन्वेषण, विद्यमान योजना स्कीमों में शामिल किया जाना चाहिए।
- कोयला और लिग्नाइट संसाधन (ह्रास को कम करके) के संबंध में डाटाबेस के अनुक्षण के लिए संस्थागत ढांचा, आवश्यक है जिसे सभी कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों (चाहे सरकार द्वारा अथवा निजी क्षेत्रक द्वारा धारित हो) के संबंध में भूगर्भीय डाटा की सुलभता होगी।
- अन्वेषण में संसाधन अपव्यय बचाने के लिए अन्वेषण हेतु "हां" और "नहीं" के रूप में वन क्षेत्रों का विनिर्धारण, जिन्हें कभी खोदा नहीं जा सकता।
- कोयला/लिग्नाइट अन्वेषण में विख्यात देशज और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को शामिल करना।
- भंडार समाप्त हो जाने के बाद खानों को बंद करने से सम्बद्ध मुद्दों का समाधान करने के लिए टोस प्रयास किए जाने की जरूरत है।
- कोयला खनकों और कोयला खनन क्षेत्र के आसपास रहने वाले व्यक्तियों की पेशवर सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए पद्धति विकसित करने की जरूरत।
- कोयला क्षेत्रों में और उनके ईद-गिर्द रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा पर्यावरणीय संधारणीय खनन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त कंपनी सामाजिक दायित्व विकसित करने की जरूरत।

- कोयला/लिग्नाइट खानों में प्रचालन और सांविधिक प्रयोजनार्थ आवश्यक खनन इंजीनियरों व अन्य व्यवसायिकों की भर्ती और दक्षता उन्नयन की जरूरत पर बल दिए जाने की जरूरत। संबंधित कोयला उत्पादक कंपनियों के आंतरिक सुरक्षा संगठन को मजबूत करना और स्वतंत्र ऑडिटर्स द्वारा खानों में सुरक्षा ऑडिट लागू करना आवश्यक है। अवस्थापना को, बचाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया पद्धतियों के लिए मानव संसाधन संहिता, मजबूत बनाने की जरूरत है।
- कोयला खनन को, कैप्टिव उपयोग के प्रतिबंध के बगैर, निजी एजेंसियों को खोला जाना चाहिए, जिसके लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 2000 का पारित किया जाना आवश्यक है।
- एमएमआरडी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके कोयला ब्लॉकों के आबंटन में प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया लागू करना। इससे न केवल बहुमूल्य संसाधनों को इष्टतम आबंटन सुनिश्चित होगा बल्कि कोयला क्षेत्रक में और अधिक गंभीर निवेशक आकर्षित हो सकेंगे।
- एक संधारणीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति की जरूरत जो सभी संबंधितों, अर्थात् राज्य सरकारों, पीएपी (परियोजना प्रभावित लोगों) और कोयला व लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों को स्वीकार्य हो।
- पीएपी का विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोयला/लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों को क्षेत्र में खनन कार्य समाप्त हो जाने पर, समुचित उपयोग हेतु बहाल की गई। पुनरुद्धारित भूमि को पीएपी को वापस कर दिया जाना चाहिए।
- मूल्य श्रृंखला में सभी महत्वपूर्ण प्रचालनों में अन्वेषण से लेकर उपयोग करने तक, ऊर्जा बचत तथा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मानक स्थापित करना तथा प्राप्त हुई ऊर्जा बचतों तथा ऐसे कार्यक्रमों की कारगरता के स्वतंत्र मानीटरन व सत्यापन हेतु पद्धतियां विकसित करना।

ऊर्जा बचत और मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम

10.193 ऊर्जा संरक्षण एक बहु-आयामीय दृष्टिकोण है, जिसमें आपूर्ति पक्ष, मांग पक्ष और पारेषण तथा वितरण प्रणाली भी सम्मिलित है। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम की सफलता भिन्न-भिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न ईंधनों और बिजली की कीमत पद्धति, ऊर्जा संरक्षण की जरूरत को समझने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्था व अन्य पहलुओं पर निर्भर है जिनमें ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना सम्मिलित है। इस तथ्य को देखते हुए कि ऊर्जा संरक्षण में पर्याप्त रूप से निवेश करना मित्तव्ययी

और बुद्धिमानी है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में निवेश के साथ उत्पादन हेतु समकक्ष नई क्षमता के सृजन से बचा जा सके, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को आवश्यक महत्व प्रदान करना उपयोग है।

10.194 भारत में, विद्युत कमियों को काफी सीमा तक दूर करने में डीएसएम उपायों की एक अहम भूमिका है। बिजली की मांग 24 घंटे के चक्र के अंदर और साथ ही मौसमों के बीच भी घटती-बढ़ती रहती है। उत्पादन क्षमताओं की योजना तैयार करने में इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता बहुत कम है ऊर्जा के लिए जरूरत-आधारित मांग असीमित हो सकती है। किन्तु, आपूर्ति पक्ष, निवेश-योग्य संसाधनों की अपर्याप्तता और क्रय शक्ति के अभाव में मांग पक्ष द्वारा सीमित है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध कराने की क्षमता सदा ही बढ़ती मांग से पीछे रहने की संभावना है जब तक कि ऊर्जा की खपत में भी बचत न की जाए।

10.195 विद्युत उत्पादन और आपूर्ति में बुनियादी समस्या ग्रिड की बारंबारता के अनुरक्षण और लोड के विद्युत कारक को निर्धारित स्तरों पर बनाए रखने की है। न्यून बारंबारता स्थितियों की वजह से परस्पर जुड़े ग्रिड में अस्थिरता आती है और इस प्रकार बार-बार ट्रिपिंग होती है। कभी-कभी इससे अत्यधिक ट्रिपिंग होती है जिसकी वजह से पूर्ण अंधेरा हो जाता है। यह अनिवार्य है कि प्रभावी ग्रिड प्रबंधन और साथ ही थर्मल/न्यूक्लीयर उत्पादन संयंत्रों के उपयोगी जीवन को अधिकतम बनाने के लिए भी, बारंबारता को 49.8-50.2 हर्ट्ज के बीच बनाए रखा जाए। इस समय, स्थिति का प्रबंधन विभिन्न फीडरों को बंद करके आपातिक हाथ से लोड शेडिंग करके किया जाता है। तथापि, ये केवल अस्थाई उपाय हैं जिन्हें, लोड कर्वों की बुनियादी पद्धति को प्रभावित करने के लिए कोई कार्यनीति अपनाने का प्रयास किए बगैर, समय-समय पर उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए अपनाया जाता है।

डीएसएम को कार्यान्वित करने में बाधाएं

10.196 भारत में ऊर्जा अकार्यकुशलता का एक बुनियादी कारण ऊर्जा कीमत पद्धति है। बिजली की दरें, जिन्हें खपत के एक बड़े ब्लॉक के लिए जानबूझ कर कम रखा जाता है, उपभोक्ताओं को अपनी खपत पद्धति में बदलाव करने के लिए सही संकेत प्रदान हीं करती। एक विशिष्ट मामला निम्न कृषि टैरिफों से संबंधित है (अधिकांश राज्यों में सब्सिडियां 80-90% तक ऊंची हैं) जिसकी वजह से बिजली और भू-जल दोनों का ही अत्यंत दुरुपयोग हुआ है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निम्न टैरिफों से भी ऊर्जा के सुचारु उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिए कीमत पद्धति तथा राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी)

के सुचारु प्रचालन और प्रबंधन के मुद्दे की जांच करने की तत्काल जरूरत है। अन्य नूतन कीमत पद्धति विकल्पों को, जो अनेक विकासशील और विकसित देशों में बिजली मांग का प्रबंधन करने में सफल रहे हैं, जैसे कि समयानुसार टैरिफ, बाधापूर्ण टैरिफ और मौसमी टैरिफ, यूटिलिटियों द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर शुरू किया जाना चाहिए।

10.197 डीएसएम कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में अन्य महत्वपूर्ण बाधा जानकारी का अभाव होना है। भारतीय उपभोक्ताओं को ऊर्जा कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए उपलब्ध अवसरों की पूरी जानकारी नहीं है।

ग्यारहवीं योजना में ऊर्जा कार्यकुशलता कार्यक्रम

10.198 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल संगठन के रूप में ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) को सुदृढ़ किया जाएगा तथा राज्यों में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को दिशा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। देश में ऊर्जा उपयोग डाटा का समन्वय करने और ऊर्जा खपत प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और ऊर्जा संरक्षण का मानीटरन करने के लिए "बीईई" के अंदर एक "ऊर्जा संरक्षण सूचना केन्द्र" (ईसीआईसी) की स्थापना की जाएगी। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य मनोनीत एजेंसियों (एसडीए) में समर्थनकारी संगठनात्मक ढांचे को भी सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए, समनुपातिक केन्द्रीय सरकार की सहायता से, जो संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किए गए योगदान तक सीमित होगी, राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि कायम करने का प्रस्ताव है जैसा कि ईसी अधिनियम के अंतर्गत एक अनिवार्यता है। ग्यारहवीं योजना में "बीईई" निम्नलिखित लक्षित क्षेत्रकों में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों पर बल देगा :

लक्षित क्षेत्रक

औद्योगिक क्षेत्रक (ऊर्जा गहन उद्योग)

10.199 "बीईई", निम्नलिखित क्षेत्रकों के लिए 15 उद्योग विशिष्ट ऊर्जा कार्यकुशलता मैनुअल/गाइड तैयार करेगा : एल्युमिनियम, उर्वरक, लौहा और इस्पात, सीमेंट, लुगदी और कागज, क्लोर अलकली, शर्करा, कपड़ा, रसायन, रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट, परिवहन क्षेत्रक (उद्योग और सेवाएं), पेट्रो-रसायन और पेट्रोलियम रिफाइनरियां, ताप विद्युत स्टेशन और जल विद्युत स्टेशन, बिजली पारेषण कंपनियां तथा वितरण कंपनियां। मैनुअलों के अंतर्गत विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंड सम्मिलित होंगे जैसाकि ईसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया जाना आवश्यक है, ऊर्जा बचत प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकियां, सर्वोत्तम प्रथाएं, मामला

अध्ययन आदि। एसडीए द्वारा राज्यों में अनुवर्ती कार्यकलाप किए जाएंगे तथा मैनुअलों का उद्योगों में सभी संबंधित इकायों के बीच प्रसार किया जाएगा।

लघु और मझौले उद्योग (एसएमई)

10.200 एसडीए, बीईई के परामर्श से देश में 25 एसएमई संकुलों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4-5 प्राथमिकता संकुलों सहित, नैदानिक अध्ययन शुरू करेगा और एसएमई में ऊर्जा संरक्षण में वृद्धि करने के लिए संकुल विशिष्ट ऊर्जा कार्यकुशलता मैनुअल/पुस्तिकाएं तथा अन्य दस्तावेज विकसित करेगी।

वाणिज्यिक इमारतें और संस्थापनाएं

10.201 बीईई, विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंडों, ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों सर्वोत्तम प्रथाओं आदि को कवर करते हुए इमारत विशिष्ट ऊर्जा बचत मैनुअल तैयार करेगा। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, एसडीए प्रत्येक राज्य में 10 सरकारी इमारतों और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर 1-2 इमारतों में ऊर्जा ऑडिट और उनका कार्यान्वयन प्रारंभ करेगी। बीईई, राज्यों में ऊर्जा संरक्षण इमारत कोडों (ईसीबीसी) की स्थापना और उद्घोषणा में भी-एसडीए की सहायता करेगा तथा ईसीबीसी अपनाने में एसडीए को सुविधा प्रदान करेगा।

रिहायशी/घरेलू क्षेत्रक

10.202 बीईई, अपने चल रहे ऊर्जा लेबलिंग कार्यक्रम का संवर्धन करेगा ताकि 10 अन्य उपकरणों-एयर कंडीशनरों, छत के पंखों, कृषि पम्प सेटों, विद्युत मोटरों (सामान्य प्रयोजन), सीएफएल, एफटीएल-61 से.मी., टेलीविजन सेटों, माइक्रोवेव ओवनों, सेट टाप बाक्सों, डीवीडी प्लेयरों और डेस्कटॉप मानीटरों को शामिल किया जा सके। इसे सुकर बनाने के वास्ते, राष्ट्रभर में उपभोक्ता जागरूकता में भी वृद्धि की जाएगी।

सड़क रोशनी तथा म्युनिसिपल जल पंपिंग

10.203 विभिन्न राज्यों में म्युनिसिपल क्षेत्रों में ऊर्जा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए एसडीए राज्य यूटिलिटियों के सहयोग से, राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के वास्ते, चुनिंदा म्युनिसिपल वाटर पंपिंग पद्धतियों और सड़क रोशनी में प्रायोगिक ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं शुरू करेंगी।

कृषि क्षेत्रक

10.204 ग्यारहवीं योजना में, एसडीए, कुछ राज्यों में कार्यान्वित की गई सफल परियोजनाओं के संबंध में जानकारी का प्रसार करेगी, मुद्रण और इलेक्ट्रानिक मीडिया में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता अभियान प्रारंभ करेगी और यूटिलिटियों के साथ मिलकर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का विकास आरंभ करेगी।

परिवहन क्षेत्रक

10.205 एसडीए, संबंधित संस्थानों/एजेंसियों की सहायता से, क्षेत्रक में ऊर्जा संरक्षण और खपत की स्थिति तय करने के लिए नैदानिक अध्ययन आयोजित करेगी। बीईईई, कुछ आटोमोबाइल तथा परिवहन श्रेणियों के लिए (सेवाएं/सार्वजनिक परिवहन) विशिष्ट ईंधन खपत के लिए लेबलिंग और/अथवा मानदंड भी कामय करेगा। बीईईई, एसडीए के सहयोग से जागरूकता निर्माण के लिए अनुस्थापन कार्यशालाओं, डीएसएम कार्यक्रमों की संकल्पना और कार्यान्वित करने के लिए यूटिलिटियों में डीएसएम प्रकोष्ठ कायम कराने, टैरिफ संरचनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए सहायक लोड अनुसंधान और अध्ययन और डीएसएम कार्यक्रमों की विशेष रूप से रिहायशी, कृषि पंपिंग व म्युनिसिपल वाटर वर्क्स तथा सड़क रोशनी क्षेत्रकों में शुरू करने पर बल देकर, डीएसएम विकल्प चुनने के लिए राज्य यूटिलिटियों को सुविधा प्रदान करेगा।

10.206 विधायी संशोधनों, नीतिगत उपायों के संबंध में राजकोषीय व गैर-राजकोषीय उपायों सहित, नीति अनुसंधान ग्यारहवीं योजना के दौरान आयोजित करने की योजना है।

ग्यारहवीं योजना के अंत तक ऊर्जा

बचतों का प्रस्तावित लक्ष्य

10.207 ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ में प्रत्याशित ऊर्जा खपत स्तर के 5% का लक्ष्य ऊर्जा बचत के रूप में ग्यारहवीं योजना के अंत तक प्राप्त करने के लिए निश्चित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्तीय प्रावधान विद्युत क्षेत्रक के परिव्यय में किया गया है।

संरक्षण तथा कार्यकुशलता सुधार

मांग पक्ष प्रबंधन

10.208 सड़क परिवहन, भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत के लगभग 1/3 की खपत करता है। सामान और यात्री टैफिक को सड़क से रेल में स्थानांतरित करके, सड़क अवरुधना में सुधार करके, टैफिक सिग्नलों को चुस्त बनाकर, परिवहन वाहनों में ईंधन बचत स्तरों को अनिवार्य बनाकर और संकर नस्ल का विद्युत वाहन विकसित करके, इस खपत में कमी करने की जरूरत है।

पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण

10.209 प्रमुख रूप से निम्नलिखितों पर बल दिया जाएगा : पेट्रोलियम उत्पादों का सुचारु उपयोग, ऊर्जा स्रोतों के अपशिष्ट को कम से कम करना, कार्यकुशल उपकरणों का विकास और उनका वाणिज्यिकरण, लोगों को संरक्षण तकनकों और प्रथाओं के बारे में शिक्षित और प्रेरित करना। संरक्षण क्षमता की मात्रा तय करने के लिए एक पद्धति दृष्टिकोण स्थापित करने की जरूरत है।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्रक की बैंचमार्किंग

10.210 हाइड्रोकार्बन क्षेत्रक को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए तेल तथा गैस उद्योग को विश्व में सर्वोत्तम के मुकाबले अपने कामकाज का बैंचमार्क करने की जरूरत है तथा कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना चाहिए।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक

मुद्दे तथा चुनौतियां

10.211 जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में तथा देशज आपूर्ति विकल्पों का अधिकतम विकास करने की जरूरत तथा साथ ही ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण की भी जरूरत को देखते हुए, नवीकरणीय भारत के ऊर्जा क्षेत्रक के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा आजादी प्राप्त करने और साथ ही दीर्घावधि में एक ग्रीनहाउस गैस मुक्त ऊर्जा पद्धति के लिए सौर शक्ति महत्वपूर्ण हो सकती है। तथापि, जोरदार प्रयास और प्राथमिक ऊर्जा में उनके योगदान में 40 गुणा वृद्धि के साथ, वर्तमान प्रौद्योगिकी के आधार पर, नवीकरणीय का योगदान, जल विद्युत को छोड़कर, 2031-32 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण का केवल 5 से 6% हो सकता है। यद्यपि ये आंकड़े कम प्रतीत होते हैं तथापि, नवीकरणीय की विभाजित प्रकृति से बहुत से समाजार्थिक लाभ हो सकते हैं।

10.212 यद्यपि उपरोक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए विगत में अनेक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तथापि, इन कार्यक्रमों का प्रभाव बहुत कम रहा। आधार स्तर पर संस्थागत समर्थन का अभाव, प्रशिक्षण और अनुसंधान पहलुओं पर अपर्याप्त बल, ग्रामीण समुदाय के बीच जागरूकता की कमी, लागत कटौती में सब्सिडियों का एक अवरोध के रूप में कार्य करना आदि कार्यक्रम में बाधक पाए गए जिनकी वजह से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। सब्सिडियों का वास्तविक लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा बल्कि इसने नवीकरणीय ऊर्जा यंत्रों और जुगतों की लागत कटौती और कार्यकुशलता सुधार के प्रयासों में केवल अवरोधों का काम किया।

10.213 एक नवीकरणीय स्रोत पर्यावरण अनुकूल हो सकता है। यह स्थानीय रूप से उपलब्ध हो सकता है जिसके कारण ऊर्जा की आपूर्ति एक केन्द्रीयकृत पद्धति की अपेक्षा जल्द हो सकती है। ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय उर्जा स्रोत से आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है तथा ग्रिड के छोरों पर ऊर्जा उत्पन्न करके इससे सिस्टम लाभ हैं, जहां अन्यथा आपूर्ति शिथिल हो सकती थी। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा से गरीबों को रोजगार और आजीविका प्राप्त होती है। इसलिए, नवीकरणीय के लिए सब्सिडियां तर्कसंगत हो सकती हैं किन्तु उन्हें परिणामों के साथ जोड़ा जाना चाहिए तथा उन्हें एक सुनिश्चित अवधि के लिए दिया जाना चाहिए।

10.214 भारत के अधिकांश लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि गोबर, कृषि अवशिष्ट और जलाऊ लकड़ी। इन ईंधनों से अंदरूनी प्रदूषण होता है। 1999-2000 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 55वें चक्र से पता चला कि 86% ग्रामीण परिवारों के लिए खाना पकाने के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जलाऊ और चिप्स अथवा उपले था। शहरी क्षेत्रों में भी 20% से अधिक परिवार मुख्यतः जलाऊ लकड़ी और चिप्स लकड़ी पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 5% परिवार और शहरी क्षेत्रों में 44% परिवार एलपीजी का उपयोग करते हैं। खाना पकाने के लिए केरोसिन का 22% शहरी परिवार प्रयोग करते हैं तथा केवल 27% ग्रामीण परिवार इसका प्रयोग करते हैं। शहरी और ग्रामीण परिवारों द्वारा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा के अन्य प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत कोक और चारकोल, बायोगैस, बिजली व अन्य ईंधन सम्मिलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संघारणीय और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति किए जाने की जरूरत है। इस संदर्भ में खाना पकाने, रोशनी और पानी गर्म करने की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, जैसे कि बायोगैस, सुधरे चूल्हे, सौर ऊर्जा और बायोमास आधारित सिस्टम की भूमिका महत्वपूर्ण है।

10.215 बुनियादी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक ईंधनों की कुल मात्रा पर्याप्त है। तालिका 10.26 में पारिवारिक ऊर्जा उपयोग के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। बायो-मास आधारित ईंधनों का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभुत्व है।

10.216 खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों के प्रयोग और अनुषंगी प्रदूषण और उन्हें एकत्र करने की लागत, लोगों पर,

विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों पर बहुत बोझ डालती है। ईंधन इकट्ठा करने की जरूरत की वजह से वे स्कूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह सकती हैं। काफी समय तक ऐसे ईंधनों के उपयोग से नेत्र संक्रमणों और श्वसन रोगों का खतरा है। स्वच्छ और सुविधाजनक ऊर्जा की सुलभता का अभाव महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य पर अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता है क्योंकि वे ज्यादा समय तक घर के अंदर रहती हैं और खाना पकाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होती हैं। महिलाओं के लघु उद्योग (परिवार की आय में और महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण में भी एक महत्वपूर्ण कारक), ताप गहन (खाद्य प्रसंस्करण), श्रम गहन और/अथवा रोशनी प्रधान (शाम के समय कार्य करने वाले गृह उद्योग) हैं। पर्याप्त ऊर्जा आपूर्तियों - तथा अन्य समन्वित सहायता का अभाव, इन लघु उद्योगों को लाभप्रद और सुरक्षापूर्वक चलाने में महिलाओं की योग्यता को प्रभावित करता है। इसके अलावा, महिलाओं को उपलब्ध अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने और सुधरी ऊर्जा सेवाएं प्राप्त करने में प्रायः अतिरिक्त अवरोधों का सामना करना पड़ता है। ये उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण और मिल्कियत से सम्बद्ध सामाजिक और व्यवहारिक अवरोध हैं, महिलाओं की निर्णय नर्माण में विशिष्ट रूप से अलग रखा जाता है। किनारे कर दिया जाता है तथा उन्हें निरक्षरता, सूचना और प्रशिक्षण प्राप्त करने का अभावों जैसे अवरोधों का सामना करना पड़ता है। अनुमान है कि ग्रामीण उत्तरी भारत में 30 बिलियन घंटे प्रत्येक वर्ष जलाऊ लकड़ी व अन्य पारंपरिक ईंधन एकत्र करने में खर्च होते हैं। पारंपरिक बायोमास आधारित ईंधनों, ईंधन एकत्र करने के लिए समय, बीमारी में लगे समय और औषधियों की लागत का आर्थिक बोझ अनुमानतः लगभग 300 बिलियन रुपए है। समाज कल्याण के अनुकूल एक उर्जा नीति द्वारा इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

तालिका 10.26
भारत में घरेलू ऊर्जा खपत (जुलाई, 1999-जून, 2000)

ईंधन की किस्म	भौतिक यूनिट			एमटीओई		
	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़
जलाऊ की लकड़ी और चिप्स (एमटी)	158.87	18.08	176.95	71.49	8.13	79.62
बिजली (बीकेडब्ल्यूएच)	40.76	57.26	98.02	3.51	4.92	8.43
उपले (एमटी)	132.95	8.03	140.98	27.92	1.69	29.61
केरोसिन (एम लिटर)	7.38	4.51	11.89	6.25	3.82	10.07
कोयला (एमटी)	1.20	1.54	2.74	0.49	0.63	1.12
एलपीजी (एमटी)	1.25	4.43	5.68	1.41	5.00	6.41

स्रोत : एनएसएस 55वें चक्र (जुलाई, 1999-जून, 2000) डाटा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त।

10.217 राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 86 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के लिए खाना पकाने के लिए ऊर्जा का स्रोत जलाऊ लकड़ी और चिप्स अथवा उपले हैं। इन पारंपरिक ईंधनों के उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कार्यकुशलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ईंधनों के अकार्यकुशल ढंग से उपयोग करने के परिणामस्वरूप निम्न थर्मल कार्यकुशलता व उच्च निस्सर उत्पाद उत्पन्न होते हैं। पारंपरिक खाना पकाने की विधियां बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषकों को जन्म देती हैं जैसे कि पूर्ण सर्पेंडिड पार्टिकुलेट्स कार्बन मोनोआक्साइड, फोर्मलडेहाइड आदि। यह ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरंग वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। अंतरंग वायु प्रदूषण से महिलाएं और बच्चे, जो ज्यादा समय तक रसोई में रहते हैं, अस्थमा, श्वसन रोग, क्षय रोग और वक्ष संक्रमण से पीड़ित रहते हैं। पारंपरिक ईंधनों के अधिक समय तक उपयोग से सभी प्रकार के श्वसन रोगों और नेत्र रोगों के जोखिम में वृद्धि होती है। पारंपरिक ईंधन एकत्र करने से औरतों और बच्चों में नीरसता आती है क्योंकि उन्हें ऐसा ईंधन एकत्र करने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजनार्थ खर्च हुआ समय पर्याप्त रूप से अधिक होता है। जिससे वे उस आमदनी से वंचित रह जाते हैं जो उन्हें इस समय के दौरान प्राप्त होती। इसके अलावा, दीर्घावधिक में वनों के कटाव और पर्यावरणीय अपनय भी होता है। पारंपरिक ईंधनों का संग्रह करना एक शून्य निजी लागत वाला काम है किन्तु यह अपार सामाजिक लागत पर होता है। ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की आपूर्ति से ऊपर चर्चित पारंपरिक ईंधनों के उपयोग से जुड़े सामाजिक पहलुओं का समाधान करने में बहुत मदद मिलेगी।

10.218 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मिशन निम्नलिखित है:

- वैकल्पिक ईंधनों (हाइड्रोजन, बायो-ईंधन और सिंथेटिक ईंधन) के विकास और इस्तेमाल के माध्यम से तेल आयातों पर निर्भरता में कमी लाना तथा देशज तेल आपूर्ति व मांग के बीच अंतर को पाटने में योगदान करने में उनका अनुप्रयोग और इस प्रकार ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना;
- फोसिल ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन की पूरकता के लिए नवीकरणीय बिजली को प्रोत्साहित करके स्वच्छ ऊर्जा के हिस्से में वृद्धि करना;
- ऊर्जा उपलब्धता का विस्तार करना और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, तापन, मोटिव शक्ति और ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में कैप्टिव उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुलभता में सुधार करना; और

- सुविधाजनक सुरक्षित और विश्वसनीय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति विकल्प प्रोत्साहित करना जिनकी लागत प्रतिस्पर्द्धात्मक हो।

10.219 एमएनआरई कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित हैं : (i) ग्रिड से जुड़ा और लघु पन, पवन, सौर, बायोमास और औद्योगिक/शहरी अवशिष्टों से एकल आधार विद्युत उत्पादन; (ii) ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, जैसे कि दूरवर्ती गांवों का विद्युतीकरण, बायोमास और खाना पकाने के लिए उन्नत चूल्हे; (iii) रोशनी व वाटर पंपिंग के लिए सौर ऊर्जा अनुप्रयोग जैसे कि थर्मल पावर हीटर्स, सौर फोटोवोल्टिक अनुप्रयोग; और (iv) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)। नई प्रौद्योगिकियों, जैसे कि भू-थर्मल, हाइड्रोजन ऊर्जा, ईंधन सैल, सतही परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन आदि में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम भी एमएनआरई द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए), जो एमएनआरई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक वित्तीय संस्थान है, रियायती दर पर निधियां उपलब्ध कराकर नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता है। दसवीं योजना के अंत तक (31.3.2007), नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन का योगदान 10,406.69 मेगावाट तक पहुंच गया था, जो कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का लगभग 8.1% है। इसमें से पवन ऊर्जा का योगदान 7092 मेगावाट था, इसके बाद लघु जल विद्युत का 1975.60 मेगावाट और बायोमास (सह-उत्पादित सहित) का योगदान 1158.63 मेगावाट था। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अनुमानित मध्यावधि क्षमता और उपलब्धि तालिका 10.27 में दर्शाई गई है।

10.220 ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति पर एक नजर तालिका 10.28 में दी गई है।

10.221 तालिका 10.29 में प्रति मेगावाट विशिष्ट पूंजी लागत और उत्पादित बिजली की प्रति केडब्ल्यूएचआर लागत विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से दर्शाई गई है।

दसवीं योजना की समीक्षा

10.222 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए दसवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय की राशि 7167 करोड़ रुपए थी, जिसमें 4000 करोड़ रुपए सकल बजटीय सहायता के रूप में (जीबीएस) और 3167 करोड़ रुपए आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आईबीबीआर) के रूप में सम्मिलित थे। दसवीं योजना के अंत में संभावित व्यय 4000 करोड़ रुपए है।

10.223 यद्यपि समग्र रूप से लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं तथापि, कुछ कार्यक्रमों में, विशेष रूप से ताप विद्युत के मामले में कुछ कमियां

तालिका 10.27
अनुमानित मध्यावधि (2032) क्षमता और 31.3.2007 को संचयी उपलब्धियां

क्रसं.	स्रोत/सिस्टम	अनुमानित क्षमता	यूनिट	संचयी उपलब्धियां
I. नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत				
क. ग्रिड-इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत				
1.	बायो-विद्युत (कृषि अवशिष्ट और बागान)	16,881 ¹	मेगवाट	524.80
2.	पवन ऊर्जा	45,195 ²	मेगवाट	7092.00
3.	लघु जल विद्युत (25 मेगवाट तक)	15,000	मेगवाट	1975.60
4.	सह-उत्पादन/बगासे	5,000	मेगवाट	615.83
5.	अवशिष्ट से उर्जा	7,000	मेगवाट	43.45
	उप-जोड़ (मेगवाट में)	1,33,000	मेगवाट	10,251.68
ख. सीएचपी/वितरित नवीकरणीय उर्जा				
6.	सौर ऊर्जा	50,000 ³	मेगवाट	2.92
7.	बायो-मास (सह-उत्पादन (बगासे-भिन्न))		मेगवाट	45.80
8.	बायोमास गैसिफायर	-	मेगवाट	86.53 #
9.	अवशिष्ट से ऊर्जा वसूली	-	मेगवाट	19.76 मे.वा.
	उप-जोड़	50,000	मेगवाट	155.01
	जोड़ (क+ख)	1,83,000	मेगवाट	10,406.69
10.	दूरवर्ती ग्राम विद्युतीकरण	-	संख्या	2821/830 (ग्राम/बस्तियां)
II. विकेन्द्रीकृत ऊर्जा पद्धतियां				
11.	परिवार किस्म बायोगैस संयंत्र	120	लाख संख्या	38.90
12.	सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र	20.	मेगवाट/वर्ग कि.मी.	
	(i) सौर सड़क रोशनी पद्धति	-	संख्या	61,321
	(ii) गृह रोशनी पद्धति	-	संख्या	3,13,859
	(iii) सौर लेनदर्न	-	संख्या	5,65,658
	(iv) सौर विद्युत संयंत्र	-	केडब्ल्यूपी	1870.00
13.	सौर ताप विद्युत कार्यक्रम	-		
	(i) सौर जल तापन सिस्टम	140	मिलियन वर्ग मी. कनेक्टर क्षेत्र	1.90
	(ii) सौर कुकर	-	लाख संख्या	6.03
14.	पवन पम्प	-	संख्या	1180
15.	एयरो-जेनरेटर/हाइब्रिड सिस्टम	-	केडब्ल्यू	608.27
16.	सौर फोटोवोल्टिक पम्प	-	संख्या	7068

मे.वा. v=मेगावाट केडब्ल्यू v=किलोवाट केडब्ल्यूपी v= किलोवाट पीक

स्के.मी. v= वर्ग मीटर सीएचपी v= मिश्रित ऊष्मा और विद्युत

प्रगति 15 मार्च, 2007 तक

390 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

¹ यद्यपि क्षमता अधिशेष कृषि अपशिष्ट पर आधारित है, तथापि व्यवहार्यतः बायोमास विद्युत उत्पादन इकाइयां तकनीकी-आर्थिक कारणों की वजह से जलाऊ लकड़ी पसंद करती हैं। लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर परती भूमि से 45000 मेगावाट की क्षमता को, जिससे माना गया है कि 30% और 75% पीएलएफ की सिस्टम कार्यकुशलता के साथ 4000 किलो कैलरी प्रति किलोग्राम वाली 10 एमटी/हेक्टे/वार्षिक काष्ठ बायोमास का उत्पादन होता है, हिसाब में नहीं लिया गया है। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए, अन्यो के साथ-साथ पर्यावरण और वन, कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायत राज को मिलाकर एक बड़ी अंतर-मंत्रालयीय पहल की जरूरत होगी। इसके अलावा, एक बायोमास एटलस तैयार की जा रही है जिससे उम्मीद है कि कृषि अवशिष्टों से राज्य-वार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का और सही ढंग से अंदाजा लगाया जा सकता है।

² क्षमता, 200 डब्ल्यू/एम² से अधिक पवन ऊर्जा घनत्व (डब्ल्यूपीडी) वाले क्षेत्रों पर आधारित है, यह मानते हुए कि संभाव्य क्षेत्रों में @ एक प्रतिशत की दर से भूमि उपलब्ध है तथा @12 हेक्टे./एमडब्ल्यू की दर से पवन फार्मों की आवश्यकता है, जो सभी ग्रिड इंटरएक्टिव पवन उर्जा के लिए तकनीकी रूप से अथवा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकते। परिकल्पित की अपेक्षा अधिक स्तर पर भूमि की उपलब्धता से इस आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। निम्न डब्ल्यूपीडीएस वाले क्षेत्र ग्रिड-इतर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा, इस समय प्रारंभिक सर्वेक्षणों से पर्याप्त ग्रिड-इंटरएक्टिव अपतटीय पवन विद्युत क्षमता का पता नहीं चलता है।

³ सौर ऊर्जा की संभाव्यता भावी घटनाओं पर निर्भर है, जो सौर-प्रौद्योगिकी को ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए लागत-स्पर्धी बना सकती हैं। तथापि, देश में इनसोलेशन 4-7 किलोवाट प्रति वर्ग मी. प्रतिदिन के बीच भिन्न-भिन्न है।

स्रोत : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 10.28 ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में प्रगति

(मेगवाट में)

संसाधन	9वीं योजना के अंत तक	दसवीं योजना अभिवृद्धि	ग्यारहवीं योजना#	ग्यारहवीं योजना के अंत तक
पवन ऊर्जा	1667	5415	10500	17582
लघु जल विद्युत	1438	520	1400	3358
बायो-विद्युत	368	750	2100	3218
सौर ऊर्जा	2	1	50 ⁵	53
जोड़	3475	6686	14050	24211

नोट : # ग्यारहवीं योजना में प्रत्याशित

ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन के लिए सौर प्रौद्योगिकी लागत-स्पर्धी बनाने के लिए भावी घटनाओं पर निर्भर

तालिका 10.29 नवीकरणीय विकल्पों से उत्पादित बिजली की पूंजीगत लागत और विशिष्ट लागत

क्र.सं.	स्रोत	पूंजी लागत (करोड़ रुपए/मेगावाट)	प्रति यूनिट उत्पादन की अनुमानित लागत (रुपए/केडब्ल्यूएच)
1.	लघु/पन-विद्युत*	5.00-6.00	1.50-2.50
2.	पवन ऊर्जा	4.00-5.00	2.00-3.00
3.	बायो-मास ऊर्जा	4.00	2.50-3.50
4.	बगासे सह-उत्पादन	3.5	2.50-3.00
5.	बायो-मास गैसिफायर	1.94	2.50-3.50
6.	सौर फोटोवोल्टिक	26.5	15.00-20.00
7.	अवशिष्ट से ऊर्जा	2.50-10.0	2.50-7.50

नोट : * लघु जल विद्युत के अंतर्गत 25 मेगवाट स्टेशन क्षमता तक शामिल है।

स्रोत: आईईपीआर, 2006

हैं। दसवीं योजना के दौरान 5415 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता का सृजन किया गया जो निर्धारित लक्ष्य की 3.61 गुणा उपलब्धि है। (तालिका 10.30)

तालिका 10.30

ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन

स्रोत	दसवीं योजना	
	लक्ष्य (मेगावाट)	वास्तविक (मेगावाट)
पवन	1500	5415
लघु जल विद्युत	600	520
बायोमास विद्युत और बायोमास गैसिफिकेशन	70050	750
अवशिष्ट से ऊर्जा	80	25
सौर फोटोवोल्टिक	5	1
सौर ताप विद्युत	140	0
जोड़	3075	6711

नोट : एमएनआरई

10.224 विद्युत उत्पादन के कार्यक्रमों के अलावा, ग्रामीण उर्जा से संबंधित अन्य कार्यक्रम, शहरी अनुप्रयोग और आर एंड डी कार्यक्रम दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किए गए हैं। लगभग 5000 दूरवर्ती ग्रामों/बस्तियों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से मुख्यतः सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई गई। ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परियोजनाएं (वीईएसपी) 100 गांवों में कार्यान्वित की जा रही है। लगभग 5 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सौर वाटर हीटर्स के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों के अंतर्गत वाटर हीटिंग सिस्टमों की 12.5 लाख वर्ग मी. कलेक्टर क्षेत्रों में स्थापना की गई है। आर एंड डी कार्यकलाप, विशेष रूप से परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में, हाइड्रोजन ऊर्जा सहित, आयोजित किए गए।

ग्यारहवीं योजना कार्यक्रम

10.225 ग्यारहवीं योजना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के विभिन्न कार्यक्रम, योजना आयोग और एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट (आईईपीआर) में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। प्रस्तावित 5 कार्यक्रम हैं :

- ग्रिड-इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत;
- ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा;
- शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा;
- नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा हेतु अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास; और

- सूचना, प्रसार और विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण, आईआरईडीए के लिए इक्विटी सहायता तथा शेष रहते दायित्व।

10.226 10460 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय (सतत कीमतों पर) के अंतर्गत 3004 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता सम्मिलित है। उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए एमएनआरई द्वारा प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय तालिका 10.31 और 10.32 में दर्शाया गया है।

नीतिगत दृष्टिकोण

10.227 ऐसी पूंजीगत सब्सिडियों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा जो परिणाम सुनिश्चित किए बगैर निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। नवीकरण स्रोतों से ग्रिड सम्बद्ध विद्युत के लिए प्रदत्त प्रोत्साहनों को उत्पादन के साथ जोड़ा जाएगा न कि सृजित विद्युत क्षमताओं के साथ। इस प्रकार, विद्युत विनियामकों से वैकल्पिक प्रोत्साहन पद्धतियां निर्मित करने के लिए कहा जाएगा जैसे कि अनिवार्य फीड-इन-कानून अथवा ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत के लिए विभेदक प्रशुल्क।

10.228 विकल्प के तौर पर, सभी विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक (आरपीएस) अनिवार्य बनाकर और खरीदी गई नवीकरणीय बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिए सब्सिडी प्रदान करके, ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूटिलिटी अन्य यूटिलिटियों से

तालिका 10.31

ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय

	(करोड़ रुपये)
ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत	3,925.00
ग्रिड-इंटरएक्टिव/वितरित	
नवीकरणीय विद्युत	1800.00
ग्रिड-इतर वितरित	
नवीकरणीय विद्युत	2100.00
निष्पादन परीक्षण	25.00
ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा	2,250.00
शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक	
अनुप्रयोगों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा	685.00
अनुसंधान डिजाइन और विकास	1500.00
सूचना, प्रचार और विस्तार को समर्थन प्रदान करने,	
अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एचआरडी और प्रशिक्षण, आईआरईडीए	
के लिए इक्विटी तथा शेष रहते दायित्व	2100.00
योजना परिव्यय	10460.00

स्रोत : नवीन एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा पर कार्य समूह की रिपोर्ट

तालिका 10.32
ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य

कार्यक्रम घटक	ग्यारहवीं योजना के लिए भौतिक लक्ष्य (मेगावाट)
पवन ऊर्जा	10500
लघु जल विद्युत	1400
बायोमास विद्युत	1200
सह-उत्पादन	500
ऊर्जा के लिए शहरी अवशिष्ट	200
ऊर्जा के लिए औद्योगिक अवशिष्ट	200
जोड़	14000
जल विद्युत नवीकरण	
ग्रिड/नाभिकीय विद्युत	
बायो विद्युत	950
सौर विद्युत (ग्रिड/ऑफ ग्रिड)	50
जोड़	1000
कार्यक्रम घटक	ग्यारहवीं योजना के लिए भौतिक लक्ष्य
दूरवर्ती गांव/बस्तियां	
दूरवर्ती ग्राम रोशनी-व्यवस्था	9000 ग्राम/बस्तियां
ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजनाएं	1000 ग्राम
खाना पकाने/पूरक मोटिव विद्युत के लिए एकसमान घटक	10000 ग्राम/बस्तियां
सभी गांवों के लिए	
सौर थर्मल सिस्टम - फ्लेट	15 लाख वर्ग मीटर
प्लेट - कान्सनट्रेटिंग	1 लाख वर्ग मीटर
परिवार किस्म के बायोगैस संयंत्रों	20 लाख संयंत्र
जोड़	
सौर थर्मल सिस्टम/यंत्र	
-वाटर हीटिंग - 1550 रुपए/वर्ग मी.की दर से	9.50 मिलियन वर्ग मीटर
-ड्राइंग-1250 रुपए/वर्गमी. की दर से	0. 25 मिलियन वर्ग मीटर
-अन्य (वाष्प उत्पादन) - 2500 रुपए/वर्गमी. की दर से	0. 25 मिलियन वर्ग मीटर
-किस्त/कार्यक्रम समर्थन - 200 रुपए/वर्गमी. की दर से	10 संख्या
-म्यूनिसिपल कोरपोरेशन्स - प्रोत्साहन	
ऊर्जा बचत इमारतें	50 लाख वर्ग मी. फर्शी क्षेत्र
अक्षय ऊर्जा शॉप	2000 संख्या
आरपीओ वाले नगर	100 संख्या
जोड़	

नोट : आरपीओ क्षेत्रीय परियोजना कार्यालयस्रोत: नवीन एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा पर कार्य समूह की रिपोर्ट

प्रमाण-पत्र खरीदकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आजाद होंगी, जिनके पास उनके पोर्टफोलियो में नवीकरणीय विद्युत अधिशेष हो। अनेक राज्य विद्युत विनियामकों ने, विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा यथाअपेक्षित, आरपीएस का निर्धारण किया है।

10.229 ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए अन्य नवीकरणीय पद्धति के लिए सब्सिडी को समाप्त करने के वास्ते, इसके स्थान पर एक बड़ी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जा सकती है जो सबसे पहले एक लाख अथवा एक मिलियन यूनिट की बिक्री करने (परिवारों को सीधे ही बेचे गए उत्पादन के लिए), अर्थात् सोलर वाटर हीटर, बायोगैस संयंत्र, सौर प्रकाश पद्धतियां आदि। इससे प्रतिस्पर्धा, नूतनता और उपभोक्ता आवश्यकता-उन्मुख विकास प्रोत्साहित होगा।

10.230 उन जैव-ईंधनों को सुलभ बनाने के लिए जिनके संबंध में उत्पादक, प्रोसेसर, वितरण और उपभोक्ता जैसे अनेक एजेंटों द्वारा कर्वाई करने की जरूरत है, एक सु-परिभाषित नीति तैयार की जानी चाहिए। इसके साथ ही नीति श्रृंखला में सम्मिलित सभी एजेंटों के अनुरूप प्रेरक होनी चाहिए। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

10.231 नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्त की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए आईआरडीए का इसकी इक्विटी संरचना को व्यापक आधार प्रदान करके पुनर्गठित किया जाएगा। आईआरडीए के लिए कम लागत वाली निधियों की जरूरत है। इसे, आरईसी और एनएचएआई द्वारा जारी बांडों की तरह, ग्यारहवीं योजना के दौरान 300-400 करोड़ रुपए तक के पूंजी लाभ बांड जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के वित्तपोषण में आईआरडीए की भूमिका में वृद्धि की जाएगी।

ऊर्जा क्षेत्रक में अनुसंधान एवं विकास

10.232 हमारे संसाधनों को बढ़ाने, हमारी दीर्घावधिक जरूरतों को पूरा करने, कार्यकुशलता प्रोत्साहित करने, ऊर्जा आजादी प्राप्त करने और पर्यावरण के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्रक में अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण है। ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास ने देश में ऊर्जा क्षेत्रक के विकास के साथ-साथ प्रगति नहीं की है। ऊर्जा के अनुसंधान एवं विकास के लिए संसाधनों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने और इन संसाधनों को महत्वपूर्ण ढंग से आबंटित करने की जरूरत है।

10.233 एकीकृत ऊर्जा नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में, अनेक संस्थानों में नियमित आधार पर अध्ययनों को समर्थन प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय ऊर्जा निधि (एनईएफ) स्थापित करने की सिफारिश की है। एनईएफ द्वारा अनुभवी और अर्हताप्राप्त व्यक्तियों के माध्यम से अध्ययन आयोजित किए जाने चाहिए। महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं : ऊर्जा नीति के संबंध में अनुसंधान और विश्लेषण जिनके तहत प्रौद्योगिकी का नक्शा तैयार किया जाए; ऊर्जा नीति मार्डलिंग; एक समयबद्ध तरीके से वाणिज्यिक-अनुकूल प्रौद्योगिकियां विकसित करने और नई प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ करना; नूतनता श्रृंखला आदि के सभी चरणों में समन्वित अनुसंधान और विकास। यह भी सिफारिश की गई है कि ऊर्जा के

क्षेत्र में प्रत्येक कंपनी के लिए अनुसंधान एवं विकास पर अपनी बिक्री का कम से कम 0.4% खर्च करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

10.234 इस बात को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा क्षेत्रक के लिए आर एंड डी के लिए एक पृथक कार्य दल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए गठित किया गया था, जिसने राष्ट्रीय ऊर्जा निधि कायम करने का समर्थन किया। परमाणु ऊर्जा आयोग की प्रत्याशित जरूरतों और अलग-अलग ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कुछ आर एंड डी कार्यकलापों के अलावा, कार्यदल ने कुछ क्षेत्र विनिर्धारित किए हैं, जिन्हें ग्यारहवीं योजना में एनईएफ के माध्यम से सहायता प्रदान करने की जरूरत है (तालिका 10.33)। एनईएफ, एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा शासित होनी चाहिए, जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, योजना आयोग और ऊर्जा मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। सरकार, निधि का वित्तपोषण सीधे ही और राजकोषीय प्रोत्साहनों के जरिए करेगी। निधि का उपयोग, अंतर-संस्थागत और अंतर-मंत्रालयीय/अंतर-विभागीय अनुसंधान को समर्थन प्रदान करने और विनिर्धारित ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/मिशन उन्मुख एजेंसियों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए किया जाएगा।

10.235 प्रौद्योगिकी मिशन, सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है, विशेष रूप से जबकि, विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों, उद्योग, शिक्षाविदों, देश की प्रयोगशालाओं के अनुसंधान एवं विकास ढांचे और अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्रक के साथ अनेक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई की जरूरत हो। ग्यारहवीं योजना में निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन आयोजित किए जा सकते हैं। इस सूची में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा शुरु की जाने वाली संभावित पहलें सम्मिलित नहीं हैं।

- स्थानिक कोयला गैसिफिकेशन।
- एकीकृत गैसिफिकेशन मिश्रित चक्र (आईजीसीसी)।
- कार्बन निष्कर्षण और भंडारण।
- बायो-एनर्जी।
- सौर ऊर्जा/प्रौद्योगिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्रिस्टल्स।
- वृद्धित/संवर्धित तेल और गैस दोहन तथा परित्यक्त व अलग-थलग क्षेत्रों से हाइड्रोकार्बनों की निकासी।
- ईंधन-बचत वाले वाहन। वाहन उद्योग से उच्च ईंधन कार्यक्षमता मानक प्राप्त करने के लिए कहा जाए।
- दहन अनुसंधान उपाय।
- नए पदार्थों का विकास और उत्पादन।

तालिका 10.33

ग्यारहवीं योजना में प्रस्तावित आर एंड डी पहलें (करोड़ रुपए)

क्र.सं.	मद	पूर्वानुमानित राशि
1	नई पदार्थों का विकास और उत्पादन	400.00
2	बायो-ईंधनों में अनुसंधान एवं विकास	200.00
3	दहन अनुसंधान पहल	200.00
4	भारतीय रेलवे में ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास	45.00
5	स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन	350.00
6	स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियां	
	(1) प्रथम 100 मेगावाट आईजीसीसी प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना	350.00
	(2) कोयले तथा लिग्नाइट का स्थानिक कोयला गैसिफिकेशन	30.00
	(3) कोयले को तेल में बदलना	200.00
	(4) कोल बेड मिथेन	35.00
	(5) कार्बन निष्कर्षण और भंडारण (जलवायु परिवर्तन मुद्दों सहित)	125.00
7	आधुनिकतम सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकियां	30.00
8	ऊर्जा भंडारण पद्धतियां	400.00
9	भावी ऊर्जा स्रोत	
	(1) गैस हाइड्रेट्स	350.00
	(2) तेल शेल	15.00
10	ऊर्जा बचत	205.00
11	प्रौद्योगिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्रिस्टल्स सिलिकन के एकल क्रिस्टलों के उत्पादन के लिए पालिसिलिकोन के विनिर्माण के लिए सुविधा	1200.00
12	प्रकाश प्रदान करने वाले डायोड (एलईडी)-फ्लुओरोसेंट प्रकाश-व्यवस्था का एक व्यवहार्य विकल्प	1000
13	विद्युत वाहन तथा हाईब्रिड विद्युत वाहन (एचईवी) - व्यवहार्य वैकल्पिक प्रोपलसन सिस्टम्स	175
	कुल जोड़	5310.00

स्रोत :

संलग्नक 10.1
कोयला मांग आपूर्ति - क्षेत्रकवार विवरण

क्षेत्रक	कोयला मांग	आपूर्ति (मिलियन टन)							
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2011-12
I	कोयला								
1	इस्पात और कोकरीज (देशज)	18.73	17.66	16.68	17.51	16.99	17.51	18.00	27.65
2	कोयला कोयले का आयात	11.11	12.95	12.99	16.93	17.11	22.00	20.00	40.85
	उप-जोड़	29.84	30.61	29.67	34.43	34.10	39.51	38.00	68.50
II.	नॉन-कोयला								
3	विद्युत (थर्मल/होमो)	249.23	255.47	268.21	285.55	299.76	307.03	330.00	483.00
	आरसी	(1.86)	(1.71)	(1.44)	(1.48)	(1.48)			
4	विद्युत (कॉन्ट्रिब्यूटिव)	19.22	19.55	18.19	27.10	26.58	24.65	33.60	57.06
	आरसी	(1.36)	(1.53)	(1.74)	(1.71)	(1.71)			
5	सीमेंट (सीपीपी सहित)	15.22	16.37	16.64	18.33	18.71	18.92	26.80	31.90
6	स्पंज आयरन/सीडीआई	4.40	6.17	7.59	10.99	14.73	13.07	15.10	28.96
7	बीआरके/अन्य/निर्यात/एसएसएफ/	33.58	35.19	40.62	32.39	39.64	60.33	49.00	61.58
	एनएलडब्ल्यू कोक/लोको/कोलरी	(0.28)	(0.01)	(0.00)	(0.00)	(0.00)			
	उप-जोड़	321.65	332.74	351.24	374.35	399.41	424.00	454.50	662.50
	आरसी	(3.50)	(3.25)	(3.18)	(3.19)	(3.19)			
	जोड़ कच्चा कोयला	351.49	363.35	380.91	408.79	433.51	463.51	492.50	731.00
	मिडलिंग	(3.50)	(3.25)	(3.18)	(3.19)	(3.19)			

स्रोत : भारतीय कोयला निदेशिका/योजना आयोग

संलग्नक 10.2
कंपनी-वार कोयला उत्पादन कार्यक्रम

कंपनी	दसवीं योजना					ग्याहवीं योजना					(मिलियन टन)	
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005 - 06	2006 - 07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2016-17
ईसीएल	28.55	27.18	28.00	27.25	31.11	30.47	33.41	39.76	43.74	45.08	46.00	48.00
बीसीसीएल	25.25	24.15	22.68	22.31	23.31	24.20	25.20	26.50	27.50	28.50	30.00	35.00
सीसीएल	33.81	36.98	37.33	37.39	40.51	41.35	44.00	47.00	55.00	65.00	78.00	115.00
एनसीएल	42.46	45.10	47.03	49.95	51.52	52.16	58.00	60.50	65.00	68.00	70.00	80.50
डब्ल्यूसीएल	37.01	37.82	39.53	41.41	43.20	43.21	42.40	42.95	43.65	44.50	45.00	45.00
एसईसीएल	64.12	66.60	71.01	78.55	83.02	88.50	91.50	93.65	101.10	106.30	111.00	140.00
एमसीएल	47.81	52.23	60.05	66.08	69.60	80.00	88.00	99.00	111.00	122.00	137.00	197.00
एनईसी	0.64	0.63	0.73	0.63	1.10	1.05	2.00	2.00	2.50	3.00	3.50	3.50
सीआईएल-जोड़	279.65	290.69	306.36	323.58	343.39	360.93	384.51	411.36	449.49	482.38	520.50	664.00
एससीसीएल	30.81	33.16	33.85	35.30	36.14	37.71	38.04	38.30	39.00	40.00	40.80	45.00
अन्य सार्वजनिक												
क्षेत्रक##	2.07	1.54	1.64	1.90	1.81	1.77	1.92	2.02	2.32	2.52	2.52	2.52
निजी - टिस्को	5.64	5.92	6.14	6.37	6.52	7.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
कॉटिव खनन **	4.46	5.51	7.61	10.11	13.59	17.54	23.93	36.22	47.09	73.00	104.08	331.38
मेघालय	5.02	4.41	5.44	5.35	5.57	5.57	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
अखिल भारत	327.64	341.23	361.04	382.62	407.01	430.52	460.50	500.00	550.00	610.00	680.00	1055.00

टिप्पणी : ## - आईआईएससीओ, डीवीसी, जेएसएमडीसीएल और जेकेएमएल सम्मिलित हैं।
 स्रोत : ** - बी-ईएमटीए, जेएसपीएल, हिंडालको, मोनेट, आईसीएमएल, कार्टोन और बीएलए सम्मिलित हैं।

संलग्नक-10.3
तापजनकमान, यूनिट और परिवर्तन कारक/विभिन्न ईंधनों का तापजनक मान

क्र.सं. ईंधन का नाम	यूनिट	कैलोरिक वैल्यू (किलो-कैलोरीज)
1. बायोगैस	एम3	4713
2. केरोसिन	किलोग्राम	10638
3. जलाऊ लकड़ी	किलोग्राम	4500
4. गोबर/उपले	किलोग्राम	2100
5. कोयला	किलोग्राम	4000
6. लिग्नाइट	किलोग्राम	2865
7. चारकोल	किलोग्राम	6930
8. साफ्ट कोक	किलोग्राम	6292
9. तेल	किलोग्राम	10000
10. एलपीजी	किलोग्राम	11300
11. फर्नेस तेल	किलोग्राम	9041
12. कोयला गैस	घनमीटर	4004
13. प्राकृतिक गैस	घनमीटर	9000
14. बिजली	केडब्ल्यूएच	860

परिवर्तन कारक

1 किलो कैलोरी	3.96832 बीटीयू, 4186.8 जूल्स
1 किलोवाट घंटा	3412.14 बीटीयू, 3.6×10^6 जुल्स
1 बीटीयू	0.252 किलो कैल, 1.055 किलो जूल्स
1 अमरीकी गैलन	0.833 इम्पेरियल गैलन, 0.134 क्यूबिक फीट 0.00378 क्यूबिक मीटर
1 इम्पीरियल गैलन	1.2009 अमरीकी गैलन, 0.1605 क्यूबिक फीट 0.0045 क्यूबिक मीटर
1 क्यूबिक मीटर	264.172 यूएस गैलन, 219.969 इम्पेरियल गैलन, 35.3147 क्यूबिक फीट
1 क्यूबिक फुट	7.4805 अमरीकी गैलन, 6.288 इम्पेरियल गैलन, 0.0283 क्यूबिक मीटर
1 बीकेडब्ल्यूएच हाइड्रो अथवा पवन	0.086 एमटीओई*
1 बीके-डब्ल्यूएच नाभिकीय विद्युत	0.261 एमटीओई
1 एमटी कोयला	0.41 एमटीओई
1 एमटी लिग्नाइट	0.2865 एमटीओई
1 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस	0.9 एमटीओई
1 एमटी एलएनजी	1.23 एमटीओई
1 एमटी जलाऊ लकड़ी	0.45 एमटीओई
1 एमटी गोबर/उपले	0.21 एमटीओई

नोट : * एमटीओई परिवर्तन कारक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) प्रथा के अनुसार हैं।

संकेताक्षर

यूनिट	नाम	यूनिट	नाम
बीसीएम	बिलियन क्यूबिक मीटर	एमएमबीटीयू	मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट
बीकेडब्ल्यूएच	बिलियन किलोवाट घंटे	एमएमएसएमडी	मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन
बीटी	बिलियन टन	एमटी	मिलियन टन
बीटीयू	ब्रिटिश थर्मल यूनिट		
जीडब्ल्यू	गीगावाट इललेक्ट्रिकल	एमटीओई	मिलियन टन तेल समकक्षता
जीडब्ल्यूवाईआर ववववाईआर	गिगा वाट वर्ष	एमवीए	मिलियन वोल्ट एम्पीयर्स
केसीएएल	किलो कैलोरी	एमडब्ल्यू	मेगावाट
केडब्ल्यूएच	किलोवाट हाऊसएअ	एमडब्ल्यू	मेगावाट इललेक्ट्रिकल
टीसीएफ	ट्रिलियन क्यूबिक फिट		

शहरी अवसंरचना, आवास, मूलभूत सेवाएं और गरीबी उन्मूलन

सिंहावलोकन

वैश्विक संदर्भ में शहरी परिदृश्य

11.1 शहरीकरण आर्थिक विकास का एक मुख्य संकेतक है और समग्र विकास के लिए इसे एक सकारात्मक घटक के रूप में देखना चाहिए। इसके अलावा जब अर्थव्यवस्था में प्रगति होती है तो इसके कस्बों और शहरों के आकार और आयतनों में भी वृद्धि होती है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। उदाहरण के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र का योगदान वर्ष 1950-51 के 29% से बढ़कर 1980-81 में 47% हो गया। इस समय शहरी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 62%-63% का योगदान करता है और वर्ष 2021 तक यह बढ़कर 75 % तक होने की संभावना है (बाक्स-11.1 देखें)।

बाँक्स 11.1 विजन

अगले दो दशकों में भारतीय शहर आर्थिक प्रगति की धुरी और इसके संवाहक होंगे और 9-10% की सकल घरेलू उत्पाद की महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्ति भारतीय शहरों को आधारभूत रूप से और अधिक सुरक्षित, समस्त साधन सम्पन्न, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी बनाने पर निर्भर करती है।

11.2 हाल के दशकों में भारत में शहरीकरण का रूझान निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं दर्शाता है:-

- विश्व की तुलना में भारत में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है। यहां कुल आबादी का लगभग 27.8% शहरी क्षेत्रों में रहता है। एशिया के कई देशों नामतः चीन (32%), इंडोनेशिया (37%), जापान (78%), दक्षिण कोरिया (83%) और पाकिस्तान (35%) की तुलना में भारत में शहरीकरण कम हुआ है;

- बड़े शहरों में आबादी का सघन होना जारी है एवं वर्तमान शहर और सघन होते जा रहे हैं। (1 लाख से अधिक आबादी वाले प्रथम श्रेणी के शहर में 68.9 % शहरी आबादी रहती है और यह अनुपात बढ़ता जा रहा है। शहरी चारित्रिक विशेषताओं को अपनाने वाले ग्रामीण इलाकों की वृद्धि अत्यंत धीमी है और ग्रामीण रिहाइशों को शहर के रूप में अधिसूचित करने के प्रति राज्यों में उदासीनता व्याप्त है);
- राज्यों और शहरों में शहरीकरण के स्थानिक प्रारूपों में काफी विविधता है; और
- बड़े शहरों में आबादी सघनता की प्रवृत्ति रोजगार के अवसरों के स्थानिक ध्रुवीकरण को परिलक्षित करती है।

11.3 इस प्रवृत्ति ने नागरिक अवसंरचना प्रणालियों, जलापूर्ति, सीवरेज एवं निकास, बिरबरे टोस अपशिष्ट, पार्कों और खुले स्थानों, परिवहन आदि पर अत्यधिक दबाव डाला है। इससे शहरी वातावरण की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है। कई शहरों में ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, निर्धनता, अपर्याप्त आवासीय सुविधाएं, अपराध और सामाजिक अशांति जैसी समस्याएं खतरनाक ढंग से बढ़ रही हैं।

11.4 शहरी समूहों और कस्बों की संख्या वर्ष 1991 के 3768 से बढ़कर 2001 में 5161 हो गई है। इसके अलावा, चुने हुए निकायों को कार्यों का पूरा अंतरण न करना, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी, पालिका की स्वतंत्रता के प्रति उन्नति करने की इच्छा शक्ति न होना, सम्पत्ति करों की पुरानी पड़ चुकी पद्धतियों पर ही चलना, जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की व्यवस्था करने में पैरास्टैटल की असंतोषजनक भूमिका आदि इस शहरीकरण की विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों में जिला योजना समितियों और महानगर योजना समितियों के संबंध में शासकीय अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है।

11.5 शहरी आबादी का फैलाव और विस्तार इस बात पर जोर देता है कि शहरी योजनाकार और प्रबंधक इसके लिए विशेष प्रयास करें ताकि शहरी अवसंरचना पर बढ़ रहे निरंतर दबाव का सामना किया जा सके। शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन और शासन के लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक है, जो इस समय समन्वय की कमी के चलते विभिन्न राज्य स्तरीय एजेंसियों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच विभाजित है।

11.6 नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वे परिणाम प्राप्त करने के नये तरीकों और विभिन्न बेंचमार्क पर ध्यान केंद्रित करें जो कार्यकुशलता, प्रभावकारिता, शासन की गुणवत्ता और व्यवहार्यता, सेवा प्रदायता, अंतर-सरकारी और अंतर पालिका की वित्त व्यवस्था एवं सामाजिक विकास को साथ में लेकर चले। कुछ रणनीतिक मध्यस्थाएं बाक्स 11.2 में संक्षिप्त रूप में दी गई हैं।

राष्ट्रीय शहरीकरण नीति

11.7 यह उचित समय है कि एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय शहरीकरण नीति का निर्माण किया जाए जिसमें शहरीकरण के उभरते हुए पैटर्न और एक समान एवं व्यवहार्य रूप में भविष्य के शहरी विकास को चैनलाइज करने के उपायों को दर्शाया गया हो। इसमें बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य, जेएनएनयूआरएम का सुधारवादी मसौदा और इन सबके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से होने वाले विकास के साथ वैश्वीकरण के इस युग में शहरी केन्द्रों की भूमिका का समावेश होना चाहिए। स्थानिक असमानताओं को कम करके संतुलित और व्यवहार्य विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है।

क्षेत्रीय विकास योजनाएं

11.8 व्यापक नीति एवं विजन दस्तावेजों के रूप में राज्य स्तर पर क्षेत्रीय विकास योजनाओं को बनाना आवश्यक है ताकि एकीकृत रूप में शहरी और ग्रामीण प्रगति केन्द्रों का विकास किया जा सके।

सुविधाप्रदाता के रूप में सरकार की भूमिका

11.9 भारत सरकार को एक सुविधाप्रदाता की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, जैसा कि जेएनएनयूआरएम और संपत्ति कर सुधारों, नगर पालिका लेखा सुधारों, प्रतिदर्श पालिका कानूनों, निजी क्षेत्र की भागीदारी आदि पर दिशा-निर्देश जैसे अन्य सुधारवादी प्रयासों के जरिए किया जा रहा है। इसे शहरी क्षेत्र में नियामकों हेतु एक नीतिगत ढांचे का भी विकास करना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को सुविधा देने के लिए राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर स्व-शासन के एक प्रभावी एकक के रूप में कार्य करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को एक उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान किया जा सके। शहरी गरीबी उन्मूलन, स्लम उन्नयन और शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाएं आदि जैसे कार्य सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में बने रहेंगे। इन कार्यों की प्रवृत्ति पुनः वितरण संबंधी है और इन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों के नियंत्रण पर पुनः वितरित किए जाने वाले करों के जरिए ही भली प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार केन्द्र-राज्य-शहरी स्थानीय निकायों की सहभागिता ही शहरी निर्धनता के ज्वलंत मुद्दे का निपटान करने का एक प्रभावकारी तरीका है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

11.10 जलापूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सकी है। 11वीं योजना में इसके लिए पर्याप्त आवश्यकता और क्षमता मौजूद है। तथापि, सम्पूर्ण लागत की वसूली का लक्ष्य रखे बिना निजी क्षेत्र की भागीदारी एक सफल व्यवस्था नहीं बन सकती है।

बाधाएं

11.11 भारतीय शहरों में बदलाव लाने में कई प्रकार की ढांचागत बाधाएं हैं। इनमें सर्वप्रमुख प्रचलित शहरी विकास का मॉडल है जो शहरों के वित्त पोषण को अत्यंत कम कर देता है। इसके अलावा कमजोर या पुरानी पड़ चुकी शहर प्रबंधन विधियां - अनुपयुक्त योजना प्रणालियां, अव्यवहार्य सेवा प्रदाय प्रणालियां

बाक्स 11.2 शहरी विकास की रणनीति

- क्षमता निर्माण और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिए शहरी स्थानीय सरकारों का सुदृढ़ीकरण;
- भूमि के विनियमन और विकास के जरिए शहरों की कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करना;
- शहरी अवसंरचना पर सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त करना और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए वातावरण तैयार करना;
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कार्य प्रणाली के पर्यवेक्षण हेतु स्वतंत्र नियामक ढांचों की स्थापना करना;
- निर्धनता की घटनाओं की कमी; और
- बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का प्रयोग करना।

और शहरी गरीबों पर ध्यान न देना, भारतीय शहरों में सामूहिक अर्थव्यवस्था के लाभों को नकार देता है। इससे भूमि एवं आवासीय बाजारों में विकृति उत्पन्न होती है, शहरों की ऋण साख नकारात्मक होती है और उनमें खराब रूप से व्यवहृत परंतु मंहगी शहरी सेवाएं ही चलती रहती हैं।

11.12 मौजूदा शहरी प्रबंधन तकनीकें भी पुरानी पड़ चुकी हैं। भारत में प्रचलित मौजूदा मास्टर प्लान की विचारधारा अन्य स्थानों पर ज्यादा उपयोग में नहीं लायी जाती है। इसके अलावा तीव्र गति से बढ़ने वाले शहरों और बहु-न्यायिक क्षेत्र वाले शहरी समुदायों के लिए यह उपयुक्त भी नहीं है। बड़े और व्यापक स्तर पर फैली भारत की मलिन बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी मास्टर प्लान विचारधारा उपयुक्त नहीं है। निर्माण योग्य भूमि और स्थान की आपूर्ति को सीमाबद्ध करते हुए मास्टर प्लान अन्य बातों के साथ-साथ आवासीय बाजारों के विकास का निषेध करता है और मलिन बस्तियों के फैलाव में योगदान करता है। अतः नई प्रबंधन तकनीक और सीधे सेवा प्रदाय प्रक्रिया को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।

10वीं योजना की स्कीमों की समीक्षा

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

11.13 मौजूदा सरकार की नीतियों के अनुरूप भारत के प्रधानमंत्री ने, आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क नेटवर्क, शहरी यातायात, शहर के आंतरिक (पुराने) क्षेत्रों आदि के विकास सहित शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने पर जोर देते हुए चुने हुए 63 शहरों में शहरी अवसंरचना और सेवाओं के एकीकृत विकास को केन्द्र में रखते हुए दिनांक 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को प्रारंभ किया। वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाली सात वर्ष की मिशन अवधि के दौरान सुधारों से जुड़ी 50,000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। मिशन अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता का प्रावधान राज्य और शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल स्तरों पर कुछ अनिवार्य और कुछ वैकल्पिक सुधारों को लागू करने से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2006-07 हेतु 4900 करोड़ रुपये के लिए गए आबंटन के प्रति 3906 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2007-08 में 5500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। उसके बाद रुपये 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि "योजना ख" के अंतर्गत जारी की गई।

11.14 अपनी प्रारंभिक अवधि में मिशन का उद्देश्य अच्छे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का पता लगाना रहा है जिसे अंततः स्वयं व्यवहार्य आधार पर प्रारंभ किया जा सके। अब चूंकि खोज की यह

प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है अतः इसके लिए एक और अधिक योजनाबद्ध विचार को अपनाने की आवश्यकता है। यह महसूस करना आवश्यक है कि जब तक स्थानीय निकाय साख-सम्पन्न और उत्तरदायी नहीं बनेंगे तब तक भारत के तेजी से विकसित होते परिष्कृत वित्तीय बाजारों पर पकड़ बनाने की उनकी क्षमता अत्यधिक सीमित रहेगी।

शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ)

11.15 शहरों की प्रगति में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए 10वीं योजना ने व्यापक सुधारों पर बल दिया था और यह शर्त लगायी थी कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के जरिए सुधारों के मुद्दे का पालन बाध्य होगा। शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि ने राज्यों से कहा था कि वे अर्बन लैंड (सीलिंग और नियमन) अधिनियम, 1976 को हटाएं, रेंट कंट्रोल अधिनियम में सुधार करें, संपत्ति कर प्रणाली को सुदृढ़ बनायें, स्टाम्प शुल्क को कम करें, डबल एंट्री लेखा प्रणाली लागू करें और प्रचालन तथा रखरखाव लागत को कवर करने के लिए उपयोग प्रभारों को संशोधित करें। सुधार के मुद्दे को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों को शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के तहत 300 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। बाद में इस योजना को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में मिला दिया गया।

मेगा सिटी

11.16 वर्ष 1993-94 में बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना लागू की गई थी ताकि जलापूर्ति और सीवरेज, सड़क एवं सेतु, शहरी यातायात, टोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर व्यापक परियोजनाओं को कवर किया जा सके। 1050 करोड़ रुपये के आबंटन के प्रति 10वीं योजना के दौरान 908.69 करोड़ रुपये (अनुमानित व्यय) का केन्द्रीय अंश जारी किया गया। इसके बाद योजना को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में मिला दिया गया।

छोटे एवं मझोले कस्बों का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (आईडीएसएमटी)

11.17 छोटे और मझोले कस्बों में आर्थिक और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने और आवश्यक सुविधाएं एवं सेवाएं मुहैया कराने के लिए वर्ष 1979-80 में आईडीएसएमटी प्रारंभ की गई थी। अपने लागू होने के समय से 31.3.2007 तक 5092 छोटे और मझोले कस्बों (2001 की जनगणना) में से कुल 1854 शहरों को इस योजना के तहत कवर किया गया है। 10वीं योजना हेतु अनुमोदित 1304.65 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय में से अनुमानित व्यय 566.43 करोड़ रुपये (43.4%) है। चूंकि योजना का निष्पादन संतोषजनक नहीं था अतः वर्ष 2002 में इसका मूल्यांकन किया गया जिसने दर्शाया कि योजना (i) कार्यान्वयन

हेतु क्षमता की कमी, (ii) राज्यों के समतुल्य अंश की उपलब्धता न होना, (iii) परियोजनाओं के लिए भार-बाधा रहित भूमि की अनुपलब्धता जैसी कमियों से ग्रस्त थी। तब से इस योजना को छोटे एवं मझोले कस्बों हेतु शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना के रूप में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में समाहित कर दिया गया है।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

11.18 त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम मार्च, 1994 में 20,000 से कम आबादी वाले (1991 की जनगणना के अनुसार) कस्बों में सुरक्षित और पर्याप्त जलापूर्ति प्रदान करने के लिए लागू किया गया था ताकि वातावरण और जीवन गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और अर्थव्यवस्था को व्यवहार्य बनाने के लिए बेहतर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण किया जा सके। लागू होने के समय से 828.06 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधि सहित 1822.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1244 शहरों को कवर किया गया है और 639 योजनाओं को पूरा किया गया। 10वीं योजना हेतु 900 करोड़ रुपये के अनुमोदित परियोजना के प्रति 406.50 करोड़ रुपये व्यय किए गये जो लगभग 45.2% बैठता है। 24 राज्यों में 62 कस्बों के लिए नवम्बर, 2003 में योजना का समवर्ती मूल्यांकन किया गया था। योजना को शहरी स्थानीय निकायों को सौंपना, राज्य की निधियां समय पर जारी करना, प्रशुल्क की आवधिक समीक्षा और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु फील्ड अभियंताओं को प्रशिक्षण देना इस अध्ययन की प्रमुख सिफारशों में शामिल थीं। तब से इस योजना को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में समायोजित कर दिया गया है। तथापि, चालू परियोजनाओं के लिए वर्ष 2007-08 हेतु 32.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कुछ चुनिंदा शहरों में हवाई अड्डों के निकट टोस अपशिष्ट प्रबंधन पर पायलट परियोजना

11.19 वर्ष 2003 में चुने हुए 10 हवाई पट्टी वाले शहरों में टोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें पूंजीगत लागत के प्रति भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान दिया गया और इसे 3 वर्ष में पूरा किया जाना था। परियोजना के पूरा होने के बाद इस योजना को दिन-प्रतिदिन के प्रचालन और रखरखाव हेतु संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा जाना था। सिरसा, जोधपुर, पुणे, ग्वालियर, तेजपुर, आदमपुर, डिंडीगुल और अंबाला जैसी 8 परियोजनाएं एनबीसीसी द्वारा चलायी जा रही हैं और हिंडन तथा बरेली की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा चलायी जा रही हैं। परियोजना की अनुमोदित लागत 99.34 करोड़ रुपये है। परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

11वीं योजना के लिए नए प्रयास

पूल्ड वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ)

11.20 शहरी स्थानीय निकायों की साख बढ़ाने के लिए सरकार ने दिनांक 29.9.2006 को एक पूल्ड वित्त विकास निधि की स्थापना करने हेतु एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ताकि वे राज्य स्तरीय पूल्ड वित्त तंत्र के जरिए अपनी ऋण साख के आधार पर बाजार ऋणों तक पहुंच बना सकें। पीएफडीएफ के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- समुचित क्षमता निर्माण उपायों और परियोजनाओं के वित्तीय निर्माण के जरिए विश्वसनीय शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास की सुविधा प्रदान करना।
- राज्य पूल्ड वित्तीय एककों (एसपीएफई(ज) को ऋण-साख में वृद्धि अनुदान मुहैया करा कर महत्वपूर्ण पालिका इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हेतु पूंजी और वित्तीय बाजारों में शहरी स्थानीय निकायों की पहुंच बनाने की सुविधा प्रदान करना ताकि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश हेतु एक या उससे अधिक पहचान किए गए शहरी स्थानीय निकायों की ओर से पूल्ड वित्तीय बांडों के जरिए पूंजी बाजारों तक पहुंच बनायी जा सके।
- समुचित ऋण साख में वृद्धि के उपायों और मौजूदा मंहगे ऋणों के पुनःनिर्माण के जरिए स्थानीय निकायों की ऋण लागत को कम करना।
- म्युनिसिपल बांड बाजार के विकास की सुविधा मुहैया कराना।

11.21 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में योजना के प्रचालन के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्रवाई करें ताकि इस वित्तीय वर्ष से इसके लाभ प्राप्त किए जा सकें। इस संबंध में समयबद्ध रूप में योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों और सभी हितधारकों को सुग्राही बनाने के लिए 20 नवम्बर, 2006 को चेन्नई में एक कार्यशाला आयोजित की गयी और इस योजना को औपचारिक रूप से लागू किया गया। इस योजना के लिए वर्ष 2006-07 में 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूल्ड वित्त विकास निधि हेतु वर्ष 2007-08 के लिए शहरी विकास मंत्रालय को 100 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गयी है। 11वीं योजना अवधि के लिए 2500 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निधि (एनयूआईएफ)

11.22 राष्ट्रीय शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निधि को एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विश्वसनीय परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए वित्त पोषण

के स्रोत मुहैया कराये जा सकें। वाणिज्यिक बैंक शहरी स्थानीय निकायों को ऋण देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि एक ओर अपनी ऋण देयताओं को पूरा करने में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में कमी परिलक्षित होती है और दूसरी ओर व्यवहार्य शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने में वित्तीय संस्थानों में विशेषज्ञता की कमी है। राष्ट्रीय शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निधि एक विशेष उद्देश्य संवाहक के रूप में कार्य करेगा जो शहरी स्थानीय निकायों से वाणिज्यिक बैंकों के सीधे संपर्क को बचाते हुए पुनः भुगतान के संबंध में वित्तीय संस्थानों के बीच आवश्यक सुखद स्तर का निर्माण करेगा। राष्ट्रीय शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निधि स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया इस समय काफी आगे के चरणों में है।

सैटेलाइट शहर और काउंटर मैगनेट शहरों का विकास

11.23 मेट्रो और मेगा शहरों, जो व्यापार और वाणिज्य का केन्द्र बन गए हैं, को अपनी समस्याओं के साथ-साथ छोटे और मझोले शहरों तथा बड़े ग्रामीण आंतरिक क्षेत्रों से निरंतर होने वाले प्रवास से भी जूझना पड़ता है। म्युनिसिपल सीमाओं के बाहर भी इनका नियोजन करना होगा और एकीकृत परिवहन तथा संचार को भी उचित महत्ता प्रदान करनी होगी। आबादी और आबादी के अंतर-प्रवाह को कम करने/पुनः वितरित करने के लिए मुख्य शहर के आस-पास स्थित अन्य रिहायशों को सैटेलाइट/ काउंटर मैगनेट शहरों के रूप में विकसित किया जाना होगा। उपर्युक्त समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सैटेलाइट शहरों/ काउंटर मैगनेट शहरों के विकास हेतु एक नई योजना प्रस्तावित की है। यह महानगरीय क्षेत्रों के विकास में मदद देगी। वर्ष 2007-08 हेतु शहरी विकास मंत्रालय के बजट में योजना के लिए टोकन प्रावधान किए गए हैं।

नगर-पालिकाओं में ई-गवर्नेंस

11.24 नगर पालिकाओं में ई-गवर्नेंस प्रारंभ करने के मिशन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एकल खिड़की सेवाएं उपलब्ध कराना, शहरी स्थानीय निकायों की कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करना, समयबद्ध और भरोसेमंद सूचना प्रबंधन आदि मुहैया कराना है।

11.25 यह योजना वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान श्रेणी-1 शहरों (1 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले कुल 423) के सभी शहरी स्थानीय निकायों को कवर करने की परिकल्पना करती है। एक मिलियन से अधिक आबादी वाले 35 शहरों को वर्ष 2007-08 के दौरान जेएनएनयूआरएम के तहत कवर करने का प्रस्ताव है। फिर भी 35 शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों और

कस्बों के लिए जब तक इंतजार करना होगा तब तक कि 35 शहरों में कार्यान्वयन की जेएनएनयूआरएम के तहत पूरी नहीं हो जाती। इस कार्यक्रम के तहत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, संपत्ति कर, भवन योजना अनुमोदन, स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लेखा प्रणाली आदि से संबंधित 8 सेवाओं को कवर किया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन - परिवर्तन का एक तंत्र

11.26 भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में शहरों और कस्बों की एक मुख्य भूमिका है। भारत में शहर नवोन्मेष के एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य कर रहे हैं और वैश्विक बाजार में एक मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा उपलब्धता के रूप में अधिकतर शहर और कस्बे गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। वर्ष 2001 में, 50.3% शहरी परिवारों के पास उनके परिसर के भीतर पानी की पाइपलाइन नहीं थी और उनमें 44% स्वच्छता सुविधाओं से वंचित थे। वर्ष 2004-05 में देश की 25.7% शहरी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 14.12% शहरी आबादी मलिन बस्तियों में रहती है और उनके काफी बड़े भाग के पास मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हैं।

मिशन का सिंहावलोकन

11.27 जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन इस अवधारणा पर आधारित है कि भारत की आर्थिक प्रगति और गरीबी में कमी लाने में शहर अपना अर्थपूर्ण योगदान प्रदान करें। यह कार्यक्रम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (सहस्राब्दी विकास उद्देश्य) को पूरा करना चाहता है और शहरी क्षेत्र में निवेश की सुविधा प्रदान करके मिशन के रूप में इसे प्रचालित करने की परिकल्पना करता है। यह प्रोत्साहन नीति और संस्थागत सुधार करना चाहता है ताकि मिशन शहरों में निरंतर सामाजिक - आर्थिक प्रगति, सेवा सुपुर्दगी और बेहतर शासन प्राप्त किया जा सके। म्युनिसिपल निकायों की ऋण साख में वृद्धि करने और सेवा सुपुर्दगी प्रणाली के साथ निर्धनों को जोड़ने के लिए समुचित सक्षम ढांचों को विकसित करना भी इसका उद्देश्य है।

मिशन की रणनीति

11.28 यह मिशन शहरों के एकीकृत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है जिसके लिए शहरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शहर के लिए दीर्घकालिक विजन और परियोजना प्रस्तावों के वित्त पोषण के जरिए अपने प्रयासों को समर्थन देते हुए एक शहर विकास योजना (सीडीपी) का निर्माण करें। शहरी विकास योजना (सीडीपी) आर्थिक रूप से उत्पादक, कुशल, समतुल्य और उत्तरापेक्षी शहरों के

निर्माण में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उद्देश्यों पर आधारित है। मिशन की अवधि के भीतर शहरी सुधारों को लागू करना मिशन की अनिवार्य अपेक्षा है। उपर्युक्त कार्यों के संतोषजनक ढंग से पूरे होने के आधार पर 'अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता' के रूप में वित्त पोषण की मदद प्रदान की जाती है जो शहर की श्रेणी के आधार पर परियोजना लागत के 35% से 90% के बीच होती है। मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्थाओं, जहां कहीं भी उचित हो, के जरिए विकास, प्रबंधन, कार्यान्वयन और परियोजनाओं के वित्त पोषण में निजी क्षेत्र की कुशलताओं और शक्तियों को भी शामिल करना है।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के संभावित परिणाम

- बेहतर शासन और सेवा सुपुर्दगी हेतु वित्तीय रूप से व्यवहार्य शहर।
- शहरी क्षेत्रों में मूलभूत स्तर की सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच।
- शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व।
- आधुनिक पारदर्शी बजट, लेखा और वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना।

11.29 सेवा सुपुर्दगी और आंतरिक प्रचालनों के लिए ई-गवर्नेंस का अधिकाधिक उपयोग।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन की प्रक्रिया से संबद्ध प्रचालनात्मक मुद्दे

11.30 सभी शहरों के साथ निरंतर संपर्क बनाते हुए मिशन के महत्व को बनाए रखना और इसी के साथ-साथ मिशन के प्रचालन के समय व्यापक मालिकाना हक सुनिश्चित करना, जोकि एक प्रमुख चुनौती है।

11.31 निवेश समर्थन को स्वीकार करने की शहर स्तर की एजेंसियों की क्षमता और सुधारों को अमल में लाना एक गंभीर अवरोध है। मिशन को अपने क्षमता निर्माण प्रयासों को इस प्रकार संशोधित और गति प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मिशन-शहर कार्यक्रम के लाभ उठा सके और इसमें वर्णित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

11.32 शहर स्तर की एजेंसियों द्वारा जो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं वे जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत प्रचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों के आकार की तुलना में बहुत छोटी हैं। इस प्रकार की बड़ी परियोजनाओं को लागू करने के लिए समग्र संस्थागत क्षमता और विशिष्ट रूप से परियोजना कार्यान्वित करने की क्षमता स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। इसके लिए समुचित रूप से कुशल और अच्छी परियोजना प्रबंधन प्रणाली

से युक्त मानव संसाधन का क्षैतिज विस्तार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में ठेका क्षमता की भी कमी है। सहयोगी वातावरण की अनिश्चितता के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में मौजूद बड़े/संगठित क्षेत्र के उद्योगपतियों ने म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि परियोजना के आकार छोटे होते हैं और सरकारी वित्त पोषण पर अत्यधिक आश्रित होते हैं। इन्हें कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों की खराब साख होना भी एक अन्य समस्या है।

11.33 निश्चित समायावधि के भीतर सुधारों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। शहरों में आंतरिक रूप से सुधार लाने की सुविधा देना एक चुनौती है। इसी के साथ मिशन की अवधि के दौरान रिपोर्ट देने की और सुधारों की प्रगति की मानीटरिंग करने की प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता है। जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनः निर्माण मिशन के कार्यान्वयन का अनुभव दर्शाता है कि निम्नलिखित मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है:-

- जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत बनायी गई शहरी विकास योजना (सीडीपी) में जलापूर्ति, सीवरेज, साफ-सफाई, बाढ़ के पानी की निकासी आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सड़क परियोजनाओं और फ्लाइ ओवर्स पर इस समय जरूरत से अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
- प्रचालन और प्रबंधन लागतों की वसूली पर ध्यान दिए जाने और शहरी विकास योजनाओं (सीडीपी) में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था (पीपीपी मोड) के जरिए निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता की संभावना तलाशने की आवश्यकता है।
- जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के कार्यान्वयन में शहरी विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालयों के बीच वास्तविक अर्थों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन एक कार्यक्रम है अतः दोनों मंत्रालयों के निकट समन्वय और सामंजस्य के कार्य करने की आवश्यकता है।
- इस कार्यक्रम का विशेष जोर शहरी शासन को बेहतर बनाना है ताकि शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टैटल एजेंसियों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। सुधारों के मुद्दे को केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को समय पर लागू करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना और यह सुनिश्चित करना कि परियोजना की अवधि के दौरान सुधारों के मुख्य पड़ाव प्राप्त किए जाएं न कि मिशन की 7 वर्ष की अवधि तक उनको बढ़ाया जाए।

11.34 चूंकि यह कार्यक्रम क्रियान्वयन के तीसरे वर्ष में है अतः इसका किसी स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन कराए जाने की आवश्यकता है ताकि समय पर उचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय

11.35 मिशन में कम निष्पादन देने वाले राज्यों की प्रतिभागिता को गति प्रदान करने के लिए दिन-प्रतिदिन की बातचीत करने के अलावा क्षेत्रीय और राज्य-स्तर पर कई कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

11.36 सरकार चुने गए प्रतिनिधियों और म्युनिसिपल कार्यकर्ताओं के बीच मिशन के लक्ष्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यशालाओं/सेमिनारों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। ये कार्यकलाप विभिन्न शहरों और राज्यों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और परियोजना हेतु तैयारी एवं शहरी स्थानीय निकायों/अन्य शहर के स्तर की एजेंसियों के लिए तकनीकी क्षमता बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। नीति निर्माण की प्रक्रिया और जेएनएनयूआरएम, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शासन पर उप-मिशन के क्रियान्वयन के विविध चरणों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक सामुदायिक भागीदारी निधि का निर्माण किया गया है। यह नागरिकों में सामुदायिक सम्पत्ति पर अपने स्वामित्व की भावना उत्पन्न करेगी और समुदाय आधारित परियोजनाओं के लिए जिम्मेदारी की भावना का विकास करेगी। मिशन के क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक तकनीकी सलाहकार समूह का गठन किया गया है जो राज्य और शहर के स्तरों पर इसी प्रकार के ढांचों द्वारा और मददगार होगा।

11.37 यह मिशन क्षमता निर्माण और सभी संबंधित गतिविधियों के स्तर में वृद्धि करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की प्रक्रिया में है ताकि परियोजनाओं और सुधारों के क्रियान्वयन में क्षमता के अंतर को पाटा जा सके। यह शासन और सुधार, डीपीआर निर्माण और परियोजना निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में म्युनिसिपल कार्यकर्ताओं हेतु तीव्र गति के प्रशिक्षण कार्यक्रम करने का प्रस्ताव कर रहा है। शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश भर में क्षेत्रीय संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो राज्यों, शहरों और अन्य संबंधित संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

11.38 सुधारों को संस्थापित करने और उनको आंतरिक रूप से लागू करने की सुविधा देने के लिए सूचना के चैनलों को सुदृढ़ बनाना ही मिशन की सफलता की कुंजी है। सरकार ने सुधारों के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु स्वतंत्र एजेंसियों को भी तैनात किया है। मिशन के तहत शहरों और राज्यों के लिए तिमाही

प्रगति रिपोर्टिंग प्रणाली भी स्थापित की गई है। इसके अलावा, एक प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की गई है ताकि परियोजनाओं और सुधारों की निगरानी की जा सके।

11.39 शहरी स्थानीय निकायों की विश्वसनीयता और वित्तीय व्यवहार्यता की समस्याओं को दूर करने के लिए म्युनिसिपल वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत गठित एक कार्यबल दल ने शहर के स्तर पर सभी वित्तीय संसाधनों को सम्पृक्त करने और पूंजी तक पहुंच बनाने के लिए वातावरण को बेहतर बनाने जैसे उपायों की सिफारिश की है। सिफारिशों के एक भाग के रूप में जेएनएनयूआरएम के तहत सभी शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमताओं और ऋण साख के आधार पर रेटिंग की जा रही है।

11.40 यूआईडीएसएसएमटी को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे यूआईडीएसएसएमटी के तहत शहरों को कवर करने के लिए बनाई गई शहरी विकास योजना को एक विजन दस्तावेज के रूप में तैयार करें। राज्य स्तर की नोडल एजेंसियों को इस प्रकार की आंतरिक क्षमता विकसित करना चाहिए कि वे एक व्यवहार्य डीपीआर का निर्माण करने में शहरी स्थानीय निकायों को सलाह दे सकें और उनका मार्ग निर्देशन कर सकें। राज्य सरकारों को, दिशा-निर्देशों में किए गए निर्धारण के अनुसार राज्य/ शहरी स्थानीय निकायों के अंश को पूरा करने के लिए अपने बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए। स्थानीय स्तर पर परियोजना और सुधारों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के भीतर एक परियोजना क्रियान्वयन और निगरानी एकक की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को डीपीआर के निर्माण हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए सलाहकारों के एक पैनल का गठन करना चाहिए।

सर्वोत्तम व्यवहार दस्तावेज का बनाना और प्रचार

11.41 मिशन के तहत सर्वोत्तम व्यवहार का प्रचार वेबसाइटों, कार्यशालाओं और सेमिनार के जरिए किया जा रहा है। इसके अलावा, जेएनएनयूआरएम शहरों में नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने पीर एक्सपीरियंस एंड रेफ्लेक्टिव लर्निंग (पल) नामक एक प्रयास प्रारंभ किया है ताकि एक दूसरे की जानकारी और ज्ञान के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सके। शहरों ने स्वयं को एक समान सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल रखने वाले विभिन्न समूहों/नेटवर्कों में संगठित कर लिया है। शहरों के नेटवर्क ने संबंधित समूहों के लिए एक नॉलेज प्रबंधक का चुनाव किया है ताकि शहरी शासन और सुधार में सर्वोत्तम व्यवहार के आदान प्रदान हेतु नेटवर्क के भीतर और बाहर साझेदारियों को स्थायित्व दिया जा सके।

भविष्य की कार्यवाही के मुद्दे

- तीव्र आर्थिक प्रगति निश्चित रूप से शहरीकरण में वृद्धि करेगी क्योंकि शहर वैयक्तिक गतिविधि के लिए सामूहिक विशाल अर्थ व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। आगे आने वाले वर्षों में तीव्र प्रगति में आने वाला सबसे बड़ा अवरोध शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपर्याप्तता और वैश्विक संदर्भ में इसकी तुलनात्मक खराब स्थिति होगी। हमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में समानता और समष्टि के लिए प्रयास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर की विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर, मलिन बस्तियों और कम आय वर्ग के रिहाइशों के सेवा नेटवर्क प्रणालियों के साथ जुड़ सकें।
- देश के लिए योजनाबद्ध शहरीकरण करना और मौजूदा छोटे तथा मझोले कस्बों के इर्द गिर्द नये विकास केंद्रों का निर्माण करना मुख्य चुनौती होगी।
- सभी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं के तहत सहायता के लिए पात्रता हेतु शहरी सुधारों को अनिवार्य बना दिया जाए।
- सुरक्षित पेय जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं मूलभूत आवश्यकताएं हैं और यह 'सभी के लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- जेएनएनयूआरएम में क्षमता है कि वह चुने हुए शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल सके और नागरिक सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार कर सके। अतः इसे उत्साहपूर्वक क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

11वीं योजना के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)

11.42 वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के गठन का मुख्य औचित्य राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले प्रवास की दर को कम करना और विश्व के उत्कृष्ट स्थानों से तुलनीय स्तर पर क्षेत्र का विकास करना था। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य घटकों से संबंधित अनुपूरक कार्य योजना सहित क्षेत्रीय योजनाएं 2001 और 2021 को तैयार किया है।

11.43 क्षेत्रीय योजनाओं के महत्वपूर्ण अंशों का क्रियान्वयन करने के लिए बोर्ड केन्द्रीय अनुदान और ऋण वापसी की रिसाइकलिंग एवं आंतरिक उपार्जन द्वारा दिल्ली सरकार से अंशदान के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनी हुई विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए व्यवस्था भी कर रहा है। अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने पूर्व में बांड्स के रूप में पूंजी बाजार से भी संसाधन जुटाए हैं।

11.44 अपने योजना दस्तावेज में दिल्ली सरकार ने इच्छा व्यक्त की है कि एनसीआरपीबी को विद्युत उत्पादन, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई अंतर-राज्य परियोजनाओं को शुरू करके दिल्ली की विकास प्रक्रिया में काफी योगदान देना चाहिए। 11वीं योजना के दौरान वित्त पोषण के लिए चिन्हित परियोजनाओं के लिए 15000 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय शामिल है। इनमें से कुछ परियोजनाओं को अन्य हितधारकों के सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा। परियोजनाओं के कुल प्रक्षेपित परिव्यय में से ऋण घटक के 11,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।

राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस)

11.45 राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में योजना, प्रबंधन और विकेन्द्रीकृत शासन के लिये शहरी स्थानीय निकायों में व्यापक सूचना प्रणाली की स्थापना करना है। इसके तहत निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं-

- भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 24 कस्बों के लिए सैटेलाइट चित्रण से 1:10,000 पैमाने पर नक्शे; 1:2000 के पैमाने पर हार्ड फोटो नक्शे और 1:1,000 वें पैमाने पर उपयुगिता नक्शों को बनाया जा रहा है।
- राज्य नोडल एजेंसियों में एनयूआईएस एककों की स्थापना करना।
- प्रत्येक राज्य नोडल एजेंसी में राष्ट्रीय शहरी डाटा बैंक और संकेतकों की स्थापना करना। (एनयूडीबी एंड आई)
- नवीन स्वचालित विधियों के प्रयोग में शहर योजनाकारों के मध्य क्षमता निर्माण करना।

11.46 अब तक एनयूआईएस योजना का क्रियान्वयन धीमा रहा है और इसलिए योजना के समस्त हितधारकों को योजना के क्रियान्वयन में गति लाने की आवश्यकता है। राज्य नोडल एजेंसियों और शहरी स्थानीय निकायों में एनयूआईएस एककों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपना अंश जारी किए जाने की आवश्यकता है। एनयूआईएस योजना के तहत क्षमता निर्माण घटक ने अब तक 160 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान 440 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 22 कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। एनयूआईएस के लिए वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 की वार्षिक योजना में क्रमशः 24 करोड़ रुपये और 9 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है।

राष्ट्रकुल खेल (कॉमनवेल्थ गेम्स)

11.47 दिल्ली विकास प्राधिकरण को वर्ष 2010 में आयोजित किए जाने वाले आगामी राष्ट्रकुल खेलों के लिए, खेल गांव, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और बिलियर्ड्स तथा स्नूकर आदि खेलों हेतु प्रतिस्पर्द्धा स्थलों का विकास करने का कार्य सौंपा गया है। दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों की अपेक्षित सुविधा विकसित करने के लिए वर्ष 2007-08 में शहरी विकास मंत्रालय के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शहरी मूलभूत सेवाएं

शहरी मूलभूत सेवाओं की स्थिति

11.48 11वीं योजना में पानी की गुणवत्ता और इसका वितरण ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अनाधिकृत और पुनर्वास कालोनियों एवं मलिन बस्तियों तथा दबी-कुचली रिहाइशों में अधिकतर में सीवरेज सुविधायें नहीं के बराबर हैं। कुछ स्थानों पर निर्धनों द्वारा पानी लाने पर वहन की जाने वाली लागत, वैध कनेक्शन धारकों की लागत से कहीं अधिक है। अपशिष्ट पानी और सीवरेज उपचार तथा गैर पेय

उद्देश्यों के लिए एवं उद्योगों हेतु इसका पुनः प्रयोग भी सीमित है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जानवरों के जोखिम, खुले स्थानों में शौच, सड़क के किनारों पर ठोस अपशिष्ट डालना, चिकित्सीय और खतरनाक अपशिष्ट को खुले में डालना आदि साधारण रूप से दृष्टव्य हैं। (कृपया बॉक्स 11.3 देखें)। इन अंतरों को भरने और शहरों को साफ, स्वस्थ एवं रहने योग्य बनाने के लिए केन्द्रीकृत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका - 11.1

शहर/कस्बावार पीने योग्य पानी तक औसत पहुंच

शहर/कस्बा(आबादी)	पीने योग्य पानी तक औसत पहुंच
श्रेणी-I शहर (100000 और उससे ऊपर)	73%
श्रेणी-II शहर (50000-99999)	63%
श्रेणी-III शहर (20000-49999)	61%
अन्य शहर (इ20,000)	58%

स्रोत : शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

बॉक्स 11.3 शहरी सेवाओं की स्थिति

जल आपूर्ति

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 54वें दौर के अनुसार 70% शहरी परिवारों को नल द्वारा और 21% को ट्यूबवैल या हैंड पम्प द्वारा आपूर्ति करने की सूचना है।
- 66% शहरी परिवारों ने सूचित किया कि पानी का मुख्य स्रोत उनके परिसर के भीतर है जबकि 32% के पास 0.2 किलोमीटर के भीतर है।
- 41% के पास पीने के पानी के मुख्य स्रोत पर निजी पहुंच है जबकि 59% की सार्वजनिक स्रोत पर निर्भरता थी।

सीवरेज

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 54वें दौर ने सूचित किया है कि 26% परिवारों के पास कोई शौचालय नहीं है। 35% सेप्टिक टैंक का प्रयोग कर रहे हैं और 22% सीवरेज प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं।
- शहरी क्षेत्रों में सीवरेज के कनेक्शन का प्रतिशत 48% से 70% के बीच है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 300 प्रथम श्रेणी के शहरों में लगभग 15800 मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदा पानी बनता है जबकि इसके उपचार की सुविधा बमुश्किल 3750 मिलियन लीटर प्रति दिन ही मौजूद है।

ठोस अपशिष्ट

- ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रतिदिन लगभग 1,15,000 मी0 टन म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट बनता है।
- शहरों में प्रति व्यक्ति 0.2-0.6 किलोग्राम प्रतिदिन के बीच ठोस अपशिष्ट बनता है और यह 1.3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। शहरी आबादी बढ़ने के साथ ही ठोस अपशिष्ट में 5% की वृद्धि होने का अनुमान है।
- अहमदाबाद और पुणे जैसे 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में 1200 मी0 टन प्रतिदिन के बीच और दिल्ली एवं मुम्बई जैसे शहरों में 5000-5500 मी0 टन प्रतिदिन के हिसाब से ठोस अपशिष्ट बनता है।
- प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट बनने की दर बेंगलूर में 300 ग्राम तो मुम्बई और दिल्ली में 500-550 ग्राम के बीच है।
- 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल अपशिष्ट निर्माण में से निपटान के पूर्व बमुश्किल 30% का ही उपचार किया जाता है।

शहरी जल आपूर्ति

11.49 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शहरी जल आपूर्ति से 100% आबादी के कवरेज को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने आवश्यक हैं -

- केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा बनाये गये मॉडल भू-जल विधेयक के आधार पर राज्य भू-जल विधेयक लाना।
- राष्ट्रीय जल नीति को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों को राज्य जल नीति बनानी चाहिए।
- जेएनएनयूआरएम के तहत उन शहरों और कस्बों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो आयरन और फ्लोराइड जैसे रसायनों की उपस्थिति के चलते पानी के दूषित होने की समस्या से प्रभावित हैं। सभी शहरों और कस्बों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाए और जल-जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाया जाए।
- प्रचालन एवं रखरखाव लागतों को पूरा करने के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उचित प्रक्रिया का निर्माण किया जाए। पर्याप्त राजस्व एकत्रित करने के लिए पानी के प्रयोग पर मीटर लगाने को अनिवार्य बनाया जाए। पानी के अत्यधिक प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए दूरगामी जल प्रशुल्क/उपभोक्ता प्रभारों का प्रस्ताव किया जाना चाहिए और उन्हें लगाया जाए।
- लीकेज और गणनामुक्त जल की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता है विशेष रूप से उन शहरों में जहां यह 50% तक की उच्च सीमा पर है। गहन लीकेज जांच और परिशोधन कार्यक्रम के जरिए इस प्रकार की हानियों को न्यूनतम किए जाने या समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।
- जेएनएनयूआरएम के तहत राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को जल और ऊर्जा लेखा परीक्षा, पुनः उपयोग और पुनःचक्रण, कुशलतापूर्वक जल उपयोग और इसका समान वितरण, वर्षा जल संचयन, वाणिज्यिक लेखा प्रणालियां, उपभोक्ता अभिमुखीकरण, लागत वसूली, भू-जल की कृत्रिम पूर्ति आदि के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।
- निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त पोषण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एजेंसियों से सहायता, नयी शुरु की गई पूल्ल वित्त विकास योजना (पीएफडीएस), कर मुक्त म्युनिसिपल बांड, सार्वजनिक निजी भागीदारी, एमपीएलएडी निधि आदि के जरिए निधियों को जुटाने का प्रयास करना चाहिए।

म्युनिसिपल टोस अपशिष्ट का प्रबंधन

11.50 औसत रूप से मेट्रो शहरों में टोस अपशिष्ट की एकत्रण कुशलता 70-90 प्रतिशत के बीच बैठती है जबकि कई छोटे शहरों में यह 50% से कम है। शहरी स्थानीय निकाय टोस अपशिष्ट के एकत्रण, परिहवन, उपचार और निपटान पर 500-1500 रुपये प्रति टन खर्च करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपशिष्ट के वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान पर जोर दिया जाएगा। अपशिष्ट पुनः चक्रण, पुनःउपयोग, पुनः संसाधन प्राप्ति, प्रभावी और कम खर्चीले निपटान के लिए उन्नत तकनीकी उपायों को अपनाने पर उत्साहपूर्वक कार्य किया जाएगा।

11.51 निजी पार्टियों ने उत्साहवर्द्धक उत्तर दिए हैं और उन्हें क्रमशः शामिल किए जाने की आवश्यकता है। उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने से अपशिष्ट को कार्बनिक गोलों, निर्माण सामग्री आदि जैसे लाभदायक उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है। टोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए राज्यों को सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।

11.52 तीव्र औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र की उन्नति और आय बढ़ने के साथ ही अपशिष्ट निर्माण की दर भी कई गुणा बढ़ गई है। इसके प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है:-

- शहरों और कस्बों को समुचित टोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिनमें म्युनिसिपल टोस अपशिष्ट की प्रक्रिया और उपचार के लिए ऊर्जा की कम खपत वाली प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया हो।
- टोस अपशिष्ट से कम्पोस्ट की अनिवार्य उत्पादकता और भूमि उर्वरता बेहतर बनाने के लिए कृषि और पशुपालन में इस कार्बनिक खाद के प्रयोग को शुरू करना।
- शहरी कचरे के व्यवहार्य रूप से प्रबंधन में 'शहरी कम्पोस्ट का प्रयोग करते हुए एकीकृत पादप पोषकता प्रबंधन' पर अंतर मंत्रालयीय कार्यदल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करना।
- अपशिष्ट की छंटाई और भंडारण, घर पर एकत्रण और उसके परिवहन के साथ समुचित संयंत्र डिजाइन को म्युनिसिपल टोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमावली, 2000 के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। संगठनात्मक सहायता और कूड़ा बीनने वालों को पहचान देने, जो अपशिष्ट के पुनः चक्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, में गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सैनेटरी लैंड फिल, कंपोस्ट संयंत्र और भविष्य में किए जाने वाले विस्तार सहित अन्य प्रसंस्करण एककों को लगाने के लिए योजना निर्माण के स्तर पर ही पर्याप्त भूमि उद्दिष्ट/आबंटित कर देनी चाहिए।

सीवरेज, कम लागत की स्वच्छता, बाढ़ जल निकासी

11.53 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार लगभग 63% शहरी आबादी की सीवरेज और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच थी। इसमें भूमिगत और सेप्टिक टैंक के जरिए मिलने वाली स्वच्छता सुविधायें दोनों शामिल हैं। भूमिगत सीवरेज सुविधाओं तक पहुंच बहुत कम है अर्थात् राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में यह 30% से कम है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार लगभग 46% शहरी परिवारों के पानीयुक्त शौचालय हैं परन्तु केवल 36% शहरी परिवार ही सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली से जुड़े हैं।

11.54 सीवरेज का भूमिगत नेटवर्क काफी हद तक उन शहरीकरणयुक्त राज्यों में विकसित हुआ है जहां शहरों का विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ है जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, ग्रेटर नोएडा आदि। तथापि, शहरों के भीतर अनाधिकृत कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों, मलिन और निचले तबके की रिहाइशें काफी बड़ी संख्या में अक्सर भूमिगत सीवरेज सुविधाओं से वंचित होती हैं।

11.55 11वीं योजना के दौरान शहरी क्षेत्र में सीवरेज, सीवेज उपचार और कम लागत की स्वच्छता सुविधाओं के लिए 100% आबादी को कवर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की आवश्यकता है:-

- सीवेज उपचार, पुनःचक्रण और पुनः उपयोग के लिए और संयंत्र लगाना।
- औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को उपचार किए गए सीवेज का पुनः उपयोग आवश्यक करना चाहिए ताकि स्वच्छ पानी की मांग कम की जा सके।
- वर्तमान सीवरेज प्रणाली से अपने शौचालयों को जोड़ना सभी निवासियों के लिए अनिवार्य बनाने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को अपने नियम कानूनों में संशोधन करना चाहिए।
- शहर के सीमांत क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कालोनियों और मलिन बस्तियों के निवासियों को या तो व्यक्तिगत परिवार के आधार पर अथवा 'भुगतान एवं प्रयोग प्रणाली' के साथ सामुदायिक आधार पर कम लागत की स्वच्छता सुविधाओं से कवर किया जाए, और इसके समुचित रखरखाव का प्रबंध हो। खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-करकट फेंकने की अविवेकपूर्ण आदत को रोकने के लिए दंडात्मक व्यवस्था को प्रभावकारी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है।
- जलापूर्ति/ सीवरेज के गृह सेवा कनेक्शन लेने, मीटर लगाने, शौचालय के निर्माण के लिए शहरी निर्धनों को लक्षित राजसहायता दी जाए।

- सभी शहरों और कस्बों में व्यापक बाढ़ जल निकासी प्रणाली का विकास किया जाए ताकि मानसून के दौरान जल भराव से बचा जा सके।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सीवरेज, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों के लिए निवेश संबंधी आवश्यकताएं

11.56 शहरी जलापूर्ति, सीवरेज व स्वच्छता, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु निधियों की कुल आवश्यकता का अनुमान तालिका 11.2 में दिया गया है।

तालिका 11.2
निधियों की आवश्यकता - शहरी बुनियादी आवश्यकताएं

क्रम सं०	उप क्षेत्र	अनुमानित राशि (करोड़ रुपये में)
1.	शहर जल आपूर्ति	53,666
2.	शहरी सीवरेज और सीवेज उपचार	53,168
3.	शहरी जल निकासी	20,173
4.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	2,212
5.	प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)	8
6.	अनुसंधान एवं विकास और पीएचई ट्रेनिंग	10
जोड़		1,29,237

स्रोत : शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

निधियों की उपलब्धता

11.57 शहरी केंद्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार, शहरी स्थानीय निकायों/ राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/ विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए, मदद कर रही है। जेएनएनयूआरएम के तहत पात्र घटकों के बीच जलापूर्ति और स्वच्छता को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई है और परिव्यय का लगभग 40% जलापूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा और इस प्रकार 89237 करोड़ रुपये का अंतर रहेगा। अंतरालों को पाटने के लिए निम्नलिखित संभावित संसाधनों की पहचान की गई है। तालिका 11.3 निधि के प्रस्तावित स्रोत को दर्शाती है।

11.58 अंतर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित संभावित स्रोतों की पहचान की गई है:-

केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय:

- इस समय चल रहे केन्द्रीय कार्यक्रम जेएनएनयूआरएम के तहत केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय को मौजूदा 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपये किया जाए ताकि शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र पर ज्यादा जोर डाला जा सके।

तालिका 11.3
निधियों की प्रस्तावित स्रोत

वित्त पोषण का स्रोत	राशि (करोड़ रुपये में)
केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय	70,000*
राज्य क्षेत्र परिव्यय	35,000
संस्थागत वित्त पोषण	10,000
बाह्य सहायता एजेंसियां	10,000
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र	4,237
जोड़	1,29,237

नोट : * 2005-12 के लिए जेएनएनयूआरएम के लिए रुपये 50000 करोड़ का वास्तविक आबंटन किया गया है जिसमें से शहरी जलापूर्ति, सीवेज, ठोस उत्सर्जन प्रबंधन के लिए लगभग 15000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रावधान की अपेक्षा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जलापूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं से 100% आबादी को कवर करने के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के परिव्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

राज्य क्षेत्र परिव्यय:

- इसी प्रकार राज्य क्षेत्र परिव्यय जो दसवीं योजना के दौरान 18,749 करोड़ रुपये था, को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपये किया जाए।

संस्थागत वित्त पोषण:

- एलआईसी, हुडको, आईएल एंड एफएस जैसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से 10,000 करोड़ रुपये तक निधियों को जुटाया जाए।

बाह्य सहायता एजेंसियों से अतिरिक्त मदद (ईएसए):

- बाह्य वित्त पोषण एजेंसियां जैसे वर्ल्ड बैंक, जेबीआईसी, एडीबी और अन्य एजेंसियों से लगभग 10,000 करोड़ रुपये तक निधियों को जुटाया जाए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र:

- इसके अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र से 4,237 करोड़ रुपये तक की निधियां जुटाई जाएं ताकि इस क्षेत्र की गतिविधियों को मदद दी जा सके।

शहरी निर्धनों को उनके कार्यस्थल पर मूलभूत सेवाओं का प्रावधान

11.59 जल और स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, निर्माण और उन्हें प्रारंभ करने के सभी स्तरों पर समाज के निर्धन और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले वर्गों एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति की आबादी को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए और उनकी

आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों जैसे अ.ज./अ.ज.जा. योजनाएं, आदिवासी कल्याण योजना को उचित रूप से जेएनएनयूआरएम के साथ समन्वित करना चाहिए। शहर विकास योजनाओं में समाज के इन असमर्थ वर्गों की समस्याओं और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

शहरी गरीबी उन्मूलन और मलिन बस्तियों में विकास कार्य

11.60 भारत में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत वर्ष 1993-94 के 32.3% से कम होकर वर्ष 2004-05 में 25.7% हो गया है। (यूनिफार्म रिकॉल अवधि पर)। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 61वें चरण में दर्शाया गया है कि प्रतिशत रूप में शहरी निर्धनता में कमी दर्ज की गई है तथापि, वास्तविक रूप में यह 4.4 मिलियन व्यक्तियों तक बढ़ गई है। यह तथ्य है कि यूनिफार्म रिकॉल अवधि के अनुसार वर्ष 1973-74 से शहरी निर्धनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यूनिफार्म रिकॉल अवधि और मिक्सड रिकॉल अवधि पर आधारित निर्धनता अनुमानों की तुलना क्रमशः तालिका 4 और 5 में दी गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या तालिका 6 में दी गई है।

11.61 वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 2004-05 की अवधि में उड़ीसा और राजस्थान में शहरी निर्धनता और शहरी निर्धनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान गुजरात, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शहरी निर्धनताओं और शहरी निर्धनों की संख्या दोनों में ही गिरावट आई है। अन्य राज्यों में निर्धनता में तो कमी आई है परन्तु कुल संख्या में कमी नहीं आई है। (बाक्स 11.4, 11.5 और 11.6)

11.62 शहरी अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र में स्व-रोजगारी के रूप में लगे हुए काफी संख्या में कामगार, नियमित रूप से कम तनखाह/ वेतन पाने वाले कामगार और कैजुअल कामगार शहरी निर्धन की श्रेणी में आते हैं। वे सम्पदा निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और शहरियों को गुणवत्ता पूर्ण जीवन मुहैया कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तथापि, वे स्वयं आश्रय, मूलभूत शहरी सुविधाओं, स्वस्थ शहरी वातावरण और सम्मानपूर्ण जीवन से वंचित हैं।

11.63 हाल के दशकों में शहरी धनिकों और निर्धनों के बीच के अंतर में काफी वृद्धि हुई है। 11वीं योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनौपचारिक क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों को एक ओर बेहतर

तालिका 11.4
यूनिफार्म रिकॉल अवधि के आधार पर
निर्धनता अनुमानों की तुलना

(कुल आबादी के प्रतिशत में)

	1993-94	2004-05
1. ग्रामीण	37.3	28.3
2. शहरी	32.4	25.7
3. जोड़	36.0	27.5

स्रोत : योजना आयोग

तालिका 11.5

मिश्रित रिकॉल अवधि के आधार पर निर्धनता अनुमानों की तुलना

(कुल आबादी के प्रतिशत में)

	1999-2000	2004-05
1. ग्रामीण	27.1	21.8
2. शहरी	23.6	21.7
3. जोड़	26.1	21.8

स्रोत : योजना आयोग

तालिका 11.6

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे
रहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(लाख में)

वर्ष	शहरी	ग्रामीण	जोड़
मिक्सड रिकॉल अवधि			
1973-74	600.46	2612.90	3213.36
1977-78	646.48	2642.47	3288.95
1983	709.40	2519.57	3228.97
1987-88	751.69	2318.79	3070.49
1999-00	670.07	1932.43	2602.50
2004-05	682.00	1702.99	2384.99
यूनिफार्म रिकॉल अवधि			
1973-74	600.46	2612.90	3213.36
1977-78	646.48	2642.47	3288.95
1983	709.40	2519.57	3228.97
1987-88	751.69	2318.79	3070.49
1999-00	763.37	2440.31	3203.68
2004-05	807.96	2209.24	3017.20

स्रोत : योजना आयोग

बॉक्स 11.4

शहरी निर्धनता उपशमन हेतु उद्देश्य

शहरी निर्धनों के लिए 11वीं योजना में निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

- उन्हें वहनीय आश्रय और अच्छा जीवन स्तर तथा कार्य करने का वातावरण मुहैया कराना;
- मास्टर प्लान में ही निर्धनों के लिए भूमि का पर्याप्त प्रावधान करना;
- स्व-रोजगारपरक उद्यमों के विकास और वेतन से रोजगार कमाने वालों के लिए कार्य सृजन में मदद देना; और
- आर्थिक हितों और महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा बनाये रखना।

बॉक्स 11.5

मलिन बस्ती

मलिन बस्तियां आवासों का वह समूह है जिनमें साफ सफाई, शौच, पीने के पानी, स्वच्छता आदि की अपर्याप्त सुविधाएं हैं।

बॉक्स 11.6

एकीकृत मलिन बस्ती विकास

कीकृत मलिन बस्ती विकास के लिए कुछ उपाय जिन्हें और अधिक लागू करने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं -

- मलिन बस्तियों पर डाटाबेस तैयार करना और उसे अद्यतन करना।
- शहरवार परिदृश्य और एकीकृत मलिन बस्ती विकास योजनाएं।
- मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना और उनमें वृद्धि करना।
- मलिन बस्तियों के निवासियों को आवधिक सुरक्षा की गारंटी देना।
- मलिन बस्तियों के सुधार हेतु इन-सिटू (यथा स्थिति) में उन्नयन और पुनर्वास विकल्प।
- मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु आवास एवं आश्रय विकास के लिए भूमि को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना।

कुशलता, उच्चतर उत्पादकता और उच्चतर आय हेतु, प्रशिक्षण देकर और दूसरी ओर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज बुलंद करके उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश करती है। इस प्रकार 11वीं योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में 'चहुंमुखी प्रगति' पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया जाएगा जिसे तालिका 11.12 ओर 11.13 में दिया गया है।

मलिन बस्तियों का आवासन

11.64 अनुमानों के अनुसार वर्ष 2001 में मलिन बस्तियों की आबादी 61.82 मिलियन थी जिसमें से 640 कस्बों और 50,000 तथा उससे अधिक आबादी वाले शहरों में मलिन बस्तियों की आबादी 42.58 मिलियन सूचित की गई थी। इन 640 कस्बों की कुल शहरी आबादी 184.35 मिलियन है। 2001 की जनगणना के अनुसार मलिन बस्तियों की आबादी से संबंधित तालिका और उन्हे उपलब्ध आवास और अन्य मूलभूत सुविधाएं तालिका 11.12 और 11.13 में दी गई हैं।

मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु आवास:

11.65 वर्ष 2001 की जनगणना में भारत के महापंजीयक ने सर्वप्रथम 50,000 या उससे अधिक शहरी आबादी वाले शहरों के लिए मलिन बस्तियों के आंकड़े एकत्र किए। देश में मलिन बस्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े नीचे बाक्स 11.7 में उपलब्ध कराए गए हैं।

योजनाओं की समीक्षा

11.66 पिछले दो दशकों में भारत सरकार द्वारा निर्धनों के लिए कई सामाजिक आवास योजनाएं चलाई गयी हैं जैसे कि तालिका 11.7 में दर्शाया गया है।

बॉक्स 11.7 मलिन बस्तियों का फैलाव

- 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 640 कस्बों में मलिन बस्तियां मौजूदा हैं।
- इन शहरी मलिन बस्तियों में 8.2 मिलियन परिवारों में 42.6 मिलियन आबादी रहती है।
- यह एक संयोग है कि वर्ष 2001 की भारत की जनगणना और वर्ष 2002 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन दोनों ने पाया कि शहरी भारत में प्रत्येक 7वां व्यक्ति मलिन बस्ती का निवासी है।

तालिका 11.7 सामाजिक आवास योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	से शुरू की गई
1.	इंदिरा आवास योजना	1990
2.	ईडब्ल्यूएस आवास योजना, बीड़ी कामगारों और हमालों के लिए	1991
3.	राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम	1996
4.	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए दो मिलियन आवास कार्यक्रम	1998
5.	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना	2000
6.	वीएमबीएवाइ(वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना)	2001
7.	जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी और आईएचएसडीपी)	2005

स्रोत : आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमओएचयूपीए), भारत सरकार

11.67 आवासीय और मानव बस्तियों में इनके बाद और अन्य नीतिगत ढांचा कार्यो तथा इसके बाद किए गए विकास कार्यक्रमों और योजनाओं का काफी अच्छा परिणाम रहा है। अच्छी भूमि, रहने योग्य आश्रय और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की आपूर्ति में काफी अच्छी प्रगति हुई है जिसका ब्यौरा बॉक्स 11.8 में दिया गया है।

11.68 नई मलिन बस्तियों को बनने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मलिन बस्तियों के निवासियों को वहनीय शहरी सुविधाएं मुहैया कराना और उन्हें आवधिक अधिकार देना 11वीं योजना का मुख्य बिंदु रहेगा। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शहरी स्थानीय निकाय अपने बजट का एक अंश शहरी निर्धनों के लिए उद्दिष्ट करें। जिला स्तर पर शहरी निर्धनता एककों को पहले ही गठित कर दिया गया है। उनकी कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाया जाना है। राष्ट्रीय स्लम नीति बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि मलिन बस्तियों के सुधार के लिए एक होलिस्टिक दृष्टिकोण बनाया जा सके।

बॉक्स 11.8 आवास निर्माण और स्वामित्व

- भारत सरकार की वाल्मिकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत योजना के प्रारंभ से वर्ष 2005-06 तक 4,59,728 रिहायशी एककों और 65,580 शौचालयों के निर्माण हेतु 932.56 करोड़ रुपये की राजसहायता जारी की गई है।
- राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के तहत योजना के प्रारंभ से वर्ष 2005-06 तक 436.28 लाख शहरी निधि को कवर करने के लिए कुल 3089.64 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- वर्ष 1991 से 2001 की अवधि के दौरान शहरी आवासीय स्टॉक में 19.52 मिलियन आवासीय एकक जुड़े, अर्थात् 1.95 मिलियन घरों का औसत वार्षिक निर्माण हुआ।
- शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व वाले मकानों का अंश 1991 के 63% से बढ़कर वर्ष 2001 में 67% हो गया है(जनगणना 2001)।
- यह नोट करना उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में एक कमरे की व्यवस्था वाले परिवारों की संख्या में काफी कमी आई है, वर्ष 1991 में इनका प्रतिशत 39.55 था जो 2001 में घटकर 35.1% रह गया। रहने की व्यवस्था में ऊपर की ओर जाता यह रूझान आवासीय इकाइयों की तीव्र आपूर्ति के कारण हुआ है।

11.69 शहरों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करने और मलिन बस्तियों में निवास कर रहे लोगों की मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिए एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स, (ईआईयूएस), राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी), इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम (आईएलसीएस) आदि जैसी योजनाएं और कार्यक्रम समय-समय पर प्रारंभ किए गए हैं।

11वीं योजना में शहरी निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम और योजनाएं

11.70 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना: (एस में एस आर वाई) केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों/अंडर अनएम्प्लोएड (शहरी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले) को निम्नलिखित के जरिए लाभप्रद रोजगार मुहैया करना था:

- स्व-रोजगार परक उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना; और
- वेतन भोगी रोजगार का प्रावधान।

11.71 यह शहरी स्थानीय निकायों के जरिए उचित सामुदायिक ढांचों और इनपुट की डिलीवरी के निर्माण पर आधारित थी। दसवीं योजना में इसका लक्ष्य 4 लाख शहरी निर्धनों को व्यक्तिगत/सामूहिक माइक्रो उद्यम लगाने में मदद करना और 5 लाख शहरी निर्धनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था।

11.72 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्व-रोजगार घटक के तहत अब तक 8,91,679 लाभभोगियों की मदद की गई है और 9,34,649 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अब तक 52701 शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास समूह बनाये गये हैं और सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए इस योजना के तहत 1,98,314 महिला लाभभोगियों को सहायता दी गई है। एसजेएसआरवाई के तहत 1,77,508 थ्रिफ्ट और क्रेडिट समितियां भी बनाई गई हैं। एसजेएसआरवाई के सामुदायिक ढांचा घटक के तहत 337.40 लाख लाभभोगियों को कवर किया गया है और एसजेएसआरवाई के वेतन रोजगार घटक के तहत 583.06 लाख कार्य दिवस निर्मित किए गए।

11.73 वर्ष 2005-06 में ह्यूमन सेटलमेंट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (एचएसएमआई) (मानव रिहाइस एवं प्रबंधन संस्थान) द्वारा अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का व्यापक मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:- (i) कुछ राज्यों में कार्यक्रम भली प्रकार चल रहा है; (ii) प्रशिक्षण के अधिकतर लाभभोगी 30 वर्ष से कम आयु के हैं; (iii) पूर्व और उत्तर पूर्व राज्यों को छोड़कर महिला समूह अपने

उत्पादों की मार्केटिंग स्वयं कर रहे हैं; (iv) डीडब्ल्यूसीयूए समूहों के गठन से महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है; (v) थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटियां अत्यधिक क्रियाशील हैं और वे छोटी बचतों तथा मतभेदों को हल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं; (vi) कुछ राज्यों में भौतिक लक्ष्य प्राप्त न करने का कारण अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण, परियोजनाओं का गलत चुनाव, प्रचार की कमी आदि है। (देखें बॉक्स 11.9)

11.74 एसजेएसआरवाई को निम्नलिखित विशेषताओं के रूप में संशोधित किया जा रहा है:-

स्व-रोजगार घटक

- योजना के स्व-रोजगार घटक को बाजार सर्वेक्षणों के रूप में और अधिक बाजारोन्मुख बनाया जायेगा जो माइक्रो - उद्यमियों को उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में मदद देगा जहां उनके उत्पादों और सेवाओं की अपेक्षित मांग मौजूद है।
- माइक्रो उत्पादन इकाइयों के समूह को पारंपरिक कौशल से संबंधित और अपने उत्पादों के लिए मशहूर कस्बों के स्थानीय घटकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा।
- कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सामूहिक सुविधा केन्द्र) के रूप में चुनिंदा समूहों के प्रौद्योगिकीय आधार को सुदृढ़ करने के लिए उचित अथवा इंटरमीडिएट प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जायेगा ताकि सामूहिक उपयोग के लिए वांछित जरूरी मशीनरी/उपकरण और उचित मूल्यों पर गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर चुनी गई आर्थिक गतिविधि से संबंधित माइक्रो - उद्यमियों के सहयोगियों द्वारा स्वयं चलाये जायेंगे।
- माइक्रो-उद्यमियों को उच्च गुणवत्ता की लघु उद्योग सलाहकर्ता सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।

बॉक्स 11.9

एसजेएसआरवाई में नये केन्द्र बिन्दु

अपने वर्तमान स्वरूप में यह योजना शहरी निर्धनों को प्रभावी रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सफल नहीं हुई है। शहरी क्षेत्र में नवीन कौशल - अपेक्षाओं का विकास हुआ है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए योजना में नये केन्द्र बिन्दुओं को लाने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य के प्रति 43 नये व्यापारों को चिन्हित किया गया है जिनमें निम्नलिखित के जरिए क्षमता निर्माण करने का प्रस्ताव है:-

- (क) कौशल का विकास - पीपीपी मोड (सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा)
- (ख) स्वयं सहायता समूह
- (ग) स्व-रोजगार कौशल के साथ स्वरोजगार लगाने के लिए ऋण की सुविधा देना।

- प्रमाण पत्र के साथ उन्नत तकनीकी कुशलता प्रदान करने के लिए देश भर में संसाधन संस्थानों को चुना जायेगा।
- सामुदायिक स्तर पर थ्रिप्ट एवं क्रेडिट सोसायटियों को प्रोत्साहन देकर स्व-रोजगार के प्रयासों पर विशेष बल दिया जायेगा।
- माइक्रो - उद्यमियों को व्यापार-आधारित संगठन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- केरल के कुदुम्बश्री मॉडल की मिशन पद्धति और देश के विभिन्न भागों में अपनाई जा रही अन्य विशिष्ट प्रक्रियाओं को अपनाया जायेगा ताकि एसजेएसआरवाई के तहत उन्हें लागू किया जा सके।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संस्थानों से डिजाइन एवं विकासात्मक सेवाओं की मांग की जायेगी ताकि मोबाइल वेंडिंग आउटलेट्स (चलते फिरते बिक्री केन्द्रों) का विकास किया जा सके।
- पदनामित संस्थान और विशिष्ट टास्क फोर्स की छत्रछाया के अधीन एक एकीकृत पहुंच को अपनाया जायेगा जिसमें पिछड़ों और अगड़ों के आपसी संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

11.75 मजदूरी - रोजगार घटक

- तकनीकी सेवाओं में दक्षता प्रदान करने के लिए विशिष्ट व्यापारों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाकर प्रमुख संस्थानों के साथ उच्च गुणवत्ता की प्रशिक्षण व्यवस्था आयोजित की जायेगी।
- विभिन्न प्रकार के व्यापारों जैसे निर्माण, सौंदर्य - प्रसाधिका एवं त्वचा - देखभाल, बालों की देखभाल, आतिथ्य सत्कार, पर्यटक गाइड, सुरक्षा, परिवहन और सचिवालयीय कार्यों में नियुक्ति सेवाओं में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- कम आय वाले पड़ोस में सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जायेगा जिसमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा और उनकी भागीदारी होगी।

11.76 ढांचागत एवं संगठनात्मक घटक

- राज्य स्तर पर सक्षमता स्तर और कार्यक्रम प्रबंधन एककों (पीएमयू) की पहुंच और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों में सुधार करके डिलीवरी तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
- म्युनिसिपल बजटों में बजट के 25% को शहरी निर्धनों के लिए उद्दिष्ट करने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए शहरी गरीबों के लिए सेवाओं का अभिसरण करने की आवश्यकता है।

- नेशनल बिल्डिंग संगठन (एनबीओ) को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि संशोधित एसजेएसआरवाई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सांख्यिकीय और मानीटरिंग इनपुट मुहैया कराये जा सके।
- यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित शहरी निर्धन परियोजना हेतु राष्ट्रीय रणनीति और यूनाइटेड नेशन्स एवं अन्य बहुपक्षीय/द्विपक्षीय परियोजनाओं के साथ उचित नेटवर्किंग करना अपेक्षित है ताकि क्षमता निर्माण और नवाचार एवं प्रायोगिक पायलट परियोजनाओं पर केन्द्रीकृत ध्यान दिया जा सके।

11.77 यूनिफार्म रिकाल अवधि के अनुसार यह एक तथ्य है कि शहरी आबादी का 25.7% गरीबी रेखा से नीचे रहता है, अतः 11वीं योजना के दौरान एक केन्द्रित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि शहरी क्षेत्रों में कम से कम 30 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा किए जा सकें। 11वीं योजना के दौरान शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए परिव्यय को उचित रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। संशोधित एसजेएसआरवाई बाजारोन्मुखी होगी और पिछड़ों एवं अगड़े से संबंधित एकीकृत प्रावधानों से युक्त होगी।

11.78 एचयूपीए मंत्रालय का 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के एक भाग के रूप में 'शहरी निर्धनों के बीच रोजगार प्रोत्साहन हेतु कौशल प्रशिक्षण' के लिए योजना लागू करने का प्रस्ताव है जो विशेष रूप से शहरी निर्धनों को लक्षित करेगी ताकि वे बाजार आधारित रोजगार अवसरों तक पहुंच बना सकें या अपनी जीवन स्थितियों में सुधार करने और निर्धनता को दूर करने के लिए स्व-रोजगार अपना सकें। इससे परिवर्तित हो रहे वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानिक परिप्रेक्ष्यों एवं अवसरों के प्रत्युत्तर में उद्योग एवं सेवा-क्षेत्र द्वारा वांछित कुशल एवं अर्द्ध कुशल जन शक्ति उपलब्ध हो सकेगी। इससे शहरी निर्धनों, विशेष रूप से महिलाओं में बेरोजगारी की दर में कमी हो सकेगी और उनकी उत्पादकता एवं वास्तविक वेतन में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप चहुंमुखी आर्थिक प्रगति हो सकेगी।

11.79 मानव संसाधन मूल्यांकन योजना हेतु शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए) (उषा):

इसका मुख्य उद्देश्य शहरी निर्धनता, मलिन बस्तियों, आवास, निर्माण और अन्य शहरीकरण से संबंधित सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय डाटाबेस, एमआईएस और ज्ञान भंडार का विकास और रखरखाव करना है। इसका मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से शहरी निर्धनता, मलिन बस्तियों और आवास से संबंधित कार्यक्रमों के

संदर्भ में योजना निर्माण, नीति-निर्माण, परियोजना डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया, क्रियान्वयन, मानीटरिंग, अनुमान एवं मूल्यांकन के लिए सूचना आधार और जानकारी के इनपुट से सरकार की मदद करना है। इस योजना को पूर्व में एमआईएस, आवासन सांख्यिकी अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता था।

11.80 भविष्य की पहुंच/रणनीति

- मिशन की पद्धति को अपनाते हुए शहरी निर्धनता उन्मूलन के मुद्दे का हल निकालने के लिए एक क्रमबद्ध, वैज्ञानिक और समयबद्ध तरीके की आवश्यकता है जैसाकि केरल में कुदुम्बश्री मॉडल के जरिए किया गया। कुशलता उन्नयन, उद्यमशीलता का विकास, वेतन-रोजगार आदि जैसे मुख्य मुद्दों पर विशिष्ट रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए एक लक्ष्य भेदी पहुंच होनी चाहिए।
- कुशलता (स्किल) विकास शहर के चारों ओर स्थित उद्योग और सेवा क्षेत्र की मांग के अनुसार अंतः संबंधित होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पेशेवर रूप से सक्षम संगठनों/ गैर सरकारी संगठनों द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से आवधिक रूप से श्रम बाजार के सर्वेक्षण करने चाहिए ताकि संगत विधाओं में, जहां मांग मौजूद है या होने की संभावना है, कौशल निर्माण के लिए समुचित प्रशिक्षण माड्यूलों को बनाया जा सके। इस प्रक्रिया से मानव पूंजी का ऐसा भंडार बनने की संभावना है जिसे समसामायिक श्रम बाजार में समुचित रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है।
- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यह परिकल्पना करता है कि शहरी निर्धनता उन्मूलन संबंधी कार्य और मलिन बस्तियों का सुधार तथा उनके उन्नयन सहित गरीबों को शहरी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करना म्युनिसिपैलिटीज का मुख्य कार्य है। अतः शहरी स्थानीय निकायों को अनिवार्य रूप से इनके लिए अपने बजट में प्रावधान करना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं और कार्यक्रमों में उपलब्ध वित्तीय और जन शक्ति संसाधनों दोनों का ईष्टतम उपयोग करते हुए शहरी निर्धनों के लिए सेवा डिलीवरी बनाते समय एक समन्वय पूर्ण पद्धति अपनानी चाहिए।
- कोई भी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्षमता संपन्न पर्याप्त जन शक्ति और इस प्रकार के सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने की इच्छा शक्ति के बिना सफल नहीं होंगी। अतः शहरी स्थानीय/जिला/राज्य स्तर पर शहरी गरीबी उन्मूलन सेलों के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि उनके पास प्रशिक्षित एवं तत्पर जन शक्ति उपलब्ध हो।

- शहर विशेष की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए आवश्यक है कि उन्हें शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाया जाए और मांग के अनुसार निधि रिलीज की जाए।
- यद्यपि शहरी निर्धन समाज का सबसे कमजोर तबका है फिर भी उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता लगभग नगण्य है। अतः समस्त शहरी निर्धनों के लिए एक विशेष पैकेज के रूप में व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना/स्कीम बनाने की आवश्यकता है ताकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल किया जा सके। इस सबसे कमजोर वर्ग के लिए विशेष रूप से एकल महिलाओं, विधवाओं, वृद्धों, विकलांगों, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदायों हेतु एक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को भी विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

शहरी आवास

11.81 आवास की भूमिका - शहरी निवासियों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता होने के अलावा आवासीय क्षेत्र विकास की गति तेज करने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। किसी अन्य उद्योग की भांति ही आवास में किये गये निवेश का आय और रोजगार पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार आवास/निर्माण क्षेत्र में किये गये अतिरिक्त निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में समग्र रोजगार उत्पादन सीधे रोजगार की तुलना में 8 गुना अधिक होता है (आईआईएम, अहमदाबाद अध्ययन 2005)। निर्माण क्षेत्र में रोजगार 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। आवासीय क्षेत्र गृह आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करता है। इसका सीधा प्रभाव स्टील एवं सीमेंट, मार्बल/सिरामिक टाइल्स, बिजली की वायरिंग, पीवीसी पाइप और विभिन्न प्रकार के फिटिंग उद्योग पर पड़ता है। जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। जीडीपी में आवासन उद्योग का योगदान बॉक्स 11.10 में सारांश रूप में दिया गया है।

बॉक्स 11.10 हाउसिंग स्टाक

- भारत की 1/3 से कम आबादी शहरों और कस्बों में रहती है।
- इन क्षेत्रों से देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2/3 भाग आता है और यह सरकारी राजस्व में लगभग 90% का योगदान देता है।
- सीएसओ के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2003-04 में आवास क्षेत्र ने वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 4.5% (शहरी क्षेत्र के लिए 3.13%) का योगदान दिया।
- वर्ष 2001 में हाउसिंग स्टाक 50.95 मिलियन था (55.8 मिलियन शहरी परिवारों के लिए)।

11.82 राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति - 'सबके लिए आश्रय' के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मूलभूत ढांचा मुहैया कराती है। यह नीति वर्ष 1998 में आवासहीनता को समाप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य, अपर्याप्त रूप से रह रहे लोगों की आवास स्थितियों में सुधार करने और सभी को न्यूनतम स्तर की मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बनाई गई थी। यह नीति सतत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आश्रय देने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी के मुद्दों को हल करने के लिए बनाई गई थी जिसका लक्ष्य अधिशेष हाउसिंग स्टॉक का निर्माण करना और शासन के राष्ट्रीय एजेन्डा के प्रत्येक वर्ष 2 मिलियन आवासीय यूनिटों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना था। तथापि आवास क्षेत्र में तब से कई परिवर्तन आये हैं। वर्ष 1998 की राष्ट्रीय आवास नीति को राष्ट्रीय पर्यावास और आवास नीति, 2007 द्वारा दी गई है। क्योंकि भूमि और इसको रहने योग्य बनाने हेतु नागरिक सुविधाओं का विकास करना इसके दो मुख्य घटक हैं।

11.83 शहरी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शहरी नवीकरण के जरिए हाउसिंग स्टॉक में सुधार किया जाये, यथास्थान मलिन बस्ती सुधार और वर्तमान शहरों एवं नये कस्बों में नये आवासों को विकसित किया जाए।

आवास की आवश्यकता का परिमाण

11.84 10वीं योजना के दौरान संसाधन आधार को बढ़ाने और शहरी क्षेत्र में आवासों की संख्या बढ़ाने के लिए नई संस्थागत प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने के काफी प्रयास किये गये। समाज के निर्धन और कमजोर समूहों को कवर करने के लिए भी केन्द्रित प्रयास किये गये ताकि उनकी आश्रय से संबंधित मूल सेवाओं तक पहुंच बनाई जा सके। राज्यकोषीय छूटों के साथ-साथ विधायी उपाय भी प्रारंभ किये गये ताकि आवास के क्षेत्र में व्यक्तिगत और कार्पोरेट द्वारा अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। तथापि, कई नीतिगत उपायों और प्रयासों के बावजूद इन लक्षित लाभों से शहरी निर्धनों को कवर करने के लक्ष्य को वांछित सीमा तक नहीं प्राप्त किया जा सका। बाजार की ताकतों के साथ-साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण शहरी भूमि पर दबाव भी बढ़ रहा है। (नीचे बॉक्स देखें)

भूमि उपलब्धता, भूमि अवधि और भूमि सुधार:

11.85 भूमि तक पहुंच और अवधि की कानूनी सुरक्षा, सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के प्रावधान और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सतत मानव रिहायशों के विकास हेतु दो मुख्य पूर्वापेक्षाएं हैं। केन्द्र सरकार की वर्तमान नीति इस पर एक सक्षम पहुंच बनाने पर जोर डालती है। यह राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे राज्य एजेंसियों और निजी क्षेत्र दोनों ही के द्वारा आवास क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए अपेक्षित संस्थागत सुधार और विधायी उपाय करें।

11.86 भूमि की अवधि से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों और/ अथवा प्रणालियों के वजूद को स्वीकार करते हुए स्थानीय प्राधिकारियों सहित समुचित स्तरों पर सरकारों से यह वांछनीय है कि वे उन सभी संभावित बाधाओं को हटाने का प्रयास करें जो भूमि तक सामान्य पहुंच में रोड़े अटका रही हैं और यह सुनिश्चित करें कि कानून के तहत भूमि और संपत्ति से संबंधित महिलाओं और पुरुषों के सामान्य अधिकारों की सुरक्षा हो सके। सभी स्तरों पर समुचित ग्रामीण और शहरी भूमि नीतियों एवं भूमि प्रबंधन विधियों को अपनाने की विफलता और असमानता निर्धनता का मुख्य कारण है। मास्टर प्लानिंग, जोनिंग और नियमन सहित शहरी योजना निर्माण पद्धति तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण के साथ उसी गति से भूमि उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है, परिणामस्वरूप भूमि की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती और भूमि मूल्यों में वृद्धि होती है। लचीली भूमि नीति होना आवश्यक है जिसमें एक प्रकार के उपयोग से दूसरे में परिवर्तन कराना कम खर्चीला और प्रभावी हो। भूमि रिकार्डों का डाटा एवं कंप्यूटरीकरण, ई-गवर्नेन्स भी शहरी भूमि नीति के महत्वपूर्ण घटक होने चाहिए।

राष्ट्रीय भूमि नीति

11.87 हमें एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी जो सार्वजनिक और निजी दोनों विकासकर्ताओं को पारदर्शी नियमों और नियामकों के जरिए शहरी आवासों और टाउनशिपों में परिवर्तित करने के लिए कानूनी रूप से भूमि खरीदने की अनुमति देगी। शहरी क्षेत्रों में सुविधा सम्पन्न भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता निर्धनों के लिए आवास परियोजनाओं को शुरू करने में मुख्य बाधा है।

बॉक्स 11.11

आवास की कमी और आवश्यकता

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के संबंध में आवासीय कमी के अनुमान पर गठित तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 24.71 मिलियन आवासों की कमी होने का अनुमान है। इसमें से लगभग 99% परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूहों (एलआईजी) से संबंधित हैं।
- 11वीं योजना के दौरान बैकलॉग सहित लगभग 26.53 मिलियन कुल घरों की आवश्यकता है।

11.88 मौजूदा कस्बों के शहरी विस्तारों के विशिष्ट क्षेत्रों और नई टाउनशिपों हेतु क्षेत्र की स्थानिक सीमा में छूट देने की प्रक्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जहां तक संभव हो मुख्य कृषि योग्य भूमि का उपयोग न किया जाए अपितु शहरीकरण के लिए बेकार बंजर जमीन के उपयोग पर जोर दिया जाए। आज भी देश में कुछ आधारभूत खाद्य सामग्रियों का समय-समय पर आयात किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जो भूमि का अधिग्रहण करते हैं उन्हें शहरी विस्तारों या नई टाउनशिपों को विकसित करते समय स्थानापन्न ग्रामीण परिवारों के लिए अनिवार्य रूप से एक पुर्नवास नीति बनानी चाहिए।

11.89 शहरीकरण की प्रक्रिया के दौरान यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नदी और उनके बाढ़ मैदानों, अन्य जल राशियों और प्राकृतिक निकास प्रणालियों से छेड़छाड़ न की जाये। इसके अलावा, अंधाधुंध शहरी फैलाव को ध्यान में रखते हुए शहरों की हरियाली में वृद्धि करना और शहरी रिहाइश के चारों ओर हरित पट्टी भी विकसित करना आवश्यक है। शहरों और कस्बों के चारों ओर अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की आंतरिक बसावट होनी चाहिए ताकि उस क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखा जा सके। माइक्रो- फाइनेंस तक पहुंच का सीधा सह-संबंध भूमि स्वामित्व के साथ होता है। अतः राज्य सरकारों को शहरी निर्धनों के लिए भूमि अवधि की सुरक्षा मुहैया कराना आवश्यक है। ऋण सक्षमता हेतु स्वामित्व गिरवी योग्य होना चाहिए।

वांछित निवेश

11.90 11वीं योजना हेतु निवेश अपेक्षाओं का अनुमान लगाने के लिए शहरी आवास पर कार्यदल ने 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले और अन्य शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण की यूनिट लागत पर विभिन्न संभावनाएं व्यक्त की हैं (बॉक्स 11.12 देखें)।

11.91 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मानवीय रिहाइशों पर एक एकीकृत और सम्यक पहुंच बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा एकीकृत प्रयास

बॉक्स 11.12 वांछित निवेश

घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल 3,61,318.10 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें 11वीं योजना के प्रारंभ में घरों की कमी को दूर करने के लिए अपेक्षित 1,47,195 करोड़ रुपये और 11वीं योजना अवधि के दौरान नये निर्माणों के लिए 2,14,123.10 करोड़ रुपये शामिल हैं। (इसमें पक्का, अर्द्ध-पक्का का उन्नयन और कच्चे आवासीय यूनिट शामिल हैं)

किये जाने होंगे जो भूमि, वित्त, विधिक और नियामक फ्रेमवर्क, तकनीकी मदद और सार्वजनिक निजी भागीदारी के मुद्दे को हल कर सकें। तथापि, यह समझना आवश्यक होगा कि इसका कोई एक हल नहीं हो सकता है और राष्ट्रीय तथा स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर विविध विकल्पों और प्रयासों की आवश्यकता होगी।

आवास बाजार:

11.92 एक अच्छे आवास बाजार के लिए सरकार को एक उत्साहवर्धक ढांचा तैयार करना होगा। कमजोर वर्गों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किराया बाजार सहित आवास बाजार के नियमन के लिए लचीले उपायों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

आवास वित्त पोषण:

11.93 बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लागू होने के साथ ही व्यक्तिगत परिवारों द्वारा तथा सहकारी समितियों और निजी विकासकर्ताओं के जरिए भी गृह निर्माण के लिए वित्त पोषण तक विस्तृत पहुंच बनाने में काफी सुधार किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा करता है कि वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती जमा का 3% प्राथमिकता के क्षेत्र में लगाया जाए जिसमें व्यक्तियों एवं सहकारी संस्थाओं सहित अन्य और निजी क्षेत्रों द्वारा गृह निर्माण का वित्त पोषण करना शामिल है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक, हुडको द्वारा जारी किए गए बांडों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश को भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानता है। बॉक्स 11.13 में आवासन ऋणों के वित्त पोषण के ब्यौरे दिए गए हैं।

11.94 हुडको का आवासीय पोर्टफोलियो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देश भर में फैले लक्षित समूहों को कवर करता है। 11वीं योजना अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास और शहरी विकास जरूरतों की मदद करने हेतु हुडको की बड़े पैमाने पर सहायता करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 74,596 करोड़ रुपये के अनुमोदन की परिकल्पना करता है। जिसमें इसके आवास और शहरी विकास कार्यक्रम दोनों ही शामिल हैं। इसमें से 14,919 करोड़ रुपये की राशि अंतिम रूप से इसके आवास प्रचालनों के लिए चिन्हित की गई है।

आवास के लिए निधियों का प्रवाह

11.95 वर्तमान आर्थिक और पूंजी परिदृश्य को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि 11वीं योजना अवधि के दौरान बैंकों, एचएफसी और सहकारी क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला आवास वित्त संवितरण

बॉक्स 11.13 आवास ऋणों का वित्त पोषण

- खुदरा आवास ऋण के तहत अधिकतर एचएफआई/ बैंकों के ग्राहक एमआईजी/ एचआईजी श्रेणी के हैं और ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी वर्गों के लिए काफी हद तक आवास ऋण वित्त पोषण वहनीय नहीं है।
- एचएफसी(ज) द्वारा दिए गए आवास ऋणों का केवल 0.2% 50,000 रुपये से कम कीमत का ऋण है और आवास ऋणों का लगभग 7% 50000 रुपये से 100000 रुपये की कीमत का ऋण है।
- एचएफसी(ज) द्वारा दिये गये ऋण का 73% से अधिक भाग ऐसा ऋण है जिसकी कीमत 3 लाख से अधिक है और लगभग 93% की कीमत 1 लाख से अधिक है।
- 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच के आवास ऋण का बाजार सबसे तेजी से बढ़ रहा है
- यह एक ऐसी प्रणाली या एक ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता दर्शाता है जो निम्न आय समूहों, के लिए बड़े पैमाने पर आवास ऋण का वित्त पोषण कर सके, जिनकी आवास ऋण के लिए वहनीय क्षमता 3 लाख रुपये से कम है क्योंकि 90% घर की कमी ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी के कारण ही है।

15% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2007-12 के दौरान इन संस्थानों से होने वाला ऋण वितरण (निधियों का सकल प्रवाह) लगभग 7.75 लाख करोड़ रुपये होगा। निधियों के इस प्रक्षेपित प्रवाह के आंकड़ों में गुणात्मक गणना और सम्पत्ति की पुनः बिक्री इस अर्थ में शामिल है कि विभिन्न संस्थाओं के बीच क्रास-फंडिंग/ बल्क उधारियां होती हैं। अतः यह अनुमान लगाया गया है कि औपचारिक क्षेत्र की संस्थाओं से आवास क्षेत्र को होने वाला निधियों का नेट प्रवाह नये आवासों के निर्माण के लिए निधियों के सकल प्रवाह का 50% होगा। यह लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपये बैठता है जो 11वीं योजना के लिए शहरी आवास हेतु कुल निवेश आवश्यकताओं का 80% है।

संसाधन जुटाना:

11.96 विभिन्न प्रकार के परिवारों को घरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निधियों के अधिक प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु विधायी एवं नियामक, आउट-रीच संबंधी और आवास वित्त पोषण के विस्तार से संबंधित उपचारात्मक उपाय अपेक्षित होंगे।

11.97 ईडब्ल्यूएस, कम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर विशेष ध्यान देते हुए आवास वित्त की तरलता में सुधार करना आवश्यक होगा ताकि वित्तीय संस्थान अपेक्षित निधियों की पूर्ति करने की स्थिति में हो। इस संबंध में द्वितीयक बंधक बाजार (सैकेन्डरी मार्टगेज मार्केट) का विकास होना महत्वपूर्ण है। निधियों के स्रोत के रूप में संवीक्षा की भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा द्वितीयक बंधक बाजार के विकास हेतु प्रयास पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं। आवासीय बंधक आधारित संवीक्षा (आरएमबीएस) लेन देन में बैंकों और अन्य प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से संयुक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार उनके लिए एक उत्साहवर्धक और सहायतापूर्ण राजस्व और नियामक फ्रेमवर्क मुहैया कराए।

निजी क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका:

11.98 11वीं योजना उन्नयन गतिविधियों सहित आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर परिसम्पत्तियों में बैकलॉग को समाप्त करने का उद्देश्य रखती है। नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारडको) और कनफेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रिडाई) निजी विकासकर्ताओं के प्रमाणन द्वारा और इसी प्रकार के संस्थानों को उनके अनुभव और क्षमता के आधार पर रेटिंग प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। भारत सरकार ने टाउनशिप के विकास हेतु 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की है। इसमें न्यूनतम कैपिटलाइजेशन के अधधीन निर्माण विकास परियोजना, न्यूनतम भूमि/ बिल्डअप क्षेत्र आदि शामिल हैं। तथापि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अधिक प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति और अनुमोदन में होने वाले प्रक्रियागत विलंब को कम करने की आवश्यकता है।

सहकारी समितियों की भूमिका

11.99 सहकारी आवास मूवमेंट को लगातार पंचवर्षीय योजना में मदद मिलती रही है और सहकारी मूवमेंट के भीतर एक मजबूत संस्थागत ढांचे का विकास हो रहा है। आवास सहकारिताओं का निष्पादन उन्हें उपलब्ध निधियों पर अत्यधिक निर्भर करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान अर्थात् प्रतिष्ठित कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन विभिन्न एजेंसियों जैसे एलआईसी, एनएचबी, हुडको, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों और अन्य स्रोतों से 1774.43 करोड़ रुपये जुटाये।

11.100 समुदाय संबद्ध वित्त सुविधा(सीएलआईएफएफ) एक ऐसा वित्त तंत्र है जो शहरी निर्धनों को संगठित करके पूंजी तक पहुंच बनाता है और भारत में अभी यह अपने प्रचालन के तीसरे वर्ष में है। दिसम्बर, 2004 तक सीएलआईएफएफ ने 10 सामुदायिक नेतृत्व

की विकास परियोजनाओं, आवासीय विकास योजनाओं को सहायता देते हुए 2816 परिवारों के लिए सुरक्षित अवाधि के साथ सुरक्षित और वहनीय आश्रय मुहैया कराए और दो सैनिटेशन परियोजनाएं पूरी की जिनसे मुम्बई और पुणे की मलिन बस्तियों, दोनों ही महाराष्ट्र में, के 200,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए।

किराये का आवास:

11.101 आवास के विकास की राह में आने वाली बाधाओं में से एक प्रमुख बाधा अधिकतर राज्यों में रेंट कंट्रोल विधेयक का होना है। शहरी क्षेत्रों में सुयोग्य विधायी और प्रशासनिक उपायों के जरिए रेंटल आवास को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है ताकि शहरों में अपने निवास के दौरान आबादी के विभिन्न वर्गों की आवासीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके। राज्यों द्वारा मॉडल रेंट कंट्रोल अधिनियम का व्यापक सुझाव दिए जाने की आवश्यकता है जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उचित परिवर्तन किया जा सके। राज्य सरकारों को राजकोषीय प्रोत्साहनों और लचीले ऋणों के जरिए सार्वजनिक आवास संस्थानों, कार्पोरेट निकायों, शिक्षा संस्थाओं और निजी क्षेत्र की एजेंसियों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपने कवरेज और ध्यान के तहत विशिष्ट वर्गों के लिए रेंटल आवास को प्राप्त कर सकें।

आवासीय प्रौद्योगिकी

11.102 बीएमटीपीसी का गठन वर्ष 1980 में किया गया था। इसका उद्देश्य कम लागत की पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा कुशल और आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना और निरन्तर वातावरण के विकास हेतु भवन सामग्री उपलब्ध कराना था। नवीन भवन सामग्रियों से संबंधित 39 प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया और उनके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए निजी उद्यमियों को उनका लाइसेंस दिया गया। 12 प्रौद्योगिकियां विकास के विभिन्न चरणों में हैं। हाल में विकसित एक प्रौद्योगिकी बैम्बू मेट कार्बोयूगोटेड शीट से संबंधित है जिसे एस्बेस्टस या लोहे की चादरों के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा काउंसिल ने कम कीमत की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बंगलोर में वाम्बे के तहत 252 प्रदर्शन हेतु घरों का सफलतापूर्वक निर्माण कार्य पूरा किया है। काउंसिल ने वाम्बे के तहत देहरादून (उत्तराखंड) में 100 और नागपुर (महाराष्ट्र) में 70 प्रदर्शन हेतु घरों का निर्माण भी किया है। बिलासपुर (छत्तीसगढ़), त्रिची (तमिलनाडु) और कोदुलु (कर्नाटक) में 270 प्रदर्शन हेतु घरों का निर्माण चल रहा है।

11.103 बीएमटीपीसी द्वारा एकीकृत पहुंच के जरिए किये गये प्रयासों, जिसमें मानकीकरण, ग्रेडिंग जानकारी, नीतिगत मदद और वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में सरकारी मान्यता के जरिए प्रोत्साहन शामिल हैं, से निश्चित रूप से स्वीकार्यता में वृद्धि हुई

है और इसने प्रौद्योगिकी अंतरण की एक एकीकृत प्रणाली की क्षमता को भी प्रदर्शित किया है। फ्लाइंग ऐश, ईटों, ब्लाकों और स्लैब/ छतों के लिए सरल ढलाई प्रणालियों जैसी वैकल्पिक सामग्रियों के प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। भवन और निर्माण समग्री के मानकों हेतु लचीलेपन को बढ़ाया जाना चाहिए।

11.104 बीएमटीपीसी की मुख्य उपलब्धि आपदा शमन योजनाओं को प्रतिपादित करने और आपदा संभावित क्षेत्रों में टेक्नोलीगल रिंगिंग स्थापित करने के लिए भारत के वलनरएबिलिटी एटलस को तैयार करना रहा है। इस एटलस को अद्यतन आंकड़ों के साथ डिजिटलईज्ड फार्म में संशोधित किया गया है। वलनरएबिलिटी एटलस के विस्तार के रूप में इसने भारत के लैण्डस्लाइड हजार्ड जोनेशन एटलस को प्रकाशित किया है। बीएमटीपीसी ने भी भूकम्प/ चक्रवात सहन करने के लिए सुरक्षित एवं टिकाऊ घरों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रतिपादित किए हैं। 11वीं योजना के दौरान बीएमटीपीसी का प्रस्ताव गृह वृद्धि उत्पादन तकनीक, घर/ भवन निर्माण परियोजनाओं में मितव्ययता एवं कार्य निष्पादनता, घर एवं भवन निर्माण में बांस का उपयोग, वलनरएबिलिटी में कटौती, जोखिम निर्धारण और आपदा प्रतिरोध निर्माण को बढ़ाने और आधुनिक बनाने पर लक्षित है। साथ ही, यह ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी मकानों के डिजाइनों और नक्शों में सुधार करने के लिए कदम उठाएगा। बीएमटीपीसी के इस उद्देश्य हेतु लगभग 55.19 करोड़ रुपये की निधि की कुल आवश्यकता है।

11.105 हिन्दुस्तान प्रेफैब लि0 1953 में हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्ट्री लि0 के रूप में स्थापित किया गया था तथा 1955 में इसे सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा प्रदान किया गया। 1978 में कंपनी का हिन्दुस्तान प्रेफैब लि0 के रूप में पुनः नामकरण हुआ। एचपीएल का उद्देश्य सस्ते पूर्व निर्मित भवन घटकों का विकास करना है। एचपीएल इस समय पूर्व निर्मित भवन घटकों के अनुसार अपने परिचालनों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है। आशा की जाती है कि कंपनी 11वीं योजना में इस फोकस को जारी रखेगी और साथ ही स्थल पर्यवेक्षण के क्षेत्रों में वृद्धि, परियोजना प्रबंधन सेवाएं, टर्नकी निर्माण योजनाओं, भवन एवं आधारभूत परियोजनाओं की डीपीआर को तैयार करना, निर्माण ट्रेडों में परियोजना मूल्यांकन और प्रशिक्षण भी देगी। यह मलिन बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के लिए नीतिगत उपाय भी सुझाएगी।

गंदी बस्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए उपाय एवं कार्यनीति

11.106 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) 63 शहरों और कस्बों के गरीबों को अच्छे ढंग

से शहरी आवास, बुनियादी तथा आधारभूत सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एकमात्र सबसे बड़ी योजना है। जेएनएनयूआरएम के 63 चुने हुए शहरों को कवर करते हुए दो प्रमुख खंड हैं अर्थात् (i) सब मिशन ऑन बेसिक सर्विसेज टू दी अर्बन पुअर (बी एस यू पी) (ii) गैर मिशन शहरों तथा कस्बों को छोटे और मध्यम कस्बों के लिए शहरी बुनियादी विकास योजना यूआईडीएसएसएम और समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)के तहत रखा जाता है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय बीयूएसपी और आईएचएसडीपी कार्यक्रमों के लिए नोडल मंत्रालय है जो शहरी गरीबों विशेष रूप से मलिन बस्तियों में रहने वालों को आवास और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करता है। उन्नत आवास के अतिरिक्त ये स्कीम/ कार्यक्रम सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था तथा ठोस कचरे का निपटान आदि जैसी अन्य आधारभूत सेवाएं भी प्रदान करेगी।

11.107 शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने से संबंधित ब्याज राज सहायता स्कीम का प्रस्ताव 11वीं योजना के दौरान लाया गया है ताकि शहरी क्षेत्रों के ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी खंडों को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक ऋणदाताओं को केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज राजसहायता प्रदान की जा सके। ब्याज राजसहायता से गरीबों को आवास देने के लिए बाजार निधियों को बल मिलने की संभावना है। इस स्कीम से 11वीं योजना के दौरान आवास स्टाक में 15 लाख आवास जुड़ने की संभावना है।

इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन स्कीम

11.108 मल को हाथों से उठाने की घृणित एवं पुरानी प्रणाली से सिर पर मैला ढोने वालों को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से दसवीं योजना के दौरान चालू निम्न लागत सफाई स्कीम संशोधित किए जाने की प्रक्रिया में है। वर्तमान स्कीम प्लिंथ स्तर तक दो गद्दों वाला शौचालय बनाने के लिए ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को 45% तथा एलआईजी लाभार्थियों को 25% राजसहायता प्रदान करती है। प्लिंथ स्तर के बावजूद उत्तम ढांचे के लिए गैर संशोधित स्कीम राजसहायता भी प्रदान की जाती है। उत्तम ढांचे युक्त दो गद्दों वाले शौचालय निर्माण करने के लिए ऊपरी लागत सीमा 10,000 रुपये होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में दो गद्दों वाले शौचालय का निर्माण करने के लिए लागत में उपयुक्त वृद्धि प्रदान की जाएगी। इस तरह से इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन स्कीम अधिक व्यापक होगी तथा यह आशा की जाती है कि देश में सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था से स्वतंत्रता पाने की प्रक्रिया पूरी होगी।

शहरी योजना और प्रबंधन

11.109 संयुक्त राष्ट्र संघ ने (औसत 2.5% की यौगिक वार्षिक वृद्धि मानते हुए) अनुमान लगाया है कि 2000 और 2030 के बीच भारत की शहरी आबादी 282 मिलियन से बढ़कर 590 मिलियन हो जाएगी। आने वाले समय में भारत की शहरी योजना संबंधी चुनौती का एक पहलू प्रति वर्ष 10 मिलियन अतिरिक्त शहरी आबादी को समायोजित करना, उन्हें पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं और बुनियादी संरचना मुहैया कराना, आर्थिक विकास के लिए अवसर का सृजन करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि शहरीकरण पर्यावरण की दृष्टि से सतत जारी रखने योग्य हो।

शहरी योजना और प्रबंधन में उभरते मुद्दे

11.110 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 एक ऐतिहासिक विधान है जिसमें एक लोकतांत्रिक और भागीदारीपरक योजना निर्माण की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है ताकि नियोजन प्रक्रिया में लोगों की जरूरतों, खास तौर पर निर्धन और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े समूहों की आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थान विषयक और आर्थिक विकास तथा ग्रामीण और शहरी नियोजन के एकीकरण के लिए जिला नियोजन समितियां और महानगरीय नियोजन समितियां स्थापित करने की मांग करता है।

11.111 राज्य सरकारों को महानगरीय योजना समितियां और जिला योजना समितियां गठित करने और कार्यशः बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित शहरी विकास और योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूडीपीएफआई) मार्गनिर्देश प्रासंगिक हैं जिनमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंधों को विधिवत रूप से शामिल किया गया है।

ग्यारहवीं योजना के प्रमुख क्षेत्र

11.112 शहरी योजना और विकास प्रक्रिया को अप्रतिहत बनाने के लिए योजना निर्माण के ढांचे जिसमें राष्ट्रीय स्तर की स्थान विषयक कार्यनीतियां, क्षेत्रीय स्तर की कार्यनीतिगत योजनाएं, महानगरीय क्षेत्रीय कार्यनीतिगत योजनाएं और नगर और वार्ड स्तर की भूमि उपयोग और विकास योजनाएं शामिल हैं, को अंतः- संबद्ध करना उपयुक्त होगा।

11.113 एक प्रभावी शहरी योजना प्रणाली के लिए तीन स्तरों पर अंतर्संबंधित योजनाओं का होना आवश्यक है, यथा परिप्रेक्ष्य/संरचना योजनाएं (20-25 वर्ष), राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ चलने वाली अल्पकालीन एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजनाएं (5 वर्ष) और विशिष्ट परियोजनाओं और स्कीमों की योजनाएं।

11.114 राष्ट्रीय स्थान विषयक कार्यनीति में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए औद्योगिक स्थल निर्धारण और विकास, रोजगार सृजन मानवीय निवास पैटर्न और संरचना विकास के लिए नीतियां शामिल की जानी चाहिए। राज्य स्थान विषयक योजनाएं जनसांख्यिकीय और आर्थिक संभावनाओं, विस्तृत भूमि उपयोग संरूपण, आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं, परियोजना कार्यान्वयन की समयतालिकाओं, जिसमें निजी-सार्वजनिक साझेदारी की व्यवस्था शामिल है, को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।

11.115 प्रत्येक जिले को एक जिला विकास योजना बनानी चाहिए, जो इसके घटक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं और मौजूदा जिला एजेंसियों के तहत विभिन्न स्कीमों के लिए क्षेत्रीय आबंटनों को एकीकृत करे।

11.116 महानगरीय विकास योजना महानगरीय क्षेत्र के अधीन नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं के आधार पर और केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के संदर्भ में तैयार की जानी चाहिए।

11.117 इन योजनाओं को तैयार करने के लिए विधिक और संस्थागत ढांचे को नगरपालिकाओं को पर्याप्त आधारभूत संरचना और मानव शक्ति मुहैया करानी चाहिए। इसके अलावा विकास योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया शहरी और ग्रामीण सूचना तंत्र विकसित करके और रिमोटली सेन्सड आंकड़ा, आकाशी चित्रों, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) को उपागम्य बनाकर तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डाटा बेस तैयार करने के लिए एमआईएस प्रकोष्ठ स्थापित करके सुगम बनाई जानी चाहिए। अलग-अलग राज्यों द्वारा विचार की जा रही अनेक आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के परिणामस्वरूप शहरी आबादी को जल आपूर्ति, सीवर, नाली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में सभी नगरों/शहरों के लिए सशक्त डाटा बेस तैयार करने के लिए उपयुक्त मैकेनिज्म विकसित करना अत्यधिक आवश्यक है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.118 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्र में लगे सभी कार्मिकों के कौशल और दक्षता में वृद्धि के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जा सके। पेय जल आपूर्ति, सीवर, सफाई, जल-निकास, जेएनएनयूआरएम के तहत एसडब्ल्यूएम के लिए विभिन्न यूएलबी(ज)/राज्य के विभागों द्वारा विकसित की जा रही आधारभूत संरचना को और भी अधिक कुशल और प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता होगी ताकि जल आपूर्ति और स्वास्थ्य स्कीमों की बेहतर योजना, डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और ओ एंड एम किए जा सकें।

बाह्य सहायता एजेंसियों की भूमिका और भागीदारी

11.119 विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जैसी बाह्य सहायता एजेंसियों और द्विदेशीय एजेंसियों से मामला दर मामला आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहायता की संभावना तलाशने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि बाह्य दाता एजेंसियां अपनी कार्रवाई/निर्णय लेने में समय में कटौती करके एक वर्ष से कम करे ताकि जेएनएनयूआरएम के तहत नियोजित परियोजनाओं को परियोजना कार्यान्वयन में हो रही प्रगति में बिना किसी रूकावट के बाह्य दाता एजेंसी से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिल सके।

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए अभिप्रेत शहरी विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट प्रावधानों को जेएनएनयूआरएम के साथ अंतःसंबद्ध करना

11.120 पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए अभिप्रेत शहरी विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन नॉन लेप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिसोर्स (एनएचसीपीआर) के संसाधनों के कुल 10 प्रतिशत से शहरी आधारभूत संरचना के सृजन के लिए वित्त पोषण किया जाता है जिसमें जल आपूर्ति, सीवर, जल निकास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। यह वित्त पोषण उसी तर्ज पर किया जाता है जिस तर्ज पर जेएनएनयूआरएम का वित्त पोषण किया जाता है अर्थात् 90:10 आधार पर। इन कार्यक्रमों को जेएनएनयूआरएम के साथ एकीकृत कर देने की आवश्यकता है ताकि भिन्न-भिन्न मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं को दोहराया न जाए और नगर विकास योजनाओं पर आधारित परियोजनाओं को ही जारी रखा जाए।

प्रभावी शासन और शहरी सेवाओं के प्रावधान और प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

11.121 आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से शहरी शासन में स्पष्ट रूप से परिवर्तन आए हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन और इंटरनेट, इंटरनेट, सेल्यूलर फोन और मेनु-बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसे द्रुत संचार के विभिन्न रूपों की उपलब्धता ने शासन की अवधारणा में क्रांति ला दी है। शासन को जनता के अनुकूल और कागज रहित कार्य करने और अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाने के मामले में प्रशासकों और नीति निर्माताओं के नजरिये में भी परिवर्तन आया है। ई-गवर्नेंस में सरकार द्वारा आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सामरिक और सुव्यवस्थित उपयोग शामिल है ताकि इसके प्रकार्य और नागरिकों के साथ इंटरफेस को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जिम्मेदारीपूर्ण बनाया जा सके।

नगरपालिका शासन और सुधार

संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम:

11.122 इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया है और स्वशासन की लोकतांत्रिक संस्थाओं के एक समुच्चय का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। तथापि, इस संबंध में कानून बनाए जाने के 15 वर्षों के बावजूद अधिकांश राज्यों में इसके अनेक उपबंधों को कार्यान्वित करना बाकी है। जहां संविधान संशोधन अधिनियम में प्रकार्यों, वित्त और अधिकारियों के विकेंद्रीकरण की कल्पना की गई है ताकि शहरी स्थानीय निकाय 'स्वशासन की संस्थाओं' के रूप में वास्तव में कार्य कर सकें, वहीं वित्तीय और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण राजनीतिक विकेंद्रीकरण से पीछे रहा है। संशोधित नगरपालिका अधिनियमों में शहर योजना निर्माण सहित शहरी स्थानीय निकायों को विशिष्ट रूप से प्रकार्य और वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई हैं। समावेशी विकास और महत्वाकांक्षी विकास के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश की उस संस्थागत ढांचे को सक्रिय करने की आवश्यकता है जो रहने योग्य, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्द्धी नगरों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

निर्णय लेने और कार्यान्वयन में समुदाय और चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करना

11.123 संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम में चुने हुए प्रतिनिधियों और समुदाय के नेताओं को वार्ड समितियों, महानगरीय योजना समितियों और जिला योजना समितियों जैसी संस्थागत संरचनाओं के जरिए निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब 'ऊपर से नीचे' के दृष्टिकोण के बजाए 'नीचे से ऊपर' की अभिवृत्ति पर जोर दिया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकायों का कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण

11.124 शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए विभिन्न अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए कुशल मानव शक्ति की कमी एक चिंता का विषय है। कई शहरी स्थानीय निकायों में परियोजनाओं को तैयार करने के लिए केवल एक या दो इंजीनियर हैं और नगर विकास योजना और परियोजना रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए कोई शहरी योजना निर्माता नहीं है। 11वीं योजना के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं की गतिविधियों में समन्वय के लिए एक शीर्ष एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 3-5 वर्षों के "शहरी शासन क्षमता निर्माण कार्यक्रम" तैयार करने का प्रस्ताव किया है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकायों की कमियों को जेएनएनयूआरएम और अन्य केंद्रीय

सरकार द्वारा प्रायोजित स्क्रीमों के तहत विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिए दूर किए जाने की आवश्यकता है।

स्वतंत्र विनियामक संस्थाएं

11.125 राज्य स्तर पर पेशेवर नगर प्रबंधकों वाली एक स्वतंत्र विनियामक संस्था की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी स्थानीय निकाय स्वायत्तता के साथ लेकिन उस स्वतंत्र विनियामक संस्था द्वारा निर्धारित ढांचे के भीतर कार्य करें। यह विभिन्न प्रकार के स्थानीय करों, शुल्कों, उपभोक्ता प्रभारों, प्रशासनिक व्यय आदि की न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के निर्धारण जैसे मानकों को तय कर सकती है। इस प्रकार की विनियामक संस्थापक की स्थापना से लोगों को जन सेवाएं मुहैया कराने में स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने में काफी मदद मिल सकती है।

शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रचालन मैनुअल तैयार करना

11.126 शहरी स्थानीय निकायों की स्वतंत्र विनियामक संस्था को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रचालन मैनुअल तैयार करने का कार्य सौंपा जा सकता है। प्रचालन मैनुअल से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सृजन की जा रही परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में निश्चित तौर पर सुधार आ सकता है। गुणवत्ता नियंत्रण और समरूपता सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल द्वारा उन सभी सामग्रियों के लिए मानक निर्धारित किया जा सकता है जिनका उपयोग परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रचालन मैनुअल केवल अभियांत्रिकी संबंधी पहलुओं के लिए हों। इसके दायरे में वे तमाम सेवाएं आ सकती हैं जिनमें शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।

नगरपालिका संबंधी वित्त

11.127 नगरपालिकाओं से जिन शहरी सेवाओं की आशा की जाती है उन्हें उपलब्ध कराने के लिए उनके पास न तो वित्तीय शक्तियों की स्वायत्तता है न ही उत्तरदायित्व। शहरी स्थानीय निकाय की राजस्व क्षमताओं और वित्तीय आवश्यकता के बीच सामंजस्य नहीं है।

11.128 शहरी विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में विभिन्न जन सेवाओं के प्रचालन और अनुसंधान के लिए 2005-10 की अवधि के दौरान सभी राज्यों के लिए 76,896 करोड़ रुपये का एक विशाल संसाधन अंतर पाया है (टीएफसी रिपोर्ट)। इस विशाल अंतर को पाटने के लिए हमारी कार्य नीति अपेक्षाकृत सख्त मार्गनिर्देशों, नीति निर्धारणों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के इर्द-गिर्द घूमती है। इससे निश्चित तौर पर शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर

वित्तीय व्यवहार्यता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों को मौजूदा राजस्व स्रोतों से उगाही में सुधार लाकर, संपत्ति कर में सुधार, नए करों और प्रभारों को लगाकर, उपयोगिता प्रभारों और शुल्कों के लिए अधिक लागत रिकवरी, बेहतर सूचना, पंजीकरण, करों और प्रभारों की बेहतर बिलिंग और वसूली प्रणालियों और प्रशासनिक खर्चों में कटौती आदि के जरिए अपने स्रोतों से राजस्व के आधार में विस्तार के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। सेवा प्रदान करने के नए प्रवर्तनकारी तरीकों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

नगरपालिका के संसाधनों में वृद्धि करने के वैकल्पिक तरीके विकसित करना

11.129 शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व सृजन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की आवश्यकता है:-

संसाधन के रूप में भूमि:

- भूमि स्थानीय निकायों के लिए राजस्व सृजन का एक अच्छा संसाधन है और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संभव सीमा तक इस विकल्प की तलाश करनी चाहिए।

नए कर:

- राजस्व संसाधनों में वृद्धि करने के लिए नए कर/उपकर लगाए जाने चाहिए जैसे जल निकास शुल्क, पार्किंग शुल्क, होर्डिंग शुल्क, खाली जमीन शुल्क, विकास प्रभाव शुल्क आदि।

संगृहीत वित्त पोषण:

- शहरी आधारभूत संरचना वित्त एकत्र करने के नए प्रयास के तहत तमिलनाडु में यूएसएआईडी की वित्तीय सहायता से एक स्टेट लेवल पूल्ड फिनांसिंग मैकेनिज्म सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। केंद्रीय सरकार ने पूल्ड फिनांस डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य उपयुक्त क्षमता विस्तार के उपायों और वित्तीय संरचना के जरिए विश्वसनीय शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास को आगे बढ़ाना है। 2007-08 के लिए पूल्ड फिनांस डेवलपमेंट फंड (संगृहीत वित्त विकास निधि) के लिए शहरी विकास मंत्रालय को 100 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है।

गौण (सेकंडरी) बाजार:

- शहरी स्थानीय निकायों को विश्वसनीय और जिम्मेदार संस्था बनाना होगा ताकि भारत के गौण बाजारों सहित अधिकाधिक परिष्कृत वित्तीय बाजारों का दोहन किया जा सके।

पूंजी बाजारों तक पहुंच:

- ठोस स्थानीय सरकार क्रेडिट बाजार सुनिश्चित करने के लिए सरकार को वित्तीय बाजार के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्रभावी वित्तीय संस्थाएं और उपकरण विकसित

करने होंगे। शहरी स्थानीय निकायों की स्टैंड एलोन आधार पर ऋण योग्यता बढ़ानी होगी ताकि विश्वसनीय परियोजनाओं की आपूर्ति बढ़ाई जा सके।

स्थानीय सरकारों के वित्तीय इन्टरमिडिएशन की भूमिका

11.130 नगरपालिका विकास निधि: विश्व भर में 60 से भी अधिक देशों ने वित्तीय इन्टरमिडिएटरीज की स्थापना की है। उदाहरण के लिए ब्राजील में अलग-अलग राज्यों ने अपनी खुद की नगरपालिका विकास निधियां स्थापित की हैं। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक दोनों ने घोषणा की है कि वे एशिया में स्थानीय निवेश की आवश्यकताओं के वित्त पोषण को मदद करने की कार्य नीति के एक अहम अंग के रूप में नगरपालिका विकास निधियों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर करना चाहते हैं। इसका लक्ष्य नगरपालिकाओं को ऋण तक पहुंच बनाना मात्र नहीं बल्कि ऐसा रूप में करना है जिससे स्थानीय निवेश की क्षमता में वृद्धि होती हो और शेष अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र के सुधार लागू होते हों।

म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार:

11.131 भारत में शहरी आधारभूत संरचना के वित्त पोषण के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स के उपयोग के फायदे अधिकाधिक स्पष्ट हैं। भारतीय बॉन्ड बाजार जीवंत हो रहा है। अहमदाबाद नगर निगम ने एक जल आपूर्ति परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए पूंजी बाजार से 100 करोड़ रुपये जमा करने के लिए एशिया में प्रथम ऐतिहासिक म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटल्स जिन्हें म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने की अनुमति दी गई है, की व्याख्यात्मक सूची तालिका संख्या 11.8 में दी गई है।

बजटीय सहायता

11.132 12वें वित्त आयोग ने नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि की अनुशंसा की है ताकि 2005-10 वर्षों के लिए राज्यों की समेकित निधि में वृद्धि हो जिसे पारस्परिक शेरों के साथ वितरित किया जाना है।

साधनों का लागत प्रभावी और उत्पादक उपयोग

11.133 ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता और समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। ठेकेदारों द्वारा किए गए विलम्ब के कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के लिए ठेके में ही दंड का प्रावधान करके दंडित किया जाना चाहिए।

11वीं पंचवर्षीय योजना का नगरपालिका वित्त पर जोर

11.134 भारत में शहरी क्षेत्रों को निवेश और संसाधनों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की

तालिका 11.8
शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल्स जिन्हें कर मुक्त बॉण्ड्स जारी करने की अनुमति दी गई है

क्र.सं. नाम	वर्ष	राशि(करोड़ रुपये में)
1 अहमदाबाद नगर निगम	2001	100.00
2 हैदराबाद नगर निगम	2002	82.50
3 नासिक नगर निगम	2003	50.00
4 विशाखापटनम नगर निगम	2003	50.00
5 हैदराबाद मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड	2003	50.00
6 अहमदाबाद नगर निगम	2004	58.00
7 चेन्नई मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड	2004	42.00
8 कर्नाटक वाटर एंड सैनिटेशन पूल फंड ट्रस्ट	2004	100.00
9 चेन्नई मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड	2005	50.00
10 चेन्नई निगम	2005	44.80
11 अहमदाबाद नगर निगम	2005	100.00

स्रोत : शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

आवश्यकता होगी। अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय शहरी सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तकनीकी और वित्तीय रूप से अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं इसलिए क्षमता निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 11वीं योजना में कार्यनीति प्रभावी कर प्रशासन के लिए, गैर-कर स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग, सेवाओं के उचित मूल्य निर्धारण, शहरी सेवाओं के प्रावधान और मेटेनेंस में पीपीपी(ज), पूंजी बाजार तक पहुंच सहित वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने, राजस्व एकत्र करने में समुदाय और निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता होगी। पूंजी बाजार तक पहुंच सुगम बनाने के लिए राज्यों को नगरपालिकाओं की रेटिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

शहरी परिवहन

शहरीकरण की प्रवृत्तियां और यात्रा संबंधी आवश्यकताएं

11.135 शहरीकरण के परिणामस्वरूप परिवहन की मांग में भी उसी अनुरूप में वृद्धि हुई है। परिवहन की आधारभूत संरचना का विकास उस रफ्तार से नहीं हुआ है जिस रफ्तार से मांग बढ़ी है और सार्वजनिक परिवहन वाहनों के हिस्से में कमी आई है। भीड़-भाड़ की समस्या और इसके परिणामों के कारण शहरी क्षेत्रों के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) द्वारा किए गए दक्षिण भारत की शहरी आबादी के 2003 के सर्वेक्षण से पता चला कि साक्षात्कार किए गए लोगों में से 58% लोग सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से असंतुष्ट थे। इससे यह भी पता चला कि 65% लोग

सुविधाजनक यात्रा के लिए अपेक्षाकृत अधिक सार्वजनिक परिवहन किराया देने के लिए तैयार थे। देश के अन्य भागों में भी स्थिति यही है।

11.136 राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में शहरी विस्तार का प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 सार्वजनिक परिवहन और मोटर रहित साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करके “लोगों को चलाने - न कि (एनयूटीपी) गाड़ियों को चलाने” की आवश्यकता पर फोकस करती है। यह नीति निजी क्षेत्र को शामिल करने, क्षमता में वृद्धि के लिए नई वित्त पोषण व्यवस्थाओं, भूमि उपयोग और परिवहन योजना के बेहतर एकीकरण को प्रोत्साहित करके यात्रा की मांग में कमी करने का सुझाव देती है।

11.137 2001 की जनगणना के अनुसार 35 नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली को छोड़कर किसी भी बड़े नगर में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। दिल्ली मेट्रो परियोजना समय-योजना के अनुसार बढ़ रही है और प्रथम चरण पूरी तरह प्रचालनरत है। अन्य महानगर भी मेट्रो रेल प्रणाली के लिए डीपीआर(ज) तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।

11वीं योजना अवधि के लिए शहरी परिवहन योजना के लिए सुझाव

- सभी नगरों को एक विशद गतिशीलता योजना तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें मोटर-रहित परिवहन की महत्वपूर्ण योजना शामिल हो।

- डीपीआर तैयार करने के लिए प्रस्तावों से पहले प्रौद्योगिक तटस्थ एजेंसियों द्वारा पेशेवर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- क्षमता निर्माण का एक विशद कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- सभी नगरों को एक यथार्थपरक हॉकर/वेंडरी नीति बनानी चाहिए।
- उत्सर्जन और सड़क दुर्घटनाओं की दरों को कम करने के लिए नगर ट्रैफिक शांत करने की योजना तैयार कर सकते हैं।
- 11वीं योजना अवधि के दौरान 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर बस सेवाएं शुरू करने/मौजूदा बस सेवाओं के उन्नयन तथा चुने हुए प्रधान मार्गों पर बीआरटी प्रणाली शुरू करने की योजना तैयार कर सकते हैं।
- सभी शहर एक पार्किंग नीति बना सकते हैं। राज्य सरकारों को भवन निर्माण उप नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि सभी निवासियों/उपभोक्ताओं को पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो। एफएआर मानकों में संशोधन किया जा सकता है। बड़े नगरों में मल्टी लेवेल पार्किंग परिसरों का निर्माण अनिवार्य कर दिया जाए। सभी नगर टैक्सी और थ्री-व्हीलर फ्लीट्स का उन्नयन कर सकते हैं।

शहरों में गतिशीलता की आवश्यकता में वृद्धि के लिए अपेक्षित विशिष्ट हस्तक्षेप

- सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव में सुधार और फुटपाथ और साइकिल के लिए रास्तों का प्रावधान।
- भीड़ वाले क्षेत्रों में जगह की संकीर्णता कम करना।
- परिवहन कॉरिडोर का विकास ताकि सार्वजनिक परिवहन का सुव्यवस्थित रूप से आवागमन हो।
- पैरा ट्रांजिट और अन्य वाहनों के लिए पार्किंग स्थलों का निर्माण।
- सार्वजनिक बस सेवाओं की सुविधा, पैदल पार पथों और अपेक्षाकृत बड़ी पार्किंग सुविधाएं।
- 40 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को गतिशीलता संबंधी आवश्यकताओं के लिए आमतौर पर मध्यम से उच्च क्षमता वाली व्यापक परिवहन प्रणालियों (मास ट्रांजिट सिस्टम्स) तथा सहायक प्रणालियों के एक बड़े नेटवर्क की आवश्यकता होगी।

एनयूटीपी के अनुसार एकीकृत नगर परिवहन के विकास के लिए अपेक्षित कार्रवाई

भूमि उपयोग संबंधी हस्तक्षेप

- सघन आबादी वाले क्षेत्रों में परिवहन उन्मुख विकास को प्रोत्साहित करना।

- स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रमुख परिवहन कॉरिडोर के किनारे सभी नए/सेटलाइट टाऊनशिप विकसित करना अथवा उन्हें मास्टर प्लान में ही मास ट्रांजिट सिस्टम के साथ जोड़ना।
- सार्वजनिक/सरकारी उपयोग सहित समय-समय पर भूमि उपयोग में परिवर्तनों की अनुमति देना।
- खाली भूमि कर लगाकर और शहर के बाहरी किनारे में विकास पर 'ट्रांसपोर्ट इंपैक्ट फी' लगाकर अव्यवस्थित फैलाव को निरूत्साहित करना।

परिवहन हस्तक्षेप

- सुरक्षित उपयोग के लिए सुविधाओं के सृजन द्वारा मोटर रहित वाहनों को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना जो लागत प्रभावी और मांग के स्तरों को इष्टतम रूप में पूरा करने में सक्षम हो। प्रीमियम बस प्रणालियों में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- रिंग रोड्स और नगर बायपास सड़कों के साथ ही रेल लाइन बाय पासेस् विकसित करना।
- नगर की सीमाओं के बाहर मालभाड़ा परिवहन टर्मिनल्स विकसित करना।
- अंतर-राज्यीय बस अड्डों को शहर के बीच से हटाकर शहर की बाहरी सीमाओं पर ले जाना।

संस्थागत/विनियामक हस्तक्षेप

- अधिकार प्रदान करने वाले विधानों में संशोधन।
- किराया संबंधी नीतियां बनाना और किराया विनियामक स्थापित करना।
- सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले वित्तीय उपायों को कार्यान्वित करना।

विस्तृत परियोजना रिपोर्टस तैयार करने के लिए स्कीम और यातायात तथा परिवहन अध्ययन करना

11.138 इस स्कीम के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्टस तैयार करने और यातायात तथा परिवहन संबंधी विशद अध्ययनों की लागत की 40% सीमा तक सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। यद्यपि इस स्कीम के परिणामस्वरूप इस प्रकार के कई अध्ययन किए जा रहे हैं फिर भी इसके अनंतर परियोजनाओं का कोई सार्थक समुच्चय नहीं बन पाया है। नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है कि नवीं और दसवीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम के तहत परिव्यय और व्यय संतोषजनक नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि के लिए इस स्कीम में संशोधन किया जा रहा है।

11.139 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में यातायात और परिवहन की योजना बनाने और विनियमन तथा नीति निर्माण में बेहतर समन्वय के लिए संस्थागत मैकेनिज्म का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है।

भूमि उपयोग और परिवहन योजना का एकीकरण

11.140 वस्तुओं और सेवाओं के अंतर नगरीय संचलन के लिए कॉरिडोर के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जबकि रिबन विकास को जानबूझकर निरूत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मल्टी-मोडल कॉरिडोर और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को नगर क्षेत्रों के समीप विकसित करने की आवश्यकता है।

पैदल पथ निर्माण और मोटर रहित परिवहन

11.141 सड़क के किनारे और चौराहों पर पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की सुविधाओं को डिजाइन करने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की जरूरतों का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। पैदल पथ, सड़क क्रॉसिंग, सेवा सड़कों, सवारी रास्तों, मध्यस सड़कों, बस अड्डे, मास ट्रांजिट स्टेशनों पार्किंग सुविधाओं आदि सहित समस्त सड़क नेटवर्क पर विकलांगों के अनुकूल डिजाइन सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

परिवहन प्रणाली का एकीकरण

11.142 प्रचालकों को कॉमन टिकटिंग के लाभ कम कारोबार और कम आवृत्ति लागत हैं। इन फायदों के बावजूद भारत में कॉमन टिकटिंग में तेजी नहीं आई है। कॉमन टिकटिंग के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रचालकों के बीच एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे इस प्रकार के कॉमन टिकट्स से अर्जित राजस्व का उचित बंटवारा हो सके। यदि केवल एक सेवा प्रदाता हो तो राजस्व के विभाजन में कोई समस्या नहीं है जबकि बहुत से सेवा प्रदाता होने पर यह जटिल कार्य है। सार्वजनिक परिवहन के इंदौर मॉडल को अन्य शहरों में दोहराया जा सकता है।

सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयुक्त/ अपेक्षाकृत स्वच्छ प्रौद्योगिकियां

11.143 वाहन से होने वाले उत्सर्जन का उपयोग किए गए ईंधन, प्रयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी और ड्राइविंग तकनीक से सीधा संबंध है। ईंधन की गुणवत्ता में सुधार, ईंधन में मौजूद उत्सर्जन संबंधी घटकों जैसे डीजल में सल्फर और पेट्रोल में सल्फर, शीशा, बेंजीन और अन्य सुगंधित पदार्थों को हटाकर/ कम करके किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्सर्जन में कमी बेहतर इंजिन प्रौद्योगिकी और रेचन उपचार प्रणालियों के जरिए की जा सकती है। 1991 में लागू प्रथम मास इमीशन नार्म्स के पहले विनिर्मित वाहनों को हटाया जाना अपेक्षित होगा।

विवेकी परिवहन प्रणाली की भूमिका

11.144 विवेकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम(आईटीएस) में वायरलेस और वायर लाइन संचार आधारित सूचना और इलेक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिकियों की एक व्यापक रेंज है। इन प्रौद्योगिकियों को जब परिवहन प्रणाली की आधारभूत संरचना में शामिल किया जाता है तो भीड़-भाड़ कम होती है, सुरक्षा बढ़ती है और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को प्रभावी रूप में प्रयोग में लाने से ज़िदगियों, समय और धन की बचत हो सकती है साथ ही हमारे पर्यावरण को होने वाले खतरे कम हो सकते हैं तथा व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन हो सकता है।

11.145 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आधुनिक बसें चलाने के लिए 38,000 करोड़ रुपये के निवेश की पहचान की गई है। सरकार का लक्ष्य सभी मौजूदा शहरी बसों के स्थान पर पीपीपी आधार पर ट्रक चेसिस बॉडी वाली बसें, जिसकी सतह नीची/आधी नीची हो, लाई जाएंगी (तालिका 11.10)।

11वीं योजना के दौरान वित्तीय आवश्यकता

11.146 11वीं योजना में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वित्तीय आवश्यकता 1,32,590 करोड़ रुपये होगी। संक्षेप में यह तालिका-11.11 में दी गई है।

तालिका 11.9
परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये में)

मद	नौवीं योजना		दसवीं योजना	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
शहरी परिवहन योजना	24.76	3.33	91.00	12.59

स्रोत :

बाक्स 11.14
सार्वजनिक परिवहन की सर्वोत्तम पद्धतियां

1. **इंदौर मॉडल**
मध्य प्रदेश के इंदौर नगर ने नगर बस सेवाओं के प्रचालन के लिए पीपीपी मॉडल का विकास किया है। इस मॉडल में गाड़ियों में निवेश की योजना निजी भागीदारी के जरिए की जाती है। निजी प्रचालक के लिए राजस्व के स्रोत किराया संग्रह और विज्ञापन हैं।
2. **बैंगलोर में सार्वजनिक परिवहन का पुनरूत्थान**
बैंगलोर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (बीएमटीसी) का निर्माण 1997 में संकट ग्रस्त कर्नाटक रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बैंगलोर डिपो को इसको मूल कंपनी से अलग करके किया गया था। इसने संपूर्ण आंतरिक पुनर्संरचना की, लागत और सेवा मानीटरिंग आरंभ किया और ग्रांस-कॉस्ट बेस्ड स्कीम पर कुछ सेवाओं को निजी प्रचालकों को उप ठेके पर दे दिया। 2-3 वर्षों के समय में ही बीएमटीसी ने अपनी सेवाओं और बेड़ों/स्टाक उत्पादकता में सुधार कर लिया और लाभकारी इकाई बन गया।

तालिका 11.10
निधियों की आवश्यकता

शहरों की जनसंख्या (लाख में)	शहरों की कुल संख्या	11वीं योजना के लिए प्रस्तावित शहरों की प्रतिशतता	औसत आवश्यकता	करोड़ रुपये में
01-05		370	50	40
7,400				
05-10	39	50	400	7,800
10-40	28	100	930	26,040
> 40	7	100	3000	21,000
एमआरटीएस	8	100		32,000
आधुनिक बसें				38,000
क्षमता निर्माण और परिवहन योजना				350
जोड़				1,32,590

स्रोत :

तालिका 11.11
निधिकरण के स्रोत

स्रोत	निधिकरण (करोड़ रुपये में)
यूआईडीएएसएमटी सहित एनयूआरएम	15,500
गैर एनयूआरएम (बजटीय सहायता)	4,400
व्यवहार्यता अंतराल निधिकरण	6,000
राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त संसाधन	19,500
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	61,190
निजी प्रवर्तकों द्वारा भागीदारी	26,000
जोड़	1,32,590

नोट : 2005-12 के लिए जेएनएनयूआरएम के लिए रुपये 50000 करोड़ का वास्तविक आबंटन किया गया है जिसमें से शहरी परिवहन के लिए 10000 करोड़ उपलब्ध कराने के प्रावधान की अपेक्षा है। जहां तक गैर जेएनएनयूआरएम का संबंध है इसके लिए रुपये 3055 करोड़ की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसमें कमी होने पर उसे अन्य वित्तीय स्रोतों से पूरा किया जाएगा।

स्रोत : शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 11.12
मलिन बस्तियों की आबादी: 2001 जनगणना

मलिन बस्तियों की आबादी, 1991 (टीसीपीओ अनुमान)	मलिन बस्तियों की आबादी, 2001, (टीसीपीओ अनुमान)
46.26 मिन.	61.82 मिन.
2001 की जनगणना में मलिन बस्तियों वाले शहरों की संख्या	640*
2001 में 640 शहरों में सूचित मलिन बस्तियों की आबादी	42.58 मिन.
जिन शहरों/नगरों में मलिन बस्तियों के होने की सूचना मिली उनकी संख्या, 2001	184.35 मिन.
जिन शहरों/नगरों में मलिन बस्तियों के होने की सूचना दी गई उन शहरों की आबादी में मलिन बस्तियों में रहने वालों का हिस्सा, 2001	23.1%

नोट : * 50,000 या अधिक आबादी वाले शहर

11.147 2006-07 के मूल्य (वर्तमान मूल्य 26041 करोड़ रुपये) पर शहरी विकास मंत्रालय के लिए 11वीं योजना में कुल प्रक्षिप्त परिव्यय 24600 करोड़ रुपये हैं जिसमें 2006-07 मूल्यों (वर्तमान में 12443 करोड़ रुपये) पर जीबीएस 11001 करोड़ रुपये। इसी प्रकार शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

के लिए 11वीं योजना हेतु 2006-07 की कीमतों पर रुपये 43438 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 2006-07 की कीमतों पर रुपये 3260 करोड़ का जीबीएस भी शामिल है (मौजूदा कीमत पर रुपये 3687 करोड़) का 53819 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है।

तालिका 11.13
जनसंख्या, आवास और मूलभूत सुविधाएं

भारत की कुल जनसंख्या, 2001	1028.6 मिन.
शहरी आबादी, 2001	286.1 मिन.
शहरी हिस्से का प्रतिशत, 2001	27.8%
कुल शहरी आवास स्टॉक, 2001	52.0 मिन.
पक्के घर	79.16%
आधे पक्के घर	15.58%
कच्चे घर	5.27%
टेन्यूर की अवस्था वाले घर, शहरी, 2001	
अपना	66.8%
किराये पर	28.5%
अन्य	4.7%
जिन शहरी घरों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध थीं, 2001	
सुरक्षित पीने का पानी	90.01%
बिजली	87.59%
संडास	73.72%
जल निकास	77.86%
घर के भीतर रसोई	75.96%
खाना पकाने के लिए एलपीजी	47.96%
खाना पकाने के लिए बिजली	0.31%
खाना पकाने के लिए बायो गैस	0.37%

स्रोत :

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी

12.1 दूरसंचार

सिंहावलोकन

12.1.1 विश्व स्तरीय दूरसंचार आधारभूत संरचना का विकास देश के तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न नीतिगत पहलें, जिसमें राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी), 1994 और बाद में एनटीपी-1999 शामिल हैं, के परिणामस्वरूप भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का पिछले दशक में संपूर्ण रूपांतरण हो गया। इस अवधि के दौरान इसने उल्लेखनीय विकास किया है और विकास की एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। अन्य देशों में जो प्रवृत्तियां हैं उन्हीं के समान आधुनिकीकरण और त्वरित विकास करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र को और भी नीतिगत उपायों तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकियां लगाने की आवश्यकता है।

दूरसंचार नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

12.1.2 दूरसंचार सेवा नेटवर्क आजादी के समय के लगभग 84,000 कनेक्शंस (फिक्स्ड लाइन) से बढ़कर मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार लगभग 206.83 मिलियन कार्यशील कनेक्शंस हो गया है (जिसमें प्रकारांतर से 40.77 मिलियन फिक्स्ड टेलीफोन लाइंस और 166.05 मिलियन मोबाइल फोन्स शामिल हैं। अतः भारत का वर्तमान 206 मिलियन के विशाल कनेक्शन वाला दूरभाष नेटवर्क, जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है और (चीन के बाद) बेसिक सेल्यूलर, इंटरनेट, पेजिंग, वी-सैट आदि जैसी सेवाओं की व्यापक रेंज वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वर्तमान दूरसंचार नेटवर्क की स्थिति सारणी 12.1.1 में दर्शाई गई है।

तालिका - 12.1.1

मार्च, 2007 के अनुसार भारत में दूरसंचार नेटवर्क की स्थिति

टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	206.83 मिलियन
दूरभाष केन्द्रों की संख्या	38338
स्विचिंग कैपस्टी (सार्वजनिक)	88.82 मिलियन (सार्वजनिक क्षेत्र इकाई)
ग्राम्य सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी(ज)	5,64,610
ग्राम्य फोन्स (फिक्स्ड+सीडीएमए)	226,55,691
वायरलेस (सीडीएमए और जीएसएम) उपभोक्ता	166.05 मिलियन
इंटरनेट कनेक्शंस	9.21 मिलियन
ब्रोडबैंड उपभोक्ता	2.28 मिलियन
ऑप्टिकल फाइबर रूट की लंबाई (सार्वजनिक)	519155 रूट किलोमीटर
माइक्रोवेव रूट लंबाई (बीएसएनएल)	64506.64 किलोमीटर

स्रोत :

12.1.3 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत से बाहर जाने वाली और आने वाला इंटरनेट ट्रैफिक भारत के भीतर ही रूट किया जा सके। यह आशा की जाती है कि इससे इंटरनेट के उपयोग की लागत में पर्याप्त रूप से कमी आएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बैंडविथ का भी अपेक्षाकृत प्रभावी उपयोग हो सकेगा और विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी। इससे उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि इससे मल्टीपल इंटरनेशनल हॉप्स से बचा जा सकता है और इस प्रकार विलम्ब में भी कमी होगी। प्रकारांतर से इन सभी के परिणामस्वरूप 'इन' डुमेन के नाम की लोकप्रियता बढ़ेगी और इंटरनेट का प्रसार होगा।

12.1.4 सरकार ने इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार में निजी क्षेत्र एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। दूरसंचार में निजी क्षेत्र को दिए गए लाइसेंसों की संख्या, जोकि सारणी 12.1.2 में दर्शाई गई है, से भी इसकी पुष्टि हो जाती है।

तालिका 12.1.2

निजी क्षेत्र की भागीदारी (31.3.2006 की स्थिति के अनुसार)

पंजीकरण/लाइसेंस संबंधी मामले

उद्देश्य/क्षेत्र	लाइसेंसों/एलओआई(ज)/ पंजीकरण की संख्या
यूनीफाइड एक्सेस/सेल्यूलर मोबाइल्स	78
बेसिक सेवाएं	2
राष्ट्रीय लंबी दूरी	4
आधारभूत संरचना प्रोवाइडर-1	105
अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी	5
इंटरनेट सेवा	399
वॉयस मेल और श्रव्यपाठ सेवा	15
पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा	37
वीएसएटी सेवा	11

स्रोत :

दूरसंचार का विकास - अंतर्राष्ट्रीय तुलना

12.1.5 भारत में दूर संचार का बहुत तेजी से विकास हुआ है। तथापि, वैश्विक विकास पैटर्न और संकेतकों के संदर्भ में देखने पर इसे अन्य देशों की तुलना में अधिक दूरसंचारीय घनत्व हासिल

करने की आवश्यकता है। किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद और दूरसंचारीय घनत्व के बीच एक सकारात्मक सह-संबंध है क्योंकि दूरसंचार क्षेत्र का विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचारीय घनत्व (टेलीडेंसिटी) तथा अन्य संकेतक जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इंटरनेट उपयोगकर्ता आदि की स्थिति सारणी 12.1.3 में दर्शाई गई है।

10वीं योजना की समीक्षा

10वीं योजना अवधि के दौरान विकास

12.1.6 10वीं योजना अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ। इसमें मोबाइल बनाम फिक्स्ड फोन और सार्वजनिक बनाम निजी भागीदारी के अर्थ में भी काफी बड़ा परिवर्तन आया है। 10वीं योजना में मार्च, 2007 तक 9.91 के दूरसंचारीय घनत्व (टेलीडेंसिटी) की परिकल्पना की गई थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10वीं योजना के दौरान लगभग 65.0 मिलियन अतिरिक्त कनेक्शंस मुहैया कराए जाने की आवश्यकता थी। तथापि, 2002-07 के दौरान 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शंस में 161.86 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। इससे मार्च, 2007 तक 18.31% दूरसंचारीय घनत्व (टेलीडेंसिटी) प्राप्त किया गया और यह 10वीं योजना के लक्ष्य से 149% अधिक था। दूरसंचार क्षेत्र को निजी आपरेटरों के लिए खोल दिए जाने से ग्राहकों की संख्या में उनका हिस्सा बहुत अधिक बढ़ गया। यह सारणी

तालिका 12.1.3

दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार कुछ देशों में दूरसंचार संकेतकों की स्थिति

देश	आबादी (मिलियन)	सकल घरेलू उत्पाद (प्रति व्यक्ति) यूएस डॉलर 2004	टेलीफोन (हजार)	टेली घनत्व (प्रतिशतता)	इंटरनेट उपयोगकर्ता (हजार)
सं.रा.अमेरिका	298.21	36273	360347	122.71	185000
यूनाइटेड किंगडम	59.67	26369	94791	158.51	37600
आस्ट्रेलिया	20.16	25436	29880	148.25	14190
ब्राजील	186.41	3338	107987	59.78	22000
मैक्सिको	107.03	6328	66974	62.58	18622
श्रीलंका	20.74	1031	4606	22.20	280
कोरिया (गणराज्य)	48.29	14136	62087	128.56	33010
जापान	128.08	31324	153525	119.86	64160
इंडोनेशिया	222.87	1156	59682	26.79	16000
चीन	1315.84	1268	743861	56.53	111000
पाकिस्तान	153.96	614	18049	11.72	10500
भारत*	111.59	634	142092	12.74	60000
विश्व	6728.08	5944	3309379	49.45	964272

नोट : *31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ)

तालिका 12.1.4
10वीं योजना अवधि (2002-2007) के दौरान दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार - सार्वजनिक और निजी
ऑपरेटर्स और फिक्स्ड और मोबाइल (सार्वजनिक क्षेत्र इकाई और निजी ऑपरेटर्स)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	सार्वजनिक	निजी	फिक्स्ड लाइंस	वायरलेस	कुल दूरभाष	दूरभाष घनत्व(% में)			ग्रामीण दूरभाष	शहरी दूरभाष
						ग्रामीण	शहरी	कुल		
	(मिलियन में)					(मिलियन में)				
2002	38.17	6.80	38.29	6.68	44.97	1.21	12.20	4.29	9.04	35.96
2003	43.18	11.45	41.33	13.30	54.63	1.49	14.32	5.11	11.41	43.22
2004	46.48	30.05	40.92	35.61	76.53	1.57	20.74	7.02	12.27	64.26
2005	52.08	46.29	41.42	56.95	98.37	1.73	26.88	8.95	13.57	84.80
2006	61.07	81.00	40.22	101.85	142.07	1.86	39.45	12.74	14.77	127.30
2007	71.39	135.44	40.78	166.05	206.83	2.83	55.94	18.31	22.66	184.17

स्रोत :

12.1.7 से स्पष्ट है। यह स्वीकार करते हुए कि दूरसंचार क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आदि प्रवर्तकों में से एक है, दसवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा की गई विनियामक और नीतिगत पहलों का लक्ष्य देश में विश्व-स्तरीय दूरसंचार आधारभूत संरचना स्थापित करना रहा है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिले हैं और 10वीं योजना में परिकल्पित प्रमुख उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त हो गए। आपरेटर्स के बीच गहन प्रतिस्पर्धा के कारण शुल्क में काफी कमी आई और वहन करने योग्य तथा प्रभावी संचार सेवाएं प्रदान की जा सकीं।

12.1.8 10वीं योजना के दौरान इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 2002-03 के 3.64 मिलियन से बढ़कर 2006-07 में 9.21 मिलियन हो गई। जबकि ब्रोडबैंड ग्राहकों की संख्या 2004-05 के 1.8 लाख कनेक्शंस से बढ़कर 2006-07 में 2.28 मिलियन ही हुई। ब्रोडबैंड ग्राहकों की संख्या इतनी कम होने का एक कारण मूल्य संरचना हो सकता है।

12.1.9 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार दूरभाषों की संख्या 44.97 मिलियन थी जो बढ़कर 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार 206.83 मिलियन हो गई जोकि लगभग 35.68% की यौगिक वार्षिक औसत विकास दर दर्शाती है। मोबाइल फोन/वायरलेस ग्राहकों की संख्या 31.3.2002 के 6.68 मिलियन से बढ़कर 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार 166.05 मिलियन हो गई जोकि 90.15% की यौगिक वार्षिक औसत विकास दर दर्शाती है। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 23% की बढ़ोतरी हुई जबकि ब्रोडबैंड ग्राहकों की संख्या 2004-05 के मात्र 0.18 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2006-07 के दौरान 2.28 मिलियन हो गई।

मोबाइल बनाम फिक्स्ड फोन्स:

12.1.10 इस क्षेत्र में वायरलेस फोन के उपयोग को प्रमुख रूप से तरजीह दिया जाता रहा है। इस बात की पुष्टि वायरलेस फोन के बढ़ते हिस्से से हो जाती है। यह मार्च, 2002 में 14.85% (6.68 मिलियन टेलीफोन) था जो कि मार्च, 2007 में बढ़कर 80.28% (166.05 मिलियन टेलीफोन) हो गया।

दूरभाष घनत्व में प्रवृत्ति:

12.1.11 देश में दूरभाष घनत्व लगातार बढ़ रहा है। यह 31.3.02 की स्थिति के अनुसार 4.29% था जो 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 18.31% हो गया। तथापि, शहरी दूरभाष घनत्व (55.94%) और ग्रामीण दूरभाष घनत्व (2.83%) के बीच व्यापक अंतर है। दरअसल ग्रामीण टेलीफोनी शहरी टेलीफोनी के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकी है।

ग्रामीण टेलीफोनी:

12.1.12 ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराए गए 14.77 मिलियन फिक्स्ड और वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) कनेक्शनों के अलावा 5,64,610 ग्राम सार्वजनिक दूरभाष (वीपीटी(ज) भी उपलब्ध कराए गए हैं। अतः भारत में 90% गांव वीपीटी(ज) के तहत कवर हो गए हैं। इसके अलावा, 2 लाख से अधिक पीसीओ(ज) भी ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को फोन सुविधा मुहैया करा रहे हैं। मोबाइल ग्रामीण संचार सेवक स्कीम जोकि मोबाइल पीसीओ सेवा है, भी गामवासियों को उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में 2772 ग्रामीण संचार सेवक स्कीम के दायरे में 12043 गांव आते हैं। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के लिए देश के कुल 6337 प्रखंडों में से 3500 से अधिक प्रखंड मुख्यालयों में संचार ढाबा मुहैया कराए गए हैं।

12.1.13 ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार 10वीं योजना (2002-07) के दौरान भी हुआ। ग्राम्य क्षेत्र में फोन की संख्या मार्च, 2002 के 9.01 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2007 तक 22.66 मिलियन हो गई। ग्राम्य दूरभाष घनत्व मार्च, 2002 के 1.21% से बढ़कर मार्च, 2007 में 2.83% हो गया। ग्राम्य दूरसंचार में अधिकांश निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के आपरेटर यानी बीएसएनएल द्वारा किया गया है। निजी आपरेटरों ने मार्च, 2006 के अंत तक केवल 12665 ग्राम सार्वजनिक दूरभाष उपलब्ध कराए हैं।

शुल्क परिवर्तनों में कमी:

12.1.14 भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने शुल्क संरचना में बहुत बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राय) द्वारा जारी टेलीकम्यूनिकेशन टैरिफ आर्डर, 1999 के द्वारा शुल्क के पुनर्संतुलन की प्रक्रिया आरंभ की गई ताकि उन्हें लागतों के करीब लाया जा सके। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप भी शुल्कों में काफी कमी आई है।

दूरसंचार उपकरण विनिर्माण क्षेत्र का कार्य निष्पादन:

12.1.15 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में भी नियमित विकास देखा गया है जैसाकि सारणी 12.1.5 से स्पष्ट है:-

तालिका 12.1.5
दसवीं योजना अवधि के दौरान दूरसंचार
उत्पादक क्षेत्रक का निष्पादन
(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
2002-03	14400	402
2003-04	14000	250
2004-05	16090	400
2005-06	17833	1500

स्रोत :

12.1.16 10वीं योजना के दौरान दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में की गई कुछ प्रमुख नीतिगत पहल इस प्रकार हैं -

- 13.8.02 से आपरेटरों के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा खोल दी गई।
- 31 मार्च, 2002 से अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा में विदेश संचार निगम लि0 का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
- सभी राज्यों को कवर करनेवाली नेशनल इंटरनेट बैकबोन सेवा शुरू की गई है।

- मार्ग का अधिकार (राइट ऑफ वे) को स्वीकृति तुरंत प्रदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया गया है। 11.11.2003 को यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस तंत्र के लिए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं।
- 1 मई, 2003 से कॉलिंग पार्टी पेज तंत्र कार्यान्वित किया गया जिसके तहत यदि लैंडलाइन टेलीफोन उपभोगकर्ता द्वारा सेल्यूलर फोन पर कॉल किया गया हो तो उन्हें सामान्य प्रभारों के अलावा एअरटाइम प्रभार अदा करना होगा।
- यूनिवर्सल सर्विसेज ऑबलिवेशन फंड की स्थापना के लिए भारतीय तार अधिनियम में संशोधन किया गया। अप्रैल, 2002 में व्यपगत नहीं होने वाला यूएसओ फंड सृजन किया गया। इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज तंत्र आरंभ किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनेक दूरसंचार सेवाओं, उनके शुल्कों, गुणवत्ता और इंटरनेट सेवाओं के संबंध में अनेक निर्देश/विनियम जारी किए गए हैं जिनसे दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सकारात्मक योगदान मिला है।
- इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवेज के लिए सबमेरिन केबल लैंडिंग स्टेशंस की स्थापना करने की अनुमति दी गई है।
- रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम प्रबंधन को आधुनिक और स्वचालित बना दिया गया है ताकि उपयोगकर्ता की बदलती हुई आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
- 14 अक्टूबर, 2004 को ब्रोडबैंड नीति की घोषणा की गई थी।
- इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी(ज) को लास्ट माइल लिंकेजज स्थापित करने के लिए जमीन के अंदर तांबे के तारों के प्रयोग की अनुमति दी गई है।
- विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है।
- स्वचालित स्पेक्ट्रम प्रबंधन का प्रचालन जनवरी, 2005 में आरंभ किया गया।
- एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट टेलीफोन, इंटरनेट सेवाएं और ब्रोडबैंड सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। वे राष्ट्रीय लंबी दूरी/ अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं।
- दूरसंचार सेवा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र का पूर्व अनुभव होना अब आवश्यक नहीं है।
- 1.1.2006 से राष्ट्रीय लंबी दूरी, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, वीएसएटी कमर्शियल और आईएसपी के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क को घटाकर समायोजित कुल राजस्व (एडजस्टेड ग्राँस रेवेन्यू) का 6% कर दिया गया है।

- आईएसपी(ज) को इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा की अनुमति दी गई है।
- इंडोर और आउटडोर उपयोग के लिए 2.40-2.4835 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड और इनडोर उपयोग के लिए 5.15 -5.13 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

12.1.17 उपर्युक्त के अलावा प्रत्यक्ष करों के तहत लाभ के लिए उत्पाद शुल्क में छूट के अतिरिक्त महत्वपूर्ण उपकरणों और अवयवों के लिए सीमा शुल्क में कुछ छूट/रियायतें दी गई हैं।

10वीं योजना के दौरान निवेश

12.1.18 इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के आपरेटरों यथा बीएसएनएल और एमटीएनएल एवं निजी आपरेटरों ने सेल्यूलर मोबाइल क्षेत्र में बड़े निवेश किए। जहां मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में 71.39 मिलियन कनेक्शंस (फिक्स्ड और मोबाइल दोनों) थे, वहीं निजी आपरेटरों के हिस्से में 135.44 मिलियन लाइन्स थीं। निजी क्षेत्र की 97% से अधिक लाइनें वायरलेस श्रेणी में थीं। 10वीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के आपरेटरों द्वारा 39,467.21 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित निवेश किए गए।

11वीं योजना के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में व्यापक उद्देश्य और ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र

12.1.19 दूरसंचार क्षेत्र की 11वीं योजना दूरसंचार क्षेत्र के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मूल रूप से इसका उद्देश्य तीव्रतर, व्यापकतर और समावेशी विकास प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल डिवाइड को ध्यान में रखकर ग्राम्य कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 11वीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान दूरसंचार क्षेत्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होंगे:-

- दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 600 करोड़ तक पहुंचाना।
- 2012 तक 200 मिलियन ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन मुहैया कराने अर्थात् 25% ग्रामीण टेलीडेंसिटी प्राप्त करना।
- वहनीय मूल्य पर पूरे देश में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन मुहैया कराना।
- 2010 तक 20 मिलियन ब्रोडबैंड कनेक्शंस और 40 मिलियन इंटरनेट कनेक्शंस के लक्ष्य तक पहुंचना जैसा कि ब्रोडबैंड नीति 2004 में परिकल्पना की गई है।
- 2012 तक पूरे देश में मांग के आधार पर ब्रोडबैंड कनेक्शन मुहैया कराना।

- एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी नगरों/ शहरों में 3 जी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- मोबाइल टेलीविजन की शुरुआत को सुगम बनाना।
- दो वर्षों में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत को मांग के आधार पर ब्रोडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराना।
- दूरसंचार विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना को सुगम बनाकर भारत को दूरसंचार उपकरण विनिर्माण का केंद्र बनाना।

12.1.20 देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रख्यात संगठनों में निजी सार्वजनिक साझेदारी में सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करना। ये केंद्र उभरते क्षेत्रों जैसे नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क, वायरलेस ब्रोडबैंड, टेलिकॉम नेटवर्क सिक्युरिटी आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वॉइस और डाटा कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए विशेष हस्तक्षेप आवश्यक है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार क्षेत्र के लक्ष्य

12.1.21 उपर्युक्त उद्देश्य के अनुरूप 11वीं योजना के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा पहचान किए गए प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-

12.1.22 नेटवर्क का विस्तार और ग्राम्य टेलीफोनी:

- 2007 तक प्रति तीन ग्राम्य घरों पर एक दूरभाष (लगभग 50 मिलियन ग्राम्य कनेक्शंस);
- 2010 तक प्रति दो ग्राम्य घरों पर एक दूरभाष (लगभग 100 मिलियन ग्राम्य कनेक्शंस); और
- 2012 तक 200 मिलियन ग्राम्य कनेक्शंस (अर्थात् 25% का ग्राम्य दूरभाष घनत्व);
- ग्राम्य टैलीफोनी नेटवर्क के विस्तार के लिए (i) व्यवहार्य क्षेत्रों के लिए बाजार की शक्तियों के जरिए; और (ii) अव्यवहार्य क्षेत्रों के लिए यूनिवर्सल सर्विसज् ऑब्लिगेशन फंड के जरिए व्यक्तिगत पहुंच मुहैया कराने की कार्यनीति अपनाई जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए (i) विलेज पब्लिक टेलीफोन्स; और (ii) रूरल कम्युनिटी फोन्स के लिए यू एस ओ फंड मुहैया कराया जाएगा।
- ग्राम्य टेलीफोनी के लिए आधारभूत संरचना में कम से कम 3 सेवा प्रोवाइडर्स के हिस्से होंगे।
- ग्राम्य क्षेत्रों में सामान्य दूरसंचार आधारभूत संरचना के विकास की सहायता के लिए आरंभ में पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

12.1.23 ब्रोडबैंड कवरेज

- 2007 तक सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ब्रोडबैंड कवरेज।
- 2007 तक सभी जन स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के लिए ब्रोडबैंड कवरेज।
- 2010 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए ब्रोडबैंड कवरेज।
- प्रखंड मुख्यालयों और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क्स कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए निकटतम केंद्रों के बीच लिंकेज उपलब्ध कराना।
- ग्राम्य दूरभाष केंद्रों की मौजूदा आधारभूत संरचना और ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाएगा।
- वायरलेस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

12.1.24 विनिर्माण तथा अनुसंधान और विकास:

- अधिक से अधिक दूरसंचार विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देकर भारत को दूरसंचार विनिर्माण का केंद्र बनाना।
- निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना के द्वारा दूरभाष उपकरण और सेवाओं के निर्यात संवर्द्धन के लिए मंच मुहैया कराना।
- देश के लिए उपयुक्त प्रमुख और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

12.1.25 दूरसंचार विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम/ पहल करने का प्रस्ताव किया है:-

- नेटवर्क के विस्तार और नई मूल्य वर्द्धित सेवाओं को आरंभ करने, दोनों के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम की पहचान करना और उपलब्ध कराना।
- टेलिकाम टेस्टिंग एंड सिक्युरिटी सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना करना।
- सेंटर फॉर कम्यूनिकेशन सिक्युरिटी रिसर्च एंड मॉनीटरिंग की स्थापना करना।
- नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क लेब्रोटरी की स्थापना करना।
- मुख्य भूभाग और अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच समुद्र के नीचे तार बिछाना।
- रेडियो स्पेक्ट्रम मॉनीटरिंग कैपैब्लिटीज का आधुनिकीकरण।
- भारतीय दूरभाष उद्योग में नई प्रौद्योगिकियों के अधिष्ठापन को बढ़ावा देना।
- टेलिकॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम/काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टेलिकाम सर्विसेज की स्थापना।

11वीं योजना में दूरसंचार क्षेत्र में निवेश का अनुमान

12.1.26 11वीं योजना अवधि में दूरसंचार क्षेत्र में (बीएसएनएल और एमटीएनएल के जरिए) 80753.00 करोड़ रुपये 2006-07 के मूल्य पर और 89,581.56 करोड़ रुपये (जिसमें 337.47 करोड़ का निवेश सी-डॉट द्वारा आंतरिक संसाधन के रूप में शामिल है) मौजूदा कीमतों पर सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश मुख्य रूप से आईईबीआर द्वारा वित्त पोषित होगा। माना जाता है कि इस क्षेत्र में निजी निवेश में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि होगी। 11वीं योजना अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में लगभग 231,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश होने का अनुमान है।

प्रमुख कठिनाइयां और चुनौतियां

12.1.27 भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को जिन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वे इस प्रकार हैं -

- रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक सीमित संसाधन है जिसकी मांगें और जिसके लिए प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है। इस कारण सभी पणधारियों द्वारा इस संसाधन की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी के साथ इसके इष्टतम और प्रभावी उपयोग की आवश्यकता है। अतः उभरती नई प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखकर अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल के लिए प्रभावी आरएफ स्पेक्ट्रम योजना निर्माण किया जाना है।
- यद्यपि 18.31% की टेलीडेंसिटी प्राप्त हो गई है फिर भी शहरी टेलीडेंसिटी (55.94%) और ग्रामीण टेलीडेंसिटी (2.83%) के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इस तथ्य पर विचार करने पर कि भारत में 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वास्तविक चुनौती ग्राम्य भारत को जोड़ने की होगी।
- जैसाकि केवल आवाज पर आधारित कनेक्टिविटी (टेलिफोनी) आर्थिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता। अतः कनेक्टिविटी प्रमुख रूप से डाटा पर आधारित होनी चाहिए जिसमें किलर एप्लीकेशंस हों ताकि इसे अवलंबित बनाया जा सके और आवाज आधारित सेवाएं भी मुहैया कराई जा सकें।
- ग्राम्य ब्रोडबैंड कनेक्टिविटी के प्रभावी प्रसार के लिए यूनिवर्सल सर्विसेज आब्लिगेशन फंड के माध्यम से भी सहायता की आवश्यकता होगी।
- ब्रोडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वहनीय मूल्य पर उपकरण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में स्थानीय विषय-वस्तु भी विकसित की जाने की आवश्यकता है।
- पारंपरिक सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क्स को इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क्स में बदलने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी, मानवीय और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।

- इंटरनेट के द्रुत गति से प्रसार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्सन-6 (आईपीवी-6) में माइग्रेसन से संबंधित आगे की गतिविधियों को प्राथमिकता देनी होगी।
- संचार नेटवर्क को पर्याप्त रूप से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए नेटवर्क सुरक्षा संबंधी आवश्यक पहल किए जाने की आवश्यकता है।
- दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र का धीमा विकास एक बड़ी चिंता का विषय है। नई दूरसंचार नीति 1999 का उद्देश्य दूरसंचार के उपकरणों और सेवाओं के निर्यात का संवर्द्धन करना था लेकिन आज की तारीख तक दूरसंचार उपकरण का निर्यात न्यूनतम है। मोबाइल सहित अधिकांश आधुनिकतम दूरसंचार उपकरणों का विदेशों से आयात किया जा सकता है। अतः भारत में देसी विनिर्माण की बहुत बड़ी संभावना है।

नीतिगत मामले

12.1.28 11वीं पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा इसके विभिन्न उप-क्षेत्रों जैसे ग्रामीण नेटवर्क विस्तार, ब्रोडबैंड एंड इंटरनेट टेलिकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, टैलिकॉम रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि में उचित और अनुकूल नीतिगत पहल किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में परिकल्पित व्यापक नीतिगत पहल निम्नानुसार हो सकते हैं-

- विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपयुक्त री-फार्मिंग करना नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ब्रोडबैंड, 3जी, वीओआईपी आदि सहित नई सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की कुछ मात्रा आरक्षित रखनी होगी। स्पेक्ट्रम का आबंटन करते समय अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि भारत पैमाने की अर्थरचना (इकॉनॉमिज ऑफ स्केल) का लाभ ले सके। आबंटन स्पेक्ट्रम के सबसे प्रभावी उपयोग के लिए एकीकृत लाइसेंसिंग तंत्र लाने पर भी विचार किया जा सकता है।
- सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा आधारभूत संरचना की शेयरिंग को संवर्द्धित करना और इस प्रकार की शेयरिंग को प्रोत्साहन देना ताकि कुल लागत को कम रखा जा सके। इससे यह भी आशा की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के प्रसार की गति में तेजी आएगी।
- सबसे पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर, आदिवासी क्षेत्रों और द्वीपीय प्राधिकरणों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटीज मुहैया कराते समय लागत कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए।

- देश में दूरसंचार उपकरण के विनिर्माण को संवर्द्धित करने के लिए उपयुक्त नीतिगत पहल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, दूरसंचार उपकरण संबंधी अनुसंधान और विकास की गतिविधियों के लिए निजी सार्वजनिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण होना चाहिए। साथ ही वैश्विक प्रमाणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और जांच सुविधा के कॉमन प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का निर्माण, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के विनिर्माण के लिए मेगा एफ ए बी की स्थापना, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्कस का विकास आदि जैसी पहल की भी आवश्यकता है ताकि भारत को दूरसंचार उपकरण विनिर्माण का केंद्र बनाया जा सके।
- उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए कम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बैंडविथ की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड के सफल प्रसार संबंधी विशेष मुद्दे

12.1.29 जैसाकि पाया गया है कि दसवीं योजना अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद 18.31% के वर्तमान राष्ट्रीय औसत की तुलना में ग्राम्य टैलीडेंसिटी अभी भी बहुत कम है। मोबाइल टैलीफोनी की लागत फिक्स्ड लाइन की लागत का पांचवा भाग है। ग्राम्य क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल के कम प्रसार का कारण टावर और विद्युत आपूर्ति और कम राजस्व संभावना के रूप में अपर्याप्त आधारभूत संरचना का होना है। तथापि मोबाइल शुल्कों में कमी के कारण ग्राम्य क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन की मांग बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। लेकिन मोबाइल टेलीफोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सफल प्रसार के लिए टावरों के पर्याप्त कवरेज और अन्य संबंधित आधारभूत संरचना के बिना मांग पूरी नहीं की जा सकती।

12.1.30 सरकार ने यूएसओ फंड के तहत साझा निष्क्रिय आधारभूत संरचना के सृजन के जरिए ग्राम्य मोबाइल आधारभूत संरचना के विस्तार की स्कीम शुरू की है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के अंतराल को पाटने और व्यवहार्य मूल्यों पर मल्टीपल सेवाएं (अर्थात् वॉयस, डाटा और विडियो) मुहैया कराने के लिए ट्रिपल प्ले नेटवर्क (अर्थात् 3 जी नेटवर्क्स) की स्थापना के जरिए ग्रामीण दूरसंचार का विस्तार करने की आवश्यकता है। इन नेटवर्कों के जरिए एक ही ऑपरेटर एक ही मीडियम पर ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे।

12.1.31 अतः ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष और ब्रोडबैंड के सफल प्रसार के लिए नीति निर्माताओं और अन्य पणधारियों द्वारा (i) दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच के लिए उचित आधारभूत संरचना; (ii) उपयुक्त उपागम युक्तियों; और (iii) उचित और पर्याप्त

अंतर्वस्तु पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। अंततोगत्वा कोई भी सेवा उपयोगी हो इसके लिए उपभोक्ता के लिए इसका महत्व होना आवश्यक है। अतः ग्रामीण सेवा में पर्याप्त और प्रासंगिक अंतर्वस्तु होनी चाहिए। उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी की अलग-अलग आवश्यकताएं हैं और वे उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं और अंतर्वस्तुओं को अलग-अलग महत्व देती हैं। अतः उच्च वर्गीय उपभोक्ताओं, नगरों और कस्बों के मध्य वर्ग, व्यापक बाजार और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं और अंतर्वस्तु (कांटेंट) के संबंध में समाधानों पर अलग-अलग विचार किया जाना आवश्यक है। अतः बड़ी संख्या में कांटेंट प्रोवाइडर्स खास तौर पर रूरल कांटेंट प्रोवाइडर्स विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय भाषा कांटेंट प्रोवाइडर्स शामिल हैं। इसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और विभिन्न मौजूदा संस्थाओं के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा मौजूदा मानदंडों के अनुसार कांटेंट को प्रभावी रूप से विनियमित करने के लिए उचित नीतिगत पहल की जानी चाहिए।

दूरसंचार क्षेत्र में नई पहलें

12.1.32 यह देखा गया है कि ब्रोडबैंड/बैंडविथ प्रसार का अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव होता है। अन्य देशों का अनुभव बताता है कि ब्रोडबैंड प्रसार का राष्ट्रीय आय के साथ सकारात्मक सह-संबंध है।

12.1.33 आज की सूचना पर आधारित अर्थव्यवस्था में संकेत वहन के लिए बैंडविथ एक अनिवार्य संघटक है। यह सच्चाई है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के लगभग 850,000 रूट कि०मी० के बावजूद बैंडविथ की भौगोलिक उपलब्धता बहुत कम है क्योंकि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों को, जोकि देश का एक बड़ा भूभाग है, अभी भी कम उपलब्धता और मंहगे बैंडविथ का सामना करना पड़ रहा है। कई देश ब्रोडबैंड संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय कार्य नीतियां बना रहे हैं। भारत में भी दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण के कारण ब्रोडबैंड सेवा अधिकांशतया निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही है। सरकार ने 2010 तक 2 करोड़ ब्रोडबैंड और 40 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता (कनेक्शंस) का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों उपयुक्त नीतिगत उपायों द्वारा पीसी (पर्सनल कंप्यूटर) के प्रसार में पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी होगी।

12.1.34 भारत ई-शासन, ग्रामीण कनेक्टिविटी, ई-शिक्षा जैसे कई उपायों के साथ तैयार है जिससे बैंडविथ क्षमता का सृजन होगा। इससे पीसी, इंटरनेट और ब्रोडबैंड उपभोक्ताओं के प्रसार में भी वृद्धि की संभावना है। बैंडविथ की आवश्यकता 10 टीबीपीएस से अधिक होगी जिसमें से कम से कम 2000 जीबीपीएस (2

टीबीपीएस) अंतरराष्ट्रीय बैंडविथ की आवश्यकता होगी। बैंडविथ की इतनी बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर निम्नलिखित प्रकार की उपयुक्त नीतिगत पहल की आवश्यकता है:-

- मूल्य निर्धारण नीति: भारत मूल्य के प्रति अत्यधिक संवदेनशील बाजार है। यदि मूल्य सही है तो सेवा या वस्तु की स्वीकृति बहुत अधिक होती है और दूरसंचार बाजार ने इस सच्चाई को पर्याप्त रूप से साबित किया है। बैंडविथ को यदि एक वस्तु के रूप में देखा जाए तो इसकी वांछित मांग के लिए इसका सही मूल्य निर्धारण आवश्यक है। घरेलू उपभोग के लिए बैंडविथ को पुनः बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह प्रतिस्पर्द्धा लाने और आधारभूत संरचना के विस्तार का बेहतरीन तरीका है।
- वित्तीय नीतियां : इन पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है:-
 - कम लागत वाली उपागम युक्तियों (एकसेस डिवाइसेस) की उपलब्धता को प्रोत्साहित करना।
 - ब्रोडबैंड नेटवर्कों में प्रयुक्त मर्दों पर शुल्कों में कमी और घरेलू रूप से विनिर्मित वस्तुओं के आदानों पर और तैयार वस्तुओं के आयातों पर शुल्कों को बराबर करना।
 - राजस्व के महत्वपूर्ण भाग को छोड़े बगैर विकास को संभव बनाने के लिए उपयुक्त कर संरचना मुहैया कराना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच समन्वय: बीएसएनएल को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संघ - पावरटेल, जेलटेल और रेलटेल के साथ समन्वय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उन अतिरिक्त गांवों की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सके जिन्हें इन उपक्रमों के नेटवर्क द्वारा मुहैया कराए गए कवरेज की प्रकृति के कारण इनके नेटवर्क का उपयोग करके ब्रोडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा सके। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यूएसओ एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन तय किया जाना चाहिए।

नई मूल्य वर्द्धित सेवाएं शुरू करना

- पिछले दशक में टेलीविजन परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन आ गया है जिसमें ब्रोडकास्ट कनेक्शन की तुलना में प्वाइंट टू प्वाइंट कनेक्शन का उपयोग किया जाता है और प्रसारण को प्रभावी बनाने के लिए मल्टीकास्टिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है। चूंकि यह एक प्वाइंट टू प्वाइंट कनेक्शन है जो सामान्य वायस और डाटा कनेक्शंस के समान है, इसके परिणामस्वरूप एक ही मीडियम से वायस, वीडियो और डाटा का जिसे ट्रिपल प्ले कहते हैं, कनवर्ज्ड प्रोविजनिंग होता है।

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा केबल टीवी सेवा ऑपरेटरों तथा टेलिफोनी सेवा ऑपरेटरों द्वारा मुहैया कराई जा सकती है। दरअसल इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन को ब्रोडबैंड के लिए खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किलर एप्लीकेशन समझा जाता है। इससे कॉमन सर्विस सेंटर्स को अधिक व्यवहार्य बनाने में मदद मिलेगी।

- मोबाइल टेलीविजन एक और ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे गतिशीलता और टीवी देखने को एक साथ जोड़ा जा सकता है। चूंकि मोबाइल टीवी रिसेप्शन के लिए हैंड हैल्ड डिवाइस का भी उपयोग सामान्य वॉयस और डाटा संचार के लिए किया जा सकता है। अतः यह प्रौद्योगिकी चतुर्थभागीय अभिसरण को दर्शाती है जिसे क्वाड्रुपल प्ले कहते हैं। जबकि वीडियो प्रसारण के लिए 3 जी जैसी सेवाओं के उपयोग से मोबाइल टीवी सामान्य हो जाना चाहिए। तथापि, वैकल्पिक उपाय में बड़े लाभ की संभावना है क्योंकि इसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वीडियो रिसेप्शन के लिए प्रसारण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है जो हैंडसेट्स पर एफएम रेडियो जैसे वायस और डाटा एप्लीकेशंस के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी से अलग है।
- विनियमन और मूल्य निर्धारण के मोर्चे पर प्रसारकों/ कांटेंट प्रोवाइडर्स की अपनी अंतर्वस्तु आईपीटीवी और मोबाइल टीवी सेवा प्रोवाइडर्स को भी मुहैया कराने की अनुमति देने के लिए डाऊन-लिकिंग मार्ग निर्देशों में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस प्रौद्योगिकी से सर्विस प्रोवाइडर्स इन मंचों पर अपनी सामग्री भी दे सकते हैं। अतः इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन और मोबाइल टीवी पर प्रसारित सामग्री को विनियमित करने के लिए एक विनियामक व्यवस्था की भी आवश्यकता होगी।

भावी कार्य

12.1.35 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में आगे और भी त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना होगा:

- दूरसंचार के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना का पूरा ध्यान सभी क्षेत्रों के त्वरित विकास में सहायता के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्य नीति विकसित करने पर, डिजिटल डिवाइड को पाटने, स्पेक्ट्रम के अनुकूलतम दोहन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित निजी क्षेत्र के निवेश के संवर्द्धन के लिए नीतिगत अनुशंसा पर फोकस करने और दूरसंचार उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उपयुक्त पहल करने पर होगा।

- इंटरनेट और ब्रोडबैंड सेवाओं के संपूर्ण विकास के लिए स्थानीय कांटेंट और एप्लीकेशंस की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए जाने चाहिए - (i) देश में मल्टीमीडिया और वीडियो कांटेंट के निर्माण के लिए सुविधा मुहैया कराना; (ii) क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में सामग्री (कांटेंट) विकसित करने के लिए उचित प्रोत्साहन योजना बनाना; (iii) ई-शासन, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य के लिए सामग्री के विकास और अनुप्रयोग पर जोर।
- नए अवसर मुहैया कराने के लिए, आय बढ़ाने के लिए टेली-एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और ई-शासन के क्षेत्रों में समग्र विकास को संवर्द्धित करने के लिए साझा ग्रामीण ब्रोडबैंड आधारभूत संरचना का प्रभावी संवर्द्धन और विविधीकृत उपयोग।
- ब्रोडबैंड वातावरण में ऑनलाइन रिटेल को बढ़ावा दिया जा सकता है। अन्य विभागों जैसे विद्युत प्राधिकरणों, विभिन्न राज्य सरकारों के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, स्थानीय स्वशासन विभाग, पंचायतें, कृषि विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग की भूमिका में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि ये विभाग/ संगठन/ एजेंसियां ब्रोडबैंड सेवाओं के फायदों को उपभोक्ताओं तक खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा सकें।

12.1.36 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूरसंचार विभाग का जीबीएस अनंतिम रूप से 2006-07 के स्थायी मूल्यों पर 1549 करोड़ रुपये और वर्तमान मूल्यों पर 1,752 करोड़ रुपये और 2006-07 मूल्यों पर आईईबीआर का 79204 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्यों पर 89582 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

12.2 सूचना प्रौद्योगिकी

सिंहावलोकन

12.2.1 सूचना प्रौद्योगिकी ने गत दशक में हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है और भारतीय उद्यम और सृजनात्मकता को नेतृत्व प्रदान किया है। प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तनकारी अनुप्रयोगों में मिली सफलताओं से देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और उप क्षेत्रों को काफी लाभ हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं के समस्त रूप जिनमें सॉफ्टवेयर और सेवाएं, डाटा और व्यवसाय प्रसंसाधन सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं शामिल हैं - हमारी अर्थव्यवस्था के एक विशाल ज्ञान आधारित क्षेत्र बनकर उभरे हैं। उद्योग ने निवेश और रोजगार दोनो मामलों में न केवल अपना अस्तित्व कायम किया है बल्कि यह अन्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर

भी अपना सकारात्मक प्रोत्साहनकारी प्रभाव डाल रहा है। यह बहुत सारी गतिविधियों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने में योगदान कर रहा है। हमारे पास गतिशील उद्यमी वर्ग है जिसने कुशल पेशवर कर्मचारियों और उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमता के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की अपनी क्षमता में विश्वास प्राप्त किया है। आज भारत में अधिकांश कंपनियों ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों को पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर कर लिया है।

दसवीं योजना की समीक्षा

सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर (घरेलू क्षेत्र)

12.2.2 2006 में भारत का घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी बाजार लगभग 54000 करोड़ रुपये का था। पिछले छह वर्षों में इस क्षेत्र का 19.7% के सीएजीआर पर विकास हुआ है।

शुरू किए गए नीतिगत सुधार और नए उपाय

12.2.3 दसवीं योजना अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रमुख नीतिगत उपाय और अन्य कार्यक्रम संबंधी पहलें बाक्स 1 और 2 में दी गई हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

12.2.4 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एक नोडल विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन है जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और देश में लगभग 600 जिला प्रशासनों को ई-गवर्नेंस नेटवर्क और तकनीकी समर्थन प्रदान करता है। यह पिछले 30 वर्षों से देश में ई-गवर्नेंस की प्रक्रिया को बढ़ावा देता रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण

12.2.5 हार्डवेयर विनिर्माण की आर्थिक विकास और धन के सृजन के महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक के रूप में पहचान की गई है। भारत की विनिर्माण संबंधी प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम लागत वाले श्रम, प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होकर बाहर निकलने वाले 30 मिलियन स्नातकों के प्रतिभा पूल जैसे कारकों के कारण है। इसके अलावा कच्चा माल हमारे देश के सर्वाधिक बहुमूल्य स्रोतों में से एक है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विभिन्न क्षेत्रों के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात संलग्नक 12.2.1 और संलग्नक 12.2.2 में दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उत्पादन में समग्र वार्षिक वृद्धि 15-16% थी। इसमें निर्यात कुल उत्पादन का लगभग 16% था।

बाक्स 12.2.1 प्रमुख सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय ई-शासन योजनाएं - सरकार द्वारा आरंभ की गई राष्ट्रीय ई-शासन योजना में 27 मिशन मोड परियोजनाएं और 8 सहायक परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शासन के स्तरों पर 23000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित किया जाना है।
- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क्स (एसडब्ल्यूएनएस) - इस स्कीम के तहत देश के सभी 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक कुल 3334 करोड़ रुपये की लागत से न्यूनतम 2 एमबीपीएस बैंडविथ क्षमता वाले स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क्स स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
- कम्यूनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर्स (सीआईसी(ज)- कुल 305 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्वोत्तर राज्यों में 487, जम्मू और कश्मीर में 135, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में 41 और लक्षद्वीप समूहों में 30 समुदाय सूचना केंद्र (सीआईसी(ज) स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र स्थानीय लोगों को प्रभावी रूप से ई-शासन सेवाएं और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
- कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी(ज)- इस स्कीम में कुल 5742 करोड़ रुपये की लागत पर पूरे देश में 100,000 से भी अधिक कॉमन सेंटर्स स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। सीएससी(ज) मधुमक्खी के छत्ते के पैटर्न पर स्थापित किए जाएंगे जिससे देश के सभी 600,000 गांवों में ई-शासन, शिक्षा, मनोरंजन, टेलीमेडिसिन, कृषि आदि सेवाएं और विषय-वस्तु प्रदान किए जाएंगे।
- योजना निर्माण के लिए बहु स्तरीय भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के लिए स्थान विषयक डाटा आधारभूत संरचना संबंधी परियोजना - गांव को एक इकाई मानकर स्टैंड अलोन जीआईएस वितरित जीआईएस और वेब पर आधारित नेटवर्क सेंट्रिक जीआईएस वातावरण में बहुस्तरीय डाटाबेस विकसित किए जाएंगे ताकि योजना निर्माण और निर्णय के विभिन्न स्तरों पर जीआईएस के फायदों को प्रदर्शित किया जा सके।
- छह नगरों अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई के लिए कंप्यूटर की सहायता से डिजिटल चित्रण परियोजना - इस परियोजना के फायदों में जन सामान्य को बेहतर सेवाएं देना और आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर तैयारी शामिल है। इस परियोजना में जल, सीवर, विद्युत, सड़कों, संचार, गैस पाइपलाइंस आदि जैसी उपयोगिता की चीजों के डिजिटल चित्रण के साथ डिजिटल मानचित्र तैयार करना शामिल है।
- सेमीकंडक्टर उद्योग/एफएबी - सेमीकंडक्टर और इससे जुड़े उपकरणों के विनिर्माण के लिए भारत को एक वरीय गंतव्य बनाने का यह सही समय है। मार्च, 2007 में सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण और अन्य माइक्रो और नैनोटेक्नॉलॉजी विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज संबंधी अधिसूचना जारी की है।

बाक्स 12.2.2
राज्यों में सफल उपायों की निर्देशात्मक सूची

परियोजना	निम्नलिखित सरकार के उपाय
पंजीयन विभाग का कंप्यूटरीकरण: कार्ड, हिमरिस, स्टार, प्रेरणा, स्कोर, सरिता, कावेरी, त्रिस, दस्तावेज, ऑर्डिड, प्रिज्म	आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, दिल्ली, सिक्किम, पंजाब
परिवहन विभाग का कंप्यूटरीकरण: सास्थी और वाहन	विभिन्न राज्यों में लगभग पांच सौ आरटीओ/डीटीओ
जिला प्रशासन और नागरिक केन्द्रित सेवाओं का कंप्यूटरीकरण: प्रगति, अक्षय, लोकवाणी, नई दिशा, सुविधा	असम, मेघालय, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब
बैंक इंड पीआरआई सोल्यूशन्स: इंफोग्राम, ई-ग्राम, ई-पंचायत, अष्टी, पंच लेखा आदि (ग्राम पंचायत)	गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि
भूमि रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण: भूमि, तामिलनिलाम, भूलेख, धारित्री, भूमि, अपनाखाता, भूयान, देवभूमि, हिमभूमि	कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, हरियाणा
हलरिस (सम्पत्ति पंजीकरण और भूमि रिकार्ड प्रशासन का एकीकरण)	हरियाणा
एनआरईजीसॉफ्ट (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन योजना की ऑनलाइन निगरानी)	सभी राज्य
कोषागारों का कंप्यूटरीकरण: ई-कोष, कोषवाहिनी	राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश
ई-नगरपालिका	महाराष्ट्र
भूकम्प और सुनामी पीड़ितों के लिए स्थाई आश्रयों के निर्माण की मॉनीटरिंग रोजगार कार्यालय	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
सीआईपीए (कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन)	लक्षद्वीप, गुजरात
ई-न्यायालय (न्यायालय आदेश, कॉज लिस्ट, उच्चतम न्यायालय में ई-फाइलिंग)	राज्यों में लगभग 1800 पुलिस स्टेशन
पासपोर्ट प्रणाली	उच्चतम न्यायालय, 21 उच्च न्यायालय, राज्यों में इसका 13000 अधीनस्थ कार्यालयों में विस्तार किया जा रहा है।
वैट (मूल्य संवर्द्धित कर का कंप्यूटरीकरण)	राज्यों में पासपोर्ट कार्यालय
एगमार्कनेट	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हरियाणा
राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (एनपीपी)	विभिन्न राज्यों में 2800 कृषि मंडियां
पीआरआईएसॉफ्ट (पीआरआई एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर)	राज्यों में सभी पंचायती राज संस्थाओं के पोर्टल
रूरलबाजार (ग्रामीण उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए वेब भंडार)	उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि
रूरलसॉफ्ट (गरीबी उपशमन योजनाओं के लिए सूचना प्रणाली)	तमिलनाडु, गोवा, त्रिपुरा आदि
ग्रामीण जल आपूर्ति और साफ सफाई/पीएचईडी का कंप्यूटरीकरण	उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि
ओपन ई-एनआरआईसीएच (कम्युनिटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फ्रेमवर्क तथा कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम)	अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि- 20 राज्य
ई-पोस्ट	केरल, पूर्वोत्तर राज्य, बिहार आदि
तत्काल धनादेश	राज्यों के डाकघर
सीओआईएन (सहकारी बैंक सूचना नेटवर्क)	राज्यों के डाकघर
कोनफोनेट - उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग	बिहार
खाद्यान्नों के प्रबंधन के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली	सभी राज्य
	सभी राज्य

सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास

12.2.6 भारत वैश्विक परिक्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकीय और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्ञान सृजन के मामले में प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। 2005-06 तक इस क्षेत्र में नियुक्त व्यवसायिकों की संख्या बढ़कर 1.28 मिलियन हो गई थी।

नैनोटेक्नोलॉजी

12.2.7 नैनोटेक्नोलॉजी को व्यापक तौर पर अगली प्रौद्योगिकी क्रांति के रूप में माना जाता है। इसने विश्व भर में वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और प्रौद्योगिकीविदों का ध्यान आकृष्ट किया है और इसका लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों और अनुप्रयोग के क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत ने दसवीं योजना के दौरान नैनोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का वित्त पोषण शुरू किया था और लगभग 127 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टि और कार्यनीति

12.2.8 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु 11वीं योजना संबंधी विजन में अपेक्षाकृत नई प्रौद्योगिकी के विकास, उद्यमशीलता और नए परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में मौजूदा शक्तियों और आधार पर कार्य करते हुए हमें डिजिटल अंतर को पाटकर और देश में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण आधार को सुदृढ़ बनाकर प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि भारत हार्डवेयर विनिर्माण और निर्यातों के लिए क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में उभर सके। हमारे साफ्टवेयर उद्योग को मूल्य श्रृंखला में सेवाओं से उत्पाद विकास की ओर बढ़ने की और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को सृजित करने की आवश्यकता है।

12.2.9 भारत को आईटीईएस सहित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और सेवाओं के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने और सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण के लिए क्षेत्रीय केन्द्र बनने में सक्षम बनाने के लिए राजकोषीय और गैर-राजकोषीय उपायों को शामिल करते हुए समन्वित रूप से उपयुक्त रणनीतियां लागू किए जाने की आवश्यकता है। जनसांख्यिकीय लाभ का फायदा उठाते हुए हमें न केवल घरेलू जरूरत को पूरा करने बल्कि शेष विश्व के लिए भी उच्च प्रशिक्षित जनशक्ति का कोष सृजित करने की आवश्यकता है।

11वीं योजना में नीतिगत मुद्दे, कार्यक्रम सुधार और नए उपाय

12.2.10 11वीं पंचवर्षीय योजना के तीव्रतर और समावेशी विकास संबंधी उद्देश्य के लिए कई नए उपायों की आवश्यकता है

अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए देश भर में एकीकृत आधुनिक शहरों का सृजन करना, सूचना प्रौद्योगिकी - इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण के संबंध में सक्रिय नीति तैयार करना, निरन्तर आधार पर उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करना और कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिनमें हमारे पास वैश्विक तौर पर अग्रणी बनने की क्षमता है, में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। एक अन्य क्षेत्र जिसमें तेजी लाए जाने की आवश्यकता है वह आम लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके आसपास के क्षेत्र में सामान्य सेवा सुपुर्दगी केन्द्रों के जरिए सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करने और उचित लागतों पर ऐसी सेवाओं की सक्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम है। ई-गवर्नेंस से जुड़े हुए तकनीकी मुद्दों की तुलना में रिजिनीयोरिंग और परिवर्तन के प्रबंधन के मुद्दे सर्वाधिक महत्व रखते हैं।

12.2.11 हार्डवेयर की मांग वर्तमान के 18% की तुलना में 30% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह मांग युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं, बढ़ती हुई खर्च करने योग्य आय वाले भारत के बड़े मध्य वर्ग के कारण और जोर पकड़ेगी। वर्ष 2010 तक हार्डवेयर बाजार के 85 बिलियन यूएस डालर का हो जाने की उम्मीद है। यदि हार्डवेयर का उत्पादन वर्तमान वृद्धि दर से बढ़ना जारी रहता है तो मांग तथा आपूर्ति के बीच बहुत अंतर हो जाएगा जिसे आयातों के माध्यम से पूरा करना पड़ेगा। इस परिदृश्य में हम एक ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जिसमें हार्डवेयर के आयात पर खर्च होने वाला विदेशी विनिमय देश द्वारा सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के निर्यात के माध्यम से अर्जित विदेशी विनिमय से अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होने की संभावनाएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता आधार पर बड़े नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

12.2.12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग: घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग तथा प्रतिभावान इंजिनियरों का पूल उपलब्ध रहने के कारण भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से पांव जमा रहा है। भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग में फिलहाल चिप डिजाइनिंग गतिविधियों में शामिल प्लेयर्स का बोलबाला है। भारत को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्मित करने के लिए एक सुसंगत रणनीति अपनाकर आक्रामक प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक

वस्तुओं के विनिर्माता देश में आईसी की यथेष्ट मांग पैदा करेंगे। फ़ैब्रीकेशन सुविधा से आगामी वर्षों में नैनोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए लाभ उठाने में सहायता मिलेगी। फ़ैब्रीकेशन न केवल घरेलू बाजार की जरूरत को पूरा करेगा बल्कि देश विशिष्ट उत्पाद की श्रेणियों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार तक पहुंच पाने में भी सक्षम होगा। भारत में सेमीकंडक्टर फ़ैब्रीकेशन तथा अन्य माइक्रो और नैनोटेक्नोलॉजी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है जिससे भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के विकास को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

12.2.13 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा बीपीओ सहित सनराइज उद्योगों के लिए एकीकृत आधुनिक शहरों की स्थापना: सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सहज रूप से गतिशीलता है और बड़ी संख्या में देश भर में स्थापित हो रहे शैक्षणिक संस्थानों के कारण आईटी-आईटीईएस/बीपीओ उद्योगों को दूसरे तथा तीसरे स्तर के नगरों में ले जाने की आवश्यकता है ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, देश में आईटी/आईटीईएस/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सहित सनराइज उद्योगों के लिए एकीकृत आधुनिक शहरों की स्थापना करने हेतु 'सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र' सृजित करना भी महत्वपूर्ण है।

12.2.14 साइबर सुरक्षा - चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी आर्थिक गतिविधियों का अधिकाधिक आधार बनता जा रहा है इसलिए प्रचालनात्मक स्थिरता और महत्वपूर्ण सूचना संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक हो गई है। इसके लिए सरकार, उद्योग और सेवा प्रदाताओं द्वारा इस बात के ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि वे अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करें। वर्तमान में निम्नलिखित संगठन देश में साइबर सुरक्षा के मामलों से जुड़े हुए हैं :-

- इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसपान्स टीम (सीईआरटी-इन) - सीईआरटी-इन एक कार्यशील संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा करना है। यह घटना को रोकने और प्रत्युत्तर संबंधी सेवाएं तथा सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा अपनी वेबसाइट पर सूचना का प्रसार करके सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा 24x7 इंसीडेन्ट रिसपान्स हेल्प डैस्क चलाता है। इसकी गतिविधियों में सुरक्षा मामलों की हैंडलिंग करना, ई-सिक््योरिटी एलर्ट जारी करना, परामर्श वलनरेबिलिटी नोट तथा सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत प्रकाशित करना, भारतीय वेबसाइट में विकृतियां पैदा करने की बात का पता लगाना, आदि शामिल हैं।

- सरकारी विभागों की सुरक्षा: सरकारी विभागों के लिए ई-गवर्नेंस समर्थन संगठन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा संबंधी विभिन्न उपाय करता है। इनमें डाटा सेन्टर सुरक्षा, यूजर सिस्टम्स सुरक्षा, सुरक्षा संबंधी नीतियां और अनुपालन की जांच के लिए प्रक्रिया और नियमित सुरक्षा लेखा परीक्षा शामिल हैं। डाटा सेन्टर सुरक्षा में नेटवर्क फायरवॉल, इन्ट्रूजन प्रीवेन्शन सिस्टम्स, एप्लीकेशन फायरवॉल, एसएसएल/वीपीएन सुरक्षा, आदि शामिल हैं। किसी भी नए एप्लीकेशन को होस्ट करने से पूर्व इस पर एप्लीकेशन सिक््योरिटी ऑडिट किया जाता है। इसके अतिरिक्त समस्त निकनेट पर सर्वरों तथा डेस्कटॉप सिस्टमों के लिए एंटीवायरस तथा सॉफ्टवेयर पैच मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जाता है। नेटवर्क की निरंतर सुरक्षा संबंधी निगरानी की जाती है।

- क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सहयोग से साइबर सुरक्षा संबंधी सभी मामलों का समाधान करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़कर एक क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र साइबर सुरक्षा संबंधी नीतियों को लागू करने, सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा करने और घटना (इंसीडेन्ट) की हैंडलिंग करने में संगठनों को सहायता प्रदान करेगा तथा उनको सलाह देगा। यह विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों तथा पुलिस विभाग को घुसपैठ (इन्ट्रूजन) का पता लगाना, सुरक्षा संबंधी सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना, असुरक्षा की जांच करना, पोर्ट स्कैनरों, पासवर्ड चुराने वालों के प्रति सुरक्षा प्रदान करना जैसे सुरक्षा प्रशासन सॉफ्टवेयर लगाने सहित सुरक्षा नेटवर्कों की डिजाइन तथा अन्य मुद्दों के लिए परामर्श भी प्रदान करेगा।

12.2.15 उच्च कार्यक्षमता (हाई परफॉर्मंस) कंप्यूटिंग: उच्च कार्यक्षमता और ग्रीड कंप्यूटिंग अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग सुविधाएं हैं जिनका विविध जटिलताओं वाले नए वर्ग के गणितीय प्रश्नों का हल करने, हाई एनर्जी भौतिक विज्ञान, नाभिकीय भौतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, संरचनात्मक जीव विज्ञान, एंजाइम उत्प्रेरण, जीनोमिक्स, बायो- इंफार्मेटिक्स आदि जैसे अनेक क्षेत्रों में व्यापक तौर पर उपयोग किया जाएगा। ग्रीड एप्लीकेशन का उद्देश्य सदस्यों द्वारा ग्रीड के इर्द-गिर्द परिकलनात्मक शक्ति का विभाजित करना है ताकि अधिक सर्विस डिलीवरी हो और तेजी से डाटा एक्सेस किया जा सके। ग्रीड पर कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए अत्यधिक गति वाला बैकबोन विकसित करने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास करने और अनुसंधान व विकास तथा अपेक्षित मानव संसाधनों के प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्मित करने की आवश्यकता है।

12.2.16 भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास: भारत एक बहुभाषायी देश है। इसलिए उपयोगकर्ता अनुकूल और किफायती उपकरण, एप्लीकेशन तथा कंटेंट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है जिससे भारतीय भाषाओं में आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच हो। भाषायी डाटा संसाधन, विषय-वस्तु सृजन, भाषा प्रक्रमण उपकरण और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉगनिशन, टेक्सट-टू-स्पीच, स्पीच रिकॉगनिशन, अंतर-भाषात्मक सूचना की पुनःप्राप्ति और बहुभाषायी वातावरण में मशीन द्वारा अनुवाद से संबंधित मसलों का समाधान किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ आम जन को उपलब्ध कराने के लिए कुछ भारतीय भाषाओं यथा हिंदी, तमिल, तेलुगू असमिया, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू के लिए फॉन्ट और सॉफ्टवेयर उपकरण सार्वजनिक क्षेत्रों में रिलीज किए गए हैं। आने वाले वर्षों में अन्य भाषाओं के लिए इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर उपकरणों तथा फॉन्टों को विकसित करने की आवश्यकता है।

12.2.17 भारतीय डिजिटल पुस्तकालय: डिजिटल पुस्तकालय पारम्परिक पुस्तकालयों की तुलना में कई लाभ प्रदान करते हैं। कोई भौतिक सीमाएं तथा स्थान संबंधी बाधा न होने के कारण डिजिटल पुस्तकालय चौबीसों घंटे उपलब्ध होते हैं जिनमें सर्वाधिक किफायती तरीके से अनेकानेक स्थानों पर एक ही साथ कई एक्सेसिज किए जा सकते हैं।

12.2.18 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर द्वारा होस्ट किया गया भारतीय डिजिटल पुस्तकालय, जो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में कई पुस्तकों तक मुफ्त एक्सेस उपलब्ध कराता है, ने सितम्बर, 2007 तक 2.97 लाख से अधिक पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन किया है जिसमें लगभग 80.7 मिलियन पृष्ठ शामिल हैं। इसी प्रकार के अन्य डिजिटल पुस्तकालय, जिन तक अधिकांशतया इसके अपने सदस्यों की पहुंच है, भारत के कई स्थानों और कई अन्य देशों में अस्तित्व में रहे हैं। इसलिए भौतिक रूप में उपलब्ध आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन और परिरक्षण के अतिरिक्त प्रमुख उपाय विश्व भर में सभी डिजिटल पुस्तकालयों का एकीकरण होना चाहिए ताकि मानव जाति की सभी उल्लेखनीय साहित्यिक, कलात्मक और विज्ञान की रचनाओं को हमारी पीढ़ी तथा हमारी सभी भावी पीढ़ियों की शिक्षा, उनके द्वारा अध्ययन किए जाने और समीक्षा किए जाने हेतु विश्व के प्रत्येक कोने में उपलब्ध कराया जा सके।

12.2.19 खुला प्रौद्योगिकी केन्द्र (ओटीसी): ई-गवर्नेंस और महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों तथा सर्विसों में खुली प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में खुला प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की गई है। इसने भाषणों के अभिलेख, राज्य सभा के सदस्यों के वीडियो तथा ऑडियो भाषणों के लिए एक ओपन सोर्स आर्काइवल

साल्यूशन डी स्पेस उपलब्ध कराया है। इससे अंग्रेजी के अलावा उर्दू तथा हिंदी के भाषणों के दस्तावेजों को अभिलेखीकृत किया जा सका है।

12.2.20 पुस्तकालय ऑटोमेशन: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा मानकीकृत तथा शक्तिशाली पुस्तकालय ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के रूप में ई-ग्रंथालय विकसित किया गया है। लगभग 1000 पुस्तकालयों में पहले ही लागू किया जा चुका यह सॉफ्टवेयर देश में बड़ी संख्या में पुस्तकालयों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

12.2.21 नेशनल नॉलेज नेटवर्क का सृजन: भारत को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नवीन परिवर्तन आदि में आगे लाने के मामले में एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। राष्ट्रीय अनुसंधान तथा शिक्षा नेटवर्क वैज्ञानिकों के बीच सहयोग, नवाचार और खोज को गति प्रदान कर रहा है। इस दिशा में अपेक्षित कुछ प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं -

- एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना करने तथा इसे चलाने के लिए एक उपयुक्त तंत्र सृजित करना।
- एक गतिशीलता वाले विन्यास किए जाने योग्य नेशनल मल्टीमीडिया बैकबोन नेटवर्क का उपयोग करके सभी प्रमुख अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं, केन्द्रीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और पुस्तकालयों को जोड़ना।
- वायरलेस नेटवर्क के जरिए कैम्पसों को सशक्त बनाना।
- 30 टैरा-बाइट स्टोरेज वाला केन्द्रीय डाटा सेन्टर होना जिसका भविष्य में पेटा-बाइट स्टोरेज तक विस्तार किया जा सके।
- एक राष्ट्रीय शैक्षणिक पोर्टल सृजित करना जिस पर पर ई-लर्निंग के लिए मुफ्त शैक्षणिक विषय वस्तु होस्ट किया जा सके।

12.2.22 स्कूल कनेक्टिविटी: शिक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाए जाने और अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है। प्रथम चरण में प्रत्येक विद्यालय को ब्रोडबैंड एक्सेस उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। भारत में 108000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। इन सभी विद्यालयों को प्रगामी तौर पर नेटवर्क से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

12.2.23 ई-गवर्नेंस निवेशों की सक्षमता में वृद्धि करना: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी:

- केन्द्र और राज्य सरकारों को ई-गवर्नेंस सेवाएं हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- पहले से ही सफल ई-गवर्नेंस प्रोग्रामों की तेजी से पुनरावृत्ति।
- ई-कामर्स, ई-गवर्मेंट और ई-बैंकिंग पहल के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों को अनिवार्य बनाना।

- 'किलर एप्लीकेशनों' - ऑनलाइन नीलामियों, ई-वोटिंग, होम बैंकिंग आदि की पहचान करना और इनका विकास करना।
- एनईजीपी के तहत विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं का त्वरित और प्रभावकारी क्रियान्वयन।
- जिन स्थानों में कॉपर वायरिंग संभव नहीं है वहां अंतिम दूरी तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए एक्स डीएसएल (xDSL), वाई फाई (WiFi) तथा वाई मैक्स (WiMax) जैसी प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन।
- बीपीएल (ब्रोडबैंड ऑन पावर लाइन्स) जैसी प्रौद्योगिकियों का भी अन्वेषण किया जाना चाहिए।

12.2.24 11वीं योजना में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र: पहचान किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख कार्यों में से एक है। इस समर्थन से विभिन्न उत्पादों तथा पैकेजों का विकास करने के अलावा बहुत बड़ी संख्या में शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशलताएं निर्मित करने, उद्योग में अनुसंधान तथा विकास प्रारंभ करने के लिए अपेक्षित जन शक्ति पैदा करने में सहायता मिली है। 11वीं योजना में अनुसंधान तथा विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं- सर्वव्यापी कम्प्यूटिंग, आरएफआईडी, उच्च कार्य निष्पादन नेटवर्किंग, बायो इनफार्मेटिक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब प्रौद्योगिकियां, इलेक्ट्रानिक्स नैनोटेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स, ऑटोमेशन इलेक्ट्रानिक्स, इम्बेडिड सिस्टम्स, इलेक्ट्रानिक्स मैटेरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम।

12.2.25 बायो-इन्फो-नैनो प्रौद्योगिकियों और ज्ञानात्मक विज्ञान का अभिमुखीकरण: सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी का पहले ही अभिमुखीकरण हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सामने आई है। बायो-टेक्नोलॉजी के साथ संयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी से बायो-इन्फार्मेटिक्स का प्रादुर्भाव हुआ है। अब, नैनो-टेक्नोलॉजी हमारे द्वार पर दस्तक दे रही है। भविष्य में माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स तथा कई अन्य फील्ड औषधि, इलेक्ट्रानिक्स तथा मैटेरियल साइंस, आदि के क्षेत्रों में जबरदस्त एप्लीकेशन क्षमता से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। बायो-नैनो-इन्फो प्रौद्योगिकियों के अभिमुखीकरण के परिणामस्वरूप नैनो रोबोटों का विकास हो सकता है। इसी प्रकार आगामी वर्षों में बायो-इन्फो-नैनो प्रौद्योगिकियों का ज्ञानात्मक विज्ञान के साथ अभिमुखीकरण होने से एक नई क्रांति की शुरुआत भी होने की उम्मीद है।

ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए आईसीटी माप

12.2.26 भारत सरकार ने देश में सभी महत्वपूर्ण सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक नोडल तथा शक्ति प्राप्त निकाय के रूप में कार्य करने तथा सांख्यिकीय प्राथमिकताओं एवं मानकों को तैयार करने, इनकी मॉनीटरिंग करने तथा इनको लागू करने और विभिन्न संलग्न एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वयन सुनिश्चित करने के व्यापक सीमा वाले उद्देश्य के साथ एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना की है। इस आयोग का औपचारिक तौर पर जुलाई, 2006 में गठन किया गया था।

12.2.27 इससे आईसीटी पर विश्वसनीय तथा समयबद्ध आंकड़ों की आवश्यकता पर बल पड़ा है। आईसीटी सांख्यिकीय तथा संकेतकों को एकत्रित करने का अंतिम उद्देश्य नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्था तथा समाज पर आईसीटी के प्रभाव के बारे में सूचित करना है। इसको संभव बनाने के लिए न केवल आईसीटी उद्योग के बारे में बल्कि लोगों, व्यवसाय और लोक प्रशासन द्वारा आईसीटी का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, के बारे में भी आंकड़े एकत्रित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए आईसीटी उद्योग को मापने पर बल को थोड़ा प्रतिस्थापित कर 11वीं योजना में अर्थव्यवस्था के मामले में आईसीटी के उपयोग को मापने पर बल देने की आवश्यकता है।

12.2.28 11वीं योजना में इस उभरती हुई आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्रवाई पर विचार किया जाए:-

- परिवारों, व्यक्तियों और ई-कामर्स तथा ई-व्यवसाय सहित व्यवसायों द्वारा आईसीटी के उपयोग का नमूना सर्वेक्षण कराना।
- आईसीटी का प्रभाव संबंधी अध्ययन: आईसीटी अर्थव्यवस्था के लिए क्या करता है।
- विकास हेतु आईसीटी को मापने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहभागिता को आगे बढ़ाना।

प्रमुख बाधाएं और चुनौतियां

12.2.29 देश में सूचना प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को पेश आ रही कुछ प्रमुख बाधाएं और चुनौतियां निम्नानुसार हैं-

- प्रचालनों का छोटा आकार/पैमाना: अधिकांश विनिर्माण संयंत्रों के प्रचालन का आकार तथा पैमाना वैश्विक बाजार के अग्रणी संयंत्रों की तुलना में बहुत छोटा है। इसके फलस्वरूप विनिर्माण हेतु और स्रोत बनाने के लिए उत्पादन का स्तर बहुत कम हो जाता है। कमतर क्षमताओं के कारण प्रति यूनिट उपरिव्यय अधिक होता है। यद्यपि भारत में श्रम की लागत कम है, तथापि यह उत्पादन के कम स्तर के प्रतिकूल प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने में विफल रहता है।

- प्रौद्योगिकी के अप्रचलित होने की उच्च दर: प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों के कारण, नई विधियां लागू होती हैं, जिनके लिए आधुनिक प्रक्रियाओं और संयंत्र की आवश्यकता होती है जो लागत, गति और गुणवत्ता के संदर्भ में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। इसके बावजूद भारतीय कंपनियां पूर्व उपस्कर में किए गए निवेश की रिकवरी होने से पहले अपग्रेड करना अव्यवहार्य पाती हैं।
- विनिर्माण का एकीकरण: उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीकॉम के त्वरित अभिसरण और बाजार में नए उत्पादों के तेजी से आने के कारण नए गैजेट को समर्थित करने के लिए आवश्यक उपकरणों के विनिर्माण के लिए नए अवसर उभर रहे हैं। अतः विनिर्माण के लिए उत्पाद श्रेणियों के एकीकरण का प्रयास किया जाना है।
- आईसीटी के उपयोग (ई-स्टेट) पर विश्वसनीय तथा समयबद्ध आंकड़ों की कमी और इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।

भावी दिशा

12.2.30 भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का भविष्य अत्यधिक सकारात्मक दिखता है। सरकार का लक्ष्य इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कई नए उपाय शुरू करने और पहले से ही जारी योजनाओं को सुदृढ़ बनाने का है। ऊपर उल्लिखित उपायों के अतिरिक्त तीव्र और समावेशी विकास हासिल करने में सहायता करने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं-

- सभी सरकारी खरीदों में ई-खरीद मॉडल अपनाए जाने को प्रोत्साहित करना।
- राज्य सरकारों को एनईजीपी के तहत नागरिक केन्द्रित प्रमुख मिशन परियोजनाओं को अधिमान्यतः सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता मोड में शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- इलेक्ट्रॉनिक्स/ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, क्योंकि यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक निजी क्षेत्र में हार्डवेयर विनिर्माण क्लस्टर/पार्कों की स्थापना करने और एक ही परिसर में अंतर-आश्रित यूनिटों को साथ-साथ स्थापित करने के लिए नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता।
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए नीति तैयार करने की आवश्यकता है।
- एक कोर डाटा बेस (सीडीबी) (पहले से ही मौजूद सर्वाधिक विश्वसनीय डिजिटल कृत डाटाबेस का उपयोग करके) सृजित करने के लिए अनूठे आईडी परियोजना को परिचालित करना जिसे बाद में नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है और

जो सभी विभागों को आसानी से उपलब्ध हो तथा उनके द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए देश में निवासियों की पहचान के लिए उसका उपयोग किया जा सके।

- गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों, जो उद्योग के अनुसार तैयार हों, को विकसित करने के लिए मिशन मोड कार्यक्रम और परियोजनाएं प्रारंभ करना।
- गुणवत्ता वाले संकाय के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू करना।

12.2.31 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सकल बजटीय समर्थन अनंतिम रूप से 2006-07 स्थिर मूल्यों पर 11048 करोड़ रुपये और वर्तमान मूल्यों पर 12,496 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

12.3 भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट)

सिंहावलोकन:

12.3.1 डाकघर देश में एकमात्र ऐसी संस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। एक तत्पर और सक्षम डाक प्रणाली देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ओर यह लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है और दूसरी तरफ यह व्यवसायों को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जो देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डाक सेवाओं का महत्व तब और भी अधिक हो जाता है जब सरकार द्वारा यूएसओ निधि का सृजन कर दिया जाता है।

12.3.2 कुरियर सेवा तथा एक्सप्रेस सेवा के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी हो जाने और प्रत्येक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशनों का विकास हो जाने से डाक विभाग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। इस क्षेत्र का बेसिक प्रोफाइल बॉक्स 1 में दिया गया है।

दसवीं योजना की समीक्षा

12.3.3 दसवीं योजना का लक्ष्य मूलतः डाक सेवाओं को आत्म-पर्याप्त बनाना था। दसवीं योजना के लिए परिकल्पित प्रमुख उद्देश्य (i) उचित मूल्यों पर सर्वसुलभ डाक सेवाओं की व्यवस्था करना; (ii) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना; (iii) आधुनिकीकरण; और (iv) सि-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया शुरू करना है ताकि बेहतर प्रशासनिक सक्षमता और वित्तीय प्रबंधन तथा संतुष्टि हासिल की जा सके। प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन घटक दसवीं योजना परिव्यय का लगभग 80% था। डाक घर खोलने की नीति की समीक्षा की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि पोस्टल नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से कर्मचारियों की पुनःतैनाती अथवा मौजूदा डाकघरों के स्थान पुनर्निर्धारित करने के जरिए ही नए डाकघरों की स्थापना की जानी चाहिए।

बाक्स 12.3.1 डाक क्षेत्र की बुनियादी रूप-रेखा

- कुरियर सेवाओं को छोड़कर, डाक प्रचालनों पर अभी भी सरकारी एकाधिकार है।
- भारत में डाक सेवाओं को सरकारी नीति के भाग के रूप में अत्यधिक राजसहायता प्राप्त है।
- भारतीय डाक प्रणाली डाक घरों/ निकासों की संख्या के मामले में लगभग 1.55 लाख की संख्या के साथ विश्व में सबसे बड़ी प्रणाली है, जिसमें से लगभग 90% डाक घर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और शेष 10% डाक घर शहरी क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में 5405 पंचायत संचार सेवा केंद्र भी मूलभूत डाक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
- फिलहाल भारतीय डाक में देश भर में इसके प्रचालनों को चलाने के लिए 2.47 लाख विभागीय तथा 2.93 लाख बहि-विभागीय कर्मचारियों सहित 5.4 लाख कर्मचारी हैं।
- डाक प्राप्तियों की प्रतिशतता में कुल खर्च यू.के. में 101% तथा यूएस में 102% की तुलना में भारत में 123 % था।

दसवीं योजना में लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन

12.3.4 450 बहि-विभागीय डाक घर खोलने के लक्ष्य के प्रति विभाग 440 बहि-विभागीय डाक घर खोल पाया है। जहां तक 2400 डाक संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का प्रश्न है, इस संबंध में उपलब्धि 2371 रही है। विभाग 45 डाक घर खोलने के अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करने में भी सफल रहा है। 7700 डाकघरों के लक्ष्य के प्रति 8263 डाक घरों का कंप्यूटरीकरण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 22 डाक लेखा कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लक्ष्य के प्रति 19 कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। सभी 245 प्रशासनिक डाक घरों का भी कंप्यूटरीकरण कर लिया गया है। 48 प्रधान रिकार्ड कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के मामले में उपलब्धि 100% रही है।

12.3.5 आधुनिकीकरण के क्षेत्र में, 811 के लक्ष्य के प्रति 822 डाक घरों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है। विभाग 350 त्वरित डाक केंद्रों का आधुनिकीकरण करने के लक्ष्य के प्रति 338 त्वरित डाक केंद्रों का आधुनिकीकरण कर पाया है। मेल मोटर डिपुओं का भी लक्ष्य के अनुसार आधुनिकीकरण किया गया है। विभाग ने 300 के लक्ष्य के प्रति 290 डाक वित्त बाजारों की स्थापना की है।

12.3.6 डाक टिकट संग्रहण (फिलैटली) अपग्रेडेशन के क्षेत्र में विभाग ने बढ़िया कार्य किया है। विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास, जो आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी को लागू करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को समर्थन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है, भी शुरू किया गया है। 3,15,700 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के प्रति विभिन्न संवर्गों के 3,03,769 व्यक्तियों को अपने-अपने फील्ड में प्रशिक्षित किया जा चुका है। विभाग ने राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र भी स्थापित किया है, जो 'कहीं भी बैंकिंग' के समान विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करेगा।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टि तथा रणनीति

12.3.7 भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) के दृष्टि संबंधी विवरण में इसकी सामाजिक प्रतिबद्धता की तथा प्रौद्योगिकी लागू करने, उद्यमशीलता संबंधी प्रबंधन करने और वित्तीय आत्म-पर्याप्तता हासिल करने पर केंद्रित इसके ध्यान की पुष्टि की गई है। आंतरिक तथा बाह्य अवसरों और चुनौतियों पर विचार करते हुए 11वीं योजना में कई नीतिगत उपायों के साथ डाक विभाग के समग्र विकास और ब्राण्ड छवि तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विभाग अपने नेटवर्क का प्रभावकारी रूप से उपयोग करने का लक्ष्य भी रखेगा और विभिन्न एजेंसियों/ सगठनों के साथ उपयुक्त संपर्क विकसित करके मूल्य संवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।

प्रमुख बाधाएं और चुनौतियां

12.3.8 बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और टेलीफोन, इंटरनेट आदि सहित संचार के अन्य वहनीय साधनों की उपलब्धता के कारण (भारतीय डाक) इंडिया पोस्ट को प्रतिस्पर्धात्मक और ग्राहक अनुकूल रणनीतियों को अपनाकर उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई उम्मीदों को पूरा करते हुए राजस्व को बढ़ाकर वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य बनने की आवश्यकता है। इसके लिए बदले हुए परिदृश्य में विभाग को पुनः परिभाषित करने और पुनर्स्थित करने की तत्काल आवश्यकता है। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने और इनको तेजी से उभरते हुए और विश्व के प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होने में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) को अपने प्रयासों को अपने नेटवर्क का विस्तार कर तथा भागीदारियों के माध्यम से अंतिम मील-दूरी तक पहुंच बनाकर सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित गैर महत्वपूर्ण गतिविधियों पर केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

12.3.9 घरेलू डाक बाजार कई अवसरों तथा खतरों का सामना कर रहा है:-

- संचार बाजार: इलेक्ट्रानिक्स विकल्प और संगठित तथा तदर्थ कुरियर दोनों भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- लॉजिस्टिक्स बाजार: राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर व्यवसाय ग्राहकों पर लक्षित बेहतर मूल्य संवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लॉजिस्टिक्स तथा एक्सप्रेस बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं।
- जन संचार बाजार: लक्षित विपणन के साथ प्रत्यक्ष डाक विकसित करने और उभरते हुए मध्यम वर्गीय समुदाय को लक्षित करने के अवसर मौजूद हैं।
- खुदरा तथा वित्तीय बाजार: अपने विस्तृत नेटवर्क के साथ भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) ग्रामीण तथा अब तक अन छुई आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों तथा अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीतिगत मुद्दे

12.3.10 आंतरिक तथा बाह्य अवसरों तथा चुनौतियों पर विचार करते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में डाक विभाग के समग्र विकास और उनको पुनःस्थित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ परन्तु महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों का नीचे उल्लेख किया गया है:-

- डाक विभाग को उभरती हुई प्रौद्योगिकी संबंधी और बाजार वास्तविकताओं के इर्द-गिर्द पुनर्संगठित करना और वैश्विक व्यवसाय, वित्तीय सेवाओं, खुदरा, ग्रामीण व्यवसाय, आदि जैसे व्यवसाय की संभावना वाले अपेक्षाकृत नए क्षेत्रों में विस्तार करना।
- प्रौद्योगिकी को व्यापक तौर पर लागू करना जो केन्द्रीय सर्वर आधारित प्रणाली का उपयोग करते हुए सभी डाक घरों के कंप्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग पर लक्षित हो। मेल प्रोसेसिंग प्रणालियों सहित अन्य अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्रणालियों को लागू करना ताकि वैश्विक उद्योग मानकों के समकक्ष सेवा प्रदान की जा सके।
- विभाग के मानव संसाधन को प्रौद्योगिकी अनुकूल, विश्व स्तरीय प्रबंधकों द्वारा संचालित व्यवसायोन्मुखी कार्यबल में परिवर्तित करने के उद्देश्य के साथ मानव संसाधन पर अधिक बल देना।
- डाक जीवन बीमा को आईआरडीए मानदंडों की आवश्यकताओं के अनुरूप रखते हुए अपने स्वयं के निवेश संबंधी निर्णय

लेकर और अन्य बीमा कंपनियों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर वाणिज्यिक व्यवसाय में परिवर्तित करना।

- डाक परिसम्पत्तियों के विकास के लिए विशेष प्रयोजन साधन (स्पेशल परपस व्हीकल) स्थापित करके सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता मॉडल को अपनाता ताकि उनका वाणिज्यिक दोहन किया जा सके और राजस्व अर्जित किया जा सके।
- सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों की डिलीवरी के लिए और व्यापार, व्यवसाय तथा बैंकिंग क्षेत्रों के लिए लाभभोगियों के साथ केन्द्र तथा राज्य सरकारों के इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय डाक(इंडिया पोस्ट) के व्यापक नेटवर्क तथा पहुंच का उपयोग करना।
- राजस्व अर्जन तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाओं/सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्रामीण नेटवर्क और डिलीवरी संबंधी शक्ति का उपयोग करने की दृष्टि से विशिष्ट तौर पर ग्रामीण डाक नेटवर्क को लक्षित करने के लिए नए प्रभाग को सृजित किया जाना।

11वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम

नेटवर्क

12.3.11 11वीं पंचवर्षीय योजना में डाक नेटवर्क के विस्तार के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा। यह नए डाक घर खोलने के अलावा ग्राहकों की आवश्यकता, सर्वसुलभ सेवा दायित्व, पहुंच, मानकों और नवीनतम प्रौद्योगिकी को लागू करने के जरिए फ्रैंचाइजी आउटलेट खोलने जैसे डाक नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराने के वैकल्पिक/नवीन साधनों को अपनाने के माध्यम से व्यवसाय की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

12.3.12 इस अद्वितीय नेटवर्क का उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों और निजी संगठनों के साथ गठजोड़ के माध्यम से विभिन्न खुदरा सेवाओं को समर्थन दिया जा सके और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के ई-गवर्नेंस उपायों को भी समर्थन दिया जा सके। डाकघर खुदरा निकासों के रूप में और सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक तथा सरकारों, केन्द्र तथा राज्य, दोनों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य कर सके।

डाक प्रचालन

12.3.13 डाक प्रचालनों अर्थात् एकत्रण, प्रेषण तथा डिलीवरी पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण केंद्रों, जहां कार्य की मात्रा यथेष्ट है, पर डाक हैंडलिंग में ऑटोमेशन का सहारा लेने की आवश्यकता है। डाक प्रचालनों के लिए तत्पर

व सक्षम बहुविध दुलाई प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसे द्रुत गति से चलने वाली परिवहन प्रणाली, डाक सामग्रियों की डिलीवरी तथा उठान के लिए सूचनादाताओं, परिवहन को किराए पर/पट्टे पर लेकर दुलाई करने वाले एयर क्राफ्ट आदि की वेत-लीजिंग करके पूरा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के तीव्रतर आवागमन के लिए इन क्षेत्रों में रनर लाइन के यांत्रिकीकरण की भी आवश्यकता है।

12.3.14 पार्सलों, पंजीकृत वस्तुओं, घनादेशों, आदि जैसी विभिन्न किस्मों की सामग्रियों के लिए समुचित ट्रैक व ट्रेस प्रणालियां शुरू करने तथा उनको सुप्रवाही बनाने की आवश्यकता है। भारतीय डाक के अग्रणी व्यवसाय विंग के रूप में डाक व्यवसाय केंद्रों (मेल बिजनेस सेन्टर) की स्थापना की जा रही है, जो ग्राहकों की विभिन्न प्रकार की डाक संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप साल्यूशन्स उपलब्ध कराते हैं। डाक व्यवसाय केन्द्र डाक सामग्रियों के संग्रहण, प्रक्रमण तथा सुपुर्दगी का कार्य करने वाले एकीकृत डाक व्यवसाय केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। चालू योजना के दौरान 300 डाक व्यवसाय केन्द्रों को खोले जाने का प्रस्ताव है। डाक व्यवसाय केन्द्र सेवा की गुणवत्ता में सुधार, प्रचालनों की लागत में कटौती और डाक व्यवसाय में वृद्धि का उद्देश्य पूरा करेंगे। 11वीं योजना में भारतीय डाक की एक प्रमुख महत्वपूर्ण व्यवसाय यूनिट के रूप में पार्सल पोस्ट की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है क्योंकि इस व्यवसाय के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बन जाने की उम्मीद है। प्रमुख पार्सल केंद्रों में स्वचालित पार्सल छंटाई प्रणालियां, आरएफआईडी प्रणालियां, हाइड्रॉलिक पैलेट ट्रक, फोर्क लिफ्ट, टेपर रॉलर्स और पार्सल हैंडलिंग के अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। एक सिरे से दूसरे सिरे तक के समाधान उपलब्ध कराने के लिए एक वाणिज्यिक प्रणाली को स्थापित और विकसित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें बुकिंग, ट्रैकिंग, बिलिंग तथा ग्राहक सूचना प्रणाली को कवर किया जाएगा।

12.3.15 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य वितरण चैनल, माल सूची प्रबंधन, पैकेजिंग सेवाएं, भंडारण, दुलाई तथा समयबद्ध वितरण कार्यक्रम प्रदान कर भारतीय डाक को लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में प्रमुख प्लेयर बनाने की दिशा में कार्य करने का है। मेट्रो नगरों और प्रमुख व्यवसायिक शहरों में लॉजिस्टिक्स केंद्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लॉजिस्टिक्स केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय डाक के अंतर्राष्ट्रीय पार्सल तथा लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में प्रवेश करने और व्यापार मेलों, कॉमन वेल्थ खेलों तथा राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु लॉजिस्टिक्स भागीदार के रूप में कार्य करने की भी आवश्यकता है।

12.3.16 सप्लायरों के साथ गठजोड़ों के जरिए ई-कामर्स समाधान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जो ग्राहकों को डाक के जरिए सुपुर्द किए जाने वाले विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराएगा। अंतर्राष्ट्रीय डाक के क्षेत्र में निजी प्रचालकों के आ जाने और डाक सामग्रियों के क्रॉस बार्डर पोस्टिंग से यह क्षेत्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। इसलिए, प्रतिस्पर्धी बाजार की चुनौतियों को पूरा करने के उद्देश्य से 11वीं योजना के दौरान भारत में एक्सचेंज कार्यालयों अर्थात् एयर मेल कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा कोच्चि स्थित (विदेशी) फॉरन डाक घरों, जो अंतर्राष्ट्रीय डाक से संबंधित कार्य करते हैं, को डाक की द्रुत गति से प्रोसेसिंग करने तथा सुरक्षा के लिए क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

वित्तीय सेवाएं

डाक वित्त बाजार (पोस्टल फाइनेंस मार्ट)

12.3.17 डाक वित्त बाजार सेवाओं यथा म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उपकरणों के लिए वन स्टॉप दुकानें हैं। डाक वित्त बाजार एक विशिष्ट पहचान बनाने में और डाक वित्तीय आउटलेटों की ब्रांडिंग करने में सहायता करेंगे जो उनकी खुदरा सेवाओं के विक्रय के लिए वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के साथ गठजोड़ों के लिए अग्र भाग के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन बाजारों की सफलता ग्राहकों को इनसे मिलने वाले परिणामों के प्रकार पर निर्भर करती है, जो बदले में वित्तीय सलाहकार की विशेषज्ञता पर निर्भर करेंगे।

बैंकिंग

12.3.18 डाक घर बचत बैंक विभाग के राजस्व के लिए अकेला सबसे बड़ा स्रोत है। 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार यह 3500 करोड़ रुपये का व्यवसाय कर पाया है। 17.5 करोड़ खाता धारकों के ग्राहक बेस के साथ और विविध प्रोडक्ट रेंज के साथ देश में सभी बैंकों को साथ मिलाकर उनके आकार का दुगुना शाखा नेटवर्क डाक घर बचत बैंक देश में सबसे बड़ा खुदरा बैंकिंग नेटवर्क है। इस नेटवर्क और पहुंच की गहराई का “सम्पूर्ण डाक खाना बचत योजना ग्राम” स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

12.3.19 चूंकि ‘किसी भी समय कहीं भी बैंकिंग’ समय की मांग है, इसलिए प्रस्ताव है कि अलग-अलग डाकघरों में बचत बैंक तथा सम्बद्ध कार्यों के कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम को लैन से केन्द्रीय सर्वर आधारित प्रौद्योगिकी में प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इसके लिए, प्रौद्योगिकी अवसरचना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्किंग की जरूरतों पर निवेश करने की आवश्यकता होगी। इसमें टेली-बैंकिंग तथा एटीएम आदि भी शामिल हैं। ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए डाकघर मौजूदा बैंकों के साथ भी गठजोड़ कर सकते हैं।

धन अंतरण

12.3.20 तत्काल धनादेश सेवा दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई थी। इस सेवा का विस्तार करने तथा इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता है ताकि तत्काल धनादेश का अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रवेश द्वारों के साथ इन्टरफेस हो सके। हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों के जरिए भारतीय मूल की बड़ी आबादी वाले अन्य देशों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। मौजूदा धनादेश सेवाओं को प्रगामी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित धनादेश सेवा से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो सेवा के संबंध में कई नई विशेषताएं और अंतर प्रशुल्क ढांचा उपलब्ध कराएगा।

बीमा

12.3.21 डाक जीवन बीमा को आईआरडीए मानदंडों की आवश्यकताओं के अनुरूप रखते हुए अपने स्वयं के निवेश संबंधी निर्णय लेकर और अन्य बीमा कंपनियों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर वाणिज्यिक व्यवसाय में परिवर्तित करना। इस दिशा में उत्पादों के कस्टमाइजेशन, बिक्री पश्चात सेवा में सुधार और ग्राहक से विमर्श के बिन्दुओं के आधुनिकीकरण के लिए निवेश अपेक्षित होगा। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर समर्थन के लिए भी निधियों की आवश्यकता होगी। निधि के प्रबंधन के लिए आंतरिक विशेषज्ञता को भी विकसित करने की आवश्यकता है ताकि आईआरडीए की निवेश पद्धति के अनुसार डाक जीवन बीमा निधि/ ग्रामीण डाक घर जीवन बीमा निधि में निवेश किए जा सकें।

डाक टिकट संग्रहण

12.3.22 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी डाक टिकट संग्रहण पर ध्यान केन्द्रित रखा जाना जारी रहेगा। संवर्द्धन, उत्पाद में नवीन परिवर्तन और गुणवत्ता/प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की आवश्यकता होगी।

- इंटरनेट आधारित व्यापार पोर्टल यथा ई-बे आदि के जरिए डाक टिकट संग्रहण की वस्तुओं की ऑन लाइन ट्रेडिंग शुरू करना।
- वैयक्तिक स्टाम्प जैसे नए प्रोडक्ट्स शुरू करना जो विदेश में काफी सफल रहे हैं।
- अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए विज्ञापन के माध्यम के रूप में डाक टिकटों के उपयोग पर जोर डालते हुए राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित डाक टिकट शुरू करना।

वैश्विक व्यवसाय प्रभाग

12.2.23 उदासीकृत अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने और विश्व व्यापार संगठन/गैट समझौतों के परिणामस्वरूप पोस्टल क्षेत्र को खुला बनाकर व्यवसाय के अवसरों का दोहन करने के लिए भारतीय डाक में एक वैश्विक व्यवसाय प्रभाग स्थापित किया गया है। वैश्विक व्यवसाय प्रभाग अपने ग्राहकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं के लिए सिंगल विंडो साल्यूशन प्रदान करेगा। वैश्विक व्यवसाय प्रभाग भारतीय डाक को डाक, एक्सप्रेस, लाजिस्टिक्स और प्रेषण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के मूल्य संवर्द्धन के लिए महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में प्रक्षेपित करता है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक प्रभाग भारतीय डाक के लिए विश्व भर में नए बाजारों की तलाश करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा।

समर्थन प्रणालियां

प्रौद्योगिकी को लागू करना

12.3.24 विभाग के लिए वित्तीय आत्म-पर्याप्तता के लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौद्योगिकी को लागू करने/ अपग्रेडेशन का विस्तृत कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग लगभग 8263 बड़े विभागीय डाक घरों को कंप्यूटीकृत करने में सफल रहा है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना में अपने ग्राहकों को प्रभावकारी तथा संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने के लिए 17,878 विभागीय डाक घरों को कम्प्यूटीकृत करने तथा उनकी नेटवर्किंग करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ब्लाक/तहसील मुख्यालयों या दूरवर्ती क्षेत्रों में भी स्थित 64,000 चयनित शाखा डाक घरों को भी कंप्यूटीकृत किया जाएगा। इसके अलावा डाक निदेशालय, पीएसडी/ सीएसडी(ज), सिविल विंग कार्यालयों, आदि सहित शेष प्रशासनिक कार्यालयों (उप मंडल स्तर तक) का कंप्यूटीकरण शुरू किया जाएगा। प्रस्तावित नेटवर्किंग से विभाग विभिन्न ऑन लाइन सेवाएं अर्थात्, किसी भी समय, कहीं भी बचत बैंक और अन्य वित्तीय सेवाएं शुरू कर पाएगा, गुणवत्ता में सुधार कर पाएगा जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। नेटवर्किंग युक्त हाथ से इस्तेमाल होने वाले डिजिटल उपकरणों का डाकिया/ डाक कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने के लिए विकसित किया जा सकता है ताकि न केवल सामग्रियों की सुपुर्दगी तथा उनकी स्थिति की सूचना वास्तविक समय में दी जा सके बल्कि सामग्रियों की बुकिंग तथा डिपॉजिट स्वीकार करने, बिल भुगतान, अन्य ई-समर्थित सेवाओं जैसी अन्य सेवाओं की पेशकश भी की जा सके, इस उपकरण का उपयोग फ्रेंचाइजी नेटवर्क तैयार करने में भी किया जा सकता है।

मानव संसाधन प्रबंधन

12.3.25 मानव संसाधन को प्रौद्योगिकी - अनुकूल, विश्व स्तरीय प्रबंधकों द्वारा संचालित व्यवसायोन्मुखी कार्य बल में परिवर्तित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया जाए। ग्राहकों के साथ प्रभावकारी तालमेल कर पाने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इसके लिए पोस्टल स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया तथा डाक प्रशिक्षण केन्द्र नेटवर्क को पुनर्संरचित करने की आवश्यकता होगी। यह भी परिकल्पना की गई है कि प्रशिक्षण संस्था से अंतर्राष्ट्रीय सम्बद्धता वाले एक नोडल प्रशिक्षण नीति संस्थान तक पोस्टल स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया की भूमिका का मूल्यांकन किया जाए।

विपणन, अनुसंधान और विकास

12.3.26 व्यवसाय में वृद्धि करने तथा अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए नियोजित व्यापक गतिविधियों के लिए यह आवश्यक है कि योजनाओं के क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए एक व्यवसायिक विपणन, अनुसंधान तथा उत्पाद विकास संबंधी संगठन हो। इस योजना स्कीम में व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कराने के बाद विपणन, अनुसंधान तथा उत्पाद विकास केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय पता प्रबंधन प्रणाली का विकास शामिल है जो विभाग की व्यवसायिक ताकत में इजाफा करेगी तथा भारतीय डाक के लिए ब्राण्ड पहचान तैयार होगी।

सम्पदा प्रबंधन

12.3.27 डाक सेवाओं तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सर्वसुलभ सेवा दायित्व (यूएसओ) को पूरा करने के उद्देश्य से भवनों का निर्माण अति आवश्यक है ताकि कुशल डाक प्रचालनों के लिए अत्यावश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराई जा सके और साथ ही साथ वाणिज्यिक स्थानों में सम्पदाओं से राजस्व अर्जन के प्रति ध्यान केन्द्रित रहे। निर्माण की यह रणनीति इस प्रयोजनार्थ स्थापित/एसपीवी के जरिए सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता के जरिए पहचान किए गए अत्यधिक वाणिज्यिक स्थानों में भवनों का निर्माण होगी। सरकारी वित्त पोषण से भवनों के निर्माण के मौजूदा कार्यक्रम को कम वाणिज्यिक मूल्य वाले भूखण्डों पर भी जारी रखा जाएगा।

12.3.28 दूर दराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में विभागीय भवनों में पावर उपयोग करने वाली पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच हेतु सौर पैनल उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। डाक घरों पर विशिष्ट जोर देते हुए प्रचालनात्मक कार्यालयों के कार्य वातावरण तथा श्रम अर्थशास्त्र में सुधार तथा ब्रांडिंग के प्रति भी ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है।

सामग्री प्रबंधन

12.3.29 चूंकि पोस्टल स्टोर डिपो तथा डाक घर प्रचालनात्मक कार्यालयों में उपयोग हेतु फार्म सहित भारी मात्रा में स्टेशनरी और डाक प्रणाली के सुप्रवाही कार्यक्रम के लिए अत्यावश्यक उपकरण की हैंडलिंग करते हैं इसलिए प्रौद्योगिकी के अपग्रेडेशन तथा अपेक्षित उपकरण सुविधाओं के प्रावधान के जरिए एक कुशल सामग्री प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना अत्यावश्यक है।

उपस्करणों की आपूर्ति:

12.3.30 पैकिंग, अनपैकिंग, बाइन्डिंग, संचलन, स्टैपलिंग, नकदी गिनने, आदि हेतु सभी आवश्यक तथा अन्य आधुनिक उपकरणों की समय पर खरीदारी व आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी।

गुणवत्ता:

12.3.31 विपणन के तहत एक अनुसंधान तथा विकास केन्द्र विकसित करने और घरेलू फ्रैंकिंग मशीनों, डाक संसाधन उपकरण, वेंडिंग मशीनों आदि के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

प्रक्रिया सुधार:

12.3.32 देश भर में शुरूआती तौर पर 8 स्थानों में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स प्रणाली पर आधारित कॉल सेन्टर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

भावी दिशा

12.3.33 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय डाक को आधुनिक, सक्षम तथा आत्म-पर्याप्त संगठन, जो बाजार स्थितियों के प्रति संवेदनशील हो, में परिवर्तित करने का और अपने यूएसओ पर डिलीवरी करने की प्रतिबद्धता को बरकरार रखते हुए सेवा तथा राजस्व अर्जन हेतु इसकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। इसको हासिल करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित प्रमुख उपाय/ कार्य बिन्दु निम्नलिखित हैं-

- डाक विभाग को पुनर्संरचित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना ताकि हमारे देश की जनता के प्रति इसकी सामाजिक प्रतिबद्धता पर इसके दृष्टि संबंधी वक्तव्य की पुष्टि की जा सके।
- केन्द्र तथा राज्य सरकारों के ई-गवर्नेंस उपायों को समर्थन देने के लिए तथा विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा दुकान/ ग्राहकों और सरकारों, केन्द्र तथा राज्य दोनों के बीच इंटरफेस के रूप में डाक विभाग के असमानान्तर नेटवर्क के उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करना।

- एकीकृत सॉफ्टवेयर तथा केन्द्रीय सर्वर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नेटवर्क के विस्तृत कंप्यूटरीकरण के लिए प्रौद्योगिकीय समर्थन देने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- घाटे को और कम करने की दृष्टि से डाक विभाग को अपने सर्वसुलभ सेवा दायित्व को परिभाषित करने, आईपीओ अधिनियम 1898 में उपयुक्त विधायी संशोधन करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए डाक क्षेत्र के लिए एक नियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- डाक जीवन बीमा को आईआरडीए मानदंडों की आवश्यकताओं के अनुरूप रखते हुए अपने स्वयं के निवेश संबंधी निर्णय लेकर और अन्य बीमा कंपनियों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर वाणिज्यिक व्यवसाय में परिवर्तित करना।
- डाक सम्पदाओं के प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
- ग्राहकों की विभिन्न प्रकार की डाक संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप साल्यूशन्स उपलब्ध कराने के लिए भारतीय डाक के अग्रणी व्यवसाय विंग के रूप में डाक व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना करने तथा उनका रखरखाव करने के लिए कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- तत्पर और सक्षम मल्टी-मोडल परिवहन प्रणाली जिसमें एयर क्राफ्ट की वेट-लीजिंग, सड़क परिवहन आदि शामिल हैं, को संस्थापित करने तथा इसके रखरखाव के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
- डाक छंटाई प्रक्रियाओं को समर्थन देने के लिए देश में विभिन्न केन्द्रों हेतु स्वचालित डाक प्रक्रमण केंद्रों का एक ग्रिड स्थापित करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
- डाक वित्त बाजारों की स्थापना करने के लिए योजना कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रयास करना।
- मानव संसाधन प्रबंधन विशेषकर ग्राहकों को सेवाओं की डिलीवरी को समर्थित करने हेतु प्रशिक्षण देने, नई प्रौद्योगिकी लागू करने, बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- विभाग द्वारा पेशकश की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को विपणन, अनुसंधान तथा उत्पाद विकास संबंधी उपायों को समर्थित करने के लिए एक व्यवसायिक संगठन का विकास।
- लद्दाख, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के समग्र विकास के लिए विशेषकर शाखा कार्यालय खोलने, भवनों के निर्माण तथा अन्य जरूरतों के लिए विशेष घटक योजनाएं चलाई जाएंगी।
- विस्तृत उप योजना जिसमें डाक प्रचालन, बैंकिंग तथा धन अंतरण, कंप्यूटरीकरण तथा प्रशिक्षण और भवनों का निर्माण शामिल है, के अनुसार पूर्वोत्तर सर्कल की विशेष जरूरतों पर ध्यान देना।

12.3.34. डाक विभाग का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना जीबीएस वैकल्पिक रूप में 2006-07 के स्थिर मूल्य पर 3556 करोड़ रुपये और वर्तमान मूल्य पर 4,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

12.4 सूचना तथा प्रसारण

सिंहावलोकन

12.4.1 मनोरंजन तथा मीडिया सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसने वर्ष दर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में लगातार बेहतर निष्पादन किया है और इसमें 11वीं योजना अवधि के दौरान 2010 तक इससे आगे 18% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में टेलीविजन (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर - 22 %)*, फिल्म (16%), रेडियो (28%), संगीत (4%), प्रिन्ट मीडिया (13%), लाइव मनोरंजन (16%), आउट-ऑफ होम विज्ञापन (17%) और इन्टरनेट विज्ञापन (43%) शामिल हैं तथा इसके मौजूदा और वार्षिक टर्न ओवर तथा चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का नीचे सारणी 12.4.1 में उल्लेख किया गया है।

12.4.2 यहां ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि के प्रत्युत्तर में कई गुणा वृद्धि होती है। जब आय बढ़ती है तब मनोरंजन पर ज्यादा संसाधन खर्च हो जाता है। समग्र राजस्व में प्रत्येक मीडिया उप क्षेत्र का अंशदान, जैसाकि 2005 में है तथा 2010 के लिए अनुमान लगाया गया है, स्पष्ट तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रिन्ट मीडिया के ऊपर प्रधानता को इंगित करता है जैसाकि चित्र 4.1.1 में दर्शाया गया है।

12.4.3 सूचना तथा प्रसारण क्षेत्र में अवसंरचना, प्रौद्योगिकी का विकास और संस्थागत समर्थन समग्र राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप था। अर्थव्यवस्था के फिल्म, सूचना तथा प्रसारण क्षेत्रों ने सम्मानजनक शक्ति हासिल कर ली है। कुल रोजगार, आय तथा निवेश में सूचना तथा प्रसारण का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। इस क्षेत्र के राष्ट्रीय परिदृश्य के मुद्दे विदेशी निवेश, विनियमन, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, कन्टेंट संवर्द्धन, प्रसार भारती को पुनर्संरचित करने, सूचना तथा प्रसारण मीडिया यूनिट के सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम के अभिलेखागारों को डिजिटल बनाने तथा उनका रखरखाव करने के इर्द-गिर्द केन्द्रित हैं।

10वीं योजना की समीक्षा

सूचना क्षेत्रक

12.4.4 10वीं योजना के दौरान सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का सूचना क्षेत्र निम्नलिखित पर केन्द्रित था:-

- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के विकास कार्यक्रमों तथा नीतियों तथा इन क्षेत्रों में उपलब्धियों


तालिका - 12.4.1
भारतीय मनोरंजन एवं मीडिया उद्योग की वार्षिक वृद्धि

(मिलियन रुपये में)

	2004	2005	2006 ई	2007 एफ	2008एफ	2009एफ	2010एफ	2011एफ	सीएजीआर
टेलीविजन	128700	158000	191200	219900	266000	331000	431000	519000	
वार्षिक वृद्धि		23%	21%	15%	21%	24%	30%	20%	22%
फिल्म मनोरंजन	59900	68100	84500	96800	112000	126450	146000	175000	
वार्षिक वृद्धि		14%	24%	15%	16%	13%	15%	20%	16%
रेडियो	2400	3200	5000	6500	8500	11000	14000	17000	
वार्षिक वृद्धि		33%	56%	30%	31%	29%	27%	21%	28%
संगीत	6700	7000	7200	7400	7500	7600	8000	8700	
वार्षिक वृद्धि		4%	3%	3%	1%	1%	5%	9%	4%
लाइव मनोरंजन	7000	8000	9000	11000	13000	16000	18000	19000	
वार्षिक वृद्धि		14%	13%	22%	18%	23%	13%	6%	16%
मनोरंजन उद्योग*	204700	244300	296900	341600	407000	492050	617000	738700	
वार्षिक वृद्धि		19%	22%	15%	19%	21%	25%	20%	
प्रिंट मीडिया	87800	109500	127900	144000	162200	182300	206500	232000	
वार्षिक वृद्धि		25%	17%	13%	12%	13%	12%	13%	13%
ओओएच विज्ञापन	8500	9000	10000	12500	14500	16500	19000	21500	
वार्षिक वृद्धि		6%	11%	25%	16%	14%	15%	13%	17%
इंटरनेट विज्ञापन	600	1000	1600	2700	4200	6000	8200	9500	
वार्षिक वृद्धि		67%	60%	69%	56%	43%	37%	16%	43%
जोड़ मनोरंजन तथा मीडिया उद्योग*	301600	363800	436400	500800	587900	696850	850700	1001700	
वार्षिक वृद्धि दर (%)		21%	20%	15%	17%	19%	22%	18%	18%

स्रोत : उद्योग अनुमान तथा पीडब्लूसी विश्लेषण+टिप्पणी: ऊपर लिए गए आंकड़ों में प्रत्येक हिस्से में केवल वैधानिक राजस्व शामिल है। एनीमेशन तथा खेल संबंधी हिस्से को उद्योग आकार में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इनको पारम्परिक तौर पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर राजस्व में शामिल किया गया है।

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीएजीआर के संदर्भ में हैं।



चित्र 12.4.1

को मल्टी-मीडिया प्रचार उपलब्ध कराने के अपने कार्यों के साथ अपने संचार उपकरणों के प्रौद्योगिकी संबंधी अपग्रेडेशन और अपने कार्यक्रम डिजाइनों के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं पर केन्द्रित था।

- गीत व नाट्य प्रभाग: लोक संगीत, नृत्य, थियेटर तथा पपेटरी के माध्यम से प्रचार, शिक्षा तथा मनोरंजन से संबंधित होने के नाते संचार और कार्यक्रम हेतु अपनी सुविधाओं तथा डिजाइनों के आधुनिकीकरण के लिए पारम्परिक मीडिया के विस्तृत उपयोग पर लक्षित रहा।
- क्षेत्र प्रचार निदेशालय ने अपनी कवरेज में वृद्धि करने, क्षेत्रीय कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने, प्रभावकारी संप्रेषण तथा अपने फीडबैक तंत्र को प्रवाही बनाने के लिए स्थानीय सॉफ्टवेयर सृजित करने के लक्ष्य निर्धारित किए।
- किए गए कुछ प्रमुख नीतिगत उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - विदेशी वैज्ञानिक, तकनीकी और विशेषज्ञता वाली पत्रिकाओं, आवधिक पत्रिकाओं तथा जर्नलों के भारतीय संस्करणों की अनुमति दी गई है।
 - विशेषज्ञता पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली प्रकाशन कंपनियों में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी।
 - समाचार पत्र तथा समाचार और समसामयिकी आवधिक पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली भारतीय फर्मों में 26% विदेशी इक्विटी की अनुमति दी जानी चाहिए।
- नई विज्ञापन नीति 1.6.2006 से लागू हुई। श्रव्य-दृश्य विज्ञापन नीति को भी सरकार द्वारा 8.11.2006 को अनुमोदित किया गया था और श्रव्य तथा दृश्य कार्यक्रम निर्माताओं को पैनल में शामिल करने के लिए 21.6.2006 को मागदर्शी सिद्धांत भी जारी किए गए थे।

फिल्म क्षेत्रक

12.4.5 फिल्म क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों, बाल फिल्मों, वृत्त चित्रों, लघु फिल्म एनीमेशन निर्मित करना, एकत्र करना, प्रदर्शित करना और फिल्म निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संपादन आदि में क्षमता निर्मित करना है। प्रदर्शन हेतु फिल्मों का प्रमाणन इस क्षेत्र से संबंधित एक सतत् विनियामक कार्य है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और फिल्म प्रभाग के अभिलेखागार के रखरखाव तथा प्रवर्तन से भावी पीढ़ी के लिए फिल्म धरोहर का परिरक्षण हो पाता है। यह उद्योग के लिए फिल्म उत्सव आयोजित करने हेतु संवर्द्धक के रूप में कार्य करता है और फिल्मों के आयात तथा निर्यात सहित विपणन संबंधी सहायता प्रदान करता है। भारतीय फिल्म सांस्कृतिक कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। सूचना तथा प्रसारण

मंत्रालय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेता है और विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ उत्सव आयोजित करता है। यद्यपि भारतीय फिल्म उद्योग एक वर्ष में 1000 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण करता है, परन्तु वैश्विक फिल्म उद्योग राजस्व में इसका हिस्सा नगण्य है। अतः विश्व बाजार में प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए इसे दृढ़ नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। पाइरेसी का संकट फिल्म उद्योग को राजस्व की हानि का प्रमुख कारण रहा था। फिल्म संस्थानों यथा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे और भारतीय जन संचार संस्थान की गतिविधियां प्रशिक्षण अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार पर केन्द्रित थीं। भारतीय जन संचार संस्थान ने छात्र समुदाय से टीवी पत्रकारिता की बढ़ती हुई मांग के प्रत्युत्तर में अपने पाठ्यचर्चा में इस पाठ्यक्रम को शामिल किया है।

प्रसारण क्षेत्रक

12.4.6 प्रसारण क्षेत्र ने अपने विकास की यात्रा में आकाशवाणी से प्रारंभ कर और दूरदर्शन तक बड़े मील के पत्थर पहले ही तय कर लिए हैं। इसके प्रचालन का पैमाना, प्रौद्योगिकीय नवीनता और विषय वस्तु और प्रसारण के मामले में उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाने में समयबद्धता इसको एक जीवंत क्षेत्र बनाता है। रेडियो प्रसारण अवसंरचना में 229 एआईआर एनालॉग टेरिसटेरियल रेडियो (एमडब्ल्यू तथा एसडब्ल्यू) स्टेशन, 264 एनालॉग निजी टेरिसटेरियल स्टेशन तथा एक निजी सैटलाइट रेडियो अर्थात् वर्ल्ड स्पेस शामिल हैं। टेलीविजन प्रसारण ढांचे में 1398 एनालॉग टेरिसटेरियल ट्रांसमीटर और सार्वजनिक क्षेत्र में 4 डिजीटल ट्रांसमीटर, निजी क्षेत्र में 6 हजार एमएसओ और 65,000 एलसीओ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 3 डिजीटल डीटीएच सैटलाइट टेलीविजन ऑपरेटर शामिल हैं।

12.4.7 2001 के जनगणना आंकड़ों द्वारा 210 मिलियन घरों में से 108 मिलियन घरों तक टेलीविजन पहुंच गया है; इनमें से 68 मिलियन घरों में यह केबल और सैटलाइट सहित है। डीटीएच उपभोक्ता लगभग 5.6 मिलियन (दूरदर्शन डीटीएच हिस्सा 4.0 मिलियन और निजी डीटीएच 1.6 मिलियन) हैं। इसी प्रकार रेडियो सैटों की संख्या 132 मिलियन थी। जनता द्वारा कुल रेडियो कवरेज 99.13 प्रतिशत तक पहुंच गई है। समग्र रूप से 229 आकाशवाणी और एफएम चैनल तथा 42 निजी एफएम स्टेशन हैं।

12.4.8 उत्कृष्ट विषय वस्तु का सृजन निर्मित किए गए प्रत्येक एकल कार्यक्रम में मनोरंजन, शिक्षा और सूचना के अपने त्रि-उद्देश्य को हासिल करने में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक आवश्यकता बन गया है। 10वीं

पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम बार उच्च गुणवत्ता वाले कन्टेंट सृजन पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया गया ताकि सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता को तेजी से फल-फूल रहे निजी प्रसारण फर्मों और बढ़ते हुए प्रसारण मानदंडों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिले। इसके उत्तर में ब्यसायिक उत्कृष्टता और ऊंचे मानकों के लिए ज्ञात संस्थाओं तथा व्यक्तियों को निधियां प्रदान कर समृद्ध विषय वस्तु सृजित करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र तैयार किया गया था।

12.4.9 दूरदर्शन ने जम्मू तथा कश्मीर विशेष पैकेज चरण-1 और उत्तर पूर्व पैकेज चरण-1 पूरा कर लिया है। इससे इन क्षेत्रों में टेलीविजन कवरेज में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय चैनल कवरेज, टेरिसटेरियल तथा सेटेलाइट दोनों की 90.7% आबादी तक पहुंच है। समाचार चैनलों की कवरेज 48% आबादी तक हो गयी है। दूरदर्शन ने मुफ्त 35 टीवी और 20 आकाशवाणी ध्वनि चैनलों के जरिए राष्ट्रव्यापी डायरेक्ट टू होम केयू बैंड प्रसारण भी शुरू किया है।

12.4.10 कवरेज का विस्तार करने और डिजीटलाइजेशन में वृद्धि करने, दोनों के संदर्भ में दसवीं योजनावधि के दौरान उल्लेखनीय कमियां थीं। एचडीटीवी तथा इंटर एक्टिव मल्टी मीडिया टीवी सर्विसेज में प्रसारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कंडनीशनल एक्सेस सिस्टम केवल चार महानगरों में क्रियान्वित किया जा रहा है। जहां तक रेडियो प्रसारण का प्रश्न है डीआरएम प्रसारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और एफएम सेवा दसवीं योजना के 60% कवरेज के लक्ष्य तक नहीं पहुंची है। इंटरनेट रेडियो प्रसारण भी शुरू नहीं हुआ जैसाकि परिकल्पना की गई थी। दसवीं योजना में वित्त पोषण की वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से कन्टेंट सृजन संबंधी रणनीति प्रसार भारती तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर से आगे नहीं जा सकी।

11वीं पंचवर्षीय योजना में दृष्टि तथा रणनीति

12.4.11 विभिन्न मीडिया यूनितों के विकास की क्षमता का पूर्णतया दोहन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रसारण अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो सके। मीडिया यूनितों को शिक्षा, मनोरंजन तथा सूचना प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी है। इन क्षेत्रों में स्थायी विकास के लिए समुचित कन्टेंट, प्रौद्योगिकी और नीतिगत उपाय विकसित किए जाने हैं। प्रतिस्पर्धात्मकता और लागत प्रभावकारिता सभी भागों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी और संगत जन शक्ति के सहारे आती है। तेजी से बदल रहे सूचना तथा प्रसारण क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां अपनाता और नए प्रौद्योगिकीय समाधान के बारे में विचार करना अत्यंत मत्वपूर्ण है। नए प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों का वित्त पोषण करने और प्रतिस्पर्धात्मकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता सर्वाधिक विश्वसनीय समाधानों में से एक है।

12.4.12 भारत में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता, नामतः प्रसार भारती का हाल तक प्रसारण क्षेत्र में एकाधिकार था। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रसारणकर्ताओं की लगभग कोई मौजूदगी नहीं थी। अब उदारीकृत सूचना तथा प्रसारण क्षेत्र में वैश्विक तथा घरेलू निजी प्रसारणकर्ताओं के होने से सार्वजनिक सेवा प्रसारण की पहुंच तथा प्रौद्योगिकी में वैसी प्रभावी भूमिका नहीं रही है। इस नई वास्तविकता के कारण सरकार के लिए यह अपेक्षित था कि वह सूचना तथा प्रसारण क्षेत्र के संवर्द्धक तथा प्रोत्साहक की भूमिका एक ही साथ धारण करे।

11वीं पंचवर्षीय योजना में नीतिगत मुद्दे, कार्यक्रम सुधार और नए उपाय

12.4.13 सूचना

- पारम्परिक मीडिया यूनितों के महत्व को मान्यता देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित एप्लीकेशनों तथा अन्य प्रौद्योगिकीय प्रगति की पहुंच में वृद्धि करने के लिए उनके उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए।
- सूचना अंतर को पाटने के लिए पारम्परिक मीडिया यूनितों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- सूचना क्षेत्र में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
- प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसे समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।
- गीत तथा नाट्य प्रभाग के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है।
- फील्ड विज्ञापन निदेशालय के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करना और इसके नेटवर्क को पुनर्स्थित करना ताकि प्रभावकारी पहुंच तथा प्रचार के लिए यह दूरवर्ती, दुर्गम तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच सके।
- उत्तर पूर्व तथा केन्द्रीय अंचलों में भारतीय समाचार पत्र पंजीयक के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाना।
- प्रेस सूचना ब्यूरो की राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र परियोजना को पूर्ण करना।
- भारतीय जन संचार संस्थान को पत्रकारिता के वैश्विक स्कूल में परिवर्तित करना।

12.4.14 फिल्मों

1. मनोरंजन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल नीति तैयार करना।
2. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों तथा नई चुनौतियों से निपटने के लिए 1952 के चलचित्र अधिनियम का नवीकरण
3. वैश्विक फिल्म क्षेत्र में अवसरों को लक्षित करने के लिए फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता।
4. सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता स्वरूप की परियोजनाओं के माध्यम से एनीमेशन, खेलकूद तथा विशेष प्रभाव (स्पेशल इफेक्ट) के लिए उत्कृष्टता केन्द्र का निर्माण।
5. एफटीआईआई तथा एसआरएफटीआई को वैश्विक फिल्म तथा टेलीविजन विद्यालयों में परिवर्तित करना।
6. उद्योग को विदेश में नए बाजार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना और फिल्म बाजारों तथा उत्सवों में प्रतिभागिता को समर्थन देकर मौजूदा बाजारों को विकसित करना।

12.4.15 प्रसारण

कंटेंट

- सार्वजनिक सेवा प्रसारण को सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों तथा सामाजिक जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- प्रसार भारती को पुनर्संगठित करना।
- गहरी पहुंच तथा प्रभाव के माध्यम के रूप में रेडियो विशेषकर एफएम रेडियो के फिर से उभरने के साथ, आकाशवाणी को एफएम प्लेयर्स के साथ भागीदारी करने की आवश्यकता है ताकि इस माध्यम का विस्तार हो सके तथा प्रभावकारी रूप से उपयोग हो सके।
- सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय चैनल स्थापित करना।
- उच्च गुणवत्ता वाले एनीमेशन आधारित कंटेंट के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भारत के प्रादुर्भाव को बढ़ावा देना।

12.4.16 प्रसारण नेटवर्क का विस्तार डिजिटलाइजेशन और मोबाइल मीडिया

- डीटीएच बाजार में परिपक्वता आ गई है तथा आईपीटीवी और मोबाइल प्रसारण का आगमन अवश्यम्भावी है और इसको फलीभूत किए जाने की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकियों के अभिसरण तथा बहुल एप्लीकेशन वाले एकल उपकरणों की उपलब्धता होने से नीतियों, अवसंरचना के मानकीकरण, पद्धतियों तथा अभिसरण से संबंधित ऐसे मुद्दे हैं, जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

आईपीटीवी के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि यह टेलीकॉम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों द्वारा विनियमित होगा अथवा प्रसारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों द्वारा। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के एक संयुक्त दल ने यह सिफारिश की है कि आईपीटीवी को संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों के अनुसार शासित किया जाए। संयुक्त दल की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

- कंटेंट का डिजिटलाइजेशन तथा एनालॉग प्रसारण को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और मांग वाली ऑडियो/वीडियो के संवर्द्धन के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना।
- राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा हासिल की गई तथा फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित फिल्मों का डिजिटल अभिलेखागार बनाना।
- एचडीटीवी प्रसारण लागू करना और डीटीटी, डीटीएच, आईपीटीवी तथा मोबाइल प्रसारण के प्रसार के लिए अवरोधों को दूर करना।
- फिल्म, संगीत तथा होम-वीडियो के लिए प्रभावकारी आईपीआर संरक्षण तंत्र को जोड़ना
- डीआरएम+संगत ट्रांसमीटरों का उपयोग करके एफएम कवरेज को 35% से बढ़ाकर 45% करना।
- एफएम कवरेज के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए।
- दूरदर्शन टेरिस्टेरियल नेटवर्क का आगे कोई विस्तार नहीं किया जाए। तथापि, डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जाए। वीएलपीटी की समय सीमा पूरी हो जाने पर इसे सेवा से हटा दिया जाए। डीटीएच जैसी प्रौद्योगिकियों के जरिए सीमावर्ती तथा कवर न किए गए क्षेत्रों को कवर किया जाना है।
- मोबाइल समाधान उपलब्ध कराने के लिए दूरदर्शन प्रसारण में निजी भागीदारों के प्रवेश और सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता के जरिए टेरिस्टेरियल प्रसारण को तरजीह दी जाए।

12.4.17 प्रसारण संबंधी विविध उपाय

- मनोरंजन के क्षेत्र में विविधता प्रदान करने के लिए तीव्र आधार पर मोबाइल मीडिया समाधान लागू किया जाना चाहिए।
- एचआईटीएस के जरिए डिजिटल प्रसारण को प्रोत्साहित किया जाए।
- सूचना, संचार तथा मनोरंजन के लिए सामान्य विनियामक। 'कैरिज ब्यूरो' तथा 'कंटेंट ब्यूरो' के साथ 'कन्वरजेंस कमीशन' सृजित करने के पूर्व उपाय की समीक्षा किए जाने की

आवश्यकता है। अभिसरण की दिशा में प्रौद्योगिकी की सामान्य गति के संदर्भ में अर्थात् (क) समान प्रकार की सेवाएं चलाने वाले नेटवर्क प्लेटफार्म (अर्थात् प्रसारण, सेटलाइट, केबल, टेलीकॉम) का सम्मिलन; और (ख) उपभोक्ता उपकरणों यथा टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर का अभिसरण, ये सभी तीनों सेवाएं देने में सक्षम हैं, यह एक संकेत है कि वर्धमान रूप से सभी वाहक नेटवर्क तथा उपकरण सभी प्रकारों के कंटेंट को वहन करने में सक्षम होंगे। अतः एक ही विनियामक होना तार्किक है। कम से कम टेलीकॉम तथा प्रसारण क्षेत्रों के लिए एकल विनियामक का यह मुद्दा समीक्षा करने योग्य है।

- वैधानिक तथा विनियामक मुद्दों को सुलझाने के लिए एक प्रसारण विनियामक की शीघ्र स्थापना।
- सूचना, संचार तथा मनोरंजन संबंधी समिति ने 'गोइंग डिजिटल' संबंधी अपनी रिपोर्ट में वर्तमान एनालॉग प्रसारण अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में कदम वार तबदीली की राह की सिफारिश की है।

भावी दिशा

12.4.18 11वीं पंचवर्षीय योजना में सूचना, प्रसारण और मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र को आधुनिक, सक्षम तथा उत्तरदायी क्षेत्र में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप करने के अलावा मनोरंजन तथा मीडिया उद्योग में निवेश, जिसका नेतृत्व निजी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है, की बाधाओं का प्रभावकारी रूप से समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- मीडिया नीति में एकरूपता की कमी क्योंकि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अलग-अलग हैं - डीटीएच (49%), केबल (49%) तथा टेलीविजन व प्रिन्ट में समाचार हेतु कन्टेंट (26%) तथा टीवी व प्रिन्ट में समाचार से इतर (100%), रेडियो में 20% और फिल्म उद्योग में 100%। इनमें तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी कंपनियों के कर-व्यवहार को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है।

- क्रॉस-मीडिया स्वामित्व - यद्यपि नीतिगत निरूपण मीडिया कंपनियों पर क्रॉस - मीडिया स्वामित्व नियमों का पालन करने का दायित्व डालता है परंतु इन नियमों को अब तक तैयार नहीं किया गया है। प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चल रहे एकीकरण के परिणामस्वरूप विशालकाय मीडिया का प्रादुर्भाव हो सकता है जो एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार वातावरण में अनुमेय सीमा से असंगत माइन्ड शेयर हासिल कर ले सकता है। कुछ सीमाएं विहित किए जाने की आवश्यकता है और इस मुद्दे की उद्योग की दीर्घकालिक आरोग्यता के लिए समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

12.4.19 देश भर में कंडीनशनल एक्सेस सिस्टम तथा डीटीएच को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उपभोक्ता तथा उपकरण उत्पादकों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए समयबद्धता भी निर्धारित की जाए ताकि सभी हितधारक एकजुट होकर कार्य करें।

12.4.20 एचडीटीवी, आईपीटीवी, मोबाइल टीवी तथा अन्य मूल्य संवर्द्धित सेवाओं को शुरू करने के साथ-साथ सेटलाइट प्रसारण, निर्माण केंद्रों/ स्टूडियो और टेरिस्टेरियल प्रसारण का मिशन रूप में डिजिटलाइजेशन किए जाने की आवश्यकता है। समस्त प्रसारण क्षेत्र के लिए 'गोइंग डिजिटल' तथा 'फार्मिंग आउट एक्सेस बैण्डविड्थ' को व्यावहारिक तौर पर शुरू किए जाने की आवश्यकता है ताकि 2015 तक डिजिटल प्रसारण को पूर्णतया अपना लिया जाना और अपर्याप्त बैण्डविड्थ का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

12.4.21 सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सकल बजटीय समर्थन को अनंतिम रूप से 2006-07 स्थिर मूल्यों पर 4809 करोड़ रुपये और वर्तमान मूल्यों पर 5,439 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

12.4.22 संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं योजना परिव्यय के दौरान समग्र तौर पर योजना परिव्ययों/ खर्च की प्रगति संलग्नक 12.4.1 में दी गई है।

संलग्नक-12.2.1
दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कार्य निष्पादन

इनेक्ट्रानिक्स उत्पादन (वित्तीय वर्ष) (करोड़ रुपये)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1. उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	12,700	13,800	15,200	16,800	18,000	20,000
2. औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स	4,500	5,550	6,100	8,300	8,800	10,400
3. कंप्यूटर	3,550	4,250	6,800	8,800	10,800	12,800
4. संचार तथा प्रसारण उपकरण	4,500	4,800	5,350	4,800	7,000	9,500
5. महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक्स	1,800	2,500	2,750	3,000	3,200	4,500
6. घटक	5,700	6,600	7,600	8,800	8,800	8,800
उप जोड़	32,750	37,500	43,800	50,500	56,600	66,000
7. निर्यात हेतु सॉफ्टवेयर	36,500	46,100	58,240	80,180	104,100	141,800
8. घरेलू सॉफ्टवेयर	10,874	13,400	16,250	21,740	29,600	37,800
जोड़	80,124	97,000	118,290	152,420	190,300	245,600

नोट : *अनुमानित

स्रोत : डीआईटी वार्षिक रिपोर्ट 2006-07

संलग्नक 12.2.2
दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के निर्यात हिस्से का कार्य निष्पादन

इनेक्ट्रानिक्स निर्यात (वित्तीय वर्ष) (करोड़ रुपये)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1. उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	700	750	825	1,150	2,000	
2. औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स	950	1,400	1,515	1,500	2,300	
3. कंप्यूटर	1,800	550	1,440	1,200	1,025	
4. संचार तथा प्रसारण उपकरण	150	500	165	350	500	
5. घटक	2,200	2,400	3,755	3,800	3,800	
उप जोड़	5,800	5,600	7,700	8,000	9,625	11,500
6. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	36,500	46,100	58,240	80,180	104,100	141,800
जोड़	42,300	51,700	65,940	88,180	113,725	153,300

*अनुमानित

नोट : *अनुमानित

स्रोत : डीआईटी वार्षिक रिपोर्ट 2006-07

संलग्नक 12.4.1
संचार तथा सूचना क्षेत्र के योजना खर्च की प्रगति

क्र. सं. संचार तथा सूचना क्षेत्र	दसवीं योजना (2002-07) परिव्यय	वार्षिक योजना (2002-03)		वार्षिक योजना (2003-04)		वार्षिक योजना (2004-05)		वार्षिक योजना (2005-06)		वार्षिक योजना (2006-07)		दसवीं योजना (2002-07)		11वीं योजना (2007-12) अनुमानित सकल बजटीय समर्थन (वर्तमान मूल्यों पर)	
		ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक	ब.अ. वास्तविक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	दूरसंचार विभाग #	80607.44	19277.79	11610.43	14955.00	7423.14	11660.00	6707.67	11801.01	8000.25	19509.31	17468.22	77203.11	51209.71	1752.00
2	सूचना प्रौद्योगिकी 3	5492.00	593.58	465.07	577.45	494.63	889.27	644.85	1087.56	879.85	1268.27	1273.27	4444.13	3757.67	(89581.56)
3	डाक विभाग	1350.00	50.00	45.91	150.00	63.00	200.00	142.16	354.00	301.11	419.00	419.00	1173.00	874.51	12496.00
4	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	5130.00	878.00	693.20	890.00	524.23	955.00	421.24	1120.00	859.42	538.00	310.13	4381.00	2808.22	(2163.18)
	सकल जोड़	92579.44	20799.37	12814.61	16572.45	8505.00	13704.27	7915.92	14362.57	10040.63	21734.58	19470.62	87201.24	58650.11	23687.00
															(91744.74)

नोट : # कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अनुमानित आईभीआर को दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक योजना दस्तावेज और डीआईटी, डीओपी, डीओटी और एमओआईभी की अनुदान मांग।

अनुबंध

अनुबंध
ग्यारहवीं योजना के लिए अनुमानित जीबीएस

क्रम संख्या	स्कीम/कार्यक्रम	11वीं योजना अनुमान (रुपए करोड़ में)				जेडीबी टीप्पणियां
		3	4	5	6	
1	क	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
	1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	4317.31	4883.00		
	2	कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)	397.87	450.00		
	3	शुष्क भूमि और वर्षापोषित खेती प्रणालियों की संधारणीयता का संवर्द्धन	0.00	0.00		
	4	तिलहनों, दालों, आयल पॉम तथा मकई की एकीकृत स्कीम (आईएसओपीओएम)	1326.23	1500.00		
	5	सिक्किम, उत्तरखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बागवानी संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन	1326.23	1500.00		
	6	सूक्ष्म सिंचाई	3006.11	3400.00		
	7	राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार मिशन	353.66	400.00		
	8	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	7788.48	8809.00		
	9	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन	1768.30	2000.00		
	10	वर्षापोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (नया)	3094.53	3500.00		
	11	बृहद कृषि प्रबंध (एमएमए) स्कीम	4862.83	5500.00		
	12	अन्य 0.00	0.00			
		उप-योग (क)	28241.54	31942.00		
	ख	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
	1	कृषि गणना	70.73	80.00		
	2	कृषि सांख्यिकी का सुधार	132.62	150.00		
	3	पटसन प्रौद्योगिकी मिशन-लघु मिशन II	35.37	40.00		
	4	वृक्ष आधारित तिलहनों और जैव डीजल (जेट्रोफा पौध) सहित राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (एनओवीओडी)	61.89	70.00		
	5	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (शीत शृंखला सहित)	558.78	632.00		
	6	नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड	176.83	200.00		
	7	केन्द्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड	22.10	25.00		
	8	केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण	22.10	25.00		

(अनुबंध जारी)

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
8.क	उर्वरकों के संतुलित उपयोग संबंधी प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय परियोजना		397.87	450.00	
9	कार्बनिक खेती के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना		101.68	115.00	
10	पौध किस्मों के संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन के लिए स्कीम		106.10	120.00	
11	राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारत का राज्य खेती निगम (एनएससी तथा एसएफसीआई) की पुनर्रचना/ऋण		33.60	38.00	
12	उत्तम बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए आधारिक सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण		397.87	450.00	
13	देश में नाशी जीव प्रबंध का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण		79.57	90.00	
14	एकीकृत नाशी जीव प्रबंध संबंधी राष्ट्रीय स्कीम (नई स्कीम)		88.42	100.00	
15	भारत में पौध संरोध सुविधाओं का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण		70.73	80.00	
16	राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशिष्टों का मानीटरन		48.63	55.00	
17	फसलोत्तर प्रोटोपिकी और प्रबंध (नई स्कीम)		35.37	40.00	
18	जल विभाजक विकास परियोजना		0.00	0.00	
19	राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण (नई स्कीम)		15.91	18.00	
20	राज्य भूमि विकास बैंकों (एसएलडीबी) के ऋणपत्रों में निवेश		353.66	400.00	
21	राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस)		3094.53	3500.00	
22	सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण		132.62	150.00	
23	सहकारिताओं के विकास के लिए एनसीडीसी को सहायता		282.93	320.00	
24	केन्द्रीय विस्तार संस्थानों/निदेशालय (डीओई) को विस्तार समर्थन		61.89	70.00	
25	कृषि-क्लीनिक/कृषि-व्यापार केन्द्र		132.62	150.00	
26	कृषि विस्तार को जनसंचार सहायता		397.87	450.00	
27	कृषि आर्थिक नीति और विकास में अध्ययन		132.62	150.00	
28	फसल पालन में पूर्वानुमान तथा दूरस्थ संवेदीकरण अनुप्रयोग		0.00	0.00	
29	अंतरिक्ष, कृषि मौसमविज्ञान और सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) (एफएएसएल) का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान		44.21	50.00	
30	विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन)		13.26	15.00	
31	एनमार्क ग्रेडिंग तथा निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढीकरण		5.30	6.00	
32	बाजार आधारिक तंत्र, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास		335.98	380.00	
33	ग्रामीण मंडारण योजना		353.66	400.00	
34	लघु कृषक कृषि व्यापार कंसोर्टियम (एसएफएपी)		106.10	120.00	
35	कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण/प्रोत्साहन + डेक आईटी उपकरण		309.45	350.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
36	भारतीय कृषि की प्रतियोगिता के संवर्द्धन तथा विदेशों में कार्विनिक उत्पादों के पंजीकरण के लिए क्षमता निर्माण		4.42	5.00	
37	प्राकृतिक आपदा प्रबंध		0.00	0.00	
38	सचिवालय आर्थिक सेवा		4.42	5.00	
39	कृषकों संबंधी राष्ट्रीय आयोग		0.00	0.00	
40	प्रशिक्षण, परीक्षण और निदर्शन के माध्यम से कृषि यात्रिकीकरण को प्रोत्साहन और सुदृढीकरण		31.83	36.00	
41	अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण		39.79	45.00	
42	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) को सहायता अनुदान		13.26	15.00	
43	संस्थानों के लिए पुनर्संचित स्कीम (क्रम संख्या 21, 23, 40, 41 पर उल्लिखित स्कीम सहित)		0.00	0.00	
	उप-योग ख		8306.60	9395.00	
	उप-योग क+ख		36548.13	41337.00	
सी	राज्य योजना स्कीम				
1	झूम खेती का नियंत्रण (पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कायत्कारी क्षेत्रों में जल विभाजक विकास)		212.20	240.00	
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		22103.77	25000.00	
	उप-योग सी.		22312.41	25240.00	
	सकल योग (ए+बी+सी)		58860.55	66577.00	
2	पशुपालन, डेरी उद्योग तथा मत्स्य पालन विभाग (डीएचडी एवं एफ)				
I	पशुपालन		3645.35	4123.00	
ए	केन्द्र प्रायोजित स्कीमों				
1	पशुधन विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना**		1211.29	1370.00	
2	फीड तथा चारे के लिए परियोजना		125.02	141.40	
3	पशुधन बीमा		45.09	51.00	
4	राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएलडीसीपी)		1149.40	1300.00	
5	पशुधन विस्तार और आपूर्ति सेवाएं**		13.26	15.00	
	योग सीएसएस (ए तथा एच)		2256.71	2552.40	

** पशु और बैस पालन के लिए परियोजना, कुक्कुट पालन विकास (राज्य कुक्कुट पालन/बत्तख फार्मों, ग्रामीण बैंकयाई विकास, कुक्कुट संपदाओं की स्थापना की लिए सहायता, पशुवध गृहों तथा सीयू पौधों के लिए परियोजना, सबल पशुवध संयंत्रों (नई स्कीम) * ग्रामीण पशुवध गृहों की स्थापना/आधुनिकीकरण, मृत पशुओं का प्रयोग (नई स्कीम) *; आर्तकित पशुधन नस्लों का संरक्षण।

*\$ निजी पशु चिकित्सा क्लीनिकों और एआई केंद्रों के लिए सहायता, पशुधन विस्तार प्रणाली का सुदृढीकरण।

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
बी		केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	पशुधन गणना			397.87	450.00	
2	एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण			70.73	80.00	
3	केन्द्रीय पशु विकास संगठन			92.84	105.00	
4	केन्द्रीय भेड़पालन फार्म			11.49	13.00	
5	केन्द्रीय चारा विकास संगठन			70.73	80.00	
6	केन्द्रीय कुक्कुट पालन विकास संगठन			44.21	50.00	
7	पशु स्वास्थ्य निदेशालय			81.87	92.60	
8	लघु रूमीनेट विकास			176.83	200.00	
9	सुअर पालन विकास			132.62	150.00	
10	नर भैंस बछड़ों की रक्षा और पालन			265.25	300.00	
11	खाद्या सुखा और अनुमार्गपीयता			44.21	50.00	
				1388.65	1570.60	
II		डेरी विकास				
ए		केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1	डेरी विकास परियोजनाएं*			198.94	225.01	
बी		केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	सहकारिताओं को सहायता			44.21	50.00	
2	दिल्ली दुग्ध योजना			4.42	5.00	
3	उद्यम पूंजी निधि			442.08	500.00	
				490.70	555.00	
III		मत्स्य पालन				
ए		केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1	अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर का विकास (नए घटकों सहित)			265.25	300.00	
2	समुद्री मत्स्य पालन, आधुनिक तंत्र और फसलोत्तर प्रचालनों का विकास (नए घटकों सहित)			309.45	350.00	
3	मछुआरों के कल्याण, मत्स्य पालन प्रशिक्षण और विस्तार की राष्ट्रीय स्कीम (नए घटकों सहित)			159.15	180.00	
				733.85	830.00	

** डेरी विकास के लिए परियोजना (असंभावित जिलों के लिए डीएएचडी), राष्ट्रीय डेरी योजना (325 दुग्ध संभावी जिलों में कंसोर्टियम द्वारा) ।

**^ डेरी उद्योग पूंजी निधि, कुक्कुट पालन उद्योग पूंजी निधि ।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
बी	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें		0.00		
1	मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्क निर्माण का सुदृढीकरण		22.10	25.00	
2	मत्स्य पालन संस्थानों को सहायता (सीआईएफएनआईटी, सीआईसीईएफ, आईएफपी तथा एफएसआई)		328.02	371.00	
3	राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड		1370.43	1550.00	
	योग सीएस (मत्स्य पालन)		1720.56	1946.00	
IV	सचिवालय तथा आर्थिक सेवाएं		30.95	35.00	
V	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के 31 आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज		300.61	340.00	
	कुल केन्द्र प्रायोजित स्कीमें		3490.10	3947.40	
	कुल केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें		3630.85	4106.60	
	योग		7120.95	8054.00	
VI	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)				
	पक्षी इन्फ्लुएंजा पर नियंत्रण और शमन-बाह्य सहायता प्राप्त		106.10	120.00	
3	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरआई)				
1	फसल विज्ञानों में अनुसंधान संस्थानों को सहायता		1679.96	1900.08	
2	बागवानी में अनुसंधान संस्थानों को सहायता		621.18	702.57	
3	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध (मृदा और जल पोषण) में अनुसंधान संस्थानों को सहायता		645.54	730.12	
4	कृषि इंजीनियरी में अनुसंधान संस्थानों को सहायता		231.82	262.20	
5	पशु विज्ञान में अनुसंधान संस्थानों को सहायता		858.50	970.99	
6	मत्स्य पालन में अनुसंधान संस्थानों को सहायता		310.25	350.90	
7	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी में अनुसंधान संस्थानों को सहायता		23.03	26.05	
8	कृषि विस्तार में अनुसंधान संस्थानों को सहायता (नए केविके के लिए 500 करोड़ रुपए सहित)		1989.34	2250.00	
9	कृषि शिक्षा में अनुसंधान संस्थानों + उत्कृष्टता केन्द्र को सहायता-एसएयू को समर्थन		2785.96	3151.00	
10	डेअर तथा सीएयू में अनुसंधान संस्थानों को सहायता, मणिपुर		671.31	759.27	
11	आईपीआर प्रबंध सहित एमआईएस/आईसीएआर मुख्यालय		105.95	119.83	
12	बुनियादी और कार्यनीतिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि		111.40	126.00	
13	राष्ट्रीय कृषि नवावारी परियोजना (डब्ल्यू.बी. परियोजना)		963.72	1089.99	
14	भारत अमरीकी ज्ञान पहल		44.21	50.00	
15	नई पहलें		88.42	100.00	
	योग		11130.57	12589.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
4		परमाणु ऊर्जा विभाग			
	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
	अनुसंधान और विकास क्षेत्रक				
1	एईआरबी		17.97	20.33	
2	एएमडी		329.63	372.82	
3	बीएआरसी		3232.45	3656.00	
4	आरआरसीएटी		557.15	630.15	
5	डीएई परियोजना		65.61	74.21	
6	डीसीएस तथा ईएम		166.37	188.17	
7	अनुसंधान और शिक्षा को सहायता अनुदान		2314.05	2617.26	
8	आईजीसीएआर		596.05	674.15	
9	आईपीआर		404.06	457.00	
10	अंतर्राष्ट्रीय थैमो नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर		1317.05	1489.62	
11	टीएमसी		198.05	224.00	
12	वीईसीसी		527.22	596.30	
	उद्योग क्षेत्रक				
1	बीएआरसी		2846.97	3220.00	
2	बीआरआईटी		36.25	41.00	
3	डीएई परियोजना		207.78	235.00	
4	ईसीआईएल		0.00	0.00	
5	एचडब्ल्यूबी		442.08	500.00	
6	आईजीसीएआर		751.53	850.00	
7	एनएफसी		530.49	600.00	
	खनिज क्षेत्रक				
1	एएमडी		150.31	170.00	
2	डीएई परियोजना		0.00	0.00	
3	यूसीआईएल		1131.71	1280.00	
4	आईआरईएल		0.00	0.00	
	विद्युत क्षेत्र				
1	बीएआरसी		265.25	300.00	
2	आईजीसीएआर		17.68	20.00	
3	डीएई परियोजना		30.06	34.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
4	एनपीसीआईएल				
5	(i) निवेश		0.00	0.00	
6	(ii) रूसी ऋण		2212.14	2502.00	
7	केकेएनपी		201.59	228.00	
8	बीएचएवीआईएनआई सकल योग		1768.30 22529.93	2000.00 22980.00	
5	ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें			
		आयुष विभाग			
1		प्रणाली सुदृढीकरण	249.99	282.75	
		क. आयुष विभाग का सुदृढीकरण	41.56	47.00	
		ख. सांविधिक संस्थान	2.61	2.95	
		ग. अस्पताल तथा औषधालय	143.94	162.80	
		घ. फार्माकोपियल प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण	22.10	25.00	
		ड. सूचना शिक्षा और संचार	22.10	25.00	
		च. आयुष तथा जन स्वास्थ्य	17.68	20.00	
2		शैक्षिक संस्थान	363.10	410.68	
3		औषधीय पौधों सहित अनुसंधान और विकास	636.21	719.57	
		क. अनुसंधान परिषदें	317.85	359.50	
		ख. औषधीय पौधें	318.36	360.07	
4		एचआरडी (प्रशिक्षण कार्यक्रम/अध्येतावृत्ति/ज्ञानवर्द्धक दौरे/कौशलों का स्तरोन्नयन आदि)	26.52	30.00	
5		पाण्डुलिपियों का सूचीपत्र निर्माण, डिजिटिकरण तथा आयुष आईटी नेटवर्क	35.37	40.00	
6		अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	35.37	40.00	
7		आयुष उद्योग का विकास	446.50	505.00	
8		आयुष के अधीन स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूतिविद्या परिपाटियों आदि में प्रवृत्त एनजीओ का वित्तपोषण	22.10	25.00	
		योग ए	1815.16	2053.00	
बी		केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
1		आयुष को प्रोत्साहन	1237.81	1400.00	
		क. संस्थानों का विकास	486.28	550.00	
		ख. अस्पताल तथा औषधालय (एनआएचएम) के अधीन	552.59	625.00	
		ग. औषधि गुणवत्ता नियंत्रण	198.93	225.00	

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
नई पहलें						
2 विशेषज्ञता क्लीनिकों/आईपीडी की स्थापना के लिए सरकारी निजी भागीदारी				473.02	535.00	
3 औषधीय पौधा प्रसंस्करण जोन				44.21	50.00	
योग बी				428.81	485.00	
सकल योग (ए+बी)				1710.83	1935.00	
				3525.99	3988.00	
6			जैव प्रौद्योगिकी विभाग			
1 मानव संसाधन विकास				221.04	250.00	1. एससी/एसटी तथा लैंगिक बजट निर्माण सार्वत्रिक नहीं होना चाहिए और एस तथा टी विभाग को विशेष रूप से इससे अलग किया जाना चाहिए। 2. डीबीटी को दलों और तिलहनों के लिए कृषि मंत्रालय के परामर्श से एक क्रैश कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिससे कि देश में इनकी उत्पादकता में सुधार लाया जा सके। 3. यह जरूरी है कि डीबीटी आईसीएआर के साथ निकट वैचारिक आदान-प्रदान करे जिससे कि दोहराव से बचा जा सके और सहक्रिया तथा साथ ही किसानों को प्रौद्योगिकियों का त्वरित अंतरण सुनिश्चित हो सके। 4. मौजूदा संस्थानों के भीतर सीआई का सृजन करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और नए संस्थानों की स्थापना केवल ऐसे क्षेत्रों में की जानी चाहिए जिनमें नाभिकीय सुविधाएं उपलब्ध न हों। 5. डीबीटी को अपने क्रियाकलापों का प्राथमिकता निर्धारण करना चाहिए, वार्षिक मौखिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 11वीं योजना में पूरी करना चाहिए जिससे कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 11वीं योजना में पूरी तरह व्यवस्था की जा सके।
2 उत्कृष्टता तथा नवाचार के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम				309.45	350.00	
3 जैव-प्रौद्योगिकी सुविधाएं				221.04	250.00	
4 जैव सूचना विज्ञान				110.52	125.00	
5 अनुसंधान और विकास				1382.81	1564.00	
6 महान चुनौती कार्यक्रम				353.66	400.00	
7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग				88.42	100.00	
8 सामाजिक विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी				88.42	100.00	
9 स्वायत्त आर तथा डी संस्थानों को सहायता				2210.38	2500.00	
आई तथा एम क्षेत्र				663.11	750.00	
1 प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स, मार्गदर्शी परियोजनाओं, जैव-प्रौद्योगिकी						
पाकों तथा जैव-प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए सहायता						
2 सरकारी-निजी भागीदारी (लघु व्यापार नवाचारी अनुसंधान पहल (एसबीआरआई); जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी); जैव-प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना (बीआईआरएसी))						
योग				5648.84	6389.00	

7

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

पहले से चली आ रही स्कीमें

1	मौजूदा पीएसयू को परियोजना आधार पर सहयोग	318.29	360.00	पीएसयू के लिए नेमी एएमआर योजनेतर अथवा आईबीआर पक्ष में होने चाहिए। अलग-अलग पीएसयू के लिए प्रस्तावित परिख्य पीएसयू के लिए 'परियोजना आधारित सहयोग' के नाम के तहत एक स्कीम में शामिल कर दिए जाएं। पीएसयू को भावी सहयोग परियोजना आधारित और वाणिज्यिक औचित्य के आधार पर दिया जाएगा।
(2)	हिंदुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)			
(3)	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल)			
(4)	इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)			
(5)	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)			
(6)	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)			
(7)	केएपीएल/आरडीपीएल			

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
2	स्वायत्त निकायों को परियोजना आधार पर सहयोग		169.76	192.00	
	(1) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी)				और आगे का वित्तपोषण स्वतंत्र एजेंसी द्वारा गहन मूल्यांकन पर निर्भर करता है। प्रत्येक संस्थान को परित्यक्त देने की बजाय स्वायत्त संस्थानों के लिए परियोजना आधारित सहयोग की एक स्कीम होगी।
	(2) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर)				
	(3) इंस्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइड्स फार्मलेशंस टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)		176.83	200.00	
3	(4) नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथारिटी (एनपीपीए)				
4	असम गैस क्रेकर परियोजना				
	रसायनिक प्रोत्साहन और विकास स्कीम (सीपीडीएस) - जिसे फार्मा तथा रसायनिक प्रोत्साहन और विकास स्कीम (पीसीपीडीएस) के रूप में पुनर्गठित किया गया।		13.26	15.00	यह स्कीम क्रम संख्या 12 के तहत फार्मा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के साथ मिला दी गई है और फार्मा तथा रसायन प्रोत्साहन और विकास स्कीम के रूप में पुनर्गठित की गई है।
5	केमीकल वेपंस कन्वेंशन (सीडब्ल्यूसी)		3.54	4.00	
6	आईटी/सचिवालय		0.88	1.00	
7	नई स्कीमें सीआईपीईटी की नई स्कीम		61.89	70.00	इस स्कीम को स्वायत्त निकायों के मूल्यांकन की शर्त पर क्रम संख्या 2 में स्वायत्त निकायों के लिए प्रावधान के साथ जोड़ दिया जाए।
8	पेट्रो रसायनों के लिए अन्य नई स्कीमें		44.21	50.00	इस स्कीम को स्वायत्त निकायों के मूल्यांकन की शर्त पर क्रम संख्या 2 में स्वायत्त निकायों के लिए प्रावधान के साथ जोड़ दिया जाए।
9	एनआईपीईआर, मोहाली की नई स्कीम		61.01	69.00	विशेष स्कीमें अभिज्ञात की जाएं और आगे का प्रावधान केवल विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही किया जाए।
10	नए एनआईपीईआर जैसे संस्थान		454.45	514.00	
11	अनुसूचित एम अनुपालन के लिए ब्याज सब्सिडी		300.61	340.00	
12	फार्मा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम				
	(क) औषधि बैंकों के लिए पीपीपी स्कीमें				
	(ख) कैंसर दवाइयों के लिए पीपीपी स्कीमें				
13	एनपीपीए का सुदृढीकरण		53.05	60.00	यह स्कीम डीसीपीसी की बजाय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए।
14	फार्मा एक्सिल में आईपीआर सुविधा केन्द्र की स्थापना		4.42	5.00	
15	ईआरपी, आर तथा डी पार्क		4.42	5.00	
16	फार्मा पीएसयू/आर तथा डी के लिए डब्ल्यूएचओ पूर्व-योग्यता के वास्ते गहन सहायता		66.31	75.00	ऐसे निकाय की जरूरत नहीं है।
	फार्मा पीएसयू के पुनःस्थान के लिए शीर्षस्थ निकाय सकल योग		0.00	0.00	
			1732.94	1960.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
8		सिविल विमानन मंत्रालय			
1	भारतीय पत्तन प्राधिकरण		1301.27	1471.68	एनईआर में हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण पद्धति में परिवर्तन।
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी		113.06	127.87	निधियां एनईसी के माध्यम से भेजे जाने की बजाय सीधे ही नागर विमानन
3	सिविल विमानन महानिदेशालय		128.43	145.25	मंत्रालय को दी जानी चाहिए। कोलकाता हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण
4	ऐसे वलब आफ इंडिया		72.68	82.20	एएआई के आईआर के माध्यम से।
5	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो		64.55	73.00	
	सकल योग		1680.00	1900.00	
9		कोयला मंत्रालय			
1	अनुसंधान और विकास		75.35	85.24	पहले से चली आ रही स्कीमों को किसी व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम
2	क्षेत्रीय गवेषणा		164.02	185.54	से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनकी पुनर्वचना/छंटाई के लिए निष्कर्षों
					का प्रयोग किया जाना चाहिए।
3	गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत झिलिंग		472.94	535.00	
4	पर्यावरण उपाय और अवतलन नियंत्रण		155.34	175.72	यह काम पीपीपी माध्यम से किया जा सकता है।
5	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा		170.67	193.06	
6	कोयला क्षेत्रों में परिवहन आधारिक तंत्र का विकास		277.63	314.06	
7	कोयला नियंत्रक संगठन		1.22	1.38	
8	सूचना प्रौद्योगिकी		8.84	10.00	
	सकल योग		1326.00	1500.00	
10		संस्कृति मंत्रालय			
ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण		4.42	5.00	2008-09 के लिए इसे छोड़ना या इसकी पुनर्वचना मूल्यांकन के अध्यक्षीन है।
2	प्रोत्साहन और प्रसार		689.64	780.00	
3	पुरातत्व विज्ञान		548.17	620.00	2008-09 के लिए इसे छोड़ना या इसकी पुनर्वचना मूल्यांकन के अध्यक्षीन है;
4	अभिलेखागार और अभिलेख		61.89	70.00	संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से 'पुरातत्व विज्ञान, अभिलेखागारों और संग्रहालयों
5	संग्रहालय		540.98	611.86	के लिए स्कीम' के अधीन मिलाए जाने के लिए।
6	नृ-विज्ञान तथा नृजातीय विज्ञान		46.09	52.13	
7	सार्वजनिक पुस्तकालय		416.07	470.59	
8	आईजीएनसीए		90.80	102.70	
9	बौद्ध और तिब्बती अध्ययन संस्थान		50.69	57.33	2008-09 के लिए इसे छोड़ना या इसकी पुनर्वचना मूल्यांकन के अध्यक्षीन है।
10	स्मारक		114.94	130.00	
11	पूर्वतर क्षेत्र के लिए क्रियाकलाप		347.47	393.00	
12	अधीनस्थ कार्यालयों की भवन परियोजना		204.68	231.50	
	सकल योग		3115.84	3524.11	

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
11			वाणिज्य विभाग			
क	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें					
1	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए)		884.15	1000.00		और आगे जीबीएस प्रदान किए जाने से पहले ईसीजीसी, एनईआईए, एमएआई का किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से गहन मूल्यांकन कराया जाना चाहिए।
2	ईसीजीसी में निवेश		707.32	800.00		सब्सिडियां योजनेतर व्यय का हिस्सा होनी चाहिए।
3	निर्यात प्रोत्साहन गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण					50 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय की सभी स्कीमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनके निष्कर्ष शामिल किए जाने चाहिए।
4	क. निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ख. बाजार सुलभता पहले आर तथा डी संस्थान क. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ख. भारतीय डिब्बाबंदी संस्थान (आईआईपी) ग. फुटवियर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) घ. डब्ल्यूटीओ अध्ययनों के लिए केन्द्र ड. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ प्लांटेशन मैनेजमेंट (आईआईपीएम)		44.21 486.28 35.37 26.52 88.42 17.68 0.44	50.00 550.00 40.00 30.00 100.00 20.00 0.50		ईआईसी को परियोजना आधारित सहयोग दिशा जाना चाहिए।
5	आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन क. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं ख. डीजीएफटी ग. डीजीसीआईएस घ. कंप्यूटरीकरण डीजीएस एंड डी		15.03 22.10 15.03 20.34	17.00 25.00 17.00 23.00		सभी स्वायत्त संस्थानों (आईआईएफटी, आईआईपी, आईआईपीएम, एफडीडीआई, डब्ल्यूटी अध्ययनों के लिए केन्द्र) के लिए 'स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहयोग' के नाम से एक नई संयुक्त स्कीम। और आगे जीबीएस प्रदान किए जाने से पहले स्वायत्त संस्थानों का किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से गहन मूल्यांकन कराया जाना चाहिए।
6	कृषि क्षेत्र एपीईडीए		637.03	720.50		एपीईडीए/एमपीईडीए की स्कीमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि वे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों के दोहराव से बची रहें।
7	एमपीईडीए		397.87	450.00		संवर्धित आबंटन प्रदान करने से पहले जोस कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8	काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद		0.00	0.00		जीबीएस आबंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी पर निर्भर करता है।
9	टी-बोर्ड		707.32	800.00		प्लांटेशन बोर्ड को कृषि मंत्रालय की सहक्रिया में नियंत्रित/सुखी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
10	काफी बोर्ड		530.49	600.00		
11	खर बोर्ड		512.81	580.00		
12	मसाला बोर्ड		265.25	300.00		
	योग क		5413.65	6123.00		
ख	केन्द्र प्रायोजित स्कीम					
13	उद्योग और खनिज क्षेत्र एसआईडीई योग ख सकल योग (क + ख)		3353.58 3353.58 8767.23	3793.00 3793.00 9916.00		

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
12	उपमोक्ता मामले विभाग					
	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें					
1	उपमोक्ता	जागरूकता		361.62	409.00	
2	उपमोक्ता	संरक्षण (कांफोनेट), एकीकृत परियोजना, एनसीडीआरसी, एनसीपीए, राज्य उपमोक्ता हेल्पलाइन		162.95	184.30	
3	उपमोक्ता	शिक्षा और प्रशिक्षण, एचआरडी/क्षमता निर्माण		13.26	15.00	
4	फारवर्ड मार्केट कमीशन			83.29	94.20	
5	माप तथा तौल			165.34	187.00	
6	राष्ट्रीय परीक्षण गृह			77.81	88.00	
7	भारतीय मानक ब्यूरो सहित मानकीकरण, डाटाबेस, आकलन और गुणवत्ता अभियान के लिए राष्ट्रीय प्रणाली			83.99	95.00	
8	गोल्ड हालमार्किंग योग			9.28	10.50	
				957.54	1083.00	
13	निगमित मामले मंत्रालय					
1	इंजिनियरिंग इस्टीमेट आफ कार्पोरेट आफेयर्स			186.56	211.00	
	सकल योग			186.56	211.00	
14	पेयजल विभाग					
	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें					
1	ग्रामीण पेयजल			34915.52	39490.47	
2	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान			6910.22	7815.66	
	सकल योग			41825.75	47306.13	
15	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर विभाग)					
1	एनईडीएफआई			339.61	384.43	
2	पक्षपोषण			36.32	41.11	
3	क्षमता निर्माण			69.70	78.90	
4	पूर्वोत्तर में अंतर्देशीय जल परिवहन की उन्नति			1.32	1.49	
5	शहरों/सड़कों का विकास (ईएपी)			0.06	0.06	
	सकल योग			447.00	506.00	

इसे 2008-09 से क्रम संख्या 6 (राष्ट्रीय परीक्षण गृह) पर दी गई स्कीम के साथ शामिल किया जाए और मानकों, अनुपालन आकलन और परीक्षण क्रियाकलापों/कार्यक्रमों से संबंधित नई पहलें 'मानकों और परीक्षणों के लिए उपाय' नामक एक एकल स्कीम के अधीन शामिल की जाएं।
और आगे वित्तपोषण परियोजना पद्धति में और गहन मूल्यांकन के अध्यक्षीन होगा।
और आगे वित्तपोषण परियोजना पद्धति में और गहन मूल्यांकन के अध्यक्षीन होगा।

एनईडीएफआई के लिए क्रियाकलापों का प्रभाव आकलन किया जाए।
स्कीम को अगले वर्ष जारी रखने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाए।
और आगे वित्तपोषण के लिए लक्षित संख्या तथा उपलब्धि दर्शाते हुए स्कीम का मूल्यांकन।
यह स्कीम एक सीएस के रूप में नौवहन विभाग को अंतरित कर दी जाए।
एनईयूडीपी शहरी विकास मंत्रालय को अंतरित कर दी जाए। एनईएसआरडीपी के लिए राज्य का हिस्सा एनएलसीपीआर मार्ग के जरिए प्रदान किया जाए।

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
16			व्यय विभाग			
1	पूर्वात्त/विशेष श्रेणी राज्यों/ (सीआईएमएआरयू) राज्यों के लेखाओं और वित्त विषयों से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए एमबीए (वित्त) के बुनियादी तत्वों को शामिल करते हुए एक उच्चस्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जिसकी पेशकश नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोसायटी द्वारा की जाएगी 15 सीटों के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम।	4.42		4.42	5.00	1. प्रशिक्षण स्कीम को सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लक्षित करना चाहिए। 2. प्रशिक्षण क्षमता 15 से बढ़ाकर 100 (राज्यों के लिए 80 और केन्द्र के लिए 20) की जानी चाहिए। 3. व्यय विभाग को एनआईएफएम के साथ मिलकर अतिरिक्त आधुनिक जरूरतों का आकलन करना चाहिए। 4. मूल्यांकन और फीडबैक तंत्र तत्काल स्थापित किया जाना चाहिए। एनआईएफएम बोर्ड में राज्यों के कम से कम 3 वित्त सचिव और सलाहकार (एफआर) योजना आयोग सम्मिलित किए जाने चाहिए। 5. केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित प्लान स्कीमों की समूची श्रृंखला के प्रभावी मानीटरन के लिए लेखांकन पद्धति के संशोधन के वास्ते व्यय विभाग सीजीए के परामर्श से परियोजना पद्धति में एक स्कीम तैयार करना।
	सकल योग	4.42		4.42	5.00	
17			पर्यावरण और वन मंत्रालय			
	क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम				
	I	पर्यावरण				
	1	पर्यावरणात्मक मानीटरन और अभिशासन	960.19	960.19	1086.00	
	2	प्रदूषण उपशमन	190.98	190.98	216.00	
	3	संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान तथा विकास	207.78	207.78	235.00	
	4	पर्यावरण सूचना शिक्षा और जागरूकता	265.25	265.25	300.00	
	5	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्रियाकलाप	216.62	216.62	245.00	
	6	राष्ट्रीय समुद्र तट प्रबंध कार्यक्रम ईएपी	70.73	70.73	80.00	
			8.84	8.84	10.00	
	II	वानिकी और वन्य जीवन	1043.30	1043.30	1180.00	
	7	वानिकी और वन्य जीवन संस्थानों को सहायता अनुदान	397.87	397.87	450.00	
	8	वानिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण	97.26	97.26	110.00	
	9	वानिकी प्रभागों का सुदृढीकरण	88.42	88.42	100.00	
	10	वन्य जीवन प्रभागों का सुदृढीकरण	132.62	132.62	150.00	
	11	राष्ट्रीय वनरोपण और पर्यावरण विकास बोर्ड (एनएईबी)	221.04	221.04	250.00	
	12	पशु कल्याण	106.10	106.10	120.00	
		योग क	2003.49	2003.49	2266.00	
	ख	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
	I	पर्यावरण				
	1	प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थिकीय प्रणालियों का संरक्षण	530.50	530.50	600.01	
	2	ताज संरक्षण सहित दाय, विरासत, तीर्थयात्रा तथा पर्यटन केन्द्रों में पर्यावरणात्मक प्रबंध	0.01	0.01	0.01	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
II	नदी और झील संरक्षण		1856.72	2100.00	
3	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)		1856.72	2100.00	
III	वानिकी और वन्य जीवन		3655.07	4133.99	
4	मूली (मैलाकाना बैसीफेरा) बांसों का यूथी पुष्पन		32.71	37.00	
5	वन प्रबंध (पूर्व एकीकृत वन संरक्षण स्कीम) का तीव्रिकरण		530.49	600.00	
6	वन्य जीवन आश्रय स्थलों का एकीकृत विकास		707.32	800.00	
7	बाघ परियोजना		543.75	615.00	
8	हाथी परियोजना		72.49	81.99	
9	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम		1768.30	2000.00	
	सीएसएस में नई स्कीम		795.74	900.00	
10	समुदायों के साथ सामाजिक वानिकी (पंचायत वन योजना)		795.74	900.00	
	योग बी		6838.02	7734.00	
	सकल योग (ए + बी)		8841.51	10000.00	
18	क	आर्थिक कार्य विभाग			
	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	आधारिक विकास के लिए सहायता - वीजीएफ		196.28	222.00	
2	मोटर स्पिट और उच्च गति डीजल (रेलवे के लिए उपकर) पर अतिरिक्त लेवी के संदर्भ में रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान		3749.68	4241.00	
	क केन्द्रीय मार्ग निधि - एमएच 3054				
	ख सीसीएफ II के अधीन छत्र सहायता परियोजना - एमएच 2075				
	ग राष्ट्रीय इक्विटी निधि (एमईएफ) स्कीम - एमएच 2885				
	घ जल संरक्षण स्कीम के लिए नाबार्ड को अतिरिक्त बजटीय सहायता - एमएच 2416				
	योग क		3945.96	4463.00	
19	ए	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग			
	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
I	बुनियादी शिक्षा				
1	बाल भवन		30.95	35.00	
2	एनसीटीई		4.42	5.00	
II	प्रौढ़ शिक्षा				
3	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय		44.21	50.00	
4	एनएलएमए		17.68	20.00	मूल्यांकन किया जाना है।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
5	एनजीओ को अनुदान				
	(i) एसआरसी		176.83	200.00	
	(ii) क्षेत्रीय नव परिवर्तनकारी योजनाएं (एनजीओ, को सहायता + एसआरसी, एनआईईई+पीओपी.शिक्षा)		64.54	73.04	
	(iii) जन शिक्षण संस्थान (+दक्षता विकास मिशन 140 करोड़ रुपये)		353.66	00.00	
6	असाक्षरता उन्मूलन परियोजनाएं		884.15	1000.00	
7	पूर्वोत्तर के लिए सहायता		23.87	27.00	
8	ग्रौंड शिक्षा के विश्वविद्यालय विभाग द्वारा ग्रौंड शिक्षा अध्ययन		26.52	30.00	
III	माध्यमिक शिक्षा				
9	एनसीईआरटी		224.57	254.00	मूल्यांकन किया जाना है।
10	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय		88.42	100.00	मूल्यांकन किया जाना है, दाखिले, तबादले की क्रियाविधियां तथा अन्य मार्गदर्शी सिद्धांत, निधियों का प्रयोग पारदर्शिता के लिए वेबसाइट पर रखे जाने चाहिए।
11	नवोदय विद्यालय		4067.09	4600.00	
12	केन्द्रीय विद्यालय		1326.23	1500.00	
13	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)		36.25	41.00	
14	मंगोलिया में संयुक्त भारत मंगोलियन स्कूल योग ए		4.42	5.00	
			7373.82	8340.00	
बी	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें				
I	प्रारंभिक शिक्षा				
1	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)		62774.69	71000.00	इसका प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाए
2	डीपीईपी		114.94	130.00	
3	मध्याह्न भोजन		42439.23	48000.00	इसका प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाए
4	अध्यापक शिक्षा		3536.60	4000.00	
5	महिला समाख्या नई स्कीमें		185.67	210.00	
6	प्राथमिक शिक्षा पूर्व (1 वर्ष)		1768.30	2000.00	2008-09 में प्रारम्भ की जानी है।
7	परिष्कृत जीवन पर्यंत शिक्षा एवं जागृति कार्यक्रम (एलईएपी) (टीएलसी+पीएलपी+सीईपी)		3359.77	3800.00	
8	+35 आयु समूह के असाक्षरों के लिए साक्षरता कार्यक्रम		353.66	400.00	
9	माध्यमिक शिक्षा				
	एसयूसीसीईएसएस				
	(i) माध्यमिक स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता				
	(क) 60 लाख रुपये प्रति स्कूल 75:25 के अनुपात में की दर से 15000 यूपीएस को एसएस के रूप में क्रमोन्वयन।		5968.02	6750.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
	(ख) 40 लाख रुपए प्रति स्कूल (75:25) की दर से मौजूदा 44000 एएसएस का सुदृढीकरण		10167.73	11500.00	
	(ii) स्कूलों में आईसीटी		5304.90	6000.00	स्कूलों और संस्थानों में एकल पोर्टल पर आईसीटी का सर्वसुलभीकरण
	(iii) बालिका प्रोत्साहन		1326.23	1500.00	
	(iv) आईडीएसएस		884.15	1000.00	
	(v) 17 लाख अध्यापकों के लिए रुपये 1000 प्रति अध्यापक प्रति वर्ष की दर से सेवाकालीन प्रशिक्षण		1768.30	2000.00	
	(vi) विज्ञान प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के लिए				
	4 लाख रुपए/प्रयोगशाला-25000 स्कूलों को सहायता		769.21	870.00	
	(vii) न्यू माडल स्कूल (6000)		884.15	1000.00	
	(viii) व्यावसायिक शिक्षा		11272.92	12750.00	
10	2000 केजीबीवी (आवासीय स्कूल/छात्रावास) का क्रमोन्मुख		1768.30	2000.00	
11	ओएससी योग्यता/राष्ट्रीय साधन - सह - योग्यता छात्रवृत्ति योग्य बी		1485.37	1680.00	2008-09 में शुरू के जानी है।
	सकल योग (ए+बी)		156132.16	176590.00	
			163505.98	184930.00	
20		विदेश कार्य मंत्रालय			
ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	ताला विद्युत परियोजना		44.21	50.00	2007-08 में पूर्ण
2	दुंगरम सीमेंट परियोजना		274.09	310.00	इस संयंत्र के लिए एमईए की कुल प्रतिबद्धता 300 करोड़ रुपए की है।
3	पुनातसंगु जल विद्युत परियोजना (डीपीआर 07-08 के लिए)		1.47	1.66	
4	अफगानिस्तान में पुल-ए-खुमरी		265.25	300.00	
	नई स्कीमें				
1	कालादन बहु माडल पारगमन परिवहन परियोजना - म्यांमार		265.25	300.00	यह परियोजना सर्वथा अव्यवहारिक है और ईएफसी ने अनेक टिप्पणियां की हैं जिन्हें संशोधित किए जाने की जरूरत है।
2	पुनातसंगु-1 जल विद्युत परियोजना		1060.98	1200.00	
3	पुनातसंगु-1 जल विद्युत परियोजना के लिए निर्माण-पूर्व क्रियाकलाप		11.27	12.75	
4	चुनिदा सीमा चौकियों (5) का एकीकृत विकास		70.73	80.00	या तो विदेश कार्य मंत्रालय को या गृह मंत्रालय को चौकियों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि वेहशव/अतिव्याप्ति से बचा जा सके और उन्हें 5 वर्ष की बजाय 3 वर्षों में पूरा किया जा सके। इस मामले को सुलझाने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश कार्य मंत्रालय के साथ एक बैठक आयोजित की जाए।
5	नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क आधुनिक-तंत्र का विकास		61.89	70.00	
6	नेपाल में नौमूरे जल परियोजना		145.00	164.00	
	भारत और नेपाल के बीच सीमा पार रेल संपर्क		0.00	0.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
		नई स्कीमें - 2008-09 से			
		कमला नदी पर नदी तट का निर्माण	0.00	0.00	
		5600 एमडब्ल्यू पंचेश्वर बहुदेशीय परियोजना (एमपीपी)	0.00	0.00	
		330 एमडब्ल्यू सुनकोशी सप्तकोशी बहुदेशीय परियोजना	0.00	0.00	
		10800 एमडब्ल्यू करनाली विसापानी बहुदेशीय परियोजना	0.00	0.00	
		सकल योग	2200.13	2488.41	
21		भूमि-विज्ञान विभाग			
1		ध्रुवीय विज्ञान	241.37	273.00	ध्रुवीय और समुद्र विज्ञान कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
2		बहुधातीय नोज्यूल (पीएमएन) कार्यक्रम	282.04	319.00	समुद्र संसाधन सर्वेक्षण (नई विलयित स्कीम)
3		समुद्र प्रेक्षण और सूचना प्रणाली (ओओआईएस)	88.42	100.00	सूचना और सलाहकार सेवाएं (नई विलयित स्कीम)
4		समुद्री अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (एमआरटीडी)	284.70	322.00	प्रौद्योगिकी विकास/निर्देशन कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
5		महाद्वीपीय सैकत की बाहरी सीमाओं का वर्णन	5.30	6.00	
6		समुद्रतटीय अनुसंधान पोत तथा अन्य अनुसंधान पोत	68.96	78.00	अनुसंधान पोत/प्लेटफार्म (नई विलयित स्कीम)
7		राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी)	239.60	271.00	प्रौद्योगिकी विकास/निर्देशन कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
8		सूचना प्रौद्योगिकी	17.68	20.00	सूचना और सलाहकार सेवाएं (नई विलयित स्कीम)
9		व्यापक स्थलाकृतिक सर्वेक्षण	45.98	52.00	
10		गैस हाइड्रेट	49.51	56.00	समुद्र संसाधन सर्वेक्षण (नई विलयित स्कीम)
11		“सागर निधि” नामक अनुसंधान पोत का अभिग्रहण	154.73	175.00	अनुसंधान पोत/प्लेटफार्म (नई विलयित स्कीम)
12		जाटा ब्याय कार्यक्रम/एकीकृत स्थायी समुद्री प्रेक्षण	50.40	57.00	सूचना और सलाहकार सेवाएं (नई विलयित स्कीम)
13		सुनामी और तूफान चेतावनी प्रणाली	87.53	99.00	सूचना और सलाहकार सेवाएं (नई विलयित स्कीम)
14		राष्ट्रीय दक्षिण ध्रुवीय तथा समुद्र अनुसंधान केंद्र (एनसीएओआर)	59.24	67.00	ध्रुवीय और समुद्र विज्ञान कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
15		समुद्र सूचना सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय केंद्र (आईएनसीओआईएस)	100.79	114.00	सूचना और सलाहकार सेवाएं (नई विलयित स्कीम)
16		समुद्र अंत्रिम सुविधाएं	92.84	105.00	
17		मध्यम दर्जे के मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ)	61.01	69.00	वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
18		भारतीय ऊष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम)	211.31	239.00	
19		भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग (आईएमडी)			मौसम वैज्ञानिक सेवाएं (नई विलयित स्कीम)
		(i) अंतरिक्ष मौसम विज्ञान	44.21	50.00	
		(ii) कृषि मौसम वैज्ञानिक सलाहकार सेवाएं	38.90	44.00	
		(iii) भूकंपीय आपदा और जोखिम मूल्यांकन	329.79	373.00	
		(iv) संचालन और अनुसंधान	83.11	94.00	
		(v) विमानन मौसम विज्ञान	130.85	148.00	
		(vi) आईएमडी का आधुनिकीकरण (संचार, प्रेक्षण, चक्रवात चेतावनी, पूर्वानुमान, विमानन सेवाएं, इंस्ट्रुमेंटेशन, आधुनिक विकास	2219.22	2510.00	प्रौद्योगिकी विकास/निर्देशन कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
20		मानवयुक्त सबमर्सिबल का विकास	83.99	95.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
21	ओआरसी सागर कन्या बोर्ड पर बहु-चैनल भूकंपीय प्रणाली		62.77	71.00	शुवीय और समुद्र विज्ञान कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
22	उत्तर शुवीय क्षेत्र के लिए अभियान दल		40.67	46.00	प्रौद्योगिकी विकास/निर्देशन कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
23	अलवणीकरण संयंत्र		115.82	131.00	
24	राष्ट्रीय ओसनरियम		88.42	100.00	
25	समुद्र तटरेखा संरक्षण उपायों का निदर्शन		30.95	35.00	प्रौद्योगिकी विकास/निर्देशन कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
26	एकीकृत समुद्र ज़िलिंग कार्यक्रम जियोटेक्नोएक अध्ययन (आइओडीपी)		53.93	61.00	शुवीय और समुद्र विज्ञान कार्यक्रम (नई विलयित स्कीम)
27	हिम श्रेणी अनुसंधान पोत		389.03	440.00	अनुसंधान पोत/प्लेटफार्म (नई विलयित स्कीम)
28	मुख्यालय भवन		44.21	50.00	
29	बहु-आपदा शीघ्र चेतावनी समर्थन प्रणाली		17.68	20.00	
30	जलवायु परिवर्तन केन्द्र		142.35	161.00	
31	सर्मापित जलवायु चैनल और राष्ट्रमंडलीय खेल		75.15	85.00	
32	एनआईओटी विस्तार केन्द्र, पश्चिम बंगाल		28.29	32.00	
33	भूमि और वायुमंडलीय विज्ञानों में आर तथा डी सकल योग		31.83	36.00	
			6192.59	7004.00	

22

उर्वरक विभाग

केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

1	रुण सीपीएसई का पुनरुद्धार		537.00	607.36	(1) एफओ/एलएसएचएस आधारित संयंत्रों को गैस-आधारित संयंत्रों में बदलने के लिए उर्वरक विभाग पानीपत में विशाल एमुनिया इकाई स्थापित करने सहित विभिन्न संभावनाओं की खोज करेगा (2) सीपीएसई का पुनरुद्धार उपयुक्त और पुष्टियोग अध्ययन तथा डीपीआर की समय पर प्रस्तुति पर निर्भर करेगा।
2	4 मौजूदा एफओ/एलएसएचएस संयंत्रों को एनजी/एलएनजी में बदलने के लिए पूंजीगत सब्सिडी		782.58	885.12	
	सकल योग		1319.58	1492.48	

23

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

आदि

1	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का निर्माण आदि		147.26	166.56	11वीं योजना के लिए भंडारण क्षमता तैयार करने के वास्ते पीएफपीडी एक नई संशोधित स्कीम की पेशकश करेगा।
2	खाद्यान्न प्रबंध के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली (आईआईएसएफएम)		180.47	204.12	खाद्यान्न प्रबंध के लिए मूल्यांकन, मानीटरन और अनुसंधान तथा पीडीएस का सुदृढीकरण
3	पीडीएस का सुदृढीकरण		129.94	146.96	सरकार को इसके आधुनिकीकरण में सहयोग करना चाहिए जिसका वित्तपोषण पीपीपी के माध्यम से किया जाए।
4	एनएसआई कानपुर		10.83	12.25	प्रशिक्षण, मूल्यांकन और परामर्श की विभिन्न स्कीमों को 'प्रशिक्षण, मूल्यांकन और परामर्श' नामक एकल स्कीम के अधीन विलयित किया जाना चाहिए।
5	परामर्श, प्रशिक्षण और अनुसंधान		23.10	26.13	वीवीओ तथा वसा निदेशालय की प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लिए डीएफपीडी द्वारा एक डीपीआर प्रस्तुत की जाएगी।
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
6	ग्राम खाद्यान्न बैंक			122.00	137.98	मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आगे का वित्तपोषण इस मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।
	पीडीएस प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण		0.00	0.00	0.00	डीपीआर तैयार की जानी चाहिए। डीएफपीडी के एक राष्ट्रीय पोर्टल को पीडीएस, एफपीएस, एफसीआई गोदामों और स्वयं मंत्रालय के बारे में सभी जानकारी आनलाइन तथा वास्तविक समय आधार पर माखडूलों में उपलब्ध करानी चाहिए।
	सकल योग		613.60		694.00	
24		खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
1	आधारिक विकास के लिए स्कीम		2310.29	2613.00	2613.00	
2	खाद्य प्रसंस्करण के प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए स्कीम		530.49	600.00	600.00	
3	बाजारू भोजन की गुणवत्ता के स्तरोन्नयन के लिए स्कीम		157.38	178.00	178.00	
4	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों और अनुसंधान तथा विकास के लिए स्कीम		221.04	250.00	250.00	
5	मानव संसाधन विकास के लिए स्कीम		57.47	65.00	65.00	
6	संस्थान के सुदृढीकरण के लिए स्कीम		287.35	325.00	325.00	
	सकल योग		3564.01	4031.00	4031.00	
25		स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग				
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम					
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		2481.81	2807.00	2807.00	
2	ओवर्साइट समिति		1615.34	1827.00	1827.00	
3	संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए संस्थान का सुदृढीकरण		469.69	531.23	531.23	
4	अस्पतालों और औषधालयों का सुदृढीकरण		1027.68	1162.34	1162.34	
5	चिकित्सीय शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों का सुदृढीकरण		5876.98	6647.03	6647.03	इसमें से स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को प्राप्त होना है।
6	आणविक चिकित्सीय राहत/आपदा प्रबंध सहित प्रणाली सुदृढीकरण		978.38	1106.58	1106.58	
7	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना		3496.82	3955.00	3955.00	वृत्तीय स्वास्थ्य देखभाल को सुकर बनाने के लिए पीपीपी को प्रोत्साहित किया जाए।
	सीएस के अधीन नई पहले		6151.32	6957.32	6957.32	
8	पूर्वोत्तर में एनआरएएम के साथ अग्रिम तालमेल ⁸		795.74*	900*	900*	
9	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र		397.87	450.00	450.00	एनआईसीडी का विश्वस्तरीय रोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में पुनर्विकास।
10	मानकों के लिए सलाहकार बोर्ड		19.45	22.00	22.00	
11	रुधिर और रुधिर उत्पादों के लिए कार्यक्रम ⁹		397.87	450.00	450.00	
12	अस्पतालों/संस्थानों का पुनर्विकास योग ए		5336.13	6035.32	6035.32	
			22098.02	24993.50	24993.50	

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
ख		केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1	एनआरएचएम			76630.22	86671.00	वेतन घटक को योजनेतर में अंतरित कर दिया जाए; समयबद्ध वित्तीय और भौतिक लक्ष्य तय किए जाएं।
2	एसटीडी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम			5064.41	5728.00	सभी रोगों हेतु संयुक्त प्रयोगशाला सुविधा और पीपीपी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3	क. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम ख. तंबाकू नियंत्रण			2121.96 417.25	2400.00 471.92	कैंसर एवं तंबाकू पर नियंत्रण के कार्यक्रम को दो घटकों के रूप में चलाया जा सकता है। संक्रमक रोगों के कार्यक्रम के साथ इसे मिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
4	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम			884.15	1000.00	
5	औषधियों और पीएफए नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता			229.88	260.00	
6	अभिघात देखभाल में क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता			648.04	732.95	
7	सीएसएस के अधीन नई पहलें			12280.52	13889.63	
8	ई-स्वास्थ्य (डूरस्थ चिकित्सा सहित) मधुमेह, हृदवाहिका रोग तथा आघात के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम			161.80	183.00	
9	वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल			1468.13	1660.50	
10	जिला अस्पताल			353.66	400.00	
11	स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन#			2457.94	2780.00	
12	स्वास्थ्य बीमा आधारित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन			3536.60	4000.00	
13	मार्गदर्शी परियोजनाएं			3974.26	4495.00	2007-08 में शुरू नहीं किया गया। इसे 11वीं योजना में शुरू किया जा सकता है।
	(i)	खेलकूद चिकित्सा		79.57	90.00	कुछेक मार्गदर्शी परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी जो कि अंततः प्राप्त की गई सफलता और अनुभव पर निर्भर करेंगी और जिनका पैमाना बढ़ाया जाएगा तथा अधिकांश एनआरएचएम/एनयूचएम के अधीन रखी जाएंगी।
	(ii)	बहरापन		88.42	100.00	
	(iii)	लैटोस्पाइरोसिस नियंत्रण		3.96	4.48	
	(iv)	मानवीय रेबीज का नियंत्रण		7.65	8.65	
	(v)	चिकित्सीय पुनर्वास		44.21	50.00	
	(vi)	मुखीय स्वास्थ्य		22.10	25.00	
	(vii)	फ्लूरोसिस		60.12	68.00	
	(viii)	अंग प्रत्यारोपण		22.10	25.00	
	योग बी			21646.21	111153.50	
	सकल योग (ए +बी)			120374.45	136147.00	

§ पूर्वोक्त के लिए 10 प्रतिशत आबंटन के माध्यम से - विभिन्न स्कीमों से प्रायः ।
 * ओवर साइट समिति के लिए अतिरिक्त जरूरत इसके अधीन शामिल की जा सकती है।

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
26			भारी उद्योग विभाग			
1	(i)	राष्ट्रीय आटोमेटिव परीक्षण तथा आर और डी आधारीक परियोजना (एनएटीआरआईपी) तथा (ii) एफआईडी		1149.40	1300.00	डीएचआई का एनएटीआरआईपी तथा एफआईडी सचिवालय व्यय 11वीं योजना में जारी रखा जाएगा। ऐसे सीपीएसई को छोड़कर जिनकी पुनर्रचना पर विचार किया जाना बाकी है सीपीएसई/स्वायत्त संस्थान अनुमोदित पुनर्रचना, अनुमोदित स्कीमों और परियोजना आधारित स्कीम के लिए बजटीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त 'सीपीएसई/स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहयोग' नामक एक संयुक्त स्कीम के अधीन ला दी जाए। इस मामले में अन्य मंत्रालयों के अधीन इसी प्रकार के पार्कों के अनुभव पर विचार किया जाए। महत्वपूर्ण संतुलनकारी निवेश को त्याग दिया जाए। 11वीं व्यावसायिक और विशेष सेवाओं, अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा विज्ञापनों और प्रचार जैसे कुछेक घटकों को एक एकल स्कीम के रूप में 'व्यावसायिक और विशेष सेवाएं' के रूप में विलयित कर दिया जाए।
2		डीएचआई के तहत ईएसई की पुनर्रचना (बकाया प्रस्तावों के लिए एकमुश्त प्रावधान)		2147.87	2429.30	इस परियोजना को सीपीएसयू के आईईबीआर के जरिए पूरी तरह समर्थित किया जाना चाहिए।
3		सीपीएसई/स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहयोग		265.25	300.00	
4		पूजीगत माल क्षेत्रक के लिए आधुनिकीकरण निधि		44.21	50.00	
5		संवर्द्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमएआर)		8.84	10.00	
6		व्यावसायिक और विशेष सेवाएं		3.27	3.70	
7		सचिवालय व्यय (कंप्यूटीकरण) कायदा गैसीकरण निदर्शन परियोजना सकल योग		3618.83	4093.00	
27			गृह मंत्रालय			
1		पुलिस आवास		2210.38	2500.00	पुलिस आधारीक तंत्र स्कीम योजनेतर पक्ष में होनी चाहिए और योजना बजट के अधीन किसी घटक को लेने के लिए समुचित आधार होना चाहिए।
2		उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आधारीक तंत्र		442.08	500.00	
3		पुलिस शिक्षा और प्रशिक्षण पुलिस शिक्षा और प्रशिक्षण		66.31	75.00	ऐसे सभी संस्थानों के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे कार्यों को एक सांतत्य के रूप में समझा जाए। केवल दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों में क्षमताओं के स्तरोन्नयन के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार की जाए। संचार आधारीक-तंत्र का विस्तार अपराध सूचना/जासूसी प्रणाली का एक अंग होना चाहिए। वित्तीय प्रभावों सहित सभी क्रियाकलापों को योजनागत और योजनेतर के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सभी पुलिस भवन आधुनिक, कार्यत्मक, पारिस्थिकी अनुकूल, आईटी अनुकूल होने चाहिए और उनका अनुमोदन इसी के अधधीन होना चाहिए।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
4	बीपीआर तथा डी		132.62	150.00	
5	पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एनईपीए) का सुदृढीकरण		44.21	50.00	
6	एनपीए का एनपीयू के रूप में स्तरोन्नयन		1.77	2.00	
7	दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण		424.39	480.00	
	न्यायालयिक विज्ञान की स्कीम				
8	न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय - सीएफएसएल तथा जीईक्यूडी		265.24	300.00	सभी संस्थानों और पहले से चली आ रही प्रमुख स्कीमों का व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर गहन मूल्यांकन किया जाए।
9	सीएफएसएल का निदेशालय - सीएफएसएल (सीबीआई) नई दिल्ली		7.07	8.00	स्कीमों सुपरिभाषित परिणामों और लक्ष्यों सहित परियोजना पद्धति में तैयार और कार्यान्वित की जानी चाहिए। प्रत्येक स्कीम/परियोजना के लिए डीपीआर तैयार की जानी चाहिए। परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन को अलग-अलग किया जाना चाहिए। वित्तपोषण में भारी वृद्धि के लिए समूची अपराध जासूसी और न्यायपालिका विज्ञान प्रणाली का किसी आईआईएम द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बेहतर डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए न्यायालयिक विज्ञान अनुप्रयोगों के आधुनिकीकरण जैसी एक संयुक्त योजना। 11वीं योजना के लिए स्कीमों के नामकरण और प्रकृति को युक्तियुक्त बनाए जाने की जरूरत है।
10	राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा न्यायालयिक विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस)		13.26	15.00	
11	अपराध और आपराधिक लक्ष्यानुरण नेटवर्क और प्रणाली		1768.30	2000.00	
12	एनसीआरबी		8.84	10.00	
13	राजभाषा		35.37	40.00	राजभाषा विभाग की स्कीमों की एचआरडी की स्कीमों के साथ कोई अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए। कुछेक प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया जाना चाहिए और बाकी जेडीबीबी के अधीन छोड़ दिए जाने चाहिए।
	भारत का महापंजीयक				आरजीआई की स्कीमों को कुछेक संयुक्त स्कीमों के रूप में पुनर्गठित किया जाए।
14	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रणाली तथा अन्य स्कीमों में सुधार		132.62	150.00	
15	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर		265.25	300.00	
16	पूर्वोत्तर प्रभाग		4.42	5.00	इस विभाग के लिए नई नवाचारी स्कीम तथा प्रस्तावित उद्देश्य का पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए।
	मानव अधिकार विभाग				
17	मानव अधिकार भवन का निर्माण		4.42	5.00	
18	शिकायत कार्रवाई प्रबंध प्रणाली		8.84	10.00	एम्पबी और इसे चरणबद्ध करने की लागत की समीक्षा की जाए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के बाद सीएचएमएस को सहयोग प्रदान किया जाए।
19	राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अग्निशमन और आपातक सेवाओं का सुदृढीकरण		176.83	200.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
20	सभी अन्य आपदा प्रबंध स्कीमें/परियोजनाएं (अग्रिम चेतावनी प्रणालियों, क्षमता निर्माण, आपदाओं के लिए प्रोटोकाल, आपदाओं संबंधी राष्ट्रीय पोर्टल आदि का विकास)		88.42	100.00	
21	नागरिक सुरक्षा को चुरत बनाना सकल योग		88.42 6189.05	100.00 7000.00	
28	औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग				
	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम				
1	परिवहन सब्सिडी स्कीम		0.88	1.00	एनडीएमए तथा भूमि विज्ञान मंत्रालय के कार्यों को सहक्रिया के अधीन लाए जाने और एकीकृत किए जाने की जरूरत है।
2	आईसी तथा जेवी और भारत में एशिया उद्यम तथा निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलाप हाथ में लेना		85.76	97.00	और आगे का आबंटन गहन मूल्यांकन के अधीन होगा। आईसी तथा जेवी का पूंजी प्रोत्साहन क्रियाकलापों और ई-बिज मार्गदर्शी परियोजना के साथ विलयन इस स्कीम का एक अंग होना चाहिए।
3	विस्फोटक विभाग		10.61	12.00	सभी स्वायत्त संस्थानों और प्रमुख स्कीमों (जिनका वार्षिक परिव्यय 50 करोड़ रुपए से अधिक है) को और आगे जीबीएस सवितरण से पहले मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
4	पेटेंट कार्यालय (राजस्व) का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण		282.93	320.00	
5	स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहयोग सीएमटीआई सीपीआरआई भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) राष्ट्रीय डिजाइनिंग संस्थान (एनआईडी) एनसीसीबीएम आईआरएमआरए एनपीसी एनएमसीसी		493.36	558.00	नैनो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में शुरुआत एस तथा टी विभाग द्वारा की जानी चाहिए और डीआईपी को इसके दोहराव से बचना चाहिए। प्रत्येक स्वायत्त निकाय को परिव्यय उपलब्ध कराने के बजाय 'स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहयोग' की एक एकीकृत स्कीम बनाई जाए। बजटीय सहायता को जारी रखने का औचित्य सिद्ध करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा गहन मूल्यांकन किया जाए।
6	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)		1149.40	1300.00	परिव्यय के संवर्द्धन से पूर्व व्यय का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए।
7	नमक आयुक्त (एनएमएवाई के लिए)		4.42	5.00	प्रचालन की व्यवहार्यता के अनुसार एनएमएवाई को आईएवाई के साथ विलयित कर दिया जाए।
8	औद्योगिक आधारिक तंत्र स्तरोन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)				आईआईडीएस नाम के तहत आईआईयूएस का नया रूप केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। समुचित क्षेत्रीय विस्तार सुनिश्चित करने के लिए स्कीम का त्वरित मूल्यांकन।
9	प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन (नई पहल)*		928.36	1050.00	इस नई स्कीम के लिए समुचित औचित्य प्रस्तुत किया जाए।
10	दिल्ली मुंबई औद्योगिक कारीजोर विकास निगम योग		291.77 3247.49	330.00 3673.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
	केन्द्र प्रायोजित स्कीम				
11	एनईआईपी पैकेज (एकीकृत आधुनिक तंत्र विकास स्कीम सहित)		265.25	300.00	क्षेत्रीय विकास स्कीम की गहन छानबीन
12	अन्य विशेष श्रेणी राज्यों (पूर्वोत्तर को छोड़कर) के लिए पैकेज		176.83	200.00	
13	उन्नति केन्द्र स्कीम (पूर्वोत्तर को छोड़कर)		8.84	10.00	
	योग		450.92	510.00	
	सकल योग (ए+बी)		3698.40	4183.00	
29	सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग				
	I केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
	I अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)				
1	एसएमआईआर		130.85	148.00	
2	सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम		221.04	250.00	
3	प्रौद्योगिकी विकास परिषद (आईपीआर सहित)		309.45	350.00	
4	अभिसरण, संचार और सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स		176.83	200.00	
5	घटक सामग्री और फोटोनिक्स विकास कार्यक्रम		88.42	100.00	
6	सी-डेक		795.74	900.00	
7	स्वास्थ्य और दूरस्थ चिकित्सा में इलेक्ट्रॉनिक्स		88.42	100.00	
8	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास		88.42	100.00	
9	जनसाधारण के लिए आईटी (लिंग, एससी/एसटी)		137.93	156.00	
10	एशिया में मीडिया प्रयोगशाला		265.25	300.00	
	आर तथा डी उप-योग		2302.33	2604.00	
	II. आधुनिक-तंत्र विकास				
1	एसटीक्यूसी		291.77	330.00	
2	एसटीपीआई/ईएचटीपी		39.79	45.00	
3	डिजिटल डीएनए पार्क		8.84	10.00	
4	इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन		4413.68	4992.00	
5	आईटी अधिनियम में प्रमाण-पत्र सहित साइबर सुरक्षा		530.49	600.00	
6	अर्नेट (ईआरएनईटी)		8.84	10.00	
7	इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर निर्माण को प्रोत्साहन		972.57	1100.00	
	आधुनिक तंत्र उप-योग		6265.98	7087.00	
	III. मानव संसाधन विकास				
1	डीओईएसीसी		8.84	10.00	
2	जनशक्ति विकास		296.19	335.00	
3	एकीकृत टाउनशिपों की स्थापना को सुकर बनाना		53.05	60.00	
	एचआरडी उप-योग		358.08	405.00	

नोट : * अभी निर्णय नहीं लिया गया है

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
IV	अन्य				
4	अन्य-मुख्यालय (सचिवालय तथा भवन)		88.42	100.00	
5	एनआईसी		2033.55	2300.00	
	एचआरडी उप-योग		2121.96	2400.00	
	सकल योग		11048.35	12496.00	
30	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		277.63	314.00	
	ए सूचना				
1	पीआईबी		74.23	83.95	
2	प्रकाशन प्रभाग		2.20	2.49	
3	डीएवीपी		50.35	56.95	
4	आईआईएमसी		38.93	44.03	
5	फोटो प्रभाग		2.92	3.30	
6	डीएफपी		6.01	6.80	
7	गीत तथा नाटक प्रभाग		19.81	22.40	
8	आरआरटीडी		6.63	7.50	
9	आरएनआई		1.36	1.54	
10	मुख्य सचिवालय स्कीम (सूचना स्कंध)		75.19	85.04	
बी फिल्म			397.88	450.00	
1	फिल्म प्रभाग		62.64	70.85	
2	एनएफएआई		26.53	30.00	
3	फिल्मोत्सव निदेशालय		4.42	5.00	
4	सीएफएसआई		18.36	20.77	
5	सीबीएफसी		11.05	12.50	
6	एनएफडीसी		40.88	46.23	
7	एफटीआईआई		84.27	95.31	
8	एसआरएफटीआई		53.05	60.00	
9	मुख्य सचिवालय स्कीम (फिल्म स्कंध)		61.01	69.00	
सी प्रसारण			4133.49	4675.00	
1	एआईआर (एफएम सेवाओं के विस्तार सहित)		1430.59	1618.00	
2	दूरदर्शन		2680.80	3032.00	
3	मुख्य सचिवालय स्कीम (प्रसारण स्कंध)		22.10	25.00	
	सकल योग (एनबी+सी)		4809.00	5439.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
31		न्याय विभाग			
ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	एडीबी (ईएपी) के सहयोग से 'भारतीय न्यायकरण' परियोजना के लिए घरेलू संसाधन (नई स्कीम)		3.60	4.07	
2	भारतीय न्यायकरण परियोजना (एडीबी) (नई स्कीम) योग ए		1.45	1.64	
			5.05	5.71	
बी	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटीकरण		654.80	740.60	
2	न्यायपालिका के लिए क्षमता निर्माण और आधारिक तंत्र सुविधाएं क. विधायिकाविहीन संघशासित क्षेत्रों को ख. राज्य सरकारों को ग. विधायिका सहित संघराज्य क्षेत्रों को		619.86	701.08	
3	न्याय सुधारों और निर्धारण अवस्था का अध्ययन (नई स्कीम) योग बी सकल योग (ए+बी)		20.00	22.62	
			1294.66	1464.30	
			1299.71	1470.01	
32		श्रम और रोजगार मंत्रालय			
ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
I	डीजीई तथा टी (रोजगार)		29.53	33.40	
1	कार्यालय भवन, स्टफ क्वार्टर और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण		19.45	22.00	
2	कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं और ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए नए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को जारी रखना और उनकी स्थापना		5.66	6.40	
3	शिक्षण, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार तलाशने वाले एससी/एसटी व्यक्तियों का कल्याण और मौजूदा सीजीसी में नए पाठ्यक्रम लागू करना और जो राज्य अभी तक कवर नहीं किए गए हैं उनमें नए सीजीसी की स्थापना		4.42	5.00	
II	डीजीई तथा टी (प्रशिक्षण)		102.52	115.95	
4	नेशनल इंस्ट्रुक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई		12.11	13.70	
5	प्रशिक्षण का स्तरोन्नयन		9.73	11.00	
6	महिलाओं के प्रशिक्षण का वैविध्यकरण, स्तरोन्नयन और विस्तार		15.47	17.50	
7	जमशेदपुर और बंगलौर में स्थित फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान		5.30	6.00	
8	माडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (एमआईटीआई)		8.84	10.00	
9	उन्नत/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का वैविध्यकरण, स्तरोन्नयन और विस्तार तथा उच्च तकनीकी प्रशिक्षण लागू करना		22.10	25.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
10	प्रशिक्षकों के कौशलों और एमआईएस का सुदृढीकरण		4.64	5.25	
11	सीएसटीएआरआई सहित डीजीई तथा टी संस्थानों में प्रशिक्षण आधारिक-तंत्र का स्तरोन्नयन		7.96	9.00	
12	डीजीईएडटी मुख्यालय में परियोजना कार्यान्वयन और ट्रेड परीक्षण उपकरणों का निर्माण तथा आरबीटीआई के लिए स्थापना (कोलकाता, हिसार, इलाहाबाद, इंदौर, भुवनेश्वर, वड़ोदरा, जयपुर और तूर)		3.09	3.50	
13			13.26	15.00	
III	औद्योगिक संबंध		41.38	46.80	
14	न्याय निर्णय तंत्र का सुदृढीकरण और लोक अदालतों का आयोजन करना		11.32	12.80	दो स्कीमें अर्थात् (क) न्याय निर्णय तंत्र का सुदृढीकरण और (ख) सीजीआईटी-एवं श्रम न्यायालयों में शिकायत निवारण के एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में लोक अदालतों का आयोजन इसके अधीन विलयित कर दिया गया है।
15	बेहतर समाधान और सीएलसी तथा आरएलसी में कार्यालय आधारिक-तंत्र के स्तरोन्नयन के लिए तंत्र		28.29	32.00	दो स्कीमें अर्थात् (क) सीएलसी (सी) तथा आरएलसी (सी) एनडी में कार्यालय आधारिक-तंत्र के स्तरोन्नयन तथा (ख) बेहतर समाधान और निवारक मध्यस्थता तंत्र तथा श्रम कानूनों का और अधिक प्रभावी प्रवर्तन इसके अधीन विलयित कर दी गई हैं।
16	केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण स्कंध का सुधार और सुदृढीकरण		1.77	2.00	
IV	केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई)		44.21	50.00	
17	केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई)		44.21	50.00	
V	बाल श्रम		579.16	655.05	
18	बाल श्रम सेल		0.04	0.05	इसे योजनेतर में अंतर्गत किया जाएगा।
19	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित)		552.59	625.00	
20	समस्तुल्य अमरीकी अनुदान सहित भारत-अमरीकी सीएलपी (इंडस)		26.52	30.00	
VI	महिला श्रमिक		2.40	2.71	
21	महिला सेल		0.01	0.01	योजनेतर को अंतर्गत किया जाना है।
22	स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान		2.39	2.70	
VII	श्रम ब्यूरो		38.02	43.00	
23	औद्योगिक कामगार 2001 शृंखलाओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रम जांच		7.07	8.00	“श्रम सांख्यिकी” के तहत विलयित किया जाना है।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
24	श्रम सांख्यिकी		13.26	15.00	(क) श्रम के विभिन्न क्षेत्रों के समाजार्थिक सर्वेक्षणों, (ख) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (प्रतिवर्ष क्षेत्र का विस्तार) के तहत श्रम सांख्यिकी के संग्रह, (ग) व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (छठ) चक्र, (घ) मशीन सारणीकरण यूनिट के आधुनिकीकरण, (ङ.) कृषि और ग्रामीण के लिए सीपीआई सहित ग्रामीण श्रम जांच को मिलाने के बाद उभरा है।
25	श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली में सुधार		17.68	20.00	
VIII महानिदेशक खान सुरक्षा (डीजीएमएस)					
26	खान दुर्घटना विश्लेषण और सूचना डाटाबेस का आधुनिकीकरण (एमएमआईडी)		34.35	38.85	
27	डीजीएमएस के मुख्य कार्यों का सुदृढीकरण (एसओसीएफओडी)		10.61	12.00	योजनाएं (1) खान दुर्घटनाओं का अध्ययन और सूचना प्रणाली का विकास (सोमा) तथा (2) डीजीएमएस में सर्वेक्षण का आधुनिकीकरण खानों के डिजिटाइजेशन और आटोमेटिड सर्वे सिस्टम (एमएससी) तथा खान प्रबंधन संबंधी डाटा बेस सूचना के आधुनिकीकरण की योजनाओं को मिला दिया गया है।
28	डीजीएमएस के लिए आधारीक सुविधाएं प्रदान करके दक्षता में सुधार लाना (पीआईएफ)		14.68	16.60	योजनाओं (1) विज्ञान एवं तकनीकी क्षमता का अपवर्धन, खान सुरक्षा सेवाएं, एवं मानव संसाधन विकास (एस एंड टी) और (2) मशीनरी का सुदृढीकरण जिससे कि वैधानिक परीक्षण किए जा सकें (एसएसईएक्स) को मिला दिया गया है।
IX महानिदेशक कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डीजीएफएसएलआई)					
29	एक नए क्षेत्रीय श्रम संस्थान की स्थापना		22.10	25.00	
30	डीजीएफएसएलआई संगठन तथा कारखानों, पतनों और गोदियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का सुदृढीकरण		8.84	10.00	
31	राष्ट्रीय श्रम संस्थान (एनएलआई)		13.26	15.00	
31	राष्ट्रीय श्रम संस्थान		22.10	25.00	
X अन्य स्कीमें					
32	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्कीम		10.17	11.50	
33	श्रम संबंधी विषयों में अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान		8.84	10.00	
34	सीएस के अधीन नई स्कीमें		1.33	1.50	
34	कौशल विकास (मिशन पद्धति)		4.43	5.01	
	योग ए		4.43	5.01	
			930.37	1052.27	

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
बी						
I						
1	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें					
	डीजीई एवं टी (प्रशिक्षण)			117.00	132.33	
2	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम में नई आईटीआई की स्थापना और जम्मू तथा कश्मीर राज्य में आईटीआई का सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण			55.11	62.33	
3	100 आईटीआई का उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में स्तरोन्नयन			61.89	70.00	
	अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों के लिए कौशलों का परीक्षण और प्रमाणन					
II						
4	डीजीएलडब्ल्यू			13.26	15.00	
	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास			13.26	15.00	
	सीएसएस के अधीन नई स्कीमें			1149.40	1300.00	
III						
5	डीजीई तथा टी (प्रशिक्षण)			574.70	650.00	
6	पीपीपी के माध्यम से कौशल विकास पहल			486.28	550.00	
	केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार तथा बेहतरी के लिए बाह्य सहायित परियोजना			88.42	100.00	
IV						
7	डीजीएलडब्ल्यू			574.70	650.00	
8	असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा			265.25	300.00	
	असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा			309.45	350.00	
	योग बी			1279.66	1447.33	
	सकल योग (ए+बी)			2210.02	2499.60	

इसका परित्याग किया जाना है क्योंकि क्रियाकलाप कौशल विकास पहलों के अधीन किए जाते हैं।

33

भू-संसाधन विभाग

	1	2	3	4	5	6
ए						
1	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें					
	व्यावसायिक समर्थन, क्षमता निर्माण, एम तथा ई, आईसी तथा संबद्ध क्रियाकलाप, टीडीईटी, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति का कार्यान्वयन/मानीटरन आदि			428.25	484.36	(1) बेहतर जल विभाजक प्रबंध के लिए व्यापक और परिणामोन्मुखी मास्टर योजना तैयार की जाए (2) भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, राजस्व तंत्र का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाना, व्यापक आधुनिकीकरण भू-अभिलेखों को 'व्यापक भू-संसाधन प्रबंध के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' शीर्ष के अधीन एकीकृत किया जाए (3) एम तथा ई, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक समर्थन को 'मानीटरन तथा क्षमता निर्माण' नामक एकीकृत कार्यक्रम में विलयित किया जाए (4) पहले से चले आ रहे कार्यक्रम का किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर गहन मूल्यांकन किया जाए।
2	अन्य			39.67	44.87	
	योग ए			467.92	529.23	
बी						
1	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें					
	एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम (क) डीपीएपी					
2	(ख) डीपीपी (ग) आईडब्ल्यूडीपी					
	व्यापक संसाधन प्रबंध के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (क) सीएलआर			15359.46	17372.00	
3	(ख) एसआरए तथा यूएलआर, (ग) सीएमएलआर			513.69	581.00	जैव डीजल कार्यक्रम को आईडब्ल्यूएमपी के साथ विलयित किया जाना है।
	जैव ईंधन			403.17	456.00	

(अनुबंध जारी)

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
4	ईएपी योग बी सकल योग (ए+बी)		461.24 16737.57 17205.49	521.67 18930.67 19459.90	
34		खान मंत्रालय			
1	एमईसीएल		44.19	50.00	
2	जीएसआई		901.58	1020.00	
3	आईबीएम		79.55	90.00	
4	एस तथा टी सकल योग		17.68 1043.00	20.00 1180.00	
35		अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय			
ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान		442.08	500.00	‘वक्फों के विकास के लिए एनएमडीएफसी को अतिरिक्त इक्विटी अंशदान’ नामक स्कीम एनएमडीएफसी को सहायता अनुदान के साथ मिला दी गई है।
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)		442.08	500.00	
3	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क शिक्षण और संबद्ध स्कीम		39.79	45.00	
4	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास स्कीमों के संबंध में अनुसंधान/अध्ययन, मनीटरिंग और मूल्यांकन		30.95	35.00	
5	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को सहायता अनुदान		17.68	20.00	
	योग ए		972.57	1100.00	
बी	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता एवं साधन छात्रवृत्ति		530.49	600.00	
	सीएसएस में नई स्कीमें				
2	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां		1237.81	1400.00	
3	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां		1016.77	1150.00	
4	अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले चुनिंदा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम		2431.41	2750.00	
	योग बी		5216.49	5900.00	
	सकल योग (ए+बी)		6189.05	7000.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
36		सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय			
ए	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
1	प्रौद्योगिकी सहयोग संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता (टूल रूम, सीएलसीएसएस, आईएसओ)		1374.85	1555	मौजूदा टूल रूमों तथा नए टूल रूम स्थापित करने के लिए संवर्द्धित आबंटन
2	प्रोन्नयक सेवा संस्थान और कार्यक्रम		306.80	347.00	
3	एमएसएमई संकुल विकास कार्यक्रम तथा एमएसएमई उन्नति पोल		583.54	660.00	
4	उधार सहयोग कार्यक्रम (उधार गारंटी, सूक्ष्म वित्त, महिला उद्यम प्रोन्नति, एससी, एसपी, पीएसपी, अल्पसंख्यक घटक)		919.52	1040.00	
5	बाजार विकास सहायता		42.44	48.00	
6	जटा आधार का स्तरोन्नयन		88.42	100.00	
	डीसी का उप-योग (एमएसएमई)		3315.56	3750.00	
	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम				
7	विपणन सहायता स्कीम		53.93	61.00	
8	निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम		46.86	53.00	
9	इनक्यूबेटर/एसई स्थापना कार्यक्रम (एनएसआईसी) का उप-योग		17.68	20.00	
			118.48	134.00	
	अन्य स्कीम				
10	सर्वेक्षण अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान		3.09	3.50	
11	मैट्रो तथा लघु उद्यमों का प्रोत्साहन और हैजहोल्डिंग		61.01	69.00	
12	प्रशिक्षण संस्थान		22.99	26.00	सभी स्वायत्त निकायों/संस्थानों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और निष्कर्ष शामिल किए जाने चाहिए। सभी प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों की मौजूदा पाठ्यक्रमों को पुस्त बनाए और उद्योग की जरूरत के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। आधारिक तंत्र का स्तरोन्नयन करने के लिए मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों को तथा नए केन्द्र/संस्थान स्थापित करने के लिए सहायता।
13	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग		8.84	10.00	
14	असंगठित क्षेत्र में उद्यमों का राष्ट्रीय आयोग		6.63	7.50	
	अन्य स्कीमों का उप-योग		102.56	116.00	
	एमएसएमई का योग		3536.60	4000.00	

नोट : † पीएमआरवाई तथा आईजीपी को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन मिलने के बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई स्कीम में विलयित कर लिया जाएगा।

(अनुबंध जारी)

1 2 3 4 5 6

बी कृषि और ग्रामीण उद्योग

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

(क) खादी

1	खादी अनुदान (खादी के लिए 10 करोड़ रुपए के एमडीए सहित)	761.13	860.86		
2	खादी आर तथा डी, खादी उद्योगों और दस्तकारों की उत्पादकता और प्रतियोगिता के संवर्द्धन के लिए स्कीम तथा खादी - ब्याज सब्सिडी और ऋण खादी का उप-योग	110.52	125.00	985.86	

(ख) ग्रामोद्योग

3	ग्रामोद्योग, अनुदान, ऋण, ब्याज सब्सिडी, एचआरडी, विपणन	327.68	370.62		
4	पुनर्रचित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)*	2873.49	3250.00		
5	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) वर्धा की स्थापना	14.44	16.33		
6	खादी बुनकरों के लिए वर्कशेड एवं आवास स्कीम	83.99	95.00		
7	डुर्बल संस्थानों के लिए उपचर्या निधि सहित खादी संस्थानों के लिए आधुनिक-तंत्र के विकास के निमित्त पैकेज	44.21	50.00		
8	खादी उद्योगों की उत्पादकता के संवर्द्धन के लिए स्कीम	79.57	90.00		
	ग्रामोद्योगों का उप-योग	3423.39	3871.95		
	केवीआईसी का योग	4295.04	4857.81		

कॉयर बोर्ड

9	कॉयर उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास तथा जीर्णोद्धार	125.55	142.00		
	आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन				
10	प्रशिक्षण, विस्तार, गुणवत्ता सुधार, महिला कॉयर योजना तथा कल्याण उपाय	124.14	140.41		
	कॉयर बोर्ड का योग	249.69	282.41		
11	प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)*				
	पीएमआरवाई तथा ईडीपी के लिए सब्सिडी	2024.70	2290		

स्फूर्ति

12	परंपरागत उद्योगों के पुनः सृजन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)	61.70	69.78		
	ए तथा आरआई का योग	6631.13	7500		
	एमएसएमई का सकल योग	10167.73	11500		

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
37			नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा			
1	ग्रिड (जीआरआईडी) अन्योन्यक्रियापूर्ण विद्युत और वितरित नवीकरणीय विद्युत			442.08	500.00	वेतन घटक सहित स्थापना का अगले वर्ष से विभिन्न स्कीमों के अधीन योजनागत तथा योजनागत में विभाजन। पूर्वोक्त में लघु जल विद्युत, पवन विद्युत तथा बायोमास/कोजनरेशन पर बल देते हुए प्रमुख स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन। संवर्धित वित्तपोषण मूल्यांकन और निष्कर्षों के समावेशन पर निर्भर करता है।
2	ग्रामीण प्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा			1105.19	1250.00	
3	शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा			442.08	500.00	
4	आर तथा डी			1060.98	1200.00	आर तथा डी संबंधी क्षेत्र कार्यक्रम के तहत तीन तकनीकी संस्थान। आर तथा डी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता। आर तथा डी को उच्चतर आबंटन सहित सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जीबीएस सब्सिडियों के लिए नहीं बल्कि आर तथा डी के लिए होनी चाहिए।
5	सहायक कार्यक्रम (जागरूकता सृजन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी, एचआरडी तथा प्रशिक्षण, एम तथा ई, आईआईडीए, राज्य सरकार और उद्योग को सहायता)			397.87	450.00	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एचआरडी, प्रशिक्षण और संगोष्ठियों से संबंधित स्कीमों योजना शीर्ष के अधीन बनाए रखी जाएगी।
6	10वीं योजना की चली आ रही देयताएं (आईआईसीपी) सकल योग			88.42 3536.60	100.00 4000.00	
38			लोक उद्यम विभाग			
1	सीपीएसयू के युक्तियुक्त कामगारों का पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती			42.00	47.50	स्कीम की पुनर्रचना/दिशा-अनुकूलन के वास्ते पिछले दो वर्षों में वीआरएस के इच्छुक व्यक्तियों की मौजूदा/अभिप्रेत क्रियाकलाप स्थिति का सर्वेक्षण। पुनरुद्धार धकेज वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर होने चाहिए। तुलन-पत्र का शोधन प्रयोजन की पूर्ति नहीं करेगा और जनशक्ति युक्तियुक्तकरण महत्वपूर्ण है।
2	नई स्कीम (08-09) अनुसंधान विकास और परामर्श (i) आईपीई हैदराबाद को सहायता (ii) आईपीई द्वारा एसएलपीई पर वार्षिक सर्वेक्षण (iii) एनएफसीजी की कॉर्पस निधि में अंशदान (iv) विषयगत परामर्श और अध्ययन (v) सीपीएसई के सामान्य मुद्दों पर संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आदि सकल योग			5.75	6.50	नियमित आधार पर एसएलपीई के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 11वीं योजना में इन दो स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है। डीपीई द्वारा नए क्रियाकलाप शुरू करने के लिए अनुसंधान विकास और परामर्श के रूप में एक नई स्कीम शुरू की गई है।
39			कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
1	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें सभी का प्रशिक्षण परियोजना आकलन के लिए प्रशिक्षण क्रियाकलापों और क्षमता निर्माण के वास्ते सहायता			59.68	67.50	(1) गहन मूल्यांकन के बाद विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
2	विदेशी प्रशिक्षण के लिए घरेलू वित्तपोषण			60.30	68.20	राज्यों में एटीआई का स्तरोन्नयन किया जाना जरूरी है। डीओपीटी को राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य एटीआई के सुदृढीकरण के लिए एक नई सीएसएस तैयार करनी चाहिए। (2) 06-07 के दौरान घरेलू वित्तपोषित विदेशी प्रशिक्षण पर किया गया खर्च 'सभी के लिए प्रशिक्षण' स्कीम के अधीन घरेलू प्रशिक्षण पर किए गए खर्च की तुलना में बहुत अधिक है। इसे व्यक्तिगत बनाए जाने की जरूरत है। (3) ईएपी स्कीमें समेकित की जाएंगी और उन्हें व्यापक बनाया जाएगा। (4) एलबीएसएनएनए को विश्व स्तरीय गुणवत्ता के लिए वैश्विक उत्कृष्टता के केंद्र 'आईएसएस तथा अन्य शीर्षस्थ सिविल सेवाओं के लिए मध्य जीवनवृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम' के रूप में स्तरोन्नत किए जाने की जरूरत थी। (5) डीओपीटी की प्रत्येक योजनागत स्कीम का मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। (6) 'ई-अधिप्राप्ति' को एक समयबद्ध ढंग से सर्वसुलभ बनाया जाए। (7) राज्य सतर्कता विभागों के सुदृढीकरण के लिए डीओपीटी एक योजनागत स्कीम प्रस्तुत करेगा। (8) संस्कृति विभाग द्वारा कार्यान्वित 'सार्वजनिक पुस्तकालय' की स्कीम मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अंतरित कर दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित करने के लिए एआरपीजी विभाग एक टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।
3	आईआईपीए को अनुदान			8.84	10.00	
4	आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं का संवर्द्धन			3.82	4.32	
5	यूननडीपी - (i) एसटीआई का सुदृढीकरण (ii) नागरिकों के लिए सूचना की सुलभता (iii) सूचना की सुलभता के लिए क्षमता निर्माण			31.03	35.10	
6	निर्धनता शमन के लिए क्षमता निर्माण के वास्ते			30.95	35.00	
7	डीएफआईडी परियोजना (प्रशिक्षण घटक)			95.49	108.00	
	एलबीएसएनएनए में आधारिक-तंत्र तथा अनिवार्य सुविधाओं का स्तरोन्नयन			38.02	43.00	
	(क) एलबीएसएनए का उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्तरोन्नयन			62.60	70.80	
	(ख) राष्ट्रीय उत्तम अभिशासन केंद्र की स्थापना			14.32	16.20	
8	प्रशासनिक सुधारों के लिए योजनागत स्कीमें			4.77	5.40	
9	प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना			52.52	59.40	
10	सीबीआई की योजनागत स्कीम			3.34	3.78	
	(क) सीबीआई के लिए प्रशिक्षण केंद्र का आधुनिकीकरण			7.16	8.10	
	(ख) सीबीआई मुख्यालय भवन का निर्माण			16.36	18.50	
11	सीआईसी की योजनागत स्कीम			2.39	2.70	
	(क) सीआईसी की अन्य योजनागत स्कीमें			491.59	556.00	
	(ख) सीआईसी कार्यालय भवन के निर्माण की नई स्कीम					
12	पेशनमोगियों का पोर्टल					
	सकल योग					
40						
1	डाक नेटवर्क की सुलभता			48.73	55.11	इस कारोबार का विस्तार किए जाने की जरूरत है। प्रचालनों के निगमीकृत किए जाने की शर्त के अध्वधीन पर्याप्त प्रारंभिक योजनागत वित्तपोषण उपलब्ध कराया जा सकता है।
2	डाक प्रचालन			416.33	470.88	
3	बैंकिंग तथा मुद्रा अंतरण प्रचालन			125.99	142.50	
4	बीमा प्रचालन			30.95	35.00	
5	डाक टिकट संग्रह प्रचालन			13.26	15.00	
6	संपदा प्रबंध			112.12	126.81	
7	आईटी प्रवेश-डाक प्रचालन			2387.21	2700.00	
8	सामग्री प्रबंध			44.21	50.00	
9	मानव संसाधन प्रबंध			88.81	100.45	प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किए जाने की जरूरत है जिससे कि सभी को विशेष रूप से उत्तम परिष्पारियों में प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जा सके।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
10	विपणन, अनुसंधान और उत्पाद विकास		263.37	297.88	
11	गुणवत्ता प्रबंध सकल योग		5.63 3536.60	6.37 4000.00	
41		विद्युत मंत्रालय			
1	एनएचपीसी		0.88	1.00	2007-08 के दौरान उपलब्ध कराए गए 1 करोड़ रुपए के अलावा एनएचपीसी को कोई जीबीएस नहीं दिया जाएगा।
2	टीएचजीसी		263.44	297.96	
3	एसजेबीएन		291.77	330.00	
4	नीपको (एनईईपीसीओ)		1821.26	2059.90	
5	विद्युत मंत्रालय (अन्य)				
	(i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण		115.91	131.10	
	(ii) केन्द्रीय विद्युत व्यापार संस्थान		49.41	55.89	
	(iii) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान		110.52	125.00	
	(iv) आईसी - आरजीजीवाई के लिए ब्याज सब्सिडी		23432.64	26503.00	और अधिक फोकस तथा निधियों के नियमित प्रवाह सहित आरजीजीवाई को 11वीं योजना में जारी रखा जाएगा।
	(v) एपीडीआरपी-रूः परियोजना के लिए परामर्श प्रभार तथा समर्थनकारी क्रियाकलाप		383.72	434.00	एपीडीआरपी-कार्यक्रम को निष्पादन के आधार पर 100 प्रतिशत ऋण वित्त पोषण के माध्यम से अनुदान के रूप में सहायता दी जाएगी। एपीडीआरपी-II हेतु राशि के रूप में सीपीएसयू (पीएफसी और आरईसी) द्वारा जीबीएस नहीं दिया जाएगा। एपीडीआरपी को किंचित पुनर्संरचना सहित 11वीं योजना में जारी रखा जाएगा।
	(vi) विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक अवाई स्कीम		1.14	1.29	
	(vii) भावी जनरेशन परियोजना		44.21	50.00	
	(viii) बीईई		149.31	168.87	
	(ix) ऊर्जा बचत				इसे बीईई में विलयित कर लिया जाएगा क्योंकि दोनों एकसमाज प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं।
	(x) कंप्यूटीकरण तथा कार्यालय उपकरण		4.33	4.90	वेतन घटक सहित स्थापना का अगले वर्ष से योजनागत तथा योजनांतर में विभाजन। विद्युत मंत्रालय (अन्य) के ऐसे कुछ घटक 2008-09 में समाप्त कर दिए जाएंगे क्योंकि योजनागत बजट के अधीन क्रियाकलाप समाप्त हो चुके हैं।
	(xi) मूल्यांकन अध्ययनों और परामर्श के लिए निधियां				
	(xii) संयुक्त एसईआरसी की स्थापना				
	(xiii) क्षमता निर्माण के लिए सहायता				
	(xiv) इक्विटी अंतराल वित्तपोषण के लिए स्कीम		255.52	289.00	
	सकल योग		26924.08	30451.91	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
42	ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	पंचायती राज मंत्रालय		
1		पंचायत अधिकारिता और जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम	101.68	115.00	इसे 2008-09 से योजनेतर में अंतरित किया जाएगा। इसे योजनेतर के रूप में पुनर्चित किया जा सकता है।
2		प्रबंध सेल	6.19	7.00	
3		अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंशदान	0.09	0.10	
4		पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए आर्बटन	77.47	87.62	
5		यूएन एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन विदेशी सहायता योग ए	38.02	43.00	
			223.44	252.72	
	बी	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
1		मीडिया प्रचार और पक्षपोषण सहित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना योग बी	551.40	623.65	मीडिया प्रचार और पक्षपोषण को आरजीएसवाई में विलयित कर लिया गया है।
		सकल योग (ए+बी)	551.40	623.65	
			774.84	876.37	
43	ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	योजना मंत्रालय		
1		योजना	14.35	16.23	
2		सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम	21.53	24.35	
3		नवीकरण और बदलाव	4.78	5.41	
4		सूचना प्रौद्योगिकी	9.57	10.82	
5		प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	14.35	16.23	
6		राष्ट्रीय ज्ञान आयोग	57.41	64.93	
7		आयोजना के लिए 50वें वर्ष की पहल	124.39	140.69	
8		सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढीकरण			
		अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
		(क) योजना आयोग के लिए सामयिक रुचि के विषयों पर अध्ययन शुरू करने के लिए आईएमआर को सहायता अनुदान	14.35	16.23	
		(ख) प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थानगत विकास आदि के लिए विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान	9.57	10.82	
		(ग) आयोजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता (व्यावसायिकों के लिए भुगतान आदि)	4.78	5.41	
		(घ) राज्य मानव विकास रिपोर्टों के लिए क्षमता निर्माण के निमित्त यूएनडीपी सहायता	90.90	102.81	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
		(ड.) निर्धनता के शमन के लिए ग्रामीण विकेन्द्रीकरण और सहभागितापूर्ण आयोजना के वास्ते यूएनडीपी सहायता	28.71	32.47	
		(च) अन्य व्यय (आधुनिकीकरण तथा आईटी आदि)	35.88	40.58	
		योग ए	430.58	487.00	
बी		ऊर्जा आर एंव डी	2210.38	2500.00	
सी		कौशल विकास	20158.63	22800.00	
		योग (ए+बी+सी)	22799.59	25787.00	
44		राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	174.18	197.00	
		योग	174.18	197.00	
45		पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
		ग्रामीण विकास मंत्रालय			
		केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें			
1		कापार्ट को सहायता	221.04	250.00	स्थापना प्रभार योजनेतर को अंतर्गत किए जाएंगे और संगठन का गहन मूल्यांकन किया जाएगा।
2		राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	92.84	105.00	स्थापना प्रभार योजनेतर को अंतर्गत किए जाएंगे और संगठन का गहन मूल्यांकन किया जाएगा।
3		आरखी कार्यक्रमों को प्रबंध सहायता तथा कार्यक्रमों के एवज में जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण	486.28	550.00	एमओआरडी तथा एमओपीआर के तहत प्रशिक्षण एकीकृत किया जाएगा।
4		एससी कल्याण - माडल गांव पर ईजीओएम	800.16	905.00	मंजूरी की प्रतीक्षा है।
		योग ए			
		केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
1		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	88415.06	100000.00	जारी रखी जाएगी।
2		ग्रामीण आवास/आईएवाई	23767.92	26882.21	जारी रखी जाएगी।
3		पीएमजीएसवाई	38240.46	43251.07	जारी रखी जाएगी।
4		एसजीआरवाई	4951.24	5600.00	समाप्त की जाएगी।
5		एसजीएसवाई	15740.53	17803.00	जारी रखी जाएगी।
6		डीआरडीए प्रशासन	187.44	212.00	2007-08 में परित्याग कर दिया जाएगा। इसे राज्य सरकार के तहत योजनेतर में अंतर्गत किया जाएगा।
7		ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए)	247.56	280.00	
		योग बी	171550.22	194028.28	
		सकल योग (ए+बी)	172350.38	194933.28	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
46	ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग		
1		बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं - एनएचएआई	4454.00	5037.57	
		क. एनएचएआई को अनुदान	3563.20	4030.06	
		ख. एनएचएआई को ऋण	890.80	1007.51	
2		मशीनरी तथा उपकरण और यात्रा व्यय सहित एनएच (मूल)	16500.00	18662.00	
3		बीआरडीबी के तहत निर्माण कार्य	2500.00	2827.55	
4		बीआरडीबी के अधीन सामरिक सड़कें	500.00	565.51	
5		एनएचएआई (निवेश)	36238.00	40985.95	
6		पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	9562.00	10814.83	
7		कालादान बड़े माडल परियोजना	315.65	357.01	
8		गंगा, मुंगेर में रेल सह-सड़क सेतु	392.00	443.36	
9		बोगीबील, असम में रेल एवं सड़क सेतु	700.00	791.71	
10		अन्य प्रभार तथा आईटी	200.00	226.20	
11		आर तथा डी और प्रशिक्षण			
12		प्रभासित व्यय			
		उप-योग (ए)	71361.65	80711.69	
	बी	सड़क परिवहन			
13		सड़क सुरक्षा ¹ (माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल का 2007-08 से परित्याग कर दिया जाएगा)	363.30	448.00	
14		राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क	113.50	127.00	
15		निरीक्षण और अनुक्षण केन्द्र, सार्वजनिक परिवहन का सुदृढीकरण, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन	523.20	556.00	
		उप-योग (बी)	1000.00	1131.00	
		योग (ए+बी)	72361.65	81842.69	
	सी	केन्द्र प्रायोजित स्कीम			
16		सीआरएफ से ई तथा आई ^०			
क		राज्य 1168.35	1321.43		
ख		संघराज्य क्षेत्र			
		उप-योग (सी)	1168.35	1321.43	
		योग (ए+बी+सी)	73530.00	83164.12	

नोट :¹ इसमें "माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों" के लिए पिछली देयताएं शामिल हैं।

^० इसमें हरिद्वनपुर-नारनपुर के लिए 140.85 करोड़ रुपए (मौजूदा मूल्यों पर 159.30 करोड़ रुपए) तथा मुगल रोड के लिए 127.50 करोड़ रुपए (मौजूदा मूल्यों पर 144.21 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
47		रेल मंत्रालय			
1	नई लाइनें		11493.96	13000.00	डीएफसी, राष्ट्रीय महत्व के उच्च घनत्व कारीडारों और पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। जीबीएस केवल विशिष्ट परियोजनाओं के लिए और वह भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर दिया जाना चाहिए।
2	गेज परिवर्तन		3095.00	3500.00	
3	यातायात सुविधाएं		1655.13	1872.00	
4	कंप्यूटरीकरण		618.91	700.00	
5	सेतु कार्य		119.36	135.00	
6	सिगनलिंग और दूरसंचार		2033.55	2300.00	
7	विद्युतीकरण परियोजनाएं (पटरियों के लिए)		2608.24	2950.00	
8	अन्य विद्युत कार्य (एनटीपीसी में जेवी के लिए अंशदान)		1679.89	1900.00	
9	उत्पादन यूनितों सहित वर्कशाप		3094.53	3500.00	
10	स्टाफ क्वार्टर*		190.09	215.00	
11	स्टाफ सुविधाएं		132.62	150.00	
12	अन्य विशिष्ट कार्य*		300.00	340.00	
13	महानगर परिवहन परियोजना		1282.02	1450.00	
14	चल स्टॉक		4451.70	5035.00	
15	मशीनरी तथा संयंत्र		574.70	650.00	
16	पीएसयू में निवेश		5304.90	6000.00	
17	सामान सूचियां		1878.82	2125.00	
		रेल मंत्रालय के लिए कुल जीबीएस	40513.41	45822.00	
18	सड़क सुरक्षा - एलसी/आरओबी (उप-कर) (आर्थिक कार्य विभाग के अधीन)		3749.68	4241.00	
		सकल योग	44263.09	50063.00	

48 सीएसआईआर सहित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)

1	राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं		5658.56	6400.00	प्राथमिकता निर्धारण (1) परियोजनाओं को योजना उद्देश्य और प्राथमिकताओं के अनुसार पुनः फोकस करें (2) सुस्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण, वार्षिक वित्तीय और भौतिक चरण विभाजन तथा परियोजना का एक प्रतिशत प्रत्येक स्कीम के लिए आबंटित किया जाए जिससे कि परियोजनाओं पर पुनः बल दिया जा सके (3) योजनेतर को अंतरण के लिए स्थापना व्यय अभिज्ञात किया जाना चाहिए। मूल्यांकन: (1) भारी परियोजनाओं वाली पहले से चली आ रही स्कीमों/कार्यक्रमों का गहन मूल्यांकन जिससे कि यदि जरूरत पड़े तो स्कीम को तदनुसार पुनर्चित/पुनः तैयार किया जा सके (2) संगठनात्मक तंत्र, प्रबंध
2	राष्ट्रीय एस तथा टी मानव संसाधन विकास		707.32	800.00	
3	बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी विकास		212.20	240.00	
4	आर तथा डी प्रबंध सहयोग		141.46	160.00	
5	नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेटवर्क पहल		618.91	700.00	

* रेल मंत्रालय को योजनागत जीबीएस का प्रयोग स्टॉफ क्वार्टरों तथा अन्य विशिष्ट कार्यों की बजाय राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए करना चाहिए।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
					परिपाटियों और सभी संस्थानों के कार्यकरण का भी गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे कि एक अत्यंत प्रतियोगी वैज्ञानिक विश्व में प्रयासों को पुनः केन्द्रित किया जा सके।
6	ट्रांसलेशनल रिसर्च संस्थान की स्थापना योग सीएसआईआर		88.42 7426.87	100.00 8400.00	
	डीएसआईआर				प्राथमिकता निर्धारण (1) परियोजनाओं को योजना उद्देश्य और प्राथमिकताओं के अनुसार पुनः फोकस करें (2) सुस्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण, वार्षिक वित्तीय और भौतिक चरण विभाजन तथा परियोजना का एक प्रतिशत प्रत्येक स्कीम के लिए आबंटित किया जाए जिससे कि परियोजनाओं पर पुनः बल दिया जा सके (3) योजनेतर को अंतरण के लिए स्थापना व्यय अभिज्ञात किया जाना चाहिए। मूल्यांकन: (1) भारी परियोजनाओं वाली पहले से चली आ रही स्कीमों/कार्यक्रमों का गहन मूल्यांकन जिससे कि यदि जरूरत पड़े तो स्कीम को तदनुसार पुनर्निर्धारित/पुनः तैयार किया जा सके (2) संगठनात्मक तंत्र, प्रबंध परिपाटियों और सभी संस्थानों के कार्यकरण का भी गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे कि एक अत्यंत प्रतियोगी वैज्ञानिक विश्व में प्रयासों को पुनः केन्द्रित किया जा सके।
1	प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, विकास और उपयोग		358.08	405.00	
2	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड		44.21	50.00	
3	राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास		88.42	100.00	
4	परामर्श विकास केन्द्र		8.84	10.00	
5	डीएसआईआर भवन और आधारिक तंत्र योग डीएसआईआर सकल योग सीएसआईआर+डीएसआईआर		30.95 530.49 7957.36	35.00 600.00 9000.00	
49		उच्चतर शिक्षा विभाग			
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों				
I	पहले से चली आ रही केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों				
1	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा (ओएससी सहित)		12492.78	14129.70	
2	दूरस्थ शिक्षा		582.96	659.35	
3	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान		154.73	175.00	
4	पुस्तक प्रोत्साहन		61.89	70.00	
5	योजना और प्रशासन		69.06	78.11	
6	तकनीकी शिक्षा (ओएससी सहित)		11391.07	12883.63	
	नई स्कीमों				
1	इग्नू-कौशल विकास मिशन (व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण) \$		44.21	50.00	
2	नए 210 सामुदायिक कालेज (एनजीओ) कौशल विकास मिशन		88.42	100.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
3	नीति और मूल्यांकन के लिए अंतःविश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान (यूजीसी)		88.42	100.00	
4	200 राज्य इंजीनियरी संस्थानों का विस्तार और स्तरोन्नयन		804.58	910.00	
5	7 तकनीकी संस्थानों का स्तरोन्नयन		618.91	700.00	
6	2 आईआईएसईआर (पुणे और कोलकाता)		707.32	800.00	
7	2 नए एस्पपीए की स्थापना		212.20	240.00	
8	अग्रिम क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 50 केंद्रों की स्थापना		132.62	150.00	
9	संकाय विकास (एआईसीटीई)		839.94	950.00	
II उच्च शिक्षा के लिए विशेष योजना					
1	कवर न किए गए राज्यों में 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय		1768.30	2000.00	
2	नए सीयू में 5 चिकित्सीय और इंजीनियरी कालेज		884.15	1000.00	
3	14 विश्वस्तरीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय (डब्ल्यूसीसीयू)		2475.62	2800.00	
4	डब्ल्यूसीसीयू में 5 चिकित्सीय और इंजीनियरी कालेज		1503.06	1700.00	
5	370 डिग्री कालेजों की स्थापना		691.41	782.00	
6	राज्य सरकारों को विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन देना		5481.73	6200.00	
7	कवर न किए गए राज्य विश्वविद्यालयों (150) और कालेजों (6000) को सहयोग		6189.05	7000.00	
8	पहले से कवर किए गए विश्वविद्यालयों (160)/कालेज (5500) को अतिरिक्त सहायता		2652.45	3000.00	
9	विश्वविद्यालयों में विज्ञान-आधारित उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान का सुदृढीकरण		1060.98	1200.00	
10	आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (ओएससी सहित)		4420.75	5000.00	
III तकनीकी शिक्षा					
1	राष्ट्रीय स्तर/उन्नत संस्थानों का विस्तार		1768.30	2000.00	
क	8 नए आईआईटी की स्थापना		442.08	500.00	
ख	20 नए एनआईटी की स्थापना		831.10	940.00	
ग	20 नए आईआईआईटी की स्थापना		795.74	900.00	
घ	3 आईआईएसईआर की स्थापना (मोहाली, टीवीएन, भोपाल)		583.54	660.00	
ङ	7 नए आईआईएम की स्थापना		884.15	1000.00	
2	एम.टेक. छात्रों के लिए अद्यतनता की राशियों में बढ़ोतरी				
IV व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास					
1	580 नए सामुदायिक पालीटेक्निक		512.81	580.00	
2	डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए इंजीनियरी कालेजों को सहयोग		884.15	1000.00	
3	500 पालीटेक्निकों में महिला छात्रावास		442.08	500.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

V

अन्य

1	एनईटी अर्हताप्राप्त तथा गैर-एनईटी पास पीएच.डी. छात्रों के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्ति में बढ़ोतरी		2033.55	2300.00	
2	शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी		3536.60	4000.00	
3	कुल छात्रों में से 2 प्रतिशत के लिए छात्रवृत्ति		884.15	1000.00	
4	बालिका छात्रावासों का निर्माण		884.15	1000.00	
5	क्षेत्रीय असंतुलों/सामाजिक अंतरालों में कमी लाना और समावेशन को बढ़ावा				
	(i) उच्चतर शिक्षा		1892.97	2141.00	
	(ii) तकनीकी शिक्षा		884.15	1000.00	
	योग (क)		72676.11	82198.79	

ख केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम

1	नए पॉलिटेक्निक की स्थापना एवं स्थापित पॉलिटेक्निकों का सशक्तिकरण				
(1)	पॉलिटेक्निक विहीन जिलों में नए पॉलिटेक्निक की स्थापना 300 पॉलिटेक्निक पीपीपी के अनुसार और 400 निजी क्षेत्रक में स्थापित करना		1167.08	1320.00	
(2)	400 पॉलिटेक्निक की स्थापना		884.15	1000.00	
2	मदरसा आधुनिकीकरण एवं क्षेत्र तीव्रता कार्यक्रम		308.57	349.00	
3	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति		66.31	75.00	
	योग (ख)		2426.11	2744.00	
	योग (क)+ (ख)		75102.22	84942.79	

50

नौवहन विभाग

1	डीजी (नौवहन)		58.35	66.00	और आगे का आबंटन पहले से चली आ रही सभी स्कीमों के व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा गहन मूल्यांकन पर निर्भर करता है। 2007-08 से 0.27 करोड़ रुपए की समुद्रीय विकास व्यावसायिक सेवाओं की स्कीम योजनेतर को जानी चाहिए।
2	भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय		265.25	300.00	
3	डीजी (प्रकाश गृह और प्रकाश पोत)		132.62	150.00	3 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए आबंटन केवल विकास तक सीमित होना चाहिए और उसमें अनुसंधान शामिल नहीं होना चाहिए।
4	आईडब्ल्यूटी क्षेत्रक		543.75	615.00	
5	जलयान निर्माण और मरम्मत		150.31	170.00	
6	प्रमुख पत्तन (कैओपीटी, एमबीपीटी, जेएनपीटी, सीएचपीटी, सीओपीटी, वीपीटी, केपीटी, एमओपीटी, पीपीटी, एनएमपीटी, टीपीटी, ईपीएल)		1818.68	2056.98	प्रमुख पत्तनों के लिए सभी 12 अलग-अलग स्कीमों 'प्रमुख पत्तनों में आधारस्तंभ विकास में निवेश' नामक एक संयुक्त स्कीम में विलयित कर दी जानी चाहिए

नोट : *इसमें सुनामी के बाद के निर्माण कार्य, गहन समुद्र पत्तनों का विकास, सर्वेक्षण पोत, आर तथा डी, सेतुसमुद्र परियोजना, लघु पत्तनों को सहायता तथा वेब-आधारित ईडीआई शामिल है।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

और अलग-अलग पत्तनों के लिए आबंटन परियोजना-आधारित होना चाहिए। पीपीपी परियोजनाओं के तहत आधारस्तंभ विकास के लिए वीजीएफ के वास्ते 100 करोड़ रुपए की अपेक्षित जीबीएस उपलब्ध कराई जानी चाहिए यदि वह डीओईए के बजट में से उपलब्ध नहीं कराई गई हो।

सुनामी के बाद के कार्यों की नौवहन विभाग द्वारा गहन मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। सर्वेक्षण पोटों को रक्षा मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए।

51 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

ए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

I पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक (एससी तथा ओबीसी)

1	विशेष घटक योजना (एससीपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	2714.09	3069.71		
2	दुर्बल वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	381.07	431.00		
3	एससी, ओबीसी तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एनजीओ को जीआईए	221.04	250.00		इसे 'अनुसंधान, प्रशिक्षण सूचना और विविध के लिए जीआईए' के साथ विलयित कर दिया जाए और इसे 'अनुसंधान, प्रशिक्षण सूचना और विविध के लिए जीआईए' का नया नाम दिया जाए।
4	एससी के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	508.17	574.75		
5	एससी के लिए शीर्षस्थ स्तर की शिक्षा	180.81	204.50		
6	डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रतिष्ठान	5.53	6.25		
7	हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम	309.45	350.00		
8	सीएस के अधीन नई स्कीमें				
8	एससी के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति स्कीम	110.52	125.00		

II सामाजिक कल्याण

9	राष्ट्रीय संस्थानों के वित्तपोषण की स्कीम	317.41	359.00		
10	कुत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर (एएलआईएमसीओ)	10.61	12.00		
11	सहायक सामग्री तथा उपकरण खरीदने/फिट कराने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम	442.08	500.00		
12	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने की स्कीम (दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम)	442.08	500.00		
13	विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	22.10	25.00		
14	शराबखोरी और नशीली दवाओं के सेवन के रोकथाम सहित सामाजिक सुस्था सेवारं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	243.14	275.00		

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
15	वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए सैद्धिक संगठनों को सहायता			181.25	205.00	इन दोनों को 'वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए पंचायती राज संस्थानों/सैद्धिक संगठनों/स्वयंसेवी समूहों को सहायता' में विलयित कर दिया जाए और वृद्ध गृह का निर्माण इसके एक घटक के रूप में लिया जा सकता है।
16	वृद्धाश्रम गृह/वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के वास्ते पंचायत राज संस्थानों/सैद्धिक संगठनों/स्वयंसेवी समूहों को सहायता			66.31	75.00	इसे एससी, ओबीसी, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एनजीओ को जीआईए में विलयित कर दिया जाए तथा 'अनुसंधान, प्रशिक्षण, सूचना और विविध के लिए जीआईए' के रूप में नया नाम दिया जाए।
17	अनुसंधान, सूचना और अन्य विविधों के लिए सहायता अनुदान			6155.65	6962.21	
	योग ए					
	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें					
बी						
1	एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां तथा पुस्तक बैंक			3609.10	4082.00	
2	गंदे पेशे में लगे हुए परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति			176.83	200.00	
3	एससी तथा ओबीसी के लिए छात्रावास			512.81	580.00	
4	अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी)			77.81	88.00	
5	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी)			27.23	30.80	
6	एससी/ओबीसी तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीम			101.68	115.00	
7	एससी छात्रों के योग्यता स्तर का स्तरोन्नयन			8.84	10.00	इसे राज्यों को अंतरित कर दिया जाए।
8	पीसीआर अधिनियम 1955 तथा एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन			8.84	10.00	
9	ओबीसी के लिए योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियां क. ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां ख. ओबीसी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां			853.21	965.00	
10	कक्षा VI से XII तक की पढाई जारी रखने के लिए एससी छात्रों के वास्ते आवासीय स्कूलों की स्थापना			618.91	700.00	
	योग बी			234.30	265.00	
	सकल योग (ए+बी)			5376.34	6080.80	
				11531.99	13043.01	
52			सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
ए			केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें			
1	भारतीय सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण)			79.57	90.00	योजनेतर को अंतरित कर दिया जाए।
2	कार्यालय भवन का संवर्द्धन/बदलाव तथा आधुनिकीकरण			0.35	0.40	इसे क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित स्कीम अर्थात् एनएसएसओ के क्षमता विकास में विलयित कर दिया जाए और विभिन्न घटकों से युक्त 'क्षमता विकास' का नया नाम दिया जाए।
3	सीएसओ का क्षमता विकास			59.48	67.27	
4	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय का सुधार					

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
5	सामाजिक पर्यावरण और मूल्य सांख्यिकीय का विकास				
6	अनौपचारिक क्षेत्रक सांख्यिकीय का सुधार		216.62	245.00	
7	एनएसएसओ का क्षमता विकास		0.00	0.00	
8	एनएसएसओ के क्षेत्रीय प्रचालनों का सुदृढीकरण		0.00	0.00	
9	एनएसएसओ की डाटा प्रोसेसिंग क्षमता का सुदृढीकरण		0.00	0.00	
10	एनएसएसओ का सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान क्षमताओं का सुदृढीकरण		0.00	0.00	
11	पूर्वोत्तर में एनएसएस सर्वेक्षण कार्य करने के लिए राज्यों को सहायता अनुदान		0.00	0.00	
12	कंप्यूटर केन्द्र के डाटा प्रोसेसिंग, भंडारण और प्रसार का सुदृढीकरण		9.40	10.63	इसे 'कंप्यूटर केन्द्र का सुदृढीकरण' का नया नाम दिया जाए।
13	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान		79.57	90.00	
14	परियोजना, आयोजना, कार्यान्वयन, मानीटरन तथा सरकारी क्षेत्र में				
15	आधारिक-तंत्र के निष्पादन प्रबंध के वास्ते संस्थानगत विकास और क्षमता निर्माण		8.84	10.00	इसे 'मानीटरन तथा मूल्यांकन और सूचना, शिक्षा और संचार' का नया नाम दिया जाए।
16	संस्थानगत विकास और क्षमता निर्माण (पीआई स्कंध)				मंत्रालय को अपनी स्कीमों और संस्थानों का शीघ्र एक गहन और स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिए और उसी के पुनर्निर्माण/दिशा-अनुकूलन के लिए निष्कर्षों का प्रयोग करना चाहिए तथा 08-09 में इन स्कीमों के लिए योजनागत वित्तपोषण इसी पर निर्भर होगा।
17	5वीं आर्थिक गणना		69.85	79.00	
18	बुनियादी सांख्यिकीय योग ए		523.68	592.30	
बी	केन्द्र प्रायोजित स्कीमों				
	स्थानीय स्तर विकास के लिए बुनियादी सांख्यिकीय (एमपीएलएडीएस)		6.81	7.70	
	योग बी		6.81	7.70	
	सकल योग (ए+बी)		530.49	600.00	
53		इस्पात मंत्रालय			
1	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एमआर के लिए)		30.95	35.00	एमआर विनिर्माण यूनिट के लिए है और सर्विसिंग यूनिट के लिए नहीं। एचएससीएल एक सर्विसिंग यूनिट है।
2	एमईसीओएन लिमिटेड (अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज के लिए)		55.70	63.00	सीपीएसई को अपनी एएमआर जरूरतें आंतरिक संसाधनों (आईआर) से पूरी करनी चाहिए और केवल परियोजना-आधारित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
3	कंपनियों का बर्ड समूह		0.88	1.00	पुनर्रचना पैकेज वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर आधारित होना चाहिए।
4	लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास की प्रोन्नति के लिए स्कीम सकल योग		104.33	118.00	
			191.86	217.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
54		विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग			
1	अनुसंधान और विकास सहायता		2829.28	3200.00	
2	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम		265.25	300.00	
3	समाजार्थिक विकास के लिए एस तथा टी कार्यक्रम		353.66	400.00	
4	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग		221.04	250.00	
5	राज्य वित्त और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम		88.42	100.00	
6	व्यावसायिक निकायों के मानचित्रण का				
	आधुनिकीकरण (एसओआई तथा एनएटीएमओ)		176.83	200.00	
7	स्वायत्त संस्थान तथा व्यावसायिक निकाय		2046.81	2315.00	
8	व्यावसायिक रोजगार सृजन		2.65	3.00	
9	बांस उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी (मिशन मोड परियोजना)		70.73	80.00	
10	सिनर्जी प्रोजेक्ट्स (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय)		30.95	35.00	
11	सूचना प्रौद्योगिकी		13.26	15.00	
12	भारत सरकार में सेवारत वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		26.52	30.00	
13	दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान		442.08	500.00	
14	नैनो-विज्ञान और नैनो-प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन		884.15	1000.00	
15	विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड ⁸				
16	उच्चतर शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्तियां (ओवरसाइट समिति सिफारिश)		1326.23	1500.00	
17	जल प्रौद्योगिकी पहल		44.21	50.00	
18	आईएनएसपीआईआईआई		663.11	750.00	
19	नवाचार संकुल		44.21	50.00	
20	सुस्था प्रौद्योगिकी पहल		44.21	50.00	
21	दुनियादी अनुसंधान के लिए बृहद सुविधाएं		176.83	200.00	
	सकल योग		9750.41	11028.00	
55		अंतरिक्ष विभाग			
1	लांच वाहन मिशन		17.68	20.00	
i.	जीएसएलवी एमकेआई				
ii.	जीएसएलवी प्रचालनात्मक		1986.18	2260.00	
iii.	क्रायेजनिक् अपर स्टेज प्रोजेक्ट (सीयूएसपी)		4.42	5.00	
iv.	जीएसएलवी एमके III विकास		1198.91	1356.00	
v.	जीएसएलवी एमके III प्रचालनात्मक		499.55	565.00	
vi.	पीएसएलवी-सी		1628.61	1842.00	
	उप-योग-1		5347.34	6048.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
2	भूमि प्रेक्षण मिशन				
	i. ओशन सेट- 2 और तीन		199.82	226.00	
	ii राजार इमेजिंग उपग्रह		150.31	170.00	
	iii रिसोर्स सेट - 2 और तीन		199.82	226.00	
	iv जीईओएचआर इमेजर		274.97	311.00	
	v कार्टोसेट-3		299.73	339.00	
	vi एल्टिका अर्गोज		99.91	113.00	
	vii प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह		299.73	339.00	
	viii आपदा प्रबंध उपग्रह (डीएम-एसएआर)		299.73	339.00	
	ix ईओ फालोआन उपग्रह		299.73	339.00	
	उप-योग 2		2123.73	2402.00	
3	अंतरिक्ष विज्ञान मिशन				
	i. चंद्रायण 1 तथा 2		449.15	508.00	
	ii मेघा ट्रिपिक		60.12	68.00	
	iii एस्ट्रोसेट 1 तथा 2		199.82	226.00	
	iv उन्नत तारामंडल मिशन		299.73	339.00	
	v वायुमंडलीय अनुसंधान तथा खगोलविज्ञान के लिए लघु उपग्रह		199.82	226.00	
	उप-योग 3		1208.63	1367.00	
4	इन्सेट उपग्रह				
	i. इन्सेट-3 उपग्रह		53.05	60.00	
	ii जीएसएटी-4		26.52	30.00	
	iii जीएसएटी-5/इन्सेट-4डी		70.73	80.00	
	iv जीएसएटी-6/इन्सेट-4ई		176.83	200.00	
	v जीएसएटी-8/इन्सेट-4जी		599.45	678.00	
	vi इन्सेट-4सीआर		49.51	56.00	
	vii इन्सेट-4/जीएसएटी उपग्रह (जीएसएटी-9 से जीएसएटी-14)		1498.64	1695.00	
	viii उन्नत संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह		804.58	910.00	
	ix इन्सेट क्षमता संबर्द्धन (अल्यकालीन)		99.91	113.00	
	x इन्सेट/जीएसएटी फालोआन उपग्रह		199.82	226.00	
	उप-योग 4		3579.04	4048.00	
5	उपग्रह नौ-संचालन		2397.82	2712.00	

नोट :⁶ क्रम संख्या 1 में शामिल ।

सुस्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण, वार्षिक वित्तीय और भौतिक वरण विभाजन तथा परिव्यय का कुछ प्रतिशत प्रत्येक स्कीम के लिए आबंटित किया जाए जिससे कि परिव्ययों पर योजना उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार पुनः बल दिया जा सके और उपलब्ध संसाधनों का छितरा प्रसार करने और मुख्य लक्ष्यों की पूर्ति न करने की बजाय उनका सर्वाधिक विवेकपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से कारगर ढंग से प्रयोग किया जाए। अन्य निर्णय: (1) डीओएस को अपनी पहले से चली आ रही योजनाओं/कार्यक्रमों का गहन मूल्यांकन और प्रभाव आकलन करना होगा (2) अनुप्रयोगोन्मुखी कार्यक्रम तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ आर्गनिक तालमेल के सुदृढीकरण के वास्ते और अधिक एकजुट प्रयासों की जरूरत है (3) अंतरिक्ष विज्ञानों के अनुप्रयोग को राज्यों में अप स्केल किए जाने की जरूरत है और डीओएस

(अनुबंध जारी)

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
6	उन्नत लांच व्हीकल विकास i. अर्द्ध-क्रायोजनिक इंजन/स्टेज विकास ii मानव अंतरिक्ष उड़ान iii अंतरिक्ष कैप्सल रिकवरी प्रयोग-एसआरई iv पुनःप्रयोज्य लांच व्हीकल प्रौद्योगिकियां उप-योग 6		499.55 1591.47 79.57 199.82 2370.41	565.00 1800.00 90.00 226.00 2681.00	
7	प्रमुख अंतरिक्ष अनुप्रयोग तथा अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान i. दूरस्थ संवेदी अनुप्रयोग (एनएनआरएमएस, एनआर, सेंसर, आरएसएएम, एनआरएसए, एनईएसएसी आदि सहित) ii आपदा प्रबंध सहयोग iii सेटकॉम अनुप्रयोग कार्यक्रम iv अंतरिक्ष विज्ञान और पर्यावरण (पीआरएल, एनएआरएल सहित) उप-योग 7		649.85 199.82 299.73 599.45 1748.85	735.00 226.00 339.00 678.00 1978.00	
8	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अनुप्रयोग i. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन डाटाबेस ii ग्रामीण संसाधन केन्द्र iii एड्युसेट आईटी नेटवर्क iv टेली मेडीसन नेटवर्क उप-योग 8		35.37 249.33 141.46 88.42 514.58	40.00 282.00 160.00 100.00 582.00	
9	आर तथा डी, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया विकास i. प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम/आर तथा डी/लघु उपग्रह/ सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी का विकास ii अंतरिक्ष सामग्री और घटक का विकास तथा अग्रिम कार्रवाई iii प्रायोजित अनुसंधान उप-योग 9		799.27 799.27 99.91 1698.45	904.00 904.00 113.00 1921.00	
10	अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आधारिक-तंत्र/सहायक सुविधाएं/ क्षमता निर्माण i. भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान/एचआरडी ii तकनीकी सुविधा पुनर्स्थापन/संबंधन iii उद्योग इंटरफेस और उत्पादनीकरण iv अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम v तकनीकी और सहायक सुविधा सहयोग vi सामान्य सिविल निर्माण कार्य तथा आवास उप-योग 10 सकल योग		399.64 1998.18 299.73 22.10 2997.27 599.45 6316.37 27305.22	452.00 2260.00 339.00 25.00 3390.00 678.00 7144.00 30883.00	

11वीं योजना के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगा (4) उपग्रहों, लांच वाहनों और संबद्ध भूमि खंडों के स्वदेशी विकास के एकीकरण के लिए एकजुट प्रयास किए जाने होंगे (5) एड्युसेट का प्रयोग अधिकतम किया जाना चाहिए और उसका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए (6) डीओएस द्वारा कृषि क्षेत्र और शहरी आयोजना में दूरस्थ संवेदीकरण के पूर्ण प्रयोग के लिए एक प्रस्तुति की जाए। (7) आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित आपदा प्रबंधन पहलों द्वारा डीओएफ कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
56			दूरसंचार विभाग			
1	भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) स्वीकृत पुनरुद्धार के प्रति अवशिष्ट प्रतिबद्धता			93.60	105.87	आईटीआई को किसी व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम से 11वीं योजना प्रस्ताव के लिए एक विश्वसनीय कारोबार योजना तैयार करनी है। आईटीआई को अपनी पुनरुद्धार जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ वास्तविक संपदा परिसंपत्तियां बेचने की संभावना का पता लगाना चाहिए।
2	बेतार मानीट्रन संगठन (डब्ल्यूएमओ)			110.00	124.42	
3	बेतार आयोजना तथा समन्वय (डब्ल्यूपीसी) स्कंध			11.40	12.89	
4	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)			15.00	16.97	
5	दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय प्राधिकरण (टीडीएसएटी)			8.00	9.05	
6	दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी)			50.00	56.55	
7	टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सीडॉट) तथा					
8	दूरसंचार सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र (टीईटीसी)			655.01	740.84	टीईटीसी सीडॉट का अंग बना दिया जा चुका है।
9	मुख्य भूमि तथा अंडमान तथा निकोबार (ए तथा एन) द्वीपसमूह के बीच समुद्र के नीचे केबल डालना (यूएमए तथा एन)			181.00	204.72	
10	दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी सहायता (टीएटी) खा सेवाओं के लिए आटिकल फाइबर केबल नेटवर्क सकल योग			25.00 400.01 1549.03	28.28 452.42 1752.00	टीएटी को नया नाम देना चाहिए जो इसके कार्य को परिलक्षित करे।
57			वस्त्र मंत्रालय			
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम					
1	हथकरघे			1211.48	1370.45	सभी स्कीमें इस क्षेत्रक के पांच प्रमुख घटकों में विलयित की जा चुकी है।
2	हस्तशिल्प			861.97	975.07	
3	कौशकीट-पालन			417.72	472.54	इस क्षेत्रक में केवल चार प्रमुख स्कीमें कार्यान्वित की जाएंगी। उल्लेखनात्मक विकास कार्यक्रम एक सीएसएस के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।
4	विद्युत करघा			101.46	114.78	
5	ऊन विकास बोर्ड योग (वीएसई)			59.37 2652.00	67.16 3000.00	
1	एनआईएफटी			44.21	50.00	रायबरेली केन्द्र के लिए 2008-09 तक तथा उसके बाद के लिए प्रावधान केवल एक केन्द्र तक सीमित रखा जाएगा।
2	टीआरए सहित आर तथा डी			8.84	10.00	
3	प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन निधि (टीयूएफएस)			7073.21	8000.00	टीयूएफएस 31.3.09 तक जारी रखा जा सकता है और प्रतिबद्धताओं को अंशकित किया जाना चाहिए जिससे कि देयताएं आगे ले जाने से बचा जा सके। इसके बारे में केवल एक गहन मूल्यांकन के बाद ही 2008-09 तथा उसके बाद के लिए विचार किया जा सकता है।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
4	एकीकृत वस्त्र पार्क के लिए स्कीम		1768.30	2000.00	जीबीएस का और आगे संवितरण करने से पूर्व कम से कम 5-6 पार्कों का किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से त्वरित आकलन अध्ययन।
5	पटसन प्रौद्योगिकी मिशन		314.76	356.00	और आगे का वित्तपोषण संस्थानों/स्कीमों के एक स्वतंत्र और गहन मूल्यांकन के अध्यक्षीन है।
6	निर्यात प्रोत्साहन अध्ययन		4.42	5.00	
7	एसवीपीआईटीएम कोयंबतूर		11.49	13.00	
8	ब्रैंड प्रोत्साहन (07-08 से नई स्कीम)				नई स्कीम के संबंध में योजना आयोग और वय्य विभाग द्वारा यथानिर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन किया जाना होगा।
9	विदेशी प्रोत्साहन स्कीम एफडीआई सेल (07-08 से नई स्कीम)		202.47	229.00	एफडीआई सेल को क्रम संख्या 6 पर निर्यात प्रोत्साहन अध्ययन में विलयित किया जा सकता है।
10	टेक्सटाइल पॉलिस (07-08 से नई स्कीम)				टेक्सीपोलीस और फैशन हब के लिए एक संयुक्त स्कीम रखना उपयुक्त होगा।
11	फैशन हब (07-08 से नई स्कीम)		84.88	96.00	
12	सामान्य अनुपालन संहिता (07-08 से नई स्कीम)		12164.58	13759.00	
13	एचआरडी (07-08 से नई स्कीम)				
14	वस्त्र इंजीनयरी (07-08 से नई स्कीम)				
15	तकनीकी वस्त्र (07-08 से नई स्कीम)				
योग क					वस्त्र मंत्रालय को डीएचआई के परामर्श से स्कीम तैयार करनी होगी।
ख	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
16	सूती प्रौद्योगिकी मिशन		213.08	241.00	
	योग ख		213.08	241.00	
	सकल योग (ए+बी)		12377.66	14000.00	
पर्यटन मंत्रालय					
58	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1	बाह्य सहायित परियोजनाएं		32.71	37.00	(1) मंत्रालय पर्यटन आधुनिक-तंत्र विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों की
	(क) बौद्ध केन्द्र		1.77	2.00	सहायता की अपनी योजना का पुनर्निर्माण करेगा (2) घरेलू और विदेशी
2	यूएनडीपी अंतरजात परियोजनाएं		437.65	495.00	प्रोत्साहन तथा प्रचार का प्राथमिकता के आधार पर गहन मूल्यांकन किया जाना
3	आईएचएम/एफसीआई आदि को सहायता		83.99	95.00	चाहिए और अपेक्षितया अधिक कारण अभियान के लिए निष्कर्ष शामिल किए
4	सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण		892.99	1010.00	जाने चाहिए (3) विशाल राजस्व सृजन परियोजना तथा आवास आधुनिक-तंत्र
5	बाजार विकास सहायता सहित विदेश प्रोत्साहन और प्रचार		376.65	426.00	
6	आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू प्रोत्साहन और प्रसार		207.78	235.00	
7	आवास आधुनिक-तंत्र को प्रोत्साहन				
	गुलमर्ग, कश्मीर (जे तथा के पैकेज) में		11.49	13.00	
	आईआईएसएम के लिए भवनों का निर्माण				

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
8	कंप्यूटीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी		106.98	121.00	को प्रोत्साहन की स्कीम का औचित्य नहीं है क्योंकि निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक उद्यमों के रूप में इनका सृजन करना चाहिए (4) सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण की स्कीम की इस तरह पुनर्रचना की जानी चाहिए जिससे कि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एनजीओ को शामिल किया जा सके। इस स्कीम को पर्यटन सेवाओं में लगे हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है (5) गंतव्य स्थलों और परिसरों के लिए आधारिक-तंत्र के विकास की स्कीम केवल पीपीपी पद्धति में उचित है (6) पर्यटन मंत्रालय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय—दोनों तरह के पर्यटकों के लिए एक अन्योन्यक्रियापूर्ण पर्यटन पोर्टल का सृजन करेगा।
9	20 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना सहित बाजार अनुसंधान		25.64	29.00	
10	विशाल राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता		176.83	200.00	
11	लीड बैंक होटलों का सृजन		12.38	14.00	
12	आईटीडीसी को इक्विटी अंशदान (केवल 07-08 के लिए इक्विटी)		64.54	73.00	
13	पर्यटन आधारिक-तंत्र विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योग ए		22.10	25.00	
			2453.52	2775.00	
1	केन्द्र प्रायोजित स्कीम				
1	गंतव्य स्थलों और परिसरों के लिए उत्पाद/आधारिक-तंत्र विकास योग बी		2105.16	2381.00	
	सकल योग (ए+बी)		2105.16	2381.00	
			4558.68	5156.00	
59		जनजातीय कार्य मंत्रालय			
	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम				
1	एसटी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने के वास्ते एनजीओ को सहायता अनुदान		265.25	300.00	
2	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र		88.03	99.56	
3	न्यून साक्षरता बस्तियों में शैक्षिक परिसर		264.18	298.79	
4	ट्राईफेड में निवेश तथा मूल्य सहयोग		61.53	69.59	
5	एमएफपी ग्राम खाद्यान्न बैंकों के लिए एसटीडीसी को सहायता अनुदान		153.84	174.00	
6	आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) की उन्नति		592.38	670.00	
7	राष्ट्रीय एसटी वित्त तथा विकास निगम को सहायता और राज्य एसटी विकास और वित्त निगमों को जीआईए		229.88	260.00	
8	नई दिल्ली में आदिवासी भवन का निर्माण		139.17	157.41	
9	एसटी छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति कार्यक्रम क राजीव गांधी अध्येतावृत्ति		132.62	150.00	
	ख राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम (नई स्कीम)		6.55	7.41	
	सीएस के अधीन नई स्कीम				इसकी मजूरी प्रतीक्षित है।
10	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान (नीटा)		65.25	73.80	
11	उत्कृष्टता/शीर्षस्थ शिक्षा संस्थान की स्कीम योग ए		1859.50	2103.15	
बी	केन्द्र प्रायोजित स्कीम				
1	एसटी छात्रों के लिए पीएमएस, पुस्तक बैंकों और उनकी योग्यता के स्टरोन्यन की स्कीम		1322.95	1496.29	

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
2	एसटी छात्रों के लिए छात्रावास स्कीम			241.34	272.96	
3	टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल			130.50	147.60	इस स्कीम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इसे 'न्यून साक्षरता बस्तियों में शैक्षिक परिसर' नामक स्कीम के साथ विलयित कर दिया जाना चाहिए।
4	अनुसंधान और जनशिक्षा, जनजातीय त्योहार तथा अन्य योग बी			78.35	88.62	
	सकल योग (ए+बी)			1773.14	2005.47	
				3632.64	4108.62	
60			शहरी विकास मंत्रालय			
ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें					
1	एनसीआर ओयोजना बोर्ड को अंशदान			795.74	900.00	
2	अनुसंधान, विकास तथा क्षमता निर्माण और संस्थानों का स्तरोन्मयन + यूपनडीपी कार्यक्रम + सीपीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण			110.52	125.00	
3	वैश्विक पर्यावरण सुविधा			4.42	5.00	
4	ई-अभिशासन पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना			515.46	583.00	
5	शहरी परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण			134.39	152.00	
6	मेट्रो शीर्ष के अधीन शहरी परिवहन			1856.72	2100.00	
7	जेबीआईसी से पास शू सहायता			1063.63	1203.00	
8	हुडको को शहरी आधारिक-तंत्र और जल आपूर्ति के लिए इक्विटी कंयूटरीकरण			0.00	0.00	
9	कुछ चुनिंदा शहरों में हवाई अड्डों के निकट ठोस अपशिष्ट प्रबंध संबंधी मार्गदर्शी परियोजना*			8.84	10.00	इसे 2007-08 के दौरान पूरा किया जाना है।
10	सामान्य पूल आवास (आवासीय)			17.68	20.00	
11	सामान्य पूल आवास (गैर-आवासीय)			1564.95	1770.00	
12	सीपीडब्ल्यूडी का आधुनिकीकरण/कंयूटरीकरण			972.57	1100.00	
13	सीपीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण संस्थान			44.21	50.00	
14	पूर्वोत्तर एकमुश्त प्रावधान			23.87	27.00	
15	राष्ट्रमंडल खेल/खेल गांव			707.32	800.00	
16	राष्ट्रीय शहरी आधारिक-तंत्र			287.35	325.00	
17	यूपनडीपी से यूपलबी के क्षमता निर्माण के लिए सहायता			0.88	1.00	
18	शहरी चुनौती निधि			26.52	30.00	
19	संवित्त वित्त विकास निधि			2210.38	2500.00	
20	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली			7.96	9.00	इसे 2007-08 के दौरान पूरा किया जाना है।
21	जेएनएनयूआरएम के लिए प्रशासनिक व्यय			176.83	200.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
	नई स्कीमें				
23	उपग्रह शहरों/काउंटर मैनेट शहरों में शहरी आधुनिक-तंत्र विकास (रॉपर-एनसीआर) योग		442.08 10972.31	500.00 12410.00	
बी	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1	मेगा सिटी स्कीम				
2	आईडीएसएमटी (सीयूआईएसएस सहित)		28.73	32.50	जेएनएनयूआरएम के अधीन विलयित कर ली गई। इसे 2007-08 के दौरान पूरा किया जाना है।
3	एयूडब्ल्यूएसपी योग बी		28.73	32.50	
	सकल योग (ए+बी)		11001.04	12442.50	
61		आवास तथा शहरी निर्धनता शमन मंत्रालय			
ए	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	एनसीएचएफ को अनुदान		31.83	36.00	
2	शहरी ग्रामीणों के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के वास्ते यूएनडीपी सहायता		2.65	3.00	
3	पूर्वोत्तर एकमुश्त प्रावधान		4.42	5.00	
4	कंप्यूटरीकरण		176.83	200.00	
5	केन्द्र निर्माण स्कीम		4.42	5.00	
6	जेएनएनयूआरएम के लिए प्रशासनिक व्यय		4.42	5.00	
7	आवास, डाटा अनुसंधान और सर्वेक्षण पर एमआईएस		61.89	70.00	
8	आवास के लिए हुडको इक्विटी योग ए		30.95	35.00	
			317.41	359.00	
बी	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1	एकीकृत न्यून लागत सफाई		176.83	200.00	
2	एसजेएसआरवाई		1547.26	1750.00	
3	शहरी गरीबों को आवास के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम योग बी		1218.36	1378.00	
	सकल योग (ए+बी)		2942.45	3328.00	
			3259.86	3687.00	
62		जल संसाधन मंत्रालय			
1	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
1	जल संसाधन प्रबंध प्रणाली का विकास		154.73	175.00	
2	जल विज्ञान परियोजना		159.15	180.00	
3	मू-जल प्रबंध और विनियमन		349.24	395.00	

(अनुबंध जारी)

	1	2	3	4	5	6
4		जल संसाधन विकास स्कीम के लिए गवेषणा		194.51	220.00	
5		अनुसंधान विकास		260.82	295.00	
6		राष्ट्रीय जल अकादमी		13.26	15.00	
7		राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान		22.10	25.00	
8		सूचना, शिक्षा और संचार (नई स्कीम)		44.21	50.00	
9		पगलादिया बांध परियोजना		486.28	550.00	
10		फरक्का बराज परियोजना		145.88	165.00	
11		बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना		44.21	50.00	
12		नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण (नई स्कीम)		8.84	10.00	
13		बाढ़-पूर्वानुमान		110.52	125.00	
14		सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंध क्रियाकलाप और कार्य		787.78	891.00	
15		आधारिक-तंत्र विकास		88.42	100.00	
		योग ए		2869.95	3246.00	
		सकल योग		2869.95	3246.00	

जल संसाधन मंत्रालय ई तथा एफ मंत्रालय के परामर्श से जल उपलब्धता और गुणवत्ता मानचित्र तैयार कराया और उन्हें सतत रूप से अद्यतन बनाया तथा सभी पणधारियों के साथ उनका आदान-प्रदान कराया।

63

महिला और बाल विकास विभाग

ए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

I बाल विकास

1	कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	645.43	730.00
2	बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर)	486.28	550.00
		30.95	35.00
3	एनआईपीसीसीडी	30.95	35.00
4	बालिका के लिए बीमा कवर सहित सशर्त नकदी अंतरण स्कीम (नई स्कीम)	70.73	80.00
5	महिलाओं और बच्चों के अनैतिक कारोबार का मुकाबला करने के लिए व्यापक स्कीम (नई स्कीम)	26.52	30.00

II महिला अधिकांशिता

6	कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास	637.47	721.00
		66.31	75.00
7	स्टेप (एसटीईपी)	88.42	100.00
8	एनसीडब्ल्यू	22.10	25.00

इसे चुस्त बनाया जाना है और केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में बदला जाना है। सभी जीआईए स्कीमें एक शीर्ष के अधीन विलयित की जानी है और सीएस के अधीन संस्थान/संगठन को एक घटक के रूप में लिया जा सकता है।

इसके कार्य और उपलब्धियों का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सभी जीआईए स्कीमें एक शीर्ष के अधीन विलयित की जानी है और सीएस के अधीन संस्थान/संगठन को एक घटक के रूप में लिया जा सकता है।

प्रचालन और अनुक्षण की लागत की पूर्ति प्रयोक्ता प्रभागों के माध्यम से की जानी है।

इसे केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में रूपांतरित किया जाना है और स्वयंसिद्धा के साथ विलयित किया जाना है।

इसके कार्य और उपलब्धियों का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सभी जीआईए स्कीमें एक शीर्ष के अधीन विलयित की जानी है और सीएस के अधीन संस्थान/संगठन को एक घटक के रूप में लिया जा सकता है।

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
9	आएएमके		95.49	108.00	इसे स्वयंसिद्धा के साथ विलयित किया जाना है।
10	स्वधार		95.49	108.00	
11	सीएसडब्ल्यूबी को जीआईए		229.88	260.00	इसके कार्य और उपलब्धियों का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सभी जीआईए स्कीमें एक शीर्ष के अधीन विलयित की जानी है और सीएस के अधीन संस्थान/संगठन को एक घटक के रूप में लिया जा सकता है।
12	बलात्कार की शिकार महिला के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम (नई स्कीम)		22.10	25.00	
13	लैंगिक बजट निर्माण (नई स्कीम)		17.68	20.00	
	अन्य सहायता अनुदान		145.88	165.00	
14	अनुसंधान, प्रकाशन और मानीट्रन को जीआईए		13.26	15.00	
15	महिलाओं और बच्चों पर नवाचारी कार्य		17.68	20.00	सभी जीआईए स्कीमें एक साथ विलयित कर दी जाएंगी।
16	सूचना, जनशिक्षा और प्रकाशन		66.31	75.00	
17	सूचना प्रौद्योगिकी		4.42	5.00	“सूचना, शिक्षा और संचार” के अधीन विलयित किया जाना है।
18	पोषण शिक्षा (एफएनबी)		44.21	50.00	इसके कार्य और उपलब्धियों का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सभी जीआईए स्कीमें एक शीर्ष के अधीन विलयित की जानी है और सीएस के अधीन संस्थान/संगठन को एक घटक के रूप में लिया जा सकता है।
	योग ए		1428.79	1616.00	
बी	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
I	बाल विकास		46394.92	52474.00	
1	प्रशिक्षण सहित एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)		37487.99	42400.00	
	(क) पुनर्संचित आईसीडीएस		7957.36	9000.00	
	(ख) गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए सशर्त मातृ लाभ		0.88	1.00	
2	राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम)		948.69	1073.00	
3	एकीकृत बाल सुस्था स्कीम (आईसीपीएस)				
II	महिला सशक्तिकरण		543.75	615.00	
4	एकीकृत महिला अधकारिता कार्यक्रम (स्वयंसिद्धा)		442.08	500.00	स्टेप को स्वयंसिद्धा के साथ विलयित किया जाना है।
5	प्रियदर्शिनी स्कीम		83.99	95.00	
6	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए स्कीम (नई स्कीम)		17.68	20.00	
III	सामाजिक न्याय और अधिकांशिता मंत्रालय से स्थानांतरित की गई स्कीमें		53.05	60.00	
7	देखभाल और सुस्था की जरूरत वाले कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम		8.84	10.00	इसे आईसीपीएस के साथ विलयित किया जाना है।
8	निराश्रित बच्चों के लिए एकीकृत स्कीम		13.26	15.00	इसे आईसीपीएस के साथ विलयित किया जाना है।
9	शिशुगृह स्कीम		4.42	5.00	
10	किशोर सामाजिक कुसमायोजन के निवारण और नियंत्रण के लिए स्कीम		22.10	25.00	

(अनुबंध जारी)

1	2	3	4	5	6
11	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरई) योग बी सकल योग (ए+बी)		4.42 46991.72 48420.51	5.00 53149.00 54765.00	
64	I	युवा और खेलकूद कार्य मंत्रालय			
1	युवा कार्य राष्ट्रीय सेवा स्कीम - एक सीएसएस		375.76	425.00	
2	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)		397.87	450.00	
3	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान		35.37	40.00	
4	युवा छात्रावास		10.61	12.00	पहले से चली आ रही परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा।
5	स्वयंसेवकों की स्कीम (i) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवा स्कीम (एनएसवीएस) (ii) राष्ट्रीय सद्भावना योजना (आएसवाई)		69.85 42.44	79.00 48.00	इसे नेहरू युवा केन्द्र संगठन के साथ विलयित किया जाएगा।
6	किशोरों और युवा विकास के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता (i) युवा क्रियाकलापों और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना (ii) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना (iii) किशोरों का विकास और अधिकारिता (iv) जोखिम की प्रोन्नति		30.95 70.73 123.78 17.68	35.00 80.00 140.00 20.00	इसे 'युवा और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के अधीन विलयित किया जाएगा।
7	स्काउटिंग एंड गाइडिंग को प्रोत्साहन		13.26	15.00	
8	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योग ए		17.68 1205.98	20.00 1364.00	
II	खेलकूद और शारीरिक शिक्षा				
10	संस्थानों को जीआईए (क) भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) (ग) राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कार्यक्रम, (एलएनआईपीई) के अधीन		979.64 928.36 48.63 2.65	1108.00 1050.00 55.00 3.00	
11	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (मौजूदा ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम सहित)		1326.23	1500.00	
12	राष्ट्रीय खेलकूद संघों को सहायता		327.14	370.00	
13	खिलाड़ियों तथा खेलकूद प्रशिक्षण क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन		141.46	160.00	
14	विकलांग व्यक्तियों के बीच खेलकूद को प्रोत्साहन		30.95	35.00	
15	मादक औषधि विरोधी (डब्ल्यूडीए अंशदान सहित)		17.68	20.00	
16	मेगा/बहु खेलकूद कार्यक्रम		2.65	3.00	
17	राष्ट्रमंडल खेल-2010 (जीवाईजी 2008, पुणे सहित)		1096.35	1240.00	
18	अन्य नई पहलें योग बी सकल योग (ए+बी)		176.83 4098.92 5304.90	200.00 4636.00 6000.00	

(अनुबंध जारी)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012



इस पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस दस्तावेज के तीन भाग हैं। भाग I: में समावेशी विकास में विज्ञान, प्रमुख क्षेत्रों की नीतियों और कार्यनीतियों के ब्यौरे, वृहत आर्थिक रूप रेखा और योजना के वित्त पोषण को दर्शाया गया है, भाग- II: सामाजिक क्षेत्रों में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोषण और सामाजिक सुरक्षा नैट, पेय जल और सफाई एवं महिला और बाल अधिकारों से संबंधित योजनाएं दी गई हैं, और भाग III: में कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, सेवाएं और भौतिक अवसंरचना से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित अध्याय शामिल किए गए हैं।



योजना आयोग
भारत सरकार

www.planningcommission.gov.in

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012
भाग-III